भारतीय अब्दकोश

१९६४

INDIAN YEAR BOOK

1964

सम्पादक
श्रीजगन्नाथप्रसाद मिश्र : श्रीगदाधरप्रसाद अम्बष्ठ
संयुक्त सम्पादक
श्रीरामकिशोर ठाकुर

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्
पटना—४

प्रकाशक
बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्
पटना-४

शकाब्द १८८५; विक्रमाब्द २०२०; खृष्टाब्द १९६४

मूल्य ८ रुपये मात्र

मुद्रक
घनश्याम प्रेस
नवीन कोठी, पटना-४

वक्तव्य

परिषद् की ओर से सन् १९६४ ई० का 'भारतीय अब्दकोश' पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। परिषद् राष्ट्रभाषा हिन्दी की समृद्धि और विकास की दिशा में, अपने प्रकाशनों द्वारा जो थोड़ी-बहुत सेवा कर सकी है, उसपर भारत के लोकनायकों, मनीषी विद्वानों और प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं ने उत्साहवर्द्धक वाणी से हमें अनुप्राणित एवं प्रोत्साहित किया है। सन् १९५९ ई० में परिषद् ने अपने विशिष्ट प्रकाशनों के अतिरिक्त वार्षिक अब्दकोश प्रकाशित करने का भी संकल्प किया। यह अब्दकोश उसी शृंखला की कड़ी है। परिषद् चाहती है कि ऐसी कड़ी हर साल जुड़ती चले।

अब्दकोश-जैसी चीजों के निर्माण और उनके संकलन-सम्पादन में बड़े धैर्य और मनोयोग की आवश्यकता पड़ती है। प्रतिक्षण राजनीतिक एवं अन्य प्रकार की घटनाओं में परिवर्त्तन आता रहता है। यही कारण है कि हमें प्रेस पर चढ़े हुए मैटर में भी तदनुसार काट-छाँट करनी पड़ती है। हमने चाहा है कि जहाँतक सम्भव हो, चीज अप-टु-डेट निकाली जाय। इस अब्दकोश में अँगरेजी के पारिभाषिक शब्दों को लेकर कठिनाइयाँ उपस्थित होती रहती हैं। हमने यथासम्भव उपलब्ध कोशों से सहायता लेकर उन शब्दों के स्थानों में हिन्दी-पर्यायों को रखने का प्रयत्न किया है।

हम नहीं कह सकते कि प्रस्तुत पुस्तक को सर्वाङ्गपूर्ण बनाने में हमें कहाँतक सफलता मिली है। हमें केवल इसी बात से प्रसन्नता है कि जितनी सतर्कता इस कार्य में बरतनी चाहिए, बरती गई है। सम्पादकों ने इसे सब प्रकार से त्रुटि-रहित बनाने का प्रयत्न किया है और मुझे यह कहने में संतोष का बोध होता है कि वे अपने प्रयत्न में बहुत अंशों में सफल हुए हैं। फिर भी, निःसंदिग्ध भाव से नहीं कहा जा सकता कि यह बिलकुल दोषमुक्त है। सुधी पाठकों से अनुरोध है कि वे त्रुटियों की ओर हमारा ध्यान दिलायें, जिससे हम उनका सुधार कर इसे भविष्य में और भी सुन्दर एवं आकर्षक बना सकें।

जिन पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकों, इयर-बुकों आदि से हमें सामग्री-संकलन में सहायता मिली, हम उनके लिए भी आभारी हैं। घनश्याम प्रेस के अधिकारियों एवं कार्यकर्त्ताओं के प्रति उनके सहयोग के लिए हम अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्
१०-३-६४.

भुवनेश्वरनाथ मिश्र 'माधव'
निदेशक



प्रस्तावना

'भारतीय अब्दकोश' का प्रथम संस्करण सन् १९६० ई० में प्रकाशित हुआ था। हिन्दी-भाषा-भाषी शिक्षित जनों में उसके प्रति जिस प्रकार का आग्रह एवं अभिरुचि दिखलाई पड़ी, उससे हमें अपने इस नवीन प्रयास में उत्साह मिला। श्रीलक्ष्मीनारायण सुधांशुजी ने योजना के आरम्भ से ही इस कार्य में जो दिलचस्पी दिखलाई है और समय-समय पर अपने बहुमूल्य परामर्शों से इस योजना को सफल बनाने के जो कार्य किये हैं, वे निश्चय ही बहुत श्लाघ्य हैं। अब्दकोश-समिति के अन्य सभी सदस्यों का भी सक्रिय हार्दिक सहयोग एवं सुझाव हमें बराबर मिलता रहा है, जिससे अनेक समयानुकूल संशोधन एवं परिवर्द्धन किये गये हैं तथा सामयिक महत्त्वपूर्ण विषयों एवं सूचनाओं का सन्निवेश किया गया है। यों तो हम इस बात का दावा नहीं कर सकते कि इसमें विश्व के विभिन्न देशों और विभिन्न विषयों की वार्षिक प्रगति के सम्बन्ध में जो सब सूचनाएँ एवं विवरण दिये गये हैं, वे पर्याप्त अथवा अपने-आपमें पूर्ण हैं, फिर भी हमारा प्रयास यह अवश्य रहा है कि कोई आवश्यक ज्ञातव्य विषय छूट न जाय। किन्तु इतने पर भी त्रुटियाँ रह गई होंगी, इसे हम निःसंकोच स्वीकार करते हैं।

आधुनिक युग में वैज्ञानिक प्रगति के फलस्वरूप विश्व के विभिन्न देश परस्पर उत्तरोत्तर घनिष्ठ सम्पर्क में आते जा रहे हैं और स्वार्थ-सम्बन्ध की दृष्टि से एक-दूसरे पर निर्भरशील हो रहे हैं। विश्व-शान्ति एवं विश्व-कल्याण की दृष्टि से भी यह अभीष्ट है कि विश्व की विभिन्न जातियों के बीच प्रगाढ़ परिचय हो और मानवीय भावनाओं द्वारा सब मनुष्य एक सूत्र में ग्रथित हों। इस दृष्टि से भी इस प्रकार के अब्दकोश या 'इयर-बुक' के प्रकाशन की आवश्यकता है। यही कारण है कि संसार की प्रायः सभी समुन्नत भाषाओं में वार्षिक प्रगति के विवरण प्रस्तुत करनेवाले 'इयर-बुक' नियमित रूप में प्रकाशित होते रहते हैं। छोटे-बड़े आकारों में उनकी संख्या भी वृहत् है। एक-एक देश या एक-एक विषय के भी अलग-अलग वार्षिक ग्रन्थ हैं और ऐसे वृहदाकार वार्षिक ग्रन्थ भी हैं, जिनमें एक ही जिल्द में एक देश या पृथ्वी के सभी देशों के विविध ज्ञातव्य विषय एक साथ सन्निविष्ट कर दिये जाते हैं। हमारे देश में अँगरेजी भाषा में अनेक डाइरेक्टरी, इयर-बुक आदि छोटे-बड़े आकारों में बहुत पहले से निकल रहे हैं और उनका प्रचार भी यथेष्ट है। किन्तु हिन्दी में इस प्रकार के वार्षिक ग्रन्थों का अभाव है।

देश में इस समय राष्ट्र-निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों में जो बहुमुखी प्रयास हो रहे हैं, उनके प्रति जनसाधारण की दिलचस्पी बढ़ रही है और विषयों के जानने और समझने की दिशा में उनकी उत्कंठा उद्दीप्त हो रही है। इसके साथ ही, अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में जो सब घटनाएँ द्रुत गति से घटित हो रही हैं और जिनका प्रभाव हमारे राष्ट्र-जीवन पर सार्थक रूप में पड़ रहा है, उनका सही-सही ज्ञान लोगों को हो सके, यह भी सर्वथा वांछनीय है। किन्तु देश-विदेश के सम्बन्ध में प्रतिवर्ष की आवश्यक और उपयोगी जानकारी देनेवाली पुस्तकें अँगरेजी में ही उपलब्ध होने के कारण हिन्दी के पाठक इन विषयों के ज्ञान से सर्वथा वंचित रह जाते हैं। एक स्वाधीन देश के नागरिकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे सभ्य संसार की गति-विधियों के प्रति सचेत होकर

स्वदेश एवं स्वराष्ट्र की समस्याओं पर विचार करें। ज्ञान-विज्ञान की परिधि आज अत्यन्त विस्तृत हो गई है और सब कुछ को ठीक तरह से जाने और समझे बिना हम सही तरीके से दृढ़ता के साथ अपने राष्ट्र को उन्नति एवं कल्याण के पथ पर अग्रसर नहीं कर सकते।

राष्ट्रभाषा हिन्दी में विविधविषयक अब्दकोश के इस अभाव की पूर्ति के लिए ही परिषद् की ओर से इस 'भारतीय अब्दकोश' का प्रकाशन आरम्भ किया गया। हिन्दी-पाठकों की ज्ञान-पिपासा जिस रूप में बढ़ रही है, उसे देखते हुए यह अब्दकोश उनकी उस पिपासा को बहुलांश में शान्त करने में समर्थ होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। पाठकों ने यदि इसकी उपयोगिता को स्वीकार किया और इससे वे लाभान्वित हुए, तो इतने से ही हम अपने श्रम को सार्थक समझेंगे।

इस अब्दकोश के तैयार करने में हमें देश-विदेश के जिन अनेक अँगरेजी अब्दकोशों, सामान्य ज्ञान की पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं, सरकारी प्रतिवेदनों आदि से सहायता मिली है, उन सबका नाम गिनाना यहाँ सम्भव नहीं है। भारत-सरकार के 'इण्डिया' और 'भारत' नामक वार्षिक ग्रन्थों से भी हमें विशेष रूप से सहायता मिलती रही है। अतएव, इन सबके सम्पादकों और प्रकाशकों के प्रति हम अपना आभार स्वीकार करते हैं।

पुस्तक में जो त्रुटियाँ रह गई हैं, उनके लिए हम अपने सुधी पाठकों से क्षमा-याचना करते हैं। इसे और भी अधिक सुन्दर और उपयोगी बनाने के लिए उनके जो सुझाव और अभिमत होंगे, उनका हम स्वागत करेंगे। साथ ही हम अपने पाठकों को विश्वास दिलाते हैं कि पहले की भाँति यदि वे उदारतापूर्वक इस ग्रन्थ को अपनायेंगे, तो प्रतिवर्ष इसकी सामग्री एवं साज-सज्जा में उत्तरोत्तर उत्कर्ष लाने में हम समर्थ होंगे और हिन्दी-संसार के लिए यह एक लोकप्रिय प्रकाशन सिद्ध होगा।

—संपादक

विषय-सूची

प्रथम भाग—ब्रह्मांड

द्वितीय भाग—विश्व

विषय *पृष्ठ-संख्या*

विषय पृष्ठ-संख्या

विषय *पृष्ठ-संख्या*

विषय — पृष्ठ-संख्या

तृतीय भाग—भारत

विषय पृष्ठ-संख्या

चतुर्थ भाग—बिहार



हमारे प्रकाशन

यह सभी स्वीकार करते हैं कि परिषद् के प्रकाशन हिन्दी-
जगत् के गौरव-ग्रन्थ हैं। देश के विभिन्न विषयों
के मूर्द्धन्य विद्वानों की कृतियों के स्वाध्याय
से अपने मानस को आलोकित
कीजिए। हमारे ६१ ग्रन्थों के
सेट से अपने पुस्तकालय
को सम्पन्न
बनाइए।



परिषद् का दूसरा उपायन

साहित्य, संस्कृति और साधना-प्रधान त्रैमासिकी

परिषद्-पत्रिका

कम मूल्य में उच्च से उच्चतर और विविध साहित्य इस पत्रिका में आपको उपलब्ध होंगे। राष्ट्र के जाने-माने सुधी चिन्तकों का सहयोग इसे प्राप्त है।

वार्षिक मूल्य : ६ रुपये ; एक अंक का: एक रुपया पचास नये पैसे।

पत्रिका के कतिपय विशिष्ट लेखक :

महामहोपाध्याय डॉ० गोपीनाथ कविराज, महामहोपाध्याय पं० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, महामहोपाध्याय श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल, पं० बलदेव उपाध्याय, पं० परशुराम चतुर्वेदी, डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, आचार्य विनयमोहन शर्मा, डॉ० माताप्रसाद गुप्त आदि!

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्

पटना-४

भारतीय अब्दकोश

१९६४

प्रथम भाग

ब्रह्माण्ड

ब्रह्माण्ड की इयत्ता कल्पनातीत है। रात्रि के समय हमें आकाश में जो टिमटिमाते तारे नजर आते हैं, वे हमारी पृथ्वी के ही समान, उससे छोटे और उससे सैकड़ों-सहस्रों, लाखों-करोड़ों गुने बड़े पिंड हैं। खुली आँखों से तो वे सहस्रों की संख्या में ही दिखाई पड़ते हैं, परन्तु दूरवीक्षण-यन्त्र के आविष्कार के बाद तो वे पहले से भी बहुत अधिक संख्या में दिखाई पड़ने लगे हैं। ये दूरवीक्षण-यन्त्र भी ज्यों-ज्यों विशाल बनते गये, त्यों-त्यों आकाशस्थ पिंड इनकी सहायता से अधिकाधिक संख्या में दिखाई पड़ने लगे। अबतक के बने दूरवीक्षण-यन्त्रों से ये पिंड लगभग आधे नील की संख्या में दिखाई पड़ने लगे हैं। इस प्रकार, आशा की जाती है कि उत्तरोत्तर बृहदाकार में बननेवाले दूरवीक्षण-यन्त्रों से ये पिंड अधिकाधिक संख्या में दिखाई पड़ने लगेंगे और फिर इनकी संख्या गणना के परे हो जायगी। इस प्रकार, इस अनंत ब्रह्माण्ड की कल्पना करना किसी प्रकार सम्भव नहीं है।

और फिर, इन पिंडों की स्थूलता, दूरी, प्रकाश आदि के सम्बन्ध में भी यही बात है। अगस्त नक्षत्र सूर्य से ८० हजार गुना अधिक प्रकाशवाला है। दूरबीन से दिखाई पड़नेवाला 'सेन्ट डोरा उस' नामक तारा की आभा ३ लाख सूर्यों के बराबर बताई जाती है। स्थिर-से दीखनेवाले हमारे निकटवर्त्ती तारे हमसे नीलों मील दूर हैं और इनकी आपस की दूरी भी न्यूनाधिक कुछ इसी प्रकार की है। दूरवर्त्ती तारों की दूरी हम मीलों में नहीं बता सकते। उनकी दूरी निकालने के लिए हमें प्रकाश-वर्ष की इकाई माननी पड़ती है। प्रकाश प्रति सेकेंड १,८६,००० मील की गति से चलकर एक वर्ष में जितनी दूर जाता है, उस दूरी की इकाई को वैज्ञानिक 'प्रकाश-वर्ष' कहते हैं। जब दूरी नापने में इस इकाई से भी काम नहीं चलता, तब और भी लम्बी दूरी की दूसरी-तीसरी इकाई आरम्भ की जाती है।

आकाश के बहुत-से तारे तो हमसे इतनी दूर हैं कि उनके प्रकाश लाखों-करोड़ों वर्षों में, बल्कि इससे भी अधिक दिनों में हमारे पास पहुँचते हैं। तारों के आकार-प्रकार, उपादान, तौल एवं गति भी भिन्न-भिन्न हैं और वे ऐसे हैं कि जानकर आश्चर्य होता है। कहते हैं कि किसी-किसी तारे के एक घन इंच का वजन १००० हजार टन है।

कहा जाता है कि सभी तारे चलायमान हैं, परन्तु उनके अत्यन्त दूर रहने के कारण सबकी गति हम नहीं परख सकते। शायद, हजारों-लाखों वर्षों में हम उन्हें कुछ खिसकते हुए देख सकते हैं। प्राचीन भारतीय विद्वानों का मत है और आधुनिक विज्ञानवेत्ता भी इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि शून्य में स्थित सभी पिंड किसी महान् शक्ति को केन्द्र बनाकर उसके चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। भारतीय उसी महान् शक्ति को 'ब्रह्म' कहते हैं। उसी ब्रह्म के असंख्य अंश किसी विकारवश उससे अलग होकर भी आकर्षण के कारण उसके चारों ओर घूम रहे हैं। ये सभी पिंड प्रायः अंडाकार वृत्त में घूमते हैं, अतएव इस समस्त पिंड-समूह का नाम 'ब्रह्माण्ड' पड़ा। वैज्ञानिकों का मत है कि बहुत तेजी से घूमनेवाले सभी पिंड प्रायः अंडाकार वृत्त में ही घूमते हैं।

वैज्ञानिक उन्नति बड़ी तीव्र गति से होते रहने से, और विशेषकर इधर मानव-कृत ग्रहों-उपग्रहों के निर्माण से, इस भौतिक जगत् के सम्बन्ध में लोगों को नित्य नई-नई बातों का पता चल रहा है। एक रूसी प्राणिशास्त्रवेत्ता डॉ० यूरो रॉल ने लिखा है कि हमारे तारक-पुंजों के अन्तर्गत करीब डेढ़ लाख ग्रह हैं, जिनमें बहुतों के अन्दर कई प्रकार के प्राणी विकास की भिन्न-भिन्न स्थिति में हैं। कुछ ग्रहों में मनुष्य से मिलते-जुलते प्राणी भी रहते हैं।

आकाशस्थ पिण्डों के प्रायः अलग-अलग समूह हैं। जैसे, हमारा परिवार है; वैसे ही अनगिनत दूसरे सौर परिवार हैं। हमारे सौर परिवार का केन्द्र सूर्य है। घूमते-घूमते सूर्य से ही समय-समय पर कई खण्ड निकलकर उसके चारों ओर चक्कर काटने लगे। वे सब उसके 'ग्रह' कहलाये। उन ग्रहों के भी अलग-अलग खण्ड हुए और वे अपने-अपने ग्रहों के चतुर्दिक् घूमने लगे, जो 'उपग्रह' कहलाये। इस सौर परिवार के अन्दर बहुत-से धूमकेतु भी हैं, जो अपनी निराली चाल से घूमते रहते हैं। उल्काएँ भी इसी परिवार के अंग हैं। हमारा सूर्य अपने इस समस्त परिवार को लेकर अन्य सूर्यों की भाँति एक अज्ञात शक्ति 'ब्रह्म' के चारों ओर घूम रहा है।

आकाशस्थ पिण्डों में हम केवल अपने सौर परिवार के पिण्डों की गति देख सकते हैं। शेष तारे अत्यन्त दूरी के कारण स्थिर-से दीख पड़ते हैं। अतएव, हम अपनी गणना की सुविधा के लिए और अपने सौर परिवार के पिण्डों की गति-विधि समझने के लिए शेष तारों को स्थिर मानकर ही चलते हैं। पृथ्वी अपनी गति के अनुसार अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर काटती रहती है, इसलिए आकाश के सभी तारे सामूहिक रूप से प्रतिकूल दिशा में, अर्थात् पूरब से पश्चिम की ओर जाते हुए मालूम पड़ते हैं। भारतीय ज्योतिषी इसी को प्रवहमाण वायु से तारों का चलना कहते हैं।

हमारे सूर्य का सबसे निकटवर्त्ती ग्रह बुध है। उसके बाद क्रम से शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो हैं। अन्तिम तीन ग्रहों को देखने के लिए दूरवीक्षण-यन्त्र की आवश्यकता पड़ती है। इन ग्रहों में कई के उपग्रह भी हैं, जैसे पृथ्वी का उपग्रह चन्द्रमा है। अन्य उपग्रहों का पता दूरवीक्षण-यन्त्र से लगा है। इन ग्रहों और उपग्रहों का अपना प्रकाश नहीं है। ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सभी ग्रह अपनी-अपनी धुरी पर घूमते हुए तथा अपनी-अपनी कक्षाओं पर चलकर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। आकाश में खुली आँखों से दिखाई पड़नेवाले सभी ग्रहों के तारे बहुत चमकीले हैं और उनकी गणना प्रथम श्रेणी के तारों में होती है। सभी ग्रहों की, सूर्य की परिक्रमा करने की कक्षा अंडाकार होने के कारण सूर्य से किसी ग्रह की दूरी सदा एक-सी नहीं रहती, बल्कि बदलती रहती है। इसलिए, यह दूरी प्रायः औसत रूप में बताई जाती है। सूर्य से जो ग्रह जितनी दूर है, उसका तापमान उतना ही कम है।

सूर्य—सूर्य एक प्रकाशमान और अग्निमय गोलाकार पिण्ड है, जो गैस से भरा हुआ है। पृथ्वी से इसकी दूरी ९ करोड़ ३० लाख मील और इसका व्यास ८ लाख ६५ हजार मील है। पृथ्वी से इसका गुरुत्व ३,३३,४३४ गुना और आकार १० लाख गुना से अधिक है। इसकी सतह का तापमान १ करोड़ सेण्टिग्रेड है। पृथ्वी की भाँति सूर्य भी अपनी धुरी पर घूमता है; किन्तु यह अपनी विषुवत्-रेखा पर २५ दिनों में और ध्रुवों पर ३३ दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। घूमने के समय में इस अन्तर का कारण सूर्य का गैसमय होना बताया जाता है। कहते हैं कि सूर्य के आन्तरिक महाताप के कारण उसमें आँधी-सी उठती रहती है और उसी सिलसिले में कभी-कभी कुछ काले धब्बे भी दिखाई पड़ते हैं।

सूर्य से ग्रहों की दूरी, ग्रहों का परिमाण, ग्रहों के परिक्रमण की अवधि और उनके उपग्रह इस प्रकार हैं—

ग्रह	सूर्य से औसत दूरी (लाख मीलों में)	औसत व्यास (मीलों में)	सूर्य के परिक्रमण की अवधि (दिनों में)	उपग्रह-संख्या
बुध	३६०	३,०००	८७·६७	०
शुक्र	६७०	७,६००	२२४·७०	०
पृथ्वी	६३०	७,६२०	३६५·२६	१
मंगल	१,४१०	४,२००	६८६·६८	२
बृहस्पति	४,८४०	८८,७००	४,३३२·५६	१२
शनि	८,८६०	७५,१००	१०,७५६·२६	६
यूरेनस	१७,८२०	३०,६००	३०,६८५·६३	५
नेपच्यून	२७,६३०	३३,०००	६०,१८७·६४	२
प्लूटो	३७,०००	३,६५.०	६०,४७० २३	०

बुध—बुध आकार में सभी ग्रहों से छोटा और दूरी में सभी की अपेक्षा सूर्य के निकट है। सूर्य से इसकी दूरी ३ करोड़ ६० लाख मील और इसका औसत व्यास ३ हजार मील है। गगन-मण्डल में यह सूर्य से २१ अंश से अधिक दूर नहीं जाता और प्रति सेकेण्ड ३० मील चलकर ८८ दिनों के अन्दर ही सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। सूर्य से निकट होने के कारण इसे हम बहुत कम देख पाते हैं। जब यह आकाश में सूर्य से १२ अंश से अधिक दूरी पर पश्चिम की ओर रहता है, तब हम इसे सूर्योदय के पूर्व बहुत थोड़ी देर के लिए क्षितिज के पास साफ आकाश में देख सकते हैं। उसी प्रकार सूर्य से १२ अंश से अधिक दूरी पर पूरब दिशा में रहने की हालत में सूर्यास्त के बाद थोड़ी देर के लिए यह साफ आकाश में दिखाई पड़ता है। कहते हैं कि इसका केवल एक ही भाग सूर्य की ओर रहता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है।

शुक्र—शुक्र आकार में पृथ्वी से कुछ ही छोटा है। इसका औसत व्यास ७ हजार ६ सौ मील है। सूर्य से इसकी दूरी ६ करोड़ ७० लाख मील है। सूर्य से निकट होने के कारण यह केवल प्रातः और सायं क्षितिज से ४५ अंश के अन्दर ही दिखाई पड़ता है। सूर्य से पश्चिम रहने पर यह प्रातःकाल पूरब में दिखाई पड़ता है। परन्तु, जब यह सूर्य से पूरब रहता है, तब सन्ध्याकाल में पश्चिम की ओर दिखाई पड़ता है। यह अपनी धुरी पर ३० दिनों में एक बार घूम जाता है। इसकी धुरी सूर्य की कक्षा पर ८ अंश पर झुकी हुई है। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे २२५ दिन लगते हैं। यह आकाश का सबसे बड़ा और चमकीला तारा है, इसी से बहुत-से लोग इसे पहचानते हैं। इसका कोई उपग्रह नहीं है।

पृथ्वी—पृथ्वी आकार में नारंगी के समान गोल है। इसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव चिपटे-से हैं। यदि कोई किसी दूसरे ग्रह पर जाकर पृथ्वी को देखे, तो यह भी आकाश में एक चमकते हुए तारे के समान दिखाई पड़ेगी। यह ग्रहों में पाँचवाँ बड़ा ग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी ६ करोड़, ३० लाख मील है। इसका क्षेत्रफल १६,६६,५०,२८४ वर्गमील है। विषुवत् रेखा पर इसकी परिधि २४,६०,२३६ मील और व्यास ७,६२० मील है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक इसकी परिधि २४,८६०·४६ मील है। यह एक ठोस पिंड है। इसके भीतर

जाने पर प्रत्येक ५० फीट पर प्रायः १० डिग्री फारेनहाइट ताप बढ़ता जाता है। भीतर के मध्यभाग में तो इतनी गरमी है कि वह भाग पिघली हुई धातु के समान है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर २४ घंटे में एक बार घूमती है। यह सूर्य के चारों ओर जिस अंडाकार रास्ते से परिक्रमा करती है, उसे 'कक्षा' (ऑरबिट) कहते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने में इसे ३६५ दिन, ५ घंटे, ४८ मिनट, ४६ $\frac{1}{10}$ सेकेण्ड लगते हैं। इतने समय को 'वर्ष' कहते हैं। पृथ्वी के अंडाकार कक्षा पर घूमने और उसपर इसकी धुरी के ६६$\frac{1}{2}$ अंश झुके रहने के कारण ऋतुएँ बनती हैं। इसका एक उपग्रह चन्द्रमा है, जिसके विषय में अलग लिखा गया है।

चन्द्रमा—यह पृथ्वी का उपग्रह है, जिसका हमारे जीवन के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। पृथ्वी से इसकी औसत दूरी २,३८,८६० मील है। यह पृथ्वी के चारों ओर औसतन २७ दिन, ७ घंटे, ४३ मिनट और १२ सेकेण्ड में घूम जाता है। अपनी धुरी पर इसके घूमने की भी यही अवधि है। किन्तु, पृथ्वी के साथ-साथ सूर्य का परिक्रमण करने की अपनी गति के फलस्वरूप चान्द्र मास की औसत अवधि २९ दिन, १२ घंटे, ४४ मिनट और ५ सेकेण्ड है। इसका सदा आधा भाग ही हमारे सामने रहता है। इसका व्यास २,१६० मील है। इसका अपना प्रकाश नहीं है। यह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशमान रहता है। सूर्य और मुख्यतः चन्द्रमा के कारण समुद्र में ज्वार-भाटा आता है। कहते हैं कि चन्द्रमा पर वायु नहीं है, अतएव यहाँ कोई प्राणी नहीं रह सकता। इसका जो भाग सूर्य की ओर रहता है, उसका तापमान २००° सेण्टिग्रेड है। आधुनिक वैज्ञानिक चन्द्रमा पर जाने की चेष्टा बहुत दिनों से कर रहे हैं। इधर रूस और संयुक्तराज्य अमेरिका की ओर से समय-समय पर चन्द्रमा पर रॉकेट भेजने के प्रयत्न हुए हैं। सर्वप्रथम रूस का एक रॉकेट चन्द्रमा पर सन् १९५९ ई० के १४ सितम्बर को १२ बजे (मास्को-समय) रात के बाद पहुँचा था।

मंगल—मंगल आकाश में चमकता हुआ लाल रंग का एक ग्रह है। पृथ्वी के नजदीक आने पर यह और भी प्रकाशमान दीखता है। हाल में, यह सन् १९५६ ई० में पृथ्वी के सबसे निकट आया था। उस समय यह पृथ्वी से केवल साढ़े तीन करोड़ मील दूर था। यह स्थिति इसके पहले सन् १९२४ ई० में आई थी और फिर, सन् १९७१ ई० में भी आयेगी। भारतीय ज्योतिषियों के मतानुसार यह पृथ्वी से ही अलग होकर एक दूसरा ग्रह बन गया है, इसीलिए इसको भौम, कुज और महीसुत भी कहा जाता है। इसका व्यास ४,२०० मील है, जो पृथ्वी के आधे व्यास से कुछ ही अधिक है। यह सूर्य से औसतन १४ करोड़, १० लाख मील दूर है। पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य से अधिक दूर रहने के कारण यहाँ की आबोहवा पृथ्वी की आबोहवा से ठंडी है। यह प्रति सेकेण्ड १५ मील चलकर ६८७ दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। यह अपनी धुरी पर २४ घंटे, ३७ मिनट में एक बार घूम जाता है। इसकी धुरी पृथ्वी की धुरी की तरह झुकी हुई है। इस कारण, यहाँ भी ऋतु-परिवर्त्तन होता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी के समान यहाँ भी जीवधारी हैं।

मंगल के दो उपग्रह हैं, जिनके नाम 'फोबस' और 'डिमोस' हैं। इनका पता सन् १८७७ ई० में लगा था। फोबस निकटवर्ती उपग्रह है। इसका व्यास १० मील है और यह ७ घंटे में मंगल के चारों ओर घूम आता है। डिमोस दूरवर्ती उपग्रह है। इसका व्यास ५ मील है और यह ३० घंटे में मंगल की परिक्रमा करता है।

बृहस्पति—बृहस्पति आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी ४८ करोड़, ४० लाख मील है। विषुवत्-रेखा पर इसका औसत व्यास ८८ हजार, ७ सौ मील है। इसका गुरुत्व सभी ग्रहों के सम्मिलित गुरुत्व के दूने से भी अधिक है। आकाश में शुक्र के बाद यही चमकीला ग्रह है। यह केवल १० घंटे में अपनी धुरी पर घूम जाता है। इतने बड़े ग्रह का १० घंटे में घूम जाना, इसकी आश्चर्यजनक गति प्रकट करता है। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे लगभग १२ वर्ष लगते हैं। आकाश में एक राशि को पार करने में इसे एक वर्ष लगता है।

बृहस्पति के १२ उपग्रह हैं, जिनमें ४ बड़े और ८ छोटे हैं। बड़े उपग्रह चन्द्रमा और बुध की तरह बड़े हैं। सबसे पीछे के चार उपग्रह बृहस्पति की अपनी गति की प्रतिकूल दिशा में घूमते हैं, जो आश्चर्यजनक है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि शायद ये चार उपग्रह मंगल और बृहस्पति के बीचवाले स्थान में घूमनेवाले लघुग्रह-समूह में से हों, जो बृहस्पति के आकर्षण से इसके दायरे में आ गये हों।

शनि—यह भी एक बड़ा ग्रह है, पर देखने में कुछ धुँधला-सा है। आकाश में मन्द गति से चलने के कारण इसका नाम 'शनि' या 'शनैश्चर' पड़ा। यह लगभग तीस वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है, किन्तु अपनी धुरी पर एक बार घूम जाने में इसे १० घंटे ही लगते हैं। सूर्य से इसकी दूरी ८८ करोड़ ६४ लाख मील है, अर्थात् बृहस्पति की दूरी से भी लगभग दूनी। विषुवत्-रेखा पर इसका औसत व्यास ७५ हजार मील है। दूरवीक्षण-यंत्र से देखने पर इसके चारों ओर मंडलाकार तीन परिवेष्टन मालूम पड़ते हैं। परिवेष्टन का आरम्भ शनि की सतह से ७,००० मील बाद होता है, जो विषुवत्-रेखा के ऊपर ३५,००० मील के घेरे में है। वेष्टनों को मिलाकर शनि का व्यास १ लाख ७० हजार मील है। शनि के ९ उपग्रह हैं, जिनमें तीन बहुत बड़े हैं। एक उपग्रह 'टीटन्' का व्यास ३,५०० मील है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि किसी उपग्रह के नष्ट-भ्रष्ट होने से ही ये परिवेष्टन बने हैं।

यूरेनस—यूरेनस दूरवीक्षण-यंत्र से ही स्पष्टतः दिखाई पड़नेवाला ग्रह है। पर, कभी-कभी यह मुश्किल से खुली आँखों से भी देखा जाता है। इसका पता सन् १७८१ ई० में लगा था। सूर्य से इसकी दूरी १ अरब ७८ करोड़ २० लाख मील है। इसका व्यास ३०,९०० मील है। यह ८४ वर्षों में एक बार सूर्य की परिक्रमा करता है। इसके पाँच उपग्रह हैं। यूरेनस का भारतीय नाम 'इन्द्र' दिया गया है।

नेपच्यून—यह दूरवीक्षण-यंत्र से ही देखा जा सकता है। इसका पता सन् १८४५ ई० में लगा था। सूर्य से इसकी दूरी २ अरब ७९ करोड़ ३० लाख मील है। इसका औसत व्यास ३३ हजार मील है। यह लगभग १६५ वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है। इसके दो उपग्रह हैं। दूसरे उपग्रह का पता सन् १९४८ ई० में डॉ० कीपर ने लगाया था। नेपच्यून का भारतीय नाम 'वरुण' दिया गया है।

प्लूटो—यह सूर्य का सबसे दूरवर्त्ती ग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी ३ अरब ७० करोड़ मील है। आकार में यह सबसे छोटे ग्रह बुध से कुछ ही बड़ा है। इसका व्यास ३,७५० मील है। यह २४८ वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है। इसके उपग्रह का पता नहीं लगा है।

एक नया ग्रह—रूस के वैज्ञानिकों ने ११ फरवरी, १९६० ई० को दावा किया था कि मकर राशि के तारक-पुंजों का चित्र लेते समय वे अचानक एक ग्रह का पता लगा सके हैं। सन् १९५७ ई० में ही मास्को-विश्वविद्यालय के छात्र एडवर्ड बेनिसुक ने वैज्ञानिकों का ध्यान इस ग्रह की ओर आकृष्ट किया था।

छोटे-छोटे ग्रह—बड़े-बड़े ग्रहों के अतिरिक्त छोटे-छोटे ग्रह भी बहुत हैं, जो सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच ही दूरवीक्षण-यंत्र से १,५०० से अधिक छोटे-छोटे ग्रह देखे गये हैं। इन ग्रहों में सबसे बड़े 'सिरस' का व्यास ४८५ मील, 'पल्लस' का ३८० मील, 'जूनो' का १५० मील और 'वेस्टा' का २४१ मील है।

नवग्रह—भारतीय फलित ज्योतिष में नवग्रह बताये गये हैं। ग्रहों का पृथ्वी पर प्रभाव बताने में स्वयं पृथ्वी की, ग्रहों में गणना करने की आवश्यकता नहीं थी। पृथ्वी पर प्रभाव डालनेवाले सूर्य और उपग्रह चन्द्रमा को भी ग्रह कहा गया है। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि तो ग्रह हैं ही। इस प्रकार सात ग्रह हुए। शेष दो ग्रह राहु और केतु कहलाये। ये दोनों सूर्य और चन्द्रमा की कक्षा के दो सम्पात-बिन्दु हैं। आकाश में उत्तर की ओर बढ़ते हुए चन्द्रमा की कक्षा जब सूर्य की कक्षा को काटती है, तब उस सम्पात-बिन्दु को राहु और दक्षिण की ओर नीचे उतरते हुए चन्द्रमा की कक्षा जब सूर्य की कक्षा को पार करती है, तब उस सम्पात-बिन्दु को केतु कहते हैं। ये दोनों बिन्दु बराबर बदलते रहते हैं। ये ही नौ 'नवग्रह' कहलाये।

धूमकेतु—कभी-कभी आकाश में धूमकेतु या पुच्छल तारे दिखाई पड़ते हैं। ये छोटे-बड़े कई प्रकार के हैं। कुछ पुच्छल तारे दूरवीक्षण-यंत्र से ही देखे जा सकते हैं। अबतक लोगों ने लगभग १००० धूमकेतुओं का पता लगाया है। इनमें कुछ की गति आदि का भी पता चल गया है। ये प्रायः दीर्घवृत्त, परवलय और अति परवलय कक्षा पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सन् १९१० ई० में 'हेली' नामक धूमकेतु पूरब की ओर प्रातःकाल में दिखाई पड़ा और क्रम से बढ़ते हुए सारे आकाश में छा गया तथा कई महीनों तक दिखाई पड़ता रहा। यह पुनः सन् १९८५ ई० में दिखाई देगा। इधर सन् १९५७ ई० के अप्रैल में 'अरैरड रोलैरड' और अगस्त में 'मारकोज' नामक धूमकेतु उत्तर-पश्चिम दिशा में संध्या समय कई दिनों तक दिखाई पड़े थे। अक्टूबर, १९५८ ई० में 'डोनाटी' नामक धूमकेतु दिखाई पड़ा।

उल्कापात—अंतरिक्ष में चक्कर काटनेवाले सौर परिवार के छोटे-छोटे पिंड कभी-कभी पृथ्वी के आकर्षण में आ जाते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये शायद धूमकेतुओं से आते हैं। इन पिंडों में अधिकांश पृथ्वी के वायुमंडल में घुसने पर वायु की रगड़ से प्रकाश-रेखा में परिणत होकर नष्ट हो जाते हैं। हम प्रायः प्रत्येक रात्रि में इन प्रकाश-रेखाओं को देखा करते हैं। कुछ बड़े पिंड वायु की रगड़ से क्षीण होते हुए भी पृथ्वी पर पहुँच जाते हैं, पर इनकी संख्या बहुत थोड़ी है। पृथ्वी पर गिरी हुई सबसे बड़ी उल्का दक्षिण-पश्चिम अफ्रिका के ग्रूटफाउएटेन नामक स्थान में स्थित बताई जाती है। इसका वजन ७० टन है। दूसरी बड़ी उल्का ग्रीनलैंड के केप-यौर्क नामक स्थान में मिली है और वह न्यूयार्क के एक संग्रहालय में रखी गई है। वह तौल में ३४ टन से भी अधिक है। वहाँ छोटी-बड़ी कई और भी उल्काओं का संग्रह है।

तारक-पुंज—आकाश के तारों को पहचानने के लिए उनमें से मुख्य-मुख्य तारों के नाम रख दिये गये हैं। फिर, समस्त तारक-समूह को अलग-अलग पुंजों में बाँटा गया है। हम चीन, भारत, अरब, मिस्र तथा आधुनिक पाश्चात्य देशों के अनुसार तारों के नाम और पुंज भिन्न-भिन्न पाते हैं। आधुनिक ज्योतिषियों ने पहचान के लिए छोटे-छोटे तारों के नम्बर भी दे दिये हैं और समस्त तारक-समूह को ८८ पुंजों में बाँटा है। प्राचीन भारतीय ज्योतिषियों के अनुसार आकाश के कुछ मुख्य तारे या तारक-पुंज इस प्रकार हैं—सप्तर्षि, शिशुमार-चक्र, शेषनाग, पुलोमा, कालका, कपि (गणेश), हिरण्याक्ष, वराह, उपदानवी, शुनी, हृत्सर्प, ईश, सुनीति, दशानन, सर्पमाल, वीणा, खगेश, हयशिरा, त्रिक, जलकेतु, ब्रह्मा, कालपुरुष, वैतरणी, अगस्त, त्रिशंकु, क्रौञ्च और काकभुशुण्डि। भारतीय गणना के लिए जिन तारक-पुंजों की विशेष आवश्यकता होती है, वे नक्षत्र और राशि के नाम से जाने जाते हैं। नक्षत्रों की संख्या २७ और राशियों की संख्या १२ है, जिनका विशेष विवरण आगे दिया गया है।

आकाश-गंगा—यह छोटे-छोटे धुँधले प्रकाशवाले सघन तारक-पुंजों की चौड़ी पंक्ति है, जो आकाश में साधारणतः उत्तर से दक्षिण की ओर फैली दिखाई पड़ती है। बीच में इसकी दो शाखाएँ भी हो गई हैं, जो आगे चलकर फिर मिल जाती हैं। यह अँधेरी रात में बहुत स्पष्ट दीख पड़ती है। असंख्य धुँधले तारक-पुंजों की ऐसी पंक्ति क्या है, क्यों है और कितनी दूरी पर है, यह समझ सकना बहुत कठिन है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इन तारक-पुंजों में भी हमारे सूर्य और ग्रह-उपग्रह-जैसे न मालूम कितने तारे होंगे।

नक्षत्र—सूर्य, चन्द्र एवं ग्रहगण तारों के बीच पश्चिम से पूरब की ओर चलते हैं। सूर्य जिस मार्ग से तारों के बीच पश्चिम से पूरब की ओर चलकर वर्ष-भर में चक्कर पूरा करता है, उसे 'क्रान्ति-वृत्त' कहा जाता है। चन्द्रमा भी इसके आसपास ही पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाता है और मध्य गति से २७ दिन, १९ घड़ी, १८ पल और १६ विपल में उसे पूरा करता है। ६० विपल का एक पल, ६० पल की एक घड़ी या दंड और ६० घड़ी या दंड का एक अहोरात्र होता है। चन्द्रमा के २७ दिनों में चक्कर पूरा करने के कारण गगन-मंडल को २७ भागों में बाँटकर प्रत्येक भाग के नक्षत्र-पुंज का प्रायः उसके काल्पनिक आकार के अनुसार नाम दे दिया गया है। प्रत्येक नक्षत्र १३⅓ अंश का होता है। चन्द्रमा की गति सदा एक-सी नहीं होती। इसलिए, एक नक्षत्र को पार करने में चन्द्रमा को ५४ से ६५ दंड तक लग जाता है। अतः, प्रत्येक नक्षत्र का मान एक नहीं होता। सूर्योदय-काल से जितने घड़ी-पल या घंटा-मिनट तक चन्द्रमा जिस नक्षत्र पर रहता है, पंचांग में उस नक्षत्र के नाम के सामने वही अंक लिख दिया जाता है। जो नक्षत्र एक सूर्योदय के पश्चात् आरम्भ होकर दूसरे सूर्योदय के पूर्व ही समाप्त हो जाता है, उसका समय कोष्ठक में नीचे छोटे अंक में दे दिया जाता है, पर स्थानाभाव से नाम नहीं दिया जाता। आकाश में पश्चिम से पूरब की ओर २७ नक्षत्रों के नाम ये हैं—अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ, उत्तराषाढ, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा और रेवती। प्रत्येक नक्षत्र को चार चरणों में बाँटते हैं। फलित ज्योतिष में उत्तराषाढ के चौथे चरण और श्रवणा के पहले १५वें भाग को 'अभिजित् नक्षत्र' कहते हैं। कृत्तिका नक्षत्र को साधारण जन 'कचवचिया' भी कहते हैं और

इसे बहुत लोग पहचानते हैं। एक नक्षत्र की पहचान के बाद मोटामोटी १३⅓ अंशों की दूरी पर सूर्य और चन्द्रमा के मार्गों के बीच आकाश में दूसरे नक्षत्रों को पहचानने की चेष्टा की जा सकती है। चन्द्रमा किस दिन किस नक्षत्र पर कितने समय तक रहता है, यह पंचांगों में दिया रहता है। उससे भी नक्षत्रों के पहचानने में सहायता मिलती है।

राशि—जिस प्रकार चन्द्रमा की दैनिक गति के अनुसार नक्षत्र की कल्पना की गई है, उसी प्रकार सूर्य की मासिक गति के अनुसार राशि की कल्पना हुई है। आकाश में सूर्य के मार्ग क्रान्ति-वृत्त के १२वें भाग को 'राशि' कहते हैं। इस प्रकार एक राशि ३० अंश की हुई। १२ राशियों के नाम आकाश के १२ भागों के तारों की राशि, अर्थात् समूह के कल्पित रूप के अनुसार पड़े हैं। आकाश में पश्चिम से पूरब की ओर १२ राशियाँ ये हैं—मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ और मीन। मेष तारक-राशि का रूप भेड़ के समान और वृष का बैल के समान है। मिथुन का रूप आकाश-गंगा की नौका में बैठे एक स्त्री और पुरुष का है। कर्क का रूप केंकड़ा और सिंह का रूप बैठे सिंह के समान है। कन्या का रूप हाथ में धान का पौधा लिये एक बालिका के समान है। तुला का रूप तराजू, वृश्चिक का बिच्छू और धनु का अश्वारोही धनुर्धारी व्यक्ति के सदृश है। मकर का रूप मगर के समान और कुम्भ का रूप घड़ा से पानी पटाते हुए एक वृद्ध-सा है। मीन की शक्ल दो मछलियों की तरह है। सिंह, वृश्चिक और धनु राशि के रूप इतने स्पष्ट हैं कि आसानी से आकाश में पहचाने जा सकते हैं। अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि का आदि-विन्दु एक ही है। प्रत्येक राशि २¼ नक्षत्र की है। सम्पूर्ण अश्विनी और भरणी नक्षत्र तथा कृत्तिका का एक चरण मिलकर मेष राशि, इसी प्रकार कृत्तिका के शेष तीन चरण, रोहिणी सम्पूर्ण तथा मृगशिरा के प्रथम दो चरण मिलकर वृष राशि हुई। इसी तरह अन्य नक्षत्रों और राशियों का सम्बन्ध समझना चाहिए। जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, तब मेष-संक्रान्ति कहलाती है और जब वृष में प्रवेश करता है, तब वृष-संक्रान्ति कही जाती है। इसी प्रकार, अन्य राशियों में सूर्य के प्रवेश की बात समझनी चाहिए।

किसी समय मेष-संक्रान्ति के अवसर पर ही रात-दिन बराबर होते थे, पर क्रमशः हटते-हटते अब २३ दिन पहले ही ऐसा होता है। आकाशस्थ अश्विनी नक्षत्र या मेष राशि के आदि के निश्चित तारों से राशियों की गणना करने पर वे निरयन राशियाँ होती हैं। पर, क्रान्ति-वृत्त और विषुवत्-वृत्त के पीछे खिसकते हुए सम्पात-विन्दु से राशियों की गणना करने पर वे सायन राशियाँ होती हैं। यह सम्पात-विन्दु प्रतिवर्ष ५६ विकला की गति से पीछे हट रहा है। सायन और निरयन राशि में सं० २०२० विक्रमाब्द के आरम्भ में २३ अंश, १८ कला और ४१ विकला का अन्तर है।

पृथ्वी की दैनिक गति के कारण एक अहोरात्र में राशि-चक्र एक परिक्रमा कर लेता है। इससे भिन्न-भिन्न समयों में भिन्न-भिन्न राशियाँ पूर्वी क्षितिज पर उदित होती हैं। देश के अक्षांश के अनुसार राशियों का उदय-काल भिन्न-भिन्न होता है। जिस समय जो राशि पूर्वी क्षितिज पर लगी रहती है, उस समय वह राशि 'लग्न' कहलाती है।

ग्रहों की गति—सूर्य, चन्द्र और भिन्न-भिन्न ग्रह कब, किस नक्षत्र और राशि में रहते हैं, यह पञ्चाङ्ग में दिया रहता है। उसके सहारे आकाश में हम उन्हें देख सकते हैं। ये सब प्रतिदिन आकाश के स्थिर तारों के बीच पूरब की ओर कुछ-कुछ खिसकते रहते हैं। इसलिए,

लगातार कई दिनों तक देखते रहने से पहचानना कठिन नहीं होता। ग्रहों की दो गतियाँ होती हैं—मार्गी और वक्री। ग्रहों के साधारणतः अपने मार्ग पर पूरब की ओर चलने को 'मार्गी गति' कहते हैं। कभी-कभी ग्रह थोड़े समय के लिए पश्चिम की ओर पीछे हटते हैं। इसे ही 'वक्री गति' कहते हैं। भारतीय गणनानुसार सूर्य एवं ग्रहों की दैनिक मध्य गति नीचे दी जाती है—

	अंश	कला	विकला	प्रविकला	पराविकला
सूर्य	०	५६	८	१०	२१
चन्द्र	१३	१०	३४	३५	०
बुध	४	५	३२	१८	६
शुक्र	१	३६	७	४४	३५
मंगल	०	३१	२६	२८	७
बृहस्पति	०	४	५६	६	६
शनि	०	२	०	२२	५१
यूरेनस	०	०	४२	१३	४८
नेपच्यून	०	०	२१	३१	४८
प्लूटो	०	०	१४	१६	१२
राहु और केतु	०	३	१०	४६	१२



कालमान

भारत में काल का सबसे बड़ा मान ब्रह्मायु है। १०० ब्राह्म वर्ष की एक ब्रह्मायु और ३६० ब्राह्म अहोरात्र का एक ब्राह्म वर्ष माना जाता है। एक ब्राह्म दिन और एक ब्राह्म रात का एक ब्राह्म अहोरात्र होता है। एक ब्राह्म दिन या एक ब्राह्म रात को 'कल्प' भी कहते हैं। एक कल्प में १४ मन्वन्तर, अर्थात् १००० महायुग, दैवयुग या चतुर्युग होते हैं। चतुर्युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग माने जाते हैं। कलियुग का मान ४,३२,००० मानव-वर्ष है। कलियुग से दूना द्वापर, तिगुना त्रेता और चौगुना सतयुग है। इस प्रकार, एक महायुग ४३,२०,००० मानव-वर्ष का होता है, और एक ब्रह्मायु में ३१,१०,४०,००,००,००,००० मानव-वर्ष होते हैं। कहते हैं, प्रत्येक कल्प के अन्त में महाप्रलय होता है और उसके बाद फिर सृष्टि होती है। इन सबका कारण पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करना और सूर्य का सपरिवार ब्रह्म की परिक्रमा करना बताया जाता है।

प्राचीन भारतीय विद्वानों की गणना के अनुसार इस समय आधी ब्रह्मायु बीत चुकी है। शेष आधी के प्रथम ब्राह्म वर्ष का प्रथम दिवस, अर्थात् प्रथम कल्प है। इस कल्प का नाम श्वेतवाराह कल्प है। इस कल्प के ६ मन्वन्तर—स्वायम्भुव, स्वारोचिष, औत्तमि, तामस, रैवत और चाक्षुष बीत चुके हैं। यह सातवाँ मन्वन्तर वैवस्वत वर्त्तमान है। इस मन्वन्तर के २७ महायुग बीत गये हैं। २८वें महायुग में भी तीन युग बीत चुके, चौथा कलियुग वर्त्तमान है। कलियुग के भी २०२० वि० की मेष-संक्रान्ति तक ५,०६४ वर्ष बीत चुके हैं। इस प्रकार कल्प से,

अर्थात् सृष्टि से संवत् २०२० विक्रमीय तक १,६७,२६,४६,०६४ वर्ष हुए हैं। आज के वैज्ञानिक भी पृथ्वी की आयु स्थूल गणनानुसार २ अरब वर्ष बताते हैं। हमारे यहाँ प्रत्येक शुभ कार्य के संकल्प में सृष्टि के आरम्भ से ही काल की गणना की जाती है।

वर्ष—पृथ्वी जितने समय में सूर्य की परिक्रमा करती है, उतने समय का वर्ष होता है। इस परिक्रमा में ३६५ दिन, ५ घंटे, ४८ मिनट और ४६·७ सेकेण्ड लगाते हैं। अतएव, सौर वर्ष ३६५ दिन के होते हैं। जितना समय बचता है, उसे ४ वर्षों तक लगातार जोड़ने पर २३ घंटे, १५ मिनट और १८.८ सेकेण्ड होते हैं। इसलिए, चौथे वर्ष एक निश्चित महीने में एक दिन जोड़कर ३६६ दिन का वर्ष बना लेते हैं। फिर, इसमें जो थोड़ा समय बढ़ा रहता है, उसे पूरा करने के लिए १००वें वर्ष में चौथे वर्ष का एक दिन नहीं बढ़ाते हैं। फिर भी, जो कमी-बेशी रह जाती है, उसे ४०० वर्षों में ठीक कर लेते हैं, अर्थात् १००वें वर्ष में एक नहीं बढ़ाते, पर ४००वें वर्ष में बढ़ा देते हैं।

चन्द्रमा की गति के हिसाब से लोग चान्द्र वर्ष मानते हैं। चन्द्रमा जितने समय में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, उसे मास मानकर १२ मास का एक वर्ष मान लेते हैं। चान्द्र वर्ष में लगभग ३५४ दिन, ६ घंटे होते हैं।

संवत्सर—जितने समय में बृहस्पति मध्यम गति से एक राशि पर चलता है, उसे 'संवत्सर' कहते हैं। एक संवत्सर ३६१ दिन, १ घड़ी और ३६ पल के लगभग होता है। यह भी एक प्रकार का वर्ष ही है। सौर वर्ष से यह ४ दिन, १२ घड़ी और ५५ पल कम पड़ता है। भारतीय ज्योतिषियों ने ६० संवत्सरों का एक चक्र माना है। वे क्रमशः एक के बाद दूसरे आते हैं। संवत्सरों के नाम इस प्रकार हैं—प्रभव, विभव, शुक्ल, प्रमोद, प्रजापति, अंगिरा, श्रीमुख, भाव, युवा, धाता, ईश्वर, बहुधान्य, प्रमाथी, विक्रम, वृष, चित्रभानु, सुभानु, तारण, पार्थिव, व्यय, सर्वजित्, सर्वधारी, विरोधी, विकृत, खर, नन्दन, विजय, जय, मन्मथ, दुर्मुख, हेमलम्ब, विलम्ब, विकारी, शर्वरी, प्लव, शुभकृत्, शोभन, क्रोधी, विश्वावसु, पराभव, प्लवंग, कीलक, सौम्य, साधारण, विरोधकृत, परिधावी, प्रमादी, आनन्द, राक्षस, नल, पिंगल, कालयुक्त, सिद्धार्थ, रौद्र, दुर्मति, दुन्दुभि, रुधिरोद्गारी, रक्ताक्षी, क्रोधन और क्षय।

सन्-संवत्—वर्ष की गणना भिन्न-भिन्न प्रमुख समयों या घटनाओं से की जाती है। यह बात नीचे दिये गये कुछ प्रमुख सन्-संवतों के विवरण से स्पष्ट है—

सृष्टि-संवत् को विक्रम-संवत् के २०२० में १,६७,२६,४६,०६४ वर्ष हुए हैं। कश्मीर में सप्तर्षि-संवत् का प्रचार रहा, जो ईसा के ३,१७६ वर्ष पूर्व आरम्भ हुआ था। इसके मास पूर्णिमान्त हैं तथा वर्ष चैत्र शुक्ल-प्रतिपदा से आरम्भ होता है। कलियुग का आरम्भ ईसा के ३,१०१ वर्ष पहले हुआ था। इस प्रकार, सन् १९६३ ई० में ५,०६४ कलियुगाब्द हुआ। इसका सम्बन्ध सौर और चान्द्र दोनों गणनाओं से है। सौर गणनानुसार यह मेष-संक्रान्ति से और चान्द्र गणनानुसार चैत्र शुक्ल-प्रतिपदा से आरम्भ होता है। बुद्धाब्द का प्रारम्भ ईसा के ५४४ वर्ष पूर्व हुआ। इसके वर्ष का आरम्भ वैशाख-पूर्णिमा से किया जाता है। उस दिन सन् १९६४ ई० में २,५०८ बुद्धाब्द आरम्भ होता है। श्रीलंका में इसका सर्वाधिक प्रचार है। महावीराब्द (वीराब्द) ईसा से ५२७ वर्ष पूर्व आरम्भ हुआ था। यह कार्तिक शुक्ल-प्रतिपदा से

आरम्भ होता है। सन् १६६४ ई० में उस दिन वीराब्द २४९१ होगा। विक्रमाब्द ईसा से ५७ वर्ष पूर्व आरम्भ हुआ था। सन् १९६४ ई० में १५ मार्च से विक्रमाब्द २०२१ है, जिसका आरम्भ भिन्न-भिन्न स्थानों में आगे लिखी तिथियों के अनुसार होता है। सौर गणनानुसार यह मेष-संक्रांति से प्रारम्भ होता है। चान्द्र गणनानुसार इसका आरम्भ बंगाल को छोड़कर शेष उत्तर भारत में चैत्र शुक्ल-प्रतिपदा से, गुजरात में कार्तिक शुक्ल-प्रतिपदा से और काठियावाड़ में आषाढ शुक्ल-प्रतिपदा से किया जाता है। उत्तर-भारत में इसके पूर्णिमान्त मास माने जाते हैं, किन्तु गुजरात और काठियावाड़ में अमान्त मास। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के समय से इस संवत् का आरम्भ माना जाता है। भारत के ज्योतिषियों ने सबसे अधिक शकाब्द का प्रयोग किया है। इसका आरम्भ शक शालिवाहन के समय से, ईसवी-सन् ७८ से, माना जाता है। विभिन्न गणनानुसार शकाब्द का आरम्भ विभिन्न तिथियों से होता है। सौर गणनानुसार शकाब्द मेष-संक्रान्ति से चलता है तथा चान्द्र गणनानुसार चैत्र प्रतिपदा से। उत्तर भारत में इसके पूर्णिमान्त मास होते हैं तथा दक्षिण-भारत में अमान्त मास। भारत-सरकार ने शकाब्द को राष्ट्रीय संवत् के रूप में स्वीकार किया है। इसकी गणना २२ मार्च, १९५० ई०, अर्थात् १८८० शकाब्द के १ चैत्र से आरम्भ की गई है। इस गणना के सम्बन्ध में विशेष बातें आगे दी गई हैं।

पश्चिमी तथा मध्य भारत में चेदि (कलचुरी)-संवत् का प्रचलन है, जिसका आरम्भ सन् २४८ ई० में हुआ था। इसके पूर्णिमान्त मास होते हैं और आश्विन शुक्ल-प्रतिपदा से यह प्रारम्भ होता है। काठियावाड़ और सौराष्ट्र में वल्लभी-संवत् चलता है, जो ईसवी-सन् के ३१८वें वर्ष में आरम्भ हुआ था। इसके पूर्णिमान्त और अमान्त दोनों तरह के महीने होते हैं और कार्तिक शुक्ल-प्रतिपदा से वर्ष का आरम्भ किया जाता है।

गुप्त-साम्राज्य के समय सन् ३१९ ई० से गुप्त-संवत् चला था। इसके वर्ष का आरम्भ चैत्र शुक्ल-प्रतिपदा से होता है तथा इसके मास पूर्णिमान्त हैं। प्रसिद्ध सम्राट् हर्षवर्द्धन के समय से ६०६ ई० में कन्नौज और मथुरा में हर्षाब्द का लिखा जाना आरम्भ हुआ। मुसलमानों का हिजरी सन् मुहम्मद साहब के मक्का से मदीना भागने के समय (६२२ ई०) से चला हुआ है। भारत आने पर भी मुसलमानों ने इसका व्यवहार जारी रखा। यह चान्द्र गणनानुसार मुहर्रम मास से आरम्भ होता है। १४ मई, १९६४ से हिजरी सन् का १३८४वाँ वर्ष शुरू होता है। बंगाल में सन् १५५६ ई० में ९६३ हिजरी सन् को सौर गणना के अनुसार चलाकर बँगला सन् का निर्माण किया गया। इसका आरम्भ मेष-संक्रान्ति से होता है। १४ अप्रैल १९६४ ई० से बँगला सन् १३७१ है। बंगाल और उड़ीसा में एक और सन् विलायती सन् है। इसका आरम्भ सौर गणनानुसार कन्या-संक्रान्ति से होता है, जो इस वर्ष के १६ सितम्बर से १३७२ है। उड़ीसा-राज्य में एक अमली सन् है। इसके वर्ष का आरम्भ भाद्र शुक्ल-द्वादशी से होता है। सन् १९६४ ई० में १९ सितम्बर से यह सन् भी १३७२ है। हिजरी सन् को ही भारतीय सौर और चान्द्र गणनानुसार चलाकर फसली सन् बनाया गया, जो प्रायः सारे भारत में प्रचलित हुआ। स्थान-भेद से यह तीन प्रकार का है। इनमें एक का बंगाल-बिहार में, १५८४ ई० में तत्कालीन ९९२ फसली को भारतीय सौर गणनानुसार चलाकर निर्माण किया गया। इसके मास पूर्णिमान्त होते हैं और वर्ष का आरम्भ भाद्र कृष्ण-प्रतिपदा १ से किया जाता है। इस वर्ष के भाद्र में इस सन् का १३७२वाँ वर्ष हुआ। दूसरा फसली सन् दक्षिण भारत में प्रचलित है। इसका वर्षारम्भ

१ जुलाई से होता है। इस वर्ष की जुलाई में इस सन् का १३७४वाँ वर्ष है। तीसरे प्रकार का फसली सन् बम्बई में प्रचलित है, जिसका आरम्भ सूर्य के मृगशिरा-नक्षत्र में प्रवेश करने के समय से होता है। सन् १९६४ ई० में ७ जून, १९६४ से इस सन् का १३७४वाँ वर्ष है।

दक्षिण-पूर्व भारत में **गंगाब्द** का प्रचार है। मालाबार के इलाके में **कोल्लम्** नामक संवत् चलता है। यह इस समय ११४० है। उत्तर मालाबार में इसे लोग कन्या-संक्रान्ति से आरम्भ करते हैं और दक्षिण मालाबार में सिंह-संक्रान्ति से। मिथिला में राजा लक्ष्मण सेन का चलाया हुआ **लक्ष्मणाब्द** प्रचलित है, जो कार्त्तिक शुक्ल-प्रतिपदा से आरम्भ होता है। इस वर्ष, शकाब्द १८८६ के कार्त्तिक में यह ८५६ होगा। गुजरात में सिद्धराज जयसिंह द्वारा १११३ ई० में **सिंह-संवत्** चलाया गया था। इसके अमान्त मास होते हैं और वर्ष का आरम्भ आषाढ-शुक्ल प्रतिपदा से किया जाता है। सन् १५५५ ई० (९६३ हिजरी) में सम्राट् अकबर द्वारा **तारीख इलाही** चलाई गई थी, जिसका आरम्भ मेष-संक्रान्ति से किया गया था। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक-काल, सन् १६७३ ई०, से **राज-शक** चलाया गया। इसके मास अमान्त होते हैं और इसके वर्ष का आरम्भ ज्येष्ठ शुक्ल-त्रयोदशी से होता है। अभी हाल से कुछ लोग कुछ प्रमुख महापुरुषों के समय से कई नये सन् चलाने लगे हैं; जैसे—**तुलसी-संवत्, चैतन्य-संवत्, दयानन्दाब्द** आदि।

यहूदी-संवत् यहूदियों में प्रचलित है। अँगरेजों के आने के बाद भारत में ईसवी-सन् का बहुत प्रचार हुआ। भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी यहाँ इसका सार्वजनिक रूप से व्यवहार हो रहा है। इसका विस्तृत विवरण रोमन और ईसाई कलेण्डर के प्रकरण में दिया गया है।

सभी भारतीय संवतों का सम्बन्ध सौर और चान्द्र दोनों गणनाओं से है। अँगरेजी सन् केवल सौर गणना पर और हिजरी सन् केवल चान्द्र गणना पर चलते हैं। चान्द्र गणना पर चलने के कारण हिजरी महीनों को ऋतुओं से कोई सम्बन्ध नहीं रहता। कभी कोई महीना जाड़ा में, कभी गरमी में और कभी बरसात में पड़ जाता है। यहूदी-संवत् दोनों पर निर्भर करता है।

संवतों का आरम्भ भिन्न-भिन्न महीनों से होता है। भारतीय संवतों का आरम्भ और गणनानुसार साधारणतः मेष-संक्रान्ति, अर्थात् सौर वैशाख से होता है। मेष-संक्रान्ति प्रायः १३ या १४ अप्रैल को होती है। उसी प्रकार चान्द्र गणना के हिसाब से संवत् साधारणतः चैत्र शुक्ल-प्रतिपदा से आरम्भ होते हैं। भारतीय ज्योतिषियों का कहना है कि सृष्टि का आरम्भ इसी दिन हुआ था। वर्षारम्भ की ये दो तिथियाँ बहुत प्राचीन काल से चली आ रही हैं। सम्भव है कि गणना के आरम्भ में ये दो तिथियाँ एक ही दिन पड़ी हों।

मास—मास दो प्रकार के होते हैं : सौर और चान्द्र। सूर्य जितने समय तक एक राशि में रहता है, उतने समय को सौर मास कहते हैं। सूर्य जिस समय जिस राशि में प्रवेश करता है, उस समय उस राशि की संक्रान्ति होती है। कहीं संक्रान्ति के दिन से और कहीं अगले प्रातःकाल से मास का आरम्भ मानते हैं। सौर मास का नाम प्रायः राशि के नाम पर ही रहता है। चान्द्र मास के नाम नक्षत्रों के नाम पर हैं; जैसे—चैत्र का नाम चित्रा नक्षत्र पर, वैशाख का विशाखा पर, ज्येष्ठ का ज्येष्ठा पर आदि। सौर मास को चान्द्र मास के

नाम से भी पुकारते हैं; जैसे मेष सौर मास को वैशाख, वृष को ज्येष्ठ, मिथुन को आषाढ, कर्क को श्रावण, सिंह को भादो, कन्या को आश्विन, तुला को कार्त्तिक, वृश्चिक को अग्रहायण, धनु को पौष, मकर को माघ, कुम्भ को फाल्गुन और मीन को चैत्र। सूर्य की गति एक-सी नहीं होती। उसे भिन्न-भिन्न राशियों को पार करने में भिन्न-भिन्न समय लगते हैं, इसलिए सौर मास के दिन में दो-एक दिन का अन्तर हो जाया करता है। स्थूल गणनानुसार कुछ लोगों ने सौर मास के दिन निश्चित कर दिये हैं। मेष, वृष, कर्क, सिंह तथा कन्या के ३१ दिन, मिथुन के ३२ दिन, वृश्चिक और धनु के २९ दिन तथा तुला, मकर, कुम्भ और मीन के ३० दिन माने गये हैं। चौथे वर्ष में कुम्भ के ३१ दिन माने जाते हैं। इन्हें याद रखने के लिए एक रोला छन्द है—

> बत्तिस मिथुन दिनेस दिवस इकतीस शेष गनु।
> तीस तुला वट मकर मीन उनतीस वृश्चिक धनु॥
> विक्रम चौथे बरस कुम्भ इकतीस गिनैये।
> दिये चार सों भाग शेष जो कुछ न पैये॥

चन्द्रमा के पृथ्वी की परिक्रमा करने के कारण चान्द्र मास होते हैं। चान्द्र मास दो तरह के होते हैं—एक अमान्त और दूसरा पूर्णिमान्त। एक अमावस के बाद से दूसरे अमावस तक के समय को अमान्त चान्द्र मास और एक पूर्णिमा के बाद से दूसरी पूर्णिमा तक के समय को पूर्णिमान्त चान्द्र मास कहते हैं। जब सूर्य और चन्द्र आकाश में एक जगह दिखाई पड़ते हैं, तब उसे 'अमावस' और जब वे दोनों ठीक विपरीत दिशा में आमने-सामने १८० अंश पर होते हैं, तब उसे 'पूर्णिमा' कहते हैं। अमावस को चाँद नहीं दिखाई पड़ता। फिर, वह धीरे-धीरे बढ़ता हुआ पूर्णिमा को पूर्ण गोल दिखाई पड़ता है। चान्द्र मास के नाम नक्षत्रों के नाम पर पड़े हैं, यह कहा जा चुका है। चैत्र मास का पूर्ण चन्द्र चित्रा नक्षत्र पर या उसके आस-पास रहता है। उसी तरह वैशाख का विशाखा के पास और ज्येष्ठ का ज्येष्ठा के पास रहता है। इसी भाँति और महीनों का समझना चाहिए।

चान्द्र मास कभी २९, कभी ३० और कभी ३१ दिन का होता है। औसत हिसाब से चान्द्र मास २९ दिन, १२ घंटे, ३५ मिनट का होता है और चान्द्र वर्ष ३५४ दिन ९ घंटे का। सौर वर्ष ३६५ दिन, ६ घंटों का होने से दोनों में १० दिन, २१ घंटे का अन्तर पड़ जाता है। अतएव, ऋतु और सौर वर्ष का मेल रखने के लिए प्रत्येक ३३वें सौर मास में एक चान्द्र मास अधिक गिन लेते हैं, जिसे 'अधिमास' या 'मलमास' कहते हैं। जिस अमान्त चान्द्र मास में संक्रान्ति नहीं पड़ती, उसी मास को अधिमास कहते हैं। हिसाब पूरा होने में कुछ बाकी रह जाता है, अतएव उसे पूरा करने के लिए कभी-कभी चान्द्र मास का क्षय भी मान लेते हैं। जिस मास में दो संक्रान्ति पड़ जाती है, वही लुप्त माना जाता है। किन्तु, जिस वर्ष में एक क्षयमास होता है, उस वर्ष दो अधिमास होते हैं। क्षयमास कभी १४१ वर्ष में और कभी १९ वर्ष में होता है। सं० २०२० विक्रमाब्द में पूर्णिमान्त चान्द्रमास मार्गशीर्ष के शुक्लपक्ष का और पौष के कृष्णपक्ष का क्षयमास माना गया है। यह अवधि अमान्त मास का मार्गशीर्ष मास हुई। अधिक मास २०२० वि० के आश्विन मास में पड़ा और फिर २०२१ वि० के चैत्र मास में पड़ेगा। आगे के विक्रमाब्द २०३९, २१८० और २१९९ में क्षयमास होंगे।

ऋतुएँ—ऋतुएँ दो-दो मास की होती हैं। ज्यौतिष के हिसाब से चैत्र-वैशाख को वसन्त, ज्येष्ठ-आषाढ को ग्रीष्म, श्रावण-भाद्रपद को वर्षा, आश्विन-कार्त्तिक को शरद्, अगहन-पौष को हेमन्त

और माघ-फाल्गुन को शिशिर कहते हैं। वैद्यक रीति से फाल्गुन-चैत्र को वसन्त और वैशाख-ज्येष्ठ को ग्रीष्म कहते हैं। इसी तरह आगे भी समझना चाहिए।

तिथि—मास तिथियों में बँटे होते हैं। भारतीय गणनानुसार सूर्य जिस राशि को जितने दिन में पार करता है, उस सौर मास में उतनी तिथियाँ होती हैं। अँगरेजी महीने की तारीखें भी इसी हिसाब से निश्चित कर दी गई हैं। हिजरी चान्द्र महीने की तारीखें अमावस के बाद चाँद उगने के दिन से दूसरे दूज के चाँद के पूर्व तक गिन ली जाती हैं। परन्तु, हिन्दू लोग चान्द्र तिथियों की गणना यज्ञ एवं पर्व आदि के निमित्त चन्द्रमा की दैनिक गति के अनुसार करते हैं। पहले मास के दो भाग कर लिये जाते हैं, जिन्हें 'पक्ष' कहते हैं। प्रत्येक पक्ष की १५ तिथियाँ होती हैं। ये १५ तिथियाँ १३ दिनों से १६ दिनों तक में समाप्त होती हैं। पक्ष का अन्त अमावस्या और पूर्णिमा को होता है। जब सूर्य और चन्द्र का मध्य-बिन्दु एक स्थान में एक सीध में हो जाता है, तब अमावस पूरी होती है। उसके बाद चन्द्रमा सूर्य से जितने समय में १२ अंश दूर हट जाता है, उतने समय में एक तिथि होती है। इस प्रकार, प्रत्येक बारह-बारह अंशों पर तिथियाँ बदलती हैं। १५वीं तिथि का अन्त होने पर चन्द्रमा सूर्य से १८० अंश दूर जाकर ठीक आमने-सामने हो जाता है। तब पूर्णिमा की तिथि पूरी होती है। यह शुक्लपक्ष कहलाता है। इसमें चन्द्रमा क्रमशः बढ़ता रहता है। पूर्णिमा के बाद कृष्णपक्ष आरम्भ होता है और चन्द्रमा घटने लगता है। इसमें भी वही १२-१२ अंशों के अन्तर पर १५ तिथियाँ हैं। १५वीं तिथि के अन्त में फिर सूर्य और चन्द्र एक स्थान पर आ जाते हैं और अमावस होती है। तिथियों के नाम प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा अमावस्या और पूर्णिमा हैं।

चन्द्रमा की गति एक-सी नहीं होती, इसलिए उसे १२ अंशों के पार करने में ५४ से ६५ दण्ड तक लगते हैं। एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक का समय लगभग ६० दंड का होता है। इसलिए, कभी-कभी दो तिथियाँ एक ही दिन या वार में पूरी होती हैं। सूर्योदय के समय जो तिथि रहती है, उसी की प्रधानता मानी जाती है और पञ्चाङ्गों में वार के सामने वही तिथि लिखी जाती है। उसके नीचे छोटे अक्षरों में दूसरी तिथि का समाप्ति-काल लिख दिया जाता है। आगे दूसरे वार में तीसरी तिथि का नाम दिया जाता है, जो सूर्योदय-काल में रहती है। इस तरह यह दूसरी तिथि व्यवहार में 'क्षय-तिथि' या 'अवम तिथि' कहलाती है। कभी-कभी कोई तिथि एक सूर्योदय-काल से दूसरे सूर्योदय-काल में भी कुछ देर तक जाती है। ऐसी अवस्था में दोनों दिन उस तिथि का नाम लिखा जाता है। इसे ही 'तिथि-वृद्धि' कहते हैं।

करण—तिथि के आधे भाग को 'करण' कहते हैं। शुभाशुभ मुहूर्त का विचार करने में ज्योतिषी इसका उपयोग करते हैं, अतएव पञ्चाङ्गों में इसका उल्लेख रहता है। करण ११ हैं—बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज्, विष्टि, शकुन, चतुष्पद, नाग और किंस्तुघ्न। प्रथम सात को चर करण और अंतिम चार को स्थिर करण कहते हैं। शुक्लपक्ष-प्रतिपदा के उत्तरार्द्ध से बव करण का आरम्भ होता है और प्रथम सात चर करण क्रम-क्रम से चलते हैं। अंत में चार स्थिर करण महीने में सिर्फ एक बार आते हैं—कृष्णपक्ष चतुर्दशी के उत्तरार्द्ध में शकुन, अमावस के पूर्वार्द्ध में चतुष्पद, उत्तरार्द्ध में नाग और शुक्लपक्ष-प्रतिपदा के पूर्वार्द्ध में किंस्तुघ्न। विष्टि का दूसरा नाम भद्रा है।

योग—नक्षत्र की तरह योग की संख्या भी २७ मानी गई है। अश्विनी नक्षत्र के आदि-बिन्दु से सूर्य और चन्द्र जिस समय जितने अंश दूर होते हैं, उनके योगफल में नक्षत्र के मान १३⅓ अंश से भाग देने पर जितना भागफल होता है, उतने योग उस समय बीते हुए माने जाते हैं

और अगला योग वर्त्तमान समझा जाता है। किसी कार्य के करने में फल-सिद्धि के लिए नक्षत्र, योग, करण आदि का विचार किया जाता है। अतएव, पञ्चाङ्गों में प्रतिदिन के योग के नाम दिये रहते हैं। २७ योग ये हैं—विष्कुम्भ, प्रीति, आयुष्मान् , सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यतीपात, वरीयान्, परिघ, शिव, सिद्धि, साध्य, शुभ, शुक्र, ब्रह्म, ऐन्द्र, वैधृति।

वार—संसार में प्रायः सर्वत्र वार, अर्थात् दिन सात माने गये हैं। उनके नाम भी सब जगह सूर्य एवं ग्रहों के नाम पर रखे गये हैं। क्रम भी एक सिद्धान्त पर स्थिर किया गया है। वारों के नाम ये हैं—रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वृहस्पति या गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। साधारणतः एक सूर्योदय-काल से दूसरे सूर्योदय-काल तक वार की गणना की जाती है। एक वार में एक दिन और एक रात्रि होती है। दिनमान में प्रायः बराबर अन्तर होने पर भी दोनों का योग सदा ६० दण्ड या घड़ी के लगभग होता है। भारत में भी प्राचीन काल में किसी समय आज की पाश्चात्य पद्धति की तरह दो पहर रात के बाद से वार की परावृत्ति मानी जाती थी।

गोल और अयन, रात्रिमान और दिनमान—यदि आकाश-मंडल के दो समान भाग इस प्रकार किये जायँ कि एक भाग के मध्य में उत्तरी ध्रुव और दूसरे भाग के मध्य में दक्षिणी ध्रुव पड़े, तो पहले भाग को 'उत्तरी गोलार्द्ध' और दूसरे भाग को 'दक्षिणी गोलार्द्ध' कहेंगे। भूमध्य या विषुवत्-रेखा के ठीक ऊपर से आकाश विभाजित माना जाता है। उत्तरी गोलार्द्ध में मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या—ये ६ राशियाँ रहती हैं और दक्षिणी गोलार्द्ध में शेष ६ राशियाँ।

जब सूर्य भूमध्य-रेखा के सामने सायन मेष पर आता है, तब पृथ्वी पर सर्वत्र दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। इसके बाद सूर्य ज्यों-ज्यों उत्तर की ओर बढ़ता है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्द्ध में क्रमशः दिन बड़ा और रात छोटी होती जाती है। इसका उल्टा दक्षिणी गोलार्द्ध में होता है। जब सूर्य सायन कर्क पर पहुँचता है, तब पृथ्वी के उत्तरी गोलार्द्ध में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। उसके बाद सूर्य दक्षिणायन होता है, अर्थात् दक्षिण की ओर मुड़ता है। फिर, उत्तर में क्रम-क्रम से दिन छोटा और रात बड़ी होने लगती है। भूमध्य-रेखा के सामने सायन तुला पर सूर्य के आने पर फिर सर्वत्र दिन-रात दोनों बराबर होते हैं। सूर्य दक्षिणी गोलार्द्ध में प्रवेश कर जब सायन मकर पर पहुँचता है, तब दक्षिण में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। उसका उल्टा पृथ्वी के उत्तरी गोलार्द्ध में रात सबसे बड़ी और दिन सबसे छोटा होता है। वहाँ से सूर्य उत्तरायण होता है, जिससे दक्षिण में दिन क्रम-क्रम से छोटा और रात कुछ-कुछ बड़ी होने लगती है। अन्त में, सूर्य पुनः भूमध्य-रेखा के सामने सायन मेष में आता है।

भूमध्य-रेखा से उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की दूरी ६० अंश की होती है। भूमध्य-रेखा पर दिनमान और रात्रिमान सदा १२ घंटे का होता है। भूमध्य-रेखा से उत्तर या दक्षिण बढ़ने पर दिनमान या रात्रिमान बड़ा होने लगता है। ६६½ अंश पर सबसे बड़ा दिनमान या रात्रिमान २४ घंटे का, ७० अंश पर २ मास का, ७८½ अंश पर ४ मास का और ६० अंश पर छह मास का होता है।

समय का सूक्ष्म मान—भारतीय गणकों ने समय का बड़ा-से-बड़ा मान 'ब्रह्मायु' बताया है, जिसकी चर्चा ऊपर हो चुकी है। उसी प्रकार समय का छोटा-से-छोटा मान भी है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के सुदीर्घ काल में सूक्ष्म गणना की कई पद्धतियाँ चलीं। घड़ी, दंड,

पल और विपल की बात पहले बताई जा चुकी है। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म मान की दो और पद्धतियाँ हैं। एक पद्धति के अनुसार सूक्ष्मतम मान त्रुटि और दूसरी के अनुसार तत्परस है। एक दिन-रात में १७,४६,६०,००,००० त्रुटियाँ या ४६,६५,६०,००,००० तत्परस होते हैं। आज के उन्नत पाश्चात्य देशों में हाल तक समय का सूक्ष्मतम मान सेकेण्ड ही था। हमारे यहाँ लोग सेकेण्ड को भी २,०२,५०० त्रुटियों या ५,४०,००० तत्परसों में बाँट चुके थे। किन्तु, सन् १९५५ ई० में निर्मित आणविक घड़ी के अनुसार पाश्चात्यों ने सेकेण्ड को भी ९,१९,२१,७७० भागों में विभाजित किया है। भारतीय मान की दोनों पद्धतियाँ इस प्रकार हैं—

१०० त्रुटि	=	१ लव		६० तत्परस	=	१ परस
३० लव	=	१ निमेष		६० परस	=	१ विलिप्ता
२७ निमेष	=	१ गुर्वक्षर		६० विलिप्ता	=	१ लिप्ता (विपल)
१० गुर्वक्षर	=	१ प्राण		६० लिप्ता	=	१ विघटिका (पल)
६ प्राण	=	१ विघटिका		६० विघटिका	=	१ घटिका (दण्ड)
६० विघटिका	=	१ घटिका		६० घटिका	=	१ दिन-रात
६० घटिका	=	१ दिन-रात				

मिस्री (इजिप्शियन) कलेण्डर—मिस्रवासियों ने ईसा के हजार-दो हजार वर्ष पूर्व ही प्रकृति-निरीक्षण द्वारा एक सौर कलेण्डर का निर्माण किया था। वर्ष-प्रतिवर्ष नील नदी की बाढ़ के समय को ध्यान में रखकर तथा आकाश के सबसे बड़े तारे शुक्र के पूर्व और पश्चिम में उदय और अस्त होने के काल की गणना कर वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि साल में ३६५ दिन होते हैं। बहुत दिनों की गणना के बाद वे यह भी समझने लगे थे कि प्रत्येक चौथे वर्ष साल के ३६६ दिन हो जाते हैं। उन्होंने वर्ष को चार-चार मास की तीन ऋतुओं में बाँट दिया था। *ऋतुओं के आरम्भ का समय वे बाढ़ आने का समय, बीज बोने का समय और फसल काटने का* समय मानते थे। उन्होंने वर्ष के १२ मास निर्धारित किये और प्रत्येक मास को ३०-३० दिनों में बाँटा। इस प्रकार पूरे वर्ष में ३६० दिन हो जाने पर वे अंत के पाँच दिनों को अवकाश में गिनते थे। प्रत्येक मास को उन्होंने १०-१० दिन के तीन दशाहों में बाँटा था। मिस्री कलेण्डर का प्रभाव आस-पास के कई देशों पर पड़ा। कैल्डियन, आर्मेनियन, ईरानी तथा ग्रीक कलेण्डर इससे विशेष प्रभावित थे। इस प्रकार वर्त्तमान रोमन कलेण्डर का आदिस्रोत मिस्री कलेण्डर ही था।

ईरानी कलेण्डर—इस कलेण्डर को ईरान के सुप्रसिद्ध सम्राट् दारा (डेरियस, ५२० ई०) ने चलाया था। ईरानी साम्राज्य में पीछे मिस्र, मेसोपोटेमिया, सीरिया, एशिया-माइनर आदि कितने ही देश सम्मिलित किये गये। अतः, कलेण्डर का प्रचार कालक्रम से इन सभी देशों में हुआ। इसके १२ मास थे, पर मास सप्ताह या दशाह में विभक्त नहीं थे। मास के ३० दिनों के नाम अलग-अलग देवताओं या धार्मिक सिद्धान्तों के अनुसार रखे गये थे। सन् ६४८ ई० में ईरान पर मुस्लिम साम्राज्य का आधिपत्य होने पर यहाँ मुस्लिम कलेण्डर चलाया गया, किन्तु वहाँवालों को यह कलेण्डर पसन्द नहीं था।

सन् १०७४-७५ ई० में सेलजुग सुल्तान जलालुद्दीन मल्लिकशाह ने उमर खय्याम तथा अन्य सात ज्योतिषियों को मुस्लिम कलेण्डर में सुधार लाने को कहा, जिसका नाम 'तारीख-ई-जलाली' पड़ा। यह १० रमजान, ४७१ हिजरी से, अर्थात् १६ मार्च, १०७९ ई० से आरम्भ किया गया था। वर्त्तमान काल में ईरान के रीजाशाह पहलवी ने सन् १९२० ई० में मुस्लिम

कलेण्डर का फिर सुधार किया। इस सुधार का उद्देश्य था—चान्द्र गणना को छोड़कर सौर गणना को चलाना। इसके मासों के नाम अलग दिये गये।

मुस्लिम कलेण्डर—जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मुसलमानों का हिजरी सन् मुहम्मद साहब के मक्का से मदीना चले जाने के समय से प्रारम्भ हुआ। हिजरी सन् का प्रथम दिन १६ जुलाई, ६२२ ई० होता है। हिजरी विशुद्ध चान्द्र वर्ष है। हिजरी साल की औसत अवधि ३५४ दिन ८ घंटे और ४८ मिनट होती है। चान्द्र मास की अवधि २६ दिन, १२ घंटे, ४४ मिनट और ५ सेकेण्ड की होती है, यह पहले लिखा जा चुका है। साल के १२ महीने होते हैं और महीनों के साधारणतः क्रमशः ३० और २६ दिन। अन्तिम महीने में एक दिन और जोड़ दिया जाता है। ३०वें वर्ष के अन्त में १ दिन जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा हिसाब इसलिए रखा जाता है कि मास का प्रथम दिन उस दिन पड़ सके, जिस दिन नवीन चन्द्र का दर्शन होता है, अर्थात् शुक्ल द्वितीया रहती है। हिजरी महीनों के नाम इस प्रकार हैं—मुहर्रम, सफर, रविउल अव्वल, रवि उस्सानी, जमादि-उल-अव्वल, जमादि उस्सानी, रज्जब, शाबान, रमजान, शव्वाल, जिकाद और जिलहिज।

रोमन और ईसाई कलेण्डर—यूरोप का सबसे पुराना कलेण्डर रोमन कलेण्डर बताया जाता है, जो रोम के स्थापना-काल से, अर्थात् ७५३ ई० पू० से प्रारम्भ हुआ था। इसे रोमुलस नामक व्यक्ति ने आरम्भ किया था। उसने साल के ३०४ दिन माने और साल को मार्च से आरम्भ कर कुल १० महीनों में बाँटा। पीछे नूमा पम्पेलियस ने जनवरी और फरवरी ये दो मास बढ़ाये। इस प्रकार, साल के १२ मास और ३५५ दिन हुए। प्रत्येक मास क्रमशः ३० और २६ दिन का होने लगा। ईसा से ४५ वर्ष पूर्व रोमन विजेता जूलियस सीजर (१०० ई० से ४४ ई० पू०) ने इस कलेण्डर में कुछ सुधार कर साल में ३६५ दिन बनाये। प्रत्येक चौथे वर्ष को लीप-ईयर माना, जिसमें फरवरी २८ दिन के बदले २६ दिन की होने लगी। यह जूलियन कलेण्डर कहलाया। पोप ग्रेगरी १३वाँ (सन् १५०२-१५८५ ई०) ने इस कलेण्डर में फिर सुधार कर सन् १५८२ ई० के ५ अक्टूबर को १५ अक्टूबर करार दिया और यह भी निश्चित किया कि प्रत्येक १०० वर्ष में लीप-ईयर नहीं होगा, किन्तु ४०० वर्ष पर लीप-ईयर हुआ करेगा। इसी से सन् १६०० ई० लीप-ईयर नहीं हुआ, किन्तु २००० ई० लीप-ईयर होगा। सन् १५८२ ई० से समस्त कैथोलिक देशों में तथा १७५२ ई० से ब्रिटेन और इसके औपनिवेशिक देशों में ग्रेगोरियन कलेण्डर आरम्भ हुआ। सन् १७५२ ई० से ही पहली जनवरी का दिन वर्ष का प्रथम दिन माना जाने लगा। इसी दिन इंगलैंड का विजेता विलियम राजगद्दी पर बैठा था। रूस ने सन् १६१८ ई० से इस कलेण्डर को आरम्भ किया। अब तो यह अन्तरराष्ट्रीय कलेण्डर हो गया है। ईसवी-सन् ईसा के जन्म-काल से चला हुआ माना जाता है, किन्तु अब अनुसंधायकों का कहना है कि ईसा का जन्म सन् १ में नहीं, बल्कि इसके चार वर्ष पूर्व ही हुआ था। अँगरेजी महीनों के प्रथम ६ नाम देवताओं के नाम पर, ७वें-८वें बादशाहों के नाम पर और शेष संख्या के नाम पर हैं।

यहूदी कलेण्डर—इस कलेण्डर में वर्ष के अन्दर सौर गणनानुसार ३६५ दिन होते हैं। मास की गणना चान्द्र गणनानुसार होती है। १६ वर्षों के चक्र में पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवाँ, सातवाँ, नवाँ, दसवाँ, बारहवाँ, तेरहवाँ, पन्द्रहवाँ, सोलहवाँ और अठारहवाँ वर्ष १२ महीनों के और शेष वर्ष १३ महीनों के होते हैं। साधारण वर्ष की अवधि ३५३, ३५४ या ३५५ दिनों की और

लीप-ईयर की अवधि ३८३, ३८४ या ३८५ दिनों की होती है। इस प्रकार, १६ वर्षों के चक्र में औसत वर्ष ३६५ दिनों का होता है। वर्ष का आरम्भ सृष्टि के आरम्भ से माना जाता है। यहूदी लोग सृष्टि का आरम्भ ईसा से केवल ३,७६० वर्ष पूर्व मानते हैं। पर्व-त्यौहार आदि में दिन की गणना सूर्यास्त के बाद आरम्भ होती है। इसका समय ग्रीनविच समय से २ घण्टा, २१ मिनट पूर्व ही रहता है; क्योंकि यह जेरूसलम-मेरिडियन का समय मानता है।

पारसी कलेण्डर—इसका व्यवहार भारत और ईरान के पारसियों द्वारा होता है। इस कलेण्डर का आरम्भ १६ जून, सन् ६३२ ई० से हुआ था। इसे 'जोरोष्ट्रियन कलेण्डर' भी कहते हैं; क्योंकि यह पारसी-धर्म के प्रवर्त्तक महात्मा जरथुस्त्र या जोरोष्टर के नाम पर चलाया गया है।

बौद्ध कलेण्डर—इसकी गणना महात्मा बुद्ध के जन्म-काल, ५४३ ईसवी-पूर्व से प्रारम्भ हुई थी, यद्यपि अब बुद्ध का जन्म-काल ४८७ ई० पू० माना जाता है। बौद्ध संवत् वैशाखी पूर्णिमा से आरम्भ होता है। कहते हैं कि इसी दिन भगवान् बुद्ध का जन्म, उनकी बुद्धत्व-प्राप्ति और उनका महापरिनिर्वाण हुआ था।

जैन कलेण्डर—यह कलेण्डर जैनों के २४वें तीर्थङ्कर भगवान् महावीर के मृत्यु-काल (ई० पू० ५२७) से आरम्भ होता है।

भारत का राष्ट्रीय कलेण्डर—भारत-सरकार ने शक-संवत् को राष्ट्रीय संवत् स्वीकार किया है, यह लिखा जा चुका है। राष्ट्रीय संवत् के साथ ही राष्ट्रीय मास और राष्ट्रीय तिथि भी निश्चित कर दी गई है। यह प्रायः सायन सौर गणनानुसार है। वर्ष का आरम्भ चैत्र से किया जाता है। इस राष्ट्रीय चैत्र मास का आरम्भ २२ मार्च को हुआ करेगा, यह निश्चित कर दिया गया है। यह गणना २२ मार्च, सन् १९५७ ई०, अर्थात् १८८० शकाब्द के १ चैत्र से आरम्भ की गई है। प्रत्येक मास के दिनों की संख्या भी निश्चित कर ली गई है। साधारणतः, चैत्र के दिन ३० होंगे और आगे के ५ मास वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ, श्रावण और भादो के दिन ३१। फिर शेष ६ मास आश्विन, कार्त्तिक, अगहन, पूस, माघ और फाल्गुन के दिन ३० रहेंगे। हाँ, चौथे वर्ष ईसवी-सन् के (लीप-ईयर) में—वर्ष या चैत्र का आरम्भ २१ मार्च को ही होगा और उस वर्ष चैत्र के दिन ३१ रहेंगे। इस गणना में सुविधा रहेगी, अन्तरराष्ट्रीय अँगरेजी तिथि के साथ राष्ट्रीय तिथि का एक निश्चित सम्बन्ध बना रहेगा, भारतीय सौर या चान्द्र तिथि के साथ भी बहुत कुछ सम्बन्ध कायम रहेगा और सौर वर्ष के ३६५ दिन भी पूरे हो जायँगे। अँगरेजी के किस मास की किस तिथि से राष्ट्रीय मास की पहली तिथि आरम्भ होगी और उस राष्ट्रीय मास की दिन-संख्या क्या होगी, यह यहाँ प्रस्तुत है—

अँग० तिथि	राष्ट्रीय मास	दिन-संख्या	अँग० तिथि	राष्ट्रीय मास	दिन-संख्या
मार्च २२ से (लीप-ईयर में २१ मार्च से)	चैत्र	३०-३१	सितम्बर २३ से	आश्विन	३०
अप्रैल २१ से	वैशाख	३१	अक्टूबर २३ से	कार्त्तिक	३०
मई २२ से	ज्येष्ठ	३१	नवम्बर २२ से	अगहन	३०
जून २२ से	आषाढ	३१	दिसम्बर २२ से	पूस	३०
जुलाई २३ से	श्रावण	३१	जनवरी २१ से	माघ	३०
अगस्त २३ से	भादो	३१	फरवरी २० से	फाल्गुन	३०

(TAद R9j.)

इधर कुछ वर्षों से भारत की राष्ट्रीय सरकार इण्डिया मेटिओरॉलॉजिकल डिपार्टमेण्ट से अपना एक वृहत् जहाजी पञ्चाङ्ग 'नॉटिकल अलमेनक' निकालने लगी है। पहले से विश्व में ग्रेटब्रिटेन, संयुक्तराज्य अमेरिका, फ्रांस, स्पेन और रूस के जहाजी पञ्चाङ्ग निकलते रहे हैं। हमारे जहाजी पञ्चाङ्ग को भी समस्त विश्व से मान्यता प्राप्त हुई है और यह सबके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। इसमें भारत की प्राचीन गणना-पद्धति का भी समावेश किया गया है।

पञ्चाङ्ग-काल—विश्व के पञ्चाङ्गों के नये संस्करणों में काल की माप की एक नई प्रणाली दी गई है। वर्षों के निरीक्षण-पर्यवेक्षण के बाद देखा गया है कि दिनानुदिन पृथ्वी की दैनिक गति मंद पड़ती जा रही है। पृथ्वी की दैनिक गति में १७०० ई० से अबतक ४७ सेकेण्ड की और सन् १६०३ ई० से अबतक ३५ सेकेंड की कमी दीख पड़ी है। इस प्रकार, पृथ्वी की दैनिक गति में प्रति वर्ष औसत एक सेकेंड से कुछ अधिक की कमी हो रही है।

ग्रीनविच मध्यम काल, जिसे बाद को सार्वभौम काल समझा जाने लगा और जो पृथ्वी की दैनिक गति पर आधृत था, अब समय की माप का अनुपयुक्त मापदंड माना जाता है। समय की नई माप का, जिसे पञ्चाङ्ग-काल या 'एफिमेरिज टाइम' कहते हैं, विश्व के समस्त पञ्चाङ्गों में उल्लेख किया जाने लगा है। इसका निर्धारण चन्द्रमा की स्थिति के अनुसार किया जाता है।

स्टैण्डर्ड टाइम—प्रत्येक स्थान का समय कुछ-कुछ भिन्न होने पर भी समूचे देश के लिए एक स्टैण्डर्ड टाइम ठीक कर लिया जाता है। भारत का स्टैण्डर्ड टाइम सन् १६०६ ई० में ८२½° रेखांश या देशान्तर पूर्व के मध्यम काल के आधार पर निश्चय कर लिया गया है। ८२½° देशान्तर रेखा वाराणसी और कोकोनाड होकर जाती है। यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से ५½ घंटा पहले पड़ता है। सारे भारत के रेलवे, डाक एवं तारघर आदि इसी समय को व्यवहार में लाते हैं। सन् १८८४ ई० में एक अन्तरराष्ट्रीय मेरिडियन कान्फ्रेन्स हुई थी। उसने यह तय कर लिया कि ग्रीनविच, लंदन के पास से होकर जानेवाली मध्याह्न-रेखा (मेरिडियन लाइन) को ही प्रधान मध्याह्न-रेखा माना जाय और संसार के समय का हिसाब उसी से लगाया जाय। ग्रीनविच के मेरिडियन को शून्य अंश पर मानकर वहाँ से १८०° तक पूर्वीय और पश्चिमीय रेखांश की गणना की जाती है। ग्रीनविच के पूरब के किसी स्थान का समय जानने के लिए दूरी के हिसाब से ग्रीनविच के समय में प्रति १५° पर एक घंटा और १° पर चार मिनट का समय घटाना पड़ता है तथा पश्चिम के स्थानों के लिए जोड़ना पड़ता है।

अन्तरराष्ट्रीय तिथि-रेखा—प्रति १५° देशान्तर पर के समय में एक घंटा का अन्तर पड़ता है, अतएव पृथ्वी की परिक्रमा में एक दिन का अन्तर होगा। यदि कोई यात्री किसी स्थान से किसी तारीख को पूरब चलकर पृथ्वी की प्रदक्षिणा करे, तो उसे अपने स्थान पर लौटने पर एक तारीख, अर्थात् एक दिन घटा हुआ ही जान पड़ेगा। उसी प्रकार, यदि कोई पश्चिम की ओर चलकर भ्रमण करता हुआ अपने स्थान पर लौटे, तो एक दिन बढ़ा हुआ जान पड़ेगा। इसलिए, यह मान लिया गया है कि पूरब की ओर से यात्रा करनेवाले प्रशान्त महासागर को १८०° रेखांश पर पार करने पर अपने हिसाब में एक दिन बढ़ा लें और पश्चिम की ओर यात्रा करनेवाले उक्त स्थान को पार करने पर एक दिन अपने हिसाब में घटा लें।

★

तिथि-पत्रक

जनवरी १९६४ ई०

राष्ट्रीय शकाब्द १८८५, विक्रमाब्द २०२०, बँगला सन् १३७०, हिजरी १३८३

वार	अँगरेजी तिथि	राष्ट्रीय पौष-माघ		सौर (बं०) पौष-माघ		चान्द्र माघ-फाल्गुन		चान्द्र नक्षत्र, पर्व-त्यौहार आदि
बुध	१	पौष	११	पौष	१६	माघ कृ०	२	पुष्य ३६।११, ईसाई-नववर्ष-[i
गुरु	२	,,	१२	,,	१७	,,	३	श्ले० ३३।३५। [i दिवस।
शुक्र	३	,,	१३	,,	१८	,,	४	म० ३३।१३, गणेश चतुर्थी।
शनि	४	,,	१४	,,	१९	,,	५	पू० फा० ३४।४६।
रवि	५	,,	१५	,,	२०	,,	६	उ० फा० ३८।४३।
सोम	६	,,	१६	,,	२१	,,	७	ह० ४४।९। [t एकादशी।
मंगल	७	,,	१७	,,	२२	,,	८	चि० ५१।६।
बुध	८	,,	१८	,,	२३	,,	९	स्वा० ५८।१७। [s बुधोदय पूर्व।
गुरु	९	,,	१९	,,	२४	,,	१०	त्रि० ६०।०। [s षाढ़। [s
शुक्र	१०	,,	२०	,,	२५	,,	११	वि० ६।९; षट्तिला [t
शनि	११	,,	२१	,,	२६	,,	१२	अनु० १३।३५; सूर्य उत्तरा- [s
रवि	१२	,	२२	,,	२७	,,	१३	ज्ये० २०।२६।
सोम	१३	,,	२३	,,	२८	,,	१४	मू० २६।३३। [c मौनी अमा०।
मंगल	१४	,,	२४	,,	२९	,,	१५	पू० षा० ३१।१४; सूर्यमकर, [c
बुध	१५	,,	२५	माघ	१	माघ शु०	१	उ० षा० ३५।१३।
गुरु	१६	,,	२६	,,	२	,,	२	श्र० ३७।५४; चन्द्र-दर्शन; [b
शुक्र	१७	,,	२७	,,	३	,,	३	ध० २९।२९; रमजान ९।
शनि	१८	,,	२८	,,	४	,,	४	श० ४०।६।
रवि	१९	,,	२९	,,	५	,,	५	पू० भा० ३९।५९; वसन्तपंचमी।
सोम	२०	,,	३०	,,	६	,,	६	उ० भा० ३८।५१।
मंगल	२१	माघ	१	,,	७	,,	७	रे० ३६।५७। [b बुध मार्गी।
बुध	२२	,,	२	,,	८	,,	८	अ० ३४।३१। [o (सबके निमित्त)।
गुरु	२३	,,	३	,,	९	,,	९	भ० ३०।३१। [u तन्त्र-दिवस।
शुक्र	२४	,,	४	,,	१०	,,	१०	कृ० २६।२७; सूर्य श्रवण।
शनि	२५	,,	५	,,	११	,,	११	रो० २१।३९; जया एकादशी [o
रवि	२६	,,	६	,,	१२	,,	१२	मृ० १६।३७; भारतीय गण- [u
सोम	२७	,,	७	,,	१३	,,	१३	आ० ११।१९। [e शनि अस्त।
मंगल	२८	,,	८	,,	१४	,,	१४	पुन० ६।२६; माघी पूर्णिमा।
बुध	२९	,,	९	,,	१५	फा० कृ०	१	पुष्य ५।२७; श्ले० ५४।१४ [e
गुरु	३०	,,	१०	,,	१६	,,	२	म० ५७।६४।
शुक्र	३१	,	११	,,	१७	,,	३	पू० फा० ५८।३१।

फरवरी १९६४ ई०

राष्ट्रीय शकाब्द १८८५, विक्रमाब्द २०२०, बँगला सन् १३७०, हिजरी १३८३

वार	अँगरेजी तिथि	राष्ट्रीय माघ-फाल्गुन	सौर (बँ०) माघ-फाल्गुन	चान्द्र फाल्गुन-शुद्ध चैत्र	चान्द्र नक्षत्र, पर्व-त्यौहार आदि
शनि	१	माघ १२	माघ १८	फा० कृ० ४	उ०फा० ६०।०।
रवि	२	” १३	” १९	” ५	उ०फा० ७।५९।
सोम	३	” १४	” २०	” ६	ह० ५।२७।
मंगल	४	” १५	” २१	” ७	चि० ११।९।
बुध	५	” १६	” २२	” ८	स्वा० १८।३३।
गुरु	६	” १७	” २३	” ८	वि० २५।५६; सूर्य धनिष्ठा।
शुक्र	७	” १८	” २४	” ९	अनु० ३३।२४।
शनि	८	” १९	” २५	” १०	ज्ये० ४०।४५। [a(सबकेनिमित्त)
रवि	९	” २०	” २६	” ११	मू० ४६।५४; विजयाएकादशी [a
सोम	१०	” २१	” २७	” १२	पू०षा० ५१।३१।
मंगल	११	” २२	” २८	” १३	उ०षा० ५५।१२; महाशिवरात्रि।
बुध	१२	” २३	” २९	” १४	श्र० ५६।५३; सूर्य कुम्भ।
गुरु	१३	” २४	फा० १	” १५	ध० ५७।३५; अमावास्या।
शुक्र	१४	” २५	” २	फा० शु० १	श० ५७।११; चन्द्र-दर्शन।
शनि	१५	” २६	” ३	” २	पू०भा० ५५।५३; शव्वाल १० [b
रवि	१६	” २७	” ४	” ३	उ०भा० ५३।३१।
सोम	१७	” २८	” ५	” ४	रे० ५१।१३। [b ईद् उल फितर।
मंगल	१८	” २९	” ६	” ५	अ० ४५।११।
बुध	१९	” ३०	” ७	” ६	भ० ४५।९; सूर्य शतभिषा।
गुरु	२०	फा० १	” ८	” ७	कृ० ४१।५१। [d बुधास्त पू०।
शुक्र	२१	” २	” ९	” ९	रो० ३८।२१।
शनि	२२	” ३	” १०	” १०	मृ० ३४।५५।
रवि	२३	” ४	” ११	” ११	आ० ३१।१६; आमलकी [c
सोम	२४	” ५	” १२	” १२	पुन० २७।५९। [c एकादशी [c
मंगल	२५	” ६	” १३	” १३	पु० २५।६।[c(सबकेनिमित्त)।
बुध	२६	” ७	” १४	” १४	श्ले० २२।५६; होलिका-दहन [d
गुरु	२७	” ८	” १५	” १५	म० २१।४३। पूर्णिमा। बुधास्त [d
शुक्र	२८	” ९	” १६	शु०चै०कृ० १	पू०फा० २२।६; वसन्तोत्सव।
शनि	२९	” १०	” १७	” २	उ०फा० २३।५३। [d पू०।

मार्च १९६४ ई०

राष्ट्रीय शकाब्द १८८५-८६, विक्रमाब्द २०२०-२१, बँगला सन् १३७०, हिजरी १३८३

वार	अँगरेजी तिथि	राष्ट्रीय फा०-चैत्र	सौर (बँ०) फाल्गुन-चैत्र	चान्द्र शु०चैत्र-अ०चैत्र	चान्द्र नक्षत्र पर्व-त्यौहार आदि
रवि	१	फाल्गुन ११	फाल्गुन १८	शु०चै०कृ० ३	ह० २७।३१।
सोम	२	,, १२	,, १९	,, ४	चि० ३२।१९; शनि-उदय
मंगल	३	,, १३	,, २०	,, ५	स्वा० ३८।३७; सूर्य पूर्वभाद्रपदा।
बुध	४	,, १४	,, २१	,, ६	वि० ४५।३५।
गुरु	५	,, १५	,, २२	,, ७	अनु० ५३।१७।
शुक्र	६	,, १६	,, २३	,, ८	ज्ये० ६०।०।
शनि	७	,, १७	,, २४	,, ९	ज्ये० ०।३६।
रवि	८	,, १८	,, २५	,, ९	मू० ७।२५।
सोम	९	,, १९	,, २६	,, १०	पू०षा० १२।१२।
मंगल	१०	,, २०	,, २७	,, ११	उ०षा० १६।५६; पापमोचिनी [a
बुध	११	,, २१	,, २८	,, १२	श्र० १९।१६। [a एकादशी (सबके [a
गुरु	१२	,, २२	,, २९	,, १३	ध० १९।५५। [a निमित्त)।
शुक्र	१३	,, २३	,, ३०	,, १४	श० १८।४९; सूर्य मीन।
शनि	१४	,, २४	चैत्र १	,, १५	पू०भा० १६।३४; अमावास्या।
रवि	१५	,, २५	,, २	अ०चै०शु० २	उ०भा० १३।७; चन्द्र-दर्शन [b
सोम	१६	,, २६	,, ३	,, ३	रे० ८।४४; जिकाद ११।
मंगल	१७	,, २७	,, ४	,, ४	अ० ४।२३; सूर्य उत्तरभाद्रपदा।
बुध	१८	,, २८	,, ५	,, ५	भ० ३।५ कृ० ५६।१८।
गुरु	१९	,, २९	,, ६	,, ६	रो० ५२।४। [b विक्रमाब्द २०२१।
शुक्र	२०	,, ३०	,, ७	,, ७	मृ० ४८।५३।
शनि	२१	चैत्र १	,, ८	,, ८	आ० ४५।५७; राष्ट्रीय शकाब्द [c
रवि	२२	,, २	,, ९	,, ९	पुन० ४३।५३। [c १८८६।
सोम	२३	,, ३	,, १०	,, १०	पु० ४१।१६।
मंगल	२४	,, ४	,, ११	,, ११	श्ले० ४१।३६। कमलाएकादशी [i
बुध	२५	,, ५	,, १२	,, १२	म० ४१।१७। [i (सबके निमित्त)।
गुरु	२६	,, ६	,, १३	,, १३	पू०फा० ५२।१२; बुधोदय पश्चिम।
शुक्र	२७	,, ७	,, १४	,, १४	उ०फा० ४४।३३।
शनि	२८	,, ८	,, १५	,, १५	ह० ४८।६; पूर्णिमा।
रवि	२९	,, ९	,, १६	अ०चै०कृ० १	चि० ५२।४३।
सोम	३०	,, १०	,, १७	,, २	स्वा० ५९।४३; सूर्य रेवती।
मंगल	३१	,, ११	,, १८	,, ३	वि० ६०।०।

अप्रैल १९६४ ई०

राष्ट्रीय शकाब्द १८८६, विक्रमाब्द २०२१, बँगला सन् १३७०-७१, हिजरी १३८३

वार	अँगरेजी तिथि	राष्ट्रीय चैत्र-वैशाख	सौर (बँ०) चैत्र-वैशाख	चान्द्र अ० चै०-वै०	चान्द्र नक्षत्र, पर्व-त्योहार आदि
बुध	१	चैत्र १२	चैत्र १९	अ०चै०कृ० ४	वि० ५।३७। [e १२; सरहुल। बँगला [e
गुरु	२	,, १३	,, २०	,, ५	अ० १३।१३। [e सन् १३७१।
शुक्र	३	,, १४	,, २१	,, ६	ज्ये० २०।३५; गुडफ्राइडे,
शनि	४	,, १५	,, २२	,, ७	मू० २७।५९।
रवि	५	,, १६	,, २३	,, ८	पू०षा० ३४।१५। [f (सबके निमित्त)।
सोम	६	,, १७	,, २४	,, ९	उ०षा० ३९।१६। [g दिवस; ईद् [g
मंगल	७	,, १८	,, २५	,, १०	श्र० ४२।४३ [g उज् जुहा।
बुध	८	,, १९	,, २६	,, ११	ध० ४४।११; कमला एकादशी [a
गुरु	९	,, २०	,, २७	,, १२	श० ४३।४४; कमला एकादशी [b
शुक्र	१०	,, २१	,, २८	,, १३	पू०भा० ४१।१७। [a (स्मार्त्तों [a
शनि	११	,, २२	,, २९	,, १४	उ०भा० ३७।३३। [a के लिए)।
रवि	१२	,, २३	,, ३०	,, १५	रे० ३२।१५; अमावास्या [c
सोम	१३	,, २४	,, ३१	शु०चै०शु० १	अ० ३०।६; सूर्य अश्विनी [d
मंगल	१४	,, २५	वैशाख १	,, २	भ० २६।५७; बुध वक्री। [e
बुध	१५	,, २६	,, २	,, ३	कृ० २२ ३८। [b (वैष्णवों के
गुरु	१६	,, २७	,, ३	,, ४	रो० १८ ३१ [b लिए); गुरु अस्त प०।
शुक्र	१७	,, २८	,, ४	,, ५	मृ० १४।३६; बुधास्त पश्चिम।
शनि	१८	,, २९	,, ५	,, ७	आ० १०।३७।
रवि	१९	,, ३०	,, ६	,, ८	पुन० ७।१५। [c स्नान श्राद्ध [c
सोम	२०	,, ३१	,, ७	,, ९	पु० ४।३२; रामनवमी।
मंगल	२१	वैशाख १	,, ८	,, १०	श्ले० २।३६। [c आदि के निमित्त।
बुध	२२	,, २	,, ९	,, ११	म० १।३८; कामदा एकादशी [f
गुरु	२३	,, ३	,, १०	,, १२	पू०फा० १।४६; कुँवरसिंह-[g
शुक्र	२४	,, ४	,, ११	,, १३	उ०फा० ३।५; भगवान् महा- [h
शनि	२५	,, ५	,, १२	,, १४	ह० ५।२७।
रवि	२६	,, ६	,, १३	,, १५	चि० ९।४९ सूर्य भरणी [i
सोम	२७	,, ७	,, १४	वैशाख कृ० १	स्वा० १४।५६। [d और मेष। [d
मंगल	२८	,, ८	,, १५	,, २	वि० २०।४६। [d चन्द्र-दर्शन।
बुध	२९	,, ९	,, १६	,, ३	अनु० २७।७। [e जिलहिज [e
गुरु	३०	,, १०	,, १७	,, ३	ज्ये० ३३।५१; बुधोदय पूर्व।

[h वीर-जन्मदिवस। [i हनूमान्-जयन्ती, पूर्णिमा।

मई १९६४ ई०

राष्ट्रीय शकाब्द १८८६, विक्रमाब्द २०२१, बँगला सन् १३७१, हिजरी १३८३-८४

वार	अँगरेजी तिथि	राष्ट्रीय वैशाख-ज्येष्ठ		सौर (बँ०) वैशाख-ज्येष्ठ		चान्द्र वैशाख-ज्येष्ठ		चान्द्र नक्षत्र, पर्व-त्यौहार आदि
शुक्र	१	वैशाख	११	वैशाख	१८	वैशाखकृष्ण	४	मू० ३९।५५।
शनि	२	,,	१२	,,	१९	,,	५	पू०षा० ४५।५६। बुध मार्गी।
रवि	३	,,	१३	,,	२०	,,	६	उ० षा० ५०।६।
सोम	४	,,	१४	,,	२१	,,	७	श्र० ५४।६।
मंगल	५	,,	१५	,,	२२	,,	८	ध० ५७।२९।
बुध	६	,,	१६	,,	२३	,,	९	श० ५७।४८।
गुरु	७	,,	१७	,,	२४	,,	१०	पू० भा० ५७।४०।
शुक्र	८	,,	१८	,,	२५	,,	११	उ०भा०५६।४५; वरूथिनी [a
शनि	९	,,	१९	,,	२६	,,	१२	रे० ५४।४५। [a एकादशी।
रवि	१०	,,	२०	,,	२७	,,	१३	अ० ५२।४; सूर्य कृत्तिका।
सोम	११	,,	२१	,,	२८	,,	१४	भ० ४८।४०; सोमवती [b
मंगल	१२	,,	२२	,,	२९	वैशाखशुक्ल	१	कृ० ४५।१०; गुरु उदय पूर्व।
बुध	१३	,,	२३	,,	३०	,,	२	रो० ४०।३५; चन्द्र-दर्शन।
गुरु	१४	,,	२४	,,	३१	,,	३	मृ० ३६।१७। सूर्य वृष। [c
शुक्र	१५	,,	२५	ज्येष्ठ	१	,,	४	आ० ३२।२८ [c मुहर्रम१, [c
शनि	१६	,,	२६	,,	२	,,	५	पुन० २९।३१। [c हि०१३८४ [c
रवि	१७	,,	२७	,,	३	,,	६	पु० २५।५८। [b अमावास्या [b
सोम	१८	,,	२८	,,	४	,,	७	श्ले० २३।४६। [b वटसावित्री [b
मंगल	१९	,,	२९	,,	५	,,	८	म० २२।२८। [b पूजन।
बुध	२०	,,	३०	,,	६	,,	९	पू० फा० २२।२१।
गुरु	२१	,,	३१	,,	७	,,	१०	उ० फा० २३।१०।
शुक्र	२२	ज्येष्ठ	१	,,	८	,,	११	ह० २५।२१; मोहिनी एका-[d
शनि	२३	,,	२	,,	९	,,	१२	चि० २८।४७; मुहर्रम।
रवि	२४	,,	३	,,	१०	,,	१३	स्वा० ३२।३८; सूर्य रोहिणी [i
सोम	२५	,,	४	,,	११	,,	१४	वि० ३८।३५। [i नृसिंहजयन्ती।
मंगल	२६	,,	५	,,	१२	,,	१५	अनु० ४३।४५; पूर्णिमा; बुद्ध [t
बुध	२७	,,	६	,,	१३	ज्येष्ठ-कृष्ण	१	ज्ये० ५१।५०। [t जयन्ती।
गुरु	२८	,,	७	,,	१४	,,	२	मू० ५८।१३। [d दशी (संवत्के [d
शुक्र	२९	,,	८	,,	१५	,,	३	पू०षा० ६० ०। [d निमित्त)।
शनि	३०	,,	९	,,	१६	,,	४	उ०षा० ४।६। [c अक्षयतृतीया।
रवि	३१	,,	१०	,,	१७	,,	५	उ०षा० १०।८; बुधास्त पूर्व।

जून १९६४ ई०

राष्ट्रीय शकाब्द १८८६, विक्रमाब्द २०२१, बँगला सन् १३७१, हिजरी १३८४

वार	अँगरेजी तिथि	राष्ट्रीय ज्येष्ठ-आषाढ	सौर (बँ:) ज्येष्ठ-आषाढ	चान्द्र ज्येष्ठ-आषाढ	चान्द्र नक्षत्र, पर्व-त्यौहार आदि
सोम	१	ज्येष्ठ ११	ज्येष्ठ १८	ज्येष्ठ कृ० ६	श्र० १३।५६।[cअर्द्ध वार्षिकी [c
मंगल	२	,, १२	,, १९	,, ७	ध० १६।४२। [c बंदी, [c
बुध	३	,, १३	,, २०	,, ८	श० १८।०। [c चेहल्लुम।
गुरु	४	,, १४	,, २१	,, ९	पू० भा १८।८।
शुक्र	५	,, १५	,, २२	,, १०	उ० भा० १७।४।
शनि	६	,, १६	,, २३	,, ११	रे० १४।३६;अपराएकादशी[i
रवि	७	,, १७	,, २४	,, १२	अ० १२।२६; सूर्य मृग।
सोम	८	,, १८	,, २५	,, १३	भ० ६।२। [i (सबके निमित्त)।
मंगल	९	,, १९	,, २६	,, १४	कृ० ५।१३।
बुध	१०	,, २०	,, २७	,, १५	रो० १।८, मृ० ५६।५८; [t
गुरु	११	,, २१	,, २८	ज्येष्ठ शु० १	आ० ५२।४७; चन्द्र-दर्शन।
शुक्र	१२	,, २२	,, २९	,, ३	पुन० ४१।२३; सफर २।
शनि	१३	,, २३	,, ३०	,, ४	पु० ४६।१०; शनि वक्री।
रवि	१४	,, २४	,, ३१	,, ५	श्ले० ४२।५६; सूर्य मिथुन।
सोम	१५	,, २५	आषाढ १	,, ६	म० ४२।३२;बुधोदय पश्चिम।
मंगल	१६	,, २६	,, २	,, ७	पू० फा ४२।१४।
बुध	१७	,, २७	,, ३	,, ८	उ० फा० ४३।५।
गुरु	१८	,, २८	,, ४	,, ९	ह० ४५।१०। [t अमावस्या।
शुक्र	१९	,, २९	,, ५	,, १०	चि० ४८।१२; गंगा दशहरा।
शनि	२०	,, ३०	,, ६	,, ११	स्वा०५३।२२; निर्जला [a
रवि	२१	,, ३१	,, ७	,, १२	वि० ५८।२८; सूर्य आर्द्रा।
सोम	२२	आषाढ १	,, ८	,, १३	अनु०६।०; शुक्र पश्चिमास्त।
मंगल	२३	,, २	,, ९	,, १४	अनु० ४।१७। [aएकादशी,[a
बुध	२४	,, ३	,, १०	,, १४	ज्ये० ११।३६। [a बुधोदय [a
गुरु	२५	,, ४	,, ११	,, १५	मू० १७।३४; पूर्णिमा।
शुक्र	२६	,, ५	,, १२	आषाढ कृ० १	पू०षा० २३।२५। [aपश्चिम।
शनि	२७	,, ६	,, १३	,, २	उ० षा० २८।४७।
रवि	२८	,, ७	,, १४	,, ३	श्र० ३३।४८।
सोम	२९	,, ८	,, १५	,, ४	ध० ३७।५०; शुक्र पूर्वोदय।
मंगल	३०	,, ९	,, १६	,, ५	श० ३७।३१; वैंकलेखा की[c

जुलाई १९६४ ई०

राष्ट्रीय शकाब्द १८८६, विक्रमाब्द २०२१, बँगला सन् १३७१, हिजरी १३८४

वार	अँगरेजी तिथि	राष्ट्रीय आषाढ-श्रावण	सौर (बँ०) आषाढ-श्रावण	चान्द्र आषाढ-श्रावण	चान्द्र नक्षत्र, पर्व-त्यौहार-आदि
बुध	१	आषाढ १०	आषाढ १७	आषाढ कृ० ६	पू० भा० ३७।४६।
गुरु	२	,, ११	,, १८	,, ७	उ० भा० ३४।११। योगिनी
शुक्र	३	,, १२	,, १९	,, ८	रे० ३५।४७।[a एकादशी(स्मार्तों[a
शनि	४	,, १३	,, २०	,, ९	अ० ३२।४०। [a के निमित्त)।
रवि	५	,, १४	,, २१	,, ११	भ० २९।२८; सूर्य पुन०; [a
सोम	६	,, १५	,, २२	,, १२	कृ० २५।४४; योगिनी, [b
मंगल	७	,, १६	,, २३	,, १३	रो० २१।४०।[b एकादशी [b
बुध	८	,, १७	,, २४	,, १४	मृ० १७।३०।[b(वैष्णवों के [b
गुरु	९	,, १८	,, २५	,, १५	आ० १३।२७; अमावास्या।
शुक्र	१०	,, १९	,, २६	आषाढ शु० १	पुन० ९।४४; चन्द्र-दर्शन।
शनि	११	,, २०	,, २७	,, २	पु० ६।१६; रथयात्रा, [c
रवि	१२	,, २१	,, २८	,, ३	श्ले० ४।६।[c रबिउल अव्वल २
सोम	१३	,, २२	,, २९	,, ४	म० २।२४। [b लिए)।
मंगल	१४	,, २३	,, ३०	,, ५	पू० फा० २।५१; बुध वक्री।
बुध	१५	,, २४	,, ३१	,, ६	उ० फा० २।२६।
गुरु	१६	,, २५	,, ३२	,, ७	ह० ४।१५। सूर्य कर्क।
शुक्र	१७	,, २६	श्रावण १	,, ८	चि० ७।२०।
शनि	१८	,, २७	,, २	,, ९	स्वा० ११।३४।
रवि	१९	,, २८	,, ३	,, १०	वि० १६।४९; सूर्य पुष्य।
सोम	२०	,, २९	,, ४	,, ११	अनु० २२।४८; शुक्र मार्गी, [d
मंगल	२१	,, ३०	,, ५	,, १२	ज्ये० २९।३७। [d हरिशयनी [d
बुध	२२	,, ३१	,, ६	,, १३	मू० ३६।३६; फातेहा-द्वाज [e
गुरु	२३	श्रावण १	,, ७	,, १४	पू० षा ०४२।१५।
शुक्र	२४	२	,, ८	,, १५	उ० षा० ३७।१८; गुरु पूर्णिमा।
शनि	२५	,, ३	,, ९	श्रावण कृ० १	श्र० ५१।३६। [d एकादशी [d
रवि	२६	,, ४	,, १०	,, २	ध० ५४।४४। [d(सबके निमित्त),
सोम	२७	,, ५	,, ११	,, ३	श० ५६।३७। [e दुहुम।
मंगल	२८	,, ६	,, १२	,, ४	पू० भा० ५६।४१।
बुध	२९	,, ७	,, १३	,, ५	उ० भा० ५७।४५।
गुरु	३०	,, ८	,, १४	,, ६	रे० ५६।१४।
शुक्र	३१	,, ९	,, १५	,, ७	अ० ५४।१९।

अगस्त १९६४ ई०

राष्ट्रीय शकाब्द १८८६, विक्रमाब्द २०२१, बँगला सन् १३७१, हिजरी १३८४

वार	अँगरेजी तिथि	राष्ट्रीय श्रावण-भाद्र		सौर (बँ०) श्रावण-भाद्र		चान्द्र श्रावण-भाद्र		चान्द्र नक्षत्र, पर्व-त्यौहार आदि
शनि	१	श्रावण	१०	श्रावण	१६	श्रावण कृ०	८	म० ५।१।१०। [bचतुर्थी; रवि[b
रवि	२	,,	११	,,	१७	,,	९	कृ० ४७।१८; सूर्य श्लें०।
सोम	३	,,	१२	,,	१८	,,	१०	रो० ४३।११। [b उस्सानी ४।
मंगल	४	,,	१३	,,	१९	,,	११	मृ० ३९।१०; बुधोदय, [a
बुध	५	,,	१४	,,	२०	,,	१२	आ० ३४।५३। [aपूर्व; कामदा[a
गुरु	६	,,	१५	,,	२१	,,	१४	पुन० ३१।२। [a एकादशी [a
शुक्र	७	,,	१६	,,	२२	,,	१५	पु० २७।४०; अमावास्या।
शनि	८	,,	१७	,,	२३	श्रावण शु०	१	श्लें० २४।५८।[a(सबके निमित्त)।
रवि	९	,,	१८	,,	२४	,,	२	म० २३।३; चन्द्र-दर्शन।
सोम	१०	,,	१९	,,	२५	,,	३	पू० फा० २३।४; मधुश्रवा; [b
मंगल	११	,,	२०	,,	२६	,,	४	उ० फा० २२।२२। [bगणेश[b
बुध	१२	,,	२१	,,	२७	,,	५	ह० २३।३६; नागपंचमी।
गुरु	१३	,,	२२	,,	२८	,,	६	चि० २६।४४। [c दिवस।
शुक्र	१४	,,	२३	,,	२९	,,	७	स्वा० ३०।३५; तुलसी-जयन्ती।
शनि	१५	,,	२४	,,	३०	,,	८	वि० ३५।३६; स्वाधीनता-[c
रवि	१६	,,	२५	,,	३१	,,	९	अनु० ४१।२४; सूर्य मघा [e
सोम	१७	,,	२६	भाद्र	१	,,	१०	ज्ये० ४७।४४। [e और सिंह।
मंगल	१८	,,	२७	,,	२	,,	११	मू० ५४।१२।
बुध	१९	,,	२८	,,	३	,,	११	पू० षा० ६०।०; पुत्रदा [d
गुरु	२०	,,	२९	,,	४	,,	१२	पू० षा० ०।२१। [d एकादशी[d
शुक्र	२१	,,	३०	,,	५	,,	१३	उ० षा० ४।५५।
शनि	२२	,,	३१	,,	६	,,	१४	श्र० ८।१०। [e बन्धन।
रवि	२३	भाद्र	१	,,	७	,,	१५	ध० १२।३३; श्रावणी [e
सोम	२४	,,	२	,,	८	भाद्र कृ०	१	श० १४।४८। [e पूर्णिमा; रक्षा-[e
मंगल	२५	,,	३	,,	९	,,	२	पू० भा० १५।५०; कज्जली, [f
बुध	२६	,,	४	,,	१०	,,	३	उ० भा० १५।३३; बुधास्त पूर्व।
गुरु	२७	,,	५	,,	११	,,	४	रे० १४।१७ [f गणेश चतुर्थी।
शुक्र	२८	,,	६	,,	१२	,,	५	अ० १२।३। [d(सबकेनिमित्त)।
शनि	२९	,,	७	,,	१३	,,	७	भ० ९।३। [g कृष्णाष्टमी।
रवि	३०	,,	८	,,	१४	,,	८	कृ० ५।३: सूर्य पूर्वाफाल्गुनी, [g
सोम	३१	,,	९	,,	१५	,,	९	रो० १।२६; मृ० ५४।४०।

सितम्बर १९६४ ई०

राष्ट्रीय शकाब्द १८८६, विक्रमाब्द २०२१, बँगला सन् १३७१, हिजरी १३८४

बार	अँगरेजी तिथि	राष्ट्रीय भाद्र-आश्विन	सौर (बँ०) भाद्र-आश्विन	चान्द्र भाद्र-आश्विन	चान्द्र-नक्षत्र, पर्व-त्यौहार आदि
मंगल	१	भाद्र १०	भाद्र १६	भाद्र कृष्ण १०	आ० ५३।५४।
बुध	२	,, ११	,, १७	,, ११	पुन० ४६।६; जया एकादशी [a
गुरु	३	,, १२	,, १८	,, १२	पु० ४५।३६। [a (सबके निमित्त)।
शुक्र	४	,, १३	,, १९	,, १३	श्ले० ४२।४३।
शनि	५	,, १४	,, २०	,, १४	म० ४०।३७। [b अमावास्या।
रवि	६	,, १५	,, २१	,, १५	पू० फा० ३९।२६; कुशोत्पाटिनी[b
सोम	७	,, १६	,, २२	भाद्र शु० १	उ० फा० ३९।२१; चन्द्र-दर्शन।
मंगल	८	,, १७	,, २३	,, २	ह० ४०।३४;जमादिउल अव्वल५।
बुध	९	,, १८	,, २४	,, ३	चि० ४२।५४;हरितालिका, तीज,[c
गुरु	१०	,, १९	,, २५	,, ४	स्वा० ४६।१०। [c गणेश चतुर्थी।
शुक्र	११	,, २०	,, २६	,, ५	वि० ५१।२६; ऋषिपंचमी।
शनि	१२	,, २१	,, २७	,, ६	अनु० ५७।७; लोलार्क षष्ठी।
रवि	१३	,, २२	,, २८	,, ७	ज्ये० ६०।०; सूर्य उत्तरफाल्गुनी।
सोम	१४	,, २३	,, २९	,, ८	ज्ये० ३।२१; राधाष्टमी।
मंगल	१५	,, २४	,, ३०	,, ९	मू० ९।४८;अगस्त्योदय। बुधोदय [d
बुध	१६	,, २५	,, ३१	,, १०	पू०षा० १६।३;सूर्य कन्या। [dपश्चिम।
गुरु	१७	,, २६	आश्विन १	,, ११	उ०षा० २०।४;परिवर्तिनी एकादशी[e
शुक्र	१८	,, २७	,, २	,, १२	श्र० २७।५४;वामन-जयंती।
शनि	१९	,, २८	,, ३	,, १३	ध० ३१।५१। [e(सबके निमित्त)।
रवि	२०	,, २९	,, ४	,, १४	श० ३३।१७; अनंत चतुर्दशी।
सोम	२१	,, ३०	,, ५	,, १५	पू०भा० ३४।२७;महालयारम्भ, [f
मंगल	२२	,, ३१	,, ६	आश्विन कृष्ण १	उ०भा० ३४।१६। [f पूर्णिमा।
बुध	२३	आश्विन १	,, ७	,, २	रे० ३३।१९।
गुरु	२४	,, २	,, ८	,, ३	अ० ३१।२२।
शुक्र	२५	,, ३	,, ९	,, ४	भ० २८।३८।
शनि	२६	,, ४	,, १०	,, ५	कृ० २५।४; सूर्य हस्त।
रवि	२७	,, ५	,, ११	,, ६	रो० २१।११।
सोम	२८	,, ६	,, १२	,, ७	मृ० १७।२ [(gसबके निमित्त)।
मंगल	२९	,, ७	,, १३	,, ८	आ० १२।३२;जीवत्पुत्रिका व्रत।
बुध	३०	,, ८	,, १४	,, ९	पुन० ८।५६;इन्दिरा एकादशी [g

अक्टूबर १९६४ ई०

राष्ट्रीय शकाब्द १८८६, विक्रमाब्द २०२१, बँगला सन् १३७१, हिजरी १३८४

वार	अँगरेजी तिथि	राष्ट्रीय आ०-का०	सौर (वँ०) आ०-का०	चान्द्र आश्विन-कार्तिक		चान्द्र नक्षत्र, पर्व-त्यौहार आदि
गुरु	१	आश्विन ९	आश्विन १५	आश्विन कृष्ण	११	पु० ५।४०।
शुक्र	२	,, १०	,, १६	,,	१२	श्ले००।१०,म०५९।४; म०गांधी[a
शनि	३	,, ११	,, १७	,,	१३	पू०फा०५८।५१। [aजन्मदिवस।
रवि	४	,, १२	,, १८	,,	१४	उ०फा० ५८।३।
सोम	५	,, १३	,, १९	,,	१५	ह०५९।३;सोमवती अमावास्या।
मंगल	६	,, १४	,, २०	आश्विन शुक्ल	१	चि०६०।०;शारदीय नवरात्रारंभ,[b
बुध	७	,, १५	,, २१	,,	२	चि०१।९;चन्द्र-दर्शन।[bघटस्थापन।
गुरु	८	,, १६	,, २२	,,	३	स्वा०४।३१;जमादि उस्सानी ६।
शुक्र	९	,, १७	,, २३	,,	४	वि० ९।१३।
शनि	१०	,, १८	,, २४	,,	५	अनु०१४।३०;सूर्य चित्रा। उपाङ्ग-[c
रवि	११	,, १९	,, २५	,,	६	ज्ये०१९।५४। [cललिता व्रत।
सोम	१२	,, २०	,, २६	,,	६	मू० २७।५।
मंगल	१३	,, २१	,, २७	,,	७	पू०पा० ३३।२७।
बुध	१४	,, २२	,, २८	,,	८	उ०पा० ३९।२५; दुर्गाष्टमी।
गुरु	१५	,, २३	,, २९	,,	९	श्र०४४ ३७;बुध वक्री। दुर्गानवमी,[d
शुक्र	१६	,, २४	,, ३०	,,	१०	ध० ४८।३६। [d विजयादशमी।
शनि	१७	,, २५	,, ३१	,,	११	शत०५१।२६;सूर्य तुला। पापा- [e
रवि	१८	,, २६	कार्तिक १	,,	१२	पू०भा०५३ १४।[eङ्कुशा एका०।
सोम	१९	,, २७	,, २	,,	१३	उ०भा०५३।६; बुधास्त पश्चिम।
मंगल	२०	,, २८	,, ३	,,	१४	रे० ५२।३७; कोजागरी।
बुध	२१	,, २९	,, ४	,,	१५	अ०५१।१;पूर्णिमा। कार्तिक [f
गुरु	२२	,, ३०	,, ५	कार्तिक कृष्ण	१	भ० ४७।५४। [f स्नानारम्भ।
शुक्र	२३	कार्तिक १	,, ६	,,	२	कृ० ४४।३१; सूर्य स्वाति।
शनि	२४	,, २	,, ७	,,	४	रो० ४१।२०।
रवि	२५	,, ३	,, ८	,,	५	मृ० ३६।३६।
सोम	२६	,, ४	,, ९	,,	६	आ० ३२।२४।
मंगल	२७	,, ५	,, १०	,,	७	पुन० २८।१७। [g(सबके निमित्त)।
बुध	२८	,, ६	,, ११	,,	८	पु० २४।२२; अहोई अष्टमी।
गुरु	२९	,, ७	,, १२	,,	९	श्ले० २१।९। [g रमा एकादशी [g
शुक्र	३०	,, ८	,, १३	,,	१०	म० १८।५६; मंगल वक्री।
शनि	३१	,, ९	,, १४	,,	११	पू०फा०१७।२३; बुधोदय पूर्व। [g

नवम्बर १९६४ ई०

राष्ट्रीय शकाब्द १८८६, विक्रमाब्द २०२१, बँगला सन् १३७१, हिजरी १३८४

वार	अँगरेजी तिथि	राष्ट्रीय कार्त्तिक-अग०	सौर (बँ०) कार्त्तिक-अग०	चान्द्र कार्त्तिक-अग०	चान्द्र नक्षत्र, पर्व-त्यौहार आदि
रवि	१	कार्त्तिक १०	कार्त्तिक १५	कार्त्तिक कृष्ण १२	उ० फा० १७।३५; शनि मार्गी।
सोम	२	,, ११	,, १६	,, १३	ह० १८।१५; धनतेरस, [*
मंगल	३	,, १२	,, १७	,, १४	चि० १९।५७; बुध मार्गी, [†
बुध	४	,, १३	,, १८	,, १५	स्वा० २२।४४; अमावास्या [a
गुरु	५	,, १४	,, १९	कार्त्तिक शुक्ल १	वि० २७।७; चन्द्र-दर्शन।
शुक्र	६	,, १५	,, २०	,, २	अनु० ३२।२६; सूर्य विशाखा, [d
शनि	७	,, १६	,, २१	,, ३	ज्ये० ३८।२४; [*यमदीप-दान।
रवि	८	,, १७	,, २२	,, ४	मू० ४४।५४; [† दीपावली।
सोम	९	,, १८	,, २३	,, ५	पू०षा०५४।५६; [a गोवर्धन-[a
मंगल	१०	,, १९	,, २४	,, ६	उ०षा०५५।५५; छठ। [a पूजन, [a
बुध	११	,, २०	,, २५	,, ७	श्र०६०।०; [a अन्नकूट। [d भ्रातृ-[d
गुरु	१२	,, २१	,, २६	,, ८	श्र०१।५५; गोपाष्टमी। [d दूज, [d
शुक्र	१३	,, २२	,, २७	,, ९	ध० ६।१७; अक्षय नवमी।
शनि	१४	,, २३	,, २८	,, १०	श०७।४४; [d दावातपूजा। रज्जव ७।
रवि	१५	,, २४	,, २९	,, ११	पू०भा०१०।३०; प्रबोधिनी एकादशी [i
सोम	१६	,, २५	,, ३०	,, १२	उ०भा०१२।४३; प्रबोधिनी एकादशी [j
मंगल	१७	,, २६	अगहन १	,, १३	रे०११।१५। [i (स्मार्त्तों के निमित्त)।
बुध	१८	,, २७	,, २	,, १४	अ० १०।२७; वैकुण्ठ चतुर्दशी।
गुरु	१९	,, २८	,, ३	,, १५	भ० ८।२४; सूर्य अनुराधा [r
शुक्र	२०	,, २९	,, ४	अगहन कृष्ण १	कृ०४।१९। [r कार्त्तिक पूर्णिमा, [r
शनि	२१	,, ३०	,, ५	,, २	रो० २।६; मृ० ५७।९। [j लिए), [j
रवि	२२	अगहन १	,, ६	,, ३	आ०५४।५६। [j (वैष्णवों के [j
सोम	२३	,, २	,, ७	,, ४	पुन०४८।४९। [r और गुरु नानक-[r
मंगल	२४	,, ३	,, ८	,, ५	पु० ४४।३८। [r दिवस।
बुध	२५	,, ४	,, ९	,, ६	श्ले०४१।३६। [p (स्मार्त्तों के निमित्त)।
गुरु	२६	,, ५	,, १०	,, ८	म० ३९।५३। [t (वैष्णवों के निमित्त)।
शुक्र	२७	,, ६	,, ११	,, ९	पू०फा० ३६।४६; बुधास्त पूर्व।
शनि	२८	,, ७	,, १२	,, १०	उ०फा० ३६।४। [j सूर्य वृश्चिक।
रवि	२९	,, ८	,, १३	,, ११	ह० ३६।१९। उत्पत्ति एकादशी [p
सोम	३०	,, ९	,, १४	,, १२	चि० ३७।३४। उत्पत्ति एकादशी [t

दिसम्बर १९६४ ई०

राष्ट्रीय शकाब्द १८८६, विक्रमाब्द २०२१, बँगला सन् १३७१, हिजरी १३८४

वार	अँगरेजी तिथि	राष्ट्रीय अगहन-पौष		सौर (बँ०) अगहन-पौष		चान्द्र अगहन-पौष		चान्द्र नक्षत्र, पर्व-त्यौहार आदि।
मंगल	१	अगहन	१०	अगहन	१५	अगहन कृष्ण	१३	स्वा० ४४।४०।
बुध	२	,,	११	,,	१६	,,	१४	वि० ४४।३९; सूर्य ज्येष्ठा।
गुरु	३	,,	१२	,,	१७	,,	१५	अनु० ४६।३९।
शुक्र	४	,,	१३	,,	१८	,,	१५	ज्ये० ५५।२८; अमावास्या।
शनि	५	,,	१४	,,	१९	अगहन शुक्ल	१	मू० ६०।०; चन्द्र-दर्शन।
रवि	६	,,	१५	,,	२०	,,	२	मू० ११४८; शावान ८।
सोम	७	,,	१६	,,	२१	,,	३	पू० षा० ८।१६।
मंगल	८	,,	१७	,,	२२	,,	४	उ० षा० १४।३।
बुध	९	,,	१८	,,	२३	,,	५	श्र० १९।६; श्रीरामविवाह।
गुरु	१०	,,	१९	,,	२४	,,	६	ध० २३।२१।
शुक्र	११	,,	२०	,,	२५	,,	७	श० २७।४२।
शनि	१२	,,	२१	,,	२६	,,	८	पू० भा० २९।५१।
रवि	१३	,,	२२	,,	२७	,,	९	उ० भा० ३०।५०।
सोम	१४	,,	२३	,,	२८	,,	१०	रे० २९।४२।
मंगल	१५	,,	२४	,,	२९	,,	११	अ० २८।२३; सूर्य मूल और [*
बुध	१६	,,	२५	पौष	१	,,	१२	भ० २६।५। [* धनु। मोक्षदा [*
गुरु	१७	,,	२६	,,	२	,,	१३	कृ० २२।३। [* एकादशी [*
शुक्र	१८	,,	२७	,,	३	,,	१४	रो० १९।१४। [* सबके निमित्त
शनि	१९	,,	२८	,,	४	,,	१५	मृ० १५।३७; पूर्णिमा। बुधोदय [a
रवि	२०	,,	२९	,,	५	पौष कृष्ण	१	आ० ११।५१। [a पश्चिम।
सोम	२१	,,	३०	,,	६	,,	३	पुन० ७।६।
मंगल	२२	पौष	१	,,	७	,,	४	पु० ३।९; श्ले० ५९।३६।
बुध	२३	,,	२	,,	८	,,	५	म० ५६।४८।
गुरु	२४	,,	३	,,	९	,,	६	पू० फा० ५५।४३; क्रिसमस ईव।
शुक्र	२५	,,	४	,,	१०	,,	७	उ० फा० ५३।३४; क्रिसमस डे।
शनि	२६	,,	५	,,	११	,,	८	ह० ५३।२२। [b (सबके निमित्त)।
रवि	२७	,,	६	,,	१२	,,	९	चि० ५४।४२।
सोम	२८	,,	७	,,	१३	,,	१०	स्वा० ५७।०। सूर्य पूर्वाषाढ।
मंगल	२९	,,	८	,,	१४	,,	११	वि० ६०।० सफला एकादशी [b
बुध	३०	,,	९	,,	१५	,,	१२	वि० ०।२१। [c वार्षिकी वंदी।
गुरु	३१	,,	१०	,,	१६	,,	१३	अनु० ५।४६; वैंकलेखा की [c

द्वितीय भाग

विश्व

सामान्य ज्ञान

प्रमुख प्रजातियाँ और उनके वासस्थान

प्रजातियाँ	*संख्या (लाख में)*	*मुख्यतः निवास-स्थान*
मंगोलियन (पीत वर्ण)	६,८००	एशिया
काकेशियन (श्वेत)	७,२५०	यूरोप
नेग्रो (काला)	२,१००	अफ्रिका
सिमेटिक	१,०००	एशिया, अफ्रिका और यूरोप
मलायन	१,०४०	ओसेनिया आदि
रेड इण्डियन आदि	८००	अमेरिका

महादेशों की जनसंख्या और क्षेत्रफल

(संयुक्त राष्ट्रसंघ के सांख्यिकी कार्यालय के १९५५ के आँकड़ों के आधार पर)

महादेश	*क्षेत्रफल* (कीलोमीटर में) (१ मील = १·६१ कीलोमीटर)	*अनुमित जनसंख्या*
यूरोप (सोवियत रूस को छोड़कर)	१६,२८,०००	४१,१०,००,०००
सोवियत रूस	२,०४,०३,०००	२०,०२,००,००००
एशिया (सोवियत रूस को छोड़कर)	२,७०,४६,०००	१,४८,१०,००,०००
उत्तरी अमेरिका	२,४२,२८,०००	२३,८०,००,०००
दक्षिणी अमेरिका	१,७८,५०,०००	१२,४०,००,०००
ओसेनिया	८५,२७,०००	८५,५७,०००
अफ्रिका	३,०२,८४,०००	२२,००,००,०००
कुल योग : संसार	१३,२२,६६,०००	२,५८,६०,००,०००

द्रष्टव्य : सन् १९५२ ई० में संयुक्त राष्ट्रसंघ की जनसंख्या-बुलेटिन के अनुसार विश्व की जनसंख्या २ अरब ४० करोड़ के लगभग थी।

विभिन्न जातियाँ

अक्का—मध्य अफ्रिका के बौने ४-५ फीट लम्बे और बड़े होते हैं।

अफरीदी—भारत की सीमा पर एशियाई तुर्क।

एस्कीमो—उत्तरी अमेरिका और उत्तरी साइबेरिया के रेड-इण्डियन।

एन्थ्रोफैगी—कॉस्पियन समुद्र के चारों तरफ पाई जानेवाली एक जाति, जो अपनी ही जाति के मांस का भक्षण करती है। केवल पुराने लेखकों द्वारा उल्लिखित।

काफिर—अफ्रिका के एक प्रकार के नेग्रो, जो बड़े लड़ाकू होते हैं।

काले यहूदी—कोचीन (भारत) में पाई जानेवाली एक जाति।

कुर्द—टर्की, फारस और इराक के बीच बँटे देश कुर्दिस्तान के निवासी।

क्रिओल्स—वेस्ट इंडीज के निवासी।

क्रोट्स—क्रोटिया (युगोस्लाविया) के निवासी।

खासी—आसाम की एक जनजाति।

खिरगिज—मध्य-एशिया के निवासी।

गुरखा—नेपाल की एक युद्धवीर जाति।

जुलू—दक्षिण-अफ्रिका की एक असभ्य जाति।

टुंग—यूराल पर्वत के निवासी।

टोडा—नीलगिरि के अधिवासी।

डयाक—बोर्नियो की एक असभ्य जाति।

द्रविड़—दक्षिण-भारत और लंका में पाई जानेवाली एक अनार्य जाति।

नागा—आसाम की पहाड़ियों एवं जंगलों में रहनेवाली एक जनजाति।

नेग्रीटो—कांगो-बेसिन के मूल निवासी।

नेग्रो—अफ्रिका के निवासी, जिनका रंग काला, बाल घुंघराले और होठ मोटे होते हैं।

फिलिपिनो—फिलिपाइन्स द्वीप के निवासी, जो ईसाई हो गये हैं।

फ्लेमिंग—बेलजियम के निवासी।

बर्बर—उत्तरी अफ्रिका की एक गोरी जाति, जिसमें अधिकतर मुसलमान हैं।

बागिरमी—अफ्रिका की चाड झील के दक्षिण रहनेवाले लोग।

बान्टू—दक्षिण-अफ्रिका के नेग्रो।

बास्क—उत्तरी स्पेन की एक परम स्वतन्त्र जाति। स्पेन के अन्तिम गृह-युद्ध के समय जेनरल फ्रांको द्वारा इनकी स्वतन्त्रता नष्ट कर दी गई।

बेदोऊँ—अरब की एक घुमक्कड़ जाति, जो इराक और अफ्रिका के कुछ हिस्सों में भी पाई जाती है।

बोअर दक्षिण-अफ्रिका के डच।

ब्राहुई—बलूचिस्तान के निवासी।

भील—प्राचीन द्रविड़-जाति, जो मध्यभारत तथा राजस्थान में निवास करती है।

महसूद—पाकिस्तान की पश्चिमोत्तर सीमा पर निवास करनेवाली एक जनजाति।

माओरी—न्यूजीलैंड के निवासी।

मुंडा—छोटानागपुर (बिहार) एवं उड़ीसा में निवास करनेवाली एक जनजाति ।
मूर—अफ्रिका के उत्तरी हिस्से के निवासी, जो अरब-जाति के हैं ।
मैग्यार—हंगरी के निवासी ।
मोपला—मालाबार (बम्बई) जिले के निवासी, जो अरब-जाति के हैं ।
मोहॉक—उत्तरी अमेरिका के निवासी ।
यांकी—न्यू इंगलैंड स्टेट के निवासी ।
रेड-इण्डियन—उत्तरी अमेरिका की एक आदिम जाति ।
लैप—स्वीडन, नारवे और फिनलैंड के उत्तर लैपलैंड के मूल निवासी ।
वालून—बेलजियम के निवासी ।
शेरपा—नेपाल तथा तिब्बत की सीमा पर निवास करनेवाली एक जनजाति ।
संताल—छोटानागपुर और उड़ीसा की एक आदिम जाति ।
सोमोयेद—एशिया के टुण्ड्रा-क्षेत्र के मूल निवासी ।
स्लोवेन—युगोस्लाविया में पाई जानेवाली स्लाव-जाति के लोग ।
हॉटेण्टॉट—दक्षिण अफ्रिका की एक आदिम जाति ।
हो—छोटानागपुर (बिहार) की एक जनजाति ।
होवा—मडागास्कर द्वीप के निवासी ।

विभिन्न धर्मावलंबियों की संख्या

धर्मावलंबी			संख्या
क्रिश्चियन	...	...	८६,९९,२३,८२०
रोमन कैथोलिक	....	...	५२,७६,४३,०००
पूर्वी ऑर्थोडॉक्स	...	...	१२,९३,३०,२४९
प्रोटेस्टेण्ट	....	...	२१,२९,५०,५७१
यहूदी	....	...	१,२१,६९,३३०
मुस्लिम	....	....	४२,९०,६४,५००
जोरोष्ट्रियन	...	...	१,४०,०००
शिन्तो	...	...	५,००,००,०००
टाओइस्ट	...	....	५,००,५३,२००
कनफ्यूसियन	...	...	३०,०२,९०,५००
बौद्ध	...	....	१५,०३,१०,०००
हिन्दू	...	....	३२,९१,७९,०४०
आदिम जाति	...	....	१२,१५,५५,०००
अन्य	....	....	४८,०७,७१,६१०
		कुल योग	२,७९,३०,५२,०००

मुख्य भाषाएँ

(सर्वप्रमुख सात भाषाएँ)

भाषाएँ	बोलनेवालों की संख्या
मंडारिन (चीन)	४४,४०,००,०००
अँगरेजी	२७,५०,००,०००
रूसी (सोवियत रूस)	१५,६०,००,०००
हिन्दी (भारत)	१४,६०,००,०००
स्पेनिश (स्पेन)	१४,२०,००,०००
जर्मन (जर्मनी)	१२,००,००,०००
जापानी (जापान)	९,५०,००,०००

अन्य प्रमुख भाषाएँ

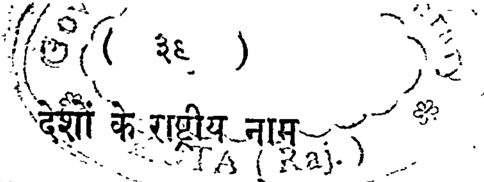
भाषाएँ	बोलनेवालों की संख्या
अजरबैजानी (रूस और ईरान)	५०,००,०००
अनामी (दे०—वीतनामी)	
अफ्रिकन (दक्षिण-अफ्रिका)	४०,००,०००
अम्हारिका (इथोपिया)	८०,००,०००
अरबी (अरब)	७,६०,००,०००
अलबानियन (अलबानिया)	२०,००,०००
अरमेनियन (अरमेनिया)	४०,००,०००
असमिया (भारत)	७०,००,०००
इगबो (या इबो) (पश्चिमी अफ्रिका)	४०,००,०००
इटालियन (इटली)	५,७०,००,०००
इबिबियो-एफिक (पश्चिमी अफ्रिका)	१०,००,०००
इलोकानो (फिलिपाइन्स)	२०,००,०००
इउ (पश्चिमी अफ्रिका)	१०,००,०००
उजबेक (सोवियत रूस)	७०,००,०००
उड़िया (भारत)	१,४०,००,०००
उमबुन्दू (अंगोला, अफ्रिका)	२०,००,०००
उयगुर (सिक्यांग, चीन)	३०,००,०००
उर्दू (पाकिस्तान, भारत)	५,१०,००,०००
एक्जोसा (दक्षिणी अफ्रिका)	३०,००,०००
एस्टोनियन (एस्टोनिका, सोवियत रूस)	१०,००,०००
एस्पेराण्टो (सहायक अन्तरराष्ट्रीय भाषा १८८७)	१०,००,०००
कज्जाक (सोवियत रूस)	४०,००,०००
कनारी (दे०—कन्नड)	
कन्नड (भारत)	१,६०,००,०००
कम्बोडियन (कम्बोडिया, एशिया)	३०,००,०००

भाषाएँ	बोलनेवालों की संख्या
कश्मीरी (भारत)	२०,००,०००
किम्बुन्दू (अंगोला, अफ्रिका)	१०,००,०००
किकुयू (केनिया, अफ्रिका)	१०,००,०००
किरगिज (सोवियत रूस)	१०,००,०००
कुरदिश (कॉस्पियन सागर के दक्षिण-पश्चिम)	५०,००,०००
कैटेलन (स्पेन, फ्रांस और अंडोरा)	५०,००,०००
कैंटेलन (या कैण्टोनीज) (चीन)	४,३०,००,०००
कोरियन (कोरिया)	३,३०,००,०००
क्वेचुआ (दक्षिणी अमेरिका)	६०,००,०००
खास्कुरा (नेपाल, भारत)	३०,००,०००
खेरवारी (भारत)	३०,००,०००
गांडा (या लुगांडा) (अफ्रिका)	२०,००,०००
गाला (इथोपिया)	३०,००,०००
गुआरानी (मुख्यतः पारागुए)	२०,००,०००
गुजराती (भारत)	२,००,००,०००
गौलिसियन (स्पेन)	२०,००,०००
गोंडी (भारत)	१०,००,०००
ग्रीक (ग्रीस)	८०,००,०००
चीनी (दे०—मँडारिन, कैण्टोनी, वू, मिन और हक्का)	
चुभाश (सोवियत रूस)	१०,००,०००
चेकोस्लोवाक (चेकोस्लोवाकिया)	६०,००,०००
जावानीज (जावा)	४,२०,००,०००
जुलू (दक्षिणी अफ्रिका)	३०,००,०००
जौर्जियन (सोवियत रूस)	१०,००,०००
टागालोग (फिलिपाइन्स)	८०,००,०००
ट्वीफेण्टी (पश्चिमी अफ्रिका)	२०,००,०००
डच (दे०—नेदरलैण्डी)	
ड्याक (बोर्नियो)	१०,००,०००
डेनिश (डेनमार्क)	५०,००,०००
ताजिकी (सोवियत रूस)	१०,००,०००
तमिल (भारत, लंका)	३,५०,००,०००
तिब्बती (तिब्बत)	७०,००,०००
तुर्कमान (सोवियत रूस)	१०,००,०००
तुर्की (टर्की)	२,३०,००,०००
तुलू (भारत)	१०,००,०००

भाषाएँ	बोलनेवालों की संख्या
तेलुगु (भारत)	३,६०,००,०००
मंगाला या लिंगाला (अफ्रिका)	१०,००,०००
नारवेजियन (नारवे)	४०,००,०००
नेदरलैंडिश (डच और फ्लेमिश)	१,७०,००,०००
न्यांजा (दक्षिण-पूर्व अफ्रिका)	१०,००,०००
पंजाबी (भारत-पाकिस्तान)	२,४० ००,०००
पश्तो (मुख्यतः अफगानिस्तान)	१,१०,००,०००
पुर्त्तगीज (पुर्त्तगाल)	५,४०,००,०००
पोलिश (पोलैंड)	३,३०,००,०००
प्रोवेंकल (दक्षिणी फ्रांस)	६०,००,०००
फारसी या पर्शियन (फारस)	२,००,००,०००
फिनिश (फिनलैंड)	४०,००,०००
फुला (पश्चिमी अफ्रिका)	६०,००,०००
फ्रेंच (मुख्यतः फ्रांस)	७,००,००,०००
फ्लेमिश (दे०—नेदरलैंडी)	
बँगला (भारत और पाकिस्तान)	७,६०,००,०००
बर्मीज (बर्मा)	१,४०,००,०००
बर्बर, बोलियों का समूह (उत्तरी अमेरिका)	—
बलगेरियन (बलगेरिया)	७०,००,०००
बलूची (ईरान और पाकिस्तान)	२०,००,०००
बहासा-इण्डोनेशिया (दे०—मलय)	
बाटक (इण्डोनेशिया)	१०,००,०००
बालिनीज (बाली)	४०,००,०००
बाश्किर (सोवियत रूस)	१०,००,०००
बिसाया (फिलिपाइन्स)	८०,००,०००
बगी (इण्डोनेशिया)	१०,००,०००
मराठी (भारत)	३,२०,००,०००
मलय (या बहासा-इण्डोनेशिया)	६,६०,००,०००
मलयालम (भारत)	१,५०,००,०००
मालागासी (मडागास्कर)	४०,००,०००
माकुआ (दक्षिण-पूर्व अफ्रिका)	१०,००,०००
मालिंके-बम्बारा-डियुला (अफ्रिका)	३०,००,०००
मिन (चीन)	३,६०,००,०००
मेसिडोनियन (युगोस्लाविया)	१०,००,०००
मैडुरीज (इण्डोनेशिया)	६०,००,०००

भाषाएँ			बोलनेवालों की संख्या
मोसी (पश्चिमी अफ्रिका)	...	...	२०,००,०००
मॉर्डनविन (सोवियत रूस)	...	...	१०,००,०००
यूक्रेनियन (मुख्यतः सोवियत रूस)	...	...	४,००,००,०००
योरुबा (पश्चिमी अफ्रिका)	...	....	४०,००,०००
राजस्थानी (भारत)	....	...	१,७०,००,०००
रुआण्डा (दक्षिणी और मध्य अफ्रिका)	...	...	६०,००,०००
रुण्डी (दक्षिण और मध्य अफ्रिका)	...	....	२०,००,०००
रूमानियन (रूमानिया)	...	...	१,७० ००,०००
लाओ (लाओस, एशिया)	....	...	१०,००,०००
लिंगला (दे० —नगला)			
लिथुआनियन (लिथुआनिया, सोवियत रूस)	....	...	३० ००,०००
लुगांडा (दे०—गांडा)			
लैटिवियन या लेटिश (लैटेविया)	...	....	२०,००,०००
वीतनामी (वीतनाम)	...	....	२,३०,०० ०००
वू (चीन)	...	...	३,६०,००,०००
वोल्गा टार्टार (सोवियत रूस)	...	....	३०,००,०००
श्वेत रूसी या ह्वाइट रशियन (मुख्यतः सोवियत रूस)		...	१,००,००,०००
सरबो-क्रोट (युगोस्लाविया)	...	....	१,६०,००,०००
सिंहल (लंका)	...	...	७०,००,०००
सिन्धी (भारत, पाकिस्तान)	....	...	५० ००,०००
सुंडानी (इण्डोनेशिया)	....	....	१,३० ००,०००
सोथो, उत्तरी (दक्षिणी अफ्रिका)	....	...	६०,००,०००
सोथो दक्षिणी (दक्षिणी अफ्रिका)	...	...	१०,००,०००
सोमाली (पूर्वी अफ्रिका)	....	...	३०,००,०००
स्यामी (स्याम—थाईलैंड)	...	...	१,६०,००,०००
स्लोवाक (चेकोस्लोवाकिया से पूरब)	...	....	३०,०० ०००
स्लोविनी (युगोस्लाविया)	...	...	२०,००,०००
स्वाहिली (पूर्वी अफ्रिका)	...	....	१,०० ००,०००
स्वेडिश (स्वीडन)	...	...	६०,००,०००
हंगेरियन या मग्यार (हंगरी)	...	....	१,[illegible]०,००,०००
हक्का (चीन)	...	....	१,६०,००,०००
हिब्रू	...	...	२०,००,०००
हौसा (पश्चिमी और मध्य अफ्रिका)	....	...,	१,३०,००,०००

★



देशों के राष्ट्रीय नाम

देश	राष्ट्रीय नाम	देश	राष्ट्रीय नाम
अबिसीनिया	इथोपिया	नारवे	नॉरगे
अस्ट्रिया	ऑस्टेरिच	पर्शिया (फारस)	ईरान
आयरिश फ्री स्टेट	आयर	पोलैंड	पोलास्का
इजिप्ट	मिस्र	फिनलैंड	सौमी
इण्डिया	भारत	बेलजियम	ल-बेलजिक
ग्रीस (यूनान)	हेलास	स्याम	थाईलैंड
चीन	चुंगकुओ	स्विट्जरलैंड	हेलविटा
जर्मनी	ड्युट्सलैंड	हंगरी	मेग्योरोजाग
जापान	निपोन	हालैंड	नेदरलैंड

देशों के राष्ट्रीय दिवस

देश का नाम		दिवस का नाम		तिथि
अफगानिस्तान	...	स्वतंत्रता-दिवस	...	२७ मई
अर्जेण्टाइना	...	स्वतंत्रता की घोषणा	...	६ जुलाई
अस्ट्रेलिया	...	अस्ट्रेलिया-दिवस	....	२६ जनवरी
आयरलैंड	....	राष्ट्रीय दिवस	....	१७ मार्च
इजराइल	...	स्वतंत्रता-दिवस	...	२७ अप्रैल
इटली	...	गणतन्त्र की स्थापना	...	१० जून
इण्डोनेशिया	....	स्वतंत्रता-दिवस	...	१७ अगस्त
कनाडा	...	परिसंघ (कान्फेडरेशन)	...	१ जुलाई
ग्रेटब्रिटेन	...	राजा या रानी का जन्म-दिवस		(अभी २१ अप्रैल)
चीन	...	गणतन्त्र-घोषणा	...	१ अक्टूबर
जापान	....	सम्राट् का जन्म-दिवस	...	(अभी ११ मार्च)
टर्की	...	गणतन्त्र की घोषणा	...	२६ अक्टूबर
डेनमार्क	...	राजा का जन्म दिवस	...	(अभी २६ अप्रैल)
थाईलैंड	...	राष्ट्रीय दिवस	...	२४ जून
नारवे	...	संविधान-दिवस	...	१७ मई
नेदरलैंड	...	राजा या रानी का जन्म-दिवस		(अभी ३० अप्रैल)
नेपाल	...	दशहरा-दिवस	...	सितम्बर-अक्टूबर
पाकिस्तान	...	पाकिस्तान-दिवस	...	१४ अगस्त
पेरू	...	राष्ट्रीय दिवस	....	२८ जुलाई
पोलैंड	...	राष्ट्रीय दिवस	...	२२ जुलाई
फिनलैंड	....	स्वतंत्रता की घोषणा	....	६ दिसम्बर

देश का नाम		दिवस का नाम		तिथि
फिलिपाइन्स	...	राष्ट्रीय दिवस	...	४ जुलाई
फ्रांस	....	वास्टिल किले पर आधिपत्य-प्राप्ति-दिवस	....	१४ जुलाई
वर्मा	...	स्वतंत्रता-दिवस	...	१४ जुलाई
बेलजियम	...	राष्ट्रीय दिवस	...	२१ जुलाई
ब्राजिल	....	स्वतंत्रता की घोषणा	...	७ सितम्बर
भारत	...	स्वतंत्रता-दिवस	...	१५ अगस्त
"	...	गणतन्त्र-दिवस	...	२६ जनवरी
मिस्र	...	स्वातन्त्र्य-युद्ध की वर्षगाँठ	...	१४ नवम्बर
मेक्सिको	....	स्वतंत्रता-दिवस	....	१६ नवम्बर
रूस	....	राष्ट्रीय दिवस	....	७ नवम्बर
श्रीलंका	...	स्वतंत्रता-दिवस	....	४ फरवरी
संयुक्तराज्य अमेरिका	....	स्वतंत्रता-दिवस	....	४ जुलाई
स्विट्जरलैंड	...	परिसंघ का स्थापना-दिवस	....	१ अगस्त

अन्तरराष्ट्रीय पुरस्कार

नॉबेल-पुरस्कार

यह विश्व-पुरस्कार स्वीडन के एक वैज्ञानिक आविष्कारक अलफ्रेड बरनार्ड नॉबेल द्वारा दिये गये ६० लाख पौंड के स्थायी कोष के ब्याज से प्रतिवर्ष उन विद्वानों को दिया जाता है, जो साहित्य, रसायन-शास्त्र, भौतिकशास्त्र, शरीर और औषध-विज्ञान तथा विश्व-शान्ति के कार्य-क्षेत्र में विश्व में सर्वश्रेष्ठ समझे जाते हैं। इस कोष का प्रबन्ध एक संचालक-मंडल द्वारा होता है, जिसके प्रधान को स्वीडन की सरकार चुनती है। यह पुरस्कार सन् १९०१ ई० से दिया जाना प्रारम्भ हुआ है। प्रत्येक पुरस्कार की रकम लगभग सवा लाख रुपये की है। साहित्य-विषयक पुरस्कार-विजेता का चुनाव स्वीडन की साहित्य-परिषद् (स्वेडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर) द्वारा तथा रसायन एवं भौतिकशास्त्र-विषयक पुरस्कार-विजेता का चुनाव स्वीडन की विज्ञान-परिषद् (स्वेडिश एकेडमी ऑफ साइन्स) द्वारा होता है। शरीर-विज्ञान और औषध-विज्ञान-विषयक पुरस्कार-विजेता का चुनाव स्टॉकहोम की कैरोलिस्का इन्स्टिट्यूट नामक संस्था करती है। शान्ति-पुरस्कार-विजेता का चुनाव नारवे की पार्लमेण्ट द्वारा चुने हुए पाँच व्यक्ति करते हैं। कभी-कभी एक पुरस्कार दो-दो, तीन-तीन विद्वानों में भी विभक्त हो जाता है और कभी उपयुक्त विद्वानों के न मिलने पर पुरस्कार नहीं भी दिया जाता है। भारतीय विद्वानों में साहित्य-विषयक पुरस्कार सन् १९१३ ई० में विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर को और भौतिकशास्त्र-सम्बन्धी पुरस्कार सन् १९३० ई० में श्रीचन्द्रशेखर वेंकट रमण को मिला था। गत आठ वर्षों के अन्दर कौन पुरस्कार कब किनको मिले, यह आगे दिया जाता है—

पुरस्कारों के नाम		विजेता		देश
		१९५५		
साहित्य	...	हैलडॉर किलजन लेक्सनेप	....	आइसलैंड
रसायन-शास्त्र	....	डॉ० विन्सेएट डूविगन्यूड	...	सं० रा० अमेरिका
भौतिकशास्त्र	...	१. डॉ० विलिस ई० लैंब	...	सं० रा० अमेरिका
	...	२. डॉ० पोलीकार्पकुश्च	...	सं० रा० अमेरिका
शरीर-विज्ञान और औषध-विज्ञान		डॉ० ह्यूगो थ्योरेल	...	स्वीडन
शान्ति	...	कोई नहीं		
		१९५६		
साहित्य	...	जुआन रैमोन जिमेनेज		पोर्टोरीको (जन्म स्पेन)
रसायन-शास्त्र	...	१. सर सिरिल एन० हिनशैलऊड	....	इंगलैंड
	...	२. प्रो० निकोलाइ एन० सेमेनोव	...	सोवियत रूस
भौतिकशास्त्र	...	१. प्रो० जान बारडीन	....	सं० रा० अमेरिका
	...	२. डॉ० वाल्टर एच० ब्रैटेन	....	,, ,,
	....	३. डॉ० विलियम बी० शौकले	...	,, ,,
शरीर-विज्ञान और औषध-विज्ञान		१. डॉ० डिकिन्सन डब्ल्यू० रिचार्ड्स		,, ,,
	....	२. डॉ० एराड्रे एफ० कोर्नेराड	...	सं० रा० अमेरिका (जन्म : फ्रांस)
	...	३. डॉ० वरनर फोर्समैन	...	पश्चिम जर्मनी
शान्ति	...	कोई नहीं		
		१९५७		
साहित्य	...	अलवर्ट कैमरा	...	फ्रांस
रसायन-शास्त्र	...	सर अलेक्जेण्डर टाड	....	इंगलैंड
भौतिकशास्त्र	....	१. डॉ० चेन निंग यांग	...	चीन
	...	२. डॉ० शुंग डाओ ली	...	,,
शरीर-विज्ञान और औषध-विज्ञान		डॉ० डेनियल वोवेट		इटली (जन्म : स्विट्जरलैंड)
शान्ति	....	लेस्टर बी० पियर्सन	....	कनाडा
		१९५८		
साहित्य	....	बोरिस पैस्टरनाक	....	रूस
रसायन-शास्त्र	....	डॉ० फ्रेडरिक सैंगर	....	इंगलैंड
भौतिकशास्त्र	....	१. पेवेल ए० चेरेनकोव	....	सोवियत रूस
	....	२. इगोर ई० टाम	....	,,
	....	३. इलिया एम्० फ्रैंक	....	,,

पुरस्कारों के नाम		पुरस्कार-विजेता		देश
शरीर-विज्ञान और औषध-विज्ञान		१. डॉ० जिओ डब्ल्यू० वीडल	....	सं० रा० अमेरिका
	....	२. डॉ० ई० एल० टाटुम	....	,,
	....	३. डॉ० जोशुआ सेडरबर्ग	....	,,
शान्ति	....	रेवरेण्ड डोमिनिक जॉर्ज पायर	....	बेलजियम
		१९५९		
साहित्य	....	सैलवेटोर क्वासीमोडो	....	इटली
रसायन-शास्त्र	....	प्रो० जैरोस्लाव हेरोवस्की	....	चेकोस्लोवाकिया
भौतिकशास्त्र	....	१. प्रो० ओवेन चैम्बरलेन	....	सं० रा० अमेरिका
	....	२. प्रो० एमिलियो सेगरे	....	सं० रा० अमेरिका
शरीर-विज्ञान और औषध-विज्ञान		१. प्रो० सेवेरी ओकावा	....	सं० रा० अमेरिका
	....	२. प्रो० ऑर्थर कौर्नबर्ग	....	सं० रा० अमेरिका
शान्ति	....	फिलिप जे० नोएल-बेकर	....	इंगलैंड
		१९६०		
साहित्य	....	एम्० एलेक्सिस सेण्ट लेजर (सेण्ट जॉन पर्सी)	....	फ्रांस
रसायन-शास्त्र	....	प्रो० विलार्ड एफ्० लिबी	....	सं० रा० अमेरिका
भौतिकशास्त्र	....	डोनाल्ड ए० ग्लेसर	....	,,
शरीर-विज्ञान और औषध-विज्ञान		१. प्रो० पिटर ब्रियन मेडावर	...	ग्रेट-ब्रिटेन
	...	२. मेकफरलेन बर्नेट	...	अस्ट्रेलिया
शान्ति	....	एलबर्ट जॉन लुथुली	...	दक्षिण-अफ्रिका
		१९६१		
साहित्य	...	ईवो एन्ड्रिक	...	युगोस्लाविया
रसायन-शास्त्र	...	प्रो० मेलविन कोलविन	...	कैलिफोर्निया
भौतिकशास्त्र	...	१. डॉ० रॉबर्ट हौफस्टैड	...	सं० रा० अमेरिका
	...	२. डॉ० रोडोल्फ मोसाबौर	...	प० जर्मनी
शरीर-विज्ञान और औषध-विज्ञान		जॉज वॉन बेकेसी	...	हंगरी
शान्ति	...	डैग हैमरशोल्ड (मृत्यु के पश्चात्)	...	स्वीडन
		१९६२		
साहित्य	....	जॉन स्टेइनबेक	...	सं० रा० अमेरिका
रसायन-शास्त्र	...	१. डॉ० जॉन काउडेरी केन्डिक		
भौतिकशास्त्र	...	प्रो० लेव जाविडोव लैण्डन	...	सोवियत रूस
शरीर-विज्ञान और औषध-विज्ञान		१. डॉ० जेम्स डिवी वाटसन	....	ग्रेट-ब्रिटेन
		२. डॉ० फ्रान्सिस हैरी कौम्पटन क्रिच		ग्रेट-ब्रिटेन
		३. डॉ० मॉरिस ह्यूज फ्रेडरिक विल्किन्स		ग्रेट-ब्रिटेन
शान्ति	...	नोबेल-पुरस्कार-प्रतिष्ठान (फाउण्डेशन)		

कलिंग-पुरस्कार

उड़ीसा के वर्त्तमान मुख्य मंत्री एवं प्रमुख उद्योगपति श्रीविजयानन्द पटनायक द्वारा दी गई धनराशि से १००० स्टर्लिंग पौंड का कलिंग-पुरस्कार सन् १९५२ ई० से प्रति वर्ष संसार के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक लेखकों को संयुक्त राष्ट्रसंघ के शिक्षा-विज्ञान एवं संस्कृति-संगठन (UNESCO) द्वारा दिया जाता है। सन् १९६२ ई० से वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फीचर-फिल्म पर भी २००० पौंड का पुरस्कार दिया जाने लगा है। पुरस्कार-विजेताओं की सूची निम्नांकित है—

वैज्ञानिक पुरस्कार

लुईडी ब्रोगली (फ्रांस)	१९५२	बर्ट्रांड रसेल (इंगलैंड)	...१९५७
डॉ० जूलियन हक्सले (ब्रिटेन) ...	१९५३	कार्लवोन फ्रिश (अस्ट्रिया)	...१९५८
डब्ल्यू० काएम्पफर्ट सं० रा० अमेरिका)...	१९५४	जीन रोस्टैंड (फ्रांस)	.. १९५९
डॉ० अगस्त पी० सुन्यर (वेनेजुएला)	१९५५	रिची कैल्डर (इंगलैंड)	...१९६०
प्रो० जी० गैमोव (सं० रा० अमेरिका)	१९५६	ऑर्थर जी० क्लार्क (इंगलैंड)	....१९६१

फीचर-फिल्म-पुरस्कार

इन दी वे ऑफ ह्वाइट बीयर्स' (पोलैंड) १९६२

लेनिन-शान्ति-पुरस्कार

कुस इटोन	संयुक्तराज्य अमेरिका	}	१९६०
डॉ० सुकर्णो	राष्ट्रपति इण्डोनेशिया	}	

जर्मन पुस्तक-व्यवसाय का शान्ति-पुरस्कार

यह पुरस्कार आधुनिक जर्मनी द्वारा दिया जानेवाला सबसे बहुमूल्य एवं सम्मानप्रद पुरस्कार है। सन् १९५० ई० से ही यह पुरस्कार अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर, जाति एवं राष्ट्र का विचार किये बिना, उन बुद्धिजीवी लेखकों को दिया जाता है, जिन्होंने अपने कार्य एवं आचरण द्वारा मानव-जाति की शांति के लिए योगदान किया है। सन् १९५४ ई० से पुरस्कार-प्राप्तिकर्त्ताओं के नाम दिये जा रहे हैं—

प्राप्तिकर्त्ता		*वर्ष*		*देश*
कार्ल जे बर्खार्ट	....	१९५४	....	स्विट्जरलैंड
हरमन हेसी	....	१९५५	....	जर्मनी
थौर्नटन वाइल्डर	....	१९५७	....	सं० रा० अमेरिका
कार्ल जेसपर्स	....	१९५८	....	जर्मनी
प्रो० थियोडोर हेस	....	१९५९	....	जर्मनी
विक्टर गोलाञ्ज	....	१९६०	....	ग्रेट-ब्रिटेन
डॉ० राधाकृष्णन्	....	१९६१	....	भारत
प्रो० डॉ० पॉल टिलिच	....	१९६२	....	पूर्व-जर्मनी (इस समय सं० रा० अमेरिका में)

संसार के सात महाश्चर्य

प्राचीन महाश्चर्य

(१) मिस्र का पिरामिड (निर्माण-काल ३५०० ई० पू० से ११०० ई० पू०)।

(२) बेबिलोन का झूलाबाग (६०० ई- पू० में राजा नेबूचादनेजार द्वारा लगाया गया)।

(३) इफेसस (रोम) में डायना का मन्दिर।

(४) ओलिम्पिया (ग्रीस) में जूपिटर की मूर्त्ति।

(५) रोड्स द्वीप में अपोलो (यूनान के सूर्य-देवता) की वृहदाकार मूर्त्ति। (इसे 'कोलोसस ऑफ रोड्स' कहा जाता था। यह मूर्त्ति २२४ ई० पू० में भूकम्प द्वारा नष्ट हो गई।)

(६) मौसोलस का मकबरा (३५२ ई० पू० में रानी अर्टेमिसिया द्वारा निर्मित। यह १२वीं से १५वीं शताब्दी के बीच भूकम्प द्वारा नष्ट हो गया।)।

(७) फेरॉस द्वीप का प्रकाश-स्तम्भ (यह अलेक्जेंड्रिया से कुछ दूर स्थित था और सन् १३७५ ई० के भूकम्प में नष्ट हो गया।)

अन्य प्राचीन महाश्चर्य

(१) चीन की लम्बी दीवार। ईसवी-सन् की तीसरी शताब्दी में निर्मित, लम्बाई १५०० मील; मुटाई १७ फुट; ऊँचाई १८ से ३० फुट तक।)

(२) आगरा का ताजमहल (ईसवी-सन् की १७वीं शताब्दी में शाहजहाँ द्वारा निर्मित)।

(३) मिस्र के करनाक का मन्दिर (३,५०० वर्ष पूर्व निर्मित; इसके केवल भग्नावशेष रह गये हैं।)।

(४) पीसा (इटली) की झुकी मीनार।

(५) कम्बोडिया का अंकोर (यह मन्दिरों का नगर था, जिसके खँडहर वर्त्तमान हैं।)

(६) कुस्तुनतुनिया (कौंस्टैंटिनोपुल) में सेंट सोफिया की मस्जिद।

(७) सेंट पिटर की बेसिलिका (यह संसार का सबसे बड़ा गिरजाघर है)।

आधुनिक महाश्चर्य

(१) बेतार का तार; (२) रेडियो, टेलिविजन और सिनेमा; (३) एक्स-रे और अल्ट्रा-वायलेट रेज; (४) रेडियम; (५) राडार और जेट-विमान; (६) अणु-बम; (७) अंतरिक्ष-रॉकेट।

प्रसिद्ध चित्रकला-भवन, संग्रहालय और पुस्तकालय

चित्रकला-भवन और संग्रहालय

१. नेशनल आर्ट गैलरी, लंदन—यहाँ सन् १८०० ई० तक के सभी प्रसिद्ध कलाकारों की मुख्य चित्र-रचनाएँ संगृहीत हैं। यह देश का सबसे बड़ा संग्रहालय है।

२. टाटे गैलरी, लंदन—यहाँ १८वीं सदी के आरम्भ से अबतक के चित्र और नक्शे संगृहीत हैं।

३. ब्रिटिश म्यूजियम, लंदन—यहाँ चित्रों, मूर्त्तियों और चित्रित पाण्डुलिपियों के उत्कृष्ट नमूने हैं। यहाँ भारतीय चित्र भी संगृहीत हैं।

४. विक्टोरिया ऐण्ड अलबर्ट म्यूजियम, लंदन—यहाँ मुख्यतः लघुचित्र, छोटी-छोटी कलात्मक वस्तुएँ और ऐतिहासिक अवशेष हैं। यहाँ भी भारतीय चित्र उपलब्ध हैं।

५. रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट, लंदन—यहाँ संसार के विभिन्न देशों के चित्र संगृहीत हैं।

६. मूसी-डू-लोडवरे, पेरिस (फ्रांस)—संसार के सुप्रसिद्ध चित्रों और मूर्त्तियों का संग्रहालय। यहाँ ग्रीस, रोम, मिस्र तथा पूर्वी देशों की उत्कृष्ट कला-कृतियाँ भी हैं।

७. मूसी डेस मोनुमेंट फ्रैंकेस, पैलेस-डी-चैलेट, पेरिस—यहाँ फ्रांस की वास्तुकला और मूर्त्तिकला के उत्तम नमूने हैं।

८. मूसी डेस आर्ट्स मॉडर्न, पेरिस—यहाँ फ्रांस की वर्त्तमान कलाकृतियों का संग्रह है।

९. वैटिकन म्यूजियम, वैटिकन सिटी (इटली)—यहाँ राफेल, माइकेल एंजेलो तथा अन्य जगत्-प्रसिद्ध कलाकारों के चित्र, मूर्त्तियाँ तथा पाण्डुलिपियाँ हैं।

१०. उफिजी गैलरी, फ्लोरेन्स (इटली)—यहाँ राफेल, बोटिसेली, लियोनारडो-डी-विन्सी आदि के चित्र संगृहीत हैं।

११. पिट्टी गैलरी, फ्लोरेन्स (इटली)।

१२. नेशनल म्यूजियम, फ्लोरेन्स (इटली)।

१३. बोरगीज गैलरी, रोम (इटली)।

१४. डूकल पैलेस, वेनिस (इटली)।

१५. ओल्ड प्लेस, फ्लोरेन्स (इटली)।

१६. कैसर-फ्रेडरिक म्यूजियम, बर्लिन (जर्मनी)—देश का सबसे बड़ा म्यूजियम।

१७. नेशनल गैलरी, बर्लिन (जर्मनी)।

१८. स्क्लोस म्यूजियम, बर्लिन (जर्मनी)।

१९. ड्रस्डेन म्यूजियम, ड्रस्डेन (जर्मनी)।

२०. रॉयल म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स, ब्रूसेल्स (बेलजियम)।

२१. स्टेट म्यूजियम, अम्सटरडम (नेदरलैंड)।

२२. मूजेओ डेल पैरेडो, मैड्रिड (स्पेन)।

२३. ट्रेटयाकोव स्टेट आर्ट गैलरी, मास्को (रूस)—इसमें ११वीं सदी से २०वीं सदी तक की रूसी कलाकृतियाँ संगृहीत हैं।

२४. हरमिटेज, लेलिनग्राड (रूस)।

२५. पुश्किन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट, मास्को (सोवियत रूस)।

२६. म्यूजियम ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न आर्ट, मास्को (सोवियत रूस)—यहाँ १९वीं सदी और २०वीं सदी के पूर्वार्द्ध के फ्रांसीसी चित्र संगृहीत हैं।

२७. इम्पीरियल हाउस-होल्ड म्यूजियम, टोकियो (जापान)।

२८. नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट, वाशिंगटन (सं० रा० अमेरिका)—१९४१ ई० में स्थापित।

२९. मेट्रोपोलिटन म्यूजियम, न्यूयार्क (सं० रा० अमेरिका)।

३०. म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यूयार्क (सं० रा० अमेरिका)—समकालीन चित्रों के लिए प्रसिद्ध।

३१. ह्विटनी म्यूजियम ऑफ अमेरिकन आर्ट्स, न्यूयार्क (सं० रा० अमेरिका)—यहाँ केवल आधुनिक कला-कृतियाँ संगृहीत हैं।

३२. एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स, पेनसिलवेनिया (सं० रा० अमेरिका)।

३३. कारनेगी इन्स्टिटट्यूट, पिट्सबर्ग (सं० रा० अमेरिका)।

३४. म्यूजियम ऑफ आर्ट, फिलाडेल्फिया (सं० रा० अमेरिका)।

३५. नेशनल गैलरी ऑफ कनाडा, ओटावा (कनाडा)।

३६. आर्ट गैलरी ऑफ टोरोण्टो (कनाडा)।

३७. पैलेस ऑफ फाइन आर्ट्स, मेक्सिको सिटी (मेक्सिको)।

३८. पैलेस म्यूजियम ऑफ दि फॉरबिड्न सिटी, पेकिंग (चीन)—चित्रकारी एवं बहुमूल्य पत्थरों के लिए प्रसिद्ध।

३९. हिस्टोरिकल म्यूजियम, सियान (चीन)—पुरानी कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध।

४०. म्यूजियम, संघाई (चीन)—ऐतिहासिक कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध।

४१. भारत-कला-भवन, वाराणसी।

४२. सालारजंग म्यूजियम, हैदराबाद।

४३. इण्डियन म्यूजियम, कलकत्ता।

४४. प्रिन्स ऑफ वेल्स म्यूजियम, बम्बई।

४५. विक्टोरिया एण्ड अलबर्ट म्यूजियम, बम्बई।

बड़े पुस्तकालय

पुस्तकालय के नाम	*स्थिति*	*पुस्तकों की संख्या*
लेनिन लाइब्रेरी	मास्को (सोवियत रूस)	१,१०,००,०००
साल्टिकोव-स्केड्रिन पब्लिक लाइब्रेरी,	लेनिनग्राड (सोवियत रूस)	६०,००,०००
ब्रिटिश म्यूजियम	लंदन (इंगलैंड)	५०,००,०००
बिबलियोथेक नेशनल	पेरिस (फ्रांस)	५०,००,०००
न्यूयार्क पब्लिक लाइब्रेरी	न्यूयार्क (सं० रा० अ०)	५०,००,०००
बिबलियोटेका नेजिओनेल सेंट्रल	फ्लोरेंस (सं० रा० अ०)	३४,००,०००
बिबलियोटेका नेजिओनेल सेंट्रल	नेपुल्स (इटली)	१३,३०,०००
ड्यूशे बूचेरी	लिपजिग (जर्मनी)	२०,००,०००
नेशनल बिबलियोथेक	वियेना (आस्ट्रिया)	१६,००,०००
बिबलियोटेका नेशनल	मैड्रिड (स्पेन)	१५,००,०००
युनिवर्सिटी लाइब्रेरी	एम्सटरडम (नेदरलैंड)	१५,००,०००
इम्पीरियल युनिवर्सिटी लाइब्रेरी	टोकियो (जापान)	१०,००,०००
नेशनल लाइब्रेरी	कलकत्ता (भारत)	१०,००,०००

महासागर और सागर

महासागर

नाम		क्षेत्रफल (वर्गमीलों में)		गहराई (फुट में)
प्रशान्त महासागर	....	६,७७,००,०००	...	३५,३४०
अटलांटिक महासागर	...	३,१८,००,०००	...	[illegible]०,२४६
भारतीय महासागर	...	२,८९,००,०००	...	२२,९६८
दक्षिणी (अंटार्कटिक) महासागर	...	७५,००,०००	...	१७,८५०
उत्तरी (आर्कटिक) महासागर	...	५५,४१,६००	....	१६,५००

सागर

नाम		क्षेत्रफल (वर्गमीलों में)	नाम		क्षेत्रफल (वर्गमीलों में
कोरल सागर	...	२५,००,०००	हडसन की खाड़ी	...	४,७०,०००
भूमध्यसागर	....	११,४५,०००	जापान-सागर	...	४,००,०००
कैरिबियन सागर	...	१०,४९,५००	अन्दमन-सागर	...	३,०८,१००
दक्षिण चीन-सागर	...	८,९५,४००	उत्तर सागर	....	२,२०,०००
बेरिंग सागर	...	८,७५,८००	कास्पियन सागर	....	१,६९,०००
मेक्सिको की खाड़ी	...	७,२०,०००	लाल सागर	...	१,६९,०००
ओखोटस्क सागर	...	५,८९,८००	काला सागर	...	१,६३,०००
पीत सागर	...	४,८०,०००	बाल्टिक सागर	...	१,६०,०००
पूर्वी चीन-सागर	...	४,८०,०००			

बड़े द्वीप

नाम		सागर		क्षेत्रफल (वर्गमीलों में)
अस्ट्रेलिया	...	प्रशान्त महासागर	....	२९,७३,५८०
ग्रीनलैंड	...	उत्तरी अटलांटिक महासागर	....	८,३९,७८२
न्यूगीनी	....	प्रशान्त महासागर	...	३,१०,०००
बोर्नियो	...	प्रशान्त महासागर	....	३,०३,९०६
मडागास्कर	...	भारतीय महासागर	...	२,४१,०९४
बैफिनलैंड	...	आर्कटिक महासागर	...	२,०१,६००
सुमात्रा	....	भारतीय महासागर	....	१,६४,१४८
फिलिपाइन द्वीप	...	प्रशान्त महासागर	....	१,१४,४००
न्यूजीलैंड (उत्तर और दक्षिण)		प्रशान्त महासागर	...	१,०३,९५४
ग्रेट-ब्रिटेन	....	अटलांटिक महासागर	....	८८,७४५
विक्टोरिया	....	आर्कटिक महासागर	....	८०,३४०
हौन्शू	....	प्रशान्त महासागर	....	८८,००९
सेलिबीज	....	प्रशान्त महासागर	....	७३,०००
एलेसमेयर	....	आर्कटिक महासागर	....	७७,३९२
जावा	....	प्रशान्त महासागर	....	४८,८४२

प्रमुख झीलें

नाम		महादेश		क्षेत्रफल (वर्गमीलों में)
सुपीरियर	....	उत्तरी अमेरिका	....	३१,८२०
विक्टोरिया-न्यांजा	....	अफ्रिका	....	२६,२००
अरल	....	एशिया	....	२४,४००
ह्यूरन	....	उत्तरी अमेरिका	....	२३,०१०
मिचिगन	....	उत्तरी अमेरिका	...	२२,४००
चाड	...	अफ्रिका	....	२०,०००
बैकाल	....	साइबेरिया	....	१३,३००
टैंगनिका	....	अफ्रिका	...	१२,७००
ग्रेटबीयर	....	उ० अमेरिका	...	१२,६००
ग्रेटस्लेव	....	उ० अमेरिका	...	११,१७०
न्यासा	....	अफ्रिका	....	११,०००
ईरी	....	उत्तर अमेरिका	....	६,६४०
विनिपेग	....	,,	...	६,३६८
अण्टेरियो	....	,,	...	७,५४०
लादोगा	....	यूरोप	...	७,१००
बालकश	...	एशिया	...	७,०५०

नदियाँ

नाम	सागर या खाड़ी, जिसमें गिरती है	लम्बाई (मीलों में)
मिसिसिपि-मिसौरी (सं० रा० अ०)	मेक्सिको की खाड़ी	४,२००
आमेजन (ब्राजिल)	अटलांटिक महासागर	४,०००
नील (मिस्र)	भूमध्यसागर	३,७००
ओबी (साइबेरिया)	उत्तरी (आर्कटिक) महासागर	३ २००
यांग-सिक्यांग (चीन)	प्रशान्त महासागर	३,१००
आमूर (साइबेरिया)	प्रशान्त महासागर	२,६००
कांगो (अफ्रिका)	अटलांटिक महासागर	२,६००
लीना (साइबेरिया)	आर्कटिक महासागर	२ ८६०
येनिसी (साइबेरिया)	आर्कटिक महासागर	२ ८६०
ह्वांगहो (चीन)	प्रशान्त महासागर	२,७००
नाइजर (अफ्रिका)	प्रशान्त महासागर	२,६००
मीकोंग (चीन)	दक्षिण चीन-सागर	२,६००
मेकेंजी (कनाडा)	आर्कटिक महासागर	२,५२५
वोल्गा (सोवियत रूस)	कास्पियन सागर	२,३२५
ब्रह्मपुत्र (भारत)	बंगाल की खाड़ी	१,८००
गंगा (भारत)	,,	१,५००
सिन्ध (भारत और पाकिस्तान)	अरब सागर	१,८००

जहाजी नहरें

नाम और देश	लम्बाई (मीलों में)	निर्माण-काल
सेंट लारेंस सी-वे (सं० रा० अमे० और कनाडा)	२४००	—
स्वेज (मिस्र)	१००	१८६६
वोल्गा (सोवियत रूस)	८०	—
अलबर्ट (बेलजियम)	८०	१६३६
कील (जर्मनी)	६१	१८६५
पनामा (अमेरिका)	५०	१६१४
गोटा (स्वीडन)	४७	१८३२
अक्सटरडम (नेदरलैंड)	४५	१८७६
एल्वे ऐरड ट्रेव (जर्मनी)	४१	—
हौस्टन (सं० रा० अमेरिका)	४३	१६१४
ब्यूमौरट (सं० रा० अमेरिका)	४०	१६१६
मैनचेस्टर (इंगलैंड)	३५½	१८६४
वौलैरड (कनाडा)	२७·६	१६३१
प्रिन्सेस जालिआना (नेदरलैंड)	२५	—
चेसापीक और डीलावेयर (सं० रा० अमेरिका)	१६	१६२७
कोरिन्थ (सं० रा० अमेरिका)	४	१८६३

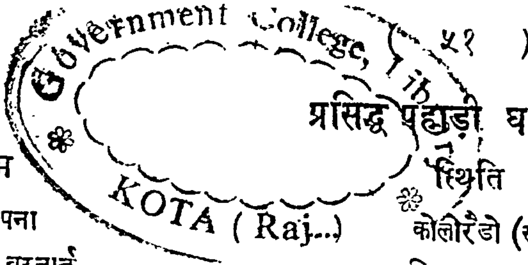
मुख्य जल-प्रपात

नाम	नदी	स्थिति	ऊँचाई (फुट में)
ऐंजेल	कैरोनी की शाखा	वेनेजुएला	३,३००
टुगेला	टुगेला	नेटाल (द० अफ्रिका)	३,११०
कुकेनाम	कुकेनामे	ब्रिटिश गायना	२,०००
सुदरलैंड	आॅर्थर	न्यूजीलैंड (दक्षिणी द्वीप)	१,६०४
रिबोन	क्रीक	कैलिफोर्निया (सं० रा०अमेरिका)	१,६१२
अपर योसेमाइट	योसेमाइट क्रीक	कैलिफोर्निया	१,४३०
गैवर्नी	गेव-डे-पॉ	फ्रांस	१,३८५
टक्काकी	योहो	ब्रिटिश कोलम्बिया	१,२००
विडोज टीयर्स (योसेमाइट)	मर्सीड	कैलिफोर्निया (सं०रा० अमेरिका)	१,१७०
स्टोबैक	स्टोबैक	स्विट्जरलैंड	६८०
ग्रोसोपा	सारावती	मैसूर (भारत)	६५०
मिड्ल कैसकेड	—	कैलिफोर्निया	८५०
मल्ट नोमाह	—	संयुक्तराज्य अमेरिका	८५०
किंग एडवर्ड सप्तम	कोरानटिनी	ब्रिटिश गायना	८४४
फेयरी	—	वाशिंगटन (सं० रा० अमेरिका)	७००

नाम	नदी	स्थिति	ऊँचाई (फुट में)
कालाम्बो	—	दक्षिण अफ्रिका	७०५
मैरेढैडफोज (स्कावक्जे फोन)	—	नारवे	६५०
टर्नी	वेलिनो	इटली	६५०
किंग जॉर्ज	—	दक्षिण-अफ्रिका	४५०
ग्वायरा	पराना	पारागुए (दक्षिण अफ्रिका)	३७४
स्प्लेण्डर ऑफ सन	—	जापान	३५०
विक्टोरिया	जाम्बेजी	दक्षिणी रोडेशिया (अफ्रिका)	३४३
हुण्ड्रू	सुवर्णरेखा	बिहार (भारत)	३२०
सेवेन फॉल्स	कोलोरैडो	कोलोरैडो (सं० रा० अमेरिका)	२६६
नियागरा	नियागरा	न्यूयार्क (सं० रा० अमेरिका)	१६७

पहाड़ों की ऊँची चोटियाँ

नाम	पर्वत-श्रेणी	स्थिति	ऊँचाई (फुट में)
एवरेस्ट	हिमालय	नेपाल-तिब्बत	२९,०२८
गॉडविन-ऑस्टिन	काराकोरम	कश्मीर	२८,२५०
कंचनजंघा	हिमालय	नेपाल-सिक्किम	२८,११६
लोत्से-१	हिमालय	नेपाल-तिब्बत	२७,८९०
मकालू	हिमालय	नेपाल-तिब्बत	२७,८२४
लोत्से-२	हिमालय	नेपाल-तिब्बत	२७,५६०
चो-ओयू	हिमालय	नेपाल-तिब्बत	२६,८६७
धौलागिरि	हिमालय	नेपाल	२६,८११
नागा पर्वत	हिमालय	कश्मीर	२६,६६०
मानसालू	हिमालय	नेपाल	२६,६५७
अन्नपूर्णा	हिमालय	नेपाल	२६,५०३
गोशेरब्रुम	काराकोरम	कश्मीर (भारत)	२६,४७०
गोसाईं थान	हिमालय	तिब्बत	२६,२९१
डिस्टेगिल	काराकोरम	कश्मीर (भारत)	२५,८६८
हिमालचुली	हिमालय	नेपाल	२५,८०१
नुप्सू	हिमालय	नेपाल-तिब्बत	२५,६८०
मशेरब्रुम	काराकोरम	कश्मीर (भारत)	२५,५६०
नन्दादेवी	हिमालय	भारत	२५,६४५
कोमोलोजो	हिमालय	नेपाल-तिब्बत	२५,६४०
रेखापोशी	काराकोरम	कश्मीर	२५,५५०
कॅमत	हिमालय	भारत-तिब्बत	२५,४४७
तिरिचमीर	हिन्दूकुश	पाकिस्तान	२५,२३०



प्रसिद्ध पहाड़ी घाटियाँ

नाम		स्थिति		ऊँचाई (फुट में)
अल्पिना		कोलोरैडो (सं० रा० अमेरिका)		१३,५५०
सेंट बरनार्ड	....	स्विस आल्प्स	....	८,१००
सेंट गोथार्ड	....	स्विस आल्प्स	....	६,९३९
सिम्पलोन	....	स्विस आल्प्स	....	६,५९५
बोलन	....	बलूचिस्तान	....	५,८८०
ब्रोनर	....	अस्ट्रियन आल्प्स	....	४,५८८
शिपकी	....	भारत-तिब्बत	....	४,३००
खैबर	....	अफगानिस्तान	....	३,८७३

प्रमुख ज्वालामुखी

जीवित

नाम		स्थिति		ऊँचाई (फुट में)
लासकर	....	चिली	...	१९,६५२
कोटोपैक्सी	...	इक्वेडर	....	१९,६१२
माउट रैंगेल	....	सं० रा० अमेरिका	...	१४,०००
मौनालोआ	....	हवाई द्वीप	...	१३,६७५
एरेबस	....	अण्टार्कटिक	...	१३,०००
निआरागोंगो	....	बेलजियन कांगो	...	११,५६०
इलियाम्ना	....	अल्युशियन द्वीप	...	११,०००
एटना	....	सिसिली द्वीप	....	१०,८००
चिल्लन	...	चिली	...	१०,५००
न्यामुरागिरा	....	बेलजियन-कांगो	....	१०,१५०
पैरीकुटिन	...	मेक्सिको	...	९,०००
असामा	...	जापान	....	८,२००
हेकला	...	आइसलैंड	...	५,१००
किलोई	...	हवाई द्वीप	...	४,०००
विसुवियस	...	इटली	...	३,७००
स्टॉम्बोली	...	लिपारी द्वीप, इटली	...	३,०००
एगोंग	...	वाली	...	—

सुप्त

नाम		स्थिति		ऊँचाई (फुट में)
लिउलैलाको	...	चिली	...	२०,२४४
डेमावेण्ड	...	ईरान	...	१८,६००
सिमेराओ	...	जावा	....	१२,०५०
हलकाकाला	...	हवाई द्वीप	....	१०,०३२

नाम		स्थिति		ऊँचाई (फुट में)
गुराटूर	...	जावा	...	७,३००
टौंगारिरो	....	न्यूजीलैंड	...	६,४५८
पिली	...	पश्चिमी हिन्द-द्वीप-समूह	....	४,४३०
काकातोआ	....	सुरडा मुहाना	...	२,६००
तू-शिमा	...	जापान	....	२,४८०
		मृत		
अकोंकागुआ	....	चिली और अर्जेंटिना	....	२२,९७६
चिम्बोराजो	...	इक्वेडर	...	२०,५००
किलिमंजारो	...	टैंगनिका	....	१९,३४०
ऐरिटसाना	...	इक्वेडर	....	१७,८५०
एलबुर्ज	....	काकेसस (रूस)	....	१८,५२६
पोपोकैटपेट्ल	...	मेक्सिको	...	१७,५४०
ओरिजावा	....	,,	...	१७,४००
फ्यूजियामा	...	जापान	....	१२,३९५

प्रमुख पर्वतारोहण

समय (ईसवी-सन)	पर्वतों के नाम	स्थिति	आरोहियों के नाम
१७८६	ब्लैंक	फ्रांस-इटली	एम० जी० पैकर्ड और जे० बलमट
१८११	जंगफ्रौ	स्विट्जरलैंड	जे० आर० ऐराड एच्० मेयर
१८६५	मैटरहॉर्न	स्विट्जरलैंड	ई० हिम्पर
१८६८	एलबुर्ज	काकेसस (रूस)	डी० डब्ल्यू० फ्रेसफील्ड, ए० डब्ल्यू० मूर, सी० सी० टक्कर
१८८०	चिम्बोरैंजो	इक्वेडर	ई० हिम्पर
१८८२	कूक	न्यूजीलैंड	डब्ल्यू० एस्० ग्रीन
१८८७	किलिमंजारो	टैंगनिका	मियर
१८९७	अकोंकागुआ	अर्जेंटाइना	एम्० जुर्ब्रिगेन
१८९७	सेंट-एलिआस	अलास्का (सं० रा० अमेरिका)	ड्यूक ऑफ एब्रुजी
१८९९	केनिया	केनिया	एच्० जे० मैकिराडर
१९०६	रुवेंजोरी	मध्य उ० अफ्रिका	ड्यूक ऑफ एब्रुजी
—	मैक् किनले	अलास्का (सं० रा० अमेरिका)	पारकर ब्रोनी
१९२५	लोगन	अलास्का	ए० एच्० मैककार्थी
—	इलाम्पू	बोलिविया	जर्मन-अस्ट्रियन आरोहण

समय (ईसवी सन्)	पर्वतों के नाम	स्थिति	आरोहियों के नाम
१९५०	अन्नपूर्णा	हिमालय	फ्रांसीसी आरोहण (मौरिस हरजोग के नेतृत्व में)
१९५३	एवरेस्ट	हिमालय	ब्रिटिश-आरोहण
१९५३	नागापर्वत	कश्मीर	अस्ट्रिया-जर्मनी-आरोहण
१९५३	नानकुम	जम्मू और कश्मीर	फ्रांसीसी आरोहण
१९५४	गॉडविन ऑस्टिन (काराकोरम)	हिमालय (भारत)	इटालियन आरोहण
१९५४	चो-ओयू	हिमालय-नेपाल	अस्ट्रियन आरोहण
१९५५	कंचनजंघा	हिमालय	चार्ल्स इवान के नेतृत्व में ब्रिटिश-आरोहण
१९५५	मकालू	नेपाल	फ्रांसीसी आरोहण
१९५६	लोत्से	नेपाल	स्विस-आरोहण
१९५६	मानसालू	नेपाल	जापानी आरोहण
१९६०	एवरेस्ट	हिमालय	चीनी आरोहण (उत्तर से)
१९६३	"	"	अमेरिकी आरोहण
१९६३	"	"	" (उत्तर और पश्चिम से)

प्रसिद्ध मरुभूमियाँ

नाम	देश	क्षेत्रफल (वर्गमील में)
सहारा	उत्तरी अफ्रिका	३५,००,०००
लीबियन मरुभूमि	उत्तरी अफ्रिका	६,५०,०००
अस्ट्रेलियन मरुभूमि	अस्ट्रेलिया	६,००,०००
अरब	अरब	५,००,०००
गोबी	मंगोलिया	५,००,०००
कलहारी	अफ्रिका	१,२०,०००
काराकुम	तुर्किस्तान	१,१०,०००
थार मरुभूमि	राजपूताना (भारत)	१,००,०००
किजिलकुम	मध्य तुर्किस्तान	७०,०००
अटकामा	चिली	७०,०००
मोजावे	सं० रा० अ० (कैलिफोर्निया)	१५,०००
कोलोरैडो	" "	३,०००

लम्बी रेलवे सुरंगें

नाम	स्थिति	लम्बाई (मीलों में)	निर्माण-काल
ईस्ट फिंचले-मॉर्डन	इंगलैंड	१७¼	—
त्रेन-नेविस	इंगलैंड	.१५	—
ठाना	जापान	१३½	—

नाम	स्थिति	लम्बाई (मीलों में)	निर्माण-काल
सिम्प्लोन	स्विट्ज़रलैंड-इटली	१२ १/४	१९०५
एपेनाइन	इटली	११ १/२	१९३४
सेंट गोथार्ड	स्विट्ज़रलैंड	९ १/४	१८८२
लोस्चबेग	स्विट्ज़रलैंड	९	—
मौण्ट सेनिस	इटली	८ १/२	१८७१
कास्केड	सं० रा० अमेरिका	७ ३/४	—
अर्लबर्ग	अस्ट्रिया	६ १/४	१८८४
मौफैट	सं० रा० अमेरिका	६	—
शिमज़ू	जापान	६	—
रिमुटाका	न्यूज़ीलैंड	५ १/२	—
रिकेन	स्विट्ज़रलैंड	५ १/४	—
ग्रेनचनवर्ग	स्विट्ज़रलैंड	५ १/४	—
टौरेन	अस्ट्रिया	५ १/४	—
कोले डी टेण्डा	इटली	५	—
कौनॉट	कनाडा	५	१९१६
ओटिरा	न्यूज़ीलैंड	५	—
रोंको	इटली	५	—
ह्युन्सटेम	स्विट्ज़रलैंड	५	—
नेहरू-बेनियाल	भारत	१ ३/४	—

ऊँचे बाँध

नाम	देश	ऊँचाई (फुट में)	नाम	देश	ऊँचाई (फुट में)
वैजोंट	इटली	८७०	शास्ता	सं० रा० अमेरिका	६०२
मोडवोइसिन	स्विट्ज़रलैंड	७८०	टिगनेस	फ्रांस	५९२
भाखरा	भारत	७४०	कराज	इरान	५९०
हूवर	सं० रा० अमेरिका	७२६	ग्रैण्ड	स्विट्ज़रलैंड डिक्सेन्स	५६४
ग्लेन कैनियन	सं० रा० अमेरिका	७१०	हंगरी हॉर्स	सं० रा० अमेरिका	५६४
कुरोवी	जापान	६३०	ग्रैंड कुली	—	५५०

बड़े बाँध

नाम	देश	जलधारण-शक्ति (१० लाख गैलन में)	ऊँचाई	निर्माण-काल	नदी
ह्यूम	अस्ट्रेलिया	४०,००,०००	१८०	१९३६	मर्रे
ग्रैण्डकॉली	सं० रा० अमेरिका	३१,३१,४२८	५५०	१९४१	कोलम्बिया
अस्वान	मिस्र	१७,३२,०००	१७२	१९३०	नील

नाम	देश	जलधारण-शक्ति (१० लाख गैलन में)	ऊँचाई	निर्माण-काल	नदी
कोगोटी	चिली	१० ८१,०००	२४८	१९३२	लिमारी
हूवर	सं० रा० अमेरिका	१०,००,०००	७२७	१९३६	कोलोरैडो
नीप्रोस्टोव	सोवियत रूस	६ ६८,०००	२००	१९३२	नीपर
वुरिनजुक	अस्ट्रेलिया	४,०८,०००	२४७	१९२७	मरे
मारथोन	ग्रीस	२,२६,१००	२००	१९३०	हरद्रा
मेटुर	दक्षिण भारत	२,००,०००	२३०	१९३४	कावेरी
कृष्णराज सागर	दक्षिण भारत	४३,६३४	—	—	—
निजाम सागर	दक्षिण भारत	२५,५६६	—	—	—
लॉयड बाँध	सिन्ध	२४,१६८	—	—	—

प्रमुख रेलवे प्लैटफार्म

नाम	देश	लम्बाई (फुट में)	नाम	देश	लम्बाई (फुट में)
स्टोरविक	स्वीडन	२,४७०	वेजवाडा	भारत	२,२१०
छपरा	भारत	२,४१५ से अधिक	मैनचेस्टर	—	
सोनपुर	भारत	२,४१५	विक्टोरिया एक्सचेंज	इंगलैंड	२,१९४
खड़गपुर	भारत	२,३३०	झाँसी	भारत	२,०२५
वुलावायो	रोडेशिया	२,३०२	कोटरी	पाकिस्तान	१,८६६
न्यू लखनऊ	भारत	२,२५०	मंडाले	वर्मा	१,७८८

बड़े पुल

नाम	देश	लम्बाई (वाटर-वे के फुट में)
लोअर जाम्वेजी	पूर्व अफ्रिका	११,३२२ फुट
स्टार्सस्ट्राम्सत्रोएन	डेनमार्क	१०,४९९ ,,
टे-पुल	स्कॉटलैंड	१०,२८९ ,,
सोन-पुल	भारत	९,८३९ ,,
गोदावरी	भारत	८,८८१ ,,
फोर्थ पुल	स्कॉटलैंड	८,२९१ ,,
रिओ-सलाडो	अर्जेण्टाइना	६,७०३ ,,
गोल्डेन गेट	संयुक्तराज्य अमेरिका	६,२६० ,,
रिओ-डुल्स	अर्जेण्टाइना	५,८६६ ,,
हार्डिंज	पाकिस्तान	५,३८४ ,,
विक्टोरिया जुबिली	कनाडा	५,३२५ ,,
मोएरडिज्क	नेदरलैंड	४,६९८ ,,
सिडनी बन्दरगाह	अस्ट्रेलिया	४,१२४ ,,

नाम		देश		लम्बाई (वाटर-वे के फुट में)
जैक्वेस कार्टियर	...	कनाडा	...	३,८०८ फुट
क्वीन्स बौरो	...	संयुक्त राज्य अमेरिका	...	३,७२० ,,
ब्र क्लीन	....	,, ,,	...	३ ४५१ ,,
टॉर्न	...	पोलैंड	...	३,२६१ ,,
क्यूबेक पुल	...	कनाडा	...	.,२०५ ,,

उच्च प्रासाद और मीनारें

नाम	स्थिति	महल	ऊँचाई (फुट में)
एम्पायर स्टेट (टी० पी० टावर-समेत)	न्यूयार्क	१०२	१,४७२
एम्पायर स्टेट	न्यूयार्क (सं० रा० अ०)	१०२	१,२५०
क्रिस्लर	न्यूयार्क (सं० रा० अ०)	७७	१,०४६
टोकियो टेलिविजन टावर	जापान	—	१,०३२
इफेल टावर	पेरिस (फ्रांस)	—	६८४
६०, वाल टावर	न्यूयार्क (° ० रा० अ०)	६७	६५०
बैंक ऑफ् मनहटन	न्यूयार्क (सं० रा० अ०)	७१	६००
आर० सी० ए०	न्यूयार्क (सं० रा० अ०)	७०	८५०
चेस-मनहटन	न्यूयार्क (सं० रा० अ१)	६०	८१३
ऊलवर्थ	न्यूयार्क (सं० रा० अ०)	६०	७६२
मास्को स्टेट यूनिवर्सिटी	(सोवियत संघ)	२८	७८७
पैलेस ऑफ कलचर	वारशॉ (पोलैंड)	३८	७५६
सिटी बैंक	न्यूयार्क (सं० रा० अ०)	५७	७४१
युनियन कारबाइड	न्यूयार्क (सं० रा० अ०)	५२	७२०
टर्मिनल टावर	(सं० रा० अ०)	. २	७०८
५०० फिफ्थ एवेन्यू	(सं० रा० अ०)	६०	७००
मेट्रोपोलिटन	न्यूयार्क (सं० रा० अ०)	५०	७००
चानिन टावर	(सं० रा० अ०)	५६	६८०
लिंकन	(सं० रा० अ०)	५३	६७३
इरविंग ट्रस्ट	(सं० रा० अ०)	५०	६५४
जेनरल इलेक्ट्रिक	(सं० रा० अ०)	५०	६४१
वालडोर्फ अस्टोरिया कैथेड्रल	न्यूयार्क (सं० रा० अ०)	४७	६२५
अलम कैथेड्रल	जर्मनी	—	५२६
कोलोन कैथेड्रल	—	—	५१२
सेंट जॉन दी डिवाइन	न्यूयार्क (सं० रा० अ०)	—	५००
रोएन कैथेड्रल	(फ्रांस)	—	४८५
स्ट्रॉसवर्ग कैथेड्रल	(जर्मनी)	—	४६८

नाम	स्थिति	महल	ऊँचाई (फुट में)
च्यॉप्स का पिरामिड	(मिस्र)	—	४५०
सेंट स्टेफेन्स	(वियना)	—	४४१

बड़े नगरों की जन-संख्या

शहर का नाम	देश	समय	जन-संख्या
टोकियो	जापान	१९६०	१,१३,७०,३९९
न्यूयार्क	सं० रा० अ०	१९६०	१,०६,९४ ६३३
लंदन	इंगलैंड	१९६०	८२,२२,३४०
संघाई	चीन	१९५९	७१,००,०००
कलकत्ता	भारत	१९६१	५५,५०,१९५
मास्को	सोवियत रूस	१९५९	५०,३२,०००
मेक्सिको	मध्य अमेरिका	१९६०	४६,३५,९७५
बम्बई	भारत	१९६१	४१,४६,४९१
पेकिंग	चीन	१९५७	४१,४०,०००
ब्युनिस-आयर्स	अर्जेण्टाइना	१९५९	३७,०३,०००
शिकागो	संयुक्तराज्य अमेरिका	१९६०	३५,११,६४८
बर्लिन	जर्मनी (पूर्व और पश्चिम)	१९५९	३४,२३,०००
साओपालो	ब्राजिल	१९५९	३३,००,०००
लेनिनग्राड	रूस	अनुमित १९५६	३१,७६,०००
तियेन्सिन	चीन	१९५७	३१,००,०००
राओडिजिनेरो	ब्राजिल	१९५७	२९,४०,४५
हांगकांग	चीन	१९५९	२८,५७,०००
पेरिस	फ्रान्स	१९५४	२८,५०,१८९
जकार्टा	इण्डोनेशिया	१९५४	२८,००,०००
काहिरा (कैरो)	मिस्र	१९५७	२८,००,०००
ओसाका	जापान	अनुमित १९५६	२६,३२,०००
लॉस एंजेल्स	कैलिफोर्निया	१९६०	२४,५०,०६८

देशों, प्रान्तों एवं नगरों के नामों में परिवर्त्तन

प्राचीन		नवीन	प्राचीन		नवीन
अंगोरा	—	अंकारा	पीपिंग	—	पेकिंग
ईस्ट इंडीज	—	इंडोनेशिया	पेट्रोग्राड	—	लेनिनग्राड
कौंस्टैंटिनोपुल	—	इस्ताम्बुल	फारमोसा	—	तैवान
कोरिया	—	चोसेन	बैंकौक	—	फेतचंद
क्रिश्चियाना (नारवे)	—	ओसलो	मंचू कुओ	—	मंचूरिया
क्वीन्स टाउन (आयरलैंड)		कौव	मेसोपोटामिया	—	इराक
गोल्डकोस्ट	—	घाना	रूस	—	सोवियत साम्यवादी गणतंत्र-संघ
निजनीनोव गोरैड	—	गोर्की	सैंडविच	—	हवाइयन

उच्चतम, बृहत्तम, महत्तम, दीर्घतम, न्यूनतम

सबसे बड़ा और अधिक जन-संख्यावाला महादेश	एशिया
सबसे ज्यादा उत्तर से दक्षिण तक विस्तृत भूमि	अमेरिका; उत्तर-दक्षिण आर्कटिक से अण्टार्कटिक महासागर तक
सबसे ऊँचा देश	तिब्बत (१६,००० फुट)
सबसे घनी आबादीवाला देश	चीन
सबसे घनी जन-संख्यावाला छोटा देश	मोनाको (यूरोप); ३३,८६८ प्रति वर्गमील
सबसे छोटा स्वतन्त्र राष्ट्र	वैटिकन सिटी, रोम (इटली), क्षेत्रफल १०६ एकड़
सबसे छोटा महाद्वीप	अस्ट्रेलिया
सबसे बड़ा द्वीप-समूह	इण्डोनेशिया
सबसे बड़ा प्रायद्वीप	भारत
सबसे बड़ा नगर	टोकियो (जापान)
सबसे उत्तर का नगर	हैमरफेस्ट, नार्वे (आर्कटिक वृत्त से २७५ मील उत्तर)
सबसे ऊँचा नगर	फारी, तिब्बत (१४,२०० फुट
सबसे बड़ी इमारत	पिरामिड (मिस्र)
सबसे विशाल भवन	वैटिकन (रोम)
सबसे बड़ा राजमहल	मैड्रिड (स्पेन) का राजमहल
सबसे बड़ा ऑफिस का मकान	पेण्टागॉन (सं० रा० अमेरिका); ३४ एकड़ में; इसमें ३२,००० आदमी काम करते हैं।
सबसे बड़ा कंक्रीट का मकान	ग्रैंड डिक्सेन्स (स्विट्जरलैंड)।
सबसे बड़ा गुम्बज	गोल गुम्बज (बीजापुर, भारत; १४४ फुट
सबसे लम्बा चर्च	अल्म-कैथेड्रल (जर्मनी); ५२६ फुट ऊँचा
सबसे विशाल चर्च	सेंट पिटर्स का चर्च (रोम)
सबसे लम्बी मूर्ति	स्वाधीनता की मूर्ति (न्यूयार्क, अमेरिका) एँड़ी से चोटी तक १११ फुट
सबसे बड़ा म्यूजियम	ब्रिटिश म्यूजियम, लंदन।
सबसे बड़ा थियेटर	ब्लैंक्टिा थियेटर (हवाना); ६,५०० व्यक्तियों के लिए स्थान
सबसे लम्बी दीवार	चीन की दीवाल (१,४०० मील लम्बी)
सबसे बड़ी वाटिका	एलोस्टोन, नेशनल पार्क (सं० रा० अमेरिका); ३,३५० वर्गमील।
सबसे बड़ा दूरवीक्षण-यंत्र	माउण्ट पेलोमर (कैलिफोर्निया, अमेरिका-वाला; व्यास २०० इंच

सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन	ग्रैंड सेण्ट्रल टर्मिनस, न्यूयार्क ; इसमें ४७ प्लैटफार्म हैं।
सबसे लम्बी रेलवे लाइन	ट्रान्स साइबेरियन रेलवे लाइन; रीगा से व्लाडिवोस्टक (सोवियत रूस, ६,००० मील)
सबसे लम्बा राजपथ	ब्रॉडवे (न्यूयार्क, अमेरिका)
सबसे ऊँचा हवाई अड्डा	लद्दाख (कश्मीर); १४,२३० फुट
हवाई जहाज की सबसे ऊँची उड़ान	८३,२३५ फुट
मुसाफिरवाले बैलून की सबसे ऊँची उड़ान	१,०२,००० फुट
सबसे गहरी खान	कोलार गोल्डफील्ड, मैसूर (लगभग १०,००० फुट गहरी)
सबसे गहरा सूराख	टेक्सास (सं० रा० अमेरिका) का एक तेल का कुआँ
सबसे बड़ी हीरे की खान	किम्बरली (दक्षिण अफ्रिका)
सबसे बड़ा हीरा	कुलिनन
सबसे बड़ा मोती	बेरेस्फोर्ड-होप (१,८०० ग्राम)
सबसे बड़ा घंटा	सारकोलो कोल, क्रेमलिन (मास्को), १८० टन।
सबसे ऊँचा वृक्ष	जैण्ट सेकुइया वृक्ष, हैम्बोल्ट स्टेट पार्क, कैलिफोर्निया, अमेरिका (३६८ फुट ऊँचा)
सबसे अधिक वर्षावाली एवं गीली भूमि	चेरापुंजी (आसाम); एक मास में ३६६ इंच
सबसे कम वर्षावाली भूमि	एरिका (चिली), २ इंच
सबसे ठंडा स्थान	बरखोयांस्क (साइबेरिया); शून्य से ६५° नीचे (फेरेनहाइट)
सबसे गरम स्थान	अजिजिया (लीबिया); १३६° फेरेनहाइट
सबसे बड़ा अन्तर्देशीय समुद्र	मेडिट्रेनियन सागर
सबसे खारा और सबसे छिछला समुद्र	डेड-सी
सबसे बड़ी स्वच्छ जलवाली झील	सुपीरियर (उत्तर अमेरिका)
सबसे बड़ी कृत्रिम झील	मीड (सं० रा० अमेरिका)
सबसे गहरी झील	बैकाल (साइबेरिया)
सबसे विशाल नदी	आमेजन (दक्षिण अमेरिका)
नदी द्वारा सिंचित सबसे बड़ा क्षेत्र	आमेजन का क्षेत्र; २७,२०,८०० वर्गमील
सबसे बड़ी जहाजी नहर	श्वेत सागर की नहर (रूस); १४० मील लम्बी
सबसे बड़ा जहाज	क्वीन एलिजाबेथ (८३,६७३ टन)
सबसे बड़ा ग्रह	बृहस्पति
सबसे बड़ी मरुभूमि	सहारा (अफ्रिका), क्षेत्रफल ३५,००,००० वर्गमील

सबसे ऊँचा जीवित ज्वालामुखी	कोटोपैक्सी (इक्वेडर); ऊँचाई १६,५५० फीट
सबसे बड़ा डेल्टा	सुन्दरवन (भारत); ८,००० वर्गमील
सबसे ऊँचा प्रकाश-स्तम्भ	बिशॉप रॉक (इंगलैंड); १४६ फीट ऊँचा
सबसे बड़ा चिड़ियाखाना	कौगर नेशनल पार्क (दक्षिण अफ्रिका)
सबसे लम्बा बाँध	हीराकुड बाँध (उड़ीसा, भारत); १५.८ मील
सबसे पुराना कंक्रीट का बाँध	आस्वान (मिस्र); १९०२ ई० में निर्मित
सबसे बड़ा कंक्रीट का बाँध	ग्रैंडकौली बाँध (सं० रा० अ०)
सबसे ऊँचा बाँध	मौयसिन (स्विट्जरलैंड); ७८० फीट
सबसे बड़ा होटल	कोनार्ड हिल्टन होटल (शिकागो)
सबसे बड़ा क्रीडांगण	स्ट्राहोव स्टेडियम (प्राग)



विभिन्न देशों में पेट्रोलियम का उत्पादन

(१,००० मेट्रिक टन में; १ मेट्रिक टन = २२०४.६ पौंड)

देश	१९५५	१९५९	१९६०	१९६१
अर्जेण्टाइना	४,४६६	६,७००	९,१४६	१२,५००
अलजीरिया	५९	१,२९५	८,५४२	१५,६३५
इण्डोनेशिया	११,७९०	१८,२१५	२०,५९२	२०,६००
इराक	३३,२०९	४१,७५०	४६,५००	४७,९००
ईरान	१६,०२५	४५,५७०	५२,०००	६०,०००
कनाडा	१७,४२६	२४,८७५	२५,८२७	३०,७००
कातर	५,४३८	८,१००	८,३००	८,३००
कुवैत	५४,७५६	६९,६३०	८०,६००	८१,५००
कोलम्बिया	५,७६८	७,५८१	७,८६४	७,५००
भारत	३००	४२०	४४९	५००
मेक्सिको	१२,५९९	१३,७००	१४,१२५	१५,२००
रूमानिया	१०,५७५	११,४३७	११,५५०	११,५८२
वेनेजुएला	१,१२,३७९	१,४६,५७३	१,४७,८६३	१,५१,०००
संयुक्तराज्य अमेरिका	३,३४,९३१	३,४७,१००	३,४७,१२१	३,५३,५००
सऊदी अरब	४७,५३५	५४,१६०	६१,५००	६६,०००
सोवियत रूस	७०,८००	१,२९,५००	१,४७,०००	१,६६,०००

विभिन्न देशों में जीवन-बीमा

(१० लाख प्रचलित मुद्राओं में)

देश	मुद्रा	१९४६	१९६०	१९६० के अमेरिकी डालर में	विनिमय-दर डालर = प्रचलित सिक्का
अस्ट्रेलिया	पौंड (अस्ट्रेलिया)	८३३	४,२००	९,३७०	२·२३१ = १
इटली	लीरे	९९,१००	२१,९२,६००	३,५३३	१ = ६२०·६
कनाडा	पौंड (कनाडियन)	११,०९५	४६,८६७	४७,०५५	१ = ०·९९६
ग्रेटब्रिटेन	पौंड (स्टर्लिङ्ग	४,८००	१३ ६५२	३८,२६७	२ ८ ३ = १
जर्मनी (प०)	न्यू स मार्क	——	६५,६१६	१५,७३१	१ = ४ १७१
जापान	येन	८६,२१०	६६,९७,४३६	१८,६२५	१ = ३५९·६
नेदरलैंड	गिल्डर्स	८,८७५	३२,६००	८,६४७	१ = ३ ७७०
फ्रान्स	न्यू फ्रैंक्स	२,१३७	५८,०००	११ ८२९	१ = ४ ९०३
बेलजियम	फ्रैंक्स	३९,१७१	१,९२,६४७	३,८७६	१ = ४९ ७०
भारत	रुपया	६,५१०	२२,८५०	४,७८७	१ = ४·७७३
सं० रा० अ०	डालर (अमे०)	१,७०,०६६	५,८६,४४८	५,८६,४४८	१ = १
स्विट्जरलैंड	फ्रैंक्स	६,७०६	१७,६९६	५,१११	१ = ४ ३०५
स्वीडन	कोनोर	८,१५४	३३,५५०	६,४७७	१ = ५·१८०



विश्व के विभिन्न देशों के कृषि-उत्पादन

गेहूँ

देश	क्षेत्रफल (१००० हेक्टर में) (१ हेक्टर = २,४७१ एकड़) औसत १९४८-५२	१९६०-६१	१९५९-६०	उत्पादन (१,००० मेट्रिक टन में) (मेट्रिक टन = २२०.६ पौंड) औसत १९४८-५२	१९५९-६०	१९६०-६१
अर्जेण्टाइना	४,४८७	३,५९९	४,३७८	५,१७५	५,८३७	३,९६०
अस्ट्रेलिया	४,६२०	५,४६३	४,९३७	५,१६१	५,४०२	७,४४९
इटली	४,७०५	४,५५६	४,६६५	७,१७०	८,४७१	६,८०३
कनाडा	१०,५१३	९,३८८	९,३३४	१३,४७२	११,२५४	१३,३२६
चीन	२३,२३४	—	—	१५,९१५	—	—
टर्की	४,७७०	७,८३१	७,६६६	४,७७१	७,९८७	८,५९०
पाकिस्तान	४,२१८	४,९३४	४,९२१	३,६८५	६,९१५	३,९३८
फ्रांस	४,२६४	४,३५८	४,४३९	७,७९१	११,५४४	११,०१४
भारत	९,२९०	१३,१६९	१२,६०२	६,२१८	९,९२९	१०,२५१
सोवियत रूस	४२,६३३	६०,३९३	६२,९९७	३५,७६७	६९,१०१	६३,६००
सं०रा०अमेरिका	२७,७५६	२१,००१	२०,९५५	३१,०६६	३०,५१२	३६,९३९
स्पेन	४,१६२	४,२४४	४,३७९	३,६२५	४,६४४	३,५२८

जौ

	क्षेत्रफल (१,००० हेक्टर में) (१ हेक्टर = २,४७१ एकड़) औसत			उत्पादन (१,००० मेट्रिक टन में) (१ मेट्रिक टन = २,२०४·६ पौंड) औसत		
देश	१९४८-५२	१९५६-६०	१९६०-६१	१९४८-५२	१९५६-६०	१९६०-६१
कनाडा	२,८७०	३,३५४	२,९७८	४,२८२	४,९११	४,५०८
ग्रेटब्रिटेन	८१८	१,२३७	१,३६६	२,०६०	४,०८१	४,३११
जर्मनी (पूर्वी)	२५९	३५४	३८९	५६२	१,०३९	१,२६९
जर्मनी (पश्चिमी)	५८४	९५१	९८०	१,३९७	२,८४३	३,२२१
जापान	९८२	८९३	८३८	२,०२०	२,३०८	२,२०१
टर्की	१,९७२	२,७५०	२,८३६	२,२७०	३,३००	३,७००
डेनमार्क	४९५	७५२	७५६	१,७०९	२,३३८	२,८०१
फ्रान्स	९५४	१,९८९	२,०८९	१,५३४	४,९३१	५,७०६
भारत	३,१२८	३,३२६	३,३७७	२,४३७	२,७१५	२,७१७
सोवियत रूस	८,४०७	९,६३१	१२,१४०	६,३५४	१०,१५०	१६,०२१
सं०रा०अमेरिका	४,०९५	६,०३७	५,६४१	५,८४२	९,१९६	९,३९०
स्पेन	१,५५७	१,४५२	१,४२८	१,९०९	२,०९२	१,५६२

धान

	क्षेत्रफल (१,००० हेक्टर में) (१ हेक्टर = २.४७१ एकड़) औसत			उत्पादन (१,००० मेट्रिक टन में) (१ मेट्रिक टन = २ २०४· ६पौंड) औसत		
देश	१९४८-५२	१९५६-६०	१९६०-६१	१९४८-५२	१९५६-६०	१ ६०-६१
इण्डोनेशिया	५,८७६	७,१५३	७,२८९	९,४४१	१२,४४१	१२,८१०
कोरिया (दक्षिण)	१,०५०	१,१२२	१,१३०	२,९२४	३,२५५	३,१२७
चीन (मुख्य)	२६,८१९	२९,७००	३१,५००	५८,१८८	८०,० ०	८५,०००
जापान	२,९९६	३ २८९	३,३०८	११,९९१	१५,६२६	१६,०७३
तैवान	७६२	७७६	७६६	१,६८२	२,३०८	२,३७८
थाईलैंड	५,२११	५,२१४	५,६७७	६,८४६	७,२५६	७,७९९
पाकिस्तान	९,००३	९,७४८	१०,०३८	१२,३९९	१४,४२४	१६,०५३
फिलिपाइन	२,३५०	३,३०६	३,१९८	२,७६७	३,७३९	३,७०५
बर्मा	३,७५८	४,०५५	४,१९७	५,४८१	६,८८०	६,७८९
ब्राजिल	१,९२७	२,९२६	३,१७९	३,०२५	४,९१५	५,३८४
भारत	३०,११५	३३,५१९	३३,७२४	३४,०११	४७,१९०	५१,३६१
संयुक्त अरब गणतंत्र	२५६	३०६	२९७	९७१	१,५३५	१,४८५
सं० रा० अमेरिका	७५२	६४२	६४५	१,९२५	२,४३३	२,४७६

मकई

देश	क्षेत्रफल (१,००० हेक्टर में) (१ हेक्टर = २.४७१ एकड़) औसत १६४८-५२	१६५६-६०	१६६०-६१	उत्पादन (१,००० मेट्रिक टन में) (१ मेट्रिक टन = २,२०४.६ पौंड) औसत १६४८-५२	१६५६-६०	१६६०-६१
अर्जेण्टाइना	१,६६६	२,४१५	२,७४४	२,५०६	४,१०८	४,८५०
इटली	१,२५३	१,१६३	१,१६०	२,३०६	३,·७६	३,८१६
इण्डोनेशिया	२,०२०	२,२६०	२,६३१	१,५३६	२, ६२	२,४८६
चीन	६,५००	६,६६०	—	१३,३४०	—	—
दक्षिण अफ्रिका-संघ	२,८१४	३,५३४	३,८१३	२,२६०	३,५६२	४,५१२
ब्राजिल	४,७८६	६,५८०	६,७८६	५,६१६	८,५५४	८,८६०
भारत	३,३४६	४,२३३	४,३५४	२,३१५	४,०७०	३,६७८
मेक्सिको	४,१०१	६,३२४	५,५५०	३,०६०	५,५६३	५,२००
युगोस्लाविया	२,२६४	२,५८०	२,५७०	३,०७८	६,६७०	६,१६०
रूमानिया	३,०८६	३,५५४	३,५७२	२,३६६	५,६८०	५,५३१
सोवियत (रूस)	४,३८५	८,७१०	११,२३६	६,००१	१२,०२०	१८,७०२
सं०रा०अमेरिका	३३,४६६	३३,१४४	३२,८६३	८१,६७१	१,०६,६१८	१०६,६१४
हंगरी	१,१६६	१,३५८	१,४०१	२,०६८	३,५५८	३,५०४

बाजरा

देश	क्षेत्रफल (१,००० हेक्टर में) (१ हेक्टर = २.४७१ एकड़) औसत १६४८-४६ —१६५२-५३	१६५६-६०	१६६०-६१	उत्पादन (१००० मेट्रिक टन में) (१ मेट्रिक टन = २,२०४.६ पौंड औसत १६४८-४६ – १६५२-५३	१६५६-६०	१६६०-६१
अर्जेण्टाइना	१८६	२०७	२०१	१५१	२४७	२६१
कोरिया	१६०	१५३	१४४	८२	५२	४८
जापान	११२	५८	५२	१२७	८६	८१
टर्की	७४	५८	५१	७८	५६	५७
दक्षिण रोडेशिया	२६७	—	—	१०२	१०६	—
पाकिस्तान	६१८	८०६	७४६	३४२	३२६	३०६
पोलैंड	६०	४२	४२	६१	५०	४८
भारत	१६,६०५	१८,२६५	१८,६४३	६,०२५	७,५७२	६,८३१
सूडान	३५२	१०,३६६	१,३६६	१८०	१३,१२	१,३१२
सोवियत रूस	३,५४०	२,७००	३,८००	१,७००	१,३००	३,२३०

आलू

देश	क्षेत्रफल (१,००० हेक्टर में) (१ हेक्टर = २.४६१ एकड़) औसत १९४८-५२	१९५९-६०	१९६०-६१	उत्पादन (१,००० मेट्रिक टन में) (१ मेट्रिक टन = २२०४·६ पौंड) औसत १९४८-५२	१९५९-६०	१९६०-६१
अस्ट्रिया	१६५	१७१	१८०	२,२७०	२,९४६	३,८०९
इटली	३९२	३८६	३७९	२,७३२	३,९७९	३,८२४
ग्रेटब्रिटेन	४९६	३३०	३३५	९,४४१	७,०२७	७,२७३
चीन	२,४५०	—	—	१२,३९०	—	—
जर्मनी पूर्वी	८१८	७७१	७७०	१३,१७४	१२,४३६	१४,८२१
जर्मनी पश्चिम	१,१५०	१,०५४	१,०४२	२४,२५२	२२,७२०	२४,५५८
जापान	२१०	२००	२०६	२,४५१	३,२५२	३,५९४
चेकोस्लोवाकिया	६२२	५८२	५६६	७,२५५	६,३३४	५,०९३
नेदरलैंड	८६	१४५	१४६	४,६७९	३,३१५	३,९०५
पोलैंड	२,५७१	२,७८८	२,८७६	२९,६४२	३५,६९८	३७,८५५
फ्रान्स	१,१२४	९७५	८८०	१३,७३४	१३,२६४	१४,८९४
भारत	२३६	३५७	३५८	१,६४७	२,६६६	२,६९९
रूमानिया	२३५	२९६	३००	१,७०३	२,९३१	३,०२२
सं० रा० अमेरिका	६६२	५४१	५५६	१०,६७९	११,१४९	११,६७७
सोवियत रूस	८,३९७	९,५४०	८१४४	८८,६१२	८६,५६१	८४,३७४
स्पेन	३५८	४००	३९५	३,३४८	४,५८८	४,६२०

कच्ची चीनी

(१,००० मेट्रिक टन में; वर्ष का आरम्भ सितम्बर से)

देश	औसत १९४८-५२	११५८-५९	१९५९-६०	१९६०-६१
अस्ट्रेलिया	९१३	१,४३५	१,३०९	१,४०५
इटली	६००	१,११६	१४,०६	९९६
क्यूबा	५,७८९	५,९६४	५,८६२	६,७६७
जर्मनी (पूर्व)	७०४	९२३	६१९	८८०
जर्मनी (पश्चिमी)	८२४	१,८७३	१,३८९	१,९५५
डोमिनिकन रिपब्लिक	५४२	८०९	१,११२	१,२५१
फिलिपाइन	८३०	१,३७२	१,३८७	१,३१७
फ्रांस	१,०८५	१,५६२	१,०५४	२,७२७
ब्राजिल	१,६४९	३,४४५	३,२६३	३,४५४
भारत	१,३०३	२,११९	२,६७५	३,२[illegible]७
मेक्सिको	७३३	१३७४	१,६२८	१,४७१
सोवियत रूस	२,७२८	६,१९५	५,९६७	६,९४६
सं० रा० अमेरिका	१,९२१	२.५२१	२,६८२	२,७९५

रुई

अमेरिकी १,००० चालू गाँठों में; अन्य १,००० गाँठों में (१ गाँठ = नेट ४७८पौं०)

देश	औसत			
	१९५५-५६	१९५८-५९	१९५९-६०	१९६०-६१
अर्जेएटाइना	५६०	५३०	४२५	५५०
ईरान	३००	३२५	३२०	४६०
चीन	७,०००	८,७००	८,५००	७,०००
टर्की	७३०	८२५	९००	८००
पाकिस्तान	१ .६०	१,२५०	१,४००	१,४००
पेरू	५००	५००	६५०	५६०
ब्राजिल	१,४८०	१,५५०	१,७००	१,९५०
भारत	४,१७०	४,२००	३,३००	४,६००
मिस्र	१,७४०	२,०६०	२,११०	२,२१०
मेक्सिको	२,१००	१,३५०	१,६५०	२,१००
युगाएडा	३१०	३३५	३००	३००
संयुक्तराज्य अमेरिका	१२,५५०	११,५००	१४,५५०	१४,४१०
सूडान	४६०	५९०	६००	५३०
सोवियत रूस	६,७६५	६,९००	७,३००	६,८००
स्पेन	१८०	१९०	२९०	३३०

प्राणी-शास्त्र-सम्बन्धी कुछ ज्ञातव्य बातें

विभिन्न जीवों का गर्भ-धारण-काल

जीवों के नाम		गर्भ-धारण-काल	जीवों के नाम		गर्भ-धारण-काल
ऊँट	—	१३ महीना	बिल्ली	—	२ महीना
ऊदबिलाव	—	४ महीना	भालू	—	६ महीना
कंगारू	—	१¼ महीना	भेड़	—	५ महीना
कुत्ता	—	२ महीना	भेड़िया	—	२ महीना
खरगोश	—	१ महीना	मनुष्य		९ महीना १० दिन (२८० दिन)
गाय	—	९ महीना	लोमड़ी	—	२ महीना
गिलहरी	—	१ महीना	सिंह	—	३¼ महीना
घोड़ा	—	११ महीना	सूअर	—	४ महीना
चूहा	—	२८ दिन	हाथी	—	२० से २२ मास
जिराफ	—	१४ महीना	ह्वेल	—	११ महीना
बकरी	—	५ महीना			

कुछ पशु-पक्षियों की औसत आयु

पशु-पक्षी	वर्ष
ऊँट	२०—२५
उल्लू	६—८
कंगारू	१०—१२
कछुआ	१२०
कबूतर	१०—१२
कुत्ता	१०—१२
कौआ	१००
खरगोश	६—८
गधा	१८—२०
गाय	६—१२
गिलहरी	८—६
गीध	१००
गौरैया	४०
घड़ियाल	३००—४००
घोड़ा	१५—२०
चीता	१५ २०
चील	३०
चूहा	२—३
जिराफ	१४—१६
तोता	१००
बकरी	१२—१५
बगुला	७०
बन्दर	१२—१५
बिल्ली	१०—१२
बुलबुल	१८
भालू	१५—२०
भेड़	१२
भेड़िया	१०—१२
मुर्गी	१४
मोर	२५
साँप	१०
सिंह	१०
सूअर	२५
हंस	२५—३५
हाथी	३०—४०
हिपोपोटेमस	३०
ह्वेल	५००

कतिपय पशु-पक्षियों की विशेषताएँ

सबसे लम्बा पशु	जिराफ
सबसे बड़ा पशु	अफ्रीकी हाथी
सबसे तेज उड़नेवाला पक्षी	स्विफ्ट (गति—प्रतिघंटा २०० मील)
कुत्ते की जाति में सबसे बड़ा चौपाया	भेड़िया
बिल्ली की जाति का सबसे बड़ा हिंसक जीव	सिंह
आकार में मनुष्य से मिलता-जुलता जीव	वनमानुष
समुद्री चिड़ियों में सबसे बड़ी चिड़िया	अल्बाट्रॉस (दक्षिणी समुद्र में पाई जानेवाली)
शीघ्रतमगामी पशु	चीता
सबसे बड़ा समुद्री जीव	नील ह्वेल
सबसे छोटी चिड़िया	हमिंग बर्ड (भन-भन शब्द करनेवाली एक प्रकार की चिड़िया)
सबसे बड़ी चिड़िया	शुतुरमुर्ग

सबसे ज्यादा जीनेवाला जीव	नील ह्वेल (५०० वर्ष)
सबसे चौड़ी मछली	हेलिबट
सबसे लम्बी गरदनवाला पशु	जिराफ
सबसे ज्यादा जीनेवाली चिड़िया	शुतुरमुर्ग
सबसे भारी चिड़िया	कोनडोर (दक्षिण-अमेरिका में पाया जानेवाला एक गृध्र)
सबसे बड़ा मानवाकार बन्दर	गोरिल्ला
वह चिड़िया, जो घोंसला नहीं बनाती	कोयल
पंखहीन चिड़िया	किवि (न्यू जीलैंड)
सबसे बड़ा कुत्ता	मास्टिफ
सबसे बड़ी छिपकिली	कोमोडो (लम्बाई १२ फुट, वजन २५० पौंड)

विभिन्न देशों का जन-स्वास्थ्य

खाद्य-आपूर्त्ति

विभिन्न देशों में प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय औसत भोजन की अनुमित ऊर्जा और प्रोटीन की मात्रा इस प्रकार है—

कैलोरी (भोजन के शक्ति-उत्पादन-मूल्य की इकाई)

	(संख्या-प्रतिदिन)		कुल प्रोटीन	(ग्राम-प्रतिदिन)
देश	१९५०-५१	१९५६-५७	१९५०-५१	१९५६-५७
अर्जेण्टाइना	३,१४०	२,९८०	१०२	९७
अस्ट्रेलिया	३,२८०	३,१९०	९७	८८
इटली	२,४३०	२,५७०	७७	७५
कनाडा	३,०१०	३,१४०	९०	९७
ग्रीस	२,५१०	२,६००	७७	८५
ग्रेट-ब्रिटेन	३,१००	३,२७०	८८	८४
चिली	२,४००	२,४९०	७३	७७
जर्मनी (पश्चिम)	२,८१०	३,०००	७६	७९
जापान	२,१००	२,२००	५४	६१
टर्की	२,५१०	२,६७०	८१	८८
पाकिस्तान	२,१६०	२,०४०	५४	४९
पुर्त्तगाल	२,४३०	२,५५०	६७	६९
फ्रान्स	२,७९०	२,९२०	८१	१०३
भारत	१,६३०	१,८५०	४५	५०
मिस्र	२,३४०	२,५६०	६९	७३
सं० रा० अमेरिका	३,१८०	३,१५०	९१	९५

मानव-जीवन-काल का औसत अनुमान

देश	ईसवी-सन् १९३०-३५ (स्त्री-पुरुष)	ईसवी-सन् १९५५-५६ स्त्री	पुरुष
इटली	५४ ६ वर्ष	६७·२ वर्ष	६३ ८ वर्ष
पोलैंड	४९·८ ,,	६७ ८ ,,	६१·८ ,,
फ्रांस	५६·७ ,,	७१·२ ,,	६५·० ,,
भारत	२६·७४ ,,	३१·६६ ,,	३२ ४५ ,,
स्वीडन	६४·३ ,,	७३ ४ ,,	७०·५ ,,
हंगरी	४९·८ ,,	४८·७ ,,	६४·७ ,,

जन्म और मृत्यु-दर

देश	वर्ष	जन्म-दर	मृत्यु-दर
अफ्रिका			
अल्जीरिया	१९५५	३१·५	१०·८
दक्षिणी-अफ्रिका-संघ	१९५७	२५·६	८·८
मिस्र	१९५३	४०·०	१८·४
अमेरिका			
कनाडा	१९६०	२६·८	७·८
कोस्टारिका	१९५७	५७ ५	१०·१
चिली	१९५७	३५ २	१२·०
मेक्सिको	१९५७	[illegible]७·१	१३·८
सं० रा० अमेरिका	१९६०	२३·६	९·५
एशिया			
चीन	१९५७	३४·०	११·०
जापान	१९५९	१७ ५	७·४
थाईलैंड	१९५५	३४·२	९·२
पाकिस्तान	१९५१	२१·२	११·९
बर्मा	१९५६	३५·९	२१·८
भारत	१९५७	२३·९	१२·४
लंका	१९५६	३६·४	९·८
ओसीनिया			
अस्ट्रेलिया	१९५९	२२·६	८·९
न्यूजीलैंड	१९५७	२४·९	९·३

देश	वर्ष	जन्म-दर	मृत्यु-दर
यूरोप			
अस्ट्रिया	[illegible]	१६·८	१२·७
आयरलैंड	१९५७	१९·८	१२·६
इटली	१९५७	१८·३	१०·०
ग्रेट-ब्रिटेन	१९५९	१६·९	११·७
जर्मनी (पश्चिम)	१९६०	१७·७	११·४
जर्मनी (पूर्व)	१९५७	१५·५	१२·८
चेकोस्लोवाकिया	१९५७	१९·७	९·९
डेनमार्क	१९५७	१६·८	९·३
नारवे	१९५७	१९·६	८·४
नेदरलैंड	१९६०	२०·८	७·६
पुर्त्तगाल	१९५७	२३·३	११·३
पोलैंड	१९५६	२७·९	९·०
फिनलैंड	१९५७	१९·८	९·४
फ्रान्स	१९६०	१७·९	११·४
वेलजियम	१९५७	१७·४	१२·५
वलगेरिया	१९५६	१९·५	९·४
युगोस्लाविया	१९५७	२३·५	१०·५
रूमानिया	१९५६	२४·२	९·९
रूस	१९५९	२५·०	७·६
स्पेन	१९५७	२१·२	७·९
स्विट्जरलैंड	१९५७	१७·७	१०·०
स्वीडन	१९६०	१३·६	१०·०
हंगरी	१९५७	१७·०	१०·५

वालकों की मृत्यु-दर

देश	वर्ष	दर	देश	वर्ष	दर
अल्जीरिया	१९५५	६३	चिली	१९५६	११२
अस्ट्रिया	१९५७	४४	जर्मनी (पश्चिम)	१९६०	३३·९
अस्ट्रेलिया	१९५९	२१·५	पोलैंड	१९५६	७१
आयरलैंड	१९५६	३६	फिनलैंड	१९५७	२८
इटली	१९५७	५०	फ्रांस	१९६०	२३·३
कनाडा	१९५९	२८·४	वर्मा	१९५६	१६७
कोस्टारिका	१९५६	९२	वलगेरिया	१९५६	७३
ग्रेट-ब्रिटेन	१९५९	२३·१	वेलजियम	१९५६	३५

देश	वर्ष	दर	देश	वर्ष	दर
भारत	१६५४	११४	पुर्त्तगाल	१६५७	८६
मिस्र	१६५३	१४६	युगोस्लाविया	१६५७	१०१
मेक्सिको	१६५६	६६	रूमानिया	१६५६	८२
जर्मनी (पूर्व)	१६५७	४६	रूस	१६५८	४ ·६
जापान	१६५८	३३·७	लंका	१६५६	६७
चेकोस्लोवाकिया	१६५६	३१	सं० रा० अमेरिका	१६६०	२५·६
डेनमार्क	१६५६	२५	स्पेन	१६५६	५२
द० अफ्रिका-संघ	१६५६	३१	स्विट्जरलैंड	१६५६	२६
नारवे	१६५६	२१·४	स्वीडन	१६६०	१६·६
नेदरलैंड	१६६०	१६·५	हंगरी	१६५६	५८
न्यूजीलैंड	१६५६	२३			



बड़े वैज्ञानिक आविष्कार

आविष्कार	ईसवी	आविष्कारकों के नाम	देश
अलुमिनियम	१८२७	वोह्लर	जर्मनी
आयरन-लंग	१६२८	फिलिप ऐराड शावड्रिंकर	सं० रा० अमेरिका
आइस-मेकिंग मशीन	१८५१	गोरु	सं० रा० अमेरिका
इंजन (ओटोमोबाइल)	१८७६	बॅज	जर्मनी
इन्ग्रेविंग हाफ-टोन	१८८३	इव्स	सं० रा० अमेरिका
इरिडगो सिन्थेटिक	१८८०	बेअर	जर्मनी
इलेक्ट्रिक आर्क-लाइट	१८०६	डैवी	इंगलैंड
इलेक्ट्रिक फैन	१८८७	हीलर	—
इलेक्ट्रिक लाइट, इन्कैण्डसेण्ट	१८७६	एडिसन	सं० रा० अमेरिका
एक्स-रे	१८६५	रोएनजेन	जर्मनी
एटॉमिक जेनरेटर	१६५१	यू० ए० सी० के वैज्ञानिक	सं० रा० अमेरिका
एटॉमिक बम	१६४५	सं० रा० अमेरिका के वैज्ञानिक	,,
ऐडिंग मशीन	१६४२	पैरकल	फ्रांस
एयर-प्लेन (आजमाइशी)	१८६६	लगले	सं० रा० अमेरिका
एयर-प्लेन हेलिकॉप्टर	१६१६	ब्रेनन	इंगलैंड
एस्प्रो	१६१५	जॉर्ज रिचार्ड निकोलस	इंगलैंड
ऑटोमोबाइल गैसोलिन	१८८७	डैमलर	जर्मनी
कैमरा (कोडक)	१८८८	ईस्टमैन	सं० रा० अमेरिका

आविष्कार	ईसवी	आविष्कारकों के नाम	देश
क्रीम-सेपरेटर	१८८७	डीलेवेल	स्वीडन
क्रेस्कोग्राफ	---	जगदीशचन्द्र वसु	भारत
क्रोनोमीटर	१७३५	जॉन हैरिसन	इंगलैंड
क्लॉक-पैण्डुलम	१६५७	ह्यूगेन्स	नेदरलैंड
गैस-बर्नर	१८५५	बुनसेन	जर्मनी
गैस-मैण्टल	१८८३	वेल्सबैच	अस्ट्रिया
गैस-लाइटिंग	१८८२	मरडॉक	स्कॉटलैंड
ग्रामोफोन	१८७७	बर्लनर	सं० रा० अमेरिका
चश्मा	१३१०	आर्मेटस	इटली
टाइप-राइटर	१८३८	शोल्स	सं० रा० अमेरिका
टेलिग्राफ (मैग्नेटिक)	१८३२	मोरसे	सं० रा० अमेरिका
टेलिफोन	१८७६	बेल	सं० रा० अमेरिका
टेलिफोन एम्प्लिफायर	१९१२	डीफोरेस्ट	सं० रा० अमेरिका
टेलिविजन	१९२६	बेयर्ड	स्कॉटलैंड
टेलिस्कोप (रिफ्रेक्टिव)	१२५०	रोजर बेकन	इंगलैंड
टेलिस्कोप (रिफ्लेक्टिंग)	१६८८	न्यूटन	इंगलैंड
टैंक (मिलिटरी)	१९१४	स्विण्टन	इंगलैंड
टॉकिंग मशीन	१८७७	एडिसन	सं० रा० अमेरिका
टॉरपीडो	१८७०	ह्वाइट लीड	इंगलैंड
टेलीविजन	१९२५	जे० एल्० बेयर्ड	स्कॉटलैंड
ट्रैक्टर (कैटरपिलर)	१९००	हॉल्ट	सं० रा० अमेरिका
डायनामाइट	१८६७	अल्फ्रेड नोबेल	स्वीडन
डायनेमो	१८३१	माइकेल फराडे	इंगलैंड
डिक्टाफोन	१८५५	सी० टेण्टर	सं० रा० अमेरिका
डीजेल इंजिन	१८९५	डीजेल	जर्मनी
थर्मामीटर	१७०१	र्यूमर	फ्रांस
थर्मामीटर (एयर)	१५९३	गैलिलियो	इटली
दियासलाई	१८५५	लैंडस्ट्रोम	स्वीडन
नाइलोन	१९३७	डूपोण्ट	सं० रा० अमेरिका
न्युमेटिक रबर-टायर	१८८८	डनलप	सं० रा० अमेरिका
पावर-लूम	१७८५	कार्टराइट	इंगलैंड
पियानो	१९०९	क्रिस्टोफर	इटली
पेण्डुलम	१५८१	गैलिलियो	इटली
पैराशूट	१७८३	लिनोरमैंड	फ्रांस
प्रिटिंग प्रेस रोटरी	१८४७	आर० हो०	सं० रा० अमेरिका
प्रिंटिंग (मूवेबुल टाइप)	१४४०	गुएटेनबर्ग	जर्मनी

आविष्कार	ईसवी	आविष्कारकों के नाम	देश
फाउण्टेनपेन	१८८४	वाटरमैन	सं० रा० अमेरिका
फोटो-कलर	१८६१	लिपमैन	फ्रांस
फोटो-ग्राफी	१८१४	नीप्से	फ्रांस
फोटो-फिल्म	१८८८	ईस्टमैन गुडविन	सं० रा० अमेरिका
बाइसिकिल (मॉडर्न)	१८८४	स्टारले	इंगलैंड
बैकेलाइट	१९०७	बाएकलैंड	सं० रा० अमेरिका
बैरोमीटर	१६४३	टोरिसेली	इटली
बैलून	१७८३	मॉण्ट गोलफियर-बन्धु	फ्रांस
मशीन-गन	१८६२	गैटलिंग	सं० रा० अमेरिका
माइक्रोफोन	१८७७	बर्लिनर	सं० रा० अमेरिका
मोटर-कार-पेट्रोल	१८८७	डैमलर	जर्मनी
मोटर-साइकिल	१८८५	डैमलर	जर्मनी
मोनोटाइप	१८८७	लनस्टोन	सं० रा० अमेरिका
मूवी-प्रोजेक्टर	१८९४	जेनकिन्स	सं० रा० अमेरिका
मूवी-मशीन	१८९३	एडिसन	सं० रा० अमेरिका
राइफल	१५२०	कोल्टर	जर्मनी
राडार	१९२२	टेलर और युंग	सं० रा० अमेरिका
रेयन	१८८३	स्वान	इंगलैंड
रिवॉल्वर	१८३०	कोल्ट	सं० रा० अमेरिका
रेकर्ड-डिस्क	१८८६	बर्लिनर	सं० रा० अमेरिका
रेडियम	१८९८	मैडम क्यूरी	फ्रांस
रेडियो	१८९५	मारकोनी	इटली
रेडियो ऐक्टिविटी	१८९६	बेक्वेरल	फ्रांस
रेडियो टेलिफोन	१९ ६	डॉ० फॉरेस्ट	सं० रा० अमेरिका
रेलवे (स्टीम)	१८२५	स्टेफेन्सन	इंगलैंड
लाइनो-टाइप	१८८४	मर्गेन्थलर	सं० रा० अमेरिका
लिथोग्राफी	१७९६	सेनेफेल्डर	जर्मनी
लैम्प-आर्क	१८७६	डेवी	इंगलैंड
लैंम्प-मरकरी-वेपर	१९१२	ह्यूविट	सं० रा० अमेरिका
लोकोमोटिव (फर्स्ट प्रैक्टिकल)	१८२९	स्टेफेन्सन	इंगलैंड
लोकोमोटिव (स्टीम)	१८०४	ट्रेविथिक	इंगलैंड
वाटर-प्रूफिंग (रबर)	१८२३	मकिनटोश	इंगलैंड
वायरलेस, टेलिफोन	१९०२	फेशनडेन	सं० रा० अमेरिका
वेल्डिंग इलेक्ट्रिक	१८७७	थॉम्सन	सं० रा० अमेरिका
सबमेरिन	१८९१	हॉलैंड	सं० रा० अमेरिका

आविष्कार	ईसवी	आविष्कारकों के नाम	देश
सिनेमा-स्कोप	१८३१	हेनरी क्रेटीन	फ्रांस
सिनेमेटोग्राफ	१८८६	फ्रीजी-ग्रीनी	इंगलैंड
सिनेमेटोग्राफ टॉकिंग	१६२७	एडिसन	सं० रा० अमेरिका
सीमेण्ट (पोर्टलैंड)	१८४५	आस्पडिन	इंगलैंड
सीने की मशीन	१८३०	थिमीनर	फ्रांस
सेक्सटैण्ट	१५६०	ब्राही	जर्मनी
सेफ्टी-पिन	१८४६	हण्ट	सं० रा० अमेरिका
सेलुलॉयड	१८६५	पार्कस	इंगलैंड
सोडा-वाटर	१६०७	थॉम्सन	इंगलैंड
स्टीम-इंजिन	१७६५	वाट	इंगलैंड
स्टीम-बोट	१८०७	फुलटन	सं० रा० अमेरिका
स्टील	१८५७	विस्मेयर	इंगलैंड
स्टील (स्टेनलेस)	१६१६	वियरली	इंगलैंड
स्पिनिंग जेनी	१७६०	हारग्रीव्स	इंगलैंड
स्पुतनिक	१६५७	रूसी वैज्ञानिक	सो० रूस
हाइड्रोजन-बम	१६५०	अणु-बम के वैज्ञानिक	सं० रा० अमेरिका
आणविक कैलेण्डर	१६६०	डॉ० लिबी	सं० रा० अमेरिका
बबुल-चैम्बर	१६६०	डॉ० ग्लेसर	सं० रा० अमेरिका

प्रसिद्ध दूरवीक्षण-यंत्र

नाम	आकार (इंच में)	वेधशाला
पैलोमर	२००	माउण्ट पैलोमर (कैलिफोर्निया, सं० रा० अ०)
माउण्ट विल्सन	१००	पैसाडेना (कैलिफोर्निया, सं० रा० अमेरिका)
डनलप	७४	रिचमोंडहिल (कनाडा)
डोमिनियन एस्ट्रो-फिजिकल	७२	विक्टोरिया बी० सी० (कनाडा)
पर्किन्स	६६	डेलावर (सं० रा० अमेरिका)
हार्वर्ड	६१	हार्वर्ड (सं० रा० अमेरिका)
ब्लोएमफौण्टेन	६०	दक्षिण-अफ्रिका
माउण्ट-विल्सन	६०	पैसाडेना (सं० रा० अमेरिका)
कोडोवा	६०	अर्जेण्टाइना
येर्क्स	४०	विलियम बे (सं० रा० अमेरिका)
लिक	३६	माउण्ट हैमिल्टन (कैलिफोर्निया)
पेरिस यूनिवर्सिटी	३२½	मेउडन (फ्रांस)
एस्ट्रो-फिजिकल	३१½	पोट्सडम (जर्मनी)
एलेगनी	३०	पिट्सबर्ग (सं० रा० अमेरिका)
बिस्कोफशीम	३०	नाइस (फ्रांस)
पौलकोवा	३०	लेनिनग्राड (रूस)



विविध ज्ञातव्य बातें

भोजन के कुछ आवश्यक तत्त्व तथा उनकी प्राप्ति के साधन

क्षार, खनिज, चिकनई, लवण आदि

तत्त्व	कार्य	प्राप्ति के कुछ प्रमुख साधन
प्रोटीन	पोषण करना; मांस बढ़ाना एवं उष्णता देना।	दाल, दूध, गोश्त, मछली, अंडे एवं तरकारियाँ।
स्टार्च (श्वेतसार)	शक्ति एवं उष्णता देना।	आलू, मूली, गाजर, शकरकंद, गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा, मकई, चीनी और गुड़।
चिकनई (फैट)	आवश्यक ताप और श्रम-शक्ति देना।	घी, मक्खन, तेल, चरबी।
खनिज लवण	पाचन-क्रिया में सहायता पहुँचाना, अस्थियों को मजबूत बनाना तथा रक्त को शुद्ध रखना।	अन्न, फल तथा साग-सब्जी।
कैलशियम	बच्चों की हड्डी बनाना, हृदय की क्रिया ठीक रखना, फेफड़े को स्वस्थ और मजबूत बनाना।	हरी तरकारियाँ, दाल, हरा साग, दूध, मोती का भस्म, आलू, सहिजन, सन्तरा, चौलाई, मेथी का साग, खजूर, अंजीर, अमरूद, कटहल, जामुन, किशमिश, इमली, बेर।
लोहा	रक्तवर्द्धन।	मेथी, बथुआ और पालक का साग; मुनक्का, अंजीर, अनार, मसूर, मटर, गोभी, गाजर, प्याज, चुकन्दर, इमली, अमरूद, सेव, केला, अंगूर, कटहल, आम, ताड़, पपीता और नासपाती।
फास्फोरस	हड्डी बनाना, शरीर और दिमाग को पुष्ट करना।	ककड़ी, गाजर, मूली, दूध, फल, गोभी, सेम, बिना छँटा चावल, गेहूँ, सेव, केला, मकोय, खजूर, अंजीर, कटहल, अमरूद, नींबू, नारंगी, ताड़, नासपाती, किशमिश, टमाटर, इमली, बेर, मांस, मछली और अंडा।
सलफर	रक्त-शोधन, चर्मरोग-निवारण।	मूली, प्याज, फूलगोभी, पातगोभी, लालगोभी, शलजम, टमाटर।

तत्त्व	कार्य	प्राप्ति के कुछ प्रमुख साधन
पोटाशियम	—	गाजर, पालक, टमाटर, प्याज ।
क्लोरिन	पाचन ।	पालक, बथुआ, टमाटर, केला ।
फ्लोरिन	नेत्रदोष-निवारण ।	लहसुन, प्याज, पालक, गोभी, चुकन्दर, कॉडलिवर ऑयल, अण्डे की जर्दी ।
ताँबा	पाचन-क्रिया में सहायता देना ।	गाजर, मूली, फूलगोभी, शलजम, प्याज, टमाटर, आलू, पालक ।
मैंगनीज	नपुंसकत्व-निवारण ।	गेहूँ का चोकर, चावल का कना ।
सोडियम	पाचन ।	सेंधा नमक, सोडा नमक, शाक, तरकारियाँ ।
मैगनेसियम	स्नायुओं को सशक्त बनाना ।	नींबू, अंजीर, ककड़ी, बादाम, पालक, मूली, पातगोभी, गेहूँ, अंडे की जर्दी ।
आयोडिन	कोषों को चैतन्य रखना, बालों का पोषण करना ।	ककड़ी, सेवार, झींगा मछली, काड-लिवर ऑयल, अनानास, लहसुन, सिंघाड़ा, कमलगट्टा, कसेरू ।
सिलिकन	बालों को बढ़ाना एवं उन्हें सुन्दर और दृढ करना ।	गेहूँ, जौ, अंजीर, गोभी, पालक, ककड़ी ।

विटामिन

विटामिन का अन्वेषण सन् १६१० ई० के लगभग सर फ्रेडरिक कोलैण्ड हॉपकिन्स ने किया । ये कई प्रकार के हैं, जिनका विवरण नीचे दिया जाता है—

विटामिन के नाम	कार्य	प्राप्ति के प्रमुख साधन
विटामिन ए	शरीर-पोषण, रोग-निवारण, नेत्रज्योति-वर्द्धन ।	दूध, दही, घी, मक्खन, मट्ठा, पालक, गोभी, टमाटर, मूली, गाजर, नींबू, आलू, चौलाई साग, धनिया की पत्ती, सहिजन, पपीता, खजूर, कटहल, आम, नारंगी, वेल, जानवरों की चरबी और यकृत् ।
विटामिन बी	पाचन-शक्ति बढ़ाना ।	बिना छँटा चावल, चोकरदार आटा, दाल, खमीर, बथुआ, पालक, टमाटर, मूली, गोभी, शलजम, प्याज, गाजर, करमकल्ला ।
विटामिन सी	रक्त-शोधन, दाँत और मसूढ़े को मजबूत करना ।	हरी पत्तीवाले साग, सन्तरा, नींबू खट्टा फल, अंकुरित गेहूँ और चना, प्याज, शलजम, अनानास, गाजर, अमरूद, पपीता, नासपाती ।

विटामिन के नाम	कार्य	प्राप्ति के कुछ प्रमुख साधन
विटामिन डी	हड्डी और मांसपेशियों को दृढ करना।	सूर्य-किरण, घी, दूध, मक्खन, अण्डे की जर्दी, मछली और मछली के यकृत् का तेल।
विटामिन ई	शुक्रदोष-नाशन, प्रजनन-शक्ति देना।	हरी पत्तीवाले साग, जैतून का तेल नारियल का तेल, नारियल, गेहूँ का चोकर, सलाद, मक्खन, सूखा मांस और दूध।
विटामिन जी	चमड़े का रूखापन दूर करना।	कोमल साग-तरकारियाँ, ताजा फल, मसूर, मटर, गेहूँ, हाथ-छँटा चावल, धारोष्ण दूध, ताजा मक्खन, अण्डा।

कागज के आकार

फुलसकैप—१७"×१३½"
डबल फुलसकैप—२७"×१७"
क्राउन—२०"×१५"
डबल क्राउन—[illegible]०"×[illegible]०"
डिमाई—२२"×१८" (२२½"×१७½" भी)
डबल डिमाई—२२"×३६" (२२½"×३५" भी)
रॉयल—२६"×२०" (२५"×२०" भी)
सुपर रॉयल—२७½"×२०½"
मीडियम—२३"×१८"
एटलस—३४"×२६"
इम्परर—७२"×४८" (सं० रा० अमेरिका में ४०"×६०")



विश्व के विभिन्न महादेश और देश

पृथ्वी का धरातल—यह पृथ्वी जल और स्थल दो भागों में बँटी है। इसका दो-तिहाई से अधिक भाग जल और एक-तिहाई से कम भाग स्थल है। किसी विद्वान् ने हिसाब लगाकर जल और स्थल का अनुपात ७०·८ और २९·२ माना है। समुद्र का क्षेत्रफल १४ करोड़ वर्गमील और स्थल का क्षेत्रफल ५ करोड़ ७० लाख वर्गमील है। सारे संसार की जनसंख्या सन् १९५५ ई० के अनुमान के अनुसार, २ अरब ५८ करोड़ ६० लाख है। समुद्र का आधा से अधिक भाग १२ हजार फुट से ३५ हजार फुट तक गहरा है। स्थल का सबसे ऊँचा भाग (हिमालय की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट) समुद्र-तल से २९,०२८ फुट ऊँचा है। भारत की प्राचीन पुस्तकों में सप्त समुद्र की बात लिखी है, परन्तु इस समय पाँच महासागरों की ही गणना की जाती है— प्रशान्त महासागर, अतलान्तिक महासागर, भारतीय महासागर, उत्तरी महासागर और दक्षिणी महासागर। पृथ्वी के जल-भाग के आधे में प्रशान्त महासागर और एक चौथाई में अतलान्तिक महासागर हैं। शेष एक चौथाई में अधिकांश में भारतीय महासागर और थोड़े-से भाग में उत्तरीय ध्रुव के चारों ओर का उत्तरी महासागर और दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर का दक्षिणी महासागर हैं।

यह पृथ्वी साधारणतः दो गोलार्द्धों में बाँटी जाती है। एक को पूर्वी गोलार्द्ध और दूसरे को पश्चिमी गोलार्द्ध कहते हैं। पूर्वी गोलार्द्ध में एशिया, यूरोप, अफ्रिका और अस्ट्रेलिया या ओसिनिया महादेश हैं तथा पश्चिमी गोलार्द्ध में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। पश्चिमी गोलार्द्ध की अपेक्षा पूर्वी गोलार्द्ध में स्थल-भाग अधिक है। फिर, यह भूमंडल भू-मध्य-रेखा द्वारा प्राकृतिक रूप से अन्य दो भागों में बाँटा गया है—उत्तरी गोलार्द्ध और दक्षिणी गोलार्द्ध। दक्षिणी गोलार्द्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्द्ध में स्थल-भाग अधिक है।

एशिया महादेश

यूरोप और एशिया महादेश एक प्रकार से मिले हुए हैं और इस सम्मिलित महादेश को 'यूरेशिया' कहा जाता है। यूराल पर्वतमाला और यूराल नदी एशिया को यूरोप से अलग करती है। एशिया संसार का सबसे बड़ा महादेश है। इसका विस्तार भू-पृष्ठ के एक तिहाई भाग में है और यहाँ संसार का दो-तिहाई जन-समूह निवास करता है। यह पूरब से पश्चिम ६,७०० मील लम्बा और उत्तर से दक्षिण ५,६०० मील चौड़ा है। यह १$\frac{1}{2}^\circ$ से ७२$\frac{1}{2}^\circ$ उत्तरीय अक्षांश और २६° से १७०° पूर्वी रेखांश तक फैला हुआ है। यह महादेश यूरोप के चौगुना से भी कुछ अधिक बड़ा है। यूरोप और अफ्रिका मिलकर या उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका मिलकर क्षेत्रफल में इसकी बराबरी कर सकते हैं। एशिया महादेश का समुद्री किनारा ४४ हजार मील लम्बा है। यह महादेश पाँच प्राकृतिक भागों में बँटा हुआ है—उत्तर-पश्चिम का समतल मैदान, बीच का पहाड़ी भाग, दक्षिण का समतल मैदान, दक्षिण का पहाड़ी भाग और दक्षिण-पूरब के द्वीप-समूह। रूस को छोड़कर इस महादेश का क्षेत्रफल १,६७,६७,४२९ वर्गमील और जनसंख्या १ अरब ४८ करोड़ १० लाख है। रूस और टर्की

एशिया एवं यूरोप दोनों महादेशों के अन्दर हैं, किन्तु दोनों के अधिकांश भाग एशिया में पड़ते हैं। रूस के साइबेरिया, रूसी तुर्किस्तान और कोहकाल-क्षेत्र एशिया के ही अंग हैं।

एशिया प्राचीन काल में सारी दुनिया के लिए सभ्यता और संस्कृति का केन्द्र-स्थल था। हिन्दू, ईसाई, इस्लाम, बौद्ध, जैन, कनफ्यूसियनिज्म, यहूदी, पारसी आदि धर्मों की उत्पत्ति यहीं हुई। प्राचीन मानव-वंश के अनुसार यहाँ मुख्यत: मंगोलियन काकेशियन और मलय-जाति के लोग हैं। चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड (स्याम) और तिब्बत के रहनेवाले मंगोल जाति के समझे जाते हैं। वर्मा, नेपाल और इण्डोनेशिया के वासी भी मंगोल के ही वंशज हैं। रूसी भी मंगोल ही माने जाते हैं। फारस और अफगानिस्तान के निवासी मुख्यतः काकेशियन हैं। काकेशियन को इंडो-यूरोपियन भी कहते हैं। भारत और अरब के निवासी काकेशियन हैं। गरम देश में रहने के कारण ये कुछ काले पड़ गये हैं।

राजनीतिक दृष्टि से एशिया को ६ भागों में बाँटा जाता हैं—(१) पश्चिमी एशिया, जिसे यूरोपवाले निकट-पूर्व (नियर ईस्ट) कहते हैं; (२) उत्तरी एशिया, जिसे रूसी एशिया भी कहा जाता है; (३) पूर्वी एशिया, जिसे यूरोपवाले सुदूरपूर्व (फार ईस्ट) कहते हैं; (४) हिन्द-चीन; (५) भारत और (६) भारतीय महासागर तथा प्रशान्त महासागर के टापू।

पश्चिमी एशिया में तुर्की (एशिया माइनर), इराक, लेबनान, इजरायल, सीरिया, अरब, ईरान (फारस या पर्शिया) और अफगानिस्तान देश हैं। पूर्वी एशिया के अन्दर चीन (दक्षिण मंगोलिया, मंचूरिया, चीनी तुर्किस्तान, तिब्बत-सहित), उत्तर मंगोलिया, कोरिया और जापान हैं।

हिन्द-चीन के अन्दर भारत और चीन के बीच का प्रायद्वीप आता है, जिसमें फ्रांसीसी हिन्द-चीन, थाईलैंड, मलाया, स्ट्रेट सेटलमेण्ट और बर्मा (ब्रह्मदेश) हैं। भौगोलिक दृष्टि से भारत के अन्दर भारत, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान की गिनती हो जाती है। भारत के निकटवर्ती द्वीपों में लंका, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सेलेबीज, न्युगीनी और फिलिपाइन द्वीपपुंज हैं।

अदन

यह दो भागों में विभक्त है—(१) अदन-उपनिवेश, और (२) अदन संरक्षित। दोनों भागों के लिए एक ही ब्रिटिश गर्वनर और कमाण्डर-इन-चीफ रहता है।

अदन-उपनिवेश

स्थिति—अरब प्रायद्वीप के दक्षिण-पश्चिम, अदन खाड़ी के तट पर; क्षेत्रफल—७५ वर्गमील; जनसंख्या—१,३८,४४१ (१९५५); राजधानी—अदन; गवर्नर और कमाण्डर-इन-चीफ—सर चार्ल्स जॉन्सटन (अक्टूबर १९६० से); शासन-स्वरूप—ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्य; मुख्य नगर—क्रेटर, शेख ओथमान, तावाही और माला।

वाबुलमंडब मुहाने से लगभग १०० मील पूर्व अरब के समुद्र-तट पर अदन एक ज्वालामुखीय प्रायद्वीप है। अदन-उपनिवेश के अन्तर्गत अदन, छोटा अदन, शेख ओथमान नगर, इमाद और हिसवा ग्राम तथा पेरिम और कुरिया-मुरिया द्वीप हैं। सन् १८३९ ई० में ब्रिटेन ने इसपर आधिपत्य जमाया। तब से सन् १९३२ ई० तक यह बम्बई प्रेसिडेन्सी का अंग माना जाता रहा। सन् १९३२ ई० में यह भारत-सरकार के अधीन चीफ कमिश्नर का प्रान्त बना। सन् १९३७ ई० में यह सीधे ब्रिटिश सम्राट् के अधीन शाही उपनिवेश बनाया गया तथा यहाँ के शासन के लिए

एक गवर्नर और कमाण्डर-इन-चीफ नियुक्त हुआ। इसकी सहायता के लिए एक कार्यपालिका समिति और एक विधान-समिति संगठित की गई। सन् १६५६ ई० में इनका पुनस्संगठन किया गया। सन् १६६१ ई० से कार्यपालिका-समिति के सदस्य मंत्री कहलाने लगे। पेरिम और कुरिया-मुरिया द्वापू एक-एक कमिश्नर की सहायता से सीधे गवर्नर द्वारा शासित हैं। अदन एक प्रसिद्ध बन्दरगाह और हवाई अड्डा है। यहाँ भी पेट्रोलियम की खान है।

अदन संरक्षित

स्थिति—अदन-उपनिवेश के पूरब, पश्चिम और उत्तर; क्षेत्रफल—१,१२,००० वर्गमील; जनसंख्या—६,५०,०००।

यह पूर्वी और पश्चिमी—दो क्षेत्रों में बँटा है। यहाँ ७ सुलतान, २ अमीर और १० शेख अपने-अपने क्षेत्रों में ब्रिटिश-सरकार के साथ हुई सन्धि के अनुसार शासन करते हैं। ये सब अदन-उपनिवेश के गवर्नर के प्रति उत्तरदायी हैं।

अफगानिस्तान

स्थिति—पश्चिम पाकिस्तान से पश्चिम; क्षेत्रफल—२,५०,००० वर्गमील; जन-संख्या—१,३०,००००० (१६५३); राजधानी—काबुल; मुख्य भाषाएँ—पश्तो और फारसी; धर्म—इस्लाम; सिक्का—अफगानी रुपया; बादशाह—मुहम्मद जहीरशाह (१६३३); प्रधान-मंत्री—डॉ० मुहम्मद युसुफ (६ मार्च, १६६३ ई० में) शासन-स्वरूप—संवैधानिक राजतन्त्र। मुख्य नगर—कन्धार, हेरात, मजारे-शरीफ, जलालाबाद।

अफगानिस्तान सात बड़े प्रान्तों और चार छोटे प्रान्तों में बँटा है। यहाँ की पार्लियामेंट के अन्तर्गत बादशाह, सिनेट एवं नेशनल एसेम्बली हैं। सिनेट के ५० और नेशनल एसेम्बली के १७१ सदस्य होते हैं। सिनेट के सभी सदस्य बादशाह द्वारा आजन्म मनोनीत किये जाते हैं। नेशनल एसेम्बली के सदस्यों का चुनाव होता है। इनके अतिरिक्त ग्रैण्ड एसेम्बली भी है, जिसकी बैठकें कभी काल किसी बहुत महत्त्वपूर्ण विषय पर विचार करने के लिए होती है। पिछली बैठकें सन् १६४१ और १६५५ ई० में हुई थीं। यहाँ का मुख्य शहर कंधार है, जिसका प्राचीन नाम गांधार था और जिसका उल्लेख महाभारत आदि ग्रंथों में हुआ है। यहाँ का मुख्य सामुद्रिक द्वार पाकिस्तान के अन्तर्गत कराची है। अतः, इस देश के व्यापार और यातायात की कुंजी पाकिस्तान के हाथ में है। पख्तूनिस्तान की स्वतन्त्रता की माँग तथा सीमा-संबंधी विवाद के कारण पाकिस्तान के साथ इसका दौत्य एवं वाणिज्य-संबंध विच्छिन्न हो गया था, जो जून, १६६३ ई० से पुनः स्थापित हो गया है। यह एक मुस्लिम राज्य है। राज्य के अधिकांश निवासी सुन्नी मुसलमान हैं। सन् १६३२ ई० में यहाँ काबुल-विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। सन् १६५६ ई० के राजीनामे के अनुसार रूस अफगानिस्तान के नव-निर्माण में सहायता पहुँचा रहा है। ६ मार्च, १६६३ को यहाँ के प्रधान मंत्री जेनरल मुहम्मद दाऊद खाँ ने ६ वर्ष के बाद त्याग-पत्र दे दिया।

अरब

अरब प्रायद्वीप एशिया के दक्षिण-पश्चिम भाग में लगभग १३ लाख ५० हजार वर्गमील में विस्तृत है। यहाँ की जन-संख्या लगभग सवा करोड़ है। अरब एक अधित्यका (प्लेटो) है, जो

पश्चिम से पूर्व की ओर ढालुआ है। इसमें कोई नदी या जंगल नहीं है। यह मुख्यतः एक मरुभूमि है, जिसमें जगह-जगह हरित भूमियाँ हैं।

सातवीं शताब्दी में मुहम्मद साहब ने सभी अरबों को एक संगठन-सूत्र में बाँधा तथा उनके बाद खलीफों ने एक विशाल साम्राज्य कायम किया, जिसकी राजधानी मदीना थी। आगे चलकर इस साम्राज्य की राजधानी दमिश्क और बगदाद हुई। किन्तु, मक्का और मदीना-जैसे तीर्थ-स्थलों के कारण इसका महत्त्व सदैव बना रहा। १६वीं और १७वीं सदी में अरब के अधिकांश भाग पर तुर्कों ने नाम-मात्र का अपना शासन कायम किया। १८वीं शताब्दी के मध्य में यह कई राज्यों में विभक्त हो गया। १९वीं शताब्दी में स्थानीय शासक से समझौता कर अँगरेजों ने इसके दक्षिणी एवं पूर्वी तटों पर अपना शासन कायम किया। यहाँ की मिट्टी-तेल की खानों तथा फिलस्तीन के साथ हुए झगड़े के कारण द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद इसकी प्रमुखता बढ़ गई। इस समय यह निम्नांकित ९ राज्यों में विभक्त है—(१) सऊदी अरब; (२) कुवैत; (३) बहरीन द्वीपपुंज; (४) कातर; (५) ट्रूशियल कोस्ट; (६) ओमान और मुसकैत; (७) अदन-उपनिवेश; (८) अदन संरक्षित राज्य और (९ यमन।

(१) **सऊदी अरब**—इसका विवरण पृथक् दिया गया है।

(२) **कुवैत**—यह इराक और सऊदी अरब के बीच फारस की खाड़ी के किनारे एक स्वतंत्र अरब राज्य है। इसका क्षेत्रफल ८,००० वर्गमील, जन-संख्या २,४०,००० और राजधानी कुवैत है। यहाँ संसार-प्रसिद्ध तेल की खानें हैं। यहाँ का शासक शेख अब्दुल्ला है। सन् १९६० ई० में यहाँ की खानों से ८४ लाख टन पेट्रोलियम निकाला गया था।

(३) **बहरीन-द्वीप-पुंज**—यह द्वीप-पुंज फारस की खाड़ी के पास ग्रेट-ब्रिटेन के संरक्षण में स्वतंत्र है। इसका क्षेत्रफल २३१ वर्गमील, जनसंख्या १,२५,००० तथा राजधानी मानामाह है। यहाँ पेट्रोलियम की खानें हैं।

(४) **कातर**—यह फारस की खाड़ी के किनारे एक छोटा-सा प्रायद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल ८,५०० वर्गमील और जनसंख्या ३० हजार है। यह ब्रिटिश संरक्षण में एक शेख द्वारा शासित होता है। यहाँ का वर्त्तमान शासक शेख अहमद-बिन अली-बिन अब्दुल्ला अलकानी है। इसकी राजधानी डोहा है। सन् १९६० ई० में यहाँ की खानों से ८३ लाख टन पेट्रोलियम निकाला गया।

(५) **ट्रूशियल कोस्ट**—यह फारस और ओमान की खाड़ियों के बीच स्थित है। यहाँ का क्षेत्रफल ३२,२७८ वर्गमील और जनसंख्या ८० हजार है। यह सात अर्ध-स्वतंत्र शेखों द्वारा शासित होता है और सन् १८९२ ई० में ब्रिटेन के साथ हुई सन्धियों के अनुसार कोई शेख यहाँ की भूमि का कोई भी भाग किसी दूसरे राष्ट्र को नहीं दे सकता।

(६) **ओमान और मुसकैत**—यह अरब-सागर के किनारे अरब के दक्षिण-पूरब भाग में स्थित है। यहाँ का क्षेत्रफल ८२,००० वर्गमील और जनसंख्या ५,५०,००० १९५१) है। १९वीं सदी से यह ब्रिटेन के संरक्षण में है। यहाँ का सुलतान सैयद-बिन तैमूर है।

(७) **अदन-उपनिवेश**—इसका विवरण अन्यत्र दिया गया है।

(८) **अदन संरक्षित**—इसका विवरण अलग दिया गया है।

(९) **यमन**—इसका विवरण अलग दिया गया है।

इज़राइल

स्थिति—एशिया महादेश के भूमध्यसार, लेबनान, जॉर्डन और मिस्र देश से घिरा; क्षेत्रफल—७,९९३ वर्गमील; जनसंख्या—२१,५०,००० (१९६१); राजधानी—जेरुसलम; भाषा—हिब्रू और अरबी, धर्म—यहूदी ; सिक्का—इजराइली पौंड; राष्ट्रपति—जैमन शाजार (मई, १९६३ से); प्रधानमंत्री—लेवी स्कॉल (१९६३ से); शासन-स्वरूप—गणतंत्र। मुख्य नगर—हैफा, तेलअवीव, जाफा।

यहूदी-जाति एशिया के प्राचीन देश फिलस्तीन (पैलेस्टाइन) में अरबों के साथ ईसा के हजार वर्ष पूर्व से रहती थी। ईसा के ७० वर्ष बाद रोमन लोगों ने इन्हें जीतकर तितर-बितर कर दिया। इधर यहूदी लोग बहुत दिनों से अपने एक देश के निर्माण के लिए आन्दोलन करते आ रहे थे। ग्रेट-ब्रिटेन ने सन् १९१७ ई० में ही इसके सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया था। १४ मई, १९४८ ई०, को यहूदियों ने राष्ट्रीय कौंसिल में पैलेस्टाइन के अधिकांश इजराइल को यहूदियों का देश घोषित कर दिया। इसपर अरब-राष्ट्रों ने चढ़ाई कर दी, किन्तु संयुक्त राष्ट्रसंघ के हस्तक्षेप करने पर उन्हें हटना पड़ा। पैलेस्टाइन के दो भाग कर दिये गये—इजराइल और अरब-राज्य। जेरुसलम का शासन संयुक्त राष्ट्रसंघ के गवर्नर के अधीन रहा। इजराइल संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य हुआ। यहाँ की पार्लियामेण्ट का एक ही सदन है, जिसके १२० सदस्य हैं। वही यहाँ के राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। यह कृषि-प्रधान देश है।

इण्डोनेशिया

स्थिति—एशिया महादेश का पूर्वी द्वीप-समूह; क्षेत्रफल—७,३५,८६५ वर्गमील; जनसंख्या—९,५८,८९,००० (१९६१); राजधानी—जकार्त्ता ; भाषा—बहासा-इण्डोनेशिया ; धर्म—मुस्लिम; राष्ट्रपति—डॉ० सुकार्णो (१९४५ से); जुलाई १९५९ ई० से प्रधानमंत्री भी; शासन-स्वरूप—गणतन्त्र।

संयुक्तराज्य इण्डोनेशिया का विधिवत् उद्घाटन १ जनवरी, १९५० ई०, को किया गया। यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप-समूह है। इसमें पूर्वी द्वीप-समूह (ईस्ट-इण्डीज) के जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सिलेबिज, बाली आदि द्वीपों के अतिरिक्त करीब ३,००० छोटे-छोटे द्वीप सम्मिलित हैं। यहाँ के अधिकांश बड़े द्वीप प्राचीन काल में भारतीय अधिराज्य थे। अब भी यहाँ भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनेक चिह्न वर्त्तमान हैं। हमारे प्राचीन साहित्य में यव (जावा), स्वर्ण-द्वीप (सुमात्रा), बलिन् (बाली) आदि के नाम आये हैं। बाली द्वीप में आज भी हिन्दू-धर्मावलम्बियों की संख्या सबसे अधिक है। १३वीं सदी में यहाँ मुसलमानों का आक्रमण हुआ। १६वीं सदी में पुर्त्तगाली व्यापारी यहाँ आये। फिर, डच लोगों का आगमन हुआ। उस समय से इन द्वीपों को लोग 'डच-इण्डीज' कहने लगे। द्वितीय महासमर के समय सन् १९४२ ई० से १९४५ ई० तक यह जापानियों के अधिकार में रहा और उसके बाद फिर डचों के अधिकार में आ गया। यहाँ मुस्लिम-जाति के लोग अधिक हैं। देश की ८० प्रतिशत जनता कृषि-कार्य में संलग्न है। सन् १९४२ ई० तक यह नेदरलैंड का एक उपनिवेश था, परन्तु १९४५ ई० में इसने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। ४ वर्षों के संघर्ष के बाद नेदरलैंड ने १६ दिसम्बर, १९४९ ई० को इसे पूर्ण स्वतन्त्र कर दिया। २० मई, १९६३ को राष्ट्रपति सुकार्णो यहाँ के आजीवन राष्ट्रपति बनाये गये।

६ मार्च, १९६० ई०, को राष्ट्रपति सुकार्णो ने पुरानी पार्लियामेंट को भंगकर उसका नये ढंग से पुनस्संगठन किया। १५ अगस्त, १९६२ ई० के इकरारनामे के अनुसार डच न्यूगिनी, अर्थात् पश्चिम न्यूगिनी या पश्चिम ईरियन १ मई, १९६३ ई० को विधिवत् इण्डोनेशिया को समर्पित कर दिया गया है।

इराक

स्थिति—एशिया महादेश में ईरान, तुर्किस्तान और अरब से घिरा; **क्षेत्रफल**—१,७५,००० वर्गमील; **जनसंख्या**—६४,१३,६५८ (१९५९); **राजधानी**—बगदाद; **भाषा**—अरबी और खुरदीश; **धर्म**—मुस्लिम; **सिक्का**—दीनार; **संप्रभुता-परिषद् का अध्यक्ष**—अब्दुल सलाम मुहम्मद अरीफ (१९६३ से); **प्रधानमंत्री**—ब्रिगेडियर अहमद हसन अलबकर (१९६३ से); **शासन-स्वरूप**—गणतन्त्र। **मुख्य नगर**—मोसल और बसरा।

दजला और फुरात नदियों की घाटियों में बसा यह देश प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का पालना कहा जाता है। इस देश का प्राचीन नाम 'बैबिलोन' था। पीछे इसका नाम 'मेसोपोटामिया' और फिर 'इराक' पड़ा। प्राचीन बैबिलोन नगर का खँडहर बगदाद के पास ही है। यह संसार के बड़े तेल-उत्पादक देशों में एक है। प्रथम विश्वयुद्ध के पूर्व यह तुर्की के अधीन था। इस युद्ध के बाद तुर्की से मुक्त होकर ब्रिटेन के संरक्षकत्व में रहा। सन् १९२७ ई० की संधि के अनुसार इसे पूर्ण स्वतंत्रता मिली। जुलाई, १९५८ ई० में यहाँ एक सैनिक क्रान्ति हुई, जिसमें यहाँ के शाह फैजल और प्रधानमंत्री नूरी-अल-सैद मारे गये और जेनरल अब्दुल करीम-अल-कासिम के प्रधानमंत्रित्व में नवीन गणतांत्रिक शासन आरम्भ हुआ। ८ फरवरी, १९६३ ई०, को यहाँ फिर सैनिक क्रान्ति हुई, जिसमें यहाँ के शासक और प्रधानमंत्री लेफ्टिनेंट जेनरल अब्दुल करीम कासिम मारे गये और नये अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई, जिनके नाम ऊपर दिये गये हैं। नवगठित संयुक्त अरब गणराज्य में इसके सम्मिलित होने की चर्चा अरब-गणराज्य के प्रसंग में की गई है।

ईरान (फारस या पर्सिया)

स्थिति—एशिया महादेश में अफगानिस्तान, इराक और फारस की खाड़ी से घिरा; **क्षेत्रफल**—६,२८,०६० वर्गमील; **जनसंख्या**—१,८६,४४,८२१ (१९५६); **राजधानी**—तेहरान; **भाषा**—ईरानी; **धर्म**—इस्लाम; **सिक्का**—रीअल; **बादशाह**—मुहम्मद रेजा पहलवी; **प्रधानमंत्री**—आसादोल्लाह आलम (जुलाई, १९६२ ई० से); **शासन-स्वरूप**—संवैधानिक राजतंत्र; **मुख्य नगर**—तबरेज, अस्फहान, मशाद, अबादान, शिराज, करमनशाह, अहवान, रशत और हमदाम।

फारस या पर्सिया एशिया का एक प्राचीन देश है, जो अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध रहा है। इसी का सन् १९३५ ई० में नया नाम 'ईरान' पड़ा। इसकी प्राचीन राजधानी अस्फहान थी, फिर शिराज हुई। शिराज में ही यहाँ के दो प्रसिद्ध कवि—हाफिज और शेखसादी—का जन्म हुआ था। इसका बहुत बड़ा भाग मरुभूमि और पर्वतों से ढका हुआ है। कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। यहाँ मिट्टी तेल की सबसे बड़ी खान है। यहाँ के निर्यात की वस्तुओं में मुख्य यही है। यहाँ कालीन बनाने का उद्योग भी अत्यन्त विकसित है। यहाँ की पार्लियामेण्ट के दो सदन हैं। शाह ही यहाँ के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, किन्तु प्रधानमंत्री यहाँ की पार्लियामेण्ट के प्रति उत्तरदायी रहता है।

यहाँ की तेल की खानें मुख्यतः ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, नेदरलैंड आदि देशों की कम्पनियों के हाथ में हैं। सन् १९५१ ई० में यहाँ के प्रधानमंत्री डॉ० मुहम्मद मुसादेग ने इन खानों के राष्ट्रीयीकरण के उद्देश्य से विदेशी कम्पनियों का कारोबार बंद कर दिया। इसपर ग्रेट-ब्रिटेन, अमेरिका आदि ने घोर विरोध किया। इधर खानों के बंद होने से देश में बेकारी बढ़ी। इस परिस्थिति से लाभ उठाकर ग्रेट-ब्रिटेन आदि विदेशी शक्तियों ने यहाँ की सरकार को विघटित कर प्रधानमंत्री मुहम्मद मुसादेग को तीन वर्ष के लिए कैद कर लिया और वे अपने अनुकूल नया शासन कायम करने में समर्थ हुईं।

कम्बोडिया

स्थिति—हिन्दचीन के दक्षिण-पश्चिम; **क्षेत्रफल**—८८,७८० वर्गमील; **जनसंख्या**—५०,४०,००० (१९५८); **राजधानी**—नोमपेन्ह; **भाषा**—कम्बोडियन या खमेर; **धर्म**—बौद्ध; **शासक**—राजकुमार नॉरोदोम सिहानुक (३ अप्रैल, १९६० से); **शासन-स्वरूप**—संवैधानिक राजतंत्र। **मुख्य नगर**—बटमबंग, कोमपोंगछाम।

यह राज्य प्राचीन भारत में 'कम्बुज' के नाम से प्रसिद्ध था। ईसा की छठी शताब्दी से यहाँ खमेर जातियों का शासन रहा। जिन्होंने अंकोर के भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। १९वीं सदी में यह फ्रांसीसियों के संरक्षण में आया और सन् १९४९ ई० में फ्रेंच यूनियन के अन्दर एक एसोसिएट स्टेट हुआ। एक पृथक् राज्य के रूप में कम्बोडिया के निर्माण की चर्चा फ्रांसीसी हिन्द-चीन के प्रसंग में की गई है। यहाँ के राजा नॉरोदोम सुरामृत के बाद उसका पुत्र नॉरोदोम सिहानुक राजा था। अन्तरराष्ट्रीय पर्यवेक्षण-आयोग से मतभेद होने पर अपने पिता के लिए उसने राजगद्दी छोड़ दी और जनान्दोलन में सम्मिलित हो गया तथा सितम्बर, १९५५ ई० में स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद प्रधानमंत्री बनाया गया। मार्च, १९५८ ई० के निर्वाचन में वह पुनः प्रधान-मंत्री हुआ। किन्तु, अपने पिता की मृत्यु के पश्चात् वह प्रधानमंत्री-पद से त्याग-पत्र देकर अप्रैल, १९६० ई० से राजा बन गया। इसके बाद सैमडेंग पेन नॉथ और नॉरादोम कैंग्टोन क्रमशः यहाँ के प्रधान मंत्री हुए। १२ मई, १९६२ को नॉरोदोम कैंग्टोन ने त्यागपत्र दे दिया। यहाँ की संसद् के दो सदन हैं।

कोरिया

स्थिति—उत्तर-पूर्वी एशिया में मंचूरिया और जापान के बीच; **क्षेत्रफल**—८५,२६६ वर्गमील; **जनसंख्या**—३,०६,७३,६६२ (१९५६); **राजधानी**—सिउल; **भाषा**—कोरियन, चीनी, जापानी; **धर्म**—बौद्ध, ताओइज्म, कनफ्यूसियन और ईसाई; **सिक्का**—येन।

यह ५०० वर्षों तक चीन के अधीन रहा, परन्तु जापान ने सन् १९१० ई० में इसे अपने अधीन कर लिया। सन् १९४५ ई० में पोट्सडम-सम्मेलन में ३८° अक्षांश-रेखा, कोरिया पर सोवियत और अमेरिकी आधिपत्य की सीमा-रेखा मानी गई। इस प्रकार, कोरिया दो भागों में विभक्त हो गया—उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। पीछे दोनों भागों को मिलाने के बराबर प्रयत्न होते रहे, पर इस कार्य में अभी तक सफलता नहीं मिली है।

उत्तर कोरिया (पिपुल्स डेमोक्रैटिक रिपब्लिक) : **स्थिति**—एशिया के पूरब जापान-सागर और पीतसागर से घिरा; **क्षेत्रफल**—४६, ८१४ वर्गमील; **जनसंख्या**—८०,००,०००

(१६५६) से अधिक; **राजधानी**—प्योंगयांग; **भाषा**—कोरियन, चीनी, जापानी; **धर्म**—ईसाई, कनफ्यूसियन और बौद्ध; **प्रेसिडियम का अध्यक्ष**—मौंगकन चोई (१६४८ से); **प्रधान-मन्त्री**—किम-इल-शुंग (१६४८ से); **शासन-स्वरूप**—गणतंत्र।

मई, १६४५ ई० में कम्युनिस्टों ने यहाँ 'पिपुल्स डेमोक्रैटिक रिपब्लिक' नाम से स्थायी सरकार कायम की। जून, १६५० ई० में जब इसने दक्षिण-कोरिया पर चढ़ाई की, तब अमेरिकी सेना ने आकर इसका सामना किया। संयुक्त राष्ट्रसंघ के हस्तक्षेप करने पर मामला शान्त हुआ। जुलाई, १६५३ ई० में युद्ध-विराम-संधि हुई, जिसमें कोरिया के सम्बन्ध में एक अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन करने का विचार हुआ। परन्तु, यह सम्मेलन नहीं हो सका।

दक्षिण कोरिया (रिपब्लिक ऑफ कोरिया) : स्थिति—पूर्वी एशिया में पीतसागर और जापानसागर से घिरा; **क्षेत्रफल**—३८,४५२ वर्गमील; **जनसंख्या**—२,४६,६४,११७ (१६६०); **राजधानी**—सिउल; **भाषा**—कोरियन, चीनी; **धर्म**—एनिमिज्म, बौद्ध, कन्फ्युसियनिज्म, ईसाई; **राष्ट्रीय निर्माण सर्वोच्च परिषद् का प्रधान**—लेफ्टिनेन्ट जेनरल चूंही पार्क; **शासन-स्वरूप**—सैनिक अधिनायक-तंत्र (१६६१ से); **मुख्य नगर**—पुसान, तैगू और इंकोन।

इसका निर्माण सन् १६४८ ई० में हुआ। यहाँ की पार्लमेण्ट के दो सदन हैं। यहाँ का राष्ट्रपति सार्वजनिक मत से चुना जाता है और वही मंत्रिमंडल कायम करता है।

१५ मार्च, १६६० ई०, को हुए चतुर्थ निर्वाचन में डॉ० सिगमन री पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। इससे देश के नवयुवकों, विशेष कर विद्यार्थी-वर्ग, ने १६ अप्रैल, १६६० ई० को विद्रोह कर दिया, जिसके फलस्वरूप २६ अप्रैल को डॉ० री को त्याग-पत्र देना पड़ा। उपराष्ट्रपति ली-की-पुंग ने सपरिवार आत्महत्या कर ली। १५ जून, १६६० को यहाँ की नेशनल एसेम्बली ने संविधान में संशोधन कर यहाँ की प्रधानात्मक सरकार को मन्त्रिमण्डलात्मक सरकार में बदल दिया। २६ जुलाई, १६६० ई० को हुए निर्वाचन में डेमोक्रैटिक पार्टी की जीत हुई। ३ मई, १६६० ई० को डॉ० म्युन चांग राष्ट्रपति चुने गये। एक सैनिक विद्रोह के फलस्वरूप १६ मई, १६६१ ई० से यहाँ सैनिक अधिनायक-तंत्र स्थापित है।

चीन

स्थिति—एशिया का पूर्वी भाग; **क्षेत्रफल**—३३,७६,१३४ वर्गमील; **जनसंख्या**—७१,६०,००,००० (नवम्बर, १६६१ ई० का अनुमान); **राजधानी**—पीपिंग (पेकिंग); **भाषा**—चीनी; **धर्म**—बौद्ध, कनफ्यूसियन; **सिक्का**—चीनी डालर; **राष्ट्रपति**—ल्यु-साओ-ची (१६५६ से); **उप-राष्ट्रपति**—सुंग-चिंग-लिंग (श्रीमती सनयात सेन); **प्रधानमंत्री**—चाऊ-एन-लाई; **शासन-स्वरूप**—गणतंत्र (सोवियत ढंग का); **मुख्य नगर**—शंघाई, तिएन्तसिन, शेन्यांग, वूहन, चुंकिंग, सियांग, कैण्टन, पोर्ट आर्थर-डैरेन, नानकिंग, सिंगताव, हरबिन, तैयुआन और अनशान।

वृहत्तर चीन के अन्दर चीन, मंगोलिया, मंचूरिया, सिक्यांग (चीनी तुर्किस्तान) और तिब्बत हैं। खास चीन के २४ प्रांत हैं। यह कृषि-प्रधान देश है, पर अब यहाँ उद्योग-धन्धे भी बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। चीन का इतिहास ईसा के कई हजार वर्ष पूर्व से आरम्भ होता है। इसकी गणना विश्व के प्राचीनतम देशों में होती है। सन् ११२२ से २४६ ई० पू० के बीच यहाँ लावजे, कनफ्यूसियस आदि कई दार्शनिक हुए। २,२०० वर्ष पूर्व चीनियों ने मध्य एशिया के

तातार लोगों के आक्रमण से बचने के लिए १५०० मील लम्बी एक मजबूत और चौड़ी दीवार बनाई थी, जिसकी ऊँचाई लगभग १६ से २५ फीट तक है।

आधुनिक युग में यहाँ सन् १६१२ ई० में मंचू-राजवंश का अन्त कर डॉ० सनयात सेन के नेतृत्व में प्रजातन्त्र की स्थापना की गई। सन् १६२७ ई० से च्यांग-काई-शेक यहाँ का वास्तविक शासक रहा। सन् १६४८ ई० में वह राष्ट्रपति भी बना। यहाँ की राष्ट्रीय सरकार के साथ चीनी कम्युनिस्टों का कई वर्षों तक युद्ध चलता रहा। अक्टूबर, १६४६ ई० में यहाँ पीपिंग (पेकिंग) में माओ-त्से-तुंग के अधीन नई कम्युनिस्ट सरकार कायम हुई। च्यांग-काई-शेक चीन के मुख्य भूमि से भागकर इसके एक पूर्वी टापू फारमोसा (तैवान) में चला गया और वहीं उसने संयुक्तराज्य अमेरिका की छत्रच्छाया में अपनी राष्ट्रीय सरकार कायम की।

कम्युनिस्ट चीन के राष्ट्रपति का चुनाव यहाँ की काँगरेस द्वारा ४ वर्षों के लिए होता है। यही यहाँ का मंत्रिमंडल बनाती है और प्रधानमंत्री को भी नियुक्त करती है। माओ-त्से-तुंग के बाद लियो-साओ-ची यहाँ का वर्त्तमान राष्ट्रपति है। संयुक्तराज्य अमेरिका चीन की कम्युनिस्ट सरकार को अब भी मान्यता नहीं दे रहा है और न इसे राष्ट्रसंघ का सदस्य होने देता है।

प्राचीन काल से चीन का भारत के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक सम्बन्ध था। पर, इधर कुछ वर्षों से सीमा-सम्बन्धी प्रश्न पर दोनों के सम्बन्ध में कटुता उत्पन्न हो गई है। सन् १६५५ ई० से ही चीन भारत की उत्तरी सीमावर्त्ती ५७,००० वर्गमील भूमि को अपने नक्शे में दिखा रहा था। सन् १६५६ ई० से सितम्बर, १६६२ ई० तक उसने भारत के नेफा और लद्दाख क्षेत्रों में लगभग १०,००० वर्गमील भूभाग पर अधिकार भी कर लिया। अक्टूबर, १६६२ ई० में चीनियों ने तो भारत के नेफा और लद्दाख क्षेत्रों पर भीषण आक्रमण कर दिया और वे हजारों वर्गमील और भी आगे बढ़ आये। चीन की इस ज्यादती के विरुद्ध जब विश्व के प्रमुख देशों ने भारत को आधुनिक शस्त्रास्त्रों से सहायता देना आरम्भ कर दिया तब, चीनियों ने एकाएक युद्ध बन्द कर अपने सैनिकों को धीरे-धीरे कुछ पीछे लौटा लिया।

मंगोलिया (भीतरी)—यह चीन के उत्तरी भाग में है। सम्पूर्ण मंगोलिया दो भागों में बँटा है—उत्तरी मंगोलिया और दक्षिणी मंगोलिया। उत्तरी मंगोलिया, जो बाहरी मंगोलिया भी कहलाता है, अब एक स्वतन्त्र राष्ट्र है, जिसकी चर्चा अन्यत्र की गई है। दक्षिणी या भीतरी मंगोलिया कम्युनिस्ट चीन के अधीन है। यह तीन प्रान्तों में विभक्त है। यहाँ का क्षेत्रफल १५ लाख वर्गमील और सन् १६५३ ई० की जन-गणना के अनुसार जनसंख्या ६१,००,१०४ है। मई, १६०७ ई० में चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने इसे स्वशासित गणतन्त्र बनाया। इसकी राजधानी हुहेहोत (क्वीसुई) है।

मंचूरिया—यह चीन के उत्तर-पूर्वी कोने पर है। इसका क्षेत्रफल ४,०४,४२८ वर्गमील; जनसंख्या (जेहोल प्रान्त-सहित) ४,३२,३३,६५४ (१६४०) है। सन् १६३१ से १६४५ ई० तक यह जापानियों के हाथ में रहा। सन् १६४५ ई० में ही चीन-जापान-युद्ध के बाद यह पुनः चीन को लौटा दिया गया।

सिक्यांग (चीनी तुर्किस्तान)—यह चीन के उत्तर-पश्चिम कोने पर है। इसके अन्तर्गत चीनी तुर्किस्तान, कुलजा और कासगरिया हैं। इसका क्षेत्रफल ६,३३,८०२ वर्गमील तथा जन-

संख्या ४०,४७,४५० (१९४८) है। यहाँ खनिज पदार्थ बहुत पाये जाते हैं। सन् १९३२ ई० में इसे स्वशासन प्रदान किया गया।

तिब्बत—यह पश्चिम में कश्मीर से पूर्व में चीन तक और हिमालय-पर्वतमाला से उत्तर तथा कुंलुं-पर्वतमाला से दक्षिण तक फैला हुआ एक प्लेटो है। इसकी दक्षिणी सीमा पर पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बर्मा हैं। इसका क्षेत्रफल ४,७५,००० वर्गमील और जनसंख्या लगभग ६०,००,००० है। इसकी राजधानी ल्हासा है। मुख्य नगर चैम्डो और ग्यांस हैं। यहाँ के निवासी बौद्धधर्मावलम्बी हैं। इसने नाम-मात्र के विरोध के बाद मई, १९५१ ई० की सन्धि के अनुसार साम्यवादी चीन का आधिपत्य स्वीकार किया। दिसम्बर, १९५३ ई० में दलाई लामा और पंचन लामा के अर्द्धधार्मिक शासन में सुधार कर साम्यवादी तिब्बती स्वशासित सरकार की घोषणा की गई। अप्रैल, १९५८ ई० में दोनों लामाओं ने चीनी साम्यवादी सरकार से विधिवत् अपील की कि वह स्वशासन का अधिकार तीव्र गति से बढ़ाये। किन्तु, ऐसा होना तो दूर रहा, उल्टे यहाँ की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के प्रति दिये गये आश्वासनों के विरुद्ध जब चीनी सैनिकों ने काररवाई की, तब दलाई लामा विद्रोह कर बैठा, जिसमें हजारों तिब्बती मारे गये। अन्त में अपने को असमर्थ पाकर सन् १९५९ ई० में उसने भारत की शरण ली। इसपर चीन-सरकार ने पंचन लामा को तिब्बत का शासक बनाया। पीछे तिब्बत की इस गड़बड़ी के सम्बन्ध में मलाया और आयरलैंड ने संयुक्त राष्ट्रसंघ के सामने प्रश्न उठाये। किन्तु, अबतक संयुक्त राष्ट्रसंघ कुछ नहीं कर सका है। दलाई लामा के साथ और उसके बाद भी बहुत-से तिब्बती शरणार्थी के रूप में भारत में आकर रह रहे हैं।

जापान

स्थिति—एशिया महादेश के पूरब; क्षेत्रफल—१,४२,६४४ वर्गमील; जनसंख्या—९,३४,०९८३० (१९६०); राजधानी—टोकियो; भाषा—जापानी; धर्म—बौद्ध और शिन्तो; सिक्का—येन; सम्राट्—हिरोहितो (१९२८ से); प्रधानमंत्री—हयाता इकेदा (१८ जुलाई, १९६० ई० से); शासन स्वरूप—वंश-परम्परागत संवैधानिक राजतन्त्र। मुख्य नगर—ओसाका, क्योतो, नगोया, याकोहामा और कोबे।

इसमें चार मुख्य द्वीपों—होन्शु (मुख्य भू-खंड), होकाइडो, क्यूशू और शिकोकू—के अतिरिक्त छोटे-छोटे हजारों द्वीप सम्मिलित हैं। इन सबकी लम्बाई १,२०० मील और चौड़ाई २०० मील है। यहाँ का अधिकांश पर्वतों से ढका है। कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। यह अपने ढंग के उद्योग-धन्धों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से यह एशिया महादेश का सर्वाधिक उन्नतिशील देश है। ईसवी-सन् के ६६० वर्ष पूर्व सम्राट् जिम्मू तेनो ने यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया था। यहाँ आजतक उसी के राजवंश का शासन है। सन् १८८९ ई० में सम्राट् मेजी द्वारा यहाँ संसदीय सरकार कायम हुई। सन् १९०४-५ ई० में जापान ने रूस को परास्त किया। द्वितीय विश्व-युद्ध में यह धुरी-राष्ट्रों के साथ था, किन्तु एकाएक संयुक्त-राज्य अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम-बम गिराने से इसने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। ८ सितम्बर, १९५१ ई० में संयुक्तराज्य अमेरिका, ग्रेट-ब्रिटेन आदि ४८ राष्ट्रों ने जापान के साथ सानफ्रांसिस्को में एक शान्ति-सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिसके अनुसार

जापान को स्वतन्त्र माना गया। भारत ने ६ जून, १६५२ ई० को इसके साथ अलग सन्धि करके इसकी सार्वभौम सत्ता को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू और भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने जापान की सद्भावना-यात्राएँ करके दोनों देशों के बीच मैत्री-सम्बन्ध को सुदृढ किया। सन् १६५६ ई० में रूस के साथ इसकी संधि हुई, जिसके अनुसार रूस ने इसे हावोमाई और सिकोतन टापू लौटा देने, संयुक्त राष्ट्रसंघ में इसकी सदस्यता का समर्थन करने तथा एक-दूसरे के आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन दिया।

जुलाई, १६६० ई० में संशोधित जापानी-अमेरिकी सुरक्षा-संधि स्वीकार की गई। इसके फलस्वरूप जापान में विद्रोह फैल गया, जिससे नोबुसुके किशि ने १३ जुलाई, १६६० ई०, को प्रधानमंत्रित्व से त्याग-पत्र दे दिया। इसके बाद हयाता इकेदा प्रधानमंत्री चुना गया। यहाँ का राजा नाममात्र का प्रधान है। यहाँ की पार्लमेण्ट (डाइट) के दो सदन हैं।

जॉर्डन

स्थिति—पश्चिमी एशिया; क्षेत्रफल–३७,५०० वर्गमील; जनसंख्या–१६,६०,००० (१६६१); राजधानी—अमन; भाषा—अरबी; धर्म—मुस्लिम; सिक्का—जॉर्डानी दीनार; बादशाह—हुसैन प्रथम (१६५३ से); प्रधानमंत्री—सामिर अल-रिफाइ (मार्च, १६६३ से); शासन-स्वरूप—संवैधानिक राजतंत्र।

सन् १६४० ई० तक यह ट्रान्स-जॉर्डन (शर्क अरदन) के नाम से प्रसिद्ध रहा। यहाँ कृषि-योग्य भूमि बहुत कम है। यहाँ का अधिकांश चरागाह है। पहले यह फिलस्तीन (पैलेस्टाइन) के अन्दर ब्रिटेन का एक आदिष्ट राज्य था। सन् १६४६ ई० में यह स्वतंत्र हुआ। मई, १६५६ ई० में मिस्र के साथ इसकी एक सैनिक सन्धि हुई। सन् १६५७-५८ ई० में यहाँ के राष्ट्रवादियों ने मिस्र आदि की सहायता से ब्रिटेन के प्रभाव को दूर करने की बहुत कोशिश की, किन्तु वे सफल नहीं हुए। यहाँ की पार्लमेण्ट के दो सदन हैं। मताधिकार केवल वयस्क पुरुषों को ही प्राप्त है। जनवरी, १६६२ ई० में यहाँ का नया मंत्रिमंडल बना था। २७ मार्च, १६६३ ई०, को वास्फी टाल के मंत्रिमंडल ने त्याग-पत्र दे दिया। तत्पश्चात् सामिर-अल-रिफाइ ने नया मंत्रिमंडल बनाया है।

तुर्की (टर्की)

स्थिति—यूरोप और एशिया का मिलन-स्थान; क्षेत्रफल—२,६६,५०० वर्गमील; जनसंख्या—२,७८,०६,८३१ (१६६०); राजधानी—अंकारा; भाषा—तुर्की; लिपि—रोमन; धर्म—इस्लाम; सिक्का—तुर्की पौंड; राष्ट्रपति—जेनरल गुरसेल (अक्टूबर, १६६१ से); प्रधानमंत्री—इस्मत इनोव; शासन-स्वरूप—गणतंत्र; मुख्य नगर—इस्ताम्बुल, इजमिर, अदन, बरसा और एस्किसेहिर।

तुर्की (टर्की), अनातोलिया, एशिया-कोचक या एशिया-माइनर—ये सब नाम एक ही प्रायद्वीप के हैं। इस देश का अधिकांश एशिया में और कुछ भाग यूरोप में है। यूरोप में यह ६,२५४ वर्गमील तथा एशिया में २,८५,२४६ वर्गमील में फैला हुआ है। इन दोनों भागों के बीच मारमारा सागर है। यहाँ के निवासी तुर्क, आरमेनियन और कुर्द-जाति के लोग हैं। देश की

करीब ७५ प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर करती है। सन् १६२३ ई० में यह मित्र-राष्ट्रों से स्वतंत्र हुआ। इसका प्रथम राष्ट्रपति मुस्तफा कमाल अतातुर्क था। वही वर्त्तमान तुर्की का निर्माता माना जाता है। यहाँ की पार्लमेण्ट की एक सभा है। राष्ट्रपति का चुनाव ४ वर्षों के लिए होता है। यहाँ राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। यहाँ सन् १६५० ई० से डेमोक्रैटिक पार्टी ही लगातार सत्तारूढ रही, किन्तु उसके शासन की ज्यादती से ऊबकर २७ मई, १६६० ई० को सेनापति सेमाल गुरसेल ने विद्रोह कर दिया और राष्ट्रपति सेलाल वयार, प्रधानमंत्री एडनन मैडेरेस, मन्त्रिमण्डल के सदस्य, १६ गर्वनर आदि को गिरफ्तार कर स्वयं प्रधान शासक बन बैठा। १८ मास के सैनिक शासन के बाद यहाँ १५ अक्टूबर, १६६१ ई० को नये संविधानानुसार निर्वाचन किया गया, जिसमें यहाँ की जस्टिस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ। २५ अक्टूबर को पार्लियामेंट का उद्घाटन किया गया और गुरसेल बहुमत से यहाँ का राष्ट्रपति चुना गया।

तैवान (फारमोसा)

स्थिति—चीन का दक्षिण-पूर्व किनारा; **क्षेत्रफल**—१४,५८६ वर्गमील; **जनसंख्या**—१,००,५०,२७६ (१६६१); **राजधानी**—ताइपी; **राष्ट्रपति**—जेनरलिसिमो च्यांग-काई-शेक; **उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री**—जेनरल चेन चेंग; **मुख्य नगर**—तकाको (काओशुंग), तैनान और ताइचुंग।

यह द्वीप चीन की मुख्य भूमि से ११० मील पूरब प्रशान्त महासागर में स्थित है। सन् १८६५ ई० में जापान ने इसपर अधिकार कर लिया था। द्वितीय विश्व-महायुद्ध में जापान की पराजय के बाद सन् १६४५ ई० में यह पुनः चीन के साथ मिला दिया गया। चीन की मुख्य भूमि पर साम्यवादी सरकार का आधिपत्य हो जाने के बाद चीन की राष्ट्रीय सरकार का प्रधान च्यांग-काई-शेक भागकर यहीं चला आया और संयुक्तराज्य अमेरिका की छत्रच्छाया में उसने अपनी राष्ट्रीय सरकार कायम की। संयुक्त राष्ट्रसंघ में यही चीन का प्रतिनिधित्व करता है तथा उसकी सुरक्षा-परिषद् का स्थायी सदस्य है। यहाँ की नेशनल एसेम्बली, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव छह वर्षों के लिए होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पाँच कौंसिलें हैं, जिनमें एक मन्त्रिमण्डल की भाँति काम करती है। यहाँ के कृषि-उत्पादन में कपूर, चावल और चीनी मुख्य हैं। उद्योगों का भी विकास हुआ है। इसे सं० रा० अमेरिका से पर्याप्त आर्थिक सहायता मिलती रहती है।

थाईलैंड (स्याम)

स्थिति—दक्षिण-पूर्वी एशिया; **क्षेत्रफल**—२,००,१४८ वर्गमील; **जनसंख्या**—२,५५,१६,६६५ (१६६०); **राजधानी**—बैंकॉक; **भाषा**—थाई; **धर्म**—बौद्ध; **सिक्का**—बहृत; **राजा**—भूमिबोल अदुलयादेज (१६५० से); **प्रधानमंत्री**—फील्ड मार्शल सारिस्दी धनराजता; **शासन-स्वरूप**—संवैधानिक राजतंत्र।

स्यामी लोग ईसा की छठी शताब्दी में मध्यचीन से इस देश में आये और तेरहवीं शताब्दी के आते-आते अपना विस्तृत साम्राज्य स्थापित कर लिया, जिसकी राजधानी सुखोथाई थी। उसके बाद क्रमशः अयोध्या और थामपुरी में यहाँ की राजधानी रही। सन् १८२४ ई० में यहाँ अँगरेजों की सर्वोच्च सत्ता को मान्यता प्राप्त हुई, किन्तु राजा पूर्ववत् बना रहा। २४ जून, १६३२ ई० को

सैनिक क्रान्ति के बाद संवैधानिक शासन कायम हुआ। द्वितीय महासमर के समय, सन् १९४१ से १९४५ ई० तक, यहाँ जापानियों का आधिपत्य रहा। २४ जून, १९३९ ई० को यहाँ की सरकार ने इस देश का नाम स्याम से बदलकर 'थाईलैंड' तथा यहाँ के लोगों की जाति का नाम 'थाई' कर दिया। सन् १९५८ ई० के आरम्भ में यहाँ थोनोम कित्तिकाचोर्न के प्रधानमंत्रित्व में नई सरकार बनी थी, परन्तु अक्टूबर में ही सैनिक क्रान्ति हो गई, जिसके फलस्वरूप २० अक्टूबर, १९५८ ई०, को यहाँ के प्रधान सेनापति फील्ड-मार्शल सारिस्दी धनराजता ने शासनाधिकार अपने हाथों में ले लिया। तब से यही यहाँ का प्रधानमंत्री है और राजा नाम-मात्र का प्रधान शासक रह गया है। २८ जनवरी, १९५९ ई०, को यहाँ अन्तःकालीन संविधान लागू किया गया। इसके अनुसार स्थायी संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए २४० सदस्यों की एक संविधान-सभा गठित की गई। साथ ही, यह भी व्यवस्था की गई कि इस बीच फील्ड-मार्शल सारिस्दी प्रधानमंत्री के, रूप में कार्य करेगा।

यहाँ की ७० प्रतिशत भूमि जंगलों से ढकी है। देश के ९० प्रतिशत व्यक्ति कृषि पर निर्भर करते हैं। चावल के उत्पादन में संसार के अन्दर इसका छठा स्थान है। यहाँ से चावल, टीक की लकड़ी, रबर आदि विदेश भेजे जाते हैं।

नेपाल

स्थिति—हिमालय और भारत के बीच; **क्षेत्रफल**—५४,६०० वर्गमील; **जनसंख्या**—८४,७३,४७८ (१९५४); **राजधानी**—काठमाण्डु; **भाषा**—नेपाली; **धर्म**—हिन्दू; **सिक्का**—नेपाली रुपया; **राजा**—महेन्द्र वीर विक्रमशाह देव (१९५५से); **प्रधानमंत्री**—डॉ० तुलसी गिरि (२ अप्रैल, १९६३ ई० से); **शासन-स्वरूप**—वंश-परम्परागत संवैधानिक राजतन्त्र।

इसकी लम्बाई ५०० मील और चौड़ाई करीब १५० मील है। हिमालय की सबसे ऊँची चोटी माउंट एवरेस्ट इसके उत्तरी भाग में है। यहाँ के निवासी गुरखा, मागर, गुरुंग, भुटिया और नेवार-जाति के लोग हैं। पहले यह देश विभिन्न पहाड़ी जातियों की छोटी-छोटी रियासतों में बँटा था। सन् १७६९ ई० में यहाँ गुरखों का बल बढ़ा। समस्त देश के लिए यहाँ एक राज-परिवार और राणाओं का एक मंत्री-परिवार हुआ। राजा और मंत्री दोनों वंश-परम्परागत होते रहे। राजा नाम-मात्र का शासक था। शासन का सारा काम मंत्री-परिवार के लोग करते रहे। राजा 'पाँच-सरकार' और मंत्री 'तीन-सरकार' कहलाते थे। सन् १९५० ई० के विद्रोह के बाद वंश-परम्परागत मंत्री-परिवार का शासन समाप्त हुआ।

नवम्बर, १९५१ ई० में यहाँ नेपाली काँगरेस-पार्टी के नेता मातृकाप्रसाद कोइराला के प्रधान-मंत्रित्व में सर्वप्रथम मंत्रिमंडल कायम किया गया। सन् १९५९ ई० से सर्वप्रथम निर्वाचित पार्लमेंट की दो सभाएँ—प्रतिनिधि-सभा और महासभा-बनाई गई, जिनके क्रमशः १०९ और ३६ सदस्य हुए। बहुमत-दल नेपाली काँगरेस-पार्टी के नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला के प्रधानमंत्रित्व में एक मंत्रिमंडल कायम किया गया। १५ दिसम्बर, १९६० ई० को नेपाल-नरेश ने अकस्मात् यहाँ के मंत्रिमंडल तथा संसद् को विघटित कर शासन-सूत्र अपने हाथों में ले लिया। २ अप्रैल, १९६३ ई० को नेपाल-नरेश ने २८ मास पूर्व संघटित अस्थायी सरकार को विघटित कर डॉ० तुलसी गिरि की अध्यक्षता में एक नई सरकार का संघटन किया। यह नई सरकार पंचायत-कार्य-मंत्रालय के ढंग की है।

पाकिस्तान

स्थिति—भारत के पूरब और पश्चिम भाग में; **क्षेत्रफल**—३,६४,७३७ वर्गमील (पूर्वी पाकिस्तान ५४,५०१ वर्गमील और पश्चिमी पाकिस्तान ३,१०,२३६ वर्गमील); **जनसंख्या**—६,३८,१२,००० (अस्थायी, १६६१) (पूर्वी पाकिस्तान ५,०८,४४,००० और पश्चिमी पाकिस्तान ४,०८,१५,०००); **राजधानी**—कराची और रावलपिंडी; **भाषा**—उर्दू; अँगरेजी और बँगला; **धर्म**—इस्लाम; **सिक्का**—पाकिस्तानी रुपया; **राष्ट्रपति**—जेनरल मुहम्मद अयूब खाँ; **शासन-स्वरूप**—प्रधानात्मक गणतंत्र; **पश्चिमी पाकिस्तान के मुख्य नगर**—लाहौर, सियालकोट, पेशावर; **पूर्वी पाकिस्तान के मुख्य नगर**—ढाका, चटगाँव, राजशाही, सिलहट, जैसोर, रंगपुर।

इस मुस्लिम राष्ट्र का निर्माण १४ अगस्त, १६४७ ई०, को भारत के विभाजन के फलस्वरूप हुआ। कायदे आजम मुहम्मद अली जिन्ना, जिनके नेतृत्व में भारत के मुस्लिम लीगी मुसलमानों ने पाकिस्तान का निर्माण किया, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जेनरल हुए। यह संसार का सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र है। यह दो भागों में विभक्त है—पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान के अन्दर भारत के पुराने प्रान्त बलूचिस्तान, सिंध, पश्चिमोत्तर सीमा-प्रांत, पश्चिम पंजाब, भावलपुर की रियासत तथा अन्य कई छोटी-छोटी मुस्लिम रियासतें हैं। पूर्वी पाकिस्तान में पूर्वी बंगाल और आसाम का सिलहट जिला है। पूर्वी पाकिस्तान का क्षेत्रफल समस्त पाकिस्तान का १६ प्रतिशत भाग है, किन्तु यहाँ की जनसंख्या समस्त पाकिस्तान की जनसंख्या के आधे से भी अधिक है। पाकिस्तान के दोनों भागों में भारत के अन्य प्रान्तों के बहुत-से मुस्लिम आ बसे हैं तथा वहाँ से बहुत-से हिन्दू भारत आ गये हैं। यह मुख्यत: कृषि-प्रधान देश है। पश्चिमी पाकिस्तान में गेहूँ की तथा पूर्वी पाकिस्तान में चावल, जूट और चाय की उपज होती है। यहाँ उद्योग-धन्धों तथा प्राकृतिक साधनों की बहुत कमी है।

२३ अगस्त, १६५५ ई०, को पाकिस्तान बगदाद-संधि (सेण्ट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन) में सम्मिलित हुआ। १४ अगस्त, १६५५ ई० से पश्चिमी पाकिस्तान के सभी प्रान्त मिलाकर एक कर दिये गये। २३ मार्च, १६५६ ई०, को यह देश मुस्लिम गणतंत्र घोषित किया गया। ७ अक्टूबर, १६५८ ई०, को पाकिस्तान के अस्थायी राष्ट्रपति इस्कन्दर मिर्जा ने यहाँ फौजी कानून की घोषणा की। प्रधान सेनापति जेनरल मुहम्मद अयूब खाँ सैनिक शासन का प्रधान प्रशासक नियुक्त किया गया। २८ अक्टूबर, १६५८ ई०, को राष्ट्रपति इस्कन्दर मिर्जा अपना सारा अधिकार इसे सौंपकर अलग हो गया। अपने पद पर आते ही मुहम्मद अयूब खाँ ने यहाँ के संसदीय शासन-स्वरूप का अन्त कर प्रधानात्मक शासन-स्वरूप जारी किया। फरवरी, १६६० ई० के मतदान के फलस्वरूप इसके राष्ट्रपति-पद का पुष्टीकरण हुआ। १ मार्च, १६६२ ई०, को यहाँ के नये संविधान की घोषणा की गई। तदनुसार, यहाँ का शासन-स्वरूप संघीय एकसदनी और प्रधानात्मक निश्चित किया गया। नये संविधान के अनुसार अब यह देश 'पाकिस्तान गणतंत्र' कहलाता है। यहाँ के राष्ट्रपति के लिए मुसलमान होना आवश्यक है।

सन् १६४७ ई० में पाकिस्तान ने भारत में मिली हुई कश्मीर-रियासत पर आक्रमण कर उसका एक तिहाई भाग अपने अधिकार में कर लिया। कश्मीर का यह पश्चिमोत्तर भाग 'आजाद कश्मीर' कहलाता है, जिसका प्रेसिडेण्ट के० एच्० खुर्शीद है, जो अपने कुछ मनोनीत मंत्रियों की सहायता से शासन-कार्य चलाता है। इसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है।

२ मार्च, १९६३ ई०को पाकिस्तान ने चीन के साथ चीन-पाकिस्तान-सीमा-समझौता किया। इसके अनुसार पाकिस्तान ने पाक-अधिकृत कश्मीर के ३४०० वर्गमील क्षेत्र में से जिसपर चीन दावा करता था, २०५० वर्गमील क्षेत्र चीन को सौंप दिया है। चीन ने १३५० वर्गमील क्षेत्र पाकिस्तान को लौटा दिया है।

फिलिपाइन्स

स्थिति—एशिया के दक्षिण-पूरब प्रशान्त महासागर का एक द्वीप-समूह; क्षेत्रफल—१,१५,७०७ वर्गमील; जनसंख्या—२,४०,१२,००० (१९६०); राजधानी—मनिला (नई राजधानी क्वेजोन सिटी); भाषा—टागालॉग (एक मलायन बोली), अँगरेजी और स्पेनिश; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—पेसो; राष्ट्रपति—डायोसडाडो मेकापेगल (नवम्बर, १९६१ से); शासन-स्वरूप—गणतन्त्र (प्रधानात्मक); मुख्य नगर—इलोइलो, केबू, जैम्बोअंगा, डवाओ, वेसिलन, बैकोलोड, बैगुइओ।

इसका समुद्र-तट १४,४४० मील है। इसमें करीब ७,१०० द्वीप सम्मिलित हैं, जिनमें लुजोन, मिनडानाओ, सामार, नेग्रो, पालवान, मिनडोरा, मनिला, पानाय, बॉहोल, लेटे और मासबाटे मुख्य हैं। इस द्वीप-समूह की करीब ६३ प्रतिशत भूमि खेती-योग्य है। कृषि यहाँ का प्रधान व्यवसाय है। यहाँ ज्वालामुखी पर्वतों की संख्या करीब १० है। इस देश में खानें अधिक हैं, पर अर्थाभाव के कारण उनसे उत्पादन बहुत कम होता है। स्पेनवाले सर्वप्रथम सन् १५२१ ई० में यहाँ आये और अपने देश के राजकुमार 'फिलिप' के नाम पर इस द्वीप-समूह का नाम 'फिलिपाइन्स' रखा। यहाँ सन् १८९८ ई० तक स्पेनवालों का आधिपत्य रहा। स्पेन-अमेरिका-युद्ध के बाद सन् १८९९ ई० में यह संयुक्तराज्य अमेरिका के हाथ में आया। द्वितीय महासमर के समय सन् १९४१ से १९४५ ई० तक यह जापान के अधिकार में रहा। ४ जुलाई, १९४६ को यह संयुक्तराज्य अमेरिका के पंजे से स्वतंत्र हुआ। यहाँ की पार्लमेण्ट के दो सदन हैं। राष्ट्रपति का चुनाव ४ वर्षों के लिए होता है।

बर्मा

स्थिति—एशिया के दक्षिणी भाग में भारत की पूर्वी सीमा पर; क्षेत्रफल—२,६१,७८९ वर्गमील; जनसंख्या—२,००,५४,००० (१९६१ का अनुमान); राजधानी—रंगून; भाषा—बर्मी; धर्म—बौद्ध; सिक्का—बर्मी रुपया; राष्ट्रपति—समा दुवा सिंवा (१४ मार्च, १९६२ से); प्रधानमंत्री—ने विन (२ मार्च, १९६२ ई० से); शासन-स्वरूप—सैनिक शासन; मुख्य नगर—आक्याब, मांडले, मौलमिन, मेम्यों।

यह अनेक छोटे-छोटे राज्यों से बना है। इस समय इसके संवैधानिक प्रान्त सॉन, करेन, काचीन, कयाह और चीन के स्पेशल डिवीजन हैं। ईसवी-सन् की आठवीं शताब्दी में मंगोल-जाति की एक शाखा तिब्बत से आकर बर्मा में बस गई। १६वीं से १९वीं शताब्दी के स्याम के साथ इसकी अनेक लड़ाइयाँ हुईं। यह सन् १६१२ ई० से ही ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने यहाँ अपने एजेंटों को भेजना शुरू किया। यहाँ सन् १८२६ ई० से वास्तविक ब्रिटिश शासन शुरू हुआ। सन् १८८६ ई० से १ अप्रैल, १९३७ ई० तक यह ब्रिटिश भारत का अंग था। इसके बाद यह ब्रिटिश गवर्नर के अधीन एक अर्द्ध-स्वतंत्र ब्रिटिश उपनिवेश रहा। द्वितीय महासमर के समय

यह सन् १६४२ से १६४५ ई० तक जापानियों के अधीन था। ४ जनवरी, १६४८ ई०को यह ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र होकर एक गणतन्त्र-राज्य बना तथा राष्ट्रमंडल का भी सदस्य नहीं रहा। गृह-विद्रोह के बाद सन् १६५६ ई० में यहाँ नया चुनाव हुआ। १३ मार्च, १६५७ ई० को यू० विन मौंग यहाँ का राष्ट्रपति चुना गया। २६ अक्टूबर, १६५८ ई० को सेनापति जेनरल ने विन ने यहाँ का शासन-सूत्र अपने हाथों में लिया। फरवरी, १६६० ई०में यहाँ की संसद् के निम्न सदन का निर्वाचन हुआ, जिसमें पीडौंगसू दल ने यू नू के नेतृत्व में बहुमत प्राप्त किया। अप्रैल, १६६१ ई० में यू नू के नेतृत्व में नया मंत्रिमंडल बना। जनवरी, १६६० ई० में चीन के साथ इसका सीमा-निर्धारण-सम्बन्धी समझौता हुआ।

२ मार्च, १६६२ ई० को बर्मा के भूतपूर्व प्रधानमंत्री तथा तत्कालीन सेनाध्यक्ष ने विन ने अकस्मात् सैनिक विद्रोह कर यहाँ का शासन अपने हाथों में ले लिया। उसने पार्लमेंट एवं राज्य-परिषद् को भंग कर दिया तथा एक नियुक्त अध्यक्ष के अधीन 'राज्य की सर्वोच्च परिषद्' का गठन किया।

सन् १६४७ ई० के संविधानानुसार यहाँ की संसद् के दो सदन थे। राष्ट्रपति का निर्वाचन दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में पाँच वर्ष के लिए होता था। बर्मा में कुछ भारतीय व्यापारी और जमींदार भी हैं।

यह कृषि-प्रधान देश है। यहाँ धान की पैदावार सबसे अधिक होती है, किन्तु प्राकृतिक संपदाओं की भी यहाँ प्रचुरता है। चाँदी और ताँबे की खानें, सागवान की लकड़ी और पेट्रोल यहाँ की औद्योगिक संपत्ति के मुख्य साधन हैं।

भारत

स्थिति—एशिया महादेश के दक्षिण; क्षेत्रफल—१२,६१,४११ वर्गमील; जनसंख्या—अनुमानतः ४३,६२,३५,००० (१६६१); राजधानी—दिल्ली; भाषा—हिन्दी; धर्म—हिन्दू, इस्लाम; सिक्का—रुपया; राष्ट्रपति—डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन्; उप-राष्ट्रपति—डॉ० जाकिर हुसेन; प्रधानमंत्री—श्री जवाहरलाल नेहरू।

भारत के सम्बन्ध में विशेष विवरण आगे के खण्डों में दिये गये हैं।

मंगोलिया (बाहरी)

स्थिति—उत्तर-पूर्वी एशिया; क्षेत्रफल—६,१४,३५० वर्गमील; जनसंख्या—६,५४,००० (१६६१); राजधानी—उलान बाटोर (पहले उर्गा); भाषा—मंगोलियन और रूसी; धर्म—बौद्ध लामा; सिक्का—तुघरिक; राष्ट्रपति—जमसारंगिन साम्बु; प्रधानमंत्री—युमजागिन सेडनबल; शासन-स्वरूप—गणतन्त्र (सोवियत ढंग का)।

मंगोलिया बहुत दिनों तक चीन के अन्दर था। पीछे इसके दो भाग हुए—दक्षिणी या भीतरी मंगोलिया और उत्तरी या बाहरी मंगोलिया। दक्षिणी या भीतरी मंगोलिया अब भी चीन के साथ है। यह मंगोल-जाति के लोगों का आदि स्थान था। १३वीं शताब्दी में कुबलई और चंगेज खाँ के अधीन यह एक शक्तिशाली राज्य बना। सन् १६८६ से १६११ ई० तक यह चीन के अधिकार में रहा। सन् १६१२ से १६१६ ई० तक यह रूस के संरक्षण में आया। दो-तीन वर्षों तक पुनः चीन के साथ रहने के बाद इसने अपनी एक अस्थायी सरकार कायम की और

सन् १६२४ ई० में अपने को गणतंत्र घोषित किया। सन् १६४५ ई० की रूस-चीन संधि के अनुसार चीन ने भी इसकी स्वतंत्रता स्वीकार कर ली।

इसका उत्तरी भाग पहाड़ी भूमि है और दक्षिणी भाग मरुभूमि, जो गोबी मरुभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ खेती नाम-मात्र के लिए होती है। यहाँ की अधिकांश भूमि गोचर है। यहाँ भेड़ और बकरियाँ पाली जाती हैं। यहाँ अधिकांश निवासी यायावर या अर्द्ध-यायावर जाति में हैं।

मलाया राज्य-संघ

स्थिति—दक्षिणी-पूर्वी एशिया; क्षेत्रफल—५,७०० वर्गमील; जनसंख्या—६८,१६,००० (१६५६ का अनुमान); राजधानी—कुआलालम्पुर; शासन-स्वरूप—संवैधानिक राजतंत्रात्मक अधिराज्य; प्रधान शासक—यांग-डि-पतुआन अगोंग; प्रधानमंत्री—टंकू अब्दुल रहमान।

यह ११ राज्यों का एक संघ है, जिसमें जोहोर, केदाह, केलांटन, नेग्रीसेंबिलन, पहांग, पेराक, पेरलिस, सेलंगोर, ट्रेंगनू, पेनांग और मलक्का-उपनिवेश हैं। यह अगस्त, १६५७ ई० में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अन्दर एक सीमित संवैधानिक राजतन्त्र बनाया गया। ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अन्दर ग्रेट-ब्रिटेन को छोड़कर यही एक राजतन्त्रात्मक राज्य है। यहाँ का सर्वोच्च शासक ११ विभिन्न राज्यों के वंशानुगत शासकों द्वारा पाँच वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। संसार का एक तिहाई टीन यहाँ के पेराक नामक स्थान में मिलता है। संसार के कुल जितना रबर होता है, उसका आधा अकेले मलाया देश में होता है। यहाँ चीनियों की संख्या भी काफी है। अधिकांश मलायावासी मुसलमान हैं। यहाँ की पार्लमेंट के दो सदन हैं। अगस्त, १६६३ ई०, से इस देश का नाम मलयेशिया राज्य-संस्था रखने का निर्णय किया गया है, जिसमें मलाया, सिंगापुर, बोर्नियो आदिसम्मिलित रहेंगे।

मालडिव

स्थिति—भारतीय महासागर का द्वीपपुंज; क्षेत्रफल—११५ वर्गमील; जनसंख्या—६०,००० (१६६१का अनुमान); राजधानी—माले; धर्म—इस्लाम; सुलतान—अल-अमीर मुहम्मद फरीद डीडी; प्रधानमंत्री—इब्राहीम नसीर; शासन-स्वरूप—ब्रिटिश-संरक्षित संवैधानिक राजतंत्र।

भारतीय महासागर में श्रीलंका से ४०० मील दक्षिण-पश्चिम यह १२ छोटे-छोटे द्वीपों का पुंज है। यहाँ के निवासी मुसलमान हैं। यहाँ नारियल, सुपारी आदि फल बहुत होते हैं। मछली पकड़ना और उसे सुखाकर बाहर भेजना यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। शासन-कार्य के लिए पहले यह लंका के अधीन था। यह सन् १८८७ ई० से ही एक ब्रिटिश-संरक्षित राज्य रहता आया है। ब्रिटिश-संरक्षण में ही सन् १६५३ ई० में यहाँ गणराज्य की घोषणा की गई थी, किन्तु एक वर्ष बाद फिर राजतंत्र हो गया और यहाँ की असेम्बली ने अल-अमीर मुहम्मद फरीद डीडी को यहाँ का सुलतान बनाया। १४ फरवरी, १६६० ई० को हस्ताक्षरित एक नये राजीनामे के अनुसार इसके वैदेशिक सम्बन्ध का दायित्व ग्रेट-ब्रिटेन पर है। लंका का हवाई अड्डा छोड़ देने पर सन् १६५७ ई० में ब्रिटिश-सरकार ने यहाँ के गान-द्वीप में एक संधि के अनुसार ३० वर्षों के लिए अपना हवाई अड्डा बनाया है। ब्रिटिश-सरकार यहाँ की सरकार को इसके के लिए प्रतिवर्ष १ लाख पौंड देती है।

यमन

स्थिति—अरब के दक्षिण-पश्चिम कोने में; क्षेत्रफल—७५,००० वर्गमील; जनसंख्या—४०,५०,००० (१९५३); राजधानी—साना और ताइज; भाषा—अरबी; धर्म—इस्लाम; राजा—इमाम अहमद; प्रधानमंत्री—युवराज सैफ-अल-इस्लाम अलबदर; शासन-स्वरूप—राजतंत्र; मुख्य नगर—होडिडा, इब्ब, एरिम।

सन् १२०० से ६५० ई० पू० तक यहाँ मिनायन-राज्य कायम रहा। सन् ६२८ ई० में यहाँ के लोगों ने इस्लाम-धर्म स्वीकार किया। यहाँ सन् १५३८ से १६३० ई० तक और पुनः सन् १८४९ से १९८८ ई० तक तुर्कों का आधिपत्य रहा। सऊदी अरब और ग्रेट-ब्रिटेन के बीच हुई सन् १९३४ ई० की सन्धि के अनुसार इसकी प्रभुसत्ता स्वीकार की गई। सन् १९४७ ई० में यह संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य हुआ। मार्च, १९५८ ई० में अपनी स्वतन्त्र राजनीतिक सत्ता कायम रखते हुए संयुक्त अरब राज्य-संघ के निर्माण के लिए यह संयुक्त अरब-गणराज्य (यू० ए० आर०) में सम्मिलित हुआ। जनवरी, १९६२ ई० में इसने संयुक्त अरब-गणराज्य से अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया। यहाँ कोई पार्लियामेंट या राजनीतिक दल नहीं है।

यहाँ तेल की खानें हैं। कृषि-उत्पादन में अनाज, फल और तरकारियाँ मुख्य हैं। निम्न भूमि में पशु-पालन भी होता है।

लंका (श्रीलंका, सिलोन)

स्थिति—भारत के दक्षिण एक छोटा-सा द्वीप; क्षेत्रफल—२५,३३२ वर्गमील; जनसंख्या—९६,२५,००० (१९५९ का अनुमान); राजधानी—कोलम्बो; भाषा—सिंहली; धर्म—बौद्ध; सिक्का—सिलोनी रुपया; गवर्नर जेनरल—विलियम गोपालवा (२ मार्च, '६२ से); प्रधानमंत्री—श्रीमती सिरिमावो भण्डारनायक (२१ जुलाई, १९६० से); शासन-स्वरूप—गणतंत्र। मुख्य नगर—जाफना, कैण्डी, गैले, निगोम्बो, कुरनेगला, नुवारा, एलिया।

यहाँ के लगभग ९६ लाख व्यक्तियों में लगभग ५.७ लाख सिंहली और शेष दक्षिण-भारतीय मिश्रित जातियाँ और यूरोपवासी हैं। यहाँ चाय, रबर और नारियल की खेती बहुत अधिक होती है। खाद्यान्न अधिकतर बाहर से मँगाया जाता है।

प्राचीन काल में भारतीयों ने इस द्वीप को बसाया था। कहते हैं कि यहाँ के मूल निवासी सिंहली उन्हीं के वंशज हैं। इस द्वीप को पहले ताम्रनेण (ताम्रपर्णी); सेरेनदिव (श्रेण्यद्वीप) और सिंहलीद्वीप भी कहते थे। 'महावंश' के अनुसार ईसा-पूर्व छठी शताब्दी में गंगा की घाटी से विजय नामक एक राजकुमार यहाँ पहुँचा और सिंहलियों का प्रथम राजा बना। ३०० ई० पू० में यहाँ बौद्धधर्म का प्रचार हुआ। १६वीं सदी में पुर्त्तगीज और १७वीं सदी में डच लोगों ने इसके समुद्र-तट के कुछ भागों पर अधिकार किया था। सन् १७८६ ई० में यह अँगरेजों के हाथ में आया। उस समय यह बम्बई प्रेसिडेन्सी में मिलाया गया था। सन् १८०२ ई० में यह एक अलग ब्रिटिश-उपनिवेश बनाया गया। सन् १९४८ ई० की ४ फरवरी को ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के अन्तर्गत सुरक्षा और परराष्ट्र-नीति को छोड़कर शेष सभी विषयों में इसने दायित्वपूर्ण अस्तित्व को प्राप्त किया। जुलाई, १९५६ ई० में यहाँ गणतंत्र घोषित किया गया।

सितम्बर, १९५९ ई० में एक विद्रोही युवक ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीभण्डारनायक की हत्या कर दी। इसके बाद विजयानन्द दहनायक प्रधानमंत्री बनाये गये। तत्पश्चात् २० जुलाई, १९६० को यहाँ की संसद् का नवनिर्वाचन हुआ, जिसमें भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीभण्डारनायक की विधवा पत्नी श्रीमती सिरिमावो भण्डारनायक के नेतृत्व में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ। फलस्वरूप, २१ जुलाई, १९६० को श्रीमती सिरिमावो लंका की प्रधान मन्त्रिणी बनाई गई, जो विश्व की एकमात्र महिला-प्रधानमंत्री हैं। यहाँ की पार्लमेंट में सिनेट के ३० सदस्य और प्रतिनिधि सभा के १०१ सदस्य हैं।

लाओस

स्थिति—दक्षिण-पूर्व एशिया; क्षेत्रफल—८९,००० वर्गमील; जनसंख्या—२०,२०,००० (१९६२ का अनुमान); शासन-केन्द्र—वियण्टियाने; भाषा—थाई, इण्डोनेशियन और चीनी; धर्म—बौद्ध; राजा—सवांग वथाना (अक्टूबर, १९५९ से); प्रधानमंत्री—सौवन्ना फौमा; शासन-स्वरूप—संवैधानिक राजतंत्र। मुख्य नगर—लुआंग-प्रबांग (राजनगर) पाकसे, सवन्नखेत।

लाओस दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थित हिन्द-चीन का मध्य और उत्तर-पश्चिम का भाग है। १४वीं सदी के पूर्व थाई-जाति के कुछ लोग मीकांग नदी की घाटी में आकर बस गये। उन्होंने वहाँ के मूलनिवासी खस लोगों को पराजित कर लुआंग-प्रबांग, किंजगखवांग और वियण्टियाने में प्रतिद्वन्द्वी शासन-सत्ताएँ स्थापित कीं। १४वीं शताब्दी में कुछ समय के लिए इन तीनों का 'लक्जंग' नामक एक संयुक्त राज्य कायम हुआ, जिसने वर्त्तमान थाईलैंड, कम्बोडिया और वीतनाम की क्रमशः थाई, खमेर और अनाखी जातियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित हुआ। आगे चलकर सन् १८०७ ई० में यह राज्य लुआंग-प्रबांग, वियण्टियाने और चम्पासेक—इन तीन राज्यों में बँट गया। सन् १८९३ ई० में यहाँ फ्रांस का संरक्षण आरम्भ हुआ।

२०वीं शताब्दी के द्वितीय महासमर में चार वर्ष तक जापान के अधीन रहने के बाद फ्रांसीसियों ने अपने अधिकृत क्षेत्र हिन्द-चीन को लाओस, कम्बोडिया और वीतनाम—इन तीन भागों में बाँट दिया। सन् १९४७ ई० में लाओस में संवैधानिक राजतंत्र आरम्भ हुआ। १९ जुलाई, १९४७ ई० की संधि के अनुसार यह फ्रांसीसी यूनियन के अंतर्गत एक स्वतंत्र देश बना। १९ दिसम्बर, १९५४ ई० के पेरिस समझौते के अनुसार इसकी संप्रभुता स्वीकार की गई। अप्रैल, १९५३ ई० में वीतनामियों ने इसपर आक्रमण किया और फ्रांसीसियों ने इसकी सहायता की। सन् १९५४ ई० के जिनेवा-सम्मेलन के अनुसार वीतनामी और फ्रांसीसी सैनिकों ने तो लड़ाई बन्द कर दी, परन्तु गृह-युद्ध चलता रहा, जिसमें इनका भी हाथ रहा है। यहाँ पहले दो गुट थे—संयुक्त राज्य अमेरिका-समर्थित दक्षिण-पंथी और साम्यवादी-समर्थित पैथेट लाओ। बाद, एक तीसरा तटस्थवादी गुट बना। इन दिनों तटस्थवादी गुट का नेतृत्व सौवन्ना फौमा के हाथ में, दक्षिण-पंथी गुट का राजकुमार बोन ओम के हाथ में तथा वाम-पक्षीय या पैथेट लाओ का राजकुमार सौफन्नो वौंग के हाथ में है।

१ जून, १९६२ ई०, को १२ वर्ष के गृह-युद्ध के बाद तीनों राजकुमारों ने एक संयुक्त सरकार बनाने का निश्चय किया और तदनुसार संयुक्त सरकार का निर्माण भी हुआ, जिसके प्रधान मंत्री सौवन्ना फौमा बनाये गये। किन्तु, ९ महीने की शांति के बाद यहाँ पुनः गृह-युद्ध आरम्भ हो गया है।

लेबनान

स्थिति—पश्चिम एशिया में भूमध्यसागर के किनारे सीरिया और इजराइल के बीच; क्षेत्रफल—३,४०० वर्गमील; जनसंख्या—१६,२६,००० (१९५७); राजधानी—बेरुत; भाषा—अरबी; धर्म—ईसाई; सिक्का—सीरियन लिवियन पौंड; राष्ट्रपति—जेनरल फौआद चेहाब (१९५८); प्रधान मंत्री—रशीद करामी (३१ अक्टूबर, १९६१ ई० से); शासन-स्वरूप—गणतंत्र। मुख्य नगर—त्रिपोली, जाहले, सैदा, तीरे।

यह पहले के तुर्की-साम्राज्य के पाँच जिलों—उत्तरी लेबनान, माउण्ट लेबनान, दक्षिणी लेबनान, बेरुत और बेका—से बना है। यह सीरिया के साथ सितम्बर, १९२० ई० में स्वतंत्र हुआ; परन्तु सन् १९४१ ई० तक फ्रांस का आदिष्ट राज्य ही बना रहा। सन् १९४६ ई० में यह पूरा स्वतंत्र हो गया। ३१ अक्टूबर, १९६१ को यहाँ का नया मंत्रिमंडल बना। ३१ दिसम्बर, १९६१ ई०, को यहाँ सैनिक विद्रोह हुआ था, जिसे दबा दिया गया।

यहाँ की पार्लमेण्ट का एक सदन है। राष्ट्रपति का चुनाव ६ वर्षों के लिए होता है। यहाँ ईसाई और मुसलमान जातियों की संख्या बराबर होने के कारण राष्ट्रपति के लिए ईसाई और प्रधानमंत्री के लिए मुसलमान होना जरूरी है। लेबनान अरब-राज्य-संघ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ का भी सदस्य है।

वीतनाम

वीतनाम का प्राचीन इतिहास ईसवी सन् के प्रारम्भिक काल से ही आरम्भ होता है। इसका पुराना नाम 'टौंकिंग था, जो इस समय वीतनाम का उत्तरी क्षेत्र है। सन् १११ ई० में चीन के हान-वंशीय राजा ने इसे अपने अधिकार में किया। उन दिनों यह क्षेत्र 'नामवीत' कहलाता था। सन् ९३९ ई० में यह चीन से अलग हुआ, किन्तु फिर पीछे कई वार चीन-साम्राज्य के अंतर्गत आया। १५वीं शताब्दी के अंत तक वीतनामियों ने चम्पा के अधिकांश पर तथा १८वीं सदी के अंत तक कोचीन-चीन पर अधिकार जमाया। चम्पा का क्षेत्र इस समय वीतनाम का मध्य भाग और कोचीन-चीन दक्षिणी भाग है। १६वीं सदी के अंत में यहाँ फ्रांसीसियों का स्वार्थ आरम्भ हुआ। सन् १८८५ ई० से यह हिन्द-चीन के साथ फ्रांस का संरक्षित राज्य रहा। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय सन् १९४०—४५ ई० तक इसपर जापानियों का अधिकार हुआ। जापान की पराजय के बाद फ्रांसीसियों ने हिन्द-चीन को लाओस, कम्बोडिया और वीतनाम—इन तीन भागों में बाँट दिया। सन् १९५४ ई० में पुनः वीतनाम दो भागों में बँट गया—उत्तर वीतनाम और दक्षिण वीतनाम तथा १७° २० अक्षांश-रेखा दोनों के बीच की सीमा-रेखा मानी गई।

उत्तर वीतनाम

स्थिति—हिन्द-चीन के उत्तर-पूरब; क्षेत्रफल—६३,३६० वर्गमील; जनसंख्या—१,५९,१६,९५५ (१९६०); राजधानी—हनोई; भाषा—अनामी, फ्रेंच, कम्बोडियन; धर्म—बौद्ध; राष्ट्रपति—डॉ० हो-ची-मिन्ह; प्रधानमंत्री—फाम-वान-डौंग; शासन-स्वरूप—गणतंत्र (साम्यवादी ढंग का)।

कृषि एवं खनिज धन यहाँवालों की प्रधान जीविका है। जुलाई, १९५४ ई० की जेनेवा-सन्धि के अनुसार यहाँ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की स्थापना की गई। इसका शासन साम्यवादी ढंग का है।

यहाँ की पार्लमेण्ट का एक सदन है। यहाँ का नया संविधान, जो साम्यवादी चीन के संविधान के ढंग का है, १ जनवरी, १९६० ई० से लागू किया गया है। यहाँ की नेशनल असेम्बली का चुनाव हर चौथे वर्ष होता है। १५ जुलाई, १९६० को यहाँ के राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के पद पर पुराने ही व्यक्ति पुनर्निर्वाचित हुए।

दक्षिण वीतनाम

स्थिति—हिन्द-चीन के दक्षिण-पूरब; क्षेत्रफल—६५,७२६ वर्गमील; जनसंख्या—१,३८,००,००० (१९५९); राजधानी—साइगौन; भाषा—अनामी, फ्रेंच; धर्म—बौद्ध; राष्ट्रपति—नगोडीन्ह डीम; शासन-स्वरूप—गणतंत्र (प्रधानात्मक)।

इसके अन्तर्गत अनाम और कोचीन-चीन हैं। मुख्यतः धान की खेती यहाँ के लोगों का प्रधान पेशा है। यहाँ का शासन संयुक्तराज्य अमेरिका के ढंग का है। यहाँ की पार्लमेण्ट का एक ही सदन है। यहाँ का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। अप्रैल, १९६१ ई० में यहाँ नया चुनाव हुआ, जिसमें नागो-डीन्ह-डीम दुबारे राष्ट्रपति चुने गये।

सऊदी अरब

स्थिति—अरब के मध्य उसके ⅘ भाग में विस्तृत; क्षेत्रफल—१,५०,००० वर्गमील; जन संख्या—२० लाख; राजधानी—रियाध और मक्का; भाषा—अरबी; धर्म—मुस्लिम; सिक्का—रियाल; राजा—शाह सऊद इब्न अब्दुल अजीज (दिसम्बर, १९६० से प्रधानमंत्री भी); शासन-स्वरूप—राजतंत्र (धर्म-सापेक्ष); मुख्य नगर—बुरैदा, अनैजा, हफूफ, हेल, जौफ और सकाका।

इसका प्रारम्भिक इतिहास अरब का इतिहास है। वर्त्तमान सऊदी अरब-राज्य का निर्माण इब्न सऊद (१८८०–१९५३) ने किया। यह पूर्व के वहाबी शासकों का वंशधर था। इसने सन् १९०१ ई० में रियाध के अमीर से उसका राज्य ले लिया और अपने को अरब के राष्ट्रीय आन्दोलन का नेता घोषित किया। इसने सऊदी अरब को संयुक्त राष्ट्रसंघ का प्रारम्भिक सदस्य बनाया। सन् १९४५ ई० में सऊदी अरब अरब-लीग का सदस्य हुआ। इब्न सऊद की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र गद्दी पर वर्त्तमान है। अक्टूबर, १९५३ ई० में यहाँ एक प्रधनामंत्री के अधीन मंत्रिमंडल का गठन किया गया। हेजाज और नेज्द का शासन-प्रबन्ध अलग से होता है। हेजाज में संवैधानिक राजतंत्र कायम है। सन् १९५८ ई० में यहाँ के शाह ने अपने छोटे लड़के अमीर फैजल को प्रधानमंत्री बनाया, किन्तु दिसम्बर, १९६० ई० से वह स्वयं ही प्रधानमंत्री का भी कार्य-संचालन कर रहा है।

सिंगापुर

स्थिति—दक्षिण-एशिया में मलाया के दक्षिण एक छोटा-सा; द्वीप; क्षेत्रफल—२२४·५ वर्गमील; जन-संख्या—१६,६५,४०० (१९६०); राजधानी—सिंगापुर; भाषा—चीनी, मलायन; धर्म—बौद्ध; राज्य का प्रधान—इचे यूसुफ बिन-इशाक; प्रधानमंत्री—ली-कुआन-यू (जून, १९५९ ई० से); शासन-स्वरूप—ब्रिटेन के अधीन स्वायत्त शासन।

सन् १९४६ ई० में स्ट्रेट सेटलमेण्ट का उपनिवेश तोड़कर पेनांग और मलक्का को मलाया में तथा लेबुआन को ब्रिटिश नॉर्थ बोर्नियो में मिला दिया गया। शेषांश सिंगापुर-उपनिवेश के नाम से कायम हुआ।

यह मलाया से जाहोर जल-डमरूमध्य द्वारा पृथक् होता है। यह २७ मील लम्बा और १४ मील चौड़ा है। रबर यहाँ की मुख्य उपज है। इसका महत्त्व व्यापारिक दृष्टि से अधिक है। प्रशान्त और हिन्द महासागर के मध्य में स्थित होने के कारण यह पूर्व और पश्चिम के समुद्री मार्गों का अन्तरराष्ट्रीय केन्द्र है। १४० वर्षों तक ब्रिटिश उपनिवेश रहने के बाद ३ जून, १९५९ को इसे ब्रिटेन के अधीन स्वायत्त-शासनाधिकार प्राप्त हुआ।

सीरिया

स्थिति—एशिया महादेश का पश्चिमी किनारा; **क्षेत्रफल**—७२,२३४ वर्गमील; **जन-संख्या**—४६,५६,६८८ (१९५६); **राजधानी**—दमिश्क; **भाषा**—अरबी; **धर्म**—मुस्लिम; **सिक्का**—सीरियन लिबियन पौंड; **क्रान्ति की राष्ट्रीय परिषद् के अध्यक्ष**—मेजर जेनरल लोने अतासी (२४ मार्च, १९६३ से); **प्रधानमंत्री**—समिअल अल जुएडी (११ मई,१९६३ से); **शासन-स्वरूप**—गणतंत्र; **मुख्य नगर**—अलेपो, होम्स, हामा।

यह संसार का एक पुराना राष्ट्र है। पहले यह तुर्की-साम्राज्य के अन्तर्गत था। पीछे सन् १९२० से १९४० ई० तक फ्रांस का आदिष्ट राज्य रहा। उसके बाद यह गणतंत्र घोषित किया गया। सन् १९४९ से मार्च १९६३ ई० तक यहाँ पाँच बार सैनिक राज्य-क्रान्तियाँ हुईं। सन् १९५४ ई० में यहाँ सम्मिलित दल का शासन आरम्भ हुआ। सन् १९५८ ई० के आरम्भ में मिस्र और सीरिया ने मिलकर 'संयुक्त अरब-गणतंत्र' कायम किया। अक्टूबर, १९६१ ई० में मिस्र-सरकार के व्यवहार से असंतुष्ट होकर सीरिया संयुक्त अरब गणतंत्र से अलग हो गया। किन्तु राष्ट्रपति नसीर इसे मान्यता नहीं दे रहा था। २८ मार्च, १९६२ को सीरिया में रक्तहीन सैनिक क्रान्ति हुई। संसद् भंग कर राष्ट्रपति और प्रधानमन्त्री-सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों से त्याग-पत्र लिया गया। किन्तु, अप्रैल के मध्य में सैनिक शासन हटाकर नीति में कुछ परिवर्त्तन के साथ पुराने ही मंत्रिमंडल के हाथों में शासन-सत्ता सौंप दी गई। ८ मार्च, १९६३ ई० की क्रान्ति के फलस्वरूप सीरिया अप्रैल में पुनः अरब-गणराज में सम्मिलित हुआ, जिसकी चर्चा अरब-गणराज्य के प्रकरण में की गई है। मार्च, १९६२ ई० के सैनिक विद्रोह के फलस्वरूप सालेह एडिन बितार प्रधान मंत्री बनाया गया था, किन्तु ११ अप्रैल, १९६३ को उसने त्याग-पत्र दे दिया।



यूरोप महादेश

प्राचीन काल में एशिया महादेश सभ्यता और संस्कृति में सभी महादेशों से आगे बढ़ा हुआ था, परन्तु इधर तीन-चार सौ वर्षों में उसकी भौतिक अवनति हुई और उसके प्रतिकूल यूरोप ज्ञान-विज्ञान, उद्योग-धंधे, वाणिज्य-व्यवसाय सबमें बहुत उन्नति कर गया। सौ-दो सौ वर्षों के अन्दर इसने पृथ्वी के सभी महादेशों के प्रायः सब देशों पर अपना अधिकार कर लिया या धाक जमा ली। हाँ, एशिया अब इसके प्रभुत्व से प्रायः छुटकारा पा चुका है और अफ्रिका के अधिकांश देश भी यूरोप की दासता से मुक्त हो गये हैं। पर, अस्ट्रेलिया और अमेरिका में आज भी यूरोप के मूल-निवासियों का ही बोलबाला है, यद्यपि वे अपने मूल देशों से स्वतन्त्र हो गये हैं। इधर संयुक्तराज्य अमेरिका की धाक अन्य महादेशों के साथ-साथ यूरोप पर भी जम चुकी है।

यूरोप एक छोटा महादेश है। यदि उससे रूस को अलग कर दिया जाय, तो वह लगभग भारत के बराबर हो जायगा। रूस को छोड़कर उसकी जनसंख्या ४१ करोड़ १० लाख है, जो

भारत की जनसंख्या के लगभग बराबर है। यह महादेश तीन प्राकृतिक भागों में बाँटा जा सकता है—(१) उत्तर-पश्चिम का पहाड़ी भाग, (२) बीच की समतल भूमि और (३) दक्षिण की पहाड़ी भूमि। इसका समुद्र-तट २-३ हजार मील लम्बा है। यहाँ के निवासी इण्डो-यूरोपियन वंश के कहे जाते हैं। धर्म के हिसाब से यहाँ के अधिकांश लोग ईसाई हैं। हाँ, एक करोड़ यहूदी भी होंगे। कुछ मुसलमान भी यहाँ हैं। यूरोप के इंगलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेलजियम, पुर्त्तगाल, स्पेन, हालैंड आदि देशों ने संसार के विभिन्न भागों में अपना-अपना साम्राज्य स्थापित किया। यूनान और रोम इसके प्राचीन सभ्य देश हैं।

अंडोरा

स्थिति—फ्रांस और स्पेन के बीच; क्षेत्रफल—१६१ वर्गमील; जनसंख्या—६,४३६ (१६५७); राजधानी—अंडोरा; भाषा—कटलन; मुख्य धर्म—रोमन कैथोलिक; शासन-स्वरूप—गणतन्त्र।

यह ६ गाँवों का राज्य है, जो सन् १२७८ ई० से ही कुछ हद तक स्वतन्त्र है। इसका शासन एक कौंसल-जेनरल द्वारा होता है, जिसमें २४ सदस्य होते हैं। यह फ्रांस के राष्ट्रपति और स्पेन के अर्गलके विशॉप के संप्रभुत्व में है और उन्हीं को कर देता है। यहाँ सन् १६४१ ई० से सार्वजनिक मताधिकार को समाप्त कर परिवार के मुखिया द्वारा निर्वाचन की व्यवस्था की गई है।

अलबानिया

स्थिति—युगोस्लाविया, ग्रीस और एड्रियाटिक समुद्र से घिरा; क्षेत्रफल—१०,६२६ वर्गमील; जनसंख्या—१६,२५,००० (१६६०); सिक्का—अलबानियन फ्रैंक; राजधानी—तिराना; भाषा—अलबानियन; धर्म—इस्लाम और रोमन कैथोलिक; चेयरमैन ऑफ दी प्रेसिडियम ऑफ पिपुल्स एसेम्बली—मेजर जेनरल हक्जी लेशी; मंत्रिमंडल का अध्यक्ष—कर्नल जेनरल मेहमत शेहू; शासन-स्वरूप—गणतंत्र (साम्यवादी ढंग का); मुख्य नगर—वेरट, कोर्सी, सकोडर, एलबासान, जीनो क्स्टर।

यह कृषकों और पशुपालकों का देश है। यहाँ मुख्यतः घेघ-जाति के लोग हैं। इसमें २६ जिले और २२ नगर हैं। लगभग २,००० वर्षों तक विभिन्न देशों के सैनिक इसे रौंदते रहे। सन् १६१२ ई० में यह टर्की से स्वतन्त्र हुआ। सन् १६२५ ई० में यह गणतंत्र घोषित हुआ, किन्तु १६२८ ई० में यहाँ राजतंत्र स्थापित हो गया। द्वितीय महासमर में जर्मनी और इटली ने इसपर आक्रमण किया। सन् १६४६ ई० में यहाँ पुनः गणतंत्र घोषित किया गया। सन् १६५६ ई० से यहाँ स्टालिनवादी साम्यवादियों का शासन है। सन् १६६० ई० में साम्यवाद के सैद्धान्तिक आदर्शों को लेकर जब रूस और चीन में मतभेद हुआ था, तब यह चीन के साथ था। सोवियत रूस के साथ इसका मतभेद बढ़ता ही जा रहा है। इधर दोनों देशों ने अपने-अपने राजदूत को वापस बुला लिया है।

आस्ट्रिया

स्थिति—मध्य यूरोप; क्षेत्रफल—३२,३६६ वर्गमील; जनसंख्या—७०,००,००० (१६५८ ई०); राजधानी—वियना; भाषा—जर्मन; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—शिलिंग; राष्ट्रपति—अडोल्फ स्कर्फ (१६५७ ई० से); चांसलर (प्रधानमंत्री)—डॉ० अल्फोन्स गॉरबक (१६६१ से); शासन-स्वरूप—गणतन्त्र; मुख्य नगर—ग्राज, लिञ्ज, इन्सब्रुक, सल्जवर्ग।

प्रारम्भ में अस्ट्रिया, अस्ट्रिया-हंगरी-साम्राज्य का एक भाग रहा। हैप्सवर्ग घराने का सम्राट् रूडॉल्फ सन् १२७३ ई० में रोम-साम्राज्य का सम्राट् बनाया गया। इस घराने के लोग नेपोलियन वोनापार्ट के उदय-काल (सन् १८०६ ई०) तक रोम-साम्राज्य पर शासन करते रहे। प्रथम महासमर के बाद अस्ट्रिया-हंगरी-साम्राज्य विघटित हो गया और अस्ट्रिया-गणतन्त्र की स्थापना हुई। सन् १९३८ से १९४५ ई० तक इसपर जर्मनी का अधिकार रहा। पीछे इसपर इंगलैंड आदि मित्र-राष्ट्रों का कब्जा हो गया। १७ वर्षों की परतन्त्रता के बाद १५ मई, १९५५ को यह स्वतन्त्र कर दिया गया। सन् १९५९ ई० में यहाँ आम चुनाव हुआ और पीपुल्स पार्टी तथा सोशलिस्ट पार्टी की संयुक्त सरकार कायम हुई। इसमें ९ प्रान्त हैं। यहाँ की पार्लमेंट के दो सदन हैं।

आइसलैंड

स्थिति—उत्तरी अटलांटिक में आर्कटिक वृत्त के निकट एक द्वीप; क्षेत्रफल—३९,७५८ वर्गमील; जनसंख्या—१,७७,००० (१९६०); राजधानी—रेकजाविक; भाषा—आइसलैंडिक; धर्म—इभान जेलिकल लुदरन; सिक्का—क्रोन; राष्ट्रपति—असगीर असगीरसन (पुनर्निर्वाचित १९६०); प्रधानमंत्री—ओलाफर थार्स (पुनर्निर्वाचित १९६०); शासन-स्वरूप—गणतन्त्र। मुख्य नगर—अकुरेरी, अफनर्फजोरो, कोपाभोगर।

दुनिया के ज्वालामुखीवाले देशों में इसका स्थान अग्रगण्य है। यहाँ की जमीन ऊँची-नीची तथा बंजर है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना और उसका निर्यात करना है। यह सन् १९४४ ई० में डेनमार्क से स्वतन्त्र हुआ। यहाँ की पार्लमेंट के दो सदन हैं। राष्ट्रपति का चुनाव ४ वर्षों के लिए होता है। आइसलैंड के पास उसकी कोई अपनी सेना नहीं है। परन्तु, यह उत्तर अटलांटिक-संधि-संगठन का सदस्य है। सन् १९५१ ई० की संधि के अनुसार संयुक्त-राज्य अमेरिका इस देश पर अपनी स्थल, वायु तथा जल-सेना रखता है। जून, १९५९ ई० में यहाँ की पार्लमेंट का नवीन निर्वाचन हुआ।

आयरलैंड (आयरिश रिपब्लिक)

स्थिति—पश्चिमी यूरोप महादेश में ग्रेट-ब्रिटेन से पश्चिम एक द्वीप; क्षेत्रफल—२६,५९९ वर्गमील; जनसंख्या—२८,१४,७०३ (१९६०); राजधानी—डबलिन; भाषा—आयरिश; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—आयरिश पौंड; राष्ट्रपति—ईमोन-डी-वेलेरा (जून, १९५९ से); प्रधानमंत्री—सीन लेमास (जून १९५९ से); शासन-स्वरूप—गणतंत्र; मुख्य नगर—कॉर्क, लिमेरिक, वाटरफोर्ड, गाल्वे, बेलफास्ट।

ईसवी-सन् के प्रारम्भ में आयरलैंड पाँच राज्यों में बँटा था, जिनके अपने-अपने शासक थे, किन्तु सभी एक प्रधान शासक के अधीन थे, जो टारा में रहता था। इसके उत्तरी तट पर नारवे-वालों का सन् ७९५ से १०१४ ई० तक अधिकार रहा। १२वीं सदी के मध्य में पोप ने यह भू-भाग ग्रेट-ब्रिटेन को सैन्य-सेवा के लिए भेंट-स्वरूप दे दिया। सन् ११७१ ई० में इंगलैंड का राजा हेनरी द्वितीय सम्पूर्ण आयरलैंड का स्वामी माना गया, किन्तु इसका आन्तरिक स्वशासन चलता रहा। सन् १८०० ई० के विधान के अनुसार इंगलैंड और आयरलैंड का संयुक्त राज्य युनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट-ब्रिटेन ऐण्ड आयरलैंड कहलाने लगा।

इसने अप्रैल, १६१६ ई० में ब्रिटिश सरकार से विद्रोह कर गणतंत्र की घोषणा की, किन्तु यह असफल रहा। सन् १६१६ ई० में पुनः यहाँ की पार्लमेंट ने स्वतन्त्रता की माँग की। दिसम्बर, १६२१ ई० में ब्रिटेन ने अल्स्टर (उत्तरी आयरलैंड) और दक्षिणी आयरलैंड को अधिराज्य-पद प्रदान किया। उत्तरी आयरलैंड ने इसे स्वीकार कर लिया। दक्षिणी आयरलैंड (आयरिश फ्री स्टेट) अपना अधिकार सम्पूर्ण आयरलैंड पर मानता रहा, किन्तु सन् १६२५ ई० में उत्तरी आयरलैंड ने ब्रिटेन के साथ ही रहने का निश्चय किया। दिसम्बर, १६३७ ई० के संविधान में दक्षिणी आयरलैंड ने पुराना नाम आयरलैंड ही रखा और इसे पूर्ण स्वतंत्र गणतंत्र घोषित किया। अप्रैल, १६४६ ई० से यह इंगलैंड से पूरी तरह स्वतंत्र हो गया और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का सदस्य बना रहना भी इसने स्वीकार नहीं किया। यह अब भी चाहता है कि अलस्टर हमारे साथ रहे। आयरलैंड की पार्लमेण्ट के दो सदन हैं। यहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव ७ वर्षों के लिए होता है। यह एक कृषि-प्रधान देश है। यहाँ की किलार्नी झील बहुत प्रसिद्ध है।

इटली

स्थिति—यूरोप महादेश का दक्षिण-पश्चिम भाग; **क्षेत्रफल**—१,१७,४७१ वर्गमील; **जनसंख्या**—५,०४,६३,७६२ (१६६१); **राजधानी**—रोम; **भाषा**—इटालियन; **धर्म**—रोमन कैथोलिक; **सिक्का**—लीरे; **राष्ट्रपति**—ऐराटोनियो सेगनी (७ मई, १६६२ से) **प्रधानमंत्री**—सिगनोर रिओवानी लियोन (जून, १६६३ से); **शासन-स्वरूप**—गणतन्त्र; **मुख्य नगर**—नेपल्स, जेनोआ, मिलन, टुरिन, वेनिस, पैलर्मो, फ्लॉरेन्स।

यह उत्तर में आल्प्स पर्वत से लेकर भूमध्यसागर के अन्दर दक्षिण-पूरब दिशा में बहुत दूर तक फैला हुआ है। इसमें मुख्य भूखण्ड के अतिरिक्त सिसली, सारडिनिया, एल्बा और ७० अन्य छोटे-छोटे द्वीप सम्मिलित हैं। यह दुनिया में मरकरी (पारा) का सबसे बड़ा उत्पादक है। गंधक के उत्पादन में भी इसका प्रमुख स्थान है।

प्राचीन काल में यहाँ का रोम-साम्राज्य अपने सुव्यवस्थित शासन, सभ्यता और संस्कृति के लिए विश्वविख्यात था। द्वितीय महासमर के पूर्व यहाँ फासिस्ट शासन की स्थापना हुई थी, जिसका प्रवर्त्तक मुसोलिनी था। मुसोलिनी के अधिनायत्व में इटली ने द्वितीय महासमर में नाजी जर्मनी का साथ दिया था। यहाँ के वर्त्तमान गणतन्त्र की स्थापना सन् १६४६ ई० में हुई थी। यहाँ की पार्लमेंट के दो सदन हैं। दोनों की सम्मिलित बैठक में राष्ट्रपति सात वर्षों के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, पर वह पार्लमेण्ट के प्रति उत्तरदायी रहता है।

सन् १६५४ ई० में स्वतन्त्र नगर ट्रिस्टे को इटली के साथ सम्बद्ध कर संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा-परिषद् की देख-रेख में रखा गया। विशेष विवरण के लिए देखें 'ट्रिस्टे'।

ग्रीस (यूनान)

स्थिति—दक्षिणी यूरोप; **क्षेत्रफल**—५१,२४६ वर्गमील; **जनसंख्या**—८३,५७,५२६ (१६६१); **राजधानी**—एथेन्स; **भाषा**—ग्रीक और तुर्की; **धर्म**—ग्रीक ऑर्थोडॉक्स; **सिक्का**—ड्रॉक्मा, **शासक**—प्रथम किंग पॉल (१६४७ से); **प्रधानमंत्री**—कान्सटेरिटन कैरेमैनलिस (१६५८ से); **शासन-स्वरूप**—वंश-परम्परागत संवैधानिक राजतंत्र। **मुख्य नगर**—वोलोस, हेराकलियोन, थेसालोनिकी, पैट्रॉस।

यह एक प्राचीन देश है, जो अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है। यहाँ के प्राचीन नगर-राज्यों में गणतांत्रिक शासन-व्यवस्था थी। इसने महात्मा सुकरात, अरस्तू और प्लेटो-जैसे महापुरुषों को जन्म दिया, जिनकी देन विविध ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में आज भी महत्त्वपूर्ण है। यह वर्त्तमान पाश्चात्य सभ्यता का जनक समझा जाता है। इसका अधिकांश पहाड़ी और दलदल भूमि है। यहाँ बहुत-से टापू हैं। मई, १९५८ ई० के चुनाव में नेशनल रेडिकल यूनियन पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ। सन् १९५२ ई० से महिलाओं को भी मत प्रदान करने का अधिकार दिया गया है। यहाँ २१ से ५० वर्ष के उम्रवालों के लिए सैनिक सेवा जरूरी है। यह उत्तर अटलांटिक संधि-संगठन का सदस्य है। सन् १९५४ ई० में इसने तुर्की और युगोस्लाविया के साथ बीस वर्षीय सैनिक साहाय्य-सन्धि की।

ग्रेट-ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड

स्थिति—यूरोप के उत्तर-पश्चिम भाग में; **ग्रेट-ब्रिटेन का क्षेत्रफल**—८९,०४१ वर्गमील और उत्तरी आयरलैंड का—५,२३८ वर्गमील; **ग्रेट-ब्रिटेन की जनसंख्या**–५,१४,०२,९२३ (१९६१), और **उत्तरी आयरलैंड की जनसंख्या**—१४,१९,८०० (१९६० का अनुमान); **राजधानी**—लन्दन; **राजभाषा**—अँगरेजी; **जनभाषा**—अँगरेजी, स्कॉचवेल्स और आयरिश; **धर्म**—ईसाई; **सिक्का**—पौंड स्टर्लिङ्; **रानी**—एलिजाबेथ द्वितीय (१९५२ से); **प्रधानमंत्री**—हेराल्ड मैकमिलन (१९५५ से); **शासन-स्वरूप**—संवैधानिक राजतंत्र। **मुख्य नगर**—बरमिंघम, लिवरपूल, हल, ब्रिस्टल, ग्लासगो, साउदम्पटन, कारडिफ, एडिनबरा, मैनचेस्टर, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज।

ग्रेट-ब्रिटेन के अन्तर्गत इंगलैंड, वेल्स, स्कॉटलैण्ड तथा आइल्स ऑफ मैन और चैनेल द्वीप-पुंज हैं। उत्तरी आयरलैंड को मिलाकर सभी ब्रिटिश-द्वीपपुंज कहलाते हैं। पहले समस्त आयरलैंड ब्रिटिश-द्वीपपुंज के अन्दर माना जाता था और वह ब्रिटिश शासन के अधीन था, किन्तु सन् १९४९ ई० में दक्षिणी आयरलैंड पूर्ण स्वतन्त्र हो गया और केवल उत्तरी आयरलैंड ब्रिटिश शासन के अधीन रहा। ग्रेट-ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की वैधानिक सत्ता ब्रिटिश पार्लमेंट के अधीन है, जिसके दो सदन हैं—हाउस ऑफ् लॉर्ड्स (लॉर्ड-सभा) और हाउस ऑफ् कॉमन्स (साधारण सभा)। पहले सदन के ८४० सदस्य होते हैं, जो प्रायः आजीवन सदस्य बने रहते हैं। दूसरे सदन के ६२० निर्वाचित सदस्य होते हैं, जिनका निर्वाचन ५ वर्षों के लिए होता है। उत्तरी आयरलैंड की भी अपनी पार्लमेण्ट है, किन्तु ब्रिटिश हाउस ऑफ् कॉमन्स में भी इसके १२ प्रतिनिधि रहते हैं। यहाँ के प्रमुख राजनीतिक दल कंजरवेटिव, लेबर और लिबरल हैं।

द्वितीय महासमर तक ब्रिटेन का साम्राज्य संसार का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था और वह सभी महादेशों में फैला हुआ था। संयुक्तराज्य अमेरिका भी कभी इसी साम्राज्य के अन्तर्गत था। कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य में सूर्य कभी नहीं डूबता। किन्तु घटते-घटते भी इस साम्राज्य का क्षेत्र अभी बहुत बड़ा है। अस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैण्ड, जिनके विवरण अलग दिये गये हैं, अब नाम-मात्र को ब्रिटिश-साम्राज्य के अन्तर्गत हैं। मिस्र, भारत, पाकिस्तान, बर्मा और श्रीलंका भी पहले ब्रिटिश-साम्राज्य के अन्दर थे। ये सब द्वितीय महासमर के बाद स्वतन्त्र हुए हैं। अफ्रिका, दक्षिण-अमेरिका, अटलांटिक-द्वीपपुंज, पश्चिमी द्वीपपुंज (वेस्ट इण्डीज), प्रशान्त द्वीपपुंज और भूमध्यसागर में इसका साम्राज्य कहाँ-कहाँ है, यह आगे दिया जाता है—

अफ्रिका में—(१) जंजीबार : क्षेत्रफल—१,०२० वर्गमील और जनसंख्या—२,६६,१११ (१९५८); निवासी—अधिकतर अफ्रिकी। (२) ब्रिटिश गैम्बिया : क्षेत्रफल—३,६७७ वर्गमील और जनसंख्या—२,५०,८२० (१९६०); राजधानी—वैथर्स्ट। (३) वेसुटोलैण्ड : क्षेत्रफल—११,७१६ वर्गमील और जनसंख्या—६,४१,६७४ (१९५६)। (४) वेचुआनालैण्ड : क्षेत्रफल—२,२२,००० वर्गमील और जनसंख्या—३,२०,६७५ (१९५६)। (५) स्वाजीलैण्ड : क्षेत्रफल—६,७०५ वर्गमील और जनसंख्या—२,३७,०४१ (१९५६); राजधानी—मलावेन।

दक्षिणी अमेरिका में—ब्रिटिश गायना : क्षेत्रफल—८३,००० वर्गमील और जनसंख्या—५,७५,२७० (१९६०); निवासी—अधिकतर रेड-इण्डियन; राजधानी—जॉर्ज टाउन।

अटलांटिक द्वीपपुंज — (१) बरमुडा : न्यूयार्क से ६७७ मील दक्षिण-पूरब; ३६० छोटे-छोटे द्वीपों का समूह; क्षेत्रफल—२१ वर्गमील और जनसंख्या—४४,६१७ (१९६०); अमेरिका और ब्रिटेन का सामरिक अड्डा। (२) फाकलैण्ड द्वीपपुंज और उनके आश्रित स्थान—दक्षिण अटलांटिक का उपनिवेश; क्षेत्रफल—४,६१८ वर्गमील और जनसंख्या—२,१२७ (१९६०)। (३) न्यूफाउण्डलैंड और लैब्रेडर : क्षेत्रफल—१,५६,१८५ वर्गमील और जनसंख्या—४,७२,००० (१९६१); राजधानी—सेंट जोन्स। (४) ब्रिटिश हाण्डुरास—कैरिबियन समुद्र का उपनिवेश; क्षेत्रफल—८,८६७ वर्गमील और जनसंख्या—९०,३४३ (१९६०), राजधानी—वेलिजा।

पश्चिमी द्वीपपुंज (वेस्ट इंडीज)—एण्टिगुआ, बरबाडो, डोमिनिका, ग्रेनाडा, मौण्टसरेट, सेण्टक्रिस्टोफर, नेविस और एंगिवला, सेण्ट लूसिया और सेंटविन्सेंट : सन् १९५६ ई० में इन सबका एक संघ-राज्य कायम किया गया। मई, १९५७ ई० में इसका प्रथम गवर्नर-जेनरल—लार्ड मेल्स हुआ।

(१) बहमा द्वीप-समूह : क्षेत्रफल—४,४०४ वर्गमील और जनसंख्या १०,६७७ (१९६०); निवासी—८५ प्रतिशत अश्वेतांग। (२) बड़बाडो द्वीपपुंज : क्षेत्रफल—१६६ वर्गमील और जनसंख्या—२,३२,०८५ (१९६०)। (३) लीवार्ड द्वीपपुंज : क्षेत्रफल—४२३ वर्गमील और जनसंख्या—१,३०,४६३ (१९६०)। (४) विण्डवार्ड द्वीपपुंज : क्षेत्रफल—८१० वर्गमील; जनसंख्या—३,२२,५६१ (१९६०)। इसके अन्तर्गत ग्रेनाडा, सेण्ट-विन्सेण्ट, ग्रेनाडाइन्स, सेण्ट लूसिया और डोमिनिका-द्वीप हैं। सबका शासन एक गवर्नर के अधीन है।

प्रशान्त-द्वीपपुंज : (१) फिजी—लगभग ३२२ द्वीपों का समूह; क्षेत्रफल—७,०३६ वर्गमील; जनसंख्या—४,२१,०१८ (१९६०)। इनमें लगभग २ लाख भारतीय हैं। राजधानी—सूवा; शासन के लिए गवर्नर, एक्जिक्यूटिव कौंसिल और लेजिस्लेटिव कौंसिल। लेजिस्लेटिव कौंसिल में ५ भारतीय सदस्य।

अन्य छोटे-छोटे द्वीप-समूह : गिलबर्ट और ऐलिस द्वीपपुंज—उपनिवेश—सोलोमन द्वीपपुंज—रक्षित राज्य, न्यू हेब्रिड्स कोण्डोमीनियन, टोंगो-द्वीपपुंज, पिटकैर्न द्वीप, स्टारबक द्वीप, माल्डन द्वीप, कैरोलिन और वोस्ट-द्वीपपुंज आदि-आदि।

(१) नौरू द्वीप : क्षेत्रफल—५,२६३ एकड़ और जनसंख्या—४,५३६ (१९६१), संयुक्त राष्ट्रसंघ के ट्रस्टीशिप में; (२) ब्रिटिश उत्तरी बोर्नियो : क्षेत्रफल—२९,३८८ वर्गमील

और जनसंख्या—४,५४,३२८ (१९६०); निवासी—मुख्यतः मुसलमान और आदिवासी। (३) ब्रुनेई : क्षेत्रफल—२,२२६ वर्गमील और जनसंख्या—८३,८७७ (१९६०)। (४) सैरेवक : क्षेत्रफल—४८,२५० वर्गमील और जनसंख्या—७,४४,५२९ (१९६०) राजधानी—कुचिंग। (५) हाँगकाँग—२९ वर्गमील, दूसरे द्वीपों को मिलाकर क्षेत्रफल ३९८ वर्गमील; कुल जनसंख्या—३१,३३,१३१ (१९६१); शासन-कार्य के लिए गवर्नर, एक्जिक्यूटिव कौंसिल और और लेजिस्लेटिव कौंसिल; साम्यवादी चीन-सरकार के वाद यहाँ जहाजी बेड़ा और टैंक का प्रबन्ध।

भूमध्यसागर में : (१) जिब्राल्टर—स्पेन के दक्षिण-पश्चिम भूमध्यसागर और अतलान्तिक सागर के मिलन-स्थल पर; क्षेत्रफल—२४ वर्गमील; जनसंख्या—२६,३८५ (१९६०); १९१३ ई० से ब्रिटेन के अधिकार में। (२) माल्टा : सिसली से दक्षिण; क्षेत्रफल—१२२ वर्गमील और जनसंख्या—३,२८,९३८ (१९६०)

चेकोस्लोवाकिया

स्थिति—मध्य यूरोप; क्षेत्रफल—४९,३२१ वर्गमील; जनसंख्या—१,३६,७४,००० (१९६० ई०); राजधानी—प्राग (प्राहा); भाषा—चेक और स्लाव; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—कोरुना; राष्ट्रपति—अण्टोनिन नोवोट्नी (१९५७ से); प्रधानमंत्री--विलियन सिरोकी; शासन-स्वरूप—साम्यवादी गणतन्त्र; मुख्य नगर—बर्नो, ब्राटिस्लावा, ओस्टावा, पीजेन।

यह गणतन्त्र-राज्य भूतपूर्व अस्ट्रिया-हंगरी-साम्राज्य का एक खंड है, जिसका निर्माण सन् १९१८ ई० में हुआ था। उस समय बोहेमिया, मोराविया (अस्ट्रियन साइलेशिया-सहित), स्लोवाकिया और रूथेनिया इसके प्रान्त थे। सन् १९४५ ई० में रूथेनिया रूस में मिल गया। सन् १९४८ ई० में इसके १९ प्रान्त बना दिये गये। १ जुलाई, १९६० ई० से यहाँ के प्रान्तों का पुनर्गठन करके कुल ११ प्रान्त बनाये गये हैं, जिनमें एक राजधानी प्राग भी है। सन् १९४८ ई० से यहाँ साम्यवादी ढंग का संविधान लागू है। यहाँ की पार्लमेण्ट का एक ही सदन है, जिसके ३०० सदस्य हैं। यहाँ के राष्ट्रपति पार्लमेण्ट द्वारा सात वर्षों के लिए चुने जाते हैं। यहाँ का प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, किन्तु वे पार्लमेण्ट के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। यह प्राकृतिक साधनों एवं औद्योगिक विकास के क्षेत्र में यूरोप के सम्पन्न राष्ट्रों में गिना जाता है।

जर्मनी

यह यूरोप का एक प्रमुख राष्ट्र रहा है। यहाँ की राजधानी बर्लिन थी। विश्व के प्रथम और द्वितीय महासमर (क्रमशः १९१४-१८ और १९३९-४५) में इसने अपने नवीन वैज्ञानिक अस्त्र-शस्त्रों से सारे संसार को चकित एवं आतंकित कर दिया था। प्रथम महासमर-काल में इसके नेता कैसर और द्वितीय महासमर के समय हिटलर थे। हिटलर नाजी-दल का प्रवर्त्तक और नेता था और इस रूप में ही वह जर्मनी का अधिनायक बनकर शासन करता था। दोनों महायुद्धों में बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर भी जर्मनी को अन्त में हार खानी पड़ी। द्वितीय महायुद्ध के बाद इसे चार भागों में विभक्त किया गया—ब्रिटिश, फ्रांसीसी, अमेरिकन और सोवियत इलाके।

सन् १९५० ई० में ब्रिटिश, फ्रांसीसी और अमेरिकन इलाकों को मिलाकर 'फेडरल जर्मन रिपब्लिक' का गठन किया गया। इसके बाद सोवियत-शासित इलाके में 'जर्मन डेमोक्रैटिक रिपब्लिक' का गठन हुआ। इसका दूसरा नाम है—पूर्व जर्मन-सरकार। फेडरल जर्मन रिपब्लिक का दूसरा नाम है—पश्चिम जर्मन-सरकार।

जर्मनी के इन दोनों भागों को लेकर सोवियत रूस और अमेरिका के बीच राजनीतिक दाव-पेंच अरसे से चल रहे हैं। पश्चिम जर्मनी में जिस प्रकार ब्रिटिश, फ्रांसीसी और अमेरिकन सेना अबतक कायम है, उसी प्रकार पूर्व जर्मनी में सोवियत रूस की सेना। सोवियत सेना की संख्या लगभग चार लाख होगी। पश्चिम जर्मनी में भी प्रायः उतनी ही सेना होगी। दोनों भागों के पुनः एकीकरण की चर्चा भी चलती रहती है। जर्मनी के मुख्य नगर ये हैं—हैम्बर्ग, कोलोनी, म्युनिक, लिपजिग, एसेन, डेस्डेन, ब्रेस्लॉ, फ्रैन्कफर्ट ऑन मेन, डसेलडोर्फ, डार्टमण्ड, हैनोवर, स्टुटगार्ट।

पश्चिमी जर्मनी (जर्मन फेडरल रिपब्लिक): क्षेत्रफल—९५,९१८ वर्गमील; जनसंख्या—५,३७,५६,१००(१९६०); राजधानी—बोन; भाषा—जर्मन; धर्म—ईसाई; सिक्का—ड्यूस मार्क; राष्ट्रपति—हेनेरिच लुबके (जुलाई, १९५९ से); चांसलर (प्रधान-मंत्री)—डॉ० कानराड अडेनार (१९५७ से)।

यहाँ की पार्लमेण्ट के दो सदन हैं। यहाँ का मंत्रिमंडल साधारण सभा के प्रति उत्तरदायी रहता है। राष्ट्रपति का चुनाव ५ वर्षों के लिए होता है। राष्ट्रपति चांसलर (प्रधानमंत्री) का चुनाव करता है।

पूर्वी जर्मनी (जर्मन डेमोक्रैटिक रिपब्लिक): क्षेत्रफल—४१,६४५ वर्गमील; जनसंख्या—१,७१,८८,४८८ (१९६०); राजधानी—बर्लिन; भाषा—जर्मन; धर्म—ईसाई; सिक्का ड्यूश मार्क; राज्य-परिषद् (कौंसिल ऑफ स्टेट) का अध्यक्ष—वाल्टर अल ब्रिश्क (१९६० से); प्रधानमंत्री—ऑटो ग्रोटेवोल।

यहाँ का शासन सोवियत रूस के ढंग का है। सितम्बर, १९६० ई० के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चुनाव पार्लमेण्ट के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में होता था। राष्ट्रपति विलहम पीक की मृत्यु (७ सितम्बर, १९६०) के बाद पीपुल्स चैम्बर ने १२ सितम्बर, १९६० को राष्ट्रपति का पद उठाकर उसके स्थान में एक राज्य-परिषद् (कौंसिल ऑफ स्टेट) का निर्वाचन किया।

डेनमार्क

स्थिति—यूरोप महादेश में उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर से घिरा; क्षेत्रफल—१६,५७६ वर्गमील; जनसंख्या—४५,६३,५०० (१९६०); राजधानी—कोपेनहेगेन; भाषा—डेनिश; धर्म—इभान जेलिकल लूथेन; सिक्का—क्रोन; शासक—नवम फ्रेडरिक (१९४७ से); प्रधानमंत्री—विग्गो कम्पमन्न; शासन-स्वरूप—संवैधानिक राजतंत्र; मुख्य नगर—आरहुस, ओडेन्स, आलबोर्ग, एस्बजर्ग, रैण्डर्स, होरसेन्स।

यह यूरोप का प्राचीनतम राजतंत्रात्मक देश है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड इसी का एक अंग है। यहाँ के मुख्य निर्यात की वस्तुएँ मक्खन, मांस, फार्म की तैयार की हुई वस्तुएँ आदि हैं। यहाँ की पार्लमेण्ट में १७९ सदस्य हैं। यहाँ राजा ही मंत्रिपरिषद् का

अध्यक्ष होता है। वही प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी करता है। यहाँ सन् १६१५ ई० से ही महिलाओं को भी पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। प्रति व्यक्ति के हिसाब से यहाँ का विदेशी व्यापार संसार में सबसे बड़ा है।

नॉरवे

स्थिति—यूरोप के उत्तर-पश्चिम; क्षेत्रफल—१,२५,०६४ वर्गमील; जनसंख्या—३५,६६,२११ (१६६१); राजधानी—ओसलो; भाषा—लैंड्समाल; धर्म—इभान जेलिकल लुथेरन; सिक्का—क्रोन; राजा—पंचम ओलाव (१६५७ से); प्रधानमंत्री—इनर गेरहार्डसन (१६५५ से); शासन-स्वरूप—वंश-परम्परागत संवैधानिक राजतंत्र; मुख्य बन्दरगाह—वरगेन, स्टैवेञ्जर, ट्रोण्डिम, नारविक।

नॉरवे के बिलकुल उत्तरी भाग नार्थकेप के क्षेत्र में अर्द्धरात्रि में सूर्य का दृश्य दिखाई पड़ता है। मई के मध्य से जुलाई के अंत तक यहाँ सूर्यास्त नहीं होता। लगभग १८ नवम्बर से २३ जनवरी तक सूर्य क्षितिज पर ही रहता है। जाड़े के दिनों में यहाँ उत्तर की ओर विविध रंग का प्रकाश दिखाई पड़ता है, जिसे 'अरोरा बोरियलिस' या 'मेरुप्रभा' कहते हैं। इस देश की लम्बाई १,१०० मील और चौड़ाई ४ मील से २७० मील तक है। यह मुख्यतः नाविकों का देश है। यहाँ की ७२ प्रतिशत भूमि अनुर्वर है। सदियों तक स्वतन्त्र रहता हुआ यह सन् १३८१ से १८१४ ई० तक डेनमार्क के साथ मिला रहा। सन् १८१४ ई० के संविधानानुसार यहाँ संवैधानिक वंश-परम्परागत राजतन्त्र कायम हुआ। सन् १८१४ ई० से १६०५ ई० तक यह स्वीडन के साथ था। इसके बाद दोनों देश अलग हो गये। यहाँ की पार्लमेण्ट के दो सदन हैं। ११ सितम्बर, १६६१ को हुए यहाँ के साधारण निर्वाचन में लेबर पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ।

नेदरलैंड (हालैंड)

स्थिति—यूरोप महादेश का उत्तर-पश्चिम भाग; क्षेत्रफल—१२,८५० वर्गमील; जनसंख्या—१,१४,१७,२५४ (१६५६); राजधानी—एम्सटर्डम; भाषा—डच; धर्म—ईसाई; सम्राज्ञी—वीट्रिक्स विलहेलमिना आर्मगार्ड (१६४८ से); प्रधानमंत्री—डॉ० जे० ई० डीक्वे (मई, १६५६ से); सिक्का—गिल्डर; शासन-स्वरूप—वंश-परम्परागत संवैधानिक राजतंत्र; मुख्य नगर—हेग, रोटरडम, उट्रेक्ट, हारलेम।

नेदरलैंड या हालैंड एक ही देश का नाम है, जहाँ के रहनेवाले 'डच' कहलाते हैं। यहाँ के लोग बड़े ही सुदक्ष नाविक हुए, जिससे उन्होंने एशिया और अफ्रिका में भी अपना व्यापार और राज्य फैलाया। यहाँ की भूमि का ४० प्रतिशत चरागाह, ३० प्रतिशत कृषि-योग्य, ७ प्रतिशत जंगल और ३ प्रतिशत बागवानी के योग्य है। यहाँ के उद्योग-धन्धे भी बहुत उन्नतिशील हैं। यहाँ से दूध की बनी चीजों का पर्याप्त निर्यात होता है। यहाँ की पार्लमेण्ट के दो सदन हैं। यहाँ का एक प्रसिद्ध शहर हेग है, जहाँ समय-समय पर अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन होते रहते हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय भी यहीं है।

१ मई, १६६३ ई० से पश्चिमी न्यूगिनी का शासन-भार इण्डोनेशिया को सौंप दिया गया। अब नेदरलैंड का एशिया के अन्दर का उपनिवेश केवल पूर्वी न्यूगिनी रह गया है

पुर्त्तगाल

स्थिति—यूरोप के दक्षिण-पश्चिम भाग में; क्षेत्रफल—३५,४६६ वर्गमील; जनसंख्या—९१,३०,४१० (१९६०); राजधानी – लिसबन; भाषा—पुर्त्तगाली; धर्म—रोमन कैथोलिक; राष्ट्रपति—रेयर-एडमिरल अमेरिको डेउस रोड्रिगुएस टोमाज (१९५८); प्रधानमंत्री—अण्टोनियो डे ओलिविरा सालाजार; शासन-स्वरूप— गणतंत्र; मुख्य नगर—सेटुवाल, कोइम्बरा, फुंकल, ब्रागा, एवोरा, बोरटा।

यह देश नदियों द्वारा मुख्यतः तीन प्राकृत भागों में विभक्त है। यह १२वीं शताब्दी से स्वतंत्र रहा है। सन् १९१० ई० में यहाँ राजा मानोएल द्वितीय के विरुद्ध क्रांति हुई, जिसके फलस्वरूप यह गणतंत्र घोषित किया गया। यहाँ की पार्लमेण्ट का एक सदन है। राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा ७ वर्षों के लिए होता है और यही प्रधानमंत्री-सहित मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है।

पुर्त्तगाल के अधिकार में अब भी समुद्र-पार के निम्नलिखित भू-भाग हैं—

१. केप वरडे-द्वीप-समूह—अफ्रिका के पश्चिमी भाग में इस द्वीप-समूह के अन्दर १५ छोटे-छोटे द्वीप हैं। इसका क्षेत्रफल—१,५५७ वर्गमील और जनसंख्या—२,०१,५४९ (१९६०) है।

२. पुर्त्तगीज गीनी—यह भू-भाग पश्चिम अफ्रिका में है। इसका क्षेत्रफल—१३,९४८ वर्गमील और जनसंख्या—५,२०,०६६ (१९६०) है।

३. सान टोमे और प्रिंसिपे द्वीप-समूह—यह अफ्रिका के पश्चिमी किनारे से १२५ मील दूर गीनी की खाड़ी में स्थित है। इसका क्षेत्रफल ३७२ वर्गमील और जनसंख्या ६०,१५९ (१९५०) है।

४. अंगोला—यह अफ्रिका के पश्चिम में स्थित है और १५७५ ई० से ही पुर्त्तगाल के कब्जे में है। इसका क्षेत्रफल ४,८१,३५१ वर्गमील और जनसंख्या ४८,३२,५७७ (१९६०) है। इसकी राजधानी लुएण्डा है।

५. मोजाम्बिक—पूर्वी अफ्रिका के अन्दर यह उत्तर में केप-डेलगाडो से दक्षिण अफ्रिका-संघ तक फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल—२,९७,३१ वर्गमील और जनसंख्या—६५,९२,९९४ (१९६०) है। इसकी राजधानी लोरेन्को मारक्विस है।

६. मकाओ - चीन की कैण्टन नदी के मुहाने पर स्थित इसका क्षेत्रफल—६ वर्गमील और जनसंख्या सन् १९६० ई० की गणना के अनुसार १,६९,२९९ है।

७. पुर्त्तगीज टिमोर—यह मलाया के पूर्वी हिस्से में स्थित है। इसका क्षेत्रफल—७,३३० वर्गमील तथा जनसंख्या ५,१७,०७९ (१९६०) है।

पोलैंड

स्थिति—मध्य यूरोप; क्षेत्रफल—१,२०,३५५ वर्गमील; जनसंख्या—२,९७,३१,००० (१९६०); राजधानी—वारसा; भाषा—पोलिश और जर्मन; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—ज्लोटी; राज्य-सभा का अध्यक्ष—एलेक्जेण्डर जावाडस्की; मंत्रिपरिषद् का अध्यक्ष—जोसेफ काइरान कीविज (१९५४ से ; शासन-स्वरूप—गणतंत्र; मुख्य नगर—लॉज लुब्लिन, क्रैकॉ डॉजिग, पोजनान।

यहाँ के मूल-निवासियों में स्लावोनिक जाति के लोग हैं। देश की ४५ प्रतिशत भूमि खेती के काम में लाई जाती है। यहाँ प्राकृतिक साधन अधिक हैं। पोलैंड का इतिहास ६वीं सदी के बाद आरम्भ होता है। १४वीं से १७वीं सदी तक यह शक्तिशाली राष्ट्र रहा। उसके बाद यह विभाजित होकर प्रशा, रूस और अस्ट्रिया का अंग बन गया। प्रथम महासमर के बाद यह सन् १६१८ ई० में स्वतंत्र हुआ ही था कि सन् १९३९ ई० में हिटलर ने इसपर पुनः अधिकार जमा लिया और यह फिर जर्मनी और रूस में विभक्त हो गया। सन् १९४१ ई० में जर्मनी ने इसपर पूरा कब्जा कर लिया। अन्त में सन् १९४५ ई० में रूस ने इसे स्वतंत्र किया। तब से रूस के प्रभाव में यहाँ साम्यवादी सरकार कायम है। जुलाई, १९५२ ई० में इसका नया संविधान स्वीकृत हुआ। उसी वर्ष २० नवम्बर को गणतंत्र के अध्यक्ष के स्थान पर १५ सदस्यों की एक राज्य-परिषद् गठित हुई। मार्च, १९५६ ई० से यहाँ की शासन-सत्ता युनाइटेड वर्कर्स पार्टी के हाथ में आई। अप्रैल, १९६१ ई० के आम चुनाव में यहाँ युनाइटेड वर्कर्स पार्टी का बहुमत हुआ।

फिनलैंड

स्थिति—यूरोप महादेश का उत्तर-पश्चिमी भाग; **क्षेत्रफल**—१,३०,१६५ वर्गमील; **जनसंख्या**—४४,४८,५७५ (१९६०); **राजधानी**—हेलसिन्की; **भाषा**—फिनिश, स्वेडिश; **धर्म**—इभान जेलिकल लुदेरन; **सिक्का**—मार्का; **राष्ट्रपति**—डॉ० यूरहो केकोनेन (१९५६ से); **प्रधानमंत्री**—अहटी करजलैनेन (१४ अप्रैल, १९६२ से); **शासन-स्वरूप**—गणतंत्र; **मुख्य नगर**—टुर्कू, टेम्पेरे पोरीवासा, ओडलू, लहटी।

इस देश का ७० प्रतिशत भू-भाग जंगलों से भरा है। आरम्भ में यहाँ एशिया और यूरोप की विभिन्न जातियों के लोग आकर बसे थे। यहाँ के स्वीडन-निवासियों के प्रयत्न से यह देश सन् ११५४ से १८०९ ई० तक स्वीडन के अधीन रहा। इसके बाद यह रूस-साम्राज्य में मिल गया। दिसम्बर, १९१७ ई० में इसने स्वतंत्रता की घोषणा की और सन् १९१९ ई० में गणतन्त्र-राज्य हो गया। यहाँ की पार्लमेण्ट का एक ही सदन है। यहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव ६ वर्षों के लिए होता है। सन् १९५८ ई० में यहाँ का साधारण निर्वाचन हुआ, जिसके फलस्वरूप एग्रेरियन पार्टी की सरकार कायम हुई।

फ्रांस

स्थिति—यूरोप महादेश का पश्चिमी भाग; **क्षेत्रफल**—२,१२,६५९ वर्गमील; **जनसंख्या**—४,६२,२०,००० (जनवरी, १९६२); **राजधानी**—पेरिस; **भाषा**—फ्रेंच; **धर्म**—ईसाई; **सिक्का**—फ्रैंक; **राष्ट्रपति**—चार्ल्स दगॉल (१९५९ ई० से); **प्रधानमंत्री**—एम्० जार्जेज पॉम्पिडो (१५ अप्रैल, १९६२ से), **शासन-स्वरूप**—गणतंत्र; **मुख्यनगर**—मार्सेल्स, लिओन्स, बारडॉक्स, नाइस, टॉलॉस, लिली, नाण्टेस, स्ट्रेसबर्ग।

यह यूरोप का रूस के बाद दूसरा बड़ा देश है। कृषि यहाँ का मुख्य पेशा है। शराब के उत्पादन में यह संसार में अग्रणी रहा है। लोहा और बॉक्साइट की खान के लिए भी यह प्रसिद्ध है। ४ अक्तूबर, १९५८ को यहाँ सन् १९४६ के संविधान को रद्द कर पंचम गणतंत्र का नया संविधान स्वीकृत किया गया। यहाँ की पार्लमेण्ट के दो सदन हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन सात

वर्षों के लिए होता है। वही प्रधानमंत्री को भी नियुक्त करता है। नवम्बर, १९५८ ई० में यहाँ नया साधारण निर्वाचन हुआ।

कुछ समय पूर्व फ्रांस का साम्राज्य काफी बड़ा था। इसके अधीनस्थ अधिकांश बड़े देश अब स्वतंत्र हो चुके हैं। अब इसके शासनान्तर्गत निम्नलिखित भू-भाग हैं—

(१) फ्रेंच पोलेनेशिया—इसका पुराना नाम 'फ्रेंच सेटलमेंट इन ओसीनिया' था। यह पाँच द्वीप-समूहों में बँटा है। (१) विंड वार्ड द्वीप-समूह, (२) ली वार्ड द्वीप-समूह, (३) टुआमोटू द्वीप-समूह, (४) औस्ट्रल द्वीप-समूह और (५) मार्किवजास द्वीप-समूह। इनका कुल क्षेत्रफल ४,००० वर्ग कीलोमीटर और जनसंख्या १९६० ई० की गणना के अनुसार ७५,००० है।

न्यू कैलेडोनिया और अधीनस्थ क्षेत्र—यह पूर्वी द्वीप-समूह में है। न्यू कैलेडोनिया का क्षेत्रफल १८,७०० वर्ग कीलोमीटर और जनसंख्या ७२,४७८ (१९५७) है। अधीनस्थ क्षेत्र के अंतर्गत ५ छोटे-छोटे द्वीप-समूह हैं।

(३) फ्रेंच सोमाली लैंड—यह पूर्वी अफ्रिका में है। इसका क्षेत्रफल २३,००० वर्ग-कीलोमीटर और जनसंख्या ८१,००० (१९६१) है।

(४) कोमोरो द्वीपपुञ्ज—यह अफ्रिका के पूरब है। इसका क्षेत्रफल २,१७० वर्ग-कीलोमीटर और जनसंख्या १,८३,१३३ (१९५८) है।

(५) सेंट पियरे और मिक्विलोन—यह न्यूफौंड लैंड के दक्षिण है। इसका क्षेत्रफल २६ वर्ग कीलोमीटर और जनसंख्या ४,२१७ (१९५७) है।

(६) दक्षिणी और अंटार्कटिक क्षेत्र—इसका निर्माण ६ अगस्त, १९५५ को किया गया। इसके अन्तर्गत सेंट पाल, नौवेले एम्सटरडम, करगिलीन, क्रोजेट और टेरे एडेली द्वीपपुंज हैं। इनका कुल क्षेत्रफल करीब ८,००० वर्ग कीलोमीटर या इससे कुछ अधिक है।

(७) वालिस और फुटुना—यह द्वीपपुंज फीजी से उत्तर-पूरब है। वालिस का क्षेत्रफल ७५ वर्ग कीलोमीटर तथा जनसंख्या ५,५०० है। फुटुना वालिस के दक्षिण है। यहाँ के निवासी करीब ३,००० हैं।

(८) न्यू हेब्रिड्ज—यह द्वीपपुंज फीजी से ५०० मील पश्चिम और न्यू कैलेडोनिया से २५० मील उत्तर-पूरब है। इसका क्षेत्रफल ५,७०० वर्गमील है। इसका शासन ब्रिटेन और फ्रांस दोनों मिलकर करते हैं।

फ्रांस से स्वतंत्र हुए देशों में अधिकांश फ्रेंच कम्युनिटी के अन्तर्गत हैं। इन सबके नाम इस प्रकार हैं—(१) सेण्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक, (२) कोंगो, (३) गैबोन, (४) मडागास्कर, (५) सेनेगल, (६) चाड, (७) आइवोरी कोस्ट, (८) दाहोमी, (९) अपर वोल्टा, (१०) मोरिटेनिया, (११) नाइजर, (१२) कैमेरून, (१३) माली और (१४) टोगो।

बलगेरिया

स्थिति—यूरोप के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में—ग्रीस, रुमानिया और युगोस्लाविया से घिरा; क्षेत्रफल—४२,७९६ वर्गमील; जनसंख्या—७८,७०,००० (१९६१ ई०); राजधानी—सोफिया; भाषा—स्लोवोनिक; धर्म—ग्रीक ऑर्थोडॉक्स; सिक्का—लेव; नेशनल एसेम्बली की प्रेसिडियम का अध्यक्ष—डिमिटार गानेफ; मंत्रिपरिषद् का अध्यक्ष—ऐण्टन यगोव्

(१९५६ ई० से); शासन-स्वरूप—गणतंत्र; मुख्य नगर– प्लॉवडिव, व्रात्सा, रूसे, बर्गस, डिमिट्रोवो, प्लेवेन ।

यहाँ स्लाव-जाति के लोगों की प्रधानता है। इन्होंने सातवीं सदी में इस देश को बसाया। दसवीं सदी में ये लोग ईसाई बने। सन् १३९३ ई० में तुर्कों ने बलगेरिया को जीत लिया। सन् १९०८ ई० में यह जार फर्डिनेण्ड के समय में स्वतन्त्र हुआ। प्रथम और द्वितीय महासमर में यह जर्मनी के साथ था। सन् १९४७ ई० में यहाँ का संविधान सोवियत-संघ के आदर्श पर बनाया गया। यहाँ का शासन 'फादरलैंड फ्रॉण्ट' नामक पार्टी चलाती है। सन् १९५६ ई० में सोवियत-संघ से इसका आर्थिक समझौता (एग्रीमेण्ट) हुआ, जिसके अनुसार देशोन्नति के लिए सोवियत संघ की ओर से इसे सहायता मिलने लगी। यहाँ की पार्लमेण्ट का एक सदन है। यही १५ सदस्यों की प्रेसिडियम का चुनाव करती है। प्रेसिडेण्ट नाम-मात्र का प्रधान रहता था। वास्तव में शासन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मन्त्रिमण्डल चलाता है।

बेलजियम

स्थिति—उत्तर-पश्चिम यूरोप; क्षेत्रफल—११,७७५ वर्गमील; जनसंख्या—९१,७८,१५४ (१९६०); राजधानी—ब्रुसेल्स; भाषा—फ्रेंच और फ्लेमिश; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—बेलजियन फ्रैंक; राजा—बौदोईं प्रथम; प्रधानमंत्री—थियो लिफेव्री (२५ अप्रैल, १९६१ से); शासन-स्वरूप—संवैधानिक वंश-परम्परागत राजतंत्र; मुख्य नगर—एण्टवर्प, घेण्ट, लीज, मैकेलोन, ब्यूर्न, ओस्टेण्ड, ब्रूगे।

ईसवी-सन् से ६० वर्ष पूर्व रोमन विजेता जूलियस सीजर ने इसपर विजय प्राप्त की थी। १४वीं से १८वीं सदी तक यह क्रमशः फ्रांस, स्पेन और अस्ट्रिया के शासन में रहा। तत्पश्चात् यह पुनः फ्रांस और नेदरलैंड के अधीन हुआ। सन् १८३० ई० में इसने अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा की। प्रथम और द्वितीय महासमर के समय इसके अधिकांश भाग पर जर्मनी का आधिपत्य हो गया था।

यह यूरोप का एक बहुत घना आबाद देश है, जिसमें एक वर्गमील के अन्दर औसतन ७,१७८ व्यक्ति रहते हैं। यह उपजाऊ तथा अत्यन्त ही औद्योगीकृत देशों में एक है। यहाँ की पार्लमेण्ट के दो सदन हैं। सन् १९५२ ई० से यह यूरोपीय सुरक्षा-समुदाय में सम्मिलित है। २५ अप्रैल, १९६१ को यहाँ क्रिश्चियन, सोशल और सोशलिस्ट पार्टियोंका संयुक्त मन्त्रिमण्डल बना।

मोनाको

स्थिति—यूरोप में फ्रांस के दक्षिण; क्षेत्रफल—आधा वर्गमील (३६८ एकड़); जनसंख्या—२०,४२२ (१९५६); राजधानी—मॉण्टे-कार्लो; भाषा—फ्रेंच; धर्म—ईसाई; राजा—रैंनियर तृतीय (१९४९); सिक्का—फ्रांसीसी फ्रैंक; राजमंत्री—हेनरी सोउम; शासन-स्वरूप—संवैधानिक राजतंत्र।

सन् ९६८ ई० से यह स्वतन्त्र रहा। सन् १७९३ ई० में यह फ्रांस में मिला लिया गया। सन १८१५ से १८६१ ई० तक यह सारडिनिया का रक्षित राज्य रहा। सन् १८६१ ई० में यह फ्रांसीसियों के संरक्षकत्व में आया। किन्तु, यह निरन्तर एक स्वतन्त्र देश माना जाता रहा है। यहाँ बहुत-से अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं।

युगोस्लाविया

स्थिति—दक्षिणी यूरोप; क्षेत्रफल—९८,७६६ वर्गमील; जनसंख्या—१,८५,१२,-८०५ (१९६१) राजधानी – बेलग्रेड; भाषा—युगोस्लाव; धर्म—सरवियन ऑर्थोडॉक्स, रोमन कैथोलिक, मुस्लिम; सिक्का—दीनार; राष्ट्रपति—मार्शल जॉसिप ब्रॉज टीटो (पुनर्निर्वाचित अप्रैल, १९५८); शासन-स्वरूप—गणतंत्र। मुख्य नगर—ल्जुब्लजाना, जागरेब, सराजेवो, सुबोटिका, टीटोग्राड (पॉडगोरिका), स्कोप्जे।

यह ६ स्वतंत्र राज्यों—सरविया, क्रोटिया, स्लोवेनिया, मॉण्टेनिग्रो, बोसनिया-हरसेगोमिना और मेसेडोनिया—का एक संघ है। यहाँ का ७५ प्रतिशत भाग पहाड़ों, पठारों एवं जंगलों से ढका है। यहाँ की करीब ८० प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर करती है। द्वितीय महासमर में सन् १९४१ से १९४५ ई० तक इस देश पर जर्मनों का आधिपत्य बना रहा। सन् १९४५ ई० में मार्शल टीटो के नेतृत्व में यह जर्मनी के पंजे से मुक्त हुआ। सन् १९४६ ई० में यहाँ संघीय गणतंत्र कायम किया गया। साम्यवादी मार्शल टीटो उसका प्रधान हुआ। साम्यवादी होते हुए भी टीटो और उसके राजनीतिक दल ने सोवियत रूस की नीति स्वीकार की—जिससे रूस के साथ उसकी तनातनी शुरू हुई। इसपर आर्थिक एवं सैनिक सहायता के लिए उसने अमेरिका की ओर हाथ बढ़ाया। ब्रिटेन और फ्रांस से भी इसने विदेशी व्यापार के लिए सहायता प्राप्त की। सन् १९५५ ई० से रूस ने युगोस्लाविया के प्रति की गई अपनी गलती कबूल की और उसके साथ नई सन्धि कर उसे अपनी नीति में स्वतंत्र रहने के अधिकार को मान लिया। ३० जून, १९६३ को मार्शल टीटो को स्वेच्छानुसार युगोस्लाविया का आजन्म राष्ट्रपति बने रहने का अधिकार प्रदान किया गया। यहाँ की पार्लमेण्ट के दो सदन हैं और राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक संघीय कार्यपालिका-परिषद् है।

रुमानिया

स्थिति – मध्य-पूर्व यूरोप; क्षेत्रफल—९१,५८४ वर्गमील; जनसंख्या—१,८४,०३,००० (१९६० ; राजधानी—बुखारेन्ट; भाषा—फ्रेंच, ग्रीक, स्लाव, और तुर्क से प्रभावित लैटिन; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—ल्यु; पॉलिट ब्यूरो का प्रधान तथा राज्य-परिषद् का अध्यक्ष—घेओरघे घेओरघिउ-डेज (१९६१); मंत्रिपरिषद् का अध्यक्ष—इओन घेओरघे मौरेर; शासन-स्वरूप—गणतंत्र; मुख्य नगर—अराग, ब्रैला, सीबीउ, साटुमारे।

यहाँ करीब ६५ प्रतिशत जनता कृषि और पशु-पालन पर निर्भर करती है। इस देश में प्राकृतिक साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। पेट्रोलियम देश की आर्थिक आय एवं उद्योग-धंधों की रीढ़ माना जाता है। तुर्कों द्वारा वैलेसिया और मोलडाविया—इन दो भू भागों को मिलाकर सन् १८६१ ई० में रुमानिया का निर्माण किया गया। यह सन् १८७७ ई० में टर्की के शासन से मुक्त हुआ। सन् १८८६ ई० में यहाँ संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई तथा यहाँ की संसद् के दो सदन हुए। सन् १९५२ ई० के बाद से यहाँ सोवियत रूस के प्रभाव में गणतंत्रात्मक शासन प्रारंभ हुआ। यहाँ की ग्रैंड नेशनल एसेम्बली राज्य-परिषद् तथा मंत्रिपरिषद् का निर्माण करती है।

लक्जेम्बर्ग

स्थिति—यूरोप में जर्मनी फ्रांस और बेलजियम से घिरा; क्षेत्रफल—९९९ वर्गमील, जनसंख्या—३,१४,८९० (१९६१); राजधानी—लक्जेम्बर्ग; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—फ्रैंक; प्रधान शासिका—ग्रांड डचेस कारलोट (१९१९ से) शासनाध्यक्ष–पिरे वर्नर (१९५८ से); शासन-स्वरूप—संवैधानिक राजतंत्र। मुख्य नगर—एस्चअलजेटे, डिफरडेन्ज, डूडेलेन्ज, पेटेन्ज।

यह केवल ५५ मील लम्बा और ३४ मील चौड़ा भू-खण्ड है। यह सन् १८१५ ई० से १८६७ ई० तक जर्मन कन्फेडरेशन का एक अंग था। दोनों महायुद्धों में जर्मनी द्वारा कुचल दिये जाने के पश्चात् इसने सन् १९४८ ई० में अपनी निःशस्त्रीय तटस्थता रद्द की। ४ मई, १९६१ को वंश-परम्रागत ग्रैंड ड्यूक ने राज्य की प्रधान शासिका अपनी माँ के प्रतिनिधि तथा 'लेफ्टिनेण्ट ग्रैंड डक' के रूप में शपथ-ग्रहण किया। यह संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य है।

लिचटेन्सटिन

स्थिति—यूरोप में जर्मनी स्विट्जरलैंड और अस्ट्रिया के बीच; क्षेत्रफल—६२ वर्ग-मी ; जनसंख्या—१६,४९५ (१९६०); राजधानी—वैडुज; भाषा—जर्मन; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का स्विस फ्रैंक; राजा फ्रांसिस जोसेफ द्वितीय; सरकार का प्रधान—अलेक्जेण्डर फ्रिक; शासन-स्वरूप—संवैधानिक राजतंत्र।

यह छोटा-सा भू-भाग है। सन् १८६६ ई० तक यह जर्मन कन्फेडरेशन (संप्रधान) का सदस्य था, पर वास्तव में सन् १९१८ ई० तक अस्ट्रिया के अधीन रहा। उसी साल यह स्वतंत्र घोषित किया गया। सन् १९२० ई० की संधि के अनुसार स्विट्जरलैंड इसके परराष्ट्र एवं डाक और तार-सम्बन्धी कार्यों का संचालन करता है। सिक्का भी यहाँ स्विट्जरलैंड का ही चलता है। यहाँ कोई सेना नहीं है. केवल कुछ पुलिस हैं।

वैटिकन सिटी

स्थिति—इटली की राजधानी रोम के उत्तर-पश्चिम भाग में वैटिकन पहाड़ी पर; क्षेत्रफल—१०८.७ एकड़; जन-संख्या—१,००० (१९५७); राजधानी—वैटिकन सिटी; भाषा—रोमन; धर्म - ईसाई; प्रधान—पोप पॉल षष्ठ (जुलाई १९६३ से) शासन-स्वरूप—

सन् १९२९ ई० में इटली के साथ हुई संधि के अनुसार यह एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया। इसके अपने सिक्के, पोस्ट ऑफिस, रेडियो और रेलवे स्टेशन हैं। यहाँ का शासन-प्रबन्ध एक गवर्नर के हाथ में है। पोप को परामर्श देने के लिए ७० व्यक्तियों की समिति भी है। पोप की मृत्यु होने पर यही दूसरे पोप का निर्वाचन करती है। समिति के सदस्य पोप द्वारा जीवन-भर के लि चुने जाते हैं। अन्तरराष्ट्रीय राजनीतिक मामलों में यह तटस्थ रहता है।

साइप्रस

स्थिति—भूमध्यसागर में टर्की से ४० मील दक्षिण और सीरिया से ६० मील दक्षिण एक द्वीप; क्षेत्रफल—३,५७२ वर्गमील; जनसंख्या—५,६४,६०० (१९६० का अनुमान); राजधानी—निकोसिया; भाषा—ग्रीक, तुर्की और अँगरेजी; धर्म—ग्रीक ऑर्थोडॉक्स और मुस्लिम; सिक्का—साइप्रस पौंड; राष्ट्रपति—आर्चबिशॉप मकारिओ; शासन-स्वरूप—गणतंत्र; मुख्य नगर—लिमासोल, फामागुस्ता, लरनाका, पाफोज, कीरेनिया।

पूरव से पश्चिम तक इसकी अधिक-से-अधिक लम्बाई १४० मील और उत्तर से दक्षिण तक अधिक-से-अधिक चौड़ाई ६० मील है। ऊपर के ६ शहरों के नाम पर इसके ६ जिले हैं। एक नया जिला ट्रुडोज है। यहाँ के मुख्य निवासी ग्रीक और तुर्क-जाति के लोग हैं।

अति प्राचीन काल में यह यूनानियों और फोनिशियनों का उपनिवेश था। पीछे यह फारस और रोम-साम्राज्य के अन्तर्गत रहा। अब भी यहाँ के ७० प्रतिशत निवासी यूनानी मूल के हैं। सन् १५७१ ई० में तुर्कों ने इसे अपने अधिकार में किया, पर सन् १८७८ ई० में इसका शासन अँगरेजों के हाथों में सौंप दिया। तुर्कों से झगड़ा छिड़ने पर अँगरेजों ने सन् १९१४ ई० में इसपर पूरा अधिकार जमा लिया। सन् १९२५ ई० में यह शाही उपनिवेश बनाया गया और हाइ कमिश्नर की जगह यहाँ गवर्नर रहने लगा। १६ अगस्त, १९६० से साइप्रस स्वतंत्र घोषित किया गया। इसकी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में है, जिसके अधीन एक मंत्रिमंडल रहता है। यह संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा ब्रिटिश राष्ट्रमंडल की सदस्यता प्राप्त कर चुका है।

सान मारिनो

स्थिति—यूरोप में इटली के मध्य; क्षेत्रफल—३८ वर्गमील; जनसंख्या—१५,००० (१९५७); राजधानी—सान मारिनो; भाषा—इटालियन; धर्म—ईसाई; शासन-स्वरूप—गणतन्त्र।

इस राज्य की स्थापना चौथी शताब्दी में हुई थी। कृषि और पशु-पालन यहाँ का प्रधान व्यवसाय है। यहाँ ६० सदस्यों की एक ग्रैंड कौंसिल है, जिसके दो सदस्य शासन-प्रबन्ध के लिए चुने जाते हैं। ये 'कैप्टेन्स रेजेण्ट' कहलाते हैं और इनका कार्यकाल ६ मास रहता है। यहाँ १२ वर्षों तक साम्यवादी सरकार कायम रही, पर सन् १९५७ ई० में इसका अन्त कर दिया गया और इसकी जगह पर क्रिश्चियन डेमोक्रैट अधिकार में आये। सन् १९५८ ई० में यहाँ महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया। इसका अपना सिक्का और डाक-टिकट है, किन्तु साधारण व्यवहार में इटली और वैटिकन सिटी के ही सिक्के चलते हैं।

सोवियत रूस

स्थिति—यूरेशिया का उत्तरी भाग; क्षेत्रफल—७८,७७,५६८ वर्गमील; जनसंख्या—२२,००,००,००० (१९६२ का अनुमान); राजधानी—मास्को; भाषा—रूसी; धर्म—ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध, यहूदी; सिक्का—रूबल; चेयरमैन ऑफ दि प्रेसिडियम ऑफ दि सुप्रीम सोवियत—लियोनिड प्रथम ब्रेजनेव; मंत्रिपरिषद् का प्रधान—निकेता सरजेयेविच ख्रुश्चेव (१९५८ से); शासन-स्वरूप—सोवियत समाजवादी गणतन्त्र; मुख्य नगर—लेनिनग्राड, कीव, खारकोव, बाकू, गोर्की, ओडिसा, रोस्टोव, स्टैलिनग्राड, तासकन्द, तिफ्लिस।

क्षेत्र के हिसाब से यह संसार का सबसे बड़ा राष्ट्र है, जो पृथ्वी के स्थल-भाग का छठा अंश है। रूसी राज्य का इतिहास ९वीं सदी से मिलता है। उस समय इसकी राजधानी कीव थी। १३वीं सदी में यह मंगोल लोगों के अधिकार में आया और सन् १४८० ई० में यह उनसे स्वतंत्र हुआ। सन् १५४७ ई० में सर्वप्रथम चतुर्थ इवान ने अपने को रूस का जार घोषित किया। महान् पीटर ने अपने राज्य का विस्तार कर सन् १७२१ ई० में रूसी साम्राज्य की स्थापना की। सन् १९०५ ई० की जनक्रांति ने साम्राज्य को एक भारी धक्का पहुँचाया, पर सन् १९१७ ई० की क्रांति ने जारशाही का

अन्त ही कर दिया। देश का नया संविधान सन् १९१८ ई० में ही बना, पर 'यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक' का संगठन सन् १९२२ ई० में हो सका। उस समय संघ-राज्यों की संख्या केवल चार थी। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व तक संघ-राज्यों की संख्या ११ हो गई। महायुद्ध के समय में ५ संघ-राज्य और बढ़ाये गये। इस प्रकार संघ-राज्यों की संख्या १६ हो गई। किन्तु १६ जुलाई, १९५६ को केरेलो-फिनिश के सोवियत फेडरल सोशलिस्ट रिपब्लिक में मिल जाने के कारण संघ-राज्यों की संख्या १५ रह गई। सन् १९३७ ई० के प्रारम्भ में स्टालिन-संविधान प्रवर्तित किया गया और इसके अनुसार १२ दिसम्बर को सर्वोच्च सोवियत का निर्वाचन हुआ। सन् १९४४ ई० के संशोधित संविधानानुसार सम्बद्ध गणतन्त्रों को सुरक्षा और परराष्ट्र-विभाग के सम्बन्ध में भी स्वतन्त्रता दी गई।

इन दिनों यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक १५ संघ-राज्यों में बँटा है, जिनके नाम राजधानी-सहित इस प्रकार हैं—१. रसियन सोवियत फेडरल सोशलिस्ट रिपब्लिक (मास्को), २. यूक्रेन (कीव), ३. ब्येलोरसा (मिन्स्क), ४. आरमेनिया (इरिवान), ५. उजबेकिस्तान (तासकन्द), ६. कजाकिस्तान (अलमाआता), ७. जॉर्जिया (तिफ्लिस), ८. अजरबैजान (बाकू), ९. लिथुआनिया (विलनिउस), १०. मोल्डाविया (किशिनी), ११. लटविया (रीगा), १२. किर्गिजिया (फ्रुंजे), १३. तादजिकिस्तान (स्टैलिनाबाद), १४. तुर्कमेनिस्तान (अश्कबाद) और १५. एस्टीनिया (तालिन)।

उपर्युक्त राज्यों में प्रथम तीन संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य भी हैं। उपर्युक्त एककों को संविधान में संघ-गणराज्य कहा गया है। प्रत्येक गणराज्य का अपना-अपना संविधान है।

देश की विधायिका सत्ता सुप्रीम सोवियत के हाथ में है, जिसके दो सदन हैं—सोवियत ऑफ दि यूनियन और सोवियत ऑफ नेशनलिस्ट। इनकी बैठकें साल में दो बार हुआ करती हैं और इनका कार्यकाल चार वर्ष के लिए होता है। राज्य की सर्वोच्च कार्यपालिका एवं प्रशासनिक शक्ति मंत्रिपरिषद् (कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स) में निहित है, जिसका गठन सुप्रीम सोवियत द्वारा होता है। मन्त्रिपरिषद् सुप्रीम सोवियत के प्रति उत्तरदायी रहती है। सुप्रीम सोवियत के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में प्रेसिडियम का निर्वाचन होता है, जिसके एक अध्यक्ष, १५ उपाध्यक्ष, १ सचिव तथा १६ सदस्य होते हैं। यह सुप्रीम सोवियत के सत्र में नहीं रहने पर उसके स्थान पर सर्वोच्च राज्य-सत्ता के रूप में कार्य करती है तथा सुप्रीम सोवियत के प्रति उत्तरदायी रहती है। यहाँ का एकमात्र राजनीतिक दल कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसका सबसे बड़ा संगठन पार्टी-कॉंगरेस है, जिसकी बैठक ४ वर्षों में एक बार हुआ करती है। कॉंगरेस की एक सेण्ट्रल कमिटी रहती है। पार्टी-प्रेसिडियम कायम करने का भी इसको अधिकार है। पार्टी की नीति प्रेसिडियम ही निर्धारित करती है। पिछला निर्वाचन मार्च, १९५८ ई० में हुआ था। इसका २२वाँ अधिवेशन अक्टूबर, १९६१ ई० में हुआ।

रूसी प्रभाव के अन्तर्गत यूरोप के पोलैण्ड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रुमानिया, बलगेरिया, अलबानिया आदि राष्ट्र हैं, जो पारस्परिक सुरक्षा और समन्वित सैनिक प्रबन्ध के लिए वारसा-पैक्ट के सदस्य हैं। इन सबको तथा पूर्वी जर्मनी, साम्यवादी चीन, मंगोलियन रिपब्लिक, उत्तरी कोरिया और वीतनाम राष्ट्रों को मिलाकर बने हुए गुट को लोग 'रूसी गुट' कहते हैं। इधर कुछ दिनों से

सोवियत रूस और साम्राज्यवादी चीन एवं अलबानिया में सैद्धान्तिक मतभेद आ गया है तथा दिन-दिन यह मतभेद बढ़ता ही जा रहा है।

यूरोप का पूर्वार्द्ध तथा एशिया का तृतीयांश सोवियत-संघ के राज्य-क्षेत्र में सम्मिलित हैं। वर्त्तमान सोवियत-संविधान अपने समस्त नागरिकों के लिए धार्मिक उपासना तथा धर्म के विरुद्ध प्रचार करने की स्वतन्त्रता को मान्यता प्रदान करता है।

स्पेन

स्थिति—यूरोप के दक्षिण-पश्चिम; क्षेत्रफल—१,६५,५०४ वर्गमील; जनसंख्या—३,०३,३०,६६८ (१६६०); राजधानी—मैड्रिड; भाषा—प्रधानतः स्पेनिश, साथ ही वास्क और कैटेलिन भी; धर्म—कैथोलिक; सिक्का—पेसेटा; राज्य का प्रधान—जेनरलिसिमो फ्रैंसिस्को फ्रैंको बहामोण्डे (प्रधानमंत्री और कमाण्डर-इन-चीफ); शासन-स्वरूप—नाम का राजतन्त्र, पर वास्तव में अधिनायक-तन्त्र; मुख्य नगर—बार्सिलोना, वैलेन्सिया, सेवला, जारगोजा, मलागा, बिलबाओ, मर्सिया।

स्पेन के अन्तर्गत इसकी मुख्य भूमि के अतिरिक्त इसके आस-पास के कुछ द्वीप-समूह भी हैं; जैसे भूमध्यसागर का बेलारिक द्वीप-समूह, उत्तर अतलान्तिक सागर का कनारी द्वीप-समूह तथा जिब्राल्टर के पास के क्यूटा और मेलिला द्वीप। इस देश के मूल निवासी आइबेरियन, वास्क और केल्ट थे। चौदहवीं-पन्द्रहवीं शताब्दी में इसकी नाविक शक्ति बहुत प्रबल थी। इसके निवासियों ने पूर्वी और पश्चिमी संसार के अनेक देशों पर अपना आधिपत्य जमाया था। सुप्रसिद्ध अन्वेषक वास्कोडिगामा यहीं का रहनेवाला था। यहाँ बराबर राजतन्त्र रहा है। अब भी नाममात्र का राजतन्त्र है, पर शासन फेलेंज पार्टी के नेता जेनरल फ्रैंसिस फ्रैंको के अधिनायकत्व में चल रहा है। अक्तूबर, १६५३ ई० की सन्धि के अनुसार संयुक्तराज्य अमेरिका को यहाँ के हवाई और नाविक अड्डे व्यवहार में लाने का अधिकार है। फ्रैंको की सहायता के लिए यहाँ पार्लमेण्ट, नेशनल कौंसिल और मन्त्रिमण्डल हैं। जेनरल फ्रैंको के मरने के बाद या असमर्थ होने पर यहाँ की नेशनल कौंसिल और सरकार को अधिकार होगा कि वह पार्लमेण्ट की स्वीकृति से राज्य-परिवार के किसी योग्यतम व्यक्ति को राजा बनाये। इस समय इसके उपनिवेश केवल अफ्रिका के अन्तर्गत स्पेनिश गीनी, स्पेनिश सहारा और इफ्नी हैं।

स्विट्जरलैण्ड

स्थिति—मध्य यूरोप; क्षेत्रफल—१५,६४४ वर्गमील; जनसंख्या—५४,२६,६१ (१६६०); राजधानी—बर्न; भाषा—स्विस, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और रोमन; धर्म—प्रोटेस्टेण्ट और रोमन कैथोलिक, सिक्का—स्विस फ्रैंक; राष्ट्रपति (१६६२ के लिए)—डब्ल्यू बीली स्पेहलर; उपराष्ट्रपति (१६६२ के लिए)—जीन वर्गनेट; शासन-स्वरूप—गणतन्त्र; मुख्य नगर—ज़ूरिच, बासेल, जेनेवा, लौसाने, सैण्टगैलन, विण्टरथर।

यह देश २२ प्रान्तों में बँटा है। यूरोप के देशों में यह सबसे अधिक पहाड़ी देश है और अपनी मनोहारी झीलों के लिए प्रसिद्ध है। इसके २२ प्रान्त हैं, जो अपने भीतरी मामलों में पूरे स्वतन्त्र हैं। नमक यहाँ का प्रधान खनिज पदार्थ है। यह घड़ियों के निर्माण के लिए संसार-प्रसिद्ध है। सन् १६४८ ई० में यह रोमन-साम्राज्य से स्वतन्त्र हुआ। अन्तरराष्ट्रीय संधियों के आधार पर यह सदा के लिए एक तटस्थ राष्ट्र बना दिया गया है। यहाँ की पार्लमेण्ट की दो सभाएँ हैं।

यहाँ के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति फेडरल कौंसिल के सात सदस्यों में से एक वर्ष के लिए चुने जाते हैं। प्रचलित प्रथानुसार उपराष्ट्रपति ही एक साल के बाद राष्ट्रपति बनाया जाता है। फेडरल कौंसिल के सात सदस्य प्रशासकीय विभागों के प्रधान या मंत्री के रूप में कार्य करते हैं। प्रसिद्ध अन्तरराष्ट्रीय रेडक्रॉस सोसाइटी एवं अन्तरराष्ट्रीय पोस्टल संघ के प्रधान कार्यालय इसी देश में क्रमशः जेनेवा और बर्न में स्थित हैं। जेनेवा में अक्सर बड़े-बड़े राष्ट्रों के शान्ति-सम्मेलन हुआ करते हैं।

स्वीडन

स्थिति—यूरोप की उत्तर-पश्चिम सीमा—नारवे और फिनलैंड से घिरा; **क्षेत्रफल**—१,७३,३७८ वर्गमील; **जनसंख्या**—७५,४२,४५६ (१९६१ का अनुमान); **राजधानी**—स्टॉकहोम; **भाषा**—स्वेडिश; **धर्म**—लुथेरन प्रोटेस्टैण्ट; **सिक्का**—क्रोन; **राजा**—गुस्टाफ षष्ठ एडोल्फ; **प्रधानमंत्री**—डॉ० टागे एरलाण्डर; **शासन-स्वरूप**—वंश-परम्परागत संवैधानिक राजतन्त्र; **मुख्य नगर**—गोटेबोर्ग, माल्मो, नौर्कोपिंग, हलसिंगबोर्ग।

स्वीडन तीन प्राकृतिक भागों में बँटा हुआ है—उत्तरी भाग, मध्य भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग अधिकतर जंगलों से भरा है। मध्यभाग में बहुत-सी झीलें एवं खनिज क्षेत्र हैं। दक्षिण का समुद्र-तट उपजाऊ है। सारे देश का करीब ५५ प्रतिशत भाग जंगलों से भरा है। इस देश के उद्योग-धन्धों में मुख्य प्राकृतिक साधन जंगल, लोहा आदि खनिज पदार्थ तथा जल-शक्ति हैं। राष्ट्रीय उत्पादन का पंचमांश विदेशी व्यापार पर निर्भर करता है। यहाँ के ९० प्रतिशत कारोबार गैर-सरकारी हैं।

यहाँ की कार्यपालिका शक्ति राजा के हाथों में है, जो मंत्रिपरिषद् की राय से कार्य करता है। यहाँ की पार्लमेण्ट के दो सदन हैं। पिछले तीन निर्वाचनों में यहाँ सोशल डेमोक्रैट्स का बहुमत रहा है।

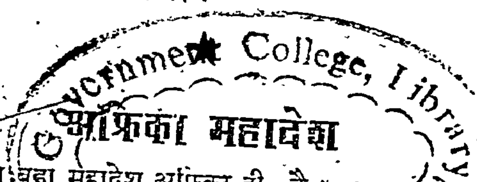
हंगरी

स्थिति—मध्य यूरोप; **क्षेत्रफल**—३५,९१२ वर्गमील; **जनसंख्या**—९९,७७,८७० (१९६०); **राजधानी**—बुडापेस्ट; **भाषा**—हंगरियन; **धर्म**—रोमन कैथोलिक, ग्रीक कैथोलिक, प्रोटेस्टैण्ट; **सिक्का**—फोरिण्ट; **गणतन्त्र की अध्यक्षीय परिषद् का प्रधान**—इस्टवान डोबी (१९५२ से); **प्रधान मंत्री**—जानोस कादार; **शासन-स्वरूप**—गणतन्त्र (सोवियत ढंग का); **मुख्य नगर** निस्कोल्फ, गेब्रिसीन,पेक्स, तबसेजेड।

यहाँ के प्राचीन मूल निवासियों में प्रधानतः स्लाव और जर्मेनिक जातियाँ थीं, जिनको बाद में पूरब से आनेवाली हूण और मग्यार जातियों ने कुचल डाला। सन् १५२६ ई० में तुर्कों ने इस देश पर आक्रमण किया। मग्यार जाति यहाँ की जनसंख्या का ९५ प्रतिशत है। सन् १८५४ ई० में मग्यार देश की राजभाषा भी रही। द्वितीय विश्वयुद्ध में यह जर्मनी के साथ था। सन् १९४६ ई० में यहाँ गणतन्त्र की घोषणा की गई।

यह कृषि-प्रधान देश है। बॉक्साइट के उत्पादन में यह संसार में अग्रगण्य है। अगस्त, १९४९ ई० से यहाँ साम्यवादी ढंग का संविधान स्वीकार किया गया है। यहाँ की पार्लमेण्ट का एक सदन है। इस देश पर सोवियत रूस का गहरा प्रभाव है, जिससे छुटकारा पाने के लिए

१६५६ ई० में व्यापक विद्रोह हुआ। इमरेनागी ने १ नवम्बर, १६५६ को एक सम्मिलित दल की सरकार कायम की, किन्तु रूस ने तुरत चढ़ाई कर सैनिकों की देख-रेख में ४ नवम्बर को पीजेएट पार्टी के नेता जानोस कादार के नेतृत्व में नई सरकार कायम कर दी। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने अपने प्रस्तावों द्वारा रूस के इस हस्तक्षेप की भर्त्सना की।



अफ्रिका महादेश

एशिया के वाद दूसरा वड़ा महादेश अफ्रिका ही है। इसका क्षेत्रफल १,१५,२६,४८० वर्गमील और समुद्री किनारा १६,००० मील है। विषुवत्-रेखा इस महादेश को लगभग दो वरावर भागों में वाँटती है। इसका उत्तरी भाग ३७° उ० अक्षांश तक और दक्षिणी भाग ३५° द० अक्षांश तक फैला हुआ है। पश्चिम में यह २०° पश्चिम देशान्तर और पूर्व में ५०° पूर्व देशान्तर तक विस्तृत है। उत्तरी गोलार्द्ध में इसकी चौड़ाई अधिक होने के कारण क्षेत्रफल के विचार से इसका दो-तिहाई भाग उत्तरी गोलार्द्ध में और एक-तिहाई भाग दक्षिणी गोलार्द्ध में है। सारा अफ्रिका एक वड़ी अधित्यका-सा है। उत्तर की ओर सहारा नामक एक वड़ी मरुभूमि है। इसके उत्तर में काकेशियन और दक्षिण में मूल निवासियों के अन्तर्गत निग्रो जाति के लोग रहते हैं। इस महादेश में मिस्र अपनी सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है। १६वीं शताब्दी में क्रम-क्रम से इंगलैंड, फ्रांस, इटली, वेलजियम, पुर्त्तगाल और स्पेन के लोगों ने आकर इस महादेश की एक-एक इंच भूमि को अपने अधिकार में कर लिया। किंतु, द्वितीय महासमर के वाद स्वतंत्रता की जो लहर एशिया से प्रारम्भ हुई, वह अफ्रिका में भी पहुँची। सन् १६५५ ई० के पूर्व मिस्र, इथोपिया, लीविया और लाइवेरिया—केवल ये चार देश ही स्वतंत्र थे। पर, अव ट्युनिशिया, मोरोक्को, सूडान, टोगो, अपर वोल्टा, आइवोरीकोस्ट, कांगो, कैमेरून, गीनी, गैवोन, घाना, चाड, दक्षिण-अफ्रिका-संघ, दहोमी, नाइजर, नाइजीरिया, मडागास्कर, मध्य अफ्रिकी गणतंत्र, माली, सेनेगल, टैंगनिका, सियरालियोन आदि राष्ट्र यूरोपवासियों के पंजे से अपने को मुक्त कर चुके हैं। इन राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता भी प्राप्त हो चुकी है। गैम्विया, वेनिया तथा अन्य देश भी स्वतंत्रता के पथ पर अग्रसर हैं।

इस महादेश की जनसंख्या २२ करोड़ है, जिसमें करीव ५० लाख यूरोप की गोरी जातियाँ और ६ लाख भारतीय तथा पाकिस्तानी हैं।

अपर वोल्टा

स्थिति—पश्चिमी अफ्रिका—घाना और सूडान (फ्रेंच) के वीच; क्षेत्रफल—२,७४,१२२ वर्ग कीलोमीटर; जनसंख्या—४०,०७,००० (१६६०); राजधानी—आउगाडॉगो; सिक्का—फ्रैंक; राष्ट्रपति—मॉरिस यामियोगो; शासन-स्वरूप—फ्रेंच कम्युनिटी की सदस्यता के साथ गणतंत्र।

सन् १६१६ ई० में अपर सेनेगल और नाइजर से कुछ भू-भाग काटकर अपर वोल्टा का निर्माण किया गया, किन्तु सन् १६३२ ई० में यह भू-भाग पुनः आइवोरीकोस्ट, सूडान और नाइजर के वीच वँट गया। ४ सितम्वर, १६४७ को इस राज्य का पुनर्निर्माण किया गया। यहाँ की कुल जनसंख्या में ४,००० यूरोपीय एवं अन्य मिश्रित जातियों के लोग हैं। ५ अगस्त,

१९६० को यह देश स्वतंत्र घोषित किया गया। यहाँ का प्रशासन १२ मंत्रियों की एक राजकीय परिषद् द्वारा चलता है। यहाँ की नेशनल असेम्बली के ७० सदस्य हैं। यह संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य है।

अल्जीरिया

स्थिति—उत्तरी अफ्रिका—भूमध्यसागर के किनारे; क्षेत्रफल—२२,७५,०३३ वर्ग कीलोमीटर; जनसंख्या—१,०४,८४,००० (१९६० अनुमान); धर्म—इस्लाम; राजधानी—अल्जियर्स; सिक्का—फ्रैंक; प्रधानमन्त्री—अहमद बिन-बेला (अगस्त, १९६२ से); शासन-स्वरूप—गणतंत्र; मुख्य नगर—ओरान, कौंस्टैंरटाइन, बोन, सीदी-बेल-अब्बास।

यह देश दो प्राकृतिक भागों में बँटा है—उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। इसके दक्षिणी भाग में सहारा मरुभूमि है। प्राचीन काल में अल्जीरिया को 'नोमीडिया' कहा जाता था। यह ईसवी सन् से १४५ वर्ष पूर्व रोमन-उपनिवेश बना। सन् ४४० ई० के लगभग यह वाण्डाल नामक खूँख्वार जाति द्वारा विजित हुआ, जो उत्तर-पूर्व जर्मनी से चलकर गॉल और स्पेन को रौंदती हुई यहाँ पहुँची थी। उस समय यह देश समृद्धि और सभ्यता की ऊँची चोटी से नीचे उतरकर बर्बरता की स्थिति को प्राप्त हुआ। सन् ६५० ई० में मुस्लिम आक्रमण के बाद इसकी स्थिति में आंशिक सुधार आया। सन् १४९२ ई० में स्पेन से निष्कासित मूर और यहूदी जातियाँ यहाँ आ बसीं। सन् १५१८ ई० में यह तुर्कों के अधिकार में आया। लगभग तीन शताब्दियों तक यह बारबरी जाति के समुद्री लुटेरों का अड्डा बना रहा, जो भूमध्यसागर होकर जहाज ले जानेवाले यूरोपियनों और अमेरिकनों से चुंगी लिया करते थे। सन् १८३० ई० में यह फ्रांसीसियों के शासन के अंतर्गत आया। यहाँ के निवासियों में ८० प्रतिशत अरब हैं।

यहाँ बहुत पहले से ही मूल निवासियों द्वारा स्वातंत्र्य-आन्दोलन चल रहा था। अतः, उन्हें खुश करने के लिए फ्रांसीसी सरकार ने फ्रांस की नेशनल एसेम्बली में अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया। फिर भी, आन्दोलन शान्त नहीं हुआ और सन् १९५५ ई० से गुरिल्ला युद्ध आरंभ हो गया। इस युद्ध में दोनों पक्षों के हजारों आदमी मारे गये। सन् १९५८ ई० में आन्दोलनकारियों ने काहिरा में एक समानान्तर सरकार कायम की। इस स्थिति का सामना करने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति जेनरल दगाल ने आत्म निर्णय एवं जनमत के आधार पर अल्जीरिया को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया। विद्रोहियों की ओर से यह माँग की गई कि जनमत-ग्रहण करने के पूर्व फ्रांसीसी सेना अल्जीरिया से हटा ली जाय, किन्तु दगाल इसे मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। आठ वर्षों के लगातार युद्ध के बाद १९ मार्च, १९६२ को कुछ शर्तों के साथ राष्ट्रवादियों ने युद्ध-विराम-संधि स्वीकार की, किन्तु 'सेकरेट आर्मी ऑरगेनिजेशन' (O. A. S.) नामक संस्था ने इसे स्वीकार नहीं कर युद्ध जारी रखा। ७ अप्रैल, १९६२ को यहाँ अस्थायी सरकार के १२ सदस्यों के एक मंत्रि-मण्डल ने शपथ-ग्रहण किया। ३ जुलाई १९६२ को यह देश पूर्ण स्वतंत्र घोषित किया गया।

आइवोरीकोस्ट

स्थिति—अफ्रिका महादेश के पश्चिमी भाग में लाइबेरिया और घाना के बीच, क्षेत्रफल—३,२२,४६३ वर्ग कीलोमीटर; जनसंख्या—३२,००,००० (१९६०); राजधानी—आबिदजान; सिक्का—फ्रैंक; राष्ट्रपति एवं परराष्ट्रमंत्री—फेलिक्स हाउफोएट बोईग्नी; शासन-स्वरूप—गणतंत्र। मुख्य नगर—बिनजेरविल, ग्रैण्ड बासाम और बोआके।

सर्वप्रथम सन् १८४२ ई० में इसपर फ्रांसीसियों ने अधिकार जमाया, लेकिन सन् १८८२ ई० तक उनका लगातार और सक्रिय अधिकार नहीं रहा। ४ दिसम्बर, १९५८ को यहाँ फ्रांसीसी कम्युनिटी के अन्तर्गत गणतंत्र की स्थापना हुई। किन्तु, ७ अगस्त १९६० से यह पूर्ण स्वतंत्र हो गया। यहाँ का प्रशासन १५ सदस्यों के एक मंत्रिमंडल द्वारा होता है। यह संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य है।

इथोपिया (अबिसीनिया)

स्थिति—अफ्रिका का उत्तर-पूर्वी भाग; **क्षेत्रफल**—लगभग ३,९५,००० वर्गमील; **जनसंख्या**—२,००,००,००० (१९५८); **राजधानी**—अदीसअबाबा; **भाषा**—अम्हारिक, अँगरेजी; **धर्म**—ईसाई; **सिक्का**—इथोपियन डालर; **राजा**—हेलि सिलासी (१९५५ से); **प्रधान-मंत्री**—तेशाफी तेजाज अकलीलू हैब्टे वोल्ड (१७ अप्रैल, १९६१ से); **शासन-स्वरूप**—वंश-परम्परागत संवैधानिक राजतंत्र। **मुख्य नगर**—जिम्मा, डिस्सी, असमारा, गोण्डर।

यहाँ के प्राचीन मूल निवासियों में हेमाइट और सेमाइट जाति के लोग हैं। यहाँ का मुख्य उद्योग-धन्धा कृषि और पशु-पालन है। आधुनिक औद्योगिक कार्य अमेरिकी आदि विदेशी फर्मों द्वारा होता है। सन् १९३५ ई० में यह इटली के अधिकार में आया और सन् १९४१ ई० में ब्रिटिश सैनिकों द्वारा मुक्त किया गया। यहाँ की पार्लमेण्ट के दो सदन और एक मंत्रिमंडल हैं। सबके सदस्य सम्राट् द्वारा ही नियुक्त होते हैं।

इथोपिया के उत्तर में स्थित इरीट्रिया पहले इटली का उपनिवेश था। सन् १९५२ ई० में उसे इथोपिया के साथ मिलाकर स्वायत्त-शासन प्रदान किया गया। इसकी अपनी निर्वाचित एसेम्बली है, जो यहाँ की कार्यकारिणी परिषद् का चुनाव करती है। १७ अप्रैल, १९६१ को सम्राट् ने एक नवीन मंत्रिमंडल का गठन किया।

कांगो (ब्राजाविल)

(भूतपूर्व फ्रांसीसी कांगो)

स्थिति—मध्य अफ्रिका; **क्षेत्रफल**—१,३८,००० वर्गमील; **जनसंख्या**—७,६४,५७७ (१९५९); **राजधानी**—ब्राजाविल; **सिक्का**—फ्रैंक; **राष्ट्रपति**—अब्बेफुलबर्ट योऊ लोऊ; **शासन-स्वरूप**—गणतंत्र; **मुख्य नगर**—मकोआ, फ्रांसविल, फोर्ट रूसेट, लौदिमा।

यह पहले फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। १५ अगस्त, १९६० को यह स्वतंत्र हुआ। कांगो नदी भूतपूर्व बेलजियन कांगो और फ्रेंच कांगो के बीच सीमा का काम करती है तथा दोनों कांगो की राजधानियाँ इसी नदी के किनारे आर-पार स्थित हैं। फ्रांस के साथ हुए करार के अनुसार इसने फ्रेंच कम्युनिटी की सदस्यता स्वीकार की है। २० सितम्बर, १९६० ई० से यह संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य बन चुका है। उष्णकटिबंधीय लकड़ियाँ, चीनाबादाम, ईख, पाम-कैब्रेज आदि यहाँ की मुख्य उपज हैं। खनिज पदार्थों में ताँबा और टिन पाये जाते हैं।

कांगो (लियोपोल्डविल)

(भूतपूर्व बेलजियन कांगो)

स्थिति—मध्य अफ्रिका; **क्षेत्रफल**—२३,४४,९३२ वर्ग कीलोमीटर; **जनसंख्या**—१,३५,४०,१८२ आदिवासी और १,१२,७५९ गोरी जातियाँ (१९५९); **राजधानी**—लियोपोल्ड-

विल; भाषाएँ—किसवाहली या किंगवाना, शिलूबा या किलूबा, लिंगाला, किंकोंगो; राष्ट्रपति—जोसेफ कासावुबु; प्रधानमंत्री—सिराइल अदौला; शासन-स्वरूप—गणतंत्र। सिक्का—कांगोली फ्रैंक; मुख्य नगर—एलिजाबेथविल।

उन्नीसवीं सदी के अन्तिम चरण से सन् १९५९ ई० तक यह राज्य बेलजियम के अधिकार में था। यहाँ का शासन एक गवर्नर जेनरल द्वारा होता था, जो बेलजियम के राज्य का प्रतिनिधित्व करता था। ३० जून, १९६० को यह स्वतंत्र हुआ। किन्तु, इसकी स्वतंत्रता का प्रादुर्भाव भीषण रक्तपात और विद्रोह के बीच हुआ और दुर्भाग्यवश वह स्थिति बहुत दिनों तक बनी रही। पहले तो यहाँ के प्रधानमंत्री लुमुम्बा और राष्ट्रपति जोसेफ कासावुबु ही एक दूसरे को अपदस्थ कर गिरफ्तार करते रहे। इसी में लुमुम्बा मारा भी गया। कांगो के स्वतंत्र होने के बाद ही बेलजियम की फौज सिमटकर इसके दक्षिणी प्रांत कटंगा में एकत्र हो गई तथा कटंगा कांगो से पृथक् एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया। मोआजी शॉम्बे इसका राष्ट्रपति बनाया गया, जिसका बेलजियम, ब्रिटेन आदि यूरोपीय राष्ट्रों ने समर्थन किया। फिर तो कटंगा और कांगो के बीच शत्रुतामूलक कारवाइयाँ शुरू हो गईं। अतएव, शान्ति-स्थापना के निमित्त संयुक्त-राष्ट्रसंघ ने अपनी सेना भेजी। वर्षों के गृहयुद्ध, अशान्ति और रक्तपात के बाद संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रयत्न से शाम्बे ने अब आत्मसमर्पण कर दिया है और कटंगा केन्द्रीय कांगो-सरकार में सम्मिलित हो गया है।

केनिया

स्थिति—पूर्वी अफ्रिका; क्षेत्रफल—२,२४,९६० वर्गमील; जनसंख्या—७२,९०,०००; राजधानी—नौरोबी; गवर्नर और सेनाध्यक्ष—सर पेट्रिक रेनिसन; प्रधानमंत्री—जोमो केन्याटा; शासन-स्वरूप—ब्रिटिश उपनिवेश और संरक्षित राज्य; मुख्य नगर—मोम्बासा, किसुम्बी।

यह भू-भाग पहले पूर्वी अफ्रिका संरक्षित राज्य के नाम से प्रसिद्ध था। सन् १८८८ से १९०५ ई० तक यह जंजीबार के सुलतान द्वारा इम्पीरियल ब्रिटिश ईस्ट अफ्रिका कम्पनी को दिया गया था। सन् १९२० ई० में यह प्रत्यक्ष ब्रिटिश-उपनिवेश बना। इसका तटवर्त्ती क्षेत्र ब्रिटिश-संरक्षण में रहा। सन् १९६३ ई० के अन्त तक यह पूर्ण स्वाधीन हो जायगा। यह कृषि-प्रधान देश है।

कैमेरून

स्थिति—अफ्रिका के मध्य भाग में नाइजीरिया और फ्रांसीसी विषुवत्-रेखीय अफ्रिका के बीच; क्षेत्रफल—१,४३,४१५ वर्गमील; जनसंख्या—३२,२२,००० (१९५७); राजधानी—याओउण्डे; राष्ट्रपति—अहमदोउ आहिद जो; शासन-स्वरूप—गणतन्त्र।

सन् १८८४ ई० में कैमेरून एक जर्मन-उपनिवेश हुआ। प्रथम महासमर में जर्मनी के परास्त होने पर राष्ट्रसंघ (लीग ऑफ नेशन्स) के आदेशानुसार यह भू-भाग ब्रिटेन और फ्रांस में बाँट दिया गया। इसका ⅘ भाग फ्रांस के अधीन रहा। सन् १९४६ ई० में संयुक्त राष्ट्रसंघ (युनाइटेड नेशन्स) के आदेश से यह फ्रांस के ट्रस्टीशिप में रखा गया। अतः, यहाँ के शासन के लिए फ्रांसीसी गवर्नर नियुक्त हुआ। १ जनवरी, १९६० को यह पूर्ण स्वतंत्र कर दिया गया। तत्पश्चात् यहाँ का अपना नया संविधान बनाया गया। अप्रैल, १९६४ ई० में यहाँ प्रथम साधारण निर्वाचन होना निश्चित किया गया है।

गीनी

स्थिति—पश्चिमी अफ्रिका में दक्षिण अटलांटिक महासागर के तट पर पुर्त्तगीज गीनी और सियारालियोन के बीच; क्षेत्रफल—२,४५,८५७ वर्ग कीलोमीटर; जनसंख्या—२७,२६,८६८ (१९६०); राजधानी—कोनाक्री; सिक्का—फ्रैंक; भाषा—फ्रेंच; राष्ट्रपति एवं प्रधान-मंत्री—एम्० सेकोऊ टौरी; शासन-स्वरूप—गणतन्त्र (प्रधानात्मक); मुख्य नगर—कनकन, किन्दिया, लावे, सिगुइरी।

यह पहले फ्रांसीसियों के अधिकार में था, किन्तु २अक्टूबर, १९५८ को स्वतंत्र हुआ। यह फ्रेंच कम्युनिटी में तो नहीं है, किन्तु कई राजीनामों के अनुसार इसने फ्रैंक-क्षेत्र में रहना और फ्रांसीसी भाषा को राजभाषा बनाना स्वीकार कर लिया है। यह अन्य संभाव्य साहाय्य और सहयोग के लिए फ्रांस से आशा रखता है। यहाँ की प्रमुख उपज में कहवा और केला है, जिनका निर्यात होता है। यहाँ के खनिज पदार्थों में बॉक्साइट और लोहा हैं।

गैबोन

स्थिति—गीनी की खाड़ी के किनारे फ्रांसीसी विषुवत्-रेखीय अफ्रिका के दक्षिण-पश्चिमी भाग; क्षेत्रफल—२,६७,००० वर्ग कीलोमीटर (१,०३,००० वर्गमील); जनसंख्या—४,२०,७०६ (१९५६); राजधानी—लिब्रेविल; शासन-स्वरूप—गणतन्त्र; राष्ट्रपति—एम्० लियोनम्बा; सिक्का—फ्रैंक; मुख्य नगर—पोर्ट जेंटिल, वेज, मकोकू और माइला।

यह राज्य पहले फ्रांस के अधीन था। १७ अगस्त, १९६० को यह फ्रांस की अधीनता से मुक्त हुआ। फ्रांस के साथ हुए राजीनामे के अनुसार यह फ्रांसीसी कम्युनिटी का सदस्य बना रहेगा। इसे संयुक्त राष्ट्रसंघ की भी सदस्यता प्राप्त हो चुकी है। यहाँ की उपज में आवनूस नामक लकड़ी का विशेष महत्त्व है। पेट्रोलियम, मैंगनीज, लोहा और यूरेनियम यहाँ के प्रमुख खनिज पदार्थ हैं।

घाना (गोल्डकोस्ट)

स्थिति—पश्चिमी अफ्रिका; क्षेत्रफल—९२,१०० वर्गमील; जनसंख्या—६३,९०,७२९ (१९६०); राजधानी—अकरा; राष्ट्रपति—डॉ० क्वामे नक्रुमा (१ जुलाई, १९६० से); शासन-स्वरूप—गणतंत्र। मुख्य नगर—सेकोण्डी-टाकोराडी, ओबुयासी, एबोसो।

घाना-राज्य का निर्माण ६ मार्च, १९५७ को हुआ, जबकि पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश गोल्ड-कोस्ट तथा संयुक्त राष्ट्र का न्यस्त क्षेत्र टोगोलैंड को औपनिवेशिक स्वाधीनता प्राप्त हुई। 'घाना' नाम चौथी से तेरहवीं सदी तक के मध्य नाइजर के क्षेत्र में वर्त्तमान एक शक्तिशाली राजतन्त्र का स्मरण दिलाता है। १ जुलाई, १९६० को यह गणतन्त्र घोषित किया गया। डॉ० क्वामे नक्रुमा इसके प्रथम राष्ट्रपति हुए। यहाँ की पार्लमेण्ट का एक सदन है। यह ब्रिटिश राष्ट्रमंडल तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य है। २६ दिसम्बर, १९६० को घाना, गीनी और माली ने अपनी परराष्ट्र, आर्थिक तथा मौद्रिक नीति एक रखने का समझौता किया। यहाँ सोना, हीरा, मैंगनीज, बॉक्साइट आदि खनिज पदार्थ बहुतायत से पाये जाते हैं।

चाड

स्थिति—मध्य अफ्रिका; क्षेत्रफल—१२,८४,००० वर्ग कीलोमीटर; जनसंख्या—२५,८१,०८० (जिसमें ४,८८० यूरोपीय जातियाँ); राजधानी—फोर्टलामी; राज्याध्यक्ष—एम्० फ्रैंकोइस टॉम्बल बाए; सिक्का—फ्रैंक; शासन-स्वरूप—गणतन्त्र; मुख्य नगर—मसेन्या, मौरण्डजाका, आटी, फया, ओन्नौर।

यह राज्य पहले फ्रांस के अधीन था। ११ अगस्त, १६६० को यह स्वतन्त्र हुआ। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पूर्व इसने फ्रांस के साथ एक राजीनामे पर हस्ताक्षर किया, जिसमें पारस्परिक सहयोग एवं फ्रेंच कम्युनिटी की सदस्यता बनाये रखने की शर्तें थीं। यह कांगो और मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र के साथ मध्य अफ्रीकी गणतन्त्र-संघ में सम्मिलित है तथा इसकी सुरक्षा, परराष्ट्र-नीति एवं आर्थिक मामले संघ को सुपुर्द हैं।

टैंगनिका

स्थिति—अफ्रिका महादेश का दक्षिण-पूर्वी भाग; क्षेत्रफल—३,६१,८०० वर्गमील; जनसंख्या—६२,३३,००० (१६६०); राजधानी—दार-एस-सलम; सिक्का—पूर्वी अफ्रिकी शिलिंग; भाषा—स्वाहिली; राष्ट्रपति—डॉ० जुलियस निरेरी (८ दिसम्बर, १६६२ से); उपराष्ट्रपति—रशीदी कबाबा; शासन-स्वरूप—गणतन्त्र; मुख्य नगर—डोडोमा, टैबोरा, मवारा, लिण्डी।

टैंगनिका टैंगनिका-झील से पूरब हिन्द-महासागर के तट तक फैला हुआ है। विक्टोरिया झील का करीब आधा भाग इसी देश के अन्तर्गत है। इसका समुद्र-तट ४५० मील लम्बा है। अफ्रिका का सर्वोच्च पर्वत-शिखर कीलमंजारो इसी देश में है। यह देश नौ प्रान्तों में बँटा है। यहाँ लगभग १०० जन-जातियाँ निवास करती हैं, जिनकी अपनी-अपनी भाषाएँ और रीति-रिवाज हैं। इनमें से अधिकांश जन-जातियाँ बान्तू मूल की हैं। यहाँ भारतीयों तथा पाकिस्तान-निवासियों की संख्या ८७,३०० और यूरोप-वासियों की संख्या २२,३०० है।

सन् १८८४ ई० में इस देश पर जर्मनों का अधिकार हुआ। यह सन् १६१८ ई० तक जर्मन-पूर्व अफ्रिका के अन्तर्गत जर्मन-उपनिवेश बना रहा। प्रथम महायुद्ध के पश्चात् राष्ट्रसंघ ने इसे ब्रिटेन के अधीन एक आदिष्ट राज्य बनाया। द्वितीय महायुद्ध के बाद ब्रिटेन के अधीन यह संयुक्त राष्ट्रसंघ का न्यस्त राज्य रहा। सितम्बर, १६६० ई० में इसे स्वशासनाधिकार प्राप्त हुआ। ६ दिसम्बर, १६६१ ई० से यह पूर्ण स्वतंत्र और ६ दिसम्बर, १६६२ को गणतन्त्र घोषित किया गया। इसे संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा ब्रिटिश राष्ट्रमंडल की सदस्यता प्राप्त हो चुकी है।

टोगो-गणतन्त्र

स्थिति—पश्चिमी अफ्रिका का दक्षिणी भाग (घाना और नाइजीरिया के बीच); क्षेत्रफल—५०,००० वर्ग कीलोमीटर; जनसंख्या—१०,८६,८७७ अफ्रिकी और १,२७७ यूरोपीय (१६५५); राजधानी—लोमी; राष्ट्रपति—निकोलस गुननेतजकी (५ मई १६६३ से); सिक्का—फ्रैंक; प्रमुख भाषाएँ—इवे, मीना, डागोम्ब, टिम और फन्नाइस; धर्म—पगान; शासन-स्वरूप—गणतंत्र; मुख्य नगर—एनोको, पालिमी, बसारी।

यह अफ्रिका के स्वतन्त्र राज्यों में सबसे छोटा है। सन् १८८४ से १९१४ ई० के पूर्व तक यह जर्मनी के अधिकार में रहा। सन् १९१४ ई० में यह अँगरेजों और फ्रांसीसियों के अधिकार में आया और सन् १९२२ ई० में इसके दो भाग हो गये, जिनके नाम क्रमशः 'ब्रिटिश टोगोलैंड' तथा 'फ्रेंच टोगोलैंड' हुए। यह १९४६ ई० के पूर्व तक राष्ट्रसंघ (लीग ऑफ नेशन्स) का आदिष्ट राज्य था, जिसका शासन फ्रांस द्वारा होता था। सन् १९४६ ई० में यह फ्रांसीसी राजीनामे के अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघ के ट्रस्टीशिप में आ गया। सन् १९५५ ई० के जनमत-संग्रह के अनुसार यहाँ ट्रस्टीशिप का अन्त कर इसे फ्रांसीसी राज्य-संघ (फ्रेंच कम्युन्टिी) के अन्तर्गत स्वतंत्र रखने का निर्णय किया गया। तदनुसार सुरक्षा, वैदेशिक मामले और सिक्के फ्रांस के अधीन रखे गये, किन्तु संयुक्त राष्ट्रसंघ की आम सभा के प्रस्तावानुसार २७ अप्रैल, १९६० को इसकी संरक्षकता का अन्त कर पूर्ण गणतन्त्र की घोषणा की गई।

ट्यूनिशिया

स्थिति—अफ्रिका का उत्तरी किनारा; क्षेत्रफल—४८,३३२ वर्गमील; जनसंख्या—४०,००,००० (१९६१ का अनुमान), जिसमें १,१०,००० फ्रांसीसी और ४५,००० इटालियन; राजधानी—ट्युनिश; भाषा—अरबी; धर्म—मुस्लिम; राष्ट्रपति—हवीब वौरगुइवा (निर्वाचित १९५७ और पुनः १९५९) शासन-स्वरूप—गणतंत्र (प्रधानात्मक); मुख्य नगर—स्फैक्स, सौसे, बिजार्टा, कैरोआन, मेजेल-बौरगुइवा।

यहाँ के मूल निवासियों में अरब और बर्बर जाति के लोग हैं। इसके उत्तरी भाग में पहाड़ और दक्षिणी भाग में मरुभूमि है। इसके पूरब के समतल भाग में खेती होती है। कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। यहाँ फास्फेट की खानें अधिक हैं। यह पहले रोम-साम्राज्य का अंग था। सन् ६४९ ई० से १५७० ई० के पूर्व तक यह अरबों के अधिकार में रहा। फिर, यह तुर्की के अधीन एक बारबरी राज्य हुआ। सन् १८८१ ई० में यह फ्रांस के संरक्षण में चला आया। १ सितम्बर, १९५५ को इसे आन्तरिक स्वतन्त्रता प्राप्त हुई और २० मार्च, सन् १९५६ ई० में यह पूर्ण स्वतंत्र हुआ। जुलाई, १९६१ ई० में फ्रांसीसी और ट्युनिशियन सैनिकों में बिजार्टा में मुठभेड़ हो गई, किन्तु दो महीने बाद दोनों देशों में समझौता हो जाने पर उपद्रव शान्त हुआ। यहाँ का राष्ट्रपति पाँच वर्षों के लिए चुना जाता है तथा एक मंत्रिमंडल की सहायता से शासन-कार्य चलाता है। यहाँ की विधायिका शक्ति ९० सदस्यों की एक राष्ट्रीय विधान-सभा में निहित है, जिसका निर्वाचन वयस्क-मताधिकार के आधार पर पाँच वर्ष के लिए होता है।

ट्रिनिडाड और टोबैगो

स्थिति—पश्चिमी द्वीप-समूह ; क्षेत्रफल—१,९८० वर्गमील, जनसंख्या—८,२७,९५७; राजधानी—पोर्ट ऑफ स्पेन; भाषा—अँगरेजी; धर्म—ईसाई; गवर्नर जेनरल—सर सोलोमन होच्वाय; प्रधानमन्त्री—डॉ० एरिक विलियम्स; मुख्य नगर—सान फर्नेण्डो; अरीमा, स्कारबोरो।

सन् १४९८ ई० में कोलम्बस ने इसका पता लगाया। १६वीं शताब्दी में इसे स्पेनवालों ने अपना उपनिवेश बनाया। फ्रांसीसी क्रान्ति के समय यहाँ कुछ फ्रांसीसी परिवार भी आये।

सन् १८०२ ई० में इसपर अँगरेजों का आधिपत्य हुआ। सन् १९६१ ई० में निर्मित यहाँ के संविधान के अनुसार यहाँ की पार्लमेंट के दो सदन हैं। ४ दिसम्बर, १९६१ के निर्वाचन में यहाँ की पार्लमेंट में पीपुल्स नेशनल मूवमेंट दल का बहुमत रहा। ३१ अगस्त, १९६२ को यह पूर्ण स्वतंत्र होकर ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का १५वाँ सदस्य बना।

यहाँ के निवासियों में सबसे अधिक निग्रो हैं। द्वितीय स्थान प्रवासी भारतीयों का है, जिनकी संख्या निग्रो लोगों से कुछ ही कम ३,०१,९४६ है।

दक्षिण अफ्रिका-गणतंत्र

स्थिति—दक्षिण-अफ्रिका; क्षेत्रफल—४,७२,३५९ वर्गमील; जनसंख्या—१,५८,४१,१२८ (१९६०), जिसमें गोरी जातियों की संख्या ३०,६७,६३८ है। राजधानी—प्रीटोरिया और केपटाउन; भाषा—अँगरेजी और डच; धर्म—ईसाई; सिक्का—पौंड; राष्ट्रपति—चार्ल्स रॉबर्ट स्वार्ट; प्रधानमंत्री—डॉ० एच्० एफ्० वरवर्ड; शासन-स्वरूप—गणतंत्र; मुख्य नगर—जोहान्सबर्ग, केपटाउन, डरबन, प्रीटोरिया, पोर्ट एलिजाबेथ, जरमिस्टन, ब्लोइमॉफण्टेन।

सन् १९०९ ई० में ब्रिटिश-अधिकृत प्रान्त ट्रांसवाल, उत्तमाशान्तरीप (केप ऑफ गुड होप), औरेंज फ्री स्टेट और नेटाल के मिलने से इस संघ का निर्माण हुआ। पीछे जर्मन-अधिकृत दक्षिण-पश्चिम अफ्रिका भी इस संघ में मिला लिया गया। इस संघ को ब्रिटिश सरकार ने भीतरी मामलों में पूरा अधिकार दे रखा था। यहाँ की गोरी जातियों का मूल निवासियों एवं प्रवासी भारतीयों के प्रति बहुत बुरा व्यवहार रहा है। सोना, हीरा और यूरेनियम के उत्पादन के लिए संसार में इसका उच्च स्थान है। इस देश की आर्थिक आय मुख्यतः प्राकृतिक साधनों द्वारा होती है। ५ अक्टूबर, १९६० को गोरी जातियों के बीच की गई जनमत-गणना के अनुसार यह ३१ मई, १९६१ ई० से औपनिवेशिक संघ-राज्य न रखा जाकर पूर्ण गणतन्त्र घोषित किया गया। यहाँ संसद् के दो सदन हैं। रंगभेद-नीति के सम्बन्ध में अन्य सदस्य-राष्ट्रों से मतभेद होने के कारण इसने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया है।

दहोमी

स्थिति—पूर्व में नाइजीरिया से पश्चिम में टोगो तक; क्षेत्रफल—१,१५,७६२ वर्ग कीलोमीटर; जनसंख्या—२०,०३,००० (१९६०); राजधानी—पोर्टोनोवो; शासन-स्वरूप—गणतंत्र; राष्ट्रपति—ह्यूबर्ट मागा; मुख्य नगर—कोटोनेऊ, ओईदह, अबोमी, पाराकोऊ।

इसका समुद्र-तट केवल ७० मील है, किन्तु उत्तर की ओर इसकी भूमि विस्तृत होती गई है। यह पहले फ्रांसीसी-अधिकृत राज्य था। यहाँ सन् १८५१ ई० में सर्वप्रथम फ्रांसीसियों का आगमन हुआ और उन्होंने धीरे-धीरे सन् १८९४ ई० तक इसपर पूरा अधिकार कर लिया। दिसम्बर, १९५८ ई० में यहाँ गणतन्त्र की घोषणा हुई तथा फ्रांस की सिनेट एवं नेशनल एसेम्बली में इसके दो-दो प्रतिनिधि लिये जाने लगे। २ अप्रैल, १९५९ को इसका पिछला निर्वाचन सम्पन्न हुआ। १ अगस्त, १९६० ई० से यह एक पूर्ण स्वतंत्र राज्य घोषित किया जा चुका है। इसे संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता प्राप्त हो चुकी है।

नाइजर

स्थिति—पश्चिमी अफ्रिका; क्षेत्रफल—११,८८,७६४ वर्ग कीलोमीटर; जनसंख्या—२८,००,००० (१९६०), जिसमें यूरोपवासी ३,०००; राजधानी—नियामे; सिक्का—फ्रैंक; राष्ट्रपति—हमानी डियोरी; शासन-स्वरूप—गणतंत्र।

फ्रांसीसी सरकार के सन् १९२२ और १९२६ ई० के निर्णय के अनुसार इस क्षेत्र का निर्माण हुआ। सन् १९४७ ई० में फादा-एन-गोरमा और डोरी—इन दो जिलों को इससे पृथक् कर अपर वोल्टा का निर्माण किया गया। यहाँ के मूल निवासियों में होसा, जर्मा, संघाई, प्यूल्ह और तुआरेग प्रमुख हैं। ३ अगस्त, १९६० को यह पूर्ण गणतंत्र घोषित हुआ। इसे संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता भी प्राप्त हो चुकी है।

नाइजीरिया

स्थिति—पश्चिमी अफ्रिका का दक्षिणी भाग—गीनी की खाड़ी के किनारे; क्षेत्रफल—३,३९,१७० वर्गमील; जनसंख्या—३,५२,६७,००० (१९६०); राजधानी—लागोस; धर्म—ईसाई और मुस्लिम; सिक्का—पौंड (स्टर्लिंग); शासन-स्वरूप—गणतन्त्र; गवर्नर जेनरल—नामडी अजीकी-वे; प्रधानमन्त्री—अलहाजी अबू-बकर-तफावा वलेवा; मुख्य नगर—इबादान, ओंगवोमोसो, कानो, ओसगवो, इफे और इवो।

यह देश उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी—इन तीन भू-भागों में बँटा है। यह विगत १०० वर्षों से ब्रिटिश अधिकार में था। १४ दिसम्बर, १९४६ ई० के राजीनामे के अनुसार कैमेरून को इसका अभिन्न अंग बनाया गया। यह भू-भाग कई क्षेत्रों के मिलने से बना है, जिनका अलग-अलग शासन-प्रबंध था। १ अक्टूबर, १९५४ को एक गवर्नर जेनरल के अधीन नाइजीरिया-संघ-राज्य का निर्माण किया गया। १ अक्टूबर, १९६० को यह पूर्ण स्वतंत्र घोषित हुआ। १ अक्टूबर, १९६३ को यहाँ गणतंत्र की घोषणा की गई। यह ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का सदस्य है। यहाँ की पार्लमेंट के दो सदन हैं। इसे संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता प्राप्त हो चुकी है।

बुरुण्डी

स्थिति—मध्य अफ्रिका (कांगो से पूरब); क्षेत्रफल—१०,७४७ वर्गमील, जनसंख्या—२२,१३,०००; राजधानी—किटेगा; सिक्का—फ्रैंक; राजा—मवामी किगेरी पंचम; प्रधान मंत्री—अंडरे मुहिरवा; शासन-स्वरूप—संवैधानिक राजतन्त्र।

यह देश रुआण्डा के साथ पहले जर्मन पूर्व अफ्रिका के अन्तर्गत था। प्रथम महायुद्ध के बाद यह राष्ट्रसंघ के आदेशानुसार बेलजियम के अधीन रखा गया। १३ दिसम्बर, १९४६ को संयुक्तराष्ट्र की साधारण सभा द्वारा इसकी न्यस्तता स्वीकार की गई। बेलजियन कांगो के साथ इसका राजनीतिक और आर्थिक संबंध बना रहा। १ जुलाई, १९६२ को रुआण्डा और उरुण्डी अलग-अलग देश हुए। उरुण्डी का नाम परिवर्त्तित कर बुरुण्डी रखा गया और वहाँ राजतन्त्र कायम रहा। १८ सितम्बर, १९६१ ई० के निर्वाचन में वहाँ के उपरोना-दल का बहुमत रहा।

यहाँ की जातियों में बतुतसे और बहुटु की प्रधानता है। कृषि और पशुपालन यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। कहवा और रूई की उपज यहाँ विशेष रूप से होती है। यहाँ कुछ खनिज पदार्थ भी पाये जाते हैं।

मध्य अफ्रिकी गणतंत्र

स्थिति—मध्य अफ्रिका (फ्रांसीसी विषुवत्-रेखीय अफ्रिका); क्षेत्रफल—६,१७,००० वर्ग कीलोमीटर (२,४१,००० वर्गमील); जनसंख्या—११,६३,००० (१९६०); राजधानी—वांगुई; शासन-स्वरूप—गणतंत्र; राष्ट्रपति—एम्० डेविड डाको; मुख्य नगर—वरबेराती, फोर्ट आर्चम्बौल्ट, फोर्ट क्रैम्पेल, बोअर।

इस देश का पुराना नाम उवगुई-शारी है। यह पहले फ्रांसीसी साम्राज्य का अंग था। १३ अगस्त, १९६० को इसे स्वतंत्रता मिली। फ्रांस के साथ हुए राजीनामे के अनुसार यह फ्रेंच कम्युनिटी का सदस्य बना रहेगा। इसे संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता भी प्राप्त हो चुकी है।

मालागासी (मडागास्कर) प्रजातन्त्र

स्थिति—अफ्रिका के दक्षिण-पूर्व समुद्र-तट से २४० मील पूरब एक द्वीप; क्षेत्रफल—५,९२,००० वर्ग कीलोमीटर; जनसंख्या—५४,८६,७१३ (१९६०); राजधानी—तानानारिव; सिक्का—मालागासी फ्रैंक; राष्ट्रपति—फिलीवर्ट सिराजाना; शासन-स्वरूप—गणतन्त्र; मुख्य नगर—मजूंगा, ऐएटसिराने, थिनारान्त-सोआ, टामाटामे।

सन् १५०० ई० में यहाँ सर्वप्रथम पुर्त्तगीजों का आगमन हुआ। उन्होंने 'री-मोगा-डी-सो' से इस द्वीप का नाम 'मडागास्कर' कर दिया। इस द्वीप की अन्तिम रानी रानावालोना थी, जो सन् १८८३ ई० में गद्दी पर बैठी थी। ५ अगस्त, १८९० ई० के राजीनामे के अनुसार ब्रिटेन ने इसे फ्रांसीसी-रक्षित राज्य स्वीकार किया। १५ अक्टूबर, १९५८ को यह फ्रांसीसी कम्युनिटी के अधीन एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। किंतु २६ जून, १९६० को यह पूर्ण स्वतन्त्र हो गया। यहाँ की संसद् के दो सदन हैं। इसके छह प्रान्त हैं, जिनकी अपनी-अपनी विधान-सभाएँ हैं। प्रान्त जिलों में और जिले कैएटोन में बँटे हैं। यहाँ मालागासी जाति के लोग रहते हैं। यहाँ भारतीय, चीनी, अरब एवं अन्य एशियाई भी हैं, जो छोटे-छोटे वाणिज्य-व्यवसायों में लगे हैं।

माली

स्थिति—पश्चिमी अफ्रिका; क्षेत्रफल—१२,०४,०२१ वर्ग कीलोमीटर; जनसंख्या—४३,०७,०००; राजधानी—बोमाको; कौंसल का प्रेसिडेण्ट तथा प्रतिरक्षा एवं सुरक्षा-मंत्री—मोडिवो केइटा; शासन-स्वरूप—गणतन्त्र; मुख्य नगर—कायेस, सिगउ, मोप्टी, सिकासो।

मध्ययुग में माली एक शक्तिशाली राज्य था। सन् १२०७ ई० में अबू बकर का पुत्र मूसा प्रथम माली का शासक बना। शीघ्र ही इसका राज्य सेनेगल के अटलांटिक समुद्र-तट से नाइजर के नियामे-क्षेत्र तक और मॉरिटेनिया के अद्रार-पर्वत से अपर गीनी तक विस्तृत हो गया। यह क्षेत्र १५०० मील लम्बा और ८०० मील चौड़ा था। अरब के विभिन्न भूगोल एवं इतिहासवेत्ता अपने समय में, ११वीं से १६वीं सदी तक, अपनी रचनाओं के अन्तर्गत माली का उल्लेख करते रहे हैं।

माली-गणराज्य २२ सितम्बर, १९६० को स्वतन्त्र हुआ। इसके पूर्व यह फ्रांसीसी सूडान का क्षेत्र तथा २८ नवम्बर, १९५८ से फ्रांसीसी कम्युनिटी का एक सदस्य-राष्ट्र था। जनवरी, १९५८ से २२ सितम्बर, १९६० ई० तक यह सेनेगल के साथ माली-राज्य-संघ का सदस्य रहा, २८ सितम्बर, १९६० ई० से यह संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य है।

संयुक्त अरब-गणराज्य (मिस्र)

स्थिति—भूमध्यसागर के किनारे अफ्रिका का उत्तर-पूर्वी भाग; क्षेत्रफल—३,८६,१६८ वर्गमील; जनसंख्या—२,६०,६५,००० (१६६०); राजधानी—काहिरा (कैरो); भाषा—अरबी; धर्म—मुस्लिम; सिक्का—मिस्री पौंड; राष्ट्रपति—गैमेल अब्दुल नसीर; शासन-स्वरूप—गणतंत्र (प्रधानात्मक); मुख्य नगर —अलेक्जेण्ड्रिया, पोर्टसईद, स्वेज, ताँता, मनसुरा, इस्मालिया।

मिस्र की सभ्यता सात हजार वर्ष पुरानी बताई जाती है। प्राचीन काल में यह देश बहुत उन्नत था। यहाँ के पुराने राजाओं का कब्रिस्तान पिरामिड, संसार के सप्त महाश्चर्यों में एक है। पीछे इस देश पर असीरिया, फारस, ग्रीस, रोम, सारडिनिया, तुर्की, फ्रांस और ब्रिटेन ने अधिकार जमाया। यह देश सन् १८८२ ई० के बाद ब्रिटेन की देख-रेख में आया। सन् १६१४ ई० में यह उसका संरक्षित राज्य हो गया और सन् १६२२ ई० की फरवरी तक इसी स्थिति में रहा। इसके बाद ब्रिटेन ने इसे स्वतन्त्र राष्ट्र स्वीकार किया, किन्तु इसकी सुरक्षा, स्वेज नहर में ब्रिटिश यातायात का संरक्षण तथा सूडान का शासन-भार अपने हाथ में रखा। मिस्र का सुलतान १५ मार्च, १६२२ ई० से बादशाह 'फैआद प्रथम' कहलाने लगा और सन् १६२३ ई० में इसका नया संविधान बना। मिस्र सन् १६२२ ई० की संधि से संतुष्ट नहीं था, अतः सन् १६३६ ई० में ब्रिटेन को मिस्र से दूसरी सन्धि करनी पड़ी, जिसके अनुसार स्वेज और सूडान पर दोनों देशों का सम्मिलित शासन कायम हुआ। अक्टूबर, १६५१ ई० में मिस्र ने १६३६ ई० में ब्रिटेन के साथ की गई सन्धि को मानने से इनकार कर दिया तथा स्वेज नहर और सूडान पर पूरा अधिकार जमाया। जून, १६५३ ई० में गणतंत्र घोषित होने पर बादशाह का पद उठा दिया गया और जेनरल नगीब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनाया गया। दूसरे ही वर्ष गैमेल अब्दुल नसीर राष्ट्रपति हुआ, जो अबतक अपने पद पर बना हुआ है। सन् १६५६ ई० में सूडान स्वतन्त्र हो गया।

१ फरवरी, १६५८ को मिस्र और सीरिया ने मिलकर संयुक्त अरब-गणराज्य (युनाइटेड अरब रिपब्लिक) कायम किया। इसके अनुसार इन दोनों देशों के एक प्रधान शासक, एक ही विधान-मंडल, एक ही सम्मिलित सेना तथा एक ही राष्ट्रध्वज हुए। ८ मार्च को स्वतंत्र यमन अपना अस्तित्व कायम रखते हुए भी अरब-संघ के निर्माण के लिए संयुक्त अरब-गणराज्य में सम्मिलित हुआ। अक्टूबर, १६६१ ई० में मिस्र-सरकार के व्यवहार से असन्तुष्ट होकर सीरिया संयुक्त अरब-गणराज्य से अलग हो गया। जनवरी, १६६२ ई० में यमन से भी इसने अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया।

सन् १६६३ ई० के अप्रैल में संयुक्त अरब गणराज्य, सीरिया और इराक के बीच हुई बातों में निर्णय किया गया कि इन तीनों राष्ट्रों की एकीकृत संघीय सरकार हो तथा एक सेना, एक झंडा और एक नागरिकता रहे। इस योजना के अनुसार प्रत्येक देश को अपनी सरकार, अपनी संसद् और अपनी पुलिस होगी। कहीं कोई राजनीतिक दल नहीं रहेगा। सेना का अधिकार रहेगा कि वह इन तीनों देशों में से किसी में किसी समय हस्तक्षेप करे। संघीय गणतन्त्र की राजधानी होगी काहिरा। संघीय गणतन्त्र के प्रधान एक अध्यक्ष होंगे और सामूहिक नेतृत्व रहेगा। इस संघीय सरकार में संयुक्त अरब-गणराज्य को चार मत होंगे और सीरिया एवं इराक को तीन-तीन। संघीय परिषद् में बहुमत से निर्णय होगा। विभिन्न देशों में तीनों राष्ट्रों के एक ही राजदूत होंगे। संघ में अन्य स्वतंन्त्र अरब राज्यों, जैसे अलजीरिया और यमन, के सम्मिलित होने की गुंजाइश रखी गई है।

मोरोक्को

स्थिति—अफ्रिका महादेश की उत्तरी सीमा; क्षेत्रफल—१,७४,५५३ वर्गमील; जनसंख्या—१०,००,००० से अधिक (यूरोपीय ५,००,००० और यहूदी २,००,०००); राजधानी रावाट; भाषा—मूरिश, अरबी और बेर-बेर; राजभाषा—अरबी; धर्म—इस्लाम, बादशाह—हसन द्वितीय (फरवरी १९६१ से); शासन-स्वरूप—राजतंत्र; मुख्य नगर—कासाब्लांका, मराकेश, फेज, टैंजियर, रैंवेट, मेक्निस।

यहाँ के मूल निवासी मुसलमान बने हुए बर्बर-जाति और अरब-जाति के लोग हैं। १७वीं एवं १८वीं शताब्दी में यह समुद्री डाकुओं का प्रमुख अड्डा था। बहुत दिनों से यहाँ का शासक एक सुलतान था, किन्तु सन् १९१२ ई० में फ्रांस और स्पेन के लोग यहाँ आ बसे और इसपर अधिकार कर इसे दो भागों में बाँट लिया। एक 'फ्रेंच मोरोक्को' और दूसरा 'स्पेनिश मोरोक्को' कहलाने लगा। सन् १९२३ ई० में स्पेनिश मोरोक्को को टैंजियर-क्षेत्र तटस्थ और निःशस्त्र बनाकर एक अन्तरराष्ट्रीय समिति के अधिकार में रखा गया।

स्वतन्त्रता-आन्दोलन के फलस्वरूप २ मार्च, सन् १९५६ ई०, को फ्रांस और स्पेन की सरकार तथा अन्तरराष्ट्रीय समिति ने यहाँ से अपना अधिकार हटा लिया और उक्त तीनों भाग फिर एक हो गये और वह सम्पूर्ण भाग स्वतन्त्र भी हुआ। तब से यहाँ का सुलतान एक मंत्रिमण्डल की सहायता से शासन चला रहा है। यहाँ की मंत्रिपरिषद् में ११ सदस्य होते हैं, जो वैयक्तिक एवं सामूहिक रूप से बादशाह के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। कृषि-उत्पादन एवं खनिज पदार्थ यहाँ की सम्पत्ति के प्रमुख साधन हैं।

मॉरिटेनिया

स्थिति—पश्चिमी अफ्रिका; क्षेत्रफल—१०,८५,८०५ वर्ग कीलोमीटर; जनसंख्या—७,२७,००० (१९६०); राजधानी—नवाक्चोट; प्रधानमंत्री—सी० मोख्तार ओल्ड ददाद; शासन-स्वरूप—इस्लामी गणतंत्र; मुख्य नगर—केडी, अतार, रोसो, पोर्ट इटर्न।

यह सन् १९०३ ई० में फ्रांसीसी-रक्षित राज्य बना। ४ दिसम्बर, १९२० तो यह फ्रांस का औपनिवेशिक राज्य हुआ। ४ अक्टूबर, १९५८ को यह फ्रांसीसी राष्ट्रमंडल (फ्रेंच कम्युनिटी) के अंतर्गत गणतन्त्र घोषित किया गया। २८ नवम्बर, १९६० को यह फ्रांस के शासन से मुक्त होकर पूर्ण स्वतन्त्र राष्ट्र बना।

यह देश ग्यारह जिलों में बँटा है। यहाँ के प्रमुख निवासी मूर, तोकोल्यूर, साराकोले, प्यूलह, बम्बर और आउलोफ जाति के लोग हैं। यहाँ लोहा और ताँबा की खानों के बड़े क्षेत्र हैं, जहाँ खनन का काम नहीं हुआ है। कृषि और पशु-पालन यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। ज्वार, मकई, खजूर आदि यहाँ की प्रधान उपज हैं।

लाइबेरिया

स्थिति—दक्षिण-पश्चिम अफ्रिका का गीनी कोस्ट; क्षेत्रफल—४३,००० वर्गमील; जनसंख्या—लगभग १२,५०,००० (१९५६); राजधानी—मानरोविया; भाषा—अँगरेजी;

धर्म—ईसाई; सिक्का—अमेरिकी डालर; राष्ट्रपति—विलियम वी० एस्० टुवमैन (पुनर्निर्वाचित १६५६); उपराष्ट्रपति—विलियम रिचार्ड टालबर्ट; शासन-स्वरूप—गणतन्त्र (प्रधानात्मक)।

यह निग्रो-जाति का एक गणतन्त्र राज्य है। इसका अधिकांश जंगलों से ढका है। इसका निर्माण सन् १८२० ई० में अमेरिका से मुक्त किये गये दासों को बसाने के लिए किया गया। यह जुलाई, १८०७ ई० में पूर्ण स्वतन्त्र हुआ। इसका संविधान अमेरिकी ढंग का है। यहाँ मत-दाताओं के लिए भू-स्वामी और निग्रो खून का होना आवश्यक है। यहाँ की पार्लमेंट के दो सदन हैं। राष्ट्रपति का चुनाव ८ वर्षों के लिए होता है। राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल की व्यवस्था है।

यहाँ के निवासियों की मुख्य जीविका कृषि है। कच्चा लोहा तथा सोना की भी खानें हैं।

लीबिया

स्थिति—अफ्रिका का उत्तरी किनारा; क्षेत्रफल—६,७६,३५८ वर्गमील; **जनसंख्या**—लगभग १२,००,०००; **राजधानी**—ट्रिपोली और बैंगाजी; **भाषा**—अरबी; **धर्म**—इस्लाम; **राजा**—मोहम्मद इद्रिस एट सेनुसी (१६५१ से); **प्रधानमंत्री**—मुहम्मद उथमान; **शासन-स्वरूप**—वंश-परम्पागत संवैधानिक राजतंत्र।

यह तीन प्रान्तों—ट्रिपोलिटानिया, साइरेनाइका और फेजन—का एक संघ-राज्य है। सोलहवीं शताब्दी से सन् १६११ ई० तक यह तुर्की साम्राज्य का अंग रहा। सन् १६१२ ई० में इटली और तुर्की के युद्ध के परिणाम-स्वरूप यह इटली के हाथ में चला गया। सन् १६४३ ई० में जब इटली की पराजय हुई, तब इसके ट्रिपोलिटानिया और साइरेनाइका प्रांत ब्रिटेन के तथा फेजन फ्रांस के अधीन हो गये। २४ दिसम्बर, सन् १६५१ ई०, को यह संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा एक स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया गया। यहाँ की संसद् के दो सदन हैं। मंत्रिमंडल संसद् के प्रति उत्तरदायी रहता है। २७ अप्रैल, १६६३ ई० से यहाँ संघीय शासन-पद्धति का अंत कर एकात्मक शासन-पद्धति आरंभ की गई है। कृषि एवं पशु-पालन यहाँ के लोगों का मुख्य धंधा है।

युगाण्डा

स्थिति—पूर्वी ब्रिटिश अफ्रिका; क्षेत्रफल—६३,६८१ वर्गमील; **जनसंख्या**—६५,२३,६२८; **राजधानी**—ऐण्टेबी; भाषा—बान्टू; **गवर्नर**—सरवाल्टर स्कॉट; **प्रधानमंत्री**—मिल्टन ओबोटे; **शासन-स्वरूप**—प्रजातंत्र; **मुख्य नगर**—कम्पाला, म्बारारा, मासिन्दी।

यह देश चार प्रान्तों में बँटा है—पूर्वी प्रान्त, पश्चिमी प्रान्त, बुगाण्डा और उत्तरी प्रान्त। ६० वर्ष तक ब्रिटिश संरक्षण में रहने के बाद ६ अक्टूबर, १६६२ को यह स्वतन्त्र हुआ। यहाँ का बुगाण्डा-राज्य बहुत दिनों तक प्रजातंत्र की स्थापना में बाधक सिद्ध होता रहा, किन्तु बाद में यह अपने परम्परागत राजतंत्र और संसद् के साथ प्रजातंत्र में सम्मिलित हो गया। यहाँ की जातियों में बुगाण्डा सर्वप्रमुख है। बुगाण्डा—राज्य की जनसंख्या युगाण्डा की कुल जनसंख्या की एक-तिहाई है। युगाण्डा की संसद् का एक ही सदन है, जिसमें बुगाण्डा की संसद् के भी प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। पिछले निर्वाचन में यहाँ युगाण्डा पीपुल्स काँगरेस-दल का बहुमत रहा। इसने कबाका एक्का-दल के सदस्यों के साथ संयुक्त सरकार की स्थापना की।

रुआण्डा

स्थिति—मध्य अफ्रिका (कांगो से पूरब); क्षेत्रफल—१०,१६६ वर्गमील; जनसंख्या—२६,३४,०००; राजधानी—किगली; सिक्का—फ्रैंक; राष्ट्रपति और राज्य-शासन का प्रधान—एम्० ग्रेग्वायर काइबाण्डा; शासन-स्वरूप—गणतंत्र।

यह देश उरुण्डी (अब बुरुण्डी) के साथ पहले जर्मन पूर्वी अफ्रिका के अंतर्गत था। प्रथम महायुद्ध के बाद यह राष्ट्रसंघ (लीग ऑफ नेशन्स) के आदेशानुसार बेलजियम के अधीन रखा गया। १३ दिसम्बर, १९४६ को संयुक्तराष्ट्र की आम सभा द्वारा इसकी न्यस्तता स्वीकार की गई। बेलजियम कांगो के साथ इसका राजनीतिक और आर्थिक सम्बन्ध बना रहा। २ अक्टूबर, १९६१ को राजतन्त्र का अन्त कर गणतन्त्र घोषित किया गया और २६ अक्टूबर को काइबाण्डा राष्ट्रपति और राज्य-शासन का प्रधान बना। १ जुलाई, १९६२ को रुआण्डा और उरुण्डी अलग-अलग देश बने। उरुण्डी बुरुण्डी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जहाँ राजतंत्र बना रहा। २५ सितम्बर, १९६१ को हुए चुनाव में रुआण्डा में काइबाण्डा के नेतृत्व में परमेहोटू-दल को बहुमत प्राप्त हुआ तथा जनमत-संग्रह द्वारा यहाँ राजतंत्र का अन्त कर दिया गया।

यहाँ बटवा, बतुत्सी और बहुटु जातियाँ रहती हैं। कृषि और पशुपालन यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। कहवा, रुई और खनिज पदार्थ यहाँ के मुख्य उत्पादन हैं।

रोडेशिया और न्यासालैंड-संघ

स्थिति—मध्य अफ्रिका; क्षेत्रफल—४,८६,७२२; जनसंख्या—८५,१०,०००; राजधानी—सैलिसबरी; गवर्नर-जेनरल—अर्ल ऑफ डलहौजी; प्रधानमन्त्री—सर रॉय व्लेंस्की; शासन-स्वरूप—ब्रिटेन के संरक्षण में स्वशासित राज्य।

रोडेशिया और न्यासालैंड-संघ का निर्माण ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत सन् १९५३ ई० में हुआ। इस संघ में स्वशासित क्षेत्र दक्षिणी रोडेशिया और संरक्षित राज्य उत्तरी रोडेशिया तथा न्यासालैंड हैं। तीनों राज्यों में अलग-अलग गवर्नर हैं। तीनों के क्षेत्रफल, जनसंख्या और राजधानी इस प्रकार हैं—

	क्षेत्रफल (वर्गमील में)	जनसंख्या	राजधानी
दक्षिण रोडेशिया	१,५०,३३३	३१,४०,०००	सैलिसबरी
उत्तर रोडेशिया	२,८८,१३०	२४,८३,५००	लुसाका
न्यासालैंड	३६,६८६	२६,१०,६००	सोम्बा

न्यासालैंड संघ से अलग होना चाहता है। अतएव, १९ दिसम्बर, १९६२ को ब्रिटिश पार्लमेंट में घोषणा की गई कि न्यासालैंड के अलग होने का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया है। किन्तु, अलग होने का अर्थ उत्तरी और दक्षिणी रोडेशिया से वैधानिक सम्बन्ध-विच्छेद नहीं है। १५ दिसम्बर, १९६२ को उत्तरी रोडेशिया में प्रथम अफ्रिकी सरकार की घोषणा हुई।

सियरालियोन

स्थिति—पश्चिमी अफ्रिका का दक्षिणी अटलांटिक-तट; क्षेत्रफल—२७,६२५ वर्गमील; जनसंख्या—२५,००,००० (जिसमें २००० यूरोपीय तथा ३००० एशियाई); राजधानी—फ्री-टाउन; गवर्नर जेनरल—हेनरी जे० एल० बोस्टन; प्रधानमन्त्री—सर मिल्टन मारगेई; शासन-स्वरूप—गणतन्त्र।

यह पहले ब्रिटिश-रक्षित राज्य और उपनिवेश—इन दो क्षेत्रों में बँटा था। सन् १९५८ ई० में इसका संविधान बना, जिसके अनुसार यहाँ की प्रतिनिधि-सभा में ५१ निर्वाचित और २ मनोनीत सदस्य होते थे। २७ अप्रैल, १९६१ को यह संप्रभुता-सम्पन्न स्वतंत्र देश घोषित किया गया और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का सदस्य हुआ। सन् १९६२ ई० के निर्वाचन में यहाँ की प्रतिनिधि-सभा के ६०-सदस्य हुए।

सूडान

स्थिति—अफ्रिका का पूर्वी भाग; क्षेत्रफल—९,६७,५०० वर्गमील; जनसंख्या—१,१६,२८,००० (१९६१); राजधानी—खारतूम; सिक्का—सूडानी पौंड; भाषा—अरबी; धर्म—इस्लाम; सशस्त्र सैनिकों की सर्वोच्च परिषद् के प्रधान और प्रधानमंत्री—जेनरल इब्राहिम अबूद; शासन-स्वरूप—सैनिक तानाशाह (१९५८ से); मुख्य नगर—पोर्ट, सूडान और हल्फा।

इसके उत्तर-पश्चिम भाग में मरुभूमि है। नील नदी इस देश के मध्य होकर उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। इसके आसपास कृषि-योग्य भूमि है। कपास और मँडुआ यहाँ की मुख्य उपज है। संसार को अधिकांश गोंद मुख्यतः इसी देश से प्राप्त होता है।

सूडान का प्राचीन इतिहास नूबिया का इतिहास है, जहाँ रोमन-युग में एक शक्तिशाली राज्य स्थापित हुआ था। सन् १८८२ ई० में यह मिस्र के मुहम्मद अली पाशा द्वारा विजित हुआ। महदी-विद्रोह में सन् १८८१ से १८९८ ई० के बीच मिस्र की सेना यहाँ से हटा दी गई। सन् १८९९ ई० में यह ब्रिटिश और मिस्र के सम्मिलित शासन के अंतर्गत आया। सन् १९५३ ई० में इसे स्वशासन का अधिकार मिला, किन्तु १ जनवरी, १९५६ को यह पूर्ण स्वतंत्र हो गया। इस्माइल अल-अजहरी की सरकार के पतन के बाद ५ जुलाई, १९५६ ई० से उम्मा-पार्टी के नेता अब्दुल्ला खलील के प्रधानमन्त्रित्व में शासन आरम्भ हुआ था। सन् १९५८ ई० के फरवरी-मार्च में यहाँ सर्वप्रथम चुनाव किया गया। उसमें भी अब्दुल्ला खलील का ही मन्त्रिमण्डल बना, किन्तु उसी वर्ष यहाँ १७ नवम्बर से जेनरल इब्राहिम अबूद के नेतृत्व में सैनिक शासन आरम्भ हुआ, जो अबतक चल रहा है।

सेनेगल

स्थिति—पश्चिमी अफ्रिका में अटलांटिक महासागर के तट पर; क्षेत्रफल—१,९७,१६१ वर्ग कीलोमीटर; जनसंख्या—२५,९७,००० (१९६०); राजधानी—डकार; राष्ट्रपति—लामिने ग्वेई; शासन-स्वरूप—गणतंत्र; मुख्य नगर—रूफिस्क, काओलैक, सेंट लुई थीज।

यहाँ यूरोपवासियों में सर्वप्रथम पुर्त्तगालियों ने १५वीं सदी में सेनेगल नदी के तट पर अपने कुछ अड्डे कायम किये। फ्रांसीसियों ने सन् १६५० ई० में सेंटलुई नामक स्थान पर अपनी बस्तियाँ बसाईं। विभिन्न समयों में अँगरेजों ने सेनेगल के कुछ हिस्से अधिकृत किये। किन्तु,

सन् १८४० ई० में फ्रांसीसियों ने सबपर अपना अधिकार जमा लिया। सन् १६०४ ई० में उन्होंने सूडान-क्षेत्र को भी संगठित किया। सन् १६४६ ई० में फ्रांसीसी पश्चिमी अफ्रिका के अन्य भागों के साथ सेनेगल भी फ्रांसीसी राज्य-संघ का एक भाग बना। जनवरी, १६५६ ई० से २० अगस्त, १६६० ई० तक यह सूडान के साथ माली राज्य-संघ का सदस्य रहा। २० अगस्त १६६० को यह पूर्ण गणतन्त्र घोषित किया गया। २८ सितम्बर, १६६० को यह संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य बना।

१७ दिसम्बर, १६६२ को यहाँ के राष्ट्रपति लामिने ग्वेई के निवास-स्थान पर हुए यहाँ की नेशनल एसेम्बली के सदस्यों के एक विशेष अधिवेशन में निन्दात्मक प्रस्ताव द्वारा यहाँ के प्रधानमंत्री मामाडाउ डियास की सरकार विघटित कर दी गई। प्रधान मंत्री गिरफ्तार कर लिया गया और ६ महीने के लिए आपात-काल की घोषणा की गई।

सोमालिया-गणतन्त्र

स्थिति—पूर्वी अफ्रिका में लालसागर और भारतीय महासागर के तट पर; **क्षेत्रफल**—६,३७,६६० वर्ग कीलोमीटर; **जनसंख्या**—लगभग १८,७०,०००; **राजधानी**—मोगाडिस्को; **सिक्का**—सोमालो; **राष्ट्रपति**—अदन अब्दुल्ला उस्मान; **प्रधानमंत्री**—डॉ० आब्दी रशीद अली शिरमार्के; **शासन-स्वरूप**—गणतन्त्र; **मुख्य नगर**—हरगीसा, बरबेरा, बुराओ।

सोमालिया-गणतन्त्र का निर्माण १ जुलाई, १६६० को ब्रिटिश सोमालीलैंड और इटालियन सोमालिया के मिलने से हुआ है। ब्रिटिश सोमालीलैंड एक ब्रिटिश-रक्षित राज्य था, जिसका ब्रिटेन के साथ सम्बन्ध शताधिक वर्षों से रहा। सोमालीलैंड के दक्षिण-पूर्व भारतीय महासागर के तट पर स्थित सोमालिया सन् १६५० ई० से संयुक्त राष्ट्रसंघ के ट्रस्टीशिप में इटली द्वारा शासित हो रहा था। २२ जुलाई, १६६० को इस गणतंत्र सरकार का संगठन हुआ।

सोमालिया-गणतन्त्र के लोग एक बृहत्तर सोमालिया की कल्पना कर रहे हैं, जिसमें उत्तर केनिया के १ लाख, इथोपिया के ५ लाख और फ्रांसीसी सोमालीलैंड के ३० हजार सोमालियों के क्षेत्रों को भी सम्मिलित करने का स्वप्न है। इथोपिया, केनिया आदि सम्बद्ध देश उनके इस स्वप्न का विरोध कर रहे हैं।

अफ्रिका के विदेशी-अधिकृत क्षेत्र

पुर्त्तगाल-अधिकृत क्षेत्र

अंगोला और मोजाम्बिक प्रान्त, पुर्त्तगीज गीनी, केप वर्डे (टापू), मैडोरा (टापू) और एजोर (टापू)।

फ्रांस-अधिकृत क्षेत्र

फ्रेंच सोमालीलैंड, सहारा, फ्रेंच इक्वेटोरियल अफ्रिका और रीयूनियन (टापू)।

ब्रिटेन-अधिकृत क्षेत्र

रोडेशिया, न्यासालैंड, जंजीबार, मॉरिशस, सेंटहेलेना, एसन्सन, गैम्बिया, बेचुआनालैंड, स्वाजीलैंड, बसुटोलैंड तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ की देख-रेख में दक्षिण-पश्चिम अफ्रिका।

स्पेन-अधिकृत क्षेत्र

रिओडिओरा, स्पेनिश गीनी, कनारी-द्वीप-समूह और स्पेनिश सहारा।



अस्ट्रेलेशिया (ओसीनिया)

अस्ट्रेलिया, टस्मानिया, न्यूजीलैंड, न्यूगीनी, फीजी तथा पास के कुछ छोटे-छोटे द्वीपों को मिलाकर अस्ट्रेलेशिया या ओसीनिया महादेश कहलाता है। यहाँ की जनसंख्या लगभग डेढ़ करोड़ है। न्यूगीनी के कुछ भागों को छोड़कर ये सभी द्वीप ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत हैं। इन द्वीपों के मूल निवासी धीरे-धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। सर्वत्र गोरी जातियों का प्रभुत्व है। अस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड के विवरण अलग दिये जा रहे हैं।

अस्ट्रेलिया

स्थिति—एशिया के दक्षिण; क्षेत्रफल—२९,७१,०८१ वर्गमील (टस्मानिया-सहित); **जनसंख्या**—१,०२,२७,३८६ (१९६०); **राजधानी**—कैनबेरा; **भाषा**—अँगरेजी; **धर्म**—ईसाई; **सिक्का**—अस्ट्रेलियन पौंड; **सम्राज्ञी**—ग्रेट-ब्रिटेन की द्वितीय एलिजाबेथ; **गवर्नर जेनरल**—वाइकाउण्ट डी लेस्ले (१० अप्रैल, १९६१ से); **प्रधानमन्त्री**—रॉबर्ट गॉर्डन मेञ्जिज (१९४९ से); **शासन-स्वरूप**—ब्रिटिश अधिराज्य; **मुख्य नगर**—सिडनी, ब्रिस्बेन, मेलबोर्न, पर्थ, एडिलेड, होबर्ट, डारविन।

इस देश को यदि द्वीप कहा जाय, तो यह संसार का सबसे बड़ा द्वीप है और यदि महादेश कहा जाय, तो संसार का सबसे छोटा महादेश है। सन् १८५० ई० तक यह 'न्यू-हालैंड' कहलाता था; क्योंकि यूरोपवासियों में सर्वप्रथम हालैंडवासी ही सन् १६१३—२७ ई० के बीच यहाँ आये थे।

डेढ़ सौ वर्ष पहले इस देश के मूल निवासियों की संख्या ३,००,००० थी, पर अब लगभग ८७,००० मात्र रह गई है। अँगरेजों ने इस देश पर अपना आधिपत्य जमा लिया और वे गोरी जाति के अतिरिक्त दूसरे किसी को यहाँ बसने नहीं देते। यह देश ८ प्रान्तों में बँटा है—१. टस्मानिया, २. पश्चिमी अस्ट्रेलिया, ३. क्वींसलैंड, ४. नॉर्दर्न टेरिटरी, ५. दक्षिणी अस्ट्रेलिया, ६. न्यू-साउथवेल्थ, ७. विक्टोरिया और ८. अस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी। पहले प्रत्येक प्रान्त का ब्रिटिश सरकार के साथ सीधा सम्बन्ध था, पर १ जनवरी, १९०१ ई० से यहाँ संघ-शासन कायम हुआ है, जिसे 'कॉमनवेल्थ ऑफ अस्ट्रेलिया' कहते हैं। यह राष्ट्रमंडल का एक सदस्य है। सन् १९४९ ई० से यहाँ लिबरल और कंट्री पार्टी का सम्मिलित मंत्रिमंडल कायम है। यह सन् १९५४ ई० में निर्मित दक्षिण-पूर्वी एशिया संधि-संगठन का प्रमुख सदस्य है।

इस देश के शासनान्तर्गत निम्नलिखित सुदूरस्थ छोटे-बड़े द्वीप भी हैं—पपुआ, संयुक्त राष्ट्रसंघ के संन्यस्त क्षेत्र नौरू और न्यूगीनी, अस्ट्रेलियन अंटार्कटिक क्षेत्र, क्रिसमस द्वीप और कोको-कीलिंग द्वीप-समूह।

न्यूजीलैंड

स्थिति—दक्षिण प्रशान्त महासागर में एक द्वीप; क्षेत्रफल—१,०३,७४० वर्गमील; **जनसंख्या**—२३,११,८१११ (१९६०); **राजधानी**—वेलिंगटन; **धर्म**—ईसाई; **सम्राज्ञी**—इंगलैंड की रानी द्वितीय एलिजाबेथ; **गवर्नर-जेनरल**—वाइकाउण्ट कोभम; **प्रधानमंत्री**—के० जे० होलिओक; **शासन-स्वरूप**—अधिराज्य (ब्रिटिश); **मुख्य नगर**—ऑकलैंड, क्राइस्टचर्च, डुनेडिन।

यहाँ के प्राचीन मूल निवासी पोलीनेशियन जाति के हैं, जिन्हें 'माओरी' कहते हैं। यह कुक मुहाना द्वारा मुख्यतः दो द्वीप-समूहों में विभक्त है—उत्तरी द्वीप-समूह और दक्षिणी द्वीप-समूह। यह ज्वालामुखी पर्वतों और गरम झरनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ अधिकतर गोचर भूमि है, जिससे भेड़ पालने का व्यवसाय अधिक होता है। भेड़ का मांस, मक्खन, पनीर, ऊन और जमा हुआ दूध के निर्यात में इसका स्थान संसार में अग्रगण्य है।

पहले सन् १६८२ ई० में यहाँ डच लोग आये। सन् १८४० ई० में यह ब्रिटेन के शासन के अन्तर्गत आया। सन् १८५२ ई० में इसे स्वशासन का अधिकार मिला। इसे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अन्तर्गत सन् १९०७ ई० में अधिराज्यत्व प्रदान किया गया। यहाँ की पार्लमेण्ट के दो सदन हैं। गवर्नर जेनरल ही ब्रिटिश सम्राज्ञी का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल है। यहाँ के मूल निवासियों और गोरी जातियों में रंगभेद की नीति नहीं है।



उत्तरी अमेरिका महादेश

यह महादेश भू-मध्यरेखा से उत्तर लगभग १०° उ० अक्षांश से लगभग ८०° उ० अक्षांश तक फैला हुआ है। इसकी लम्बाई लगभग ४,२०० मील है। इसका क्षेत्रफल ९३,५८,९७६ वर्गमील और जनसंख्या लगभग २४ करोड़ है। अटलाण्टिक और प्रशांत महासागर के बीच स्थित होने से एशिया और यूरोप दोनों महादेशों के साथ इसे व्यापार करने की सुविधा है। यह चार प्राकृतिक भागों में बाँटा जा सकता है—पश्चिम का पहाड़ी भाग, बीच की समतल भूमि, पूरब की अधित्यका और अटलाण्टिक महासागर का तट। पुरातत्त्वविदों का कहना है कि प्राचीन काल में भारत का अमेरिका से सम्बन्ध था। परन्तु, आधुनिक युग में यूरोपवालों ने ही अमेरिका का पता लगाया। वे लोग यहाँ आ बसे। उनके यहाँ बसने पर यहाँ के मूल निवासियों की संख्या धीरे-धीरे बहुत कम हो गई है। यहाँ के मूल निवासियों में एस्किमो, रेड इण्डियन आदि हैं। इनका समाज या राजनीति में कोई विशेष स्थान नहीं है। दिन-दिन इनकी जनसंख्या घटती जा रही है। अफ्रिका के जो हब्शी खेतों में काम करने के लिए यहाँ जानवरों की तरह खरीदकर लाये गये थे, वे भी लाखों की संख्या में हैं। दासता-उन्मूलन-आन्दोलन की सफलता के बाद इन्हें नागरिक अधिकार दिये गये हैं। उत्तरी अमेरिका कई देशों में बँटा हुआ है, पर इनमें मुख्य संयुक्तराज्य और कनाडा हैं। कनाडा से उत्तर-पूरब एक बहुत बड़ा भू-भाग 'ग्रीनलैंड' कहलाता है। उत्तरी ध्रुव के निकट होने के कारण यहाँ अत्यधिक ठंडक पड़ती है। संयुक्तराज्य के दक्षिण के भाग को 'मध्य अमेरिका' भी कहते हैं।

एल-सालवेडर

स्थिति—मध्य अमेरिका; क्षेत्रफल—८,२६६ वर्गमील; जनसंख्या—२६,१२,१३९ (१९६०); राजधानी—सान-सालवेडर; भाषा—स्पेनिश; धर्म—रोमन कैथोलिक; राष्ट्रपति—डॉ० यूसेबियो रुडोल्फो कॉर्डेन सी; शासन-स्वरूप—गणतन्त्र (प्रधानात्मक); मुख्य नगर—साण्टेआना, सान मिगुएल, न्यू साम सालवेडर (साण्टा टेकला), सोनसोनेट सान विसेण्ट।

यह अमेरिका महादेश का सबसे छोटा देश है। यहाँ के निवासी यूरोप की गोरी जातियाँ, मेसटिजो और रेड इंडियन हैं। सर्वप्रथम सन् १६२५ ई० में यहाँ स्पेनवासी आये थे। सन् १८२१ ई० में यह स्पेन से स्वतन्त्र हुआ। यहाँ की पार्लमेएट का एक सदन है। यहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव ६ वर्षों के लिए सार्वजनिक मत से होता है और वही मंत्रिमंडल को संगठित करता है। राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचित होने का अधिकार नहीं होता। यहाँ १८ वर्ष से अधिक उम्रवालों के लिए मत प्रदान करना अनिवार्य है।

कनाडा

स्थिति—उत्तरी अमेरिका; चेत्रफल—३८,५१,८०६ वर्गमील; जनसंख्या—१,८२,३८,२४७ (१६६१); राजधानी—ओटावा; भाषा—अँगरेजी और फ्रेंच; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—कैनेडियन डालर; गवर्नर जेनरल—जॉर्जेजफिलियास वेनियर (१६५८ से); प्रधानमंत्री—लेस्टर पियर्सन (अप्रैल, १६६३ से); शासन-स्वरूप—गणतन्त्र; मुख्य नगर—मौण्ट्रियल, टोरएटो, वैंकोवर, विनिपेग, हैमिल्टन, एडमोएटन, क्वेवेक, विएडसर।

यूरोपवासियों में सर्वप्रथम जॉन कैबॉट ने सन् १४६७ ई० में कनाडा के समुद्री तट का पता लगाया। सत्रहवीं शताब्दी के प्रथम दशक में यहाँ फ्रांसीसी उपनिवेश बसा। सन् १७६३ ई० में फ्रांस ने यह उपनिवेश अँगरेजों को दे दिया। सन् १८६७ ई० में इसे औपनिवेशिक स्वराज्य मिला।

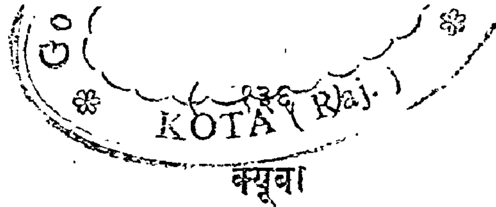
ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अन्तर्गत यह एक संघ-राज्य है, जिसके अन्दर १२ प्रांत हैं। यहाँ के अधिकांश निवासी यूरोपीय जाति के हैं, जिनमें अँगरेज और फ्रांसीसी मुख्य हैं। यह कृषि-प्रधान देश है, पर अपने खनिज पदार्थों के लिए भी धनी गिना जाता है। सन् १६६३ ई० के चुनाव में लिबरल पार्टी की जीत हुई है और उसी के नेता इस समय प्रधानमंत्री हैं। यहाँ की पार्लमेएट के दो सदन हैं—सिनेट और हाउस ऑफ कॉमन्स। ब्रिटिश पार्लमेएट की तरह यहाँ की सिनेट के सदस्य जीवन-भर के लिए मनोनीत होते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत रहते हुए भी यह स्टर्लिंग-चेत्र के अन्दर नहीं है, और इसी प्रकार अमेरिका महादेश के अन्दर रहकर भी यह अमेरिका राज्यसंघ से बाहर है।

कोस्टा-रीका

स्थिति—मध्य अमेरिका का दक्षिणी भाग; चेत्रफल—१,६६३ वर्गमील; जनसंख्या—१२,३७,२१७ (१६६०); राजधानी—सानजोसे; भाषा—स्पेनिश; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—कोलोन; राष्ट्रपति—फ्रांसिस्को जे० औलिच बोलयारिच (मई, १६६२ से); शासन-स्वरूप—गणतन्त्र (प्रधानात्मक); मुख्य नगर—सानजोसे, अलाजुएला, कारटागो हेरेडिया; गुआनाकास्टे, पुएटारेनॉस, लिमोन आदि।

सन् १५०२ ई० में सेंट कोलम्बस ने इसका पता लगाया। यहाँ का पोआज ज्वालामुखी संसार का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है। यहाँ के अधिकांश निवासी यूरोपीय मूल के हैं, जिनमें सबसे अधिक स्पेनवासी हैं। आदिम जातियों की संख्या दिन-दिन घट रही है।

यहाँ की पार्लमेएट का केवल एक सदन है। २० वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी पुरुषों को यहाँ मताधिकार प्राप्त है। शिक्षकों और विवाहित लोगों के लिए मताधिकार की निम्नतम आयु १८ वर्ष ही रखी गई है।



क्यूबा

स्थिति—वेस्ट इंडीज; क्षेत्रफल—४४,२०६ वर्गमील; जनसंख्या—६५,००,००० (१९६०); राजधानी—हवाना; भाषा—स्पेनिश; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—पेसो; राष्ट्रपति—ओसवाल्डो डॉरटिकोज टोरेडो (१९५९ ई० से); प्रधानमंत्री—डॉ० फिडेल कास्ट्रो रुज; शासन-स्वरूप—गणतंत्र (मंत्रिमंडलात्मक)।

सन् १४९२ ई० में कोलम्बस ने इसका पता लगाया। सन् १८९८ ई० तक यह स्पेन का उपनिवेश रहा। तत्पश्चात् सन् १९०२ ई० तक यह संयुक्तराज्य अमेरिका के सैनिक शासन के अंतर्गत था। जनवरी, १९०२ ई० में ही यहाँ नये संविधान के अनुसार गणतन्त्र की स्थापना हुई। सन् १९४० ई० में यहाँ फिर संविधान बना, जो सन् १९५२ से १९५५ ई० तक और फिर १९५६ से स्थगित रहा। सन् १९५९ ई० में साम्यवादी विचारधारा के समर्थक डॉ० फिडेल कास्ट्रो रुज के नेतृत्व में विद्रोहियों ने तत्कालीन सरकार को अपदस्थ कर दिया। सन् १९६० ई० से वह यहाँ का प्रधानमंत्री है। इसके प्रधानमंत्री होने के बाद संयुक्तराज्य अमेरिका और क्यूबा का आपसी सम्बन्ध बहुत बिगड़ गया तथा दोनों देशों का दौत्य-सम्बन्ध विच्छिन्न हो गया। क्यूबा-स्थित अमेरिकी कारोबार का राष्ट्रीयकरण करके साम्यवादी चीन से प्रचुर ऋण लिया गया। अप्रैल, १९६१ ई० में यहाँ की सरकार के विरुद्ध विद्रोह हुआ, जिसे दबा दिया गया। सन् १९६२ ई० में रूस ने यहाँ रॉकेट के कई अड्डे कायम किये। इससे अपनी सुरक्षा में बाधा समझकर सं० रा० अमेरिका ने इसका विरोध किया और घेरा डालकर वहाँ विदेशों से शस्त्रास्त्रों का आना रोक दिया तथा इस मामले को सुरक्षा-परिषद् और अमेरिकी राज्य-संघ में उपस्थित किया। क्यूबा में रूस के आगे के निर्माण-कार्य को भी उसने रोकने की घोषणा की। ऐसी अवस्था में अन्तरराष्ट्रीय युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसपर रूस ने वहाँ अपना अड्डा बनाना बन्द कर दिया और संयुक्तराज्य अमेरिका ने भी घेरेबन्दी को तोड़ दिया तथा क्यूबा पर आक्रमण न करने का आश्वासन दिया। इस प्रकार, वहाँ शान्ति की स्थापना हुई।

यह संसार का सबसे बड़ा ऊख-उत्पादक देश है। यहाँ की दूसरी मुख्य उपज तम्बाकू है। यहाँ लोहा अधिक पाया जाता है।

गुवाटेमाला

स्थिति—मध्य अमेरिका; क्षेत्रफल—४२,०४२ वर्गमील; जनसंख्या—३७,५९,००० (१९६०); राजधानी—गुवाटेमाला सिटी; भाषा—स्पेनिश; धर्म—रोमन कैथोलिक; राष्ट्रपति—कर्नल इनरिक पेरेल्टा अजुर्दिया (१९६३ से); शासन-स्वरूप—गणतन्त्र (प्रधानात्मक); मुख्य नगर—केजाल्टेनानगो, कोबैन, जाकापा, पुएर्टो, बोरिओस, मेजेटेनानगो।

ईसा की १०वीं शताब्दी में यहाँ रेड इंडियनों का मय-साम्राज्य कायम था। सन् १५२४ ई० में स्पेनवालों ने इस देश पर अपना आधिपत्य जमाया। सन् १८३९ ई० में यहाँ गणतंत्र स्थापित हुआ। यहाँ का वर्त्तमान संविधान सन् १९५६ ई० का बना हुआ है। अब भी इस देश में अधिकांश रेड इंडियन तथा शेष मिश्रित रेड इंडियन और स्पेनिश हैं। कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। यहाँ १८ से ५० वर्ष की उम्रवालों के लिए सैनिक सेवा जरूरी है। यहाँ की काँग्रेस का एक ही सदन है, जिसके सदस्यों का चुनाव ४ वर्षों की अवधि के लिए होता है। इसके

आधे सदस्य हर दो वर्ष पर बदल जाते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव ६ वर्षों के लिए होता है। २१ मार्च, १६६३ को यहाँ के सैनिकों ने राष्ट्रपति मिगुएल एडिमोरास फूएराट्स को अपदस्थ कर प्रतिरक्षा-मंत्री को राष्ट्रपति बनाया।

जमैका

स्थिति—पश्चिमी द्वीप-समूह; **क्षेत्रफल**—४,४११ वर्गमील; **जनसंख्या**—१६,१३,१४८ (१६६०); **राजधानी**—किंग्सटन; **धर्म**—ईसाई; **गवर्नर जेनरल**—कैनेथ विलियम ब्लैक बर्न (दिसम्बर १६५७ से); **प्रधानमंत्री**—सर अलेक्जेण्डर बुस्टान्केएटे; **शासन-स्वरूप**—प्रजातन्त्र।

जमैका का पता सन् १४६४ ई० में कोलम्बस ने लगाया था। सन् १६५५ ई० में अँगरेजों ने इसका शासन स्पेनवालों से अपने हाथ में लिया। इसने १६ सितम्बर, १६६१ ई० की जनमत-गणना द्वारा वेस्ट इंडियन फेडरेशन में रहना अस्वीकार किया। ३०७ वर्षों के ब्रिटिश शासन के बाद यह ६ अगस्त, १६६२ को स्वतन्त्र होकर ब्रिटिश कामनवेल्थ का १४वाँ सदस्य हुआ। यहाँ की संसद् के दो सदन हैं। अप्रैल, १६६२ ई० के निर्वाचन में यहाँ पिपुल्स नेशनल पार्टी की जीत हुई। यह संसार में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है।

डोमिनिकन गणतंत्र

स्थिति—वेस्ट इंडीज; **क्षेत्रफल**—१८,७०० वर्गमील; **जनसंख्या**—३०,१३,५२५ (१६६०); **राजधानी**–सिउडाड ट्रुजिलो; **भाषा**—स्पेनिश; **धर्म**—रोमन कैथोलिक; **सिक्का**—पेसो; **राष्ट्रपति**—सेनोर राफेल बोनेली (जनवरी, १६६२ से); **शासन-स्वरूप**—गणतंत्र (प्रधानात्मक); **मुख्य नगर**—सांटिआगोडी लॉस कैबेलेरॉस, सानफ्रांसिस्को डी मैकोरिज।

कोलम्बस ने सन् १४६२ ई० में इसका पता लगाया और इसका नामकरण ला-स्पेनोला (अर्थात्, लघु स्पेन) किया। सन् १८२१ ई० में इसने स्पेन से सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया और तीन वर्षों तक हेटी के अधीन रहा। २७ फरवरी, १८४४ को यहाँ गणतंत्र की स्थापना हुई। सन् १६१६—२४ ई० तक यह संयुक्तराज्य अमेरिका के जहाजी सैनिकों के कब्जे में रहा। उसके बाद संयुक्तराज्य अमेरिका के ही आदर्श पर यहाँ का संविधान बना। ३१ मई, १६६१ को यहाँ के राष्ट्रपति जेनरल राफेल लियोनिडास ट्रुजिलो मोलिना की हत्या कर दी गई। उसके बाद उसका पुत्र अधिनायक बना। सन् १६६२ ई० की जनवरी के तीसरे सप्ताह में यहाँ सैनिक विद्रोह हुआ, जिसके फलस्वरूप यहाँ की सरकार बदल दी गई और सेनोर राफेल बोनेली नये राष्ट्रपति बनाये गये। यहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव ५ वर्षों के लिए सार्वजनिक मत से होता है। वह मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति करता है। यहाँ की कोंगरेस के दो सदन हैं।

निकारागुआ

स्थिति—मध्य अमेरिका; **क्षेत्रफल**—५७,१४३ वर्गमील; **जनसंख्या**—१५,०१,५३८ (१६५६ ई०); **राजधानी**—मानागुआ; **भाषा**—स्पेनिश; **धर्म**—रोमन कैथोलिक; **सिक्का**—कौरडोवा; **राष्ट्रपति**—डॉन लुई ए० सोमोजा डेबायल (१६५७ से); **शासन-स्वरूप**—गणतंत्र (प्रधानात्मक); **मुख्य नगर**—लिओन, माटागलपा, जिनोटेगा, ग्रैनाडा, मासाया, चिननडेगा।

इसका समुद्री तट कैरिवियन सागर की ओर ३०० मील में एवं प्रशान्त महासागर की ओर २०० मील में फैला हुआ है। सर्वप्रथम कोलम्बस ने सन् १५०२ ई० में इसके समुद्री तट का पता लगाया। सन् १५२३ ई० में यह स्पेन के अधिकार में आया। यह एक कृषि-प्रधान देश है। यहाँ की मुख्य जातियाँ स्पेनवासी और रेड इंडियन के सम्मिश्रण से बनी हैं। यह सन् १८२१ ई० में स्पेन से मुक्त हुआ। यह प्रशासनिक दृष्टि से १६ भागों और एक क्षेत्र में बँटा है। यहाँ की पार्लमेंट के दो सदन हैं। राष्ट्रपति का चुनाव ६ वर्षों के लिए होता है। यहाँ के भूतपूर्व राष्ट्रपति सिनेट के आजीवन सदस्य होते हैं।

पनामा

स्थिति—मध्य अमेरिका; क्षेत्रफल—२८,५७६ वर्गमील; **जनसंख्या**—१०,६७,७६६ (१९६०); **राजधानी**—पनामा सिटी; **भाषा**—स्पेनिश; **धर्म**—रोमन कैथोलिक; **सिक्का**—वल्बोआ; **राष्ट्रपति**—रॉबर्टो एफ्० चियारी (८ मई, १९६० से); **शासन-स्वरूप**—गणतन्त्र (प्रधानात्मक); **मुख्य नगर**—सानटिआगो, डैविड, कोलोन, पेनोनोमे, लास-टेवलस।

सन् १५०२ ई० में कोलम्बस ने इसका पता लगाया। इसका समुद्री किनारा अटलांटिक महासागर की ओर ४२६ मील और प्रशान्त महासागर की ओर ७७६ मील है। पनामा नहर इसे दो भागों में बाँटती है। यहाँ के निवासियों में ५०% मेसटिजो जाति के लोग हैं। यहाँ की केवल ५०% भूमि खेती के योग्य है, शेष भाग विस्तृत जंगलों से ढका है। संयुक्तराज्य अमेरिका के प्रयत्नों से इसे कोलम्बिया ने सन् १९०३ ई० में स्वतन्त्र कर दिया। उसी साल इसने एक संधि द्वारा संयुक्त-राज्य अमेरिका को पनामा नहर दे दी। पनामा-सरकार को उसकी राष्ट्रीय आय की एक-तिहाई नहर से मिलती है। यहाँ की पार्लमेंट का एक सदन है। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष मत से चार वर्षों के लिए होता है। उसे लगातार दो वार पुनर्निर्वाचित होने का अधिकार नहीं होता।

मेक्सिको

स्थिति—उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी भाग; **क्षेत्रफल**—७,६०,३७३ वर्गमील; **जनसंख्या**—३,४९,२३,१२९ (१९६०); **राजधानी**—मेक्सिको; **भाषा**—स्पेनिश; **धर्म**—रोमन कैथोलिक; **सिक्का**—पेसो; **राष्ट्रपति**—अडोल्फो लोपेज माटेओस (१९५८ से); **शासन-स्वरूप**—गणतन्त्र (प्रधानात्मक); **मुख्य नगर**—गुआडालाजारा, मौण्टेरी, पुएब्ला, सिउडाड-जुआरेज, लिओन।

यह उत्तरी अमेरिका में २९ राज्यों का एक संघ-राज्य है। यह प्राचीन काल में मय, टॉलटेक और अजटेक सभ्यताओं का केन्द्र-स्थल रहा है। सन् १५२१ ई० में यहाँ स्पेनवासियों का आगमन हुआ। लगातार अनेक विद्रोहों के बाद सन् १८१८ ई० में यह स्वतंत्र हुआ। इसके बाद के वर्ष भी मेक्सिको के लिए अशान्तिपूर्ण रहे; क्योंकि फ्रांस तथा अन्य यूरोपीय देशों की सेनाएँ अपने हितों की रक्षा के लिए यहाँ आ जुटीं, जिसके परिणामस्वरूप टेक्साज का क्षेत्र इसके हाथ से निकल गया। संयुक्तराज्य अमेरिका के साथ हुए सन् १८४६-४८ ई० के युद्ध में मेक्सिको की हार होने पर कैलिफोर्निया, नेवाडा, उटा, अरिजोना और न्यू-मेक्सिको तो पूर्णतः तथा वोमिंग और कोलोरैडो के कुछ अंश संयुक्तराज्य के अधिकार में आ गये। फ्रांसीसी आक्रमण के बाद

अस्ट्रिया का राजा मेक्सिलियन सन् १८६३ ई० में यहाँ का सम्राट् हुआ। उसके पतन के बाद सन् १८७७-१९११ ई० के बीच यहाँ अधिनायक-तंत्र रहा। सन् १९१७ ई० में यहाँ गणतंत्र स्थापित हुआ।

यहाँ के निवासी रेड इण्डियन तथा उपनिवेश बसानेवाले स्पेनवासियों के वंशज हैं। खनिज पदार्थों की उत्पत्ति के लिए इसकी गणना संसार के सम्पन्न देशों में होती है। यहाँ चाँदी का उत्पादन सभी देशों से अधिक है। यहाँ की पार्लमेण्ट के दो सदन हैं। राष्ट्रपति का चुनाव ६ वर्षों के लिए होता है।

संयुक्तराज्य अमेरिका

स्थिति—उत्तरी अमेरिका का मध्य भाग; **क्षेत्रफल**—३५,५३,८६० वर्गमील; **जनसंख्या**—१८,३६,५०,००० (१९६१); **राजधानी**—वाशिंगटन; **भाषा**—अँगरेजी; **धर्म**—ईसाई; **सिक्का**—अमेरिकन डालर; **राष्ट्रपति**—जॉन फिज गेराल्ड केनेडी (२० जनवरी, १९६१ से); **उप-राष्ट्रपति**—लिण्डन बी० जॉन्सन; **राज्यमंत्री**—डीन रस्क; **शासन-स्वरूप**—गणतंत्र (प्रधानात्मक); **मुख्य नगर**—न्यूयार्क, शिकागो, फिलाडेलफिया, डेट्रआयट, लॉसएंजेल्स, बाल्टीमोर, क्लीवलेंड, बोस्टन, सैनफ्रान्सिस्को।

इस देश पर सर्वप्रथम स्पेन-निवासियों ने सन् १५६५ ई० में अपना उपनिवेश कायम किया। इसके बाद फ्रांसीसी आये। अन्त में अँगरेज यहाँ इतनी अधिक संख्या में पहुँचे कि देश में वे सब जगह छा गये। फिर तो यहाँ भाषा, धर्म, विधि-विधान और शासन-पद्धति भी अँगरेजों की ही चालू हुई। यहाँ के मूल निवासी दिन-दिन घटते गये। यहाँ प्राकृतिक साधन प्रचुर परिमाण में मिलने के कारण उपनिवेश बसानेवाले कुछ ही दिनों में बहुत सम्पन्न हो गये। फल यह हुआ कि स्वार्थ के कारण उनका अपने मातृदेश के साथ संघर्ष चल पड़ा। संघर्ष चाय-कानून लेकर आरम्भ हुआ था। सन् १७७५ ई० से तो इंगलैंड के साथ उनका युद्ध ही आरम्भ हो गया। अन्त में अमेरिकी ही विजयी हुए। सन् १७८८ ई० की पेरिस-संधि के अनुसार अमेरिका की स्वतन्त्रता स्वीकार की गई। यहाँ पूर्ण स्वतन्त्र संघ-राज्य कायम हुआ। जॉर्ज वाशिंगटन सन् १७८९ ई० में इसके प्रथम राष्ट्रपति हुए। स्वतन्त्र होकर अमेरिका शीघ्र ही एक उन्नतिशील और शक्तिशाली राष्ट्र हो गया। सन् १८२३ ई० में यहाँ के राष्ट्रपति मुनरो ने अपना यह सिद्धान्त बनाया कि कोई यूरोपीय शक्ति उत्तरी या दक्षिणी अमेरिका के अन्दर अपना राज्य नहीं स्थापित करे। निग्रो की दासता-प्रथा आदि को लेकर सन् १८६१ से १८६५ ई० तक यहाँ गृह-युद्ध चलता रहा। १९वीं सदी का अन्त होने के पूर्व ही संयुक्तराज्य अमेरिका एक विश्व-शक्ति माना जाने लगा। प्रथम महासमर में जर्मनी को परास्त करने में इसका काफी हाथ था। द्वितीय महासमर के अन्त में तो यह संसार के अन्दर सबसे शक्तिशाली राष्ट्र माना जाने लगा। इस समय भी संयुक्तराज्य अमेरिका और रूस ही संसार के देशों में अग्रगण्य हैं।

संयुक्तराज्य अमेरिका ५० राज्यों का एक संघ है। यहाँ एक राष्ट्रपति और एक उप-राष्ट्रपति होते हैं, जो ४ वर्षों के लिए चुने जाते हैं। राज्यों का शासन-भार विभिन्न विभागों के हाथों में रहता है, जिनके प्रधान राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। यहाँ की पार्लमेण्ट

को 'कौंगरेस' कहा जाता है, जिसके दो सदन हैं—सिनेट और प्रतिनिधि-सभा। सिनेट में विभिन्न राज्यों से दो-दो सदस्य ५ वर्षों के लिए चुने जाते हैं। इन सदस्यों में एक-तिहाई दो वर्ष के बाद बदल जाते हैं। प्रतिनिधि-सभा के सदस्यों की संख्या ४३५ है। उनका चुनाव दो वर्षों पर होता है। यहाँ के मुख्य राजनीतिक दल डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन हैं। नवम्बर, १९६० ई० के निर्वाचन में डेमोक्रैटिक पार्टी का नेता जॉन फिज गेराल्ड केनेडी राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ।

संयुक्तराज्य अमेरिका के अधीनस्थ क्षेत्र इस प्रकार हैं—प्रशान्त महासागर में—(१) वेक और मिड-वे, (२) अमेरिकन समोआ और (३) गुआम; मध्य अमेरिका में—(१) पनामा-केनाल और (२) केनाल-क्षेत्र; अतलांतिक सागर में—पुएर्टोरिको; वेस्ट इण्डीज में—वर्जिन द्वीप-पुंज।

हैटी

स्थिति—वेस्ट इण्डीज; क्षेत्रफल—२७,७५० वर्ग किलोमीटर; जनसंख्या—लगभग ४०,००,००० (१९६१); राजधानी—पोर्ट-औ-प्रिंस; भाषा—फ्रेंच, धर्म—रोमन कैथोलिक, सिक्का—गुर्ड, राष्ट्रपति—डॉ० फ्रैंकोइस डुवेलियर (१९५७ से), शासन—स्वरूप—गणतन्त्र (प्रधानात्मक), मुख्य नगर—कैपहैटन, गोनेवस, लेस-काएस, जेरेमी।

पृथ्वी के पश्चिमी गोलार्द्ध में यह निग्रो-जाति के लोगों का एकमात्र प्रजातन्त्र राज्य है। निग्रो-जाति के अलावा यहाँ मोलैटोज जाति के भी लोग हैं। यहाँ गोरी जातियों की संख्या केवल दो हजार है। सन् १४९२ ई० में कोलम्बस ने इस देश का पता लगाया था। १७वीं सदी में यह फ्रांस के अधिकार में आया। यहाँ के कुल ५ लाख दासों ने सन् १७९१ ई० में टॉसेण्ट-एल-ओवर्चर के नेतृत्व में विद्रोह किया था। इसके फलस्वरूप १ जनवरी, १८०३ ई०, को यह स्वतन्त्र हुआ। अव्यवस्थित राजनीतिक परिस्थिति के कारण यह सन् १९१५ से १९३४ ई० के बीच संयुक्तराज्य अमेरिका के अधिकार में रहा। सन् १९६३ ई० में निर्मित नये संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव सार्वजनिक मत से ६ वर्षों के लिए होता है। यहाँ की पार्लमेण्ट का केवल एक सदन है।

हौंडुरास

स्थिति—मध्य अमेरिका; क्षेत्रफल—४३,२२७ वर्गमील; जनसंख्या—१९,५३,१३८ (१९५९); राजधानी—टेंगुसिगाल्पा; भाषा—स्पेनिश; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—लेम्पिरा; राष्ट्रपति—डॉ० जोसे रैमॉन भिलेडा मोरालस (१९५७ से); शासन-स्वरूप—गणतन्त्र; मुख्य नगर—सैन-पेड्रोसुला, आम्पाला, ला-सीवा, टेला।

यहाँ के निवासियों में करीब ३५,००० आदिवासी हैं, जो अपनी विभिन्न भाषाएँ बोलते हैं। पहले-पहल सन् १५२५ ई० में स्पेनवाले यहाँ आकर बसे और उन्होंने इस भूमि पर अधिकार जमाया। सन् १८२१ ई० में ये लोग अपने मूल देश स्पेन से सम्बन्ध-विच्छेद कर स्वतन्त्र हो गये और हौंडुरास को मध्य अमेरिका-संघ का एक अंग बनाया। किन्तु, सन् १८३८ ई० से यह उससे भी अलग हो गया। संयुक्तराज्य अमेरिका से इसे कई बार संघर्ष करना पड़ा। इसके अन्दर ३१ जिले हैं। सन् १९५७ ई० के विधानानुसार यहाँ की कौंगरेस का एक सदन है। सन् १९५५ ई० से यहाँ महिलाओं को भी मत देने का अधिकार प्रदान किया गया है।



दक्षिणी अमेरिका महादेश

उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका आकार-प्रकार तथा अन्य प्राकृतिक बनावट में बहुत कुछ मिलते-जुलते-से हैं। दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्रफल उत्तरी अमेरिका के क्षेत्रफल से कुछ ही कम है, पर इसकी जनसंख्या उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या की आधी भी नहीं है। यदि भारत से तुलना की जाय, तो पता चलेगा कि भारत की जनसंख्या उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की कुल जनसंख्या के योग से भी अधिक है। दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्रफल ६८,२५,८७६ वर्गमील और जनसंख्या लगभग १३ करोड़ है। इस देश के मूल निवासी 'अमेरिकन इण्डियन' कहलाते हैं। यह नाम १४वीं सदी में इस देश में पहले-पहल आनेवाले यूरोपियों द्वारा दिया गया था। यहाँ के पुराने निवासियों में अधिकांश जंगल में ही रहते हैं। अब तो यहाँ के निवासी प्रधानतः पहले आये हुए स्पेन और पुर्त्तगालवासियों के वंशज हैं। वैसे तो कुछ अन्य यूरोपीय भी हैं ही। उत्तर में कुछ निग्रो भी रहते हैं। जिनके पूर्वज खेतों में काम करने के लिए यहाँ लाये गये थे। हाल में कुछ इटालियन दक्षिणी भाग में आये हैं। ब्राजिल में कुछ जापानी भी बस गये हैं। इस महादेश के उत्तर में ट्रिनीडाड टापू एवं दक्षिण में फॉकलैंड टापू अँगरेजों के अधिकार में हैं।

अर्जेण्टाइना

स्थिति—दक्षिण अमेरिका का दक्षिणी भाग; क्षेत्रफल—१०,७८,७६६ वर्गमील; जनसंख्या—२,०६,५६,१०० (१६६०); राजधानी—बुएनॉस-एरिज; भाषा—स्पेनिश; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—पेसो; राष्ट्रपति—जोसेमोरिया गुइडो (५ अप्रैल, १६६२ से) शासन-स्वरूप—गणतंत्र (प्रधानात्मक); तत्काल सैनिक शासन; मुख्य नगर—रोसारियो, कॉरडोवा, साण्टाफे, टुकुमान, मेण्डोजा, लाप्लाटा।

यह दक्षिणी अमेरिका का दूसरा बड़ा देश है। इसके अन्दर ६ प्रान्त और एक फेडरल जिला है। यहाँ पहले-पहल स्पेनिश लोग सन् १५१६ ई० में आये थे। सन् १८१६ ई० में यह स्पेन से स्वतंत्र हुआ। इस समय यहाँ के मुख्य निवासी स्पेनिश और इटालियन हैं।

यहाँ की मुख्य उपज गेहूँ, जौ, जई, तीसी, री और अलफाल्फा है। यहाँ खनिज पदार्थ भी काफी पाये जाते हैं।

यहाँ का संविधान संयुक्तराज्य अमेरिका के ढंग का है। यहाँ की काँगरेस के दो सदन हैं, जिनमें क्रम से ३० और १५८ सदस्य हैं। राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति होने के लिए यहाँ का निवासी और रोमन कैथोलिक होना आवश्यक है। इनका चुनाव प्रत्यक्ष सार्वजनिक मत से ६ वर्षों के लिए होता है। यहाँ के मंत्रिमण्डल के सदस्यों का चुनाव राष्ट्रपति करता है। निर्वाचन में अपना मत प्रदान करना यहाँ अनिवार्य माना जाता है। अर्जेण्टाइना में २६ मार्च, १६६२ को रक्तपातहीन सैनिक क्रान्ति हुई, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रपति फ्रॉण्डिजी गिरफ्तार कर मार्टिन गार्सिया-द्वीप भेज दिया गया और सिनेट का अध्यक्ष जोसे मोरिया गुइडो राष्ट्रपति बनाया गया।

इक्वेडर

स्थिति—दक्षिणी अमेरिका की पश्चिमी सीमा; क्षेत्रफल—१,१६, २७० वर्गमील; जनसंख्या—४३,६६,३०० (१६६० ई०); राजधानी—क्वीटो; भाषा—स्पेनिश; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—सुक्रे; राष्ट्रपति—डॉ० कारलोज जुलियो आरोजेमेना मोनरो (६ नवम्बर, १६६१ से); शासन-स्वरूप—गणतंत्र (प्रधानात्मक); मुख्य नगर—गुआयाक्विल, कुएनका, अमबैटो, रियोबम्बा, लोजा, लाटाकुंगा।

सन् १५३२ ई० में फ्रैंसिस्को पिजारो के नेतृत्व में स्पेनवालों ने यहाँ के स्थानीय शासक को हराकर इस भू-भाग को अपने अधिकार में कर लिया। सन् १८२२ ई० में यह कोलम्बिया के साथ मिला दिया गया। उस समय यह क्वीटो प्रेसिडेन्सी कहलाता था। सन् १८३० ई० से यह अलग होकर इक्वेडर गणतंत्र कहलाने लगा। यहाँ के निवासियों में रेड इण्डियन, मूलैटो और गोरी जातियाँ हैं। राष्ट्रपति का चुनाव सार्वजनिक मत से चार वर्षों के लिए होता है। यहाँ सन् १६३६ ई० से महिलाओं को भी मताधिकार प्राप्त है।

उरुगुए

स्थिति—दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण-पूर्व भाग में; क्षेत्रफल—७२,१७२ वर्गमील; जनसंख्या—२८,००,००० (१६६२); राजधानी—मॉण्टे विडिओ; भाषा—स्पेनिश; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—पेसो; प्रेसिडेण्ट ऑफ दि नेशनल कौंसिल ऑफ स्टेट—इडुआरडो विक्टर हेडो (१६६१-६२); शासन-स्वरूप—गणतन्त्र; मुख्य नगर—पैसाण्डू, साल्टो, रिवेरा।

यह दक्षिणी अमेरिका का एक छोटा, किन्तु बहुत उन्नत देश है। यूरोपवासियों में सबसे पहले सन् १५१६ ई० में यहाँ स्पेनवाले आये। किन्तु, यहाँ सबसे पहले बसनेवाले पुर्त्तगाली हुए, जो सन् १६८० ई० में यहाँ बसे थे। पीछे सन् १७७८ ई० में स्पेन ने इसपर कब्जा कर लिया। फिर, यह ब्राजिल का एक प्रान्त बना। सन् १८२५ ई० में यह उससे भी स्वतंत्र हो गया। सन् १८३० ई० में यहाँ गणतन्त्र की स्थापना हुई। सन् १६५१ ई० के पहले इसके राष्ट्रपति चार वर्षों के लिए चुने जाते थे, किन्तु उसके बाद किसी व्यक्ति-विशेष का राष्ट्रपति होना बन्द कर शासन-प्रबन्ध का सारा अधिकार ६ सदस्यों की एक नेशनल कौंसिल को दिया गया, जिसका अध्यक्ष बहुमत-दल के सदस्यों में से एक वर्ष के लिए चुना जाता है। कौंसिल एक मंत्रिमंडल भी बनाती है। यहाँ की पार्लमेण्ट के दो सदन हैं। १ मार्च, १६५६ को जिस कौंसिल का गठन किया गया, उसे २८ फरवरी, १६६३ ई० तक काम करने का अधिकार था। यहाँ के उद्योग-धन्धों में सबसे मुख्य पशु-पक्षियों का पालन है।

कोलम्बिया

स्थिति—दक्षिणी अमेरिका का उत्तर-पश्चिमी हिस्सा; क्षेत्रफल—४,३६,५२० वर्गमील; जनसंख्या—१,४७,६८,५१०; राजधानी—बागोट; भाषा—स्पेनिश; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—पेसो; राष्ट्रपति—अलबर्टो लेरास कामरगो (१६५८ से); शासन-स्वरूप—गणतन्त्र (प्रधानात्मक); मुख्य नगर—मेडेलिन, कैली, बैरेन्क्विला, कारटेगेना, मैनिजालेस।

सन् १५३६ ई० में स्पेनवालों ने इसे अपना उपनिवेश बनाया। सन् १८१६ ई० में यह स्पेन से अपना संबंध-विच्छेद कर स्वतंत्र हुआ। उस समय पनामा, वेनेजुएला और इक्वेडर इसके साथ थे। सन् १८३० ई० में वेनेजुएला और इक्वेडर इससे अलग हो गये और यह 'न्यूग्रानाड' के नाम से अलग रहा। सन् १८५८ ई० के संविधानानुसार ८ राज्यों का यह संघ 'ग्रानेडिना-संघ' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ५ वर्षों के बाद यह संयुक्त राज्य 'कोलम्बिया' कहलाया। सन् १८८६ ई० से यह कोलम्बिया-गणतन्त्र कहलाने लगा। उस समय से राज्यों की संप्रभुता का अंत कर वहाँ का शासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त गवर्नरों को सौंपा गया है। सन् १९०३ ई० में पनामा इससे अलग होकर एक गणतंत्र बन गया। यहाँ की पार्लमेंट के दो सदन हैं—सिनेट और प्रतिनिधि-सभा। सिनेट के सदस्य ४ वर्षों के लिए तथा प्रतिनिधि-सभा के सदस्य दो वर्षों के लिए चुने जाते हैं। सन् १९५८ ई० के निर्वाचन में सिनेट के ८० और प्रतिनिधि-सभा के १४८ सदस्य चुने गये। यहाँ महिलाओं को मत-प्रदान का अधिकार नहीं है और न वे कोई निर्वाचित पद ही ग्रहण कर सकती हैं।

यहाँ का टेक्वेनडामा जल-प्रपात तथा हिम-मंडित पर्वत-शिखर सुन्दर दृश्य उपस्थित करते हैं। यहाँ खनिज पदार्थ बहुत पाये जाते हैं। कहवा के निर्यात में संसार में इसका दूसरा स्थान है।

गायना

दक्षिणी अमेरिका के उत्तर-पूरब भाग में अटलांटिक महासागर के तट पर गायना नाम का देश है, जो तीन राजनीतिक भागों में बँटा है। इन तीन भागों पर यूरोप के तीन राष्ट्रों—ब्रिटिश, डच और फ्रेंच—का अलग-अलग अधिकार है और ये क्रमशः ब्रिटिश गायना, डच गायना और फ्रेंच गायना कहलाते हैं। इनके विवरण नीचे दिये जाते हैं—

ब्रिटिश गायना

इसका क्षेत्रफल ८३,००० वर्गमील और सन् १९६० ई० के अनुमानानुसार जनसंख्या ५,७५,२७० है, जिसमें २,७६,४६० भारतीय हैं। इसकी राजधानी जॉर्ज-टाउन है। सन् १६२० ई० के लगभग डच लोग यहाँ आ बसे थे और सन् १७९६ ई० तक यहाँ उनका अधिकार रहा। उसके बाद यह अँगरेजों के अधिकार में आया। यहाँ के वर्त्तमान गवर्नर सर रॉल्फ ग्रे हैं। सन् १९५६ ई० के संविधानानुसार यहाँ एक लेजिस्लेटिव कौंसिल का निर्माण किया गया है। तदनुसार अगस्त, १९५७ ई० में हुए आम चुनाव के अनुसार यहाँ की पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ। उक्त दल का नेता डॉ० छेदी जगन है, जो भारतीय मूल का है। सन् १९६१ ई० के अगस्त में नया संविधान लागू किया गया, जिसके अनुसार इसको सभी आन्तरिक मामलों में स्वायत्तता प्रदान की गई तथा डॉ० छेदी जगन मुख्यमंत्री बनाया गया। प्रतिरक्षा और परराष्ट्र-नीति ब्रिटिश सरकार के हाथ में पड़ी।

डच गायना (सुरिनाम)

इसका दूसरा नाम 'सुरिनाम' है। इसका क्षेत्रफल १,४२,८२२ वर्ग कीलोमीटर है और सन् १९५९ ई० के अनुसार निर्धारित जनसंख्या ३,०२,००० है, जिसमें ६६,००० हिन्दू और ६८००० मुसलमान हैं। इसकी राजधानी पारामेरिबो है। यह भू-भाग प्रारम्भ में अँगरेजों के

अधिकार में था। सन् १६६७ ई० में यह उत्तरी अमेरिका के न्यू नेदरलैंड के बदले नेदरलैंड को दे दिया गया। उसके बाद यह फिर दो बार सन् १७६६ से १८०२ ई० और सन् १८०४ से १८१६ ई० तक ब्रिटेन के अधिकार में रहा। तत्पश्चात् यह पुनः नेदरलैंड के हाथ में आया। यह ७ जिलों में बँटा है। यहाँ के शासन-कार्य के लिए गवर्नर, मंत्रिमंडल और लेजिस्लेटिव कौंसिल हैं। १६५६ ई० से यहाँ के गवर्नर जे० वान टिलबर्ग हैं। प्रधान मंत्री हैं डॉ० एस० डी० इमानुएल।

फ्रेंच गायना

इसका क्षेत्रफल ६०,००० वर्ग कीलोमीटर और इनिनी-सहित इसकी जनसंख्या ३२,००० (१६५६) है। इसकी राजधानी कायने है। सन् १८५४ ई० से १८३८ ई० तक पुराने अपराधियों को कठिन श्रम के लिए यहाँ भेजा जाता था। सन् १६४५ ई० में बचे-खुचे अपराधियों को फ्रांस वापस भेज दिया गया। सन् १६३० ई० में इनिनी का क्षेत्र इससे अलग किया गया था, परन्तु सन् १६४६ ई० में यह पुनः सम्मिलित कर दिया गया। सन् १६५१ ई० में इसे अंतिम रूप से पृथक् कर दिया गया है।

यहाँ के अधिकांश जंगल में, जिसमें कई तरह की कीमती लकड़ियाँ मिलती हैं।

चिली

स्थिति—दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी किनारा; क्षेत्रफल—२,८६,३६७ वर्गमील; जनसंख्या—७४,७६,०७० (१६६०); राजधानी—सेण्टियागो; भाषा—स्पेनिश; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—पेसो; राष्ट्रपति—जॉर्ज आले-सार्ण्ड्री रॉड्रिगुएज; शासन-स्वरूप—गणतन्त्र (प्रधानात्मक); मुख्य नगर—वेलपैरैसो, कोनसेपसियोन, वीनाडेलमार, एण्टफैगेस्टा।

यहाँ के मूल निवासियों में मुख्यतः फुएदियन्स, अरौकानियन्स और चानोरू हैं। यहाँ स्पेनवासी सर्वप्रथम सन् १५३६ ई० में आये और १६४० ई० में उन लोगों ने इस देश को अपने कब्जे में कर लिया। बहुत दिनों तक पेरू से यहाँ का शासन-कार्य चलाया जाता रहा। सन् १६१८ ई० में यह स्पेन के शासन से मुक्त होकर एक स्वतन्त्र राज्य हो गया। यह संसार में नाइट्रेट और आयोडिन के उत्पादन में प्रथम तथा ताँबे के उत्पादन में द्वितीय स्थान रखता है। यहाँ की नेशनल काँगरेस में सिनेट के ४५ सदस्य और डिप्टियों के १४७ सदस्य हैं। यहाँ सन् १६३६ ई० से ही राष्ट्र-निर्माण के लिए उत्पादन-विकास-निगम की स्थापना की गई है, जो राष्ट्र के बहुमुखी विकास में काफी योग दे रहा है। यहाँ के राष्ट्रपति का निर्वाचन सार्वजनिक मत से ६ वर्षों के लिए होता है।

पश्चिमी समोआ

स्थिति—दक्षिणी प्रशान्त महासागर में एक द्वीपपुंज; क्षेत्रफल—भूमि का क्षेत्रफल १,१३० वर्गमील; जनसंख्या—१,१३,५६७ (१६६१); राजधानी—अपिया; राज्य के प्रधान—टुपुआ टामासेस मिओले और मैलियेटोआ टानुया फिलि द्वितीय (सम्मिलित रूप से); प्रधानमन्त्री—एफ० एम० एफ० मुलिनूऊ द्वितीय।

यह द्वीपपुंज दक्षिणी प्रशान्त महासागर में १३° और १५° दक्षिणी अक्षांश तथा १७१° और १७३° पश्चिमी रेखांश पर स्थित है। इसके अन्तर्गत दो बड़े द्वीपसमूह—सवाइ और उपोलू तथा दो छोटे द्वीप मनोनो और अपोलिया तथा बहुत-से छोटे-छोटे टापू हैं। यहाँ के द्वीप ज्वालामुखीय चट्टानों से बने हैं।

यह सन् १६२० से १६६१ ई० तक न्यूजीलैंड द्वारा प्रशासित था—पहले तो लीग ऑफ नेशन्स के आदिष्ट राज्य के रूप में और सन् १६४६ ई० से संयुक्त राष्ट्रसंघ की प्रन्यास-परिषद् के न्यस्त राज्य के रूप में। १ जनवरी, १६६२ ई० से यह पूर्ण स्वतन्त्र हुआ। राज्य का प्रधान यहाँ के मुख्य मन्त्री को नियुक्त करता है, जिसकी सलाह से मन्त्रिमण्डल के सदस्य नियुक्त होते हैं। यहाँ एक पार्लियामेंट भी है, जो राज्य के प्रधान का निर्वाचन करती है।

पारागुए

स्थिति—दक्षिणी अमेरिका; क्षेत्रफल—४,०६,७५२ वर्ग कीलोमीटर; जनसंख्या—१७,६८,४४८ (१६६०); राजधानी—असुन सिओन; भाषा—स्पेनिश और गुआरानी; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—गुआरानी; राष्ट्रपति—जेनरल अल्फ्रेडो स्ट्रोएसनर (१६५८ से); शासन-स्वरूप—गणतंत्र (प्रधानात्मक); मुख्य नगर—कनसेप्सियोन, सैनपेड्रो, काकूपे।

यहाँ के निवासियों में स्पेनवासी, रेड इंडियन और मेसटिजो-जाति के लोग हैं। स्पेनवासी यहाँ सन् १५२७ ई० में आये और यहाँ शासन करने लगे। सन् १८११ ई० में यह देश स्वतंत्र हुआ। सन् १८१५ से १८४० ई० तक यहाँ अधिनायक तंत्र रहा। सन् १८७० ई० में इसका लोकतंत्रात्मक संविधान बना। यहाँ की पार्लमेण्ट का एक सदन है। राष्ट्रपति का चुनाव सार्वजनिक मत से ५ वर्षों के लिए होता है।

पेरू

स्थिति—दक्षिण अमेरिका; क्षेत्रफल—५,१४,०५६ वर्गमील; जनसंख्या—१,०८,५७,००० (१६६०); राजधानी—लीमा; भाषा—स्पेनिश; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—सोल; राष्ट्रपति—मैनुएल प्रैडो उगारटेक (१६५६); शासन-स्वरूप—गणतंत्र; मुख्य नगर—कलाओ, एरेक्विया, ट्रूजिलो, चीक्लादो।

इस देश में पहले शक्तिशाली 'इन्का'-साम्राज्य था, जिसका केन्द्र ऐण्डीज पर्वत-श्रेणी-स्थित 'कुजको' था। स्पेन के विजेता फ्रैंसिस्को पिजारो ने सन् १५३२ ई० में इसपर आक्रमण किया। उसने यहाँ के राजा अटाहु अलपा को मारकर प्रचुर परिमाण में सोना प्राप्त किया तथा यहाँ के मूल निवासियों को दास बना लिया। सन् १८२१ ई० तक यहाँ स्पेनवालों का शासन रहा। उसके बाद सन् १८२४ ई० में यह स्वतंत्र हुआ। सन् १८७६—८४ ई० के बीच चिली ने इसपर चढ़ाई की और इसके दो प्रान्त ले लिये।

सन् १६३३ ई० के संविधानानुसार यहाँ के राष्ट्रपति तथा दो उप-राष्ट्रपतियों का चुनाव ६ वर्षों के लिए प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। वही प्रधानमंत्री-सहित मंत्रिमंडल को नियुक्त करता है। यहाँ की 'काँगरेस' के दो सदन हैं।

यह देश तीन प्राकृतिक विभागों में बँटा हुआ है। इसका समुद्री किनारा प्रशांत महासागर की ओर १,४१० मील में फैला हुआ है। यहाँ के ८५ प्रतिशत लोग कृषि और पशु-पालन पर निर्भर करते हैं। पहाड़ी भागों में खानें अधिक पाई जाती हैं। संसार के अन्दर चाँदी के उत्पादन में इसका स्थान पाँचवाँ और वेनाडियम के उत्पादन में चौथा है।

बोलिविया

स्थिति—दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी हिस्से का मध्य भाग; **क्षेत्रफल**—४,२४,००० वर्गमील; **जनसंख्या**—३४,६२,००० (१६६०); **राजधानी**—लापाज; **मान्यता-प्राप्त भाषा**—स्पेनिश; **धर्म**—रोमन कैथोलिक; **सिक्का**—बोलिवियानो; **राष्ट्रपति**—डॉ० विक्टर पाज स्टेन्सोरो (१६६० से); **शासन-स्वरूप**—गणतंत्र (प्रधानात्मक)। **मुख्य नगर**—कोचाबम्बा, ओरुरो, सान्ताक्रूज, सुकरे, पोतोसी, तारिजा।

यहाँ के अधिकांश निवासी रेड इण्डियन हैं, जो अपनी भाषा बोलते हैं। इनके अतिरिक्त यहाँ गोरी और मिश्रित जातियाँ हैं। गोरी जातियाँ १३ प्रतिशत और मिश्रित जातियाँ २५ प्रतिशत हैं। इनके साम्राज्य का यह भू-भाग सन् १५८३ ई० में स्पेन के हाथ में आया और सन् १८२५ ई० में साइमन बोलिवर के नेतृत्व में इसने स्वतंत्रता प्राप्त की। सन् १८२७ से १६३५ ई० के बीच इसका आधा से अधिक क्षेत्र पड़ोसी राष्ट्रों के हाथ में चला गया। पीछे बोलिवर के नाम पर ही देश का नाम बोलिविया पड़ा। अक्टूबर, १६६१ ई० में यहाँ नया चुनाव हुआ, जिसमें डॉ० विक्टरपाज स्टेन्सोरो राष्ट्रपति चुना गया। यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव चार वर्षों के लिए होता है। ये तुरत दुबारा नहीं चुने जाते। यहाँ की पार्लमेंट के दो सदन हैं। सिनेट का चुनाव ६ वर्षों के लिए होता है। इसके एक-तिहाई सदस्य दो वर्षों पर बदल जाते हैं। चैम्बर ऑफ डिपुटीज के सदस्य ६ वर्षों के लिए चुने जाते हैं तथा आधे दो वर्षों पर बदलते रहते हैं।

ब्राजिल

स्थिति—दक्षिणी अमेरिका; **क्षेत्रफल**—३२,८८,०५० वर्गमील; **जनसंख्या**—७,०५,२८,६२५ (१६६०); **राजधानी**—ब्राजिलिया (२१ अप्रैल, १६६० से); **भाषा**—पुर्त्तगाली, **धर्म**—रोमन कैथोलिक; **सिक्का**—क्रुजिरो; **राष्ट्रपति**—डॉ० जोआओ बेलचियो मारकिस गोलार्ट (७ सित०, १६६१ से); **प्रधानमन्त्री**—हरमेसलीया (३० नवम्बर, १६६२ से); **शासन-स्वरूप**—गणतन्त्र (प्रधानात्मक); **मुख्य नगर**—रायोडिजेनेरो; साओपॉलो, साल्वाडोर, रेसिफे, बेलो होरिजेण्टे, पोर्टो एलेगरी।

सन् १५०० ई० में पुर्त्तगीज जहाजी पेड्रो आलवेयर्स कैबरल ने इस देश का पता लगाया। सन् १५४६ ई० में यह पुर्त्तगाल का उपनिवेश बना। सन् १८२२ ई० में उससे मुक्त होकर ब्राजिल ने स्वतंत्रता की घोषणा की। इसने पुर्त्तगाल के राजा जॉन षष्ठ के पुत्र पेड्रो प्रथम को अपना राजा बनाया। सन् १८८६ ई० में यहाँ गणतंत्र की स्थापना हुई। गणतंत्र के स्थापना-काल से अबतक इसके चार संविधान बन चुके हैं। सन् १६३० ई० में गेटलियो वारगस के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, जिसके फलस्वरूप वह अस्थायी राष्ट्रपति बन गया।

सन् १६४६ ई० के संविधानानुसार यहाँ के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन ५ वर्षों के लिए प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। इन्हें पुनः चुने जाने का अधिकार नहीं रहता।

यहाँ की 'काँगरेस' के दो सदन हैं—सिनेट और चैम्बर ऑफ डिपुटीज। सिनेट के सदस्य ८ वर्षों के लिए तथा डिपुटी ४ वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं।

यह दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश और २० राज्यों, ५ क्षेत्रों एवं एक संघीय जिले का संघ-राज्य है। यहाँ के निवासियों में रेड इण्डियन, मिश्रित जातियों तथा अन्य आदिम जातियों के अतिरिक्त इटालियन, जर्मन, पुर्त्तगाली और जापानी भी हैं। संसार का यह सबसे बड़ा कहवा-उत्पादक देश है।

वेनेजुएला

स्थिति—दक्षिणी अमेरिका का उत्तरी भाग; क्षेत्रफल—३,५२,१४३ वर्गमील; जन-संख्या—६६,०७,४७५ (१९५६); राजधानी—काराकास; भाषा—स्पेनिश; धर्म—रोमन कैथोलिक; सिक्का—वोलिवर; राष्ट्रपति—रोमुलो बेटान कोर्ट (फरवरी, १९५९ से) शासन-स्वरूप—गणतन्त्र (प्रधानात्मक); मुख्य नगर—माराकैबो, कुमाना, सानत ओरिस्टोवल, कोरो, वरकिसिमेटो।

इसमें २० प्रांत और दो क्षेत्र-राज्य सम्मिलित हैं। इसके साथ पास के ७२ छोटे-छोटे द्वीप भी हैं। यहाँ का अञ्जेल नाम का झरना दुनिया का सबसे ऊँचा झरना कहा जाता है। कृषि-पशु-पालन एवं खान खोदना यहाँ के मुख्य व्यवसाय हैं। पेट्रोलियम के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद संसार में इसी का स्थान है।

सन् १४९८ ई० में कोलम्बस यहाँ आया था। सन् १८१६ ई० तक यह स्पेन के अधिकार में रहा। उस समय यह कोलम्बिया के साथ था, पर सन् १८३० ई० में यह उससे अलग होकर एक स्वतन्त्र राज्य बन गया। यहाँ की पार्लमेण्ट के दो सदन हैं। राष्ट्रपति का चुनाव सार्वजनिक मत से ५ वर्षों के लिए होता है।



अंटार्कटिक महाद्वीप

दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर स्थित विशाल भू-भाग को 'अंटार्कटिक महाद्वीप', 'अंटार्कटिका' या 'अंध-महाद्वीप' कहते हैं। इसका नाम 'दक्षिणी ध्रुव-क्षेत्र' भी दिया जा सकता है। यह भू-भाग ६६½° दक्षिणी अक्षांश रेखा के, जिसे 'अण्टार्कटिक सर्किल' भी कहते हैं, प्रायः भीतर ही पड़ता है। भयानक सागरों, हिमशिलाओं तथा झंझावातों से घिरे रहने के कारण यहाँ मनुष्य का आना अत्यन्त कठिन था, जिससे लोगों को इसके संबंध में जानकारी नहीं हो सकी थी। इसीलिए; लोग इसे 'अन्ध-महाद्वीप' कहने लगे थे। इसका क्षेत्रफल संयुक्तराज्य अमेरिका और कनाडा के सम्मिलित क्षेत्रफल के बराबर है। यह भू-भाग कई क्षेत्रों में बँटा हुआ है, जिनके नामकरण भी हो गये हैं। ये क्षेत्र यूरोप और अमेरिका के समृद्धिशाली उन्नत राष्ट्रों के अधिकार में आ गये हैं।

इस भू-भाग की खोज १७वीं सदी से ही जारी है। सन् १७६९ से १७७३ ई० तक कप्तान कुक १०६°५४' पश्चिम देशान्तर पर ७१°१०' दक्षिण अक्षांश तक जा सका। सन् १८१९ ई० में लेटलैंड का और १८३३ ई० में केपलैंड का पता चला। सन् १८४१-४२ ई० में रॉस ने ज्वालामुखी पर्वत 'इरेबस' और शान्त पर्वत 'टरेर' का पता लगाया। पीछे गरशेल ने यहाँ के सौ द्वीपों की

खोज की। सन् १६१० ई० में यहाँ पाँच अनुसन्धायक-दल काम कर रहे थे। उन्हीं में से क्रमशः अमंडसेन और स्कॉट के दल दक्षिणी ध्रुव पर भी पहुँचे थे। सन् १६५० ई० में ब्रिटेन, नारवे और स्वीडन के दलों ने सम्मिलित रूप से तथा सन् १६५० से १६५२ ई० के बीच अकेले फ्रांसीसी दल ने अन्वेषण का काम किया। सन् १६५८ ई० में रूसी वैज्ञानिकों ने यहाँ लोहे और कोयले का पता लगाया। सन् १६५६-६० ई० के अन्तरराष्ट्रीय भू-भौतिकी वर्ष में संयुक्तराज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन आदि १२ राष्ट्रों ने अन्वेषण-कार्य कर ५७ वैज्ञानिक अनुसन्धान-केन्द्र स्थापित किये।

दक्षिणी ध्रुव दस हजार फुट ऊँचे पठार पर है, जिसका क्षेत्रफल ५० लाख वर्गमील है। इसके अधिकांश पर बर्फ की मुटाई दो हजार फुट तक रहती है। यहाँ के करीब सौ वर्गमील को छोड़कर शेष भाग बर्फ से ढका रहता है। यहाँ की चट्टानें भारत, अस्ट्रेलिया, अफ्रिका तथा दक्षिणी अमेरिका की चट्टानों से मिलती-जुलती हैं। यहाँ ११०० मील लम्बी पर्वत-श्रेणी है, जिसका धरातल बलुआही पत्थर तथा चूने के पत्थर से बना है। यह आठ हजार से १५ हजार फुट तक ऊँचा है।

जलवायु—ग्रीष्म ऋतु में ६०° से ७८° दक्षिण अक्षांश तक का तापमान २८° फेरेनहाइट रहता है। जाड़े में ७१½° दक्षिण अक्षांश पर ४५° तापमान होता है। महाद्वीप के मध्य भाग का ताप १००° फारेनहाइट से भी नीचे चला जाता है।

वनस्पति तथा पशु-पक्षी—दक्षिणी ध्रुव-महासागर में पौधे तथा छोटी-छोटी वनस्पतियाँ बहुत हैं। इस महाद्वीप में करीब १५ प्रकार के पौधे मिलते हैं, जिनमें तीन मीठे पानी के पौधे हैं। यहाँ का सबसे बड़ा स्तनपायी जीव ह्वेल है। यहाँ तेरह प्रकार के 'सील' नामक समुद्री जीव का पता लगा है, जिनमें चार उत्तरी प्रशान्त महासागर में पाये जानेवाले सीलों से मिलते-जुलते हैं। इन्हें समुद्री सिंह और समुद्री हाथी भी कहते हैं। यहाँ ग्यारह प्रकार की ऐसी मछलियों का पता लगा है, जो अन्यत्र नहीं पाई जातीं। यहाँ बड़े आकार के किंग पेंगुइन तथा अलट्रॉस नामक पक्षी भी मिलते हैं। यहाँ धरती पर रहनेवाले पशु नहीं पाये जाते।

उत्पादन—यहाँ की ह्वेल मछलियों से प्रतिवर्ष साढ़े चार करोड़ रुपये की आमदनी होती है।

दक्षिणी ध्रुव-क्षेत्र की स्थिति उत्तरी ध्रुव-क्षेत्र से बहुत-कुछ भिन्न है। उत्तरी ध्रुव-क्षेत्र के चारों ओर कोई विशाल भूखंड नहीं है और न वह इसके समान अत्यधिक शीत-प्रधान है। यहाँ चारों ओर छोटे-छोटे द्वीप फैले हुए हैं, जिनपर पास के किसी-न-किसी शक्तिशाली देश का पहले से अधिकार है।



संयुक्त राष्ट्रसंघ

प्रथम विश्व-महायुद्ध (सन् १६१४ – १८ ई०) की विभीषिका तथा उसकी विनाश-लीला से संत्रस्त होकर संसार के प्रमुख राष्ट्रों ने भावी महायुद्ध की संभावना को कम करने के लिए, पारस्परिक सुरक्षा, शान्ति एवं कल्याण को दृष्टि में रखते हुए, एक अन्तरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता का अनुभव किया और उसे क्रियात्मक रूप देने के लिए सन् १६२० ई० में राष्ट्रसंघ (लीग ऑफ नेशन्स) की स्थापना की। राष्ट्रसंघ का प्रारंभ ४२ प्रारंभिक सदस्यों को लेकर हुआ था। संयुक्तराज्य अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विलसन ने इसकी स्थापना में पर्याप्त योगदान किया था।

राष्ट्रसंघ ने अपने जीवन-काल में कई ऐसे महत्त्वपूर्ण कार्य किये, जिनसे भविष्य में अन्तरराष्ट्रीय पैमाने पर होनेवाले राष्ट्र-संगठनों का मार्ग-निर्देश संभव हुआ। किन्तु, कई कारणों से राष्ट्रसंघ राजनीतिक क्षेत्र में पूरा सफल नहीं रहा और इसके रहते ही सन् १९३९ ई० में द्वितीय विश्व-महायुद्ध का श्रीगणेश हो गया और राष्ट्रसंघ का काम ठप पड़ गया।

इस द्वितीय महायुद्ध से होनेवाली क्षति प्रथम विश्व-महायुद्ध की अपेक्षा कहीं बढ़कर थी। यद्यपि राष्ट्रसंघ की स्थापना ने विश्व-शांति एवं सुरक्षा के लिए अन्तरराष्ट्रीय संगठन का महत्त्व स्पष्ट ही कर दिया था, फिर भी कतिपय कारणों से तत्कालीन राजनीतिज्ञों ने राष्ट्रसंघ को पुनर्जीवित करना उचित नहीं समझा और विश्व-शांति एवं सुरक्षा की दिशा में अलग से प्रयत्न किये जाने लगे।

द्वितीय महायुद्ध में धुरी-राष्ट्रों (जर्मनी, इटली और जापान) के विरुद्ध लड़नेवाले मित्रराष्ट्रों को 'संयुक्त राष्ट्र' या 'युनाइटेड नेशन्स' कहा जाने लगा था। युद्ध के दौरान में ही मित्रराष्ट्र राष्ट्रसंघ (लीग ऑफ नेशन्स) के ढाँचे पर आपस का एक नया संगठन करने लगे। पहली जनवरी, १९४२ को एक संयुक्त घोषणा-पत्र में सर्वप्रथम इस नाम का उपयोग किया गया, जबकि २६ राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने देश की सरकार की ओर से यह प्रतिश्रुति दी कि वे सम्मिलित होकर धुरी-राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध करेंगे। ३० अक्टूबर, १९४३ को मास्को में ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और फ्रांस के विदेश-मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ, उसमें अन्तरराष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को कायम रखने के लिए एक अन्तरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इसके बाद काहिरा, तेहरान, ब्रिटेन-वुड्स और हॉटस्प्रिंग में इस सम्बन्ध में सम्मेलन हुए।

सन् १९४४ ई० के अगस्त—अक्टूबर में वाशिंगटन में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें चीन, सोवियत रूस, इंगलैंड और अमेरिका के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्रसंघ के संगठन का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। इसके बाद २५ अप्रैल से २६ जून तक धुरी-राष्ट्रों के विरुद्ध लड़नेवाले राष्ट्रों का एक सम्मेलन सानफ्रांसिस्को में बुलाया गया। सम्मेलन में पचास विभिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और पूर्वोक्त चार राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने जो प्रारूप प्रस्तुत किया था, उसके आधार पर ही संयुक्त राष्ट्रसंघ का अधिकार-पत्र (चार्टर) निष्पन्न किया। २६ जून, १९४५ को इस घोषणा-पत्र पर ५० राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किये। बाद में एक और राष्ट्र पोलैंण्ड ने हस्ताक्षर किया। इस प्रकार, कुल ५१ राष्ट्र संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रारंभिक सदस्य हुए।

२४ अक्टूबर, १९४५ को संयुक्त राष्ट्रसंघ की अधिकृत रूप में स्थापना हुई, जबकि उसके अधिकार-पत्र को चीन, फ्रांस, सोवियत रूस, इंगलैण्ड और अमेरिका तथा अन्य हस्ताक्षरकारी राष्ट्रों के बहुमत ने संपुष्ट किया।

उद्देश्य और सिद्धान्त

संयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्य—संयुक्त राष्ट्रसंघ के निम्नलिखित चार उद्देश्य हैं—(१) अन्तरराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाये रखना; (२) राष्ट्रों के बीच, उनके सम्मान, अधिकार और आत्मनिर्णय के आधार पर मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का विकास करना; (३) आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानव-हितवादी अन्तरराष्ट्रीय समस्याओं के सुलझाने और मानवीय अधिकारों तथा

सबके लिए मौलिक स्वाधीनताओं के प्रति सम्मान-भावना अभिवर्द्धित करने में अन्तरराष्ट्रीय रूप में सहयोग करना और (४) इन समान उद्देश्यों की सिद्धि के लिए राज्यों द्वारा किये जानेवाले कार्यों के सामंजस्य का केन्द्र बनाना।

सिद्धान्त—उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ निम्नांकित सिद्धान्तों के आधार पर अपना कार्य-संपादन करता है—

(१) संघ का संगठन अपने सभी सदस्यों की संप्रभुता की समता के आधार पर बना है; (२) घोषणा-पत्र के अनुसार जो दायित्व या कर्त्तव्य सदस्य-राष्ट्रों ने स्वीकार किये हैं, उन्हें सत्य-निष्ठा के साथ पूरा करना है; (३) सदस्यों को अपने अन्तरराष्ट्रीय झगड़ों को शान्तिपूर्ण तरीकों से और इस ढंग से हल करना है, जिससे शान्ति, सुरक्षा एवं न्याय पर खतरा न पहुँचे; (४) अपने अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धों में अन्य राज्यों के विरुद्ध धमकी या बल-प्रयोग से विरत रहना; (५) अधिकार-पत्र के अनुकूल जो भी काम संयुक्त राष्ट्रसंघ करे, उसमें सदस्यों को हर प्रकार की मदद करनी है और ऐसे किसी भी राष्ट्र को सहायता नहीं देनी है, जिसके विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघ निरोधात्मक या विवश करने के उद्देश्य (Enforcement action) से कोई काररवाई कर रहा हो; (६) संयुक्त राष्ट्रसंघ को यह दृढ़ता के साथ देखना है कि जो राज्य राष्ट्रसंघ के सदस्य नहीं हैं, वे भी, जहाँतक अन्तरराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा कायम रखना आवश्यक है, इन सिद्धान्तों के अनुसार आचरण करें ; (७) संयुक्त राष्ट्रसंघ को उन मामलों में दखल नहीं देनी है, जो तत्त्वतः किसी राष्ट्र के आन्तरिक या राष्ट्रीय क्षेत्र के भीतर आते हों। पर, जहाँ शान्ति-भंग का खतरा हो, शान्ति-भंग या आक्रमण किया गया हो और उसके सम्बन्ध में राष्ट्रसंघ विवश करने के उद्देश्य से कार्यवाही कर रहा हो, वहाँ यह धारा लागू नहीं होगी।

सदस्यता

संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता का द्वार उन सभी शान्तिप्रिय राष्ट्रों के लिए खुला है, जो संयुक्त राष्ट्रसंघ के अधिकार-पत्र में उल्लिखित दायित्वों को स्वीकार करते हैं और इस संस्था के विचार से इन दायित्वों का पालन करने में समर्थ और इच्छुक हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ के मौलिक या प्रारम्भिक सदस्यों में वे देश हैं, जिन्होंने १ जनवरी, १९४२ को इसके अधिकार-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये या २६ जून, १९४५ को सानफ्रांसिस्को-सम्मेलन में इसपर हस्ताक्षर किये और संपुष्टि की। इन दिनों सदस्य-राष्ट्रों की संख्या १११ है। सुरक्षा-परिषद् की सिफारिश पर आम सभा के दो-तिहाई सदस्यों के समर्थन द्वारा नये सदस्य संयुक्त राष्ट्रसंघ में शामिल किये जाते हैं। किसी भी सदस्य-राष्ट्र की सदस्यता सुरक्षा-परिषद् की सिफारिश पर रद्द की जा सकती है। इसके अतिरिक्त अधिकार-पत्र के सिद्धान्तों का 'बार-बार' उल्लंघन करने पर भी किसी सदस्य को संघ से निकाला जा सकता है। आम सभा (जेनरल एसेम्बली) को अधिकार है कि जिन सदस्यों के विरुद्ध सुरक्षा-परिषद् ने निरोधात्मक या उन्हें विवश करने के उद्देश्य से काररवाई की हो, उनकी सदस्यता सुरक्षा-परिषद् की अभ्यर्थना पर दो-तिहाई सदस्यों के वोट से निलम्बित कर दे। जिस सदस्य-राष्ट्र की सदस्यता इस प्रकार निलम्बित की गई हो, वह संयुक्त राष्ट्रसंघ की किसी भी शाखा की बैठकों में शामिल नहीं हो सकता। सुरक्षा-परिषद् किसी निलम्बित सदस्य के अधिकारों को प्रत्यर्पित कर सकती है। अभी तक कोई भी सदस्य संघ से बाहर नहीं किया गया है। जून, १९६३ ई० तक संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य-राष्ट्रों की संख्या १११ थी, जिनके नाम इस प्रकार हैं—

एशिया (२४)—अफगानिस्तान, इजराइल, इण्डोनेशिया, इराक, ईरान, कम्बोडिया, चीन (च्यांगकाई शेक द्वारा शासित फारमोसा की सरकार का प्रतिनिधित्व, १६५० ई० से), जापान, जोर्डन, तुर्की, थाइलैंड, नेपाल, पाकिस्तान, फिलिपाइन्स, वर्मा, भारत, मंगोलिया, मलाया, यमन, लंका, लाओस, लेबनान, सऊदी अरब, सीरिया।

यूरोप (२७)—अलबानिया, आस्ट्रिया, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, ग्रीस, ग्रेट-ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड, चेकोस्लोवाकिया, डेनमार्क, नारवे, नेदरलैंड, पुर्त्तगाल, पोलैंड,; फिनलैंड, फ्रांस, वलगेरिया, बेलजियम, वाइलो-रूस, युगोस्लाविया, यूक्रेन, रुमानिया, लक्जेम्बर्ग, साइप्रस, सोवियत रूस, स्पेन, स्वीडन, हंगरी।

अफ्रिका (३६)—अपर वोल्टा, आइवोरीकोस्ट, इथोपिया, कांगो (ब्राजविल), कांगो (लियोपोल्डविल), कुवैत, कैमेरून, गीनी, गैवन, घाना, चाड, जमैका, टैंगनिका, टोगोलैंड, टोबैगो, ट्युनिशिया, ट्रिनिडाड, दक्षिण अफ्रिका-संघ, दहोमी, नाइजर, नाइजीरिया, बुरुण्डी, मडागास्कर, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, माली, मिस्र, मोरिटेनिया, मोरोक्को युगाण्डा, रुआण्डा, लाइबेरिया, लीबिया, सियरालियोन, सूडान, सेनेगल, सोमालिया।

उत्तरी अमेरिका—(१२)—एल-सालवेडर, कनाडा, कोस्टारिका, क्यूबा, गुआटेमाला, डोमिनिकन गणतंत्र, निकारागुआ, पनामा, मेक्सिको, संयुक्तराज्य अमेरिका, हैटी, होण्डुरास।

दक्षिणी अमेरिका (१०)—अर्जेण्टिना, इक्वेडर, उरुगुए, कोलम्बिया, चिली, पारागुए, पेरू, वोलिविया, ब्राजिल, वेनेजुएला।

अस्ट्रेलेशिया (२)—अस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड।

प्रमुख अंग

संयुक्त राष्ट्रसंघ के ६ प्रमुख अंग हैं (१) आम सभा (जेनरल एसेम्वली); (२) सुरक्षा-परिषद् (सिक्यूरिटी कौंसिल); (३) आर्थिक और सामाजिक परिषद् (इकोनॉमिक ऐण्ड सोशल कौन्सिल); (४) प्रन्यास-परिषद् (ट्रस्टीशिप कौन्सिल); (५) अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय और (६) सचिवालय (सेक्रेटेरियट)

उपर्युक्त अंगों में आर्थिक और सामाजिक परिषद् तथा प्रन्यास-परिषद् आम सभा के अधीन कार्य करती हैं। अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय को संयुक्त राष्ट्रसंघ का एक अविभाज्य अंग बना दिया गया है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के विधायिका-सम्बन्धी समस्त कार्य सुरक्षा-परिषद्, आर्थिक और सामाजिक परिषद् तथा प्रन्यास-परिषद् के बीच बँटे हुए हैं। सुरक्षा-परिषद् संयुक्त राष्ट्रसंघ की सभी शाखाओं में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है और इसकी आम सभा से पृथक् स्वतन्त्र रूप से अपना कार्य-संपादन करती है।

१. आम सभा—संयुक्त राष्ट्रसंघ की आम सभा में सभी सदस्य-राष्ट्रों के प्रतिनिधि सम्मिलित रहते हैं। प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र को अपने पाँच प्रतिनिधि और पाँच एकान्तर प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। किन्तु, इन सब प्रतिनिधियों का एक ही मत (वोट) गिना जाता है। आम सभा संयुक्त राष्ट्रसंघ की प्रधान सभा है। इसकी वैठक साल में एक बार नियमित रूप से हुआ करती है। वैठक का आरम्भ सितम्बर महीने के तृतीय मंगलवार से होता है। सुरक्षा-परिषद् तथा सदस्यों के बहुमत की प्रार्थना पर इसकी विशेष वैठकें भी बुलाई जा सकती हैं। आम

सभा वस्तुतः एक विचार-विमर्श करनेवाली संस्था है, जो मुख्यतः सुझाव देने या सिफारिश करने का कार्य करती है। शान्ति एवं सुरक्षा-सम्बन्धी समस्याएँ सुरक्षा-परिषद् को ही सौंप दी गई हैं। आम सभा को कुछ प्रशासन, व्यवस्था, आय-व्ययक (बजट) तथा निर्वाचन-सम्बन्धी अधिकार भी प्राप्त हैं। इसके अध्यक्ष का चुनाव प्रतिवर्ष होता है।

आम सभा का कार्य ७ प्रमुख समितियों में बँटा है—(१) राजनीतिक सुरक्षा-समिति; (२) आर्थिक एवं वित्त-समिति; (३) सामाजिक मानवीय एवं सांस्कृतिक समिति; (४) प्रन्यास-परिषद्; (५) प्रशासकीय और आय-व्ययक-समिति; (६) विधि-समिति और (७) विशेष राजनीतिक समिति। इनके अतिरिक्त आम सभा तथा समितियों के कार्यों में समन्वय के लिए एक सामान्य समिति होती है। आम सभा में किसी भी महत्त्वपूर्ण समस्या पर कोई निर्णय मतदान करनेवाले उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई मत से होता है; जैसे—शान्ति एवं सुरक्षा-सम्बन्धी सिफारिशें, अंगों के सदस्यों का चुनाव, सदस्यों का प्रवेश, निलंबन और निष्कासन, प्रन्यास-सम्बन्धी प्रश्न तथा आय-व्ययक-सम्बन्धी विषय। अन्य विषयों का निर्णय केवल बहुमत से होता है। ऐसी समस्याओं में अन्तरराष्ट्रीय शान्ति, सुरक्षा-परिषदों के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन, संयुक्त राष्ट्र-संघ में नये सदस्यों की नियुक्ति, किसी सदस्य की सदस्यता का निलंबन, बजट-सम्बन्धी प्रश्न आदि मुख्य हैं। किन्तु, अपने निर्णयों को लागू करने के लिए किसी सदस्य-राष्ट्र पर जोर डालने का अधिकार इसे नहीं है। फिर भी, सन् १९५० ई० में जब कोरिया का संकट गम्भीर रूप धारण कर रहा था, इसके ६० सदस्य-राष्ट्रों ने यह फैसला किया कि आक्रमणकारी राष्ट्र के विरुद्ध सुनिश्चित कारवाई करने की जिम्मेदारी आम सभा अपने ऊपर ले, चाहे सुरक्षा-परिषद् इस प्रस्ताव के विरुद्ध अपने निषेधाधिकार का प्रयोग करे या नहीं। निःशस्त्रीकरण के निर्देशक सिद्धान्तों और शस्त्रास्त्रों के नियमन-सम्बन्धी सिद्धान्तों पर विचार करने और अपने सुझाव देने का अधिकार भी आम सभा को है। सुरक्षा-परिषद् के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन दो वर्ष की अवधि के लिए आम सभा ही करती है। इसके अतिरिक्त आर्थिक और सामाजिक परिषद् तथा प्रन्यास-परिषद् के सदस्यों का चुनाव (पदेन सदस्यों के अतिरिक्त) आम सभा ही करती है। यह सुरक्षा-परिषद् की सिफारिश और सुझाव पर संयुक्त राष्ट्रसंघ के महामंत्री को नियुक्त करती है। यह सुरक्षा-परिषद् के साथ अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का भी निर्वाचन करती है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ की अन्य अधीनस्थ संस्थाओं के प्रतिवेदन आम सभा ही स्वीकार करती है। महामंत्री का वार्षिक प्रतिवेदन तथा सुरक्षा-परिषद् के वार्षिक प्रतिवेदन आम सभा में ही पेश होते हैं, जिनपर आवश्यक विचार-विमर्श के बाद, वह उन्हें पारित करती है। वार्षिक आय-व्ययक के अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघ के विभिन्न विभागों के बीच व्यय की जानेवाली राशि का बँटवारा आम सभा ही करती है। इसे विशेष परिस्थिति में कार्यों के सफलतापूर्वक संपादन के लिए अस्थायी उप-समितियाँ गठित करने का भी अधिकार है। इसका मुख्यालय संयुक्तराज्य अमेरिका के न्यूयार्क नगर में है।

आम सभा का प्रथम अधिवेशन सन् १९४६ ई० में १० जनवरी से १४ फरवरी तक लंदन में और २३ अक्टूबर से १५ दिसम्बर तक न्यूयार्क में हुआ था।

इसका १७वाँ अधिवेशन न्यूयार्क में सन् १९६२ ई० के १८ सितम्बर से २१ दिसम्बर तक पाकिस्तान के सर जफरुल्ला खाँ की अध्यक्षता में हुआ।

२. सुरक्षा-परिषद्—यह संयुक्त राष्ट्रसंघ का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अंग है। इसके कुल ११ सदस्य होते हैं, जिनमें पाँच स्थायी सदस्य हैं। तथा छह दो वर्ष की अवधि के लिए आम सभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। प्रत्येक वर्ष तीन अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन होता है। ये अस्थायी सदस्य तुरन्त दुबारे चुनाव नहीं लड़ सकते। भारत अस्थायी सदस्य की एक अवधि पूरी कर चुका है। सुरक्षा-परिषद् के पाँच स्थायी सदस्यों में 'पाँच बड़े राष्ट्र'—अमेरिका, ग्रेट-ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन (राष्ट्रवादी)—हैं। अल्पकालीन या परिस्थिति-विशेष के लिए भी सदस्यों की व्यवस्था है। ऐसे सदस्य उन राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आमंत्रित किये जाते हैं, जो संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य नहीं हैं अथवा सुरक्षा-परिषद् में विचारार्थ उपस्थित समस्याओं से सम्बद्ध होते हैं। इन विशेष सदस्यों को सुरक्षा-परिषद् की बैठकों में केवल भाग लेने का अधिकार होता है, ये किसी भी निर्णय में मतदान नहीं कर सकते। प्रत्येक परिषद् के प्रत्येक सदस्य का एक ही मत गिना जाता है। किसी भी निर्णय की स्वीकृति के लिए सात सदस्यों का बहुमत आवश्यक है, किन्तु महत्त्वपूर्ण एवं प्रमुख विषयों के निर्णय के लिए पाँच स्थायी सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। स्थायी सदस्यों की सदस्यता में परिवर्त्तन लाने के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ के अधिकार-पत्र का संशोधन आवश्यक है। सुरक्षा-परिषद् बराबर अधिवेशन में रहती है। इसके प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र के एक-एक प्रतिनिधि सब समय संयुक्त राष्ट्रसंघ के मुख्यालय में अवश्य उपस्थित रहते हैं। इसके सदस्यों की बैठक सामान्यतः १५ दिनों में कम-से-कम एक बार अवश्य होती है। सुरक्षा-परिषद् संयुक्त राष्ट्रसंघ के सभी सदस्यों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है।

सुरक्षा-परिषद् के स्थायी सदस्यों में प्रत्येक को निषेधाधिकार प्राप्त है और किसी भी स्थायी सदस्य द्वारा इसका प्रयोग होने पर कोई भी प्रस्ताव नहीं स्वीकृत हो सकता। किसी भी स्थायी सदस्य द्वारा मतदान नहीं करने पर उसे निषेधात्मक मत नहीं समझा जाता।

सुरक्षा-परिषद् का प्रमुख उद्देश्य अन्तरराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की स्थिति को बनाये रखना है। इसके लिए यह निम्नलिखित कार्य करती है—

(१) संयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों एवं सिद्धान्तों के अनुकूल अन्तरराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को कायम रखना; (२) उन झगड़ों की तहकीकात करना, जिनसे अन्तरराष्ट्रीय शान्ति के भंग होने की आशंका हो; (३) उपस्थित विवाद या झगड़ों को शान्तिपूर्ण ढंग से तय करना; (४) शस्त्रास्त्रों के नियमन की योजनाएँ बनाना; (५) किसी भी झगड़े या आक्रमण के कारणों का पता लगाना, जिनसे विश्व-शान्ति पर खतरा हो और इन्हें तय करने के लिए ठोस कदम उठाना; (६) किसी भी राष्ट्र के अनुचित बरताव या आक्रमण को रोकने के लिए स्वीकृत धन का उपयोग करना तथा आक्रमण के विरुद्ध सैनिक काररवाई करना; (७) संयुक्त राष्ट्रसंघ का नया सदस्य बनाने के लिए किसी भी राष्ट्र की ओर से सिफारिश करना तथा अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव आम सभा (जेनरल एसेम्बली) के साथ स्वतंत्र मतदान द्वारा करना और आम सभा में अपने वार्षिक एवं विशेष प्रतिवेदन उपस्थित करना।

सुरक्षा-परिषद् के पाँच अंग हैं—(१) सैनिक कर्मचारी-समिति; (२) अणु-शक्ति-आयोग; (३) स्वीकृत सेना-समिति; (४) स्थायी समितियाँ तथा (५) तदर्थ समितियाँ और आयोग।

सैनिक कर्मचारिवर्ग-समिति—(मिलिटरी स्टाफ कमिटी)—इसमें सुरक्षा-परिषद् के पाँच स्थायी सदस्यों में कर्मचारिवर्ग के प्रधान या उनके प्रतिनिधि रहते हैं। यह समिति शान्ति बनाये रखने के लिए सुरक्षा-परिषद् को सैनिक आवश्यकता, शस्त्रास्त्रों के विनिमयन तथा निरस्त्रीकरण कहाँतक संभव है, जैसे प्रश्नों पर सलाह और सहायता देती है।

अणु-शक्ति-आयोग—(एटॉमिक एनर्जी कमीशन)—इस आयोग की नियुक्ति आम सभा द्वारा होती है, पर यह सुरक्षा-परिषद् के अधीन ही काम करता है। सुरक्षा-परिषद् के सभी सदस्य इसके सदस्य होते हैं। कनाडा के प्रतिनिधि भी इसमें अवश्य रहते हैं।

स्वीकृत सेना-समिति—(कमिटी फॉर कन्वेन्शनल अर्मामेंट)—यह समिति राष्ट्रों की सेना और अस्त्र-शस्त्र को नियमित रखने के सम्बन्ध में काम करती है।

स्थायी समितियाँ—(स्टैंडिंग कमिटीज)—इस समिति में विशेषज्ञों की समिति, नियम और कार्य-क्रम सम्बन्धी समिति, सदस्य-नियुक्ति-समिति आदि हैं।

निःशस्त्रीकरण-आयोग—(डिसअर्मामेंट कमीशन)—आम सभा द्वारा ११ जनवरी, सन् १९५२ ई०, को सुरक्षा-परिषद् के अधीन निःशस्त्रीकरण-आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग ने पूर्व-स्थापित अणुशक्ति-आयोग तथा स्वीकृत सेना-आयोग (कमीशन फॉर कन्वेन्शनल अर्मामेंट) का स्थान ले लिया है। इसका उद्देश्य है—ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत करना, जिनसे समस्त सैन्य-शक्तियों एवं शस्त्रास्त्रों का विनिमयन, परिसीमन एवं सन्तुलित ह्रास और उन बड़े-बड़े आयुधों का विलोपन हो सके, जो सामूहिक विध्वंस के लिए प्रयुक्त किये जा सकते हैं। इसके साथ ही इसका उद्देश्य यह भी है कि आणविक शक्ति के ऊपर इस रूप में सार्थक अन्तरराष्ट्रीय नियंत्रण रखा जाय, जिससे आणविक आयुधों का निषेध सुनिश्चित हो सके और उस शक्ति का उपयोग केवल शान्तिपूर्ण कार्यों में हो। यह सुरक्षा-परिषद् के ही अधीन कार्य करता है तथा अन्तरराष्ट्रीय शान्ति की स्थापना के लिए योजनाएँ बनाता है।

तदर्थ समितियाँ और आयोग—(एडहॉक कमिटीज ऐण्ड कमीशन)—आवश्यकता पड़ने पर सामयिक तथा अस्थायी प्रश्नों पर विचार करने के लिए इस आयोग का गठन किया जाता है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के अधिकार-पत्र में संशोधन के लिए आम सभा के सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत के अतिरिक्त सुरक्षा-परिषद् के सभी स्थायी सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है।

३. आर्थिक और सामाजिक परिषद्—(इकॉनॉमिक ऐण्ड सोशल कौंसिल : E.S.C.)—इसका गठन आम सभा द्वारा निर्वाचित १८ सदस्यों को मिलाकर होता है, जिनमें ६ प्रति वर्ष आम सभा द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। अवधि पूरी होने पर किसी भी सदस्य को पुनः निर्वाचित किया जा सकता है। इस परिषद् में सुरक्षा-परिषद् की भाँति स्थायी सदस्यों की कोई व्यवस्था नहीं है और न भौगोलिक विविधता का या औद्योगिक तथा पिछड़े हुए राष्ट्रों या साम्राज्य-सम्पन्न और उपनिवेशहीन राष्ट्रों के बीच संतुलन का कोई विचार रखा गया है। फिर भी, पाँच बड़े राष्ट्र हमेशा निर्वाचित होते रहे हैं और वे सचमुच परिषद् के स्थायी सदस्य बन गये हैं।

आम सभा की भाँति परिषद् में सभी सदस्यों की समान स्थिति है। प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र को एक वोट का अधिकार है। साधारणतः वर्ष में एक बार परिषद् की वार्षिक बैठक होती है और

साधारण बहुमत द्वारा कोई भी प्रस्ताव पास होता है। परिषद् अपनी कार्य-पद्धति के नियम स्वयं बनाती है और अपने सभापति तथा उपसभापति का चुनाव करती है। यह परिषद् संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा किये जानेवाले आर्थिक एवं सामाजिक कार्यों के लिए आम सभा के समक्ष उत्तरदायी होती है। आर्थिक और समाजिक परिषद् के प्रमुख उद्देश्य निम्नांकित हैं—

(१) आम सभा के सत्ताधिकार में संयुक्त राष्ट्रसंघ के आर्थिक एवं समाजिक कार्य-कलाप के लिए उत्तरदायी होना;

(२) अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य-सम्बन्धी एवं शैक्षिक विषयों पर अध्ययन, प्रतिवेदन एवं अभिस्ताव प्रस्तुत करना;

(३) जाति, लिंग, भाषा और धर्म का भेद-भाव किये विना मानव-अधिकारों एवं मौलिक स्वाधीनताओं के लिए सम्मान-भाव की अभिवृद्धि एवं सर्वत्र उनका पालन।

उपर्युक्त उद्देश्यों की सिद्धि के लिए परिषद् अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलनों एवं बैठकों का आयोजन करती है। यह आम सभा द्वारा स्वीकृत सेवाएँ संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा विशेष समितियों के सदस्यों के लिए अर्पित करती है। परिषद् जिन समस्याओं पर विचार करती है, उनसे सम्बद्ध गैर-सरकारी संगठनों से परामर्श करती है। आर्थिक और सामाजिक परिषद् के आयोग इस प्रकार हैं—

(१) सांख्यिकी (स्टैटिस्टिक्स) आयोग, (२) जनसंख्या-आयोग, (३) सामाजिक आयोग, (४) मानवीय अधिकार-आयोग, (५) मूर्च्छाकारी औषध-आयोग, (६) स्त्रियों की सामाजिक स्थिति-सम्बन्धी आयोग तथा (७) अन्तरराष्ट्रीय पण्य-व्यापार-आयोग। (८—११) यूरोप, एशिया, लातीनी, अमेरिका और अफ्रिका के क्षेत्रीय आर्थिक आयोग। इनके अतिरिक्त स्थायी समितियों, अस्थायी समितियों और विशेषज्ञ-समितियों के माध्यम से परिषद् अपना कार्य करती है।

४. प्रन्यास-परिषद् (ट्रस्टीशिप कौंसिल)—इसका गठन तीन प्रकार के सदस्यों द्वारा होता है—(१) वे सदस्य, जो न्यस्त प्रदेशों (ट्रस्ट टेरिटरीज) का प्रशासन करते हैं; (२) सुरक्षा-परिषद् के स्थायी सदस्य; (३) वे सदस्य, जो आम सभा द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। प्रन्यास-परिषद् के निर्वाचित सदस्य अपनी कार्यावधि की समाप्ति के बाद तुरत पुनर्निर्वाचन के योग्य समझे जाते हैं। इसके अध्यक्ष का चुनाव एक वर्ष की अवधि के लिए होता है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के अधिकार-पत्र में यथांकित श्रेणी के प्रदेश प्रन्यस्त प्रणाली के अन्तर्गत रखे गये हैं—(१) वे प्रदेश, जो राष्ट्रसंघ के शासनान्तर्गत थे, (२) वे प्रदेश, जो द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद शत्रु-राष्ट्रों से छीन लिये गये और (३) राज्यों द्वारा स्वेच्छा से सौंपे गये प्रदेश।

इन दिनों अस्ट्रेलिया न्यूगिनी का प्रशासन करता है। इसके अतिरिक्त नौरू द्वीप का प्रशासन उसे अपनी ओर से तथा न्यूजीलैंड और ग्रेट-ब्रिटेन की ओर से करना पड़ता है। पहले जापान के आदिष्ट प्रशान्त महासागर के द्वीप-पुंज अब संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रशासित होते हैं।

न्यस्त प्रदेशों के निवासियों की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक उन्नति करना तथा उन्हें इस योग्य बनाना कि वे स्वायत्त शासन तथा स्वाधीनता की दिशा में प्रगति कर सकें, अन्तरराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, मौलिक मानव-अधिकारों के प्रति सम्मान बढ़ाना और संसार की जातियों के बीच अन्योन्याश्रय संबंध की स्वीकृति को प्रोत्साहित करना प्रन्यास-परिषद् के प्रमुख उद्देश्य हैं।

प्रन्यास-परिषद् की बैठकें वर्ष में दो वार होती हैं। उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर ही कोई निर्णय हो पाता है। प्रन्यास-परिषद् आम सभा के अधीन ऐसे न्यस्त प्रदेशों के संबंध में संयुक्त राष्ट्रसंघ के कर्त्तव्यों को पूरा करती है, जिन्हें 'महत्त्वपूर्ण' नहीं घोषित किया गया है। जो न्यस्त प्रदेश 'महत्त्वपूर्ण' घोषित किये जा चुके हैं, उनके ऊपर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा-सम्बन्धी समस्याओं में संयुक्त राष्ट्रसंघ के कर्त्तव्यों को सुरक्षा-परिषद् प्रन्यास-परिषद् की सहायता से पूरा करती है। प्रन्यास-परिषद् प्रशासकीय अधिकारियों के प्रतिवेदनों पर विचार करती है। समय-समय पर न्यस्त प्रदेशों में अपने पर्यवेक्षक-मंडल को भेजती है तथा प्रन्यास-समझौतों के अनुकूल कदम उठाती है। यह न्यस्त प्रदेशों के निवासियों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक उन्नति के संबंध में प्रश्नावली तैयार करती है, जिसके आधार पर प्रशासकीय अधिकारियों को अपने प्रतिवेदन देने होते हैं।

५. अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय—अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्रसंघ का प्रधान न्यायिक अंग है। यह राजनीतिक झगड़ों पर नहीं, बल्कि कानूनी झगड़ों पर विचार करता है। इसका अपना परिनियम है, जिसके अनुसार यह कार्य करता है। जो सब देश इसके परिनियम को मान चुके हैं, वे अपना कोई भी मामला, यदि चाहें तो, इसे निर्देशन के लिए सौंप सकते हैं। इसके अतिरिक्त सुरक्षा-परिषद् कोई कानूनी झगड़ा इसके सुपुर्द कर सकती है। आम सभा और सुरक्षा-परिषद् किसी कानूनी प्रश्न पर इस न्यायालय से सलाहकार के रूप में राय ले सकती है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्य अंग तथा विशिष्ट अभिकरण भी आम सभा की अनुमति से अपने कार्य-कलाप के सीमा-क्षेत्र से सम्बद्ध कानूनी प्रश्नों पर सलाहकार के रूप में इससे राय ले सकते हैं।

सुरक्षा-परिषद् द्वारा अभिस्तावित और आम सभा द्वारा स्वीकृत शर्त्तों के अनुसार वे राष्ट्र भी अपने मामले अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय में पेश कर सकते हैं, जो संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य नहीं हैं। अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय की अधिकार-सीमा में वे मामले भी आते हैं, जिन्हें उनसे संबद्ध दोनों पक्ष न्यायालय के सम्मुख लाना चाहते हैं।

मुकदमों के फैसले करते समय न्यायालय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखता है—

(१) अन्तरराष्ट्रीय इकरारनामों द्वारा प्रतिपादित नियम, जिन्हें विवादी राज्यों ने मान लिया है; (२) अन्तरराष्ट्रीय प्रथा, जो सामान्य आचार के रूप में विधि द्वारा स्वीकृत है; (३) सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धान्त और (४) न्यायालयों के अधिनिर्णय और विविध देशों के सर्वाधिक उच्च योग्यता-प्राप्त अन्तरराष्ट्रीय विधानशास्त्रियों के उपदेश।

जहाँ झगड़े के उभय पक्ष स्वीकार करें, वहाँ न्यायालय न्याय के सिद्धान्तों और संबद्ध राष्ट्रों के सामान्य कल्याण के सिद्धान्तों का उपयोग कर सकता है।

अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय का गठन १५ न्यायाधीशों द्वारा होता है, जो ६ वर्षों की अवधि के लिए आम सभा तथा सुरक्षा-परिषद् के स्वतंत्र मतदान द्वारा निर्वाचित होते हैं। इन न्यायाधीशों को 'सदस्य' कहा जाता है। न्यायधीशों का चुनाव योग्यता के आधार पर ही किया जाता है, राष्ट्रीयता के आधार पर नहीं। ६ वर्ष की अवधि समाप्त होने पर कोई भी न्यायाधीश पुनर्निर्वाचन के योग्य समझे जाते हैं। जबतक न्यायाधीश कार्य-भार ग्रहण करते हैं, तबतक उन्हें किसी अन्य पेशे को अपनाने का अधिकार नहीं है। अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय में किसी भी समस्या पर कोई निर्णय उपस्थित न्यायाधीशों के बहुमत के आधार पर होता है

तथा ६ सदस्यों की उपस्थिति से कोरम पूरा होता है। न्यायालय के सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। इसका कार्यालय हेग नगर (नेदरलैंड) में है।

६. सचिवालय—यह संयुक्त राष्ट्रसंघ का स्थायी कार्यालय है, जिसके प्रधान प्रशासनाधिकारी संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव (सेक्रेटरी जेनरल) होते हैं। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा-परिषद् के अभिस्ताव पर आम सभा द्वारा पाँच वर्ष के लिए होती है। वह आम सभा, सुरक्षा-परिषद्, आर्थिक और सामाजिक परिषद् तथा प्रन्यास-परिषद् की बैठकों में इसी हैसियत से काम करता है। महासचिव के कुछ प्रमुख कर्त्तव्य निम्नांकित हैं—

(१) यह संयुक्त राष्ट्रसंघ का सर्वप्रधान प्रशासनाधिकारी होता है।

(२) यह परिषद् का ध्यान किसी ऐसे विषय की ओर आकृष्ट करता है, जिससे उसकी राय में विश्व-शान्ति के भंग होने की आशंका तथा सुरक्षा पर खतरे की संभावना रहती है।

(३) संयुक्त राष्ट्रसंघ के कार्यों के संबंध में यह वार्षिक तथा पूरक प्रतिवेदन आम सभा में प्रस्तुत करता है।

बर्मा के श्री यू थान्त विधिवत् ३ नवम्बर, १९६६ ई० तक के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव चुने गये हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ में भारत के भूतपूर्व अस्थायी प्रतिनिधि श्री सी० वी० नरसिंहम् इन दिनों उप-महासचिव हैं।

आम सभा द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार महासचिव सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। नियुक्ति करते समय न्यायोचित भौगोलिक विभाजन का भी ध्यान रखा जाता है। महासचिव और कर्मचारिवर्ग में से किसी को भी किसी भी सरकार या ऐसे प्राधिकार से कोई भी निर्देश प्राप्त करने या माँगने की अनुमति नहीं है, जो संयुक्त राष्ट्रसंघ के संगठन से बाहर हो। दूसरी ओर राष्ट्रसंघ के सदस्य-राष्ट्र भी अपनी ओर से इस बात का वादा करते हैं कि वे महासचिव और उसके कर्मचारिवर्ग के अनन्य अन्तरराष्ट्रीय स्वरूप का सम्मान करेंगे और अपने कर्त्तव्यों और दायित्वों की पूर्ति में उन्हें किसी तरह भी प्रभावित नहीं करेंगे।

सचिवालय का गठन इस प्रकार है—महासचिव का कार्यालय, जिसके अन्दर महासचिव का कार्यपालक कार्यालय, कानूनी विषयों से सम्बद्ध कार्यालय, नियंत्रक का कार्यालय और कर्मचारि-दल का कार्यालय है; राजनीतिक एवं सुरक्षा-परिषद्-कार्य-विभाग; आर्थिक एवं सामाजिक कार्य-विभाग; प्रन्यास-परिषद् और स्वशासन-रहित देश-सम्बन्धी कार्य-विभाग; सार्वजनिक सूचना-विभाग कान्फ्रेंस-सेवा और सामान्य सेवा-कार्य-विभाग तथा प्राविधिक (तकनीकी) साहाय्य-प्रशासन-विभाग।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के कार्यालय का काम अँगरेजी, फ्रेंच और स्पेनिश—इन तीन भाषाओं में होता है। इनके अतिरिक्त रूसी और चीनी भी कार्यालयी भाषा के रूप में स्वीकृत हैं।

विशिष्ट अभिकरण (स्पेशियलाइज्ड एजेन्सीज)

संयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए विभिन्न अन्तरराष्ट्रीय संस्थाएँ हैं, जिनका उल्लेख नीचे किया जाता है। ये विविध संस्थाएँ संयुक्त राष्ट्रसंघ की खास एजेन्सी के रूप में काम करती हैं—

(१) अन्तरराष्ट्रीय श्रम-संगठन (इण्टरनेशनल लेबर ऑरगेनिजेशन : I. L. O.)—इसकी स्थापना ११ अप्रैल, १९१९ को वर्सेलीज की संधि के अनुसार हुई थी। अन्तरराष्ट्रीय श्रम-

संगठन राष्ट्रसंघ की एक शाखा के रूप में काम करता था, जो सन् १९४६ ई० में पुनःसंगठित होकर संयुक्त राष्ट्रसंघ के विशिष्ट अभिकरण के रूप में कार्य कर रहा है। यह अभिकरण सरकारों को इस सम्बन्ध में परामर्श देता है कि वे मजदूरों की रक्षा करनेवाले आधुनिकतम विधान किस प्रकार प्रतिष्ठित करें। अन्तरराष्ट्रीय कार्य द्वारा मजदूरों की अवस्था और रहन-सहन के स्तर में सुधार करना तथा आर्थिक एवं सामाजिक सुदृढता को प्रोन्नत करना भी इसका उद्देश्य है। रोजगार-सम्बन्धी पर्यवेक्षणों और आँकड़ों तथा औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य का भी विकास यह संगठन करता है। इसका प्रतिवर्ष एक सम्मेलन हुआ करता है, जिसमें प्रत्येक राष्ट्र से दो सरकार के, एक मजदूरों के तथा एक पूँजीपतियों के प्रतिनिधि रहते हैं।

इसकी ४० सदस्यों की एक प्रबंध-समिति है, जो अन्तरराष्ट्रीय श्रम-कार्यालय-समितियों तथा आयोगों के कार्यों का निरीक्षण करती है। यह संगठन व्यापक रूप में सरकारों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है और सामाजिक, औद्योगिक तथा श्रम-सम्बन्धी प्रश्नों पर सामयिक पत्रिकाएँ और प्रतिवेदन प्रकाशित करता है। इसका प्रधान कार्यालय जिनेवा में है। इसके वर्त्तमान महानिर्देशक डेविड ए० मोर्स (सं० रा० अमेरिका) हैं।

(२) खाद्य और कृषि-संगठन (फुड ऐण्ड एग्रिकल्चरल ऑर्गेनिजेशन : F.A.O.)—इसकी स्थापना सन् १९४५ ई० के अक्टूबर में हुई थी। इसका उद्देश्य लोगों के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा करना, पोषण-शक्ति बढ़ाना तथा खेत, जंगल और मीन-क्षेत्रों से जो खाद्य एवं कृषि-सम्बन्धी वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं, उनके उत्पादन एवं वितरण में सुधार करना है। यह आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्रसंघ के सबसे उत्तम संगठनों में से है। यह ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों की अवस्था में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कार्य करता है—भूमि की उत्पादन-शक्ति तथा जलस्रोतों का विकास; कृषि-उत्पादन के लिए स्थायी अन्तरराष्ट्रीय बाजार की स्थापना; नये प्रकार के पौधों का संसार-व्यापी विनिमय; सुधरे हुए कृषि-यन्त्रों तथा कृषि-प्रणाली का प्रचार और प्रसार; पशु-रोगों की रोक-थाम; पौष्टिक खाद्यान्नों की व्यवस्था; भूमि-क्षरण पर नियंत्रण, सिंचाई-अभियंत्रण, संचित खाद्य सामग्री की रक्षा; कृत्रिम खाद का उत्पादन आदि।

इसकी २५ सदस्य-राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की एक परिषद् होती है, जिसका कार्य अन्तर-राजकीय खाद्य-पदाधिकारियों को कृषि-उत्पादन, उपभोग तथा वितरण में सहायता पहुँचाना है। इसके वर्त्तमान डायरेक्टर जेनरल भारत के श्रीविनयरंजन सेन हैं। इसका प्रधान कार्यालय इटली के रोम नगर में है।

(३) शिक्षा, विज्ञान, और संस्कृति-संबंधी संगठन (युनाइटेड नेशन्स एजुकेशनल साइण्टिफिक ऐण्ड कल्चरल ऑर्गेनिजेशन : U. N. E. S. C. O.)—इसकी स्थापना ४ नवम्बर, १९४६ ई०, को हुई थी। यह एक विशेषज्ञों की संस्था है, जिसका सम्बन्ध शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के विकास से है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के अधिकार-पत्र में दृढता के साथ यह जो घोषणा की गई है कि संसार के सब लोगों को जाति, लिंग, भाषा या धर्म के भेद-भाव के बिना मानवीय अधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रताएँ प्राप्त होंगी, इसके प्रति तथा न्याय एवं विधिवत् शासन के प्रति विश्वासियों में आदर-भाव की वृद्धि करना भी इसका उद्देश्य है।

इसके कार्य-संचालन के लिए सभी सदस्य-राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की एक सामान्य परिषद् है, जिसकी बैठक हर दूसरे वर्ष हुआ करती है। इसमें युनेस्को के कार्य-क्रम तथा नीति निर्धारित

की जाती है। सामान्य परिषद् के सदस्यों द्वारा निर्वाचित एक कार्यकारिणी समिति का गठन होता है, जिसमें २४ सदस्य रहते हैं। इस समिति की बैठक वर्ष में दो बार होती है तथा यह अपने कार्यों के लिए परिषद् के समक्ष उत्तरदायी होती है। सदस्य-राष्ट्रों के राष्ट्रीय आयोगों के द्वारा इसके कार्य-क्रम सम्पन्न किये जाते हैं। इसका मुख्य कार्यालय पेरिस (फ्रांस) में है।

(४) विश्व-स्वास्थ्य-संगठन (वर्ल्ड हेल्थ ऑरगेनिजेशन : W. H. O.)—इस संगठन की स्थापना सन् १९४७ ई० के ७ अप्रैल को हुई थी, जब २६ सदस्यों ने इसके विधान को स्वीकार कर लिया। संसार की सभी जातियों के लोग स्वास्थ्य का उच्चतम स्तर प्राप्त करें, यही इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसकी सेवाएँ दो प्रकार की हैं—परामर्श-मूलक तथा प्राविधिक। पहली प्रकार की सेवा में मलेरिया, यक्ष्मा, यौनरोग, प्रसूतिका तथा शिशु-स्वास्थ्य, पुष्टिकर आहार, वातावरण की सफाई आदि के सम्बन्ध में जानकारी कराने के लिए प्रचार-कार्य तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। कृषि-उत्पादन तथा आर्थिक विकास से सम्बद्ध विशेष प्रकार के रोगों की रोक-थाम के लिए आधुनिक यंत्रों एवं तरीकों को अपनाकर सामान्यत: स्वास्थ्य की अवस्था में सुधार लाना इसकी प्राविधिक सेवा है।

इसके कार्य-सम्पादन के लिए एक विश्व-स्वास्थ्य-सभा का गठन किया गया है, जिसमें सभी सदस्य-राष्ट्रों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं तथा जिसकी बैठक नियमित रूप से प्रतिवर्ष हुआ करती है। यह सभा इस संगठन के नीति-निर्धारण का कार्य करती है। विश्व-स्वास्थ्य-सभा द्वारा निर्वाचित १८ सदस्यों की एक कार्य-समिति होती है, जिसकी बैठक वर्ष में दो बार हुआ करती है। यह सभा के कार्यकारी अंग के रूप में कार्य करती है। इसका प्रधान कार्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा नगर में है। इसके वर्तमान महानिर्देशक डॉ० मार्कोलियो गोम्स कैण्डो (ब्राजिल) हैं।

(५) पुनर्निर्माण और विकास के लिए अन्तरराष्ट्रीय बैंक (इण्टरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन ऐण्ड डेवलपमेंट : I. B. R. D.)—सदस्य-राष्ट्रों तथा उनके अधिराज्यों के पुनर्निर्माण और विकास-कार्य में सहायता देना तथा उत्पादन-कार्य के लिए पूँजी की व्यवस्था करना इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य है। जब किसी देश में उत्पादन-कार्य के लिए पूँजी उपलब्ध नहीं होती है, तब अपने संचित कोष से यह संस्था उसे कर्ज देती है। अन्तरराष्ट्रीय बैंक को सदस्य-राष्ट्रों के उत्पादन के साधनों के विकास तथा अन्तरराष्ट्रीय व्यापार की संतुलित वृद्धि के लिए भी आवश्यक पूँजी का प्रबन्ध करना पड़ता है। इसके द्वारा सदस्य-राष्ट्रों, उनके राजनीतिक उपविभागों तथा उनके सीमाक्षेत्र के अन्तर्गत निजी व्यवसायों के लिए भी कर्ज दिया जाता है। यह बैंक केवल कर्ज का ही प्रबन्ध नहीं करता, बल्कि सदस्य-राष्ट्रों की अभ्यर्थना पर आवश्यक कार्यों के लिए अपने प्रतिनिधि-मण्डलों को भी भेजता है। इस बैंक की अधिकृत पूँजी २१ अरब अमेरिकी डालर है। सन् १९६१ ई० के अंत तक इसने १० देशों को १८ करोड़ १० लाख डालर (अमेरिकी स्वर्ण-मुद्रा) कर्ज के रूप में दिये हैं। इसकी स्थापना २७ दिसम्बर, १९४५ ई०, को हुई थी, जबकि २८ देशों के प्रतिनिधियों ने संविदा के अनुच्छेदों पर हस्ताक्षर किये थे। इसका प्रधान कार्यालय वाशिंगटन में है। इसके वर्त्तमान अध्यक्ष यूजिनी आर० ब्लैक (सं० रा० अमेरिका) हैं।

(६) अन्तरराष्ट्रीय वित्त-निगम (इण्टरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन : I. F. C.)—इसकी स्थापना जुलाई, १६५६ ई० में की गई। २० फरवरी, १६५७ ई० से यह संयुक्त राष्ट्रसंघ के एक विशिष्ट अभिकरण के रूप में कार्य कर रहा है। यद्यपि अन्तरराष्ट्रीय बैंक से घनिष्ठ रूप में सम्बद्ध है, तथापि इसका स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व है। इसका कोष अन्तरराष्ट्रीय बैंक के कोष से बिलकुल पृथक् है।

इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य-राष्ट्रों, विशेषकर कम विकसित क्षेत्रों में उत्पादक निजी उद्यमों की बढ़ती को प्रोत्साहित करके उनके आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना है। यह निजी उद्योगों की उत्थान-शक्ति बढ़ाने के लिए कर्ज देता है। उन कर्जों की अदायगी के लिए संबद्ध राष्ट्रों की सरकारों से किसी तरह की गारण्टी नहीं ली जाती। अधिकांशतः ऐसे सदस्य-राष्ट्रों को कर्ज दिये जाते हैं, जो औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं तथा जिनको पर्याप्त निजी पूँजी की कमी है। गृह एवं वैदेशिक क्षेत्रों में उत्पादन-लागत की वृद्धि करने में यह निगम सहायक होता है। ६० विभिन्न देशों द्वारा इसकी प्रार्थित पूँजी (सब्सक्राइब्ड कैपिटल) ६ करोड़ ६० लाख डालर है। ३१ जनवरी, १६६२ ई० तक इसने १८ देशों को ५ $\frac{३}{४}$ करोड़ डालर दिये हैं। इसके कार्य-संचालन के निमित्त एक संचालक-मंडल है, जिसमें अन्तरराष्ट्रीय बैंक के सभी कार्यपालक निर्देशक, जो कम-से-कम एक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, सदस्य होते हैं। अन्तरराष्ट्रीय बैंक के अध्यक्ष पदेन अन्तरराष्ट्रीय वित्त-निगम के संचालक-मण्डल के अध्यक्ष होते हैं। इसका प्रधान कार्यालय वाशिंगटन में है।

(७) अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष (इन्टरनेशनल मनीटरी फंड : I.M.F.)—इसकी स्थापना २७ दिसम्बर, १६४५ ई०, को हुई थी, जबकि ब्रिटेन-उड्स संविदा-पत्र के अनुसार इसके कोष का ८० प्रतिशत भाग विभिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने जमा कर दिया था। ३१ दिसम्बर, १६६१ ई०, को स्वर्ण एवं विभिन्न देशों की मुद्राओं में इसकी प्राप्त पूँजी १५ अरब ४ करोड़ २४ लाख डालर है। अन्तरराष्ट्रीय व्यापार को पारस्परिक सहयोग के आधार पर सुदृढ एवं विस्तृत करना, अन्तरराष्ट्रीय भुगतान में कृत्रिम रुकावट को शीघ्र हटाना; न्यून अवधि के विनिमय की सुविधा देना, अन्तरराष्ट्रीय विनिमय को सुदृढ करना, सदस्य-राष्ट्रों के बीच भुगतान की बहुपार्श्व-प्रणालियों की स्थापना करना आदि इसके उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों की पूर्त्ति के लिए अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष वैदेशिक मुद्रा या सोना की बिक्री सदस्यों के बीच करता है, जिससे अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में सहायता मिलती है। यह विभिन्न राष्ट्रों की सरकारों को आर्थिक समस्याओं के सम्बन्ध में परामर्श भी देता है। यह लागत के मामले में मुद्रा-स्फीति को रोकता है तथा आयात पर होनेवाले नियंत्रण में कमी लाने की सिफारिश करता है। इसके अतिरिक्त यह वैदेशिक विनिमय के साधन सभी सदस्यों के लिए सुलभ करता है। अभ्यर्थना पर यह किसी भी सदस्य-राष्ट्र के पास उसकी आर्थिक एवं मुद्रा-सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के लिए विशेषज्ञों को भेजता है। इसके १७ कार्यकारी संचालकों में ५ ऐसे होते हैं, जो सबसे अधिक राशि प्रदान करनेवाले सदस्यों द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। शेष १२ सदस्य-राष्ट्रों के गवर्नरों द्वारा चुने जाते हैं। इसका एक प्रबन्ध-संचालक और एक उप-प्रबन्ध-संचालक होता है। इसका मुख्य कार्यालय वाशिंगटन में है।

८) अन्तरराष्ट्रीय असामरिक उड्डयन-संगठन—(इण्टरनेशनल सिविल एवियेशन ऑरगेनिजेशन : I. C. A. O.)—सन् १६४४ ई० में शिकागो के अन्तरराष्ट्रीय असामरिक

उड्डयन-सम्मेलन में २८ राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत इकरारनामे के अनुसार इसकी स्थापना ४ अप्रैल, १६४७ ई०, को हुई। अन्तरराष्ट्रीय उड्डयन-सम्बन्धी प्रतिमान एवं विनियमन निश्चित करना तथा उड्डयन-संबन्धी अन्य समस्याओं का अध्ययन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। यह अन्तरराष्ट्रीय उड्डयन-विधियों एवं समझौतों का प्रारूप तैयार करता है। इसका सम्बन्ध अन्तरराष्ट्रीय वायु-परिवहन से सम्बद्ध अनेक आर्थिक समस्याओं से है। इस संगठन के कार्य-सम्पादन के लिए सदस्य-राष्ट्रों के प्रतिनिधियों द्वारा गठित एक सामान्य समिति होती है। इस समिति की बैठक वर्ष में एक बार हुआ करती है, जिसमें इसका अनुमित व्यय निश्चित किया जाता है। समिति द्वारा चुने गये २१ राष्ट्रों के प्रतिनिधियों से एक परिषद् का गठन होता है। इसके गठन में वायु-परिवहन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण देशों, अन्तरराष्ट्रीय असामरिक उड्डयन में सुविधाएँ प्रदान करनेवाले देशों एवं भौगोलिक दृष्टि से विस्तृत क्षेत्र में फैले देशों का ध्यान रखा जाता है। यह परिषद् इस संगठन की कार्यकारिणी समिति है, जो सदस्य-राष्ट्रों को उड्डयन-सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान करती है। परिषद् अपने एक अध्यक्ष का निर्वाचन करती है। इसका प्रधान कार्यालय मौण्ट्रियल (कनाडा) में है। इसके महामंत्री हैं—रोनाल्ड मेक्डोनल।

(६) विश्व-डाक-संघ (युनिवर्सल पोस्टल यूनियन : U. P. U.)—इसकी स्थापना ६ अक्टूबर, १८७४ ई०, को बर्न में हुए डाक-सम्मेलन के स्वीकृत इकरारनामे के आधार पर १ जुलाई, १८७५ ई० को की गई। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं—इस संघ में सम्मिलित हुए सभी देशों में डाक-सम्बन्धी सुविधाओं का विकास करना, डाक-सम्बन्धी कठिनाइयों का निराकरण करना, एक देश की डाक दूसरे देश में भेजने की दर, नियमादि निश्चित करना आदि। इस प्रकार, प्रत्येक सदस्य यह मान लेता है कि 'उसके अपने देश की डाक को भेजने के लिए जो सर्वोत्तम साधन हैं, उन्हीं साधनों द्वारा वह अन्य सदस्य-राष्ट्रों की डाक को भेजने की व्यवस्था करेगा।' इसका कार्य-संचालन विश्व-डाक-महासभा द्वारा निर्वाचित बीस सदस्यों की एक कार्यकारिणी समिति करती है। इसके वर्त्तमान निर्देशक एडवर्ड वेबर (स्विट्जरलैंड) हैं। इसका प्रधान कार्यालय स्विट्जरलैंड के बर्न नगर में है।

(१०) अन्तरराष्ट्रीय दूर-संचार-संघ (इण्टरनेशनल टेलि-कम्युनिकेशन यूनियन : I. T. U.)—इसकी स्थापना सर्वप्रथम सन् १८६५ ई० में 'इण्टरनेशनल टेलिग्राफ यूनियन' के नाम से हुई। सन् १६३२ ई० में मैड्रिड में हुए रेडियो-टेलिग्राफ-सम्मेलन में स्वीकृत अनुबन्ध के अनुसार इसका नाम अन्तरराष्ट्रीय दूर-संचार-संघ (इण्टरनेशनल टेलि-कम्युनिकेशन यूनियन) पड़ा। सन् १६४७ ई० में इसका पुनर्गठन हुआ। २२ दिसम्बर, १६५१ ई० को ब्युनिस-एरीज में हुए पूर्णाधिकार-प्राप्त राजदूत-सम्मेलन में स्वीकृत अनुबन्ध के अनुसार १ जनवरी, १६५४ ई० से इसका शासन-कार्य चल रहा है। तार, टेलिफोन और रेडियो की सेवाओं के उत्तरोत्तर प्रसार एवं विकास तथा सर्वसाधारण को कम-से-कम दर पर इनकी सेवाएँ सुलभ कराने के लिए अन्तरराष्ट्रीय नियमादि बनाना प्रमुख उद्देश्य है। यह हर प्रकार के दूर-संचार (टेलि-कम्युनिकेशन) के व्यवहार के लिए अन्तरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाता है तथा प्राविधिक सुविधाओं में वृद्धि करता है। यह सभी राष्ट्रों के दूर-संचार-विषयक समान उद्देश्य में सामंजस्य स्थापित करता है।

इसके कार्य-संचालन के लिए पूर्णाधिकार-प्राप्त राजदूतों का एक संघ है, जिसकी बैठक हर पाँचवें वर्ष हुआ करती है। १८ सदस्यों की इसकी एक प्रशासकीय परिषद् है। इसकी बैठक वर्ष

में साधारणतया एक बार होती है, किन्तु किन्हीं ६ सदस्यों की अभ्यर्थना पर अधिक बैठकें भी हो सकती हैं। इसके वर्त्तमान महासचिव गेराल्ड ग्रॉस (सं० रा० अमेरिका) हैं। इसका प्रधान कार्यालय जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में है।

(११) विश्व-अन्तरिक्ष-विज्ञान-संघ (दि वर्ल्ड मेटियरोलॉजिकल ऑरगेनिजेशन : W. M. O.)—इसकी स्थापना २३ मार्च, १९५० ई०, को हुई। इसका उद्देश्य ऋतु-विज्ञान-संबंधी कार्यों एवं पर्यवेक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए पृथ्वी पर जगह-जगह केन्द्रों एवं स्टेशनों की स्थापना करना तथा विश्व में होनेवाले ऋतु-विज्ञान-संबंधी प्रशिक्षण एवं शोध-कार्यों को प्रोत्साहन प्रदान करना और उनके स्तर को ऊँचा उठाना है। विश्व अन्तरिक्ष-विज्ञान-संघ संसार के विभिन्न देशों को ऋतु-विज्ञान-सम्बन्धी सभी आवश्यक सूचनाएँ देता है। यह ऋतु-पर्यवेक्षण-संबंधी प्रकाशनों एवं सूचनाओं में एकरूपता लाना चाहता है तथा उड्डयन, जहाजरानी, कृषि एवं अन्य कार्यों में अन्तरिक्ष-विज्ञान-सम्बन्धी सूचनाओं के उपयोग में वृद्धि करता है।

इसकी एक कार्य-समिति है, जो अन्तरिक्ष-विज्ञान-सम्बन्धी प्राविधिक कार्यों, अध्ययनों एवं अनुसंधानों का निरीक्षण करती है। इसकी बैठक वर्ष में कम-से-कम एक बार अवश्य होती है। इसके वर्त्तमान महासचिव डेविड ए० डेविज (ब्रिटेन) हैं। इसका प्रधान कार्यालय जिनेवा (स्विट्जर-लैंड) में है।

(१२) अन्तरराष्ट्रीय समुद्र-परामर्श-संगठन (इंटर-गवर्नमेंट मेरिटाइम कंसल्टेटिव ऑरगेनिजेशन : I. M. C. O.)—६ मार्च, १९४८ ई०, को जिनेवा में हुए संयुक्त राष्ट्रसंघीय सामुद्रिक सम्मेलन में, जिसमें ३५ राष्ट्र सम्मिलित हुए थे अन्तरराष्ट्रीय समुद्र-परामर्श-संगठन की स्थापना के लिए इकरारनामा प्रस्तुत किया गया, जिसपर सभी राष्ट्रों ने हस्ताक्षर कर दिये। सन् १९५८ ई० के आरंभ में ३१ राष्ट्रों ने, जिनमें से ७ राष्ट्रों के पास कुल १० लाख टन वजन से कम पोत-समूह नहीं थे, उक्त इकरारनामे को स्वीकार किया। इसका उद्देश्य विभिन्न सरकारों द्वारा जलपोतों के ले जाने तथा लाने के संबंध में निर्मित नियमों पर विचार, विभेदक नीति का उन्मूलन, जलपोत-संबंधी प्राविधिक समस्याओं का समाधान तथा सरकारों द्वारा अनुचित रोक को हटाकर सभी सरकारों के बीच पारस्परिक सहयोग की वृद्धि करना है। यह संयुक्त राष्ट्रसंघ के किसी भी अंग या विशिष्ट अभिकरण द्वारा निर्णयार्थ प्रस्तुत जलपोत-संबंधी समस्याओं पर विचार कर अपना परामर्श देता है। इधर हाल में इसने एक सामुद्रिक सुरक्षा-परिषद् स्थापित की है। मई-जून, १९६० ई० में इसके तत्त्वावधान में समुद्र में मानव-जीवन की रक्षा के उद्देश्य से १४ राष्ट्रों का एक सम्मेलन किया गया। इसका प्रधान कार्यालय लंदन में है। इसके वर्त्तमान महासचिव स्टावरो पोलस (ग्रीस) हैं।

(१३) अन्तरराष्ट्रीय अणुशक्ति-अभिकरण (इण्टरनेशनल एटोमिक इनर्जी एजेन्सी : I. A. E. A.) इसकी स्थापना २९ जुलाई, सन् १९५७ ई०, को की गई। इसका विधान न्यूयार्क में हुए एक अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन में २६ अक्तूबर, १९५६ ई०, को ही स्वीकृत हो चुका था। समग्र संसार में अणुशक्ति का प्रयोग शान्ति, सुरक्षा एवं निर्माण की दिशा में करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। यह संस्था अणु-शक्ति के ऐसे प्रयोगों को प्रोत्साहन नहीं देती, जिनसे युद्ध की संभावना तथा विध्वंस की आशंका हो।

इसके विधान में एक साधारण सभा, प्रशासन-परिषद् और एक महानिर्देशक की व्यवस्था है। प्रशासन-परिषद् में अधिक-से अधिक २३ सदस्य होते हैं। साधारण सभा की बैठक वर्ष में एक बार होती है तथा अभिकरण के सभी सदस्यों द्वारा इसका गठन होता है। इसके विधान के अनुसार एक प्रशासन-परिषद् अभिकरण के कार्यों को संपादित करती है। इसी प्रशासन-परिषद् द्वारा महानिर्देशक की नियुक्ति चार वर्षों के लिए होती है। इसके वर्त्तमान महानिर्देशक सिग्वार्ड एक्लुण्ड (स्वीडन) हैं। इसका प्रधान कार्यालय वियना (अस्ट्रिया) में है।

(१४) प्रशुल्क और व्यापार-सम्बन्धी सामान्य समझौता (जेनरल एग्रीमेण्ट ऑन टैरिफ ऐण्ड ट्रेड : G. A. T. T.)—सन् १९४६ ई० में संयुक्त राष्ट्रसंघ की आर्थिक और सामाजिक समिति ने अन्तरराष्ट्रीय व्यापार की कर आदि सम्बन्धी दिक्कतें दूर करने के उद्देश्य से अन्तरराष्ट्रीय व्यापारिक सनद का मसविदा तैयार करने के लिए एक उपसमिति गठित की। यह सनद, जिसे हवाना घोषणा-पत्र कहा जाता है, सन् १९४८ ई० में पूरी की गई; परन्तु इसे संयुक्तराज्य अमेरिका का समर्थन प्राप्त नहीं होने से यह ज्यों-की-त्यों पड़ी रह गई। ऐसी अवस्था में उस सनद को तैयार करनेवाले सदस्य-राष्ट्रों ने सन् १९४७ ई० में प्रशुल्क और व्यापार के संबंध में एक सामान्य समझौता (जेनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ ऐण्ड ट्रेड : G.A.T.T.) तैयार किया, जो सन् १९४८ ई० की पहली जनवरी से व्यवहार में लाया जाने लगा। उस समय २३ राष्ट्रों ने इस समझौते को स्वीकार किया था। सन् १९६२ ई० में इसे स्वीकार करनेवाले राष्ट्रों की संख्या ४२ हो गई। विशेष प्रबन्ध पर १० अन्य राष्ट्र भी इसमें सम्मिलित हैं। ये राष्ट्र विश्व के ८० प्रतिशत व्यापार के लिए उत्तरदायी हैं। इस समझौते में सम्मिलित कोई भी राष्ट्र किसी खास वस्तु के व्यापार में किसी दूसरे राष्ट्र को जो सुविधा प्रदान करेगा, वही सुविधा उस समझौते में सम्मिलित अन्य सभी राष्ट्रों को देनी होगी। इन राष्ट्रों को अन्य देशों से आयात की जानेवाली वस्तुओं के लिए कर तथा परिवहन-संबंधी वे ही सुविधाएँ देनी होंगी, जो अपने देश में उत्पादित वैसी वस्तुओं को मिलेंगी। कोई भी राष्ट्र वस्तुराशि-पातन द्वारा अनुचित प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लेगा। इस समझौते में सम्मिलित राष्ट्रों का अधिवेशन साल में दो बार हुआ करेगा। इसका मुख्य कार्यालय जेनेवा (स्विट्जरलैंड) में है। इसके कार्यपालक सचिव ई० विन्धम ह्वाइट (ब्रिटेन) हैं।

उपर्युक्त विशिष्ट अभिकरणों के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्रसंघ की और भी कई शाखा-संस्थाएँ हैं, जो अपने-अपने उद्देश्यों के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। इनमें से दो प्रमुख संस्थाओं का उल्लेख नीचे किया जा रहा है—

१. अन्तरराष्ट्रीय बाल-संकट-कोश (युनाइटेड नेशन्स इण्टरनेशनल चिल्ड्रेन्स इमरजेन्सी फण्ड: U.N.I.C.E.F.) इसकी स्थापना आम सभा द्वारा ११ दिसम्बर, १९४६ ई०, को युद्ध-पीडित बालकों की सहायता तथा साधारण रूप से बालकों के स्वास्थ्य की उन्नति के लिए हुई थी। यह संस्था आर्थिक और सामाजिक परिषद् के पर्यवेक्षण में कार्य करती है। सन् १९५० ई० में आम सभा ने इसका कार्यक्षेत्र बढ़ाकर विश्व-भर के, खासकर अविकसित देशों के, बालकों की हर तरह की आवश्यकताओं की पूर्त्ति की व्यवस्था की। सन् १९५३ ई० में यह विभाग स्थायी बना दिया गया। इन दिनों इसका कार्य संसार के लगभग १०२ देशों और क्षेत्रों में चल रहा है। इसके द्वारा मलेरिया, यक्ष्मा आदि कठिन रोगों का निवारण, प्रसूतिका-

गृहों एवं शिशु-कल्याण-केन्द्रों की स्थापना, धातृविद्या-प्रशिक्षण, शिशु-आहार की व्यवस्था, दुग्ध-संरक्षण और वितरण आदि कार्य किये जाते हैं। इन कार्यों के अतिरिक्त भूकम्प, बाढ़ आदि के समय यह विभाग प्रसूतिकाओं एवं शिशुओं की अपेक्षित सहायता करता है।

इस संस्था की सहायता से भारत के विभिन्न स्थानों में अस्पतालों और स्कूलों में १०० से अधिक प्रशिक्षण-केन्द्र स्थापित हो चुके हैं; जहाँ परिचारिकाओं को धातृविद्या की शिक्षा दी जाती है। मातृमंगल एवं शिशु-कल्याण के लिए यह संस्था विशेष रूप से कार्य कर रही है। सन् १९६२ ई० में इस संस्था के कार्यों का बहुत विस्तार किया गया। इस समय ११६ देशों एवं क्षेत्रों में इसकी ५०० परियोजनाएँ चल रही हैं।

२. विश्व-शरणार्थी-संगठन (यूनाइटेड नेशन्स हाइ कमिश्नर फॉर रिफ्युजीज : U.N.H.C.R.)—इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्रसंघ की आम सभा द्वारा १ जनवरी, सन् १९५१ ई०, को हुई थी। प्रारम्भ में इसका कार्य-काल सन् १९५८ ई० तक ही रखा गया था, किन्तु पुनः इसकी अवधि-वृद्धि सन् १९६३ ई० तक के लिए की गई। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य शरणार्थियों को अन्तरराष्ट्रीय संरक्षण देना है। यह संस्था शरणार्थियों को स्वदेश लौटाकर अथवा उनका एक नवीन समुदाय स्थापित कर उनकी समस्याओं का स्थायी रूप से समाधान करने का प्रयत्न करती है। शरणार्थियों के लिए काम-धंधे, न्याय, शिक्षा, धार्मिक स्वतन्त्रता, साहाय्य आदि प्राप्त करने के अधिकार इस संस्था द्वारा स्वीकार किये गये हैं। शरणार्थियों को विभिन्न देशों में यात्रा करने के लिए पारपत्र (पासपोर्ट) भी दिये जाते हैं।

जो शरणार्थी बसाये नहीं जा सके थे, उनकी संख्या सन् १९६२ ई० के आरम्भ में ८० हजार (१९६१) से घटकर ५८ हजार हो गई है। उसी प्रकार उक्त काल में कैम्प में रहनेवालों की संख्या १५ हजार से घटकर ६ हजार रह गई। इस संस्था के वर्त्तमान उच्चायुक्त फेलिक्स श्नीडर (स्विट्जरलैंड) हैं।

मानवीय अधिकार की विश्वजनीन घोषणा

सन् १९४८ ई० की १० जनवरी को संयुक्त राष्ट्रसंघ ने मानवीय अधिकार के संबंध में एक अन्तरराष्ट्रीय घोषणा-पत्र स्वीकृत किया, जिसमें कुल ३० अनुच्छेदों में मनुष्य के मौलिक अधिकार एवं स्वाधीनता की व्याख्या की गई है। शकाब्द १८८३ के भारतीय अब्दकोश में उक्त घोषणा प्रकाशित की जा चुकी है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के कार्य

गत २४ अक्टूबर, १९६३ ई०, को संयुक्त राष्ट्रसंघ को स्थापित हुए १८ वर्ष हो गये। इस अवधि में इस संगठन ने जो कार्य किये, वे बहुत हदतक प्रशंसनीय हैं। विश्व के मानव-समुदाय के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, व्यावसायिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में इसकी विविध एजेन्सियाँ अन्तरराष्ट्रीय स्तर के जो महत्त्वपूर्ण कार्य कर रही हैं, उससे समस्त राष्ट्रों को बड़ा लाभ पहुँचा है। समय-समय पर छोटे-मोटे राजनीतिक मामलों को सुलझाकर इसने विश्व में शान्ति-स्थापना के अनेक कार्य किये हैं, इनमें कुछ प्रमुख कार्यों का उल्लेख यहाँ किया जाता है :

(१) अपनी स्थापना के कुछ ही दिनों के बाद सन् १९४६ ई० में संयुक्त राष्ट्रसंघ ने ईरान से रूसी सैनिकों को हट जाने के लिए बाध्य किया। (२) सन् १९४८ ई० में जब यहूदियों ने इजराइल को अपना स्वतंत्र देश घोषित किया, तब अरब-राष्ट्रों ने इसपर चढ़ाई कर दी। उस समय

संयुक्त राष्ट्रसंघ के हस्तक्षेप करने पर ही अरबों को हटना पड़ा। (३) सन १९४९ ई० में इंडोनेशिया को डच लोगों के पंजे से छुड़ाकर स्वतंत्र करने में संघ का बहुत हाथ था। (४) सन् १९५१ ई० में स्वेज नहर पर मिस्र के अधिकार कर लेने पर जब इंगलैंड और फ्रांस की फौजों ने मिस्र पर चढ़ाई कर दी, तब संघ के बीच में पड़ने पर ही मामला सुलझ सका। (५) उसी वर्ष ईरान के तेल-क्षेत्र को लेकर ईरान और इंगलैंड में जो संघर्ष हुआ, उसे मिटाने में संयुक्त राष्ट्रसंघ ही सहायक हुआ। (६) इसी समय मध्यपूर्व के देशों में शान्ति-स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ को अपनी सेना रखनी पड़ी। (७) उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में जब संघर्ष हो गया, तब संघ के हस्तक्षेप करने पर ही मामला शान्त हो सका और सन् १९५३ ई० में युद्ध-विराम-सन्धि हुई। (८) अरबों और इजराइल की अनबन में जब इजराइल के सैनिक १९५६ ई० में मिस्र की सीमा में चले आये, तब संघ ने 'युद्ध रोको' का आदेश देकर शान्तिभंग होने से रोका। (९) सन १९५७-५८ ई० में लेबनान और जोर्डन के क्षेत्र से अमेरिकी और अंगरेजी सेना को हटाने में यह सफल हुआ। (१०)सन् १९६२-६३ में पश्चिमी ईरियन के विवाद के सम्बन्ध में संघ ने इण्डोनेशिया और नेदरलैंड के बीच समझौता कर दिया, जिसके फलस्वरूप पश्चिमी ईरियन इण्डोनेशिया के अधिकार में चला आया। (११) वर्षों के रक्तपात और विद्रोह के बाद सन् १९६३ ई० में कांगो और कटंगा की समस्या का समाधान हुआ, जिसके फलस्वरूप कटंगा का विलयन कांगो के साथ हो गया। (१२) पिछले दो-तीन वर्षों के अन्दर अफ्रिका के दो दर्जन से भी अधिक पद-दलित एवं पराधीन देशों को साम्राज्यवादी देशों के पंजे से मुक्त होने में संयुक्त राष्ट्रसंघ ने बड़ी सहायता पहुँचाई। इस प्रकार, अपने अस्तित्व को सार्थक बनाने की इसने भरपूर चेष्टा की।

इतनी सफलताओं के बावजूद संयुक्त राष्ट्रसंघ बहुत-से मामलों में असफल भी रहा। अणु-बम और हाइड्रोजन-बम के परीक्षण को रोकने के सम्बन्ध में प्रयत्न करने पर भी अबतक इस पर रोक नहीं लगाई जा सकी है। बड़े-बड़े राष्ट्रों को सैन्य-शक्ति और अस्त्र-शस्त्र को कम करने के सम्बन्ध में भी बहुत प्रयत्न हुए, पर फल विशेष कुछ नहीं हुआ। चीन द्वारा तिब्बत की स्वतन्त्रता और संस्कृति को नष्ट कर उसे अपने अधिकार में कर लेने पर भी संघ उसे मुक्ति नहीं दिला पाया। वर्षों पूर्व चीन की सुविशाल भूमि पर चीन की अपनी साम्यवादी सरकार कायम होने पर भी चीन के नाम पर फारमोसा टापू में संयुक्तराज्य अमेरिका के बल पर स्थित सरकार का ही प्रतिनिधि संघ में लिया जाता है और वह सुरक्षा-परिषद् का स्थायी सदस्य होता है, जिसे 'वीटो' का अधिकार प्राप्त है। बात असल यह है कि अबतक संयुक्त राष्ट्रसंघ पर संयुक्तराज्य अमेरिका और यूरोप के शक्तिशाली राष्ट्रों का ही जबरदस्त प्रभाव है। अब एशिया और अफ्रिका के बहुत-से देश संघ के सदस्य हुए हैं, पर उनमें अभी इतनी ताकत नहीं आ पाई है कि वे यूरोप और अमेरिका के पुराने शक्तिशाली राष्ट्रों को सभी मामलों में न्याय करने को बाध्य कर सकें।



कुछ प्रमुख अन्तरराष्ट्रीय संगठन एवं सन्धियाँ

राष्ट्रमण्डल (कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन्स)

राष्ट्रमण्डल का जन्म एक प्रकार से सन् १८९७ ई० में हुआ, जबकि इंगलैंड की रानी विक्टोरिया की हीरक-जयन्ती के महोत्सव में लंदन में ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत स्वायत्त-शासनाधिकार-प्राप्त उपनिवेशों के प्रधान मंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया था। महोत्सव के बाद यह अनुभव किया गया कि प्रधान मंत्रियों का इस प्रकार एक स्थान पर मिलना अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुआ है और भविष्य में भी जब कभी संभव हो, इस प्रकार की बैठकें की जायँ। इसके बाद यह निश्चय किया गया कि प्रत्येक चार वर्ष के बाद साम्राज्य-सम्मेलन किया जाय, जिसमें ब्रिटिश सरकार और समुद्र-पार के स्वायत्त-शासनाधिकार-प्राप्त उपनिवेशों के बीच ऐसे प्रश्नों पर विचार-विमर्श किया जाय, जो दोनों के सामान्य स्वार्थ के सम्बद्ध हों। इस सम्मेलन का सभापतित्व इंगलैंड के प्रधान मंत्री करें और स्वायत्त-शासनधिकार-प्राप्त उपनिवेशों के प्रधान मंत्री पदेन इसके सदस्य हों। सन् १९२६ ई० तक 'ब्रिटिश राष्ट्रमंडल' शब्द का व्यवहार स्वच्छन्द रूप से होता रहा। इसी समय ब्रिटेन के परराष्ट्र-सचिव लॉर्ड बालफोर ने ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल की परिभाषा इस प्रकार दी—"ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत आत्मशासित जन-समुदाय, जिनकी पद-स्थिति एक समान है, जो आन्तरिक या बाह्य विषयों के किसी भी पहलू के सम्बन्ध में किसी के अधीनस्थ नहीं हैं, यद्यपि सम्राट् के प्रति सामान्य आनुगत्य के नाते परस्पर संयुक्त हैं और ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के सदस्य के रूप में स्वतंत्र भाव से सम्मिलित हैं।"

द्वितीय महायुद्ध के बाद सन् १९४९ ई० में लंदन में जो साम्राज्य-सम्मेलन हुआ, उसमें उपस्थित प्रधान मंत्रियों ने एक सूत्र ढूँढ़ निकाला, जिसके द्वारा भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका-जैसे गणतांत्रिक राज्यों को राष्ट्रमण्डल के ढाँचे के अन्दर स्थान दिया जा सके और ब्रिटिश अधिपति उसके नाम-मात्र के प्रधान माने जायँ। इसके बाद ग्रेट-ब्रिटेन, कनाडा, अस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, दक्षिण अफ्रिका, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका ने अपना यह निश्चय घोषित किया कि 'राष्ट्रमण्डल के स्वतन्त्र एवं सामान्य सदस्यों के रूप में एक साथ मिले हुए रहेंगे और शान्ति, स्वतंत्रता एवं प्रगति के प्रयत्न में स्वच्छन्द भाव से सहयोग प्रदान करते रहेंगे।' राष्ट्रमण्डल के साथ जो 'ब्रिटिश' विशेषण लगा हुआ था, वह हटा दिया गया और साम्राज्य-दिवस का नया नामकरण 'राष्ट्रमण्डल-दिवस' हुआ।

राष्ट्रमण्डल का ऐसा कोई संविधान या सामान्य विधि नहीं है, जो उसके सब सदस्यों के प्रति प्रयुक्त हो। किसी एक सदस्य-राष्ट्र की प्रतिरक्षा के लिए कोई अन्य राष्ट्र वचनबद्ध नहीं है। यह एक ऐसी संस्था है, जिससे कोई भी सदस्य जब चाहे, पदत्याग कर सकता है और विद्यमान सदस्यों की सहमति के बिना कोई नया सदस्य प्रविष्ट नहीं किया जा सकता।

राष्ट्रमण्डल के सदस्यों का एकमात्र सामान्य लक्षण यही है कि सब-के-सब पहले ब्रिटेन के उपनिवेश या रक्षित राज्य थे या हैं। भावना, स्वार्थ एवं विचार की सहचारिता के ऐसे बहुत-से बन्धन हैं, जो इन विभिन्न देशों को संयुक्त किये हुए हैं, किन्तु एकमात्र वैयक्तिक एवं प्रत्यक्ष

कड़ी राष्ट्रमण्डल के प्रधान के रूप में रानी हैं। यद्यपि ब्रिटेन की रानी अब भारत, पाकिस्तान और मलाया की सम्राज्ञी नहीं हैं, तथापि ये सब देश राष्ट्रमण्डल के प्रधान के रूप में उन्हें स्वीकार करते हैं। राष्ट्रमण्डल के प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र को अपने देश के आन्तरिक एवं बाह्य विषयों में अबाध नियंत्रण है। सदस्य-राष्ट्रों के प्रधान मंत्री अपने सार्वभौम राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपनी-अपनी संसद् के प्रति उत्तरदायी हैं। जब वे एकत्र होकर ऐसे विषयों पर बातचीत करते हैं, जिनका विश्वव्यापी महत्त्व होता है, तब वे निजी रूप में ऐसा करते हैं और वाद-विवाद के लिए कोई औपचारिक कार्य-सूची प्रकाशित नहीं की जाती। स्वतन्त्र राष्ट्रों की इस संस्था में विचार-दृष्टि और राय में मतभेद होना अपरिहार्य है। राष्ट्रमण्डल का महत्त्व इस बात में है कि यह अपने सदस्यों को पूर्ण एवं निश्छल रूप में विचार-विनिमय करने का मौका देता है और इस विचार-विनिमय के प्रकाश में राष्ट्रमण्डल की प्रत्येक सदस्य-सरकार अपने सहयोगी सदस्यों के विचार और स्वार्थों की गहरी जानकारी हासिल करके और उन्हें समझकर अपनी पृथक् नीतियों को सूत्रबद्ध करती है और उनका अनुसरण करती है।

राष्ट्रमण्डल के सदस्यों में ब्रिटेन के अतिरिक्त पूर्ण स्वतन्त्र हुए राष्ट्र भारत, पाकिस्तान, घाना, श्रीलंका, नाइजीरिया, साइप्रस, सियरालियोन, टैंगनिका, ट्रिनिडाड ऐण्ड टुबैगो, युगाण्डा और जमैका हैं तथा अधिराज्यों में कनाडा, अस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पश्चिमी द्वीप-समूह राज्य-संघ (फेडरेशन ऑफ वेस्ट इण्डीज) और मलाया राज्य-संघ हैं। ब्रिटिश साम्राज्य से हाल में स्वतंत्र हुए राष्ट्र आयरलैंड, बर्मा, सूडान, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रिका-संघ राष्ट्रमण्डल के सदस्य नहीं रहे। राष्ट्रमंडल की कोई एक केन्द्रीय सरकार, सेना या न्यायपालिका नहीं है। इसके सदस्य-राष्ट्रों के बीच विशेष संधि या किसी किस्म की शर्तें नहीं हैं। इसका कोई लिखित संविधान भी नहीं है। इसके सदस्य-राष्ट्र केवल शांति-स्थापना, स्वाधीनता तथा विश्व-सुरक्षा के उद्देश्य से परस्पर सम्बद्ध हैं।

राष्ट्रमण्डल का प्रधान कार्यालय लंदन में है। राष्ट्रमंडल के स्वतंत्र सदस्य-राष्ट्र भारत-पाकिस्तान और श्रीलंका—ब्रिटेन के राजा या रानी को राष्ट्रमण्डल का प्रतीकात्मक प्रधान-मात्र मानते हैं, प्रधान शासक नहीं; किन्तु शेष सभी सदस्य-राष्ट्र प्रधान शासक मानते हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद अप्रैल १९४६, अक्तूबर १९४८, अप्रैल १९४९, जनवरी १९५१, जून १९५३, फरवरी १९५५, जून १९५६, जून १९५७, सितम्बर १९५८, मई १९६० मार्च १९६१ और सितम्बर १९६२ में राष्ट्रमण्डल के राष्ट्रों के प्रधान मन्त्रियों के सम्मेलन हुए। मार्च, १९६१ के अधिवेशन की सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह रही कि जाति एवं रंगभेद-नीति-संबंधी प्रस्ताव के प्रतिरोध में दक्षिण अफ्रिका-संघ ने राष्ट्रमण्डल से अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया। सन् १९६२ ई० के राष्ट्रमंडल प्रधानमंत्री-सम्मेलन में यूरोपीय साझा बाजार में ब्रिटेन के प्रवेश का अन्य सदस्य-राष्ट्रों द्वारा विरोध किया गया।

कोलम्बो-योजना

जनवरी, १९५० ई० में राष्ट्रमण्डल के परराष्ट्र-मंत्रियों का एक सम्मेलन कोलम्बो (लंका) में हुआ। उसके निर्णय के अनुसार २८ नवम्बर, १९५०, को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अन्तर्गत दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी एशिया के सामूहिक आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और औद्योगिक उन्नति के लिए एक योजना प्रकाशित की गई, जिसका नाम कोलम्बो-योजना पड़ा। १ जुलाई, १९५१ ई० से

कोलम्बो-योजना का कार्य आरम्भ किया गया और यह निश्चय किया गया कि ३० जून, १६५७ ई० तक के लिए एशिया के सदस्य-राष्ट्रों के विकास-कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की जाय। सन् १६५५ ई० की परामर्शदात्री समिति में इस योजना की अवधि ३० जून, १६६१ ई० तक के लिए बढ़ाई गई। उसके बाद १६५६, १६५७ तथा १६५८ ई० में इसकी बैठकें हुई। इण्डोनेशिया-स्थित जोगजकार्त्ता की १६५६ ई० की बैठक में योजना की अवधि सन् १६६६ ई० तक के लिए बढ़ी। उक्त बैठक में यह भी निर्णय हुआ कि सन् १६६४ ई० के वार्षिक अधिवेशन में इसकी आगामी अवधि-वृद्धि के सम्बन्ध में विचार किया जाय। इसकी परामर्शदात्री समिति में ग्रेट-ब्रिटेन, अस्ट्रेलिया, कनाडा, श्रीलंका, भारत, मलाया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ब्रिटिश बोर्नियो तथा सिंगापुर प्रारम्भिक सदस्य-राष्ट्र हैं। वीतनाम, कम्बोडिया और लाओस सन् १६५० ई० में, बर्मा और नेपाल सन् १६५२ ई० में, इण्डोनेशिया सन् १६५३ ई० में तथा जापान, फिलिपाइन और थाईलैंड सन् १६५४ ई० में इसके सदस्य हुए। संयुक्तराज्य अमेरिका भी इससे सम्बद्ध है तथा पूर्ण सदस्य की की भाँति इसकी बैठकों में भाग लेता है। इन सदस्य-राष्ट्रों में अस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, जापान, ग्रेट-ब्रिटेन और संयुक्तराज्य अमेरिका कार्य-क्षेत्र से बाहर के राष्ट्र हैं। फिर भी, इन राष्ट्रों द्वारा योजना क्षेत्र के देशों को समय-समय पर आर्थिक एवं प्राविधिक सहायता मिलती रहती है।

इसके उद्देश्यों में विकास-कार्यक्रम द्वारा सम्बद्ध राष्ट्रों में निर्धनता को दूर कर साम्यवाद के प्रसार को रोकने का लक्ष्य रखा गया है। इसका कार्यालय कोलम्बो में है। इस योजना में सम्मिलित देशों को परस्पर के देशों में प्राविधिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। अन्तरराष्ट्रीय बैंक द्वारा कोलम्बो-योजना में सम्मिलित देशों को उनकी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ३० जून, सन् १६६१ ई० तक दिये गये ऋण की राशि १ अरब २४ करोड़ १० लाख डालर थी। उक्त समय तक अस्ट्रेलिया ने ३ करोड़ ६६ लाख पौंड, कनाडा ने ३३ करोड़ १७ लाख डालर, न्यूजीलैंड ने १ करोड़ २ लाख पौंड, संयुक्तराज्य अमेरिका ने १ अरब २० करोड़ डालर और ग्रेट-ब्रिटेन ने २६ करोड़ ६६ लाख पौंड ऋण के रूप में दिये। दक्षिणी और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों ने एक-दूसरे के आर्थिक विकास में पर्याप्त सहायता दी है।

सन् १६६०-६१ ई० में ४४१७ व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रारम्भ से इस अवधि तक १६,५३३ प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। जून, सन् १६६१ ई० तक ३,१५५ विशेषज्ञ योजना-क्षेत्र में भेजे गये।

अरब-लीग

२२ मार्च, १६४५ ई०, को काहिरा (कैरो) में अरब राष्ट्रों ने अरब की एकता को कायम रखने के लिए एक सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर कर एक संघ का निर्माण किया। इस राज्य-संघ में मिस्र, इराक, जोर्डन, सऊदी अरब, सीरिया, लेबनान, यमन, लीबिया, सूडान (१६५६ ई० से) ट्युनिशिया तथा मोरोक्को (१६५८ ई० से) और कुवैत (१६६१ ई० से) सम्मिलित हैं। इसका प्रमुख लक्ष्य है—सदस्य-राष्ट्रों के बीच हुए समझौतों को क्रियात्मक रूप देना; सदस्य-राष्ट्रों के आपसी सम्बन्ध को सुदृढ़ बनाना; समय-समय पर इसकी बैठकें बुलाना; राजनीतिक क्षेत्र में सामंजस्यपूर्ण सहयोग; सदस्य-राष्ट्रों की स्वाधीनता एवं प्रभुसत्ता की रक्षा; अरब-राष्ट्रों से सम्बद्ध कार्यों पर विचार-विमर्श तथा आर्थिक, वित्तीय, सांस्कृतिक एवं परिवहन-सम्बन्धी क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग।

अरब-लीग की एक सामान्य परिषद्, एक विशेष समिति तथा एक सचिवालय है। इसके अतिरिक्त एक राजनीतिक समिति है, जिसमें सभी सदस्य-राष्ट्रों के परराष्ट्र-मंत्री सदस्य के रूप में रहते हैं। इसकी कौंसिल की बैठकें वर्ष में दो बार हुआ करती हैं। इसका सचिवालय काहिरा में है। सन् १६५२ ई० से इसके महासचिव अब्दुल खालिक हासाउना हैं, जो मिस्र के भूतपूर्व परराष्ट्र-मंत्री रह चुके हैं सदस्य-राष्ट्रों के आपसी झगड़े, वैमनस्य एवं कटुता के कारण लीग का अभी तक कोई महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं हो पाया है।

अरब-सुरक्षा-संधि

अरब-सुरक्षा-सन्धि (अरब-सेक्युरिटी पैक्ट) का पूरा नाम 'अरब-राज्य-संघ सामूहिक सुरक्षा एवं आर्थिक सहयोग-सन्धि' (अरब-लीग कलेक्टिव सेक्युरिटी ऐण्ड इकोनॉमिक को-ऑपरेशन पैक्ट) है। इसकी स्थापना १७ जुलाई, १६५० ई०, को की गई। इस सन्धि को पाँच देशों—मिस्र, इराक, सीरिया, जोर्डन और लेबनान—ने स्वीकार किया। यह सन्धि प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करनेवाले उपर्युक्त देशों के बीच, सैनिक, राजनीतिक और आर्थिक सम्बन्ध स्थापित करते हुए किसी भी सशस्त्र आक्रमण के प्रतिरोध की व्यवस्था करती है तथा अरब-लीग के अन्तर्गत सम्बद्ध देशों के दायित्व को निर्धारित करती है।

केन्द्रीय संधि-संगठन (बगदाद-संधि)

२४ फरवरी, १६५५ ई०, को बगदाद में टर्की और इराक द्वारा पारस्परिक सुरक्षा के निमित्त एक समझौता किया गया, जो 'बगदाद-संधि' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी वर्ष ४ अप्रैल को ग्रेट-ब्रिटेन, २३ सितम्बर को पाकिस्तान तथा ३ नवम्बर को ईरान इसमें सम्मिलित हुए। अप्रैल, १६५६ ई० में संयुक्तराज्य अमेरिका इसकी आर्थिक एवं विध्वंस-विरोधी समितियों में तथा मार्च, १६५७ ई० में इसकी सैन्य-समिति में पूर्ण सदस्य के रूप में सम्मिलित हुआ और तबसे उसके प्रतिनिधि इसकी बैठकों में भाग लेते रहे। २८ जुलाई, १६५८ ई०, को संयुक्तराज्य अमेरिका ने इसके प्रतिज्ञा-पत्र को स्वीकार कर लिया। ५ मार्च, १६५६ ई० को अंकारा में संयुक्तराज्य अमेरिका और टर्की के बीच तथा ईरान और पाकिस्तान के बीच द्विभुजी सुरक्षा-समझौते हुए। जुलाई, १६५८ ई० की क्रान्ति के बाद से इराक ने बगदाद-समझौता में सम्मिलित देशों की कार्यवाहियों में भाग लेना बन्द कर दिया तथा २४ मार्च, १६५६ ई० से उसने बाजाप्ता अपने को पृथक् कर लिया। अक्टूबर, १६५८ ई० में इसका मुख्य कार्यालय बगदाद से अंकारा स्थानान्तरित कर दिया गया। बगदाद-सन्धि समिति की एक बैठक जनवरी, १६५६ ई० के अन्तिम सप्ताह में कराची में हुई, जिसमें सन्धि में सम्मिलित देशों का सामरिक संगठन दृढ करने का निश्चय किया गया। २१ अगस्त, १६५६ ई० से इस सन्धि का नाम बगदाद-सन्धि से बदलकर 'केन्द्रीय सन्धि-संगठन' (C. E. N. T. O.) किया गया। इसके वर्त्तमान महासचिव डॉ० ए० ए० खलतबारी (ईरान) हैं।

इस सन्धि-पत्र के प्रमुख उद्देश्य निम्नांकित हैं—

(१) इस सन्धि में सम्मिलित देश पारस्परिक सुरक्षा के लिए एक-दूसरे को सहयोग प्रदान करेंगे।

(२) सन्धि में सम्मिलित कोई भी देश एक-दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा तथा आपसी झगड़ों का निपटारा संयुक्त राष्ट्रसंघ के घोषणा-पत्र के अनुसार शांतिपूर्ण ढंग से स्वयं कर लेगा।

(३) सन्धि में सम्मिलित राष्ट्र किसी भी ऐसी अन्तरराष्ट्रीय संस्था में सम्मिलित नहीं होंगे, जिनके उद्देश्यों का सामंजस्य इस सन्धि के उद्देश्यों के साथ नहीं है।

(४) इस सन्धि का द्वार अरब-लीग के किसी भी सदस्य-राष्ट्र तथा दूसरे राष्ट्र के लिए खुला हुआ है, जो इस क्षेत्र की सुरक्षा और शान्ति से सक्रिय रूप से सम्बद्ध रहे हैं तथा जिन्हें टर्की और इराक स्वीकार करें।

(५) इस समझौता की अवधि पाँच वर्ष की रहती है और आगामी पाँच वर्ष के लिए फिर बढ़ाई जा सकती है। कोई भी सदस्य-राष्ट्र उपर्युक्त अवधि की समाप्ति के ६ मास पूर्व अन्य सदस्य-राष्ट्रों को सूचना देकर सदस्यता से पृथक् हो सकता है।

त्रिदलीय सुरक्षा-संधि

१ सितम्बर, १९५१ ई०, को संयुक्तराज्य अमेरिका, अस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने मिलकर सानफ्रांसिस्को में एक सन्धि की, जिसके अनुसार किसी भी अन्तरराष्ट्रीय झगड़े को शांतिपूर्ण रीति से तय करने का निश्चय किया गया। यह भी निर्णय हुआ कि यदि प्रशान्त महासागर के तटवर्ती देशों में सन्धि के अन्तर्गत किसी भी पार्टी की क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतन्त्रता या सुरक्षा पर खतरा हो, तो उस सम्बन्ध में सम्मिलित रूप से विचार किया जाय। दलों ने यह भी तय किया कि वे किसी भी सशस्त्र आक्रमण को रोकने के लिए अपनी वैयक्तिक एवं सामूहिक शक्ति बढ़ायेंगे। साथ ही, यह भी निश्चित हुआ कि इस सन्धि को लागू करने के लिए एक परिषद् की स्थापना की जाय, जिसमें तीनों दलों के परराष्ट्र-मन्त्री या डिपुटी सम्मिलित हों। यह सन्धि अनिश्चित काल तक लागू रहेगी।

दक्षिण-पूर्व एशिया सामूहिक सुरक्षा-संधि

८ सितम्बर, १९५४ ई०, को अस्ट्रेलिया, फ्रांस, ग्रेट-ब्रिटेन, संयुक्तराज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलिपाइन और थाईलैंड के प्रतिनिधियों ने मिलकर मनिला (फिलिपाइन) में दक्षिण-पूर्व एशिया की सुरक्षा एवं आर्थिक साधनों के विकास के लिए उक्त सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर किये। इस सन्धि को अँगरेजी में 'साउथ-ईस्ट एशिया कलेक्टिव डिफेन्स ट्रिटी' कहते हैं। इसका दूसरा नाम 'साउथ-ईस्ट एशिया ट्रिटी ऑरगेनिजेशन' (S. E A. T. O.) है। इस सन्धि के अनुसार खड़े किये गये सैनिक और असैनिक सभी संगठनों के कार्यालय बैंकॉक (थाईलैंड) में हैं। वहीं इसकी कौंसिल की बैठकें भी हुआ करती हैं।

बांडुंग-सम्मेलन

सन् १९५५ ई० के १८ अप्रैल से २४ अप्रैल तक एशिया तथा अफ्रिका के ३० स्वतन्त्र राष्ट्रों का एक सम्मेलन बांडुंग (इण्डोनेशिया) में सम्पन्न हुआ। यह सम्मेलन ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्त्वपूर्ण माना जाता है। इस सम्मेलन की सफलता का श्रेय भारत, बर्मा, लंका, इण्डोनेशिया तथा पाकिस्तान की सरकारों को है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विश्व-

शांति एवं पारस्परिक मैत्री की भावना से आर्थिक तथा सांस्कृतिक सहयोग को प्रोत्साहित करना तथा उपनिवेशवाद का विरोध करना था। उक्त सम्मेलन में स्वीकृत प्रस्ताव की प्रमुख बातें निम्नांकित हैं—

१. उपनिवेशवाद की मनोवृत्ति का अन्त हो तथा जो लोग दूसरों द्वारा शासित, शोषित और दास बनाये गये हैं, उन्हें स्वतन्त्रता दी जाय।

२. 'पंचशील' के सिद्धान्तों का पालन हो।

३. विश्व के सभी देशों का निःशस्त्रीकरण किया जाय।

४. अणु-अस्त्रों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाया जाय।

५. संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा-परिषद् में एशिया तथा अफ्रिका देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाय और उन एशियाई एवं अफ्रिकी देशों को, जो अबतक संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य नहीं हैं, सदस्य बनाया जाय।

६. सभी देश पारस्परिक सहयोग के आधार पर एक-दूसरे को आर्थिक सहायता प्रदान करें।

अफ्रिका-एशिया समैक्य-सम्मेलन

अफ्रिका-एशिया समैक्य-सम्मेलन (अफ्रो-एशियन सॉलिडैरिटी कॉन्फ्रेन्स) का अधिवेशन अराजकीय स्तर पर काहिरा (मिस्र) में सन् १९५७ ई० के २६ दिसम्बर से सन् १९५८ ई० की १ जनवरी तक हुआ। इस सम्मेलन में दोनों महादेशों के अनेक देशों एवं औपनिवेशिक क्षेत्रों से ५०० प्रतिनिधि आये थे। कुछ राष्ट्रों ने इसका स्वरूप साम्यवादी समझकर इसमें अपना प्रतिनिधि भेजना अस्वीकार कर दिया। ये राष्ट्र थे—लाइबेरिया, पाकिस्तान, थाईलैंड, फिलिपाइन, दक्षिण-वीतनाम, मोरोक्को, मलाया, कम्बोडिया और लाओस। सोवियत-संघ से यहाँ २७ व्यक्तियों का एक प्रतिनिधि-मंडल आया था। इस सम्मेलन में कई प्रस्ताव पास किये गये—साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और जातिभेदवाद, ट्रस्टीशिप आदि की निन्दा की गई। केनिया, कैमेरून, युगाण्डा, मडागास्कर, सोमालीलैंड आदि देशों की स्वतन्त्रता एवं साइप्रस के आत्मनिर्णय की माँग की गई, उत्तर और दक्षिण कोरिया एवं उत्तर और दक्षिण वीतनाम को मिला देने का समर्थन किया गया, बगदाद-सन्धि और आइसन हॉवर-सिद्धान्त को अरब-राष्ट्रों की स्वतंत्रता का बाधक तथा इजराइल को साम्राज्यवाद का एक अड्डा कहा गया एवं राष्ट्रसंघ में साम्यवादी चीन और मंगोलिया को सम्मिलित करने पर जोर दिया गया। काहिरा में इस संगठन की एक स्थायी संस्था कायम करने का भी निश्चय हुआ। इस सम्मेलन का द्वितीय अधिवेशन अप्रैल, १९६० ई० में कोनाक्री में हुआ।

अफ्रिका-एशिया आर्थिक सम्मेलन

यह सम्मेलन १९५८ ई० के ८ से ११ दिसम्बर तक काहिरा (मिस्र) में हुआ, जिसमें अफ्रिका और एशिया के ३० देशों से व्यवसाय-मंडल के प्रतिनिधि आये थे। भारत भी इसमें सम्मिलित था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता मिस्र के महम्मद रशीद ने की। सम्मेलन ने दोनों महादेशों के आर्थिक सहयोग के लिए एक स्थायी संस्था—अफ्रिका-एशिया आर्थिक सहयोग-संगठन (अफ्रो-एशियन इकोनॉमिक को-ऑपरेशन ऑरगेनिजेशन)—की स्थापना की, जिसका तात्कालिक कार्यालय काहिरा में रखा गया। संगठन की एक परामर्शदात्री समिति बनाई गई, जिसमें

चीन, इथोपिया, घाना, इंडोनेशिया, भारत, इराक, गिनी, लीबिया, पाकिस्तान, सूडान और संयुक्त अरब-गणतंत्र के प्रतिनिधि रखे गये। संगठन की रूपरेखा तैयार करने का भार इसी समिति पर छोड़ा गया। सम्मेलन में दोनों महादेशों के उद्योग-धंधों और वाणिज्य-व्यवसाय की उन्नति के संबंध में कई दूसरे प्रस्ताव भी पास किये गये। इस सम्मेलन का द्वितीय अधिवेशन ३० अप्रैल, १९६० ई०, को काहिरा में हुआ।

अखिल अफ्रिकी जन-सम्मेलन

इस सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन १९५८ ई० के ८ से १३ दिसम्बर तक अकरा (घाना) में हुआ, जिसमें ५० राजनीतिक दलों, ट्रेड यूनियनों, छात्र-आन्दोलनों एवं अन्य संस्थाओं के २०० प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इस सम्मेलन में अफ्रिका के निम्नलिखित राष्ट्रों, उपनिवेशों तथा अन्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हुआ था—अलजीरिया, अंगोला, बासुटोलैंड, कैमेरून, दहोमी, इथोपिया, घाना, गीनी, केनिया, लाइबेरिया, लीबिया, मोरोक्को, नाइजीरिया, उत्तरी रोडेशिया, सियरालियोन, दक्षिण-रोडेशिया, टैंगनिका, टोगोलैंड, ट्युनिशिया, उगाण्डा, संयुक्त अरब-गणतंत्र और जंजीबार। केनिया के एक श्रमिक नेता टॉम मबोआ ने इसकी अध्यक्षता की। यद्यपि यह सम्मेलन अराजकीय संस्थाओं का था, तथापि दक्षिण-अफ्रिका और सूडान के अतिरिक्त सभी अफ्रिकी स्वतन्त्र राष्ट्रों के शासक दलों के प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित हुए थे। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था—अफ्रिका में अहिंसात्मक क्रांति लाने के लिए गांधीजी की पद्धति पर योजना तैयार करना और उसे काम में लाना। सम्मेलन में कई प्रस्ताव पास हुए। एक प्रस्ताव द्वारा संयुक्त राष्ट्रसंघ से अनुरोध किया गया कि वह साम्राज्यवादी राष्ट्रों से अनुरोध करे कि वे अफ्रिका से बिलकुल हट जायँ और शासन-सत्ता विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय जनता के मताधिकार से कायम हुई गणतन्त्रीय सरकार के हाथ में सौंप दें। अफ्रिका के स्वतन्त्र राष्ट्रों से अनुरोध किया गया कि वे अफ्रिका के परतन्त्र लोगों को साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध खड़े किये संघर्ष में हर तरह से सहायता पहुँचायें और दक्षिण-अफ्रिका आदि की रंग-भेद माननेवाली सरकारों से अपना राजदौत्य-सम्बन्ध विच्छिन्न कर लें, अलजीरिया की निष्कासित सरकार को मान्यता प्रदान करें और अफ्रिकी लोगों की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए एक अफ्रिकी स्वयंसेवक-दल तैयार करें।

एक दूसरे प्रस्ताव द्वारा स्वतन्त्र अफ्रिकी राष्ट्रों का एक मंडल (कॉमनवेल्थ) भी तैयार करने का निश्चय किया गया। समस्त अफ्रिकी राष्ट्रों को पाँच समूहों में विभक्त कर देने का विचार हुआ, जो एक अखिल अफ्रिकी मण्डल (कॉमनवेल्थ) में सम्मिलित रहेंगे। ये पाँच समूह होंगे—उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी और केन्द्रीय समूह।

अकरा-सम्मेलन

अफ्रिका के स्वतन्त्र राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन सन् १९५८ ई० के १५ से २२ अप्रैल तक अकरा (घाना) में हुआ। इसमें भाग लेनेवाले राष्ट्र थे—इथोपिया, घाना, लीबिया, लाइबेरिया, मोरोक्को, सूडान, ट्युनिशिया और संयुक्त अरब-गणराज्य। सम्मेलन का उद्घाटन घाना के प्रधान मंत्री डॉ० नक्रुमा ने किया था, जिसके निमंत्रण पर उपर्युक्त देशों के प्रतिनिधि एकत्र हुए थे। इस सम्मेलन का उद्देश्य था—सामान्य हितों के प्रश्न पर विचार-विनिमय करना, अफ्रिकी राष्ट्रों की स्वतंत्रता की रक्षा करना और उन्हें सुदृढ बनाना, औपनिवेशिक शासन के अधीन पड़े हुए राष्ट्रों को

सहायता पहुँचाने का रास्ता ढूँढ़ना, शान्ति-रक्षा के प्रश्नों पर विचार-विमर्श करना तथा विश्व के महान् राष्ट्रों से निःशस्त्रीकरण के लिए अपील करना, जिससे सभी राष्ट्र ध्वस्त होने से बच सकें। सम्मेलन में विविध विषयों पर प्रस्ताव पास किये गये। अफ्रिकी राष्ट्रों के बीच राजनीतिक आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग स्थापित करने तथा प्रतिवर्ष १५ अप्रैल को अफ्रिकी स्वतन्त्रता-दिवस मनाने का निश्चय किया गया। साम्राज्यवादी राष्ट्रों से अफ्रिकी उपनिवेशों को स्वतन्त्र करने का निश्चित समय बताने के लिए आग्रह हुआ, अलजीरिया के स्वातन्त्र्य-आन्दोलन का समर्थन किया गया, फ्रांसीसी कैमेरून पर शस्त्र-प्रयोग करने की निन्दा की गई एवं जाति भेद दूर करने, आणविक अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग बन्द करने तथा पैलेस्टाइन की समस्या को न्यायपूर्ण ढंग से हल करने की अपील की गई।

अटलांटिक घोषणा-पत्र

द्वितीय विश्व-महायुद्ध के दौरान में १४ अगस्त, १९४१ ई०, को ब्रिटेन के प्रधान मंत्री विन्सटन चर्चिल एवं अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अटलांटिक प्रदेश के किसी स्थान पर हुई बैठक के परिणाम-स्वरूप एक संयुक्त घोषणा-पत्र प्रकाशित किया था, जो 'अटलांटिक घोषणा-पत्र' (अटलांटिक चार्टर) के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस घोषणा-पत्र की प्रमुख शर्तें निम्नांकित थीं—

१. क्षेत्रीय या किसी अन्य प्रकार के प्रसार या विस्तार का अंत हो।

२. किसी भी क्षेत्र से सम्बद्ध जनता की प्रकट इच्छा के विना उस क्षेत्र में कोई परिवर्त्तन न किया जाय।

३. सभी लोगों को अपने इच्छानुसार अपनी सरकार का स्वरूप निश्चित करने का अधिकार रहे।

४. जिन राष्ट्रों को प्रभुसत्ता-सम्बन्धी अधिकारों एवं स्वशासन से बलपूर्वक वंचित कर दिया गया है, उन्हें वे लौटाये जायँ।

५. संसार के व्यापार एवं कच्चे माल तक सभी राष्ट्रों की पहुँच समानता के आधार पर हो।

६. आर्थिक क्षेत्र में सभी राष्ट्रों के बीच पूर्णतम सहयोग रहे।

७. नाजी जुल्म का अन्त कर निखिल विश्व में शान्ति की स्थापना की जाय।

८. ऐसे आक्रामक राष्ट्रों का निःशस्त्रीकरण हो, जो सामान्य सुरक्षा एवं विस्तृत तथा स्थायी व्यवस्था में बाधक हों, और ऐसे राष्ट्रों को प्रोत्साहन एवं सहायता दी जाय, जो शस्त्रीकरण के बोझ को हलका करने के लिए व्यावहारिक कदम उठा चुके हों।

कौमिनफार्म

कौमिनफार्म (कम्युनिस्ट इनफॉरमेशन ब्यूरो—साम्यवादी सूचना-विभाग) की स्थापना का निश्चय ४ अक्टूबर, १९४७ ई०, को पोलैण्ड की राजधानी वारसा में होनेवाली एक गुप्त बैठक में किया गया, जिसमें यूरोप के नौ देशों—सोवियत-संघ, पोलैण्ड, बलगेरिया, रुमानिया, युगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, इटली और फ्रांस—के साम्यवादी दलों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। 'कौमिनफार्म' कौमिण्टर्न (कम्युनिस्ट इंटरनेशनल) का दूसरा नाम है, जिसे २२ मई, १९४३ ई०, को कानूनी दृष्टि से विघटित कर दिया गया था। यह संस्था रूस के साम्यवादी दल का संबंध बाहर के साम्यवादी दलों के साथ स्थापित करती है। इसका प्रधान कार्यालय युगोस्लाविया में था, किन्तु वहाँ के राष्ट्रपति मार्शल टीटो का कौमिनफार्म के साथ मतभेद होने के कारण

युगोस्लाविया को कौमिनफार्म से अलग कर दिया और इस संस्था का कार्यालय सोवियत रूस ले जाया गया।

पश्चिमी यूरोपीय संघ

१७ मार्च, १९४८ ई० को ग्रेट-ब्रिटेन, फ्रांस, नेदरलैण्ड, बेल्जियम और लक्जेम्बर्ग के परराष्ट्र-मन्त्रियों ने ब्रुसेल्स (बेल्जियम) में एकत्र होकर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों में एक साथ काम करने तथा सामूहिक आत्मरक्षा के लिए एक पचासवर्षीय सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर किये, जिसे 'ब्रुसेल्स-सन्धि' कहते हैं। इस सन्धि के अनुसार पश्चिमी यूरोपीय संघ (वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन) कायम किया गया। पीछे पश्चिमी जर्मनी और इटली भी इस संघ में सम्मिलित हुए। इस संघ का बाजाप्ता उद्घाटन ६ मई, १९५५ ई०, को किया गया। संघ की कौंसिल में उक्त सात राष्ट्रों के परराष्ट्रमन्त्री या उनके प्रतिनिधि रहते हैं। युद्ध-उपकरणों के नियंत्रण के लिए पेरिस में इसका एक अभिकरण तथा एक स्थायी युद्ध-उपकरण-समिति बनाई गई है। इसके अन्तर्गत कई सामाजिक तथा सांस्कृतिक संस्थाएँ कार्य कर रही थीं। १ जून, १९६० ई० को इसके सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्य यूरोपीय कौंसिल (कौंसिल ऑफ् यूरोप) को सुपुर्द किये गये। इसका कार्यालय ६, ग्रॉसवेनोर प्लेस, लन्दन (एस० डब्ल्यू० आई०) में है। इसके वर्त्तमान महासचिव लुई गॉफिन हैं।

आर्थिक सहयोग और विकास-संगठन

द्वितीय विश्व-महायुद्ध के बाद यूरोपीय राष्ट्रों की बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति में सुधार लाने तथा मार्शल-योजना के अन्तर्गत अमेरिकी सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से १६, अप्रैल, १९४८ ई०, को पश्चिमी यूरोप के ब्रिटेन, फ्रांस आदि १७ राष्ट्रों ने पेरिस में एक बैठक बुलाकर यूरोपीय आर्थिक सहयोग-संगठन (ऑरगेनिजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन : O. E. E. C.) का निर्माण किया। सन् १९५० ई० में संयुक्तराज्य अमेरिका और कनाडा ने पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के सम्मिलित स्वार्थ से संबद्ध आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए संगठन को सहयोग देना स्वीकार किया। सन् १९५९ ई० में स्पेन भी संगठन-सदस्य बना। खाद्य एवं कृषि-संबंधी कार्यों में युगोस्लाविया को भी सदस्यता प्राप्त हुई। आरम्भिक काल में इस संगठन के दो प्रमुख उद्देश्य थे—सदस्य-राष्ट्रों के बीच पारस्परिक सहयोग की वृद्धि तथा संयुक्तराज्य अमेरिका को साहाय्य-कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सहायता देना। जून, १९५२ ई० में मार्शल-योजना के अंतर्गत दी जानेवाली सहायता का काम पूरा हो चुका, किंतु संगठन के सदस्य-राष्ट्रों द्वारा विभिन्न आर्थिक समस्याओं के संबंध में विचार-विमर्श का काम जारी रहा। सन् १९५२ ई० के बाद से यूरोपीय आर्थिक सहयोग-संगठन ने व्यापार, उत्पादन-वृद्धि तथा अणु-शक्ति के शांतिपूर्ण प्रयोग के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कार्य किये।

सन् १९६० ई० में संयुक्तराज्य अमेरिका और कनाडा को इस संस्था में सम्मिलित करने के लिए इस संस्था का पुनर्गठन कर इसका नाम **आर्थिक सहयोग और विकास-संगठन**—'ऑरगेनिजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऐण्ड डेवलपमेंट' (O. E. C. D.)—रखा गया। ३० सितम्बर, १९६१ ई० को यूरोपीय आर्थिक सहयोग-संगठन को विधिवत् समाप्त कर दिया गया तथा इसका स्थान उक्त आर्थिक सहयोग और विकास-संगठन ने लिया। इसके वर्त्तमान सदस्यों में

अस्ट्रिया, बेलजियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आइसलैंड, आयरिश रिपब्लिक, इटली, लक्जेमबर्ग, नेदरलैंड, नॉरवे, पुर्त्तगाल, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, टर्की, ग्रेट-ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। फिनलैंड, युगोस्लाविया और जापान को संगठन के कार्यक्रमों में विशेष स्थान दिया गया है। इसके कार्य-संचालन के लिए एक कौंसिल तथा एक कार्य-समिति हैं। कौंसिल में सभी सदस्य-राष्ट्रों के प्रतिनिधि रहते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न उद्देश्यों की पूर्त्ति के लिए कई संस्थाएँ कार्य कर रही हैं। इसका प्रधान कार्यालय पेरिस में है। इसकी कौंसिल के अध्यक्ष-पद पर कनाडा के श्रीडोनाल्ड फ्लेमिंग हैं। इसके वर्त्तमान महासचिव थॉरकिल क्रिस्टेन्सेन (डेनमार्क) हैं।

यूरोपीय कौंसिल

यूरोपीय कौंसिल (कौंसिल ऑफ यूरोप) की स्थापना ५ मई, १९४९ ई०, को हुई। पहले ब्रिटेन, फ्रांस, बेलजियम, डेनमार्क, आयरलैंड, इटली, लक्जेम्बर्ग, नेदरलैंड, नॉरवे और स्वीडन इसके सदस्य थे। ९ अगस्त, १९४९ ई०, को टर्की और ग्रीस तथा ७ मार्च, १९५० ई०, को आइसलैंड भी इसके सदस्य हुए। १३ मई, १९५० ई०, को सारलैंड तथा १३ जुलाई, १९५० ई०, को पश्चिमी जर्मनी इसके एसोसिएट मेम्बर बने। २ मई, १९५१ ई०, को पश्चिमी जर्मनी तथा १६ अप्रैल, १९५६ ई०, को आस्ट्रिया इसके पूर्ण सदस्य हुए। १ जनवरी, १९५७ ई०, को जर्मनी में मिल जाने के फलस्वरूप सारलैंड की सदस्यता रद्द कर दी गई। मई, १९६१ ई० में साइप्रस इसका सदस्य बना। इसका उद्देश्य अपने सामान्य आदर्शों और सिद्धान्तों की सुरक्षा के निमित्त सदस्यों के बीच अधिकतर एकता कायम करना तथा आर्थिक और सामाजिक प्रगति को प्रोत्साहन देना है। इसकी एक मन्त्रिपरिषद् (कमिटी ऑफ मिनिस्टर्स) और एक परामर्शदात्री सभा (कनसल्टेटिव असेम्बली) हैं। इसका कार्यालय स्ट्रॉसबर्ग (फ्रांस) में है। इसके प्रधान सचिव लोडोविको बेनवेनुटी हैं।

उत्तर-अटलाण्टिक संधि-संगठन

उत्तर-अटलाण्टिक संधि-संगठन (नॉर्थ अटलाण्टिक ट्रिटी ऑरगेनिजेशन : N. A. T. O.)—यह संयुक्तराज्य अमेरिका, कनाडा तथा यूरोप के कुछ राष्ट्रों का संगठन है, जिसका मुख्य उद्देश्य है—रूस या अन्य साम्यवादी राष्ट्रों के आक्रमण करने पर व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से अपनी रक्षा करना; संयुक्त राष्ट्रसंघ के घोषणा-पत्र के अनुसार आपसी झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से निबटाना, जिससे अन्तरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा तथा न्याय पर कोई खतरा नहीं आने पाये; अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक नीति-संबंधी विवाद को दूर करना तथा पारस्परिक आर्थिक सहायता को प्रोत्साहन देना आदि। संगठन की शर्त्तों पर ४ अप्रैल, १९४९ ई० को वाशिंगटन में संयुक्तराज्य अमेरिका, ग्रेट-ब्रिटेन कनाडा, फ्रांस, बेलजियम, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, लक्जेम्बर्ग, नेदरलैंड, और नॉरवे के परराष्ट्र-मन्त्रियों ने हस्ताक्षर किये। ९ फरवरी, १९५२ ई० को ग्रीस और टर्की तथा मई, १९५५ ई० में पश्चिमी जर्मनी भी इस संगठन के अन्दर आ गये। इस संगठन की एक कौंसिल है, जिसमें सभी सदस्य-राष्ट्रों के स्थायी प्रतिनिधि रहते हैं। इसके वर्त्तमान महासचिव डॉ० डर्क स्टिकर (अप्रैल, १९६१ ई० से) हैं। इसका प्रधान कार्यालय पेरिस (फ्रांस) में है। इसकी अपनी एक सेना भी है।

लंदन में १६५६ ई० के ५ जून से १० जून तक उत्तर-अटलांटिक संधि-संगठन का १८वाँ वार्षिक सम्मेलन हुआ, जिसमें अगले १० वर्षों के कार्यक्रम पर विचार किया गया। सम्मेलन में विचारार्थ मुख्य विषय थे—राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में 'नाटो'-देशों के आपसी सम्बन्ध; उन देशों के साथ सम्बन्ध, जो संगठन में सम्मिलित नहीं हैं तथा साम्यवादी गुट के देशों के साथ सम्बन्ध। सम्मेलन में कई सामरिक तथा अन्तराष्ट्रीय समस्याओं पर विचार-विमर्श हुए। संगठन में सम्मिलित राष्ट्रों के लिए एक न्यायालय की स्थापना का भी सुझाव रखा गया। अक्टूबर, १६६२ ई० में उत्तर अटलांटिक संधि-संगठन के सदस्य-राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई, जिसमें इसकी सैन्य-शक्ति को और भी सुदृढ बनाने का निश्चय किया गया।

वारसा-सन्धि

वारसा-सन्धि (वारसा-पैक्ट) सोवियत रूस तथा अन्य सात साम्यवादी राष्ट्रों—अलबानिया, बलगेरिया, हंगरी, पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, रुमानिया और चेकोस्लोवाकिया—द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य पश्चिमी राष्ट्रों के उत्तर-अटलांटिक संधि-संगठन के मुकाबले का एक संस्था कायम करना था। रूस ने पहले उत्तर-अटलांटिक संधि-संगठन-निर्माण को ही रोकने की चेष्टा की थी, किन्तु इस कार्य में सफल न होने पर उसके मुकाबले दूसरी संस्था खड़ी करने के सम्बन्ध में मार्च, १६५१ ई० से ही साम्यवादी राष्ट्रों में विचार-विमर्श होने लगा। दिसम्बर, १६५४ ई० में मास्को में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें साम्यवादी राष्ट्रों ने निश्चय किया कि यदि पश्चिमी जर्मनी के पुनः शस्त्रीकरण का प्रयत्न किया जायगा, तो यूरोप के साम्यवादी राष्ट्र भी आपस में एक संधि करेंगे। फलस्वरूप, इन राष्ट्रों ने १४ मई, १६५५ ई०, को वारसा (पोलैंड) में शान्ति और सुरक्षा तथा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग के निमित्त एक सन्धि की। इसके अनुसार उपर्युक्त कार्य-संचालन के लिए आठ राष्ट्रों की एक राजनीतिक परामर्शदात्री समिति और एक संयुक्त सैनिक कमांड संगठित हुए। इस संधि के अधिनियम प्रायः वे ही हैं, जो उत्तर-अटलांटिक संधि-संगठन के हैं। राजनीतिक परामर्शदात्री समिति का महासचिव इसका कार्य-संचालन करता है। सन् १६५६ ई० में इसके सदस्य-राष्ट्रों के प्रतिनिधियों द्वारा मास्को में एक संयुक्त सचिवालय स्थापित किया गया। अंतरराष्ट्रीय नीति का लगातार अध्ययन कर परराष्ट्र-नीति-संबंधी अभिस्ताव करने के लिए सन् १६५६ ई० के अंत में एक स्थायी आयोग भी गठित किया गया। यह संधि २० वर्षों तक कायम रहेगी। इसका प्रधान कार्यालय मास्को (रूस) में रखा गया है।

यूरोपीय समुदाय

पश्चिमी यूरोप के छह राष्ट्रों—बेलजियम, फ्रांस, फेडरल जर्मनी; लक्जेम्बर्ग इटली और नेदरलैंड—ने अपने देशों की प्रगतिशील आर्थिक अखंडता कायम करने के उद्देश्य से तीन समुदायों की स्थापना की है तथा इन्हें अपनी वृहत्तर राजनीतिक एकता का साधन बनाया है। ये तीन समुदाय हैं—(१) यूरोपीय कोयला एवं इस्पात-समुदाय, (२) यूरोपीय आर्थिक समुदाय और (३) यूरोपीय आणविक शक्ति-समुदाय। इन तीनों समुदायों की दो सम्मिलित संस्थाएँ हैं—क. यूरोपीय पार्लियामेंट और ख. न्यायाधिकरण (कोर्ट ऑफ जस्टिस)।

यूरोपीय पार्लियामेंट में उपर्युक्त छह देशों से १४२ सदस्य लिये जाते हैं। उक्त तीन समुदायों के वार्षिक आय-व्ययक तथा अन्य विषयों पर प्रतिवर्ष इससे परामर्श किया जाता है।

इसकी बैठकें स्ट्रॉसवर्ग (अस्ट्रिया) में वर्ष में कई वार होती हैं। इसके वर्त्तमान अध्यक्ष जर्मनी के हैन्स फर्लर हैं। इसका कार्यालय लक्जेम्वर्ग में है।

न्यायाधिकरण के सात न्यायाधीश होते हैं, जिनका काम तीनों समुदाय-सम्बन्धी सन्धियों को लागू करने विषयक विवादों को सुलझाना है। इसके वर्त्तमान अध्यक्ष नेदरलैंड के ए० एम्० डोनर हैं।

यूरोपीय कोयला एवं इस्पात-समुदाय

सन् १९५१ ई० के १८ अप्रैल को उपर्युक्त छह राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने पेरिस में एक सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर किया। इसके अनुसार १० अगस्त, १९५२ ई० को यूरोपीय कोयला एवं इस्पात-समुदाय (यूरोपियन कोल ऐण्ड स्टील कम्युनिटी : E. C. S. C.) नामक संस्था का जन्म हुआ। इसका काम है—सदस्य-राष्ट्रों के बीच कोयला और इस्पात के व्यवसाय को सुचारु रूप से चलाना। इस समुदाय द्वारा पश्चिमी यूरोप के देशों के बीच कोयले तथा इस्पात के उद्योग में होनेवाली प्रतिस्पर्द्धा को दूर कर एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है। सदस्य-राष्ट्रों के लिए एक सम्मिलित बाजार की व्यवस्था की गई है। उक्त वस्तुओं पर लगनेवाले कई प्रकार के व्यावसायिक कर उठा दिये गये हैं तथा भेदपूर्ण नीति का वहिष्कार किया गया है। समुदाय के अन्तर्गत उच्च अधिकारी (हाइ ऑथोरिटी), परामर्शदात्री समिति (कन्सल्टेटिव कमिटी) और मन्त्रिपरिषद् (कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स) हैं। इसका कार्यालय लक्जेम्वर्ग में है।

इधर अस्ट्रिया, डेनमार्क, जापान, नॉरवे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ग्रेट-ब्रिटेन तथा संयुक्त-राज्य अमेरिका ने भी समुदाय के लिए अपने प्रतिनिधि-मण्डल नियुक्त किये हैं। २१ दिसम्बर, १९५४ ई०, को ब्रिटेन, समुदाय के उच्चाधिकारी तथा सदस्य-राष्ट्रों की सरकारों के बीच समझौता हुआ, जिसके अनुसार 'स्टैंडिंग कौंसिल ऑफ एसोसिएशन' की स्थापना की गई। मार्च, १९६० ई० में इस सन्धि में कुछ संशोधन किया गया। जनवरी, १९६१ ई० में सदस्य-राष्ट्रों की शक्ति-संबंधी नीति में एकरूपता लाने का प्रस्ताव लाया गया। इसके उच्चाधिकारी के वर्त्तमान अध्यक्ष इटली के पीरो मालवेस्टीटी हैं।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय

उक्त छह राष्ट्रों ने २५ मार्च, १९५७ ई०, को रोम की एक बैठक में कोयला और इस्पात के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं का भी एक साझा बाजार (कॉमन मार्केट) कायम करने, आर्थिक ऐक्य स्थापित करने, व्यावसायिक नीति के एकीकरण आदि के उद्देश्य से सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिसके फलस्वरूप १ जनवरी, १९५८ ई०, को यूरोपीय आर्थिक समुदाय (यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी : E. E. C.) नामक संस्था की नींव पड़ी। मार्च, १९६१ ई० में ग्रीस इस समुदाय में सम्मिलित हुआ। इसका दूसरा नाम 'रोम-सन्धि' है। इसके अन्दर मन्त्रिपरिषद् (कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स), यूरोपियन कमीशन एवं आर्थिक और सामाजिक समिति हैं। कमीशन के के वर्त्तमान अध्यक्ष जर्मनी के वाल्टर हैल्स्टीन हैं।

यूरोपीय आणविक शक्ति-समुदाय

यूरोपीय आणविक शक्ति-समुदाय (यूरोपियन एटोमिक इनर्जी कम्युनिटी : EURATOM)—नामक संस्था के संगठन के लिए उपर्युक्त छह राष्ट्रों ने २५ मार्च, १९५७ ई० को रोम

में एक सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर किया। तदनुसार, १ जनवरी, १९५८ ई०, को इस संस्था का जन्म हुआ। यह संस्था आणविक शक्ति के सम्बन्ध में कार्य करती है। सदस्य-राष्ट्रों में पाये जानेवाले यूरेनियम, थोरियम या प्लूटोनियम पर समुदाय का प्राथमिक अधिकार होता है और वही बिना किसी भेद-भाव के इनका वितरण अणु-शक्ति-प्रतिष्ठानों के बीच करता है। इसका कार्य-संचालन ५ सदस्यों के एक कमीशन द्वारा होता है, जिसको परामर्श देने के लिए दो समितियाँ हैं—१. वैज्ञानिक तथा तकनीकी समिति और २. आर्थिक एवं सामाजिक समिति। इस समुदाय का संक्षिप्त नाम 'यूरेटम' है। इस समुदाय को सन् १९५८ ई० से संयुक्तराज्य अमेरिका का तथा १९५९ ई० से कनाडा और ग्रेट-ब्रिटेन का किसी-न-किसी रूप में सहयोग प्राप्त है।

सन् १९६१ ई० में समुदाय के इस्प्रा (इटली), मोल (बेलजियम), पेटेन (नेदरलैंड) और कार्लसहो (जर्मनी) स्थित अनुसंधान-केन्द्रों में अनुसन्धान-प्रयास को तीव्र किया गया तथा १५४ निजी व्यवसाय-प्रतिष्ठानों के साथ, अन्य चीजों के अतिरिक्त जलपोत चलाने में अणु-शक्ति के प्रयोग-सम्बन्धी संविदाएँ उक्त वर्ष के अन्त तक हस्ताक्षरित हुईं। समुदाय के सदस्य-राष्ट्रों में आणविक उद्योगों को विकसित करने के उद्देश्य से अनेक आणविक रिएक्टर-परियोजनाओं के सहायतार्थ ३ करोड़ २० लाख डालर दिये गये।

अमरिकी राष्ट्रों का संगठन

अमेरिकी राष्ट्रों का प्रथम अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन १४ अप्रैल, १८९० ई०, को वाशिंगटन में हुआ। इसमें अमेरिकी गणतंत्रों का एक अन्तरराष्ट्रीय संघ कायम किया गया। इसका उद्देश्य पश्चिमी गोलार्द्ध के राष्ट्रों के बीच पारस्परिक सद्भावना और सहयोग स्थापित करना है। बाद के सम्मेलनों ने इसके कार्य-क्षेत्र को और भी विस्तृत कर दिया है। इस समय २१ अमेरिकी गणतन्त्र राष्ट्र समानता के आधार पर इसके सदस्य हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं—अर्जेण्टिना, बोलिविया, ब्राजिल, चिली, कोलम्बिया, कोस्टारिका, क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिक, इक्वेडर, इलसालवेडर, गुआटेमाला, हैटी, होण्डुरास, मेक्सिको, निकारागुआ, पनामा, पारागुए, पेरू, संयुक्तराज्य अमेरिका, उरुगुए और वेनेजुएला। इस संस्था के कार्य इसके विभिन्न अंगों द्वारा सम्पादित होते हैं। अंग ये हैं—१. अन्तःअमेरिकी सम्मेलन, २. पराष्ट्रमंत्रियों का परामर्श-सम्मेलन, ३. कौंसिल, ४. अखिल अमेरिकी संघ, ५. विशेष सम्मेलन और ६. विभिन्न विषयक संगठन। इसका प्रधान कार्यालय वाशिंगटन में है और इसके प्रधान सचिव उरुगुए के जोसे ए० मोरा हैं।

राओ-संधि

अगस्त, सन् १९४७ ई० में उत्तर और दक्षिण अमेरिका के कुल २१ स्वतन्त्र राष्ट्रों ने राओ-डि-जेनीरो नामक स्थान में एक सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिसे राओ-सन्धि कहते हैं। इस सन्धि के अनुसार इन राष्ट्रों में से किसी एक राष्ट्र पर भी आक्रमण होने पर शेष सभी राष्ट्रों को अधिकार हो जाता है कि आह्वान किये जाने पर वे उसकी रक्षा करें।

संयुक्तराज्य अन्तरराष्ट्रीय सहयोग-प्रशासन

संयुक्तराज्य अन्तरराष्ट्रीय सहयोग-प्रशासन (युनाइटेड स्टेट्स इण्टरनेशनल को-ऑपरेशन ऐडमिनिस्ट्रेशन : I. C. A.) नामक संयुक्तराज्य अमेरिका की यह संस्था पराष्ट्र-सम्बन्धी आर्थिक

और प्राविधिक साहाय्य-कार्यक्रम की व्यवस्था करती है। पहले इस काम को अमेरिका की तीन संस्थाएँ करती थीं। उन सबको बन्द कर यह संस्था स्वराष्ट्र-विभाग के अन्तर्गत एक अर्द्ध स्वतन्त्र संस्था के रूप में स्थापित की गई। द्वितीय महासमर के समय से सन् १६५७ ई० के आर्थिक वर्ष तक अमेरिका ने ६० विभिन्न देशों को इसके द्वारा आर्थिक सहायता पहुँचाई है। इस संस्था के डायरेक्टर जेम्स डब्ल्यू० रिड्लवर्गर हैं।

विश्व-चर्च-परिषद्

विश्व-चर्च-परिषद् (वर्ल्ड कौंसिल ऑफ् चर्चेज) का वाजाप्ता संगठन २३ अगस्त, सन् १६४८ ई०, को एम्सटरडम (नेदरलैंड)-सम्मेलन में किया गया, जिसमें ४४ देशों के १४७ चर्चों के प्रतिनिधि एकत्र हुए थे। दूसरा सम्मेलन सन् १६५४ ई० के अगस्त में इवान्सटॉव (अमेरिका) में हुआ। इस सम्मेलन में १६३ सदस्य-चर्चों के प्रतिनिधि आये थे। अप्रैल, सन् १६५६ ई० तक सदस्य-चर्चों की संख्या १६७ हुई। इसका तीसरा सम्मेलन नई दिल्ली में नवम्बर-दिसम्बर, १६६१ ई० में हुआ। इसके कार्यों की देखरेख के लिए एक पंचक (प्रेजिडियम) तथा एक केन्द्रीय समिति है। सन् १६६२ ई० से केन्द्रीय समिति का कार्य चार डिविजनों में बाँट दिया गया है। परिषद् का प्रधान कार्यालय जेनेवा (स्विट्जरलैंड) में है। इसके प्रधान सचिव हैं— डॉ० डब्ल्यू० ए० विसर्ट हूफ्ट। परिषद् का कार्य कई भागों में विभक्त है।

सर्वप्रथम ईसाई मिशनों का एक विश्व-सम्मेलन विदेशों में होनेवाले मिशनरियों के कार्यों में सहयोग स्थापित करने के लिए सन् १६१० ई० में एडिनबरा (ग्रेट-ब्रिटेन) में हुआ था। सन् १६२१ ई० में एक इण्टरनेशनल मिशनरी कौंसिल बनी। इस कौंसिल ने सन् १६२८ ई० में जेरूसेलम में, सन् १६३८-३६ ई० में ताम्बरम् (मद्रास) में, सन् १६५२ ई० में विलिगेन (जर्मनी) में तथा सन् १६५७-५८ ई० में घाना (अफ्रिका) में सम्मेलन बुलाये। ईसाई धर्म-सम्बन्धी विश्वासों और व्यवस्थाओं पर विचार करने के लिए सन् १६२७ ई०, १६३७ ई० और १६५२ ई० में विश्वसम्मेलन किये गये। तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं से सम्बन्ध रखनेवाले प्रश्नों पर विचार करने के लिए सन् १६२५ ई० (स्टॉकहॉम) और १६३७ ई० (ऑक्सफोर्ड) में सम्मेलन बुलाये गये। विश्व-चर्च-परिषद् की रूपरेखा तैयार करने के लिए सन् १६३८ ई० में ही एक समिति बनाई गई थी। इसी रूपरेखा के आधार पर सन् १६४८ ई० में विश्व चर्च-परिषद् नामक स्थायी संस्था की स्थापना हुई।

यूरोपीय स्वतंत्र व्यापार-पर्षद्

सन् १६५८ ई० में यूरोपीय आर्थिक समुदाय (यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी) से बाहर के ११ राष्ट्रों ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय से संयुक्त कर यूरोपीय स्वतंत्र व्यापार-क्षेत्र के निर्माण का प्रयास किया था, जो विफल रहा। फलस्वरूप २० नवम्बर, १६५६ ई० को स्टॉकहॉम में एक समझौता-पत्र पर हस्ताक्षर कर यूरोप के सात राष्ट्रों ने यूरोपीय स्वतंत्र व्यापार-पर्षद् (यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन : E. F. T. A.) को जन्म दिया। वे सात राष्ट्र थे ब्रिटेन, अस्ट्रिया, डेनमार्क, नॉरवे, पुर्त्तगाल, स्वीडन और स्विट्जरलैंड। २७ मार्च, १६६१ ई०, को फिनलैंड भी इसमें

सम्मिलित हुआ। इसका उद्देश्य सदस्य-राष्ट्रों के बीच होनेवाले व्यापार की कठिनाइयों को दूर कर विभिन्न प्रकार के औद्योगिक उत्पादनों पर लगनेवाले आन्तरिक करों में क्रमशः कमी करना तथा उन्हें उठाना है। इसके योजनानुसार सन् १९७० ई० तक सभी आयात-कर तथा वाणिज्य-प्रशुल्क उठाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके कार्य-संचालन के लिए इसकी एक मंत्रिपरिषद् है। यह पर्षद् समस्त पश्चिमी यूरोप को एक ही आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत लाना चाहती है। इसका प्रधान कार्यालय जिनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में है। इसके वर्त्तमान महासचिव ग्रेट-ब्रिटेन के एफ० ई० फिगुरस हैं।

अण्टार्कटिक (दक्षिणी ध्रुव-प्रदेश)-सन्धि

सन् १९५७-५८ ई० के अन्तरराष्ट्रीय भू-भौतिक वर्ष में संसार के जिन १२ प्रमुख राष्ट्रों ने अण्टार्कटिक महादेश-सम्बन्धी अन्वेषण-कार्यक्रम में भाग लिया था, उनके प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन १५ अक्टूबर, १९५९ ई० से वाशिंगटन में प्रारम्भ हुआ। सम्मेलन का उद्देश्य अण्टार्कटिक महादेश को शान्ति का क्षेत्र बनाये रखने के लिए विचार-विमर्श कर एक सन्धि करना था। उक्त सम्मेलन में सम्मिलित होनेवाले राष्ट्र थे—ग्रेट-ब्रिटेन, संयुक्तराज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस, अस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रिका, अर्जेण्टाइना, चिली, बेलजियम, जापान और नॉरवे। इन १२ राष्ट्रों ने सात सप्ताह तक विचार-विमर्श करने के बाद १ दिसम्बर, १९५९ ई०, को एक सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर किये। सन्धि की शर्तों के अनुसार निर्णय किया गया कि अण्टार्कटिक महादेश का उपयोग सदा शान्तिपूर्ण वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिए किया जाय। महादेश के ५० लाख वर्ग-मील के क्षेत्र में सैनिक शस्त्रास्त्रों, आणविक विस्फोट एवं तेजक्रिय पदार्थों के क्षेपण पर रोक लगाई गई। यह भी निश्चय किया गया कि किसी भी राष्ट्र द्वारा उसके वर्त्तमान क्षेत्रीय अधिकार में वृद्धि नहीं की जा सकती। सभी हस्ताक्षरी राष्ट्रों को महादेश के समस्त क्षेत्र में अपने पर्यवेक्षक भेजने की स्वतंत्रता रहेगी तथा वायवीय निरीक्षण-पर्यवेक्षण-कार्य किसी भी समय किया जा सकेगा। यह सन्धि ६०° द० अक्षांश से दक्षिण के क्षेत्रों पर ही लागू होगी। सन्धि की शर्तों से सम्बद्ध किसी भी प्रकार का विवाद उपस्थित होने पर इसमें सम्मिलित राष्ट्र आपस में विचार-विमर्श कर उसका निबटारा करेंगे। उपर्युक्त १२ राष्ट्रों की सहमति से संयुक्त राष्ट्रसंघ के किसी भी सदस्य-राष्ट्र को इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। ३० वर्षों के बाद कोई भी सदस्य-राष्ट्र एक सम्मेलन बुलाकर बहुमत द्वारा सन्धि की शर्तों में परिवर्त्तन ला सकेगा।

अन्तरराष्ट्रीय श्रमिक-संघवाद

अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य करनेवाले श्रमिक-संघों में तीन संघ प्रमुख हैं। जिनके विवरण नीचे दिये जा रहे हैं—

१. स्वतंत्र श्रमिक-संघों का अन्तरराष्ट्रीय प्रसंधान (इण्टरनेशनल कनफेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन्स : I.C.F.T.U)—गणतांत्रिक देशों का यह प्रसंधान सन् १९१३ ई० में संगठित हुआ था। इसका प्रथम सम्मेलन सन् १९४९ ई० के दिसम्बर माह में लन्दन में हुआ था। इसका अधिवेशन प्रति तीन वर्ष पर हुआ करता है। सन् १९६१ ई० में १०७ देशों के अन्तर्गत इसके ५ करोड़ ६० लाख सदस्य थे। इसके क्षेत्रीय संगठन यूरोप, अमेरिका, एशिया और

अफ्रिका में हैं। एशिया-क्षेत्र का प्रधान कार्यालय ब्रुसेल्स (बेलजियम) में है। इसके वर्त्तमान महासचिव बेलजियम के ओ० वेकू हैं।

२. श्रमिक-संघों का विश्व-संघ (वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन : W. F. T. U.)—विश्व के ५० साम्यवादी और असाम्यवादी देशों के श्रमिक-संघों को मिलाकर इस विश्व-संघ की स्थापना ३ अक्टूबर, १९४५ ई०, को हुई थी। जर्मनी और जापान जैसे प्रमुख देश इसमें सम्मिलित नहीं थे। जब इसपर पूर्ण साम्यवादी नियंत्रण हो गया, तब जनवरी, १९४१ ई० में ग्रेट-ब्रिटेन, संयुक्तराज्य अमेरिका और नेदरलैंड के सभी श्रमिक-संघ इससे अलग हो गये। जून, १९५१ ई० तक सभी असाम्यवादी देशों ने इससे अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया। युगोस्लाविया के इससे अलग हो गया। इसका अधिवेशन हर चौथे वर्ष हुआ करता है। दिसम्बर, १९६१ ई० में हुई मास्को-काँगरेस में इसके सदस्यों की संख्या १० करोड़ ७० लाख बताई गई। इसका प्रधान कार्यालय प्राग (चेकोस्लोवाकिया) में है। इसके वर्त्तमान महासचिव फ्रांस के लुई सैलाएट हैं।

३. ईसाई श्रमिक-संघों का अन्तरराष्ट्रीय संघ (इण्टरनेशनल फेडरेशन ऑफ क्रिश्चियन ट्रेड यूनियन्स : I. F. C. T. U.)—इसकी स्थापना सन् १९२० ई० में हुई थी। सन् १९५९ ई० के अन्त में ४६ देशों के अन्तर्गत इसके ५० लाख सदस्य थे। यूरोप, लैटिन अमेरिका और अफ्रिका में इसके क्षेत्रीय संगठन हैं। इसका अधिवेशन हर तीसरे वर्ष हुआ करता है। इसका प्रधान कार्यालय ब्रुसेल्स (बेलजियम) में है। इसके वर्त्तमान महासचिव बेलजियम के ऑगस्ट वेनिस्टेण्डेल हैं।

उपर्युक्त अन्तरराष्ट्रीय श्रमिक संघों के अतिरिक्त विभिन्न उद्योग-धंधों के भी अपने-अपने श्रमिक-संघ हैं।

तटस्थ राष्ट्रों का सम्मेलन

१ सितम्बर, १९६१ ई०, को युगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में संसार के २४ तटस्थ राष्ट्रों का सम्मेलन आरम्भ हुआ। सन् १९५५ ई० के अप्रैल में बांडुंग में जो ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ था, उसके बाद यह दूसरा सम्मेलन था। बांडुंग-सम्मेलन में केवल एशिया और अफ्रिका के राष्ट्रों ने भाग लिया था। किन्तु, बेलग्रेड के तटस्थ राष्ट्र-सम्मेलन में सारे संसार के तटस्थ राष्ट्रों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे। भारत का अंशदान इस सम्मेलन में महत्त्वपूर्ण था। प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने केवल भारत के प्रतिनिधि के रूप में ही नहीं; बल्कि विश्वशान्ति के भी एक महान् नेता के रूप में तटस्थ राष्ट्र-सम्मेलन की कार्य-प्रणाली का निर्देशन किया। उन्होंने कहा कि युद्ध और शान्ति का प्रश्न भी सम्मेलन के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है। सम्मेलन के सामने मुख्य विचारणीय विषय थे—(१) अन्तरराष्ट्रीय परिस्थिति के सम्बन्ध में विचार-विनिमय; (२) अन्तरराष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा की स्थापना और दृढ़ीकरण; (३) आर्थिक उन्नयन और अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग में वृद्धि। सम्मेलन में निरपेक्ष राष्ट्रों ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव इस आशय का पारित किया कि विश्व-उत्तेजना की शान्ति एवं विश्व में स्थायी शान्ति-स्थापना के हेतु वे वर्त्तमान जगत् के दो महान् राष्ट्रनायक श्रीखुश्चेव और श्रीकेनेडी से आवेदन करते हैं। आवेदन-पत्र रूस और अमेरिका के राजदूतों द्वारा भेजे जाने का निश्चय किया गया। यह भी निश्चय हुआ कि एकाधिक तटस्थ राष्ट्रों के कर्णधार इस कार्य के लिए मास्को और वाशिंगटन की यात्रा करेंगे।

लागोस-सम्मेलन

पश्चिमी अफ्रिका के गिनी-उपसागर के तट पर अवस्थित नाइजीरिया देश के एक शहर लागोस में जनवरी, १९६२ ई० के अन्तिम सप्ताह में अफ्रिका के २० राज्यों का एक प्रतिनिधि-सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में जो सब राज्य सम्मिलित हुए थे, उनकी आर्थिक उन्नति के उद्देश्य से एक सनद स्वीकृत की गई। इसके निम्नलिखित सिद्धान्त उल्लेखनीय हैं—

१. सम्मेलन में योगदान करनेवाले देशों के बीच आर्थिक एवं सामाजिक बंधन दृढ करने की चेष्टा की जायगी, जिससे भविष्य में सारे अफ्रिका में एक अखण्ड आर्थिक व्यवस्था का गठन हो सके और विभिन्न राज्यों के अधिवासियों के बीच सामाजिक सम्पर्क स्थापित हो।

२. अफ्रिका के विभिन्न राज्यों के राजनीतिक क्रिया-कलाप के बीच समन्वय-साधन। इसके फलस्वरूप अप्रत्यक्ष रूप से अफ्रिका की आर्थिक उन्नति होगी।

३. योगदान करनेवाले देशों में उन्नततर शिक्षा-प्रणाली प्रवर्तित करना। इसके फलस्वरूप अनुन्नत अफ्रिका की आर्थिक सम्पद् के व्यवहार के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की शिक्षा-व्यवस्था की उन्नति होने से सुविधा होगी।

४. विभिन्न देशों की स्वास्थ्य-सम्बन्धी व्यवस्था में परस्पर सहयोगिता।

सम्मेलन में यह निश्चय किया गया कि योगदान करनेवाले देशों की आर्थिक सहयोगिता के उद्देश्य से एक संस्था गठित की जाय। विभिन्न देशों के बीच जो वाणिज्य-विषयक प्रतिबंध हैं, उन्हें दूर करने की चेष्टा की जाय। यूरोप में जिस प्रकार एक साझे का बाजार कायम किया गया है, उसी प्रकार एक साधारण-प्रशुल्क-इलाका कायम किया जाय। सदस्य-देश एक ही दर पर बहिःशुल्क का प्रवर्त्तन करके एक साझे का बाजार गठित करने के मार्ग में अग्रसर होंगे।

सम्मेलन में सम्मिलित होनेवाले देश नाइजीरिया, इथोपिया, गैम्बिया, सियरालियोन, अलजीरिया, ट्यूनिसिया, अंगोला, केनिया, टैंगनिका, सोमाली, कांगो, उगांडा, सूडान, कैमरून, टोगोलैण्ड, लीबिया, मडागास्कर, रोडेसिया, लाइबेरिया और दक्षिण अफ्रिका थे।

भारत सहायता-संघ

भारत सहायता-संघ उन देशों के समूह का नाम है, जो भारत को उसकी पंचवर्षीय योजनाओं के सफलतापूर्वक कार्यान्वियन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। भारत की वित्तीय आवश्यकता का स्पष्ट चित्र संघ के देशों के सम्मुख उपस्थित किया जाता है तथा वे सामूहिक प्रयत्नों को दृष्टि में रखते हुए वैयक्तिक रूप से आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। संघ में सम्मिलित प्रमुख देशों में ये हैं— संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट-ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, जापान न्यूजीलैण्ड और बेलजियम। इसके अतिरिक्त विश्वबैंक जैसे संस्थानों तथा फोर्ड फाउण्डेशन जैसी निजी संस्थाओं से भी आर्थिक सहायता प्राप्त की जाती है।

संघ की आठवीं बैठक पेरिस में ४ और ५ जून १९६३ ई० को हुई, जिसमें भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना के तीसरे वर्ष—१९६३-६४ ई०—में भारत की सहायता करने पर विचार किया गया। योजना के पहले दो वर्षों में इस संघ से भारत को २३६ करोड़ ५० लाख डालर की

सहायता मिल चुकी है। अब इस तीसरे वर्ष में ६१ करोड़ ५० लाख डालर की सहायता का वचन मिला है। जुलाई, १९६३ ई० की बैठक में कुछ अतिरिक्त सहायता के सम्बन्ध में भी विचार करना निश्चित हुआ।

लैटिन अमेरिकी आर्थिक समूह

लैटिन अमेरिका आर्थिक आयोग नामक संयुक्त राष्ट्रसंघ की शाखा-संस्था ने उत्पादन, वाणिज्य-शुल्क और व्यापार के सम्बन्ध में देशों के निम्नलिखित दो समूहों को सहयोग की सुविधाएँ प्रदान की हैं। इसका कार्यालय चिली-स्थित सेण्टियागो में है।

१. **लैटिन अमेरिका स्वतंत्र-व्यपार-पर्षद्**—१८ फरवरी, १९६१ को अर्जेण्टिना, ब्राजिल, चिली, मेक्सिको, पाराग्युए, पेरू और उरुगुए द्वारा मौण्टिवेडियो में इस संस्था का निर्माण हुआ। सन् १९६१ ई० के ३ अक्टूबर, को कोलम्बिया और २० अक्टूबर, को इक्वेडर इसमें सम्मिलित हुए।

२. **केन्द्रीय अमेरिकी साझाबाजार**—३ दिसम्बर, १९६० को मानागुआ में इल-सालवेडर, गुआटेमाला, होण्डुरास और निकारागुआ में एक सामान्य समझौता किया, जिसका उद्देश्य केन्द्रीय अमेरिकी एकता, आयात-कर और शुल्क की समानता तथा आर्थिक समानता के निमित्त एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना करना था।

अन्तरराष्ट्रीय विकास-अभिकरण

अन्तरराष्ट्रीय विकास-अभिकरण संयुक्तराज्य अमेरिका के गृह-विभाग के अंतर्गत नवम्बर, १९६१ ई० में गठित हुआ। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के आर्थिक साहाय्य-कार्यक्रम के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। इस संस्था का निर्माण अन्तरराष्ट्रीय सहयोग प्रशासन, विकास-ऋण-कोष, परराष्ट्र कर्मकरण (फॉरेन ऑपरेशन) प्रशासन, पारस्परिक सुरक्षा अभिकरण, प्राविधिक सहयोग प्रशासन और आर्थिक सहयोग प्रशासन के स्थान पर किया गया है।

याचना करने पर इस संस्था द्वारा देशों को आवश्यक सहायता दी जाती है। सहायता के पीछे एक यह उद्देश्य निहित है कि विभिन्न राष्ट्रों की शक्तियाँ निर्माणात्मक कार्यों में लगें। नये कार्यक्रम में दीर्घकालीन विकास, आत्म-साहाय्य प्रयास तथा अल्प-विकसित देशों के सहायतार्थ पारस्परिक सहयोग आदि पर जोर डाला गया है। अल्पविकसित देशों को कम सूद पर दीर्घकालीन ऋण देने के लिए अभिकरण ने कोष की व्यवस्था की है। संयुक्त राज्य की ओर से अल्प-विकसित देशों को प्राविधिक सहायता भी दी जाती है तथा आर्थिक विकास एवं प्रशिक्षण-कार्य के लिए प्राविधिक भी भेजे जाते हैं। इसके कोष की स्वीकृति प्रतिवर्ष संयुक्तराज्य अमेरिका की संसद् (कौंगरेस) द्वारा दी जाती है।



विश्व की वैज्ञानिक प्रगति

कुछ प्रमुख अन्तरिक्ष-भ्रमण

इस युग का सबसे अधिक विस्मयकारी वैज्ञानिक कार्य ग्रह-उपग्रहों में राकेटों का भेजा जाना और कृत्रिम ग्रह-उपग्रह तैयार करना है। इस कार्य में रूस और अमेरिका सबसे अग्रगण्य हैं। कुछ दूसरे राष्ट्र भी इस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं। कालक्रमानुसार इस कार्य में कैसी प्रगति हुई, उसे नीचे दिया जा रहा है—

४ अक्टूबर, १९५७ ई० को सर्वप्रथम रूस ने स्पुटनिक प्रथम नामक राकेट को अन्तरिक्ष में भेजा, जो वजन में १८४ पौंड था और ५६० मील की ऊँचाई तक उड़ सका था। तीन महीने के बाद वह नष्ट हो गया।

३ नवम्बर, १९५७ ई० को रूस ने स्पुटनिक द्वितीय नामक राकेट को छोड़ा, जो तौल में १,१२० पौंड था और जिसपर एक कुत्ता भी सवार था। यह १,०५६ मील की ऊँचाई तक उड़ा और पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ साढ़े चार मास के बाद नष्ट हो गया।

३० जून, १९५८ ई० को संयुक्तराज्य अमेरिका ने एक्स्प्लोरर प्रथम नामक राकेट शून्य में प्रेषित किया, जो करीब ३१ पौंड भारी था। यह १,५८७ मील तक ऊपर गया।

१७ मार्च, १९५८ ई० को सं० रा० अमेरिका ने वानगार्ड प्रथम नामक राकेट को आकाश में भेजा। यह ३$\frac{1}{4}$ पौंड का था और २,४६६ मील तक ऊपर गया। कहते हैं, यह अब भी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है और कई सौ वर्षों तक करता रहेगा।

२६ मार्च, १९५८ ई० को सं० रा० अमेरिका ने एक्सप्लोरर तृतीय को शून्य में भेजा। यह ३१ पौंड का था और १,७४१ मील तक ऊपर गया। तीन मास के बाद यह नष्ट हो गया।

१५ मई, १९५८ ई० को रूस ने स्पुटनिक तृतीय को ऊपर भेजा, जो २,९२५$\frac{1}{2}$ पौंड भारी था। यह १,१६८ मील ऊपर जाकर पृथ्वी की १०,०३७ मील परिक्रमा कर चुकने पर ६ अप्रैल, १९६० ई० को पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर जल गया।

२६ जुलाई, १९५८ ई० को सं० रा० अमेरिका ने एक्सप्लोरर चतुर्थ को उड़ाया। यह ३८ पौंड भारी था और १,८१० मील ऊपर उड़ा। इससे कुछ वर्षों तक पृथ्वी की परिक्रमा करने की आशा थी।

११ अक्टूबर, १९५८ ई० को सं० रा० अमेरिका ने चन्द्रमा तक पहुँचने या उसकी परिक्रमा करने के लिए पायोनियर प्रथम को उड़ाया। यह ७१,३०० मील ऊपर गया और वहाँ से गिरकर चूर-चूर हो गया।

८ नवम्बर, १९५८ ई० को फिर चन्द्रमा तक पहुँचने के लिए सं० रा० अमेरिका ने पायोनियर द्वितीय को भेजा। यह ७,५०० मील ऊपर जाने पर टूटकर गिर पड़ा।

६ दिसम्बर, १९५८ ई० को फिर सं० रा० अमेरिका ने पायोनियर तृतीय चन्द्रमा के पास रवाना किया। वह ६६,६५४ मील ऊपर पहुँचकर गिर पड़ा।

१८ दिसम्बर, १९५८ ई० को सं० रा० अमेरिका ने एटलस प्रथम को, जो ८,७०० पौंड भारी था, आकाश में भेजा। वह ९२८ मील ऊपर जाकर ही गिर पड़ा।

२ जनवरी, १९५९ ई० को रूस ने लूनिक नामक राकेट उड़ाया, जो ३,२४५ पौंड भारी था। सूर्य का यह १०वाँ ग्रह पृथ्वी और मंगल के बीच की कक्षा में १५ महीने में सूर्य की परिक्रमा करने के लिए भेजा गया है और वह अपनी परिक्रमा में निरत है।

१७ फरवरी, १९५९ ई० को सं० रा० अमेरिका ने वानगार्ड द्वितीय को शून्य में प्रेषित किया। यह २,०५० मील की ऊँचाई पर गया।

२८ फरवरी, १९५९ ई० को सं० रा० अमेरिका ने डिसकवरर प्रथम को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की परिक्रमा करने के लिए भेजा। यह ४० पौंड भारी था और इसका जीवन-काल केवल दो सप्ताह था।

३ मार्च, १९५९ ई० को सं० रा० अमेरिका ने पायोनियर चतुर्थ को अन्तरिक्ष में भेजा। यह चन्द्रमा से ३७,००० मील ऊपर चला गया और १३ महीने से पृथ्वी और मंगल की कक्षा के बीच सूर्य की परिक्रमा कर रहा है।

१२ सितम्बर, १९५९ ई० को रूस ने चन्द्रमा पर एक राकेट भेजा, जो वहाँ पहुँचकर रुक गया। रूस के प्रधान मंत्री ख्रुश्चेव के अमेरिका जाने के एक दिन पूर्व की यह घटना थी।

११ मार्च, १९६० ई० को सं० रा० अमेरिका ने ६० पौंड वजन का एक छोटा-सा ग्रह शुक्र के पास भेजा, पर वह शुक्र पर न जाकर पृथ्वी और शुक्र की मध्यवर्त्ती कक्षा से सूर्य की परिक्रमा करने लगा। यह ग्रह पृथ्वी से प्रति सेकेंड ७ मील की गति से उड़ा और ३११ दिन में सूर्य की परिक्रमा की।

२१ अगस्त, १९६० ई० को सोवियत रूस ने महाशून्य में जिस राकेट को कुत्ते एवं कई अन्य प्राणियों और पौधों को लेकर भेजा था, वह धरती की सतह से २०० मील ऊँची अपनी कक्षा पर १८ बार पृथ्वी की परिक्रमा निर्विघ्न समाप्त कर फिर धरती पर लौट आया।

१२ फरवरी, १९६१ ई० को रूस ने एक राकेट, जिसका नाम ग्रहान्तरीय स्टेशन है, शुक्र ग्रह की एक दिशा में प्रक्षिप्त किया। ग्रहान्तर अन्तरिक्ष पर विजय प्राप्त करने में मनुष्य की सफलता की यह एक नई मंजिल है। इस राकेट का वजन ६४३·५ कीलोग्राम (लगभग १,४२० पौण्ड) था।

१२ अप्रैल, १९६१ ई० को सोवियत रूस ने सर्वप्रथम एक मानव को अन्तरिक्ष में भेजा और उसे सकुशल पृथ्वी पर उतार लिया। अन्तरिक्ष में जानेवाले व्यक्ति का नाम यूरी अलेक्सेयेविच गेगारिन है। वह साढ़े चार टन सुपर वजन के राकेट में अन्तरिक्ष में १०८ मिनट तक रहा। वह पूर्व-निर्धारित क्षेत्र में मास्को-समय के अनुसार पूर्वाह्न में १० बजकर ५५ मिनट पर, लंदन समय के अनुसार ७ बजकर ५५ मिनट पर उतर गया।

५ मई, १९६१ ई० को संयुक्तराज्य अमेरिका ने एलन वी० शेपर्ड नामक अपने उड़ाकू को फ्लोरिडा के पूर्वी तट से अन्तरिक्ष में ११५ मील ऊपर भेजा। इसका २००० पौ० अन्तरिक्ष-यान राकेट से अलग होने के पूर्व प्रति घंटा ३१०० मील की गति से उड़ा। १६½ मिनट की उड़ान के बाद वह उड़ने के स्थान से ३०२ मील दूर धीरे-धीरे अतलान्तिक समुद्र में उतरा। अन्तरिक्ष-यान के उड़ने का दृश्य देश-विदेश के लगभग ६०० पत्रकार देख रहे थे।

१४ जुलाई, १९६१ ई० को संयुक्तराज्य अमेरिका ने अपने दूसरे अन्तरिक्ष-उड़ाकू को अन्तरिक्ष में भेजा, जिसका नाम वर्जिल ग्रेसम था। वह वहाँ के पहले के उड़ाकू शेपर्ड की

भाँति ही १६ मिनट तक ११८ मील की ऊँचाई पर ३०३ मील दूर गया। उसका यान समुद्र में गिरकर नष्ट हो गया, पर वह किसी प्रकार बचा लिया गया।

६ अगस्त, १९६१ ई० को रूस ने अपने वोस्टोक द्वितीय नाम के अन्तरिक्ष-यान में २६ वर्षीय मेजर घेरमैन टिटोव नामक द्वितीय उड़ाकू को अन्तरिक्ष में भेजा। उसका यान २५ घंटे तक पृथ्वी की १७ बार परिक्रमा कर मास्को से ४०० मील की दूरी पर सैरेटोव नामक स्थान पर उतरा। पृथ्वी की सात बार परिक्रमा करके ४,३५,००० मील की यात्रा कर चुकने पर उस उड़ाकू ने यान पर नियंत्रण रखकर अपनी इच्छा के अनुसार उसका संचालन किया। आजमाइश के लिए वह उड़ाकू पाराशूट से नीचे उतरा और उसका यान भी सुरक्षित रूप से पास ही नीचे आया। उड़ाकू के नीचे उतरने पर डाक्टर ने उसके शारीरिक या मानसिक दशा में कोई परिवर्त्तन नहीं पाया।

८ फरवरी, १९६२ ई० को संयुक्तराज्य अमेरिका ने केनेवेरल अन्तरीप, फ्लोरिडा से टिरोज चतुर्थ नामक एक नये उपग्रह को मौसम की जाँच करने के लिए पृथ्वी की परिक्रमा के निमित्त भेजा। यह संयुक्तराज्य अमेरिका का ६६वाँ और १९६२ ई० का उसका दूसरा उपग्रह था।

२० फरवरी, १९६२ ई० को संयुक्तराज्य अमेरिका ने ४० वर्षीय लेफ्टिनेंट कर्नल जोन एच० ग्लेन को केनेवेरल अन्तरीप से अन्तरिक्ष में भेजा। वह चार घंटा ५० मिनट में पृथ्वी की तीन बार परिक्रमा कर अतलान्तिक समुद्र पर उतरा। पृथ्वी की परिक्रमा करनेवाला यह संयुक्त-राज्य अमेरिका का पहला अन्तरिक्ष-यान था।

१६ मार्च, १९६२ ई० को ३ बजे दिन में सोवियत रूस ने पृथ्वी के चारों ओर के वायु-मण्डल की ऊपरी सतह की स्थिति का अध्ययन जारी रखने के लिए पहला स्पुटनिक अन्तरिक्ष में भेजा। इस स्पुटनिक पर कोई मनुष्य नहीं था।

६ अप्रैल, १९६२ ई० को रूस ने पृथ्वी के चारों ओर के वायुमण्डल की ऊपरी सतह की स्थिति का अध्ययन करने के लिए कौसमौस-२ नामक एक दूसरा स्पुटनिक भी अन्तरिक्ष में भेजा। यह स्पुटनिक १०२'५ मिनट में पृथ्वी का चक्कर लगाता हुआ १३३ मील से ६७५ मील की ऊँचाई तक भ्रमण करता रहा। अन्तरिक्ष की स्थिति के अध्ययन के लिए भी स्पुटनिक में यन्त्र लगाये गये थे। इसके अतिरिक्त अनेक चैनेलवाले रेडियो टेलिमिट्रिक प्रणाली और रेडियो तकनीकी प्रणाली भी उनमें बैठाई गई थी। इस स्पुटनिक में भी किसी मनुष्य के होने की चर्चा नहीं है।

२६ अप्रैल, १९६२ ई० को अमेरिका का रेंजर चतुर्थ नामक अन्तरिक्ष-यान चन्द्रमा की दूसरी ओर टकराकर चूर हो गया। अमेरिका द्वारा निक्षेपित ८ अन्तरिक्ष-यानों में यह प्रथम अन्तरिक्ष-यान है, जो चन्द्रलोक तक पहुँचा है। यह यान प्रति घंटा ५,९६३ मील की चाल से चला था।

२४ मई, १९६२ ई० को संयुक्तराज्य अमेरिका ने मेलकोय स्काट कारपेण्टर को अन्तरिक्ष में (अन्तरिक्ष-यान अरोरा–७ पर) भेजा, जिसने तीन बार पृथ्वी की परिक्रमा की।

११ अगस्त, १९६२ ई० को रूस ने तृतीय मस्टक नामक अन्तरिक्ष-यान द्वारा मेजर आन्द्रियन निकोलायेव को महाशून्य में प्रेषित किया। इसके २४ घंटे बाद एक और अन्तरिक्ष-यान चतुर्थ मस्टक को महाशून्य में भेजा गया। इसके आरोही थे कर्नल पावेल रोमोनोविच पोपोविच। दोनों अन्तरिक्ष-यान साथ-साथ परिक्रमा कर रहे थे और दोनों के आरोही परस्पर सम्पर्क रखे हुए थे। महाशून्य की परिक्रमा करने का रेकर्ड कायम करके १५ अगस्त को दोनों आरोही पृथ्वी

५र यान के साथ सकुशल उतरे। तृतीय मस्टक में निकोलायेव ने ६० घंटे से अधिक समय तक अन्तरिक्ष में रहकर ६३ या ६४ बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा की। पोपोविच अन्तरिक्ष में ७१ घंटे तक रहे और ४७ या ४८ बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके निकोलायेव के नीचे उतरने के ६ मिनट बाद उतरे।

२७ अगस्त, १९६२ ई० को संयुक्तराज्य अमेरिका ने मेरिनर द्वितीय को केनेवेरल अन्तरीप से शुक्र की दिशा में भेजा। यह १४ दिसम्बर, १९६२ को शुक्र से २१,००० मील के अन्दर पहुँचा, जैसा कि पहले से निर्धारित था। इसमें १०६ दिन में १८ करोड़ मील की यात्रा कर शुक्र के विषय में अनेक बातों का पता दिया। ४ जनवरी १९६३ को पृथ्वी के साथ इसका सम्बन्ध टूट गया। उस समय वह पृथ्वी से ५ करोड़ ४३ लाख मील दूर था।

३ अक्टूबर, १९६२ ई० को ८½ बजे प्रातः संयुक्तराज्य अमेरिका ने केनेवेरल अन्तरीप से सिगमा—७ नामक अन्तरिक्ष-यान से एटलस राकेट प्रेषित किया, जिसमें वहाँ के नौ-सेना-विभाग के कमाण्डर वाल्टर एम० शीरा नामक अन्तरिक्ष-यात्री बैठे थे। यह यान तौल में १ टन था। प्रति घंटा १७,५६० मील की गति से उड़ता हुआ इसने ९ घंटा १४ मिनट में ६ बार पृथ्वी की परिक्रमा की और प्रशान्त महासागर के निर्धारित स्थान पर यह नीचे उतरा। यह पृथ्वी से १०० से १७६ मील की ऊँचाई पर उड़ता था। इसने कुल १ लाख ६० हजार मील की यात्रा की।

१ नवम्बर, १९६२ ई० को सोवियत रूस ने प्रथम बार मंगल की दिशा में सात मास के लिए एक राकेट भेजा। यह तौल में एक टन था। इसे एक प्रकार से उड़नेवाली प्रयोगशाला कह सकते हैं। इसका उद्देश्य अन्तर्ग्रह-रेडियो संचार स्थापित करना था। यह मार्ग में मंगल का चित्र ले-लेकर रेडियो से पृथ्वी पर भेजता था।

१५ मई, १९६३ ई० को संयुक्तराज्य अमेरिका ने सर्वप्रथम ३४ घंटे में अन्तरिक्ष-पथ से पृथ्वी की २२ बार परिक्रमा कराने के उद्देश्य से अन्तरिक्ष-यात्री श्रीगोर्डन कूपर को अन्तरिक्ष-यान फेथ—७ में भेजा। केनेवेरल अन्तरीप से दोपहर के १ बजकर ४ मिनट पर उनका एटलस बुस्टर राकेट ६५ फुट की ऊँचाई से छोड़ा गया। ५ मिनट के अन्दर ही राकेट साढ़े सत्रह हजार मील प्रति घंटे की गति से घूमने लगा और थोड़ी ही देर में अन्तरिक्ष-यान फेथ—७ एटलस राकेट से अलग हो गया और श्रीकूपर अन्तरिक्ष में पहुँचकर पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। ३४ घंटे २० मिनट में उन्होंने २२ बार पृथ्वी की परिक्रमा पूरी की। भारतीय समय से दिनांक १७ मई को प्रातःकाल ५ बजे वे प्रशान्त महासागर में सकुशल वापस लौट आये।

१४ जून, १९६३ ई० को सोवियत रूस ने कर्नल वेलेरी वाइकोवस्की नामक एक पुरुष-यात्री को अन्तरिक्ष यान वोस्टक—५ पर तथा १६ जून, १९६२ ई० को वालेन्टिना तेरेश्कोवा नामक एक महिला-यात्री को अन्तरिक्ष-यान वोस्टक—६ पर अन्तरिक्ष में प्रेषित किया। जब वेलेन्टिना तेरेश्कोवा ने यात्रारम्भ किया था, तब कर्नल वाइकोवस्की पृथ्वी की तीसरी परिक्रमा में था। वेलेन्टिना तेरेश्कोवा विश्व की प्रथम महिला अन्तरिक्ष-यात्री है, जिसकी उम्र २६ वर्ष की है और वह कुमारी है। वाइकोवस्की पृथ्वी की ८२वीं परिक्रमा के बाद और तेरेश्कोवा ४९वीं परिक्रमा के बाद १९ जून, १९६३ ई० को कुछ ही मिनटों के अन्दर पर एक ही अक्षांश (५५ अंश उत्तर) के दो स्थानों पर पृथ्वी पर उतरे, जो पहले से निर्धारित था।

महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान

विश्व का सबसे तेज जेट-विमान

हाल के उड्डयन-परीक्षण में संयुक्तराज्य अमेरिका की नौ-सेना के जेट लड़ाकू विमान, फैण्टम द्वितीय ने प्रति घंटे १,६०६·३ मील या २,५७० कीलोमीटर की गति से उड़कर विश्व में तीव्रतम उड़ान का रेकर्ड कायम किया। इस विमान का निर्माण मैकडोनेल एयरक्राफ्ट कम्पनी ने किया है। यहाँ के राष्ट्रीय वायुयान-विज्ञान-संघ के अधिकारियों ने इसकी गति २६ मील या ४१·६ कीलोमीटर प्रति मिनट मालूम की है। फैण्टम द्वितीय के निर्माण में राकेट की सहायता नहीं ली गई है। इस जेट-विमान में जे–७६ नामक दो विद्युत्-इंजन लगे होते हैं। पिछले उड्डयन में यह १,६५० मील या २,६४० कीलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उड़ा था।

सुपरसोनिक

शब्द की गति से भी जिसकी गति द्रुत होती है, उसे 'सुपरसोनिक' कहते हैं। इस प्रकार के वेगवाले लड़ाकू विमान को 'सुपरसोनिक फाइटर' कहा जाता है। भारत में भी यह विमान निर्मित हुआ है। संसार के पाँच ही देश अबतक इस प्रकार के विमान निर्मित कर सके थे। अब भारत छठा देश हुआ। एशिया में सर्वप्रथम भारत ही यह विमान निर्मित कर सका है। यह विमान भारतीय वायुसेना का अंग होगा। इसका नामकरण हुआ है एच-एफ–२४। यह बंगलोर के कारखाने में एक जर्मन इंजीनियर की देखरेख में निर्मित हुआ है। सुपरसोनिक विमान प्रति घंटा ७२० मील से अधिक उड़ सकता है।

दाँत में लगानेवाला रेडियो

संयुक्तराज्य अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा एक ऐसे छोटे रेडियो-ट्रांसमीटर का आविष्कार किया गया है, जो दाँतों की दोनों पंक्तियों के बीच कुकुरदँत्ता या कृत्रिम दाँत की तरह लगाया जा सकता है। यह सांकेतिक भाषा में ध्वनि-क्षेप करता है। इसका प्रयोग सान अण्टोनियो (सं० रा० अमेरिका) के ब्रुक हवाई अड्डे पर चिकित्सा-सम्बन्धी अनुसंधान-कार्य में हो रहा है। रोगी सोते समय कब अपना मुँह खोलता है और कब बन्द करता है तथा कब दाँत किटकिटाता है, इसका पता इससे चल जाता है।

सीमेंट का प्रतिस्थापक

नेवेली (दक्षिण-भारत) की प्रयोगशाला में वहाँ के ताप-विद्युत्-केन्द्र से प्राप्त एक प्रकार की राख को कुछ कामों के लिए सीमेंट के स्थान में व्यवहार करने का प्रयोग किया जा रहा है। वहाँ के ताप-विद्युत्-केन्द्र से प्रतिदिन वह राख ३० टन प्राप्त होती है।

ठंडा कम्बल

संयुक्तराज्य अमेरिका की एक विद्युत्-कम्पनी ने बिजली का एक ठंडा कम्बल तैयार किया है, जिसे ओढ़कर गरमी की रात काटी जा सकती है। इसमें दो सूती चादरें रहती हैं, जिनके बीच से बिजली की मोटर निरन्तर हवा बहाती रहती है। एक छोटी मोटर प्लास्टिक के डिब्बे में रखी रहती है, जिसकी गति बिछावन पर के स्विच से नियंत्रित की जाती है।

वायुशोधक यंत्र

सं० रा० अमेरिका की एक कम्पनी ने एक ऐसे विद्युदणु-वायुशोधक यंत्र का आविष्कार किया है, जो वायु से धूल-धुआँ आदि ६० प्रतिशत गन्दगी को और शत-प्रतिशत कीटाणुओं को दूर कर सकता है। यह यंत्र तौल में २८ पौंड का है तथा आसानी से इच्छित स्थान में ले जाया जा सकता है।

सूर्य-किरणों से जल

दो जापानी वैज्ञानिकों ने ऐसे यंत्र का आविष्कार किया है, जिसे किसी पर्वत पर या मरुभूमि में भी रखकर उससे सूर्य-ताप द्वारा जल-निर्माण कर पेय जल की समस्या हल की जा सकती है। सूर्य की किरणें पृथ्वी-तल के जल को सदा जल-वाष्प के रूप में ऊपर उठाती रहती हैं। यह यंत्र में उसी वाष्प को जल के रूप में परिणत कर बोतल में बूँद-बूँद जमा करता जाता है।

पढ़नेवाली मशीन

अमेरिकी डाकखाने द्वारा तेजी के साथ पते पढ़नेवाली बिजली की एक मशीन की जाँच की जा रही है। यह मशीन एक घंटे में ३०० पते पढ़ सकती है। यह केवल उन्हीं पत्रों को रद्द करती है, जो टाइप या हाथ से अच्छी तरह नहीं लिखे होते। इंगलैंड में भी यह मशीन उपलब्ध है।

अनुवाद करनेवाला भाषा-यंत्र

अमेरिका के एक डॉक्टर हैरी ओल्सोन ने एक ऐसे भाषा-यंत्र का आविष्कार किया है, जो अनेक भाषाओं के वाक्यों का किसी एक भाषा में शीघ्रता से अनुवाद कर देता है।

यह यंत्र विकसित करके एक ध्वन्यात्मक वर्णोंवाला टाइपराइटर बना लिया जायगा। इस यंत्र की विशेषता यह है कि जो शब्द हम बोलते हैं, यह उन्हें संकेतात्मक रूप में अंकित कर लेता है और फिर मनचाही भाषा के शब्दों तथा वाक्यों में उसे प्रकट कर देता है। यह ठीक एक लाउड-स्पीकर की तरह बोलता है। इसके बोलते समय इसे टाइप-राइटर से सामान्य ढंग से टाइप कर लिया जा सकता है।

विद्युदणु-परिचारिका

परिचारिकाओं के कार्यों में सहायता करने के लिए ग्रेट-ब्रिटेन के वैज्ञानिक ने एक अनुसन्धान-प्रयोगशाला में ऐसे यंत्र का निर्माण किया है, जो रोगी की नाड़ी, श्वास-क्रिया, रक्त-चाप या तापमान के परिवर्त्तनों को एक केन्द्रीय नियंत्रण-पट्ट पर अंकित कर देता है। इस वैज्ञानिक यंत्र के आविष्कार से प्रशिक्षित परिचारिकाओं के दैनन्दिन कार्य-भार में कमी आ जायगी और कुछ ही परिचारिकाओं से बहुत अधिक कार्य हो सकेंगे।

गर्भस्थ शिशु का लिंग-ज्ञान

इंगलैंड के एक वैज्ञानिक ने ऑर्गन क्रोमेटोग्राफ नामक एक ऐसे यंत्र का आविष्कार किया है, जिसके प्रयोग से तीन सप्ताह के भ्रूण के सम्बन्ध में २० मिनट के अन्दर लिंग-ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यह यंत्र गर्भवती के रक्त का परीक्षण कर फल की घोषणा कर सकता है। इसका मूल्य ७०० पौंड है।

अँधेरे में देखनेवाला कृत्रिम नेत्र

लंदन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम नेत्र तैयार किया है, जो अँधेरे में भी देख सकता है और तहखाने में पड़े व्यक्ति को भी पहचान सकता है। यह यंत्र लिपस्टिक की डिबिया से कुछ ही बड़ा होगा। इसकी सहायता से तेजी से उड़नेवाला जेट-विमान भी रात में मकानों, सड़कों और नदियों के मानचित्र तैयार सकता है।

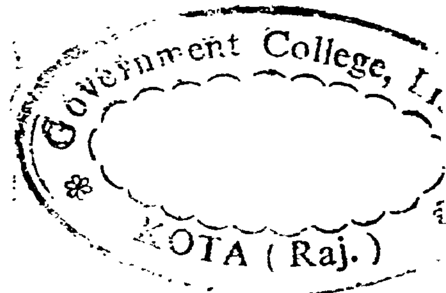
प्रथम आणविक जलयान

संयुक्तराज्य अमेरिका के न्यूयार्क शिप-बिल्डिंग कारपोरेशन ने 'सवाना' नामक एक अणु-शक्ति-संचालित जलयान का निर्माण किया है। यह अणु-शक्ति द्वारा चालित प्रथम जलयान है। इस जलयान की सुरक्षात्मक व्यवस्था इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसका निर्माण इस प्रकार किया गया है कि यदि कोई हिस्सा काम न करे, तो वह तुरत स्वतः दुरुस्त हो जाय और उससे जलयान या यात्रियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचे।

अंधों के लिए ध्वनि-यंत्र

अंधों के लिए पढ़ना आसान हो जाय, इसके लिए दो प्रकार के नये यंत्रों का निर्माण किया जा रहा है। ये यंत्र मुद्रित पृष्ठों को ध्वनि में परिवर्त्तित कर देते हैं। वाशिंगटन में विशेषज्ञों द्वारा इनका प्रदर्शन भी किया जा चुका है। पहला यंत्र ओहियो की मौंक अनुसंधान-प्रयोगशाला द्वारा निर्मित हुआ है। अंधे द्वारा 'प्रोब' नामक यंत्र से संकेत किये जाने पर यह अक्षरों को चुम्बकीय फीते पर अंकित कर वर्ण-विन्यास कर देता है और फिर उन्हें ध्वनि द्वारा प्रकट करता है। दूसरा यंत्र कोलम्बस (ओहियो) के बाटली मेमोरियल इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है। यह अक्षरों को संगीतात्मक ध्वनियों में परिवर्त्तित कर देता है। प्रत्येक ध्वनि एक भिन्न अक्षर या वर्ण को प्रकट करता है। कौन-सा ध्वनि-संकेत किस वर्ण को प्रकट करता है, यह जान लेना अंधों के लिए आवश्यक है।

तृतीय भाग



भारत

भारत-भूमि

भारत, एशिया महादेश के दक्षिण, समुद्र के किनारे एक त्रिभुजाकार प्रायद्वीप है। इसके दक्षिण में हिन्द-महासागर और पश्चिम में अरब समुद्र तथा पश्चिमी पाकिस्तान है। उत्तर में पश्चिम से पूरब की ओर क्रम से चीन, तिब्बत, नेपाल, सिक्किम, भूटान और फिर तिब्बत और चीन हैं। इसके सारे उत्तरी भाग में हिमालय की पर्वतमाला है, जिसकी लम्बाई करीब १५०० मील है। इसके पूरब में बर्मा, पूर्वी पाकिस्तान और बंगाल की खाड़ी है। भारत और बर्मा के बीच उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई पटकोई, नागा, जयन्तिया, खासी, गारो, लुशाई और अराकान-योमा पर्वत-मालाएँ हैं। ये पर्वत-मालाएँ नेगराइस अन्तरीप होती हुई अन्दमान और निकोबार द्वीप-समूह तक चली गई हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय की गोद में नेपाल, सिक्किम और भूटान हैं। इनमें सिक्किम और भूटान विशेष संधियों द्वारा भारत के साथ संवद्ध हैं।

प्राकृतिक रचना—भारत का क्षेत्रफल १२,५६,८८३ वर्गमील है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी लम्बाई २,००० मील और पूरब से पश्चिम तक चौड़ाई १,८५० मील है। इसकी स्थल-सीमा-रेखा ६,४२५ मील है, जिसमें ४,००० मील की लम्बाई पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा पर है। इसके समुद्री किनारे की लम्बाई ३,५३५ मील है। यह देश भूमध्यरेखा के उत्तर में ८° से ३७° १०' उत्तरी अक्षांश-रेखाओं तथा ६८° से ६७° २५' पूर्वी देशान्तर-रेखाओं के बीच स्थित है। आकार की दृष्टि से यह विश्व का सातवाँ बड़ा देश है। बंगाल की खाड़ी के अन्तर अंदमन और निकोबार द्वीप-समूह तथा अरबसागर के अन्दर लक्षद्वीप, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप-समूह भी भारतीय संघ के अंग हैं।

यह देश इतना विस्तृत है कि इसके विभिन्न स्थानों के तापमान और वर्षा में बहुत अन्तर पड़ता है। कश्मीर में यहाँ का तापमान ४६° फेरेनहाइट है, तो राजस्थान में १२° फेरेनहाइट। उसी प्रकार इसकी औसत वार्षिक वर्षा थार मरुभूमि (राजस्थान) में ४ इंच है, तो चेरापुंजी आसाम में ४२५ इंच।

इसका समुद्र-तट लम्बा होने पर भी पश्चिमी तट चट्टानों से भरा है, तो पूर्वी तट छिछला है, जिससे यहाँ अधिक बन्दरगाह नहीं हैं। इसके प्राकृतिक बन्दरगाह केवल बम्बई और गोआ हैं। मद्रास, विशाखापत्तनम् और ओखा विशुद्ध कृत्रिम बन्दरगाह हैं। पश्चिम से पूरब की ओर इसके मुख्य बन्दरगाह ये हैं—कंडला, वेलीबन्दर, पोर्ट ओखा, पोरबन्दर, सूरत, बम्बई, मरमूगाओ, मंगलोर, कोझिकोड (कालीकट), कोचीन, अल्लीपी, क्विलोन, तूतीकोरिन, धनुषकोटि, नागापट्टनम्, कारीकल, कूडालोर, पांडिचेरी, मद्रास, मछलीपट्टम्, काकीनाड, विशाखापत्तनम् और कलकत्ता।

भारत तीन प्राकृतिक भागों में बँटा जा सकता है—(१) हिमालय का पहाड़ी (२) सिन्धु-गंगा का मैदान तथा (३) दक्षिणी अधित्यका। हिमालय प्रायः तीन समानान्तर श्रेणियों से मिलकर बना है। इसकी एवरेस्ट, माउण्ट गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंघा आदि की सबसे ऊँची चोटियाँ हैं। इन पर्वत-श्रेणियों के बीच में लम्बे-चौड़े पठार और घाटिय इनमें से कश्मीर तथा कुल्लू की घाटियाँ उपजाऊ, विस्तृत और प्राकृतिक सौन्दर्य से सम्पन्न आवागमन के लिए कश्मीर में जोजिला और पंजाब में शिपकी घाटियाँ हैं। शिपकी से दा तक कोई घाटी नहीं है। भारत के उत्तर-पूरब में मुख्य चुम्बी घाटी है।

सिन्धु गंगा का मैदान १,५००० मील लम्बा तथा १५० से २०० मील चौड़ा है मैदान सिन्धु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र—इन तीनों नदी-क्षेत्रों से मिलकर बना है। यह संसार व सबसे अधिक लम्बा-चौड़ा उपजाऊ मैदान है और संसार के सबसे अधिक घने बसे हुए क्षेत्र एक है। दिल्ली में यमुना नदी से बंगाल की खाड़ी तक के लगभग १,००० मील लम्बे यदि कहीं सबसे अधिक ऊँचाई है, तो वह भी समुद्र-तल से ७०० फुट से अधिक नहीं।

दक्षिणी अधित्यका १,५०० से ४,००० फुट ऊँचे पहाड़ों और पर्वत-श्रेणियों के सिन्धु-गंगा के मैदान से अलग पड़ जाती है। अरावली, विन्ध्य, सतपुड़ा, मैकल तथा अ पहाड़ियाँ इनमें मुख्य हैं, प्रायद्वीप के एक ओर औसतन २,००० फुट ऊँचे पूर्वी घाट और ओर ३,०००-४,००० फुट ऊँचे पश्चिमी घाट हैं, जिनकी ऊँचाई कहीं-कहीं पर ८,८४ तक भी हो जाती है। प्रायद्वीप के दक्षिण में नीलगिरि पहाड़ियाँ हैं, जहाँ पूर्वी घाट और प घाट आपस में मिलते हैं। यह पश्चिमी घाट में कार्डेमम पहाड़ियों तक फैला हुआ है।

नदियाँ—भारत की नदियाँ चार प्रकार की हैं : (१) हिमालय से निकलनेवाली न (२) दक्षिण के पठार की नदियाँ, (३) तटीय नदियाँ तथा (४) आन्तरिक नदी-क्षेत्र की न हिमालय से निकलनेवाली नदियों में बर्फीले स्थानों से निकलने के कारण पूरे वर्ष-भर पानी रहता वर्षा-ऋतु में इन नदियों के कारण बहुधा बाढ़ भी आ जाया करती है। दक्षिण के पठार नदियों में सामान्यतः वर्षा का ही पानी होने के कारण पानी कभी कम, तो कभी अधिक रह और इनमें से बहुत-सी नदियाँ वर्ष के अधिक समय में सूखी रहती हैं। तटीय नदियाँ, विशेष पश्चिमी तट की, छोटी होती हैं और इनका जल-क्षेत्र भी सीमित होता है। इनमें से भी अधि नदियाँ काफी समय तक सूखी रहती हैं। पश्चिमी राजस्थान की आन्तरिक क्षेत्रवाली नदियाँ कम हैं, जो अपने-अपने नदी-क्षेत्रों में ही अथवा साँभर झील-जैसी नमक की झीलों तक जाकर जाती हैं और किसी समुद्र तक नहीं पहुँचतीं।

गंगा का नदी-क्षेत्र सबसे बड़ा है, जिसको भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग एक-च भाग से पानी मिलता है। इसके उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में विन्ध्य-पर्वत है। इस क्षे नदियाँ भी काफी हैं। गंगा भागीरथी तथा अलकनन्दा के रूप में हिमालय से निकलती है। य घाघरा, गण्डक तथा कोशी नदियाँ हिमालय से निकलकर गंगा में जा मिलती हैं।

भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी-क्षेत्र गोदावरी का नदी-क्षेत्र है। पूर्व में ब्रह्मपुत्र पश्चिम में सिन्धु के नदी-क्षेत्र लगभग इसी के बराबर हैं। भारत के प्रायद्वीपवाले भा कृष्णा नदी-क्षेत्र दूसरा सबसे बड़ा नदी-क्षेत्र है। महानदी, प्रायद्वीपवाले भाग के तीसरे सबसे

नदी-क्षेत्र में से होकर बहती है। इसके उत्तर में नर्मदा तथा सुदूर दक्षिण में कावेरी के नदी-क्षेत्र भी लगभग इतने ही बड़े हैं।

उत्तर का ताप्ती नदी-क्षेत्र तथा दक्षिण का पेरणार नदी-क्षेत्र छोटे, किन्तु कृषि की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं।

जलवायु—भारत की जलवायु मुख्यतः उष्ण-मौनसूनी है, जो स्थान-स्थान पर भिन्न-भिन्न है। यहाँ छह ऋतुएँ हैं, पर मुख्य तीन ही हैं—जाड़ा, गरमी और बरसात। जलवायु के अनुसार वर्षा पर आधृत भारत के प्रदेशों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है—

(क) ८० इंच से अधिक वर्षावाले प्रदेश; जैसे—पश्चिमी तट, बंगाल तथा आसाम; (ख) ४० से ८० इंच तक वर्षावाले प्रदेश; जैसे—उत्तर-पूर्वी पठार तथा गंगा-घाटी का मध्य भाग, और (ग) २० से ४० इंच तक वर्षावाले प्रदेश; जैसे—मद्रास, दक्षिण के पठार का दक्षिणी तथा उत्तर-पश्चिमी भाग गंगा के मैदान का उत्तरी क्षेत्र।



भारतीय जनसंख्या

(१९६१ की जनगणना के अस्थायी आँकड़े*)

भारत

क्षेत्रफल	११,२७,३४५ वर्गमील
जनसंख्या	४३,६४,२४,४२९ (शहरी जनसंख्या ७,७८,३९,३९,९०० ; ग्रामीण जनसंख्या ३५,८५,८४,५२१)
पुरुष	२२,४६,५७,९४८
स्त्रियाँ	२१,१४,६६,४८१
१९५१ से वृद्धि	७,७२,०७,५२४
प्रतिशत वृद्धि	२१·४९
प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ	९४० (९४६)
प्रति वर्गमील सघनता	३८४ (३१६)

मणिपुर, नागालैंड और पूर्वोत्तर सीमान्त-अधिकरण के आँकड़े इनमें सम्मिलित नहीं हैं। प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियों की संख्या तथा सघनता के आँकड़े में जम्मू और कश्मीर के आँकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

भारत के राज्य

आसाम

क्षेत्रफल	४७,०९८ वर्गमील	१९५१ से वृद्धि	३०,२९,३२७
जनसंख्या	१,१८,६०,०५९	प्रतिशत वृद्धि	३४·३०
पुरुष	६३,१८,२२९	प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ	८७७ (८७७)
स्त्रियाँ	५५,४१,८३०	प्रति वर्गमील सघनता	२५२ (१८८)

* कोष्ठकों के आँकड़े १९५१ के हैं।

आन्ध्र

क्षेत्रफल	१,०६,०५२ वर्गमील	१९५१ से वृद्धि	४८,६२,७४०
जनसंख्या	३,५९,७७,९९९	प्रतिशत वृद्धि	१५·६३
पुरुष	१,८१,७५,३४९	प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ	९९१ (९८६)
स्त्रियाँ	१,७८,०२,६५०	प्रति वर्गमील सघनता	३३९ (२९३)

उड़ीसा

क्षेत्रफल	६०,१६२ वर्गमील	१९५१ से वृद्धि	२९,१९,६१९
जनसंख्या	१,७५,६५,६४५	प्रतिशत वृद्धि	१९·९४
पुरुष	३७,७२,१९४	प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ	१,००२ (१,०२२)
स्त्रियाँ	३७, ९३,४५१	प्रति वर्गमील सघनता	२९२ (२४३)

उत्तरप्रदेश

क्षेत्रफल	१,१३,४५४ वर्गमील	१९५१ से वृद्धि	१,०५,३७, १७२
जनसंख्या	७,३७,५२,९१४	प्रतिशत वृद्धि	१६·६
पुरुष	३,८६,६४,४६३	प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ	९०८ (९१०)
स्त्रियाँ	३,५०,८८,४५१	प्रति वर्गमील सघनता	६५७ (५५७)

केरल

क्षेत्रफल	१५,००३ वर्गमील	१९५१ ई० से वृद्धि	३३,२६,०८१
जनसंख्या	१,६८,७५,१९९	प्रतिशत वृद्धि	२४·५५
पुरुष	८३,४५,८९७	प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ	१०२२ (१,०२८)
स्त्रियाँ	८५,२९,३०२	प्रति वर्गमील सघनता	१,१२५ (९०३)

गुजरात

क्षेत्रफल	७२,१५४ वर्गमील	१९५१ ई० से वृत्ति	४३,५८,६२७
जनसंख्या	२,०६,२१,२८३	प्रतिशत वृद्धि	२६·८०
पुरुष	१,०६,३६,४७०	प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ	९३९ (९५२)
स्त्रियाँ	९९,८४,८१३	प्रति वर्गमील सघनता	२८६ (२२५)

जम्मू और कश्मीर

क्षेत्रफल	अप्राप्य	जम्मू और कश्मीर में पिछली जन-गणना सन् १९४१ ई० में हुई थी।	
जनसंख्या	३५,८३,५८५		
पुरुष	१९,०२,९०२	प्रतिशत वृद्धि (सन् १९४१ ई० के बाद)	९·७३
स्त्रियाँ	१६,८०,६८३	प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ	८८३
सन् १९५१ से वृद्धि	३,१७,७३९	प्रति वर्गमील सघनता	अप्राप्य

पंजाब

क्षेत्रफल	४७,०८४ वर्गमील	१९५१ ई० से वृद्धि	४१,६३,२६१
जनसंख्या	२,०२,९८,१५१	प्रतिशत वृद्धि	२५·८०
पुरुष	१,०८,६६,९१०	प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ	८६८ (५५८)
स्त्रियाँ	९४,३१,२४१	प्रति वर्गमील सघनता	४३१ (३४३)

पश्चिम बंगाल

क्षेत्रफल	३३,९२८ वर्गमील	१९५१ ई० से वृद्धि	८६,६५,२४८
जनसंख्या	३,९९,६७,६३४	प्रतिशत वृद्धि	३२·९४
पुरुष	१,८६,०१,०८५	प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ	८७९ (८६५)
स्त्रियाँ	१,६३,५६,५४९	प्रति वर्गमील सघनता	१,०३१ (७७५)

बिहार

क्षेत्रफल	६७,१९८ वर्गमील	१९५१ ई० से वृद्धि	७६,७३,२६४
जनसंख्या	४,६४,५७,०४२	प्रतिशत वृद्धि	१९·७८
पुरुष	२,३३,२८,१७८	प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ	९९१ (९९०)
स्त्रियाँ	२,३१,२८,८६४	प्रति वर्गमील सघनता	६९१ (५७७)

मद्रास

क्षेत्रफल	५०,१३२ वर्गमील	१९५१ ई० से वृद्धि	३,५३,८७०
जनसंख्या	३,३६,५०,९१७	प्रतिशत वृद्धि	११·७३
पुरुष	१,६९,१५,४५४	प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ	९८९ (१,००७)
स्त्रियाँ	१,६७,३५,४६३	प्रति वर्गमील सघनता	६७१ (६०१)

मध्यप्रदेश

क्षेत्रफल	१,७१,२१० वर्गमील	१९५१ ई० से वृद्धि	६३,२२,७३८
जनसंख्या	३,२३,९४,३७५	प्रतिशत वृद्धि	२४·२५
पुरुष	१,६५,९८,५२६	प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ	९५२ (९६७)
स्त्रियाँ	१,५७,९५,८४९	प्रति वर्गमील सघनता	१८९ (१५२)

महाराष्ट्र

क्षेत्रफल	१,१८,८८४ वर्गमील	१९५१ ई० से वृद्धि	७५,०१,५३०
जनसंख्या	३,९५,०४,२९४	प्रतिशत वृद्धि	२३·४४
पुरुष	२,०४,१९,०५९	प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ	९३५ (९४१)
स्त्रियाँ	१,९०,८५,२३५	प्रति वर्गमील सघनता	३३२ (२६९)

मैसूर

क्षेत्रफल	७४,१२२ वर्गमील	१९५१ ई० में वृद्धि	४१,४५,१२५
जनसंख्या	२,३५,४७,०८१	प्रतिशत वृद्धि	२१·३६

पुरुष	१,२०,२१,२४८	प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ	६५६ (६६६)
स्त्रियाँ	१,१५,२५,८३३	प्रति वर्गमील सघनता	३१८ (२६२)

राजस्थान

क्षेत्रफल	१,३२,१५० वर्गमील	१६५१ ई० से वृद्धि	४१,७५,३६६
जनसंख्या	२,०१,४६,१७३	प्रतिशत वृद्धि	२६·१४
पुरुष	१,०५,५८,१३८	प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ	६०८ (६२१)
स्त्रियाँ	६५,८८,०३५	प्रति वर्गमील सघनता	१५२ (१२१)

संघीय क्षेत्र

अन्दमन निकोबार-द्वीप

क्षेत्रफल	३,११४ वर्गमील	प्रतिशत वृद्धि	१०४·८३
जनसंख्या	६३,४३८	प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियाँ	६१६
पुरुष	३६,२५६	प्रति वर्गमील सघनता	२० (१०)
स्त्रियाँ	२४,१७६		

भारत की जनसंख्या के कितने प्रतिशत व्यक्ति किस राज्य में हैं और वहाँ का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कौन-सा प्रतिशत है, यह नीचे लिखा है :

राज्य	भारतीय जनसंख्या का प्रतिशत	भारत के क्षेत्रफल का प्रतिशत	राज्य	भारतीय जनसंख्या का प्रतिशत	भारत के क्षेत्रफल का प्रतिशत
आसाम	२·७२	४·१८	पश्चिम बंगाल	३·८१	३·०१
आन्ध्र	८·२४	६·४१	बिहार	१०·६४	५·६६
उड़ीसा	४·०२	५·३४	मद्रास	७·७१	४·४५
उत्तरप्रदेश	१६·६०	१०·०६	मध्यप्रदेश	७·४२	१५·१६
केरल	३·८७	१·३३	महाराष्ट्र	६·०५	१०·५५
गुजरात	४·७३	६·४०	मैसूर	५·४०	६·५७
जम्मू और कश्मीर	अप्राप्य	अप्राप्य	राजस्थान	४·६२	११·७२
पंजाब	४·६५	४·१८			

संघीय क्षेत्र

राज्य	भारतीय जनसंख्या का प्रतिशत	भारत के क्षेत्रफल का प्रतिशत
अन्दमन निकोबार	०·०१	अप्राप्य
त्रिपुरा	०·२६	०·३६
दिल्ली	०·६१	०·०५
लक्काद्वीप, मिनीकोय, अमीनदीवी-द्वीपसमूह	०·०१	अप्राप्य
हिमाचल-प्रदेश	०·३१	०·६७

विभिन्न राज्यों के अन्दर नागरिक जनसंख्या में प्रति सहस्र पुरुषों में स्त्रियों की संख्या इस प्रकार है—

राज्य	१९६१	१९५१	राज्य	१९६१	१९५१
आसाम	६८०	६८२	पश्चिम बंगाल	७००	६६०
आन्ध्र	९५०	९८७	बिहार	८०६	८४२
उड़ीसा	८१७	८८१	मद्रास	९६२	९८६
उत्तरप्रदेश	८१४	८२०	मध्यप्रदेश	८५३	९०७
केरल	—	९९०	महाराष्ट्र	८००	८०८
गुजरात	८९६	९२०	मैसूर	९१२	९१४
जम्मू और कश्मीर	८४७	—	राजस्थान	९०२	९२८
पंजाब	८१३	८१२			

विभिन्न राज्यों के अन्दर प्रति सहस्र व्यक्तियों में पढ़े-लिखे व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है—

राज्य	१९६१	१९५१	राज्य	१९६१	१९५१
आसाम	२५८	१८३	महाराष्ट्र	२९७	२०९
आन्ध्र	२०८	१३१	मद्रास	३०२	२०८
उड़ीसा	२१५	१५८	मध्यप्रदेश	१६९	९८
उत्तरप्रदेश	१७५	१०८	मैसूर	२५३	१९३
केरल	४६२	४०७	राजस्थान	१४७	८९
गुजरात	३०३	२३१	अन्दमन निकोबार-द्वीपसमूह	३३६	२५८
जम्मू और कश्मीर	१०७	अप्राप्य	दिल्ली	५१०	३८४
पंजाब	२३७	१५२	त्रिपुरा	२२२	१५५
पश्चिम बंगाल	२९१	२४०	हिमाचल-प्रदेश	१४६	७७
बिहार	१८२	१२२			

जनसंख्या में नर-नारी का अनुपात

भारत की जनसंख्या में स्त्री-पुरुष के अनुपात का विश्लेषण करने से पता चला है कि गत ६० वर्षों से, अर्थात् सन् १९०१ से १९६१ ई० तक स्त्री की संख्या में ह्रास होता चला आ रहा है। राज्य के हिसाब से केरल, आन्ध्र और राजस्थान में उक्त अवधि के बीच नारियों की संख्या में कभी वृद्धि, कभी ह्रास हुआ है। सन् १९५१ और १९६१ ई० के बीच आसाम और बिहार में नर-नारियों की संख्या का अनुपात प्रायः स्थिर रहा है। मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा और उत्तरप्रदेश में स्त्रियों की संख्या में उल्लेखनीय और गुजरात में सामान्य ह्रास हुआ है। प्रति एक हजार पुरुषों में राजस्थान में स्त्रियों की आनुपातिक संख्या ९०८, जम्मू और कश्मीर में ८८३, आसाम में ८७७, पंजाब में ८६८, केरल में १०२२, उड़ीसा में १००२, मद्रास में ९८९, आंध्र में ९७९, मैसूर में ९५९, गुजरात में ९३९, महाराष्ट्र में ९३५, बिहार में ९९१ और मध्यप्रदेश में ९५३ है।

पुरुषों की संख्या के अनुपात से स्त्रियों की सर्वाधिक संख्या केरल और उड़ीसा में है। वहाँ प्रति दो हजार की जनसंख्या में २४ स्त्रियों का आधिक्य है। पंजाब में यह संख्या सबसे कम है—प्रति एक हजार पुरुषों में ८६८ स्त्रियाँ, अर्थात् प्रति हजार में १३२ कम स्त्री। प्रति एक हजार पुरुषों में स्त्रियों की कम संख्या विभिन्न राज्यों में इस प्रकार है—राजस्थान ६२, जम्मू और कश्मीर ११७, पश्चिम बंगाल १२१, आसाम १२३, मद्रास ११, आंध्र २१, मैसूर ४१, गुजरात ६१, महाराष्ट्र ६५, बिहार ६, उत्तरप्रदेश ९१ और मध्यप्रदेश ४८।



विदेशों में भारतीय

देशों के नाम		भारतीयों की संख्या		आनुमानिक वर्ष
अदन	....	१५,८१७	...	१९५५
अस्ट्रेलिया	....	२,५००	...	१९५८
बर्बाडोस	...	१४०	...	१९५५
बासुटोलैंड	....	२४७	....	१९५६
बेचुआनालैंड	...	६२	...	१९३६
ब्रिटिश गायना	....	२,१०,०००	...	१९५४
ब्रिटिश हौण्डुरास	...	३४	...	१९६०
ब्रिटिश उत्तरी बोर्नियो	....	२,०००	....	१९५४
ब्रिटिश सोमालीलैंड	....	२५०	...	१९४६
ब्रुनेई	....	२,०००	...	१९५८
कनाडा	...	४,०००	...	१९५९
श्रीलंका	...	८,५२,४६३	...	१९६०
डमिनिका	....	५	....	१९५०
फिजी द्वीप-समूह	....	१,९७,९५२	...	१९६०
जिब्राल्टर	...	४१	...	१९४६
घाना	...	४७५	...	१९५९
ग्रेनाडा	...	६,०००	...	१९५९
हाँगकाँग	...	३,०००	...	१९५७
जमैका	....	२६,०००	...	१९५४
केनिया	....	१,७४,३००	...	१९६०
लीवार्ड द्वीप-समूह	...	९९	...	१९४६
मलाया	....	६,९५,९८५	....	१९५९
माल्टा	....	३७	...	१९४८
मॉरिशस	...	४,०१,८७१	...	१९५९
न्यूजीलैंड	...	२,६००	....	१९५९

देशों के नाम	भारतीयों की संख्या	आनुमानिक वर्ष
नाइजीरिया	२९०	१९५९
न्यासालैंड ...	१०,८००	१९६०
रोडेशिया (उत्तरी)	६,६३६	१९६०
रोडेशिया (दक्षिणी) ...	५,५१२	१९६०
सारावक	२,०००	१९५८
सीकेलीज ...	२५० ...	१९५९
सियरालियोन ...	१०० ...	१९५९
सिंगापुर	१,२४,०८४	१९५७
दक्षिण अफ्रिका ...	५,००,००० (अनुमान) ...	११९१
सेण्टक्रिट्स	९७	१९५०
सेण्ट लूशिया ...	३,०००	१९५४
सेण्ट विन्सेण्ट ...	२,०००	१९५४
स्वाजीलैंड ...	७१,६६० ...	१९५७
टैंगनिका ...	८७,३००	१९६०
ट्रिनिडाड और टोवैगो	२,६७,०००	१९५७
युगाण्डा ...	७६,३००	१९६०
युनाइटेड किंगडम	१,७०,००० (लगभग)	१९५८
जंजीवार ...	१८,३३४	१९६०
अदन प्रोटेक्टरेट ...	१००	१९५६
अफगानिस्तान	३८	१९५९
अर्जेण्टाइना	२५० (लगभग) ...	१९५८
अस्ट्रिया ...	९२ ...	१९५९
वहरेन	३,००० ...	१९५४
कांगो ...	१७०	१९६०
बेलजियम ...	७८ ...	१९५९
ब्राजिल ...	६०	१९५५
बलगेरिया ...	३	१९५३
वर्मा ...	७,००,००० ...	१९५८
कम्बोडिया ...	२००	१९५९
कनारी द्वीप-समूह ...	५००	१९५९
चिली ...	१ ...	१९६०
चीन ...	२२७ ...	१९६०
क्यूबा	२३ (लगभग) ...	१९५८
चेकोस्लोवाकिया ...	४	(मई) १९५५
डेनमार्क ...	२२	१९५५

देशों के नाम		भारतीयों की संख्या		आनुमानिक वर्ष
डच गायना	...	७१,०००	...	१९५९
मिस्र	...	१००	...	१९५६
इथोपिया	...	२,०००	...	१९५९
फिनलैंड	...	४	...	१९६०
फ्रांस	...	२६५	...	१९५७
जर्मनी (पश्चिमी और पूरबी)		३५	....	१९५३
पश्चिम जर्मनी		२,१५० (छात्र और प्रशिक्षणार्थी)		१९६०
कोस्टारिका	....	१०	...	१९६०
डोमिनिकन रिपब्लिक		१	...	१९६०
फ्रेंच सोमालीलैंड	....	२५०	...	१९५८
गुआटेमाला	...	२	...	१९६०
इण्डोचाइना	....	२,३००	...	१९५०
इण्डोनेशिया-गणराज्य	...	३०,०००	...	१९५८
ईरान	...	१,०००	...	१९६०
इराक	...	८५०	....	१९५४
इटालियन सोमालीलैंड	...	१,०००	....	१९४७
इटली	...	३२५	....	१९५९
जापान	...	१,११७	....	१९६०
कुवैत	...	२,५००	....	१९५४
लेबनान	...	५९	....	१९५५
लीबिया	...	२७	....	१९५६
लक्जेमबर्ग	...	२	....	१९५९
मडागास्कर	...	१३,१५३	....	१९५९
मेक्सिको	...	१२ (लगभग)	....	१९५८
मसकट	...	१,१४५	....	१९४७
नेपाल	....	१०,४४१	....	१९४१
नेदरलैंड	...	२	...	१९५९
पैलेस्टाइन	...	५६	....	१९४७
पनामा	...	८००	....	१९६०
फिलिपाइन	...	१,६७५	....	१९५८
पुर्त्तगाल	...	१	....	१९५२
पुर्त्तगीज पूर्व अफ्रिका	...	६,०००	....	१९५९
कातर (फारस की खाड़ी)	....	८००	....	१९५४
रियूनियन द्वीप-समूह	...	५००	....	१९५९
सऊदी अरब	....	५,०००	....	१९५६

देशों के नाम	भारतीयों की संख्या		आनुमानिक वर्ष
शरजाह दुबाई (फारस की खाड़ी)	२५०	....	१९५४
सूडान	२,५००	....	१९५७
स्पेन	२,०००	....	१९५९
स्वीडन ...	७६	....	१९५७
स्विट्जरलैंड	२५०	....	१९५७
सीरिया	१३	...	१९५९
थाईलैंड	[illegible]	....	१९५८
सं० रा० अमेरिका	[illegible]	....	१९५८
रूस	३३०	....	१९५९
स्पेनिश मोरोक्को	५००	....	१९५९
यमन	५०	....	१९५६
वीतनाम ...	[illegible]	....	१९६०
लाओस	१,०००	...	१९५९
निकारा गुआ	१५	....	१९६०
रुआण्डा-बुरुण्डी ...	४००	....	१९६०
रुमानिया ...	५६	....	१९५९

☆

भारत के दर्शनीय स्थान

आंध्र

गोलकुण्डा—हैदराबाद से ५ मील पर। यहाँ एक पुराना किला है।

तिरुपति वालाजी—यहाँ श्रीवेंकटेश्वर का भारत-प्रसिद्ध मन्दिर है।

मल्लिकार्जुन—यहाँ श्रीशैल द्वादशज्योतिर्लिङ्गों में एक मल्लिकार्जुन-लिङ्ग है, जो एक प्राचीन मन्दिर में अवस्थित है। यह प्रसिद्ध तीर्थस्थान तथा ५१ शक्तिपीठों में एक है।

विशाखापत्तनम्—यहाँ एक बड़ा वन्दरगाह और जहाज बनाने का कारखाना है। यहाँ प्रति वर्ष १५ हजार टन तक के चार जहाज बन सकते हैं। यहाँ कलटेक्स का तेल-शोधक कारखाना भी है।

हैदराबाद-सिकन्दराबाद—यह आंध्र-प्रदेश की राजधानी है। यहाँ के दर्शनीय स्थानों में चारमीनार, उस्मानिया-विश्वविद्यालय, संग्रहालय और चित्रशाला, शालार जंग म्युजियम, हेल्थ-म्युजियम और पब्लिक गार्डेन प्रमुख हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर गोलकुण्डा का किला है।

आसाम

कामाख्या—यह भारत के सिद्धपीठों में सर्वप्रमुख है। यहाँ कामाक्षी देवी का मन्दिर है, जो कूचबिहार के राजा विश्वसिंह एवं शिवसिंह का बनवाया हुआ है। यहाँ के प्राचीन मन्दिर को सन् १५६४ ई० में कालापहाड़ ने ध्वस्त कर दिया। उसके भग्नावशेष अब भी वर्त्तमान हैं।

शिलांग—यह आसाम की राजधानी है। यहाँ से ३६ मील पर संसार का सबसे अधिक वर्षावाला चेरापुंजी नामक स्थान है, जहाँ साल में लगभग ५००" वर्षा होती है।

उड़ीसा

कटक—यह उड़ीसा का प्रमुख नगर तथा तीर्थस्थान है। यहाँ महानदी के किनारे धवलेश्वर महादेव का मन्दिर तथा अन्य अनेक देव-मन्दिर हैं। यह हाल तक उड़ीसा-प्रान्त की राजधानी था।

कोणार्क—यहाँ का सूर्य-मन्दिर अपनी प्राचीन स्थापत्य-कला के लिए प्रसिद्ध है। यह मन्दिर सूर्य के रथाकार रूप में है, जिसमें रथ के पहिये तथा घोड़े भी दिखाये गये हैं। यह पुरी से पचास मील तथा भुवनेश्वर से चालीस मील की दूरी पर है।

पुरी—समुद्र के किनारे पर बसे इस नगर में सुप्रसिद्ध जगन्नाथजी का मन्दिर है। इसकी गणना चार धामों में की जाती है।

भुवनेश्वर—उड़ीसा की यह नई राजधानी और हिन्दुओं का तीर्थस्थान है। यहाँ हजारों मन्दिर थे, पर अब ये सैकड़ों की संख्या में ही हैं। इनमें लिंगराज-मन्दिर, मुक्तेश्वर-मन्दिर, परशुरामेश्वर-मन्दिर तथा राजरानी-मन्दिर प्रसिद्ध हैं। पास ही खंडगिरि और उदयगिरि में जैनों और बौद्धों की गुफाएँ और धौली में अशोक के शिलाभिलेख हैं। भुवनेश्वर कटक से २० मील और पुरी से ३८ मील की दूरी पर है।

रूरकेला—इस स्थान पर सरकारी सहायता से एक लोहे का कारखाना चल रहा है।

हीराकुण्ड—महानदी पर तीस करोड़ रुपये के खर्च से सिंचाई और विद्युत्-उत्पादन-कार्य के लिए इसका निर्माण किया गया है। यहाँ से उत्पन्न विद्युत् का उपयोग रूरकेला के लोहे के कारखाने तथा अन्य उद्योग-धंधों में किया जाता है।

उत्तरप्रदेश

अयोध्या—यह हिन्दुओं का पवित्र तीर्थस्थान तथा एक सुप्रसिद्ध नगर है। इक्ष्वाकु से श्रीरामचन्द्र तक सभी चक्रवर्ती राजाओं की यह राजधानी रह चुका है। कहा जाता है कि महाराज विक्रमादित्य ने अयोध्या का जीर्णोद्धार किया। यहाँ अनेक मन्दिर हैं, जिनमें कनक-मन्दिर, हनुमान-गढ़ी, तुलसीचौरा आदि मुख्य हैं। यह बौद्धों एवं जैनों का भी तीर्थस्थान है।

आगरा—यह नगर यमुना नदी के किनारे है, जिसकी जनसंख्या ४ लाख है। यह मुगल-सम्राट् बाबर, अकबर, जहाँगीर और शाहजहाँ के समय भारत की राजधानी था। यहाँ के दर्शनीय स्थान हैं—ताजमहल, किला, जुम्मा मस्जिद, मोती मस्जिद, इतमादुद्दौला का मकबरा, ५ मील दूर सिकन्दरा में अकबर का मकबरा और दयालबाग। यहाँ से २५ मील दूर फतहपुर-सिकरी है। मुगल-सम्राट् अकबर ने इसका निर्माण कराया था।

ऋषिकेश—यह हिमालय के अंचल में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य अत्यन्त ही मनोरम है। यहाँ का प्राचीन भरत-मन्दिर अति प्रसिद्ध है। इसके पास ही लक्ष्मण-झूला तथा स्वर्गाश्रम है।

कन्नौज (कान्यकुब्ज)—यह एक वैभवपूर्ण नगर रह चुका है। धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से इसका विशेष महत्त्व है। यहाँ अब भी प्राचीन खँडहर पाये जाते हैं। प्राचीन काल में महर्षि ऋचीक ने यहीं महाराज गाधि की कन्या से विवाह किया था।

काशी—वाराणसी (बनारस) का दूसरा नाम। दे० वाराणसी।

कुशीनगर—गोरखपुर जिले का कसिया ग्राम ही प्राचीन कुशीनगर है। यह बौद्धतीर्थ है। ८० वर्ष की अवस्था में भगवान् बुद्ध ने यहीं महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था।

नैनीताल—उत्तरप्रदेश का यह प्रसिद्ध शीतल पहाड़ी स्थान है। काठगोदाम रेलवे-स्टेशन से ३२ मील चलकर यहाँ मोटर-बस पहुँचती है। यह स्थान समुद्र-तल से ६,३५० फुट ऊँचा है। यह नगर एक बड़ी झील के किनारे-किनारे बसा है। यहाँ से हिमालय का सुन्दर दृश्य दिखाई पड़ता है।

नैमिषारण्य—उत्तरप्रदेश में बालामऊ-स्टेशन से यह स्थान १६ मील दूर है। यह हिन्दुओं का पवित्र तीर्थस्थान है। यहीं सूतजी ने शौनकजी को अठारहों पुराणों की कथा सुनाई थी। इसके आसपास अनेक मन्दिर हैं, जिनमें भूतनाथ महादेव का मन्दिर मुख्य है।

पिपरी—मिरजापुर जिले में स्थित इस स्थान में ४६ करोड़ रुपये के खर्च से रिहंद नामक नदी पर बाँध बाँधकर विद्युत्-उत्पादन का काम किया जा रहा है। यहाँ अलमुनियम का एक बहुत बड़ा कारखाना खुल रहा है।

प्रयाग (इलाहाबाद)—गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर यह हिन्दुओं का परम पावन तीर्थ है। सरस्वती नदी अब नहीं रह गई है। पास में एक पुराना किला है, जहाँ एक अशोक-स्तम्भ है। यहाँ जमीन के नीचे एक मन्दिर है, जहाँ अक्षयवट वृक्ष बताया जाता है। संगम पर ६ वर्ष पर अर्द्धकुम्भ और १२ वर्ष पर कुम्भ का मेला लगता है। भारत के प्रधान मंत्री श्रीजवाहरलाल नेहरू का निवास-स्थान यहीं है।

फतहपुर-सिकरी—आगरा से २५ मील पर इस स्थान में सम्राट् अकबर ने १५६६ ई० में एक नगर बसाया और इसे राजधानी बनाने के लिए यहाँ महल बनवाये। अकबर के पुत्र जहाँगीर का जन्म यहीं हुआ था। किन्तु, कुछ ही दिनों के बाद जल के अभाव से इस स्थान को छोड़ देना पड़ा। यहाँ के महल, मस्जिद आदि उजले और लाल पत्थर के बने हैं। यहाँ की इमारतों में बुलन्द-दरवाजा, जामी मस्जिद, पंचमहल, दीवान-ए-खास, मरियम-भवन, जोधाबाई-महल, बीरबल-भवन, हाथी टावर और खास महल हैं।

मथुरा-वृन्दावन—मथुरा यमुना नदी के तट पर स्थित भगवान् श्रीकृष्ण की जन्मभूमि है। यहाँ द्वारकाधीश का मन्दिर प्रसिद्ध है। यहाँ एक म्युजियम भी है। मथुरा से ६ मील पर इसी नदी के किनारे वृन्दावन है। यह नगर मन्दिरमय है। यहाँ श्रीरंगजी का सबसे बड़ा मन्दिर है। व्रजमंडल में इन दो स्थानों के अतिरिक्त गोकुल, बलदाऊ बरसाने और गोवर्धन पर्वत हिन्दुओं के तीर्थस्थान हैं।

मसूरी—यह स्वास्थ्यप्रद पहाड़ी स्थान देहरादून से १८ मील पर है। यह समुद्र-तल से ६,५८० फुट ऊँचा है। यहाँ से हिमालय की चोटियों के मनोहर दृश्य दिखाई पड़ते हैं। यहाँ अनेक जल-प्रपात हैं।

मेरठ—यह नगर दिल्ली से ५७ मील की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि द्वापर में यही खाण्डव-वन था। विश्वकर्मा मय दानव यहीं रहा करता था।

लखनऊ—यह मुगलकालीन भारत का एक सांस्कृतिक केन्द्र था। इस समय यह उत्तर-प्रदेश की राजधानी है। यहाँ के दर्शनीय स्थानों में बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, बाजिद अली शाह और उनकी बेगम का मकबरा, कैसरबाग महल, दिलखुश महल, मोती महल, जुम्मा-मस्जिद, चारबाग, आलाबाग, सिकन्दरबाग, मूसाबाग, म्युजियम, चिड़ियाखाना, वेधशाला आदि हैं।

वाराणसी (बनारस)– गंगा नदी के किनारे बसी हुई यह प्राचीन नगरी हिन्दुओं का एक पवित्र तीर्थस्थान है, जिसका सम्बन्ध मुख्यतः विश्वनाथ महादेव से है। यह शिव की नगरी समझी जाती है। इसका दूसरा नाम काशी है। यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थान हैं—विश्वनाथ-मंदिर, मान-मंदिर (सवाई जयसिंह-निर्मित वेधशाला), भारतमाता का मन्दिर, औरंगजेब की मस्जिद, ज्ञानवापी, बनारस हिन्दू-विश्वविद्यालय और रामनगर का किला।

श्रावस्ती—यह गोंडा जिले में बलरामपुर स्टेशन से १२ मील की दूरी पर स्थित है। यह कोसल-राज्य की राजधानी रह चुकी है। यह बौद्धों एवं जैनों का तीर्थस्थान है।

सारनाथ—वाराणसी के पास बौद्धों का तीर्थस्थान, जहाँ पुरातत्त्व-विभाग के उत्खनन से अशोककालीन स्तूप आदि अनेक वस्तुएँ मिली हैं। यहीं भगवान् बुद्ध ने बौद्धधर्म का प्रचार आरम्भ किया था।

हरद्वार—हिमालय की तराई में गंगा के दाहिने तट पर स्थित यह हिन्दुओं का पवित्र तीर्थ है। यहाँ का दृश्य मनोरम है। यहीं से गंगा समतल भूमि पर उतरती है। यहाँ प्रति बारहवें वर्ष कुम्भ का तथा प्रति छठे वर्ष अर्द्धकुम्भ का मेला लगता है। यहाँ की पाँच मायापुरियों में कनखल भी है, जो एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान है।

हस्तिनापुर—यह स्थान मेरठ नगर से २२ मील की दूरी पर स्थित है। द्वापर-युग में पाण्डवों की राजधानी यहीं थी। यह जैनों का प्रसिद्ध तीर्थस्थान है।

कश्मीर

अमरनाथ—यह कश्मीर-राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। समुद्र-तल से १६,००० फुट की ऊँचाई पर लगभग ६० फुट लम्बी, २५ से ३० फुट चौड़ी और १५ फुट ऊँची यहाँ एक प्राकृतिक गुफा है, जिसमें हिम-निर्मित प्राकृतिक शिवलिङ्ग है। यहाँ प्रति वर्ष हजारों तीर्थ-यात्री आते हैं।

बूढ़े अमरनाथ—यह कश्मीर-राज्य में पुंछ नगर से १४ मील दूर एक तीर्थस्थान है। यहाँ ऊँची-ऊँची पहाड़ियों से घिरा एक मन्दिर है, जो एक ही उजले पत्थर से निर्मित है। अमरनाथ महादेव की मूर्त्ति के नीचे से निरन्तर जल निकला करता है। इसके समीप ही पुलस्ता नदी है, जिसके तट पर महर्षि पुलस्त्य का आश्रम था।

केरल

त्रिवेन्द्रम—यह केरल-राज्य की राजधानी है। इसे दक्षिण-भारत का कश्मीर कहा जाता है। यहाँ पुराने महल, म्युजियम, चित्रशाला, चिड़ियाखाना, पद्मनाभ का मन्दिर आदि दर्शनीय स्थान हैं।

गुजरात

अहमदाबाद—भारत का यह सबसे बड़ा सूती वस्त्रोत्पादक केन्द्र है। यहाँ १५वीं और १६वीं सदी की अनेक प्रसिद्ध मुस्लिम इमारतें हैं। यहाँ के अन्य दर्शनीय स्थान हैं—महात्मा गांधी का साबरमती-आश्रम, गुजरात-विद्यापीठ; गुजरात-विश्वविद्यालय, टेक्सटाइल रिसर्च इन्स्टिट्यूट आदि।

आनन्द—बड़ौदा और अहमदाबाद के बीच इस शहर में दूध और मक्खन तैयार करनेवाली सहकारी समिति का प्रधान कार्यालय है। यह सहकारी दुग्धशाला बिलकुल आधुनिक ढंग से बनी हुई है। इसके अन्तर्गत एक हजार तीन सौ वर्गमील के चालीस हजार कृषक सम्मिलित हैं।

काम्बे—यह प्राचीन ऐतिहासिक स्थान और बन्दरगाह है। यहाँ के लूनेज नामक स्थान में तेल और प्राकृतिक गैस का पता चला है। यहाँ रूसी सहायता से इस समय तेल का बहुत बड़ा कारखाना चल रहा है।

जूनागढ़—गुजरात में यह गिरनार पर्वत के नीचे बसा है। पर्वत के ऊपर स्थित मंदिर अपनी स्थापत्य-कला और चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ अशोक का शिलालेख है।

द्वारकाधाम——यह हिन्दुओं के चार धामों में एक है। यह समुद्र के किनारे स्थित है। यदुराज श्रीकृष्ण मथुरा छोड़कर यहीं आ बसे थे। यहाँ द्वारकाधीश या रणछोड़जी का सतमंजिला मन्दिर है। यहीं जगद्गुरु शंकराचार्य का शारदा-मठ है।

पोरबन्दर—यह विश्ववंद्य महात्मा गांधी का जन्म-स्थान है। यहीं श्रीकृष्ण के सखा सुदामाजी का निवास-स्थान था। इससे यह एक तीर्थस्थान बन गया है।

प्रभासपाटम (सोमनाथ)—यहाँ सुप्रसिद्ध सोमनाथ का मंदिर था। उसी स्थान पर सन् १९५१ ई० में नवीन मंदिर तथा मूर्त्ति का निर्माण किया गया है।

बड़ौदा—यह गुजरात का प्रसिद्ध नगर है।

दिल्ली

दिल्ली—यह भारत की हजारों वर्ष पुरानी राजधानी है। जहाँ पुरानी राजधानी थी, उसे दिल्ली और जहाँ आज नई राजधानी बनी है, उसे नई दिल्ली कहते हैं। समय-समय पर दिल्ली के कई नाम पड़े; जैसे—तुगलकाबाद, जहानाबाद, फिरोजाबाद, शाहजहाँबाद आदि। यहाँ के दर्शनीय स्थान हैं—लाल किला, जामा मस्जिद, अशोक-स्तम्भ, कुतुबमीनार, हुमायूँ का मकबरा, फिरोजशाह कोटला, पुराना किला, नेशनल म्युजियम, जन्तर-मन्तर (पुरानी वेधशाला), राष्ट्रपति-भवन, संसद्-भवन, विज्ञान-भवन, पालम (हवाई अड्डा) और राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि।

पंजाब

अमृतसर—यह उत्तर रेलवे का जंक्शन तथा पंजाब का प्रसिद्ध नगर है। यहाँ का स्वर्ण-मंदिर सिखों का मुख्य गुरुद्वारा है। नगर के मध्य में 'अमृतसर' नामक एक सरोवर है, जिसके नाम पर इस नगर का नाम पड़ा है। इस नगर का जलियानवाला बाग, जहाँ जेनरल डायर ने सन् १९१९ ई० में निरीह नागरिकों पर गोलियाँ चलवाई थीं, राष्ट्रीय महत्त्व का स्थान बन

गया है। अन्य दर्शनीय स्थानों में बाबा अटल टावर, अकाल तख्त, रामबाग, गोविन्दगढ़, आदि हैं।

कुरुक्षेत्र—कहते हैं कि इसी पावन भू-क्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर ऋषियों ने सर्व-प्रथम वेदमन्त्रोच्चार किया था। यह महाभारत-युद्ध की समर-भूमि रह चुका है, जहाँ भगवान् श्रीकृष्ण ने गीता का अमर संदेश सुनाया था। थानेश्वर, पानीपत, तरावड़ी, कैथल, करनाल इत्यादि युद्ध-क्षेत्र इसी भूमि में स्थित हैं। यहाँ सूर्यग्रहण तथा कुम्भ के अवसर पर मेला लगता है।

चंडीगढ़ —यह पंजाब की नई राजनगरी है, जो नये ढंग से निर्मित की गई है। यह उत्तरी रेलवे के कालका-स्टेशन के पास है।

ज्वालामुखी—यहाँ पेट्रोलियम की खान का पता चला है। रूमानिया-सरकार की सहायता से यहाँ तेल निकालने के कुएँ खोदने का काम चल रहा है।

भाखरा-नांगल—सतलज नदी के किनारे इन दो नगरों में लगभग दो अरब के खर्च से जल-विद्युत् का कारखाना चल रहा है। यह देश का सबसे बड़ा कारखाना है। यहाँ सतलज का पानी बाँध द्वारा संचित होकर सिंचाई तथा विद्युत्--उत्पादन के कार्य में आता है। यहाँ के बाँध की ऊँचाई ७४० फुट है, जो भारत के सभी बाँधों की ऊँचाई से अधिक है।

पश्चिम बंगाल

कलकत्ता—भारत का सबसे बड़ा नगर और प्रमुख व्यावसायिक केन्द्र है। यह अँगरेजी शासन-काल में सन् १६१२ ई० तक भारत की राजधानी रहा। यहाँ के दर्शनीय स्थानों में विक्टोरिया मेमोरियल (चित्रशाला और संग्रहालय), इंडियन म्युजियम, चिड़ियाखाना, कालीघाट-मन्दिर, पारसनाथ-मंदिर, नेशनल लाइब्रेरी, राजभवन, बेलवेडियर हाउस, फोर्ट विलियम, इडेन गार्डेन, टाउन-हॉल, हॉग्स मार्केट, डलहौसी स्क्वायर, घुड़दौड़ का मैदान, ढकुरिया झील आदि हैं। पास के देखने योग्य स्थानों में बेलूर मठ (रामकृष्ण मिशन का प्रधान केन्द्र), बोटैनिकल गार्डेन, डायमण्ड हार्बर, दमदम (हवाई अड्डा) आदि हैं।

गङ्गासागर—कलकत्ता से लगभग ६० मील दक्षिण, जहाँ गङ्गा नदी समुद्र में गिरती है, सागर-द्वीप है। यहीं मकर-संक्रांति के अवसर पर गङ्गासागर का मेला लगता है। प्राचीन काल में यहाँ कपिल मुनि का आश्रम था।

तारकेश्वर—हवड़ा से लगभग ३५ मील दूर तारकेश्वर नामक तीर्थस्थान है। यहाँ का तारकेश्वर-मंदिर भारत-प्रसिद्ध है। मन्दिर के पास ही दुग्ध-गङ्गा नामक सरोवर तथा काली-मन्दिर है।

दक्षिणेश्वर—कलकत्ता के समीप ही गंगा के किनारे दक्षिणेश्वर नामक स्थान है, जहाँ एक काली-मंदिर है। मन्दिर के घेरे में ११ शिव-मन्दिर हैं। यहीं रामकृष्ण परमहंसदेव ने महाकाली की आराधना की थी। मन्दिर के पास ही परमहंसदेव का वह कमरा है, जिसमें वे निवास करते थे। उस कमरे में उनका पलंग एवं अन्य स्मृति-चिह्न सुरक्षित हैं। पास ही परमहंस की धर्मपत्नी श्रीशारदा माता तथा रानी रासमणि के समाधि-मन्दिर हैं।

दार्जिलिंग—यह पश्चिम बंगाल का पर्वतीय स्थान है, जो समुद्र-तल से ७,११० फुट ऊँचा है। यहाँ से हिमालय की कंचनजंघा आदि चोटियों के सुन्दर दृश्य दिखाई पड़ते हैं। साफ

दिनों में एवरेस्ट की चोटी भी देखने में आती है। यहाँ के दर्शनीय स्थानों में गवर्नमेंट हाउस, म्युजियम, ऑब्जर्वेटरी हिल, बौटैनिकल गार्डेन, संचाल-झील, घूम-मठ आदि हैं।

दुर्गापुर—यहाँ ब्रिटेन की सहायता से बहुत बड़ा लोहे का कारखाना चल रहा है। यहाँ कोयला तैयार करने का कारखाना, दामोदर वैली-कारपोरेशन का ताप-विद्युत्-कारखाना और नहर चालू हैं। पास ही चश्मे के शीशे का कारखाना खोलने की तैयारी हो रही है।

नवद्वीप—हवड़ा से ६६ मील दूर नवद्वीप-धाम स्टेशन है, जहाँ से एक मील दूर नवद्वीप नगर है। यह चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि होने के कारण वैष्णवों का महातीर्थ बन गया है। श्रीगौराङ्ग महाप्रभु-मन्दिर यहाँ का प्रमुख मन्दिर है।

बर्नपुर और कुल्टी—विहार और बंगाल की सीमा पर आसनसोल के पास यहाँ इंडियन आयरन ऐण्ड स्टील कम्पनी का बहुत बड़ा कारखाना है।

बाटानगर—कलकत्ता के पास इस नगर में बाटा-कम्पनी का बहुत बड़ा जूते का कारखाना है।

शान्ति-निकेतन—बोलपुर से दो मील दूर इस स्थान पर विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने विश्व-भारती नामक अन्तरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो अब भारत-सरकार के अधीन है।

विहार

अजगैवीनाथ—सुलतानगंज स्टेशन से लगभग एक मील दूर गङ्गा नदी की बीच धारा में एक ऊँची चट्टान पर अजगैवीनाथ (अजगवीनाथ) महादेव का एक मन्दिर स्थित है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ जह्नु ऋषि का आश्रम था।

कोशी-बाँध—उत्तर विहार की कोशी नदी पर ४५ करोड़ रु० के खर्च से बाँध बाँधकर इसकी बाढ़ के पानी और इसकी बराबर बदलनेवाली धारा को रोका गया है। यहाँ जल-विद्युत् तैयार करने की भी योजना है।

गया—यहाँ के मन्दिरों में विष्णुपद का मन्दिर मुख्य है। इसे इन्दौर की प्रसिद्ध रानी अहल्याबाई ने १८वीं शती में बनवाया था। यह हिन्दुओं का प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। यहाँ सारे भारत से हिन्दू लोग अपने पितरों को पिंड-दान के लिए आते हैं। इसके पास ही बौद्धों का प्रसिद्ध तीर्थस्थान बोधगया है, जिसका विवरण अलग दिया गया है।

जमशेदपुर—पिछले साठ वर्षों से यहाँ लोहे के कई बड़े-बड़े कारखाने चल रहे हैं। यह विहार का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है। बम्बई के प्रसिद्ध उद्योगपति जमशेदजी ताता के नाम पर इस नगर का नाम पड़ा है। इसका दूसरा नाम तातानगर या टाटानगर है।

डालमियानगर—शाहाबाद जिले के इस स्थान पर रामकृष्ण डालमिया के प्रयत्न से सीमेंट, कागज, वनस्पति घी, अस्बेस्टस आदि के कारखाने चल रहे हैं और यह डालमिया के नाम पर विहार का एक प्रमुख नगर ही हो गया है। इससे लगा हुआ, रेलवे-लाइन के दूसरी ओर, डेहरी-ऑन-सोन नगर है।

तातानगर (टाटानगर)—दे० जमशेदपुर।

दामोदर घाटी-निगम-केन्द्र—विहार और बंगाल के अन्तर्गत दामोदर नदी पर बाँध बाँधकर नहर और कई विद्युत्-केन्द्र निर्मित किये गये हैं। इसके चार बाँध तिलैया, कोनार, मैथन

और पंचेत पहाड़ी—इन चार स्थानों पर बने हुए हैं। पिछले तीन स्थानों पर जल-विद्युत्-केन्द्र तथा बोकारो और दुर्गापुर में ताप-विद्युत्-केन्द्र हैं। इसके प्रत्येक जल-भाण्डार से नहरें निकाली गई हैं।

नालन्दा—पटना-जिला के अन्तर्गत इस स्थान पर प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय था, जहाँ चीन, तिब्बत, जापान, इंडोनेशिया आदि सभी बौद्ध देशों से लोग शिक्षा प्राप्त करने लिए आते थे। इसके खँड़हर आज भी विद्यमान हैं। यहाँ पालि-साहित्य के अध्ययन एवं अनुसन्धान के लिए नवनालंदा-महाविहार की स्थापना की गई है। यहाँ एक छोटा-सा म्युजियम भी है।

पटना—यह प्राचीन मगध-राज्य की राजधानी थी, जिसके पुराने नाम पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, अजीमाबाद आदि थे। इस समय यह बिहार-राज्य की राजधानी है। यहाँ के दर्शनीय स्थानों में पाटलिपुत्र के खँड़हर (कुम्हरार, बुलन्दीबाग), म्युजियम, जालान-संग्रहालय, गोलघर, खुदाबख्श खाँ लाइब्रेरी, राजभवन, सचिवालय, पत्थर की मस्जिद, हर-मंदिर (गुरुगोविन्दसिंह का जन्म-स्थान), अगमकुआँ तथा बड़ी और छोटी पटनदेवी के मन्दिर प्रमुख हैं।

पावापुरी—यह पटना जिले में स्थित जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। यहाँ जैनों के चौबीसवें तीर्थङ्कर वर्द्धमान महावीर का निर्वाण हुआ था। यहाँ झील के बीच में एक मन्दिर है, जहाँ पुल से जाने का रास्ता है। यहाँ बहुत-से ताम्रपत्रों एवं शिलाओं पर उत्कीर्ण प्राचीन अभिलेख भी हैं।

बक्सर—यह शाहाबाद जिले में पटना-मुगलसराय लाइन पर स्थित है। यहाँ त्रेता-युग में सिद्धाश्रम था। महर्षि विश्वामित्र का आश्रम भी यहीं था। श्रीराम-लक्ष्मण ने यहीं मारीच, सुबाहु, ताड़का आदि का संहार कर ऋषियों के यज्ञ की रक्षा की थी।

बोधगया—गया से छह मील की दूरी पर यह बौद्धों का तीर्थस्थान है, जहाँ भगवान् बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। इस स्थान पर मध्ययुग का बना एक विशाल मन्दिर है। यहाँ के अन्य मन्दिर और धर्मशालाएँ भी देखने योग्य हैं।

मुँगेर—गंगा के किनारे यह एक ऐतिहासिक स्थान है। महाभारत-काल में इसका नाम मोदगिरी या मुद्गलपुरी था। यहाँ दानवीर कर्ण की राजधानी थी। कष्टहरणीघाट पर १०वीं शताब्दी का एक शिलालेख है। यहाँ से ५ मील दूर 'सीताकुण्ड' नामक गरम जल का कुण्ड है। यहाँ गंगातट पर अर्द्धगोलाकार चण्डी देवी का मन्दिर है, जो चट्टान काटकर बनाया गया है। यह एक सिद्ध उपपीठ माना जाता है। यहाँ एक बहुत प्राचीन किला है, जिसकी मरम्मत विभिन्न कालों में होती रही है। यह नगर मीरकासिम की भी राजधानी रह चुका है। यहाँ सिगरेट का बहुत बड़ा कारखाना है। पास के जमालपुर रेलवे-स्टेशन के पास रेलवे का बहुत बड़ा कारखाना है।

राँची—यह बिहार-राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। इसके पास ही हटिया में भारी मशीन-निर्माण का एक बड़ा कारखाना खुल रहा है।

राजगृह—इसका प्राचीन नाम गिरिव्रज है। यह हिन्दू, बौद्ध तथा जैन—तीनों का ही तीर्थस्थल है। पाटलिपुत्र के पूर्व मगध-राज्य की राजधानी यहीं थी। यहाँ मलमास में मेला लगता है। यहाँ गरम जल के कई कुण्ड हैं। यहाँ का मणियार मठ, ब्रह्मकुण्ड, गृध्रकूट-पर्वत, सोनभण्डार, जरासंध का अखाड़ा, सप्तपर्णी गुफा आदि दर्शनीय हैं।

विक्रमशिला—आठवीं से बारहवीं सदी तक यहाँ बौद्धों का विश्वविख्यात विश्वविद्यालय था, जहाँ भारत के अतिरिक्त चीन, जापान, तिब्बत, बर्मा, इण्डोनेशिया आदि देशों के छात्र विद्याध्ययन के लिए आते थे। इन दिनों यहाँ खुदाई का कार्य चल रहा है।

वैद्यनाथधाम—यह भारत-प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। यहाँ का शिवलिङ्ग द्वादश ज्योतिर्लिङ्गों में एक है। यह एक शक्तिपीठ भी है। यहाँ वैद्यनाथ-मन्दिर के अतिरिक्त पार्वती-मन्दिर, लक्ष्मी-नारायण मन्दिर आदि दर्शनीय हैं। यहाँ से २ मील दक्षिण रामनिवास-ब्रह्मचर्याश्रम एवं रानी चारुशीला द्वारा नौ लाख में बनाया गया युगल-मंदिर, ४ मील दक्षिण तपोवन तथा २८ मील पूरब वासुकिनाथ का मन्दिर है।

वैशाली—यह प्राचीन वैशाली-जनपद की राजधानी तथा जैनों के चौबीसवें तीर्थङ्कर वर्द्धमान महावीर की जन्मभूमि है। भगवान् बुद्ध यहाँ कई बार आये थे, अतः यह बौद्धों एवं जैनों का पवित्र तीर्थस्थल है। यहाँ एक अशोक-स्तंभ है। पुराने विशालगढ़ की खुदाई हो रही है।

सासाराम—शाहाबाद जिले के अन्तर्गत इस स्थान पर दिल्ली-सम्राट् शेरशाह का अपना बनाया मक़बरा है।

सिंदरी—धनबाद जिले में इस स्थान पर एशिया का एक बहुत बड़ा कृत्रिम खाद का कारखाना चल रहा है।

सीतामढ़ी—मुजफ्फरपुर जिले में, दरभंगा-रक्सौल रेलवे-लाइन पर सीतामढ़ी स्टेशन है। यहाँ रामनवमी के अवसर पर मेला लगता है। कहते हैं कि यहीं महाराज जनक के हलाग्र से सीताजी प्रकट हुई थीं। यहाँ सीताजी के मन्दिर के अतिरिक्त और भी कई मन्दिर हैं।

हरिहर-क्षेत्र—छपरा से २६ मील दूर पूर्वोत्तर रेलवे का सोनपुर स्टेशन है। इसके पास ही गंगा और गण्डकी का संगम है। इसी स्थान पर हरिहर-क्षेत्र का भारत-प्रसिद्ध मेला लगता है, जो भारत का सबसे बड़ा मेला है। यहाँ हरिहरनाथ का एक मन्दिर है। कहते हैं, यहीं गज-ग्राह-युद्ध हुआ था और भगवान् ने गज की रक्षा की थी।

मद्रास

ऊटकमंड—यह मद्रास-राज्य में नीलगिरि के अन्तर्गत प्रसिद्ध पहाड़ी स्थल है। यह समुद्र-तल से ७,५०० फुट ऊँचा है। यहाँ के दर्शनीय स्थानों में बोटैनिकल गार्डेन, घुड़दौड़ का मैदान आदि प्रमुख हैं।

कन्याकुमारी—भारत के दक्षिणी भाग का वह स्थान है, जो अरबसागर और बंगाल की खाड़ी का संगम-स्थल है। यहाँ समुद्र में सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य देखने के लिए दूर-दूर के लोग आते हैं। यहाँ एक देवी, कन्याकुमारी, का मन्दिर है।

कांजीवरम्—मद्रास से ४५ मील दक्षिण-पश्चिम यह एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। यहाँ हजार से अधिक मन्दिर हैं। यह नगर तीन भागों में विभक्त है—शिवकांजीवरम्, विष्णुकांजीवरम् और पिल्लायर पलियम्। दर्शनीय स्थान ये हैं—कैलासनाथ-मन्दिर, वैकुंठ पेरुमल-मन्दिर (दोनों हजार वर्ष से अधिक पुराना), एकम्बरेश्वर मन्दिर (४०० वर्ष पुराना), वेदराजा पेरुमल-मन्दिर आदि।

कुनूर—मद्रास-राज्य की नीलगिरि-पर्वतमाला में एक स्वास्थ्यप्रद स्थान है, जो समुद्र-तल से ६०० फुट ऊँचा है। ऊटकमंड और कोटागिरि इन दो पर्वतीय स्थानों से यह सड़क द्वारा सम्बद्ध है।

तंजोर—कावेरी नदी के डेल्टा पर बसा हुआ यह एक ऐतिहासिक नगर है। प्राचीन काल में यह चोल-राजाओं की राजधानी रह चुका है। यह एक तीर्थस्थान भी है। यहाँ का प्राचीन वृद्धेश्वरमन्दिर भारत-प्रसिद्ध है।

तिरुचिरापल्ली (त्रिचनापल्ली)—मद्रास-राज्य का तीसरा बड़ा शहर है। यह चोल आदि राजाओं की राजधानी थी। यहाँ हिन्दुओं के कई मंदिर हैं।

नई वेली—दक्षिण आरकाट-जिले में लिगनाइट की खान है। यहाँ बिजली, खाद और कच्चा लिगनाइट के कारखाने हैं।

पेरम्बरम्—मद्रास के पास इस स्थान पर रेलवे-डब्बा बनाने का कारखाना है।

मदुरा—यह प्राचीन काल में पाण्ड्य-राज्य की राजधानी था। यहाँ के दर्शनीय स्थानों में मीनाक्षी और शिव का मंदिर, तिरुमल नायक का राजभवन और गांधी-म्युजियम प्रमुख हैं। हाथ-करघा से तैयार यहाँ के रेशमी तथा सूती वस्त्र बहुत ही प्रसिद्ध हैं।

मद्रास—यह भारत का तीसरा बड़ा नगर और मद्रास-राज्य की राजधानी है। यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थान सेण्ट जॉर्ज का किला, लाइट हाउस, मेरीना, म्युजियम, कोनमारा लाइब्रेरी, चिड़ियाखाना, वेधशाला, थियोसोफिस्टों का प्रधान कार्यालय (अडेयर) और कला-क्षेत्र हैं।

मल्लपुरम् (तुंगभद्रा)—बेलारी जिले में इस स्थान पर ६० करोड़ रुपये के खर्च से तुंगभद्रा नदी पर बाँध बाँधकर विद्युत्-उत्पादन का काम किया जा रहा है।

महाबलीपुरम्—यह मद्रास के दक्षिणी किनारे स्थित है। यहाँ सात पैगोडा हैं। यहाँ के मंदिर चट्टानों को काटकर बनाये गये हैं। यहाँ की मूर्त्तियों में गंगावतरण की मूर्त्ति प्रमुख है, जो सातवीं सदी में ६० फुट लम्बी और ४३ फुट ऊँची चट्टान को काटकर बनाई गई है। अन्य मूर्त्तियों में अनन्तशायी भगवान् विष्णु की मूर्त्ति तथा तपस्या करते हुए अर्जुन की मूर्त्ति हैं।

रामेश्वरम्—यह भारत की दक्षिणी सीमा पर एक छोटे-से द्वीप के अन्तर्गत हिन्दुओं का पवित्र तीर्थस्थान है। यहाँ रामेश्वरनाथ का मंदिर है। कहते हैं कि लंका से लौटकर रामचन्द्रजी ने यहाँ शिव की पूजा की थी। यह चार धामों के अन्तर्गत है। यहाँ से कुछ दूर पर धनुष्कोटि नामक तीर्थ है। धनुष्कोटि से श्रीलंका के लिए जहाज जाता है।

श्रीरंगम्—यह तिरुचिरापल्ली से २ मील उत्तर कावेरी नदी के टापू पर दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मन्दिर है, जिसमें १००० हजार स्तम्भ हैं। यह मन्दिर २६६ बीघे के घेरे में है। इस मन्दिर में श्रीरंगनाथ (विष्णु) की मूर्त्ति है। ईसा की ६वीं से १६वीं सदी तक में इसमें बहुत परिवर्त्तन हुए हैं। यहाँ चोल, पाण्ड्य, होयसल और विजयनगर-काल के अभिलेख हैं।

मध्यप्रदेश

अमरकण्टक—यह एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान तथा नगर है। यहाँ नर्मदेश्वर, अमरकण्टकेश्वर, अमरनाथ, मत्स्येन्द्रनाथ आदि के मन्दिर हैं।

उज्जैन—राजा विक्रमादित्य के समय में यह भारत की राजधानी था। यह हिन्दुओं का तीर्थस्थान है। यहाँ द्वादश ज्योतिर्लिङ्गों में एक महाकाल का मन्दिर है। यह शक्तिपीठ भी है। प्रत्येक बारहवें वर्ष यहाँ कुम्भ का मेला लगता है।

कोरबा—यहाँ कोयले की खान तथा ताप-विद्युत्-केन्द्र है। मुख्यतः यहीं के कोयला और विद्युत् से भिलाई का कारखाना चलता है।

खजुराहो—यह बुंदेलखंड में स्थित है, जहाँ भगवान् शिव और विष्णु के अतिरिक्त कितने ही जैनमन्दिर हैं। ये मन्दिर ९५० ई० से १०५० ई० सन् के बीच निर्मित हुए हैं।

ग्वालियर—यहाँ हिन्दू-राजाओं के पुराने किले हैं। यहाँ की इमारतों में मानसिंह का महल, तानसेन का मकबरा, रानी लक्ष्मीबाई और मराठा शासकों की छतरियाँ, जामी मस्जिद, चिड़ियाखाना, मोतीमहल आदि प्रमुख हैं। यहाँ की जनसंख्या करीब तीन लाख है।

चित्रकूट—यह एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। भगवान् राम ने यहाँ वनवास-काल में निवास किया था।

जबलपुर—यह पहले मध्यप्रदेश की राजधानी था। यहाँ से चौदह मील पर संगमरमर की चट्टानें और 'धुआँधार' नामक जल-प्रपात हैं।

नेपानगर—भारत में केवल इसी स्थान पर न्यूज प्रिंट कागज का कारखाना है।

पंचमढ़ी—यह मध्यप्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। यहाँ कई झीलें, झरने और जल-प्रपात हैं।

भरहुत—यहाँ अनेक बौद्ध स्तूप हैं, जिनपर भगवान् बुद्ध के पूर्वजन्म-सम्बन्धी अनेक चित्र अंकित हैं। अनुमान है कि यहाँ के स्तूप ई० पूर्व की द्वितीय शताब्दी के हैं।

भिलाई—दुर्ग नामक जिले में इस स्थान पर रूस की सहायता से लोहा तथा इस्पात का कारखाना चल रहा है।

साँची—यह भोपाल से २८ मील तथा भेलसा से ६ मील पूरब स्थित है। यहाँ का बौद्ध स्तूप अपनी कला के लिए प्रख्यात है। यहाँ के एक सरोवर की सीढ़ियाँ बुद्ध-काल की बताई जाती हैं। स्तूप के चारों ओर के दरवाजों पर जातक-कथामाला की बहुत-सी कहानियाँ अंकित हैं। भगवान् बुद्ध के दो प्रिय शिष्य—सारिपुत्त और मोग्गलायन के अस्थि-अवशेष यहाँ सुरक्षित हैं।

महाराष्ट्र

अजन्ता-गुफा—यह बम्बई-राज्य के औरंगाबाद स्थान से ६६ मील उत्तर है। यहाँ बौद्धकालीन २९ गुफाएँ हैं, जिनमें ५ चैत्य और २४ विहार हैं। यहाँ २०० ई० पू० से ७७० ई० तक की स्थापत्य-कला, वास्तुकला और चित्रकला के नमूने हैं।

औरंगाबाद—इस नगर के पास ८ बौद्धकालीन गुफाएँ, मुस्लिम-कालीन मस्जिद और मकबरे हैं। इनमें बीबी (औरंगजेब की पत्नी) का मकबरा मुख्य है।

एलिफेण्टा गुफा—बम्बई-बन्दरगाह से ६ मील पर एलिफेण्टा नामक टापू में उक्त गुफा के अन्दर शिव की मूर्तियाँ विविध रूप में निर्मित हैं। ये मूर्त्तियाँ ७वीं-८वीं सदी की हैं। मुख्य गुफा १२५ फुट लम्बा और १२५ फुट चौड़ा है। तीन शिरोंवाली शिव की मूर्त्ति अपनी विशालता और सुन्दरता के लिए विश्व में प्रसिद्ध है।

आबू पर्वत—यह राजस्थान में ४,५०० फुट की ऊँचाई पर स्थित है। यहाँ श्रीरघुनाथजी का विशाल मन्दिर है। पहाड़ियों के बीच यहाँ एक सुन्दर झील है, जिसका दृश्य अत्यन्त मनोरम है। यह जैनों का भी तीर्थस्थान है। यहाँ संगमरमर निर्मित विलवारा नामक एक विशाल जैनमन्दिर है।

उदयपुर—यह राजस्थान का प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक नगर है। यह मेवाड़ के राणाओं की राजधानी रह चुका है। यहाँ महाराणा प्रताप के खड्ग, कवच, भाला और अन्य शस्त्रास्त्र सुरक्षित हैं। यहाँ महाराणा प्रताप के प्रिय अश्व चेतक की जीन भी मौजूद है। यहाँ से कुछ ही ही मील दूर हल्दीघाटी की युद्धस्थली है।

चित्तौरगढ़—यहाँ राजपूत-कालीन किलों और भवनों के अवशेष विद्यमान हैं। यह ऐतिहासिक स्थान उदयपुर से ७० मील पर है। यह मेवाड़ की प्राचीन राजधानी था। यहाँ राणा कुंभ द्वारा निर्मित विजय-स्तम्भ है। उन्होंने मुस्लिम-आक्रमणकारियों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में इस स्तम्भ का निर्माण कराया था।

जयपुर—यह राजस्थान की राजधानी है। यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थान हैं—महाराजा का राजभवन, जयसिंह की वेधशाला, प्राचीन राजधानी अम्बर का भग्नावशेष, हवा-महल, राज-भवन का शस्त्रागार, कला-चित्रालय, पुस्तकालय, संग्रहालय आदि।

नाथद्वारा—यह वल्लभ-सम्प्रदाय का प्रधान पीठ है। यहाँ श्रीनाथजी का मंदिर है।

पुष्करतीर्थ—यह अजमेर से ७ मील की दूरी पर स्थित है। पुष्कर-सरोवर से सरस्वती नदी निकलकर साबरमती नदी में मिलती है। यहाँ का मुख्य मंदिर ब्रह्मा का है।

हिमाचल-प्रदेश

शिमला—यह हिमाचल-प्रदेश की राजधानी तथा पहाड़ी पड़ाव है। यह पहले भारत-सरकार का ग्रीष्मकालीन आवास-नगर था। यह ७,२०० फुट की ऊँचाई पर स्थित है। यहाँ के घुड़दौड़-मैदान, वेधशाला पहाड़ी आदि स्थान दर्शनीय हैं।

कुलूघाटी—शिमला से उत्तर यह स्थान अपने प्राकृतिक दृश्य और ऐतिहासिक महत्त्व के लिए प्रसिद्ध है। यह चारों ओर पर्वतों से घिरा है। समुद्र-तल से ४,७०० फुट की ऊँचाई पर यह स्थित है।

हिमालय के अंचल में

केदारनाथ—हिमालय के अंचल में स्थित यह हिन्दुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ-स्थान है। यहाँ का ज्योतिर्लिङ्ग द्वादश ज्योतिर्लिङ्गों में एक है। यहाँ एक प्राचीन मन्दिर है। इसके पास कई कुण्ड हैं। मन्दिर में उषा, अनिरुद्ध, पंचपांडव, श्रीकृष्ण तथा शिव-पार्वती की मूर्त्तियाँ हैं।

कुमायूँ पहाड़ी—यह हिमालय के अंचल में अपने मनोहर दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। अलमोड़ा, नैनीताल और रानीखेत इसी के अन्तर्गत हैं।

कैलास—यह भगवान् शंकर का निवास-स्थान समझा जाता है। इसकी आकृति एक विराट् शिवलिंग-जैसी है। इसकी परिक्रमा ३१ मील की है। मुख्य कैलास पर्वत कसौटी के काले पत्थर का बना है और सदा बर्फ से ढका रहता है। यह मानससरोवर से २० मील पर है।

गङ्गोत्तरी—यह स्थान समुद्र-तल से १०,०२० फुट की ऊँचाई पर स्थित है। यहाँ गङ्गा की चौड़ाई केवल ४४ फुट और गहराई लगभग तीन फुट है। यहाँ श्रीगङ्गाजी का मन्दिर है, जिसमें श्रीगङ्गाजी की मूर्त्ति के अतिरिक्त भगीरथ, शंकराचार्य, यमुना तथा सरस्वती की भी मूर्त्तियाँ हैं। यहाँ से १८ मील दूर गोमुख नामक स्थान है, जहाँ से गंगा नदी निकलती है। यह एक प्रमुख तीर्थस्थान है।

जनकपुर—यह दरभंगा जिले के जयनगर स्टेशन से १८ मील की दूरी पर स्थित है। यहाँ प्राचीन मिथिला की राजधानी थी। यह प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। इसके चारों ओर कई प्राचीन, सरोवर, कुण्ड तथा तीर्थ हैं। यहाँ के मन्दिरों में श्रीजानकी-मन्दिर, श्रीराम-मन्दिर, जनक-मन्दिर रंगभूमि, रत्नसागर-मन्दिर आदि मुख्य हैं। जनकपुर से १४ मील दूर धनुषा है, जहाँ धनुष-यज्ञ में तोड़े गये शिवधनुष का खण्ड बताया जाता है।

पशुपतिनाथ (नेपाल)—नेपाल की राजधानी काठमांडू में विष्णुमती नदी के तट पर पशुपतिनाथ का मन्दिर है। मन्दिर में पंचमुख शिवलिंग है, जो अष्टधातु मूर्त्तियों में एक माना जाता है।

बदरीनाथ—यह हिमालय के अंचल में स्थित एक तीर्थस्थान है। यहीं के मंदिर में श्रीबदरीनाथ की चतुर्भुज मूर्त्ति है, जो शालग्राम-शिला से निर्मित है। इसके पास ही अलकनन्दा नदी बहती है। इसके आसपास कई तप्त कुण्ड हैं।

मानस-सरोवर—यह नेपाल के पश्चिमोत्तर कोने के पास हिमालय की उत्तरी सीमा पर एक प्रसिद्ध सरोवर है, जो इस समय तिब्बती सीमा के अन्तर्गत है। इस सरोवर का घेरा करीब २२ मील है। इसका जल अत्यन्त स्वच्छ रहता है। यह ५१ सिद्धपीठों में एक है। पास में इससे भी बड़ी झील राक्षसताल है, जहाँ, कहते हैं, रावण ने शिव की आराधना की थी। यहाँ से कैलास-पर्वत २० मील की दूरी पर है।

यमुनोत्तरी—समुद्र-तल से दस हजार फुट की ऊँचाई पर स्थित यह हिन्दुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। यहाँ गरम जल के कई ऐसे कुण्ड हैं, जिनका जल खौलता रहता है। पास ही कलिन्दगिरि-पर्वत है, जहाँ से यमुना नदी (कालिन्दी) निकली है। कालिन्दी का उद्गम-स्थान अत्यन्त मनोरम है।

लुम्बिनी—यह नेपाल के अन्तर्गत बौद्ध तीर्थस्थान है। यहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। यहाँ एक अशोक-स्तम्भ तथा एक समाधि-स्तूप है।



पर्व-त्यौहार

हिन्दू-पर्व

हिन्दू-धर्म एक समन्वयात्मक धर्म है। इसमें एक ईश्वर की सत्ता सर्वमान्य है, जिसके प्रतिपादक वेद, शास्त्र, पुराण, स्मृति आदि हैं। फिर भी, इसमें विभिन्न सम्प्रदायों, अनेक उपास्य देवों और विविध रस्म-रिवाजों के कारण पर्व-त्यौहार की भी बहुलता हो गई है। वर्ष के बारहों महीनों में कोई ऐसा मास या पक्ष नहीं है, जिसमें दो-चार पर्व-त्यौहार न आते हों। इन पर्वों में कुछ तो सार्वदेशिक और सार्वसाम्प्रदायिक होते हैं और कुछ प्रान्तीय, स्थानीय या तत्तत् सम्प्रदायों से सम्बद्ध। यहाँ कुछ प्रसिद्ध सार्वदेशिक एवं प्रान्तीय पर्वों के विवरण नीचे दिये जा रहे हैं :

रामनवमी—यह पर्व चैत्र-शुक्ल नवमी को मनाया जाता है। इसी दिन मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र का जन्म हुआ था। इस दिन प्रायः १२ बजे दिन तक उपवास रखकर लोग पूजा-पाठ करते हैं और मध्याह्न में राम-जन्मोत्सव मनाकर विशेष पक्वान्न आदि खाते हैं। यह पर्व सामान्यतः हिन्दू-मात्र में और विशेषतः वैष्णव-सम्प्रदायों में प्रचलित है। शास्त्रीय पद्धति के अनुसार चैत्र-शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक वासन्तिक नवरात्र भी मनाया जाता है।

मेष-संक्रान्ति—उत्तर-भारत में इस पर्व का पूरा प्रचलन है। इसे बिहार-प्रदेश में 'सतुआनी', सतुआ-संक्रान्ति', या 'सिरुआ-बिसुआ' तथा उत्तरप्रदेश में 'बिरवा' और पंजाब में 'वैशाखी' कहते हैं। पंजाब तथा पश्चिमी प्रदेशों में एवं बंगाल और नेपाल में इसी दिन से नववर्षारम्भ मनाते हैं। इस दिन नवान्न-भक्षण का उत्सव मनाया जाता है। इसमें नये जौ-चने का सत्तू, आम आदि मौसमी फल, नया पंखा और नये घड़ों का प्रयोग किया जाता है। पंजाब तथा पश्चिमोत्तर क्षेत्र में इस दिन प्याऊ पर पानी-शरबत, फल आदि से लोगों का स्वागत-सत्कार किया जाता है।

महावीर-जयन्ती—जैनधर्म के २४वें तीर्थंकर वर्द्धमान महावीर का जन्म आज से लगभग २५०० वर्ष पूर्व हुआ था। ये अन्तिम जैन तीर्थंकर माने जाते हैं। चैत्र-शुक्ल त्रयोदशी को जैनलोग सर्वत्र इनकी जयन्ती धूमधाम से मनाया करते हैं। इसी अवसर पर इनकी जन्मभूमि वैशाली (मुजफ्फरपुर) में प्रतिवर्ष बृहत् समारोह का आयोजन होता है।

वैशाख-पूर्णिमा—वैशाख-पूर्णिमा को आज से लगभग ढाई हजार वर्ष पूर्व भगवान् बुद्ध का जन्म हुआ था। उनके बुद्धत्व की प्राप्ति तथा महापरिनिर्वाण का समय भी लोग वैशाख-पूर्णिमा को ही मानते हैं। बौद्धधर्म में इस दिन महान् उत्सव का विधान है। श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड आदि बौद्ध देशों में यह राष्ट्रीय पर्व है। सन् १९५६ ई० के बाद इस पर्व को भारत-सरकार ने अखिल-भारतीय स्तर का घोषित कर इस दिन को सार्वजनिक अवकाश का दिन निर्धारित कर दिया है।

गंगा-दशहरा—ज्येष्ठ-शुक्ल दशमी के दिन गंगा-जन्मोत्सव और गंगा दशहरा-पर्व मनाया जाता है। इस दिन गंगास्नान तथा गंगापूजा सामूहिक और वैयक्तिक रूप से की जाती है। कहते हैं, इस दिन से गंगा नदी में पानी बढ़ने लगता है।

नाग-पंचमी—यह पर्व श्रावण-शुक्ल पंचमी को पड़ता है। इस दिन उत्तर भारत के प्रायः सभी राज्यों में नाग की पूजा होती है और उन्हें दूध-लावा या अन्य वस्तुएँ चढ़ाई जाती हैं। यह प्राचीन काल की नागपूजा की स्मृति का अवशेष-मात्र है। इस दिन घरों में गोबर और चूना की रेखाएँ खींची जाती हैं और उनपर सिन्दूर आदि डाले जाते हैं। वाराणसी में प्रचलित रीति के अनुसार इस दिन नाग के चित्रों की खरीद-बिक्री होती है तथा पण्डित अपराह्ण में यहाँ के नागकूप पर एकत्र होकर शास्त्रार्थ करते हैं। उनकी धारणा है कि यह दिन व्याकरण के महाभाष्यकार पतञ्जलि की स्मृति का है।

रक्षा-बन्धन—यह पर्व श्रावण-शुक्ल पूर्णिमा को पड़ता है। इसे 'राखी-पर्व' भी कहते हैं। इसका महत्त्व उत्तर-भारत के सभी राज्यों में है। इस दिन पुरोहित राखी के सूत्र लेकर घर-घर जाते हैं तथा लोगों को बाँधते हैं और उसके बदले में दक्षिणा पाते हैं। पश्चिमी प्रदेशों में यह भाई-बहन का पर्व माना जाता है और बहनें अपने भाइयों को राखी बाँधती हैं। बदले में भाई अपनी बहन को यथाशक्ति पुरस्कार देता है। किंवदन्ती है कि मुसलमानी राज्य में बहुत-सी हिन्दू-ललनाओं ने मुसलमानों को भाई मानकर राखी बाँधी थी और उन मुस्लिम भाइयों ने संकट-काल में उनकी रक्षा की थी। प्राचीन काल में इस दिन उपाकर्म-विधि होती थी और आचार्य अपने शिष्यों को वेदों का पढ़ाना आरम्भ करते थे।

कृष्णाष्टमी—यह हिन्दुओं का प्रसिद्ध पर्व है और प्रायः सम्पूर्ण भारत में भाद्र-कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। आज से लगभग ५,००० वर्ष पूर्व इसी तिथि को वसुदेव के घर भगवान् कृष्ण का अवतार हुआ था। इस दिन दिन-भर उपवास रखा जाता है और १२ बजे रात्रि में चन्द्रोदय के समय लोग भगवान् कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाते हैं। मथुरा और वृन्दावन में इसका सर्वाधिक महत्त्व है।

हरितालिका-व्रत—यह भाद्र-शुक्ल तृतीया को पड़ता है। इसे 'तीज' भी कहते हैं। इस दिन स्त्रियाँ व्रत-उपवास करके पति के मंगलार्थ शिव-पार्वती की पूजा करती हैं। स्त्रियों का यह एक महत्त्वपूर्ण पर्व है और सौभाग्यवती स्त्रियाँ इसे जीवन-भर निभाती हैं।

अनन्त-चतुर्दशी—यह पर्व भाद्र-शुक्ल-चतुर्दशी के दिन पड़ता है। इस दिन मध्याह्न तक उपवास करके अनन्त भगवान् (विष्णु) की पूजा होती है और किसी पात्र में दूध रखकर उसमें क्षीर-सागर की कल्पना करके अनन्त-सूत्र की खोज की जाती है। पश्चात्, वही अनन्त-सूत्र बाँह में पहना जाता है। यह पर्व न्यूनाधिक रूप में उत्तर-भारत के सभी प्रदेशों में मनाया जाता है।

गणेश-चतुर्थी—यह भाद्र-शुक्ल चतुर्थी को पड़ती है। महाराष्ट्र में इसे गणेश या गणपति-चतुर्थी कहते हैं और उत्तर भारत में 'चौथचन्दा' या 'चौकचन्दा'। महाराष्ट्र में यह एक राष्ट्रीय पर्व है। इस दिन गणेश की प्रतिमा की स्थापना और पूजा की जाती है। गणेश-मंदिरों में धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है और प्रदर्शन के साथ मूर्ति का विसर्जन होता है। उत्तर-भारत में इस दिन शाम को स्त्रियाँ चन्द्रमा को अर्घ्यदान दे फल-मिष्टान्न से पूजा करती हैं। इस दिन के विषय में श्रीकृष्ण और स्यमन्तक मणि की कथा कही जाती है।

महालया—यह आश्विन के कृष्णपक्ष में पड़ती है और पूरे एक पक्ष तक लोग इसे मनाते हैं। इसे 'पितृ-पक्ष' या 'श्राद्ध-पक्ष' भी कहते हैं। १५ दिनों के अन्दर प्रतिदिन या

कभी एक दिन भी प्रायः सभी हिन्दू-गृहस्थ अपने मृत पितरों का तर्पण और श्राद्ध करते हैं और उनके निमित्त ब्राह्मण-भोजन कराते हैं। पक्ष-भर गया में एक बड़ा मेला लगा रहता है। भारत के भिन्न-भिन्न भागों से हिन्दू लोग यहाँ आकर अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण करते हैं।

जीवत्पुत्रिका—इसे लोकभाषा में 'जिउतिया' या 'जितिया' कहते हैं। यह स्त्रियों का पर्व है। इस दिन स्त्रियाँ अपनी संतान के कुशल-क्षेम के लिए उपवास रखती हैं और जीमूतवाहन की कथा कहती-सुनती हैं। प्रायः सभी संतानवती नारियाँ यह व्रत अनिवार्य रूप से किया करती हैं।

दशहरा—इसे 'नवरात्र', 'दुर्गापूजा' या केवल 'पूजा' भी कहते हैं। यह संपूर्ण भारत का एक बहुत बड़ा पर्व है। यह पर्व आश्विन-शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक मनाया जाता है। अष्टमी, नवमी और दशमी—ये तीन दिन अधिक महत्त्व और चहल-पहल के होते हैं। मन्त्र-सिद्धि करनेवाले तान्त्रिक इन नौ दिनों में अपने-अपने मंत्रों की सिद्धि के लिए जप आदि किया करते हैं। विजयादशमी के दिन देवी की मूर्त्ति का विसर्जन, सीमान्त-गमन, नीलकंठ-दर्शन और शमी-पूजन होता है। नवरात्र का महत्त्व बंगाल, आसाम, उड़ीसा और बिहार में बहुत अधिक है। जगह-जगह दुर्गा की मूर्त्ति की प्रतिष्ठा और पूजा धूमधाम से होती है। भारत के पश्चिमी राज्यों में दशमी के दिन रावण, कुम्भकर्ण और मेघनाद की मूर्त्तियाँ बनाकर उनमें आग लगाई जाती है। इस अवसर पर सर्वत्र रामलीला की जाती है, किन्तु वाराणसी के रामनगर की रामलीला अति प्रसिद्ध है।

भरत-मिलाप—यह आश्विन-शुक्ल एकादशी को पड़ता है। दशमी को रावण-वध हुआ था और एकादशी के दिन राम वन से लौटकर श्रृंगवेरपुर में भरत से मिले थे। इसी उपलक्ष्य में इस दिन भरत-मिलाप का दृश्य दिखाया जाता है। काशी-नरेश की ओर से होनेवाले 'नाटी इमली' (वाराणसी) तथा रामलीला-मैदान (दिल्ली) का भरत-मिलाप भारत-प्रसिद्ध है।

कौमुदी-महोत्सव—यह एक प्राचीनकालीन महोत्सव है, किन्तु अब इसे लोग भूल-से गये हैं। फिर भी, साहित्यिक-समाज इसे समारोहपूर्वक मनाने का आयोजन कर पुनः जीवित करने का प्रयत्न कर रहा है।

दीवाली—यह पर्व कार्तिक-अमावस को पड़ता है। इस दिन प्रायः सम्पूर्ण भारत में घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों में लक्ष्मी-पूजा होती है और दीपोत्सव मनाया जाता है। व्यापारी-वर्ग के लिए यह पर्व विशेष महत्त्वपूर्ण है। वे इस दिन अपने बही-खाते को बदलकर नये वर्ष का हिसाब शुरू करते हैं। दीपावली की रात में बिहार के उत्तरी एवं पूर्वी भागों में लोग सन की संठियों में आग लगाकर 'हुक्का-पाँती' खेलते हैं। 'हुक्का-पाँती' शब्द 'उल्का-पंक्ति' का अपभ्रंश है। जनश्रुति है कि श्रीरामचन्द्रजी की लंका-विजय के उपलक्ष्य में विजयादशमी और राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में दीवाली मनाई जाती है। इसके पूर्व त्रयोदशी तिथि को धन्वन्तरि-जयन्ती और चतुर्दशी को नरक-चतुर्दशी मनाई जाती है। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान् श्रीकृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। दीवाली के दूसरे दिन गोवर्धन-पूजा और अन्नकूट-उत्सव होता है। बिहार में इस दिन मवेशियों को साज-सँवारकर पशु-क्रीडा का उत्सव मनाया जाता है।

भ्रातृ-द्वितीया—इसे 'भैया-दूज' भी कहते हैं। यह कार्तिक-शुक्ल द्वितीया को पड़ती है। यह भाई-बहन का त्योहार है। इस दिन बहन भाई को टीका लगाकर मिष्टान्न खिलाती है और

भाई उसे पारितोषिक देता है। इसका प्रचलन उत्तर-प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में अधिक है। कहा जाता है कि इसी दिन यमी ने अपने भाई यम की पूजा-प्रतिष्ठा की थी और तभी से यह पर्व चालू है। राजस्थान में इसे 'टिक्का' कहते हैं।

चित्रगुप्त-पूजा—कार्तिक-शुक्ल द्वितीया को ही चित्रगुप्त की पूजा की जाती है। इस दिन दावात-कलम की भी पूजा होती है; इसलिए इसे दावात-पूजा भी कहते हैं। इस पर्व का प्रचलन कायस्थ-जाति में ही विशेष रूप से है।

अक्षय नवमी—कार्तिक-शुक्ल नवमी के दिन आँवले के पेड़ के नीचे ब्राह्मण-भोजन, आँवला और कूष्मांड आदि का गुप्तदान इस पर्व की मुख्य प्रक्रियाएँ हैं।

छठ—कार्तिक-शुक्ल षष्ठी को सूर्य-व्रत किया जाता है। बिहार तथा उत्तर-प्रदेश के पूर्वी भाग में इसका बहुत प्रचलन है। कई जगहों में चैत मास में भी छठ-व्रत किया जाता है।

देवोत्थान—यह कार्तिक-शुक्ल एकादशी को पड़ता है। समझा जाता है कि इस दिन भगवान् विष्णु चार मास शयन के पश्चात् जगते हैं। बिहार में इस दिन सायंकाल ऊख, नया गुड़ एवं रस, सुथनी, शकरकंद आदि से भगवान् की पूजा की जाती है और अर्घ्य दिया जाता है। इसके चार मास पूर्व आषाढ-शुक्ल एकादशी को मन्दिरों में हरिशयनी व्रतोत्सव मनाया जाता है। साधु लोग हरिशयनी से देवोत्थान तक चातुर्मास मनाते हैं और इस अवधि में वे कहीं एक ही स्थान में रहते हैं।

गोपाष्टमी—गोपाष्टमी कार्तिक-शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। इस दिन गाय-बैल को नहला-धुलाकर और तेल-सिन्दूर आदि से सजाकर उनकी पूजा की जाती है तथा उत्सव मनाया जाता है। पिंजरापोलों और गोशालाओं में यह उत्सव विशेष धूमधाम से होता है।

कार्त्तिक-पूर्णिमा—इस दिन जगह-जगह गंगा-स्नान और दान होता है। इसी दिन सोनपुर का संसार-प्रसिद्ध मेला लगता है और हरिहरनाथ महादेव की पूजा होती है।

विवाह-पंचमी—अगहन-शुक्ल पंचमी के दिन यह पर्व मनाया जाता है। इसका प्रचलन मिथिला और अयोध्या के वैष्णवों में अधिक है। जनकपुर में इस समय मेला लगता है। और पंचकोशी की परिक्रमा की जाती है। कहते हैं, इसी दिन भगवान् राम और महारानी सीता का विवाह-संस्कार हुआ था।

तिल-संक्रान्ति—तिल-संक्रान्ति या मकर-संक्रान्ति दोनों एक ही हैं। चूँकि, मकर-संक्रान्ति के दिन तिलदान, तिलस्नान और तिलभोजन शुभ माना जाता है, इसलिए इसे तिल-संक्रान्ति भी कहते हैं। यह पूस-माघ महीने में १३ या १४ जनवरी को पड़ती है। इस अवसर पर प्रयाग में प्रायः एक मास तक लोग संगम पर स्नान-दान आदि किया करते हैं।

कुम्भ-पर्व—यह माघ महीने में होता है। हर छठे वर्ष अर्द्धकुम्भ और बारहवें वर्ष कुम्भ या महाकुम्भ-पर्व होता है। प्रयाग, हरद्वार, कुरुक्षेत्र, उज्जैन और नासिक में इस अवसर पर बड़े मेले लगते हैं और लाखों हिन्दू आकर स्नान करते हैं। मेला एक महीने तक लगा रहता है।

वसन्त-पंचमी—वसन्त-पंचमी माघ-शुक्ल पंचमी को पड़ती है। इसमें सरस्वती-पूजा, बालकों का अक्षरारम्भ, नवीन हल-कर्षण आदि कार्य किये जाते हैं। बिहार-बंगाल में लोग इस

दिन सरस्वती की प्रतिमा बनाकर उसका पूजन और विसर्जन करते हैं। इस अवसर पर पंजाब में पीला हलुआ आदि खाने, पीले वस्त्र पहनने और पीली गुड्डी उड़ाने का अधिक प्रचलन है। वसंत का आरम्भ इसी दिन से माना जाता है।

माघीपूर्णिमा—कार्तिक-पूर्णिमा की तरह माघ की पूर्णिमा भी पवित्र पर्व-दिवस मानी जाती है और इस दिन सर्वत्र तीर्थों में स्नान-दान किया जाता है।

शिवरात्रि—यह पर्व फाल्गुन-कृष्ण त्रयोदशी को पड़ता है। यह भगवान् शिव और पार्वती का विवाह-दिन समझा जाता है। इस दिन पशुपतिनाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर आदि प्रधान शिवमंदिरों में धूमधाम से पूजन आदि होते हैं।

होली—यह हिन्दुओं का प्रसिद्ध पर्व है, जो फाल्गुन-पूर्णिमा से चैत्र-प्रतिपद् तक चलता है। इस अवसर पर लोग एक-दूसरे पर रंग-अबीर डालते हैं और पूआ-पकवान खाते हैं। होलिका-दहन पूर्णिमा की रात्रि के अन्तिम प्रहर में होता है। इसे उत्तरी भारत में 'संवत् जलाना' भी कहते हैं। होलिका-दहन के पश्चात् धूलि-क्रीडा (धुरखेल) प्रारम्भ होती है। यह पर्व वसन्त और नवीन शस्य दोनों के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।

मुस्लिम-पर्व

ईद—इसे 'रमजान की ईद' या इदुलफित्र' कहते हैं। यह रमजान महीने का अन्त होने पर दूज के चाँद के दर्शन के बाद मनाई जाती है। इस दिन सभी मुसलमान प्रायः नये-नये कपड़े पहनकर मस्जिद में या किसी बड़े मैदान में एकत्र होकर सामूहिक रूप से नमाज पढ़ते हैं। घर-घर में आनन्द-उत्सव का वातावरण रहता है।

बकरीद—इसे 'इदुज्जुहा' भी कहते हैं। यह अब्राहम के बलिदान की स्मृति में मनाई जाती है। कहते हैं कि अब्राहम को ईश्वर की आज्ञा हुई कि अपने पुत्र इस्माइल का बलिदान कर दे। उसने ऐसा ही किया। किन्तु, जब ऊपर से चादर हटाई गई, तो इस्माइल जीवित निकला और उसकी जगह एक कटी भेड़ पाई गई। मुसलमान इस पर्व के दिन भेड़ों और बकरों की कुरबानी करते हैं।

मुहर्रम—यह मुसलमानों का प्रसिद्ध त्यौहार है। इसे केवल शिया-मुसलमान बनाते हैं। यह मुहम्मद साहब के नाती हसन इमाम साहब के बलिदान की स्मृति में १० दिनों तक मनाया जाता है। हसन इमाम अपने को पैगम्बर साहब का उत्तराधिकारी बताते थे, जबकि दूसरी ओर मजीद खलीफा बना दिये गये थे। इसी बात पर वहाँ युद्ध छिड़ गया और दोनों दलों की सेना दमिश्क के कर्बला नामक मैदान में आ जुटी। घनघोर युद्ध के बाद हसन साहब की पराजय हुई और वे सपरिवार मारे गये। उन्होंने अन्तिम समय में पानी के बिना तड़प-तड़पकर अपने प्राण छोड़े। इस अवसर पर प्रतीक के रूप में मुसलमान ताजिया निकालते हैं, जिसे प्रदर्शन के बाद एक निश्चित स्थान में दफना दिया जाता है

चेहल्लुम—मुहर्रम के ४०वें दिन सफर महीने की २०वीं तारीख को चेहल्लुम मनाया जाता है। इस अवसर पर भी मुसलमान ताजिया निकालते हैं और उसे दफनाते हैं।

शबे-बरात—यह शाबान की १६वीं तारीख को मनाया जाता है। ऐसा विश्वास है कि इस रात सभी मनुष्यों के कर्मों की जाँच-पड़ताल कर उनके कर्मानुसार उनका भाग्य निर्धारित किया जाता है। इस दिन आतिशबाजी आदि की जाती है और खुशियाँ मनाई जाती हैं।

आखिरी चहार शुम्बा—सफर महीने के बुधवार को यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन पैगम्बर साहब अन्तिम रोग-शय्या पर पड़े-पड़े थोड़ा स्वस्थ हो गये थे।

बारा वफात—इसे 'ईदे मिलाद' भी कहते हैं। रबी-उल-अव्वल महीने की १२वीं तारीख को यह पर्व पड़ता है। मुहम्मद साहब के पवित्र जन्म और मृत्यु की स्मृति में यह पर्व मनाया जाता है।

ईसाई-पर्व

नववर्ष-दिवस—पहली जनवरी को ईसवी-सन् का नववर्ष-दिवस मनाया जाता है।

ईस्टर—यह ईसाइयों का प्रधान पर्व है। इस समय ईसामसीह पुनरुज्जीवित हुए थे। यह २२ मार्च और २५ अप्रैल के बीच पड़ता है।

गुड-फ्राइडे—ईस्टर के रविवार के ठीक पहले पड़नेवाले शुक्रवार को यह पर्व मनाया जाता है।

फूल्स-डे—यह पहली अप्रैल को पड़ता है। इस दिन ईसाई एक-दूसरे से हँसी-मजाक करते हैं और एक-दूसरे को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। यह वसन्त का पर्व है।

क्रिसमस-दिवस—यह ईसामसीह के जन्म-दिवस से सम्बद्ध पर्व है, जो दिसम्बर की २५वीं तारीख को पड़ता है। इस दिन लोग उत्सव मनाते हैं तथा एक-दूसरे को उपहार और बधाइयाँ देते हैं।

प्रान्तीय पर्व

जम्मू और कश्मीर

शिवरात्रि—यह फाल्गुन-कृष्ण-चतुर्दशी को पड़ती है। कश्मीरी लोग शिवरात्रि को 'हेरथ' कहते हैं। इस दिन शिव पार्वती के विवाहोत्सव का समारोह होता है।

नौ-रोज—चैत्र-शुक्ल-प्रतिपदा के दिन का नववर्ष का उत्सव' यहाँ 'नौ-रोज' कहलाता है।

किच्छ-मावस—पूस महीने में होनेवाला यह कुत्तों का एक उत्सव है, जबकि लोग कुत्तों को माला आदि पहनाकर उनका स्वागत-सत्कार करते हैं। कश्मीरियों का विश्वास है कि इस दिन यक्ष अदृश्य रूप से कुत्ते आदि के रूप में घूमते हैं। इस दिन छप्पर पर स्वादिष्ट खिचड़ी का थाल रखा जाता है और समझा जाता है कि यक्ष आकर इसे खा लेगा।

पंजाब

लोरी—इसे 'लोहरी' या 'लोरी' कहते हैं। यह पर्व माघ की मकर-संक्रान्ति के अवसर पर होता है रात्रि में बड़ा घूर या कौरा जलाया जाता है और उसके चारों ओर लोग बैठकर लोकगीत गाते हैं तथा उसमें नवीन अन्न, ईख आदि छोड़ते हैं। यह एक हेमन्तोत्सव है।

वैशाखी—सन् १६६६ ई० में मेष-संक्रान्ति के दिन गुरु गोविन्दसिंह ने 'खालसा-पंथ' की स्थापना की थी। तबसे सिक्खों के बीच इस दिन का महत्त्व बढ़ गया है। यह नववर्ष का पहला दिन होता है।

टिक्का—'भ्रातृ-द्वितीया' या 'भैयादूज' को ही पंजाब में 'टिक्का' कहते हैं; क्योंकि इस दिन बहन भाई को टीका लगाकर भोजन कराती है और स्वागत-सत्कार करती है।

गुरु नानक-जयन्ती—यह कार्तिक-पूर्णिमा को मनाई जाती है। सिक्ख-धर्म के संस्थापक गुरु नानक साहब का यह जन्म-दिवस है। इस समय दो दिनों तक 'गुरुग्रन्थ' साहब का अखंड पाठ होता है और समारोह के साथ भजन-कीर्त्तन, सभा, भोज आदि होते हैं।

गुरु गोविन्दसिंह-जयन्ती—यह पूस महीने में शुक्ल-सप्तमी को पड़ती है। गुरु गोविन्दसिंह का जन्म-स्थान पटना ही है, जहाँ आज बहुत बड़ा गुरुद्वारा और संगत है। पंजाब में गुरु तेगबहादुर, गुरु अर्जुनदेव आदि की जयन्तियाँ भी यथासमय मनाई जाती हैं।

हिमाचल-प्रदेश

दशहरा—भारत के दूसरे भागों की तरह यहाँ भी दशहरा मनाया जाता है। कुलू में बजौरा-नृत्य इस अवसर पर अवश्य होता है।

ज्वालामुखी—काँगड़ा जिले में ज्वालामुखी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ मेला लगता है। दशहरा के अवसर पर यहाँ पहाड़ी रीति-रस्म के साथ पूजा-पाठ होता है।

इसी प्रकार, इस प्रदेश के बैजनाथ, चिंतिपूर्णी आदि स्थानों में मेले लगते हैं और विशेष अवसरों पर पर्व मनाये जाते हैं।

दिल्ली

सैरे गुल फरोशन—हिन्दुओं और मुसलमानों का यह सम्मिलित मेला है। इसमें एक बड़े ताड़ के पंखे को फूलों से सजाकर मेहरौली ले जाया जाता है और वहाँ पहुँचकर हिन्दू योगमाया-मंदिर में चले जाते हैं और मुसलमान ख्वाजा साहब की दरगाह में। वहाँ दोनों अपनी-अपनी पद्धति के अनुसार धार्मिक कृत्य करते हैं।

उर्स हजरत निजामुद्दीन—हजरत निजामुद्दीन औलिया (१२३८–१३२४ ई०) साहब के नाम पर यह मेला लगता है। सभी प्रकार के मुसलमान इसमें सम्मिलित होते हैं। उनका विश्वास है कि यहाँ के तालाब के जल से बीमारियाँ अच्छी हो जाती हैं।

उत्तरप्रदेश

उत्तरप्रदेश में सामान्यतः वे पर्व मनाये जाते हैं, जो अखिलभारतीय हैं। किन्तु, कुछ स्थानीय पर्व भी हैं, जो अधिकतर मथुरा-वृन्दावन में मनाये जाते हैं।

रथोत्सव—यह उत्सव चैत्र में वृन्दावन के श्रीरंग-मंदिर में मनाया जाता है।

गजोद्धार—श्रावण में ग्राह से गज की मुक्ति का उत्सव मनाया जाता है।

वनयात्रा—भादों में भगवान् कृष्ण के गोवर्द्धन-पर्वत धारण करने के उपलक्ष्य में यह उत्सव मनाया जाता है। इसी दिन भगवान् कृष्ण ने इन्द्र के वृष्टि-कोप से जनता की रक्षा गोवर्द्धन धारण करके की थी।

कंस का मेला—मथुरा में ही यह उत्सव मनाया जाता है। यह कार्तिक मास में होता है और कंसवध के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।

बिहार

छठ—इसकी चर्चा पहले की जा चुकी है। यह बिहार तथा इसके सीमावर्त्ती उत्तरप्रदेश के पूर्वी जिलों में विशेष रूप से मनाया जाता है।

चौथचंदा—यह भाद्र-शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। पक्वान्न एवं फल मूल आदि लेकर चन्द्रमा को अर्घ्य देने का विधान है।

सरहुल—यह आदिवासियों का प्रसिद्ध पर्व है, जो चैत्र-शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है।

आसाम

भोगली विहु—आसाम का यह पर्व पूस मास में धनकटनी के बाद मनाया जाता है। रात-भर लोग एक समारोह करते हैं और भैंसों को लड़ाते हैं।

रोंगली विहु—यह चैत्र शुक्ल चतुर्दशी और पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे 'गोत्र विहु' भी कहते हैं। यह नववर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन पशुओं को नहला-धुलाकर उनकी पूजा की जाती है।

रासलीला—कार्त्तिक में भगवान् कृष्ण के जन्म पर आधृत मणिपुरी-नृत्य में रासलीला प्रस्तुत की जाती है।

वंगाल

गंगासागर-मेला—पूस के अन्त में यह मेला लगता है। डायमंड हार्वर से ४० मील दूर समुद्र में गंगासागर-संगम पर जाकर लोग स्नान-दान आदि किया करते हैं।

उड़ीसा

रथयात्रा—आषाढ-शुक्ल द्वितीया को पुरी में रथयात्रा-उत्सव होता है। इसमें जगन्नाथजी की मूर्त्ति सर्वत्र रथ पर घुमाई जाती है। जगन्नाथ (कृष्ण) की मूर्त्ति के साथ बलभद्र और सुभद्रा की भी मूर्त्तियाँ रखी जाती हैं।

राजस्थान और मध्यप्रदेश

पुष्कर का मेला—कार्तिक-पूर्णिमा के दिन पुष्कर-क्षेत्र में यह मेला लगता है। पुष्कर-क्षेत्र अजमेर से ७ मील पर है। यहाँ ब्रह्माजी का मंदिर है। इस समय ऊँट और घोड़ों का भी मेला लगता है।

उर्स मोइनुद्दीन चिश्ती—फकीर मोइनुद्दीन चिश्ती महान् सिद्ध हो गये हैं। वे अजमेर में रहा करते थे और यहीं उनकी समाधि है। यहाँ सात दिनों तक उर्स का मेला लगता है। कहते हैं, बादशाह अकबर भी पैदल ही यहाँ आते थे और उर्स में सम्मिलित होते थे। आज भी भारत-पाकिस्तान के सभी क्षेत्रों के मुसलमान इस उर्स में सम्मिलित होते हैं।

मैसूर

गोम्मटेश्वर-उत्सव—श्रवणबेलगोला-स्थित जैनसिद्ध आचार्य गोम्मटेश्वर की प्रस्तर-मूर्त्ति के पास जैनधर्मावलम्बी हजारों-हजार की संख्या में एकत्र होकर श्रद्धा-पुष्प चढ़ाते हैं। यह उत्सव प्रति १५ वर्ष पर एक बार होता है।

मद्रास-आंध्र

पोंगल—मकर-संक्रान्ति के समय यह पर्व मनाया जाता है और तीन दिनों तक चलता है। तामिलों का यह महत्त्वपूर्ण पर्व है। तीन दिनों में प्रथम दिन भोगि-पुंगल बनता है, जो इष्ट-

मित्रों को खिलाया जाता है। दूसरे दिन सूर्य-पुंगल बनता है, जिसकी बलि सूर्य को दी जाती है। इस दिन खीर बनती है। तीसरे दिन मत्तु-पुंगल बनता है, जिसकी बलि पशु-पक्षियों को दी जाती है। इस दिन पशुओं को नहला-धुलाकर फूल-घंटी आदि से सजाया जाता है। कहीं-कहीं बैलों को लड़ाया भी जाता है। इस उत्सव में इष्ट-मित्रों एवं अतिथियों को खिलाने-पिलाने की भी रीति है। रात्रि में खिचड़ी खाई जाती है। पुंगल खिचड़ी को कहते हैं।

मदुराई नदी-उत्सव—वैशाखी पूर्णिमा को वैगाई नदी के तटपर सुन्दरेश (शिव) और मीनाक्षी देवी का विवाहोत्सव-समारोह होता है।

कावेरी नदी-उत्सव—यह भादो महीने में होता है। इस उत्सव में ग्रामीण देव-मूर्त्तियों का जुलूस निकाला जाता है। चावल, दूध, माला, चूड़ी आदि के साथ नदी में उनका विसर्जन कर दिया जाता है।

गोकुल-अष्टमी—मद्रास में कृष्ण-जन्माष्टमी को गोकुल-अष्टमी कहते हैं।

दशहरा—आश्विन के नवरात्र में प्रथम तीन दिनों तक लक्ष्मी-पूजा, दूसरे तीन दिनों तक शक्ति-पूजा और अंतिम तीन दिनों तक सरस्वती-पूजा होती है। आठवें और दसवें दिन अयोध्या पूजा होती है। उस दिन अस्त्रों-शस्त्रों की भी पूजा की जाती है। विजयादशमी को सरस्वती की पूजा और पुस्तकों एवं संगीत-वाद्यों की पूजा होती है। हैदराबाद में इस दिन बनजारों का नृत्य होता है, जो देखने योग्य होता है।

दीवाली—यहाँ उत्तर-भारत की तरह कार्त्तिक-अमावस्या के दिन दीवाली नहीं मनाई जाती है, बल्कि एक दिन पहले चतुर्दशी को ही।

कार्त्तिकी पूर्णिमा—मद्रास में कार्त्तिक-पूर्णिमा के दिन दीवाली मनाई जाती है। इस सम्बन्ध में महाबली और भगवान् शंकर से संबद्ध अलग-अलग कहानियाँ प्रसिद्ध हैं।

वैकुण्ठ-एकादशी—पौष-शुक्ल एकादशी को 'वैकुण्ठ-एकादशी' कहते हैं। यह पर्व मोहिनी अप्सरा और राजा रुक्मांगद की स्मृति में मनाया जाता है। श्रीरंगपट्टम् में यह उत्सव लगातार २० दिनों तक चलता है।

आग पर चलना—यह उत्सव भी वर्ष में एक बार होता है। इसमें पुरोहित और आग पर चलनेवाला व्यक्ति जुलूस के साथ नदी में स्नान करने जाता है और वहाँ से नाचते-गाते आकर मंदिर में २० हाथ लम्बे गड्ढे से होकर, जिसमें कोयला जलता रहता है, नंगे पैरों पार करता है। रात में गाना-बजाना और उत्सव होता है।

ब्रह्मोत्सव—तिरुपति के मन्दिर में आश्विन में और श्रीरंगम् के मन्दिर में चैत्र और पौष में यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व का उत्सव मदुरा, कांचीपुरम् और तिरुपति के मीनाक्षी-मन्दिर में १० दिनों तक चलता है।

नव वर्ष के उपलक्ष्य में चैत्र में रथयात्रा-उत्सव होता है। यह मद्रास का एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पर्व है।

केरल

विशु—यह मलयाली लोगों का नववर्ष-दिवस है, जो मेष-संक्रान्ति को पड़ता है। इस दिन दान-पुण्य किया जाता है और समारोह के साथ सहभोज आदि होते हैं।

ओनाम—यह कृषि एवं फसल का त्यौहार है। मलयाली लोग इसे चार दिनों तक सहभोज, नौका-भ्रमण और नाच-गान के साथ मनाते हैं। यह भाद्र-शुक्ल, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा को चार दिनों तक मनाया जाता है। विश्वास है कि इस दिन बलि मर्त्यलोक में आते हैं और अपनी प्रजा को देखते हैं। इस उत्सव में कथाकली नृत्य भी होता है। इसमें नावों की दौड़ का विशेष महत्त्व है। रात्रि में नायर-बालाएँ नृत्य करती हैं। यह केरल का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उत्सव है।



महापुरुषों की जयन्तियाँ

ईसामसीह	२५ दिसम्बर
कबीरदास	ज्येष्ठ-पूर्णिमा
कालिदास, महाकवि	कार्तिक-शुक्ल एकादशी
कुँवरसिंह	२३ अप्रैल
कृष्ण, भगवान्	भाद्रपद कृष्णाष्टमी
गान्धी, महात्मा, मोहनदास करमचन्द	२ अक्टूबर
गुरु गोविन्दसिंह	पौष-शुक्ल सप्तमी
गुरु नानक	कार्तिक-पूर्णिमा
गोपाल कृष्ण गोखले	६ मई
चित्तरंजन दास, देशबन्धु	५ नवम्बर
जगदीशचन्द्र बोस	३० नवम्बर
जयप्रकाश नारायण	विजयादशमी
जवाहरलाल नेहरू	१४ नवम्बर
तुलसीदास, गोस्वामी	श्रावण-शुक्ल सप्तमी
दयानन्द सरस्वती, महर्षि	शिवरात्रि
धन्वन्तरि	कार्त्तिक-कृष्ण त्रयोदशी
परशुराम, भगवान्	वैशाख-शुक्ल तृतीया
प्रताप, महाराणा	ज्येष्ठ-शुक्ल तृतीया
'प्रसाद', जयशंकर	माघ-शुक्ल दशमी
प्रेमचन्द	श्रावण-कृष्ण दशमी
बालगंगाधर तिलक, लोकमान्य	१ अगस्त
बुद्ध, भगवान्	वैशाखी पूर्णिमा
मदनमोहन मालवीय, महामना	२५ दिसम्बर

महावीर, वर्द्धमान	चैत्र-शुक्ल त्रयोदशी
महावीरप्रसाद द्विवेदी	३१ दिसम्बर
मीराँ	वैशाख-शुक्ल द्वितीया
मुहम्मद साहब	रबी-उल-अव्वल की १२वीं तारीख।
मैथिलीशरण गुप्त	३ अगस्त।
मोतीलाल नेहरू, पं०	६ मई।
रविदास	माघी पूर्णिमा।
रवीन्द्रनाथ ठाकुर	वैशाख-शुक्ल द्वादशी।
राजेन्द्रप्रसाद, डॉक्टर, भू० पू० राष्ट्रपति	३ दिसम्बर।
रामकृष्ण परमहंस, स्वामी	१८ फरवरी।
रामचन्द्र, भगवान्	चैत्र-शुक्ल नवमी।
रामतीर्थ, स्वामी	२२ अक्टूबर।
राममोहन राय, राजा	२२ मई।
राहुल सांकृत्यायन	वैशाख-कृष्ण अष्टमी।
लक्ष्मीबाई, झाँसी की रानी	१८ नवम्बर
लाजपत राय, लाला	१७ नवम्बर।
वल्लभभाई पटेल, सरदार	३१ अक्टूबर।
वाल्मीकि, महर्षि	आश्विन-शुक्ल तृतीया।
विद्यापति	कार्त्तिक-शुक्ल त्रयोदशी।
विनोबा भावे, संत	११ सितम्बर।
विवेकानन्द	१२ जनवरी।
वेदव्यास	आषाढ-शुक्ल पूर्णिमा।
शंकराचार्य, स्वामी	वैशाख-शुक्ल पंचमी।
शिवपूजन सहाय, आचार्य	श्रावण-कृष्ण त्रयोदशी।
शिवाजी, छत्रपति	वैशाख-शुक्ल द्वितीया।
श्रीअरविंद	१५ अगस्त।
श्रीकृष्ण सिंह, डॉ०	२१ अक्टूबर।
सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉ०	५ दिसम्बर।
सहजानन्द सरस्वती, स्वामी	फाल्गुन शिवरात्रि।
सुभाषचन्द्र बोस, नेताजी	२३ जनवरी।
सूरदास	वैशाख-शुक्ल पंचमी।
सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला'	वसन्त-पंचमी।
स्वामी शिवानन्द	८ सितम्बर।
हनुमान्	कार्त्तिक-कृष्ण चतुर्दशी।
हरिश्चन्द्र, भारतेन्दु	भाद्र-शुक्ल ऋषि-सप्तमी।

★

राजनीतिक और सामाजिक दल

राजनीतिक दल

इण्डियन नेशनल काँगरेस—काँगरेस की स्थापना सन् १८८५ ई० में अवसर-प्राप्त अँगरेज सिविलियन एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा हुई थी। आरम्भ में इसकी नीति शासकों से आवेदन-निवेदन द्वारा राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति थी। सन् १६०६ ई० में दादाभाई नौरोजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में इसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से स्वराज्य घोषित किया था। सन् १६०७ ई० में काँगरेस के अन्दर दो दल हो गये—गरम दल और नरम दल। गरम दल के नेता लोकमान्य बालगङ्गाधर तिलक थे, जो अपने दल के साथ इस संस्था से अलग हो गये। यह दल आवेदन-निवेदन की नीति में विश्वास नहीं करता था। लोकमान्य तिलक ने यह घोषणा की कि 'स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।' सन् १६२० ई० में काँगरेस का नेतृत्व महात्मा गांधी ने ग्रहण किया और असहयोग-आन्दोलन का प्रवर्त्तन किया गया। इस आन्दोलन के द्वारा काँगरेस का संदेश गाँव-गाँव में पहुँच गया। सन् १६२६ ई० में पं० जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्ष-पद से भाषण करते हुए काँगरेस का उद्देश्य एवं लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता की प्राप्ति घोषित किया। सन् १६३० ई० में सत्याग्रह-आन्दोलन सारे देश में चलाया गया। सन् १६४२ ई० में महात्मा गांधी ने 'अँगरेज भारत छोड़ दें'—आन्दोलन आरम्भ किया। इस आन्दोलन ने सारे देश में क्रान्ति की लहर पैदा कर दी। इस आन्दोलन का ही यह परिणाम था कि अँगरेज-शासकों ने १६४७ ई० के १५ अगस्त को शासन-सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंप दी और देश स्वाधीन हुआ। तब से देश के शासन का बागडोर काँगरेस-पार्टी के हाथ में है और श्री जवाहरलाल नेहरू उसके नेता हैं।

इस समय काँगरेस के आदर्श, नीति एवं उद्देश्य में बहुत कुछ परिवर्त्तन हो गया है। इसका वर्त्तमान उद्देश्य भारतवासियों की उन्नति और कल्याण करना तथा भारत में शान्तिपूर्ण एवं वैध उपायों से सहकारिता के आधार पर धर्म-निरपेक्ष समाजवादी प्रजातंत्र एवं कल्याण-राज्य कायम करना है। यह राज्य सब लोगों के लिए समान अवसर तथा राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकारों की समानता पर आधृत होगा।

काँगरेस-संगठन के अन्दर कार्य-समिति, अखिल-भारतीय काँगरेस-कमिटी, प्रदेश काँगरेस-कमिटियाँ, जिला काँगरेस-कमिटियाँ और मण्डल-काँगरेस-कमिटियाँ हैं। प्रादेशिक स्तर की काँगरेस-कमिटियों की संख्या १७ है—आन्ध्र, आसाम, बिहार, बम्बई, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, मैसूर, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाड, उत्तरप्रदेश, उत्कल, पश्चिम बंगाल, केरल, मध्यप्रदेश और हिमाचल-प्रदेश। मण्डल काँगरेस-कमिटियों की कुल संख्या लगभग १८ हजार है। काँगरेस के जो प्राथमिक सदस्य बनते हैं, वे ही मण्डल की आम सभा के सदस्य होते हैं। सदस्य दो प्रकार के होते हैं—साधारण सदस्य और सक्रिय सदस्य। सक्रिय सदस्य के लिए किसी-न-किसी प्रकार का रचनात्मक कार्य करना आवश्यक है।

काँगरेस का गत ६७वाँ अधिवेशन जनवरी, १६६२ ई० के प्रथम सप्ताह में पटना में सम्पन्न हुआ, उक्त अधिवेशन के अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी थे। जून, १६६२ ई० से श्री डी० संजीवैया इसके अध्यक्ष बनाये गये हैं। सन् १६६२ ई० के आम चुनाव में लोक-सभा के लिए इस दल के

३५४ तथा राज्य-विधान-सभाओं के लिए १८५२ सदस्य निर्वाचित हुए। इसका प्रधान कार्यालय ७ जन्तरमन्तर रोड, नई दिल्ली है।

कम्युनिस्ट पार्टी—वर्त्तमान रूप में इस दल का संगठन सन् १९३४ ई० में हुआ था। पहले इस दल के सदस्य काँगरेस के भी सदस्य हुआ करते थे, परन्तु गत द्वितीय विश्वयुद्ध के समय इस दल ने स्वातन्त्र्य-संग्राम में भाग न लेकर काँगरेस-नीति के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार की सहायता की, जिसके कारण इस दल के सदस्य काँगरेस से हटा दिये गये। अन्तरराष्ट्रीय विषयों में रूस की जो नीति होती है, उसके अनुसार ही कम्युनिस्ट पार्टी अपनी नीति निर्धारित करती है, न कि भारतीय परिस्थितियों पर ध्यान रखकर। यह दल रूस से पथ-प्रदर्शन एवं अनुप्रेरणा ग्रहण कर कट्टरपंथी अन्तरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट भावधारा का अनुसरण करता है। कम्युनिस्ट पार्टी का उद्देश्य है—साम्राज्यवाद और पूँजीवाद के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए श्रमिकों और किसानों को संगठित करना, श्रमिक-दल के नेतृत्व में गणतांत्रिक राज्य की स्थापना करना और मार्क्स तथा लेनिन के उपदेशों के अनुसार समाजवादी समाज का संगठन करना, जिससे सर्वहारा-वर्ग का अधिनायक-तंत्र चरितार्थ हो सके। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद सन् १९५७ ई० से केरल में *लगभग ढाई वर्षों तक* इस दल की सरकार रही।

सन् १९६२ ई० के निर्वाचन में लोक-सभा में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों की संख्या ३४ और राज्य-सभा में १४ है। लोक-सभा में यह दल विपक्षी दल के रूप में काम करता है। राज्य-विधान-सभाओं में कम्युनिस्ट-सदस्यों की संख्या १९२ है। क्षेत्रीय परिषदों में इसके सदस्य १३ हैं।

कम्युनिस्ट पार्टी के वर्त्तमान अध्यक्ष श्री एस० ए० डाँगे तथा महामन्त्री श्री ई० एम० एस० नम्बूदरीपाद हैं। भारत-चीन सीमान्त-विवाद के सम्बन्ध में इस दल की नीति सन्दिग्ध है। यह चीन को भारत के प्रति एक आक्रामक के रूप में नहीं स्वीकार करता। पार्टी का प्रधान कार्यालय ७/४, आसफ अली रोड, नई दिल्ली है।

स्वतन्त्र-पार्टी—सन् १९५९ ई० के १ और २ अगस्त को स्वतंत्र-पार्टी की स्थापना बम्बई में विधिवत् की गई। इस पार्टी का प्रथम अखिलभारतीय सम्मेलन १९ मार्च, १९६० ई०, को पटना में किया गया, जिसमें पार्टी का संविधान स्वीकृत हुआ। इसकी मूलभूत नीति का उल्लेख इस रूप में किया गया है—धर्म, जाति, पेशा या राजनीतिक लगाव का विचार न करके सब लोगों को सामाजिक न्याय एवं समान सुयोग प्राप्त होना चाहिए। पार्टी का विश्वास है कि जनता की उन्नति, कल्याण एवं सुख व्यक्तिगत उपक्रम, उद्यम एवं कर्मशक्ति पर निर्भर करते हैं। पार्टी इस सिद्धान्त को मानती है कि व्यक्ति को अधिक-से-अधिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और राज्य द्वारा कम-से-कम हस्तक्षेप होना चाहिए। समाज-विरोधी कार्यों का प्रतिषेध करना, ऐसे कार्य करनेवालों को दण्ड देना और ऐसी अवस्थाओं की सृष्टि करना, जिनमें व्यक्तिगत उपक्रम फले-फूले और सफल हो।

इस दल के सभापति प्रो० एन० जी० रंगा और उपसभापति श्री के० एम० मुंशी, श्रीकामाख्यानारायण सिंह तथा श्री एस० के० डी० पालीवाल हैं। श्री एम० आर० मसानी इसके महामंत्री हैं। श्रीचक्रवर्ती राजगोपालाचारी इस दल के संस्थापक तथा प्रमुख नेता हैं। लोकसभा में इस दल के २८ तथा राज्य-विधान-सभाओं में २०९ सदस्य हैं। इसका प्रधान कार्यालय १४३, महात्मा गांधी रोड, बम्बई—१ है।

द्रविड मुन्नेत्र कज़गम—दक्षिण-भारत (तमिलनाड) की यह एक पार्टी है, जो ब्राह्मण-धर्म के विरुद्ध है तथा द्रविडनाड के नाम से एक सार्वभौम स्वतंत्र समाजवादी प्रजातंत्र राज्य की स्थापना करना इसका लक्ष्य है। इस स्वतंत्र द्रविडनाड प्रजातंत्र राज्य के अन्तर्गत तमिलनाड, आंध्र, कर्नाटक और केरल—ये चार विभिन्न भाषा-भाषी राज्य होंगे। द्रविडनाड प्रजातंत्र-संघ में प्रत्येक को अपने-अपने राज्य के आन्तरिक विषयों में पूर्ण स्वतंत्रता होगी और संघ से सम्बन्ध-विच्छेद कर लेने का अधिकार होगा। इस प्रजातंत्र-राज्य की अपनी स्वतंत्र परराष्ट्र एवं प्रतिरक्षा-नीति होगी। इस दल का विश्वास है कि भारत एक राष्ट्र न होकर कई राष्ट्रों का महादेश है। यह दल राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी का विरोध करता है और अँगरेजी को राजभाषा बनाये रखना चाहता है। इसकी शाखाएँ मद्रास-राज्य, आंध्र, मैसूर और केरल में हैं। मद्रास-विधान-सभा में इस दल के ५० और लोक-सभा में ७ सदस्य हैं। इसका प्रधान कार्यालय अरिवहम् सूर्यनारायण चेट्टी स्ट्रीट, रायपुरम्, मद्रास है।

गणतंत्र-परिषद्—इस दल का जन्म उड़ीसा-राज्य में हुआ था और इसका मुख्य कार्यालय कटक में है। सन् १६५८ ई० के मई महीने में इस दल का जो वार्षिक सम्मेलन हुआ था, उसमें यह निश्चय किया गया कि दल को अखिलभारतीय रूप दिया जाय।

इसके उद्देश्य एवं लक्ष्य निम्नलिखित हैं—अल्पसंख्य सम्प्रदायों और पिछड़े हुए क्षेत्रों एवं वर्गों के नागरिकों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की अभिरक्षा; भूमि-राजस्व का उन्मूलन और इसके स्थान पर कृषि-सम्बन्धी आय पर क्रमशः वर्धमान कर की स्थापना; वर्धित उत्पादन; कृषि-श्रमिकों को पर्याप्त और उचित मजदूरी; भूमि-संरक्षण; बहूद्देश्यीय सहकारी समितियों की स्थापना तथा ग्रामीण अञ्चलों में कृषि-ऋण की व्यवस्था; भोगरा भूमि का रैयतवारी भूमि में परिवर्त्तन; पशु-धन की रक्षा तथा गोहत्या-निरोध; सरकारी सहायता से स्थापित अधिकतम रूप में उद्योगों का तथा भविष्य में काम में लाई जानेवाली खानों का राष्ट्रीयीकरण; पूँजीपति और मजदूरों द्वारा उद्योगों का प्रबन्ध-संचालन और लाभ में मजदूरों की साझेदारी; मध्यम श्रेणी के स्वार्थों की अभिरक्षा तथा कर-स्थापन में कमी; सरायकेला और खरसावाँ, जो इस समय बिहार-राज्य में हैं, उन्हें उड़ीसा में मिला देना।

जून, १६६१ ई० के मध्यावधि निर्वाचन में इस दल के ३७ उम्मीदवार विधान-सभा के लिए निर्वाचित हुए। लोकसभा में इसके ४ सदस्य हैं।

सोशलिस्ट पार्टी—जनतांत्रिक एवं शान्तिपूर्ण क्रान्ति के द्वारा समाजवादी समाज की स्थापना करना इस दल का प्रमुख उद्देश्य है। अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में यह राष्ट्रों के बीच असमानता का अंत कर एक विश्व-पार्लमेण्ट तथा समाजवादी विश्व की स्थापना करना चाहता है। दल का विचार है कि पाँच व्यक्तियों के एक परिवार का उतनी ही जोत-जमीन पर निजी स्वत्व होना चाहिए, जितनी जमीन को वह बिना खेतिहर मजदूर या भारी मशीन की सहायता के जोत सके। इससे अधिक जितनी जमीन हो, सब गरीब किसानों और भूमिहीन श्रमिकों के बीच बाँट दी जाय। लोहा और इस्पात, इंजीनियरिंग, चीनी, सूती कपड़ा, सीमेण्ट, खान, बिजली और रासायनिक पदार्थ जैसे प्रधान व्यवसायों तथा देश में विनियोजित विदेशी पूँजी का राष्ट्रीयीकरण होना चाहिए। सरकारी कामों में अँगरेजी का प्रयोग अविलम्ब बन्द हो तथा भारत राष्ट्रमण्डल से सम्बन्ध-विच्छेद कर ले। डॉ० राममनोहर लोहिया इस दल के सर्वप्रधान नेता हैं। इसके वर्त्तमान अध्यक्ष श्रीराजनारायण

तथा प्रधानमंत्री श्रीईरोवी राय (?) हैं। लोकसभा में इसके ५ सदस्य हैं। इसका केन्द्रीय कार्यालय १४–१–३२३, सीताराम पेठ, हैदराबाद है।

प्रजा-सोशलिस्ट पार्टी—समाजवादी दल की स्थापना की कल्पना सन् १९३२-३३ ई० में की गई, जब श्रीजयप्रकाश नारायण, श्रीअच्युत पटवर्द्धन और श्रीअशोक मेहता नासिक-जेल में थे। इस दल का प्रथम अधिवेशन सन् १९३४ ई० के मई महीने में अखिलभारतीय काँगरेस-कमिटी की बैठक के अवसर पर पटना में हुआ। प्रारम्भ में यह दल काँगरेस का वामपक्षी दल था, और अपने समाजवादी आदर्शों के अनुसार कार्य करने पर जोर देता था। यह दल किसानों और मजदूरों के बीच विशेष रूप से काम करता रहा। धीरे-धीरे काँगरेस के दक्षिण पक्षवालों के साथ इसका मतभेद बढ़ता गया। फलतः, सन् १९४७ ई० के मार्च महीने में इसने काँगरेस से सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया। कुछ दिनों के बाद किसान-मजदूर-प्रजा-पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के मिल जाने से 'प्रजा-सोशलिस्ट पार्टी' बनी। शान्तिपूर्ण क्रान्ति द्वारा प्रजातान्त्रिक समाजवादी समाज की स्थापना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इस समय इसके अध्यक्ष श्री एस० एम० जोशी तथा महामंत्री श्री एन० जी० गोरे हैं। लोकसभा में इस दल के १२ तथा राज्य-विधान-सभाओं में १७५ सदस्य हैं।

इस दल की १८ प्रान्तीय शाखाएँ हैं। तीन विभिन्न मोर्चों से यह दल काम करता है—किसान (हिंद-किसान-पंचायत), श्रमिक (हिंद-मजदूर-सभा) और युवक (समाजवादी युवक-सभा)। लोकसभा में इस दल के १८ और राज्य-सभा में ८ सदस्य हैं। इसका प्रधान कार्यालय १८ विण्डसर प्लेस, नई दिल्ली–१ है।

अग्रगामी दल (फारवर्ड ब्लॉक)—अग्रगामी दल की स्थापना सन् १९३८ ई० में नेताजी श्रीसुभाषचन्द्र बोस द्वारा की गई थी। श्रीबोस को आशंका थी कि काँगरेस महायुद्ध के समय ब्रिटिश सरकार से समझौता करके कहीं पूर्ण स्वाधीनता-प्राप्ति से कुछ कम पर ही न राजी हो जाय। इसलिए, उन्होंने इस दल की स्थापना की। श्रीबोस की मृत्यु के बाद सन् १९४८ ई० में यह दल दो शाखाओं में विभक्त हो गया। एक दल के नेता आर० एस० रुईकर और दूसरे के श्री के० एन० जोगलेकर थे। सन् १९५० ई० में इस दल के कुछ व्यक्तियों ने दल से अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर मार्क्सवादी अग्रगामी दल की स्थापना की।

सन् १९५० ई० की जनवरी में दोनों शाखाएँ फिर एक साथ हो गईं। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से सम्बन्ध-विच्छेद कर भारत में समाजवादी सरकार कायम करना अब इस दल का उद्देश्य है। लोकसभा में इसके २ सदस्य हैं—एक मद्रास से और एक पश्चिम बंगाल से। इस समय इस दल के अध्यक्ष श्रीहेमन्तकुमार बसु और प्रधान मन्त्री श्री आर० के० हलदुलकर हैं। इसका प्रधान कार्यालय छिन्दवाड़ा (मध्यप्रदेश) में है।

अखिलभारतीय हिन्दू-महासभा—हिन्दू-महासभा का कार्य मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप सन् १९०६ ई० के लगभग ही आरम्भ हुआ। स्व० महामना मदनमोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, भाई परमानन्द, वीर सावरकर, डॉ० मुंजे, डॉ० श्यामाप्रसाद मुखर्जी आदि इसके नेता थे। लोकसभा में इसके एक सदस्य हैं, जो एटा (उ० प्र०) से निर्वाचित हैं। वे ही महासभा के प्रधान मन्त्री भी हैं

प्रारम्भ में यह संस्था मुख्यतः अपने संस्कृति-रक्षा-सम्बन्धी कार्यों में ही लगी रही। पीछे अँगरेजी सरकार और देश के प्रमुख राजनीतिक दल काँगरेस को मुसलमानों का पक्षपाती समझकर

उसकी नीति का विरोध करने के लिए इसने राजनीति में विशेष रूप से भाग लेना शुरू किया। सन् १९३५ ई० में केन्द्रीय और प्रान्तीय एसेम्बलियों एवं कौंसिलों के चुनाव में भी इसने भाग लिया, पर काँगरेस की प्रतिद्वन्द्विता में यह टिक नहीं सकी। इस समय इसके अध्यक्ष महन्त दिग्विजयनाथ और प्रधान मन्त्री श्रीविशनचन्द्र सेठ हैं। इसका प्रधान कार्यालय हिन्दू-महासभा भवन, मन्दिर-मार्ग, नई दिल्ली है।

डेमोक्रैटिक वानगार्ड—यह पार्टी सन् १९४३ ई० में उन लोगों के द्वारा कायम की गई, जो रेडिकल डेमोक्रैटिक पार्टी से अलग हो गये थे। इसका उद्देश्य गणतंत्रात्मक क्रान्ति उत्पन्न करना है।

रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी—यह पार्टी सन् १९४८ ई० में स्व० श्रीशरत्चन्द्र बोस द्वारा कायम की गई थी। इसका उद्देश्य भारत की स्वतन्त्रता को विदेशी प्रभाव से अलग रखना है। इसके कुछ सदस्य सिर्फ पश्चिम बंगाल में हैं।

रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया—यह पार्टी कार्ल मार्क्स के सिद्धान्तों का प्रचार करती है और क्रान्ति द्वारा भारत में समाजवादी राज्य कायम करना चाहती है।

रिवोल्युशनरी सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया—इस पार्टी के सदस्य अपने को लेनिन के अनुयायी बताते हैं। यह पार्टी रूस की नीति के विरुद्ध है। यह अखिलभारतीय काँगरेस की भी आलोचना करती है। लोकसभा में इसके २ सदस्य हैं। इसके प्रधान मन्त्री श्रीत्रिदिवकुमार चौधुरी हैं। इसका कार्यालय ७८० बलियरन, दिल्ली–६ है।

पीजेण्ट्स ऐण्ड वर्कर्स पार्टी—किसानों और मजदूरों की इस पार्टी के नेता श्री एस० एस० मोर और श्री के० एम० जेडे हैं। पार्टी का कार्यक्षेत्र केवल महाराष्ट्र है। विना मुआवजा दिये ही जमींदारी-उन्मूलन इसका प्रमुख उद्देश्य है। यह पार्टी बैंकों और उद्योगों में लगी विदेशी पूँजी को जब्त कर लेने के पक्ष में है। उद्योग-धन्धों के राष्ट्रीयीकरण में इस पार्टी का पूर्ण विश्वास है। इसका कार्यालय कोलीवाड़ी, फनासवाड़ी, बम्बई–२ है।

भारतीय जनसंघ - स्व० डॉ० श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने सन् १९५१ ई० में इस राजनीतिक पार्टी की स्थापना की। अखण्ड भारत में इसका पूर्ण विश्वास है। लोक-सभा में इस दल के १४, राज्य सभा में २ तथा राज्य-विधान-सभाओं में १२६ सदस्य हैं। इसके वर्त्तमान अध्यक्ष श्रीदेवप्रसाद घोष और प्रधान मन्त्री श्रीदीनदयाल उपाध्याय हैं। इसका प्रधान कार्यालय अजमेरी गेट, दिल्ली है।

शिया पॉलिटिकल कान्फ्रेन्स—यह मुसलमानों के शिया-सम्प्रदाय का प्रतिनिधित्व और राजनीति में काँगरेस का समर्थन करती है।

जमायत उल-उलेमा—यह मुसलमान धर्मोपदेशकों (उलेमाओं) की एक संस्था है। इसने धार्मिक आधार पर बराबर भारतीय काँगरेस के कार्यक्रमों एवं स्वाधीनता की माँग का समर्थन किया। इन दिनों इसने अपने राजनीतिक कार्यक्रम का परित्याग कर दिया है।

मोमिन अन्सार-कान्फ्रेन्स—मुसलमानों के मोमिन-सम्प्रदाय की यह पार्टी मुस्लिम लीग का विरोध और काँगरेस की नीति का समर्थन करती रही है।

अकाली दल—इस दल के नेता मास्टर तारासिंह हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की तरह सिखिस्तान के लिए आन्दोलन कर रखा है। लोकसभा में इसके ३ सदस्य हैं।

पन्थिक दरबार— इसके नेता पटियाला के महाराजा हैं, जो सिखिस्तान के विरोधी हैं।

किसान-पार्टी—समाजवादी मापदण्ड पर इसका कार्यक्रम भारतीय किसानों के आन्दोलन को बढ़ाने का है। यह दल कॉंगरेस से पृथक् है, फिर भी कुछ बातों में उसका साथ देता है।

झारखण्ड पार्टी—यह दल बिहार के दक्षिणी भाग झारखण्ड (छोटानागपुर एवं संताल-परगना का कुछ भाग) का एक राजनीतिक दल है, जिसका मुख्य उद्देश्य पृथक् झारखण्ड-प्रान्त का निर्माण करना है। इसके नेता श्रीजयपाल सिंह हैं। लोकसभा में इसके ३ सदस्य हैं। सन् १९६३ ई० की जुलाई में यह पार्टी कांगरेस के साथ मिल गई है।

रामराज्य-परिषद्—धर्मसापेक्ष राज्य की स्थापना के लिए अखिलभारतीय स्तर पर इसकी स्थापना हुई है। लोकसभा में इसके २ सदस्य हैं।

संयुक्त महाराष्ट्र-दल—इसका उद्देश्य भाषाधार पर मराठा-भाषियों का एक प्रान्त बनाना है। इसके प्रधान मन्त्री दाजीबा देसाई हैं। कार्यालय ५४, बुधवार पेठ, लक्ष्मी रोड, पूना-२ है।

अखिल जम्मू और कश्मीर नेशनल कान्फ्रेन्स—जम्मू और कश्मीर में विधान-सभा में इसके ७५ में ७० और विधान परिषद् में ३६ में ३५ सदस्य हैं। प्रधान कार्यालय श्रीनगर में है।

सामाजिक दल

राष्ट्रीय स्वयंसेवक-संघ—इसकी स्थापना डॉ० हेडगेवार द्वारा सन् १९२५ ई० में हुई। इसका वास्तविक उद्देश्य हिन्दू-राष्ट्र कायम करना, हिन्दुओं को सैनिक शिक्षा देना और हिन्दू-समाज में सब प्रकार का जागरण लाना है। इसकी शाखाएँ भारत में सर्वत्र फैली हुई हैं। महात्मा गांधी की हत्या के बाद यह संघ गैरकानूनी करार दिया गया था, पर अब इसपर से प्रतिबन्ध हट गया है। इसके प्रधान श्रीमाधवराव सदाशिव गोलवलकर हैं, जिन्हें संघवाले 'गुरुजी' कहा करते हैं।

सर्वोदय-समाज—यह गांधीवाद के सिद्धान्त में विश्वास रखनेवाले लोगों की एक संस्था है। गांधीवादी विचारधारा के अनुसार चलनेवाले एवं रचनात्मक कार्यक्रम में लगे हुए देश-सेवकों की यह एक ऐसी संस्था है, जो व्यक्ति सत्य और अहिंसा का पालन करते हुए विश्व-बन्धुत्व की भावना से काम करती है। खादी, हरिजनोद्धार, आदिवासी-सेवा, कुष्ठ-निवारण तथा समाज की सर्वतोमुखी सेवा ही इसके प्रमुख कार्य हैं। आचार्य विनोबा भावे इसके साम्प्रतिक सूत्रधार हैं।

भारत-सेवक-समाज—भारत-सेवक-समाज एक नई राष्ट्रीय संस्था है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद भारत के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए तथा देश को शक्तिशाली बनाने के निमित्त इसकी स्थापना की गई है। इस संस्था में हरेक विचार के लोगों का स्वागत किया जाता है। हिंसा और तोड़-फोड़ में विश्वास रखनेवालों तथा साम्प्रदायिक एवं धार्मिक आदर्शों के माननेवाले प्रतिक्रियावादियों को इसमें स्थान नहीं मिलता।

पिछड़ा वर्ग-संघ—इसकी स्थापना स्व० डॉ० अम्बेदकर ने की थी। इसका कार्य राजनीतिक एवं आर्थिक मामलों से पृथक् है। पिछड़े लोगों को विशेष सुविधाएँ दिलाना ही इसका प्राथमिक लक्ष्य था। भारत के खण्डित होने के बाद से इसने अपना दृष्टिकोण बदल दिया है।

★

प्रमुख साहित्यिक संस्थाएँ

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन

जन्म और विकास

हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने तथा हिन्दी-साहित्य और देवनागरी-लिपि का व्यापक प्रचार करने के उद्देश्य से नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी ने अखिलभारतीय स्तर पर एक साहित्य-सम्मेलन बुलाने का निश्चय किया था। तदनुसार, विक्रमी संवत् १९६७, दिनांक १ मई, १९१० ई० को महामना स्व० पं० मदनमोहन मालवीय की अध्यक्षता में काशी में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का एक अधिवेशन सम्पन्न हुआ, जिसमें हर प्रदेश के साहित्यकारों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। उक्त अधिवेशन में बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन का यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया कि इसी प्रकार के सम्मेलन प्रति वर्ष विभिन्न स्थानों में किये जायँ। आगामी अधिवेशन तक के लिए 'हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन' नाम की एक समिति बना दी गई, जिसके प्रधान मन्त्री बाबू पुरुषोत्तम-दास टण्डन नियुक्त किये गये। आगामी अधिवेशन प्रयाग में होना था और समिति के प्रधान मन्त्री प्रयाग के ही निवासी थे, इसलिए एक वर्ष के लिए सम्मेलन का अस्थायी कार्यालय प्रयाग चला आया।

सम्मेलन का द्वितीय अधिवेशन संवत् १९६८ में स्व० पं० गोविन्दनारायण मिश्र के सभापतित्व में प्रयाग में सम्पन्न हुआ। श्रीटण्डनजी की अपूर्व कार्य-क्षमता और हिन्दी के प्रति उनकी अगाध निष्ठा के परिणाम-स्वरूप सम्मेलन का कार्यालय स्थायी रूप से प्रयाग में रह गया।

इसके बाद से हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन उत्तरोत्तर उन्नति करता हुआ अपने उद्देश्य की उस सीमा तक पहुँच गया, जिसकी पूर्ति के लिए इसका जन्म हुआ। आज हिन्दी समस्त भारत की राष्ट्र-भाषा के सिंहासन पर आरूढ होकर अपने उन्नायक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की कीर्त्ति-पताका समुद्र पार तक फहरा रही है।

सम्मेलन के सभापति और अधिवेशन

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन कब, कहाँ और किनके सभापतित्व में हुए, यह नीचे लिखा है—

१.	महामना पं० मदनमोहन मालवीय	सं० १९६७	काशी-अधिवेशन
२.	पं० गोविन्दनारायण मिश्र	सं० १९६८	प्रयाग ,,
३.	उपाध्याय पं० बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन'	सं० १९६९	कलकत्ता ,,
४.	महात्मा मुंशीराम (स्वामी श्रद्धानन्द)	सं० १९७०	भागलपुर ,,
५.	पं० श्रीधर पाठक	सं० १९७१	लखनऊ ,,
६.	रायबहादुर बाबू श्यामसुन्दरदास बी० ए०	सं० १९७२	प्रयाग ,,
७.	महामहोपाध्याय पं० रामावतार शर्मा	सं० १९७३	जबलपुर ,,
८.	महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी	सं० १९७४	इन्दौर ,,
९.	महामना पं० मदनमोहन मालवीय	सं० १९७५	बम्बई ,,
१०.	रायबहादुर पं० विष्णुदत्त शुक्ल	सं० १९७६	पटना ,,
११.	डॉ० भगवानदास	सं० १९७७	कलकत्ता ,,
१२.	पं० जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी	सं० १९७८	लाहौर ,,

१३.	श्रीपुरुषोत्तमदास टण्डन	सं० १९७९	कानपुर-अधिवेशन
१४.	पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध'	सं० १९८०	दिल्ली ,,
१५.	पं० माधवराव सप्रे	सं० १९८१	देहरादून ,,
१६.	पं० अमृतलाल चक्रवर्त्ती	सं० १९८२	वृन्दावन ,,
१७.	म० म० रा० व० पं० गौरीशंकर हीराचन्द ओझा	सं० १९८३	भरतपुर ,,
१८.	पं० पद्मसिंह शर्मा	सं० १९८५	मुजफ्फरपुर ,,
१९.	श्रीगणेशशंकर विद्यार्थी	सं० १९८६	गोरखपुर ,,
२०.	बाबू जगन्नाथदास 'रत्नाकर'	सं० १९८७	कलकत्ता ,,
२१.	पं० किशोरीलाल गोस्वामी	सं० १९८८	झाँसी ,,
२२.	राव राजा डॉ० श्यामबिहारी मिश्र	सं० १९८९	ग्वालियर ,,
२३.	महाराज सर सयाजीराव गायकवाड़ (बड़ौदा)	सं० १९९०	दिल्ली ,,
२४.	महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी	सं० १९९२	इन्दौर ,,
२५.	डॉ० राजेन्द्रप्रसाद	सं० १९९३	नागपुर ,,
२६.	सेठ जमनालाल बजाज	सं० १९९४	मद्रास ,,
२७.	पं० बाबूराव विष्णु पराडकर	सं० १९९५	शिमला ,,
२८.	पं० अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी	सं० १९९६	काशी ,,
२९.	श्रीसंपूर्णानन्द	सं० १९९७	पूना ,,
३०.	डॉ० अमरनाथ झा	सं० १९९८	अबोहर ,,
३१.	पं० माखनलाल चतुर्वेदी	सं० २०००	हरद्वार ,,
३२.	गोस्वामी गणेशदत्त	सं० २००१	जयपुर ,,
३३.	श्रीकन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी	सं० २००२	उदयपुर ,,
३४.	श्रीवियोगी हरि	सं० २००३	कराची ,,
३५.	महापण्डित राहुल सांकृत्यायन	सं० २००४	बम्बई ,,
३६.	सेठ गोविन्ददास	सं० २००५	मेरठ ,,
३७.	आचार्य चन्द्रबली पाण्डेय	सं० २००६	हैदराबाद ,,
३८.	श्रीजयचन्द्र विद्यालंकार	सं० २००७	कोटा ,,

कार्यालय

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का कार्यालय प्रारम्भ से ही प्रयाग में रहा है। इस समय इसके कई विशाल भवन हैं। सम्मेलन के कार्य निम्नलिखित विभिन्न विभागों में बँटे हैं—

विभिन्न विभाग

साहित्य-विभाग—इस विभाग के अन्तर्गत पुस्तकों का प्रकाशन मुख्य है। यहाँ से अबतक विभिन्न विषयों के दर्जनों ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं।

'सम्मेलन-पत्रिका'-विभाग—सम्मेलन की ओर से एक अनुशीलन तथा शोध-प्रधान त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित होती है।

हिन्दी-संग्रहालय—संग्रहालय का विशाल भवन भारतीय वास्तु-कला का एक सुन्दर नमूना है। इस समय इस संग्रहालय में ३० हजार से अधिक पुस्तकें संगृहीत हैं।

सम्मेलन-मुद्रणालय—३० अक्टूबर, १९४८ ई० को सम्मेलन-मुद्रणालय का उद्घाटन किया गया। यह एक सुव्यवस्थित एवं सम्पन्न मुद्रणालय है।

प्रबन्ध-विभाग—सम्मेलन के हर प्रकार के प्रबन्ध का दायित्व इसी विभाग पर है। संकेत-लिपि-विद्यालय तथा हिन्दी-टाइप-विद्यालय का संचालन यही विभाग करता है।

प्रचार-विभाग—इस विभाग द्वारा सम्मेलन का प्रचार-कार्य होता है।

परीक्षा-विभाग—इस विभाग के अन्तर्गत सम्मेलन-परीक्षाओं का प्रबन्ध होता है। सम्मेलन की परीक्षाओं ने भारत के अतिरिक्त विदेशों में भी पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त की है। सम्मेलन की परीक्षाओं को देश की कई प्रान्तीय सरकारों और विश्वविद्यालयों ने भी मान्यता दी है। परीक्षा-विभाग का कार्य उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है।

सम्मेलन का परीक्षा-विभाग उत्तमा (प्रथम एवं द्वितीय खंड), मध्यमा, प्रथमा, उप-वैद्य, वैद्य-विशारद (प्रथम खंड एवं द्वितीय खंड), कृषि-विशारद, शिक्षा-विशारद, संपादन-कला-विशारद, संकेत-लिपि-विशारद, हिन्दी-परिचय (मॉरिशस)—इन बारह परीक्षाओं को प्रति वर्ष संचालन करता है। परीक्षा-विभाग के संचालन के लिए स्थायी रूप से रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार की नियुक्ति की गई है।

हिन्दी-विश्वविद्यालय—हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का हिन्दी-विश्वविद्यालय सम्मेलन की अलग संस्था के रूप में निर्मित हुआ है।

हिन्दी-विश्वविद्यालय की ओर से कश्मीर और पंजाब में 'हिन्दी-परिचय' और 'हिन्दी-कोविद' नाम की दो परीक्षाएँ संचालित की जा रही हैं, जो वर्ष में दो बार होती हैं।

साहित्यमहोपाध्याय-परीक्षा—यह सम्मेलन की सर्वोच्च परीक्षा है। इसमें पी-एच० डी० या डी० लिट्० के समान किसी भी विषय पर हिन्दी में अनुसंधानपूर्ण निबंध लिखना पड़ता है।

हिन्दी-विद्यापीठ, प्रयाग—हिन्दी-भाषा और साहित्य के प्रचार के लिए सं० १९७५ में हिन्दी-विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ। पिछले ४४ वर्षों की अवधि में इस विद्यापीठ के द्वारा अहिन्दी-भाषा-भाषी प्रान्तों में सैकड़ों हिन्दीसेवी प्रचारक तैयार किये गये, जो आज भी आन्ध्र से मालाबार तक और बम्बई से आसाम तक अनेक श्लाघ्य संस्थाओं का संचालन कर रहे हैं।

सम्मेलन के पारितोषिक—साहित्य के संवर्द्धन और साहित्यकारों को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष सम्मेलन की ओर से विभिन्न विषयों की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं पर भिन्न-भिन्न पारितोषिक प्रदान किये जाते हैं। इन पारितोषिकों की संख्या ९ है, जिनका आयोजन और संगठन स्थायी समिति की ओर से नियुक्त उपसमितियाँ अलग-अलग किया करती हैं। प्रत्येक पारितोषिक सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन पर अध्यक्ष द्वारा विजेता को प्रदान किया जाता है। पारितोषिक-द्रव्य के साथ ही एक ताम्रपत्र भी प्रदान किया जाता है, जिसमें पारितोषिक का विवरण अंकित रहता है। इन पारितोषिकों में मंगलाप्रसाद-पारितोषिक हिन्दी का गौरवमय पारितोषिक है।

मंगलाप्रसाद-पारितोषिक—प्रतिवर्ष बारह सौ रुपयों का 'मंगलाप्रसाद-पारितोषिक' हिन्दी की किसी मौलिक रचना के सम्मानार्थ सम्मेलन द्वारा दिया जाता है। पूरा पारितोषिक एक ही लेखक को दिया जाता है। प्रतिवर्ष स्थायी समिति द्वारा 'मंगलाप्रसाद-पारितोषिक-समिति' का संगठन हुआ करता है, जिसमें ५ सदस्यों के अतिरिक्त पुरस्कारदाता का एक प्रतिनिधि रहता है। पारितोषिक-निर्णय के लिए आई हुई पुस्तकें उस विषय के विशेषज्ञों के पास भेजी जाती हैं।

प्रतिनिधि-मंडल २ मार्च, १८६८ ई०, को प्रान्त के गवर्नर से मिला और उनके सम्मुख साठ हजार हस्ताक्षरों को सोलह जिल्दों तथा मालवीयजी के 'कोर्ट कैरेक्टर ऐण्ड प्राइमरी एडुकेशन' की एक प्रति के साथ निवेदन-पत्र उपस्थित किया। परिणाम स्वरूप संयुक्त प्रान्त की सरकार को बाध्य होकर १८ अप्रैल, १६०० ई०, को यह आज्ञा निकालनी पड़ी कि १. सभी अपनी इच्छा के अनुसार नागरी या फारसी लिपि में लिखकर प्रार्थना-पत्र दे सकते हैं। २. सरकारी आदेश और सूचनाएँ नागरी और फारसी दोनों लिपियों में निकलेंगी। ३. सरकारी कर्मचारियों के लिए नागरी और फारसी दोनों लिपियों का ज्ञान लेना आवश्यक होगा।

सभा ने नागरी-लिपि और हिन्दी-भाषा को प्रचलित करने के लिए 'कचहरी-हिन्दी-कोश' तैयार कराकर प्रकाशित किया और नागरी-लिपि में सुधार के लिए भी उद्योग किया।

प्रारम्भ से ही सभा ने एक हिन्दी-पुस्तकालय स्थापित किया, जिसका नाम 'नागरी-भण्डार' था। सभा को श्रीगदाधर सिंह का पुस्तकालय मिल जाने के बाद इस पुस्तकालय का नाम 'आर्यभाषा-पुस्तकालय' रखा गया। इस पुस्तकालय में लगभग ५,००० हस्तलिखित तथा ४०,००० मुद्रित ग्रन्थ संगृहीत हैं। प्राचीन पत्र-पत्रिकाओं का संग्रह भी पुस्तकालय में है। विभिन्न विश्व विद्यालयों से हिन्दी में डी० फिल्०, पी-एच० डी, और डी० लिट्० के शोध-विद्यार्थी बराबर सभा के इस पुस्तकालय में अध्ययन के लिए आते हैं और यहीं टिककर अध्ययन करते हैं।

हस्तलिखित हिन्दी-ग्रन्थों की खोज का कार्य आरम्भ में सभा ने एशियाटिक सोसायटी (बंगाल) द्वारा कराया था। इसके परिणाम-स्वरूप सं० १६८५ तक ६०० महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ मिले थे। सन् १६०० ई० के बाद हस्तलिखित हिन्दी-ग्रन्थों की खोज का काम सभा ने स्वतंत्र रूप से कराना प्रारम्भ किया। डॉ० काशीप्रसाद जायसवाल, रायबहादुर डॉ० हीरालाल और रायबहादुर गौरीशंकर हीराचन्द ओझा का सहयोग सभा के खोज-विभाग को बराबर मिलता रहा।

सभा के प्रकाशनों में 'नागरी-प्रचारिणी पत्रिका' का महत्त्वपूर्ण स्थान है। सभा के प्रकाशनों में सबसे महत्त्वपूर्ण प्रकाशन है 'हिन्दी-शब्दसागर'। इस वृहत् कोश की तैयारी में सन् १६०८ से १६२६ ई० तक लगभग २२ वर्ष लगे। अब इस कोष का संशोधन-कार्य चल रहा है। हिन्दी शब्दसागर के अलावा 'हिन्दी-वैज्ञानिक शब्दावली' भी सभा का एक महत्त्वपूर्ण प्रकाशन है।

सन् १६१६ ई० में सभा ने पं० कामताप्रसाद गुरु द्वारा सम्पादित हिन्दी का एक प्रामाणिक व्याकरण और सन् १६६० में पं० किशोरीदास वाजपेयी-प्रणीत 'हिन्दी-शब्दानुशासन' प्रकाशित किया।

यहाँ से प्रकाशित होनेवाली पुस्तकमालाओं में मनोरंजन-पुस्तकमाला, देवीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला, सूर्यकुमारी-पुस्तकमाला, बालाबक्स-राजपूत-चारण-पुस्तकमाला, देव-पुरस्कार-ग्रन्थावली, रुक्मिणी तिवारी-पुस्तकमाला, रामविलास पोद्दार-स्मारक ग्रन्थमाला, महेन्द्रलाल गर्ग विज्ञान-ग्रन्थावली, नवभारत-ग्रन्थमाला, महिला-पुस्तकमाला, बिड़ला-पुस्तकमाला आदि प्रमुख हैं। इन ग्रन्थमालाओं में अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का प्रकाशन हुआ है। सं० १६५१ ई० में सभा ने हिन्दी-संकेतलिपि का निर्माण कराया एवं उसे उत्तरोत्तर परिष्कृत कराती रही। संकेतलिपि तथा टंकण (टाइपराइटिंग) की शिक्षा के लिए सभा ने एक विद्यालय भी खोला है।

श्रीरायकृष्णदासजी के उद्योग से सभा ने भारतीय संस्कृति और कला की विपुल सामग्री का संग्रह भारत कला-भवन में कराया। संग्रह बहुत अधिक बढ़ जाने पर यह कला-भवन काशी-विश्वविद्यालय को हस्तांतरित कर दिया गया है।

सं० २०१० में सभा ने अपनी हीरक-जयंती बड़े समारोहपूर्वक भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसादजी के सभापतित्व में मनाई। सभा की ओर से हिन्दी-साहित्य का एक वृहत् इतिहास १७ भागों में प्रकाशित किया जा रहा है। हिन्दी-विश्वकोष के प्रणयन-प्रकाशन का कार्य सभा केन्द्रीय सरकार के वित्तीय संरक्षण में कर रही है। लगभग छह-छह सौ पृष्ठों के दस भागों में यह विश्वकोश पूर्ण होगा।

राष्ट्रभाषा प्रचार-समिति, वर्धा

स्थापना—म० गांधी की प्रेरणा से सन् १९३६ ई० के हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के नागपुर-अधिवेशन में, जिसके सभापति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद थे, एक प्रस्ताव के अनुसार हिन्दीतर प्रदेशों में राष्ट्रभाषा हिन्दी के व्यापक प्रचार के लिए राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति का निर्माण हुआ। सर्वश्री महात्मा गांधी, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, पं० जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचन्द्र बोस, राजर्षि पुरुषोत्तम-दास टण्डन, सेठ जमनालाल बजाज, आचार्य नरेन्द्रदेव, काका कालेलकर, बाबा राघवदास, शंकरराव देव, माखनलाल चतुर्वेदी, वियोगी हरि, हरिहर शर्मा आदि इसके प्राथमिक सदस्य हुए।

कार्यक्षेत्र का विस्तार—सन् १९३७ ई० से ही राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति का कार्यक्षेत्र दक्षिण-भारत के कुछ भागों को छोड़कर शेष हिन्दीतर प्रदेशों में है। आज भारत में दिल्ली आसाम, बंगाल, मणिपुर, उत्कल, महाराष्ट्र, गुजरात, बम्बई, विदर्भ, मध्यप्रदेश, राजस्थान, मराठवाड़ा, कर्नाटक, आन्ध्र, पंजाब, कश्मीर, अन्दमान आदि प्रदेशों में इसका कार्य चल रहा है। विदेशों में लंका, बर्मा, अफ्रिका, स्याम, जावा, सुमात्रा, मॉरिशस, अदन, सूडान, इंगलैंड आदि स्थानों में भी समिति के केन्द्र हैं।

कार्य-संचालन—राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति का केन्द्रीय कार्यालय वर्धा में है। परीक्षा-संचालन के अलावा साहित्य-निर्माण, पाठ्य-पुस्तक-प्रकाशन, विद्यालय-संचालन तथा 'राष्ट्रभारती' (समिति का मुखपत्र) और 'राष्ट्रभाषा' (मासिक) का सम्पादन एवं प्रकाशन, राष्ट्रभाषा की शिक्षा आदि की व्यवस्था समिति के अन्य कार्य हैं।

समिति ने पाठ्य-पुस्तकों के अतिरिक्त हिन्दी-भाषाभाषियों के लिए राष्ट्रभाषा की प्रारम्भिक पुस्तकें, कहानी-संग्रह, एकांकी-संग्रह, कविता-संग्रह, निबन्ध-संग्रह, व्याकरण आदि का प्रकाशन किया है।

समिति ने अपनी साहित्य-निर्माण-योजना के अन्तर्गत राष्ट्रभाषा-कोष, फ्रेंच स्वयं-शिक्षक, भारतीय वाङ्मय के तीन भाग, मराठी का वर्णनात्मक व्याकरण, सोरठ तेरा बहता पानी (गुजराती उपन्यास), धरती की ओर (कन्नड-उपन्यास), 'लोकमान्य तिलक' (जीवन-ग्रन्थ), भारत-भारती (तमिल, तेलुगु कन्नड, मराठी, गुजराती) प्रकाशित किये हैं। समिति के पास अपना एक बड़ा प्रेस है, जिसमें समिति अपनी सभी चीजों की छपाई का कार्य करती है। समिति का कार्य विभिन्न विभागों में विभक्त है। सभी विभागों तथा प्रेस में करीब १५० कार्यकर्त्ता कार्य करते हैं।

परीक्षाएँ— राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति, वर्धा द्वारा राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध में निम्नलिखित परीक्षाएँ ली जाती हैं—

१. प्राथमिक, २. प्रारम्भिक, ३. प्रवेश, ४. परिचय, ५. कोविद, ६. रत्न, ७. आचार्य, ८. अध्यापन-विशारद, ९. अध्यापन-कोविद, १०. प्रान्तीय भाषा-परीक्षा, ११. महाजनी प्रवेश और १२. बातचीत। उक्त परीक्षाओं में 'राष्ट्रभाषा-कोविद', 'राष्ट्रभाषा-रत्न' तथा 'राष्ट्रभाषा-आचार्य' उपाधि-परीक्षाएँ हैं।

अबतक समिति की परीक्षाओं में २२ लाख से अधिक परीक्षार्थी सम्मिलित हो चुके हैं। अबतक परीक्षार्थियों की संख्या २७,७८,२१८ पहुँच चुकी है।

प्रचार-कार्य—समिति के प्रचारक समिति की विभिन्न परीक्षाओं के लिए विद्यार्थी तैयार करते हैं और स्थान-स्थान पर उनके द्वारा राष्ट्रभाषा-वर्ग भी चलाये जाते हैं। समिति के ऐसे प्रमाणित प्रचारकों की संख्या करीब ७,५०० है। विभिन्न हिन्दीतर प्रदेशों में समिति की परीक्षाओं के करीब ३,५०० परीक्षा-केन्द्र और करीब ३,५०० परीक्षक हैं। समिति द्वारा मान्य शिक्षण-केन्द्रों की संख्या ५२५ तथा विद्यालयों की संख्या ५२४ है। ३५ महाविद्यालय भी राष्ट्रभाषा की उच्च शिक्षा के लिए विभिन्न प्रदेशों में चल रहे हैं।

समिति का वर्त्तमान गठन—राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति ३५ सदस्यों की एक समिति है, जिसमें १९ सदस्य विभिन्न हिन्दीतर प्रदेशों के प्रतिनिधि, ९ सदस्य हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्थायी समिति द्वारा नियुक्त तथा ७ सम्मेलन के पदाधिकारी हैं।

प्रान्तीय समितियाँ—गुजरात, महाराष्ट्र, बम्बई, विदर्भ, मध्यप्रदेश, सिन्ध-राजस्थान, आसाम, बंगाल, मणिपुर, उत्कल, मराठवाड़ा, दिल्ली, कर्नाटक और हैदराबाद में प्रान्तीय स्तर की समितियाँ हैं। प्रत्येक समिति के एक-एक संचालक उन प्रदेशों में नियुक्त हैं।

'राष्ट्रभाषा' तथा 'राष्ट्रभारती'—समिति की ओर से 'राष्ट्रभाषा' तथा 'राष्ट्रभारती' दो मासिक पत्रिकाएँ प्रकाशित की जाती हैं। 'राष्ट्रभाषा' प्रचार-सम्बन्धी तथा 'राष्ट्रभारती' अन्तर-प्रान्तीय साहित्य-सम्बन्धी पत्रिका है।

राष्ट्रभाषा-महाविद्यालय—वर्धा में एक महाविद्यालय चलाया जा रहा है, जिसमें अहिन्दी भाषा-भाषियों के लिए 'राष्ट्रभाषा-रत्न', 'परिचय' तथा 'कोविद' परीक्षाओं की पढ़ाई की व्यवस्था है। देश की विभिन्न राज्य-सरकारों, विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं ने इन परीक्षाओं की मान्यता दे दी है।

राष्ट्रभाषा-प्रचार-सम्मेलन—प्रान्त-प्रान्त के कार्यकर्त्ता एकत्र होकर राष्ट्रभाषा की समस्याओं पर विचार-विनिमय कर सकें, इस दृष्टि से राष्ट्रभाषा-समिति के तत्त्वावधान में प्रतिवर्ष राष्ट्रभाषा-प्रचार-सम्मेलन विविध प्रदेशों में होता है।

महात्मा गांधी-पुरस्कार—समिति प्रतिवर्ष एक अहिन्दी-भाषा-भाषी हिन्दी-लेखक को उनकी श्रेष्ठ रचना के लिए १५०१ का महात्मा गांधी-पुरस्कार देती है।

हिन्दी-दिवस—१४ सितम्बर, १९४९ से, जिस दिन भारतीय संविधान-सभा ने राष्ट्र-भाषा के रूप में हिन्दी को तथा राष्ट्रलिपि के रूप में देवनागरी को स्वीकृत किया था, उसकी स्मृति में

प्रतिवर्ष १४ सितम्बर को समिति के तत्त्वावधान में हिन्दी-दिवस मनाया जाता है। समिति की रजत-जयन्ती, २६, २७, २८ मई, १९६२ को वर्धा में मनाई गई। इस अवसर पर अखिल-भारतीय राष्ट्रभाषा-प्रचार-सम्मेलन का ११वाँ अधिवेशन किया गया, प्रचार-प्रदर्शनी लगाई गई, महात्मा गांधी आदि की मूर्त्तियों का अनावरण किया गया, रजत-जयन्ती-ग्रन्थ और परिवार-ग्रन्थ प्रकाशित किये गये इसके अतिरिक्त कविश्री-माला का प्रकाशन आदि कई कार्य भी हुए।

दक्षिण-भारत हिन्दी-प्रचार-सभा, मद्रास

सन् १९१८ ई० में दक्षिण-भारत में राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार के लिए महात्मा गांधी ने 'दक्षिण-भारत हिन्दी-प्रचार-सभा' की स्थापना की थी। यह सभा एक रजिस्टर्ड सार्वजनिक संस्था है, जो दक्षिण के आन्ध्र, तमिल, केरल और कर्नाटक प्रान्तों में राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रचार करती है। इस सभा का कार्य एक कार्यकारिणी समिति के द्वारा होता है। सभा की संपत्ति की रक्षा के लिए एक निधिपालक-मंडल है। यहाँ एक शिक्षा-परिषद् भी है। सभा के अपने निजी भवन हैं, जिनमें सभा-कार्यालय, प्रेस, विद्यालय, छात्रावास आदि हैं। उक्त चारों राज्यों में चार शाखा-कार्यालय भी काम करते हैं।

सभा का कार्य उसके प्रचार, परीक्षा, प्रकाशन, प्रेस, साहित्य-निर्माण, छपाई, पुस्तक-बिक्री, शिक्षा, विद्यालय, पत्रिका, पुस्तकालय, अर्थ और लेखा-परीक्षा, शीघ्रलिपि और मुद्रालेखन, नाटक और कला-प्रदर्शन, नगर-प्रचार, कार्य-विस्तार आदि विभागों के जरिये होता है। कोई भी हिन्दी-प्रेमी १० रुपये देकर प्रान्तीय तथा केन्द्र-सभा के संयुक्त सदस्य हो सकते हैं। आजीवन सदस्य का शुल्क २५० रुपये, पोषक का १,००० रुपये तथा संरक्षक का ५,००० रुपये है।

सभा की ओर से एक मासिक और एक द्वैमासिक पत्रिका प्रकाशित होती है। यहाँ से अभी तक करीब ढाई सौ पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। योग्य तथा चरित्रवान् कार्यकर्त्ताओं को तैयार करने के लिए सभा अनेक विद्यालय तथा छात्रावास चलाती है। आजतक हजारों कार्यकर्त्ता इन विद्यालयों द्वारा तैयार हो चुके हैं। सभा अपने केन्द्र-स्थान मद्रास तथा प्रान्तीय कार्यालयों में जगह-जगह अच्छे-अच्छे पुस्तकालयों का संगठन करती है। दक्षिण-भारत में इस समय करीब ८ हजार हिन्दी-प्रचारक काम कर रहे हैं।

सभा द्वारा संचालित, 'प्राथमिक', 'मध्यमा', 'राष्ट्रभाषा', प्रवेशिका', 'विशारद' तथा 'प्रवीण' परीक्षाओं में सन १९५६ ई० तक १६,६४,७६५, विद्यार्थियों ने भाग लिया। भारत-सरकार की ओर से हाल में यही राष्ट्रीय संस्था घोषित कर दी गई है।

मध्यभारत हिन्दी-साहित्य-समिति, इन्दौर

मध्यभारत हिन्दी-साहित्य-समिति की स्थापना १० जनवरी, १९१५ को हुई और इसके भवन का शिलान्यास महात्मा गांधी द्वारा ३० मार्च, १९१८ को किया गया। इसके प्रथम सभापति सेठ हुकुमचन्दजी और प्रधानमंत्री डॉक्टर सरयूप्रसाद तिवारी थे। सन् १९३० ई० में समिति का भवन बनकर तैयार हो गया। सन् १९२७ ई० में प्रेस खरीदकर 'वीणा' नामक मासिक का प्रकाशन आरम्भ किया गया। समिति डॉक्टर सरयूप्रसाद-ग्रन्थमाला के अन्तर्गत गम्भीर और मननशील गवेषणात्मक साहित्य तथा सेठ हुकुमचन्द-ग्रन्थमाला के अन्तर्गत ललित साहित्य का प्रकाशन करती है। समिति का समस्त कार्य सात भागों में विभक्त है—१. प्रेस,

२. साहित्य, ३. अर्थ, ४. प्रबन्ध, ५. पुस्तकालय, ६. परीक्षा और ७. प्रचार। प्रत्येक विभाग के संचालन का उत्तरदायित्व मंत्री पर रहता है। अबतक यहाँ से साठ से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके गांधी-विद्यापीठ में सैकड़ों विद्यार्थी रहते हैं तथा लगभग दो हजार परीक्षार्थी हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन तथा प्रयाग-महिला-विद्यापीठ की परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं।

हिन्दुस्तानी एकेडेमी

इस संस्था की स्थापना सन् १६२७ ई० में इलाहाबाद में हुई। यह सरकार की सहायता पर आश्रित है। इसके कार्य-क्रम इस प्रकार हैं—(१) विविध विषयों पर उच्चस्तरीय पुस्तकों का प्रकाशन; (२) विविध भाषाओं के श्रेष्ठ ग्रंथों के अनुवादों का प्रकाशन; (३) दुर्लभ पाण्डुलिपियों के प्रामाणिक पाठ का संपादन और प्रकाशन; (४) शोधोपयोगी संदर्भ पुस्तकालय की स्थापना; (५) एक शोधपरक त्रैमासिक पत्र का प्रकाशन; (६) समय-समय पर विद्वानों की व्याख्यान-मालाओं का आयोजन; (७) श्रेष्ठ हिन्दी-ग्रन्थों को पुरस्कृत करना।

इसकी हिन्दी की प्रकाशित पुस्तकें १०० से अधिक और उर्दू की प्रकाशित पुस्तकें ४६ हैं। प्रकाशित ग्रन्थों के विषय—ललित साहित्य, आलोचना, भाषाविज्ञान, इतिहास, मनोविज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान आदि हैं। इसके द्वारा अबतक २८ लेखक पुरस्कृत हो चुके हैं। इस संस्था के वर्त्तमान अध्यक्ष बालकृष्ण राव तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष विद्याभास्कर हैं। हिन्दुस्तानी एकेडेमी का अपना भवन राजर्षि टंडन-भवन के नाम से निर्मित हो रहा है, जिसका शिलान्यास ८ जून, १६६३ को किया गया।

अखिलभारतीय संस्कृत-साहित्य-सम्मेलन, दिल्ली

संस्कृत-भाषा के सार्वभौम प्रचार, संस्कृत शिक्षा-पद्धति के परिष्कार और संस्कृतानुरागियों के सुदृढ संगठन के लिए महामना पं० मदनमोहन मालवीयजी की प्रेरणा से संवत् १६७० वि० में संस्कृत-साहित्य-सम्मेलन की स्थापना हरद्वार में हुई थी। इसके प्रथम प्रधान मंत्री पण्डित गिरिधर शर्माजी चतुर्वेदी और स्वर्गीय पण्डित श्रीबुलाकीरामजी विद्यासागर (अमृतसर) थे। इसके सबसे पहले सभापति पण्डित शिवकुमार शास्त्री थे। सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन समय-समय पर विभिन्न स्थानों में होते रहे हैं। इसका प्रधान कार्यालय—हरद्वार, कलकत्ता, बीकानेर, काशी और जयपुर में घूमता हुआ अब स्थायी रूप से भारत की राजधानी दिल्ली में केन्द्रित हो गया है। यहाँ इसके नये भवन का निर्माण हो रहा है। इस समय सम्मेलन के प्रधान मंत्री डॉक्टर मण्डन मिश्र हैं। सम्मेलन की ओर से विश्व-संस्कृत-शताब्दी-ग्रन्थ प्रकाशित किया जा रहा है। इसके प्रधान सम्पादक पण्डित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी हैं। सम्मेलन की ओर से 'संस्कृत-रत्नाकर' नाम का पत्र भी निकलता है। संस्कृत में भारती-प्रबोध, भारती-विनोद, भारती-प्रकाश, भारती-प्रवीण, भारती-वैभव एवं भारती-भूषण नाम की परीक्षाएँ ली जाती हैं।



भारत-संबंधी सामान्य ज्ञान

भारत में सर्वप्रथम

सबसे बड़ी झील—ऊलर झील (कश्मीर)
सर्वोच्च पर्वत-शिखर—नन्दादेवी (२५,६४५ फुट)
सर्वाधिक जनसंख्यावाला शहर—बृहत्तर कलकत्ता (५५.५ लाख)
सर्वोच्च जल-प्रपात—ग्रेसोपा प्रपात, मैसूर (८३० फुट)
सबसे बड़ा जंगलवाला राज्य—आसाम
सर्वाधिक वर्षावाला स्थान—चेरापुंजी (औसत वार्षिक वर्षा लगभग ५००")
सबसे बड़ा डेल्टा—सुन्दर वन-डेल्टा (८००० वर्गमील)
सबसे लम्बा कैंटिलिवरपुल—हावड़ा-पुल
सबसे बड़ा गुफा-मन्दिर—एलोरा, हैदराबाद
सबसे बड़ी मस्जिद—जुम्मा मस्जिद, दिल्ली
सबसे लंबा पुल—सोन-पुल (१०,०५२ फुट लंबा)
सबसे बड़ा ईखोत्पादक राज्य—उत्तरप्रदेश
भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य—केरल
सबसे बड़ी विद्युत्-चालित ट्रेन-सेवा—बम्बई से पूना
सर्वप्रथम जल-विद्युत् केन्द्र—दार्जिलिंग (१८९७-९८)
सर्वप्रथम आधुनिक इस्पात-संयंत्र—कुल्टी (बंगाल, सन् १८८७ ई०)
सबसे ऊँचा दरवाजा—बुलन्द दरवाजा, फतहपुर-सिकरी (१७६ फुट)
सबसे ऊँची मूर्त्ति—गोम्मटेश्वर की मूर्त्ति (मैसूर)—५७, फुट ऊँची।
सबसे लंबा प्लैटफॉर्म—सोनपुर प्लैट-फॉर्म (२,४१५ फुट)
सबसे लंबी सड़क—ग्रैंड ट्रंक रोड (१५०० मील)
सबसे ऊँची मीनार—कुतुबमीनार, दिल्ली
सबसे बड़ा गुम्बज—गोल गुम्बज, बीजापुर
सबसे बड़ा पशुओं का मेला—सोनपुर-मेला (बिहार)
सबसे बड़ा चिड़ियाखाना—अलीपुर (कलकत्ता का चिड़ियाखाना)
सबसे बड़ा संग्रहालय—भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता
सर्वाधिक जनसंख्या वालाराज्य—उत्तरप्रदेश
सबसे घना संघीय क्षेत्र—दिल्ली
सबसे बड़ी सुरंग—जवाहर-सुरंग (लंबाई १३/४ मील, यह पंजाब और कश्मीर को मिलाता है।)
सबसे लंबा बाँध—हीराकुण्ड बाँध (१५,७४८ फुट)
सबसे ऊँचा बाँध—भाखड़ा-बाँध (ऊँचाई ७४० फुट)

स्थानों के पुराने और नये नाम

पुराने नाम		नये नाम	पुराने नाम		नये नाम
कालीकट	...	कोझिकोड	वेजवाडा	...	विजयवाडा
भिलसा (भोपाल)	...	विदिशा	मदुरा	...	मदुराई
बनारस	...	वाराणसी	शियाली	....	शिरकाली
युक्तप्रांत	...	उत्तरप्रदेश	रामनाड (मद्रास)	....	रामनाथपुरम्
हैदराबाद और आंध्र	....	आंध्रप्रदेश	सादूल गढ़ (राजस्थान)	....	हनुमानगढ़
त्रावणकोर-कोचीन	....	केरल	तिन्नेवेली	...	तिरुनेलवेली
कोकेनाड	....	काकिनाड	तिरुवाडी (मद्रास)	....	तिरुवैयास
कांजीवरम्	....	कांचीपुरम्	मउ (झाँसी)	....	मउ-रामपुर
एलिचपुर (म० प्र०)	...	अचलपुर	मउ (उत्तर-प्रदेश)	....	मउ-नाथभंजन
एकलोर	....	एलुरू	चित्तलदुर्ग	...	चित्रदुर्ग
मराडीफूल (पेप्सू)	...	पूल (मराडी)	देवरिया	...	कृष्णगढ़
मसूलीपट्टम्	...	बन्दर	तंजोर	....	थंजावर
मायावरम् (मद्रास)	...	मयूरम्	चित्तौड़	...	चित्तौड़गढ़
अजमेर-मेरवाड़ा	...	अजमेर	नवनगर	...	जामनगर
विजगापट्टम्	...	विशाखापत्तनम्	मिहिजाम (प० बंगाल)	....	चित्तरंजन
त्रिचनापल्ली	....	तिरुचिरापल्ली			

हिमालय की दस ऊँची चोटियाँ

नाम	ऊँचाई	आरोहण-काल	आरोही
एवरेस्ट	२६,०२८	मई, १६५३	ब्रिटिश
काराकोरम	२८,२५०	जुलाई, १६५४	इटालियन
कंचनजंघा	२८,१४६	मई,१६५५	ब्रिटिश
लोत्से	२७,८६०	मई, १६५६	स्विस
मकालू	२७,८२४	मई, १६५५	फ्रांसीसी
चो-यू	२६,६६७	अक्टूबर, १६५४	अस्ट्रियन
अन्नपूर्णा	२६,६२६	जून, १६५०	फ्रांसीसी
धवलागिरि	२६,७६५	मई, १६६०	स्विस
मानसालू	२६,६५६	मई, १६५६	जापानी
नागा पर्वत	२६,०२६	जुलाई, १६५५	अस्ट्रियन-जर्मन

एवरेस्ट शिखर का आरोहण

१६२१—कर्नल हॉवर्ड द्वारा प्रारम्भिक आरोहण; उत्तरी घाटी में पहुँचा।

१६२२—जे० जी० ब्रूस के नेतृत्व में आरोहण; २६,६८५ फुट।

१६२४—ले० जे० इ० एफ० नॉर्टन के नेतृत्व में आरोहण; २८,१२६ फुट।

१६३३—एयू ज वटलेज के नेतृत्व में आरोहण; २७,४०० फुट।

१६३४—एम० विल्सन का एकाकी आरोहण, जिसमें उनकी मृत्यु।

१६३५—शिप्टन का प्रारम्भिक आरोहण, जिसमें वह उत्तरी घाटी तक पहुँचा।

१६३६—ह्यू ज वटलेज का आरोहण, जो मौसम की खरावी के कारण अधूरा रहा।

१६३८—टिलमन द्वारा उत्तरी घाटी के मार्ग से हलका परिभ्रमण-आरोहण, जो मौसम खराव होने के कारण अदूरा रहा। आरोहण—२७,३२० फुट।

१६५१—दक्षिणी घाटी से मार्ग का पता लगाने के लिए शिप्टन द्वारा किया गया—भू-परिमापक आरोहण।

१६५२—डॉ० विस डुनैण्ट द्वारा स्विस-आरोहण (लैम्वर्ट और तेंजिग द्वारा पहुँच) २८,२१० फुट।

„ चेवेली द्वारा दूसरा स्विस-आरोहण; २६,५६० फुट।

१६५३—कर्नल जॉन हण्ट द्वारा २६ मई, १६५३ ई० का प्रथम सफल ब्रिटिश आरोहण (इसमें तेंजिंग और हिलारी शिखर पर पहुँचे); २६,०२८ फुट।

१६५६—द्वितीय सफल स्विस आरोहण। इसमें २३ और २४ मई को आरोही दो वार शिखर पर पहुँचे।

१६६०—चीनियों द्वारा २५ मई १६६० को शिखर पर तृतीय सफल आरोहण।

१६६२—मेजर जॉन डियास द्वारा भारतीय आरोहण; ३० जून को २८,६००फुट तक पहुँचे।

१६६३—नॉरमन जी० डायरन फर्थ के नेतृत्व में १ मई को सफल अमेरिकी आरोहण। दो व्यक्ति शिखर पर पहुँचे। पुनः २२ मई को इसी दल के दो व्यक्तियों द्वारा दक्षिणी घाटी के मार्ग से तथा अन्य दो व्यक्तियों द्वारा पश्चिमी मार्ग से शिखर पर आरोहण। १ मई के सफल आरोहियों में तेंजिंग नॉरगे (भारतीय) का भतीजा शेरपा नवंग गोम्बू भी था।

सन् १६६० ई० के तृतीय चीनी आरोहण को अमेरिकी आरोही स्वीकार न कर अपने आरोहण को ही तृतीय वताते हैं।

उच्च प्रासाद और मीनारें

नाम		ऊँचाई (फुट में)
राजा वाई टावर (विश्वविद्यालय), वम्बई	....	२६०
कुतुवमीनार, दिल्ली	...	२३८
वृहदेश्वर-मन्दिर, तंजोर	...	२१६
गोल गुम्वज, (विजापुर)	....	१६८
एकम्वरनाथ-मन्दिर का गोपुरम् (कांचीपुरम्)		१८८
चारमीनार (हैदरावाद)	...	१८६
विक्टोरिया मेमोरियल, कलकत्ता	....	१८२
कलकत्ता-हाइकोर्ट	...	१८०
ताजमहल, आगरा	...	१७८
वुलन्द दरवाजा, फतहपुर-सिकरी	...	१७६
मदुराई-मन्दिर का गोपुरम्	...	१५२
विजय-स्तम्भ, चित्तौड़	....	१२२

बड़े पुल

पुलों के नाम		लम्बाई (फुट में)
सोन-पुल	...	१०,०५२
गोदावरी	....	९,०६६
अलेक्जेण्ड्रा (चनाव)	...	९,०८८
महानदी-पुल	...	६,६१२
इजाट-पुल (इलाहाबाद, १६१२ ई०)	...	६,८३०
गंगा-पुल (मोकामा, १६५६ ई०)	...	६,०७८
नर्मदा-पुल (१८८१ ई०)	....	४,६८७
सतलज-पुल	...	४,२१०
डफरिन-पुल (वाराणसी)	...	३,५७८
नैनी-पुल (इलाहाबाद, १८६५ ई०)	...	३,२३५
कर्जन-पुल (इलाहाबाद, १६०५ ई०)	...	३,२००
रावी-पुल (पठानकोट, जम्मू)	....	२,८००
यमुना-पुल (दिल्ली, १८६६ ई०)	....	२,६४०
विवेकानन्द-पुल (कलकत्ता)	....	२,६१०
ताप्ती-पुल (१८७२ ई०)	...	२,५५६
हावड़ा-पुल (१६४३ ई०)	...	२,१५०
हुगली-पुल	...	१,२१३

काँगरेस के अध्यक्ष

वर्ष		स्थान	....	सभापति
१८८५	....	बम्बई	....	उमेशचन्द्र बनर्जी
१८८६	....	कलकत्ता	....	दादाभाई नौरोजी
१८८७	....	मद्रास	....	बदरुद्दीन तैय्यबजी
१८८८	....	इलाहाबाद	....	जार्ज यूल
१८८६	....	बम्बई	....	सर विलियम वेडरबर्न
१८६०	....	कलकत्ता	....	सर फिरोजशाह मेहता
१८६१	....	नागपुर	....	पी० आनन्द चालू
१८६२	....	इलाहाबाद	....	उमेशचन्द्र बनर्जी
१८६३	....	लाहौर	....	दादाभाई नौरोजी
१८६४	....	मद्रास	....	आल्फ्रेड वेब
१८६५	....	पूना	....	सुरेन्द्रनाथ बनर्जी
१८६६	....	कलकत्ता	....	मुहम्मद रहीमुतुल्ला सयानी
१८६७	....	अमरावती	....	सी० शंकरन् नायर
१८६८	....	मद्रास	....	आनन्दमोहन बोस
१८६६	....	लखनऊ	....	रमेशचन्द्र दत्त

वर्ष		स्थान		सभापति
१६००	....	लाहौर	....	एन० जी० चन्दावरकर
१६०१	....	कलकत्ता	....	दीनशा वाचा
१६०२	....	अहमदाबाद	....	सुरेन्द्रनाथ बनर्जी
१६०३	....	मद्रास	....	लालमोहन घोष
१६०४	....	बम्बई	....	सर हेनरी कॉटन
१६०५	....	काशी	....	गोपालकृष्ण गोखले
१६०६	....	कलकत्ता	....	दादाभाई नौरोजी
१६०७	....	सूरत	....	रासबिहारी घोष
१६०८	....	मद्रास	....	,,
१६०६	....	लाहौर	....	मदनमोहन मालवीय
१६१०	....	इलाहाबाद	....	सर विलियम वेडरबर्न
१६११	....	कलकत्ता	....	विशन नारायण दर
१६१२	....	पटना	....	आर० एन० मघोलकर
१६१३	....	कराची	....	नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर
१६१४	....	मद्रास	....	भूपेन्द्रनाथ बसु
१६१५	....	बम्बई	....	सर सत्येन्द्रप्रसन्न सिंह
१६१६	....	लखनऊ	....	अम्बिकाचरण मजूमदार
१६१७	....	कलकत्ता	....	श्रीमती एनी वेसेण्ट
१६१८	(विशेष)	बम्बई	....	सैयद हसन इमाम
१६१८	....	दिल्ली	....	मदनमोहन मालवीय
१६१६	....	अमृतसर	....	मोतीलाल नेहरू
१६२०	(विशेष)	कलकत्ता	....	लाला लाजपत राय
१६२०	....	नागपुर	....	चक्रवर्ती विजयराघवाचार्य
१६२१	....	अहमदाबाद	....	हकीम अजमल खाँ
१६२२	....	गया	....	देशबन्धु चित्तरंजन दास
१६२३	(विशेष)	दिल्ली	....	मौलाना अबुल कलाम आजाद
१६२३	....	कोकनाडा	....	मौलाना मुम्हमद अली
१६२४	....	बेलगाँव	....	महात्मा गांधी
१६२५	....	कानपुर	....	श्रीमती सरोजिनी नायडू
१६२६	....	गौहाटी	....	श्रीनिवास आयंगर
१६२७	....	मद्रास	....	डॉ० मोख्तार अहमद अन्सारी
१६२८	....	कलकत्ता	....	मोतीलाल नेहरू
१६२६	....	लाहौर	....	जवाहरलाल नेहरू
१६३१	....	करॉची	....	सरदार वल्लभ भाई पटेल
१६३२	....	दिल्ली	....	सेठ रणछोड़लाल अमृतलाल

वर्ष		स्थान		सभापति
१९३३	....	कलकत्ता	....	श्रीमती जे० एम० सेनगुप्त
१९३४	....	बम्बई	....	डा० राजेन्द्र प्रसाद
१९३५	....	लखनऊ	....	जवाहरलाल नेहरू
१९३७	....	फैजपुर	....	,,
१९३८	....	हरिपुरा	....	सुभाषचन्द्र बोस
१९३९	....	त्रिपुरी	....	,,
१९४०	....	रामगढ़	....	मो० अबुल कलाम आजाद
१९४६	....	मेरठ	....	जीवतराम भगवानदास कृपलानी
१९४८	....	जयपुर	....	डा० पट्टाभि सीतारामय्या
१९५०	....	नासिक	....	पुरुषोत्तम दासटण्डन
१९५१	....	नई दिल्ली	....	जवाहरलाल नेहरू
१९५२	....	इन्दौर	....	,,
१९५३	....	हैदराबाद	...	,,
१९५४	....	कल्याणी (कलकत्ता)	....	,,
१९५५	....	अबाडी (मद्रास)	....	उच्छरंग राय नवलशंकर ढेबर
१९५६	....	अमृतसर	....	,,
१९५७	....	इन्दौर	....	,,
१९५८	....	गोहाटी	....	,,
१९५९	....	नागपुर	....	इन्दिरा गांधी
१९६०	....	बंगलोर	....	नीलम संजीव रेड्डी
१९६२	...	पटना	....	,,
१९६२	...	—	....	दामोदरम् संजीवैया



प्रेस और पत्र-पत्रिकाएँ

कहते हैं कि आधुनिक-मुद्रण-यन्त्र के आविष्कार के पहले सातवीं सदी में चीन से 'किंगयाउ' और 'कयल' आदि तथा रोम से 'रोमन एक्टा डिकोरमा' नामक पत्र निकलते थे। मुद्रण-यन्त्र के आविष्कार के बाद इटली, जर्मनी और फ्रांस से पत्र निकलने लगे। इंगलैंड से पहला पत्र 'ऑक्सफोर्ड-गजट' १३६५ ई० में प्रकाशित हुआ था। लन्दन का 'टाइम्स' नामक पत्र सन् १८८५ ई० से निकलने लगा।

भारत का पहला पत्र 'बंगाल गजट', १७८० ई० की २९ जनवरी से निकलना आरम्भ हुआ था। इसके बाद सन १७८४ ई० में 'कलकत्ता गजट', सन् १७८५ ई० में 'मद्रासकूरियर' और सन् १७८९ ई० में 'बम्बई हेरल्ड', फिर 'बम्बई कूरियर' और सन् १७९१ ई० में 'बम्बई गजट' निकलने लगे। ये सभी पत्र अँगरेजों के थे और अँगरेजी में निकलते थे।

भारतीयों का पहला समाचार पत्र 'बंगाल गजट' सन्१८१६ ई० में प्रकाशित हुआ। सन् १८२१ ई० में यूरोपीय व्यापारियों ने कलकत्ता से 'जॉन बुल इन दि ईस्ट' नामक पत्र निकाला, जो सन् १८३६ ई० में आकर 'इंगलिश मैन' कहलाने लगा। बम्बई के व्यापारियों ने सन्१८३८ई० में 'बम्बई-

टाइम्स' पत्र निकाला, जो पीछे 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' नाम से प्रसिद्ध हुआ। सन् १८३५ ई० से १८५७ ई० तक दिल्ली, आगरा, मेरठ, ग्वालियर और लाहौर से भी पत्र निकलने लगे। इस समय तक १६ एंग्लो-इंडियन और २५ भारतीय पत्र हो गये थे, पर जनता के बीच इनका प्रचार बहुत कम था। उत्तर भारत में उन दिनों 'मोफसिल्लाइट' पत्र बहुत नामी था।

सन् १८५७ ई० के विद्रोह के बाद देश में एक नई जागृति आई और अगले दस-बीस वर्षों के अन्दर बहुत-सी पत्र-पत्रिकाएँ निकलने लगीं। 'टाइम्स ऑफ इण्डिया', 'पायोनियर', 'मद्रास मेल', अमृतबाजार-पत्रिका', 'स्टेट्समैन', 'सिविल ऐण्ड मिलिटरी गजट' और 'हिन्दू' का प्रकाशन उन्हीं दिनों प्रारम्भ हुआ। उस समय बिहार से निकलनेवाले पत्र 'बिहार हेरल्ड' (१८७४), 'बिहार टाइम्स' (१८८६), 'बिहार' (१६०६) और 'एक्सप्रेस' थे। किन्तु, इनके भी पहले जमालपुर (मुंगेर) से अँगरेजी और हिन्दी में एक धार्मिक मासिक पत्र निकलने लगा था।

'समाचार-दर्पण' भारतीय भाषा का पहला पत्र था, जो १८१८ ई० में सेरामपुर मिशनरी द्वारा बँगला-भाषा में प्रकाशित किया गया था। सन् १८२२ ई० में बम्बई से 'बम्बई-समाचार' नामक गुजराती पत्र निकला, जो अब भी प्रकाशित हो रहा है। कुछ ही दिनों के बाद मराठी में भी पत्र निकाला गया। सन् १८३३ ई० में दिल्ली से उर्दू का पहला अखबार निकला। फिर, १८५० ई० में लाहौर से 'कोहेनूर' नामक एक उर्दू-पत्र प्रकाशित हुआ। इसके बाद 'अवध अखबार', 'अखबारे आम' आदि कई पत्र निकले।

हिन्दी में पहला समाचार-पत्र १८४५ ई० में राजा शिवप्रसाद 'सितारे हिन्द' ने प्रकाशित कराया, जिसका सम्पादक एक मराठी सज्जन, श्रीगोविन्द रघुनाथ भत्ते, करते थे। इसके बाद भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने १८६८ ई० में 'कविवचन-सुधा' नामक मासिक पत्रिका निकाली। पीछे इसके पाक्षिक और साप्ताहिक संस्करण भी निकले। सन् १८७१ ई० में अलमोड़ा से 'अलमोड़ा-समाचार' नामक एक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित हुआ। सन् १८७२ ई० में बाँकीपुर (पटना) से 'बिहार-बन्धु' नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित हुआ, जो हिन्दी का तीसरा पत्र था। इसके प्रकाशन में पं० केशवराम भट्ट और पं० साधोराम भट्ट का प्रमुख हाथ था। इसके बाद १८७४ ई० में दिल्ली से 'सदादर्श' और १८७६ ई० में अलीगढ़ से 'भारत-बन्धु' नामक पत्र निकले। फिर तो धीरे-धीरे और भी पत्र-पत्रिकाएँ निकलने लगीं।

प्रेस-सम्बन्धी कानून—पहले यहाँ के अधिकांश पत्रों के प्रकाशक और सम्पादक केवल अँगरेज ही होते थे। अतएव, उनके पत्र के साथ शासनाधिकारियों का बहुत मतभेद होने पर वे इंगलैंड भेज दिये जाते थे। डाक से पत्र का प्रेषण भी बन्द कर दिया जाता था। सन् १७६६ ई० में लार्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता से प्रकाशित होनेवाले समाचार-पत्रों के नियन्त्रण के लिए कुछ नियम बनाये। प्रत्येक समाचार-पत्र पर मुद्रक का नाम देना आवश्यक कर दिया गया, सम्पादक और प्रकाशक के नाम-पते सरकार के पास भेजना भी जरूरी हुआ और प्रकाशन के पूर्व सरकारी सेंसर-अफसर को पत्र दिखला देना अनिवार्य कर दिया गया। सन् १८१८ ई० से सभी प्रकार के प्रकाशनों पर मुद्रक का नाम देना आवश्यक हुआ।

सन् १८२३ ई० में बंगाल के लिए प्रेस-सम्बन्धी कानून बना, जो 'एडेम्स रेगुलेशन' कहलाया। वैसा ही रेगुलेशन फिर बम्बई के लिए भी बना। इसके अनुसार पत्र निकालने के लिए सरकार से लाइसेन्स लेना जरूरी कर दिया गया। सन् १८३५ ई० में सर चार्ल्स मेटकॉफ ने

प्रेस को बहुत हद तक स्वतन्त्रता दी, जिससे लोगों को पत्र निकालने का प्रोत्साहन मिला। सन् १८५७ ई० और १८६७ ई० में परिस्थिति के अनुसार प्रेस-सम्बन्धी कानून में फिर संशोधन हुआ। इस अधिनियम के कारण भारतीय भाषाओं में पत्रों का निकालना अत्यन्त कठिन हो गया। 'अमृत-बाजार-पत्रिका', जो अबतक अँगरेजी और बँगला दोनों भाषाओं में छपती थी, सिर्फ अँगरेजी में ही छपने लगी। सन् १८८१ ई० में लार्ड रिपन ने इस कानून को रद्द कर दिया।

सन् १८८५ ई० में इंडियन नेशनल कॉंगरेस की स्थापना के बाद भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन का सूत्रपात हुआ। सन् १६०५ ई० में 'बंग-भंग' के बाद वह और भी तीव्र हो चला। जहाँ-तहाँ राजनीतिक हत्याएँ होने लगीं। ऐसे समाचारों के प्रकाशन पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए १६०८ ई० में एक कानून बना; पर उससे काम नहीं चला। अतएव, १६१० ई० में नया प्रेस-कानून बनाया गया, जिसके अनुसार समाचार-पत्रों से जमानत माँगी जाने लगी।

राष्ट्रीय जागरण के साथ ही पत्रों की संख्या बढ़ी और उनका प्रचार भी अधिक होने लगा। राष्ट्रीय आन्दोलन को दबाने के लिए पत्रों के साथ कड़ाई करने के उद्देश्य से प्रेस-कानून में संशोधन किया गया। सन् १६३० ई० में सत्याग्रह छिड़ने पर प्रेस आर्डिनेन्स निकाला गया, जिसे १६३१ ई० में कानून का रूप दिया गया। सन् १६३२ ई० में घोर दमन के कारण बहुत-से पत्रों का प्रकाशन बन्द हो गया। सन् १६३४ ई० में भारतीय रियासतों को जन-आन्दोलन से बचाने के लिए प्रेस-सम्बन्धी नया कानून बनाया गया।

द्वितीय विश्व-महासमर के छिड़ने पर युद्ध-विरोधी कोई बात छापने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए सन् १६४० ई० में सरकारी सूचना निकाली गई। इसके परिणामस्वरूप समाचार-पत्रों के प्रतिनिधियों की प्रेस-सलाहकार-कमिटियाँ केन्द्र और प्रान्तों में बनाई गईं। सन् १६४२ ई० की देशव्यापी क्रांति के समय भी समाचार-पत्रों को क्रान्ति-सम्बन्धी समाचार छापने से रोका गया। इसके फलस्वरूप अधिकांश समाचार-पत्रों का प्रकाशन कुछ समय के लिए बन्द कर दिया गया।

स्वाधीनता-प्राप्ति (अगस्त, १६४७ ई०) के बाद से भारतीय समाचार-पत्रों के लिए एक नवयुग का प्रारम्भ हुआ, जिसे सार्वजनिक दायित्व का युग कहा जा सकता है। सरकार तथा जनता के बीच का विरोध-भाव मिट गया और सरकार एवं समाचार-पत्रों के बीच के सम्बन्ध का एक नया अध्याय शुरू हुआ। देश के विभिन्न समुदायों में शान्ति एवं एकता के लिए जनमत-निर्माण करना, आज समाचार-पत्रों का प्रथम कर्त्तव्य है। मार्च, १६४७ ई० में प्रेस-सम्बन्धी कानूनों की सारी बातों की पूरी तरह जाँच कर उनमें आवश्यक परिवर्त्तन करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रेस लॉ इन्क्वायरी-कमिटी कायम की गई। उक्त कमिटी ने मार्च, १६४७ ई० में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार १६३१ ई० का इण्डियन प्रेस ऐक्ट, १६३४ ई० का स्टेट्स (प्रोटेक्शन) ऐक्ट रद्द कर दिये गये तथा अन्य कई कानूनों में परिवर्त्तन लाया गया। उक्त समिति ने यह भी अभिस्ताव किया कि राज्य-सरकार प्रेस के विरुद्ध कोई काररवाई करने के पूर्व परामर्श-समितियों से परामर्श ले। अमेरिका तथा अन्य देशों के संविधान के विपरीत, जिनमें प्रेस की स्वतंत्रता को संविधान के मौलिक अधिकारों में समाविष्ट किया है, भारत का संविधान केवल 'भाषण एवं अभिव्यक्ति' की स्वतंत्रता की पुष्टि करता है। सन् १६५१ ई० में जो संविधान में संशोधन हुआ, उसके अनुसार भारतीय संसद् को विशेष परिस्थिति में भाषण एवं अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य पर भी उचित प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार दिया गया है।

समाचार-पत्र-आयोग—भारतीय समाचार-पत्र-आयोग ने २६ जुलाई, १९५४ को जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, उसकी प्रमुख सिफारिशें निम्नांकित थीं—

(१) पत्रकारिता के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए एक अखिलभारतीय समाचार-पत्र-परिषद् (ऑल इण्डिया प्रेस-कौंसिल) स्थापित की जाय। (२) समाचार-अभिकरण (न्यूज एजेंसी) एक से अधिक रहें। इनपर सरकार का अधिकरण या नियंत्रण न हो। (३) श्रमजीवी पत्रकारों को वेतन, अवकाश, प्रोविडेण्ट फण्ड, ग्रेचुटी आदि की सुविधाएँ दी जायँ। (४) सभी प्रकार के अखबारी कागज विदेशों से आयात करने के लिए एक 'स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन' स्थापित किया जाय। यह भारत की सभी मिलों के अखबारी कागज का क्रय कर समान मूल्य पर बेचे। (५) समाचार-पत्रों के लिए मूल्य एवं पृष्ठ की सूची तैयार होनी चाहिए। साथ ही इसकी भी देख-रेख हो कि समाचार-पत्रों में विज्ञापन का स्थान ४०% से अधिक न रहे। (६) समाचार-पत्रों के वैयक्तिक स्वामित्व को प्रोत्साहन भी दिया जाय। (७) प्रत्येक समाचार-पत्र का पृथक् हिसाब-किताब रखा जाय, जिससे उसकी लाभ-हानि का स्पष्ट पता चल सके। (८) समाचार-पत्र-उद्योग-सम्बन्धी तथ्य एवं आँकड़ों का संकलन करने के लिए एक प्रेस-रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाय। प्रत्येक समाचार-पत्र के लिए उक्त रजिस्ट्रार के पास समय-समय पर विवरण भेजना अनिवार्य रहे।

मूल्य और पृष्ठ-सूची—भारत-सरकार ने अक्टूबर, १९६० ई० में दैनिक पत्रों के लिए एक मूल्य और पृष्ठ-सूची आदेश जारी किया है। इस आदेश का सम्बन्ध पत्रों के मूल्य तथा उनके साप्ताहिक संस्करणों एवं विशेषांकों की पृष्ठ-संख्या के नियंत्रण से है।

समाचार-पत्र की परिभाषा—'पोस्ट-ऑफिस ऐक्ट' तथा 'प्रेस ऐण्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स ऐक्ट' में दी गई समाचार-पत्र की परिभाषाओं में विभिन्नता होने के कारण पत्रों एवं डाकघरों को समाचार-पत्र-सम्बन्धी डाक के प्रेषण में कठिनाई होती थी। इसे दूर करने के विचार से १५ तोले तक ८ नये पैसे और प्रत्येक अतिरिक्त पाँच तोले पर ५ नये पैसे के टिकट लगाने की नई व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के अनुसार समाचार-पत्रों के प्रथम या अन्तिम पृष्ठ पर यह लिखा रहना आवश्यक है—'भारत के समाचार-पत्र-निबन्धक के यहाँ की निबन्धन-संख्या अमुक के अन्तर्गत निबंधित।'

समाचार-पत्रों की श्रृंखला, समूह और बहुविध इकाइयाँ—भारत के समाचार-पत्र निबन्धक ने समाचार-पत्रों को निम्नांकित तीन श्रेणियों में विभक्त किया है—

(१) श्रृंखला—एक ही स्वामित्व के अन्तर्गत एकाधिक स्थानों से निकलनेवाले एक से अधिक पत्र। (२) समूह—एक ही स्वामित्व के अन्तर्गत एक ही स्थान से निकलनेवाले एक से अधिक पत्र और (३) बहुविध इकाइयाँ—एक ही स्वामित्व के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों से निकलनेवाले एक ही नाम और एक ही भाषा तथा एक ही अवधि के एकाधिक समाचार-पत्र।

सन् १९६० ई० में भारत के अन्दर १७ श्रृंखलाएँ, ११५ समूह और २३ बहुविध इकाइयाँ थीं। सन् १९६० ई० में स्वामित्व का सर्वाधिक प्रमुख रूप वैयक्तिक स्वामित्व था, जिसके अन्तर्गत भारत के ४४·६ प्रतिशत समाचार-पत्र थे। राजनीतिक दलों द्वारा संचालित पत्रों में २४ समाचार-पत्र साम्यवादी दल के थे।

इन दिनों प्रेस एवं समाचार-पत्रों के सम्बन्ध में निम्नांकित कतिपय नियम लागू हैं—

१. श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्त्त तथा विविध नियम)-अधिनियम (१९५५)।

२. कर्मचारी भविष्य-निधि (इम्पलायीज प्रोविडेंट फंड)-अधिनियम (१९५२)।

३. पारितोषिक-प्रतियोगिता (प्राइज कम्पीटिशन)-अधिनियम।

४. प्रेस तथा पुस्तक-पंजीयन-अधिनियम (१८६७)।

५. पुस्तकों एवं समाचार-पत्रों का समर्पण (शासकीय पुस्तकालय)-अधिनियम (१९५४)।

६. संसदीय कार्यवाही (सुरक्षा एवं प्रकाशन)-अधिनियम २४ (१९५६)।

इनके अतिरिक्त आपत्तिजनक विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए दी ड्राग्स ऐण्ड मैजिक रेमिडीज ऐक्ट, कॉपीराइट ऐक्ट, १४ (१९५७), समाचार-पत्र (मूल्य एवं पृष्ठ)-अधिनियम (१९५४); औद्योगिक नियुक्ति-अधिनियम (१९५६); औद्योगिक विवाद-अधिनियम आदि भी लागू हैं।

पत्रकार-परिषदें—भारतीय समाचार-पत्रों की उन्नति के लिए तथा पत्रकारों के हित के निमित्त इस समय कई अखिलभारतीय और प्रान्तीय संस्थाएँ काम कर रही हैं। एक संस्था इण्डियन ऐण्ड ईस्टर्न न्यूज-पेपर सोसाइटी (भारतीय तथा पूर्वी समाचार-परिषद्) है, जो सन् १९३९ ई० की फरवरी में कायम हुई थी। इसमें भारत, बर्मा तथा लंका के प्रतिनिधि हैं। इसका कार्यालय २७ बड़ाखम्भा रोड, नई दिल्ली में है। दूसरी संस्था 'ऑल इंडिया न्यूज-पेपर एडिटर्स कान्फ्रेंस' (अखिलभारतीय समाचार-पत्र-संपादक-सम्मेलन) है, जिसकी स्थापना सन् १९४० ई० में हुई। तीसरी संस्था इंडियन लैंग्वेजेज न्यूज पेपर एसोसिएशन (भारतीय भाषा-समाचार-पत्र-परिषद्) है, जो सन् १९४१ ई० में स्थापित हुई थी। चौथी संस्था 'इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स' है, जो अक्टूबर, १९५० ई० में स्थापित की गई। इसी प्रकार, विभिन्न भाषाओं और विभिन्न प्रान्तों के पत्रकारों के भी संघ हैं, जैसे—अखिलभारतीय हिन्दी-पत्रकार-संघ; मराठी पत्रकार-सम्मेलन, पूना; आसाम पत्रकार-परिषद्, गोहाटी; प्रेस क्लब, कलकत्ता; प्रेस ऑनर्स एसोसिएशन, बम्बई; इंडियन न्यूज-पेपर्स को-ऑपरेटिव सोसाइटी; विदेशी संवाददाता-परिषद्; उत्तरप्रदेशीय पत्रकार-संघ; बिहार-पत्रकार-संघ आदि। दक्षिण भारत के लिए 'सदर्न इण्डियन जर्नलिस्ट्स फेडरेशन' है, जिसका कार्यालय माउण्ट, रोड, मद्रास में है।

प्रचार-अंकेक्षा-कार्यालय (ऑडिट ब्यूरो ऑफ सरकुलेशन—A. B. C.): समाचार-पत्रों की प्रामाणिक प्रचार-संख्या के आँकड़े एकत्र कर उन्हें प्रमाण-पत्र देना इसका मुख्य कार्य है।

राष्ट्रमंडल समाचार-पत्र-संघ (कामनवेल्थ प्रेस-यूनियन)—इसका पुराना नाम इम्पायर प्रेस यूनियन था। यह ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के देशों के समाचार-पत्र-स्वामियों की संस्था है। इसका प्रधान कार्यालय लन्दन में तथा शाखाएँ राष्ट्रमण्डल के देशों में हैं।

समाचार-प्राप्ति के साधन

न्यूज एजेन्सियाँ

समाचार-पत्रों को विभिन्न सरकारों, संस्थाओं एवं व्यक्तियों से समाचार मिला करते हैं। समाचार मिलने के सबसे मुख्य साधन न्यूज-एजेन्सियाँ हैं। ये न्यूज-एजेन्सियाँ व्यावसायिक दृष्टि से संगठित कम्पनियाँ हैं, जो जगह-जगह अपने संवाददाता रखकर समाचार इकट्ठा करती हैं और

उन्हें समाचार-पत्रों के हाथ बेचती हैं। भारतीय और विदेशी न्यूज-एजेन्सियाँ इस प्रकार हैं—

भारतीय न्यूज-एजेन्सियाँ

प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया—भारतीय न्यूज-एजेन्सियों में सबसे पहली न्यूज एजेन्सी के० सी० राय के द्वारा कायम की हुई एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इण्डिया थी, जो पीछे रायटर की सहायक न्यूज एजेन्सी बन गई। किन्तु, सन् १९४७ ई० में भारतीय समाचार-पत्रों ने अपनी न्यूज-एजेन्सी कायम की है, जिसका नाम प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया है। इसका उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं है। यह सहकारिता के सिद्धान्त पर कायम हुआ है। रायटर और इण्डियन ऐण्ड ईस्टर्न न्यूज-पेपर-सोसाइटी की रजामन्दी से ऐसा किया गया है। संसार के समाचार-संग्रह के कार्य में यह एक नया विकास है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया संयुक्त-राज्य अमेरिका, अस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पत्रों के साथ-साथ रायटर कम्पनी का हिस्सेदार हो गया है। रायटर कम्पनी में इसका एक ट्रस्टी और एक डाइरेक्टर है।

सन् १९४९ ई० की २ फरवरी से प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया ने भारत में रायटर और एसोसियेटेड प्रेस का सब काम ले लिया है और रायटर के वर्ल्ड न्यूज ऑरगेनिजेशन में इसकी साझेदारी भी हो गई है।

नियर ऐण्ड फार ईस्ट न्यूज (एशिया)—इसकी स्थापना २१ अप्रैल, १९५२ ई० को की गई। इसका संक्षिप्त नाम 'नाफेन' (NAFEN) है। यह अपने चार केन्द्रों से अँगरेजी तथा प्रायः सभी भारतीय भाषाओं में अपनी न्यूज-बुलेटिन निर्गमित करता है।

धीमान प्रेस ऑफ इण्डिया—इसका कार्यालय सन् १९३५ ई० में स्थापित हुआ। इसका प्रधान कार्यालय लुधियाना में है। यह संसार के विभिन्न भागों से समाचार, समाचार-चित्र, फीचर आदि प्राप्त कर भारत के १०० दैनिक एवं साप्ताहिक पत्रों को भेजता है।

हिन्दुस्थान-समाचार लिमिटेड—यह न्यूज-एजेन्सी सन् १९४८ से अखिलभारतीय स्तर पर सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। इसके कार्यालय में हिन्दी-टेलिप्रिण्टर की भी व्यवस्था है।

फ्री प्रेस ऑफ इण्डिया—यह न्यूज-एजेन्सी सन् १९२३ ई० में स्थापित की गई थी, किन्तु सन् १९३५ ई० में इसका काम बन्द हो गया। सन् १९४५ ई० से यह फिर काम कर रही है। इसके समाचार बम्बई के कुछ खास पत्रों को ही मिलते हैं।

इनफा (शचिस)—यह न्यूज-एजेन्सी हाल ही में स्थापित हुई है। इसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में है।

उपर्युक्त समाचार-एजेन्सियों के अतिरिक्त पाँच और भी न्यूज-एजेन्सियाँ हैं—युनाइटेड न्यूज ऑफ इण्डिया, इण्डियन न्यूज सर्विस, राव प्रेस फीचर्स (बँगलोर), प्रेस न्यूज फीचर्स (नई दिल्ली) और एसोसियेटेड न्यूज सर्विस (हैदराबाद)।

विदेशी न्यूज-एजेन्सियाँ

ब्रिटिश—(१) रायटर, (२) ग्लोब एजेन्सी, (३) एसोसिएटेड प्रेस

फ्रांसीसी—एजेन्स फ्रांस प्रेसी।

रूस—तास न्यूज एजेन्सी।

अमेरिका—(१) एसोसियेटेड प्रेस ऑफ अमेरिका, (२) युनाइटेड प्रेस ऑफ अमेरिका, (३) सेण्ट्रल न्यूज एजेन्सी और (४) इण्टरनेशनल न्यूज सर्विस ऑफ अमेरिका।

चीन—सिन हुआ (न्यू चाइना न्यूज एजेन्सी, पेकिंग)।

जापान—(१) क्योडो न्यूज एजेन्सी (टोकियो); (२) जी० जी० न्यूज एजेन्सी (टोकियो)।

पाकिस्तान—(१) एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान; (२) युनाइटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान।

अफगानिस्तान—बख्तर (काबुल)।

एशिया—नियर ऐण्ड फार ईस्ट न्यूज लि० (NAFEN)।

सूचना-सेवाएँ

भारत-सरकार तथा राज्य-सरकारों के सूचना एवं प्रसार-विभाग

भारत-सरकार का प्रचार-कार्य मुख्यतया सूचना एवं प्रसार-मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस मंत्रालय पर निम्नांकित संस्थाओं के कार्यों के दायित्व हैं—

(१) ऑल इण्डिया रेडियो, (२) प्रेस इनफॉरमेशन ब्यूरो, (३) डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऐण्ड विजुअल पब्लिसिटी, (४) पब्लिकेशन्स डिवीजन, (५) फिल्म्स डिवीजन, (६) रिसर्च ऐण्ड रेफरेंस डिवीजन, (७) रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर्स फॉर इण्डिया, (८) पंचवर्षीय योजना-प्रचार और (९) साउण्ड ऐण्ड ड्रामा डिवीजन।

केन्द्रीय मन्त्रिमंडल के अधीन प्रेस इनफॉरमेशन ब्यूरो और उसके प्रचार-अफसरों के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में एक सूचना-मंत्री होता है, जो निर्देशक के अधीनस्थ सूचना-विभागों पर नियंत्रण रखता है।

विदेशी सूचना-सेवाएँ—(१) युनाइटेड नेशन्स इनफॉरमेशन सेण्टर; (२) युनाइटेड स्टेट्स इनफॉरमेशन सर्विस; (३) ब्रिटिश इनफॉरमेशन सर्विस; (४) फुड ऐण्ड एग्रिकल्चर ऑर्गेनिजेशन (F. A. O.) इनफॉरमेशन सेण्टर; (५) वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनिजेशन (W. H. O.) पब्लिक इनफॉरमेशन युनिट; (६) डोमिनियन ऑफ कनाडा और (७) अस्ट्रेलिया।

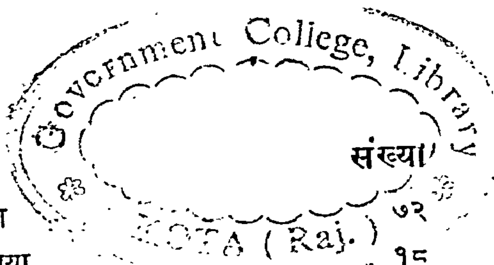
पत्रकारिता की शिक्षा—भारत में पत्रकारिता की शिक्षा मद्रास, कलकत्ता, मैसूर, पंजाब गुजरात और उसमानिया-विश्वविद्यालयों में दी जाती है। इसमें पंजाब-विश्वविद्यालय को छोड़कर अन्य सभी विश्वविद्यालयों में डिग्री या डिप्लोमा-कोर्स की शिक्षा दी जाती है। पंजाब-विश्वविद्यालय के अधीन कैम्प कॉलेज, नई दिल्ली में एक पत्रकारिता-विभाग है, जहाँ स्नातकोत्तर-शिक्षा की व्यवस्था है। मद्रास से प्रकाशित अँगरेजी दैनिक 'हिन्दू' की ओर से प्रतिवर्ष एक छात्र को पत्रकारिता की उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है।

प्रमुख पत्र-पत्रिकाएँ

इधर भारत में पत्र-पत्रिकाओं की संख्या बराबर बढ़ती रही है। सन् १९५७ ई० में ५,९३२ पत्र-पत्रिकाएँ थीं। सन् १९५८ ई० में इनकी संख्या ६,९१८, सन् १९५९ ई० में ७,६५१, सन् १९६० ई० में ८,०२६ और सन् १९६१ ई० में ८,३०५ हुई। भाषाओं और प्रान्तों के अनुसार पत्र-पत्रिकाओं का ब्योरा इस प्रकार है—

भाषानुसार पत्रों की संख्या (१९६१ ई०)

पत्र	संख्या	पत्र	संख्या
अँगरेजी	१९९८	मलयाला	२०९
हिन्दी	१५७५	पंजाबी	१५४



पत्र	संख्या	पत्र	संख्या
उर्दू	६६१	उड़िया	७२
बँगला	५५३	असमिया	१८
गुजराती	५२५	संस्कृत	१४
मराठी	४२६	द्विभाषी	८४७
तमिल	४२०	बहुभाषी	२६५
तेलुगु	२७१	अन्य	१३६
कन्नड	२२८		कुल योग —८,३०५

राज्यों के अनुसार पत्रों की संख्या (१९६१ ई०)

प्रान्त	संख्या	प्रान्त	संख्या
महाराष्ट्र	१,२७६	राजस्थान	२७४
पश्चिम बंगाल	१,१८३	मध्यप्रदेश	२५४
उत्तरप्रदेश	१,०५४	बिहार	१६५
दिल्ली	८३६	उड़ीसा	१३६
मद्रास	८२७	आसाम	७१
पंजाब	५८०	मणिपुर	२६
गुजरात	४४४	त्रिपुरा	१४
आंध्र	४१५	हिमाचल-प्रदेश	८
केरल	३५८	अन्दमान निकोबार	४
मैसूर	३४६		

समाचार-पत्रों की प्रचार-संख्या (१९६१ ई०)

पत्र	पत्रों की संख्या	प्रचार-संख्या	पत्र	पत्रों की संख्या	प्रचार-संख्या
अँगरेजी	१०२१	४७,०५,०००	तेलुगु	१६६	६,६०,०००
हिन्दी	८७४	३५,६१,०००	कन्नड	१२५	४,५७,०००
तमिल	२४३	२५,४५,०००	पंजाबी	८४	१,८१,०००
गुजराती	२६७	११,१२,०००	उड़िया	३७	१,४८,०००
मलयाला	१३२	१२,४८,०००	असमिया	१२	७१,०००
मराठी	२४१	११,०७,०००	संस्कृत	६	३,०००
उर्दू	३७०	६,४६,०००	द्विभाषी	४६३	५,३३,०००
बँगला	३०२	६,७३,०००	बहुभाषी	२५२	२,७६,०००
			अन्य	६७	१२,०,०००

कुछ प्रमुख दैनिक समाचार-पत्र (१९६१ ई०)

(जिनकी प्रचार-संख्या २०,००० से अधिक थी ।)

अँगरेजी

पत्र	प्रचार-संख्या	पत्र	प्रचार-संख्या
इण्डियन एक्सप्रेस (दिल्ली, बम्बई, मदुराई, विजयवाड़ा और चित्तूर)	... २,२७,९९०	अमृत बाजार पत्रिका (कलकत्ता)	... ९२,७३३
टाइम्स ऑफ इण्डिया (बम्बई और दिल्ली)	.... १,८९,३७९	फ्री प्रेस जर्नल (बम्बई)	... ८७,०५५
हिन्दू (मद्रास)	... १,१९,८७८	हिन्दुस्तान टाइम्स (दिल्ली)	... ८५,६२६
स्टेट्समैन (कलकत्ता और दिल्ली)	... १,१५,७६८	हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड (कलकत्ता)	.... ४२,७६८
		मेल (मद्रास)	... ३८,४६२
		ट्रिब्यून (अम्बाला)	.... ३५,९०३
		डेकान हेराल्ड (बँगलोर)	... ३०,४५४
		इण्डियन नेशन (पटना)	... २५,००८

हिन्दी

पत्र	प्रचार-संख्या	पत्र	प्रचार-संख्या
नवभारत टाइम्स (बम्बई और दिल्ली)	... १,१९,०५५	नवभारत (जबल पुर, भोपाल, रायपुर, नागपुर, इन्दौर)	.... ३३,७३३
हिन्दुस्तान (दिल्ली)	... ६७,८९६	नई दुनिया (इन्दौर, जबलपुर और रायपुर)	.... २७,०८६
विश्वमित्र (कलकत्ता, बम्बई कानपुर और पटना)	.... ६०,०००	नवप्रभात (इन्दौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर और आगरा)	... २३,९१६
आर्यावर्त्त (पटना)	... ३७,२४८		

बँगला

पत्र	प्रचार-संख्या	पत्र	प्रचार-संख्या
आनन्दबाजार-पत्रिका (कलकत्ता)	... १,०२,००६	युगान्तर (कलकत्ता)	... ९७,०३०

मराठी

पत्र	प्रचार-संख्या	पत्र	प्रचार-संख्या
लोकसत्ता (बम्बई)	.... १,००,५५८	प्रजामित्र (बम्बई)	... ३२,००५
सकल (पूना)	.... ९८,६७४	नवशक्ति (बम्बई)	.... ३१,९८२
मराठा (बम्बई और नागपुर)	... ४७,२७०	कर्मभारत (नागपुर और पूना)	... ३१,९१३

गुजराती

पत्र	प्रचार-संख्या
बम्बई-समाचार (बम्बई)	४३,४६१
गुजरात-समाचार (अहमदाबाद)	४१,१७०
जनसत्ता (अहमदाबाद)	३७,६६३
सन्देश (अहमदाबाद)	३१,३१८
जयहिन्द (राजकोट)	२५,७७२
प्रजातंत्र (बम्बई)	२३,४५७
जन्मभूमि (बम्बई)	२२,५७६

उर्दू

पत्र	प्रचार-संख्या
मिलाप (दिल्ली, जालंधर और हैदराबाद)	४४,१४६
प्रताप (नई दिल्ली और जालंधर)	३४,४१५

तमिल

पत्र	प्रचार-संख्या
तांति (मद्रास, मदुराई और तिरुचिरापल्ली)	१,८६,३७६
दिनमणि (मद्रास और चित्तूर)	१,०२,७४२
स्वदेशमित्रम् (मद्रास) मलाई	४३,२७२
मुरासू (तिरुनेलवेली और मद्रास)	४३,२४५
तमिलनाडु (मदुराई और मद्रास)	३०,३५६
नव इंडिया (मद्रास और कोयम्बटूर)	२८,६४२
कोवई मलाई मुरासू (कोयम्बटूर)	२५,६३३
थिना सेइथी (मद्रास)	२४,४४२
थानियारासू (मद्रास)	२३,३०७

तेलुगु

पत्र	प्रचार-संख्या
आंध्रप्रभा (विजयवाडा और चित्तूर)	६२,५५०
आंध्र-पत्रिका (मद्रास)	४४,८०६
आंध्रज्योति (विजयवाडा)	२१,६३२

कन्नड

पत्र	प्रचार-संख्या
संयुक्त कर्नाटक (हुबली और बँगलोर)	४०,४६०
प्रजावाणी (बँगलोर)	३८,५२५
ताइनाडु (बंगलोर)	२३,७००

मलयाला

पत्र	प्रचार-संख्या
मलयाला मनोरमा (कोट्टायम्)	१,००,६६७
मातृभूमि (कोझिकोड)	६३,४३१
जनयुगम् (क्विलोन-मलयम्)	२७,७८३
देशाभिमानी (कोझिकोड)	२५,४२५
केरलभूषणम् (कोट्टायम्)	२३,६३७
केरल-ध्वनि (कोट्टायम्)	२२,३०८
दीपिका (कोट्टायम्)	२०,४७२

द्विभाषी

पत्र	प्रचार-संख्या
केरल-कौमुदी (त्रिवेन्द्रम्)	५४,३६४

कुछ प्रमुख सावधिक पत्र

(प्रचार-संख्या २०,००० से अधिक)

अँगरेजी

पत्र	प्रचार-संख्या
ब्लिज (साप्ताहिक, बम्बई)	१,४१,४०३
फिल्म-फेयर (पाक्षिक, बम्बई)	१,१२,७०१
रीडर्स डाइजेस्ट मासिक, बम्बई)	८६,७४२
इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया (साप्ता०, बम्बई)	८५,३६६
स्क्रीन (साप्ताहिक, बम्बई)	५५,६६०
वीमेन्स ओन वीकली (साप्ताहिक, बम्बई)	५४,३८२
इंडियन इकोनोमिस्ट (साप्ताहिक)	५०,०००
स्पोर्ट्स ऐंड पास्टाइम (साप्ताहिक, मद्रास)	४०,०००
मेडिकल नोट्स क्वाटरली (त्रैमासिक, बम्बई)	३६,०००
पिपुल्स राज (साप्ताहिक, बम्बई)	३१,८६०
फेमिना (पाक्षिक, बम्बई)	३१,६८६
तामिलनाड-टाइम्स (पाक्षिक, मद्रास)	३०,३४१
इम्प्रिण्ट (मासिक, बम्बई)	२५,२६३
जनरल ऑफ इण्डियन इन्स्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स (त्रैमासिक, बम्बई)	२३,४७८
जनरल ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (पाक्षिक, कलकत्ता)	२२,८२८
एवस वीकली (साप्ताहिक, बम्बई)	२२,५६०

हिन्दी

पत्र	प्रचार-संख्या
कल्याण (मासिक, गोरखपुर)	१,३२,४७३
सिने चित्र (साप्ता०, कलकत्ता)	६८,६६६
धर्मयुग (साप्ता०, बम्बई)	६८,४८५
चन्दा मामा (मासिक, मद्रास)	६७,८९९
साप्ताहिक हिन्दुस्तान (साप्ता० दिल्ली)	५६,१३४
मनोहर कहानियाँ (मासिक, इलाहाबाद)	५३,९६०
पराग (मासिक, बम्बई)	५३,७५१
माया (मासिक, इलाहाबाद)	५१,५८४
सुषमा (मासिक, दिल्ली)	४७,९९९
चित्रभारती (मासिक, कलकत्ता)	४३,१२४
चित्रभारती (साप्ता०, कलकत्ता)	४०,९३७
नई कहानियाँ (मासिक, दिल्ली)	३३,६०४
सरिता (मासिक, दिल्ली)	३२,५३८
लोकराज्य (साप्ता०, बम्बई)	३१,८९०
सारिका (मासिक, बम्बई)	२९,९४९
रंगभूमि (मासिक, दिल्ली)	२५,२६९
स्क्रीन (साप्ता० कलकत्ता)	२४,१६६
सिने चित्र (मासिक, कलकत्ता)	२३,८१८
मनोरमा (मासिक, इलाहाबाद)	२३,७९५
रेखा (मासिक, नागपुर)	२२,७६६

बंगला

पत्र	प्रचार-संख्या
बेतार जगत (पाक्षिक, कलकत्ता)	७२,३०४
देश (साप्ताहिक, कलकत्ता)	४०,१४१
शुकतारा (मासिक, कलकत्ता)	२९,९९०
नव कल्लोल (मासिक, कलकत्ता)	२५,४००
उल्टो रथ (मासिक, कलकत्ता)	२२,४९८

असमिया

पत्र	प्रचार-संख्या
असम-वाणी (साप्ता०, गौहाटी)	३०,८५१

मराठी

पत्र	प्रचार-संख्या
स्वराज्य (साप्ताहिक, पूना)	४४,५५३
चन्द्रोबा (मासिक, मद्रास)	४४,२२३
लोकराज्य (साप्ता०, बम्बई)	३१,८९०

पत्र			प्रचार-संख्या
केसरी (द्विदैनिक, पूना)	....	....	३६,२७५
किर्लोस्कर (मासिक, पूना)	...	...	२३,६४६
स्त्री (मासिक, पूना)	...	...	२१,२२८
गुजराती			
जन्मभूमि-प्रवासी (साप्ता० बम्बई)	....	...	५१,२२४
अखंड आनन्द (मासिक, अहमदाबाद)	...	...	३७,६४६
जगमग (साप्ता०, अहमदाबाद)	...	....	२६,७३०
उर्दू			
शमा (मासिक, दिल्ली)	....	...	७६,३३२
बीसवीं सदी (मासिक, दिल्ली)	...	...	२१,८३३
तमिल			
कुमुदम् (साप्ता०, मद्रास)	....	...	२,१६,३६३
आनन्द-निकेतन (साप्ता०, मद्रास)	....	...	१,८४,०२१
कल्कि (साप्ता०, मद्रास)	...	....	१,१५,६६६
पेसुमपदम् (मासिक, मद्रास)	....	...	५७,८२५
कलकण्डु (साप्ता०, मद्रास)	...	...	५३,८८८
त्यागा कुरल (साप्ता०, मद्रास)	...	...	४८,६००
मलयमणि (साप्ता०, मद्रास)	...	....	४८,०००
कलय मंगल (मासिक, मद्रास)	....	...	३६,६०७
वनोली (पाक्षिक, मद्रास)	....	...	३५,१५०
कलिया वनन (पाक्षिक, मद्रास)	....	....	३५,०००
पुतुमय (मासिक, मद्रास)	....	...	३४,८७५
सिनेमा कादिर (मासिक, मद्रास)	....	....	३४,२६६
एना मुभक्कम् (साप्ता०, मद्रास)	...	...	३१,८७७
नर करुरावीरम् (मासिक, मदुराई)	...	....	२८,०००
वम्मावम्भी (साप्ता०, मद्रास)	....	....	२७,४६६
कलैगनन (पाक्षिक, मद्रास)	....	....	२७,१२४
भारतम् (साप्ता०, मद्रास)	....	...	२५,०३१
प्रमहलम् (मासिक, मद्रास)	....	....	२५,०००
ताइनाडु (साप्ता०, मद्रास)	....	....	२४,२६६
सिनेमा टाइम्स (पाक्षिक, मद्रास)	...	...	२३,३४६
इंगलनाडु (साप्ता०, मद्रास)	....	....	२२,६५७
पुडेया पटप (पाक्षिक, मद्रास)	...	...	२१,७०२
तेलुगु			
आंध्र सचित्रवर पत्रिका (साप्ता०, मद्रास)	...	...	८६,८८३
आंध्रप्रभा (सचित्र साप्ता०, चित्तूर)	...	...	७४,२१८

पत्र			प्रचार-संख्या
चन्दा मामा (मासिक, मद्रास)	....	...	३९,६४७
सोम्यायोगामु (पाक्षिक, तेनाली)	....	....	२२,६३४

कन्नड

प्रजामत (साप्ता०, बँगलोर)	...	....	२७,४६०
प्रपंच (साप्ता०, हुबली)	...	...	२४,४३२

मलयाला

मलयाला मनोरमा (साप्ता०, कोट्टायम्)	...	...	१,६१,९४३
मातृभूमि (मासिक, कोझिकोड)	...	....	६४,१६६
जनयुगम् (साप्ता०, क्विलोन)	....	....	३१,९५२

प्रेस-निबन्धक का प्रतिवेदन, १९६१ ई०—सन् १९६१ ई० में देश की सभी भाषाओं में प्रकाशित दैनिक समाचार-पत्रों एवं सावधिक पत्रों की प्रचार-संख्या में, सन १९६० ई० की तुलना में, ४·७ प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रचार-संख्या की यह वृद्धि-दर सन् १९५९ ई० में ११·५ प्रतिशत, सन् १९६० ई० में ८·३ प्रतिशत और सन् १९६१ ई० में ४·७ प्रतिशत थी। सन् १९६१ ई० में १ लाख से अधिक प्रचार-संख्यावाले पत्र केवल ११ थे। देश में २२ समाचार-पत्रों की प्रचार-संख्या ५० हजार से अधिक और १०० समाचार-पत्रों की प्रचार-संख्या १० हजार से ५० हजार के बीच थी। गत वर्ष जहाँ शृंखला, समूह और बहुविध इकाइयों के समाचार-पत्रों एवं सावधिक पत्रों द्वारा कुल प्रचार-संख्या का ३०·१ प्रतिशत नियंत्रण हुआ था, वहाँ सन् १९६१ ई० में ३३·२ प्रतिशत था। सन् १९६० ई० में साम्यवादी दल के २८ पत्र प्रकाशित हो रहे थे, जिनकी संख्या सन् १९६१ ई० में २१ हो गई। सन् १९६१ ई० में लगभग १००० नये पत्र निकले और लगभग इतने ही पत्रों का प्रकाशन बन्द भी हो गया। कुल वृद्धि ३·५ प्रतिशत की रही। सन् १९६० ई० में जहाँ ८,०२६ समाचार-पत्र थे, वहाँ सन् १९६१ ई० में ८,३०५ हो गये। पिछले वर्षों की भाँति इस वर्ष भी पत्रों की संख्या में अँगरेजी का स्थान प्रथम एवं हिन्दी का द्वितीय रहा। राज्यों के हिसाब से इस सम्बन्ध में महाराष्ट्र का स्थान प्रथम और पश्चिम बंगाल का स्थान द्वितीय बना रहा। सन् १९६० ई० में जहाँ ४६५ दैनिक समाचार-पत्र प्रकाशित हो रहे थे, वहाँ सन् १९६१ ई० में घटकर ४५७ रह गये। दैनिक समाचार-पत्रों की संख्या में हिन्दी का स्थान प्रथम रहा। उस वर्ष हिन्दी के १२३, उर्दू के ६६ और अँगरेजी के ४५ समाचार-पत्र प्रकाशित हो रहे थे। पिछले वर्षों की भाँति अँगरेजी के दैनिक समाचार-पत्रों की प्रचार-संख्या भी सर्वाधिक (१२,५५,०००) रही और हिन्दी के दैनिक समाचार-पत्रों की प्रचार-संख्या ६,१६,०००। सन् १९६१ ई० में भारत में सावधिक पत्रों की संख्या ७,७१४ थी। इन सावधिक पत्रों की प्रचार-संख्या १,३६,५६,००० थी।

★

संविधान

भारत की संविधान-सभा का सर्वप्रथम अधिवेशन ६ सितम्बर, १६४६ को हुआ। २२ जनवरी, १६४७ को इसने अपना उद्देश्य-सम्बन्धी प्रस्ताव पास किया तथा प्रस्तावित संविधान के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में प्रतिवेदन देने के लिए कई समितियाँ नियुक्त कीं। इन समितियों के प्रतिवेदनों के आधार पर ही संविधान-सभा की प्रारूप-समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार किया, जो फरवरी, १६४८ ई० में प्रकाशित हुआ। ४ नवम्बर, १६४८ ई० को इसे सामान्य विचार-विमर्श के लिए प्रस्तुत किया गया। इसी बीच, भारतीय स्वाधीनता-अधिनियम स्वीकृत होने तथा १५ अगस्त, १६४७ को सत्ता के हस्तान्तरण के फलस्वरूप संविधान-सभा उन सब प्रतिबन्धों से मुक्त हो गई, जिनकी छाया में उसका जन्म हुआ था। इस प्रकार एक सम्पूर्ण प्रभुता-सम्पन्न निकाय के रूप में उसने भारत का संविधान बनाने का कार्य आरम्भ किया। संविधान-सभा ने ३६५ अनुच्छेदों तथा ८ अनुसूचियों से युक्त संविधान को २६ नवम्बर, १६४६ को अन्तिम रूप देकर स्वीकार कर लिया तथा २६ जनवरी, १६५० से वह लागू हो गया है। तबसे अबतक संविधान में १६ संशोधन हो चुके हैं।

संविधान की प्रस्तावना में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता एवं प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करने और सबमें व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करनेवाली बन्धुता बढ़ाने के लिए प्रयत्न किया जायगा।

संघ तथा उसका राज्य-क्षेत्र

भारत राज्यों का एक संघ है, जिसके राज्य-क्षेत्र में आसाम, आन्ध्र-प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर-प्रदेश, केरल, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, पश्चिम-बंगाल, बिहार, मद्रास, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर और राजस्थान तथा संघीय क्षेत्र में अन्दमन और निकोबार-द्वीपसमूह, दिल्ली, मणिपुर, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनदीवी-द्वीपसमूह, हिमाचल-प्रदेश, त्रिपुरा, पांडिचेरी, गोआ-दामन-दिउ और दादरा एवं नागर हवेली हैं।*

नागरिकता तथा मताधिकार †

संविधान में सम्पूर्ण भारत के लिए एकल तथा एकसम नागरिकता की व्यवस्था की गई है। भारतीय संघ के राज्य-क्षेत्र में जन्म लेने, भारतीय माता-पिता की सन्तान होने अथवा संविधान लागू होने से ठीक पहले पाँच वर्ष तक भारत का निवासी होने की शर्त्त पूरी करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। अनुच्छेद ६ और ७ के अनुसार पाकिस्तान से आनेवाले वे

---

* संविधान के सातवें संशोधन के पूर्व संविधान को प्रथम अनुसूची में भाग 'क' के १०, भाग 'ख' के ८ और भाग 'ग' के ६ राज्यों तथा भाग 'घ' के १ क्षेत्र का उल्लेख था।

† संविधान के ये उपबन्ध संविधान के आरम्भ होने के समय नागरिकता को सामान्य योग्यताओं से ही सम्बद्ध हैं। विस्तृत विवरण संसदीय कानूनों द्वारा निश्चित किये जायेंगे। तदनुसार नागरिकता अधिनियम, १६५५ के अधीन संविधान के लागू होने के बाद नागरिकता प्राप्त करने, नागरिकता का अधिकार छीनने आदि की व्यवस्था कर दी गई है।

विस्थापित व्यक्ति, जो कुछ शर्तों को पूरा करते हों, भारत के नागरिक बन सकते हैं। विदेशों में रहनेवाले भारतीय उद्भव के व्यक्ति भी भारत के नागरिक बन सकते हैं, बशर्ते कि वे अपने निवासवाले देश में स्थित भारतीय राजनीतिक अथवा वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के पास अपना नाम दर्ज करा लें। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वीकार कर लेता है, भारत का नागरिक नहीं बन सकता।

संविधान के अनुच्छेद ३२६ के अन्तर्गत ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को मताधिकार दिया गया है, जो भारत का नागरिक हो तथा निर्धारित तिथि पर २१ वर्ष से कम आयु का न हो तथा जिसको संविधान अथवा यथोचित विधानमण्डल के किसी कानून द्वारा अनिवास, पागलपन, अपराध, भ्रष्टाचार या गैर-कानूनी कार्य के आधार पर अयोग्य न ठहरा दिया गया हो।

मौलिक अधिकार

संविधान के तीसरे भाग में मोटे तौर पर सात प्रकार के मौलिक अधिकार गिनाये गये हैं। समता का अधिकार (अनुच्छेद १४ से १८); अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद १६); एक ही अपराध के लिए एक वार से अधिक दण्ड न पा सकने, अपने ही विरुद्ध साक्षी न बनाये जा सकने तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अथवा जीवन से वंचित न किये जा सकने का अधिकार (अनुच्छेद २० और २१); शोषण से रक्षा का अधिकार (अनुच्छेद २३ और २४); धर्म-स्वातन्त्र्य का अधिकार (अनुच्छेद २५ से २८); संस्कृति और शिक्षा-सम्बन्धी अधिकार (अनुच्छेद २६ तथा ३०); सम्पत्ति का अधिकार (अनुच्छेद ३१) तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद ३२)। इस अन्तिम अधिकार के अन्तर्गत सभी अधिकार निर्णेय हैं और उनको लागू कराने के लिए कोई भी नागरिक सर्वोच्च न्यायालय तक जा सकता है।

समता के अधिकार के अन्तर्गत कानून की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त होंगे तथा धर्म, जाति, लिंग-भेद अथवा जन्म-स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेद-भाव नहीं बरता जायगा। सरकारी नौकरी के मामले में सबको समान अवसर प्रदान किये जायेंगे। अस्पृश्यता का भी उन्मूलन कर दिया गया है। संसद् के एक कानून के अनुसार अस्पृश्यता का व्यवहार करनेवाले व्यक्ति को कानूनी रूप से दण्ड दिया जा सकता है।

राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्त

राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्त यद्यपि न्यायालयों द्वारा लागू नहीं कराये जा सकते, तथापि देश के शासन में उनका ध्यान रखना आवश्यक माना जाता है। इनमें कहा गया है : "सरकार ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना और संरक्षण करके लोक-कल्याण को प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगी, जिसमें राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का पालन हो।" इन्हीं सिद्धान्तों के अनुसार सरकार का यह भी कर्त्तव्य हो जाता है कि वह प्रत्येक नागरिक (नर अथवा नारी) को जीवन-यापन के लिए यथेष्ट और समान अवसर दे; समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक की व्यवस्था करे; अपनी आर्थिक क्षमता तथा विकास की सीमा के अनुसार सभी को काम करने का समान अधिकार दे और बेरोजगारी, बुढ़ापा तथा बीमारी की अवस्था में सबको समान रूप से वित्तीय सहायता दे।

राज्य-नीति के अन्य निदेशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से कृषि तथा पशु-पालन का संगठन करने; ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर-उद्योगों को प्रोत्साहन देने; मादक पेयों और ओषधियों पर रोक लगाने; १४ वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने; ग्राम-पंचायतें बनाने तथा रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाने की व्यवस्था है।

केन्द्र

कार्यपालिका

संविधान के पाँचवें भाग के उपबन्धों के अनुसार केन्द्रीय कार्यपालिका के अन्तर्गत राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति तथा प्रधान मन्त्री के नेतृत्व में एक मन्त्रिपरिषद् होती है।

राष्ट्रपति—राष्ट्रपति का चुनाव सानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा एक निर्वाचन-मण्डल करता है, जिसमें संसद् के दोनों सदनों तथा राज्यों की विधान-सभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति कम-से-कम ३५ वर्ष की आयु का भारतीय नागरिक हो तथा लोकसभा का सदस्य बनने का पात्र हो। राष्ट्रपति का कार्यकाल ५ वर्ष का होता है और वह राष्ट्रपति के पद के लिए दूसरी बार भी खड़ा हो सकता है। संविधान के अनुच्छेद ६० के अन्तर्गत संविधान की रक्षा करना राष्ट्रपति का परम कर्त्तव्य है। यदि वह संविधान के विरुद्ध जाता है, तो महाभियोग लगाकर उसे राष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है। राज्य का प्रधान होने की हैसियत से राष्ट्रपति को नियुक्तियाँ करने, संसद् का अधिवेशन बुलाने, उसको स्थगित करने, उसमें भाषण देने और उसे सन्देश भेजने तथा लोक-सभा को भंग करने, संसद् की अनुपस्थिति में अध्यादेश (आर्डिनेंस) जारी करने, धन-विधेयक पेश करने तथा विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करने, क्षमा-प्रदान करने, दण्ड को रोक रखने अथवा उसमें कमी करने आदि के अधिकार प्राप्त हैं। राष्ट्रपति को कार्यपालिका के जो अधिकार प्रदान किये गये हैं, उनका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं अथवा सरकारी अधिकारियों के माध्यम से करता है।

उप-राष्ट्रपति—उप-राष्ट्रपति का चुनाव सानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा संसद् के दोनों सदनों के सदस्य एक संयुक्त अधिवेशन में करते हैं। यह आवश्यक है कि उप-राष्ट्रपति भी कम-से-कम ३५ वर्ष की आयु का भारतीय नागरिक हो तथा राज्यसभा का सदस्य बनने का पात्र हो। उप-राष्ट्रपति का कार्य-काल भी ५ वर्ष का होता है तथा वह राज्य-सभा का पदेन सभापति हो सकता है। इसके अतिरिक्त बीमारी, अनुपस्थिति अथवा किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति के कार्य न कर सकने की अवस्था में अथवा राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा पदच्युति के परिणामस्वरूप पद रिक्त होने के बाद, जबतक नये राष्ट्रपति का चुनाव नहीं कर लिया जाता, तबतक उप-राष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। इस कार्यकाल में उप-राष्ट्रपति राष्ट्रपति में निहित समस्त अधिकारों और कार्यों का वहन करेगा और वह राज्य-सभा का सभापति नहीं रह जायगा।

मन्त्रिपरिषद्—संविधान के अनुच्छेद ७४ के अन्तर्गत राष्ट्रपति को उसके कार्य-संचालन में सहायता तथा परामर्श देने के लिए प्रधान मंत्री के नेतृत्व में एक मन्त्रिपरिषद् की व्यवस्था है।

प्रधान मन्त्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री राष्ट्रपति को परामर्श देता है। मन्त्रिपरिषद् का कार्यकाल यद्यपि राष्ट्रपति की इच्छा पर ही निर्भर है, तथापि वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। संविधान की एक व्यवस्था के अनुसार प्रधान मन्त्री का कर्त्तव्य है कि मन्त्रिपरिषद् केन्द्रीय प्रशासन-कार्यों तथा नये कानून-सम्बन्धी जो निर्णय करे, उससे वह राष्ट्रपति को अवगत कराता रहे।

महान्यायवादी (एटर्नी जनरल)—महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी भारत-सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देता है तथा अन्य ऐसे कानूनी कार्य करता है, जो राष्ट्रपति उसको सौंपे। महान्यायवादी संविधान द्वारा सौंपे गये अथवा संविधान के अन्तर्गत मिले अन्य कार्य भी करता है। उसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है तथा वह देश के सभी न्यायालयों में पैरवी कर सकता है।

संसद्

केन्द्रीय विधान-मण्डल के अन्तर्गत जिसे 'संसद्' कहते हैं, राष्ट्रपति तथा संसद् के दो सदन होते हैं। ये सदन राज्य-सभा तथा लोक-सभा कहलाते हैं।

राज्य-सभा—राज्य-सभा की अधिकतम सदस्य-संख्या २५० है, जिसमें १२ सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्रों में अपनी ख्याति के कारण राष्ट्रपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जाते हैं। शेष सदस्यों का चुनाव होता है। राज्य-सभा भंग नहीं होती। इसके एक-तिहाई सदस्य प्रति दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण करते हैं। राज्य-सभा के सदस्यों का चुनाव परोक्ष रूप से होता है तथा प्रत्येक राज्य के लिए संविधान की चौथी अनुसूची के अनुसार निर्धारित सदस्यों (संख्या) का निर्वाचन उस राज्य की विधान-सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा सानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधि संसद् द्वारा विहित विधि के अनुसार चुने जाते हैं। राज्य-सभा की सदस्यता के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है, साथ ही आयु भी ३० वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

लोक-सभा—लोक-सभा की अधिकतम सदस्य-संख्या ५०० है। ये सदस्य वयस्क-मताधिकार के आधार पर राज्यों के निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जम्मू-कश्मीर के प्रतिनिधि उस राज्य के विधान-मण्डल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। संसद् के एक नियम के अनुसार लोक-सभा में संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के लिए अधिक-से-अधिक २० सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के यह समझने की स्थिति में कि आंग्ल-भारतीयों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हुआ है, उनके प्रतिनिधित्व के लिए संविधान लागू होने के बाद १० वर्ष तक लोक-सभा में राष्ट्रपति द्वारा दो आंग्ल-भारतीय सदस्य नामनिर्दिष्ट करने की व्यवस्था थी। अब इस अवधि को १० वर्ष और बढ़ा दिया गया है।

न्यायपालिका

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधिपति तथा अधिक-से-अधिक १३ न्यायाधीश* होते हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। न्यायाधीश ६५ वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य है तथा वह किसी एक या दो उच्च न्यायालयों में लगातार कम-से-कम ५ वर्ष तक न्यायाधीश अथवा किसी एक या दो उच्च न्यायालयों में कम-से-कम १० वर्ष तक वकील रह चुका हो अथवा राष्ट्रपति की सम्मति में कानून का प्रकाण्ड पण्डित हो। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय का तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करने तथा सर्वोच्च न्यायालय के सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने की व्यवस्था कर दी गई है। संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का सेवा-निवृत्त न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में अथवा किसी भी प्रधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकता।

राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को केवल उसी दशा में उसके पद से हटा सकता है, जबकि प्रमाणित दुराचरण अथवा अयोग्यता के आधार पर संसद् का प्रत्येक सदन उपस्थित सदस्यों में कम-से-कम दो-तिहाई के बहुमत तथा मतदान से इस आशय का प्रस्ताव पास कर दे।

भारत का लेखा-नियन्त्रक तथा महालेखा-परीक्षक

संविधान के अनुच्छेद १४८ से १५१ तक में केन्द्र तथा राज्य-सरकारों के हिसाब-किताब पर निगरानी रखने के लिए राष्ट्रपति द्वारा भारत का एक लेखा-नियन्त्रक तथा महालेखा-परीक्षक नियुक्त किये जाने की व्यवस्था है। उसके अधिकारों तथा कर्त्तव्यों का निश्चय संसद् द्वारा बनाये गये कानून द्वारा किया जाता है। यह अधिकारी राष्ट्रपति तथा राज्यपालों के समक्ष जो प्रतिवेदन उपस्थित करता है, उसे संसद् के दोनों सदनों तथा राज्यों के विधान-मण्डलों में पेश किया जाता है।

राज्य

संविधान के छठे भाग के अनुसार राज्यों की शासन-पद्धति केन्द्रीय सरकार के समान है।

कार्यपालिका

राज्य की कार्यपालिका के अन्तर्गत राज्यपाल तथा मुख्य मन्त्री के नेतृत्व में एक मन्त्रिपरिषद् होती है।

राज्यपाल—राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति ५ वर्षों के लिए करता है, किन्तु उसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। ३५ वर्षों से अधिक आयुवाले भारतीय नागरिक को ही इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल संसद् अथवा राज्य के

---

* मूल रूप में संविधान में इनकी संख्या ७ निश्चित की गई थी, जिसे 'सर्वोच्च न्यायालय' (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, १९५६ द्वारा बढ़ाकर १० कर दिया गया था। हाल ही 'सर्वोच्च न्यायालय' (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, १९६० द्वारा यह संख्या बढ़ाकर १३ कर दी गई है।

विधान-मण्डल के किसी भी सदन की सदस्यता अथवा अन्य कोई सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकता।

मन्त्रिपरिषद्—संविधान में राज्यपाल को उसके कार्य संचालन में सहायता तथा परामर्श देने के लिए मुख्य मन्त्री के नेतृत्व में एक मन्त्रिपरिषद् की व्यवस्था है। मुख्य मन्त्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, जो अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में राज्यपाल को परामर्श देता है। मन्त्रिपरिषद् राज्यपाल की इच्छा-पर्यन्त ही अपने पद पर बनी रहती है तथा सामूहिक रूप से राज्य की विधान-सभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल)—महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। यह अधिकारी राज्यपाल अथवा संविधान अथवा अन्य किसी विधान द्वारा सौंपे गये कानूनी कर्त्तव्यों का पालन करता है तथा राज्य-सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देता है। राज्यपाल की इच्छा-पर्यन्त ही वह अपने पद पर बना रहता है।

विधान-मण्डल

प्रत्येक राज्य में एक-एक विधान होता है, जिसके अन्तर्गत राज्यपाल के अतिरिक्त दो सदन होते हैं; किन्तु असम, उड़ीसा, केरल, गुजरात तथा राजस्थान में केवल एक-एक सदन की ही व्यवस्था है। ऊपरी सदन विधान-परिषद् कहलाता है तथा निचला सदन विधान-सभा। संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि संसद् किसी वर्त्तमान विधान-परिषद् को समाप्त करने अथवा किसी राज्य में उसकी स्थापना करने की व्यवस्था कर सकती है।

विधान-परिषद्—प्रत्येक राज्य की विधान-परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या राज्य की विधान-सभा के कुल सदस्यों की संख्या की एक-तिहाई से अधिक तथा किसी भी स्थिति में ४० से कम नहीं होगी। परिषद् के लगभग एक-तिहाई सदस्य, उस राज्य की विधान-सभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से चुने जाते हैं, जो विधान-सभा के सदस्य नहीं हैं। एक-तिहाई सदस्य नगर-पालिकाओं, जिला-बोर्डों तथा अन्य स्थानीय निकायों के सदस्यों के निर्वाचक-मण्डल चुनते हैं; १/१२ सदस्य शिक्षालयों (माध्यमिक स्तर से नीचे के नहीं) के पंजीकृत अध्यापक चुनते हैं तथा १/१२ सदस्य ३ वर्षों से अधिक पुराने पंजीकृत स्नातक चुनते हैं। शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से चुने जाते हैं, जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता-आन्दोलन तथा समाज-सेवा के क्षेत्र में असाधारण कार्य किया हो। राज्य-सभा की भाँति ही विधान-परिषद् भी स्थायी हैं तथा इनके एक-तिहाई सदस्य प्रति दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण करते रहते हैं।

विधान-सभा—संविधान के अनुच्छेद १७० के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधान-सभा में अधिक-से-अधिक ५०० तथा कम-से-कम ६० सदस्य होते हैं, जिनका चुनाव राज्य के निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। विधान-सभा का कार्यकाल भी सामान्यतः ५ वर्ष का होता है।

न्यायपालिका

प्रत्येक राज्य में न्याय-प्रशासन के शीर्ष पर उच्च न्यायालय होता है। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधिपति तथा उतने न्यायाधीश होते हैं, राष्ट्रपति समय-समय पर आवश्यकतानुसार जितने नियुक्त कर दे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति राष्ट्रपति,

भारत के मुख्य न्यायाधिपति तथा राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करता है, तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श किया जाता है। मुख्य न्यायाधिपति तथा न्यायाधीश ६० वर्ष की आयु तक अपने पदों पर बने रहते हैं। इन्हें अपने पद से हटाने की विधि भी वही है, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत करने के लिए निर्धारित है। संविधान में अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना के लिए भी व्यवस्था है।

केन्द्र तथा राज्य

केन्द्र तथा राज्य-सरकारों के बीच के वैधानिक तथा प्रशासनिक सम्बन्धों का विवरण संविधान के ग्यारहवें भाग में दिया गया है। नये राज्यों की स्थापना करने अथवा क्षेत्रफल, सीमाएँ अथवा वर्त्तमान राज्य का नाम बदलने का अधिकार संसद् को ही है।

वैधानिक सम्बन्ध—केन्द्र तथा राज्यों के बीच वैधानिक अधिकारों के विभाजन की व्यवस्था सातवीं अनुसूची के उपबन्धों द्वारा कर दी गई है, जो केन्द्रीय सूची, राज्य-सूची तथा समवर्त्ती सूची नामक तीन सूचियों में निहित हैं। केन्द्रीय सूची में उल्लिखित विषयों के बारे में कानून बनाने का पूर्ण अधिकार संसद् को तथा राज्य-सूची में उल्लिखित विषयों के बारे में कानून बनाने का पूर्ण अधिकार राज्यों के विधान-मण्डलों को है। समवर्त्ती सूची में उल्लिखित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार संसद् तथा राज्यों के विधानमण्डलों को है।

क्षेत्रीय दृष्टि से संसद् के वैधानिक अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त देश अथवा उसका कोई भी भाग आ सकता है, जब कि राज्य के विधान-मण्डल का वैधानिक अधिकार-क्षेत्र राज्य अथवा उसके किसी भाग तक ही सीमित है। संसद् भारत के किसी ऐसे क्षेत्र के लिए भी, जो किसी राज्य में नहीं है, ऐसे मामलों के सम्बन्ध में कानून बना सकती है, जो राज्यों के विधान-मण्डलों के ही अधिकार-क्षेत्र में आते हैं। इसके अतिरिक्त 'अवशिष्ट अधिकार', यानी जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं हुआ है, संसद् में निहित हैं।

प्रशासनिक सम्बन्ध—केन्द्र तथा राज्यों के कार्यपालिका-सम्बन्धी अधिकार यद्यपि उनके अपने-अपने वैधानिक अधिकारों के साथ सम्बद्ध हैं, तथापि संविधान की व्यवस्था के अनुसार केन्द्रीय सरकार अपने कुछ कार्य राज्य-सरकारों अथवा उनके अधिकारियों को सौंप सकती है तथा उन्हें आदेश दे सकती है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार को किसी राज्य की सीमा में राष्ट्रीय अथवा सैनिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण संचार-साधनों का निर्माण आदि करने, अन्तर-राज्यीय नदी आदि के पानी के विभाजन-सम्बन्धी विवादों का निर्णय करने तथा अन्तर-राज्यीय परिषदें स्थापित करने का भी अधिकार है।

वित्त

संविधान के बारहवें भाग में वित्त, सम्पत्ति, ठीके आदि सम्बन्धी व्यवस्थाओं का वर्णन है। केन्द्र तथा राज्यों के बीच राजस्व के वितरण की एक व्यापक योजना के लिए भी संविधान में व्यवस्था कर दी गई है।

केन्द्र को केन्द्रीय सूची के अनुसार कर और शुल्क उगाहने तथा राज्यों को राज्य-सूची के अनुसार कर और शुल्क उगाहने का अधिकार मिला हुआ है। इसके अतिरिक्त संविधान में

करों की कुछ विशिष्ट श्रेणियों का भी उल्लेख कर दिया गया है, जिनका बँटवारा राज्य तथा केन्द्र के बीच विभिन्न परिमाणों में किया जाता है।

संविधान ने केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार दिया है कि वह भारत की समेकित निधि के आधार पर संसद् द्वारा निर्धारित की गई सीमा तक ऋण ले सकती है। केन्द्रीय सरकार राज्य-सरकारों को ऋण तथा उनके द्वारा जारी किये गये ऋणों के सम्बन्ध में गारण्टी भी दे सकती है। राज्यों को भी अपनी-अपनी समेकित निधियों के आधार पर ऋण जारी करने का अधिकार है।

राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर एक वित्त-आयोग की स्थापना किये जाने की भी संविधान में व्यवस्था कर दी गई है, जो करों से होनेवाली शुद्ध आय का केन्द्रीय सरकार तथा राज्य-सरकारों के बीच वितरण करने तथा राज्यों को सहायता-अनुदान देने के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। पहला वित्त-आयोग नवम्बर, १९५१ ई० में, और दूसरा आयोग अप्रैल, १९५६ ई० में और तीसरा आयोग दिसम्बर, १९६० ई० में नियुक्त किया गया था।

इसके अतिरिक्त केन्द्र तथा राज्यों के हिसाब-किताब की जाँच करने के लिए स्वतन्त्र प्राधिकारी की भी व्यवस्था है।

व्यापार तथा वाणिज्य

संविधान के तेरहवें भाग में सम्पूर्ण भारत में व्यापार, वाणिज्य तथा विनिमय की स्वतन्त्रता के सामान्य सिद्धान्तों की व्यवस्था है। संसद् अथवा विधान-मण्डलों को ऐसा कानून बनाने का अधिकार नहीं है, जिससे व्यापार आदि के बारे में एक राज्य को दूसरे राज्य की अपेक्षा अधिक सुविधाएँ दी जा सकें अथवा जिसमें विभिन्न राज्यों के प्रति भेद-भाव प्रदर्शित हों।

सार्वजनिक सेवाएँ

संविधान के चौदहवें भाग का सम्बन्ध केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारों में काम करनेवाले कर्मचारियों की भरती, उनकी सेवा की शर्तों, पदावधि तथा सेवामुक्ति, पदच्युति अथवा पदावनति से है। इसी भाग में केन्द्रीय तथा राज्यीय लोकसेवा-आयोगों की नियुक्ति का भी प्रबन्ध किया गया है।

चुनाव

संसद् और विधान-मण्डलों तथा राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के लिए होनेवाले सभी चुनावों के नियन्त्रण तथा निरीक्षण का काम चुनाव-आयोग को सौंपा गया है। चुनाव-आयोग में एक मुख्य चुनाव-आयुक्त के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अन्य चुनाव-आयुक्त भी होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आयुक्तों की सेवा तथा पदावधि की शर्तों का निर्णय राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव-आयुक्त को भी उसी विधि से पदच्युत किया जा सकता है, जिस विधि से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदच्युत किया जाता है।

राजभाषा

संविधान के अनुच्छेद ३४३ के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिन्दी होगी तथा सरकारी कार्यों के लिए भारतीय अंकों के अन्तरराष्ट्रीय रूप का प्रयोग होगा।

किन्तु, राजभाषा के रूप में अँगरेजी का प्रयोग संविधान लागू होने के बाद अधिक-से-अधिक १५ वर्ष तक जारी रहेगा। * अनुच्छेद ३४४ के अनुसार राष्ट्रपति को संविधान लागू होने के समय से पाँच वर्षों की समाप्ति और इसके बाद संविधान लागू होने के समय से दस वर्षों की अवधि की समाप्ति पर हिन्दी के विकास तथा प्रचार के सम्बन्ध में जाँच कराने और निर्धारित अवधि की समाप्ति पर अँगरेजी के स्थान पर पूर्ण रूप से हिन्दी का उपयोग आरम्भ कराने के विचार से केन्द्र के सभी अथवा किसी सरकारी कार्य के लिए हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग की सिफारिश करने के उद्देश्य से एक विशेष आयोग नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है, जिसमें एक अध्यक्ष तथा सदस्यों के रूप में आठवीं अनुसूची में उल्लिखित विभिन्न भाषाओं के प्रतिनिधि हों। संविधान की एक अन्य व्यवस्था के अनुसार ३० संसत्सदस्यों की एक संसदीय समिति द्वारा आयोग की सिफारिशों की जाँच करने की भी व्यवस्था है। अनुच्छेद ३४४ की धारा (६) के अधीन राष्ट्रपति को, संसदीय समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, उस पूरी रिपोर्ट अथवा उसके किसी अंश के अनुसार निदेश देने का अधिकार दिया गया है।

संविधान के अनुसार किसी राज्य का विधान-मण्डल कानून बनाकर राज्य में प्रचलित एक अथवा कई प्रादेशिक भाषाओं को अथवा हिन्दी को सभी कार्यों अथवा किसी विशेष सरकारी कार्य के लिए राजभाषा के रूप में स्वीकार कर सकता है। राज्यों के बीच तथा राज्य और केन्द्र के बीच पत्र-व्यवहार के लिए कुछ समय तक उसी भाषा का प्रयोग होता रहेगा, जिसका प्रयोग अभी हो रहा है। संविधान में राष्ट्रपति को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह १५ वर्ष की निर्धारित अवधि के पूर्व किसी भी सरकारी काम के लिए अँगरेजी के साथ-साथ हिन्दी का भी प्रयोग करने की अनुमति दे सकता है।

संकटकालीन तथा अन्य विशेष व्यवस्थाएँ

संविधान के अनुच्छेद ३५२ के अनुसार यदि राष्ट्रपति को किसी भी समय इस बात का समाधान हो जाय कि युद्ध विदेशी आक्रमण अथवा आन्तरिक उपद्रव के कारण भारत अथवा उसके किसी क्षेत्र की सुरक्षा संकट में है अथवा इसके फलस्वरूप संकटकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो वह एक घोषणा द्वारा राज्यों को विशेष आदेश दे सकता है तथा संविधान के अनेक अनुच्छेदों (२६८ से २८०) को स्थगित कर सकता है। किन्तु, राष्ट्रपति की घोषणा को, दो महीने के अन्दर ही, संसद् के दोनों सदनों की स्वीकृति के लिए उपस्थित करना आवश्यक है।

राज्य के वैधानिक तन्त्र के असफल होने की स्थिति में भी राष्ट्रपति एक घोषणा द्वारा राज्य-सरकार के सभी अथवा किसी कर्त्तव्य का उत्तरदायित्व स्वयं ले सकता है। ऐसा वह राज्यपाल से सूचना प्राप्त होने के आधार पर अथवा निश्चित रूप से यह मालूम कर लेने पर करता है कि ऐसी स्थिति में राज्य का शासन संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार नहीं चलाया जा सकता।

अनुसूचित जातियाँ तथा आदिम जातियाँ—सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार निश्चित करने की सामान्य व्यवस्था के साथ-साथ संविधान में, आंग्ल-

* सन् १९६३ ई० के राजभाषा-विधेयक के अनुसार सन् १९६५ ई० के बाद भी अँगरेजी के प्रयोग की व्यवस्था की गई है।

भारतीयों-जैसे अल्पसंख्यकों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों-जैसे पिछड़े और अविकसित वर्गों के हितों की सुरक्षा और उनकी सहायता के लिए विशेष व्यवस्था है, जिससे इन लोगों को उन्नति के अवसर मिलें। इनमें पहले १० वर्षों के लिए (जिसे अब १० वर्ष और बढ़ा दिया गया है) संसद् तथा राज्यों के विधान-मण्डलों में उनके लिए स्थान सुरक्षित रखने, सरकारी नौकरियों में उन्हें रियायत देने तथा शिक्षा की अधिक सुविधाएँ देने की व्यवस्था है। केन्द्रीय सरकार पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण का भी विशेष उत्तरदायित्व डाला गया है।

आसाम के आदिमजातीय क्षेत्र—आसाम के आदिमजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए भी संविधान में एक विशेष व्यवस्था है, जिसके अन्तर्गत इन क्षेत्रों में कुछ स्वायत्तशासी जिलों तथा प्रदेशों की स्थापना की व्यवस्था की गई है। आसाम के राज्यपाल को राष्ट्रपति की ओर से इन क्षेत्रों का काम सौंपा गया है और इन जिलों तथा प्रदेशों के लिए परिषदें बनाने का अधिकार दिया गया है। इन परिषदों को अपने-अपने क्षेत्र के प्रशासन के लिए स्वयं नियम बनाने, कुछ मामलों में कानून बनाने, मुकदमों और विवादों की सुनवाई के लिए ग्राम-न्यायालय गठित करने, जिले और प्रादेशिक कोष का प्रशासन करने तथा स्कूल, दवाखाने, बाजार आदि स्थापित करने के अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकार भी दिये गये हैं। आसाम के राज्यपाल को स्वायत्तशासी जिलों तथा प्रदेशों के प्रशासन की जाँच-पड़ताल करने तथा उनके सम्बन्ध में प्रतिवेदन देने के लिए एक आयोग नियुक्त करने का भी अधिकार दिया गया है। उत्तर-पूर्व सीमान्त-प्रदेश तथा त्वेनसांग-क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति की ओर से आसाम का राज्यपाल करता है।*

विशेष अधिकारी—अनुच्छेद ३३८ में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अधिकारी नियुक्त किये जाने की व्यवस्था है। संविधान के अनुच्छेद ३५० (ख) के अन्तर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए भी एक अन्य विशेष अधिकारी की नियुक्ति करने की व्यवस्था है।

संविधान में संशोधन

अनुच्छेद ३६८ में यह व्यवस्था है कि संविधान में संशोधन संसद् के किसी भी सदन में इस उद्देश्य का विधेयक प्रस्तुत करके ही किया जा सकता है। यदि प्रत्येक सदन उपस्थित सदस्यों में कम-से-कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत तथा मतदान से ऐसे विधेयक को पास कर दें, तो उसके बाद वह स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित किया जायगा तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर ही संविधान संशोधित माना जायगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति का चुनाव, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, केन्द्र तथा राज्यों के बीच कानून बनने के अधिकारों का वितरण, संसद् में राज्यों का प्रतिनिधित्व तथा संविधान में संशोधन करने की विधि—इनके बारे में संशोधन करने के लिए राज्यों के कम-से-कम आधे विधान-मण्डलों द्वारा संशोधन की पुष्टि होना भी आवश्यक है।

---

* भारत के राष्ट्रपति-द्वारा २४ जनवरी, १९६१ को जारी किये गये 'नागालैण्ड (संक्रमण-कालीन व्यवस्थाएँ)-विनियम, १९६१ के अधीन नागा पहाड़ियाँ-त्वेनसांग क्षेत्र केन्द्र द्वारा प्रशासित है और 'नागालैण्ड' कहलाता है। इसे भारतीय संघ का एक पृथक् राज्य बनाने की व्यवस्था की गई है।

२६ जनवरी, १६५० ई० को संविधान लागू होने के बाद से अबतक संविधान में १६ वार संशोधन किये जा चुके हैं, जो इस प्रकार हैं—

१. संविधान (प्रथम संशोधन)-अधिनियम सन् १६५१ ई० में स्वीकृत हुआ। इसके द्वारा अनुच्छेद १५, १६, ८५, ८७, १७४, १७६, ३४१, ३४२, ३७२ और ३७५ में छोटे-मोटे परिवर्त्तन किये गये। इनके अतिरिक्त अनुच्छेद ३१ (क) और ३१ (ख) तथा अष्टम अनुसूची के बाद एक नई नवम अनुसूची जोड़ी गई। इस अधिनियम की कुछ मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं—(१) अनुच्छेद १५ (भेदभाव-निषेध) में बचाव खंड का जोड़ना, जिससे राज्य सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विशेष व्यवस्था करने में समर्थ हो; (२) अनुच्छेद १६ में खण्ड २ को बदल कर एक नया खण्ड लगाना, जिससे राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था, सौष्ठव, नैतिकता आदि तथा विदेशी राष्ट्रों के मैत्री-सम्बन्ध एवं मान-हानि या किसी अपराध के लिए उत्तेजना देने के सम्बन्ध में नागरिकों के वाक्-स्वातन्त्र्य एवं अभिव्यक्ति-स्वातन्त्र्य पर उचित रोक लगाने में राज्य की शक्ति का विस्तार हो।

२. संविधान (द्वितीय संशोधन)-अधिनियम १६५२ द्वारा १६५१ की जनगणना में भारत की जनसंख्या की वृद्धि के आधार पर संसद् की लोकसभा में प्रतिनिधित्व का अनुपात ठीक करने के लिए अनुच्छेद ८१ का संशोधन किया गया।

३. संविधान (तृतीय संशोधन)-अधिनियम सन् १६५४ ई० में स्वीकृत हुआ। इसके द्वारा सप्तम अनुसूची में समवर्त्ती सूची की प्रविष्टि ३३ को बदल दिया गया है और इसके अन्तर्गत खाद्यान्न, चारा, रूई और जूट को भी अतिरिक्त वस्तु के रूप में सम्मिलित किया गया है। जनहित के लिए उपयुक्त होने पर इनके उत्पादन और संभरण को केन्द्रीय सरकार नियंत्रित कर सकती है।

४. संविधान (चतुर्थ संशोधन)-अधिनियम १६५५ द्वारा अनुच्छेद ३१, ३१ (क) और ३०५ का संशोधन किया गया तथा नवीं अनुसूची में कुछ अतिरिक्त बातें जोड़ी गईं। अनुच्छेद ३१ (२) के संशोधन द्वारा यह उपबन्ध रखा गया है कि यदि राज्य सार्वजनिक हित की दृष्टि से कोई निजी सम्पत्ति अनिवार्य रूप से अधिकृत करे, तो अधिकार-दाता विधान द्वारा निर्धारित क्षति-पूर्त्ति का मान-सम्बन्धी प्रश्न किसी न्यायालय में नहीं उठाया जा सकता।

५. संविधान (पंचम संशोधन)-अधिनियम १६५५ के द्वारा संविधान के अनुच्छेद ३ के अंतर्गत यह उपबन्ध रखा गया है कि किसी नये राज्य के निर्माण या किसी राज्य के क्षेत्रफल, सीमा या नाम में परिवर्त्तन के उद्देश्य से सम्बद्ध विधेयक संसद् में तवतक नहीं पेश किया जा सकता, जबतक राष्ट्रपति को सम्बद्ध राज्यों के विधानमंडलों के विचार का निश्चय न हो जाय। इस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया कि वह राज्य-विधान-मण्डलों के लिए अपने विचार प्रेषित करने की समय-सीमा निर्धारित कर दें तथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात् ही विधेयक संसद् में पेश हो।

६. संविधान (षष्ठ संशोधन)-अधिनियम १६५६ में स्वीकृत किया गया। इसके द्वारा सप्तम अनुसूची की संघीय सूची में एक नई प्रविष्टि ८२ (क) जोड़ी गई। इसका सम्बन्ध अन्तरराज्यीय व्यवहार के क्रम में वस्तुओं के क्रय-विक्रय पर लगनेवाले कर तथा एतद्विषयक अनुच्छेद २६६ और २८६ के खण्डों से है।

७. संविधान (सप्तम संशोधन)-अधिनियम १९५६ द्वारा न केवल नये राज्यों की स्थापना हुई अथवा राज्यों की सीमाओं में फेर-बदल हुआ, वल्कि राज्यों के वर्गीकरण की प्रथा का भी अंत कर दिया गया और कुछ क्षेत्रों को संघीय क्षेत्र घोषित कर दिया गया।

८. संविधान (अष्टम संशोधन)-अधिनियम १९५९ के अंतर्गत लोकसभा तथा राज्यों की विधान-सभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए स्थान सुरक्षित रखने तथा आंग्लभारतीय जातियों के प्रतिनिधियों को नाम-निर्दिष्ट करने की अवधि २६ जनवरी, १९६० से १० वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है।

९. संविधान (नवम संशोधन)-अधिनियम १९६० द्वारा संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर दिया गया है, जिससे सितम्बर, १९५८ ई० में भारत तथा पाकिस्तान की सरकारों के बीच हुए करारों के अनुसार पश्चिमी बंगाल का बेरूबारी-क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान को हस्तान्तरित किये जा सकें।

१०. संविधान (दशम संशोधन)-अधिनियम १९६१, १४ अगस्त को स्वीकृत हुआ। इसके द्वारा सर्वसम्मति से पुर्त्तगाल-अधिकृत क्षेत्र दादरा और नागर हवेली का भारत में विलयन किया गया।

११. संविधान (एकादश संशोधन) अधिनियम १९६१, ५ दिसम्बर को स्वीकृत हुआ। तदनुसार उपयुक्त निर्वाचक-मंडल के किसी स्थान के रिक्त होने के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन उपाहृत नहीं किया जा सकता, अर्थात् उसे चुनौती नहीं दी जा सकती।

१२. संविधान (द्वादश संशोधन)-अधिनियम १४ मार्च, १९६२ ई० में स्वीकृत हुआ। इसके अनुसार पुर्त्तगाल-अधिकृत क्षेत्र गोआ, दामन और दिउ को संविधान की प्रथम अनुसूची में दर्ज कर उन्हें केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्र बनाया गया। इस क्षेत्र को लोक-सभा में दो स्थान दिये गये और यह क्षेत्र बम्बई उच्च न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत रखा ग.ा।

१३. संविधान (त्रयोदश संशोधन)-अधिनियम सितम्बर, १९६२ ई० में स्वीकृत हुआ। इसके द्वारा नागालैंड भारत का १६वाँ राज्य बनाया गया। इसके अन्तर्गत कोहिमा, मौकाक चुंग और तुएनसाँग जिले रखे गये। ये सब मिलकर पहले उत्तर-पूर्वी सीमान्त एजेन्सी के अन्दर एक कमिश्नरी के रूप में थे।

१४. संविधान (चतुर्दश संशोधन)-अधिनियम भी सितम्बर, १९६२ ई० में ही स्वीकृत हुआ। इसके द्वारा दिल्ली के अतिरिक्त शेष सभी संघीय क्षेत्रों में विधान-मंडल और मंत्रिमण्डल का निर्माण करने की व्यवस्था की गई। यह व्यवस्था बहुत कुछ उसी योजना के आधार पर रहेगी, जो राज्य-पुनस्संगठन के पूर्व भाग (ग) श्रेणी के कुछ राज्यों में प्रचलित थी।

१५. संविधान (पंचदश संशोधन)-अधिनियम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश-ग्रहण की आयु बढ़ाने तथा सरकारी कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कारवाई करने के सम्बन्ध में है। यह १ मई, १९६३ को स्वीकृत हुआ।

१६. संविधान (षोडश संशोधन)-अधिनियम २ मई, १९६३ ई० में स्वीकृत हुआ। इसके द्वारा भारत के किसी भाग की भारत से पृथक् होने की चेष्टा पर सख्ती से रोक लगाई गई है, जिससे भारत की एकता अक्षुण्ण रह सके।



राष्ट्रीय चिह्न, झण्डा, गीत और दिवस

राष्ट्रीय चिह्न—भारत का राष्ट्रीय चिह्न सारनाथ-स्थित अशोक के सिंह-स्तम्भ के रूप का प्रतिरूप है, जो वहाँ के संग्रहालय में सुरक्षित है। मूल रूप से यह स्तम्भ सम्राट् अशोक द्वारा उस स्थान पर स्थापित किया गया था, जहाँ भगवान् बुद्ध ने अपने शिष्यों को अष्टांग-मार्ग की दीक्षा सर्वप्रथम दी थी। इसमें चार सिंह हैं, जो स्तम्भ के शीर्ष-भाग में एक चौरस पट्टी के ऊपर एक-दूसरे की ओर पीठ किये हुए स्थित हैं। स्तम्भ के चारों ओर की इस चौरस पट्टी में एक हाथी, दौड़ता हुआ, एक घोड़ा, एक साँड़ तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियाँ हैं, जिनके बीच-बीच में घण्टीनुमा कमल के ऊपर एक चक्र है। सबसे ऊपर एक ही पत्थर से काटकर बनाया हुआ एक 'धर्मचक्र' है।

२६ जनवरी, १९५० ई० को भारत-सरकार द्वारा अपनाये गये इस राष्ट्रीय चिह्न में केवल तीन ही सिंह दिखाई पड़ते हैं। चौरस पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में एक चक्र है, जिसकी दाईं तथा बाईं ओर क्रमशः एक साँड़ और एक घोड़ा है। चिह्न के नीचे देवनागरी-लिपि में मुण्डकोपनिषद् का वाक्य—'सत्यमेव जयते' अंकित है। इसका अर्थ है—'सत्य ही जयी होता है'।

राष्ट्रीय झण्डा—आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रीय झंडा सन् १९०६ ई० में कलकत्ता में फहराया गया था। इसमें लाल, पीला और हरा—तीन रंग थे। दूसरा झण्डा भी इसी तरह का था, जिसे श्रीमती कामा आदि निष्कासित क्रान्तिकारियों ने पेरिस में फहराया था। तीसरा झण्डा सन् १९१७ ई० के होमरूल-आन्दोलन में श्रीमती ऐनीबेसेण्ट और लोकमान्य तिलक ने फहराया। चौथी बार काँगरेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्र के लिए एक तिरंगा झण्डा सन् १९२१ ई० में तैयार किया। वही झण्डा कुछ परिवर्त्तन के बाद २२ जुलाई, १९४७ ई० को भारत की संविधान-सभा द्वारा स्वीकृत हुआ। यह बराबर की तीन आयताकार पट्टियों से बना है। ऊपर की पट्टी केसरिया रंग की है, मध्य की श्वेत रंग की तथा नीचे की गहरे हरे रंग की। झण्डे की लम्बाई-चौड़ाई का अनुपात ३ और २ है। श्वेत पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र है, जो चरखे का प्रतिनिधित्व करता है। यह चक्र सारनाथ के सिंह-स्तम्भवाले धर्मचक्र की बनावट का है।

झण्डे के फहराये जाने और उचित रूप से प्रयुक्त किये जाने के लिए भारत-सरकार ने कुछ नियम निर्धारित किये हैं। इसको किसी के लिए झुकाया नहीं जा सकता तथा कोई और झण्डा या चिह्न इसके ऊपर अथवा दाईं ओर स्थान नहीं पा सकता। यदि एक ही पंक्ति में अनेक झण्डे फहराने हों, तो वे सब राष्ट्रीय झण्डे की बाईं ओर ही रहेंगे। जब अन्य झण्डों को ऊँचा फहराना हो, तब राष्ट्रीय झण्डा सबसे ऊपर रहना चाहिए।

जब एक ध्वज-दण्ड पर कई झण्डे फहराने हों, तब भी राष्ट्रीय झण्डा सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। झण्डे को लिटाकर अथवा झुकी हुई दशा में कभी न ले जाया जाय। जुलूस में यह झण्डा ध्वजवाहक के दायें कन्धे पर और सबसे आगे रहना चाहिए। यदि किसी डण्डे पर इसे सीधा या किसी खिड़की, छज्जे अथवा मकान के मुख-भाग से झुकी हुई स्थिति में फहराना हो, तो केसरिया भाग ऊपर की ओर रहना चाहिए।

सामान्यतः यह झण्डा उच्च न्यायालय, सचिवालय, जेल आदि जैसे सरकारी भवनों पर ही फहराया जाना चाहिए। भारत-गणराज्य के राष्ट्रपति तथा राज्यों के राज्यपालों के अपने-अपने निजी झण्डे हैं।

स्वतन्त्रता-दिवस, गणतन्त्र-दिवस, महात्मा गांधी का जन्म-दिवस, राष्ट्रीय सप्ताह तथा ऐसे अन्य राष्ट्रीय पर्वों पर राष्ट्रीय झण्डा, कोई भी व्यक्ति फहरा सकता है।

राष्ट्रीय गीत—विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखित 'जन-गण-मन' को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में २४ जनवरी, १९५० ई० को अपनाया गया। यह गीत सर्वप्रथम २७ दिसम्बर, १९११ ई० को कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय काँगरेस के अधिवेशन में गाया गया था। कवीन्द्र रवीन्द्र के पूरे गीत में पाँच पद हैं। इसका प्रथम पद, जिसे भारत की प्रतिरक्षा-सेनाओं ने अपना लिया है, तथा जो साधारणतया समारोहों में गाया जाता है, इस प्रकार है—

जन-गण-मन अधिनायक, जय हे
भारत-भाग्य विधाता!
पंजाब-सिन्धु-गुजरात-मराठा-द्राविड़-उत्कल-वंग
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा-उच्छल-जलधि-तरंग
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे,
गाहे तव जय-गाथा।
जन-गण-मंगलदायक, जय हे
भारत-भाग्य-विधाता!
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय हे!

राष्ट्रीय गान—राष्ट्रीय गीत को स्वीकृति देने के साथ-साथ यह भी निर्णय किया गया कि श्रीवंकिमचन्द्र चटर्जी द्वारा लिखित 'वंदे मातरम्' को भी 'जन-गण-मन' के समान ही दर्जा दिया जाय; क्योंकि स्वतंत्रता-संग्राम में 'वंदे मातरम्' जन-जन का प्रेरणा-स्रोत था। मूल रूप में यह श्रीवंकिमचन्द्र चटर्जी के सन् १८८२ ई० में प्रकाशित 'आनन्दमठ' नामक उपन्यास में छपा था। राजनीतिक रंगमंच से यह गान सर्वप्रथम सन् १८९६ ई० में भारतीय राष्ट्रीय काँगरेस के अधिवेशन में गाया गया था। इसके प्रथम पद का पाठ इस प्रकार है—

वन्दे मातरम्।
सुजलां सफलां मलयजशीतलाम्,
शस्यश्यामलां, मातरम्।
शुभ्रज्योत्स्नापुलकितयामिनीम्
फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीम्,
सुहासिनीं, सुमधुरभाषिणीम्,
सुखदां, वरदां, मातरम्।

राष्ट्रीय दिवस और राष्ट्रीय सप्ताह—भारत में राष्ट्रीय दिवस सन् १६१६ ई० के ६ अप्रैल से मनाया जाना आरम्भ हुआ। उस दिन माहात्मा गांधी ने अन्यायपूर्ण रॉलेट-बिल के विरुद्ध देशव्यापी सत्याग्रह करने की अपील की थी। उस दिन लोगों को उपवास रखना, ईश्वर-प्रार्थना करना और देश-भर में सार्वजनिक सभा कर रॉलेट-बिल के विरुद्ध एक शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करना था कि यदि इस बिल को कानून का रूप दिया गया, तो जबतक इसे वापस नहीं ले लिया जाय, तबतक इस कानून को तथा अन्य कानूनों को भी, जिन्हें पीछे निश्चित किया जायगा, मानने से नम्रतापूर्वक इनकार कर देंगे। यह पहला देशव्यापी सत्याग्रह था। इस घटना को लेकर दिल्ली, अमृतसर, गुजरानवाला, अहमदाबाद, कलकत्ता आदि कितने ही स्थानों में सरकारी दमन के कारण उपद्रव मचे। दमनकारी घटनाओं में १३ अप्रैल का अमृतसर का जालियाँवाला बाग का हत्याकांड प्रमुख था। स्वराज्य-प्राप्ति के लिए सन् १६२० ई० में असहयोग-आन्दोलन छिड़ने पर प्रतिवर्ष नियमित रूप से ६ अप्रैल को राष्ट्रीय दिवस और ६ से १३ अप्रैल तक राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाने लगा तथा स्वतन्त्रता-प्राप्ति तक नियमित रूप से सर्वत्र मनाया जाता रहा। दिवस और सप्ताह मनाने के लिए निश्चित कार्यक्रम होते थे।

स्वतन्त्रता-दिवस और गणतन्त्र-दिवस—सन् १६२६ ई० में इण्डियन नेशनल कॉंगरेस के लाहौर-अधिवेशन में कॉंगरेस का लक्ष्य पूर्ण स्वतन्त्रता घोषित किया गया। पीछे कॉंगरेस-कार्य-समिति के नियमानुसार २६ जनवरी को सारे देश के अन्दर गाँव-गाँव और नगर-नगर में सभा कर स्वतन्त्रता-सम्बन्धी एक घोषणा-पत्र पढ़ा गया। तब से प्रतिवर्ष २६ जनवरी को स्वतन्त्रता-दिवस मनाया जाने लगा। सन् १६५० ई० के इसी पुनीत दिवस को भारत का नया संविधान लागू कर भारत को स्वतन्त्र घोषित किया गया। उसके बाद प्रतिवर्ष २६ जनवरी को गणतन्त्र-दिवस और १५ अगस्त को, जिस दिन (१६४७ ई०) भारत स्वतन्त्र हुआ था, स्वतन्त्रता-दिवस मनाया जाने लगा और अब भी मनाया जा रहा है।



कार्यपालिका

केन्द्र

भारतीय संघ का प्रधान राष्ट्रपति है। संघ की सम्पूर्ण कार्यपालिका शक्ति, जिसमें प्रतिरक्षा-सेनाओं का सर्वोच्च सेनापतित्व भी सम्मिलित है, औपचारिक रूप से राष्ट्रपति में निहित है। सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किये जाते हैं। प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद् राष्ट्रपति को उसके कार्य-पालन में परामर्श तथा सहायता प्रदान करती है।

मंत्रिपरिषद् में तीन प्रकार के मंत्री होते हैं: (१) मंत्री—जो मंत्रिपरिषद् (कैबिनेट) या ... होते हैं; (२) राज्यमंत्री—जो मंत्रिमण्डल के सदस्य तो नहीं होते, किन्तु मंत्रिमंडल के फहराने ... पद के होते हैं तथा (३) उप-मंत्री। सरकारी नीतियाँ आदि बनाने का कार्य फहराना हो, ... में होता है।

जब एक

प्रशासनिक संगठन

जाना चाहिए। झण्डे ... प्रधान मन्त्री की सलाह से राष्ट्रपति निर्धारित करता है। एक यद झण्डा ध्वजवाहक के ... किसी मन्त्रालय का एक भाग अथवा एक से अधिक मन्त्रालयों सीधा या किसी खिड़की, ... की सहायता के लिए प्रायः उप-मंत्री भी नियुक्त किये जाते हैं। तो केसरिया भाग ऊपर की ओर

मन्त्रालय के मुख्य प्रशासन-पदाधिकारी को सचिव कहते हैं, जो मन्त्रालय के प्रशासन तथा नीति-सम्बन्धी सभी मामलों में मन्त्री के मुख्य सलाहकार के रूप में काम करता है। प्रत्येक मन्त्रालय-विभागों, शाखाओं तथा अनुभागों में विभाजित होता है, जिनका कार्य-संचालन क्रमशः उप-सचिव (डिप्टी सेक्रेटरी), अवर-सचिव (अण्डर सेक्रेटरी) तथा अनुभागाधिकारी (सेक्शन-ऑफिसर) के अधीन होते हैं।

संगठन तथा प्रक्रिया-विभाग—मार्च, १६५४ ई० में स्थापित संगठन तथा प्रक्रिया-विभाग का मुख्य कार्य प्रशासनिक सुधारों के प्रति कार्यालयों में चेतना पैदा करना, इनमें समन्वय स्थापित करना और नई परियोजनाओं का कार्य आरम्भ करना है। सरकार की कार्य-क्षमता में सुधार करने, संगठनों के कार्य-सम्बन्धी अध्ययनों की व्यवस्था करने तथा परियोजनाओं के व्यय में कमी करने की व्यवस्था करना इस विभाग का उद्देश्य रखा गया है।

वेतन-आयोग—केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की नौकरी की शर्तों आदि के बारे में जाँच-पड़ताल करने के लिए भारत-सरकार ने अगस्त, १६५७ ई० में एक जाँच-आयोग नियुक्त किया था। इसकी सिफारिशों के अनुसार सरकार ने ८० रु० प्रतिमास का न्यूनतम वेतन, महँगाई भत्ते का मूल वेतन में विलय, भविष्य-निधि में अनिवार्य अंशदान तथा काम करने के दिनों की संख्या में वृद्धि करने की बातों को स्वीकार कर लिया। सरकारी कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति-सम्बन्धी अनेक सिफारिशें भी स्वीकृत हुईं। सेवा-निवृत्ति की आयु ५५ से बढ़ाकर ५८ करने में सरकार ने असमर्थता प्रकट की, किन्तु सन् १६६२ ई० में उसने इस सिफारिश को स्वीकार कर लागू कर दिया। सरकार ने वेतन-आयोग की अधिकांश शेष सिफारिशों पर भी अपनी स्वीकृति की घोषणा की, जिनपर १ जुलाई, १६५६ ई० से अमल किया गया। इसके साथ-साथ सरकार ने परिवर्द्धित वेतन-स्तरों पर अमल किये जाने के लिए केन्द्रीय असैनिक सेवाएँ (परिवर्द्धित वेतन)-नियम, १६६० भी लागू किया।

राज्य

केन्द्र की भाँति राज्यों में भी संसदीय शासन-पद्धति है। प्रत्येक राज्य का संवैधानिक प्रधान 'राज्यपाल' कहलाता है। राज्य के सभी कार्यपालिका-सम्बन्धी कार्य राज्यपाल के नाम से ही किये जाते हैं। राज्यपाल के कुछ महत्त्वपूर्ण अधिकार ये हैं—राज्य के मन्त्रियों की नियुक्ति करना; उनके बीच सरकारी काम-काज का बँटवारा करना; राज्यीय विधान-मण्डल की बैठक बुलाना तथा स्थगित करना; विधान-सभा को भंग करना; क्षमा-दान तथा दण्ड में कमी करना आदि। कुछ विशेष परिस्थितियों में पास किये गये विधेयकों को छोड़कर राज्यीय विधान-मण्डल द्वारा पास किये जानेवाले शेष सभी विधेयकों को कानून का रूप देने के लिए उनपर राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है।

संगठनात्मक रूप

राज्य के सभी कार्यपालिका-सम्बन्धी कार्य यद्यपि राज्यपाल के नाम से किये जाते हैं, तथापि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका तो मन्त्रिपरिषद् होती है, जिसकी अध्यक्षता मुख्य मन्त्री करता है। परन्तु, मुख्य मन्त्री का यह कर्त्तव्य है कि वह राज्यपाल को राज्यीय मामलों के प्रशासन-सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद् के सभी निर्णयों तथा प्रस्तावित कानूनों से अवगत कराता रहे और जो जानकारी वह चाहे, उसे दे।

सरकारी कार्य-संचालन—केन्द्र की भाँति राज्यों के मन्त्रियों के बीच भी विभागों के आधार पर कार्य-विभाजन किया जाता है। प्रत्येक मन्त्री संविधान के अनुच्छेद १६६ (३) के अधीन राज्यपाल द्वारा उसमें मन्त्रालय को सौंपे गये नित्यप्रति के कार्य के लिए अन्तिम रूप से उत्तरदायी होता है। केवल नीतिविषयक मामले तथा वे मामले, जिनका सम्बन्ध एक से अधिक मन्त्रालयों से होता है अथवा जिनके सम्बन्ध में उनके बीच मतभेद पाया जाता है, मन्त्रिमण्डल अथवा मन्त्रिपरिषद् के सम्मुख उपस्थित किये जाते हैं। केन्द्रीय सरकार के मन्त्रालयों की भाँति राज्यीय मन्त्रालयों में भी सचिव होते हैं। राज्यों में मुख्य सचिवों की नियुक्ति करने की भी व्यवस्था है। राज्यों के सचिवालयों का काम-काज बहुत कुछ केन्द्रीय सचिवालय-जैसा ही होता है। सचिवों के अतिरिक्त मन्त्रालयों के अधीन कई विभागाध्यक्ष भी होते हैं।

प्रशासनिक इकाइयाँ

प्रशासन की मुख्य इकाई जिला है, जो कलक्टर तथा जिलाधीश के अधीन होता है। कलक्टर की हैसियत से यह अधिकारी राजस्व उगाहने तथा भूमि-प्रबन्ध की सब बातों (सिंचाई, कृषि और वन-सम्बन्धी प्राविधिक पहलुओं तथा पंजीकरण को छोड़कर) की व्यवस्था करने के लिए डिवीजन के प्रधान 'कमिश्नर' अथवा राजस्व-मण्डल (बोर्ड ऑफ रेवेन्यु) के प्रति तथा उसके माध्यम से सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है। जिलाधीश के रूप में वह जिले में शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने और उसके उच्च प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है। इस कार्य के लिए जिले में कलक्टर के अधीन एक पुलिस-विभाग होता है, जिसका प्रधान अधिकारी 'पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट' कहलाता है। असिस्टेण्ट अथवा-डिप्टी कलक्टरों और मजिस्ट्रेटों के अतिरिक्त उसकी सहायता के लिए एक्जीक्युटिव इंजीनियर तथा वन-अधिकारी जैसे कई अन्य जिला-अधिकारी भी होते हैं।

कुछ राज्यों में जिले कई सब-डिवीजनों में बँटे हुए होते हैं, जो उप-जिलाधीशों के अधीन होते हैं। अन्य राज्यों में जिले तालुकों अथवा तहसीलों में बँटे होते हैं, जो तहसीलें तहसीलदारों अथवा मामलातदारों के अधीन होती हैं।

विभिन्न विकास-विभागों के सचिवों की एक अन्तर्विभागीय समिति के माध्यम से राज्य के मुख्यालयों के विकास-कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित किया जाता है। मुख्य सचिव अथवा आयोजन-विभाग का सचिव इस समिति का अध्यक्ष होता है। अधिकांश राज्यों में राज्यीय योजना-मण्डल स्थापित कर दिये गये हैं, जिनमें प्रमुख गैर-सरकारी व्यक्ति भी होते हैं।

स्वायत्त शासन

स्थानीय निकाय मोटे तौर पर दो प्रकार के हैं—नागरिक तथा ग्रामीण। बड़े नगरों में इन निकायों को निगम (कॉरपोरेशन) और मध्यम तथा छोटे नगरों में नगरपालिकाएँ (म्युनिसिपल कमेटियाँ अथवा म्युनिसिपल बोर्ड) कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की नित्यप्रति की आवश्यकताओं की देखभाल जिला-मण्डल अथवा तालुका-मण्डल तथा ग्राम-पंचायत करती हैं।

निगम (कॉरपोरेशन)—नगर-निगम के अध्यक्ष 'महापौर' (मेयर) कहलाते हैं, जो निगम के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं। निगम के अन्तर्गत नगर-प्रशासन का कार्य

निगम की तीन समितियाँ करती हैं। निगम की कार्यपालिका-शक्ति आयुक्त (कमिश्नर) में निहित होती है, जो विभिन्न संस्थाओं के कर्त्तव्यों का निश्चय तथा उनके काम की देखभाल करता है।

नगरपालिकाएँ—निर्वाचित अध्यक्षों से युक्त नगरपालिकाओं का कार्य-संचालन भी समितियों के द्वारा होता है। इनके नित्यप्रति के कार्य का संचालन एक कार्यपालक अधिकारी करता है।

नगरपालिकाएँ सामान्यतः सड़कों की सफाई तथा बस्ती को साफ-सुथरा रखने का कार्य करती हैं। इसके अतिरिक्त ये श्मशान-घाटों, सार्वजनिक सड़कों, शौचालयों तथा नालियों, प्राथमिक शिक्षा आदि की भी व्यवस्था करती हैं।

हाल के वर्षों में कई बड़े नगरों के सुधार तथा विस्तार के लिए सुधार-न्यास तथा नगर-योजना-निकाय (इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट एवं टाउन प्लानिंग बॉडीज) स्थापित किये गये हैं। इस दिशा में १६५६ ई० में संसद् ने 'गन्दी बस्ती (सुधार तथा उन्मूलन)-अधिनियम' पास किया।

जिलों में स्वायत्त-शासन—पंचायत-राज अथवा लोकतन्त्री विकेन्द्रीकरण की नई प्रणाली के अधीन गाँव प्रखण्ड तथा जिला-स्तरों पर अलग-अलग स्वायत्त शासन-निकाय होते हैं। कई राज्यों में जिला-बोर्डों का उन्मूलन कर दिया गया है तथा तत्सम्बन्धी कार्य इनके स्थान पर आंशिक रूप से जिला-स्तर पर जिला-परिषदों को तथा आंशिक रूप से प्रखण्ड-स्तर पर पंचायत-समितियों अथवा तालुका-मण्डलों को सौंप दिया गया है। आंध्र, आसाम, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश पंजाब, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर तथा राजस्थान में पंचायती राज की व्यवस्था लागू की जा चुकी है और शेष राज्यों में यह व्यवस्था लागू करने के लिए कानून बन चुके अथवा बनाये जा रहे हैं।

ग्राम-पंचायतें—संविधान में राज्यनीति के एक निदेशक सिद्धान्त के अनुसार राज्य का यह कर्त्तव्य है कि वह ग्राम-पंचायतों का संगठन करे तथा उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए समुचित अधिकार दे। इसके अनुसार अधिकांश राज्यों में आवश्यक कानून पास किये जा चुके हैं तथा देश के आधे से बहुत अधिक गाँवों में ग्राम-पंचायतें स्थापित कर दी गई हैं। पंचायतों का चुनाव गाँव-सभाएँ करती हैं। गाँव-सभाओं में गाँव के सभी वयस्क व्यक्ति होते हैं। पंचायतें ग्रामीणों के लिए उचित रहन-सहन-सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करती हैं। कुछ स्थानों की पंचायतें प्राथमिक शिक्षा आदि की भी व्यवस्था करती हैं।

प्रशासनिक तथा नागरिक कार्यों के अतिरिक्त ग्राम-पंचायतों में न्याय-पंचायतें भी होती हैं, जिनके पंच ग्राम-पंचायतों में से चुने जाते हैं। न्याय-पंचायतें छोटे-मोटे अपराधों का निर्णय करती हैं। वकीलों को ग्राम-पंचायतों में पैरवी करने की अनुमति नहीं है।

वित्त—स्थानीय वित के वर्त्तमान साधन ये हैं: (१) स्थानीय निकायों द्वारा लगाये जानेवाले कर; (२) स्थानीय निकायों द्वारा लगाये जानेवाले तथा उनकी ओर से राज्य-सरकार द्वारा उगाहे जानेवाले कर; (३) राज्य-सरकारों द्वारा लगाये तथा उगाहे जानेवाले करों में भाग; (४) राज्य-सरकारों द्वारा दिये जानेवाले सहायता-अनुदान तथा (५) कर-भिन्न स्रोत से होनेवाली आय।

सार्वजनिक सेवाएँ

केन्द्रीय लोक-सेवा-आयोग—केन्द्रीय लोक-सेवा-आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद ३१५ (१) के अधीन नियुक्त एक स्वतंत्र अनुविहित संस्था है। इसके अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आयोग के आधे सदस्य ऐसे व्यक्ति होने चाहिए, जो नियुक्ति के समय तक भारत-सरकार अथवा राज्य-सरकारों के पदों पर कम-से-कम दस वर्ष तक कार्य कर चुके हों। आयोग के सदस्य अपने पद पर ६५ वर्ष की आयु तक अथवा ६ वर्ष की अवधि तक रह सकते हैं। आयोग के किसी सदस्य अथवा अध्यक्ष को दुराचरण के आधार पर केवल राष्ट्रपति ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जाँच करवाने के बाद पदच्युत कर सकता है।

आयोग की स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखने के लिए संविधान की एक व्यवस्था के अनुसार इसका अध्यक्ष भारत-सकार अथवा किसी राज्य-सरकार का कोई अन्य सरकारी पद स्वीकार नहीं कर सकता। अध्यक्ष के अतिरिक्त केन्द्रीय आयोग का अन्य कोई भी सदस्य इस आयोग अथवा किसी भी राज्यीय लोक-सेवा-आयोग के अध्यक्ष-पद पर नियुक्त किया जा सकता है, किन्तु किसी अन्य सरकारी पद पर उसकी नियुक्ति नहीं हो सकती।

इस समय (अप्रैल, १९६३) आयोग के सदस्य इस प्रकार हैं—सर्वश्री बी० एन० झा (अध्यक्ष); एस० एच० जहीर; जी० एस० महाजनी; ए० टी० सेन; एम० एल० चतुर्वेदी; एम० ए० वेंकट रमण नायडू, ए० वी० रामस्वामी और बटुक सिंह।

आयोग के कार्य—संविधान के अनुच्छेद ३२० की व्यवस्था के अनुसार आयोग (१) लिखित एवं मौखिक परीक्षाओं और पदोन्नति द्वारा केन्द्रीय सरकार की सभी असैनिक सेवाओं तथा अन्य पदों के लिए उम्मीदवार चुनता है तथा (२) नियुक्ति के सम्बन्ध में सरकार को परामर्श देता है। सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक काररवाई करना, सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई हर्जाने की माँग पर सम्मति प्रकट करना आदि जैसे कार्य भी इसके अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। ऐसे मामलों में सरकार के लिए आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। परन्तु, राष्ट्रपति विनियमों की रचना करके ऐसे विषय भी निर्धारित कर सकता है, जिनके सम्बन्ध में साधारणतः अथवा किसी विशेष परिस्थिति में सरकार के लिए आयोग से परामर्श करना आवश्यक न हो। इन विनियमों को संसद् के समक्ष रखना आवश्यक है। संसद् द्वारा निर्मित कानून के अन्तर्गत केन्द्रीय लोक-सेवा-आयोग को अतिरिक्त कार्य भी सौंपे जा सकते हैं। असैनिक सेवाओं तथा केन्द्रीय सरकार के पदों की भरती के लिए परीक्षाओं की व्यवस्था करने के अतिरिक्त आयोग प्रतिरक्षा-सेवाओं के लिए परीक्षाओं की व्यवस्था करके प्रतिरक्षा-मन्त्रालय की भी सहायता करता है।

अखिलभारतीय तथा केन्द्रीय सेवाओं में भरती के लिए प्रतियोगिता-परीक्षाओं के स्तर तथा पाठ्यक्रम का निश्चय लोक-सेवा-आयोग भारत-सरकार के मन्त्रालयों तथा प्रतिष्ठित शिक्षाशास्त्रियों के साथ परामर्श करके निर्धारित करता है। इन सेवाओं की प्रतियोगिता-परीक्षाओं में बैठनेवाले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के साथ-साथ मौखिक परीक्षा भी देनी होती है। इन मौखिक परीक्षाओं की अध्यक्षता आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य करता है तथा वरिष्ठ प्रशासक तथा अन्य विशेषज्ञ इस कार्य में आयोग की सहायता करते हैं।

जिन पदों पर वर्त्तमान कर्मचारियों में से नियुक्ति नहीं की जा सकती, उनके लिए लोक-सेवा-आयोग सीधे भरती करता है। ऐसे पदों के लिए मौखिक परीक्षाओं के अवसर पर सम्बद्ध मन्त्रालय का एक प्रतिनिधि तथा मन्त्रालय से स्वतन्त्र एक-दो विशेषज्ञ भी उपस्थित रहते हैं। इसके अतिरिक्त आयोग विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से सीधे सम्पर्क स्थापित करके भी पदों के लिए उपयुक्त व्यक्ति ढूढ़ने का प्रयास करता है।

अखिलभारतीय सेवाएँ—अखिलभारतीय सेवाओं (भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस-सेवा) तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं के लिए उम्मीदवार केन्द्रीय लोक-सेवा-आयोग चुनता है। केन्द्रीय सरकार की सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का नियमन संसद् के अधिनियमों द्वारा होता है। अनुच्छेद ३११ के अधीन केन्द्र अथवा राज्य-सरकारों की किसी अखिलभारतीय सेवा अथवा असैनिक सेवा में नियुक्त कोई भी कर्मचारी किसी ऐसे अधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जा सकता, जो उसे नियुक्त करनेवाले अधिकारी के अधीन हो।

प्रशिक्षण—अखिलभारतीय सेवाओं के प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए १ सितम्बर, सन् १९५९ ई० से मसूरी में राष्ट्रीय प्रशासन-अकादेमी की स्थापना कर दी गई है, जिसमें शिमला का 'आइ० ए० एस० स्टाफ-कॉलेज' तथा दिल्ली का 'आइ० ए० एस० ट्रेनिंग-स्कूल' भी सम्मिलित हैं। इस अकादेमी में भारतीय प्रशासन-सेवा के प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। भारतीय पुलिस-सेवा के प्रशिक्षणार्थी आबू के 'केन्द्रीय पुलिस-प्रशिक्षण-कॉलेज' में प्रशिक्षण पाते हैं। अकादेमी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के उन अधिकारियों को भी प्रत्यास्मरण-पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, जिनका सेवा-काल ६ से १० वर्ष तक हो चुका है।

केन्द्रीय सचिवालय-सेवा—केन्द्रीय सचिवालय तथा इससे सम्बद्ध कार्यालयों के पदों के लिए उपयुक्त कर्मचारियों की व्यवस्था करने के उद्देश्य से सन् १९५० ई० में केन्द्रीय सचिवालय-सेवा आरम्भ की गई। आरम्भ में यह सेवा चार श्रेणियों में बँटी हुई थी : प्रथम श्रेणी—अवर-सचिव अथवा उसके समाधिकारी; द्वितीय श्रेणी—अधीक्षक (सुपरिण्टेण्डेण्ट); तृतीय श्रेणी—सहायक अधीक्षक तथा चतुर्थ श्रेणी—असिस्टेण्ट। इसके बाद इसमें 'चुनाव-श्रेणी' के नाम से एक नई श्रेणी और सम्मिलित कर दी गई, जिसमें भारत-सरकार के उपसचिव तथा उसके समान पद पर नियुक्त किये जानेवाले अधिकारी आते हैं।

द्वितीय वेतन-आयोग की सिफारिश पर द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी (अधीक्षक तथा सहायक अधीक्षक) को मिलाकार अनुभागाधिकारी की एक ही श्रेणी कर दी गई है।

औद्योगिक प्रबन्ध-समुच्चय—केन्द्रीय मन्त्रालयों के अधीन सार्वजनिक उद्योगों में वरिष्ठ प्रबन्धाधिकारियों की नियुक्ति के लिए भारत-सरकार ने १९५७ में एक औद्योगिक प्रबन्ध-समुच्चय की स्थापना की।

राज्यीय सेवाएँ—राज्यों के आधार पर ही संगठित की जानेवाली भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस-सेवा के अतिरिक्त राज्यों की अपनी-अपनी अलग असैनिक सेवाएँ भी हैं,

जो उनके शासन-क्षेत्र-सम्बन्धी विषयों के प्रशासन का कार्य करती हैं। केन्द्रीय लोक-सेवा-आयोग की भाँति राज्यों में भी राज्यीय लोकसेवा-आयोग हैं, जो अपनी-अपनी असैनिक सेवाओं के लिए कर्मचारी नियुक्त करते हैं। राज्यीय असैनिक सेवा की कार्यपालिका-शाखा (एग्जीक्यूटिव ब्रांच) राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। अन्य दो महत्त्वपूर्ण शाखाएँ हैं—राज्यीय पुलिस-सेवा तथा राज्यीय न्याय-सेवा।



विधान-मण्डल

भारत एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य है, जिसमें शासन की संसदीय पद्धति अपनाई गई है तथा प्रत्येक वयस्क नागरिक को मताधिकार प्रदान किया गया है। सम्पूर्ण प्रभुत्व अन्ततः जनता में निहित है। कार्यपालिका अपने सभी निर्णयों तथा कार्यकलापों के लिए विधान-मण्डलों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी है।

संसद्

संघीय विधान-मण्डल को 'संसद्' कहते हैं। इसके अन्तर्गत राष्ट्रपति और दो सभाएँ होती हैं—राज्य-सभा और लोक-सभा।

राज्य-सभा—नियमतः राज्य-सभा के सदस्य २५० से अधिक नहीं हो सकते। इनमें १२ राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं और शेष निर्वाचन से आते हैं। वर्त्तमान राज्य-सभा के सदस्यों की कुल संख्या २३६ है, जिनमें से २२४ राज्यों में तथा संघीय क्षेत्रों के निर्वाचित प्रतिनिधि और १२ राष्ट्रपति द्वारा कला, विज्ञान आदि के क्षेत्रों से नाम-निर्दिष्ट किये गये हैं।

लोक-सभा—वर्त्तमान लोक-सभा की कुल सदस्य-संख्या ५०६ है, जिनमें ५०० सदस्य पन्द्रह राज्यों और दिल्ली, हिमाचल-प्रदेश, मणिपुर तथा त्रिपुरा के चार संघीय क्षेत्रों द्वारा सीधे चुने गये हैं। इनमें जम्मू और कश्मीर से ६ सदस्य वहाँ के विधान-मंडल के अभिस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट होते हैं। ६ सदस्य आंग्ल-भारतीयों, छठी अनुसूची के भाग 'ख' वाले क्षेत्रों, अन्दमान तथा निकोबार-द्वीपसमूह और लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा अमीनदीवी-द्वीपसमूह, दादरा और नागर हवेली तथा गोआ, डामन और दिउ के संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये गये हैं।

संसद् में विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या तथा लोक-सभा में राजनीतिक दलों का बल :

राज्य तथा संघीय क्षेत्र	राज्य-सभा	लोक-सभा								
		कुल संख्या	काँगरेस	प्रजा समाज	समाज वादी	कम्यु०	जन-संघ	स्वतंत्र पार्टी	अन्य*	निर्दलीय
असम	७	१२	९	२	—	—	—	—	१	—
आन्ध्रप्रदेश	१८	४३	३३	—	—	८	—	२	—	—
उड़ीसा	१०	२०	१४	१	१	—	—	४	—	—
उत्तरप्रदेश	३४	८६	६१	२	२	२	६	५	४	४
केरल	९	१८	६	—	—	८	—	—	३	१
गुजरात	११	२२	१५	१	—	—	—	५	१	—
जम्मू-कश्मीर	४	६	—	—	—	—	—	—	६	—
पंजाब	११	२२	१४	—	१	—	३	३	—	१
पश्चिम बंगाल	१६	३६	२२	—	—	९	—	—	४	१
बिहार	२२	५३	४०	२	१	१	—	६	३	—
मद्रास	१८	४१	३०	—	—	२	—	१	८	—
मध्यप्रदेश	१६	३६	२४	३	१	१	३	—	१	३
महाराष्ट्र	१९	४४	४१	१	—	—	—	—	—	२
मैसूर	१२	२६	२५	—	—	—	—	—	१	—
राजस्थान	१०	२२	१४	—	—	—	१	३	१	३
दिल्ली	३	५	५	—	—	—	—	—	—	—
मणिपुर	१	२	१	—	१	—	—	—	—	—
हिमाचल-प्रदेश	२	४	४	—	—	—	—	—	—	—
त्रिपुरा	१	२	—	—	—	२	—	—	—	—
कुल योग	२२४	५००	३५८	१२	७	३३	१३	२९	३३	१५

* अन्य राजनीतिक पार्टियाँ विभिन्न राज्यों में इस प्रकार हैं : आसाम—ऑल पार्टी हिल लीडर्स कान्फ्रेन्स १; बिहार—झारखंड ३ (अब काँगरेस में विलीन); गुजरात—महागुजरात जनता-परिषद् १; जम्मू-कश्मीर—नेशनल कान्फ्रेन्स ६; केरल—मुस्लिम लीग २, रिवोल्युशनरी सोशलिस्ट पार्टी १; मध्यप्रदेश—रामराज्य-परिषद् १; मद्रास—द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम ८; मैसूर—लोकसेवा-संघ १; राजस्थान—रामराज्य-परिषद् १; उत्तरप्रदेश—रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया ३, हिन्दू-महासभा १; पश्चिम बंगाल—फारवर्ड ब्लाक १, रिवोल्युशनरी सोशलिस्ट पार्टी १, इनडिपेण्डेण्ट डिमोक्रैटिक पार्टी १, लोक सेवक-संघ १।

संसद् के पदाधिकारी—संसद् के पदाधिकारियों में राज्य-सभा के सभापति और उप-सभापति तथा लोक-सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष प्रमुख हैं। अपने-अपने सदन की कार्यवाहियों की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त ये पदाधिकारी उनके विशेषाधिकारों के संरक्षक भी हैं। सदनों के नियमों आदि की व्याख्या भी वही करते हैं। लोक-सभा का अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता भी करता है। संसद् के वर्तमान मुख्य पदाधिकारी ये हैं—

राज्य-सभा के सभापति	....	...	डॉ० जाकिर हुसेन
राज्य-सभा के उपसभापति	....	....	वायलेट अल्वा (श्रीमती)
लोक-सभा के अध्यक्ष	....	...	हुकम सिंह
लोक-सभा के उपाध्यक्ष	....	...	एस० वी० कृष्णमूर्त्ति राव

संसद् के कार्य तथा अधिकार:—देश के लिए कानून बनाना तथा सरकार की आवश्यकताओं और राष्ट्र की सेवाओं के लिए आवश्यक वित्त की व्यवस्था करना संसद् के मुख्य कार्य हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद् के दोनों सदन एक निर्वाचक-मण्डल के अंग माने जाते हैं तथा उप-राष्ट्रपति का चुनाव इन्हीं दोनों सदनों के सदस्यों का संयुक्त निर्वाचक-मण्डल करता है। मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से लोक-सभा के प्रति उत्तरदायी है और यही सदन मन्त्रियों के वेतन तथा भत्तों की स्वीकृति देता है। लोक-सभा सरकार के बजट को अथवा उसके किसी अन्य बड़े वैधानिक प्रस्ताव को पास करने से इनकार करके अथवा अविश्वास का प्रस्ताव पास करके मन्त्रिपरिषद् को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य कर सकती है।

प्रत्येक कानून के लिए संसद् के दोनों सदनों की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। यद्यपि वित्त-सम्बन्धी सभी प्रकार के कानूनों की सिफारिश राष्ट्रपति द्वारा की जानी चाहिए, तथापि अनुदानों, कर-सम्बन्धी प्रस्तावों तथा विनियोजनों की स्वीकृति केवल लोक-सभा ही दे सकती है। संसद् को सार्वजनिक समस्याओं पर विचार करने तथा सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। संकटकालीन परिस्थितियों में संसद् को राज्य-सूचीवाले विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। इसके अतिरिक्त संविधान में संशोधन करने, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव-आयुक्त और लेखा-नियन्त्रक तथा महालेखा-परीक्षक को पदच्युत करने के अधिकार केवल संसद् को ही प्राप्त हैं।

संसद् की कार्य-विधि—दोनों सदनों की कार्यवाही संविधान के अनुच्छेद ११८ में निर्धारित कार्य-विधि तथा कार्यसंचालन-सम्बन्धी नियमों के अनुसार होती है।

धन तथा अन्य वित्तीय विधेयकों को छोड़कर, कोई भी विधेयक संसद् के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। सदन प्रत्येक प्रश्न का निर्णय उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत तथा मतदान से करते हैं, परन्तु कुछ मामलों में निर्धारित बहुमत आवश्यक होता है। संसद् का कोरम पूरा करने के लिए कुल सदस्य-संख्या के दसवें भाग का उपस्थित होना आवश्यक है।

विधेयक पारित करने की प्रक्रिया दोनों सदनों में एक-जैसी है। प्रत्येक विधेयक को क्रमानुसार इन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है: (१) पहले विधेयक को प्रस्तुत तथा प्रकाशित किया जाता है; (२) फिर उसपर सामान्य बहस होती है; (३) इसके बाद एक-एक धारा पर विचार

किया जाता है, तब (४) सदन विधेयक को पारित करता है। महत्त्वपूर्ण तथा विवादास्पद विधेयकों को पारित करने के पूर्व उन्हें किसी प्रवर-समिति अथवा संयुक्त प्रवर-समिति के पास विचारार्थ भेजा जाता है। दोनों सदनों में पारित होने के बाद विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद ही उसे कानून का रूप प्राप्त होता है। किसी मामले में दोनों सदनों के बीच असहमति होने की स्थिति में राष्ट्रपति को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने तथा उसपर मतदान लेने का अधिकार है। संयुक्त बैठक में निर्णय उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से किया जाता है।

धन-विधेयकों के लिए एक विशेष प्रकार की व्यवस्था है। धन-विधेयक केवल लोक-सभा में ही प्रस्तुत किये जा सकते हैं। लोक-सभा विधेयक को पारित करके राज्य-सभा के पास भेजती है तथा राज्य-सभा विधेयक प्राप्त होने के चौदह दिन के अन्दर-अन्दर अपनी सिफारिशों के साथ उसे लौटा देती है। इन सिफारिशों को स्वीकार करना अथवा न करना लोक-सभा की इच्छा पर निर्भर करता है।

संसदीय कार्य-विभाग—संसद् के कार्यक्रम की योजना बनाने आदि के लिए संसदीय कार्य-विभाग है। यह विभाग प्रत्येक सत्र (सेशन) का कार्यक्रम बनाता है, विभिन्न मदों की प्राथमिकता निश्चित करता है तथा प्रत्येक मद के लिए समय निर्धारित करने के सुझाव भी देता है। इसके अतिरिक्त संसद् में मन्त्रिगण सरकार की ओर से जो आश्वासन देते हैं, उनको यह विभाग सम्बद्ध मन्त्रालयों के पास कार्यान्वित करने के लिए भेजता है।

संसदीय समितियाँ—संसदीय समितियाँ संसद् के कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए नियुक्त की जाती हैं। इन समितियों के तीन वर्ग हैं—(१ पहले वर्ग में वे समितियाँ हैं, जो मुख्यतः सदन के संगठन तथा अधिकारों-सम्बन्धी कार्यों के लिए नियुक्त की जाती हैं, (२) दूसरे वर्ग में वे समितियाँ हैं, जो सदनों को कानून-निर्माण के कार्यों में सहायता प्रदान करती हैं तथा (३) तीसरे वर्ग में वे समितियाँ हैं, जिनको वित्तीय कार्य सौंपे जाते हैं। तीसरे वर्ग की समितियों में कार्यवाही-परामर्श-समिति तथा विशेषाधिकार-समिति प्रमुख हैं। इनकी बैठक के लिए इनके एक-तिहाई सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होती है तथा निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से किये जाते हैं।

कार्यपालिका पर नियन्त्रण—सामान्यतः वित्त-नियन्त्रण रखने के अतिरिक्त संसद् अपनी सार्वजनिक लेखा तथा प्राक्कलन-समितियों द्वारा सरकार के वित्त-प्रशासन का नियन्त्रण तथा देखभाल भी करती है। संसद् के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकारी नीतियों आदि पर प्रकाश डाला जाता है। इसलिए, उसपर जो बहस होती है, उसमें संसद् को सरकारी नीतियों पर विचार करने का अच्छा अवसर मिलता है। इसके अतिरिक्त कोई भी संसत्सदस्य महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक बातों के बारे में विचार करने के लिए संसद् में प्रस्ताव आदि रख सकता है। गम्भीर मामलों में निर्धारित रीति से मन्त्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास-प्रस्ताव प्रस्तुत करने की भी व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त संसत्सदस्य संवैधानिक तरीकों से सरकारी नीतियों तथा सार्वजनिक महत्त्व के मामलों पर बहस करने या उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने या शासन के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रस्ताव आदि रख सकते हैं या प्रश्न पूछ सकते हैं।

राज्यों के विधान-मण्डल

भारतीय संघ के १५ राज्यों में से १० राज्यों में दो सदनवाले तथा ५ राज्यों में एक सदनवाला विधान-मण्डल है। राज्यों की विधान-परिषदों तथा विधान-सभाओं में सदस्यों के स्थान तथा विधान-सभाओं में विभिन्न राजनीतिक दलों का बल इस प्रकार है—

राज्य और संघीय क्षेत्र	विधान-परिषदों में स्थान-संख्या	विधान-सभाएँ									
		कुल संख्या	कॉंगरेस	प्रजा समा०	समाजवादी	कम्यु०	जन-संघ	स्वतंत्र पार्टी	अन्य*	निर्द०	कुल योग
असम	—	१०५	७६	६	—	—	—	—	५	८	६८
आंध्रप्रदेश	९०	३००	१७५	—	२	५२	—	१८	—	४९	२९६
उड़ीसा	—	१४०	७७	११	—	४	—	—	३८	७	१३७
उत्तरप्रदेश	१०८	४३०	२४८	३८	२३	१४	४८	१५	१०	३१	४२७
केरल	—	१२६	६२	१८	—	२९	—	—	११	३	१२३
गुजरात	—	१५४	११३	७	—	—	—	२४	—	८	१५२
जम्मू-कश्मीर	३६	७५	—	—	—	—	—	—	७३	२	७५
पंजाब	५१	१५४	८९	—	५	९	८	३	२१	१८	१५३
पश्चिम बंगाल	७५	२५२	१५३	५	—	५०	—	—	३१	९	२४८
बिहार	९६	३१८	१८३	२९	७	१२	४	४९	२०	१२	३१६
मद्रास	६३	२०६	१३८	—	१	२	—	६	५३	५	२०५
मध्यप्रदेश	९०	२८८	१४१	३३	१४	१	४१	२	१६	३७	२८५
महाराष्ट्र	७८	२६४	२१३	९	१	६	—	—	१८	१५	२६२
मैसूर	६३	२०८	१३७	२०	१	३	—	९	१	३६	२०७
राजस्थान	—	१७६	८८	२	५	५	१४	३६	३	२२	१७५
दिल्ली	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
मणिपुर	—	३०	२२	—	३	—	—	—	—	५	३०
हिमाचल-प्रदेश	—	४१	३३	—	—	१	—	४	—	३	४१
त्रिपुरा	—	३०	१७	—	—	१३	—	—	—	—	३०
कुल योग	७५०	३,२६७	१,९६८	१७८	६२	२०१	११५	१६६	३००	२७०	३,२६०

* अन्य राजनीतिक पार्टियाँ विभिन्न राज्यों में इस प्रकार हैं; आसाम—हिल लीडर्स कान्फ्रेंस ४, रिवोल्युशनरी कम्युनिस्ट पार्टी १; बिहार—झारखंड २० (अब काँगरेस में विलीन); जम्मू और कश्मीर—नेशनल कान्फ्रेंस ७०; प्रजा-परिषद् ३; केरल—मुस्लिम लीग ११; मध्यप्रदेश—अखिल-भारतीय रामराज्य-परिषद् १०; हिन्दू-महासभा ६; मद्रास—द्रविड मुन्नेत्र कजगम ५०; फॉरवर्ड ब्लॉक ३; महाराष्ट्र—पीजेण्ट्स ऐण्ड वर्कर्स पार्टी १५; रिपब्लिकन ३; मैसूर—महाराष्ट्र एकीकरण समिति १; उड़ीसा—गणतंत्र-परिषद् ३८; पंजाब—अकाली-दल २१; राजस्थान—रामराज्य-परिषद् ३; उत्तरप्रदेश—हिन्दू-महासभा २; रिपब्लिकन ८; पश्चिम बंगाल—फॉरवर्ड ब्लॉक ३१।

संघीय क्षेत्रों में हिमाचल-प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा की विधान-सभाओं में क्रमशः ४१, ३० और ३० सदस्य हैं। नागा पहाड़ियाँ और त्वेनसांग-क्षेत्र (नागालैंड) की अन्तःकालीन विधान-सभा में ४२ तथा पांडिचेरी की विधान-सभा में ३६ सदस्य हैं।

विधान-मण्डल के पदाधिकारी—विधान-परिषद् का एक सभापति और एक उप-सभापति तथा विधान-सभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। विधान-परिषद् के सभापति तथा विधान-सभा के अध्यक्ष को वे सभी अधिकार प्राप्त हैं, जो संसद् के सभापति तथा अध्यक्ष को हैं।

कार्य—राज्यीय विधान-मण्डलों को संविधान की सातवीं अनुसूची की सं० २ में उल्लिखित विषयों पर एकमात्र अधिकार तथा सूची सं० ३ में उल्लिखित विषयों पर केन्द्र के साथ मिले-जुले अधिकार प्राप्त हैं। मन्त्रिपरिषद् राज्य की विधान-सभा के प्रति उत्तरदायी होती है तथा राज्यपाल द्वारा जारी किये गये अध्यादेशों के लिए विधान-मण्डल की स्वीकृति आवश्यक है।

कार्य-विधि—भारत के संविधान के अनुच्छेद १८८–२१२ में कार्य-संचालन, सदस्यों की अनर्हता तथा राज्यीय विधान-मण्डलों के अधिकारों और विशेषाधिकारों के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण नियमों का विवरण है। इसके अतिरिक्त संविधान ने राज्यीय विधान-मण्डलों को कार्य-विधि के लिए अपने निज के नियम बनाने के भी अधिकार दिये हैं।

राज्यों में सामान्य विधेयक तथा वित्तीय विधेयक पास करने की भी वैसी ही व्यवस्था है, जैसी केन्द्र में। पर, दोनों सदनों के बीच असहमति होने की स्थिति में संसद् की भाँति राज्यों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि विधान-सभा किसी विधेयक को विधान-परिषद् में उसके भेजे जाने की तिथि से ३ महीने के बाद द्वितीय वाचन में पारित कर देती है, तो पारित किये जाने के एक महीने के बाद वह विधेयक स्वतः कानून का रूप ले लेता है, चाहे विधान-परिषद् का निर्णय उसके पक्ष में हो अथवा विपक्ष में।

धन-विधेयक प्रस्तुत करने तथा उसपर विचार करने का अधिकार केवल विधान-सभा को है। विधान-परिषद् परिवर्त्तन के लिए केवल सुझाव ही दे सकती है—वह भी विधेयक प्राप्त होने की तिथि से १४ दिन के अन्दर-अन्दर। परन्तु, विधान-सभा उसे स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए स्वतन्त्र होती है।

विधेयकों को रोके रखना—राज्यीय विधानमण्डल द्वारा पारित किया गया कोई भी विधेयक तबतक कानून का रूप नहीं ले सकता, जबतक उसे राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त न हो जाय। स्वीकृति देने अथवा स्वीकृति रोक रखने के अलावा राज्यपाल कुछ विधेयकों को उनपर भारत के राष्ट्रपति द्वारा विचार किये जाने के लिए भी रोक रख सकता है।

कार्यपालिका पर नियन्त्रण—कार्यपालिका पर वित्तीय नियन्त्रण रखने के अधिकार का उपयोग करने के अलावा राज्यीय विधान-मण्डलों में कार्य-संचालन की सभी संसदीय पद्धतियाँ उपयोग में आती हैं। इस प्रकार, राज्य का विधान-मण्डल कार्यपालिका के नित्यप्रति के कार्य-संचालन पर निगरानी रखता है। इसकी अपनी प्राक्कलन तथा लेखा-समितियाँ भी होती हैं।



न्यायपालिका

सर्वोच्च न्यायालय—भारत का सर्वोच्च न्यायालय सम्पूर्ण देश की एकीकृत न्याय-प्रणाली का सबसे ऊँचा न्यायालय है। जहाँतक अपील सुनने के अधिकार का प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय को अन्य सभी न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों की अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त हैं। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का कर्त्तव्य न केवल केन्द्र तथा राज्यों के बीच न्यायपूर्ण स्थिति बनाये रखना है, बल्कि नागरिकों की स्वतन्त्रता की रक्षा करना भी है। इस समय सर्वोच्च न्यायालय में १३ न्यायाधीश हैं। मुख्य न्यायाधीश भुवनेश्वरप्रसाद सिंह हैं। ३१ अप्रैल, १९६३ को भारत-सरकार के विधि-अधिकारी थे : महान्यायवादी (एटर्नी जेनरल)—श्री सी० के० दफ्तरी; महावादेक्षक (सालिसिटर जेनरल)—श्री एच० एन० सन्याल; अतिरिक्त महावादेक्षक—श्री एस० वी० गुप्त।

व्याख्या के अधिकार—भारत की न्यायपालिका को कानून में परिवर्त्तन अथवा संशोधन करने का अधिकार नहीं है। यह विधान-मण्डल के अधिनियमों को रद्द करने तथा वैधानिक नीति की समीक्षा करने का भी अधिकार नहीं रखता।

किन्तु, सर्वोच्च न्यायालय का यह कर्त्तव्य है कि वह इस बात का ध्यान रखे कि देश में कानूनों का प्रशासन पूर्ण निष्पक्षता के साथ हो तथा किसी भी नागरिक को किसी भी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण में न्याय से वंचित न रखा जाय। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित प्रत्येक कानून भारत के सभी न्यायालयों के लिए निर्विवाद रूप से मान्य होता है।

न्यायाधिकार-क्षेत्र—सर्वोच्च न्यायालय को सीधे मुकदमे लेने तथा अपील सुनने का अधिकार है। केन्द्र तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच के झगड़े अथवा दो से अधिक राज्यों के पारस्परिक झगड़ों का निर्णय करने का अधिकार भी एकमात्र सर्वोच्च न्यायालय को ही प्राप्त है। इसके अतिरिक्त संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकार लागू कराने के सम्बन्ध में विस्तृत अधिकार प्रदान किये हैं। कोई भी व्यक्ति, जो समझता हो कि उसके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।

संविधान की व्याख्या का प्रश्न उठने की सम्भावनावाले मामले में उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय, जारी की गई डिग्री अथवा अन्तिम आदेश के सम्बन्ध में अथवा ऐसे दीवानी मामलों में, जिनमें झगड़े के विषय से सम्बद्ध राशि २०,००० रु० से कम न हो, अथवा जिनके निर्णय, डिग्री अथवा अन्तिम आदेश में इतनी ही राशि की सम्पत्ति के लिए दावा किया गया हो, उसी उच्च न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने पर अथवा उपर्युक्त उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रमाणित किये जाने पर कि अमुक मामले की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय अपील सुन सकता है। फौजदारीवाले मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील तभी की जा सकती है, जब उच्च न्यायालय (क) अभियुक्त को मुक्त करने के आदेश को रद्द करके उसे मृत्यु-दण्ड सुना दे, (ख) किसी मामले को किसी अधीनस्थ न्यायालय से अपने हाथों में ले ले और अभियुक्त को मृत्यु-दण्ड सुना दे अथवा (ग) यह प्रमाणित कर दे कि अमुक मामले के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त भारत के सभी न्यायालय तथा न्यायाधिकरण सर्वोच्च न्यायालय के अपील सुनने के व्यापक न्यायाधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत आ जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय भारत के किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा किसी भी मामले में दिये गये निर्णय, डिग्री, दण्ड अथवा आदेश पर अपील करने की विशेष अनुमति दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से सौंपे गये मामलों में भी परामर्श देने का विशेष अधिकार प्राप्त है।

न्यायालय का कार्य-संचालन—सर्वोच्च न्यायालय को कार्य-संचालन के लिए निज के नियम बनाने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय किसी मामले को निबटाने के लिए आवश्यक न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या निर्धारित कर सकता है तथा एक न्यायाधीशवाले तथा डिवीजन-न्यायालयों के लिए अधिकारों की व्यवस्था कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, जो सदा खुली अदालत में ही दिये जाने चाहिए, उपस्थित न्यायधीशों के बहुमत से किये जाते हैं। इस बहुमत से सहमत न होनेवाला न्यायाधीश अपना विमतवाला निर्णय दे सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अथवा वकीलों के माध्यम से मुकदमा दायर कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में तीन हजार से अधिक वकील पंजीकृत हैं।

विधि-आयोग

५ अगस्त, सन् १९५५ ई० को लोक-सभा में विधि-मन्त्री की घोषणा के अनुसार एक विधि-आयोग की नियुक्ति की गई। इस आयोग से कहा गया कि वह न्याय-प्रणाली की समीक्षा करके उसमें सुधार करने तथा उसे शीघ्रतापूर्वक निबटाये जा सकने योग्य और सस्ता बनाने तथा केन्द्र के सामान्य और महत्त्वपूर्ण अधिनियमों की परीक्षा करके उनमें संशोधन-परिवर्तन करने के सुझाव दे। आयोग को दो भागों में विभक्त कर दिया गया है। एक विभाग ने न्याय-प्रशासन में सुधार से सम्बद्ध काम हाथ में लिया तथा दूसरे विभाग ने अनुविहित कानूनों के पुनर्निरीक्षण का काम सँभाला। आयोग की अधिकांश सिफारिशों की जाँच की जा चुकी है तथा इनके सम्बन्ध में निर्णय किया जा चुका है।

न्याय-प्रशासन-सुधार-सम्बन्धी रिपोर्ट देने के साथ ही सन् १९५५ ई० में गठित विधि-आयोग समाप्त हो गया। परन्तु, अनुविहित कानूनों के पुनरीक्षण का काम जारी रखने के लिए २० दिसम्बर, १९५८ ई० को आयोग का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठित आयोग में एक अध्यक्ष (सर्वोच्च न्यायालय का अवकाशप्राप्त न्यायाधीश), तीन पूरे समय के सदस्य (उच्च न्यायालयों के दो अवकाशप्राप्त न्यायाधीश तथा भारत-सरकार के विधि-मन्त्रालय का विशेष सचिव) और दो थोड़े समय के सदस्य (वकील) हैं। केन्द्र के सामान्य तथा महत्त्वपूर्ण अधिनियमों की परीक्षा करना और उनमें परिवर्तन तथा संशोधन करने के लिए उपाय सुझाना आदि आयोग के विचारणीय विषय हैं।

आयोग, कई अधिनियमों पर, जिनमें असैनिक विधान तथा दण्ड-विधान-संहिताएँ सम्मिलित हैं, विचार कर रहा है। इसने हाल ही में ईसाइयों के विवाह तथा विवाह-विच्छेद-सम्बन्धी कानून पर अपनी रिपोर्ट दी है।

२७ अप्रैल, १९६० ई० को राष्ट्रपति के आदेशानुसार कार्यालयी भाषा-आयोग (ऑफिसियल लैंग्वेज कमीशन) की स्थापना स्थायी रूप से की गई है। इसका काम न्यायालय में व्यवहृत अँगरेजी के पारिभाषिक शब्दों तथा विभिन्न विधि-विधानों का हिन्दीकरण है।

उच्च न्यायालय

प्रत्येक राज्य के न्याय-प्रशासन में सबके ऊपर उच्च न्यायालय होता है। इस समय भारत के प्रत्येक राज्य में एक-एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था है। उच्च न्यायालयों की सूची नीचे दी जा रही है—

नाम	स्थापना-काल	क्षेत्राधिकार	स्थान
१. इलाहाबाद	१६१६	उत्तरप्रदेश	इलाहाबाद (लखनऊ में बेंच)
२. आंध्रप्रदेश	१६५४	आंध्रप्रदेश	हैदराबाद
३. आसाम	१६४८	आसाम	गौहाटी
४. बम्बई	१८६१	महाराष्ट्र	बम्बई (नागपुर में बेंच)
५. कलकत्ता	१८६१	पश्चिम बंगाल अन्दमन और निकोबार द्वीप-समूह	कलकत्ता
६. गुजरात	१६६०	गुजरात	अहमदाबाद
७. जम्मू और कश्मीर	१६२८	जम्मू और काश्मीर	श्रीनगर और जम्मू
८. केरल	१६५६	केरल, लक्कादीप, मिनिकॉय तथा अमीनदीवी द्वीप-समूह	एर्नाकुलम
६. मध्यप्रदेश	१६५६	मध्यप्रदेश	जबलपुर (इन्दौर तथा ग्वालियर में बेंच)
१०. मद्रास	१८६१	मद्रास	मद्रास
११. मैसूर	१८८४	मैसूर	बँगलोर
१२. उड़ीसा	१६४८	उड़ीसा	कटक
१३. पटना	१६१६	बिहार	पटना
१४. पंजाब	१६४७	पंजाब और दिल्ली	चंडीगढ़ (दिल्ली में बेंच)
१५. राजस्थान	१६४६	राजस्थान	जोधपुर

सामान्यतः प्रत्येक उच्च न्यायालय उस राज्य के प्रशासन का एक अंग माना जाता है, जिस राज्य में वह स्थित है; किन्तु राज्य के विधान-मण्डल को उच्च न्यायालय की रचना अथवा संगठन में परिवर्त्तन करने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल संसद् को ही प्राप्त है। इसी प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद् ही पदच्युत भी कर सकती है।

उच्च न्यायालयों को अपने न्यायाधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत सभी न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों का अधीक्षण करने का अधिकार रहता है। प्रत्येक उच्च न्यायालय को मूल अधिकार लागू करने अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए न्यायाधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति, प्राधिकारी अथवा सरकार के नाम निर्देश अथवा आदेश आदि जारी करने का अधिकार है।

अधीनस्थ न्यायालय

जिला-न्यायाधीश, जो मुख्य दीवानी न्यायालयों में न्याय-प्रशासन का कार्य करते हैं, राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से नियुक्त किये जाते हैं। राज्य की न्याय-

सेवा में अन्य नियुक्तियाँ (जिला-न्यायाधीशों को छोड़कर) राज्यपाल द्वारा राज्यीय लोक-सेवा-आयोग तथा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती हैं और न्याय-सेवा के पदाधिकारियों तथा जिला-न्यायाधीशों से नीचे के पदाधिकारियों को तैनात करने तथा उनकी पदोन्नति करने आदि का अधिकार उच्च न्यायालय में निहित है।

कुछ स्थानीय भिन्नता के अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालयों का ढाँचा तथा उनके कर्त्तव्य देश-भर में बहुत कुछ एक-से ही हैं। प्रत्येक राज्य कई जिलों में बँटा होता है, जो जिला-न्यायाधीशों की अध्यक्षता में प्रमुख दीवानी न्यायालय के न्यायाधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। उसके नीचे दीवानी न्यायालयों के विभिन्न अधिकारी होते हैं।

कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण—कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने से सम्बद्ध निदेशक सिद्धान्त के अनुसार प्रायः सभी राज्यों में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया गया है।



प्रतिरक्षा

भारत की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति है। सशस्त्र सेनाओं के प्रशासन तथा प्रयोग पर नियन्त्रण रखने का उत्तरदायित्व प्रतिरक्षा-मन्त्रालय तथा तीनों सेनाओं (स्थलसेना, जलसेना और वायुसेना) के मुख्यालयों पर है। प्रतिरक्षा-मन्त्रालय का मुख्य कार्य इस बात का निश्चय करना है कि सेना की तीनों शाखाओं की गतिविधियों तथा उनके विकास में समुचित सामंजस्य रखा जाय; नीति-विषयक जिन मामलों का निर्णय सरकार करती है, उनसे तीनों मुख्यालयों को अवगत कराया जाय और उन्हें कार्यान्वित किया जाय तथा संसद् से प्रतिरक्षा-सम्बन्धी व्यय के लिए आवश्यक वित्तीय स्वीकृति ली जाय।

संगठन

सेना की तीनों शाखाओं का कार्य-संचालन सामान्यतः सीधे तौर पर उनके अपने-अपने प्रधान सेनाध्यक्षों के नियन्त्रण में होता है। ३१ अप्रैल, १९६३ को स्थलसेनाध्यक्ष जनरल जे० एन० चौधरी, जलसेनाध्यक्ष वाइस-एडमिरल बी० एस० सोमण और वायुसेनाध्यक्ष एयर मार्शल ए० एम० इंजीनियर हैं। इनके अतिरिक्त हर शाखा में एक-एक उप-सेनाध्यक्ष भी होता है।

स्थलसेना—स्थलसेना चार कमानों में संगठित है—दक्षिणी कमान, पूर्वी कमान, पश्चिमी कमान तथा केन्द्रीय कमान। प्रत्येक कमान का मुख्य अधिकारी लेफ्टिनेण्ट जनरल के पद का एक 'जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ' होता है। प्रत्येक कमान विभिन्न क्षेत्रों में बँटी होती है तथा प्रत्येक क्षेत्र मेजर जनरल के पद के एक 'जनरल ऑफिसर कमांडिंग' के अधीन होती है। ये क्षेत्र भी उपक्षेत्रों में बँट जाते हैं और प्रत्येक उपक्षेत्र एक 'ब्रिगेडियर' के अधीन होता है।

स्थलसेना का मुख्यालय, जो दिल्ली में है, स्थलसेनाध्यक्ष के अधीन कार्य करता है। इसकी चार मुख्य शाखाएँ हैं, जिनमें प्रत्येक लेफ्टिनेण्ट-जनरल के पद के मुख्य स्टाफ अधिकारी के अधीन काम करती हैं। ये शाखाएँ हैं—'जनरल स्टाफ शाखा'; 'एड्जुटेण्ट-जनरल की शाखा';

'क्वार्टर मास्टर-जनरल की शाखा' तथा 'आर्डिनेन्स मास्टर-जनरल की शाखा'। दो अन्य शाखाएँ हैं—'इंजीनियर-इन-चीफ-शाखा' तथा 'सैनिक सचिव-शाखा' जो एक-एक मेजर जनरल के अधीन हैं।

जलसेना—जलसेना का भी मुख्यालय दिल्ली में ही है। जलसेनाध्यक्ष की सहायता के लिए चार मुख्य स्टाफ अधिकारी हैं। जलसेनाध्यक्ष के अधीन निम्नलिखित चार संकाय और प्रशासनिक कमानें (एक समुद्र पर तथा तीन तट पर) हैं—(१) फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग, भारतीय जहाजी बेड़ा, (२) फ्लैग आफिसर, बम्बई; (३) कमोडोर-इन चार्ज, कोचीन तथा (४) कमोडोर, पूर्वी तट, विशाखापत्तनम्।

भारतीय जहाजी बेड़े में इस समय आई० एन० एस० विक्रान्त (नौसेना का वायुयान-वाहक), आई० एन० एस०, मैसूर (विध्वंसक जहाज), आई० एन० एस०, दिल्ली (विध्वंसक जहाज) दो विध्वंसक स्क्वैड्रोन, आधुनिक पनडुब्बी-मार तथा हवा-मार फ्रिगेटों-सहित अनेक फ्रिगेट स्क्वैड्रन हैं। भारतीय नौसेना के लिए खासकर ब्रिटेन में तैयार किये गये नये प्रकार के फ्रिगेट ये हैं—आइ० एन० एस० ब्रह्मपुत्र, बीज, बेतवा, खुकरी, कृपाण, कुठार, तलवार, त्रिशूल आदि। पहले के आइ० एन० एस० कावेरी, कृष्णा और तीर नौसेना के कैडेट के प्रशिक्षण के लिए व्यवहार किये जा रहे हैं। अन्य तीन खान साफ करनेवाले स्क्वैड्रन के अन्तर्गत आई० एन० एस० कोंकण, करवार काकीनाड, कन्नानोर, कुडालोर, बेसिन और बिमलीपट्टम् हैं। नौसेना के लिए छोटे आकार के जहाज अब भारत में ही बनने लगे हैं। ऐसे जहाजों—आइ० एन० एस० अजय, अभय, अक्षय और ध्रुवक का निर्माण-कार्य पूरा हो चुका है।

बम्बई के, जलसेना के नावंगन में नवनिर्मित क्रुजर ग्रेविंग डॉक, जहाँ जलसेना के वायुयान-वाहक भी रखे जा सकते हैं, जनवरी, १९६२ ई० से चालू हो गया है।

वायुसेना—वायुसेनाध्यक्ष की सहायता के लिए पाँच मुख्य स्टाफ अधिकारी हैं, जिनके नियन्त्रण में वायुसेना के मुख्यालय की मुख्य शाखाएँ हैं। वायुसेना के मुख्यालय के अधीन चार बड़ी कमानें हैं, जो 'कार्यसंचालन-कमान, 'प्रशिक्षण-कमान', 'अनुरक्षण-कमान' तथा 'पूर्वी वायु-कमान' कहलाती हैं। सन् १९५२ ई० में संसद् द्वारा स्वीकृत आरक्षित तथा सहायक वायुसेना-अधिनियम के अन्तर्गत सात सहायक वायुसेना-टुकड़ियाँ स्थापित कर दी गई हैं।

वायुसेना के विमान-बेड़े के अन्तर्गत अनेक प्रकार के सामान-वाहक, युद्धक, बमवर्षक आदि विमान हैं। युद्धक विमानों में वम्पायर, तूफानी, मिस्टेरी, हण्टर, नैट आदि हैं।

सामान-वाहक विमान-बेड़े के अन्तर्गत कुछ वर्ष पूर्व मुख्यतः डाकोटा और फेयर चाइल्ड पैकेट्स थे, पर अब उनका नवीकरण हो गया है और इसके अन्तर्गत मुख्यतः एम० आई० ४, बेज, एलौटी २, हेलिकाप्टर आदि हैं। भारत-निर्मित एच० टी० २, टी० ६ और टेक्सैन वम्पायर का व्यवहार प्रशिक्षण-कार्य में हो रहा है।

प्रशिक्षण-संस्थान

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा-कॉलेज—सन् १९६० ई० में नई दिल्ली में स्थापित राष्ट्रीय प्रतिरक्षा-कॉलेज में इंगलैंड के इम्पीरियल डिफेन्स-कॉलेज की भाँति स्थल, जल तथा वायुसेना में वरिष्ठ अधिकारियों को युद्ध के सैनिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक पहलुओं तथा युद्ध-कला के उच्च निर्देशन तथा सैन्य-संचालन की विधियों का प्रशिक्षण दिया जाता है।

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा-अकादेमी—खडकवासला-स्थित राष्ट्रीय प्रतिरक्षा-अकादेमी में प्रवेश पाने के लिए केन्द्रीय लोकसेवा-आयोग की लिखित और मौखिक परीक्षाएँ पास करनी पड़ती हैं। ये परीक्षाएँ साल में दो बार होती हैं तथा १५ से १७½ वर्ष की आयु के मैट्रिक पास अविवाहित लड़के इसमें प्रवेश पा सकते हैं। प्रशिक्षण के दौरान में भी इन्हें विवाह करने की अनुमति नहीं है।

अकादेमी तीनों सेनाओं के शिक्षार्थियों के लिए ३ वर्ष के एक मिले-जुले पाठ्यक्रम की व्यवस्था करती है। इसके बाद सैन्य-शिक्षार्थी अपने-अपने सैन्यसेवा-प्रतिष्ठानों में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

प्रतिरक्षा-सेवाएँ-कर्मचारी-कॉलेज—दक्षिण भारत के विलिंगटन स्थित प्रतिरक्षा-सेवाएँ-कर्मचारी-कॉलेज में प्रतिवर्ष सेना की तीनों शाखाओं के लगभग १०० अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ का पाठ्यक्रम १० मास का है।

सशस्त्र सेना-चिकित्सा-कॉलेज—पूना-स्थित सशस्त्र सेना-चिकित्सा-कॉलेज में नये राजादिष्ट (कमीशन-प्राप्त) चिकित्सा-अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त सशस्त्र सेनाओं के चिकित्सा-अधिकारियों के लिए प्रत्यास्मरणीय पाठ्यक्रम की भी व्यवस्था है। यहाँ स्वास्थ्य, एक्स-रे, रक्त-संक्रामण आदि विषयों में विशिष्ट प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

राष्ट्रीय भारतीय सेना-कॉलेज—देहरादून-स्थित इस कॉलेज में उन विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, जो बाद में सेना में नौकरी करने के इच्छुक होते हैं।

स्थलसेना के कॉलेज तथा स्कूल—देहरादून-स्थित भारतीय सैनिक-अकादेमी स्थलसेना के अधिकारियों के प्रशिक्षण का प्रधान केन्द्र है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा-अकादेमी से उत्तीर्ण शिक्षार्थियों को सेना में नियुक्त करने के पूर्व यहाँ एक वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य लोग भी इसमें प्रवेश पा सकते हैं। पूना और मद्रास में इमरजेन्सी उम्मीदवारों के प्रशिक्षण के लिए स्कूल खोले गये हैं।

किर्की-स्थित सैनिक इंजीनियरिंग-कॉलेज में अधिकारियों तथा अन्य सैनिकों को सैनिक-इंजीनियरी का प्रशिक्षण दिया जाता है। इनके अतिरिक्त स्थलसेना के अन्य प्रमुख प्रशिक्षण-केन्द्र हैं—मऊ का स्कूल ऑफ सिग्नल्स, देवलाली का स्कूल ऑफ आर्टिलरी, मऊ का इन्फैण्टी स्कूल, जबलपुर का आर्डनैन्स स्कूल, तथा अहमदनगर का आर्मर्ड कोर सेण्टर तथा स्कूल। अन्य सैनिक प्रशिक्षण-केन्द्र और स्कूल बरेली, मेरठ, पूना, आगरा, फैजाबाद, पंचमढ़ी और ट्रिमलेवेरी में हैं।

जलसेना के प्रशिक्षण-केन्द्र—विशिष्ट प्राविधिक पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण को छोड़कर जलसेना के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण-कार्य कोचीन, बम्बई तथा विशाखापत्तनम्-स्थित जलसेना प्रशिक्षण-केन्द्रों में होता है। कोचीन-स्थित 'आइ० एन० एस० वेन्दुरुथि' तथा जलसेना का विमान-केन्द्र 'गरुड' जलसेना के मुख्य प्रशिक्षण-केन्द्र हैं। लोनावला (महाराष्ट्र)-स्थित 'आइ० एन० एस० शिवाजी' पर मैकेनिकल इंजीनियरों तथा शिल्पियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जलसेना के जामनगर-स्थित इलेक्ट्रिकल स्कूल 'आइ० एन० एस० वलसुरा' में बिजली-सम्बन्धी कार्यों का प्रशिक्षण होता है। जलसेना में भरती होनेवाले नये रंगरूटों को विशाख-पत्तनम्-स्थित 'आइ० एन० एस० सिरकार' पर प्रशिक्षण दिया जाता है। बम्बई-स्थित 'आइ०-एन० एस०' हमला में अफसरों तथा आपूर्ति और सचिवालय-शाखा के लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

वायुसेना के कॉलेज तथा स्कूल—विमान चलाने की शिक्षा ग्रहण करनेवाले चालकों को जोधपुर-स्थित वायुसेना-उड्डयन-कॉलेज तथा वायुयान-चालक-प्रशिक्षण-प्रतिष्ठान, इलाहाबाद में

एक वर्ष के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे आगे का प्रशिक्षण हैदराबाद के वायु-सेना-केन्द्र के जेट-प्रशिक्षण तथा परिवहन-प्रशिक्षण-विभागों में होता है।

कोयमुतूर-स्थित वायुसेना-प्रशासनिक कॉलेज में वायुसेना के प्रशासनिक अधिकारियों का तथा बंगलोर में स्थापित उड्डयन-चिकित्सा-स्कूल में चिकित्सा-अधिकारियों का प्रशिक्षण होता है। जलाहाली-स्थित वायुसेना-प्राविधिक कॉलेज में इंजीनियरी अधिकारियों को प्रायोगिक इंजीनियरी आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। उड्डयन-संशिक्षकों को ताम्बरम-स्थित एक स्कूल में अलग से प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। ताम्बरम् के एक दूसरे स्कूल में वायु-सैनिकों को प्राविधिक प्रशिक्षण दिया जाता है। वायु-सेना के उच्चाधिकारियों के अध्ययन के निमित्त हैदराबाद में एक स्कूल खोला गया है। आगरा-स्थित छतरी-सैनिक-प्रशिक्षण-विद्यालय में छतरी-सैनिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

प्रतिरक्षा, अनुसंधान और उत्पादन

उत्पादन में वैज्ञानिक अनुसन्धान को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सेना की तीनों शाखाओं के प्राविधिक विकास-प्रतिष्ठानों और प्रतिरक्षा-विज्ञान-संगठन को मिलाकर जनवरी, १६५८ ई० में प्रतिरक्षा-मन्त्री के वैज्ञानिक परामर्शदाता के अधीन एक अनुसन्धान और विकास-संगठन स्थापित किया गया।

सन् १६६२ ई० के मध्य में भारत-सरकार ने प्रतिरक्षा-अनुसंधान और विकास-परिषद् की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष प्रतिरक्षा-मंत्री हुए। अनुसंधान और विकास-संगठन के अधीन इस समय छोटे-बड़े ३० संस्थान हैं। नये संस्थानों में आणविक औषध-संस्थान, शरीर-विज्ञान-प्रतिरक्षा-संस्थान, प्रतिरक्षा-खाद्य-अनुसंधान-प्रयोगशाला, प्रतिरक्षा-विद्युदणु-अनुसंधान-प्रयोगशाला, कार्याध्ययन-प्रतिष्ठान आदि हैं। विभिन्न प्रतिरक्षा-संस्थानों में प्रशिक्षण लेनेवाले छात्रों को इंजीनियरिंग का सैद्धान्तिक ज्ञान कराया जाता है। ऐसे प्रशिक्षण-संस्थानों में अभी लगभग २००० छात्र हैं।

शस्त्रास्त्र के कारखाने—सन १६६१-६२ ई० में शस्त्रास्त्र के कारखानों में ४१ करोड़ रुपये मूल्य के सामान तैयार किये गये, जबकि सन् १६५६-६० ई० में २५·१४ करोड़ रुपये के और १६६०-६१ ई० में ३०·३६ करोड़ रुपये के सामान तैयार हुए थे। सन् १६६२-६३ ई० के अन्त तक ५८ करोड़ रुपये के सामान उत्पादित करने की आशा थी। मद्रास और चंडीगढ़ में और चार नये कारखाने खोलने की तैयारी हो रही है।

हिन्दुस्तान विमान-कारखाना—यह कारखाना १६५२ ई० से वायुसेना, नौसेना और उड्डयन-क्लब के उपयोग के लिए बड़े पैमाने पर विमान तैयार करता है। यहाँ ध्वनि की गति से तेज जानेवाले जेट-विमान (एच० एफ–२४) बनाये जा रहे हैं। इस तरह का पहला विमान सर्वप्रथम जुलाई, १६६१ ई० में उड़ा था। यहाँ वम्पायर जेट-विमान भी तैयार किये जाते हैं। इसने चार सीटोंवाले हल्के 'कृषक' विमान बहूद्देश्यीय 'पुष्पक' विमान और छह सिलेण्डर-पिस्टन-इंजन भी बनाना प्रारम्भ कर दिया है। इस कारखाने ने सन् १६५६ ई० में ब्रिस्टल एयरो विमान इंजिन कारखाने से ब्रिस्टल और फियस टर्बो-जेट नामक इंजिन यहाँ भी तैयार करने के लिए समझौता किया। उसी वर्ष फोलैंड एयर क्राफ्ट-कम्पनी से भी ब्रिटेन के जेट-फायटर नैट की तरह के विमान बनाने के सम्बन्ध में समझौता हुआ। फ्रांस की सुड एविएशन कम्पनी के अनुज्ञापत्र के अधीन इस कारखाने को एलोटी हेलीकॉप्टर बनाने का कार्य सौंपा गया। इस कारखाने में धातु-निर्मित सवारी डब्बे और बसों के ढाँचे भी बनाये जाते हैं।

भारतीय वायुसेना विमान-निर्माण-डिपो, कानपुर ने एवरो ७४८ बनाने का काम शुरू किया है। यह विमान सर्वप्रथम नवम्बर सन् १९६१ ई० में उड़ाया गया। यह परिवहन-विमान डकोटा का स्थान लेगा।

भारत विद्युदणु (इलेक्ट्रॉनिक्स)--बँगलोर के निकट जलाहाली-स्थित भारत-विद्युदणु-लिमिटेड में प्रारम्भिक उत्पादन-कार्य सितम्बर, सन् १९५५ ई० में आरम्भ हुआ। यहाँ रिसीवर और ट्रान्समीटर के सब प्रकार के कल-पुर्जे बनते हैं, जिनका उपयोग ऑल इंडिया रेडियो, रेलवे, स्टेट पुलिस, फायर सर्विस, मेटोरोलॉजिकल डिपार्टमेण्ट आदि में तथा सैनिक कार्यों में होता है।

विशेष कार्य

देश की रक्षा करने के अपने सामान्य कार्य के अतिरिक्त भारत की सशस्त्र सेनाएँ समय-समय पर कई अन्य आपात-कार्यों में भी हाथ बँटाती हैं। इनमें मुख्य हैं—(क) बाढ़, अकाल तथा भूचाल से पीडित व्यक्तियों की सहायता; (ख) पनबिजली तथा अन्य योजनाओं के विकास तथा आयोजन के काम आनेवाले फोटो-सर्वेक्षण; तथा (ग) बेकार भूमि का पुनरुद्धार।

स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद भारतीय सेनाओं ने कोरिया-विराम-संधि-करार तथा २० जुलाई, १९५४ ई० को जेनेवा में हुई युद्धविराम-सन्धि के अन्तर्गत स्थापित 'वियतनाम, लाओस और कम्बोडिया अन्तरराष्ट्रीय नियन्त्रण तथा अधीक्षण-सम्बन्धी आयोगों' की सिफारिशों को कार्यान्वित करने में भी सहायता दी। १६ नवम्बर, १९५६ ई० को संयुक्त राष्ट्रसंघीय आपात-सेना में सम्मिलित होने के लिए एक भारतीय सैन्य-टुकड़ी मिस्र भी भेजी गई, जहाँ उसने शान्ति-स्थापन में पर्याप्त योगदान किया। सन् १९५८ ई० में लगभग ७० सैनिक अधिकारियों ने लेबनॉन में संयुक्त राष्ट्रसंघीय पर्यवेक्षक-दल के साथ कार्य किया। कांगो में संयुक्त राष्ट्रसंघीय सेना के साथ भी भारतीय सैनिकों ने भी कार्य किये। लगभग ७०० भारतीय सैन्य कर्मचारियों के अतिरिक्त, मार्च, १९६१ ई० में लड़ाका फौजियों का एक ब्रिगेड वहाँ भेजा गया था। अक्टूबर, १९६१ ई० में यहाँ से कुछ वायुसेना के सैनिकों के साथ जेट-विमान भी भेजा गया था।

प्रतिरक्षा-व्यय

सन् १९५५-५६ ई० से सेनाओं पर जो व्यय हुआ है, उसका विवरण नीचे लिखा है—

प्रतिरक्षा (करोड़ रु०)

वर्ष	प्रचलित			अप्रचलित	व्यय	कुल
	स्थल	जल	वायु		(पूँजीगत)	
१९५५-५६ (वास्तविक)	११८	१२	२८	१४	१८	१९०
११५६-५७ (वास्तविक)	१२९	१२	३७	१४	२०	२१२
१९५७-५८ (वास्तविक)	१५९	१४	७०	१४	२३	२८०
१९५८-५९ (वास्तविक)	१४६	१६	७५	१४	२८	२७९
१९५९-६० (वास्तविक)	१८२	१४	५९	१५	३६	२६६
१९६०-६१ (वास्तविक)	१८५	१८	५३	१५	३३	३०४
१९६१-६२ (अनुमान)	२०४	१९	६०	१९	२६	३२८
१९६२-६३ (अनुमान)	२२३	१९	७८	२१	३१	३७२

सन् १९६२-६३ का प्रतिरक्षा व्यय पहले तो ३७२ करोड़ से ३७६ करोड़ किया गया; किन्तु चीन के आक्रमण के बाद इस मद के लिए और ९५ करोड़ का पूरक बजट बनाया गया।

क्षेत्रीय सेना

क्षेत्रीय सेना सर्वप्रथम अक्टूबर, सन् १९४९ ई० में संगठित की गई थी। इसका उद्देश्य देश के नवयुवकों को अवकाश के समय सैनिक प्रशिक्षण के लिए अवसर प्रदान करना है। संकट-काल में इस सेना को सशस्त्र सेनाओं की सहायता के लिए बुलाया जा सकता है।

आवश्यक योग्यता रखनेवाला १८ से ३५ वर्ष तक का कोई भी स्वस्थ पुरुष क्षेत्रीय सेना में भरती हो सकता है। क्षेत्रीय सेना दो प्रकार की है—प्रादेशिक तथा नागरिक। रंगरूटों का प्रशिक्षण प्रादेशिक सेना में ३० दिन का तथा नागरिक सेना में ३२ दिन का होता है। नागरिक सेना में प्रशिक्षण शाम को सप्ताहान्त में अथवा छुट्टियों के दिन दिया जाता है। प्रशिक्षण लेते हुए अथवा अन्य प्रकार से नियुक्त क्षेत्रीय सेना के अधिकारियों और ज्वानों को लगभग वही वेतन, भत्ता, राशन तथा चिकित्सा की सुविधाएँ दी जाती हैं, जो नियमित सेना के उसके समान पदाधिकारियों को उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें उपदान (ग्रेच्युटी), असमर्थता-पेंशन और परिवार-पेंशन भी प्रदान की जाती है। क्षेत्रीय सेना के कर्मचारी पदक, पुरस्कार आदि भी प्राप्त कर सकते हैं।

लोक-सहायक सेना

सहायक क्षेत्रीय सेना, जो सन् १९५४ ई० में राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना के रूप में पुनर्संगठित की गई थी, अब लोक-सहायक सेना कहलाती है।

भूतपूर्व सैनिकों तथा भूतपूर्व सैन्य-शिक्षार्थियों को छोड़कर १८ से ४० वर्ष तक के सभी स्वस्थ पुरुष सहायक सेना में भरती हो सकते हैं। सीमान्त-प्रदेशों में रहनेवाले लोगों को भी सैन्य-शिक्षा देने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नये रंगरूटों को ३० दिन प्रशिक्षण दिया जाता है। मई, १९५५ से दिसम्बर, १९६२ ई० तक लोक-सहायक सेनावाली योजना के अन्तर्गत १,४९५ कैम्प चलाये गये और ६,७१,२३८ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया।

राष्ट्रीय सैन्य-शिक्षार्थी-दल

इस दल में स्कूलों तथा कॉलेजों के छात्र और छात्राएँ भरती हो सकती हैं। इसमें तीन टुकड़ियाँ होती हैं : सीनियर, जूनियर और बालिका। प्रथम दोनों टुकड़ियों की स्थल, जल तथा वायुशाखाएँ हैं।

कुछ सैन्य-विद्यार्थियों को सामान्य प्रशिक्षण के अतिरिक्त विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। १ जनवरी, १९६३ ई० को इस दल में कुल ३,२८,२५० सैन्य शिक्षार्थी थे, जिनमें २,९१,६२० लड़के और ३६,६३० लड़कियाँ थीं। सन् १९६० ई० में अधिकारी-प्रशिक्षण-विभाग तथा राइफल-विभाग स्थापित किये गये। १ जनवरी, १९६३ को इस दल में राइफल का प्रशिक्षण लेनेवाले ६,९८,००० व्यक्ति तथा आफिसर ट्रेनिंग यूनिट के अन्दर ८१० व्यक्ति थे।

सहायक सैन्य-शिक्षार्थी-दल

यह दल स्कूलों के उन छात्रों तथा छात्राओं को सैनिक प्रशिक्षण देने के लिए बनाया गया है, जिन्हें राष्ट्रीय सैन्य-शिक्षार्थी-दल में प्रवेश नहीं मिलता। यह दल देश के युवकों और युवतियों में अनुशासन, देशभक्ति तथा सहयोग की भावना पैदा करने का प्रयास करता है। सन् १९६२ ई० के अन्त में सहायक सैन्य-शिक्षार्थियों की संख्या १२,७३,४४० थी।

भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण

भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी तथा गैरसरकारी नौकरियों, व्यावसायिक और प्रौद्योगिक धन्धों, कृषि-भूमि तथा परिवहन-सेवाओं में काम दिलाने के लिए प्रतिरक्षा-मंत्रालय में एक पुनर्वास-निदेशालय है। भूतपूर्व सैनिकों को कृषि की भी शिक्षा दी जा रही है, ताकि वे सामुदायिक विकास-योजनाओं में ग्रामसेवक के रूप में नियुक्त किये जा सकें। पुलिस, चौकसी तथा आबकारी-विभागों में, जहाँ सैनिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, नियुक्तियाँ करते समय भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाती है। केन्द्र तथा राज्य-सरकारों और निजी संगठनों के मिले-जुले प्रयास के फलस्वरूप विगत १२ वर्षों में १,६३,१८७ भूतपूर्व सैनिकों को काम दिलाया गया है।

'सैनिक, नाविक तथा वायुसैनिक-मण्डल' नामक एक गैर-सरकारी संगठन भी भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारवालों को उपयोगी सहायता प्रदान करने में बड़ा महत्त्वपूर्ण योग दे रहा है। मण्डल का मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा वह राज्यीय मण्डलों की गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करता है। राज्यीय मण्डल भी जिला-मण्डलों के कार्यों की देख-रेख करते हैं। उपर्युक्त मण्डल की निधि के अतिरिक्त (जिसमें से भूतपूर्व अन्ध सैनिकों को विशेष पेंशनें दी जाती हैं) कई अन्य केन्द्रीय निधियाँ भी हैं, जिनमें झण्डा-दिवस-निधि, सशस्त्र सेना-कल्याण-निधि तथा सशस्त्र सेना पुर्ननिर्माण-निधि प्रमुख हैं। इन निधियों में से भूतपूर्व सैनिकों को प्रभूत सहायता प्रदान की जाती है।

वर्त्तमान संकटकाल में प्रतिरक्षा

अक्टूबर, १९६२ ई०में चीन के आक्रमण के बाद देश में संकटकालीन स्थिति की घोषणा की गई है और देश की प्रतिरक्षा के लिए अनेक उपाय कार्य में लाये गये हैं, जिसकी विस्तृत चर्चा 'संकटकालीन स्थिति' शीर्षक अध्याय में की गई है।



शिक्षा

देश की शिक्षा का उत्तरदायित्व विशेष रूप से राज्य-सरकार पर है। भारत-सरकार का काम शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाओं में समन्वय स्थापित करना एवं उच्च शिक्षा और अनुसन्धान का तथा वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा का स्तर निश्चित करना रहता है। उच्च शिक्षा का स्तर यह विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग के माध्यम से निश्चित करती है। प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा-सम्बन्धी समन्वय की व्यवस्था अखिलभारतीय परिषदों के द्वारा की जाती है। भारत-सरकार अलीगढ़, दिल्ली, बनारस तथा विश्वभारती-विश्वविद्यालयों तथा राष्ट्रीय महत्त्व के अन्य संस्थानों के संचालन के लिए भी उत्तरदायी है। शिक्षा-सम्बन्धी केन्द्रीय परामर्शदात्री पर्षद् शिक्षा की सामान्य नीति निर्धारित करती है। पर्षद् की चार स्थायी समितियाँ हैं, जो अलग-अलग प्रारम्भिक, माध्यमिक विश्वविद्यालयीय तथा सामाजिक शिक्षा के सम्बन्ध में उद्देश्य निश्चित करती है और वर्त्तमान स्थिति को समझते हुए भविष्य के लिए योजना बनाती है। अन्य देशों के साथ तथा शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति-संगठन (यूनेस्को) जैसे अन्तरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सम्पर्क स्थापित करने की नीति के अनुसार केन्द्रीय सरकार छात्रवृत्तियाँ आदि भी देती हैं।

पिछले दस वर्षों में देश के अन्दर स्वीकृत शिक्षा-संस्थाओं एवं उनके छात्रों और शिक्षकों की संस्था तथा उनपर हुए व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है—

ईसवी-सन्	संस्थाएँ	छात्र (लाख में)	शिक्षक (लाख में)	व्यय (करोड़ रुपये में)
१६५०-५१	२,८६८,६०	२५५.४३	८.०४	११४.३८
१६५५-५६	३,६६,६४१	३३६.२४	११.०७	१८६.६६
१६६०-६१	४,७२,३६२	४७८.११	१५.०२	३३५.४६

साक्षरता—सन् १६५१ ई० की जनगणना के अनुसार भारत में पढ़े-लिखे लोगों की संख्या १६·६१ प्रतिशत थी। इनमें २४.८८ प्रतिशत पुरुष तथा ७·८७ प्रतिशत महिलाएँ थीं। सन् १६६१ ई० की जनगणना के अनुसार साक्षरों का प्रतिशत २३·७ है। भारत के विभिन्न राज्यों की साक्षरता का ब्यौरा जनसंख्या के प्रकरण में पहले ही दिया जा चुका है।

योजना तथा शिक्षा—पहली पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के विकास के लिए १ अरब ३३ करोड़ रु० की व्यवस्था थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में अनुमित व्यय-राशि २ अरब ४ करोड़ रु० की कर दी गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना में ४ अरब ८ करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

पहली पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा में ८५ करोड़, माध्यमिक शिक्षा में २० करोड़, विश्वविद्यालय की शिक्षा में १४ करोड़ और अन्य शिक्षा-सम्बन्धी योजनाओं में १४ करोड़ रुपये खर्च हुए। दूसरी योजना में इन्हीं मदों में क्रमशः ८७, ४८, ४५ और २४ करोड़ रुपये खर्च किये गये। तीसरी योजना में क्रमशः २०६, ८८, ८२ और २६ करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान है।

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की प्रगति पिछले १० वर्षों में इस प्रकार रही—

वर्ष	विद्यालयों की संख्या	छात्रों की संख्या	शिक्षकों की संख्या	प्रत्यक्ष व्यय (लाख रुपयों में)
१६५०-५१	३०३	२१,६४०	८६६	११·६८
१६५५-५६	६३०	४५,८२८	१ ८८०	२४·६६
१६५६-६०	१,३५१	१-४८,३७२	३,५०८	५·१,०६
१६६०-६१	१,६००	१,२०,७४७	४,००७	५८·४७

प्राथमिक शिक्षा

प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में केन्द्र तथा राज्य-सरकारों को परामर्श देने के लिए एक अखिलभारतीय प्राथमिक शिक्षा-परिषद् विद्यमान है। आन्ध्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, मैसूर, पंजाब और दिल्ली में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए कानून बनाये गये हैं। सन् १६६६ ई० तक

१५ लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम निश्चित किया गया है। प्राथमिक शिक्षा की प्रगति का, पिछले दस वर्षों का विवरण नीचे दिया जा रहा है—

वर्ष	स्वीकृत विद्यालय	छात्रों की संख्या	शिक्षक की संख्या	प्रत्यक्ष व्यय (करोड़ रुपयों में)
१६५०-५१	२,०६,६७१	१,८२,६३,६६७	५,३७,६१८	३६.४६
१६५५-५६	२,७८,१३५	२,२६,१६,७३४	६,६१,२४६	५३.७३
१६५६-६०	३,२०,५८६	२,५६,१८,८६४	७,३३,३८२	६६.६३
१६६०-६१	३,३०,३०४	२,६५,६८, ५५०	७,३६,५७७	७२.२१

माध्यमिक शिक्षा

केन्द्र तथा राज्य-सरकारों को माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिए एक अखिलभारतीय माध्यमिक शिक्षा-परिषद् की स्थापना की गई है। माध्यमिक शिक्षा की प्रगति का पिछले दस वर्षों का विवरण नीचे लिखे अनुसार है—

वर्ष	विद्यालयों की संख्या	छात्रों की संख्या	शिक्षकों की संख्या	प्रत्यक्ष व्यय (करोड़ रुपयों में)
१६५०-५१	२०,८८४	५२,३२,००६	२,१२,०००	३०.७४
१६५५-५६	३२,५६८	८५,२६,५०६	३,२८,१८८	५३.०२
१६५६-६०	५७,८६३	१,५७,०६,२००	५,६१,६५६	६५.६५
१६६०-६१	६६,६१६	१,८०,२६,५६४	६,३८,४१७	११०.२४

बुनियादी शिक्षा

बुनियादी शिक्षा-प्रणाली के अन्तर्गत व्यावहारिक शिक्षा के साथ-साथ बच्चों के प्राकृतिक तथा सामाजिक वातावरण पर भी ध्यान दिया जाता है। बुनियादी शिक्षा कताई, बुनाई, बागवानी बढ़ईगिरी आदि जैसे उत्पादन-कार्यों के माध्यम से दी जाती है। मार्च, १६६१ ई० तक २६.३ प्रतिशत माध्यमिक स्कूल बुनियादी शिक्षावाले स्कूलों में बदले जा चुके हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यह प्रतिशत ३५.६ तक पहुँच जाने का अनुमान है। प्रारंभिक स्कूल-अध्यापकों के प्रशिक्षण-संस्थानों को धीरे-धीरे बुनियादी शिक्षा के आधार पर संगठित किया जा रहा है।

जूनियर तथा सीनियर बुनियादी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करके निकलनेवाले विद्यार्थियों के लिए उत्तर-बुनियादी स्कूल कायम किये गये हैं। ये संस्थान मुख्यतः स्वयंसेवी संगठनों द्वारा ही स्थापित किये जाते हैं; इसलिए इनसे शिक्षा प्राप्त करके निकलनेवाले विद्यार्थियों को बाद में अपना अध्ययन आगे जारी रखने तथा नौकरी प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी। उसने बुनियादी तथा गैर-बुनियादी स्कूलों के लिए एक समान परीक्षा की योजना का सुझाव दिया है।

सन् १९५६ ई० में स्थापित राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा-संस्थान बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान एवं अध्यापकों आदि का पथ-प्रदर्शन के कार्य में लगा हुआ है।

सन् १९५०-५१ ई० में जूनियर बुनियादी स्कूलों तथा सीनियर बुनियादी स्कूलों की संख्या क्रमशः ३३,३७९ और ३५१ थी, जिनमें क्रमशः २८,४६,२४० और ६६,४८२ विद्यार्थी थे। इनपर व्यय क्रमशः ३.९४ करोड़ और २१ लाख रु० हुआ था। सन् १९६०-६१ ई० में जूनियर, सीनियर और उत्तर-बुनियादी स्कूलों की संख्या क्रमशः ६५,९५६; १४,३०९ और ३०; विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः ६४,९६,८७०, ३२,३५,६२८ और ४,३०१ तथा व्यय-राशि क्रमशः १५.९३; १२.३६ और .०४ करोड़ है।

व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा

सन् १९५०-५१ ई० में उपर्युक्त प्रकार की शिक्षा के २,३३९ संस्थान थे, जिनमें १,८७,१९४ विद्यार्थी और ११,५९८ अध्यापक थे। इनपर करीब ३ करोड़ ६६ लाख रु० व्यय हुआ। १९६०-६१ में संस्थानों, विद्यार्थियों और अध्यापकों की संख्या क्रमशः ४,१३०; ३,९८,६०९ और २६,७९६ हो गई तथा खर्च १० करोड़ ९६ लाख रुपये हुआ।

विशेष शिक्षा

विशेष शिक्षा के अन्तर्गत विकलांगों की शिक्षा, संगीत, नृत्य और ललित-कला की शिक्षा तथा प्रौढ-शिक्षा आदि की गणना है। सन् १९५०-५१ ई० में देश में इस प्रकार के ५२,८१३ संस्थान थे, जिनमें विद्यार्थियों और अध्यापकों की संख्या क्रमशः १४,०४,४४३ और १६,६८६ थी और इनपर २.३३ करोड़ रु० व्यय हुआ था। सन् १९६०-६१ ई० में इन संस्थानों, विद्यार्थियों और अध्यापकों की संख्या क्रमशः ६६,९५६; १६,८९,४९८ और ३१,६४३ हो गई, जिनपर ३ करोड़ १० लाख रुपये व्यय हुआ।

उच्चतर तथा विश्वविद्यालयीय शिक्षा

उत्तर-माध्यमिक शिक्षा कला तथा विज्ञान-कॉलेजों, व्यावसायिक शिक्षावाले कॉलेजों, विशेष शिक्षावाले कॉलेजों, अनुसन्धान-संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों द्वारा दी जाती है। जिन राज्यों में उच्चतर माध्यमिक और इण्टरमीडिएट शिक्षा-मण्डल हैं, वहाँ इण्टरमीडिएट से आगे के पाठ्यक्रमों, परीक्षाओं तथा उपाधि-वितरण आदि की व्यवस्था विश्वविद्यालयों के हाथ में है।

विश्वविद्यालयों में कतिपय विश्वविद्यालय केवल परीक्षाओं के संचालन आदि की व्यवस्था करते हैं; कुछ उपर्युक्त काम के साथ-साथ अध्यापन तथा अनुसंधान-कार्य की सुविधाएँ भी प्रदान करते हैं, और कुछ सभी प्रकार के अध्यापन-कार्य की व्यवस्था करते हैं।

अन्तर्विश्वविद्यालय-मण्डल की स्थापना सन् १९२५ ई० में हुई थी। यह विश्वविद्यालय-सम्बन्धी समस्याओं पर विचार-विमर्श करने तथा भारत के विश्वविद्यालयों द्वारा दी जानेवाली उपाधियों को परस्पर मान्यता प्रदान कराने की व्यवस्था करता है।

विश्वविद्यालयों के अलावा देश में ऐसे बहुत-से संस्थान हैं, जो उच्चतर शिक्षा प्रदान करते हैं। भारतीय कृषि-अनुसन्धान-संस्थान, दिल्ली; भारतीय विज्ञान-संस्थान, बँगलोर;

इण्डियन स्कूल ऑफ इण्टरनेशनल स्टडीज, नई दिल्ली; जामिया मीलिया इस्लामिया, नई दिल्ली; गुरुकुल काँगड़ी-विश्वविद्यालय, हरद्वार की स्थिति अन्य विश्वविद्यालय-जैसी है, यद्यपि इनकी स्थापना केन्द्रीय या राज्य-सरकार द्वारा पारित किसी अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय के रूप में नहीं हुई थी। 'वैज्ञानिक अनुसन्धान' शीर्षक अध्याय में उल्लिखित अनेक प्रयोगशालाओं और संस्थानों को अन्तरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय-मण्डल ने उच्चतर अनुसंधान-केन्द्रों के रूप में मान्यता प्रदान कर रखी है। इनके अतिरिक्त कुछ राष्ट्रीय संस्थान हैं, जैसे गुरुकुल-विश्वविद्यालय, वृन्दावन और काशी-विद्यापीठ, वाराणसी, जिनकी उपाधियों और प्रमाण-पत्रों को भारत-सरकार नियुक्ति में स्वीकृत विश्वविद्यालयों की उपाधियों और प्रमाण-पत्रों के समकक्ष मानती है।

सन् १९५०-५१ ई० में देश में २७ विश्वविद्यालय, ७ शिक्षा-मण्डल, १८ अनुसन्धान संस्थान, ६२ विशेष शिक्षा-कॉलेज, २०८ व्यावसायिक और प्राविधिक शिक्षावाले कॉलेज तथा ४९८ कला और विज्ञान-कॉलेज थे, जिनमें विद्यार्थियों और अध्यापकों की संख्या क्रमशः ४,०३,५१९ और २४,४५३ तथा व्यय-राशि १७.६८ करोड़ रु० थी। सन् १९६०-६१ ई० में ४६ विश्वविद्यालय, १३ शिक्षा-मण्डल, ४१ अनुसन्धान-संस्थान, १८० विशेष शिक्षा-कॉलेज, ८४२ व्यावसायिक और प्राविधिक शिक्षावाले कॉलेज तथा १०३४ कला और विज्ञान-कॉलेज थे, जिनमें विद्यार्थियों और अध्यापकों की संख्या क्रमशः ९,७६,९९९ और ६१,७४३ थी तथा कुल व्यय ५५·६७ करोड़ रुपया हुआ।

विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग—विश्वविद्यालय-शिक्षा-आयोग की नियुक्ति सन् १९४८ ई० में हुई थी। इसकी सिफारिशों के अनुसार सन् १९५३ ई० में विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग की स्थापना की गई। सन् १९५७ ई० में इसे स्वशासी विभाग बना दिया गया। इसे विश्वविद्यालयिक शिक्षा-सम्बन्धी अधिकांश समस्याओं तथा अध्ययन और अनुसन्धान-सम्बन्धी मानदण्डों और सुविधाओं को सुनिश्चित और समन्वित करने के कार्य सौंपे गये। विभिन्न विश्वविद्यालयों को अनुदान देने तथा विकास-योजनाओं को कार्यान्वित करने का अधिकार भी इस आयोग को प्रदान किया गया। इस समय (२० जनवरी, १९६३ ई०) श्री डी० एस० कोठारी-विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग के अध्यक्ष तथा सर्वश्री हृदयनाथ कुंजरू, बी० शिवा राय, ए० सी० जोशी, डी० सी० पवटे, पी० एन० कृपाल, बी० टी० देहेजिया, एस० आर० दास और ए० आर० वाडिया सदस्य हैं। श्रीसमुएल मथाई आयोग के सचिव हैं।

भारत के विश्वविद्यालय

क्र० सं०	नाम	स्थान	संस्थापन-काल	कॉलेज-संख्या (१९६०-६१)
१.	कलकत्ता-विश्वविद्यालय	कलकत्ता	१८५७	१२१
२.	बम्बई-विश्वविद्यालय	बम्बई	१८५७	३९
३.	मद्रास-विश्वविद्यालय	मद्रास	१८५७	१०६
४.	इलाहाबाद-विश्वविद्यालय	इलाहाबाद	१८८७	४
५.	बनारस-विश्वविद्यालय	बनारस	१९१६	१९
६.	मैसूर-विश्वविद्यालय	मैसूर	१९१६	६२
७.	पटना-विश्वविद्यालय	पटना	१९१७	१०

क्र० सं०	नाम	स्थान	संस्थापन-काल	कॉलेज-संख्या (१९६०-६१)
८.	उस्मानिया-विश्वविद्यालय	हैदराबाद	१९१८	४३
९.	अलीगढ़-विश्वविद्यालय	अलीगढ़	१९२१	१
१०.	लखनऊ-विश्वविद्यालय	लखनऊ	१९२१	१६
११.	दिल्ली-विश्वविद्यालय	दिल्ली	१९२२	२८
१२.	नागपुर-विश्वविद्यालय	नागपुर	१९२३	४३
१३.	आन्ध्र-विश्वविद्यालय	वालटेयर	१९२६	४६
१४.	आगरा-विश्वविद्यालय	आगरा	१९२७	१०३
१५	अन्नामलाई-विश्वविद्यालय	अन्नामलाई	१९२९	—
१६.	केरल-विश्वविद्यालय	त्रिवेन्द्रम्	१९३७	८२
१७.	श्रीवेंकटेश्वर-विश्वविद्यालय	तिरुपति	१९५४	२२
१८.	उत्कल-विश्वविद्यालय	कटक	१९४३	३७
१९.	सागर-विश्वविद्यालय	सागर	१९४६	४५
२०.	पंजाब-विश्वविद्यालय	चंडीगढ़	१९४७	१४१
२१.	राजस्थान-विश्वविद्यालय	जयपुर	१९४७	६८
२२.	गोहाटी-विश्वविद्यालय	गोहाटी	१९४८	३६
२३.	जम्मू एवं कश्मीर-विश्वविद्यालय	श्रीनगर	१९४८	२६
२४.	पूना-विश्वविद्यालय	पूना	१९४९	४३
२५.	रुड़की-विश्वविद्यालय	रुड़की	१९४९	—
२६.	बड़ौदा-विश्वविद्यालय	पूना	१९४९	१४
२७.	कर्नाटक-विश्वविद्यालय	धारवाड़	१९५९	३१
२८.	गुजरात-विश्वविद्यालय	अहमदाबाद	१९४९	५८
२९.	एस०एन०डी०टी० महिला-वि०वि०	बम्बई	१९५१	१०
३०.	विश्वभारती-विश्वविद्यालय	शान्ति-निकेतन	१९५१	६
३१.	बिहार-विश्वविद्यालय	मुजफ्फरपुर	१९५२	२६
३२.	यादवपुर-विश्वविद्यालय	यादवपुर	१९५५	३
३३.	सरदार वल्लभभाई-विद्यापीठ	वल्लभनगर, आनन्द	१९५५	६
३४.	कुरुक्षेत्र-विश्वविद्यालय	कुरुक्षेत्र	१९५६	१
३५.	गोरखपुर-विश्वविद्यालय	गोरखपुर	१९५७	२४
३६.	जबलपुर-विश्वविद्यालय	जबलपुर	१९५७	१९
३७.	विक्रम-विश्वविद्यालय	उज्जैन	१९५७	४७
३८.	इन्दिरा कला-संगीत-वि० वि०	खैरागढ़	१९५८	३५
३९.	वाराणसेय संस्कृत-विश्वविद्यालय	वाराणसी	१९५८	—
४०.	मराठवाड़ा-विश्वविद्यालय	औरंगाबाद	१९५८	१८
४१.	उ० प्र० कृषि-वि० वि०, पंतनगर	नैनीताल	१९६०	२
४२.	बर्दवान-विश्वविद्यालय	बर्दवान	१९६०	३२

क्रम० सं०	नाम	स्थान	संस्थापन काल	कॉलेज-संख्या १९६०-६१
४३.	कल्याणी-विश्वविद्यालय	कल्याणी	१९६०	२
४४.	भागलपुर-विश्वविद्यालय	भागलपुर	१९६०	३६
४५.	राँची-विश्वविद्यालय	राँची	१९६०	२०
४६.	कामेश्वरसिंह संस्कृत-वि० वि०	दरभंगा	१९६०	२
४७.	उत्तर बंगाल-विश्वविद्यालय	सिलीगुड़ी	१९६१	—
४८.	पंजाब कृषि-विश्वविद्यालय	लुधियाना	१९६१	४
४९.	मगध-विश्वविद्यालय	गया	१९६२	—
५०.	राजस्थान कृषि वि० वि०	—	१९६२	—
५१.	शिवाजी वि० वि०	कोल्हापुर	१९६२	—
५२.	जोधपुर-विश्वविद्यालय	जोधपुर	१९६३	—
५३.	रवीन्द्र-भारती	कलकत्ता	१९६२	—
५४.	उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी वि०वि०	भुवनेश्वर	१९६२	—

राज्यों और क्षेत्रों के अनुसार उच्चतर शिक्षा-संस्थान (१९६०-६१)

राज्य और क्षेत्र	विश्व-विद्यालय	शिक्षा-मंडल	अनुसंधान-संस्थान	कला और विज्ञान-महाविद्यालय	व्यावसायिक कॉलेज	विशेष शिक्षा-कॉलेज	कुल योग
आन्ध्र	१	१	—	६३	३३	२३	१२३
आसाम	१	—	—	३५	११	१	४८
उड़ीसा	१	१	—	२८	२०	६	५७
उत्तरप्रदेश	९	१	५	१२७	५६	११	२०९
केरल	१	—	—	४५	२६	८	८०
गुजरात	३	१	७	४७	३८	६	१०२
जम्मू-कश्मीर	१	—	—	१२	४	१०	२७
पंजाब	२	—	—	९३	४४	१	१४०
पश्चिम बंगाल	५	१	४	१२२	४९	१२	१९३
पांडिचेरी	—	—	—	२	२	—	४
बिहार	५	१	४	१०७	३३	७	१५७
मद्रास	२	१	—	५७	१५१	२०	२३१
मध्यप्रदेश	४	१	—	७३	१०३	३४	२१५
महाराष्ट्र	५	२	१५	८१	१५३	९	२६५
मैसूर	२	—	३	५२	८१	७	१४५
राजस्थान	१	२	—	५६	२२	१८	९९
दिल्ली	१	१	३	२२	१०	३	४०
मणिपुर	—	—	—	२	—	१	३
हिमाचल-प्रदेश	—	—	—	६	१	२	९
त्रिपुरा	—	—	—	२	५	१	८
पांडिचेरी	—	—	—	—	२	२	४
नागालैंड	—	—	—	१	—	—	१
कुल योग	४६	१३	४१	१०३४	८४२	१८०	२,१५६

राज्यों और क्षेत्रों के अनुसार मेडिकल, आयुर्वेदिक, पशु-चिकित्सा, इंजीनियरिंग तथा कृषि-कॉलेजों की संख्या (१९५९-६०)

राज्य	मेडिकल कॉलेज	आयुर्वेदिक कॉलेज	तिब्बी कॉलेज	पशु-चिकित्सा कॉलेज	इंजीनियरिंग कॉलेज	कृषि-कॉलेज
आन्ध्र	८	४	१	—	८	१
आसाम	२	१	—	१	२	१
उड़ीसा	३	१	—	१	१	१
उत्तरप्रदेश	५	१४	३	२	११	६
केरल	३	५	—	१	५	१
गुजरात	३	७	—	—	५	—
जम्मू और कश्मीर	१	—	—	—	१	—
पंजाब	४	४	—	२	६	१
पश्चिम बंगाल	५	६	—	१	१०	१
पांडिचेरी	१	—	—	—	—	—
बिहार	३	५	१	२	७	३
मद्रास	६	१	—	१	१२	१
मध्यप्रदेश	४	७	—	२	७	२
महाराष्ट्र	६	१५	—	१	१०	—
मैसूर	५	१०	—	१	११	१
राजस्थान	३	८	—	१	३	२
दिल्ली	३	२	२	—	१	१
मणिपुर	—	—	—	—	—	—
हिमाचल-प्रदेश	—	—	—	—	—	—
त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—

उच्च प्राविधिक शिक्षा

देश में प्राविधिक शिक्षा (इंजीनियरी तथा टेक्नोलॉजी) की सुविधाओं में पर्याप्त विस्तार रहा है। सन् १९५१ ई० में देश में इंजीनियरी और टेक्नोलॉजी की शिक्षा देनेवाले कुल ५३ डिग्री-संस्थान और ८९ डिप्लोमा-संस्थान थे। सन् १९६२ ई० में इन संस्थानों की संख्या क्रमशः ११४ और २३१ हो गई।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में आवश्यक प्राविधिक कर्मचारी प्राप्त करने के लिए भारत-सरकार ने देश के विभिन्न भागों में १९ इंजीनियरिंग-कॉलेजों तथा ८१ डिप्लोमा कोर्स के संस्थानों की स्थापना करने की एक योजना बनाई थी। इनमें से ११ और ३३ बहुधन्धी की शिक्षावाले कॉलेजों का कार्य पहले आरम्भ हो चुका था। अब इलाहाबाद तथा दिल्ली के कॉलेजों का कार्य सन् १९६१-६२ ई० में आरम्भ हो गया है। चण्डीगढ़ में स्थापत्य-कॉलेज स्थापना हुई है। कई संस्थानों में स्नातकोत्तर अध्ययन की सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है।

खड्गपुर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का कार्य सन् १९५१ ई० में आरम्भ किया गया। बम्बई तथा मद्रास के भारतीय प्रौद्योगिकी-संस्थानों में विद्यार्थियों को सबसे पहले क्रमशः सन् १९५८ ई० और सन् १९५९ ई० में प्रवेश दिया गया और कानपुर के संस्थान में सन् १९६० ई० में। इन संस्थानों के पूरा बन जाने पर प्रत्येक में १,६०० स्नातक-पूर्व छात्र और ३०० स्नातकोत्तर छात्रों की शिक्षा का प्रबन्ध हो सकेगा। दिल्ली में एक इंजीनियरी प्रौद्योगिकी कॉलेज खुल चुका है। कलकत्ता और अहमदाबाद में प्रविधि-संस्थान खोले गये हैं।

ग्रामीण उच्चतर शिक्षा

ग्रामीण उच्चतर शिक्षा के विकास-सम्बन्धी सभी मामलों पर सरकार को परामर्श देने के लिए सन् १९५६ ई० में एक राष्ट्रीय ग्रामीण उच्चतर शिक्षा-परिषद् की स्थापना हुई। परिषद् ने ग्रामीण संस्थाओं के रूप में विकसित करने के लिए १२ संस्थाएँ चुनीं, जिन्होंने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है।

समाज-शिक्षा

समाज-शिक्षा के अन्तर्गत साक्षरता, पुस्तकालयों का प्रयोग, नागरिकता की शिक्षा, सांस्कृतिक और मनोरंजन-कार्य, दृश्य-श्रव्य साधनों का उपयोग तथा सामुदायिक विकास के लिए युवक और महिला-मण्डल संगठित करने की व्यवस्था है।

समाज-शिक्षा के कार्य का प्रशिक्षण देने तथा विशिष्ट समस्याओं पर समुचित अनुसन्धान करने के लिए नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय मूलभूत शिक्षा-केन्द्र स्थापित है। दिल्ली-विश्वविद्यालय में स्थापित पुस्तकालय-संस्थान पुस्तकालयों के क्षेत्र में इसी प्रकार का कार्य करता है। भारत-सरकार भी दिल्ली-सार्वजनिक पुस्तकालय चला रही है। इन्दौर में भी श्रमिकों के लिए समाज-शिक्षा-संस्था स्थापित की गई है। जनता कॉलेज और विद्यापीठ-ग्रामीण क्षेत्रों में वयस्कों के लिए लगातार शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाएँ दे रहे हैं।

दृश्य-श्रव्य-साधन—राष्ट्रीय दृश्य-श्रव्य-शिक्षा-संस्थान की स्थापना जनवरी, १९५९ ई० में की गई। यह प्रशिक्षण, उत्पादन तथा अनुसन्धान-केन्द्र के रूप में कार्य करने के साथ-साथ दृश्य-श्रव्य-शिक्षा-सम्बन्धी जानकारी भी उपलब्ध कराता है। केन्द्रीय चलचित्र-संग्रहालय शिक्षा-संस्थाओं को चलचित्र आदि निःशुल्क उपलब्ध कराता है। अध्यापकों तथा समाज-सेवकों में दृश्य-श्रव्य साधनों के प्रति रुचि पैदा करने के उद्देश्य से एक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है।

विकलांगों की शिक्षा

मानसिक तथा शारीरिक दृष्टि से असमर्थ व्यक्तियों की शिक्षा तथा उनको काम दिलाने-सम्बन्धी समस्याओं पर परामर्श देने के लिए एक राष्ट्रीय परामर्शदात्री-परिषद् की व्यवस्था है। अन्धे, बहरे तथा विकलांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा तथा प्राविधिक या व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्तियाँ भी दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त विकलांगों के लिए विकास-कार्य चलानेवाली संस्थाओं को भी अनुदान दिया जाता है।

देहरादून के अन्धे प्रौढ़ों के प्रशिक्षण-केन्द्र में करीब १५० अन्धे व्यक्तियों को दस्तकारियों की शिक्षा दी जाती है। इस केन्द्र में एक महिला-विभाग भी खोल दिया गया है। अन्धे व्यक्तियों को काम दिलाने के लिए जुलाई, १९५४ ई० से मद्रास में एक कार्यालय चल रहा है।

अक्टूबर, १९५० ई० में देहरादून में स्थापित केन्द्रीय ब्रेल प्रेस भारतीय भाषाओं में ब्रेल-साहित्य प्रकाशित करती है। अन्धे बालकों और बालिकाओं के लिए जनवरी, १९५९ ई० से देहरादून में स्थापित एक स्कूल में किण्डरगार्टन तथा प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। हैदराबाद में वयस्क बहरों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खुला है। बम्बई, दिल्ली, हैदराबाद और मद्रास में विकलांगों को कार्य दिलाने के लिए कार्यालय खुले हैं।

हिन्दी का विकास

हिन्दी के विकास तथा प्रचार के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं—

१. पारिभाषिक वैज्ञानिक शब्द-रचना-मंडल द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ-समितियाँ ३,०३,७८७ पारिभाषिक शब्दों की रचना कर चुकी हैं।

२. आधुनिक हिन्दी के मूलभूत व्याकरण के द्वितीय अँगरेजी-संस्करण की रचना की जा रही है।

३. भारत-सरकार में नियुक्तियों के सम्बन्ध में विभिन्न संगठनों द्वारा संचालित परीक्षाओं को मान्यता दी जाने लगी है।

४. हिन्दी टंकण-यन्त्रों (टाइपराइटरों) तथा दूरमुद्रकों (टेलीप्रिंटरों) के अक्षर-फलकों का एक रूप निर्धारित कर लिया गया है।

५. हिन्दी-शीघ्रलिपि (शार्टहैंड) की एक प्रामाणिक प्रणाली तैयार की जा रही है।

६. अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में मण्डलों के आधार पर हिन्दी-अध्यापक-प्रशिक्षण-कॉलेज संगठित किये जा रहे हैं।

७. अहिन्दी-भाषी राज्यों के स्कूलों के पुस्तकालयों को हिन्दी की पुस्तकें दी जा रही हैं।

८. देश के विभिन्न स्थानों में हिन्दी के वैज्ञानिक तथा प्राविधिक साहित्य की प्रदर्शनियाँ की गईं।

९. नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा हिन्दी-विश्वकोश के रचना-कार्य में प्रगति हुई है। इस ग्रंथ के प्रथम दो खण्ड छप चुके हैं।

१०. विभिन्न विषयों के प्रामाणिक ग्रन्थ तैयार किये जा रहे हैं।

११. हिन्दी की १४ प्रामाणिक रचनाओं की पारिभाषिक शब्दावली सम्बन्धी अनुक्रमणिकाएँ तैयार करने और १६ प्रसिद्ध लेखकों की रचनाओं को प्रकाशित करने का कार्य आरम्भ किया गया है।

१२. हिन्दीभाषी तथा अहिन्दीभाषी क्षेत्रों के विद्वानों की भाषण-यात्राओं के पारस्परिक आदान-प्रदान तथा हिन्दी-शिक्षकों एवं अहिन्दी-शिक्षकों की विचार-गोष्ठियों की व्यवस्था की गई है।

१३. अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के प्रचार तथा हिन्दी-अध्यापकों के लिए पुस्तकों आदि के प्रबन्ध के लिए राज्य-सरकारों तथा स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान दिये गये।

१४. हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में पाये जानेवाले समान शब्दों की सूचियाँ तैयार की जा रही हैं।

१५. द्विभाषी और बहुभाषी शब्दकोश तैयार किये जा रहे हैं।

१६. हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में द्विभाषी वर्णमाला-पट्ट तैयार किये जा रहे हैं।

१७. प्रसिद्ध हिन्दी-ग्रन्थों पर पुरस्कार दिये जा रहे हैं।

१८. विदेशी भाषाओं की ख्यातिप्राप्त पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद किया जा रहा है।

१९. देवनागरी-लिपि का सर्वमान्य रूप निर्धारित करने का प्रयास किया जा रहा है।

२०. कला और हस्तशिल्प के शब्दों का संकलन किया जा रहा है।

२१. अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की ध्वनियों के लिए देवनागरी में संकेत-चिह्नों का विकास किया जा रहा है।

२२. विदेशियों के लिए प्रारम्भिक पाठ्य-पुस्तकें तैयार हो रही हैं।

२३. ऐसे ग्रन्थों के समीक्षात्मक एवं संशोधित संस्करण के प्रकाशन की व्यवस्था, जिनके संस्करण अप्राप्य हैं, की जा रही है।

२४. हिन्दी के प्रचार तथा विकास के लिए एक केन्द्रीय हिन्दी-निदेशालय और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की गई है। इस निदेशालय की ओर से हिन्दी में 'भाषा' नाम की एक त्रैमासिक पत्रिका भी प्रकाशित होती है।

२५. वैज्ञानिक और प्राविधिक शब्दावलियों के लिए स्थायी आयोग की स्थापना की गई है।

२६. हिन्दी में सामान्य पुस्तकों के अनुवाद और प्रकाशन की व्यवस्था की गई है।

युवा-कल्याण

युवा-कल्याण के लिए विभिन्न प्रयत्न किये गये हैं। इनमें से कुछ उल्लेखनीय कार्य ये हैं— (क) सन् १९५४ ई० से प्रतिवर्ष अन्तरविश्वविद्यालय-समारोह आयोजित किये जाते हैं तथा अन्तरकॉलेज-समारोह संगठित करने के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता दी जाती है; (ख) युवा-नेतृत्व-प्रशिक्षण-शिविर लगाये जाते हैं, जिनमें अध्यापकों को इन कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है; (ग) ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व के स्थानों की यात्रा करने के लिए युवा लोगों को किराये में रियायत तथा वित्तीय सहायता दी जाती है; (घ) देश में युवा-विश्रामगृह स्थापित करने के लिए युवा-विश्रामगृह-संस्था तथा राज्य-सरकारों को सहायता दी जाती है; (ङ) विश्व-विद्यालयों को युवा-कल्याण-मण्डल तथा समितियाँ संगठित करने के लिए सहायता दी जाती है; (च) विद्यार्थियों में शारीरिक श्रम के प्रति प्रतिष्ठा-भाव जाग्रत् करने का प्रयास किया जाता है। (छ) विद्यार्थी-भिन्न युवकों के लिए गोष्ठियों एवं केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। (ज) विश्व-विद्यालयों एवं अन्य शिक्षा-संस्थानों को व्यायामशालाएँ, तैरने के लिए जलाशय, मनोरंजन-गृह, रंगमंच आदि के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाती है। (झ) राष्ट्रीय युवा-केन्द्रों की स्थापना की जा रही है।

शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद

शारीरिक शिक्षा—शारीरिक शिक्षा की उन्नति के लिए एक राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन-योजना तैयार की गई है। इसका उद्देश्य शारीरिक शिक्षा-पाठ्यक्रम को कार्यान्वित करना, शारीरिक शिक्षा में उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियाँ देना, व्यायामशालाओं तथा अखाड़ों को सहायता प्रदान करना, शारीरिक दक्षता-सप्ताहों और समारोहों का आयोजन करना तथा शारीरिक शिक्षा-सम्बन्धी चलचित्र आदि तैयार करवाना है।

सर्वप्रथम सन् १९५७ ई० में ग्वालियर में राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा-कॉलेज स्थापित किया गया, जिसमें त्रिवर्षीय डिग्री-पाठ्यक्रम की व्यवस्था है। शारीरिक-शिक्षा-सम्बन्धी कार्यक्रमों तथा गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से एक केन्द्रीय शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन सलाहकार-मण्डल स्थापित किया गया है। शारीरिक शिक्षा-सम्बन्धी कार्यक्रमों तथा गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने के लिए एक केन्द्रीय शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन परामर्शदात्री पर्षद् कायम की गई है।

खेलकूद—खेलकूद-विषयक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए (क) राष्ट्रीय खेलकूद-संगठनों को सहायता दी जाती है, भारतीय टीमों को विदेशों में खेलने के लिए भेजा जाता है, विदेशी टीमों को भारत में आकर खेलने के लिए आमन्त्रित किया जाता है तथा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है; (ख) राजकुमारी खेलकूद-प्रशिक्षण-योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण-केन्द्र खोले जा रहे हैं तथा (ग) अधिकांश राज्यों में राज्यीय खेलकूद-परिषदें स्थापित की गई हैं। पटियाला में एक राष्ट्रीय-खेलकूद शिक्षण-संस्थान स्थापित हुआ है। अखिलभारतीय खेलकूद-परिषद् खेलकूद के विकास के सम्बन्ध में भारत-सरकार तथा खेलकूद-संघ को परामर्श देती रहती है।

राष्ट्रीय अनुशासन-योजना—जुलाई, १९५४ ई० में विस्थापित बालक-बालिकाओं के लिए शारीरिक तथा सामान्य सामाजिक शिक्षा-योजना आरम्भ की गई थी। इसका आरम्भ सर्वप्रथम दिल्ली के कस्तूरबा-निकेतन में हुआ। विभिन्न राज्यों में १३ लाख से अधिक बच्चे इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण पा रहे हैं।



सांस्कृतिक विकास

'राष्ट्रीय संस्कृति-न्यास' (ट्रस्ट) की स्थापना कला और संस्कृति की अभिवृद्धि तथा जनता में कला के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से की गई है। इन उद्देश्यों की पूर्त्ति ललित-कला-अकादेमी, संगीत-नाटक-अकादेमी तथा साहित्य-अकादेमी के माध्यम से की जाती है। अपनी सांस्कृतिक परम्पराओं के प्रति जनता को जागरूक बनाये रखने के लिए सरकार जन-सम्पर्क के उपलब्ध साधनों का भी यथाशक्य उपयोग करती है। इसके अतिरिक्त अनेक संस्थाएँ भी परम्परागत कला-कौशलों के प्रचार-प्रसार में योग दे रही हैं।

कला

ललित-कला-अकादेमी—सन् १९५४ ई० में स्थापित ललित-कला-अकादेमी ललित-कलाओं की अभिवृद्धि में योग देने के अतिरिक्त चित्रकला, मूर्त्तिकला आदि के विकास तथा पोषण के कार्यक्रम भी बनाती है। साथ ही, यह अकादेमी प्रादेशिक अथवा राज्यीय अकादेमियों की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करती है, विभिन्न कला-शैलियों के बीच विचारों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करती है तथा तत्सम्बन्धी साहित्य प्रकाशित करने के अतिरिक्त प्रदर्शनियों तथा कलाकारों और कलाकृतियों का आदान-प्रदान करके अन्तरप्रादेशिक और अन्तरराष्ट्रीय सम्पर्क स्थापित करने में योग देती है।

ललित-कला-अकादेमी प्रतिवर्ष नई दिल्ली में राष्ट्रीय कला-प्रदर्शनी का आयोजन करती है, जो बाद में विभिन्न राज्यों की राजधानियों में भी दिखाई जाती है। इसके अतिरिक्त वह भारत में प्राच्य तथा पाश्चात्य देशों की कला तथा विदेशों में भारतीय कला की प्रदर्शनियों का भी आयोजन करती है। कला की विभिन्न विधाओं के विषय में विचार-गोष्ठियों का भी समय-समय पर आयोजन किया जाता है।

ललित-कला-अकादेमी ने देश के विभिन्न भागों के कला-कौशलों का सर्वेक्षण करने का काम भी आरम्भ किया है। देश के कारीगरों, चित्रकारों और मूर्तिकारों के काम तथा जीवन की दशाओं का भी विशेष अध्ययन किया जा रहा है।

ललित-कला-अकादेमी के अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यों में प्राचीन स्मारकों, मूर्तियों तथा चित्रों के फोटो उतारना तथा नष्टप्राय कलाकृतियों की प्रतिलिपियाँ बनाना उल्लेखनीय हैं। यह अकादेमी राष्ट्रीय कला-प्रदर्शनी में भाग लेनेवाले प्रमुख कलाकारों को प्रतिवर्ष पुरस्कृत भी करती है।

प्रकाशन—ललित-कला-अकादेमी अबतक कला-सम्बन्धी अनेक पुस्तकों का प्रकाशन कर चुकी है, जिनमें मुगल, अजन्ता, मेवाड़, किशनगढ़, बूँदी आदि की चित्रकला पर प्रकाशित पुस्तकें विशेष महत्त्व की हैं। इसके अतिरिक्त अकादेमी 'ललित-कला' नामक एक अर्द्धवार्षिक पत्रिका भी प्रकाशित करती है। 'चावड़ा', 'वेन्द्रे', 'रवि वर्मा' तथा 'हेब्बर' जैसे प्रसिद्ध कलाकार-सम्बन्धी पुस्तिकाएँ 'ललितकला-समसामयिक भारतीय कला-माला' के अधीन प्रकाशित की जा चुकी हैं।

सूचना और प्रसारण-मंत्रालय के प्रकाशन-विभाग ने भी कला-सम्बन्धी कई महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित किये हैं, जिनमें 'काँगड़ा-शैली-पेंटिंग', 'द वे ऑफ् द बुद्धा', 'बशौली-पेंटिंग', 'भारतीय कला का सिंहावलोकन', 'भारत की वास्तु तथा मूर्तिकला' आदि उल्लेखनीय हैं।

राष्ट्रीय कला-संग्रहालय—सन् १६५४ ई० में स्थापित राष्ट्रीय आधुनिक कला-संग्रहालय में लगभग २,००० कलाकृतियाँ संगृहीत हैं, जो विगत सौ वर्षों की कला-प्रवृत्तियों का दिग्दर्शन कराती हैं। इस संग्रहालय में रवीन्द्रनाथ ठाकुर, नन्दलाल बोस, अवनीन्द्रनाथ ठाकुर, यामिनी राय, डी० पी० राय चौधरी, अमृता शेरगिल तथा सुधीर खास्तगीर जैसे लब्धप्रतिष्ठ कलाकारों तथा अन्य अनेक आधुनिक कलाकारों और शिल्पकारों की कृतियाँ संगृहीत हैं।

सन् १६५६ ई० में स्थापित केन्द्रीय अजायबघर-मण्डल देश के विभिन्न अजायबघरों के विकास तथा पुनस्संगठन-सम्बन्धी मामलों पर भारत-सरकार को परामर्श देता है।

नृत्य, नाटक तथा संगीत

संगीत-नाटक-अकादेमी—सन् १६५३ ई० में स्थापित संगीत-नाटक-अकादेमी नृत्य, नाटक, संगीत तथा चलचित्रों को प्रोत्साहन देने और उनके द्वारा सांस्कृतिक एकता स्थापित करने का प्रयास करती है। यह अकादेमी अनुसन्धान-कार्य करती, नाटक-केन्द्रों तथा प्रशिक्षण-संस्थाओं की स्थापना में सहयोग देती, विचार-गोष्ठियों तथा समारोहों की व्यवस्था करती, पुरस्कार बाँटती, साहित्य प्रकाशित करती और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहन देने का कार्य करती है।

अकादेमी पुनस्संगठित तथा असम, आन्ध्रप्रदेश, उड़ीसा, जम्मू-काश्मीर, केरल पश्चिम-बंगाल, बिहार, मद्रास, मध्यप्रदेश, मैसूर, राजस्थान तथा पंजाब-स्थित प्रादेशिक अकादेमियों से

सम्बद्ध संस्थानों के साथ सम्पर्क बनाये रखती है। ये प्रादेशिक अकादेमियाँ देश की विभिन्न कलाओं का सर्वेक्षण करनेवाले राष्ट्रीय संगठनों को अपना सहयोग देती रहती हैं। नाटकों को प्रोत्साहन देने के लिए अकादेमी नाटक-प्रतियोगिताओं की भी व्यवस्था करती है।

अकादेमी इस समय नई दिल्ली के राष्ट्रीय नाटक-विद्यालय तथा एशियाई रंगमंच-संस्था और मणिपुर के इम्फाल-नृत्य-कॉलेज का संचालन करती है।

संगीत-नाटक-अकादेमी प्रतिवर्ष संगीत, नृत्य, नाटक तथा चलचित्रों के क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकारों को पुरस्कार भी देती है।

आकाशवाणी-नाटक—राष्ट्रीय नाटक-समारोह में विगत ७५ वर्षों के अत्युत्तम ज्ञात नाटक तथा नाटक-सम्बन्धी साहित्य प्रस्तुत किया जाता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से समस्त प्रादेशिक भाषाओं में एक साथ प्रसारित किया जाता है। अबतक ८० नाटक प्रसारित किये जा चुके हैं।

संगीत-समारोह—संगीत-नाटक-अकादेमी के तत्त्वावधान में समय-समय संगीत-समारोह का आयोजन होता रहता है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय संगीत-समारोह सन् १९५४ ई० में दिल्ली में तथा द्वितीय समारोह सन् १९५६ ई० में पटना में आयोजित किया गया था।

आकाशवाणी-संगीत-सम्मेलन—आकाशवाणी के इस नियमित वार्षिक कार्यक्रम का उद्देश्य जनता में शास्त्रीय संगीत के प्रति रुचि उत्पन्न करना और हिन्दुस्तानी तथा कर्नाटक-संगीत के कलाकारों द्वारा विभिन्न रागों तथा रागिनियों में गान प्रस्तुत कराना है। इसी प्रसंग में सुगम-संगीत का कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया जाता है। इसके अतिरिक्त एकवार्षिक संगीत-प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रतिभाशाली नवयुवक कलाकार पुरस्कृत किये जाते हैं। सम्मेलन के साथ-साथ संगीत-गोष्ठियों का भी आयोजन किया जाता है, जिनमें संगीत के विकास-सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार-विनिमय होता है।

राष्ट्रीय संगीत-कार्यक्रम—सन् १९५२ ई० में आरम्भ किये गये आकाशवाणी के राष्ट्रीय संगीत-कार्यक्रम में चोटी के कलाकार प्रस्तुत किये जाते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कर्नाटक तथा हिन्दुस्तानी संगीत के बीच अधिक-से-अधिक तारतम्य स्थापित करना है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर प्रादेशिक संगीत, लोक-संगीत और गीति-नाट्यों का भी प्रसारण होता रहता है।

राष्ट्रीय गीतिनाट्य-कार्य—यह कार्यक्रम प्रत्येक दो महीनों में एक बार दिल्ली-केन्द्र से प्रसारित किया जाता है, जिसे आकाशवाणी के अन्य सभी केन्द्र रिले करते हैं।

वाद्यवृन्द—सन् १९५२ ई० में स्थापित आकाशवाणी का राष्ट्रीय वाद्यवृन्द वाद्य-संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कई रचनाएँ प्रसारित की जा चुकी हैं।

अन्य आकाशवाणी-कार्यक्रम—थोड़े समय के शास्त्रीय संगीत-कार्यक्रम (सुबद्ध संगीत) भी प्रसारित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त संगीत को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से आकाशवाणी अपने विभिन्न केन्द्रों से वृन्दगान, सुगम संगीत, लोक-संगीत तथा भक्ति-संगीत के कार्यक्रम भी प्रसारित करता है।

साहित्य-अकादेमी

सन् १९५४ ई० में स्थापित साहित्य-अकादेमी एक राष्ट्रीय संगठन है, जिसका उद्देश्य भारतीय वाङ्मय का विकास तथा उच्च साहित्यिक मानदंड स्थिर करना, सभी भारतीय

भाषाओं में साहित्य-रचना को प्रोत्साहन देना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना और उसके द्वारा देश की सांस्कृतिक एकता को सुदृढ बनाना है।

भारतीय साहित्य की राष्ट्रीय ग्रंथ-सूची तैयार करनी साहित्य-अकादेमी का एक प्रमुख कार्य है। इस ग्रंथ-सूची में बीसवीं शताब्दी में रचित १४ भारतीय भाषाओं के साहित्यिक महत्त्व के समस्त ग्रंथों तथा भारत में प्रकाशित अथवा भारतीयों द्वारा रचित अँगरेजी ग्रन्थों का उल्लेख रहेगा। हाल ही में अकादेमी ने एक सविस्तर भारतीय लेखक-परिचय-ग्रन्थ प्रकाशित किया है।

साहित्य-अकादेमी अबतक ये ग्रंथ प्रकाशित कर चुकी है: कालिदास-रचित 'मेघदूत' 'विक्रमोर्वशी' और 'कुमारसम्भव' का सटीक संस्करण; मलयालम, बँगला और उड़िया साहित्य के इतिहास; 'एन्थॉलॉजी ऑफ संस्कृत लिटरेचर के दो खण्ड; असमिया, उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी, तमिल तथा तेलुगु-कविताओं के काव्य-संग्रह; बंगाल का वैष्णव-गीतिकाव्य; गुजराती के एकांकी; गुजराती, तमिल तथा तेलुगु की कहानियाँ; तमिल में भारती की कुछ कविताओं का संग्रह, मराठी में आगरकर तथा राजवाडे के गद्यों का संग्रह, बँगला में भरतचंद और खेमानंद की रचनाओं के संग्रह और सिन्धी में दीवान कौड़ामल के गद्य का संग्रह; समसामयिक भारतीय साहित्य एवं कहानियों के संग्रह तथा रूसी-हिन्दी-शब्दकोश। इनके अतिरिक्त कालिदास के अभिज्ञान-शाकुन्तल, मालविकाग्निमित्र और रघुवंश के आलोचनात्मक संस्करण; असमिया, कन्नड और तेलुगु साहित्य के इतिहास और तिब्बती-हिन्दी शब्दकोश शीघ्र प्रकाशित हो जायँगे।

'भारतीय कविता-१९५३' शीर्षक से एक काव्य-संग्रह प्रकाशित हो चुका है, जिसमें १४ मुख्य भाषाओं की कविताओं तथा उनके हिन्दी-पद्यानुवादों का संग्रह है। दूसरा काव्य-संग्रह (१९५४-५५) प्रकाशित हो चुका तथा तीसरा काव्य-संग्रह (१९५६-५७ प्रेस में मुद्रण के लिए भेजा जा चुका है।

अधिकांश भारतीय तथा कई विदेशी साहित्यिक ग्रंथों का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है और ये प्रकाशित हो चुके हैं। श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर की रचनाएँ (मूल बँगला देवनागरी-लिपि में) आठ खण्डों में प्रकाशित करने के कार्यक्रम के अंतर्गत दो खण्ड 'एकोत्तरशती' तथा 'गीत-पंचशती' शीर्षक से प्रकाशित किये जा चुके हैं। एकविंशति (२१ लघुकथाएँ) के गुजराती, पंजाबी, उड़िया तथा मराठी-संस्करण भी प्रकाशित हो चुके हैं। ठाकुर-शताब्दी के सम्बन्ध में अँगरेजी में 'टैगोर होमेज' शीर्षक एक श्रद्धांजलि-ग्रंथ भी प्रकाशित हो चुका है। रोम्याँ-रोला की रचनाओं के अनुवाद तथा स्वामी विवेकानन्द की जीवनी शीघ्र प्रकाशित होंगे।

साहित्य-अकादेमी अँगरेजी तथा संस्कृत में क्रमशः 'इंडियन लिटरेचर' और 'संस्कृत-प्रतिभा' नामक दो अर्द्धवार्षिक पत्रिकाएँ भी प्रकाशित कर रही है। यह प्रतिवर्ष भारतीय भाषाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट ग्रंथ पर पुरस्कार भी प्रदान करती है।

सम्पूर्ण गान्धी-वाङ्मय—सन् १९५६ ई० के आरम्भ में सूचना और प्रसारण-मंत्रालय ने महात्मा गान्धी के भाषणों, पत्रों, लेखों आदि का एक सम्पूर्ण संग्रह प्रकाशित करने की योजना बनाई थी। सन् १८८४ से १९०८ ई० तक की रचनाओं के प्रथम आठ खण्ड प्रकाशित किये जा चुके हैं।

साहित्यिक प्रसारण—सन् १९५६ ई० में सर्वप्रथम आकाशवाणी द्वारा एक सर्वभाषा कवि-सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह कवि-सम्मेलन अब प्रतिवर्ष होता है, जिसमें देश के प्रमुख कवि भाग लेते हैं।

देश के विभिन्न साहित्यकारों का एक सम्मेलन सन् १९५६ ई० से प्रतिवर्ष बुलाया जा रहा है। इस साहित्य-समारोह में समसामयिक भारतीय काव्यों की प्रवृत्तियों तथा भारतीय साहित्य की प्रमुख समस्याओं पर विचार किया जाता है।

सन् १९६० ई० में आरम्भ किये गये राष्ट्रीय समसामयिक साहित्य-कार्यक्रम में भारत की विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं की आलोचनात्मक तथा सर्जनात्मक रचनाओं के सम्बन्ध में श्रोताओं को अवगत कराया जाता है। यह कार्यक्रम प्रत्येक तीन महीने के बाद अन्तिम गुरुवार को आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से प्रसारित किया जाता है और इसमें कविताओं, छोटी कहानियों तथा अन्य साहित्यिक रचनाओं का समावेश रहता है।

सन् १९५५ ई० से प्रतिवर्ष व्यवस्थित पटेल-स्मारक व्याख्यान-माला में प्रतिष्ठित व्यक्तियों-द्वारा दिये जानेवाले व्याख्यानों का उद्देश्य लोगों के ज्ञान में वृद्धि करना है। सन् १९५८ ई० से आयोजित लाड-स्मारक व्याख्यान मराठी में मराठी-भाषी क्षेत्र के प्रसारण-केन्द्रों से प्रसारित किये जाते हैं।

राष्ट्रीय पुस्तक-न्यास (नेशनल बुक-ट्रस्ट)—उच्च कोटि के साहित्य के प्रकाशन को प्रोत्साहन देने तथा उसे उचित मूल्य पर सुलभ बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पुस्तक-न्यास की स्थापना सन् १९५७ ई० में की गई। अबतक ऐसे ६८ प्रकाशन प्रकाश में आ चुके हैं। यह न्यास शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति तथा विज्ञानेतर विषयों के उत्कृष्ट ग्रंथ प्रकाशित करेगा तथा भारतीय तथा विदेशी साहित्यिक ग्रन्थों के अनुवाद एवं एक प्रादेशिक भाषा से दूसरी प्रादेशिक भाषा में भारतीय साहित्यिक ग्रन्थों के अनुवाद प्रकाशित करने की ओर ध्यान देगा। इसकी ओर से प्रकाशन का काम सूचना और प्रसारण-मन्त्रालय का प्रकाशन-विभाग करता है।

आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास—भारत-सरकार ने सन् १९५८-६१ ई० की अवधि में आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास के लिए २० लाख रु० की एक योजना तैयार की थी, जिसके अन्तर्गत विश्वकोशों, ज्ञान-ग्रंथों तथा भारतीय भाषाओं के द्विभाषी शब्द-कोशों का प्रणयन तथा प्रकाशन किया गया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार के ग्रन्थ भी प्रकाशित करने का विचार है।

अन्तरराष्ट्रीय सांस्कृतिक सद्भावना-प्रसार

अन्तरराज्यीय दलों का आदान-प्रदान—सन् १९५९-६० ई० से आरम्भ हुए इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के विभिन्न भागों के लोगों के बीच सांस्कृतिक तथा भावनात्मक एकता की भावना को प्रोत्साहन देना है।

कालाकारों का आदान-प्रदान—इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के विभिन्न क्षेत्रों में एक-दूसरे के संगीत, नृत्य आदि के प्रति रुचि उत्पन्न करना है।

खुले रंगमंच—ग्रामीण क्षेत्रों में सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए खुले रंगमंचों की व्यवस्था की जा रही है।

रंगमंच को सहायता—'संस्था-पंजीयन-अधिनियम १८६०' के अधीन पंजीकृत रंगमंच-मण्डलियों तथा उन मण्डलियों को, जिन्होंने पिछले ५ वर्षों में कम-से-कम ३ नाटक और पिछले वर्ष कम-से-कम ५० अभिनय किये हों, सन् १९६०-६१ ई० में आरम्भ एक योजना के अधीन अनुदान दिये जाते हैं।

सांस्कृतिक संस्थाओं को अनुदान—निर्बंधित सांस्कृतिक संस्थाओं को भवन-निर्माण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को चलाने के लिए अनुदान दिये जाते हैं।

विदेशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध

वैदेशिक सम्पर्क-विभाग—केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुसन्धान और संस्कृति-मन्त्रालय में एक वैदेशिक सम्पर्क-विभाग स्थापित कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से विभिन्न देशों के साथ मैत्री तथा सद्भावनापूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना है।

वैदेशिक सम्पर्क-विभाग—वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य के मन्त्रालय में एक वैदेशिक सम्पर्क-विभाग स्थापित हुआ है। इसका उद्देश्य कलाकारों, छात्रों, विद्वानों, प्रकाशनों, प्रदर्शनियों एवं कलाकृतियों के आदान-प्रदान के द्वारा तथा पुस्तकों की भेंट, विदेशों में भारतीय अध्यापकों की सेवा, अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलनों में योगदान, सांस्कृतिक इकरारनामे, अन्तरराष्ट्रीय छात्रावासों का निर्माण, भारतीय विद्या के लिए विदेशों में गद्दियों की स्थापना, प्राचीन भारतीय साहित्य के विदेशी अनुवादों में साहाय्य आदि के माध्यम से परस्पर सद्भावना बढ़ाना है।

प्रदर्शनियाँ—विदेशों में समय-समय पर कला और संस्कृति-सम्बन्धी प्रदर्शनियाँ की जाती हैं। उसी प्रकार विदेश की कला और संस्कृति पर प्रकाश डालनेवाली प्रदर्शनियाँ भारत में होती हैं।

सांस्कृतिक करार—सन् १९६३ ई० के मध्य तक भारत के सांस्कृतिक करार बलगेरिया, यूनान, हंगरी, नारवे, जापान, इंडोनेशिया, रूमानिया पोलैण्ड, तुर्की, इराक, संयुक्त अरब-गण-राज्य, ईरान, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया, सोवियत रूस तथा मंगोलिया के साथ सम्पन्न हुए हैं।

अनुदान—भारत तथा अन्य देशों के बीच निकटतम सांस्कृतिक सम्पर्क स्थापित करने में लगे भारत तथा विदेश-स्थित २० संस्थानों को अनुदानों के रूप में सहायता दी गई है।

अन्तरराष्ट्रीय-छात्रावास—निम्नलिखित स्थानों में अन्तरराष्ट्रीय-छात्रावास के निर्माण के लिए अनुदान दिये गये हैं—दिल्ली, शान्तिनिकेतन, लंदन, कैम्ब्रिज और पेरिस।

भारतीय-सांस्कृतिक सम्पर्क-परिषद्—इस परिषद् की स्थापना नवम्बर, १९४९ ई०में हुई थी। इसका उद्देश्य भारत तथा अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करना तथा उन्हें सुदृढ बनाना है। यद्यपि इसका सारा खर्च भारत-सरकार वहन करती है, तथापि यह परिषद् एक स्वतन्त्र संस्था है। परिषद् के कुछ उल्लेखनीय कार्य ये हैं—प्राच्यविद्या के पठन-पाठन की व्यवस्था, ग्रीष्मकालीन पड़ाव, पर्यटन, भारत-स्थित विदेशी छात्रों के साथ सामाजिक मेल-जोल, छात्रों तथा समाजसेवकों और विद्वानों का आदान-प्रदान, विदेशी विश्वविद्यालयों में भारतीय विद्या के लिए गद्दियों की स्थापना, भारतीय संस्कृति के व्याख्याताओं की नियुक्तियाँ, भारत-सम्बन्धी पुस्तकों और फिल्मों की भेंट, भारत-स्थित विदेशी छात्रों का कल्याण, विशिष्ट विदेशी व्यक्तियों का

भारत में स्वागत-सत्कार और उनका मनोरंजन, प्रमुख विद्वानों द्वारा व्याख्यानों की व्यवस्था, चित्रों और फोटोग्राफों की प्रदर्शनियों, यात्रा-अनुदान और भारतीय एवं विदेशी छात्रों के लिए छात्रवृत्तियाँ।

परिषद् की ओर से दो त्रैमासिक पत्रिकाएँ प्रकाशित होती हैं—एक अँगरेजी में और दूसरी अरबी में। इसके अतिरिक्त फारसी और अँगरेजी में प्रकाशित होनेवाली 'इंडो-इरानिका' नामक पत्रिका को वित्तीय सहायता दी जाती है। परिषद् भारत-सम्बन्धी दुर्लभ पांडुलिपियों एवं बहुमूल्य पुस्तकों के प्रकाशन की व्यवस्था करती है। परिषद् की ओर से भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्ध रखनेवाली पुस्तकों का प्रकाशन होता है तथा विदेशी भाषाओं में भारतीय पुस्तकों के अनुवाद कराये जाते हैं।



वैज्ञानिक अनुसन्धान

भारत-सरकार का वैज्ञानिक अनुसन्धान-सम्बन्धी विभाग एक पृथक् मंत्रालय के रूप में अप्रैल, १९५८ ई० से ही कार्यरत है। वैज्ञानिक अनुसन्धान का प्रधान उद्देश्य विज्ञान तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान की अभिवृद्धि करना; देश में उच्च कोटि के वैज्ञानिक तैयार करना; वैज्ञानिक तथा प्राविधिक कर्मचारियों के लिए यथाशीघ्र प्रशिक्षण-कार्यक्रम आरम्भ करना; जनता की रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करना; व्यक्तिगत तौर से वैज्ञानिक ज्ञान के प्रचार-प्रसार को प्रोत्साहित करना तथा देशवासियों को वैज्ञानिक ज्ञान की उपलब्धियों से लाभान्वित कराना है।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान-परिषद्

भारत में सरकारी तत्त्वावधान में वैज्ञानिक अनुसन्धान का काम मुख्यतः वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान-परिषद्, उसके नियन्त्रण में स्थापित विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ अथवा संस्थाएँ और उससे सहायता प्राप्त करनेवाले विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान-संस्थाएँ करती हैं। यह परिषद् अनुसन्धान-संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों की प्रयोगशालाओं में लगे वैज्ञानिकों को सहायता-अनुदान देती है और योग्य व्यक्तियों को छात्रवृत्तियाँ देने तथा विज्ञान-सम्बन्धी जानकारी का प्रसार करने का कार्य करती है। विदेशों से लौटनेवाले सुयोग्य भारतीय वैज्ञानिकों तथा शिल्पविज्ञों को अस्थायी रूप से काम पर लगाने का उत्तरदायित्व भी इसी परिषद् पर है। यह परिषद् देश के वैज्ञानिक तथा प्राविधिक कर्मचारियों की सूची रखने की भी व्यवस्था करती है। संक्षेप में, भारत में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान की अभिवृद्धि तथा उसमें सामंजस्य स्थापित करने की सरकार की जो नीति है, उसे कार्यरूप देने का मुख्य माध्यम यही परिषद् है।

राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ—स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद से परिषद् देश के विभिन्न स्थानों में निम्नलिखित २७ राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के अतिरिक्त नई दिल्ली में वर्षा तथा बादल भौतिकी अनुसन्धान-विभाग, उदक-मण्डलम्, कानपुर तथा बँगलोर में आवश्यक तेल-अनुसन्धान-केन्द्र और कानपुर में गैस-टर्बाइन-अनुसन्धान-केन्द्र भी स्थापित कर चुकी है।

१. राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पूना; २. राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, नई दिल्ली; ३. केन्द्रीय इन्धन-अनुसन्धान-संस्था, जीलगोड़ा (बिहार); ४. केन्द्रीय काँच और

कुम्हार-कार्य-अनुसन्धान संस्था, यादवपुर; ५. केन्द्रीय खाद्य-प्रौद्योगिकी अनुसन्धान-संस्था, मैसूर; ६. राष्ट्रीय धातु-प्रयोगशाला, जमशेदपुर; ७. केन्द्रीय भेषज-अनुसन्धान-संस्था, लखनऊ; ८. केन्द्रीय सड़क-अनुसन्धान-संस्था, नई दिल्ली; ६. केन्द्रीय बिजली-रासायनिक अनुसन्धान-संस्था, कराईकुडी (मद्रास); १०. केन्द्रीय चमड़ा-अनुसन्धान-संस्था, मद्रास; ११. केन्द्रीय भवन-अनुसन्धान-संस्था, रुड़की; १२. केन्द्रीय विद्युदणु इंजीनियरी-अनुसन्धान-संस्था, पिलानी (राजस्थान); १३. राष्ट्रीय वनस्पति-उद्यान लखनऊ; १४. केन्द्रीय नमक-अनुसन्धान-संस्था, भावनगर; १५. केन्द्रीय-खनिज-अनुसन्धान-केन्द्र, धनबाद; १६. क्षेत्रीय अनुसन्धान-शाला, हैदराबाद; १७. भारतीय जीव-रसायन तथा परीक्षणात्मक औषध-संस्था, कलकत्ता; १८. बिड़ला-औद्योगिक तथा प्रौद्योगिक संग्रहालय, कलकत्ता; १६. क्षेत्रीय अनुसन्धान-शाला, जम्मू-तवी (जम्मू-कश्मीर); २०. केन्द्रीय यान्त्रिकी इंजीनियरी-अनुसन्धान-संस्था, दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल); २१. केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य-इंजीनियरी-अनुसन्धान-संस्था, नागपुर; २२. राष्ट्रीय उड्डयन-प्रयोगशाला, बँगलोर; २३. क्षेत्रीय-अनुसन्धान-शाला, जोरहाट; २४. केन्द्रीय भारतीय औषध-वनस्पति-संगठन, नई दिल्ली; २५. केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण-संगठन, नई दिल्ली; २६. भारतीय पेट्रोलियम-अनुसंधान-संस्थान, देहरादून; २७. भू-भौतिकी केन्द्रीय परिषद्-हैदराबाद तथा २८. विश्वेश्वरैया औद्योगिक और प्रौद्योगिक संग्रहालय।

अनुसन्धान-कार्य को प्रोत्साहन— अन्य प्राविधिक संस्थाओं, औद्योगिक प्रयोगशालाओं तथा विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों को भी सहायता-अनुदान दिये जाते हैं। इस समय सहायता-अनुदान देने की ४६५ से अधिक योजनाएँ चल रही हैं। व्यावहारिक परिणामों के अतिरिक्त इससे एक लाभ यह भी हो रहा है कि इन योजनाओं के माध्यम से युवक अनुसन्धानकर्त्ताओं को प्रशिक्षण की सुविधाएँ प्राप्त होती हैं तथा स्वतन्त्र अनुसंधान-कार्य के लिए क्रियाशील केन्द्रों का विकास होता है। अवकाश-प्राप्त वैज्ञानिकों को वित्तीय सहायता दी जाने के अतिरिक्त होनहार नवयुवकों को जूनियर तथा सीनियर शिष्य-वृत्तियाँ भी दी जाती हैं।

सहकारी अनुसंधान-संस्थाएँ—विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में सहकारी अनुसन्धान-संस्थाओं को पूँजीगत तथा आवर्त्ती व्यय, तकनीकी परामर्श और योजनाएँ बनाने तथा विशेषज्ञ और सामग्री जुटाने के रूप में सहायता दी जाती है। इस प्रकार की ८ संस्थाएँ कपड़ा, रबर, रेशम, नकली रेशम, रंगलेप, प्लाय वुड और सीमेंट-उद्योगों में काम कर रही हैं। चाय, फाउण्डरी, अभ्रक, ओटोमोबाइल, रेडियो और इलेक्ट्रानिक उद्योगों के लिए भी ऐसी संस्थाएँ कायम की जा रही हैं।

जन-सम्पर्क—उद्योग, औद्योगिक तथा व्यापारिक संस्थाओं, सरकारी विभागों और अन्य अनुसन्धान-उपभोक्ताओं के साथ सम्पर्क कायम करने के लिए प्रयोगशालाओं में जन-सम्पर्क युनिट स्थापित किये गये हैं। ग्रामीण और अर्द्ध नागरिक समुदाय के आर्थिक सुधार के उद्देश्य से प्राप्य वैज्ञानिक ज्ञान को व्यवहार में लाने के लिए नई दिल्ली में एक औद्योगिक सम्पर्क और प्रसार-सेवा युनिट कायम किया गया है। राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की प्रसार-शाखाएँ उद्योग के हित की दृष्टि से वैज्ञानिक प्रदर्शन करती हैं। विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों को इस सम्बन्ध में अल्पकालीन प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

विज्ञान-मन्दिर—सामुदायिक विकास-परियोजना-क्षेत्रों में 'विज्ञान-मन्दिर' नामक ४८ ग्रामीण वैज्ञानिक केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं। प्रत्येक केन्द्र में एक प्रयोगशाला और योग्य तथा प्रशिक्षित कर्मचारी होते हैं। ये केन्द्र ग्रामीण जनता में वैज्ञानिक जानकारी का प्रसार करते तथा उन्हें इसके उपयोग की सार्थकता के विषय में समझाते हैं। वैज्ञानिक साहित्य के जनप्रिय संस्करण भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किये जाते हैं।

परमाणु-अनुसन्धान तथा अणुशक्ति

अणुशक्ति-आयोग शान्तिपूर्ण कार्य के निमित्त अणुशक्ति के विकास के लिए योजना बनाता और उसका कार्यक्रम पूरा करता है। कार्यक्रम का लक्ष्य मुख्यतः आइसोटोप्स के उत्पादन और प्रयोग के द्वारा अणुशक्ति का उपयोग कृषि, जीव-विज्ञान, उद्योग और औषध में करने को प्रोत्साहित करना है। इसका उद्देश्य अणुशक्ति का विकास विद्युत्-शक्ति के साधन के रूप में भी करना है। कार्यक्रम अणुशक्ति-विभाग के ही अधीन रखे गये हैं।

बम्बई के निकट ट्राम्बे-स्थित प्रतिष्ठान अणुशक्ति के क्षेत्र में अनुसन्धान तथा विकास-कार्य करने का राष्ट्रीय केन्द्र है, जिसमें लगभग ३००० वैज्ञानिक तथा प्राविधिक कर्मचारी कार्य करते हैं। कर्मचारियों के प्रशिक्षण-विद्यालय में प्रतिवर्ष १५० प्रशिक्षणार्थियों को प्रवेश दिया जाता है। इस प्रतिष्ठान में १५ विभाग हैं। यहाँ इस समय तीन आणविक भट्ठियाँ चालू हैं—पहली 'अप्सरा', जिसका कार्य सन् १९५६ ई० में आरम्भ हुआ और दूसरी 'कनाडा-भारत', जो संसार की सबसे बड़ी आइसोटोप्स-उत्पादक भट्ठी है। जनवरी, १९६१ ई० में शून्य शक्ति की एक और अणु-भट्ठी 'जरलीना' का कार्य आरम्भ हुआ है। ट्राम्बे-प्रतिष्ठान की दूसरी उत्पादन-सुविधाओं के अन्तर्गत थोरियम संयन्त्र और यूरेनियम संयन्त्र हैं, जो ऊँची आणविक विशुद्धता के थोरियम और यूरेनियम पैदा करते हैं। एक और संयन्त्र 'कनाडा-भारत' और 'जरलीना' भट्ठियों के लिए ईन्धन तत्त्व का उत्पादन करता है।

यह प्रतिष्ठान इन पाँच बड़े समूहों में संगठित है—भौतिक विज्ञान, रासायनिक, विद्युदाणविक (इलेक्ट्रोनिक्स), धातु-विज्ञान और जीव-विज्ञान। पुनः ये समूह १५ विभागों में विभक्त हैं। यह प्रतिष्ठान देश के उपयोग के लायक काफी रेडियो-इसोटोप्स तो तैयार करता ही है, विदेशों में भी इसका निर्यात किया जाता है।

इस प्रतिष्ठान में खाद्यान्नों को प्रोन्नत करने और खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए भी अणुशक्ति का प्रयोग किया जा रहा है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत यहाँ विकिरण औषध-केन्द्र की स्थापना की जा रही है, जहाँ मेडिकल कार्यकर्ता रेडियो-इसोटोप्स को व्यवहार में लाने का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। रेडियो-इसोटोप्स की सहायता से कैन्सर रोग का भी इलाज किया जायगा। इस काम में इंडियन कैन्सर-रिसर्च-सेण्टर और टाटा स्मारक अस्पताल से भी सहयोग लिया जायगा।

आणविक शक्ति के शान्तिपूर्ण कार्य में लगी हुई अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं से सम्पर्क रखा जाता है। कितने ही देशों से इस सम्बन्ध में कार्य करने के लिए राजीनामे लिखे गये हैं।

आणविक खनिज-विभाग आणविक खनिज प्राप्त करने का तथा उनके सर्वेक्षण और विकास के लिए उत्तरदायी है। यह विभाग रेडियो-सक्रिय खनिजों का पता लगाने में भी जनता को

सहायता देता है। इसने बिहार के जडुगुडा नामक स्थान में यूरेनियम का पता लगाया है और यहाँ इसका कारखाना खुला है। अणुशक्ति-विभाग द्वारा केरल तथा मद्रास-सरकारों के सहयोग से अक्तूबर, १९५६ ई० में तिरुवांकुर-खनिज-लिमिटेड नामक कम्पनी की स्थापना की गई। इसमें मुख्य रूप से इलेमेनाइट तथा मोनाजाइट तैयार होते हैं। इलेमेनाइट विदेशी मुद्रा के अर्जन का एक महत्त्वपूर्ण साधन है तथा मोनाजाइट अलवाए-स्थित भारतीय दुर्लभ मृत्तिका (प्राइवेट) लिमिटेड को भेज दिया जाता है। अलवाए का यह कारखाना भी संयुक्त रूप से विभाग तथा केरल-सरकार के अधीन है। इस कारखाने में मोनाजाइट रेत से विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ तैयार की जाती हैं। घाटशिला (बिहार)-स्थित एक मार्ग-दर्शक संयन्त्र में ताँबे की कतरनों से यूरेनियम निकाला जाता है। नंगल में स्थापित किये जा रहे उर्वरक-संयन्त्र में उपोत्पाद के रूप में 'वी वाटर' का उत्पादन करने की भी तैयारी है।

परमाणु-विज्ञान-सम्बन्धी अनुसन्धान-कार्य को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विभिन्न विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं तथा अनुसन्धान-संस्थानों को आर्थिक सहायता दी जाती है। बम्बई-स्थित टाटा मूलभूत अनुसन्धान-संस्था इस कार्य का राष्ट्रीय केन्द्र है। कलकत्ता की साहा परमाणु-भौतिकी संस्था तथा अहमदाबाद की भौतिक अनुसन्धान-प्रयोगशाला को अणुशक्ति-विभाग से सहयोग प्राप्त होता है। कश्मीर में ६,००० फुट की ऊँचाई पर गुलमर्ग में एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है। मद्रास-राज्य के कोडायकानाल नामक स्थान में भी ऐसी ही एक संस्था खुलनेवाली है।

विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा विज्ञान-संस्थाओं में इस विभाग की ओर से स्नातकों तथा उत्तर-स्नातकों को छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं।

अणुशक्ति-विभाग भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप एक परमाणु-शक्ति-कार्यक्रम बनाने में संलग्न है। बम्बई से ६० मील पर तारापुर में ३८० एम्० डब्ल्यू० क्षमता का सर्वप्रथम अणु-शक्ति-केन्द्र स्थापित किया जायगा, जिसका कार्य सन् १९६६ ई० से चालू होने की आशा है। एक दूसरा २०० एम्०डब्ल्यू० क्षमता का केन्द्र राजस्थान के राणा प्रतापसागर में और तीसरा मद्रास-राज्य के कलपक्कम नामक स्थान में खुलनेवाला है।

बाह्य अन्तरिक्ष (आउटर स्पेश) का उपयोग शान्तिपूर्ण कार्यों में करने के लिए एक इंडियन नेशनल कमिटी की स्थापना की गई है। केरल के किसी स्थान से अन्तरिक्ष में राकेट भेजने का प्रबन्ध हो रहा है। कृत्रिम उपग्रहों द्वारा संचार के नये तरीके के विकास का भी प्रयोग हो रहा है।

अन्य विभागों द्वारा अनुसंधान-कार्य

केन्द्रीय सिंचाई और बिजली-मण्डल के तत्त्वावधान में देश में ११ जलगति (हाइड्रालिक) अनुसंधान-केन्द्र हैं। पूना के निकट खडकवासला-स्थित केन्द्रीय जल-बिजली तथा सिंचाई-अनुसंधान-केन्द्र इनमें प्रमुख हैं।

संचार-मंत्रालय के असैनिक उड्डयन-महानिदेशालय के अधीन स्थापित अनुसंधान तथा विकास-निदेशालय विमान-निर्माण के कार्यों की देखभाल करता है।

भारतीय वनस्पति-सर्वेक्षण-विभाग देश की वनस्पति से सम्बद्ध कार्य करता है। कलकत्ता में इसका एक संग्रहालय और इलाहाबाद में केन्द्रीय प्रयोगशाला है। इस विभाग ने शिलोंग, पूना,

कोयम्बटूर, इलाहाबाद और देहरादून में क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना की है। शिवपुर (हवड़ा) में एक वनस्पति-उद्यान है।

भारत का प्राणी-विज्ञान-सम्बन्धी सर्वेक्षण-कार्यालय प्राणी-विज्ञान-सम्बन्धी मानक वस्तुओं का तथा भारत की भौगोलिक प्राणी-विज्ञान-सम्बन्धी जानकारी का संग्रह करता है। जबलपुर, जोधपुर, देहरादून, पूना, मद्रास तथा शिलौंग में इसके छह प्रादेशिक केन्द्र हैं। प्रधान कार्यालय कलकत्ता है।

भारत का भू-विज्ञान-सम्बन्धी सर्वेक्षण-कार्यालय भारत के भू-विज्ञान-सम्बन्धी मानचित्र तैयार करता है। इसके अधीन ८ क्षेत्रीय केन्द्र हैं। एक शताब्दी से अधिक काल से इसका प्रधान कार्यालय कलकत्ता है।

कलकत्ता का नृतत्त्वशास्त्र-विभाग देश में तत्सम्बन्धी सर्वेक्षण-कार्य करने के लिए उत्तरदायी है। यह विभाग अनुसंधान-कार्य भी करता है।

देहरादून-स्थित भारतीय सर्वेक्षण-विभाग तत्रूप सर्वेक्षण करता है, साथ ही आजतक की स्थितियों से युक्त भारत के मानचित्र भी तैयार करता है।

देहरादून की वन-अनुसंधान-संस्था भवन-निर्माण के लिए इमारती लकड़ी के उपयोग से सम्बद्ध कार्य करती है।

नई दिल्ली में आकाशवाणी की एक अनुसंधान-इकाई है, जो रेडियो-तरंगों तथा रेडियो-रिसीवरों के डिजाइन तथा कार्यकुशलता-सम्बन्धी समस्याओं की जाँच करती है।

रेल-कारखानों की समस्याओं के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल करने के लिए रेल-मण्डल ने लखनऊ में एक अनुसंधान-केन्द्र खोल रखा है, जिसके दो उप-केन्द्र लोनावला तथा चितरंजन में हैं।

सड़क-विकास तथा सड़क बनाने की सामग्री, राजपथों तथा पुलों का निर्माण और बन्दरगाह-सम्बन्धी समस्याओं को हल करने का कार्य परिवहन-मंत्रालय के अधीन स्थापित सड़क-संगठन करता है।

भारतीय मानक-संस्था, जो उद्योग-मन्त्रालय के अधीन है, सामग्री तथा उत्पादनों के मानक स्थिर करने की दिशा में कार्य करती है।

भारतीय घन-वातिकी विभाग की स्थापना १८७५ ई० में ही हुई थी। यह मौसम की हालत लोगों को कुछ समय पूर्व ही बतलाया करता है।

अन्य संस्थाएँ

वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में देश के और भी कई अनुसंधान-संगठन कार्य कर रहे हैं, जिनके वित्त की व्यवस्था या तो गैर-संस्थाएँ करती हैं अथवा सरकार उन्हें सहायता देती है। इनमें बीरबल साहनी प्राचीन वनस्पति-विज्ञान-संस्था, लखनऊ; बोस-संस्था, कलकत्त; भारतीय विज्ञान-प्रोत्साहन-संघ, कलकत्ता; भारतीय विज्ञान-संस्था, बैंगलोर; भौतिक अनुसंधानशाला, अहमदाबाद तथा श्रीराम औद्योगिक अनुसंधान, दिल्ली आदि प्रमुख हैं।

चिकित्सा-अनुसंधान

सन् १९१२ ई० में स्थापित भारतीय चिकित्सा-अनुसंधान-परिषद् देश में होनेवाले चिकित्सा-सम्बन्धी अनुसंधान-कार्यों में समन्वय स्थापित करने में महान् योग दे रही है।

चिकित्सा-कॉलेजों तथा सम्बद्ध अस्पतालों के अलावा देश में विशेष अध्ययन के लिए अनेक संस्थाएँ हैं। कलकत्ता की अखिलभारतीय स्वास्थ्य-विज्ञान तथा स्वास्थ्य-संस्था में

उन बीमारियों के लिए चिकित्सा-सम्बन्धी तथा निरोधात्मक ओषधियों के प्रयोग का परीक्षण किया जाता है, जो भारत के लिए नई हैं। कलकत्ता के उष्णकटिबन्धीय ओषधि-विद्यालय में उष्णकटिबन्धीय क्षेत्रों में पाई जानेवाली बीमारियों के सम्बन्ध में अनुसंधान किया जाता है। गिण्डी (मद्रास)-स्थित किंग-निरोधात्मक औषध-संस्था में बैक्टीरिया-सम्बन्धी रोगों का अनुसंधान तथा टीके तैयार किये जाते हैं। दिल्ली की वल्लभभाई पटेल वक्ष-संस्था में क्षयरोग तथा अन्य वक्ष-रोगों के सम्बन्ध में अनुसंधान किया जाता है। चिंगलपट के लेडी विलिंगडन-कोढ़-उपचारालय तथा सैदापेठ के सिल्वरजुबिली-बाल-उपचारालय को मद्रास-सरकार से हस्तगत करके उनके स्थान पर केन्द्रीय कोढ़-अनुसंधान-संस्था स्थापित कर दी गई है। बम्बई की हाफकिन-संस्था में बड़े पैमाने पर टीके तैयार किये जाते हैं। प्लेग की रोकथाम तथा इलाज का यह प्रमुख केन्द्र है। अब पौष्टिकता मलेरिया तथा विषैली बीमारियों के क्षेत्र में भी इस संस्था ने कार्य आरम्भ कर दिया है।

बम्बई के भारतीय नासूर-अनुसंधान-केन्द्र में नासूर के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल की जाती है। इस केन्द्र ने भारत में नासूर की व्यापकता का सर्वेक्षण आरम्भ कर दिया है।

कसौली की केन्द्रीय अनुसंधान-संस्था में जीव-रसायन आदि की समस्याओं की जाँच-पड़ताल की जाती है। इस संस्था का एक पैथोलॉजिकल संग्रहालय भी है।

कुन्नूर-स्थित पाश्च्योर-संस्था में इन्फ्ल्युएंजा, रेबीज आदि के सम्बन्ध में अनुसंधान-कार्य किया जाता है। केन्द्रीय भोजन-प्रयोगशाला, कलकत्ता में ओषधियों का रासायनिक अनुसन्धान किया जाता है। इनके अलावा जो अन्य कई गैर-सरकारी अनुसन्धान-संगठन हैं, उनमें बंगाल-व्याधि-उन्मुक्ति-अनुसन्धान-संस्थान विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

कृषि-अनुसंधान

सन् १६२६ ई० में संस्थापित भारतीय कृषि-अनुसन्धान-परिषद् कृषि तथा पशु-पालन-सम्बन्धी अनुसन्धान-कार्य को प्रोत्साहन देती है।

दिल्ली की भारतीय कृषि-अनुसन्धान-संस्था कृषि-सम्बन्धी अनुसन्धान-कार्य करनेवाली सबसे पुरानी संस्था है। खाद्य फसलों के बारे में जाँच करने के लिए इस संस्था में एक प्रयोगशाला तथा विस्तृत खेत हैं। इज्जतनगर की भारतीय पशु-चिकित्सा-अनुसन्धान-संस्था में पशुओं की बीमारियों का अध्ययन और उपचार होता है। करनाल राष्ट्रीय दुग्धशाला-अनुसन्धान-संस्था में दूध की किस्म के सम्बन्ध में अनुसंधान-कार्य किया जाता है। कलकत्ता की केन्द्रीय चावल-अनुसंधान-संस्था तथा शिमला की केन्द्रीय आलू-अनुसंधान-संस्था में चावल तथा आलू-सम्बन्धी अनुसन्धान किया जाता है। कपास, पटसन, नारियल, तम्बाकू, तेलहन, सुपारी तथा लाख के बारे में अनुसन्धान करने के लिए ६ जिन्स-समितियाँ हैं। इनकी अपनी-अपनी प्रयोगशालाएँ तथा अनुसन्धान-संस्थाएँ हैं।

मण्डपम्-स्थित केन्द्रीय तटवर्ती मछली-अनुसंधान-केन्द्र में समुद्र-तट पर पाई जानेवाली खाद्य मछलियों की जाँच-पड़ताल की जाती है। इसके अतिरिक्त बम्बई, कच्छ की खाड़ी, विशाखापत्तनम् तथा अन्दमान में भी अनुसन्धान-केन्द्र स्थापित कर दिये गये हैं। कलकत्ता का केन्द्रीय अन्तरदेशीय मछली-अनुसन्धान-केन्द्र तालाबों तथा नदियों में पाई जानेवाली (अन्तरदेशीय) मछलियों के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल करता है। कोचीन के केन्द्रीय मछली-प्रौद्योगिक अनुसंधान-केन्द्र में मछली पकड़ने के सम्बन्ध में आवश्यक सामग्री के विषय में अध्ययन किया जाता है।



भारतीय पुरातत्त्व

भारत में पुरातत्त्व-अध्ययन का आरम्भ—सर्वप्रथम प्राच्य पुरावृत्त, साहित्य और संस्कृति के अनुशीलन तथा अध्ययन की बात कलकत्ता-सर्वोच्च न्यायालय के अवर न्यायाधीश श्रीविलियम जोन्स के मन में उठी थी। उसके भारत पहुँचने के चार मास के अन्दर जनवरी, १७८४ ई० में उन्हीं की देख-रेख में एशिया-भर के इतिहास, पुरावृत्त, साहित्य, कला और विज्ञान के अनुशीलन के लिए कलकत्ता में 'एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल' नामक संस्था तथा एक संग्रहालय की स्थापना हुई।

सन् १८३३ ई० में कलकत्ता-टकसाल के परीक्षणाध्यक्ष और 'एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल' के मंत्री श्रीजेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों के पढ़ने की कुंजी ढूँढ़ निकाली। तदनन्तर लेफ्टिनेण्ट कनिंघम ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। सन् १८४८ ई० में उन्होंने पुरातात्त्विक सर्वेक्षण के लिए एक योजना प्रस्तुत की, किन्तु तत्काल उसका कोई विशेष परिणाम नहीं निकला। तेरह वर्ष बाद, सन् १८६१ ई० में, वे भारत के प्रथम पुरातात्त्विक सर्वेक्षक नियुक्त हुए और सन् १८८६ ई० में भारतीय पुरातत्त्व-विभाग की स्थापना हुई। किन्तु, सन् १८६६ ई० में वह पद उठा दिया गया। इसके बाद सन् १८७० ई० में भारतीय पुरातत्त्व के सर्वेक्षण के लिए प्रधान निदेशक (डाइरेक्टर-जेनरल) के पद का निर्माण किया गया और ले० कनिंघम ही उसके प्रथम प्रधान निदेशक नियुक्त हुए। किन्तु, इनके विभाग के अधिकार में प्राचीन स्मारकों के संरक्षण का काम नहीं था, बल्कि यह काम प्रान्तीय सरकारों के लोक-निर्माण-विभाग के हाथ में था। सन् १८७८ ई० में प्राचीन स्मारकों और कलाकृतियों की देखभाल के लिए एक संग्रहालयाध्यक्ष (क्यूरेटर) का पद बनाया गया। उसका काम प्रत्येक प्रान्त में फैले हुए प्राचीन स्मारकों की वर्गीकृत सूची बनाना तथा सरकार को यह परामर्श देना था कि कौन प्राचीन स्मारक सुधार के योग्य है और कौन पूर्णतया नष्ट हो गया है। कुछ दिनों के पश्चात् यह पद भी समाप्त कर दिया गया और पुन: यह कार्य प्रान्तीय सरकारों के अधिकार में चला गया। सन् १८७८ ई० में पुरातत्त्व के सम्बन्ध में 'ट्रेजर-ट्रोव ऐक्ट चतुर्थ' नामक एक महत्त्वपूर्ण ऐक्ट पास किया गया।

सन् १८८५ ई० में उत्तरी और दक्षिणी भारत के पुरातात्त्विक सर्वेक्षण का कार्य प्रधान निदेशक के हाथों में दे दिया गया और सर्वेक्षण की सुविधा के लिए सम्पूर्ण ब्रिटिश भारत को इन पाँच भागों में विभक्त कर दिया गया—१. मद्रास, २. बम्बई, ३. पंजाब (सिन्ध और राजपुताना-सहित), ४. पश्चिमोत्तर प्रान्त (मध्यप्रदेश-मध्यभारत-सहित) और ५. बंगाल (आसाम-सहित)। किन्तु, सन् १८८६ ई० में पुन: इसका कार्य ठप पड़ गया; क्योंकि सर्वेक्षण के कुछ महत्त्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियाँ नहीं की गई और यह स्थिति उन्नीसवीं सदी के अन्त तक रही।

सन् १९०४ ई० में 'प्राचीन स्मारक-सुरक्षा-अधिनियम' (एन्शियेण्ट मॉनुमेण्ट्स प्रिजर्वेशन ऐक्ट) बना; जिससे पुरातत्त्व के क्षेत्र में नवीन युग का पदार्पण हुआ। इस अधिनियम द्वारा

धार्मिक स्थानों को छोड़कर सभी प्रकार के वैयक्तिक और दूसरे अरक्षित स्मारकों के सुधार, अनधिकारी व्यक्तियों द्वारा ऐतिहासिक स्थानों की खुदाई का निषेध और प्राचीन ध्वंसावशेषवाले स्थानों में यातायात का नियंत्रण किया गया।

सन् १६१६ ई० के सुधार ने पुरातत्त्व को केन्द्रीय विषय बना दिया और तब से अभी तक यह उसी रूप में है। अबतक के पुरातत्त्विक सर्वेक्षण से यह समझा जाता था कि सभ्यता के इतिहास का प्रारम्भ आर्य-सभ्यता से ही होता है तथा मौर्यकाल से पूर्व किसी प्रकार बुद्ध-काल तक ही पुरातात्त्विक सामग्री प्राप्त की जा सकती है। किन्तु, सन् १६२४ ई० में जब हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो की खुदाई की गई, तब भारतीय इतिहास की प्रकाश-किरणें ईसा से पाँच हजार वर्ष पूर्व तक जा पहुँचीं।

अगस्त, १६४७ ई० में स्वाधीनता-प्राप्ति और भारत-विभाजन के पश्चात् सिन्धु-घाटी के कोठे और गान्धार-क्षेत्र के भारत से निकल जाने तथा देशी रियासतों के भारतीय संघ में मिल जाने पर देशी रजवाड़ों की एक लाख साठ हजार वर्गमील भूमि इस विभाग के अधिकार में आ जाने के कारण इस विभाग का पुनरसंगठन करना पड़ा। विभाजन के पश्चात इस विभाग का नाम 'भारत का पुरातात्त्विक सर्वेक्षण' से बदलकर 'पुरातत्त्व-विभाग' कर दिया गया, जो अबतक प्रचलित है।

प्रशासन—'पुरातत्त्व-विभाग' के केन्द्र राज्यों के अनुसार नहीं हैं। प्रशासन की सुविधा के लिए सम्पूर्ण देश को दस केन्द्रों या मण्डलों में विभक्त कर दिया गया है, जो अपने-अपने क्षेत्र की पुरातात्त्विक सामग्री की देख-रेख और व्यवस्था करते हैं। इन मण्डलों में एक अवर निदेशक और उनके सहायक रहते हैं। ये मण्डल निम्नलिखित हैं—१. उत्तरीय मण्डल, आगरा; २. मध्य-पूर्वीय मण्डल, पटना; ३. पूर्वीय मण्डल, कलकत्ता; ४. दक्षिण पूर्वीय मण्डल, विशाखापत्तनम्; ५. दक्षिणीय मण्डल, मद्रास; ६. दक्षिण-पश्चिमीय मण्डल, औरंगाबाद; ७. पश्चिमीय मण्डल, बड़ौदा; ८. मध्य मण्डल, भोपाल; ६. उत्तर-पश्चिमीय मण्डल, दिल्ली और (१०) जम्मू और कश्मीर-मण्डल। इसकी एक केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति है।

पुरातत्त्व-विभाग के प्रधान अधिकारी प्रधान निदेशक होते हैं। यह विभाग देश के राष्ट्रीय महत्त्व के प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। साथ ही, यह ऐतिहासिक शोधों एवं पुरातात्त्विक उत्खनन का कार्य भी करता है। यह विभाग ऐतिहासिक शोध एवं उत्खनन के कार्य में संलग्न गैर-सरकारी संस्थाओं को भी सहायता देता है। नये अधिनियम के अनुसार १० राज्यों में पुरातत्त्व-विभाग खोले गये हैं।

देश के प्रत्येक महत्त्वपूर्ण स्मारक में प्रवेश के लिए सरकार ने प्रति व्यक्ति २० नये पैसे प्रवेश-शुल्क निर्धारित कर दिया है। यह शुल्क १५ वर्ष से कम उम्र के लोगों को नहीं लगता। देश के कुछ प्रमुख स्मारक ये हैं—हैदराबाद की चार मीनार (आन्ध्रप्रदेश); बिहार के कुम्हरार (पटना) का मौर्य-राजप्रासाद का स्थल और नालन्दा का बौद्ध विहार; महाराष्ट्र की अजन्ता की गुफाएँ; एलिफेंटा की गुफाएँ और कार्ली की गुफाएँ; दिल्ली का लाल किला और कुतुबमीनार; मध्यप्रदेश के खजुराहो के मन्दिर, बाग की बौद्ध गुफाएँ और साँची के बौद्धस्तूप; मद्रास-राज्य का गिंजी किला (राजगिरि तथा कृष्णागिरी पहाड़ियों के स्मारक-समेत); बीजापुर का गोलगुंबज; सेरिंगपत्तम् का दरिया, दौलतबाग; उत्तरप्रदेश का आगरा का किला; सिकन्दरा का अकबर का मकबरा और लखनऊ की रेजीडेंसी बिल्डिंग। भारत-सरकार की सूची में १,१०० प्राचीन स्मारक हैं तथा इनमें समय-समय पर नये स्मारकों के नाम जोड़े जाते हैं।

संरक्षण—प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्त्विक महत्त्व के स्थानों एवं ध्वंसावशेषों के संरक्षण के लिए सन् १९५८ ई० में एक अधिनियम बनाया गया, जो १५ अक्टूबर से लागू हुआ। इसके अनुसार १. संरक्षित स्मारकों को नष्ट करना, हटाना, विकृत करना या दुरुपयोग करना अपराध माना गया; २. प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई; ३. केन्द्रीय सरकार की आज्ञा के बिना प्राचीन स्थानों के स्वामियों या सम्बद्ध व्यक्तियों को उस स्थान पर भवन बनाकर उसे खोदकर, काटकर या अन्य विध्वंसकारी कार्यों द्वारा नष्ट करने से रोका गया तथा ४. ऐतिहासिक और पुरातत्त्व-संबंधी स्थानों को अनिवार्य रूप से अधिकार में करने की व्यवस्था की गई।

पुरातत्त्व-विषयक शोध—इस विभाग के कार्य मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं: एक तो संरक्षण, दूसरा शोध एवं अन्वेषण। इसकी चार शाखाएँ हैं—उत्खनन शाखा, पुरालेख-शाखा, संग्रहालय-शाखा और रसायन-शाखा। इनके परिचय नीचे दिये जा रहे हैं—

१. उत्खनन-शाखा—इस शाखा का कार्य सम्पूर्ण भारत में फैला हुआ है। इसके कार्यों के फलस्वरूप बहुत-से पुरातात्त्विक स्थानों, मन्दिरों, पुरालेखों, मूर्त्तियों, ध्वंसावशेषों और कंकालों का पता लग सका है।

२. पुरालेख-शाखा—इस शाखा का कार्य भारत के विभिन्न भागों से प्राप्त पुरालेखों का शोध और संग्रह करना है। भारत में प्राचीन पुरालेख हजारों की संख्या में पाये गये हैं। यहाँ के पुरालेख मुख्यतः ताम्रपत्रों और शिलालेखों के रूप में प्राप्त होते हैं। इनके अतिरिक्त मुद्रालेख भी प्रचुर परिमाण में मिले हैं।

३. संग्रहालय-शाखा—पुरातत्त्व-विभाग में संग्रहालय का महत्त्वपूर्ण स्थान है। समग्र देश में पुरातत्त्व-सम्बन्धी कार्यों की प्रगति एवं विस्तार के फलस्वरूप अनेक स्थानों में उत्खनन-कार्य हुए, जिससे देश में बहुत-से संग्रहालयों की स्थापना हुई है।

४. रसायन-शाखा—पुरातत्त्व-विभाग में इस शाखा की स्थापना सर्वप्रथम सन् १९१७ ई० में हुई। इस शाखा का मुख्य कार्य है—रासायनिक प्रयोग द्वारा संग्रहालय की एवं अन्य पुरातात्त्विक वस्तुओं की सुरक्षा करना। यह विभाग प्राप्त वस्तुओं की रासायनिक परीक्षा एवं वैज्ञानिक विश्लेषण करता है।

पुरातत्त्व-विद्यालय—दिल्ली में १५ अक्टूबर, १९५९ ई०, को एक पुरातत्त्व-विद्यालय की स्थापना की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को पुरातत्त्व-सम्बन्धी व्यावहारिक ज्ञान देकर उन्हें पुरातत्त्व-सम्बन्धी कार्य के लिए निपुण बनाना है। यहाँ के पाठ्यक्रम की अवधि २० महीनों की है और इसके अंत में परीक्षा लेकर छात्रों को डिप्लोमा दिया जाता है।

प्रकाशन—पुरातत्त्व-विभाग ने अपने विभागीय शोधों और उत्खननों के विवरणों को पुस्तक-रूप में प्रकाशित किया है। 'आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया' नाम से प्रकाशित इस विभाग के शोध-विवरण इतिहासप्रेमियों और ऐतिहासिक अनुशीलन करनेवालों के लिए विशेष उपादेय सिद्ध हुए हैं। इस विभाग ने 'एन्शियेण्ट इंडिया' नाम से अपने १२ बुलेटिन और गाइड भी प्रकाशित किये हैं। इसके प्रकाशनों में 'एपिग्राफिया इंडिका', 'कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम् इंडिकारम्' आदि के नाम भी उल्लेखनीय हैं।

ऐतिहासिक अभिलेख-आयोग—भारत-सरकार ने एक विधेयक द्वारा सन् १९१९ ई० में इस आयोग की स्थापना की थी। इस आयोग के वे विद्वान् और उन संस्थाओं के प्रतिनिधि

सदस्य होते हैं, जो ऐतिहासिक अनुशीलन, ऐतिहासिक हस्त-लेखों और अभिलेखों के अध्ययन में संलग्न हैं। इस आयोग के अध्यक्ष पदेन शिक्षा-मंत्री और सचिव 'नेशनल आर्चिव्स' के निदेशक हुआ करते हैं।

पुरातत्त्व की महत्त्वपूर्ण तिथियाँ

१७८४ ई० में 'एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल' की स्थापना हुई।

१८६२ ई० में 'आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया' नामक राजकीय संस्था कायम हुई।

१८७२ ई० में 'इण्डियन एण्टिक्वेटी' का प्रकाशन आरम्भ हुआ।

१८७७ ई० में 'कार्पस इंस्क्रिप्शनम् इंडिकारम्' नामक ग्रन्थ का प्रथम खंड प्रकाशित हुआ, जिसमें अशोक और उसके पोते के शिलालेखों की अविकल प्रतिलिपि और उनका अनुवाद प्रकाशित हुआ।

१८७८ ई० में प्राचीन वस्तुओं का नाश करनेवालों के प्रतिरोध के लिए 'ट्रेजर-ट्रोव ऐक्ट' स्वीकृत हुआ।

१९०४ ई० में प्राचीन स्मारकों एवं अवशेषों के संरक्षण के लिए 'एन्शियेण्ट मॉनुमेण्टस प्रिजर्वेशन ऐक्ट' पास हुआ।

१९४५ ई० में 'सेण्ट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ ऑर्कियोलॉजी' का निर्माण हुआ।

१९४८ ई० में 'अर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया' का नाम 'डिपार्टमेण्ट ऑफ आर्कियोलॉजी' रखा गया।

१९४९ ई० में नई दिल्ली में 'नेशनल म्यूजियम' और 'आर्कियोलॉजिकल स्कूल' का उद्घाटन हुआ।

१९५८ ई० में 'ऐन्शियेण्ट मॉनुमेण्ट्स ऐंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऐण्ड रिमेन्स प्रिजर्वेशन ऐक्ट' पास हुआ।

१९५९ ई० में १५ अक्टूबर को नई दिल्ली में एक पुरातत्त्व-विद्यालय की स्थापना हुई।

१९६२ ई० में पुरातत्त्व-विभाग का शताब्दी-महोत्सव मनाया गया।

संग्रहालय

संग्रहालय या म्यूजियम पुरातत्त्व-विभाग की ही एक शाखा है। इसमें शोध और उत्खनन से प्राप्त एवं दूसरे पुरातत्त्व-विषयक अभिलेख, शिलालेख, ताम्रपत्र, मूर्त्ति, मृत्खंड आदि वस्तुएँ संगृहीत और संरक्षित की जाती हैं। सबसे पहला म्यूजियम 'एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल' ने १८१४ ई० में स्थापित किया था, जो कालान्तर में 'इण्डियन म्यूजियम' (कलकत्ता) के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके पश्चात् प्रायः भारत के प्रत्येक प्रदेश में म्यूजियम स्थापित हुए। सन् १८७८ ई० में सर्वप्रथम 'क्यूरेटर ऑफ एन्शियेण्ट मानुमेण्ट्स' के एक केन्द्रीय पद का निर्माण किया गया।

सन् १९४५ ई० में पुरातत्त्व-विभाग के जिम्मे भारत-भर के संग्रहालयों की देख-रेख का कार्य आ गया। इस समय भारत में लगभग १०० म्यूजियम हैं, जिनमें ईसा-पूर्व पाँच हजार

वर्ष से ब्रिटिश शासन-काल की पुरातत्त्व एवं इतिहास से सम्बद्ध बहुत-सी सामग्री ब्रिटिश म्यूज़ियम, लन्दन में सुरक्षित है। इस सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता होने पर भी अबतक भारत-सरकार उन वस्तुओं को नहीं प्राप्त कर सकी है। बहुत-सी सामग्री देश-विभाजन होने पर पाकिस्तान के म्यूज़ियमों में पड़ी रह गई है।

इस समय भारत के विभिन्न राज्यों में प्रमुख म्यूज़ियम निम्नलिखित हैं—

पश्चिमी बंगाल

इण्डियन म्यूज़ियम, कलकत्ता।
आशुतोष म्यूज़ियम, कलकत्ता-विश्वविद्यालय, कलकत्ता।
विक्टोरिया मेमोरिल हॉल, कलकत्ता।
गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल म्यूज़ियम, कलकत्ता।
बंगीय साहित्य-परिषद् म्यूज़ियम, कलकत्ता।
कॉमर्शियल म्यूज़ियम, कलकत्ता।
म्युनिसिपल म्यूज़ियम, कलकत्ता।
एशियाटिक सोसाइटी म्यूज़ियम, कलकत्ता।
शिवपुर बोटानिकल गार्डेन हर्वेरियन, शिवपुर, हवड़ा।
नेचुरल हिस्टोरिकल म्यूज़ियम, दार्जिलिंग।
बी० आर० सेन म्यूज़ियम, मालदह।
रवीन्द्र-सदन (टैगोर म्यूज़ियम), शान्ति-निकेतन।

बिहार

पटना म्यूज़ियम, पटना।
राधाकृष्ण जालान-म्यूज़ियम, पटना सिटी।
नालन्दा म्यूज़ियम, नालन्दा (पटना)।
वैशाली म्यूज़ियम, वैशाली (मुजफ्फरपुर)।
बोधगया म्यूज़ियम, बोधगया।
चन्द्रधारी-संग्रहालय, दरभंगा।
गया म्यूज़ियम, गया।

उत्तरप्रदेश

सारनाथ म्यूज़ियम, सारनाथ (वाराणसी)।
भारत कलाभवन, काशी।
म्युनिसिपल म्यूज़ियम, प्रयाग।
स्टेट म्यूज़ियम, लखनऊ।
आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम, मथुरा।
ताज म्यूज़ियम, आगरा।
फैजाबाद म्यूज़ियम, फैजाबाद।
गुरुकुल काँगड़ी म्यूज़ियम, काँगड़ी, हरद्वार।
कौसाम्बी संग्रहालय (प्रयाग)।
महात्मा गांधी हिन्दी-संग्रहालय, कालपी।

दिल्ली

नेशनल म्यूज़ियम, नई दिल्ली।
सेण्ट्रल एशियन एंटिक्विटीज म्यूज़ियम नई दिल्ली।
आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम, लाल किला, दिल्ली।
वार मेमोरियल म्यूज़ियम, नई दिल्ली।
गांधी-स्मारक संग्रहालय, नई दिल्ली।
नेशनल गैलरी ऑफ मार्डेन आर्ट, नई दिल्ली।
नेशनल म्यूज़ियम ऑफ इंडिया, नई दिल्ली।

पंजाब

सेण्ट्रल सिख म्यूजियम, अमृतसर।
प्रान्तीय म्यूजियम, पटियाला।
स्टेट म्यूजियम, चंडीगढ़ (पंजाब)।
पंजाब गवर्नमेंट म्यूजियम, शिमला।

हिमाचल-प्रदेश

राजकीय संग्रहालय, शिमला।
भूरीसिंह म्यूजियम, चंबा।

राजस्थान

सेण्ट्रल म्यूजियम, जयपुर।
विक्टोरिया हॉल म्यूजियम, उदयपुर।
सरदार म्यूजियम, जोधपुर।
राजपुताना म्यूजियम, अजमेर।
गंगा गोल्डेन जुबिली म्यूजियम, बीकानेर।
गवर्नमेंट म्यूजियम, अलवर।
अंबर म्यूजियम, आमेर, जयपुर।
स्टेट म्यूजियम, भरतपुर।
आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, झालावार।
म्यूजियम ऐंड सरस्वती भंडार, कोटा।
आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, अम्बर।
एन० एस० पी० एच० म्यूजियम, बुन्दी।
छोटूराम म्यूजियम, संगरिया।
सीकर म्यूजियम, सीकर।

मध्यप्रदेश

सेण्ट्रल म्यूजियम, भोपाल।
अमरावती म्यूजियम, अमरावती।
आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, धार।
आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, ग्वालियर किला।
स्टेट म्यूजियम, ग्वालियर।
सेण्ट्रल म्यूजियम, इन्दौर।
महन्त घासीदास म्यूजियम, रायपुर।
आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, खजुराहो।
दिगम्बर जैन म्यूजियम, सोनागीर।
स्टेट म्यूजियम, धुवेला महल, नौगाँव।
विदिशा म्यूजियम, विदिशा।
म्यूजियम ऑफ आर्कियोलॉजी, साँची।
सागर-विश्वविद्यालय-पुरातत्त्व-संग्रहालय, सागर।

गुजरात

म्युनिसिपल म्यूजियम, अहमदाबाद।
जूनागढ़-म्यूजियम, जूनागढ़।
कच्छ-म्यूजियम, भुज।
म्यूजियम आफ एन्टिक्विटिज, जामनगर।
सर प्रतापसिंह म्यूजियम, भावनगर।
म्यूजियम ऐंड पिक्चर गैलरी, बड़ौदा।
लोयल म्यूजियम, लोयल।
लेडी विल्सन म्यूजियम, धर्मपुर।
प्रभासपट्टन म्यूजियम, प्रभासपट्टन
वाटसन म्यूजियम, राजकोट।
गांधी स्मारक संग्रहालय, साबरमती, अहमदाबाद।
सरदार वल्लभ भाई पटेल म्यूजियम, सूरत।
म्यूजियम ऑफ आर्ट ऐण्ड आर्कियोलॉजी, वल्लभ-विद्यानगर।

महाराष्ट्र

प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, बम्बई।
सेंटजेवियर कॉलेज-म्यूजियम, बम्बई।
भारतीय विद्याभवन-म्यूजियम, बम्बई।
विक्टोरिया ऐण्ड अलबर्ट म्यूजियम, विक्टोरिया गार्डेन, बम्बई।
कोल्हापुर म्यूजियम, कोल्हापुर।

भारतीय इतिहास-संशोधक-मंडल म्यूजियम, पूना ।
सेण्ट्रल म्यूजियम, नागपुर ।
श्रीभवानी म्यूजियम, औंध ।
हिस्टोरिकल म्यूजियम, सतारा ।
गांधी-स्मारक संग्रहालय, सेवाग्राम, वर्धा ।
आई० वी० के० राजवाड़े संशोधन-मण्डल म्यूजियम, धुलिया ।

मैसूर

गवर्नमेंट म्यूजियम, बँगलोर ।
महात्मा गांधी-म्यूजियम, बँगलोर ।
गवर्नमेंट म्यूजियम, बँगलोर ।
लोकल ऐण्टिक्विटीज म्यूजियम, चित्रदुर्ग ।
आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, बीजापुर ।
कन्नड रिसर्च इंस्टिच्यूट म्यूजियम, धारवार ।
आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, हाम्पी ।

केरल

म्यूजियम ऑफ एंटिक्विटीज, पद्मनाभपुरम् ।
स्टेट म्यूजियम, त्रिचूर, कोचीन ।
आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम ऐण्ड पिक्चर गैलेरी, त्रिचूर ।
स्टेट म्यूजियम, त्रिचूर ।
गवर्नमेंट म्यूजियम, त्रिवेन्द्रम् ।
श्रीचित्रालयम्, त्रिवेन्द्रम् ।

मद्रास

गवर्नमेंट म्यूजियम ऐण्ड नेशनल आर्ट गैलरी, मद्रास ।
फोर्ट सेंट जार्ज म्यूजियम, मद्रास ।
गांधी-स्मारक संग्रहालय, मदुराई ।
मीनाक्षी-मंदिर संग्रहालय, मदुराई ।
श्रीरंगनाथ स्वामी देवस्थान म्यूजियम, श्रीरंगम् ।
गवर्नमेंट म्यूजियम, पद्दुकोट्टाई ।
तंजोर-कलामंदिर-संग्रहालय, तंजोर ।
म्यूजियम ऑफ ऐण्टीक्विटीज, पद्मनाभपुरम् ।

आन्ध्र

सालारजंग म्यूजियम, हैदराबाद ।
आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, कोंडापुर ।
हैदराबाद म्यूजियम, हैदराबाद ।
विक्टोरिया जुबिली म्यूजियम, विजयवाडा ।
आर्कियोलॉजिकल साइट म्यूजियम, आलमपुर ।
अमरावती संग्रहालय, अमरावती ।
मदन्नापल्ल संग्रहालय, मदन्नापल्ल ।
नागार्जुन कोंडा पुरातत्त्व-संग्रहालय, नागार्जुन, कोंडा ।
आंध्र ऐतिहासिक अनुसन्धान-समिति संग्रहालय, राजामुन्द्री ।
श्रीवेंकटेश्वर-संग्रहालय, तिरुपति ।

उड़ीसा

उड़ीसा स्टेट म्यूजियम, भुवनेश्वर ।
बारीपद-म्यूजियम, बारीपद ।
बेलखंडी म्यूजियम, बेलखंडी ।
खिचिंग म्यूजियम, खिचिंग, (मयूरभंज) ।

आसाम

गौहाटी म्यूजियम, गौहाटी ।

जम्मू और कश्मीर

डोगरा आर्ट गैलरी, जम्मू ।
एस० पी० एस० गवर्नमेंट म्यूजियम, श्रीनगर ।



सम्मान और पुरस्कार

भारतरत्न

भारत-सरकार द्वारा सम्मानार्थ दी हुई यह श्रेष्ठतम उपाधि है। यह सम्मान कला, साहित्य और विज्ञान की उन्नति के लिए किये गये असाधारण कार्य और सर्वोत्कृष्ट देश-सेवा के लिए प्रदान किया जाता है।

इस सम्मान का सूचना-पदक, पीपल के पत्तों के आकार का होता है, जो $२\frac{५}{१६}$ इंच लम्बा $१\frac{७}{८}$ इंच चौड़ा और $\frac{१}{८}$ इंच मोटा रहता है। यह ठोस काँसे का बना होता है। इसके ऊपरी भाग में सूर्य की उभरी हुई आकृति होती है, जिसके नीचे उभरे हुए हिन्दी-अक्षरों में 'भारतरत्न' लिखा होता है। इसके पिछले भाग पर राजचिह्न और हिन्दी में उद्देश्य-वाक्य होते हैं। सूर्य की आकृति राजचिह्न और चारों ओर का किनारा प्लैटिनम का होता है और 'भारतरत्न' के अक्षर चमकीले काँसे के होते हैं।

अबतक यह निम्नांकित व्यक्तियों को प्राप्त हुआ है—

चक्रवर्ती राजगोपालाचारी
डॉ० राधाकृष्णन्
डॉ० सी० वी० रमण
डॉ० भगवानदास (मृत)
डॉ० एम्० विश्वेश्वरैया (मृत)
पं० जवाहरलाल नेहरू
पं० गोविन्दवल्लभ पन्त (मृत)
डॉ० डी० के० कर्वे (मृत)
श्री के० आर० आई० दोराइस्वामी
श्रीपुरुषोत्तमदास टण्डन (मृत)
डॉ० विधानचन्द्र राय (मृत)
डॉ० राजेन्द्र प्रसाद (मृत)
डॉ० जाकिर हुसैन
श्री पांडुरंग वामन काणे

पद्मविभूषण

यह सम्मान असामान्य और विशिष्ट सेवा करनेवाले व्यक्तियों को, जिनमें सरकारी कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, दिया जाता है।

इस सम्मान का सूचक पदक गोल आकार का होता है, जिसपर एक ज्यामितिक आकार उभरा हुआ होता है। इसके गोलाकार भाग का व्यास $१\frac{३}{८}$ इंच होता है और मोटाई $\frac{१}{८}$ इंच। ऊपर के भाग के गोल हिस्से में कमल का पुष्प उभरा हुआ होता है। पुष्प के ऊपर 'पद्म' और नीचे 'विभूषण' शब्द हिन्दी में उभरे हुए होते हैं। पिछली ओर राजचिह्न और हिन्दी में सूक्ति होती है। ये भी ठोस काँसे के होते हैं। सन् १९६३ ई० में तीन व्यक्तियों को यह सम्मान प्रदान किया गया—श्रीहरि विनायक पाटस्कर, श्री आरकोट लक्ष्मणस्वामी मुदालियर और डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी।

पद्मभूषण

यह सम्मान किसी भी क्षेत्र में की गई विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। सरकारी कर्मचारी भी इसके पाने के अधिकारी हैं।

इसकी बनावट भी 'पद्मविभूषण' के पदक-जैसी ही है। उपरले भाग में 'पद्म' शब्द कमल के पुष्प के ऊपर और 'भूषण' शब्द पुष्प के नीचे उभरे होते हैं। इसका घेरा 'पद्मभूषण' के अक्षर और दोनों ओर के ज्यामितिक आकार के चमकीले काँसे के होते हैं। दोनों ओर का उभरा

हुआ भाग 'स्टैण्डर्ड सोने' का होता है। सन् १९६३ ई० में यह सम्मान निम्नलिखित व्यक्तियों को दिया गया—

बदरीनाथ प्रसाद, इलाहाबाद-विश्वविद्यालय; हरिनारायण सिंह, राष्ट्रपति के सैन्य-सचिव; कानूरी लक्ष्मण राव, संसद्-सदस्य; एम० एल० सोनी, दन्त-चिकित्सक, दिल्ली; माखनलाल चतुर्वेदी, हिन्दी-लेखक, खण्डवा (म० प्र०); एन० एन० बेरी, दन्त-चिकित्सक, दिल्ली; नीतीशचन्द्र लाहिड़ी, कलकत्ता; अमियकुमार दास, आसाम; आर० जी० सरैया, अध्यक्ष, महाराष्ट्र सड़क-परिवहन; राहुल सांकृत्यायन, प्रसिद्ध विद्वान्; डॉ० रामकुमार वर्मा, हिन्दी-साहित्यिक, उत्तरप्रदेश; त्रिवेंकट राजेन्द्र शास्त्री, दिल्ली-विश्वविद्यालय।

पद्मश्री

यह सम्मान भी किसी व्यक्ति को, चाहे वह सरकारी कर्मचारी क्यों न हो, किसी भी असामान्य सेवा के लिए प्रदान किया जाता है।

इसका नाम उपरले भाग में उभरे हुए हिन्दी के अक्षरों में लिखा होता है। 'पद्म' शब्द कमल के पुष्प के ऊपर और 'श्री' शब्द नीचे लिखा रहता है। इसका घेरा, दोनों ओर के ज्यामितिक आकार और 'पद्मश्री' के अक्षर चमकीले काँसे के होते हैं। दोनों ओर का उभरा हुआ काम स्टेनलेस इस्पात का होता है। सन् १९६३ ई० में यह सम्मान निम्नलिखित व्यक्तियों को दिया गया—

अहीन्द्र चौधरी, कलकत्ता; विशन मानसिंह, कृषक, उत्तरप्रदेश; ब्रजकृष्ण चण्डीवाला, दिल्ली; जार्ज विलियम ग्रेगरी वर्ड, मेडिकल कॉलेज, पूना; जोएल लकरा, सामाजिक कार्यकर्त्ता, विहार; के० सी० जोहरी, पॉलिटिकल अफसर, बोमडीला; राणा कृष्णदेवनारायण सिंह, डिप्टी कमिश्नर, तेजपुर; लीला सुमन्त मुलगाँवकर, सामाजिक कार्यकर्त्ता, महाराष्ट्र; महबूब खाँ, फिल्म निर्माता, बम्बई; मेलविले डीमेलो, अकाशवाणी; मुस्ताक अली, क्रिकेट खेलाड़ी, इन्दौर; एन० जी० के० मूर्त्ति, चीफ इंजीनियर, महाराष्ट्र; ननीचन्द्र बारदोलोई, सेण्ट्रल हॉस्पिटल, तेजपुर; नोशीर फ्रेमरोज सुनटुक, नागालैंड; पीलू एम० मानकजी, महाराष्ट्र; सुरेन्द्रकुमार बनर्जी, स्थानापन्न राजदूत, पेकिंग; रसीद अहमद सिद्दिकी, उर्दू-लेखक; एस० एस० यादव, असिस्टेन्ट पॉलिटिकल अफसर, टुटिंग; शिशिरकुमार लाहिरी, महानिदेशक, प्रकाशगृह, दिल्ली; सोहराबजी पेस्टोनजी श्रेफ, नेत्र-विशेषज्ञ, दिल्ली; सुमतकिशोर जैन, सिविल इंजि० उत्तर प्रदेश।

वीरता के लिए पुरस्कार

वीरता के लिए भारत-सरकार की ओर से सम्मानार्थ प्रतिवर्ष परम वीरचक्र, महावीर-चक्र और वीरचक्र दिये गये हैं। फिर प्रथम, द्वितीय और तृतीय—इन तीनों श्रेणियों के अशोकचक्र हैं। उपर्युक्त पात्रों के नहीं मिलने पर ये पदक नहीं भी दिये जाते हैं।

परम वीरचक्र—वीरता के लिए सर्वोच्च सम्मान का सूचक 'परम वीरचक्र' पदक है, जो स्थल, जल अथवा आकाश में शत्रु के सम्मुख असीम शौर्य, अदम्य साहस अथवा आत्मबलिदान के लिए भेंट किया जाता है। 'परम वीरचक्र' काँसे का बना हुआ तथा वृत्ताकार होता है। इसके मुखभाग के मध्य में राजचिह्न के चारों ओर 'इन्द्र के वज्र' की चार प्रतिकृतियाँ उत्कीर्ण होती हैं और पृष्ठभाग पर मध्य में दो कमल-पुष्प तथा हिन्दी और अँगरेजी में 'परम वीरचक्र' शब्द अंकित

रहते हैं। यह पदक सवा इंच चौड़ी गुलाबी पट्टी के साथ वाम पक्ष पर लगाया जाता है। यह पदक सन् १९६३ ई० में इन व्यक्तियों को दिया गया—मेजर धनसिंह थापा, सुबेदार जोगिन्दर सिंह, मेजर शैतान सिंह।

महावीर-चक्र—'महावीर-चक्र' का स्थान सम्मान की दृष्टि से दूसरा है और यह स्थल, जल अथवा आकाश में शत्रु के सम्मुख असीम शौर्य-प्रदर्शन के लिए भेंट किया जाता है। 'महावीर-चक्र' प्रामाणिक चाँदी का तथा वृत्ताकार होता है और इसके मुखभाग पर एक पंचकोण नक्षत्र उत्कीर्ण होता है, जिसके गुम्बदाकार मध्य भाग में स्वर्ण-मण्डित राजचिह्न की उभरी हुई आकृति रहती है। पदक के पृष्ठभाग पर मध्य में दो कमल-पुष्प तथा हिन्दी और अँगरेजी में 'महावीर-चक्र' शब्द उत्कीर्ण होते हैं। यह पदक सवा इंच चौड़ी सफेद और नारंगी रंग की पट्टी के साथ वाम पक्ष पर इस प्रकार लगाया जाता है कि नारंगी पट्टी बायें कन्धे की ओर रहे। यह पदक सन् १९६३ ई० में निम्नलिखित व्यक्तियों को दिया गया—

स्क्वा० ल० जगमोहन नाथ, सेकेण्ड लेफ्टिनेंट श्यामलदेव गोस्वामी, ब्रिगेडियर तपेश्वर नारायण रैना, नायक महावीर थापा (मृत), लेफ्टिनेंट नायक रामबहादुर गुरुंग (मृत), हवलदार सरूप सिंह (मृत), मेजर शार्दूल सिंह रणधावा, मेजर शेर प्रताप सिंह श्रीकान्त, नायक रविलाल थापा, मेजर अजीत सिंह, मेजर एम० एस० चौधरी, मेजर गुरुदयाल सिंह, कैप्टेन महावीरप्रसाद, सेकेण्ड लेफ्टिनेन्ट जी० पी० पी० राव, सुबेदार सोनम स्टोपधान, जमादार इश्त टुण्डुप, हवलदार सतिनगियाम फुनचोक, सिपाही केवल सिंह।

वीरचक्र—'वीरचक्र' का स्थान स्थल, जल अथवा आकाश में शत्रु के सम्मुख शौर्य-प्रदर्शन के लिए दिये जानेवाले पदकों में तीसरा है। 'वीरचक्र' चाँदी का तथा वृत्ताकार होता है। इसके मुखभाग पर एक पंचकोण नक्षत्र होता है, जिसके मध्य में अशोकचक्र अंकित रहता है। अशोकचक्र के गुम्बदाकार मध्य भाग पर स्वर्णमण्डित राजचिह्न अंकित होता है। पदक के पृष्ठभाग पर मध्य में दो कमल-पुष्प तथा हिन्दी और अँगरेजी में 'वीरचक्र' शब्द उत्कीर्ण रहते हैं।

यह चक्र सवा इंच चौड़ी नीली और नारंगी रंग की पट्टी के साथ वाम पक्ष पर इस प्रकार लगाया जाता है कि नारंगी रंग की पट्टी बायें कन्धे की ओर रहे। सन् १९६३ ई० में यह पदक निम्नलिखित व्यक्तियों को दिया गया—

विंग कमाण्डर पुरुषोत्तम लाल धवन; विंग कमाण्डर टॉम लैनेल एण्डर्सन; स्क्वा० ल० चन्दन सिंह; कैप्टेन अश्विनीकुमार दीवान; फ० ले० विनायक भिवाजी सामन्त; ले० सुधीरकुमार सोनपार; ले० हरिपाल कौशिक; जमादार सूरज; जमादार हरिराम; जमादार रामचन्द्र; गुरुदीप सिंह; नायक हुक्मचन्द्र; कैप्टेन गुरुचरण सिंह भाटिया; कैप्टेन रविकुमार माथुर; कैप्टेन बलबीर चन्द्र चोपड़ा; कैप्टेन प्रेमनाथ भाटिया; से० ले० नवीनचन्द्र कोहली; से० ले० प्रदीप सिंह भण्डारी; से० ले० अमर सिंह खत्री; सुबेदार भाव बहादुर कटवल; सूबेदार जगन्त पाज लिम्बू; नायक गंगाराम; ले० ना० ज्ञान सिंह; सिपाही अमर सिंह; सिपाही गोवर्द्धन सिंह; सिपाही फोले राम (मृत); जमादार देवजंग शाही; ले० ओमप्रकाश वंगिया; मे० गोविन्द सिंह शर्मा; सूबेदार सत्यजित पुन; नायक मेकरासी गुरुंग; वि० क० एन्थोनी इग्नेटियस केनेथ सुआरेस; स्क्वा० ल० मनोहर माधव तकले; कैप्टेन राजा अमृतलिङ्गम्; से० ले० हरिश्चन्द्र गुजराल; जमादार रिगजिन फुनचोक; हवलदार तुलसीराम; ले० ह० धरम सिंह; नायक मुन्शीराम (मृत); नायक

चिम्मन दोरजी (मृत); नायक बहादुर सिंह (मृत); ले० नायक राघवन; सिग० धरमचन्द (मृत); सिपाही एस० जोसेफ (मृत); सिपाही डोरजी फुनचोक; सिपाही सोनम वांगचुक (मृत); सिपाही लोबजंग चिरिंग (मृत); सिपाही सोनम रवगेस (मृत); राइफलमैन तुलसीराम थापा; स्क्वा० ल० अर्नाल्ड शचीन्द्रनाथ विलियम्स; स्क्वा० ल० सूर्यकान्त बधवर; फ० ले० कुप्पूस्वामी लक्ष्मीनारायणन्।

अशोकचक्र, श्रेणी १—यह पदक स्थल, जल अथवा आकाश में असीम शौर्य, अदम्य साहस अथवा आत्मबलिदान के लिए भेंट किया जाता है। यह पदक सोने से मढ़ा हुआ तथा वृत्ताकार होता है और इसके मुखभाग पर कमलमाल से घिरा हुआ अशोकचक्र उत्कीर्ण होता है। पदक के किनारे-किनारे कमल की पंखुड़ियों, पुष्पों और कलियों की आकृतियाँ बनी रहती हैं। पृष्ठभाग पर हिन्दी तथा अँगरेजी में 'अशोकचक्र' शब्द उत्कीर्ण रहते हैं, जिनके मध्य का स्थान कमल-पुष्पों से सुशोभित रहता है।

यह पदक सवा इंच चौड़ी हरे रंग की रेशमी पट्टी के साथ, जिसके मध्य में उसको दो समान भागों में विभक्त करनेवाली एक खड़ी नारंगी रेखा होती है, वाम पक्ष पर लगाया जाता है। सन् १९६३ ई० में यह पदक किसी को नहीं दिया गया।

अशोकचक्र, श्रेणी २—यह गोलाकर रजत पदक असीम शौर्य-प्रदर्शन के लिए भेंट किया जाता है। इसके दोनों ओर ठीक उसी प्रकार की आकृतियाँ होती हैं, जिस प्रकार 'अशोकचक्र, श्रेणी १' की। यह चक्र सवा इंच चौड़ी हरे रंग की रेशमी पट्टी के साथ; जिसपर तीन बराबर भागों में विभक्त करनेवाली दो खड़ी नारंगी रेखाएँ होती हैं, वामपक्ष पर लगाया जाता है। सन् १९६३ ई० में यह पदक निम्नांकित व्यक्तियों को दिया गया—

नायक रणजीत सिंह (मृत); अलिकावेंकट राव (मृत); फ० ले० करण शेर सिंह कलसिया; ले० नोएल केलमन; वचन सिंह (मृत); विजयेन्द्रपाल सिंह तोमर (मृत); राइफलमैन वीरसिंह नेगी; फ० ले० जगन्नाथ विजयराघवन् (मृत); फ० ऑफिसर वी० गणेशन् (मृत); फ० ले० बालकृष्ण देसोरेस; सूबेदार मंगल बहादुर लिम्बू; ले० ना० एम० लक्ष्मणन; से० ले० हीरावल्लभ काला; नायक धरम सिंह, नायक सरदार सिंह।

अशोकचक्र, श्रेणी ३—यह पदक वीरतापूर्ण कार्यों के लिए भेंट किया जाता है। काँसे के बने होने के अतिरिक्त यह पदक 'अशोकचक्र, श्रेणी १ तथा २' जैसा ही होता है। यह पदक सवा इंच चौड़ी दो रंग की रेशमी पट्टी के साथ, जिसपर चार बराबर भागों में विभक्त करनेवाली तीन खड़ी नारंगी रेखाएँ होती हैं, वाम पक्ष पर लगाया जाता है। सन् १९६३ ई० में यह पदक निम्नांकित व्यक्तियों को दिया गया—

ले० सतीशचन्द्र चड्ढा; से० ले० धरमदत्त भल्ला; से० ले० ऊधै सिंह; से० ले० हरदत्त सिंह गुमान; नायक केसर सिंह, श्रीराधालाल; ले० ना० प्रेमसिंह; गेजरमल्ल सिंह; फ० ले० पलामादेई मत्थूस्वामी रामचन्द्रन; ले० हव०: शिशुपाल सिंह (मृत); सिपाही हुकम सिंह (मृत); सूबे० ले० अली मुहम्मद; यशवन्त सिंह बावा; बचन सिंह (मृत); सैमुएल जयासेलन मोहनदास (मृत); कुलदीप चन्द चोपड़ा; कै० भोलानाथ; हवलदार नरबहादुर गुरुंग; ले० क० आर० जे० सोलोमन; राइ० केहर सिंह; डोमाए; हवलदार बलवान सिंह; नायक रामप्रसाद लिम्बू; ले० ना० रिसाल सिंह पठानिया।

राष्ट्रीय प्राध्यापक

सन् १६४६ ई० में भारत-सरकार ने राष्ट्रीय प्राध्यापकों के कुछ पद निर्माण किये। उन प्राध्यापकों को प्रतिमास २,५०० रुपये वेतन के रूप में इस उद्देश्य से दिये जाते हैं कि वे अनुसंधान-सम्बन्धी कार्यों में अपनी पूरी शक्ति और लगा सकें। उन्हें यह भी अधिकार है कि वे अपनी इच्छा से किसी भी विश्वविद्यालय या संस्था में जाकर अनुसंधान-कार्य कर सकते हैं। सन् १६४६ से १६५६ ई० तक निम्नांकित व्यक्तियों को उक्त पद पर नियुक्त किया गया है—

१६४६ : डॉ० सी० वी० रमण

१६५८ : श्री एस्० एन्० वोस, एफ्० आर० एस्०

१६५८ : डॉ० के एस्० कृष्णन् (मृत)

१६५६ : डॉ० राधाविनोद पाल (राष्ट्रीय प्राध्यापक, न्याय-व्यवस्था)
डॉ० पी० वी० काणे (राष्ट्रीय प्राध्यापक, भारतीय शास्त्र)

१६६२ : डॉ० डी० एन० वाडिया (भूगर्भ-शास्त्र)
डॉ० वी० आर खतोलकर (औषध)

विद्वानों को पुरस्कार

संस्कृत, फारसी तथा अरवी के प्रसिद्ध विद्वानों को सन् १६५८ ई० से प्रतिवर्ष सम्मान-प्रमाण-पत्र तथा १,५०० रुपये के वित्तीय अनुदान आजकल दिये जाते हैं। अवतक ये प्रमाण-पत्र तथा अनुदान निम्नांकित विद्वानों को दिये गये—

१९५८

संस्कृत—श्रीविधुशेखर भट्टाचार्य, म० म० श्रीगिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, श्रीपाण्डुरंग वामन काणे और श्रीश्रीपाद कृष्णमूर्त्ति शास्त्री।

अरवी—मुहम्मद जुवैर सिद्दीकी।

१९५९

संस्कृत—म० म० डॉ० गोपीनाथ कविराज, पं० श्रीश्रीपाद दामोदर सातवलेकर, पण्डितराज फुरैलत पाम अतम्बापू शर्मा, श्रीउत्तमुर तिरुमलाई मल्लन, चक्रवर्त्ती वीरराघवाचार्य।

फारसी—डॉ० हादी हसन।

१९६०

संस्कृत—श्रीपाद कृष्ण वेलवलकर, एन्० सुब्रह्मण्य उपाध्याय अनन्तकृष्ण शास्त्री, कालीपद तर्काचार्य, काशी कृष्णाचार्य।

अरवी—मुस्तफा हसन आलवी।

१९६१

संस्कृत—श्रीकोलंगोडा पी० गोपालन नायर; श्रीदत्त वामन पोद्दार; पं० सुखलाल; संघजीवी महामहोपाध्याय हरिदास सिद्धान्तवागीश।

अरवी—डॉ० अब्दुस्सत्तार सिद्दिकी।

१९६२

संस्कृत—हरिदामोदर वेलंकर, ब्रह्मदत्त जिज्ञासु, अक्षयकुमार शास्त्री, अग्निहोत्रम् थाथाद्रेसिगा ताथाचारियर।

अरवी और फारसी—मुहम्मद निजामुद्दीन 'फिरदौस'।

साहित्य-अकादमी के पुरस्कार, १९६२

साहित्य-अकादमी की कार्यसमिति ने विभिन्न भाषाओं की निम्नलिखित पुस्तकों पर सन १९६२ ई० के लिए उनके लेखकों को ५००० रु० के सम्मान-पुरस्कार इस वर्ष नेशनल डिफेन्स सर्टिफिकेट के रूप में दिये हैं—

बँगला—जापाने (यात्रा-वृत्तान्त)—आनन्दशंकर राय।

गुजराती—उपायन ग्रन्थ (आलोचनात्मक रचनाओं का संग्रह)—वी० आर० त्रिवेदी।

कन्नड—महाक्षत्रीय (उपन्यास)—देवुडू नरसिंह शास्त्री।

मराठी—अनामिकाची चिन्तनिका (दार्शनिक चिन्तन)—पी० वाई० देशपाण्डे।

पंजाबी—रंगमंच (भारतीय नाट्य)—बलवन्त गार्गी।

तमिल—अक्करई चीमियाल (यात्रा-वृत्तान्त)—मो० पा० सोमसुन्दरम्।

तेलुगु—विश्वनाथ मध्यकरलू (पद्य)—विश्वनाथ सत्यनारायण।

उर्दू—यादेन—अख्तर उल इमाम।

ललित-कला-अकादमी के पुरस्कार, १९६३

चित्रकला

ज्योति भट्ट

ज्योतिप भट्टाचार्य

के० एस० कुलकरनी

लक्ष्मण पाइ

जयराम पटेल

पीराजी सागर

गौतम वघेला

शिल्पकला

राघव कानेरिया

एस० एस० वोहरा

ग्राफिक

सोमनाथ होरे

संगीत-नाटक-अकादमी के पुरस्कार, १९६२-६३

संगीत—श्रीओंकारनाथ ठाकुर (हिन्दुस्तानी संगीत-गान)

उस्ताद अली अकबर खाँ (हिन्दुस्तानी संगीत-वादन)

मैसूर श्री वी० देवेन्द्रप्पा (कर्नाटक-संगीत-गान)

श्री टी० के० जयराम अय्यर (कर्नाटक संगीत-वादन)

नृत्य— चंगनूर श्रीरामा पिल्लै (कथकली)

श्रीमणिराम दत्त मुख्यार [क्षत्रियाकुमार सुधेन्द्रनारायणसिंह देव (छाऊ)]

नाटक—श्रीआध्य रंगाचारी (नाटक-खेलन)

श्रीमती जोहरा सहगल (उर्दू में अभिनय)

श्रीवंदा काकलिंगेश्वर राव (तेलुगु में अभिनय)

चलचित्र-निर्माण-उद्योग

भारतीय चलचित्र-निर्माण-उद्योग का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। यहाँ सर्वप्रथम सन १९१२ ई० में दादा साहब फल्के ने 'राजा हरिश्चन्द्र' नामक भारतीय चित्र का निर्माण किया, जो १७ मई, १९१३ ई०, को बम्बई के कोरोनेशन थियेटर में प्रदर्शित हुआ। सन् १९१७ ई० कलकत्ता में श्री जे० एफ० मदन द्वारा भारत का सर्वप्रथम चलचित्र-प्रतिष्ठान स्थापित किया गया। बंगाल में प्रस्तुत सबसे पहली फीचर-फिल्म का नाम 'नल-दमयन्ती' था। सन् १९२८ ई० तक यहाँ प्रतिवर्ष ८० चित्र निर्मित होने लगे। किन्तु, सन् १९३० ई० तक बननेवाले चित्र मूकचित्र ही थे। सन् १९३१ ई० में इम्पीरियल फिल्म कम्पनी, बम्बई द्वारा 'आलमआरा' नामक सर्वप्रथम सवाक् चित्र का निर्माण हुआ। उस समय फीचर-फिल्मों की संख्या २८ थी। इसी वर्ष 'शीरीं-फरहाद' नामक दूसरा सवाक् चित्र कलकत्ता के मदन थियेटर द्वारा निर्मित हुआ। उक्त दोनों चित्रों को काफी लोकप्रियता प्राप्त हुई। द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्व सन् १९३९ ई० तक भारतीय चित्रों की संख्या १६५ और सिनेमाघरों की संख्या ११६५ हो गई। इन दिनों भारत में प्रति-वर्ष ३०० से अधिक चित्र (फीचर-फिल्म) तैयार होते हैं। संसार में अमेरिका और जापान के बाद इस क्षेत्र में भारतवर्ष का ही स्थान है। इस उद्योग में यहाँ प्रतिवर्ष लगभग २० करोड़ फुट कच्ची फिल्मों की खपत होती है और लगभग १ लाख व्यक्ति इसमें लगे हुए हैं। अक्टूबर, १९६१ ई० तक देश में लगभग ४३०० सिनेमा-गृह थे। सन् १९२८ ई० में इनकी संख्या ३२० थी। भारतवर्ष के उद्योग-धन्धों में चलचित्र-निर्माण-उद्योग का आठवाँ स्थान है।

प्रमुख रूप से बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में चलचित्रों का निर्माण होता है। लगभग ५० प्रतिशत चलचित्र केवल बम्बई में ही बनते हैं। कलकत्ता और मद्रास में २० से २५ प्रतिशत तक चलचित्र निमित होते हैं। सम्पूर्ण देश में कुल ६३ स्टूडियो हैं, जिनमें २८ पश्चिमी अंचल में, २४ दक्षिण में और ११ पूर्व भारत में हैं। सन् १९५१ ई० में २१९ और सन् १९५८ ई० में २९५ वृत्तचित्रों का निर्माण-कार्य हुआ। विगत ६ वर्षों में सामाजिक चित्रों की संख्या में ह्रास और अपराध-चित्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। जहाँ सन् १९५४ ई० में २०४ सामाजिक चित्रों का निर्माण हुआ, वहाँ सन् १९५८ ई० में केवल १५० सामाजिक चित्र निर्मित हुए। इसके विपरीत अपराध-चित्रों की संख्या ४ से २८ तक पहुँच गई। समूचे देश में अक्टूबर, १९६१ ई० वितरकों और वितरण-अभिकरणों (एजेन्सीज़) की कुल संख्या ११८० थी। इनके अतिरिक्त विदेशी चलचित्र-वितरकों की संख्या २० है। यहाँ मोटे तौर पर अनुमानतः हर साल ७० करोड़ से अधिक व्यक्ति सिनेमा देखते हैं।

चित्रों पर सरकारी नियन्त्रण—भारत-सरकार का सूचना एवं प्रसार-मंत्रालय भारतीय चलचित्रों से सम्बद्ध सभी चीजों पर नियंत्रण रखता है। केन्द्रीय सरकार के 'फिल्म-डिवीजन' पर भी इसका नियंत्रण है।

फिल्म-डिवीजन—फिल्म-डिवीजन सूचना एवं प्रसार-मंत्रालय की ही एक शाखा है। इसका मुख्यालय मालाबार-हिल (बम्बई) में है। इसका प्रधान उद्देश्य भारत-सरकार के समाचार और वृत्तचित्रों का विभिन्न भाषाओं में निर्माण और वितरण करना है। इसके दो प्रधान विभाग हैं—(१) 'भारतीय वृत्तचित्र-विभाग' और (२) 'समाचार-समीक्षा-विभाग'। फिल्म-डिवीजन के

अतिरिक्त कुछ स्वतंत्र चित्र-निर्माताओं को भी खास विषयों पर वृत्तचित्रों के निर्माण का भार सौंपा जाता है। इधर भारत-सरकार ने २० से २५ लाख की पूँजी से 'फिल्म फाइनेन्स कारपोरेशन' नामक एक संस्था की स्थापना की है, जिसका उद्घाटन ११ अप्रैल, १६६१ ई०, को हुआ। सन् १६५६ ई० में इसने १५२ डॉकुमेंटरी चित्र (समाचार-चित्रावली के अतिरिक्त) तैयार किये। ये चित्र विभिन्न देशों में सिनेमा-गृहों की टेलीविजन पर प्रदर्शित किये जाते हैं।

बच्चों के लिए चित्र—भारत-सरकार बच्चों के हित को ध्यान में रखकर उनके लिए उपादेय चलचित्रों के निर्माण में विशेष दिलचस्पी ले रही है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सन् १६५५ ई० में दिल्ली में 'चिल्डरेन्स फिल्म-सोसाइटी' की स्थापना की गई। इस सोसाइटी ने अबतक ८ बड़े वृत्तचित्र और ११ लघुचित्र तैयार किये हैं। साथ ही, इसने कुछ भारतीय, ब्रिटिश और रूसी चित्रों को भी बच्चों के लायक बनाया है। बच्चों एवं किशोरों के लिए विशेष उपयुक्त एवं उनकी अभिरुचि के चित्रों का निर्माण करना, उन्हें संरक्षण एवं प्रोत्साहन देना तथा निर्माण, वितरण एवं प्रदर्शन में समन्वय स्थापित करना सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य है। सोसाइटी को बच्चों के लिए विशेष उपादेय चित्रों के निर्माण के निमित्त केन्द्रीय सरकार की ओर से आर्थिक सहायता के रूप में अनुदान भी मिलता है।

चलचित्र-परामर्शदात्री समिति (फिल्म एडवाइजरी बोर्ड)—सन् १६४६ ई० में केन्द्रीय सरकार ने सूचना एवं प्रसार-मंत्रालय के फिल्म-डिवीजन को परामर्श देने के लिए एक 'चलचित्र-परामर्शदात्री समिति' की स्थापना की। उक्त समिति फिल्म-डिवीजन के द्वारा अथवा स्वतंत्र निर्माताओं के द्वारा निर्मित समाचार तथा वृत्तचित्रों के प्रदर्शन की स्वीकृति प्रदान करती है। अतः, चित्रों के निर्माण के सम्बन्ध में यह समिति 'फिल्म-डिवीजन' को परामर्श भी देती है।

सेन्सर-बोर्ड—सिनेमेटोग्राफ ऐक्ट, १६५२ (सन् १६५७ में संशोधित) के अन्तर्गत 'सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ् सेन्सर्स' नवनिर्मित चलचित्रों के परीक्षण तथा उन्हें सार्वजनिक प्रदर्शन के उपयुक्त ठहराने के लिए उत्तरदायी है। यह कुछ सिद्धान्तों के आधार पर नवनिर्मित चलचित्रों की सर्वप्रथम परीक्षा कर यह देखता है कि वस्तुतः कोई चलचित्र सार्वजनिक प्रदर्शन के लायक है या नहीं। बोर्ड की सहायता के लिए कुछ ऐसे गैरसरकारी व्यक्ति रहते हैं, जिन्हें सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक और सार्वजनिक विषयों में रुचि तथा अनुभव है। सेन्सर-बोर्ड जिन चित्रों को सार्वजनिक प्रदर्शन के उपयुक्त समझता है, उन्हें 'यू (U) वाला प्रमाण-पत्र देता है। जिन चित्रों को वह केवल वयस्कों के ही देखने लायक समझता है, उनके लिए 'ए (A) वाला प्रमाण-पत्र प्रदान करता है। बोर्ड में एक अध्यक्ष (चेयरमैन) तथा छह गैरसरकारी सदस्य होते हैं। बोर्ड का मुख्यालय बम्बई में तथा इसके तीन क्षेत्रीय कार्यालय क्रमशः बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में हैं। चलचित्र-निर्माताओं की ओर से सेंसर-बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार के पास अपील की जा सकती है। हाल ही भारत-सरकार ने घोषणा की है कि निर्माताओं को प्रत्येक पाँच वर्ष के बाद उनके द्वारा निर्मित चित्र दुबारे जाँच के लिए सेंसर-बोर्ड के समक्ष दाखिल करने होंगे। एक फिल्म-लाइब्रेरी की स्थापना के उद्देश्य से सरकार ने कानून बना दिया है कि हर चित्र-निर्माता अपने द्वारा निर्मित चित्रों की प्रतियाँ सेंसर-बोर्ड के पास भेजेगा।

चलचित्रों पर कर-निर्धारण—चलचित्र-उद्योग पर केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारों एवं स्थानीय संस्थाओं द्वारा अलग-अलग कर लगाये जाते हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा कच्ची फिल्मों के

आयात-कर, चलचित्र-सम्बन्धी प्रसाधनों के आयात-कर, फिल्म-डिवीजन द्वारा निर्मित चित्रों के प्रदर्शन का शुल्क, सेंसर-बोर्ड के प्रमाण-पत्र के शुल्क आदि के रूप में कर लगाये जाते हैं। इसी प्रकार राज्य-सरकारों द्वारा भी मनोरंजन-कर, विक्रय-कर, बिजली-कर, थियेटर-टैक्स, लाइसेंस-शुल्क आदि कई तरह के कर लगाये जाते हैं। इनके अतिरिक्त नगरपालिकाओं एवं नगर-निगमों द्वारा भी ऑक्ट्राय-चुंगी, लाइसेंस-शुल्क, संपत्ति-कर, पोस्टर और विज्ञापन-कर आदि लगाये जाते हैं।

भारतीय चलचित्र-संघ—इस संघ का प्रधान उद्देश्य है चलचित्र-व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करना, उसका निरीक्षण करना तथा संरक्षण देना। यह संघ चलचित्र-उद्योग और उसमें लगे लोगों के हितों की रक्षा करता है। यह उनके व्यापार के तरीकों का नियमन करता है, उद्योग-सम्बन्धी नियम, कानून एवं रीतियों में एकरूपता स्थापित करता है, पंचायत या अन्य तरीकों द्वारा आपसी झगड़ों का निबटारा करता है, चलचित्र-उद्योग को प्रोत्साहन देता है तथा फिल्म-उद्योग की लाभ-हानि की दृष्टि से विधायिका या कार्यपालिका के कार्यों का समर्थन अथवा विरोध करता है।

फिल्म-सम्बन्धी प्रशिक्षण—२० मार्च, १९६१ ई०, को पूना में एक फिल्म-संस्थान स्थापित किया गया है, जिसमें फिल्म-निर्माण के विभिन्न अंगों—सिनेमेटोग्राफी, ध्वनि-अभियंत्रण, निर्देशन, रूप-सज्जा, सजीवता इत्यादि—के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिये जाते हैं।

फिल्म-वित्त-निगम—उच्च कोटि के चित्र-निर्माण के निमित्त आर्थिक सहायता एवं प्रोत्साहन देने के लिए भारत-सरकार ने ११ अप्रैल, १९६० ई०, को फिल्म-वित्त-निगम (फिल्म फाइनेन्स कारपोरेशन) की स्थापना की है। यह निगम मध्यवित्तवाले चलचित्र-निर्माताओं को उनकी फिल्म की पाण्डुलिपि देखकर कुल लागत के ६०-७० प्रतिशत तक ऋण देता है। इसकी अधिकृत पूँजी १ करोड़ रुपये है। इसका प्रधान कार्यालय बम्बई में है। सन् १९६१ ई० के अक्तूबर तक निगम से ऋण प्राप्त करने के लिए कुल २२ आवेदन-पत्र (१४,७० लाख रु०) दिये गये थे, जिनमें से पाँच आवेदकों को कुल मिलाकर १८ लाख रुपये दिये गये।

सर्वश्रेष्ठ चित्रों को राजकीय पुरस्कार—उच्च स्तर के चलचित्रों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के हेतु केन्द्रीय सरकार सन् १९५४ ई० से प्रतिवर्ष फिल्म-कम्पनियों एवं चित्रों के निर्माताओं और निर्देशकों को पुरस्कार देती है। अखिलभारतीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर विशिष्टता के प्रमाण-पत्र के अलावा स्वर्ण-पदक, रजत-पदक तथा नकद पुरस्कार भी दिये जाते हैं। पुरस्कार एक वर्ष पूर्व के निर्मित चित्रों पर मिलते हैं।

सन् १९५३ ई० से १९६२ ई० तक के नौ वर्षों में निर्मित सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करनेवाले चित्र निम्नलिखित हैं—

१९५३ : 'शामची आई' (मराठी)—निर्देशक : पी० के० आत्रे।
१९५४ : 'मिर्जा गालिब' (हिन्दी)—सोहराब मोदी।
१९५५ : 'पथेर पंचाली' (बँगला)—सत्यजित राय।
१९५६ : 'काबुलीवाला' (बँगला)—तपन सिंह।
१९५७ : 'दो आँखें, बारह हाथ' (हिन्दी)—वी० शांताराम।
१९५८ : 'सागर-संगम' (बँगला)—देवकीकुमार बसु।
१९५९ : 'अपूर संसार' (बँगला)—सत्यजित राय।

१६६० : 'अनुराधा' (हिन्दी)—हृषीकेश मुखोपाध्याय।

१६६१ : 'भगिनी निवेदिता' (बँगला)—विजय बसु।

१६६२ : 'दादा ठाकुर' (बँगला)—एस० एल० जालान।

सन् १६६१ ई० का दूसरा श्रेष्ठ चित्र तमिल का 'रव मनिप्पू' और तीसरा मराठी का 'प्रपंच' समझा गया है। बच्चों की फिल्मों में हिन्दी के चित्र 'हट्टोगोल-विजय' को पहला स्थान, 'सावित्री' को दूसरा स्थान और 'नन्हे-मुन्हे सितारे' को तीसरा स्थान मिला है। अँगरेजी वृत्त-चित्रों में प्रथम स्थान 'रवीन्द्रनाथ टैगोर' को, द्वितीय स्थान 'ऑवर फेदर्ड फ्रेण्ड्स' को और तृतीय स्थान 'रोमान्स ऑफ द इण्डियन क्वायन्स' को प्राप्त हुआ है। शैक्षणिक फिल्मों में अँगरेजी की 'साइट्रा कल्टिवेशन' को प्रथम, 'क्वायर वर्कर' को द्वितीय और हिन्दी के 'आह्वान' को तृतीय घोषित किया गया है।

भारतीय चलचित्र-प्रतिष्ठान—यह संस्था पूना में २० मार्च, १६६१ ई० से कार्य कर रही है। इसका उद्देश्य चलचित्रों के निर्माण के लिए सब प्रकार का प्राविधिक प्रशिक्षण देना और चलचित्रों की प्रविधि के अनुसन्धान के लिए सुविधाएँ प्रदान करना है। यहाँ निम्नलिखित पाँच विषयों में दो और तीन वर्षों की शिक्षा देने के पाठ्यक्रम हैं—चलचित्र-निर्माण, लेखन, चलचित्र-फोटोग्राफी, ध्वनि-अभिलेखन और ध्वनि-इंजिनियरिंग।

विदेशों में भारतीय चित्रों की माँग—सफल चित्रों के राजस्व का १५ से २० प्रतिशत विदेशों से प्राप्त होता है। जापान और चीन को छोड़कर समस्त एशिया, पूर्वी अफ्रिका, मिस्र, लीबिया और वेस्ट इण्डीज में भारतीय चित्रों की अच्छी माँग है। रूस और पूर्वी यूरोपीय देशों में अधिकाधिक भारतीय चित्र दिखाये जा रहे हैं। इस प्रकार, चलचित्रों द्वारा विदेशों से प्रतिवर्ष लगभग दो करोड़ रुपये की आय होती है। सन् १६५६ ई० में सोवियत रूस, सं० रा० अमेरिका, इंगलैंड, इटली और चिली में जो अन्तरराष्ट्रीय फिल्म-महोत्सव हुए, उनमें ४ भारतीय फीचर-फिल्म और २ डॉक्युमेंटरी चित्र पुरस्कृत हुए। वेनिस में समाचार-विज्ञावली फिल्मों की जो अन्तरराष्ट्रीय प्रदर्शनी हुई थी, उसमें एक भारतीय न्यूज रील 'कैमरामैन' को पुरस्कार मिला। सन् १६५६ ई० में भारतीय फिल्मों के निर्यात से १ करोड़ ७१ लाख मूल्य की विदेशी मुद्राएँ प्राप्त हुईं। विदेशों में भारतीय फिल्मों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए फिल्म-निर्यात-प्रोत्साहन-समिति गठित की गई है।

भारत के प्रमुख चलचित्र-निर्माता : कलकत्ता—(१) न्यू थियेटर्स, (२) ईस्ट इण्डियन फिल्म्स, (३) डीलक्स पिक्चर्स, (४) इण्डियन नेशनल आर्ट पिक्चर्स, (५) एम० पी० प्रोडक्शन्स लि०, (६) रूपाश्री लिमिटेड, (७) अरोड़ा फिल्म्स कारपोरेशन, (८) बसुमित्र, (६) इन्द्रपुरी स्टूडियो, (१०) सत्यजित प्रोडक्शन, (११) राधा फिल्म्स। बम्बई—(१२) राजकमल कला-मंदिर, (१३) बॉम्बे टॉकीज लि०, (१४) कारदार प्रोडक्शन्स, (१५) श्रीरणजीत मूवीटोन, (१६) फिलिमस्तान, (१७) बॉम्बे सीनेटोन, (१८) आर० के फिल्म्स, (१६) वाडिया मूवीटोन, (२०) पंचोली प्रोडक्शन्स, (२१) गुरुदत्त फिल्मस, (२२) महबूब प्रोडक्शन्स, (२३) अशोककुमार प्रोडक्शन्स। (२४) प्रकाश पिक्चर्स। पूना—(२५) रणजीत मूवीटोन। मद्रास—(२६) जेमिनी स्टूडियोज, २७) भारत मूवीटोन, (२८) जय फिल्म्स, (२६) ए० वी० एम० प्रोडक्शन्स, (३०) रागिनी फिल्म्स, (३१) प्रकाश प्रोडक्शन्स, (३१) प्रसाद प्रोडक्शन्स।

सन् १९५६ से १९६१ ई० तक विभिन्न भाषाओं में बने भारतीय सिने-चित्रों की संख्या

	१९५६	१९५७	१९५८	१९५९	१९६०	१९६१
हिन्दी	१२३	११५	११६	१२१	१२०	९८
गुजराती	३	—	—	—	२	७
मराठी	१३	१४	१६	१०	१५	१५
बँगला	५४	५५	४५	३८	३८	३६
तमिल	५१	४६	६१	८०	६३	४९
तेलुगु	२७	३६	३६	४६	५४	५५
कन्नड	१४	१४	११	५	१२	१२
पंजाबी	—	२	१	१	४	५
मलयालम	५	७	४	३	६	११
असमिया	३	३	२	५	—	२
अँगरेजी	—	१	—	१	१	—
परसियन	—	१	—	—	—	—
उर्दू	—	१	—	—	३	१०
उड़िया	२	१	—	२	५	२
सिंधी	—	—	३	—	१	—
राजस्थानी	—	—	—	—	—	१
कुल	२९५	२९६	२९५	३१२	३२४	३०३

सिनेमा-फिल्म, सामान आदि का आयात

	१९५८	१९५९	१९६०	१९६१
कच्ची फिल्म (हजार फुट में)	२,१४,२७०	२,१३,२०१	२,७१,४०८	१७,६२,४२
कच्ची फिल्म-मूल्य (हजार रुपये में)	१,६४,०६	२७,७३२	१६,४३३	१,६५,४७
व्यवहृत फिल्म (हजार फुट में)	११,११३	१७,३९१	१६,७०१	१,६८,६२
फिल्म-व्यवहृत मूल्य (हजार रुपये में)	३,२२३	२,८५८	३,७७३	४४,७९
ध्वनि-रेकार्ड के सामान (हजार रुपये में)	४५६	२१७	१४१	३,७६
प्रक्षेपण (प्रोजेक्शन)-मूल्य (हजार रु० में)	३,६४५	२,४३२	३,२४३	३५,५२

भारत में सिनेमा की कुछ प्रमुख बातें

१८९६ : भारत में सिनेमा का प्रथम प्रदर्शन, ७ जुलाई को लुमियर-बन्धु द्वारा।

१९०७ : कलकत्ता में प्रथम सिनेमा-भवन का निर्माण, श्री जे० एफ० मदन द्वारा।

१९१३ : प्रथम भारतीय फिल्म 'राजा हरिश्चन्द्र' का निर्माण, बम्बई के डी० फलके द्वारा।

१९१७ : बंगाल में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म 'नल-दमयंती' का निर्माण, श्री जे० एफ० मदन द्वारा।

१९१८ : भारतीय सिनेमेटोग्राफ-अधिनियम स्वीकृत।

१६२० : फिल्मों का सेंसर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में प्रारम्भ।

१६२१ : दक्षिण भारत का पहला चित्र 'भीष्म-प्रतिज्ञा' स्टार ऑफ द इस्ट कम्पनी द्वारा निर्मित।

१६२२ : मनोरंजन-कर बंगाल में लागू।

१६२७ : सिनेमेटोग्राफ-कमिटी की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा।

१६२६ : प्रथम सवाक् चित्र एलफिन्सटन पिक्चर पैलेस, कलकत्ता में प्रदर्शित।

१६३१ : (क) प्रथम भारतीय सवाक् चित्र 'आलम आरा' १४ मार्च को इम्पीरियल फिल्म स्टूडियो द्वारा निर्मित।

(ख) द्वितीय सवाक् चित्र 'शीरीं-फरहाद' मदन थियेटर लि०, कलकत्ता द्वारा निर्मित।

(ग) प्रथम भारतीय रंगीन चित्र 'सैरन्ध्री' प्रभात स्टूडियो द्वारा जर्मनी में रंजित।

१६३२ : पार्श्व-संगीत सर्वप्रथम बँगला-फिल्म 'चंडीदास' में प्रयुक्त।

१६३६ : भारतीय फिल्म-उद्योग की रजत-जयंती।

१६४३ : भारत-सरकार द्वारा समाचार-चित्र का प्रतिष्ठापन।

१६४६ : भारत-सरकार द्वारा फिल्म-जाँच-समिति की नियुक्ति।

(क) नये संविधान की संघीय सूची में फिल्म-सेंसर का समावेश।

१६५१ : फिल्म-सेंसर की केन्द्रीय परिषद् जनवरी में बम्बई में स्थापित।

१६५२ : प्रथम अंतरराष्ट्रीय फिल्म-महोत्सव केन्द्रीय सरकार द्वारा (बम्बई में) आयोजित।

१६५४ : भारत-सरकार द्वारा फिल्म-पुरस्कार प्रारम्भ।

१६५६ : भारतीय सवाक् चित्र की रजत-जयंती का आयोजन।

१६६० : बालकों के लिए प्रथम रंगीन व्यंग्य-चित्र फिल्म-डिवीजन द्वारा निर्मित।

१६६१ : अंतरराष्ट्रीय फिल्म-महोत्सव दिल्ली में आयोजित।



जन-स्वास्थ्य

सन् १६४१—६१ ई० की अवधि में भारतीय पुरुषों तथा महिलाओं के सामान्य स्वास्थ्य की स्थिति इस प्रकार थी—

सामान्य स्वास्थ्य की स्थिति

वर्ष	जनसंख्या (प्रति सहस्र में)		शिशु-मृत्यु-दर (प्रति सहस्र जन्म में)		औसत जीवन-काल	
	जन्म-दर	मृत्यु-दर	बालक	बालिका	पुरुष	स्त्री
१६४१—५१	३६.६	२७.४	१६०.०	१७५.०	३२.४५	३१.६६
१६५१—५६	४१.७	२५.६	१६१.४	१४६.७	३७.७६	३७.४६
१६५६—६१	४०.७	२१.६	१४२.३	१२७.६	४१.६८	४२.०६

जन-स्वास्थ्य

स्वास्थ्य-सम्बन्धी कार्यक्रम को पूरा करने का दायित्व राज्य-सरकारों पर है; किन्तु केन्द्रीय सरकार ने भी पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत मलेरिया और फीलपाँव-नियन्त्रण, परिवार-नियोजन, जल-व्यवस्था तथा सफाई, छूत के रोगों की रोक-थाम तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के कुछ

कार्यक्रम प्रारम्भ किये और वह उनका व्यय-भार भी वहन कर रही है। स्वास्थ्य और परिवार-नियोजन की मद में प्रथम पंचवर्षीय योजना में १४० करोड़ और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में २२५ करोड़ रुपये खर्च हुए। तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस मद में ३४२ करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

रोगों की रोक-थाम और उनका नियन्त्रण

मलेरिया—सन् १९५३ ई० में शुरू किया गया राष्ट्रीय मलेरिया-नियन्त्रण-कार्यक्रम को १ अप्रैल, १९५८ ई० से राष्ट्रीय मलेरिया-उन्मूलन-कार्यक्रम में बदल दिया गया। इस कार्यक्रम को पूरा करने में राज्य-सरकारें तथा अमेरिकी प्राविधिक सहयोग-मण्डल और विश्व-स्वास्थ्य-संगठन योगदान कर रहे हैं।

मलेरिया-उन्मूलन-कार्यक्रम को कार्यान्वित करने तथा साज-सामान प्राप्त करने के कार्य में समन्वय लाने का प्रयत्न केन्द्रीय स्वास्थ्य-मंत्रालय करता है। इसके अलावा केन्द्रीय मलेरिया-संस्था अनुसंधान करने और कर्मचारियों को मलेरिया-उन्मूलन का प्रशिक्षण देने के लिए उत्तरदायी है। कटक, बँगलोर, लखनऊ, बड़ौदा, शिलाँग और हैदराबाद में छह क्षेत्रीय समन्वय-संगठन भी स्थापित किये गये हैं।

मलेरिया-उन्मूलन कार्यक्रम शुरू होने के बाद से अस्पतालों तथा दवाखानों में उपचार के अधीन रोगियों का प्रतिशत सन् १९५३-५४ ई० में १०.८ था, जो घटकर सन् १९६२-६३ ई० में ०.४ रह गया। उस समय देश में ३९१ मलेरिया इकाइयाँ कार्य कर रही थीं।

फीलपाँव—राष्ट्रीय फीलपाँव-नियन्त्रण-कार्यक्रम सन् १९५४-५५ ई० में आरम्भ किया गया। इसके अन्तर्गत इस रोग से पीडित रोगियों को ओषधियाँ बाँटी जाती हैं तथा मच्छरों का नाश करने के उपाय किये जाते हैं। विभिन्न राज्यों में इस समय ४७ नियन्त्रण-इकाइयाँ तथा २२ सर्वेक्षण-इकाइयाँ कार्य कर रही हैं। देश में ६ करोड़, ४४ लाख से अधिक व्यक्ति फीलपाँववाले क्षेत्रों में रहते हैं। कोझिकोड में व्यावहारिक प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण के लिए एक केन्द्र स्थापित किया गया है। राजमुन्द्री में एक नया प्रशिक्षण-केन्द्र खोला जा रहा है।

क्षयरोग—भारतीय मेडिकल अनुसंधान-परिषद् द्वारा सन् १९५८ ई० में किये गये राष्ट्रीय यक्ष्मा-सर्वेक्षण के अनुसार (१) विभिन्न क्षेत्रों में यक्ष्मा से मरनेवालों की संख्या प्रति सहस्र ७ से ३० है; (२) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्षयरोगियों की मृत्यु-संख्या में अधिक अंतर नहीं है; (३) पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की मृत्यु-दर कम है; (४) ४५ वर्ष से अधिक उम्रवालों में इसका प्रसार अधिक है; (५) कीटाणुओं की दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रों में रोगियों की संख्या प्रति सहस्र १ से ११ तक है।

बी० सी० जी० टीका-आन्दोलन सन् १९४८ ई० में प्रारम्भ किया गया। इसने द्वितीय योजना के अंत तक १६ करोड़ ४० लाख व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान की, जिसमें ७ करोड़ ८० लाख व्यक्ति १५ वर्ष से कम आयु के थे। सन् १९६२ ई० के दिसम्बर के अन्त तक १९ करोड़ ३० लाख व्यक्तियों की जाँच की गई तथा उनमें से लगभग ६ करोड़ ८७ लाख व्यक्तियों को टीके लगाये गये। क्षेत्रीय कार्य में १७५ क्षयरोग-निवारक टुकड़ियाँ लगी हुई हैं। तृतीय योजना-काल में १५ वर्ष से कम उम्र के १० करोड़ बच्चों को टीके लगाये जायेंगे।

बँगलोर, नई दिल्ली, नागपुर, पटना, मद्रास, हैदराबाद, पटियाला तथा त्रिवेन्द्रम् में प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण के लिए ८ केन्द्र स्थापित किये गये हैं। दिल्ली के वल्लभभाई पटेल वक्ष-संस्था जैसी अन्य कई संस्थाओं में भी प्रशिक्षण दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्तरराष्ट्रीय बाल-सहायता-कोष तथा विश्व-स्वास्थ्य-संगठन की सहायता से बँगलोर में भी राष्ट्रीय क्षय-संस्थान स्थापित किया गया है। ६ विश्वविद्यालयों के प्रशिक्षण-केन्द्रों में भी चिकित्सकों को क्षयरोग-सम्बन्धी डिप्लोमा-पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया जाता है। बँगलोर में एक राष्ट्रीय क्षयरोग-संस्थान की स्थापना की गई है।

सन् १९६२ ई० के अंत तक देश में क्षयरोग की चिकित्सा के १४० आरोग्य-गृह (सैनेटोरियम) और अस्पताल, २२५ उपचारालय (क्लिनिक), १५२ वार्ड तथा २७००० से अधिक रोगी-शय्याएँ थीं।

क्षयरोग से मुक्ति पानेवाले व्यक्तियों की देखभाल तथा उनके पुनर्वास के लिए देश में १५ देखभाल-बस्तियाँ हैं। घरेलू उपचार-व्यवस्था के अंतर्गत मद्रास में रोगियों को तत्सम्बन्धी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का एक केन्द्र खोला जा चुका है। अमरगढ़, दिल्ली, धुबुलिया, हैदराबाद, लखनऊ, मैसूर, पेदाविगी और पूना में ऐसे आठ केन्द्र खोले जायेंगे।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में २०० चिकित्सालय, २५ भ्रमणशील चिकित्सालय, ५ यक्ष्मा-प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण-केन्द्र, ५००० रोगी-शय्याएँ और ७ पुनर्वास-केन्द्र की व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया है।

भारत का क्षयरोग-संघ सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है, जो सन् १९३९ ई० से वैज्ञानिक तथा समन्वित ढंग से क्षयरोग के उन्मूलन का कार्य कर रहा है।

कुष्ठरोग—इस समय देश में लगभग २० लाख व्यक्ति कुष्ठरोग से पीड़ित हैं। आसाम, आन्ध्रप्रदेश, केरल, बिहार, मद्रास, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में इसका सबसे अधिक प्रकोप है।

पहली योजना की अवधि में कुष्ठरोग-नियन्त्रण-योजना के अन्तर्गत उत्तरप्रदेश, पश्चिम-बंगाल, मद्रास तथा मध्यप्रदेश में एक-एक उपचार और अध्ययन-केन्द्र तथा विभिन्न राज्यों में २९ सहायक केन्द्र स्थापित किये गये थे। जून, १९६२ ई० के अन्त तक १४८ कुष्ठ-नियंत्रण-केन्द्र खोले गये।

नागपुर के चिकित्सा-कॉलेज में चिकित्सकों के लिए कुष्ठ-रोग-सम्बन्धी अल्पकालीन परिचय-पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की गई है। आन्ध्रप्रदेश के चिलकलपल्लि-स्थित गांधी-स्मारक कुष्ठ-प्रतिष्ठान-केन्द्र भी दिसम्बर, १९६० ई० से प्रशिक्षण-कार्यक्रम को पूरा किया जा रहा है। चिंगलपट-स्थित केन्द्रीय कुष्ठ-अध्यापन तथा अनुसन्धान-संस्था के दो अस्पतालों में कुष्ठरोगियों की चिकित्सा की व्यवस्था है। सन् १८७५ ई० में स्थापित 'मिशन टु लेपर्स', हिन्द कुष्ठ-निवारण-संघ, महारोगी सेवा-मण्डल, गान्धी-स्मारक कुष्ठ-प्रतिष्ठान, रामकृष्ण-मिशन तथा विदर्भ-महारोगी-सेवामण्डल आदि संस्थाएँ कार्य कर रही हैं।

यौनरोग—अनुमानतः लगभग ५ प्रतिशत व्यक्ति उपदंश (सिफलिस) रोग से पीड़ित रहते हैं और इतने ही व्यक्ति सूजाक से। आन्ध्रप्रदेश, उड़ीसा, मध्यप्रदेश तथा महाराष्ट्र के जिलों में फफोला रोग का प्रचलन है।

सन् १९४९ ई० में विश्व स्वास्थ्य-संगठन द्वारा हिमाचल-प्रदेश में नियुक्त एक प्रदर्शन-मण्डली ने सर्वेक्षण तथा लोगों का उपचार करने का कार्य किया और विभिन्न राज्य-सरकारों द्वारा भेजी गई अनेक मण्डलियों को प्रशिक्षण दिया।

मार्च, १९६२ ई० तक राज्यों के मुख्यालयों में ५ तथा जिलों में १०८ यौनरोग-चिकित्सालय स्थापित किये गये। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ६ राज्यीय स्तर के तथा १०० जिला स्तर के यौनरोग-चिकित्सालय खोलने का लक्ष्य है। सितम्बर, १९५६ ई० में पंजाब की कुल्लू-घाटी के सभी लोगों के उपचार का कार्य प्रारम्भ किया गया। फफोला-रोगनिरोधी टुकड़ियों ने आन्ध्रप्रदेश, उड़ीसा तथा मध्यप्रदेश की अधिकांश जनसंख्या के उपचार आदि किये।

अप्रैल, १९६१ ई० में शिमला में प्रथम अखिल भारतीय यौनरोग कान्फ्रेंस हुई। इसमें देश की यौनरोग-सम्बन्धी समस्या पर विचार किया गया। नई दिल्ली के प्रशिक्षण तथा प्रदर्शन-केन्द्र और मद्रास की यौनरोग-विज्ञान-संस्थान में चिकित्सा-कर्मचारियों को यौनरोगों के आधुनिकतम उपचार-सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया गया।

सन् १९६२ ई० में ४,५४,५३२ यौन-रोगियों की चिकित्सा की गई। फफोला-टुकड़ियों ने ४,६४,१२५ रोगियों का प्राथमिक सर्वेक्षण और १,६४,४६० रोगियों का पुनःसर्वेक्षण किया और क्रमशः ३,८५६ और १,५६७ व्यक्तियों की चिकित्सा की।

इन्फ्लुएंजा—कुन्नूर की पाश्च्योर-संस्था में सन् १९५० ई० में एक इन्फ्लुएंजा-केन्द्र खोला गया था। इस केन्द्र में इन्फ्लुएंजा-सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन और अनुसंधान किया जाता है।

नासूर (कैंसर)—बम्बई के भारतीय नासूर-अनुसन्धान-केन्द्र, मद्रास के नासूर-संस्थान तथा कलकत्ता के चित्तरंजन राष्ट्रीय अनुसन्धान-केन्द्र में नासूर-सम्बन्धी समस्याओं के अध्ययन का कार्य होता है। इस सम्बन्ध में कोबाल्ट बीम थेरापी इकाइयाँ देश के नीचे लिखे दस अस्पतालों में कार्य कर रही हैं—बम्बई, कलकत्ता, लुधियाना, मद्रास, वेल्लोर, त्रिवेन्द्रम्, नई दिल्ली, हैदराबाद, कटक और कानपुर।

खाद्य में मिलावट की रोकथाम तथा पोषण

यह देखा गया है कि मात्रा तथा पौष्टिकता की दृष्टि से भारतीयों का भोजन पूर्ण नहीं है। भारतीयों के भोजन में प्रोटीन, स्निग्ध पदार्थ, खनिज तथा विटामिन जैसे आवश्यक खाद्य-तत्त्वों का अभाव रहता है; क्योंकि सब्जी, फल, दूध, अंडे आदि उन्हें पर्याप्त रूप में नहीं मिलते। भोजन की पौष्टिकता में वृद्धि करना मुख्यतः एक आर्थिक समस्या है, जो भारत की अर्थ-व्यवस्था के विकास से सम्बन्ध रखता है। फिर भी, गर्भवती स्त्रियों, दूध पिलानेवाली माताओं, स्कूल के विद्यार्थियों, उद्योग के मजदूरों आदि के लिए भोजन में पौष्टिक पदार्थों के अभाव की पूर्त्ति करने के उपाय किये जा रहे हैं।

प्रोटीन-पूरक खाद्यों के सम्बन्ध में परीक्षण किया गया है। पता चला है कि मैसूर की केन्द्रीय खाद्य-प्रौद्योगिकी संस्था द्वारा तैयार किया गया खाद्य पदार्थ रुचिकर ही नहीं, लाभकर भी है।

जून, १९६० ई० में स्थापित भारतीय चिकित्सा-शोध-परिषद् की राष्ट्रीय पोषण-परामर्श-समिति भारत-सरकार को पोषण-सम्बन्धी मामलों में परामर्श देने के अतिरिक्त पोषण-शोधन-सम्बन्धी

योजनाएँ तैयार करती है। समिति ने तीन कार्यकारी टुकड़ियों की नियुक्ति की है—(१) खाद्य-पदार्थ के उत्पादन और उपयोग के लिए, (२) पोषण के क्षेत्र में प्रशिक्षण, शिक्षा और विस्तार-सेवा के लिए और (३) जन-संख्या की पोषण-स्थिति में सुधार लाने के लिए।

कलकत्ता की अखिलभारतीय स्वास्थ्य-विज्ञान तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य-संस्था में आहार शास्त्रियों के लिए सन् १९५७ ई० से डिप्लोमा-पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की गई है। कई राज्यों में पोषण के अभाव के कारण उत्पन्न रोगों के उपचार के सम्बन्ध में अनुसन्धान करने के लिए १२ शोध-पाकघर स्थापित किये गये हैं।

'खाद्य में मिलावट-निवारण-अधिनियम, १९५४' जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण देश में लागू कर अपराधियों को कठोर दण्ड देने की व्यवस्था की गई है और एक केन्द्रीय खाद्य-प्रयोगशाला की स्थापना भी हुई है। नवम्बर, १९६० ई० में हैदराबाद में हुई एक विचार-गोष्ठी में इस अधिनियम को अच्छी तरह लागू करने के लिए महत्त्वपूर्ण सिफारिशें की गई।

जल-व्यवस्था एवं सफाई-कार्यक्रम—सन् १९५४ ई० में आरम्भ किया गया राष्ट्रीय जल-व्यवस्था एवं सफाई-कार्यक्रम तीसरी योजना की अवधि में भी जारी रहेगा। इसके अंतर्गत तीसरी योजना में शहरी स्कीमों के लिए ८८·९५ करोड़ रुपये तथा ग्रामीण स्कीमों के लिए १६·२३ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। प्रथम एवं द्वितीय योजना-काल में जल-व्यवस्था की ३६९ शहरी तथा ३४४ देहाती स्कीमों का काम पूरा हुआ। जल-व्यवस्था तथा सफाई की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने तथा उन्हें पूरा करने में धन-सम्बन्धी सुझाव देने के लिए सन् १९६० ई० में एक समिति बनाई गई थी। समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है।

उपर्युक्त कार्यक्रम के लिए लोक-स्वास्थ्य-अभियंत्रण के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था की गई है। कलकत्ता, मद्रास, रुड़की तथा अन्य राज्यीय केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्यों को इस सम्बन्ध में तकनीकी परामर्श देने के लिए केन्द्रीय लोक-स्वास्थ्य-अभियंत्रण-संगठन का निर्माण किया गया है।

चिकित्सा की सुविधाएँ

चिकित्सा-सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से राज्यों पर है। इस सम्बन्ध में कुछ धमार्थ संस्थाओं से भी सहायता प्राप्त होती है। देश में सन् १९६० ई० के अन्त में ११,८५४ अस्पताल और डिस्पेन्सरियाँ; ८८,२८६ पंजीकृत चिकित्सक; ३२,७३३ नर्सें; ३८,५२८ दाइयाँ और ६,१४२ टीका लगानेवाले थे। तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य सन् १९६५-६६ ई० तक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त १४६०० अस्पताल और डस्पेन्सरियाँ ५००० प्रारम्भिक स्वास्थ्य इकाइयाँ, १०,००० मातृत्व और बाल-कल्याण-केन्द्र स्थापित करने का है।

अंशदायी स्वास्थ्य-सेवा-योजना—यह योजना १ जुलाई, १९५४ ई० से आरम्भ होकर केवल दिल्ली तथा नई दिल्ली में ही लागू है। कुछ स्वायत्तशासी तथा अर्द्ध-सरकारी संगठनों तथा संसदसदस्यों को भी इस योजना से लाभ पहुँचाया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों को अपने वेतन के अनुसार ५० नये पैसे से १२ रु० तक का मासिक चन्दा देना पड़ता है। सन् १९६१-६२ ई० में ५२,९६,४५१ कर्मचारियों ने इस योजना से लाभ उठाया। इस योजना के अनुसार पूरा समय देनेवाले डॉक्टरों की संख्या ३५१ है।

स्वास्थ्य-बीमा—स्वास्थ्य-बीमा-योजना द्वारा 'कर्मचारी-राज्य-बीमा-अधिनियम, १६४८' के अन्तर्गत औद्योगिक मजदूरों को अन्य सुविधाओं के साथ-साथ चिकित्सा की सुविधाएँ भी दी जाती हैं। इस समय लगभग १८.८२ लाख मजदूरों को ये सुविधाएँ दी जा रही हैं। कोयला-खान तथा अभ्रक-खान-मजदूरों को कोयला-खान-श्रमकल्याण-निधि तथा अभ्रक-खान-श्रमकल्याण-निधि द्वारा संचालित संस्थाओं से चिकित्सा-सम्बन्धी सहायता प्राप्त होती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्र—पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि में राष्ट्रीय विस्तार-सेवा खण्डों में ७४ प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्र स्थापित किये गये थे। नवम्बर, सन् १६६२ ई० के अन्त तक ऐसे ३,२७६ केन्द्र स्थापित किये गये।

देशी तथा होमियोपैथिक चिकित्सा-प्रणालियाँ

सरकार देशी तथा होमियोपैथिक चिकित्सा-प्रणालियों को यथासम्भव प्रोत्साहन देती है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस सम्बन्ध में ६ करोड़ ८० लाख रुपये खर्च करने का निश्चय किया गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में छह करोड़ २१ लाख रुपये खर्च किये गये।

उडुपा-समिति—आयुर्वेदिक चिकित्सा-प्रणाली की वर्त्तमान स्थिति का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से डॉ० के० एन० उडुपा की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी। सन् १६५६ ई० में की गई इस समिति की एक सिफारिश के अनुसार एक केन्द्रीय आयुर्वेदिक अनुसन्धान-परिषद् स्थापित की गई है। यह परिषद् आयुर्वेदिक अनुसन्धान-सम्बन्धी एक समन्वित नीति बनाने, अनुसन्धान को प्रोत्साहित करने तथा आयुर्वेदिक अनुसन्धान करनेवाली संस्थाओं को सहायता देने के सम्बन्ध में सरकार को उत्साह दिया करेगी।

केन्द्रीय देशी चिकित्सा-प्रणाली-अनुसन्धान-संस्था—जामनगर की यह संस्था २४ अगस्त, १६५३ ई० से कार्य कर रही है। इस संस्था में पाण्डु, ग्रहणी, जलोदर आदि रोगों पर अनुसन्धान और कुछ जड़ी-बूटियों की पहचान तथा उनकी खेती की जाती है। सन् १६५६-५७ ई० में आधुनिक ओषधियों के दृष्टिकोण से इसमें एक सिद्ध-विभाग भी स्थापित किया गया। जामनगर में स्नातकोत्तर शिक्षा की भी व्यवस्था की गई है।

होमियोपैथिक चिकित्सा-प्रणाली—सन् १६५५ ई० में भारत-सरकार ने होमियोपैथिक का एक पंचवर्षीय पाठ्यक्रम स्वीकार किया है। इस समय देश में होमियोपैथी की शिक्षा देनेवाली संस्थाएँ तीस से अधिक हैं, जिनमें कुछ को स्टेट बोर्ड से मान्यता भी प्राप्त है। होमियोपैथी के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की एक परामर्शदात्री समिति भी है।

ओषधि-निर्माण तथा नियन्त्रण

ओषधि-नियन्त्रण—केन्द्रीय सरकार आयात की जानेवाली ओषधियों की किस्मों के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल भी करती है। देश में तैयार की जानेवाली ओषधियों के उत्पादन, बिक्री तथा वितरण पर नियन्त्रण रखने का उत्तरदायित्व राज्य-सरकारों पर है।

केन्द्रीय सरकार ने एक ओषधि-प्राविधिक परामर्श-मंडल संगठित किया है, केन्द्र और राज्य-सरकारों को परामर्श देने के उद्देश्य से ओषधि-समिति की भी स्थापना की गई है।

सर्वप्रथम भारतीय भेषज-संहिता सन् १९५५ ई० में प्रकाशित हुई तथा सन् १९६० ई० में इसका पूरक-पत्र प्रकाशित हुआ। कलकत्ता-स्थित केन्द्रीय ओषधि-प्रयोगशाला में ओषधियों के नमूनों की जाँच-पड़ताल की जाती है।

१ अप्रैल, १९५५ ई० से उन सभी आपत्तिजनक विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है, जिनमें गुप्त रोगों तथा स्त्री-रोगों के अद्भुत उपचार तथा वासनोत्तेजक ओषधियों का प्रचार किया जाता है।

ओषधि-निर्माण—मद्रास के गिण्डी नामक स्थान में सन् १९४८ ई० में बी० सी० जी० टीका-प्रयोगशाला स्थापित की गई। इस प्रयोगशाला ने नवम्बर, १९६१ ई० के अन्त तक भारत में ओषधि-विक्रेताओं को १,६३,०१,५१० घ० से० (घन सेण्टीमीटर) यक्ष्मि (ट्यूबरकुलीन, अर्थात् क्षयरोग के कीटाणुओं से बनाई हुई क्षयरोग की ओषधि) तथा बी० सी० जी० के ६४,८४,६५४ घ० से० टीके दिये तथा अफगानिस्तान, थाइलैण्ड, पाकिस्तान, बर्मा, मलय, श्रीलंका और सिंगापुर को भी ये दवाइयाँ भेजीं।

सन् १९०६ ई० में स्थापित हुए कसौली की केन्द्रीय अनुसंधान-संस्था में टी० ए० बी०, हैजा तथा कुत्ते के काटने से उत्पन्न होनेवाले रोग आदि की ओषधि तैयार की जाती है।

पिम्परी-स्थित हिन्दुस्तान-ऐण्टीबॉयोटिक्स लिमिटेड तथा दिल्ली-स्थित डी० डी० टी० कारखाने में उत्पादन-कार्य प्रारम्भ हो गया है।

अधिक कुनैन तैयार करने के लिए भारत में सिन्कोना की खेती की उन्नति के लिए भी कई उपाय किये गये हैं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान-परिषद् तथा भारतीय चिकित्सा-शोध-परिषद् मलेरिया-उपचार के अतिरिक्त अन्य कार्यों में भी कुनैन का उपयोग किये जाने की सम्भावना की जाँच कर रही है।

बम्बई की हाफकिन-संस्था गन्धक से बननेवाली ओषधि तैयार करती है और इम्पीरियल केमिकल इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड तथा टाटा-उद्योग बी० एच० सी० (बेंजीन हैक्जाक्लोराइड) तैयार करते हैं। करनाल, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तथा हैदराबाद में ५ भेषजीय डिपो हैं, जो सरकारी, अर्द्ध-सरकारी तथा कुछ गैर-सरकारी संस्थाओं को स्वीकृत कोटि की ओषधि देते हैं।

शिक्षा और प्रशिक्षण

चिकित्सा-सम्बन्धी शिक्षा का प्रबन्ध करना साधारणतः राज्यों का कर्त्तव्य है। भारत-सरकार का कार्य अध्ययन, अनुसन्धान तथा विशेष प्रशिक्षण की विशिष्ट योजनाओं तक सीमित है।

इस समय देश के अन्दर ७१ चिकित्सा-कॉलेज, १२ दन्त-चिकित्सा-कॉलेज तथा एलोपैथी चिकित्सा-प्रणाली का प्रशिक्षण देनेवाली ११ अन्य संस्थाएँ हैं। सन् १९६१ ई० में चिकित्सा-संस्थाओं में ७,९०० छात्र-छात्राएँ भरती की गईं, जहाँ सन् १९५५ ई० में केवल ३,६६० छात्र-छात्राएँ भरती हुई थीं। दूसरी पंचवर्षीय-योजना की अवधि में अमृतसर, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और लखनऊ के दन्त-चिकित्सा-कॉलेजों के विस्तार करने एवं हैदराबाद और त्रिवेन्द्रम् में नये दन्त-चिकित्सा-कॉलेज खोलने के लिए भी सहायता दी गई। चुने हुए चिकित्सकों को विभिन्न चिकित्सा-प्रणालियों तथा शल्य-चिकित्सा का स्नातकोत्तर प्रशिक्षण देने के लिए १२ चिकित्सा-संस्थानों का स्तर ऊँचा किया गया।

केन्द्रीय स्वास्थ्य-शिक्षा-ब्यूरो—नवम्बर, १६५६ ई० में स्थापित यह कार्यालय स्वास्थ्य-शिक्षा को प्रोत्साहन देने का काम करता है। अधिकांश राज्यों में भी राज्य-स्वास्थ्य-शिक्षा-ब्यूरो स्थापित किये गये हैं।

अखिलभारतीय चिकित्सा-विज्ञान-संस्थान—चिकित्सा-सम्बन्धी स्नातकोत्तर शिक्षा के क्षेत्र में अन्य निर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से सन् १६५६ ई० में एक अखिलभारतीय चिकित्सा-विज्ञान-संस्थान स्थापित किया गया है। इस संस्थान के अधीन एक चिकित्सा-कॉलेज है। इसके अतिरिक्त यहाँ एक दन्त-चिकित्सा-कॉलेज, एक नर्सिंग कॉलेज, एक स्नातकोत्तर शिक्षण-केन्द्र तथा ६५० रोगी-शय्यावाला एक अस्पताल भी खुलनेवाला है।

विशिष्ट प्रशिक्षण—इन्दौर, नई दिल्ली, वेल्लोर, बम्बई और हैदराबाद नर्सिंग कॉलेजों तथा देश के लगभग सभी बड़े अस्पतालों में नर्सों के प्रशिक्षण की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इस समय देश में नर्सिंग स्कूलों और कॉलेजों की संख्या ४७० है। दिसम्बर, १६६२ ई० तक इन संस्थाओं में २१,८८३ छात्र-छात्राएँ भरती की गईं, जिनमें ७,५६६ उत्तीर्ण हुईं। इनमें नर्स, मिडवाइफ, हेल्थ विजिटर आदि थे।

भारतीय मलेरिया-संस्थान में मलेरिया और फाइलेरिया के नियन्त्रण में लगे स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। कलकत्ता के अखिलभारतीय स्वास्थ्य-विज्ञान तथा लोक-स्वास्थ्य-संस्थान में लोक-स्वास्थ्य, प्रसूति तथा बालकल्याण, पोषण तथा आहार-विद्या और लोक-स्वास्थ्य-इंजिनियरी का प्रशिक्षण देने का प्रबन्ध है।

परिवार-नियोजन

सन् १६०१ ई० में भारत की जनसंख्या साढ़े तेईस करोड़ थी, किन्तु सन् १६६१ ई० में यहाँ की जनसंख्या लगभग ४४ करोड़ हो गई है, जबकि सन् १६०१ ई० के भारत के दो बड़े खंड, बर्मा और पाकिस्तान इससे अलग हो गये हैं। हिसाब करने से पता चलता है कि यहाँ की जनसंख्या में प्रतिवर्ष दो प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, अर्थात् यहाँ करीब ७० लाख खानेवाले नये व्यक्ति जन्म ले रहे हैं। किन्तु, हमारी भूमि बढ़ नहीं रही है और न पर्याप्त गति से उत्पादन के साधन ही बढ़ रहे हैं। ऐसी अवस्था में जनसंख्या को एक नियोजित ढंग से ही बढ़ने देना होगा। अन्यथा देश में हाहाकार मच जायगा। इसी स्थिति के कारण भारत में परिवार-नियोजन के आन्दोलन का जन्म हुआ। सर्वप्रथम परिवार-नियोजन-चिकित्सालय (बर्थ-कंट्रोल-क्लिनिक) की स्थापना सन् १६२६ ई० में मैसूर की सरकार द्वारा की गई। उसके पश्चात् अखिलभारतीय कॉंगरेस ने अपने एक विशेष प्रस्ताव द्वारा देश में इस आन्दोलन के प्रचार-प्रसार की आवश्यकता व्यक्त की, जिसके परिणामस्वरूप कुछ दिनों के बाद बम्बई में डॉ० कर्वे एवं डॉ० पिल्ले आदि के अथक प्रयास से संतति-निरोध के हेतु कतिपय कुटुम्ब-सुधार-केन्द्र खोले गये।

स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद हमारे देश में इस आन्दोलन को सरकारी स्तर पर और अधिक प्राश्रय मिला और परिवार-नियोजन-केन्द्र खोले गये। इन केन्द्रों में दम्पतियों को संतति-निरोध की सारी बातों की शिक्षा दी जाती है तथा संतति-निरोधक ओषधियाँ तथा अन्य उपादान निःशुल्क अथवा उचित मूल्य पर वितरित किये जाते हैं। प्रायः २०० रु० कम आमदनीवाले व्यक्ति को ये उपादान निःशुल्क दिये जाते हैं। इन केन्द्रों में 'सुरक्षित काल' की विधि बतलाने की व्यवस्था है।

संचालन एवं प्रशिक्षण—सम्पूर्ण भारत के परिवार-नियोजन-आन्दोलन का संचालन सितम्बर, १६५६ ई० में स्थापित एक 'सेण्ट्रल फैमिली-प्लानिंग बोर्ड' से होता है, जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय स्वास्थ्य-मंत्री हैं। इसकी शाखाएँ प्रत्येक राज्य में अपना कार्य कर रही हैं। प्रायः प्रत्येक राज्य-सरकार ने अपने स्वास्थ्य-निदेशक के कार्यालय में एक 'स्टेट फैमिली प्लानिंग अफसर' की नियुक्ति की है। इस कार्य के लिए जिला-समितियाँ भी बनाई गई हैं।

योजना-आयोग के अनुसार परिवार-नियोजन-कार्यक्रम का उद्देश्य है—(क) देश की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारणों का सही-सही पता लगाना; (ख) परिवार-नियोजन के लिए उपयुक्त उपाय खोजना और उनका व्यापक रूप से प्रचार करना तथा (ग) सरकारी अस्पतालों और सार्वजनिक स्वास्थ्य-संस्थाओं में परिवार-नियोजन-सम्बन्धी सलाह आदि देना।

पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि में १४५ उपचारालय (२० ग्रामीण तथा १२५ नागरिक क्षेत्रों में) खोले गये थे। दूसरी योजना की अवधि में करीब १,५०० उपचारालय (१,०७६ ग्रामीण तथा ४२१ नागरिक क्षेत्रों में) खोले गये। इस प्रकार, जनवरी, १६६३ ई० तक देश में सब मिलाकर ८४४१ केन्द्र इस काम में लगे हुए थे, जिनमें ६,७७४ ग्रामीण क्षेत्र में थे। जनता को पुस्तिकाओं, प्रदर्शनियों तथा फिल्मों की सहायता से परिवार-नियोजन-सम्बन्धी कार्यक्रम से अवगत कराया जाता है।

अनुसंधान-कार्य—बम्बई में एक जनांकिक प्रशिक्षण-अनुसंधान-केन्द्र (डियोग्राफिक ट्रेनिंग रिसर्च सेण्टर) पहले से काम कर रहा है। इधर कलकत्ता, दिल्ली, त्रिवेन्द्रम् और धारवार में भी इस प्रकार के केन्द्र खोले गये हैं।



समाज-कल्याण

मद्यनिषेध

भारतीय संविधान में देश-भर में मादक पेयों तथा द्रव्यों का उपयोग क्रमशः बन्द करने का आदेश दिया गया है। अतः, दिसम्बर, १६५४ ई० में भारत-सरकार ने मद्यनिषेध-जाँच-समिति की नियुक्ति की। मद्यनिषेध-आयोग ने मद्यनिषेध-सम्बन्धी जिम्मेदारियाँ राज्यों पर छोड़ दी हैं कि वे स्वयं मद्यनिषेध की तिथि निश्चित करें तथा स्थानीय अवस्थाओं तथा परिस्थितियों के अनुरूप अपनी-अपनी नीतियाँ बनायें। आयोग ने मद्य के विज्ञापनों तथा अन्य प्रलोभनों पर रोक लगाने, सार्वजनिक स्थानों पर मद्यपान बन्द करने, इस सम्बन्ध में विशिष्ट तकनीकी समितियाँ बनाने, सस्ते तथा स्वास्थ्यकर हल्के पेयों का प्रचार तथा उत्पादन करने, सामुदायिक विकास-खण्डों में मद्यनिषेध लागू करने के काम को रचनात्मक कार्य का प्रमुख अंग बनाने आदि की सिफारिश भी की है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में मद्यनिषेध को स्वेच्छापूर्वक समाज-कल्याण-आन्दोलन का रूप देने का निश्चय किया गया है, जिसके अन्तर्गत इसे सार्वजनिक नीति के रूप में अपना कर सफल बनाने के लिए ठोस प्रशासनिक कदम उठाने, जनता और स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग प्राप्त करने तथा मद्यनिषेध लागू करने के फलस्वरूप राज्य-सरकारों के राजस्व में संभावित कमी को पूरा करने की व्यवस्था की जायगी।

मद्यनिषेध-कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करने, विभिन्न राज्यों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने तथा उनकी व्यावहारिक कठिनाइयों से परिचित रहने के उद्देश्य से एक केन्द्रीय मद्यनिषेध-समिति की स्थापना की गई है। विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में मद्यनिषेध की प्रगति संक्षेप में इस प्रकार है—

आसाम-राज्य के अन्तर्गत कामरूप, नवगाँव तथा गोआलपारा जिलों में मद्यनिषेध लागू है। सन् १९४७ ई० से अफीम का और जुलाई, १९५९ ई० से गाँजा तथा भाँग का भी पूर्ण निषेध कर दिया गया है।

आन्ध्रप्रदेश में अनन्तपुर, कडपा, कुरनूल, कृष्णा, गुण्टूर, चित्तूर, नेल्लोर, पश्चिम गोदावरी, पूर्व गोदावरी, विशाखापत्तनम् तथा श्रीकाकुलम् जिलों में पूर्ण मद्यनिषेध है। यह समस्त भाग राज्य के क्षेत्रफल का ५८·४ प्रतिशत और यहाँ की जनसंख्या राज्य की जनसंख्या का ६४·६ प्रतिशत है। उड़ीसा में मद्यनिषेध-सम्बन्धी कानून कटक, कोरापुट, गंजाम, पुरी तथा बालासोर जिलों में लागू है। १ अप्रैल १९६९ ई० में अफीम के उपयोग का भी निषेध कर दिया गया। उत्तरप्रदेश में पहले ऋषिकेश, वृन्दावन तथा हरद्वार के तीर्थ-केन्द्रों और उन्नाव, एटा, कानपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, बदायूँ, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी; रायबरेली तथा सुलतानपुर जिलों में पूर्ण मद्यनिषेध लागू किया गया था, किन्तु १ दिसम्बर, १९६२ ई० से इसके स्थान पर सम्पूर्ण राज्य में आंशिक मद्यनिषेध किया गया है। गाँजा की बिक्री का भी निषेध किया गया है और अफीम के उपभोग पर १ जुलाई, १९५९ ई० से प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। केरल में कोझिकोड, पालघाट, त्रिवेन्द्रम, कन्नूर जिलों और क्विलोन तथा त्रिचूर जिलों के ५ ताल्लुकों और एर्नाकुलम् जिले के फोर्ट कोचीन-क्षेत्र में पूर्ण मद्यनिषेध है। १ अप्रैल, १९५९ ई० से राज्य में अफीम तथा गाँजा की सभी दूकानें बन्द की जा चुकी हैं। गुजरात में सम्पूर्ण राज्य में पूर्ण मद्यनिषेध लागू है। पंजाब में पूर्ण मद्यनिषेध केवल रोहतक जिले में है। अफीम के उपभोग का १ अप्रैल, १९५९ ई० से पूर्ण निषेध कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में अबतक किसी भी क्षेत्र में मद्यनिषेध लागू नहीं हुआ है, किन्तु लोगों की पीने की आदत कम करने के लिए बिक्री के घंटे और दिन तथा खुदरा बिक्री के लाइसेंस कम किये गये हैं और कर-वृद्धि की गई है। बिहार में अफीम के उपभोग पर १ अप्रैल, १९५९ ई० से प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। मद्रास-राज्य में पूर्ण मद्यनिषेध २ अक्टूबर, १९५८ ई० से लागू है। मध्यप्रदेश में दमोह, नरसिंहपुर, खण्डवा, विदिशा, सागर तथा होशंगाबाद जिलों में पूर्ण और दुर्ग, बिलासपुर तथा रायपुर जिलों में कहीं-कहीं मद्यनिषेध लागू है। १ अप्रैल, १९५९ ई० से अफीम के उपभोग का पूर्ण निषेध कर दिया गया है। महाराष्ट्र में १ अप्रैल, १९६१ ई० से पूर्ण मद्यनिषेध लागू है। मैसूर में गुलबर्गा, बँगलोर और रायचूर जिलों को छोड़कर सम्पूर्ण राज्य में मद्यनिषेध लागू है। कुछ जिलों में गाँजा की बिक्री तथा १ अप्रैल, १९५९ ई० से अफीम के उपयोग का पूर्ण निषेध कर दिया गया है। राजस्थान में केवल सिरोही जिले के आबू तालुके में मद्यनिषेध लागू किया गया है।

संघीय क्षेत्रों में मद्यनिषेध धीरे-धीरे लागू किया जा रहा है। ताड़ी की सभी दूकानें बन्द कर दी गई हैं। शराब की दूकानें सप्ताह में ५ दिन बन्द रखी जाती हैं। अन्दमान तथा निकोबार-द्वीप-समूह में विदेशी शराब के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। दिल्ली में देशी शराब की दूकानों पर प्रतिबन्ध है। १ अप्रैल, १९५९ ई० से अफीम केवल उसके अभ्यस्त लोगों को ही

डॉक्टरी-पत्र प्रस्तुत करने पर दी जाती है। मणिपुर में स्थानीय रूप से देशी शराब तैयार करने-वालों को सन् १६५८ ई० से लाइसेंस देना बन्द कर दिया गया है। धार्मिक अवसरों तथा उत्सवों पर स्थानीय रूप से शराब बनाने के अनुमति-पत्र आदिमजातीय लोगों को ही दिये जाते हैं।

हिमाचल-प्रदेश के बिलासपुर जिले तथा माहसू, मारडी और चम्बा जिलों के कुछ सबडिवीजनों में मद्यनिषेध लागू है। त्रिपुरा में शराब की दूकानें सप्ताह में एक दिन बन्द रखी जाती हैं। १ अप्रैल, १६५६ ई० से वहाँ गाँजे की बिक्री समाप्त कर दी गई है।

दुर्व्यवहृत लोगों के कल्याण के उपाय

स्त्रियों का अनैतिक व्यापार—भारतीय दण्ड-विधान में १८ वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं की वेश्यावृत्ति के लिए खरीद-बिक्री करनेवालों को १० वर्ष तक जेल देने तथा जुरमाना भी करने की व्यवस्था है। इसी प्रकार, वेश्यावृत्ति करवाने के लिए २१ वर्ष से कम आयु की स्त्रियों को विदेशों से लानेवालों को भी दण्ड दिया जाता है। वेश्यावृत्ति पर रोक लगाने के लिए 'महिला तथा बालिका-अनैतिक व्यापार दमन-अधिनियम, १६५६' भी विद्यमान है, जो मई १६५० ई० में न्यूयार्क में हुए अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन के निर्णय के आधार पर बनाया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत वेश्यावृत्ति से उबारी गई स्त्रियों के पुनर्वास तथा उनको पढ़ाने-लिखाने और कोई काम-धन्धा सिखाने के उद्देश्य से कुछ आश्रम बनाने की भी व्यवस्था है। पतिता स्त्रियों के उत्थान के लिए तथा उन्हें अच्छे नागरिक बनाने के लिए राज्यों में कई अन्य संस्थाएँ भी कार्य कर रही हैं, जिनमें से अधिक महत्त्वपूर्ण ये हैं : मद्रास-राज्य का स्त्री-सदन, बम्बई का श्रद्धानन्द-अनाथ-महिलाश्रम, मद्रास का गुड शेफर्ड-होम, पूना का क्रिश्चन-होम, पश्चिम-बंगाल का फैण्डल-होम और अखिल बंग-महिला-अनाथालय तथा गोरखपुर का खुशालबाग-मिशन-अनाथालय।

बाल-अपराधी—इन दिनों आन्ध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, केरल, गुजरात, पंजाब, पश्चिम-बंगाल, महाराष्ट्र, मद्रास, मध्यप्रदेश और मैसूर-राज्यों तथा सभी संघीय क्षेत्रों में बाल-अपराध-अधिनियम लागू हैं। इन दिनों आन्ध्रप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश मद्रास तथा मैसूर में 'किशोरबन्दी (बोर्स्टल) स्कूल-अधिनियम' भी लागू कर दिया गया है। सन् १८५७ ई० का 'सुधार-विद्यालय-अधिनियम' सभी बड़े राज्यों तथा कुछ संघीय क्षेत्रों में भी लागू है।

बाल-अपराध-समस्या के समाधान का मुख्य उत्तरदायित्व राज्य-सरकारों पर है। बालकों के पालन-पोषण-कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों में विभिन्न प्रकार की लगभग ८२ सुधार-संस्थाएँ हैं। इनमें बहुतों को केन्द्रीय सरकार सहायता देती है।

भिखारी—दण्ड-विधान-संहिता की नजर में आवारा लोग तथा भीख माँगनेवाले, दोनों ही समान हैं तथा ऐसे लोगों को कानूनन दण्ड देने की व्यवस्था है। १५ फरवरी, १६४१ ई० से एक कानून द्वारा रेलवे-स्टेशनों पर भीख माँगना रोक दिया गया है। अधिकांश राज्यों में सार्वजनिक स्थानों में भीख माँगने पर रोक लगाने के लिए विशेष अधिनियम स्वीकार किये जा चुके हैं। अन्य राज्यों में इस सम्बन्ध में नगरपालिका तथा पुलिस-नियम लागू हैं। भिक्षावृत्ति करवाने के उद्देश्य से बच्चों को उठा ले जाना, उनका अपहरण और अंग-भंग करना अपराध माना गया है।

भिखारियों की देख-रेख तथा उनके पुनर्वास में योग देनेवाली संस्थाएँ विभिन्न राज्यों में कार्य कर रही हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में ऐसी १८, पश्चिम-बंगाल में ८, मद्रास में ७, केरल में ८ तथा दिल्ली में ३ संस्थाएँ हैं। उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश तथा मैसूर में एक-एक भिखारी-गृह है। नई दिल्ली में आवारा लोगों के हित के लिए एक ऐसी संस्था है, जिसमें उन्हें काम-धन्धे सिखाये जाते हैं।

सुधारात्मक सेवाओं का केन्द्रीय ब्यूरो—इस ब्यूरो की स्थापना सन् १९६१ ई० में भी की गई है। इसका काम राष्ट्रीय आधार पर आँकड़े एकत्र करना, भारत और विदेशी सरकारों तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान करना तथा अपराधों की रोक और अपराधियों के सुधार के सम्बन्ध में अध्ययन और अनुसंधान करना है।

केन्द्रीय समाज-कल्याण-बोर्ड

श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में अगस्त, १९५३ ई० में स्थापित केन्द्रीय समाज-कल्याण-बोर्ड महिलाओं, बच्चों तथा विकलांगों के कल्याण की योजनाओं को कार्यान्वित करने तथा उनका विकास करने की मुख्य संस्था है। बोर्ड के मुख्य कार्य ये हैं—समाज-कल्याण-संगठनों की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करना; उनके कार्यक्रमों और उद्देश्यों की जाँच करना; विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य-सरकारों द्वारा दी जानेवाली सहायता का समन्वय करना; स्वयंसेवी संगठनों की स्थापना में योग देना और वित्तीय सहायता करना है। अपने स्थापना-काल से जनवरी, १९६८ ई० तक इस बोर्ड ने ५ करोड़ २० लाख रुपये का अनुदान दिया है। अगस्त, १९६२ ई० से केन्द्रीय समाज-कल्याण-मण्डल की अध्यक्षा के पद पर श्रीमती जॉन मथाई कार्य कर रही हैं।

ग्रामीण कल्याण-विस्तार-परियोजना—अगस्त, १९५४ ई० में बोर्ड ने अपनी निगरानी में ग्रामीण कल्याण-विस्तार-परियोजनाएँ आरम्भ कीं। प्रत्येक परियोजना में लगभग २० हजार जनसंख्यावाले २५-३० गाँव आते हैं। इन परियोजनाओं के कार्यक्रम में बाल-वाड़ियाँ, मातृकल्याण तथा शिशु-स्वास्थ्य-सेवाएँ, महिला-साक्षरता तथा समाज-शिक्षा, कला-कौशल-केन्द्र और मनोरंजन-केन्द्रों की व्यवस्था करने का कार्य सम्मिलित है।

अक्टूबर, १९६० ई० के अन्त तक ऐसी ४१८ परियोजनाओं का कार्य आरम्भ किया जा चुका था, जिनके अधीन ७६·४८ लाख की जनसंख्या के १०,४६६ गाँवों से युक्त २०२७ केन्द्र आते हैं। सन् १९६१-६२ ई० से ये परियोजनाएँ स्थानीय स्वयंसेवी कल्याण-संगठनों के अधीन कर दी गई हैं। अप्रैल, १९५७ ई० से सामुदायिक विकास-खंड भी इन परियोजनाओं के कार्य-क्षेत्र में आ गये। इन क्षेत्रों में मूल ढाँचे से भिन्न समन्वित ढाँचे की परियोजनाएँ स्थापित की गई हैं। ऐसी प्रत्येक परियोजना में ६० हजार से ७० हजार की जनसंख्यावाले सौ गाँव आते हैं। सन् १९६२ ई० के अन्त में ऐसी परियोजनाएँ ३२१ थीं। ग्रामीण कल्याण-योजनाओं के अधीन २५ हजार से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं।

शहरी कल्याण-विस्तार-परियोजनाएँ—इन परियोजनाओं का उद्देश्य गन्दे क्षेत्रों के निवासियों के लिए सामुदायिक कल्याण-केन्द्रों की व्यवस्था करना है। जनवरी, १९६३ ई० तक शहरी क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाएँ चलानेवाली ६७ स्वयंसेवी संस्थाओं को ३८·७५ लाख रुपये अनुदान दिये गये।

बाल-अवकाश-गृह—पहाड़ी तथा ठण्डे स्थानों में कम आयवाले लोगों के बच्चों के लिए अवकाश-शिविरों की व्यवस्था की जाती है। जनवरी, १९६३ ई० तक ५० बच्चेवाले ऐसे ३३६ दलों को ९·६७ लाख रुपये सहायता रूप में दिये गये।

रात्रिकालीन विश्राम-गृह—विभिन्न राज्यों के बड़े-बड़े औद्योगिक नगरों में आश्रयहीन व्यक्तियों के लिए स्थायी विश्राम-स्थल की व्यवस्था के निमित्त ४८ रात्रिकालीन विश्राम-गृह खोले गये हैं। तत्सम्बन्धी कार्य भारत-सेवक-समाज को सौंपा गया है।

सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रम—विकलांग व्यक्तियों तथा काम चाहनेवाली महिलाओं के लिए कई उत्पादन-केन्द्र स्थापित करने की एक योजना का कार्य आरम्भ किया गया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में पचीस से तीस हजार महिलाओं को रोजगार मिलने की आशा है।

आदिम जाति-महिलाओं का प्रशिक्षण—दोहदर (गुजरात), दुमका (बिहार) और इम्फाल (मणिपुर) में आदिम जाति-महिलाओं का साधारण शिक्षा और कल्याण-कार्यों का प्रशिक्षण देने के लिए दो से तीन वर्षों का पाठ्यक्रम रखा गया है।

वयस्क महिलाओं के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम—२० से ३५ वर्ष तक की महिलाएँ इस पाठ्यक्रम को पूरा करने पर दस्तकारी अध्यापिका, बालसेविका, ग्रामसेविका, नर्स, धाई और परिवार-नियोजन-कार्यकर्त्ता के प्रशिक्षण प्राप्त करने योग्य मानी जाती हैं। जनवरी, १९६३ ई० तक ११,६०० महिलाएँ इस पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर चुकी हैं।

सामाजिक तथा नैतिक स्वास्थ्य-विज्ञान और देखभाल-कार्यक्रम—इसके अनुसार आरम्भ किये गये कार्य का उद्देश्य सुधार-संस्थानों से निकले प्रौढ़ व्यक्तियों, महिलाओं तथा बच्चों की देखभाल तथा उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना है। फरवरी, १९६२ ई० तक ऐसे ४६ देखभाल-गृहों तथा ८९ जिला-संरक्षण-गृहों को स्वीकृति दी गई है।

बाल-कल्याण—तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित बाल-कल्याण-सेवाओं के निमित्त प्रदर्शन-परियोजनाओं की व्यवस्था की गई है। इनका उद्देश्य १६ वर्ष तक के बालकों का सर्वतोमुखी विकास रखा गया है। बच्चों की देखभाल के लिए गठित एक समिति ने बाल-कल्याण-सेवाओं के विकास के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है, जिसपर सक्रिय विचार हो रहा है।

साहाय्य एवं पुनर्वास

पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति—पूर्वी पाकिस्तान से ४१,१७,००० विस्थापित व्यक्ति भारत आये। ६,५६,००० से अधिक विस्थापित परिवार पुनः बसाये जा चुके हैं और उनके साहाय्य और पुनर्वास के लिए २ अरब रुपये दिये गये हैं।

दण्डकारण्य-योजना—इस योजना के अनुसार पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित हुए व्यक्तियों को बसाने के लिए मध्यप्रदेश के बस्तर जिले और उड़ीसा के कोरापुट और कालाहंडी जिले की ३०,०५२ वर्गमील भूमि ली गई है। सितम्बर, १९५८ ई० में दण्डकारण्य-विकास-अधिकारी के पद का निर्माण किया गया था। जनवरी, १९६३ ई० के अन्त तक ६२ हजार एकड़ भूमि पूरी तरह ले ली गई है और उसमें ६४८७ परिवार बसाये जा चुके हैं। ४६२१ परिवार गाँवों की ओर

भेजे गये हैं। यहाँ कृषि, बागवानी, मत्स्य-पालन, मुर्गी-पालन आदि की व्यवस्था की गई है। शिक्षा और ओषधियों का भी प्रबन्ध तथा ६ हजार एकड़ भूमि आदिवासियों के लिए सुरक्षित है।

पश्चिम पाकिस्तान में विस्थापित व्यक्ति—पश्चिम पाकिस्तान से ४७,४०,००० विस्थापित व्यक्ति भारत आये। उनके साहाय्य और पुनर्वास में १६८ करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। ५·०५ लाख दावेदारों में से ५·०३ लाख दावेदारों को १७६·३३ करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति में दिये जा चुके हैं।

कश्मीरी विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास—सन् १६५६ ई० में भारत-सरकार ने कश्मीरी विस्थापित व्यक्तियों को भी पुनर्वास के लिए साहाय्य देने का निश्चय किया। इसके अनुसार कृषि पर निर्भर करनेवालों को एक हजार रुपये और अन्य व्यवसायों पर निर्भर करनेवालों को साढ़े तीन हजार रुपये दिये गये। सन् १६६२ ई० के ३१ दिसम्बर तक जम्मू और कश्मीर के पाकिस्तान-अधिकृत क्षेत्रों से आये हुए ३० हजार व्यक्तियों ने आने की सूचना दी। इनमें ११,१५८ के लिए १ २५ करोड़ रुपये सहायतार्थ दिये गये।

अन्य प्रकार के साहाय्य

संकटकालीन साहाय्य-संगठन—बाढ़, अकाल, भूकम्प आदि के समय साहाय्य देने के लिए सभी राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों में इस संगठन की स्थापना की गई है। केन्द्रीय संकटकालीन साहाय्य-संगठन के अंग-स्वरूप नागपुर में एक प्रशिक्षण-संस्थान खुला है।

प्रधान मंत्री का राष्ट्रीय साहाय्य-कोष—इसकी स्थापना सन् १६४७ ई० के नवम्बर में हुई थी। मार्च, १६६२ ई० तक २·२५ करोड़ रुपये का इसमें से उपयोग किया गया।



अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित आदिमजातियाँ तथा पिछड़े वर्ग

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की शैक्षिक तथा आर्थिक दृष्टि से उन्नति करने और उनकी परम्परागत सामाजिक असमर्थताओं को दूर करने के उद्देश्य से भारत के संविधान में आवश्यक सुरक्षा तथा संरक्षण की व्यवस्था है। संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि (१) अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाय; (२) इन जातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा हो और सामाजिक अन्याय तथा शोषण से उन्हें बचाया जाय; (३) हिन्दुओं के सार्वजनिक धार्मिक स्थान समस्त वर्गों के हिन्दुओं के लिए खुले रखे जायँ; (४) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों, कुओं, ताल-तालाबों, स्नान-घाटों और सड़कों तथा सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करने पर लगी सभी रुकावटें दूर हों; (५) इन जातियों को कोई भी रोजी-रोजगार अपनाने का अधिकार दिया जाय; (६) सरकार द्वारा संचालित अथवा सरकारी कोष से सहायता पानेवाले शिक्षालयों में उनके प्रवेश पर कोई रुकावट न हो; (७) सरकारी नौकरियों में इनके लिए स्थान सुरक्षित रखे जायँ; (८) संसद्

तथा राज्यीय विधान-मण्डलों में २० वर्ष की अवधि तक इन्हें विशेष प्रतिनिधित्व की सुविधा हो; (९) इनके कल्याण तथा हितों की सुरक्षा के प्रयोजन से राज्यों में सलाहकार-परिषदों और पृथक् विभागों की स्थापना की जाय तथा केन्द्र में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति हो तथा (१०) अनुसूचित और आदिमजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियन्त्रण के लिए विशेष व्यवस्था की जाय।

सन् १९६१ ई० की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों की संख्या क्रमशः ६,४५,११,३१३ करोड़ तथा २,९८,८३,४७० करोड़ है।

अस्पृश्यता-निवारण के उपाय

अस्पृश्यता (अपराध)-अधिनियम, १९५५—उपर्युक्त जातियों को संविधानानुसार सुविधाएँ देने तथा उनपर लगाये गये सामाजिक प्रतिबन्धों को हटाने के लिए भारतीय संसद् ने एक अधिनियम बनाया है। इसके अनुसार प्रतिबन्ध लगानेवालों को दंड देने की व्यवस्था भी की गई है। यह अधिनियम १ जून, १९५५ ई० से लागू है।

अस्पृश्यता-विरोधी आन्दोलन—सन् १९५४ ई० से भारत-सरकार अस्पृश्यता-उन्मूलन-आन्दोलन के लिए आर्थिक सहायता दे रही है। राज्य-सरकारों ने अपने जिलाधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों को यह आदेश दिया है कि वे इस कुरीति का अन्त करने पर जोर दें। जनता का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने के लिए प्रायः सभी राज्यों में हरिजन-दिवस तथा हरिजन-सप्ताह मनाये जाते हैं। इस कार्य के लिए पुस्तक-पुस्तिकाओं, इश्तहारों और अन्य साधनों का भी उपयोग किया जा रहा है।

देश की कुछ सार्वजनिक संस्थाओं से हरिजन-सेवक-संघ, भारतीय आदिम जाति-सेवक-संघ, भारतीय दलित-वर्ग-संघ, भारत-दलित-सेवक-संघ, हिन्द स्वयंसेवक-समाज, सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटीज, टाटा इन्सटिट्युट ऑफ सोशल साइन्सेज, ईश्वरशरण-आश्रम आदि को अस्पृश्यता-विरोधी कार्य के लिए सरकार की ओर से सहायता दी जाती है। इन संस्थाओं को पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि में करीब ६८ लाख रुपये और दूसरी पंचवर्षीय योजना में ६६ लाख रुपये दिये गये। तीसरी पंचवर्षीय योजना में इन्हें करीब सवा करोड़ रुपये देने का निश्चय किया गया है।

विधान-मण्डलों में प्रतिनिधित्व

राज्यों की अनुसूचित जातियों तथा आदिमजातियों की जनसंख्या के अनुपात से इन लोगों के लिए लोकसभा तथा राज्यों की विधान-सभाओं में, संविधान लागू होने के बाद से, २० वर्ष की अवधि के लिए स्थान सुरक्षित रखे गये हैं। लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लिए क्रमशः ७६ और ३१ स्थान सुरक्षित हैं। राज्यों के विधान-मण्डलों में इन जातियों के लिए सुरक्षित स्थानों की संख्या क्रमशः ४७१ तथा २२२ है।

भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों की संख्या

(सन् १९६१ ई० की जनगणना के आधार पर)

राज्य एवं संघीय क्षेत्र	अनुसूचित जातियाँ	अनुसूचित आदिम जातियाँ
राज्य		
आंध्रप्रदेश	४९,७३,६१६	१३,२४,३६८
आसाम	७,३२,७५६	२०,६८,३६४
उड़ीसा	२७,६३,८५८	४२,२३,७५७
उत्तरप्रदेश	१,५४,१७,२४५	——
केरल	१४,२२,०५७	२,०७,९९६
गुजरात	१३.६७,२५५	२७,५४,४४६
जम्मू-कश्मीर	२,६८,५३०	——
पंजाब	४१,३९,१०६	१४,१३२
पश्चिम बंगाल	६९,५०,७२६	२०,६३,८८३
बिहार	६५,३६,८७५	४२,०४,७७०
मद्रास	६०,७२,५३६	२,५२,६४६
मध्यप्रदेश	४२,५३,०२४	६६,७८,४१०
महाराष्ट्र	२२,२६,९१४	२३,९७,१५९
मैसूर	३१,१७,२३२	१ ९२,०९६
राजस्थान	३३,५९,६४०	२३,०९,४४७
संघीय क्षेत्र		
अंडमन और निकोबार द्वीप-समूह	——	१४,१२२
उत्तर-पूरब सीमांत-क्षेत्र	——	५,०४२
त्रिपुरा	१,१९,७२५	३,६०,०७०
दादरा और नागर-हवेली	१,१८४	५१,२६१
दिल्ली	३,४१,५५५	——
नागाभूमि	१२६	३,४३,६९७
पांडिचेरी	५६,८६१	——
मणिपुर	१३,३७६	२,४९,०९४
लक्कादिव, मिनिकोय और अमीनदीवी	——	२३,३९१
हिमाचल-प्रदेश	३,९९,९१६	१,०८,१९४
कुल योग	६,४५,११,३१३	२,९८,८३,४७०

संसद् और राज्यों की विधान-सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के संरक्षित स्थान

राज्य एवं संघीय क्षेत्र	संसद् में			राज्यों की विधान-सभाओं में		
	लोकसभा में कुल स्थान	अनुसूचित जातियाँ	अनुसूचित आदिम-जातियाँ	विधान-सभाओं में कुल स्थान	अनुसूचित जातियाँ	अनुसूचित आदिम-जातियाँ
राज्य						
आंध्रप्रदेश	४३	६	२	३००	४३	११
आसाम	१२	१	२	१०५	५	२३
उड़ीसा	२०	४	४	१४०	२५	२९
उत्तरप्रदेश	८६	१८	—	४३०	८९	—
केरल	१८	२	—	१२६	११	[illegible]
गुजरात	२२	१	३	१५४	११	२१
जम्मू-कश्मीर	६	—	—	७५	—	—
पंजाब	२२	५	—	१५४	३३	—
पश्चिम-बंगाल	३६	६	२	२५२	४५	१५
बिहार	५३	७	५	३१८	४०	३२
मद्रास	४१	७	—	२०६	३७	१
मध्यप्रदेश	३६	५	७	२८८	४३	५४
महाराष्ट्र	४४	६	२	२६४	३३	१४
मैसूर	२६	३	—	२०८	२८	१
राजस्थान	२२	३	२	१७६	२८	२०
संघीय क्षेत्र						
त्रिपुरा	२	—	१	—	—	—
दिल्ली	५	१	—	—	—	—
मणिपुर	२	—	१	—	—	—
हिमाचल-प्रदेश	४	१	—	—	—	—
कुल योग	५००	७६	३१	३·१९६	४७१	२२२

सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व

जिन पदों पर नियुक्तियाँ खुली प्रतियोगिता द्वारा देशव्यापी आधार पर की जाती हैं, उनमें १२½ प्रतिशत स्थान तथा जो नियुक्तियाँ अन्य प्रकार से की जाती हैं, उनमें १६⅔ प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित रखे गये हैं। अनुसूचित आदिमजातियों के लिए दोनों दशाओं में पाँच-पाँच प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं।

नौकरियों में इन जातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के विचार से आयु-सीमा में छूट, योग्यताओं के मानदंड में रियायत आदि जैसी सुविधाएँ भी दी जाती हैं। इन दोनों जातियों में से उपयुक्त व्यक्ति न मिलने पर ही कोई पद अरक्षित माना जाता है।

१ जनवरी, १९६२ ई० को इन वर्गों के ३,३०,८३८ व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया।

अनुसूचित तथा आदिमजातीय क्षेत्रों का प्रशासन

संविधान की छठी अनुसूची के उपबन्धों के अनुसार संयुक्त खासी-जैन्तिया-पहाड़ियों, गारो-पहाड़ियों, मिजो-पहाड़ियों, उत्तर-कछार-पहाड़ियों तथा मिकिर-पहाड़ियों के जिलों में एक प्रादेशिक परिषद् तथा पाँच जिला-परिषदें स्थापित की गई हैं। पाँचवीं सूची के अनुसार प्रायः सभी राज्यों में एक आदिमजाति परामर्श-समिति भी स्थापित की गई है, जहाँ अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जातियाँ हैं।

कल्याणकारी तथा सलाहकारी संस्थाएँ

अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिमजातीय आयुक्त—संविधान में की गई सुरक्षा-सम्बन्धी व्यवस्था की जाँच-पड़ताल करने तथा इनको कार्यरूप देने के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को अवगत कराने के लिए एक आयुक्त तथा ११ सहायक आयुक्त हैं।

आदिमजाति-कल्याण-अधिकारी—भारत-सरकार की ओर से एक आदिम-जाति-कल्याण-अधिकारी की नियुक्ति की गई है, जो आसाम में आदिमजातीय लोगों में हुए कार्य की समीक्षा करके भारत-सरकार को रिपोर्ट पेश करता है।

केन्द्रीय सलाहकार-मण्डल—आदिमजातीय क्षेत्रों के विकास और अनुसूचित आदिम-जातियों तथा अनुसूचित जातियों के कल्याण-सम्बन्धी मामलों में संसदसदस्यों तथा सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं का सहयोग प्राप्त करने के लिए भारत-सरकार ने दो केन्द्रीय सलाहकार-मण्डल नियुक्त किये हैं—एक आदिमजातियों के कल्याण के लिए तथा दूसरा हरिजनों के कल्याण के लिए।

राज्यों के कल्याण-विभाग—भारत के प्रायः सभी राज्यों में एक-एक कल्याण-विभाग की स्थापना की गई है।

कल्याणकारी योजनाएँ

शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाएँ—इन जातियों को शिक्षा की अधिक-से-अधिक सुविधाएँ दी जा रही हैं। व्यावसायिक तथा प्राविधिक प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया जाता है। विद्यार्थियों को निःशुल्क पढ़ाई, छात्रवृत्तियाँ, पुस्तकें, लेखन-सामग्री आदि की सुविधाएँ भी दी जाती हैं। कितने ही स्थानों पर इनके लिए दोपहर में भोजन की भी व्यवस्था है।

भारत-सरकार ने इन वर्गों के सुपात्र विद्यार्थियों को विदेशों में अध्ययन के लिए भी छात्र-वृत्तियाँ देने की एक योजना आरम्भ की है।

सभी प्राविधिक संस्थाओं तथा शिक्षालयों से सिफारिश की गई है कि इन वर्गों के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए स्थान सुरक्षित रखे जायँ, आवश्यक उत्तीर्ण-अंकों की संख्या में कमी करें तथा अधिकतम आयु-सीमा बढ़ायें।

आर्थिक उन्नति के अवसर—२.२५ करोड़ आदिमजातीय लोगों में से लगभग २६ लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष २२,५५,८१६ एकड़ भूमि में स्थान बदल-बदलकर खेती करते हैं। यह

समस्या आसाम, आन्ध्रप्रदेश, उड़ीसा, बिहार तथा मध्यप्रदेश के राज्यों और मणिपुर तथा त्रिपुरा के संघीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से विद्यमान है। इस सिलसिले में अबतक आसाम में १६ मार्गदर्शक परियोजना-केन्द्र तथा आन्ध्रप्रदेश में ६ बस्ती-योजनाएँ आरम्भ की गई हैं। इस योजना के अन्तर्गत उड़ीसा में २,६६०, बिहार में १,५४८, मध्यप्रदेश में ३६६ तथा त्रिपुरा में १३,२२६ परिवार बसाये जा चुके हैं।

आन्ध्रप्रदेश, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र और मद्रास में सिंचाई की सुविधाओं में सुधार लाकर, बंजर भूमि को कृषि-योग्य बनाने तथा उसे अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिमजातियों के लोगों में बाँट देने की कई योजनाएँ आरम्भ की जा चुकी हैं। इसके अलावा इन्हें पशु, उर्वरक, कृषि-औजार, उन्नत बीज आदि खरीदने के लिए भी सुविधाएँ दी जा रही हैं।

आसाम, आन्ध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा महाराष्ट्र में कई राज्यों में ऋण, आर्थिक सहायता तथा प्रशिक्षण-केन्द्रों के माध्यम से अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिमजातियों के बीच कुटीर-उद्योगों का विकास किया जा रहा है। कई राज्यों में उनके लिए ऋण देनेवाली बहूद्देश्यीय सहकारी-समितियाँ भी स्थापित कर दी गई हैं।

अन्य कल्याणकारी कार्यों के अन्तर्गत इन्हें मकान बनाने के लिए निःशुल्क अथवा नाममात्र मूल्य पर भूमि दी जाती है। हरिजन-कर्मचारियों के लिए मकान बनाने के उद्देश्य से स्थानीय निकायों को सहायता-अनुदान भी दिये जाते हैं। आवश्यकतानुसार इन्हें ऋण देने की भी व्यवस्था है। कई राज्यों में अनुसूचित जातियों के लोगों को कानूनी सहायता भी दी जाती है।

आदिमजाति-अनुसन्धान-संस्थान—उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्यप्रदेश तथा राजस्थान में आदिमजातीय अनुसंधान-संस्थान स्थापित हैं, जहाँ आदिमजातीय कला, संस्कृति तथा रीति-रिवाजों का अध्ययन-अनुसन्धान किया जाता है। आन्ध्र-विश्वविद्यालय में एक आदिमजातीय अनुसन्धान-संस्थान स्थापित किया गया है।

गौहाटी-विश्वविद्यालय में आसाम की आदिमजातियों के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। महाराष्ट्र तथा गुजरात-राज्यों में बम्बई की नृतत्त्व-शास्त्र-समिति, गुजरात-अनुसन्धान-समिति तथा बम्बई-विश्वविद्यालय में आदिमजातियों के सम्बन्ध में अनुसन्धान-कार्य चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल के सांस्कृतिक अनुसन्धान-संस्थान ने राज्य की आदिमजातियों के जीवन के कई पहलुओं पर महत्त्वपूर्ण रिपोर्टें प्रकाशित की हैं। भारत-सरकार के नृतत्त्व-शास्त्र-विभाग में देश की कुछ आदिमजातियों तथा वर्गों के पारस्परिक आचार-सम्बन्धों के अध्ययन का कार्य पूरा हो चुका है।

उत्तर-पूर्व सीमान्त-प्रदेश के अनुसन्धान-विभाग में भी उस क्षेत्र के लोगों की भाषाओं तथा संस्कृति के सम्बन्ध में अध्ययन-कार्य जारी है। उड़ीसा के आदिमजातीय अनुसन्धान-संस्थान में भी कई महत्त्वपूर्ण आदिमजातीय समस्याओं का अध्ययन किया जा रहा है। मध्यप्रदेश की संस्था में महाकोशल-क्षेत्र के ५ जिलों की सहकारी संस्थाओं के विकास का अध्ययन-कार्य पूरा हो चुका है। बिहार-संस्थान द्वारा भी संतालपरगना की एक आदिमजाति के अध्ययन का कार्य पूरा किया जा चुका है। उदयपुर के भारतीय लोककला-मण्डल ने भूतपूर्व मध्यभारत तथा राजस्थान की आदिमजातियों की संस्कृति के सम्बन्ध में सर्वेक्षण-कार्य सम्पन्न किया है।

आदिमजातीय विकास-प्रखण्ड—द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में आदिमजातीय क्षेत्रों के पूर्ण विकास के लिए बहूद्देश्यीय आदिमजाति-विकास-प्रखण्डों की स्थापना करने का निश्चय किया गया। फलस्वरूप, ४३ विकास-प्रखण्ड स्थापित किये गये, जिनमें प्रत्येक पर प्रथम पाँच वर्षों में २७ लाख रुपये तथा द्वितीय पाँच वर्षों में १० लाख रुपये खर्च करने का लक्ष्य था। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ऐसे ३३१ विकास-प्रखण्ड खोले जायेंगे, जिनमें से प्रत्येक प्रखण्ड पर पहली अवस्था में २२ लाख रुपये और दूसरी अवस्था में १० लाख रुपये व्यय किये जायेंगे। साधारणतः २५ हजार व्यक्तियों की आबादी और २०० वर्गमील के क्षेत्र पर एक प्रखण्ड रहेगा। उक्त क्षेत्र की आबादी में कम-से-कम दो-तिहाई व्यक्तियों का आदिवासी होना आवश्यक है। मार्च, १९६३ तक लगभग ८० प्रखण्डों का कार्यारम्भ हो चुका था।



कृषि और पशु-पालन

कृषि

भारत के लगभग ७० प्रतिशत व्यक्ति अपनी जीविका के लिए भूमि पर निर्भर करते हैं तथा देश की लगभग आधी राष्ट्रीय आय कृषि और उससे सम्बद्ध व्यवसायों से प्राप्त होती है। देश से सूती वस्त्र-उद्योग, पटसन से बनी वस्तुओं के उद्योग तथा चीनी-उद्योग जैसे कुछ बड़े उद्योगों के लिए कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। इस प्रकार, देश से निर्यात की जानेवाली वस्तुओं का बहुत बड़ा भाग कृषि पर ही निर्भर करता है। मूँगफली और चाय के उत्पादन में भारत का स्थान संसार-भर में प्रथम है तथा लाख केवल भारत में ही पैदा होती है। चावल, पटसन, खाँडसारी, तिल, राई तथा अरण्डी के उत्पादन में संसार में भारत का स्थान दूसरा है।

भूमि का उपयोग

भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल ८०·६३ करोड़ एकड़ है। इसमें से ७२·६१ करोड़ एकड़ भूमि, अर्थात् कुल क्षेत्रफल के ९०·१ प्रतिशत भाग के ही आँकड़े उपलब्ध हैं। सन् १९५८-५९ ई० में यहाँ १३·०१ करोड़ एकड़ भूमि में जंगल; ९·७४ करोड़ एकड़ भूमि में चरागाह, वृक्ष, कुंज आदि थे तथा ५·९८ करोड़ एकड़ भूमि बंजर थी। इसके अलावा ११·४७ करोड़ एकड़ भूमि कृषि के लिए उपलब्ध नहीं थी। कुल ३७·९८ करोड़ एकड़ भूमि में कृषि होती थी, जिसमें ३२ करोड़ २० लाख एकड़ भूमि हल से जोती जाती थी।

सिंचित भूमि—यहाँ खेती के काम आनेवाली कुल भूमि में लगभग १६ प्रतिशत भाग में सिंचाई की व्यवस्था है। सन् १९५०-५१ ई० में नहरों, ताल-तालाबों, कुओं आदि से ५·१५ करोड़ एकड़ भूमि में सिंचाई होती थी, किन्तु सन् १९५८-५९ ई० में ५·७८ करोड़ भूमि में सिंचाई हुई।

भारत में कृषि की दो मुख्य विशेषताएँ हैं—एक तो यह कि यहाँ विभिन्न प्रकार की फसलें होती हैं; और दूसरी यह कि अनाज की फसलों को अन्य फसलों की अपेक्षा अधिक महत्त्व दिया जाता है।

फसलें—भारत में फसलों के दो मौसम हैं—खरीफ तथा रबी। खरीफ की फसलों में चावल, ज्वार, बाजरा, मकई, कपास, गन्ना, तिल तथा मूँगफली मुख्य हैं तथा रबी की फसलों में गेहूँ, जौ, चना, अलसी, राई तथा सरसों।

मुख्य फसलों का क्षेत्र और उत्पादन—सन् १९५०-५१ ई० तथा सन् १९६०-६१ ई० के आँकड़े यहाँ दिये जा रहे हैं—

मुख्य फसलों का क्षेत्र और उत्पादन

फसल	क्षेत्र एकड़		उत्पादन	
	१९५०-५१	१९६०-६२ (अनुमान)	१९५०-५१	१९६१-६२ (अनुमान)
चावल	७,६१,३५	८,३६,६६	२,०२,५१ हजार टन	३,३६,१० हजार टन
ज्वार	३,८४,७७	४,३०,७४	५४,०८ ,,	७६,६४ ,,
बाजरा	२,२२,६६	२,७०,२७	२५,५४ ,,	३५,०२ ,,
मकई	७८,०७	१,१०,४०	१७,०२ ,,	४०,०० ,,
रागी	५४,४४	५७,१०	१४,०७ ,,	१७,४६ ,,
जई	१,१३,८०	१,१७,१४	१७,२२ ,,	१८,७७ ,,
गेहूँ	२,४०,८२	३,३२,४०	६३,६० ,,	१,१६,२० ,,
जौ	७६,६३	८२,५५	२३,४० ,,	३०,६७ ,,
चना	१,८७,०६	२,४०,७८	३५,६३ ,,	५८,५४ ,,
अरहर	५३,८६	५७,२०	१६,६२ ,,	१२,६१ ,,
अन्य दालें	२,३०,८०	२,८६,५६	२६,६३ ,,	४३,३२ ,,
आलू	५,६२	६,११	१६,३४ ,,	२७,२३ ,,
गन्ना	४२,१७	५६,४२	५,६१,५० ,,	६,६०,२१ ,,
काली मिर्च	१,६७	२,५४	२१ ,,	२८ ,,
लाल मिर्च	१४,६४	१५,१६	३,४५ ,,	३,६३ ,,
सोंठ	४०	४४	१४ ,,	१७ ,,
तम्बाकू	८,८३	१०,२५	२,५७ ,,	३,३६ ,,
मूँगफली	१,११,०६	१,५८,४८	३४,२६ ,,	४६,८२ ,,
अरण्डी	१३,७२	११,०८	१,०१ ,,	१०१ ,,
तिल	५४,४५	५५,६१	४,३८ ,,	३,६६ ,,
राई और सरसों	५१,१८	७५,६८	७,५० ,,	१२,८५ ,,
अलसी	३४,६७	४२,११	३,६१ ,,	३,६१ ,,
कपास	१,४५,३६	१,८७,१०	२६,१० हजार गाँठ	४५०० हजार गाँठ*
पटसन	१४,११	२५,५६	३२,८३ ,,	६२,६६ ,, †
चाय	७,७७	अनुपलब्ध	६,०७ लाख पौंड	अनुपलब्ध
कहवा	२,२४	,,	५४ ,,	,,
रबर	१,४४	,,	३२ ,,	,,
नारियल	१५,६८	,,	३५८ करोड़	,,

*३९२ पौंड प्रति गाँठ। †४०० पौंड प्रति गाँठ।

सन् १९६१-६२ ई० में कृषि-उत्पादन के सूचनांक इस प्रकार थे : खाद्यान्न १३५.२; अन्य फसलें (तिलहन, वस्त्र, बागान-उत्पादन आदि) १४६.४ और समस्त पदार्थों का सामान्य सूचनांक १३९.९। सन् १९५०-५१ ई० में ये सूचनांक इस प्रकार थे—खाद्यान्न ९०.५; अन्य फसलें १०५.९ और सामान्य सूचनांक ९५.६।

खाद्यान्न का आयात—सन् १९६२ ई० में अधिकतर खाद्यान्न १९६० और १९६१ के इकरारनामे के अनुसार बाहर से आते रहे। सन् १९६२-६३ ई० के लिए कोलम्बो-योजना-कार्यक्रम के अनुसार १९,७०० टन गेहूँ खरीदने का इकरारनामा कनाडा के साथ हुआ। सन् १९६२ ई० में बर्मा से चावल खरीदने के दो इकरारनामे किये गये। पहला इकरारनामा सन् १९६२ ई० में २ लाख टन चावल खरीदने के सम्बन्ध में था। दूसरा इकरारनामा जनवरी सन् १९६३ ई० से तीन वर्षों तक प्रति वर्ष १.५ लाख टन चावल खरीदने के लिए था।

सन् १९५९ ई० में बाहर से १४ करोड़ ४० लाख टन गेहूँ, चावल आदि खाद्यान्न मँगाया गया था; सन् १९६२ ई० में वह ३५ करोड़ ८३ लाख टन मँगाया गया।

खाद्यान्न की सामान्य स्थिति—सन् १९६२ ई० में सामान्यतः देश की खाद्य-स्थिति सन्तोषजनक रही, यद्यपि इस वर्ष खाद्यान्नों की उपज में ह्रास ही रहा। सन्तोषजनक स्थिति का कारण यह हुआ कि आयात की मात्रा बढ़ाई गई और वितरण का कार्य न्यायोचित ढंग से हुआ।

विकास-कार्यक्रम

तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि-उत्पादन पर ६ अरब रुपये व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगभग २ अरब, ६१ करोड़ के व्यय का लक्ष्य था। यह व्यय सहकारिता के ८० करोड़ और सिंचाई-योजनाओं के ६ अरब रुपये के अतिरिक्त रखा गया है। इन योजनाओं के अन्तर्गत भूमि-संरक्षण; छोटे सिंचाई-कार्य, उन्नत बीज, खाद तथा उर्वरक, पौधा-संरक्षण तथा टिड्डी-नियन्त्रण, भरपूर कृषि-जिला-कार्यक्रम आदि आते हैं।

वर्त्तमान संकटकालीन स्थिति में कृषि-विकास के कार्यक्रम को प्राश्रय दिया गया है। लघु सिंचाई, भूमि-संरक्षण और बीरानी खेती के सम्बन्ध में तृतीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य ५० प्रतिशत बढ़ाया गया है। उत्पादन बढ़ाने का विशेषतः चावल, बाजरा, दलहन, तेलहन, फल, तरकारियों और कपास का उत्पादन बढ़ाने का कार्यक्रम तैयार हुआ है। कृषकों को पर्याप्त ऋण देने का भी प्रस्ताव किया गया है।

लघु सिंचाई—तृतीय पंचवर्षीय योजना में लघु सिंचाई से १.२८ करोड़ एकड़ जमीन सींचने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि दूसरी योजना में ९० लाख एकड़ सींचने का लक्ष्य था। तृतीय योजना में लघु सिंचाई पर करीब ढाई करोड़ रुपये खर्च होंगे। लघु सिंचाई पर निश्चित रकम को बढ़ाने के लिए सन् १९६२-६३ ई० में ९ करोड़ रुपये की अतिरिक्त रकम दी गई। बड़े शहरों के आसपास साग-सब्जी की खेती बढ़ाने के लिए लघु सिंचाई का विशेष प्रबन्ध किया गया है।

भूमि-संरक्षण, बीरानी खेती और भूमि-सुधार—तीसरी योजना में विभिन्न भूमि-संरक्षण के कार्यक्रम को अमल में लाने के लिए ७२ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जबकि पहली योजना में केवल १.६ करोड़ रुपये और दूसरी योजना में १८ करोड़ रुपये की व्यवस्था की

गई थी। संकटकालीन स्थिति को नजर में रखते हुए भूमि-संरक्षण का लक्ष्य ५० प्रतिशत बढ़ाया गया है और बीरानी खेती के लिए ५ करोड़ एकड़।

सन् १९६२-६३ ई० में राज्यों के अन्दर २०१ भूमि-संरक्षण योजनाएँ चालू थीं। इसके अतिरिक्त नदी घाटी-परियोजनाओं के आसपास १६ केन्द्रीय योजनाएँ चल रही थीं। ३८ बीरानी खेती प्रदर्शन-परियोजनाओं पर कार्य हो रहा था।

८ केन्द्रीय भूमि-संरक्षण, अनुसन्धान, प्रदर्शन और प्रशिक्षण-केन्द्रों में प्रशिक्षण और अनुसन्धान हो रहे हैं। आन्ध्रप्रदेश के इब्राहिमपतनम् नामक स्थान में लाल मिट्टी की समस्या पर अध्ययन करने के लिए एक नया केन्द्र खुला है।

अखिलभारतीय मृत्तिका और भूमि-प्रयोग-सर्वेक्षण-योजना के अधीन जनवरी, १९६३ ई० तक १६·६१ लाख एकड़ जमीन का सर्वेक्षण हुआ है। २·४४ लाख एकड़ जमीन के लिए चित्र-सहित ११ सर्वेक्षण रिपोर्टें तैयार हो चुकी हैं। इनका उपयोग नदीघाटी-परियोजनाओं के आसपास की भूमि के संरक्षण के लिए होता है।

सुधरे बीज —सुधरे बीजों का विकास करने तथा उनको लोकप्रिय बनाने के लिए दूसरी योजना की अवधि में विभिन्न राज्यों के अन्दर ४ हजार बीज-उत्पादन-फार्म स्थापित करने का लक्ष्य था।

बीज-सुधारक फार्मों को उन्नत करने और सुधरे बीज कृषकों को देने के कार्यक्रम बनाये गये हैं। सुधरे बीजों को अधिकाधिक व्यवहार में लाने के लिए राज्य-सरकारों को वितरण-खर्च में १ रुपया प्रतिमन देने को कहा गया है।

खाद और उर्वरक —सन् १९६१-६२ ई० में २१३५ शहरी केन्द्रों में २९·५० लाख टन शहरी कम्पोस्ट खाद तैयार की गई और २५·६० लाख टन वितरित हुई। सन् १९६२-६३ ई० में उत्पादन का अनुमान ३१ लाख टन था। ७० बड़े शहरों में मल एवं कूड़ा-करकट से खाद बनाने की योजना चालू है। इसके २० करोड़ गैलन जल से २५ हजार एकड़ भूमि सींची जाती है।

खाद के स्थानीय साधनों के विकास की तीन योजनाओं के अधीन (१) कम्पोस्ट का उत्पादन १९०० विकास-प्रखंडों में बढ़ाया गया है, (२) १३०० बड़ी पंचायतों में मल-मूत्र की कम्पोस्ट खाद बनाई जा रही है और (३) २ करोड़ एकड़ में हरी खाद का प्रयोग जारी किया गया है।

पहले की तरह नाइट्रोजन-पूरक उर्वरकों की माँग सन् १९६२-६३ ई० में बहुत बढ़ी। यों तो आपूर्त्ति भी बढ़ी, फिर भी ७० प्रतिशत माँग की ही पूर्त्ति हो सकी। सुपरफास्फेट की माँग भी बढ़ी है।

कैलसियम अमोनियम नाइट्रेट का मूल्य घटने से खाद के रूप में इसका प्रयोग बढ़ा है। कृषकों को समय पर खाद दे सकने के लिए स्टॉक रखनेवाले को दो रुपये प्रतिमास प्रतिटन की छूट दी जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में खाद भेजने पर खर्च के लिए सरकार भी कुछ सहायता देती है।

वनस्पति-संरक्षण और टिड्डी-नियंत्रण —वनस्पति-संरक्षण, संगरोध तथा भाण्डार-निदेशालय अपने १४ केन्द्रीय वनस्पति-संरक्षण-केन्द्रों द्वारा फसलों में लगनेवाले कीड़ों तथा रोगों का नियंत्रण करने के लिए तकनीकी परामर्श, उपकरणों, कीट-नाशकों तथा प्रशिक्षण-प्राप्त

व्यक्तियों के रूप में सहायता देता रहा। इन केन्द्रों ने चुने हुए ग्रामपंचायत-क्षेत्रों में विस्तृत वनस्पति-संरक्षण-कार्य का भी संगठन किया।

सन् १९६२-६३ ई० में १२८ टिड्डी-दल भारत में आये, परन्तु यथासमय नियंत्रण-उपायों के फलस्वरूप फसल की अधिक क्षति नहीं हुई। कुछ क्षेत्रों में कपास और तेलहन की फसलों की रक्षा के लिए राज्यों से कुछ लिये बिना केन्द्रीय सरकार ने वायुयान द्वारा कीट-नाशक दवाएँ छिड़कने की व्यवस्था की। अन्य कुछ क्षेत्रों में निजी वायुयानों द्वारा भी दवा छिड़कने का कार्य किये जाने पर सरकार ने आर्थिक सहायता दी।

सघन कृषि-जिला कार्य-क्रम —कुछ अनुकूल क्षेत्रों की उत्पादन-क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग करने के विचार से फोर्ड-प्रतिष्ठान की आर्थिक सहायता से सन् १९६१-६२ ई० में सघन कृषि-जिला कार्यक्रम आरंभ किया गया। यह कार्यक्रम पाँच वर्ष तक चलेगा और इसके अंतर्गत जिले में अनाज की सभी फसलों, खासकर धान, गेहूँ और ज्वार की ओर ध्यान दिया जायगा। इस कार्यक्रम में पशु-सुधार कार्यक्रम तथा इससे सम्बद्ध गति-विधियों को भी सम्मिलित करने का विचार है। आरंभ में यह योजना चुने हुए सात जिलों में कार्यान्वित की गई। जैसे—अलीगढ़ (उत्तरप्रदेश), तंजावुर (मद्रास), पश्चिम गोदावरी (आन्ध्र), पाली (राजस्थान), रायपुर (मध्यप्रदेश), लुधियाना (पंजाब) तथा शाहाबाद (बिहार)। सन् १९६२-६३ की खरीफ फसल से इस योजना के कार्यक्रम का विस्तार अन्य पाँच जिलों में भी किया गया, जिनमें मैसूर, गुजरात और उड़ीसा के एक-एक तथा केरल के दो जिले सम्मिलित थे। इसी वर्ष रब्बी फसल के समय से पश्चिम बंगाल में भी यह योजना प्रारम्भ की गई। सन् १९६३-६४ ई० की खरीफ फसल से महाराष्ट्र और आसाम में और बाद को दिल्ली में इस योजना के लागू करने का प्रस्ताव था।

सरकारी फार्म —सन् १९५६ ई० में राजस्थान के सूरतगढ़ नामक स्थान में ३०,००० एकड़ भूमि में सरकार द्वारा यंत्रों की सहायता से खेती करने की व्यवस्था की गई थी। सन् १९६२-६३ ई० में ७,८१० एकड़ में खरीफ की खेती और २० हजार एकड़ में रब्बी की खेती की गई मुर्गी-पालन, पशुनस्ल-सुधार और बागवानी के सम्बन्ध में भी प्रयोग किये जा रहे हैं। सन् १९६३ ई० में राजस्थान के नहरी क्षेत्र के अंतर्गत जेतसार नामक स्थान में भी इसी प्रकार की खेती आरंभ की गई है।

कृषि-हाट-व्यवस्था

कृषि-हाट-व्यवस्था का काम भारत-सरकार के हाट-व्यवस्था तथा निरीक्षण-निदेशालय के जिम्मे है। देश में नियमित रूप से कृषि-हाट-व्यवस्था को उन्नत करने के लिए कई प्रकार के कार्य किये जाते हैं। जैसे—(१) कृषि-उत्पादनों का वर्गीकरण तथा मान निश्चित करना; (२) मण्डियों तथा उनके कार्य का नियमन; (३) मण्डियों की जाँच-पड़ताल और सर्वेक्षण; (४) कृषि-मण्डियों के कार्यकर्त्ताओं का प्रशिक्षण; (५) फल-उत्पादन-आदेश, १९५५ का प्रशासन।

वर्गीकरण और मान-निश्चय—३३ प्रकार की जिन्सों को १२४ प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। 'समुद्री चुंगी-अधिनियम' के अधीन तम्बाकू, सन, ऊन, सुअर के बाल, चन्दन का तेल आदि जैसी वस्तुओं के निर्यात के लिए अनिवार्य वर्गीकरण की व्यवस्था है। इसके

अतिरिक्त आन्तरिक व्यापार के लिए घी, तेल, मक्खन, कपास, अण्डे, गेहूँ के आटे, चावल, आलू, गन्ना-गुड़ और फलों आदि के वर्गीकरण की भी व्यवस्था है। नागपुर में केन्द्रीय नियन्त्रण-प्रयोगशाला तथा कोचीन, गुण्टूर, मद्रास, कानपुर, राजकोट, अमृतसर, कलकत्ता और बम्बई में क्षेत्रीय सहायक प्रयोगशाला का निर्माण किया जा रहा है।

मंडियों का नियमन—अनुचित पद्धतियों को समाप्त करने तथा हाट-व्यवस्था-व्यय में कमी करने के उद्देश्य से अबतक ८७८ मण्डियों का नियमन किया जा चुका है।

जाँच-पड़ताल और सर्वेक्षण—कृषि-पदार्थों की हाट-व्यवस्था-सम्बन्धी जाँच-पड़ताल तथा सर्वेक्षण करके निदेशालय की ओर से सन् १९३७ से १९६१-६२ ई० तक १२५ सर्वेक्षण-रिपोर्टें प्रकाशित हो चुकी हैं। सन् १९६२-६३ ई० में ६ और प्रकाशन हुए हैं तथा ५ शीघ्र होनेवाले हैं। एक हाट-व्यवस्था-अनुसन्धान-शाखा भी खोली गई है।

कृषि-हाट-व्यवस्था के कर्मचारियों का प्रशिक्षण—कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए तीन पाठ्यक्रम हैं—राज्यों की हाट-व्यवस्था से सम्बद्ध उच्च कर्मचारियों के लिए नागपुर में एकवर्षीय पाठ्यक्रम, हाट-व्यवस्था-सचिवों तथा अधीक्षकों के लिए सांगली तथा हैदराबाद में ५ मास के पाठ्यक्रम और वर्गीकरण-पर्यवेक्षकों के लिए तीन महीने के पाठ्यक्रम की व्यवस्था है।

'फल-उत्पादन-आदेश, १९५५'—इस आदेश के अन्तर्गत इस उद्योग की वैज्ञानिक रीति से अभिवृद्धि करने के कार्य किये गये और ६०८ लाइसेन्स दिये गये या उनका नवीकरण किया गया। ७५ अनधिकृत कारखानों का पता लगाया गया। फलों के २,८६५ नमूनों की जाँच की गई। अप्रैल और नवम्बर, सन् १९६२ ई० के बीच ५·६० लाख रुपये फलोत्पादकों को सहायता स्वरूप दिये गये।

वन-उद्योग

यहाँ वनों का कुल क्षेत्रफल २·७४ लाख वर्गमील है, जो देश की कुल भूमि का लगभग २२ प्रतिशत है। यहाँ का वन-क्षेत्र अनुपात की दृष्टि से थोड़ा है। ये वन जहाँ-तहाँ बड़े बेढंगे रूप से फैले हुए हैं तथा उनकी वार्षिक उत्पादन-क्षमता अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। इन बातों को देखते हुए निश्चित किया गया है कि कुल भूमि के ३३·३ प्रतिशत भाग में वन लगाये जायँ।

सन् १९५७-५८ ई० में २,७४,४११ वर्गमील में वन थे, जिनसे अनुमानतः लगभग २६ करोड़ रु० के मूल्य की ५५,२४,४६,००० घनफुट लकड़ी निकाली गई। वनों से दियासलाई, कागज तथा प्लाइवुड-उद्योगों के लिए कच्चा माल मिलने के अतिरिक्त गोंद, राल, चर्म-शोध-सामग्री, औषधि-सम्बन्धी जड़ी-बूटियाँ आदि भी प्राप्त होती हैं। सन् १९५७-५८ ई० में वनों से अनुमानतः साढ़े आठ करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की उपर्युक्त तथा अन्य फुटकर वस्तुएँ प्राप्त हुईं।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में वन-विकास-कार्य के लिए भारत-सरकार की ओर से करीब चार करोड़ रुपये व्यय करने का लक्ष्य है। देहरादून, जबलपुर, गोहाटी और कोयम्बटूर में काष्ठ-प्रशिक्षण-केन्द्र खोलने का विचार है।

पशु-पालन तथा मत्स्य-पालन

सन् १९५६ ई० में गाय-बैल, भैंस-भैंसे, भेड़-बकरियाँ, घोड़े तथा अन्य पशुओं की संख्या ३० करोड़ ६५ लाख थी। उस वर्ष मुर्गे-मुर्गियों की संख्या ९ करोड़ ८७ लाख थी।

केन्द्रग्राम-योजना—पशुपालन-विकास का उद्देश्य देश में चुनी हुई नस्लों के पशुओं तथा अन्य पशुओं की किस्मों में सुधार करके उनकी दुग्ध-उत्पादन-क्षमता को बढ़ाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए केन्द्रग्राम-योजना, गोशाला-विकास तथा गोसदन-योजनाएँ चालू की गई हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसके लिए लगभग ५·१९ करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना तक की अवधि में स्थापित किये गये ११४ कृत्रिम गर्भाधान-केन्द्रों का विस्तार हुआ और २६० नये केन्द्र ग्राम-प्रखंड और ७२ विस्तार-केन्द्रों की स्थापना हुई। साथ ही, ३१,११६ हृष्ट-पुष्ट बछड़ों के पालन-पोषण का काम हाथ में लिया गया। इसके अतिरिक्त २१ लाख पशुओं का कृत्रिम और प्राकृतिक गर्भाधान कराया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम का पुनर्गठन करके इसका और भी विस्तार किया जा रहा है।

चारा-विकास—३२ सरकारी फार्मों में चरागाह-विकास का काम आरम्भ किया गया और ७७ चरागाह-सम्बन्धी प्रदर्शन-केन्द्र स्थापित किये गये। तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में एक चरागाह-अनुसंधान-संस्थान स्थापित करने का लक्ष्य है।

गोशाला-विकास-योजना—गोशाला-विकास-योजना का मुख्य उद्देश्य दुग्ध-उत्पादन तथा अच्छी नस्ल के पशु तैयार करना है। सन् १९६१-६२ ई० की अवधि में २२ गोशालाओं के विकास का काम आरम्भ किया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में १६८ गोशालाओं के विकास का लक्ष्य रखा गया है।

गोसदन-योजना—गोसदन-योजना का उद्देश्य बूढ़े, पंगु तथा बेकार पशुओं को अलग स्थान में रखना है। इसके अधीन दूसरी योजना में ३७ गोसदान स्थापित किये गये हैं।

मृत पशु-उपयोग-योजना—खाल आदि का वैज्ञानिक ढंग से, कम व्यय पर, उपयोग करने के लिए चर्मालय भी स्थापित किये हैं। बख्शी-का-तालाब (लखनऊ) में स्थापित आदर्श प्रशिक्षण तथा उत्पादन-संस्थान एवं दिल्ली के केन्द्रीय प्रशिक्षण-केन्द्र में खाल उतारने तथा खाल कमाने से सम्बद्ध कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है।

आवारा और अन्य पशु-संग्रह-योजना—यह योजना पंजाब, उत्तरप्रदेश, मध्य-प्रदेश, दिल्ली एवं जम्मू और कश्मीर में लागू है। ३१ दिसम्बर, १९६९ ई० तक इस योजना के अनुसार १९,३७१ मवेशी संग्रह किये गये जिनमें १,१४३ प्रजनन-कार्य के लिए रखे जाकर ५,०७७ गोसदन भेजे गये।

घुमक्कड़ मवेशी-वंशवर्द्धक योजना—इस योजना का उद्देश्य अच्छे साँड़ तैयार करना और उन्हें सहकारिता के आधार पर एक जगह बसाना है। यह योजना आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश और गुजरात में लागू की गई है।

दुग्धशाला-योजनाएँ—दुग्धशाला-विकास-कार्यक्रम में शहरी दूध-संयंत्र (प्लांट), पशु-बस्तियाँ, दूध-उत्पादन-कारखाने और ग्रामीण क्रीम-केन्द्र, ग्रामीण दुग्धशाला-विस्तार तथा तकनीकी कर्मचारियों का प्रशिक्षण सम्मिलित है। कलकत्ता, मद्रास, हिसार और श्रीनगर

में दूध संयंत्रों की स्थापना हो जाने पर अब ऐसे संयंत्रों की संख्या २२ हो गई है। १२ ऐसे अन्य संयंत्रों के निर्माण का कार्य जारी है। अनेक नगरों में दूध-संबंधी अग्रयोजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं। दूध-संयंत्र और अग्रयोजनाओं को मिलाकर कुल ८·५ लाख लीटर दूध प्रतिदिन उत्पादित होता है। हरिणघाट और माधवरम् के मवेशी-उपनिवेशों में १२,००० मवेशी हैं। बम्बई के पास एक दूसरा उपनिवेश बसाने का विचार है। आनंद में एक पशुखाद्य-मिश्रण-कारखाना तैयार किया जा रहा है। सन् १९६२ ई० से चालू अमृतसर के कारखाने में प्रतिदिन २० हजार लीटर दूध और प्रतिवर्ष १५०० टन दुग्ध-जन्य पदार्थ का उत्पादन हो रहा है। राजकोट में भी शीघ्र ही ऐसी एक फैक्टरी चालू होगी। इनके अतिरिक्त अलीगढ़, राजकोट, जूनागढ़ और बरौनी में भी दुग्ध-जन्य पदार्थों के कारखाने खुले हैं। कर्नाल, बंगलोर, आरे (बम्बई), आनन्द और इलाहाबाद में दुग्धशाला-प्रशिक्षण केन्द्र हैं। ऐसे प्रशिक्षण-केन्द्र अन्य स्थानों में भी खुल रहे हैं।

सूअर-पालन-विकास-योजना—अलीगढ़ (उत्तरप्रदेश) और हरिणघाट (पश्चिम बंगाल) में क्षेत्रीय सूअर-पालन-केन्द्र चालू हैं। आन्ध्रप्रदेश और महाराष्ट्र में दो और सूअर-पालन-केन्द्र के साथ भुना सूअर-मांस के कारखाने भी हैं। प्रत्येक केन्द्र पर १५ लाख रुपये प्रतिवर्ष खर्च होते हैं। सन् १९६१-६२ ई० में आसाम, पश्चिम बंगाल, मद्रास, बिहार, केरल, पंजाब, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, हिमाचल-प्रदेश और मणिपुर में ५ सूअर-पालन-केन्द्र और १० सूअर-विकास-प्रखंड चालू हैं।

मुर्गी-पालन—द्वितीय योजना-काल में ५ प्रादेशिक मुर्गी-पालन-केन्द्र उड़ीसा, दिल्ली, महाराष्ट्र, मैसूर तथा हिमाचल-प्रदेश में स्थापित किये जा चुके हैं। सन् १९६२-६३ ई० में इन केन्द्रों से १४ लाख अंडे प्राप्त हुए, जहाँ सन् १९६१-६२ ई० में ७·७ लाख अंडे तैयार हुए थे। राज्य-मुर्गी-पालन फार्मों और मुर्गी-पालन-विस्तार-केन्द्रों ने लगभग ५० लाख अंडों का उत्पादन किया, जिनमें लगभग २० लाख मुर्गी-वंशवृद्धि के लिए बाँटे गये। व्यावसायिक मुर्गी-पालन-उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए सन् १९६२-६३ ई० में ७ भरपूर मुर्गी-पालन विकास-प्रखंड, ५ मुर्गी-आहार-निर्माण-केन्द्र और ३ संग्रह, वर्गीकरण और वितरण-केन्द्र स्थापित किये गये। विदेशी साहाय्य से गुरगाँव में एक बड़ा व्यावसायिक फार्म चालू किया गया है। ऐसा ही एक फार्म बम्बई में खोलने का विचार है

मत्स्य-पालन—प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंत में मछली का उत्पादन १० लाख टन था, जो सन् १९५७ ई० में बढ़कर १२ लाख टन हो गया। सन् १९६१ ई० में मछली का उत्पादन ९·४६ लाख टन रहा, जिसमें ४ लाख ५३ हजार टन मछलियाँ ताजा बिकीं, २ लाख १९ हजार टन सुखाई गईं और १ लाख ९४ हजार टन नमकीन बनाई गईं। मछली और मछली से प्रस्तुत पदार्थ विदेशी व्यापार का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। सन् १९६ -६२ ई० में १५,४५७ टन मछली और मछली से प्रस्तुत पदार्थ, जिसकी कीमत ३ करोड़ ९१ लाख रुपये थी, विदेश भेजा गया और ३ करोड़ ८७ लाख रुपये मूल्य का २० लाख ३४६ टन मछली और मछली से प्रस्तुत पदार्थ का आयात किया गया।

मत्स्य-पालन-विकास-कार्यक्रम दो भागों में विभक्त है—समुद्री मत्स्य-पालन और अन्तर्देशीय मत्स्य-पालन। पहली दो पंचवर्षीय योजनाओं में विभिन्न तटीय क्षेत्रों के लिए

मछली पकड़ने की यन्त्र-सज्जित तरह-तरह की नौकाओं के निर्माण एवं विकास के कार्य हुए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंत में जहाँ १५०० यन्त्र-सज्जित नौकाएँ थीं, वहाँ अब २४०० नौकाएँ हो गई हैं।

द्वितीय योजना-काल में मद्रास के कुडालोर तथा गुजरात के वेरावल नामक स्थानों में आरम्भ किये गये मछली मारने के नौकाश्रय के कार्य अब पूरे हो रहे हैं। मैसूर के करवार, केरल के बेपुर और कन्नानोर, आंध्र के काकिनाड तथा मद्रास के रोआपुरम् में शीघ्र ही नौकाश्रय बननेवाले हैं।

मछली मारने के उद्योग की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुसार मछली-बाजार का संगठन सुदृढ़ किया जा रहा है।

केन्द्रीय अन्तर्देशीय मत्स्यपालन-अनुसंधान-संस्थान, बैरकपुर में और केन्द्रीय समुद्री मत्स्यपालन-अनुसंधान-संस्थान मण्डपम्-कैम्प में हैं। बम्बई के गहरा समुद्र-मत्स्य-पालन-केन्द्र में तथा तूतीकोडी, कोचीन और विशाखापत्तनम् के तटदूरवर्ती केन्द्रों में अनुसंधानात्मक सर्वेक्षण के कार्य होते हैं। मंगलोर में एक नया तटदूरवर्ती केन्द्र खोला गया है। कोचीन और एर्नाकुलम् में केन्द्रीय मत्स्य-पालन टेक्नोलोजिकल अनुसंधान-केन्द्र हैं। जुलाई, १९६१ ई० में बम्बई में केन्द्रीय मत्स्यपालन-शिक्षा-संस्थान स्थापित हुआ था, जहाँ सन् १९६२-६३ ई० में ४१ व्यक्तियों को शिक्षा दी जा रही थी। इस समय देश में १० मत्स्य-पालन-विस्तार इकाइयाँ कार्य कर रही हैं।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में मत्स्य-पालन के लिए २९ करोड़ रुपये की व्यवस्था है, जिसके फलस्वरूप उत्पादन में ४ लाख टन की वृद्धि तथा निर्यात-व्यापार के द्विगुण हो जाने की आशा है।

कृषि-मजदूर

प्रथम कृषि-मजदूर-जाँच सन् १९५०-५१ ई० में ८०० गाँवों में की गई। दूसरी जाँच सन् १९५६-५७ ई० में ३६०० गाँवों में हुई। दूसरी जाँच की रिपोर्ट सन् १९६० ई० में प्रकाशित हुई, जिसकी मुख्य बातें निम्नांकित हैं--

व्यवसायगत ढाँचा—सन् १९५६-५७ ई० में कृषि-मजदूर-परिवारों की संख्या १·६३ करोड़ थी और ५७ प्रतिशत कृषि-मजदूर-परिवार भूमिहीन थे। २७ प्रतिशत परिवार नियमित रूप से खेती करते थे। प्रत्येक कृषि-मजदूर-परिवार की औसत सदस्य-संख्या ४·४० थी। कृषि-मजदूरों की अनुमित संख्या ३·३ करोड़ थी।

रोजगार तथा बेरोजगारी--सन् १९५६-५७ ई० में नैमित्तिक वयस्क पुरुष-मजदूरों के पास औसतन १९७ दिन का काम रहा और ४० दिन वे अपने निजी काम में लगे रहे। १२८ दिन वे बेकार रहे। नैमित्तिक वयस्क महिला-मजदूरों के पास १४१ दिन का काम था। बच्चे-मजदूर २०४ दिन काम करते रहे।

मजदूरी--उक्त वर्ष में कृषि-मजदूर-परिवारों की ८१ प्रतिशत औसत आय कृषि-कार्यों तथा कृषि से भिन्न व्यवसायों में हुई। उन्हें ४८·७ प्रतिशत दिनों के काम की मजदूरी नकदी के रूप में मिली और ४०·५ प्रतिशत दिनों के काम की मजदूरी जिन्स के रूप में मिली। प्रत्येक वयस्क पुरुष और महिला-मजदूरों की औसत दैनिक मजदूरी क्रमशः ९६ नये पैसे और ५९ नये पैसे थी। बाल-मजदूरों की औसत दैनिक मजदूरी ५३ नये पैसे रही।

पारिवारिक आय—उक्त वित्तीय वर्ष में प्रत्येक कृषि-मजदूर-परिवार की औसत वार्षिक आय ४३७ रुपये रही।

उपभोग और जीवन-यापन-व्यय—उक्त वर्ष में प्रत्येक कृषि-मजदूर-परिवार का औसत वार्षिक उपभोग-व्यय ६१७ रुपये था। इस प्रकार, औसत वार्षिक आय की दृष्टि से उन्हें १८० रुपये का घाटा हुआ, जिसकी पूर्ति ऋणादि से की गई।

ऋण—सन् १९५६-५७ ई० में लगभग ६४ प्रतिशत कृषि-मजदूर-परिवारों पर ऋण का काफी भार रहा। ऐसे प्रत्येक परिवार पर औसतन १३८ रुपये का ऋण था। कृषि-मजदूर-परिवारों पर कुल ऋण अनुमानतः १·३८ अरब रुपये का था।

कृषि-मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी—'न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, १९४८' का उद्देश्य कृषि-मजदूरों की आय में सुधार करना है। इस अधिनियम के अंतर्गत अधिकांश राज्यों में कृषि-मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी निश्चित की गई है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने भी कुछ कृषि-फार्मों में न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर दी है।



भूमि-सुधार

प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषक का शोषण करनेवाली भूमि-व्यवस्था में धीरे-धीरे परिवर्त्तन करके एक ऐसी पद्धति के लिए कुछ सिफारिशें की गई थीं, जिससे किसानों को अपने श्रम का अधिक-से-अधिक लाभ और कृषि-उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा प्राप्त हो। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस नीति का पुनः निरूपण किया गया। भूमि-नीति के सम्बन्ध में यह उद्देश्य रखा गया कि कृषि-उत्पादन के मार्ग में जो अड़चनें पैदा होती हैं, उनका निराकरण कर ऐसी परिस्थितियाँ पैदा की जायँ, जिनसे यथाशीघ्र एक ऐसी कृषि-अर्थव्यवस्था का जन्म हो, जिसमें कार्य-क्षमता तथा उत्पादन, दोनों में वृद्धि हो और साथ ही सामाजिक असमानताओं को मिटाकर समाज में समानता की स्थापना हो।

तृतीय योजना की अवधि में भूमि-सुधार के क्षेत्र में प्रमुख कार्य यह होगा कि द्वितीय योजना के समय जो नीतियाँ निश्चित की गई हैं और राज्य-सरकारों ने उन नीतियों के अनुसार जो कानून बनाये हैं, उन्हें शीघ्र लागू किया जाय। भूमिसुधार-सम्बन्धी त्रुटियों को दूर करने के क्रम में इस बात पर जोर डाला गया है कि भूमि-सुधार के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन अविलंब हो।

मध्यवर्त्तियों की समाप्ति

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग २ करोड़ रैयतों का सीधा सम्बन्ध राज्य से हो गया है। इस सम्बन्ध में बने कानूनों के परिणाम-स्वरूप आसाम, गुजरात, महाराष्ट्र और मद्रास के कुछ इनामों तथा छोटी काश्तों को छोड़कर प्रायः सभी मध्यवर्त्तियों का अंत हो चुका है। सन् १९६१ ई० में केरल में पट्टाभि देवस्वामी, गुजरात में पटेल-वतन और मद्रास में सन् १९३६ ई० के बाद की इनाम-जागीरों और छोटे इनामों के उन्मूलन के लिए कानून बनाये गये। आसाम में धार्मिक और धर्मार्थ संस्थाओं की भूमि के अधिग्रहण के लिए कानून बनाया गया। सन् १९६२ ई० में गुजरात

के मेहवासी, महाराष्ट्र के पटेल मेहवासी वतन और मध्यप्रदेश के कोतवास की प्रथाओं का अन्त कर दिया गया है। वह भूमि, जिसमें खेती नहीं की जाती, इसके अतिरिक्त जंगल आदि पर राज्य का अधिकार हो चुका है। उनकी व्यवस्था का काम राज्य अथवा ग्राम-पंचायतों जैसी स्थानीय संस्थाएँ कर रही हैं। राज्य-सरकारों के समक्ष इस समय सबसे प्रमुख समस्या क्षतिपूर्ति की देय राशि ६४० करोड़ है, जिसमें अबतक २३० करोड़ दिया जा चुका है।

मध्यवर्तियों की समाप्ति के कार्यक्रम के सिलसिले में केन्द्रीय सरकार ने राज्य-सरकारों को परामर्श दिया है कि अबतक बाकी पड़ी हुई क्षतिपूर्ति की राशियों के भुगतान के लिए वे तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में बौंड जारी करने की व्यवस्था करें।

काश्त-सुधार —योजना-आयोग ने काश्त-सम्बन्धी सुधार के लिए जो सिफारिशें की हैं, उनका मुख्य उद्देश्य है—(१) लगान में कमी करना; (२) पट्टे की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करना तथा (३) काश्तकारों को स्वामित्व का अधिकार देना। इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों में अच्छी प्रगति हुई है।

जोत की अधिकतम सीमा

जोत की अधिकतम सीमा निश्चित करने का सिद्धान्त पहली पंचवर्षीय योजना में स्वीकार किया गया था। इस कार्य के सम्बन्ध में आवश्यक आँकड़ों का संग्रह करने के लिए जोतों तथा कृषि-सम्बन्धी गणना करने का सुझाव भी था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस सिफारिश पर फिर से जोर दिया गया गया कि जोतों की सीमा 'तीन पारिवारिक जोत' में निश्चित की जाय। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्रत्येक राज्य में वर्त्तमान जोतों की सीमा निर्धारित कर देने की सिफारिश की गई।

सीमा-निर्धारण दो प्रकार का होता है—(क) भविष्य के लिए तथा (ख) वर्त्तमान जोतों के लिए। भविष्य के लिए जोतों की सीमा अधिकांश राज्यों में इस प्रकार निर्धारित कर दी गई है—आन्ध्रप्रदेश में १८ से २६० एकड़; आसाम में यह अधिकतम सीमा ५० एकड़; उड़ीसा में २५ से १०० एकड़; उत्तर-प्रदेश में १२½ एकड़; केरल में १५ से ३७½ एकड़; गुजरात में १६ से १३२ एकड़; जम्मू-कश्मीर में २२¾ एकड़; पंजाब में ३० स्टैण्डर्ड एकड़, पश्चिम बंगाल में २५ एकड़; बिहार में २० से ६० एकड़; मद्रास में २४ से १२० एकड़; मध्यप्रदेश में २५ से ७५ एकड़; महाराष्ट्र में १८ से १२६ एकड़; मैसूर में १८ से १४४ एकड़; राजस्थान में ३० स्टैण्डर्ड एकड़; मणिपुर में २५ एकड़; हिमाचल-प्रदेश में, चम्बा जिले में ३० एकड़, तथा अन्य क्षेत्रों में १२५ रु० मालगुजारी के अन्तर्गत आनेवाली भूमि और त्रिपुरा में २५ से ७५ एकड़।

वर्त्तमान जोतों के सम्बन्ध में जो अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है, वह आन्ध्र में २७ से ३२४ एकड़, उत्तरप्रदेश में ४० एकड़ तथा मैसूर में २७ से २१६ एकड़ रखी गई है। उड़ीसा के विधान मण्डल में जोत की अधिकतम सीमा २० से ८० एकड़ कर देने विषयक विधेयक विचाराधीन है। अन्य राज्यों में इस सम्बन्ध में कोई परिवर्त्तन नहीं हुआ है।

पहले के पंजाब-क्षेत्र में भू-स्वामियों की ३० स्टैण्डर्ड एकड़ से अधिक खुद-काश्तवाली भूमि पर असामियों को बसाने का अधिकार सरकार को दे दिया गया है। जम्मू-कश्मीर में वर्त्तमान जोतों की अधिकतम सीमा-सम्बन्धी कानून लागू किया जा चुका है तथा ४·५ लाख एकड़ भूमि बाँटी

जा चुकी है। पश्चिम बंगाल में सरकार ने ५·२४ लाख एकड़ कृषि-भूमि हस्तगत की है। यह भूमि भूमिहीन लोगों को तीन-साला लगान पर दी जा रही है। पहले के पेप्सू क्षेत्र में अबतक ३६,००० एकड़ भूमि बची हुई घोषित की गई है, जिसमें ११०० एकड़ वितरित हो चुकी है। पहले के पंजाब-क्षेत्र में ३ लाख ४७ हजार एकड़ भूमि बची हुई घोषित की गई है, जिसमें ६२ हजार स्टैंडर्ड एकड़ में ३४,००० व्यक्ति बसाये गये हैं। उत्तरप्रदेश में ६७,६५१ एकड़ और आंध्रप्रदेश में १७,००० एकड़ भूमि बची हुई बताई गई है। आसाम, बिहार, गुजरात, दिल्ली, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और त्रिपुरा के कुछ भागों के लिए भी इस सम्बन्ध में कानून बननेवाले हैं।

चकबन्दी

दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंत में ३ करोड़ एकड़ भूमि की चकबन्दी की गई। तृतीय योजना-काल में ३ करोड़ एकड़ और भी भूमि की चकबन्दी करने का उद्देश्य रखा गया है। उक्त लक्ष्य में सन् १९६२ ई० के मार्च तक १ करोड़ ३३ लाख भूमि की चकबन्दी हो चुकी थी।

भूमि का छोटे टुकड़ों में विभाजन

पुराने उत्तराधिकार-सम्बन्धी कानूनों, अनियमित हस्तान्तरणों तथा पट्टों का एक दुष्परिणाम यह हुआ कि जोतों के उत्तरोत्तर छोटे-छोटे टुकड़े होते चले गये, जिससे कृषि-उत्पादन को बड़ा धक्का पहुँचा है। अब सरकार की नीति यह है कि हस्तान्तरण, विभाजन तथा पट्टों का नियमन करके इस प्रवृत्ति को रोका जाय।

इस सम्बन्ध में आसाम तथा उड़ीसा, उत्तरप्रदेश, गुजरात, पंजाब, पश्चिम-बंगाल, बिहार, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मणिपुर, त्रिपुरा और आंध्रप्रदेश तथा मैसूर के भूतपूर्व हैदराबाद-क्षेत्र में कानून बनाये जा चुके हैं। किन्तु उड़ीसा, पंजाब तथा पश्चिम बंगाल में अभी ये कानून लागू नहीं किये गये हैं। आन्ध्रप्रदेश तथा मैसूर में विधेयकों पर विचार किया जा रहा है।

सहकारी कृषि

पूर्ववर्ती योजनाओं में कहा गया है कि भूमि-समस्या केवल सहकारी ग्राम-व्यवस्था द्वारा ही हल की जा सकती है। छोटे तथा मध्यम श्रेणी के किसान सहकारी कृषि के माध्यम से ही बड़े-बड़े खेतों की व्यवस्था कर सकते हैं और तभी भूमि की उत्पादन-क्षमता में वृद्धि करना सम्भव होगा।

११ जून, १९५९ ई० को भारत-सरकार ने स्वेच्छा से संयुक्त कृषि-समितियाँ स्थापित करनेवालों को वित्तीय आदि सुविधाएँ, प्राविधिक जानकारी तथा मार्गदर्शन देने के लिए एक कार्यक्रम बनाने के उद्देश्य से अध्ययन-दल नियुक्त किया। इसकी सिफारिशें सामान्यतः स्वीकार कर ली गई हैं।

तीसरी योजना की अवधि में कुछ चुने हुए सामुदायिक विकास-खण्डों में ३२० आदर्श परियोजनाओं के संगठन का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक परियोजना में १० सहकारी कृषि-समितियाँ होंगी। आशा की जाती है कि परियोजना-क्षेत्रों के बाहर भी सहकारी कृषि-समितियों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जायगा। सन् १९६२ ई० के अंत तक १७५ अग्र-परियोजनाएँ आरंभ की गई थीं और ६०३ सहकारी कृषि-समितियाँ स्थापित हुईं। इन समितियों के अंतर्गत ८८,०३१ एकड़ भूमि आ गई थी।

सन् १९६२-६३ ई० में अग्र-परियोजना-क्षेत्र में ७८४ और परियोजना-क्षेत्र के बाहर १०१५ ऐसी समितियों के स्थापित किये जाने की आशा थी। चुने हुए विस्तार-प्रशिक्षण-केन्द्रों में प्रशिक्षण-केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

स्वेच्छा से सहकारी कृषि के कार्यक्रम के आयोजन तथा इसको प्रोत्साहन देने के लिए एक राष्ट्रीय सहकारी कृषि-परामर्श-मण्डल स्थापित किया जा चुका है। राज्यों में भी सहकारी कृषि के लिए परामर्श-मण्डल स्थापित किये जा चुके हैं।

सन् १९४५ ई० से सहकारी कृषि-समितियाँ ४ श्रेणियों में बाँट दी गई हैं : (१) उत्तम कृषि, (२) काश्त-कृषि, (३) संयुक्त कृषि तथा (४) सामूहिक कृषि। जून, १९६० ई० के अन्त में ऐसी सहकारी कृषि-समितियों की संख्या ५,६३१ थी।

भूदान

भूदान-आन्दोलन चलाने का श्रेय आचार्य विनोबा भावे को है। आचार्य विनोबा भावे का कहना है कि 'न्याय और समानता के सिद्धान्त पर आधृत समाज में भूमि सबकी होनी चाहिए। इसलिए, हम भूमि की भिक्षा नहीं माँग रहे हैं, बल्कि उन गरीबों का हिस्सा माँग रहे हैं, जो भूमि प्राप्त करने के सच्चे अधिकारी हैं।' वे आन्दोलन द्वारा बिना किसी भीषण संघर्ष के देश में सामाजिक और आर्थिक दुर्व्यवस्था को दूर करना चाहते हैं।

भूदान-आन्दोलन व्यावहारिक रूप में भूमिहीन व्यक्तियों में बाँटने के लिए लोगों से उनकी अपनी भूमि के $\frac{1}{6}$ भाग का स्वेच्छा से दान करने का अनुरोध करता है। कृषि-भिन्न क्षेत्रों में यह आन्दोलन 'सम्पत्ति-दान', 'बुद्धि-दान', 'जीवन-दान', 'साधन-दान' तथा 'गृह-दान' का रूप ग्रहण करता है।

यह आन्दोलन १८ अप्रैल, १९५१ ई०, को आरम्भ हुआ था। अब यह सम्पूर्ण देश में फैल गया है। ५ करोड़ एकड़ भूमि प्राप्त करना इस आन्दोलन का लक्ष्य रखा गया है, जिससे प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कृषि के लिए कुछ-न-कुछ भूमि मिल सके। इसने अब ग्रामदान का व्यापक रूप ग्रहण कर लिया है।

यलवाल (मैसूर-राज्य) में अखिलभारत सर्वसेवा-संघ द्वारा आयोजित सितम्बर, १९५७ ई० के एक सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया था कि सामुदायिक विकास-कार्यक्रम तथा ग्रामदान-आन्दोलन के बीच निकटतम सम्बन्ध स्थापित किया जाय। मई, १९५८ ई० में माउण्ट आबू में हुए विकास-आयुक्त-सम्मेलन में भूदान और ग्रामदान के बीच निकटतर सम्बन्ध स्थापित करने का निश्चय किया गया। उक्त निर्णय के अनुसार सामुदायिक विकास-खंड स्थापित करने और सामुदायिक विकास के अन्य नये कार्य आरम्भ करने के सम्बन्ध में ग्रामदानवाले गाँवों को प्राथमिकता दी जा रही है।

भूदान में भूमि प्राप्त करने तथा ऐसी भूमि का वितरण करने के उद्देश्य से अधिकांश राज्यों में कानून बन गये हैं तथा वित्तीय सहायता दी जा रही है। आसाम और राजस्थान में ग्रामदान के प्रबन्ध के निमित्त कानून बन गये हैं। अन्य राज्यों में इस सम्बन्ध के कानून विचाराधीन हैं।

भूदान-आन्दोलन के लिए भारत-सरकार ने सन् १९५६-५७ ई० में ११·६२ लाख रु० तथा सन् १९५७-५८ ई० में १० लाख रु० की स्वीकृति दी। सामुदायिक विकास और सहकारिता-मन्त्रालय सामुदायिक विकास-खंडों को भूदान-सम्बन्धी साहित्य वितरित करता है। इस योजना पर

सन् १६५८-५६ ई० में १·८२ लाख रु० व्यय किया गया और सन् १६५६-६० ई० में २ ६५ लाख रु० । इसके अतिरिक्त, इस मन्त्रालय ने ग्रामदान तथा ग्राम-संकल्प के गाँवों में सन् १६५६-६० ई० में ग्राम-विकास तथा छोटे उद्योग चलाने की योजना के लिए १·६६ लाख तथा २·१ लाख रु० की स्वीकृति दी ।

सन् १६६२ ई० के अंत तक ४० लाख एकड़ भूमि भूदान में प्राप्त हो चुकी थी, जिसमें से १० लाख एकड़ भूमि वितरित की गई । उस समय तक ५,२४२ ग्राम ग्रामदान में मिल चुके थे ।



सहकारिता-आन्दोलन

इस देश में सहकारिता-आन्दोलन का प्रारम्भ सन् १६०४ ई० से माना जाता है, जब ग्रामीणों को ऋण-भार से मुक्ति दिलाने तथा ऋण-समितियों की स्थापना करने के लिए 'सहकारी ऋण-समितियाँ-अधिनियम' बना । सन् १६१२ ई० में उत्पादन, क्रय-विक्रय, बीमा, आवास आदि जैसे क्षेत्रों में ऋण-भिन्न सहकारिता तथा पारस्परिक नियंत्रण एवं लेखा-परीक्षा के लिए प्राथमिक सहकारी-समितियों के संघ बने । प्राथमिक समितियों को ऋण देने के लिए केन्द्रीय तथा प्रान्तीय बैंकों की विधिवत् स्थापना की गई । सन् १६१४ ई० में भारत-सरकार द्वारा नियुक्त मैकलेगन-समिति की सिफारिश के अनुसार सहकारिता-आन्दोलन में अधिक-से-अधिक गैर-सरकारी सहयोग लिया जाने लगा ।

सन् १६१६ ई० के कानून के अनुसार सहकारिता को प्रान्तीय सरकार का विषय बना दिया गया । भारत-सरकार ने इस आन्दोलन के विकास के लिए सन् १६३५ ई० में रिजर्व-बैंक में एक कृषि-ऋण-विभाग खोल दिया । सन् १६४५ ई० में नियुक्त सहकारी योजना-समिति ने प्राथमिक समितियों को बहूद्देश्यीय समितियों में बदल देने की सिफारिश की तथा दस वर्ष की अवधि में ५० प्रतिशत ग्रामीण तथा ३० प्रतिशत नागरिक जनसंख्या को मान्यता-प्राप्त समितियों में लाने की सलाह दी । इस बात पर जोर दिया गया कि रिजर्व-बैंक सहकारी-समितियों को और भी अधिक सहायता प्रदान करे ।

रिजर्व-बैंक द्वारा सन् १६५१ ई० में एक निदेशन-समिति नियुक्त की गई, जिसने देश की ग्रामीण ऋण-व्यवस्था का सर्वेक्षण किया । इसकी रिपोर्ट दिसम्बर, १६५४ ई० में प्रकाशित हुई । सर्वेक्षण से पता चला कि किसानों को सहकारी-समितियों से केवल तीन प्रतिशत ही ऋण मिला और सरकार की ओर से भी करीब इतना ही ऋण दिया गया । उक्त समिति ने ग्रामीण ऋण-सम्बन्धी एक सम्मिलित योजना का भी सुझाव दिया, जिसकी मुख्य विशेषताएँ ये थीं— (१) सरकार सभी प्रकार की सहकारी संस्थाओं में हाथ बँटावे; (२) ऋण-सम्बन्धी तथा अन्य आर्थिक कार्यों, विशेषकर हाट-व्यवस्था और विधायन (प्रासेसिंग) के बीच पूर्ण समन्वय लाया जाय; (३) समर्थ प्राथमिक कृषि-ऋण-समितियों का विकास हो; (४) गोदामों आदि की व्यवस्था की जाय तथा (५) सभी प्रकार के सहकारिता-कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाय । इस समिति ने इम्पीरियल-बैंक को भारतीय स्टेट-बैंक के रूप में भी बदल देने का सुझाव रखा, ताकि वह अपनी शाखाओं के माध्यम से सहकारिता और बैंक को भुगतान आदि की और भी सुविधाएँ दे सके तथा सहकारी संस्थाओं की आवश्यकताएँ पूरी करने का प्रयत्न कर सके । 'भारतीय रिजर्व-बैंक-अधिनियम' में आवश्यक संशोधन करने तथा केन्द्र में एक राष्ट्रीय सहकारिता-विकास तथा गोदाम-

मण्डल स्थापित करने की भी सिफारिश की गई। ऋण के ढाँचे का पुनर्गठन के लिए एक ओर जहाँ रिजर्व-बैंक द्वारा वित्तीय सहायता देने का संकेत किया गया, वहाँ दूसरी ओर उत्पादन, विधायन, हाट-व्यवस्था, गोदामों आदि के क्षेत्र में सहकारी गतिविधियों को आयोजित ढंग से विकसित करने का दायित्व केन्द्र तथा राज्य-सरकारों को सौंपा गया।

उपर्युक्त सुझाव के फलस्वरूप इम्पीरियल बैंक पर सरकार ने अधिकार कर लिया और १ जुलाई, १९५५ ई०, को भारतीय स्टेट-बैंक की स्थापना हुई। इस समय इसकी ४०० से अधिक शाखाएँ कार्य कर रही हैं।

फरवरी, १९५६ ई० में १० करोड़ रु० की प्रारम्भिक पूँजी से राष्ट्रीय कृषि-ऋण (दीर्घकालीन कार्य) निधि की स्थापना की गई। मार्च, १९६१ ई० तक इसकी कुल प्रारम्भिक पूँजी ५० करोड़ रुपये थी। इस निधि में से (क) राज्य-सरकारों को दीर्घकालीन ऋण दिये जाते हैं, जिससे वे सहकारी ऋण-संस्थाओं की हिस्सा-पूँजी खरीद सकें; (ख) राज्य-सहकारिता-बैंकों को कृषि के लिए मध्यम-कालीन ऋण दिये जाते हैं, (ग) केन्द्रीय भूमि-बन्धक-बैंकों को दीर्घकालीन ऋण दिये जाते हैं तथा (घ) केन्द्रीय-भूमि-बन्धक-बैंकों के ऋण-पत्र (डिबेंचर) खरीदे जाते हैं।

रिजर्व-बैंक तथा भारत-सरकार द्वारा संस्थापित केन्द्रीय सहकारिता-प्रशिक्षण-समिति ने सहकारिता-कर्मचारियों के प्रशिक्षण की एक योजना तैयार की है। सहकारिता-विभागों के उच्चाधिकारियों के प्रशिक्षण के निमित्त पूना में एक सहकारिता-प्रशिक्षण-कॉलेज स्थापित है। इस विभाग के मध्यवर्त्ती कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए ५ प्रादेशिक प्रशिक्षण-केन्द्र तथा सामुदायिक विकास-खण्डों में काम करनेवाले सहकारिता-अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए ८ प्रशिक्षण-संस्थाएँ खोली गई हैं। छोटे सहकारिता-अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए विभिन्न राज्यों में ६२ प्रशिक्षण स्कूल चलाये जा रहे हैं।

पहले सहकारिता-आन्दोलन का सम्बन्ध केवल ऋणों तक ही सीमित था, किन्तु अब इसका सम्बन्ध हाट-व्यवस्था, विधायन, भाण्डार आदि से भी हो गया है। नवम्बर, १९५८ ई० में राष्ट्रीय विकास-परिषद् ने यह निर्णय किया कि सहकारिता-आन्दोलन का विकास इस प्रकार किया जाय कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सभी ग्रामीण परिवार इसके अन्तर्गत आ जायँ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में सहकारिता-आन्दोलन की उपलब्धि तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसके विकास के लक्ष्य नीचे दिये जा रहे हैं—

	द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में उपलब्धि (अनुमित)	तृतीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य
प्राथमिक सहकारिता-समितियों की संख्या	२·१ लाख	२·३ लाख
सदस्यता	१·७ करोड़	३·७ करोड़
सहकारी-आन्दोलन से लाभ प्राप्त करनेवाले गाँव	———	१०० प्रतिशत
कृषि-उत्पादन तक क्षेत्र-विस्तार	३३ प्रतिशत	६० प्रतिशत
सहकारी-समितियों द्वारा दिये जानेवाले ऋण—		
(क) लघुकालीन एवं मध्यमकालीन	२ अरब	५ अरब ३० करोड़
(ख) दीर्घकालीन	३५ करोड़	१ अरब ५० करोड़

'कृषि-उत्पादन (विकास तथा गोदाम)-निगम-अधिनियम' १ अगस्त, १६५६ ई० से लागू है, जिसके अधीन १ सितम्बर को राष्ट्रीय सहकारी-विकास तथा गोदाम-मण्डल स्थापित किया गया। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत एक केन्द्रीय गोदाम-निगम तथा प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यीय गोदाम-निगम स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। इन निगमों ने अबतक देश-भर में सैकड़ों गोदामों की स्थापना की।

तृतीय योजना-काल में ६०० प्राथमिक हाट-व्यवस्था-समितियाँ स्थापित करने की व्यवस्था की गई है, जिनके द्वारा ६,२०० गोदाम ग्रामीण क्षेत्रों में तथा ६८० गोदाम हाटों के पास बनाये जायगे। इनके अलावा एक कृषि-विकास-वित्त-निगम स्थापित करने का भी लक्ष्य है, जिनके द्वारा कृषकों को मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण दिये जायेंगे।

जुलाई, १६५६ ई० के राज्यीय सहकारिता-मंत्री-सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार कृषि-ऋण आदि की व्यवस्था में सुधार पर विचार करने के लिए श्रीवैकुण्ठलाल मेहता की अध्यक्षता में एक सहकारी ऋण-समिति गठित की गई थी, जिसने मई, १६६० ई० में भारत-सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया। जून, १६६० ई० में श्रीनगर में हुए राज्यीय सहकारिता-मंत्री-सम्मेलन में समिति की सिफारिशों पर विचार हुआ तथा राज्य-सरकारों को सहकारिता के सम्बन्ध में नये आदेश दिये गये। सन् १६६०-६१ ई० में विभिन्न राज्यों के १४ चुने हुए जिलों में सघन खेती जिला-कार्यक्रम जारी किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी आवश्यक साधनों को जुटाकर उपज में वृद्धि लाना है।

सहकारी समितियों की स्थिति

५ व्यक्तियों के एक औसत भारतीय परिवार को आधार मानकर अनुमान लगाया गया है कि जून १६६१ ई० के अन्त तक साधारणतः १७·१२ करोड़ व्यक्तियों अथवा ३६ प्रतिशत से कुछ अधिक भारतीय जनता को सहकारिता-आन्दोलन का लाभ मिलने लगा था।

सन् १६६०-६१ ई० में देश में कुल ३,३२,४८८ सहकारी-समितियाँ थीं, जिनमें से प्राथमिक समितियों के सदस्यों की संख्या ३,४२,४४,५४३ और उनकी कुल कार्यचालन-पूँजी १३ अरब १२ करोड़ ६ लाख रुपये की थी। सन् १६५१-५२ ई० में इन समितियों की संख्या १,८५,६३० प्राथमिक समितियों की सदस्य-संख्या १,३७,६१,६८७ तथा उनकी कुल कार्यचालन-पूँजी ३ अरब ६ करोड़ ३४ लाख रुपये थी।

सन् १६५१-५२ ई० तथा सन् १६६०-६१ ई० में विभिन्न सहकारी-समितियों द्वारा अर्जित लाभ का विवरण इस प्रकार है—

सहकारी-समितियों द्वारा अर्जित लाभ

	१६५१-५२	१६६०-६१
राज्यीय तथा केन्द्रीय बैंक	८१,६०,०००	४,८२,६२,०००
भूमि-बन्धक-बैंक	६,८६,०००	४०,३८,०००
प्राथमिक कृषि-ऋण-समितियाँ	६१,६७,०००	४,४३,५४,०००
अनाज-बैंक	१५,१३,०००	३१,७६,०००
प्राथमिक कृषीतर ऋण-समितियाँ	१,१२,८६,०००	२,६५,५७,०००
राज्यीय तथा केन्द्रीय ऋणेतर समितियाँ	१,२६,३८,०००	४,७२,८२,०००
प्राथमिक ऋणेतर समितियाँ	६५,४३,०००	—

ऋण देनेवाली समितियां

इस देश में सहकारी-समितियों का प्रारंभ ऋण-समितियों से हुआ और आज भी ये ही सबसे महत्त्वपूर्ण समितियाँ हैं। ऋण-समितियाँ तीन स्तर पर हैं—राज्य-स्तर पर राज्यीय सहकारी बैंक, जिला-स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा ग्राम-स्तर पर प्राथमिक कृषि-ऋण-समितियाँ। कुछ राज्यों में अनाज-बैंक कृषकों को सामान के रूप में ऋण देते हैं। कृषि के लिए दीर्घकालीन ऋण केन्द्रीय और प्राथमिक भूमि-बन्धक-बैंक देता है तथा नगरवासियों को बैंकिंग और ऋण की सुविधाएँ नागरिक बैंक और कर्मचारी-ऋण-समितियाँ देती हैं।

सन् १९६०-६१ ई० में देश में २१ राज्यीय सहकारी-बैंक थे, जिनकी सदस्य-संख्या २६,५८४ थी। इसी प्रकार, केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा उनके सदस्यों की संख्या क्रमशः ३९० तथा ३,८७,६९६ थी।

कृषि-ऋण-समितियाँ—जून, १९६१ ई० के अन्त में देश में, २,१२,१२९ कृषि-ऋण-समितियाँ थी, जिनकी सदस्य-संख्या १,७०,४१,००० थी। सन् १९६०-६१ ई०में इन समितियों ने २ अरब ७३ करोड़ ९२ लाख रुपये ऋण दिये। इसकी कार्यकारी पूँजी २ अरब २० करोड़ ७० लाख रुपये थी।

अनाज-बैंक—जून, १९६१ ई० के अन्त में देश में ९,४१२ अनाज-बैंक थे, जिनकी संदस्य-संख्या १२'४६ लाख थी। सन् १९६०-६१ ई० में इन्होंने २ करोड़ ३ लाख २६ हजार रुपया ऋण के रूप में दिया।

केन्द्रीय भूमि-बन्धक-बैंक—केन्द्रीय भूमि-बन्धक-बैंक कृषकों को प्राथमिक भूमि-बन्धक-बैंकों के माध्यम से दीर्घकालीन ऋण देते हैं। केन्द्रीय भूमि-बन्धक-बैंक ऋण-पत्र (डिबेंचर) जारी करके पूँजी जुटाते हैं। सन् १९६०-६१ ई० में १८ बैंकों में से ८ बैंकों ने १० करोड़ २२ लाख रुपये के ऋण-पत्र जारी किये। सन् १९६०-६१ ई० के अन्त में ३६ करोड़ ५३ लाख रुपये के ऋण-पत्र 'चलन' में थे।

प्राथमिक भूमि-बन्धक-बैंक—सन् १९६०-६१ ई० के अन्त में देश में ४६३ प्राथमिक भूमि-बन्धक-बैंकों में से ३१७, अर्थात् ६८ प्रतिशत बैंक आंध्रप्रदेश, मद्रास तथा मैसूर में थे। इनकी सदस्य-संख्या ६,९९,२१२ थी तथा इन्होंने ७ करोड़ १७ लाख रु० के ऋण दिये। इनकी कार्यकारी पूँजी २६ करोड़ ९९ लाख रुपये थी।

कृषि-भिन्न ऋण-समितियाँ—इनके अन्तर्गत नागरिक बैंक, कर्मचारी-ऋण-समितियाँ आदि आती हैं। जून, १९६१ ई० के अन्त में देश में ऐसी ११,९९५ समितियाँ थी, जिनकी सदस्य-संख्या ४५ लाख ७३ हजार थी। इनमें से कुछ समितियों ने ऋणेतर कार्य भी किया।

ऋणेतर समितियां

जून, १९६१ ई० के अन्त में देश में विभिन्न प्रकार की ऋणेतर समितियों की स्थिति इस प्रकार थी—

समिति	संख्या	सदस्य-संख्या	कार्य-चालन-पूँजी (रु० में)
हाट-व्यवस्था-समितियाँ			
राज्यीय	२४	५५८८	६,०८,६५,०००
केन्द्रीय	१७१	८९,७७६	१०,३४,३५,०००
प्राथमिक	३,१०८	१४,६७,६२२	२८,२१,३३,०००

समिति	संख्या	सदस्य-संख्या	कार्यचालन-पूँजी (रु० में)
गन्ना-उपलब्धि-समितियाँ			
केन्द्रीय	७१	१०,०६१	१,२४,३३,०००
प्राथमिक	६,१०१	१४,१४,१३५	७,३०,१०,०००
दुग्ध	६४	१५,५२८	२,८२,५५,०००
दुग्ध-उपलब्धि-समितियाँ	३,२००	२,३८,०६७	१,५८,४३,०००
कृषि समितियाँ	६,३२५	३,०४,५०६	६,६०,१८,०००
सिंचाई-समितियाँ	१,५५५	५५,१५५	२,१३,०३,०००
चीनी के कारखाने	६६	१,७६,६५६	६५,३३,६२,०००
कपास-समितियाँ	१२८	५६,०५२	३,६७,७५,०००
अन्य विधायन-समितियाँ	३,१०३	१,२०,६४८	३,२२,५२,०००
बुनकर-समितियाँ			
राज्यीय	२२	१०,१४४	६,४४,८७,०००
केन्द्रीय	१२२	८,२०१	१,४६,७१,०००
प्राथमिक	११,८०३	१३,१०,८००	१६,३६,५३,०००
बुनाई-मिलें	२१	१०,२०८	५,०६,३४,०००
अन्य औद्योगिक समितियाँ	२१,२८८	१२,१७,३१८	१७ ११,२६,०००
उपभोक्ता-समितियाँ			
थोक	७५	२६,३६०	२,६१,६१,०००
प्राथमिक	७,०५८	१३,४०,७६७	६,२०,३३,०००
आवास-समितियाँ			
राज्यीय	७	१,६६३	४,२५,८२,०००
प्राथमिक	६,४५१	३,७८,७३७	५३,५७,४७,०००
मछुआ-समितियाँ	२,३५५	२,४०,४३५	१,६७,१५,०००
बीमा-समितियाँ	६	६,०७७	५८,२३,०००
अन्य ऋणेतर समितियाँ	२०,६६६	१३,१४,१८१	१६,४४,७०,०००

अन्य समितियाँ

निरीक्षण-संघ—सन् १९६०-६१ ई० में देश में १०६८ निरीक्षण-संघ थे, जिनसे ५३,६१८ समितियाँ सम्बद्ध थीं। इन समितियों ने आंध्रप्रदेश, गुजरात, केरल, मद्रास, महाराष्ट्र और मैसूर की ऋण-समितियों का तथा अन्य राज्यों की विशिष्ट समितियों, जैसे आवास, कृषि, क्रय-विक्रय आदि, का निरीक्षण किया।

सहकारी संघ तथा संस्थान—३१ मार्च, १९६१ ई० को देश में ऐसे २६ राज्य-सहकारी-संघ और संस्थान तथा १३८ जिला-सहकारी-संघ और संस्थान थे। इनसे सम्बद्ध समितियों की संख्या क्रम से ४३,४४८ और ४१,७७४ थी।

दिवालिया-समितियाँ—सन् १९६०-६१ ई० के आरम्भ में १६,६०६ सहकारी-समितियों का दिवाला निकला। सन् १९६०-६१ ई० में परिसम्पदाओं के मूल्य [एसेट] के रूप में ६२ लाख २६ हजार रुपये मिले तथा देनदारियों की राशि के रूप में ५६ लाख १६ हजार रुपये अदा किये गये।



सामुदायिक विकास

सामुदायिक-विकास-कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की ग्रामीण जनता का व्यक्तिगत तथा सामूहिक कल्याण करना है। इस कार्यक्रम का आरंभ २ अक्टूबर, १९५२ ई०, को ५५ चुनी हुई परियोजनाओं में किया गया था। प्रत्येक परियोजना के क्षेत्र में ५०० वर्गमील में फैले हुए दो लाख जनसंख्यावाले ३०० गाँव सम्मिलित थे। इस कार्यक्रम के अनुसार पंचायतों, सहकारी समितियों, विकास-मण्डल आदि सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा गाँवों में सामूहिक चिन्तन तथा मिल-जुलकर काम करने की भावना को प्रोत्साहन दिया जाता है।

सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वाधिक प्राथमिकता कृषि को दी जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तम संचार-साधन तथा आवास की व्यवस्था, स्वास्थ्य तथा सफाई की सुविधाएँ, शिक्षा में प्रसार, महिला तथा बाल-कल्याण और कुटीर एवं छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के कार्य भी आते हैं।

इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन कई खण्डों में किया जाता है। साधारणतः, प्रत्येक खण्ड में डेढ़-दो सौ वर्गमील में फैले हुए ६०-७० हजार की जनसंख्या के १०० गाँव होते हैं। अप्रैल, १९५८ ई० से पहले यह कार्यक्रम तीन चरणों में चलाया जा रहा था; परन्तु नई प्रणाली के अनुसार प्रत्येक खण्ड में ५ वर्ष भरपूर विकास-कार्य पूरा हो जाने के बाद दूसरा चरण आरंभ होता है तथा उसमें अगले पाँच वर्षों तक अपेक्षाकृत कम व्यय किया जाता है। प्रथम चरण का कार्यारंभ होने के पूर्व प्रत्येक खण्ड में केवल कृषि-विकास पर ही विशेष ध्यान दिया जाता है।

राष्ट्रीय विकास-परिषद् ने १२ जनवरी, १९५८ ई०, को पंचायत-राज की स्थापना के लिए कुछ सिद्धान्त निश्चित किये। ये सिद्धान्त राज्य-सरकारों द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त ढाँचा तैयार करने के लिए प्रयोग में लाये गये हैं। भारत के प्रायः सभी राज्यों में पंचायत-राज लागू किया जा रहा है।

ग्राम-स्तर पर सामुदायिक विकास-कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में पंचायतें, स्कूल तथा सहकारी-समितियाँ बुनियादी संस्थाओं के रूप में कार्य करती हैं। निर्वाचित पंचायतें क्षेत्र के समस्त विकास-कार्यक्रमों की देख-भाल करती हैं तथा सहकारी समितियाँ आर्थिक क्षेत्र में योग देती हैं। ग्रामीण स्कूलों को सामुदायिक केन्द्रों के रूप विकसित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त महिला तथा युवक-संगठनों, किसान-संघों, कारीगर-संघों आदि को भी पंचायत के विकास-कार्यों से सम्बद्ध किया जा रहा है।

जनवरी, १९६३ ई० के अन्त तक २६·८६ करोड़ की जनसंख्या के ४·५४ लाख गाँवों से युक्त प्रथम तथा द्वितीय चरण के ४,१८७½ खण्ड इस कार्यक्रम के अधीन आ गये। देश में ६६१½ पूर्वविस्तार-खण्ड भी थे। देश को ५,२२३ खण्डों में बाँटा गया है, जो अक्टूबर, १९६३ ई० तक इस कार्यक्रम के अधीन आ गये हैं।

सामुदायिक विकास के कार्यक्रम का प्रसार

राज्य और संघीय क्षेत्र	निर्धारित प्रखंडों की संख्या	प्रथम एवं द्वितीय चरण के अंतर्गत खुले प्रखंड	प्रखंडों की जनसंख्या (लाख में)	प्रखंडों का क्षेत्रफल (१०० वर्ग कीलोमीटर में,	पूर्व-विस्तार खंडों की संख्या
आंध्रप्रदेश	४४५	३७६	२,६५	२,३४,०	६६
आसाम	१६०	६६	५४	७३,२	६४
उड़ीसा	३०७	२४३	११५	१,२३,३	३०
उत्तरप्रदेश	८६६	७३२	४,८०	२,३६,२	१६६
केरल	१४२	१०६	१,००	२,६८,२	३३
गुजरात	२२४	१७७	१,१६	१,४७,७	३३½
जम्मू और कश्मीर	५२	५२	.२१	१,२३,३	—
पंजाब	२२८	१६३	१३१	१,०३,२	२६
पश्चिम बंगाल	३४१	२११	१,३४	५४,४	१२३
बिहार	५७५	४८८	३,२२	१,४७,७	८७
मद्रास	३७५	२८६	२,०८	६६,०	८६
मध्यप्रदेश	४१६	३४२	२,०६	३,६४,५	७४
महाराष्ट्र	४२५	३७३	२,३४	२,७० २	५२
मैसूर	२६८	२१६	१,४७	१,५६,६	४४
राजस्थान	२३२	१८३	१,२०	२,६०,०	४६
संघीय क्षेत्र	१३४	१०४½	३१	१,१२,७	२२
कुल योग	५,२२३	४१८७½	२६,८६	२८,१५.६	६६१½

वित्त

संसाधन—सामुदायिक विकास-कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए धन की व्यवस्था जनता तथा सरकार मिलकर करती है। प्रत्येक खण्ड-क्षेत्र में विकास-योजनाएँ उसी दशा में आरम्भ की जाती हैं, जब जनता भी नकदी अथवा श्रम के रूप में योग देती है। जब इन परियोजनाओं के लिए सरकार वित्तीय सहायता देती है, तब उसमें केन्द्र तथा राज्य-सरकारें आवर्त्तक मदों पर होनेवाले व्यय को समान रूप से तथा अनावर्त्तक मदों पर होनेवाले व्यय को ३ : १ के अनुपात से वहन करती हैं। सिंचाई तथा भूमि-पुनरुद्धार जैसे कार्यों के लिए केन्द्रीय सरकार राज्य-सरकारों को ऋण के रूप में आवश्यक वित्तीय सहायता देती है। इसके अतिरिक्त राज्य-सरकारें खण्डों में जो कर्मचारी आदि की नियुक्ति करती हैं, उनका भी आधा व्यय केन्द्रीय सरकार उठाती है।

जनता द्वारा योगदान—३१ मार्च, १९६२ ई० तक सरकार ने कुल २ अरब ८१ करोड़ २१ लाख रु० व्यय किये, जिसमें जनता ने १११·९० करोड़ रु० के मूल्य का योगदान किया, जो कुल सरकारी व्यय का लगभग ४० प्रतिशत था।

योजनाओं के अन्तर्गत व्यय—पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में सामुदायिक विकास-कार्यक्रमों पर २३५·०७ करोड़ रु० व्यय किये गये थे। तीसरी पंचवर्षीय योजना में ३३४·०७ करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है, जिसमें से २८७·६७ करोड़ रुपये सामुदायिक विकास पर व्यय होंगे।

संगठन

केन्द्र में सामुदायिक विकास-कार्यक्रम का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सामुदायिक विकास तथा सहकारिता-मन्त्रालय पर है। पर, आधारभूत नीति-सम्बन्धी प्रश्न केन्द्रीय समिति के सम्मुख रखे जाते हैं। इस समिति में योजना-आयोग के सदस्य, खाद्य तथा कृषि-मन्त्री और सामुदायिक विकास तथा सहकारिता-मन्त्री होते हैं। प्रधान मन्त्री इस समिति के अध्यक्ष हैं।

राज्यों में इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का दायित्व राज्य-सरकारों पर है। इसके लिए वहाँ राज्यीय विकास-समितियाँ हैं। इन समितियों में मुख्य मन्त्री (अध्यक्ष), विकास-मन्त्री तथा विकास-आयुक्त (सचिव) होते हैं।

जिलों में कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का दायित्व नवगठित अनुविहित जिला-परिषदों पर है। इन परिषदों में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि—खण्ड-पंचायत-समितियों के अध्यक्ष, जिला के संसत्सदस्य तथा विधान-मण्डल के सदस्य—होते हैं।

खण्ड-स्तर पर कार्यक्रम की देखरेख खण्ड-पंचायत-समिति करती है। इस समिति में निर्वाचित सरपंच तथा महिलाओं, पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि होते हैं। खण्ड-विकास-अधिकारी और कृषि, सहकारिता, पशु-पालन आदि के विशेषज्ञ आठ विस्तार-अधिकारी पंचायत-समिति के निर्देशन में कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त युवक-मण्डल, कृषक-मण्डल, महिला-मण्डल आदि भी अपने-अपने क्षेत्र में पंचायत का हाथ बँटाते हैं। ग्रामसेवक बहुधन्धी विस्तार-कर्मचारी के रूप में कार्य करता है और उसके अधीन १० गाँव के होते हैं।

विस्तार-संगठन—खण्ड तथा ग्राम-स्तर पर विस्तार-संगठन एक तो ग्रामीणों को प्रामाणिक जानकारी आदि उपलब्ध कराता है; दूसरे उनकी समस्याओं को अध्ययन तथा समाधान के लिए अनुसन्धान-संगठनों के पास भेजता है। इसके अतिरिक्त सहकारी-समितियों, कृषि-समितियों, महिला-मण्डलों आदि के माध्यम से सामुदायिक जीवन को प्रोत्साहित करना भी उसका कर्त्तव्य है।

खण्ड-विकास-समितियाँ—जिन राज्यों में अभी पंचायत-राज स्थापित नहीं किया गया है, उनमें खण्ड-विकास-समितियाँ कार्य करती हैं। इन समितियों में पंचायतों और सहकारी समितियों के प्रतिनिधि, कुछ प्रगतिशील कृषक, समाजसेवी कार्यकर्ता तथा कार्यकर्त्रियाँ, उस क्षेत्र के संसद सदस्य तथा विधानसभा के सदस्य होते हैं। ये समितियाँ अपने-अपने क्षेत्रों में विकास-योजनाओं के आयोजन, प्रारम्भ, स्वीकृति तथा कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होती हैं।

प्रशिक्षण

मुख्य कर्मचारियों के लिए प्राविधिक तथा प्रशासनिक परिचय-प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए मसूरी में एक केन्द्रीय सामुदायिक-विकास-अध्ययन तथा शोध-संस्था स्थापित की जा चुकी है। सामुदायिक-विकास-सम्बन्धी शिक्षा देने के लिए देहरादून के निकट राजपुर में भी एक संस्था स्थापित की जा चुकी है : इस संस्था में जिला-पंचायत-अधिकारियों तथा पंचायत राज-संस्थानों के गैर-सरकारी अध्यक्षों (प्रमुख तथा प्रधान) को पंचायत-सम्बन्धी कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है। सन् १९६२-६३ ई० में १३३ प्रशिक्षकों तथा २३३ जिला-पंचायत-अफसरों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। अध्ययन-शाखा द्वारा संगठित पाठ्य-क्रम में ९५९ सरकारी एवं गैर-सरकारी व्यक्तियों ने भाग लिया।

खण्ड-विकास-अधिकारियों तथा खण्ड-विस्तार-अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए १० परिचय तथा अध्ययन-केन्द्र और समाज-शिक्षा-संगठनकर्त्ताओं तथा मुख्य सेविकाओं के प्रशिक्षण के लिए अन्य १३ केन्द्र हैं। इन केन्द्रों के साथ विधान-सभाई सदस्य तथा प्रधान आदि सम्बद्ध हैं। दिसम्बर, १९६२ ई० के अन्त तक इन केन्द्रों में ५,१३९ खण्ड-विकास-अधिकारियों ६,२१३ समाज-शिक्षा-संगठनकर्त्ताओं तथा २,९९८ विस्तार-अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

भारत-सरकार की देखरेख में राज्य-सरकारों-द्वारा कुछ अन्य केन्द्रों की भी व्यवस्था है, जिनमें ग्रामसेवकों, ग्रामसेविकाओं तथा विस्तार-अधिकारियों (कृषि तथा पशुपालन) के लिए तत्सम्बन्धी प्रशिक्षण की व्यवस्था है। दिसम्बर, १९६२ ई० के अन्त तक ऐसे ५२,४५४ अधिकारियों ने ग्रामसेवकों के प्रशिक्षण के लिए स्थापित ९८ विस्तार-केन्द्रों में प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसी अवधि में ४,८७४ ग्रामसेविकाओं ने भी ४६ गृह-विज्ञान-शाखाओं में प्रशिक्षण प्राप्त किया।

सितम्बर, १९६२ ई० के अन्त तक भारत के रिजर्व-बैंक के सहयोग से भारत-सरकार द्वारा संचालित १३ केन्द्रों में ३,९५५ विस्तार-अधिकारियों (सहकारिता) को प्रशिक्षित किया गया। लघु सेवा-संस्था तथा खादी-मण्डल-महाविद्यालयों द्वारा संचालित क्रमशः ४ तथा ७ केन्द्रों में दिसम्बर, १९६२ ई०के अन्त तक २,८९८ विस्तार-अधिकारियों (उद्योग) को प्रशिक्षण की सुविधाएँ दी गईं।

भारत-सरकार द्वारा संचालित ३ केन्द्रों में स्वास्थ्य-कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त सहायक उपचारिकाओं/दाइयों के प्रशिक्षण के लिए १४२ संस्थान हैं। दिसम्बर १९६२ ई०के अन्त तक तीन केन्द्रों में ३,१०९ स्वास्थ्य-कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

ग्रामसेवकों के कार्य में सहायता देनेवाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पकालीन शिविरों की व्यवस्था की जाती है। जून, १९६२ ई० के अन्त तक लगभग ४५ लाख ग्राम-सहायकों को प्रशिक्षण दिया गया। ३,५८५ युवक कार्यकर्त्ताओं तथा २,९२,४८२ ग्रामीण महिला कार्यकर्त्रियों को अल्पकालीन प्रशिक्षण दिया गया।

लोकतन्त्र-विकेन्द्रीकरण का कार्यक्रम कार्यान्वित किये जाने के साथ-साथ राज्य-सरकारों ने पंचायत-समितियों तथा खण्ड-विकास-समितियों के सदस्यों के प्रशिक्षण का एक विशाल कार्यक्रम आरम्भ किया। अबतक ९३ में से ५० पंचायती राज प्रशिक्षण-केन्द्रों ने कार्यारम्भ कर

दिया है। अक्टूबर, १६६२ ई० के अन्त तक २४,२६३ पंचायत-अध्यक्षों को प्रशिक्षण दिया गया। फरवरी, १६६३ ई० तक पंचायती राज-प्रशिक्षण-केन्द्रों के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय संस्थान, नई दिल्ली में १४२ प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया।

इस कार्यक्रम की अधिक महत्त्वपूर्ण सफलताएँ नीचे की तालिका में दी गई है :

सामुदायिक विकास-कार्यक्रम की सफलताएँ

शीर्षक	सफलताएँ		प्रत्येक प्रखण्ड की औसत सफलता	
	१६६०-६१	१६६१-६२	१६६०-६१	१६६१-६२
१. कृषि				
उन्नत बीज बाँटे गये (मन में)	८२,७३,०००	७५,३५,०००	२,६३८	२,४०७
रासायनिक उर्वरक बाँटे गये (मन में)	१,६५,५०,०००	१,८०,५०,०००	५,८७७	५७८
रासायनिक कीट नाशक बाँटे गये (मन में)	३,१५,०००	३,४४,७२६	१३०	१६१
उन्नत औजार बाँटे गये (संख्या)	३,३७,८२०	५,०६,६००	१३५	१५७
कृषि-प्रदर्शन किये गये (संख्या)	१२,२७,७००	६,५७,६५०	४४७	३४४
खाद के गढ़े खोदे गये (संख्या)	२६,४४,८००	३३,८१,४००	१,०४६	१,१८८
२. पशुपालन				
उन्नत पशु दिये गये (संख्या)	२१,२७४	२०,८४६	७.६	·७
उन्नत चिड़ियाँ दी गईं (संख्या)	३,२६,०००	४,०४,५५१	११७	१२६
पशु वधिया किये गये (संख्या)	२७,१६,४००	२३,७७,०००	८८०	७६६
३. ग्रामीण एवं लघु उद्योग				
अम्बर-चर्खा चालू किये गये (संख्या)	२३,२४५	१३,६६६	६.६	६·४
ईंट के भट्ठे चालू किये गये (संख्या)	१३,०४१	१५,४७१	५.४	७·३
ईंटें तैयार की गईं (लाख में)	१२,८७४	१३,११३	५.३	६·२
टाइल्स (खपड़े) तैयार किये गये (लाख में)	४७,६६	२६,५२	२.०	१·३
सिलाई की मशीनें बाँटी गईं (संख्या)	७,२०२	७,८३१	२.६	३·१
चर्मशोध-गढ़े चालू किये गये	२,६७६	३,४४२	१.१	१·६
उन्नत घानी का प्रचार हुआ (संख्या)	२,१५६	६८६	०.६	०·५
मधुमक्खी के छत्तों का प्रचार	१५,४४२	१६,४६४	६.४	७·७
बाँटे गये उन्नत औजारों का मूल्य (हजार रु० में)—				

शीर्षक	सफलताएँ		प्रत्येक-प्रखण्ड की औसत सफलता	
	१६६०-६१	१६६१-६२	१६६०-६१	१६६१-६२
(क) लोहारी	४,३३	५,३२	१,८०	२,४६
(ख) बढ़ईगिरी	३,७४	४,८५	१,५५	२,२८
४. समाज-शिक्षा				
प्रौढ़-साक्षरता-केन्द्र खोले गये	४०,७०४	५८,३८६	१५	२०
प्रौढ़ व्यक्ति साक्षर बनाये गये	८,८१,४२०	६,५४,७३४	३१८	३१४
वाचनालय तथा पुस्तकालय खोले गये	१६,५३५	१३,४७६	५०६	५·२
युवा-क्लब तथा किसान-संघ खोले गये	४६,१७०	३८,५८३	१६.६	१३·०
ग्राम-सहायक-शिविर लगाये गये	२८,०८८	१३,१३१	१०	५·३
नेता प्रशिक्षित किये गये	६,२८,०००	४,६३,०००	३३८	२००
५. महिला-कार्यक्रम				
महिला-समिति या मण्डल खोले गये	१४,३००	१६,३६२	५.१	५·५
बालवाड़ी और नर्सरी खोले गये	७,१११	६,१३२	२.६	३·०
महिला-शिविर लगाये गये	२,८१२	२,५६२	१.२	१·०
६. स्वास्थ्य तथा ग्राम-सफाई				
पाखाने बनाये गये	१,४०,६४०	१,१३,१६०	५१	३७
पक्की नालियाँ खोदी गईं (गज में)	१७,४६,८००	१४,८६,२००	६२१	५६०
गाँवों की गलियाँ पक्की की गईं	१६,५४,०००	१७,६०,८७०	५८८	५६३
पेय जल के कुएँ बनवाये गये	३८,४७०	३७,४४०	१४	१२
पेय जल के कुएँ सुधारे गये	४६,१८०	४०,३६०	१६	१३
७. परिवहन				
नई कच्ची सड़कें बनाई गईं (मील में)	१६,२६३	१५,८३६	५·८	५·०
वर्त्तमान कच्ची सड़कें सुधारी गईं	२७,२६७	२८,७२१	६·६	६·३
छोटे पुल बनाये गये	१६,८६०	२२,०६६	७·१	७·१

★

सिंचाई और बिजली

सिंचाई

भारत के जल-संसाधन के १ अरब ३५ करोड़ ६० लाख एकड़ फुट होने का अनुमान है। इनमें से लगभग ४५ करोड़ एकड़ फुट का ही उपयोग सिंचाई के लिए किया जा सकता है। सन् १९५१ ई० तक सिंचाई के लिए अनुमानतः ८·८ करोड़ एकड़ फुट पानी, अर्थात् कुल जल-संसाधन का ६·५ प्रतिशत अथवा उपयोग में लाये जा सकनेवाले पानी का १९·५ प्रतिशत ही उपयोग में लाया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंत तक १२ करोड़ एकड़ फुट जल, जो उपयोग में लाये जानेवाले बहाव का २७ प्रतिशत या वार्षिक बहाव का ८·९ प्रतिशत है, काम में लाया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना में ४ करोड़ एकड़ फुट जल के काम में लाये जाने का लक्ष्य है, जो उपयोग में आनेवाले बहाव के ३६ प्रतिशत तक पहुँच जायगा।

नदियों को सिंचाई की नहरों में मोड़ने का काम अब लगभग पूरा हो चुका है। अतः, भविष्य में सिंचाई के विकास की योजनाओं का उद्देश्य वर्षाऋतु में नदियों में बहनेवाले अतिरिक्त जल का बाँध बनाकर संग्रह करना है, जिससे वर्षाभाव के दिनों में उसे काम में लाया जा सके। जो क्षेत्र नदियों अथवा नहरों से सिंचाई के उपयुक्त नहीं हैं, उन क्षेत्रों में तालाबों और कुओं का निर्माण तथा साधनों से सिंचाई करने की व्यवस्था हो रही है।

केन्द्रीय सिंचाई और बिजली-मण्डल, जो सन् १९२७ ई० में स्थापित हुआ था, देश में सिंचाई और बिजली के सम्बन्ध में आधारभूत अनुसन्धान-कार्य करने तथा देश के विभिन्न भागों में स्थापित १९ अनुसन्धान-केन्द्रों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है।

राज्य-सरकारों के परामर्श से बाढ़-नियन्त्रण, सिंचाई, जहाजरानी तथा पनबिजली के उत्पादन के लिए सम्पूर्ण देश के जल-साधनों का नियन्त्रण, उपयोग तथा संरक्षण करने की योजनाएँ आरम्भ करने, उनमें समन्वय स्थापित करने तथा उन्हें आगे बढ़ाने का काम केन्द्रीय जल और बिजली-आयोग को सौंपा गया है। देश-भर में तापीय (थर्मल) बिजली का विकास करने की योजनाओं तथा बिजली का वितरण और उपयोग करने का भी काम इसी आयोग पर है।

बाढ़ की रोकथाम

सन् १९५४ ई० के बाढ़-नियन्त्रण के कार्यक्रम के अनुसार दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में, तटबन्धों तथा नाले-नालियों का सुधार करके बाढ़-सुरक्षा के उपाय करने का लक्ष्य रखा गया है।

केन्द्रीय बाढ़-नियन्त्रण-मण्डल के अतिरिक्त १४ राज्यों में बाढ़-नियन्त्रण-मण्डल हैं, जिन्हें प्राविधिक मामलों में सलाहकार-समितियाँ सहायता देती हैं। ४ नदी-आयोग (बाढ़) भी केन्द्रीय मण्डल की सहायता करते हैं। सन् १९५४-५५ ई० से अबतक १ करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत की ८ बृहत् योजनाएँ और १ करोड़ से कम रुपये की लागतवाली १४·२२ लघु योजनाएँ केन्द्रीय ऋण-सहायता के लिए मंजूर की जा चुकी हैं। इसपर क्रमशः २४·४ करोड़ रुपये और ७६ करोड़ रुपये खर्च होंगे। भारत का सर्वेक्षण-विभाग आकाश से फोटो आदि लेने का कार्य कर रहा है। विभिन्न राज्यों में तटबन्ध आदि बनाने के काम में अच्छी प्रगति हुई है। ५७ नगरों

को बाढ़ अथवा भूमि-क्षरण से बचाने के उपाय किये गये हैं तथा ४,३५२ गाँवों को बाढ़-स्तर से ऊँचा किया गया है।

सन् १९६० ई० में देश में भारी वर्षा के कारण कई स्थानों पर बाढ़ आई। बाढ़-नियंत्रण के सम्बन्ध में अबतक जो निर्माण-कार्य किये गये, उनसे बाढ़ों को रोकने में काफी सहायता मिली है। सन् १९६१ ई० में कई राज्यों में भीषण बाढ़ आई। तृतीय पंचवर्षीय योजना में बाढ़-नियंत्रण-कार्य सिंचाई-योजना के अंतर्गत रखा गया है और इसपर ६१ करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य है।

अन्तर्देशीय नौकानयन

देश की बहूद्देश्यीय योजनाओं का एक उद्देश्य अन्तर्देशीय नौकानयन की सुविधाएँ प्रदान करना भी है। दामोदर-घाटी-निगम के अंतर्गत नौकानयन के योग्य ८५ मील लम्बी नहर बनाने का लक्ष्य है। यह नहर रानीगंज के कोयला क्षेत्र को त्रिवेणी के स्थान पर हुगली से मिला देगी। हीराकुंड-बाँध-परियोजना का कार्य पूरा होने पर धौलपुर से कटक तक १०६ मील पर्यन्त अन्तर्देशीय नौकानयन की सुविधाएँ प्राप्त होंगी। तुंगभद्रा-परियोजना में आन्ध्र प्रदेश की ओर एक नौकानयन तथा सिंचाई-नहर बनाने का भी लक्ष्य है।

नदी-घाटी-परियोजनाएँ

भारत की प्रमुख नदी-घाटी-परियोजनाओं में भाखड़ा-नंगल, व्यास, हीराकुंड-बाँध, राजस्थान-नहर, दामोदर-घाटी, तुंगभद्रा, कोसी, गंडक, चम्बल, नागार्जुनसागर, कोयना, रिहन्द-बाँध, भद्रा-जलाशय, काकरापाड़ा, मचकुण्ड तथा मयूराक्षीपरियोजनाएँ उल्लेखनीय हैं। इनमें कुछ के विवरण नीचे दिये जाते हैं।

सिन्धु-जलसन्धि, १९६०—सन् १९४७ ई० में निर्धारित भारत-पाकिस्तान-सीमा-रेखा सिन्धु एवं उसकी सहायक नदियों तथा दो नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र में पड़ती है। सिन्धुनदी-क्षेत्र में प्रतिवर्ष २·६० करोड़ एकड़ भूमि में सिंचाई होती है। इसमें से लगभग २·१० करोड़ एकड़ भूमि पाकिस्तान में तथा ५० लाख एकड़ भूमि भारत में पड़ती है।

इस स्थिति से उत्पन्न समस्याओं को हल करने के लिए बारह वर्षों तक प्रबंध होता रहा। अन्त में १९ सितम्बर, १९६० ई०, को सिन्धु तथा उसकी सहायक नदियों के जल के उपयोग के सम्बन्ध में भारत तथा पाकिस्तान के बीच सन्धि हुई। १ अप्रैल, १९६० ई० से यह लागू समझी गई है। इस सन्धि के अनुसार भारत तथा पाकिस्तान की ओर से सिन्धुनदी-जल के लिए एक-एक स्थायी आयुक्त की नियुक्ति भी की गई है।

भाखड़ा-नंगल-परियोजना— यह देश की सबसे बड़ी बहूद्देश्यीय नदी-घाटी योजना है। इससे पंजाब और राजस्थान दोनों को लाभ होगा। इसपर १७५·६ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। परियोजना में सतलज नदी पर ७४० फुट ऊँचा भाखड़ा-बाँध, ९० फुट ऊँचा नांगल-बाँध, ४० मील लम्बी नांगल-हाइडल-चैनल, भाखड़ा के बायें किनारे पर एक बिजलीघर तथा हाइडल चैनल पर गंगुवाल और कोटला नामक स्थानों पर दो बिजलीघर, लगभग ६५२ मील लम्बी नहरें और २,२०० मील से ऊपर लम्बी उपशाखाएँ हैं। सन् १९४६ ई० में शुरू की गई यह परियोजना लगभग पूरी हो चुकी है।

व्यास परियोजना—इस परियोजना के दो यूनिट हैं—(१) व्यास-सतलज-लिंक, और (२) व्यास-बाँध। यह परियोजना भी पंजाब और राजस्थान राज्यों के सम्मिलित उद्योग से चालू है।

हीराकुंड-बाँध—१५,७४८ फुट लम्बा हीराकुंड-बाँध संसार का सबसे लम्बा बाँध है। इसपर ७०·७८ करोड़ रुपये खर्च होंगे और इसे दो चरणों में पूरा किया जा रहा है। पहले चरण का काम पूरा हो चुका है और इससे उड़ीसा के ३.८० लाख एकड़ क्षेत्र को सिंचाई की सुविधाएँ मिली हैं। दूसरे चरण पर १४ ६२ करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

राजस्थान-नहर-परियोजना—जुलाई, १९५७ ई० में स्वीकृत इस परियोजना पर ६६·४७ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। इसके दो भाग हैं—(१) १३४ मील लम्बी राजस्थान-फीडर, और (२) २६१ मील लम्बी राजस्थान-नहर। सन् १९६८-६९ ई० तक सम्पूर्ण राजस्थान-फीडर और राजस्थान-नहर का १२२ मील लम्बा भाग तैयार हो जाने की आशा है। परियोजना का शेष भाग सन् १९७५-७६ ई० तक पूरा होगा।

दामोदर-घाटी-निगम-परियोजना—इस परियोजना के अनुसार तिलैया, कोनार, माइथन और पंचेत चार स्टोरेज बाँध और कोनार को छोड़कर प्रत्येक के साथ १०४ लाख किलोवाट की क्षमतावाले हाइडल बिजलीघर बनाने की व्यवस्था है। इनके अलावा बोकारो, दुर्गापुर और चन्द्रपुरा में कुल ६·२५ लाख किलोवाट क्षमता के तीन थर्मल बिजलीघर बनाने की व्यवस्था है। तीसरी योजना के अवधि में दो और यूनिट लगाये जायेंगे, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता १२५ लाख किलोवाट होगी। इस प्रकार, कुल जेनरेटिंग क्षमता ९·७९ लाख किलोवाट हो जायगी।

तुंगभद्रा-परियोजना—इस परियोजना का आन्ध्रप्रदेश और मैसूर-राज्य मिलकर कार्यान्वित कर रहे हैं। इसके अनुसार मल्लपुरम् में तुंगभद्रा-नदी पर ७,९४२ फुट लम्बा और १६२ फुट ऊँचा बाँध और लगभग ४६६ मील लम्बी तीन नहरें बनाने की व्यवस्था है।

तीसरी योजना के सम्मिलित मुख्य नदी-घाटी-परियोजनाओं पर व्यय और उससे प्राप्त होनेवाले लाभ का ब्योरा नीचे दिया गया है।

तीसरी योजना में सिंचाई की मुख्य परियोजनाएँ

योजना तथा राज्य	कुल लागत (करोड़ रु०)	तीसरी योजना के अन्तर्गत सिंचाई पर व्यय (करोड़ रुपये)	वार्षिक लाभ (लाख एकड़) जब पूरी हो जायगी	दूसरी योजना की अवधि में
जिन योजनाओं का काम जारी है				
भाखड़ा-नांगल (पंजाब और राजस्थान)	१७५·५०	३·५४	३६·००	२२.५०
दामोदर घाटी (पश्चिम बंगाल और बिहार)	३४·६८	३ ०८	१३·४४	९.५८
हीराकुण्ड-महानदी डेल्टा-सहित				
(उड़ीसा) पहला चरण	९३·३४	१२·३५	१५·५८	२.५०
चम्बल (राजस्थान और मध्यप्रदेश)				
पहला चरण	४७·८३	११·३८	११·००	३.७५

योजना तथा राज्य	कुल लागत (करोड़ रु०	तीसरी योजना के अन्तर्गत सिंचाई पर व्यय करोड़ रुपये)	वार्षिक लाभ जब पूरी हो जायगी	(लाख एकड़) दूसरी योजना की अवधि में
तुंगभद्रा (आंध्रप्रदेश और मैसूर)	३२·२०	६·१८	६·५०	४.४८
मयूराक्षी (पश्चिम-बंगाल)	२०·१५	४·६७	६·५०	४.४५
भद्रा (मैसूर)	३१·६३	१३·४१	२·४५	०.३२
कोसी (बिहार)	३०·००	१६·२६	१४·०५	—
नागार्जुनसागर (आन्ध्रप्रदेश) पहल चरण	१३६·५४	५०·००	२०·६०	—
काकरापाड़ा नहर—निचली तापी (गुजरात)	१८·६५	३·००	५·४२	०.५०
राजस्थान-नहर (राजस्थान)	७६·००	२८·१०	२·६२	—
तुंगभद्रा उच्चस्तरीय नहर (आन्ध्रप्रदेश और मैसूर) पहला चरण	१३·०१	१०·३६	१·८७	—
उकई (गुजरात)	३३·७२	६·००	३·६२	—
तावा (मध्यप्रदेश)	१६·८७	१० ००	७·५०	—
पूर्णा (महाराष्ट्र)	१२·८४	८ ६१	१·५२	—
नर्मदा (गुजरात)	४१·४१	११ ००	६ ६३	—
बनास (गुजरात)	८·७७	६·०५	१·१०	—
मूला (महाराष्ट्र)	१५·००	६·००	१·३१	—
गिरना (महाराष्ट्र)	८·६५	५·१६	१·४३	० ५२
खड़गवासला (महाराष्ट्र)	१० ५५	५·६६	०·७७	—
नवीन कट्टलई (मद्रास)	२·२५	२·६०	०·२१	१२
सलन्दी (उड़ीसा)	४·६६	४·३०	३·२७	—
गुड़गाँव नहर (पंजाब)	४·७३	१·५०	२·७५	—
कंसावती (पश्चिमी बंगाल)	२५.२६	६.११	६.००	०.१०
चन्द्रकेशर (मध्यप्रदेश)	०.८६	०.८१	०.१२	—
काविनी (मैसूर)	७.००	१.२०	०.३०	—
बनास (राजस्थान)	७·७६	१.५०	२.००	—
भादर (गुजरात)	५.२३	४.६३	०.४५	—
भूततन्केतु (केरल)	३.४८	१.८१	०.६३	—

योजना तथा राज्य	कुल लागत (करोड़रु०)	तीसरी योजना के अन्तर्गत सिंचाई पर व्यय (करोड़ रुपये)	वार्षिक लाभ (लाख एकड़) जब पूरी हो जायगी	दूसरी योजना की अवधि में
लिदर नहर (जम्मू-कश्मीर)	४.४१	१.००	०.०८	०.०२
वरना (मध्यप्रदेश)	५.५२	२.००	१.६४	—
लक्ष्मणतीर्थ (मैसूर)	०.३०	०.२१	०.०३	—
विदुर (पाण्डिचेरी और मद्रास)	०.८६	१.६४	०.०२	०.०३
रामगंगा (उत्तरप्रदेश)	३४.५५	१६.००	१७.०५	—
नई योजनाएँ				
वंशधारा (आन्ध्रप्रदेश)	१४.५०	२.६०	२.७७	—
वोट्टिगेड्डा (आन्ध्रप्रदेश)	०.७७	०.७८	०.१०	—
कोयना-सिंचाई-योजना (महाराष्ट्र)	६.५०	२.७५	०.२६	—
भीमा उठाऊ सिंचाई-योजना (महाराष्ट्र)	६.४६	१.००	२.००	
पूर्णा-अर्णा नदी-परियोजना (महाराष्ट्र)	३.२२	१.२०	०.३७	—
पस नदी-योजना (महाराष्ट्र)	२.१६	१.५६	०.३५	
मालप्रभा-परियोजना (मैसूर)	२०.००	३.००	३.००	—
हेमावती-परियोजना (मैसूर)	३.६०	०.३०	०.३३	—
वीरगोविन्दपुर सिंचाई-योजना (उड़ीसा)	५.०७	१.५०	१.५०	—
पीपलपंखा (उड़ीसा)	१.३४	०.३०	०.४५	—
जमुना-सिंचाई-योजना (असम)	१.६८	१.५८	०.८१	—
पश्चिम कोसी-नहर-प्रणाली (बिहार)	१२.००	२.००	८.०४	—
तिस्ता बहूद्देश्यीय बैरेज-परियोजना (पश्चिम बंगाल)	१२०.०८	१.००	२८.५०	—
हसदेव-परियोजना (मध्यप्रदेश)	४५.७६	३.५०	३.००	—
व्यास-परियोजना (पंजाब और राजस्थान)	१०८.७०	३७.००	१५.३०	—
गण्डक-नहर (उत्तरप्रदेश)	१०.६६	१०.००	५.६८	—
सरजू-नहर (उत्तरप्रदेश)	२०.७८	२.००	६.२७	—
विशोव से नाकरवा तक उच्च-स्तरीय नहर (जम्मू-कश्मीर)	०.७५	०.२५	०.१५	—
कल्लड़ (केरल)	८.६१	१.३०	२१.७	—
दामोदर-घाटी-निगम (विस्तार और सुधार, आदि) (पश्चिम-बंगाल)	५.६५	५.६५	१.१०	—

कलकत्ता-बन्दरगाह को नौकानयन-योग्य बनाये रखने की परियोजना—हुगली की निरन्तर बिगड़ती हुई स्थिति से कलकत्ता-बन्दरगाह के बन्द हो जाने की आशंका को देखते हुए इस सम्बन्ध में तुरन्त उपाय करना आवश्यक है। इस स्थिति को सुधारने का एकमात्र हल यही है कि गंगा पर एक बाँध का निर्माण किया जाय। यह कार्य गंगा-बाँध-परियोजना के नाम से किया जायगा। इस परियोजना पर लगभग ६८·५६ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। यह कार्य आठ वर्षों में पूरा होगा, ऐसी आशा है।

गण्डक-परियोजना—गण्डक-सिंचाई तथा बिजली-परियोजना के सम्बन्ध में नेपाल-सरकार तथा भारत-सरकार ने एक अन्तरराष्ट्रीय करार पर ४ दिसम्बर, १९५९ ई०, को हस्ताक्षर किये। यह एक अन्तरराज्यीय परियोजना है, जिसमें उत्तरप्रदेश तथा बिहार-राज्य भाग लेंगे तथा इससे नेपाल-सरकार को भी सिंचाई और बिजली की सुविधाएँ प्राप्त होंगी।

इस परियोजना के अन्तर्गत भैंसालोटन नामक स्थान पर गण्डक-नदी पर सड़क-रेलपुल-सहित एक बाँध का निर्माण किया जायगा।

राष्ट्रीय परियोजना-निर्माण-निगम लिमिटेड—जनवरी, १९५७ ई० में कम्पनी-अधिनियम के अधीन दो करोड़ रुपये की प्रारम्भिक पूँजी से इस निगम की स्थापना की गई थी। इसकी हिस्सा-पूँजी में केन्द्रीय सरकार के साथ-साथ कई राज्य-सरकारें भी हिस्सेदार हैं।

विकास-कार्यक्रम

प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में विभिन्न सिंचाई-साधनों द्वारा ५.१५ करोड़ एकड़ भूमि की सिंचाई की जाती थी, जिसमें २·२० करोड़ एकड़ भूमि की सिंचाई बड़ी और मँझोली सिंचाई-परियोजनाओं द्वारा होती थी। प्रथम योजना के अन्त (१९५५-५६) में कुल सिंचाई-अधीन क्षेत्र ५.६२ करोड़ एकड़ हो गया तथा द्वितीय योजना के अन्त (१९६०-६१) में यह ७ करोड़ एकड़ हो गया। अनुमान है कि तृतीय योजना के अन्त (१९६५-६६) में कुल सिंचाई-अधीन क्षेत्र ९० करोड़ एकड़ हो जायगा, जिसमें ४.२५ करोड़ एकड़ भूमि की सिंचाई बड़ी और मँझोली सिंचाई-परियोजनाओं द्वारा होगी।

तृतीय योजना-काल में सिंचाई और बाढ़-नियन्त्रण-कार्यक्रम पर ६६१ करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। इसमें से ४३६ करोड़ रुपये द्वितीय योजना की परियोजनाओं को जारी रखने पर, १६४ करोड़ रुपये नई परियोजनाओं पर और ६१ करोड़ रुपये बाढ़-नियन्त्रण, जल-निकासी, सेम की रोक आदि योजनाओं पर व्यय करने का लक्ष्य है।

बिजली

सन् १९२५ ई० तक बिजली-उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता केवल १,६२,३४१ किलोवाट थी। इसके बाद हुई प्रगति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि मार्च, १९६२ ई० में सार्वजनिक उपयोग के बिजलीघरों की प्रतिष्ठापित क्षमता ५१,१६,८८३ किलोवाट तक जा पहुँची। सन् १९५१ से १९६१ ई० की अवधि में विद्युत्-उत्पादन की क्षमता ५ अरब ८६ करोड़ १९ लाख किलोवाट-घण्टे से बढ़कर १९ अरब ६६ करोड़ ९९ लाख किलोवाट घण्टे हो गई।

संसाधन—भारत के नदी-क्षेत्रों की विद्युत्-क्षमता से देश में ४ करोड़ किलोवाट जलविद्युत् का उत्पादन किया जा सकता है। भारत में बिजली का विकास इस समय इस प्रकार है—

उड़ीसा, केरल, जम्मू-कश्मीर, पंजाब तथा मैसूर	...	मुख्यतः जलविद्युत्
गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा राजस्थान	...	मुख्यतः तापीय विद्युत्
आंध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र, आसाम तथा मध्यप्रदेश	...	आंशिक तापीय विद्युत् तथा आंशिक जलविद्युत्

बिजली-विकास का संगठन—भारत में बिजली उत्पन्न करने तथा उसके वितरण की व्यवस्था काफी समय तक सन् १६१० ई० के 'भारतीय बिजली-अधिनियम' के अनुसार होती रही है। फिर, सन् १६४८ ई० के 'बिजली सप्लाई)-अधिनियम' के अन्तर्गत सन् १६५० ई० में केन्द्रीय बिजली-प्राधिकार-संगठन की स्थापना हुई तथा भारत के प्रायः सभी राज्यों में बिजली-मण्डल स्थापित किये गये।

स्वामित्व—सन् १६२५ ई० तक बिजली-विकास का कार्य मुख्यतः प्राइवेट कम्पनियों के ही हाथ में था। सन् १६२५-३० ई० के बीच कुछ राज्यों ने बिजली-विकास की योजनाएँ आरम्भ कीं। मार्च, १६६२ ई० में प्राइवेट कम्पनियों के अधिकार में ७५.२ प्रतिशत लोकहित-प्रतिष्ठान तथा २६.७ प्रतिशत कुल प्रतिष्ठापित क्षमता थी।

गाँवों में बिजली—ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली लगाने के सम्बन्ध में आंध्रप्रदेश, उत्तर-प्रदेश, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार, मद्रास, महाराष्ट्र तथा मैसूर में अच्छी प्रगति हुई है। भारत में पांडिचेरी और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर बिजली-लगे गाँवों और शहरों का विवरण इस प्रकार है—

आबादी	कुल संख्या १६५१ की जनगणना के अनुसार	संख्या ३१ मार्च तक			
		१६५१	१६५६	१६६१	१६६६ अनुमित
१,००,००० से ऊपर	७३	४६	७३	७३	७३
५०,००० से १,००,०००	१११	८८	१११	१११	१११
१०,००० से ५०,०००	१,२५७	५००	७१६	१,१७६	१,२५७
१०,००० से नीचे	५,५६,६६५	३,०५०	६,५००	२५,४७०	४१,५५६
कुल	५,६१,१०६	३,६८७	७,४००	२६,८२५	४३,०००

विकास-कार्यक्रम

पहली पंचवर्षीय योजना के आरम्भ के समय देश में कुल प्रतिष्ठापित जेनरेटिंग क्षमता २३ लाख किलोवाट थी। पहली योजना के समय यह क्षमता ११.२ लाख किलोवाट (४६ प्रतिशत) बढ़ी। दूसरी योजना की अवधि में यह क्षमता ३४.२ लाख किलोवाट से बढ़कर ५६ लाख किलोवाट हो गई। इस प्रकार, इस अवधि में ६४ प्रतिशत की वृद्धि हुई। तीसरी योजना के अन्त

तक इस क्षमता के १२४ लाख किलोवाट हो जाने की आशा है, जिसमें से लगभग १२७ लाख किलो-वाट व्यापारिक उपयोग के लिए होगी। इस कार्यक्रम की पूर्ति होने पर प्रति-व्यक्ति जेनरेटिंग क्षमता १९६६ में ९५ किलोवाट घण्टे हो जायगी। यह क्षमता सन् १९५१ ई० में १८ किलोवाट घण्टे, सन् १९५६ ई० में २८ किलोवाट घण्टे, सन् १९६१ ई० में ५४ किलोवाट घण्टे थी।

परमाणु-शक्ति—उपलब्ध ऊर्जा (एनर्जी)-संसाधनों को ध्यान में रखते हुए आनेवाले वर्षों में ऊर्जा की माँग को पूरा करने में परमाणु-शक्ति बहुत ही महत्त्वपूर्ण योग देगी। बम्बई के निकटस्थ तारापुर में एक परमाणु-शक्ति स्टेशन बनाने की योजना है। इसमें दो रिएक्टर होंगे, जिनमें से प्रत्येक १५० मेगावाट शक्ति का होगा। यह परमाणु-शक्ति-स्टेशन चौथी योजना की अवधि में चालू हो जायगा।

मुख्य बिजली-परियोजनाएँ

कोयना—यह परियोजना मुख्य रूप से बम्बई और पूना तथा इनके पास के क्षेत्रों में बिजली की बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के लिए सन् १९५४ ई० में आरम्भ की गई थी। इसमें ६०-६० हजार किलोवाट क्षमता के चार यूनिट होंगे। यह परियोजना शीघ्र ही पूरी हो जायगी। इसपर लगभग ३८·२८ करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

रिहन्द-बाँध—इस परियोजना के अन्तर्गत उत्तरप्रदेश के मिर्जापुर जिले में पिपरी नामक ग्राम के पास रिहन्द नदी पर ३०० फुट ऊँचा और ३,०६५ फुट लम्बा बाँध बनाया जा रहा है। इसके पास ही एक बिजलीघर बनाया गया है, जिसकी कुल क्षमता २·५० लाख किलोवाट है। इस परियोजना द्वारा उत्तरप्रदेश की लगभग १४ लाख एकड़ भूमि और बिहार की लगभग ५ लाख एकड़ भूमि को सिंचाई की सुविधाएँ प्राप्त होंगी।

मचकुण्ड—इस परियोजना के अन्तर्गत मचकुण्ड नदी पर एक १७६ फुट ऊँचा और १,३४५ फुट लम्बा बाँध बनाया गया है। इस समय इसके बिजलीघर की प्रतिष्ठापित क्षमता १,१४,७५० किलोवाट है।



बैंक

भारत में बैंकों का प्रचलन १८वीं शताब्दी में कलकत्ता तथा बम्बई में स्थापित 'ब्रिटिश एजेन्सी हाउस' से हुआ। १९वीं शताब्दी में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में तीन प्रेसिडेन्सी बैंकों की स्थापना हुई। सन् १९२१ ई० में इन प्रेसीडेन्सी बैंकों को इम्पीरियल बैंक के साथ संयुक्त कर दिया गया। इसी इम्पीरियल बैंक का नाम अब 'स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया' कर दिया गया है। सन् १९३५ ई० के अप्रैल महीने में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई।

सन् १९४९ ई० में 'बैंकिंग कम्पनी ऐक्ट' नामक एक कानून पास हुआ, जिसके अनुसार भारतीय बैंकों की देखरेख एवं उनके नियंत्रण का सारा उत्तरदायित्व रिजर्व बैंक को सौंप दिया गया। तब से रिजर्व बैंक भारत के केन्द्रीय बैंक का कार्य सम्पादित करता रहा है। रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—(क) अन्य भारतीय बैंकों की देखरेख और निरीक्षण; (ख) बैंकों को अनुज्ञा-पत्र प्रदान करना एवं नई शाखाओं की स्थापना पर नियंत्रण रखना; (ग) संयोजन एवं व्यवस्था की रूपरेखा की परीक्षा करना और उन्हें स्वीकृति प्रदान करना; (घ) बैंकिंग

कम्पनियों को दिवालिया करार देना; (ङ) बैंकों का विवरण प्राप्त कर उसकी छानबीन करना और (च) सामान्य रूप से बैंकों को परामर्श देना तथा आपात-काल में उनकी सहायता करना।

भारतीय बैंकों का वर्गीकरण

भारत के रिजर्व-बैंक द्वारा बैंकों को निम्नलिखित श्रेणियों में बाँटा गया है—

१. रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया;

२. भारतीय व्यावसायिक बैंक—

(क) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एवं अन्य भारतीय अनुसूचित बैंक;

(ख) भारतीय अननुसूचित बैंक, और

३. विदेशी बैंक, जिसके रजिस्टर्ड ऑफिस भारत के बाहर हैं।

४. स्टेट और सेण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक।

अनुसूचित बैंक—इस कोटि में भारत में अपना कारोबार करनेवाले वे बैंक आते हैं—(क) जिनके पास चुकता और सुरक्षित दोनों मिलाकर ५ लाख से कम की पूँजी न हो; (ख) जो नियमतः कम्पनी कारपोरेशन या इस कार्य के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत संस्था हों; (ग) जो अपने कारबार से रिजर्व बैंक को संतुष्ट रखते हों। अनुसूचित बैंकों के निम्नलिखित दो और भी प्रकार हैं—(क) वे बैंक, जिनके निबंधित कार्यालय भारतीय संघ में हों तथा (ख) विदेशी अनुसूचित बैंक, अर्थात् वे बैंक, जिनके निबंधित कार्यालय भारत से बाहर हों।

सन् १९६२ ई० में भारत में अनुसूचित बैंकों की संख्या ८३ से घटकर ८१ हो गई। दिसम्बर, १९६१ ई० के अंत में इसके कार्यालयों की संख्या ४,४०१ थी, जो दिसम्बर, १९६२ ई० के अंत में बढ़कर ४,६३० हो गई।

अननुसूचित (नन-शिड्यूल्ड) बैंक—अननुसूचित बैंक चार प्रकार के हैं—ए-२, बी, सी और डी।

ए-२ बैंक वे हैं, जिनके पास चुकता तथा सुरक्षित पूँजी मिलाकर ५ लाख या उससे अधिक हो और जो रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ऐक्ट के अनुसार द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित नहीं किये गये हों। 'बी' बैंक वे हैं, जिनके पास चुकता और सुरक्षित पूँजी १ लाख और ५ लाख के बीच हो। 'सी' बैंक, जिनके पास चुकता और सुरक्षित कुल मिलाकर ५० हजार से १ लाख के बीच पूँजी हो। 'डी' बैंक, जिनके पास चुकता और सुरक्षित कुल मिलाकर ५०,००० से कम पूँजी हो।

उपर्युक्त श्रेणियों के बैंकों के अतिरिक्त बैंकों द्वारा उद्योग-धन्धों के विकास के लिए भारत-सरकार ने कई अन्य संस्थानों की स्थापना की है। जैसे—(१) सन् १९४८ ई० में 'इण्डस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन ऑफ इण्डिया'; (२) सन् १९५१ ई० में 'स्टेट फाइनेंस कारपोरेशन'; (३) सन् १९५५ ई० में 'इण्डस्ट्रियल क्रेडिट ऐण्ड इनवेस्टमेण्ट कारपोरेशन' और (४) सन् १९५८ ई० में 'दी रीफाइनेंस कारपोरेशन प्राइवेट लि०'। ये संस्थान उद्योगों के विकास के लिए उद्योगपतियों को ऋण देते हैं।

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना १ अप्रैल, १९३५ ई०, को की गई। यह पहले विशुद्ध प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी था, किन्तु सन् १९४८ ई० में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। इसकी

व्यवस्था के लिए 'सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स' की स्थापना की गई। इसका कार्य इन चार क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया—बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और नई दिल्ली। इन क्षेत्रों में केन्द्रीय बोर्ड के अधीन एक-एक स्थानीय बोर्ड स्थापित किये गये। इसका प्रमुख कार्य सरकार की आर्थिक नीति के अन्तर्गत देश की मुद्रा-प्रणाली का नियमन करना है। यह नोट निकालने का एकाधिकार तथा अपने पास देश की मुद्रा-सम्बन्धी स्थिरता बनाये रखने के लिए संचित कोष रखता है। यह व्यावसायिक बैंकों का भी बैंक है। यह बैंक रुपये का विदेशी विनिमय-मूल्य निर्धारित करता है। सन् १९६२ ई० में बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ करने तथा अनुसूचित बैंकों के निर्यातकों को और भी अधिक समय के लिए साख की बड़ी राशि देने योग्य बनाने के उद्देश्य से 'रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ऐक्ट, १९३४' में महत्त्वपूर्ण संशोधन किये गये।

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना जुलाई, १९५५ ई० में हुई। उसी समय इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया का कुल कारबार इसमें मिला दिया गया। इसकी अधिकृत पूँजी २० करोड़ रुपये की और जारी की गई पूँजी ५ करोड़ ६२½ लाख रुपये की है, जो इम्पीरियल बैंक के हिस्से के बदले में है। इसकी जारी की गई पूँजी का कम-से-कम ५५ प्रतिशत रिजर्व बैंक का होता है। रिजर्व बैंक चाहे, तो शेष ४५ प्रतिशत हिस्सा भी हिस्सेदारों को लौटा सकता है।

बैंक का प्रबन्ध एक केन्द्रीय बोर्ड के हाथ में है। इस बोर्ड के चेयरमैन और वाइस-चेयरमैन को भारत-सरकार रिजर्व बैंक के परामर्श से नियुक्त करती है। भारत-सरकार की स्वीकृति से केन्द्रीय बोर्ड द्वारा अधिक-से-अधिक दो प्रबन्ध-निदेशक नियुक्त किये जाते हैं। हिस्सेदार ६ निदेशकों को चुनते हैं। केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय और आर्थिक हितों के प्रतिनिधित्व के लिए रिजर्व बैंक की सलाह से ८ निदेशकों को मनोनीत करती है। एक निदेशक भारत-सरकार और एक निदेशक रिजर्व बैंक मनोनीत करता है। ये सभी केन्द्रीय बोर्ड के सदस्य होते हैं।

स्टेट बैंक इम्पीरियल बैंक की ही तरह उद्योग-धंधों और वाणिज्य-व्यवसाय के लिए ऋण देता है। देश के अन्दर स्टेट बैंक की सैकड़ों शाखाएँ हैं। जहाँ रिजर्व बैंक की अपनी शाखा नहीं है, वहाँ स्टेट बैंक ही उसके एजेण्ट की तरह काम करता है।

ज्वायण्ट स्टॉक बैंक या अन्य भारतीय अनुसूचित बैंक

रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक और बड़े विनिमय-बैंकों को छोड़कर अन्य बैंक अनुसूचित बैंक कहलाते हैं, जो इण्डिया कम्पनी ऐक्ट के अनुसार निबन्धित (रजिस्टर्ड) होते हैं। इन्हें ज्वायण्ट स्टॉक बैंक भी कहते हैं। न्यूनाधिक पूँजी के अनुसार ये चार श्रेणियों में विभक्त हैं। जिन बैंकों की चुकता और सुरक्षित पूँजी ५ लाख रुपये या इससे अधिक होती है, वे प्रथम श्रेणी में आते हैं।

अनुसूचित बैंक मुख्यतः व्यावसायिक बैंक हैं। ये लोगों के रुपये जमा रखते हैं। उनकी कोई वस्तु बन्धक रखते हैं, गल्ला, कपड़ा आदि की जमानत पर ऋण देते हैं, कम्पनी के हिस्सों की खरीद-बिक्री करते हैं, लोगों के आभूषण आदि अपनी हिफाजत में रखते हैं, बड़े-बड़े कृषकों या बगान-मालिकों के साथ कृषि-सम्बन्धी व्यवसाय तथा इसी प्रकार के अन्य कारबार भी करते हैं।

विनिमय-बैंक

विनिमय-बैंक का प्रमुख कार्य वैदेशिक व्यापार को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। सभी विनिमय-बैंकों की स्थापना भारत के बाहर हुई। ये विदेशी मुद्रा में हुण्डियाँ खरीदते हैं

और जहाजरानी तथा दूसरे दस्तावेजों पर ऋण देते हैं। ये अन्तर्देशीय वाणिज्य के सम्बन्ध में भी, मुख्यतः मालों के आयात-निर्यात के सम्बन्ध में कुछ आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। अब ये बैंक लोगों के सेविंग्स एकाउण्ट भी रखने लगे हैं। इस प्रकार, इनके कार्य देश के भीतरी भागों में बढ़ रहे हैं। विनिमय-बैंक भारत एवं विश्व के वाणिज्य-व्यवसाय के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। जिस कार्य को सन् १८४२ ई० में ओरियण्टल बैंकिंग कारपोरेशन ने आरम्भ किया था, वही कार्य अब ये बैंक करने लगे हैं।

अननुसूचित बैंक

अननुसूचित बैंक के अन्तर्गत वे बैंक आते हैं, जो संयुक्त कम्पनी तो हैं, किन्तु साधारणतः उनकी चुकता और सुरक्षित पूँजी ५ लाख से कम ही होती है। पूँजी के न्यूनाधिक्य के हिसाब से ये चार श्रेणियों में विभक्त हैं—प्रथम श्रेणी में वे बैंक आते हैं, जिनकी चुकता और सुरक्षित पूँजी ५ लाख या उससे अधिक तो है, पर अन्य कई कारणों से वे अनुसूचित बैंकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। द्वितीय श्रेणी के बैंक वे हैं, जिनकी चुकता और सुरक्षित पूँजी १ लाख से ५ लाख तक है। तृतीय श्रेणी के बैंक ५०,००० से १ लाख पूँजीवाले तथा चतुर्थ श्रेणी के बैंक ४०,००० से कम पूँजीवाले होते हैं।

देशी तरीके के बैंक

उपर्युक्त श्रेणियों के बैंकों से सरकार के, बड़े-बड़े वाणिज्य-व्यवसायों के तथा बड़े-बड़े पूँजीपतियों के कारोबार चलते हैं। किन्तु, मध्यम या निम्न श्रेणी के व्यापारियों, छोटे पैमाने के उद्योगों के मालिकों, साधारण कृषकों आदि के कार्य वैयक्तिक रूप से काम करनेवाले महाजनों, सेठ-साहूकारों, शर्राफों आदि से चलते हैं। ये महाजन खेत, गहने तथा अन्य सम्पत्ति के बन्धक पर ऋण दिया करते हैं। ये महाजन छोटी-बड़ी रकमों की हुण्डियाँ निकालते हैं।

भूमि-बन्धक-बैंक

सन् १६५८ ई० के कृषि-सम्बन्धी कमीशन और सन् १६३० ई० की बैंकिंग इन्क्वायरी कमिटी की सिफारिशों के अनुसार भारत के अनेक भागों में सहकारिता के सिद्धान्त के आधार पर भूमि-बन्धक-बैंकों के स्थापन की आवश्यकता समझी गई है। इन बैंकों का उद्देश्य किसानों की भूमि और मकान को महाजनों के चंगुल से बचाने, उन्हें पुराने ऋण से विमुक्त करने, उनकी भूमि को जोत, खाद आदि द्वारा उन्नत बनाने, उनके लिए मकान बनवाने आदि की सुविधाएँ प्रदान करना है। ये बैंक पंजाब, मद्रास, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल और आसाम में सहकारी आन्दोलन के सिलसिले में कायम हुए हैं, किन्तु इनके कार्य अभी बहुत छोटे पैमाने पर चल रहे हैं।

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा वर्गीकृत बैंकों की संख्या

१. भारतीय व्यावसायिक बैंक	१६५७	१६५८	१६५६	१६६०	१६६१
(क) अनुसूचित बैंक (ए—१)	७४	७७	७८	७७	६७
(ख) अनुसूचित बैंक (ए—२)	५५	४१	३६	३८	३२
„ (बी)	१६३	१५१	१४८	१४३	१२१
„ (सी)	७६	८४	७६	६६	५६
„ (डी)	४	२	२	१	०
कुल योग (क) और (ख) का	३७२	३५५	३४३	३२८	२७६

	१९५७	१९५८	१९५९	१९६०	१९६१
२. विदेशी बैंक					
अनुसूचित बैंक	१७	१६	१६	१६	१५
कुल योग १ और २ का	३८९	३७१	३५९	३४४	३६१
३. सहकारी बैंक					
(क) स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक	२३	२१	२२	२२	२१
(ख) सेण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक	४५१	३७६	३६६	३६८	३६१
(ग) शहरी को-ऑपरेटिव बैंक	—	२७८	२६७	३४४	३३३



भारतीय बीमा

बीमा का राष्ट्रीयीकरण—भारतीय बीमा के इतिहास में संसार के अन्दर सर्वप्रथम भारत-सरकार ने ही सन् १९५६ ई० में जीवन-बीमा के व्यवसाय का राष्ट्रीयीकरण किया। सन् १९५६ ई० की १९ जनवरी को राष्ट्रपति ने एक आर्डिनेन्स निकालकर भारत में काम करनेवाली देशी और विदेशी सभी जीवन-बीमा-कम्पनियों का काम भारत-सरकार के हाथ सौंपा। उसी वर्ष 'भारत का जीवन-बीमा-निगम-सम्बन्धी बिल २३ मई को पास हुआ और १ सितम्बर से इसका काम आरंभ कर दिया गया। प्रधान कार्यालय बम्बई में रखा गया। इस निगम को पूरा अधिकार दिया गया कि वह जीवन-बीमा तथा अन्य बीमा—जैसे अग्नि, जहाज, मोटर आदि के बीमा का भी काम करे। निगम की स्थापना के बाद भारतीय अथवा विदेशी जीवन-बीमा-कम्पनियाँ भारत में अपने व्यवसाय के लिए अधिकृत नहीं रहीं। भारतीय जीवन-बीमा-कम्पनियों को विदेशों में भी काम करने का अधिकार नहीं रहा। हाँ, पोस्ट-ऑफिस-जीवन-बीमा-फंड तथा सरकारी कर्मचारी-वर्ग के लिए अनिवार्य जीवन-बीमा-योजना का काम पूर्ववत् चलता रहा। जीवन-बीमा-निगम ने देश की २४५ जीवन-बीमा-कम्पनियों (जिनमें तीन राज्य-बीमा-विभाग भी सम्मिलित थे) का कार्य अपने हाथ में ले लिया।

जीवन-बीमा-निगम को ५ करोड़ रुपये की प्रारम्भिक पूँजी सरकार द्वारा दी गई थी। इसका प्रबन्ध १५ सदस्यों की समिति के द्वारा होता है, जिसके चेयरमैन की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार की ओर से होती है। निगम के संचालन के लिए इसकी एक कार्य-समिति, एक धन-विनियोग-समिति, प्रबन्ध-निदेशक तथा क्षेत्रीय प्रबन्धक हैं। इस कार्य के लिए देश को पाँच क्षेत्रों में बाँटा गया है। इन क्षेत्रों के प्रधान कार्यालय बम्बई, दिल्ली, कानपुर, मद्रास तथा कलकत्ता में हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन कई डिविजनल कार्यालय और प्रत्येक डिविजनल कार्यालय के अधीन कई शाखा-कार्यालय (ब्रांच-ऑफिस) हैं।

३१ दिसम्बर, १९६१ ई०, को निगम के ३५ डिविजनल ऑफिस, २०९ शाखा-कार्यालय, १३१ उपशाखा-कार्यालय और १३३ विकास-केन्द्र थे।

जीवन-बीमा का आयोजन तथा कार्य—केन्द्रीय वित्त-मंत्रणालय के अन्दर आर्थिक विषयों का एक विभाग है और उसी की एक शाखा है—बीमा-शाखा (इन्श्योरेन्स डिवीज़न)। यह देश के अन्दर बीमा-सम्बन्धी सब प्रकार के कार्यों की देखभाल करता है।

बीमा की नवीन परियोजनाएँ—निगम की स्थापना के पूर्व भारतीय और विदेशी बीमा की कम्पनियाँ लोगों की सुविधा के लिए बीमा-सम्बन्धी विभिन्न नई-नई परियोजनाएँ समय-समय पर तैयार करती रहती थीं, जिनमें अधिकांश अब भी चालू हैं। इधर निगम ने चार और भी नई परियोजनाएँ तैयार की हैं—(१) जनता-बीमापत्र-परियोजना, (२) सामूहिक बीमा और अधिवार्षिक योजना, (३) वेतन-बचत-योजना तथा बिना डॉक्टरी जाँच के बीमा। (१) जनता-बीमापत्र-योजना (जनता-पॉलिसी-स्कीम) बृहत्तर बम्बई, अहमदाबाद, शोलापुर, दिल्ली, रोहतक, कानपुर, कलकत्ता, सिलीगुड़ी, मद्रास, मदुराई, कोयम्बटूर तथा हैदराबाद के औद्योगिक एवं ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही है। (२) दूसरी परियोजना के अन्तर्गत किसी कारखाने के कर्मचारी एक ही बीमापत्र पर सामूहिक रूप से बीमा करा सकते हैं। (३) तीसरी परियोजना के अन्तर्गत कर्मचारियों के मासिक वेतन से ही बीमा के प्रीमियम की राशि कट जाती है। (४) चौथी परियोजना के अंतर्गत कुछ विशेष वर्ग के लोगों को विशेष योजना के अनुसार बिना डॉक्टरी जाँच कराये ही जीवन-बीमा कराने की सुविधा प्राप्त होती है।

प्रगति—सन् १६६२ ई० के लिए नई पॉलिसी का लक्ष्य ७०० करोड़ रुपया निर्दिष्ट किया गया था। निगम के अधिकारियों ने यह विश्वास दिलाया है कि सन् १६६३ ई० में नये बीमापत्रों का परिमाण वार्षिक १ हजार करोड़ रुपया तक पहुँच जायगा।

जनसाधारण में जीवन-बीमा के प्रति दिलचस्पी पैदा करने के लिए दो बातों पर विशेष रूप से जोर दिया गया है : एक है देहाती क्षेत्रों में नये बीमापत्र संग्रह करने के लिए विशेष आयोजन और दूसरी बिना डॉक्टरी परीक्षा के बीमा कराने की सुविधा।

सहायक संस्थाएँ—भारत के जीवन-बीमा-निगम की सहायता के लिए दो और संस्थाएँ हैं—(१) इन्श्योरेंस एसोशिएसन ऑफ इण्डिया और (२) री-इन्श्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इण्डिया। सन् १६५० ई० में भारत में काम करनेवाली सभी बीमा-कम्पनियों ने मिलकर इन्श्योरेन्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया की स्थापना की थी। इस एसोसिएशन की दो कौंसिलें थीं—एक, लाइफ इन्श्योरेन्स कौंसिल; दूसरी, जेनरल इन्श्योरेन्स कौंसिल। पहली, जीवन-सम्बन्धी कार्यों की देखरेख करती थी, तो दूसरी साधारण बीमा-सम्बन्धी कार्यों की। जीवन-बीमा-निगम की स्थापना के बाद लाइफ इन्श्योरेन्स कौंसिल की आवश्यकता नहीं रह गई। हाँ, दूसरी कौंसिल अपना काम पूर्ववत् कर रही है। भारत-सरकार से परामर्श कर साधारण बीमा का कार्य करनेवाली बीमा-कम्पनियों ने री-इन्श्योरेन्स ऑफ इण्डिया नामक संस्था की स्थापना की।

राज्यों द्वारा चलाई जानेवाली बीमा-परियोजनाएँ—यद्यपि बीमा-व्यवसाय को बढ़ाने का सारा दायित्व जीवन-बीमा-निगम पर है, तथापि बीमा-अधिनियम में ऐसा उपबन्ध रखा गया है कि राज्य-सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए जीवन-बीमा अनिवार्य कर दें।

बीमा करनेवाली अन्य संस्थाएँ—जैसे पहले कहा जा चुका है, जीवन-बीमा-निगम के अतिरिक्त भी कुछ संस्थाएँ और सरकारी महकमे बीमा का काम करते हैं। सन् १८८३ ई० से डाक और तार-विभाग अपने विभाग के कर्मचारियों के जीवन-बीमा का काम करता आ रहा है। पीछे कुछ दूसरे लोगों के जीवन-बीमा का काम भी यह विभाग करने लगा। सन् १६४८ ई० से प्रतिरक्षा-विभाग के व्यक्तियों का भी यहीं जीवन-बीमा होने लगा। आन्ध्र, केरल, मध्यप्रदेश, मैसूर, राजस्थान और उत्तरप्रदेश की सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए जीवन-बीमा का कार्य करती हैं।

बीमा-व्यवसाय-सम्बन्धी शिक्षा—बीमा-व्यवसाय के प्रशासकीय पदाधिकारियों को उचित शिक्षा देने के लिए नागपुर में एक प्रशासकीय कर्मचारी-कॉलेज स्थापित किया गया है। वहाँ क्षेत्रीय पदाधिकारियों तथा अभिकर्त्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाता है।

निगम की धन-विनियोग-नीति—बीमा-किश्तों से सरकार को जो रुपये प्राप्त होते हैं, उनके विनियोग की नीति के सम्बन्ध में भारत-सरकार ने सन् १९५८ ई० के २५ अगस्त को घोषित किया है कि कुल कोष का ५० प्रतिशत गवर्नमेण्ट सिक्युरिटी और गवर्नमेण्ट एप्रुव्ड सिक्युरिटीज में, ३५ प्रतिशत इन्श्योरेन्स-ऐक्ट के अनुसार स्वीकृत विनियोगों में और १५ प्रतिशत अन्य विनियोगों में लगाये जाते हैं।

कर्मचारी राज्य-बीमा-निगम

कर्मचारी राज्य-बीमा-निगम-सम्बन्धी ऐक्ट सन् १९४८ ई० में पास हुआ था और सन् १९५१ ई० में उसका संशोधन हुआ। सन् १९५२ ई० की फरवरी से यह परियोजना चालू की गई। यह परियोजना उन स्थायी फैक्टरियों पर लागू होती है, जहाँ विद्युत् का उपयोग होता है और कम-से-कम २० कर्मचारी काम करते हैं। ४०० रुपये तक मासिक वेतन पानेवाले मजदूर और किरानी इस परियोजना से लाभ उठा सकते हैं। जिन क्षेत्रों में यह परियोजना लागू है, वहाँ के १८'६५ लाख व्यक्तियों को पिछले दस वर्षों से इससे लाभ पहुँचा है।

इस परियोजना के अनुसार एक केन्द्रीय कोष कायम किया गया है। इस कोष में केन्द्रीय सरकार, राज्य-सरकार, नियोक्ता तथा नियुक्त व्यक्ति—सभी एक निश्चित रकम देते हैं।

जिन मजदूरों का मासिक वेतन ३० रुपये से कम है, वे इस कोष में कुछ नहीं देते; पर इससे मिलनेवाले सभी लाभों के हकदार होते हैं। ३० रुपया से ४५ रुपया तक मासिक वेतन पानेवाले कर्मचारी प्रति सप्ताह दो आने देते हैं। इसी प्रकार, बढ़ते हुए २४० रु० से ४०० रुपया तक मासिक वेतन पानेवाले प्रति सप्ताह सवा रुपया देते हैं। इस योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों को एक खास डिस्पेन्सरी में मुफ्त डॉक्टरी सलाह दी जाती है और उनकी मुफ्त चिकित्सा की जाती है। उन्हें घर पर भी दवाएँ पहुँचाई जाती हैं। वे ३६५ दिनों के अन्दर ८ सप्ताह तक बीमारी के समय में आधे से कुछ अधिक वेतन पाने के अधिकारी होते हैं। अपने काम के सिलसिले में जब वे जख्मी होते हैं, तब उन्हें किस्त से कुछ रकमें दी जाती हैं, परन्तु स्थायी रूप से नाकाम हो जाने पर उन्हें आजीवन कुछ रकमें मिलती रहती हैं। किन्तु, मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को बहुत दिनों तक पेंशन मिलता है। महिलाओं को प्रसव-काल में १२ आने प्रतिदिन या एक साथ १२ सप्ताह तक पूर्ण स्वास्थ्य-लाभ की सहायता दी जाती है।

पिछले पाँच वर्षों में जीवन-बीमा की प्रगति

वर्ष	भारत		भारत के बाहर	
	बीमापत्रों की संख्या	बीमा की गई राशि (लाख रुपयों में)	बीमापत्रों की संख्या	बीमा की गई राशि (लाख रुपयों में)
१९५७	८,१०,७३८	२,७७,६७	५,०५५	५,४०
१९५८	९,५४,७७१	३,३६,०६	५,३६६	५,६२
१९५९	११,४३,३८७	४,१६,७०	७,६१२	६,३७
१९६०	१२,४६,८२१	४,८७,८४	७,७३६	६,७०
१९६१	१४,६१,६०८	५,६८,७६	८,०५६	१०,०३

पिछले पाँच वर्षों में भारत में और भारत के बाहर बीमा के कितने कार्य हुए, इसका ब्योरा नीचे दिया जा रहा है—

वर्ष	भारत में		भारत के बाहर		कुल योग	
	बीमापत्रों की संख्या	बीमा की गई राशि और बोनस	बीमापत्रों की संख्या	बीमा की गई राशि और बोनस	बीमापत्रों की संख्या	बीमा की गई राशि और बोनस
	(लाख में)	(करोड़ रु० में)	(लाख में)	(करोड़ रु० में)	(लाख में)	(करोड़ रु० में)
१९५७	५४,१८	१,३७४	२·६५	९९	५६·८३	१४·७३
१९५८	५६,७४	१,५८४	२·६०	९८	६२·३४	१६·८२
१९५९	६६,७३	१,८५५	२·५६	१०३	६९·२९	१९·५८
१९६०	७४,५६	२,१७६	२·५७	१०९	७७·१३	२२·८२
१९६१	८३,३६	२,६२३	२.४१	१०४	८५.७७	२७.३७

सन् १९६१ ई० में पिछले वर्ष की अपेक्षा जीवन-बीमा का चार्ज २२.३७ प्रतिशत बढ़ा। सन् १९६१ ई० में ३४.११ करोड़ रुपये के दावे भुगतान किये गये। उस वर्ष जारी किये गये बीमापत्रों की संख्या १४,९९,६६४, थी और ६०८.८२ करोड़ रुपये का बीमा कराया गया था।

विदेशों में कारोबार—बीमा-निगम मुख्यतः ग्रेट-ब्रिटेन, अदन, फीजी, हाँगकाँग, केनिया, मलाया, मॉरिशस, सिंगापुर, टैंगनिका, उगांडा और जंजीबार में बीमा का कारोबार करता है।

डिपॉजिट बीमा-निगम—१ जनवरी, १९६२ ई०, को भारत-सरकार ने डिपॉजिट बीमा-निगम की स्थापना की। यह निगम एक स्वशासी संस्था है और इसकी चुकता पूँजी एक करोड़ रुपया है। पूरी पूँजी रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने लगाई है। निगम के निर्देशक-मंडल के पाँच सदस्य हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के गवर्नर इसके अध्यक्ष हैं। देश के ३९३ बैंकों ने, जिनमें स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया भी शामिल है, निगम में अपना नाम पंजीकृत करा लिया है। बैंकों को जमा धन पर पाँच नये पैसे प्रति सैकड़ा के हिसाब से तिमाही किश्त देनी होगी। किसी भी बीमाशुदा बैंक के समापन पर निगम १५ हजार रुपये तक प्रति खातेदार के हिसाब भुगतान देगा। आवश्यकतानुसार यह राशि बढ़ाई भी जा सकती है। इस निगम के बन जाने से बैंक-प्रणाली अच्छी और मजबूत होगी तथा इसके खातेदारों के हितों की रक्षा होगी। डिपॉजिट बीमा-निगम-अधिनियम के लागू होने से बैंकों में जमा लगभग ७५ प्रतिशत धन सुरक्षित रहेगा।

सामान्य बीमा—सामान्य बीमा के अंतर्गत आग, सामुद्रिक तथा अन्य विविध प्रकार के बीमा-व्यवसाय सम्मिलित हैं। यह व्यवसाय केन्द्रीय सरकार, भारतीय कम्पनियाँ तथा भारत-स्थित विदेशी कम्पनियाँ भी करती हैं। ३१ दिसम्बर, १९६२ ई०, को ७८ भारतीय और ७० विदेशी कम्पनियाँ सामान्य बीमा का कार्य कर रही थीं। इसके अतिरिक्त जीवन तथा विभिन्न बीमा-व्यवसाय के लिए भारतीय जीवन बीमा-निगम का नाम भी दर्ज किया गया है।

सन् १९६१ ई० में भारतीय बीमा-कम्पनियों को विविध बीमा-व्यवसाय से शुद्ध प्रीमियम के रूप में भारत में कुल २३.५० करोड़ रुपये और भारत से बाहर १५.९८ करोड़ रुपये की आय हुई।

☆

माप-तौल

माप और तौल की दशमलव-पद्धति फ्रांस से आरम्भ हुई थी, इसलिए इस पद्धति को 'फ्रांसीसी पद्धति' भी कहते हैं। इस पद्धति के अनुसार पृथ्वी के ध्रुव से विषुवत् रेखा तक की दूरी का एक करोड़वाँ हिस्सा मीटर कहलाता है। मीटर के दसगुना को डेकामीटर, सौगुना को हेक्टोमीटर, हजारगुना को किलोमीटर, और दस हजारगुना को मीरियामीटर कहते हैं। इसी प्रकार मीटर के दसवें भाग को डेसीमीटर, सौवें भाग को सेण्टीमीटर और हजारवें भाग को मिलीमीटर कहते हैं। ग्रीक शब्द 'डेका' का अर्थ दस, 'हेक्टो' का अर्थ सौ, 'किलो' का अर्थ हजार और 'मीरिया' का अर्थ दस हजार होता है। इसी प्रकार, लैटिन शब्द 'डेसी' का अर्थ दशांश, 'सेण्टी' का अर्थ शतांश और 'मिली' का अर्थ सहस्रांश है। इसे सारणी के रूप में इस प्रकार दिखाया जा सकता है—

१ डेकामीटर =	१० मीटर	१ डेसीमीटर =	$\frac{१}{१०}$ मीटर
१ हेक्टोमीटर =	१०० मीटर	१ सेण्टीमीटर =	$\frac{१}{१००}$ मीटर
१ किलोमीटर =	१,००० मीटर	१ मिलीमीटर =	$\frac{१}{१०००}$ मीटर
१ मीरियामीटर =	१०,००० मीटर		

क्षेत्र की माप की एक इकाई को 'अर' कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएँ दस-दस मीटर की होती हैं। तदनुसार—

१ अर =	१०० वर्ग मीटर	१ डेसी अर =	$\frac{१}{१०}$ अर
१ डेकर =	१० अर	१ सेण्टी अर =	$\frac{१}{१००}$ अर
१ हेक्टर =	१०० अर		

तौल के लिए शुद्ध जल के एक घन सेण्टीमीटर को 'ग्राम' कहते हैं। तदनुसार—

१ डेकाग्राम =	१० ग्राम	१ डेसीग्राम =	$\frac{१}{१०}$ ग्राम
१ हेक्टोग्राम =	१०० ग्राम	१ सेण्टीग्राम =	$\frac{१}{१००}$ ग्राम
१ किलोग्राम =	१,००० ग्राम	१ मिलीग्राम =	$\frac{१}{१०००}$ ग्राम
१ मीरियाग्राम =	१०,००० ग्राम		

एक घन डेसीमीटर जितने स्थान में रखा जा सकता है, उस इकाई को 'लीटर' कहते हैं। तदनुसार—

१ डेकालीटर =	१० लीटर	१ सेण्टीलीटर =	$\frac{१}{१००}$ लीटर
१ हेक्टोलीटर =	१०० लीटर	१ मिलीमीटर =	$\frac{१}{१०००}$ लीटर
१ डेसीलीटर =	$\frac{१}{१०}$ लीटर		

भारत में माप-तौल की दशमलव-पद्धति का कानून, १९५६ ई० में बना तथा १ अक्टूबर, १९५८ ई० से लागू हुआ। इस कानून के अनुसार इस पद्धति की परीक्षणात्मक तथा

परिवर्त्तनात्मक अवधि सन् १६५६ से १६६६ ई० तक दस वर्षों की गई रखी है। सन् १६६६ ई० के बाद पूर्ण रूप से केवल इसी पद्धति का कार्यान्वयन होगा।

तौल में अब तोला, छटाँक, अधवा, पौआ, अधसेरी, सेर, पसेरी और मन नहीं कहलाकर ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम आदि; माप में इंच, फुट, गज, मील आदि नहीं कहे जाकर मीटर, डेकामीटर आदि; क्षेत्रफल में वर्गइंच, वर्गगज, बीघा, एकड़, आदि नहीं कहे जाकर मीटर, हेक्टर आदि तथा धारण-क्षमता (कैपेसिटी) के सम्बन्ध में गैलन आदि नहीं कहे जाकर लीटर आदि कहे जाने लगे हैं।

१ अक्टूबर, १६५८ ई०, को ही सूती कपड़े, लोहा तथा इस्पात, अभियन्त्रण, रसायन पेट्रोलियम, वनस्पति तेल, सीमेण्ट, नमक, कागज, रबर, कहवा आदि के बड़े-बड़े उद्योग-धन्धों में यह पद्धति लागू हो गई। डाक, तार, रेलवे, सामुद्रिक व्यापार आदि केन्द्रीय सरकार के विभागों में नवीन पद्धति का प्रयोग होता है।

अक्टूबर, १६६२ ई० से लम्बाई की माप भी व्यापारिक क्षेत्रों में अनिवार्य कर दी गई। धारण-क्षमता की माप के लिए भी अप्रैल, १६६२ ई० से कुछ क्षेत्रों में मेट्रिक प्रणाली आवश्यक कर दी गई। उत्पाद-कर की वसूली के लिए राज्य-सरकारों ने भी अलकोहल तथा उससे उत्पन्न चीजों की माप के लिए मेट्रिक तौल की पद्धति को अपना लिया है।

कुछ अँगरेजी तौल और माप का मेट्रिक माप और तौल में रूपान्तर

अँगरेजी तौल		भारतीय तौल	
१ ग्रेन = ०·००००६४७६६	किलोग्राम	१ तोला = ०·०११६६३८	किलोग्राम
१ आउंस = ०·०२८३४६५	,,	१ सेर = ०·६३३१०	,,
१ पौंड = ०·४५३५६२४	,,	१ मन = ३७·३२४२	,,
१ क्वार्टर = ५०·८०२	,,		
१ टन = १० १६·०५	,,		

अँगरेजी माप		क्षमता (कैपेसिटी)
१ इंच = ०·०२५४	मीटर	
१ फुट = ०·३०४८	,,	१ इम्पीरियल गैलन = ४,५४५६६ लीटर
१ गज = ०·६१४४	,,	
१ मील = १६०६·३४४	,,	

छटाँक का ग्राम में रूपान्तर

छटाँक		ग्राम (लगभग)	छटाँक		ग्राम (लगभग)	छटाँक		ग्राम (लगभग)
१	=	५८	६	=	३५०	११	=	६४२
२	=	११७	७	=	४०८	१२	=	७००
३	=	१७५	८	=	४६७	१३	=	७५८
४	=	२३३	६	=	५२५	१४	=	८१६
५	=	२६२	१०	=	५८३	१५	=	८७५

सेर का किलोग्राम और ग्राम में रूपान्तर

सेर		किलोग्राम (१० ग्रामों के न्यूनाधिक्य में)		ग्राम	सेर		किलोग्राम (१० ग्रामों के न्यूनाधिक्य में)		ग्राम
१	=	—	=	९३०	२१	=	१९	=	६००
२	=	१	=	८७०	२२	=	२०	=	५३०
३	=	२	=	८००	२३	=	२१	=	४६०
४	=	३	=	७३०	२४	=	२२	=	३९०
५	=	४	=	६७०	२५	=	२३	=	३३०
६	=	५	=	६००	२६	=	२४	=	२६०
७	=	६	=	५३०	२७	=	२५	=	१९०
८	=	७	=	४६०	२८	=	२६	=	१३०
९	=	८	=	४००	२९	=	२७	=	६०
१०	=	९	=	३३०	३०	=	२७	=	९९०
११	=	१०	=	२६०	३१	=	२८	=	९३०
१२	=	११	=	२००	३२	=	२९	=	८६७
१३	=	१२	=	१३०	३३	=	३०	=	७९०
१४	=	१३	=	६०	३४	=	३१	=	७३०
१५	=	१४	=	—	३५	=	३२	=	६६०
१६	=	१४	=	९३०	३६	=	३३	=	५९०
१७	=	१५	=	८६०	३७	=	३४	=	५२०
१८	=	१६	=	८००	३८	=	३५	=	४६*
१९	=	१७	=	७३०	३९	=	३६	=	३९*
२०	=	१८	=	६६०					

मन का किलोग्राम में रूपान्तर

मन		किलोग्राम	मन		किलोग्राम	मन		किलोग्राम
१	=	३७	८	=	२९९	१५	=	५६०
२	=	७५	९	=	३३६	१६	=	५९७
३	=	११२	१०	=	३७३	१७	=	६३५
४	=	१४९	११	=	४११	१८	=	६७२
५	=	१८७	१२	=	४४८	१९	=	७०९
६	=	२२४	१३	=	४८५	२०	=	७४६
७	=	२६१	१४	=	५२३			

सरल रूपान्तरण-सूची

वजन

टन से मेट्रिक टन											
टन	...	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
मेट्रिक टन	...	१.०२	२.०३	३.०५	४.०६	५.०८	६.१०	७.११	८.१३	९.१४	१०.१६

पौंड से किलोग्राम											
पौंड	....	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
किलोग्राम	...	०.४५	०.९१	१.३६	१.८१	२.२७	१.७२	३.१८	३.६३	४.०८	४.५४

तोला से किलोग्राम											
तोला	...	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
किलोग्राम	...	११.६६	२३.३२	३४.९९	४६ ६६	५८.३२	६९.९८	८१.६५	९३.३१	१०४.९७	११६.६४

सेर से किलोग्राम											
सेर	....	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
किलोग्राम	....	०.९३	१.८७	२.८०	३.७३	४.६७	४.६०	६.५३	७.४६	८.४०	९.३३

मन से क्विण्टल											
मन	....	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
क्विण्टल	...	०.३७	०.७५	१.१२	१.४९	१.८७	१.२४	२.६१	२.९९	३.३६	३.७३

लम्बाई

माइल से किलोमीटर

माइल	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
किलोमिटर	१.६१	३.२२	४.८३	६.४४	८.०५	९.६६	११.२७	१२.८७	१४.४८	१६.९

गज से मीटर

गज	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
मीटर	०.९१	१.८३	२.७४	३.६६	४.५७	५.४९	६.४०	७.३२	८.२३	९.१४

इंच से मिलीमीटर

इंच	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
मिलीमीटर	२५.४०	५०.८०	७६.२०	१०१.६०	१२७.००	१५२.४०	१७७.८०	२०३.२०	२२८.६०	२५४.००	२७९.४०	३०४.८०

क्षेत्रफल

एकड़ से हेक्टर्स

एकड़	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
हेक्टर्स	०.४०	०.८१	१.२१	१.६२	२.०२	२.४३	२.८३	३.२४	३.६४	४.०५

वर्गगज से वर्गमीटर

वर्गगज	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
वर्गमीटर	०.८४	१.६७	२.५१	३.३४	४.१८	५.०२	५.८५	६.६९	७.५३	८.३६

धारण-शक्ति या क्षमता (कैपेसिटी)

गैलन से लीटर

गैलन	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
लीटर	४.५५	९.०९	१३.६४	१८.१८	२२.७३	२७.२८	३१.८२	३६.३७	४०.९१	४५.४६

भारतीय माप-तौल की इकाइयों का मेट्रिक माप-तौल की इकाइयों में परिवर्त्तन की एक संयुक्त सूची

इकाई	इंच का सेंटीमीटर में	गज का मीटर में	तोला का ग्राम में	सेर का किलोग्राम में	मन का क्विंटल में
१००	२५४·००	९१·४४	१,१६६·३४	९३·३१	३७·३२
९०	२२८·६०	८२·३०	१,०४९·७४	८३·९८	३३·५९
८०	२०३·२०	७३·१५	९३३·१०	७४·६५	२९·८६
७०	१७७·८०	६४·०१	८१६·४७	६५·३२	२६·१३
६०	१५२.४०	५४·८६	६९९·८३	५५·९९	२२·३९
५०	१२७·००	४५·७२	५८३·१९	४६·६६	१८·६६
४०	१०१·६०	३६·५८	४६६·५५	३७·३२	१४·९३
३०	७६·२०	२७·४३	३४९·९१	२७·९९	११·२०
२०	५०·८०	१८·२९	२३३·२८	१८·६६	७·४६
१०	२५·४०	९·१४	११६·६४	९·३३	३·७३
९	२२·८६	८·२३	१०४·९७	८·६४	३·३६
८	२०·३२	७·३२	९३·३१	७·४६	२·९९
७	१७·७८	६·४०	८१·६५	६·५३	२·६१
६	१५·२४	५·४९	६९·२८	५·६०	२·२४
५	१२·७०	४·५७	५८·३२	४·६७	१·८७
४	१०·१६	३·६६	४६·६६	३·७३	१·४९
३	७·६२	२·७४	३४·९९	२·८०	१·१२
२	५·०८	१·८३	२३·३३	१·८७	०·७५
१	२·५४	०·९१	११·६६	०·९३	०·३७
१/२	१·२७	०·४६	५·८३	०·४७	०·१९
१/४	०·६३	०·२३	२·९२	०·२३	०·०९
१/८	०·३२	०·११	१·४६	०·१२	०·०५
१/१६	०·१६	०·०६	०·७३	०·०६	०·०२



खनिज पदार्थ

खनिज सम्पत्ति के मामले में भारत को एक समृद्ध देश कहा जा सकता है। संसार के खनिज-उत्पादक देशों में भारत का एक विशिष्ट स्थान है। मैंगनीज और इलमेनाइट के उत्पादन में भारत का तीसरा और दूसरा स्थान है। अबरख के संचित परिमाण एवं किस्म तथा मैंगनेटाइट और बॉक्साइट के प्रचुर संचय के कारण भारत को खनिज-उत्पादक देशों में यह महत्त्व प्राप्त है। कच्चा लोहा, कोयला तथा कई अन्य खनिजों की भी यहाँ प्रचुरता है। पेट्रोलियम जस्ता, एण्टीमनी, टिन, प्लाटिनम, सेलीनम बोरेटस, आयोडिन, पोटाश, गन्धक, शोरा, फास्फेट, टेलुरियम आदि खनिज पदार्थों का उत्पादन सर्वथा अपर्याप्त है। निर्माण-कार्य में प्रयुक्त होनेवाले सामान, जैसे चूना-पत्थर, क्ले, बालू, जिप्सम आदि यहाँ प्रचुर परिणाम में प्राप्य हैं। सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण अणु-शक्ति-सम्बन्धी खनिज पदार्थों की भारत में प्रचुरता है। इन खनिजों में मुख्य यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, जिरकोनियम, टिटैनियम और लीथियम प्रमुख हैं। थोरियम का हमारे यहाँ प्रचुर संचय है। यूरेनियम का जो परिमाण हमारे यहाँ उपलब्ध है, वह हमारे उद्योगों के संचालन के लिए शक्ति उत्पन्न कर आत्मनिर्भरता ला सकता है।

भारत के खनिज पदार्थ चार श्रेणियों में बाँटे जा सकते हैं—(१) पहली श्रेणी में वे खनिज पदार्थ आते हैं, जिसका उत्पादन यहाँ की खपत से अधिक होता है और जो दुनिया के बाजार में पर्याप्त परिमाण में भेजे जाते हैं। ऐसे खनिज पदार्थ कच्चा लोहा, टिटैनियम और अबरख हैं। (२) दूसरी श्रेणी में वे खनिज पदार्थ हैं, जिनका निर्यात एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। मैंगनीज, बॉक्साइट, मैंगनेसाइट, प्रकृत अब्रेसिव्स, स्टीटाइट, सिलिका, जिप्सम, ग्रेनाइट, मॉनेजाइट, कोरण्डम तथा सीमेंट के सामान ऐसे ही खनिज पदार्थ हैं। (३) तीसरी श्रेणी के अन्तर्गत वे खनिज पदार्थ आते हैं, जिनका उत्पादन देश की वर्त्तमान आवश्यकता के लिए पर्याप्त समझा जाता है। ऐसे खनिज पदार्थ हैं—कोयला, अल्युमिनियम, खनिज रंग, क्रोम, गृह-निर्माण के पत्थर, संगमरमर, स्लेट, चूना-पत्थर, औद्योगिक मिट्टी, डोलोमाइट, सोडियम साल्ट और अलकली, दुष्प्राप्य मिट्टी, बेरिलियम, एल्यूम शीशा की बालू, पिराइट्स, बोरैक्स, नाइट्रेट्स, जिरकॉन, वेनेडियम, कीमती पत्थर, फॉस्फेट आदि। (४) चौथी श्रेणी में वे खनिज पदार्थ हैं, जो बहुत कम परिमाण में पाये जाते हैं और जिनके लिए भारत को अधिकतर विदेशों पर निर्भर करना पड़ता है। ऐसे पदार्थों में ताँबा, चाँदी, निकेल, पेट्रोलियम, गन्धक, सीसा जस्ता, टिन, फ्लोराइड, पारा, प्लाटिनम, ग्रेफाइट, एस्फाल्ट, मोलिबडेनम, टंगस्टेन और पोटाश हैं।

खानों एवं खनिज पदार्थों का संरक्षण—सितम्बर, १९५७ ई० में माइन्स ऐण्ड मिनरल्स (रेगुलेशन ऐण्ड डेवलपमेंट) नामक कानून पास किया गया, जिसमें सन् १९५८ ई० के ऐक्ट १५ द्वारा संशोधन लाया गया। यह कानून केन्द्रीय सरकार को खानों एवं खनिज पदार्थों के संरक्षण एवं विकास तथा लाइसेंस, लीज आदि की शर्त्तों के नियमन का अधिकार प्रदान करता है।

खान-सम्बन्धी सरकारी विभाग—भारत-सरकार के इस्पात, खान और ईंधन-मंत्रालय के दो विभाग हैं—(१) लोहा और इस्पात-विभाग तथा (२) खान और ईंधन-विभाग। इस दूसरे विभाग के अन्तर्गत निम्नांकित कार्यालय और संगठन (संस्थाएँ) हैं—

(१) जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, (२) इण्डियन ब्यूरो ऑफ्-माइन्स, (३) ऑयल ऐण्ड नेचुरल गैस-कमीशन, (४) ऑफिस ऑफ द कोल-कण्ट्रोलर, (५) कोलबोर्ड, (६) नेशनल कोल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० और (७) नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन लि० ।

खनिज पदार्थ-सम्बन्धी संस्थाएँ—खनिज पदार्थ-सम्बन्धी निम्नांकित संस्थाएँ हैं—

(१) जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया—सन् १८५१ ई० में स्थापित यह संस्था भारत के भूगर्भ-सम्बन्धी मानचित्र तैयार करती है, जिनके आधार पर देश के खनिज साधनों का मूल्यांकन होता है तथा भूगर्भ-सम्बन्धी कार्य किये जाते हैं। इसका प्रधान कार्यालय कलकत्ता है।

(२) मिनरल इनफॉरमेशन ब्यूरो—इस संस्था की स्थापना सन् १९४८ ई० में की गई। अप्राविधिक भाषा में भारतीय खनिजों, ईंधन, कच्चा लोहा, लौह-मिश्रण खनिज, बहुमूल्य द्रव्य, जवाहिरात, रासायनिक उद्योगों के खनिज, औद्योगिक मिट्टी, बालू एवं अन्य मिश्रित खनिजों के सम्बन्ध में तथ्य का विस्तार करना इस विभाग के प्रमुख कार्य हैं।

(३) नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन—१५ करोड़ की अधिकृत पूँजी से इस विभाग की स्थापना १५ नवम्बर, १९५८ ई० को की गई। यह कारपोरेशन तेल, प्रकृत गैस और कोयला के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्रों में अन्य खनिजों के उपयोग के कार्य को सम्पन्न करेगा।

(४) उड़ीसा माइनिङ्ग कारपोरेशन लिमिटेड—सार्वजनिक क्षेत्र में कच्चे लोहे के उपयोग के उद्देश्य से भारत-सरकार तथा उड़ीसा-सरकार के संयुक्त प्रयास से इसकी स्थापना मई, १९५६ ई० में हुई।

(५) इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स—इसकी स्थापना सन् १९४८ ई० में हुई और इसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में रखा गया। यह खान-विशेषज्ञों की संस्था है, जो खनिज के विकास के सम्बन्ध में समय-समय पर अपना परामर्श सरकार को दिया करती है। यह संस्था 'माइन्स ऐण्ड मिनरल (रेगुलेशन डेवलपमेंट) ऐक्ट, १९५८' के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के एक अभिकरण के रूप में कार्य करती है। इसे उत्खनन-प्रणालियों में सुधार एवं विकास, खनिज के अधिकतम परिमाण की उपलब्धि तथा खनिजों के अपव्यय को रोकने के लिए खानों का निरीक्षण करना पड़ता है। यह संस्था खनिज पदार्थों की रियायत, रॉयल्टी, लगान, कर-निर्धारण, निर्यात-नीति आदि के सम्बन्ध में केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारों को परामर्श देती है और खनिजों के उत्पादकों और व्यवसायिकों को विश्लेषण तथा परीक्षण की सुविधाएँ प्रदान करती है।

खनिज परामर्श-मण्डल—खनिज उद्योग से सम्बद्ध सभी विषयों में सरकार को परामर्श देने के लिए सन् १९५३ ई० में 'खनिज-परामर्श-मंडल' (मिनरल एडवाइजरी बोर्ड) की स्थापना की गई। यह मण्डल खनिज एवं खनिज-उत्पादनों के आयात-निर्यात-मूल्य के सम्बन्ध में सरकार को परामर्श देता है।

केन्द्रीय प्रयोगशालाएँ—देश में तीन केन्द्रीय प्रयोगशालाएँ हैं—(१) शैल-विद्या-संबंधी प्रयोगशाला (पेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी), (२) पुरातात्त्विकीय प्रयोगशाला (पेलिमोण्टोलॉजिकल लेबोरेटरी) और (३) रासायनिक प्रयोगशाला। उपर्युक्त प्रथम प्रयोगशाला में खनिजों और चट्टानों की पहचान की जाती है। द्वितीय प्रयोगशाला में रीढ़वाले तथा रीढ़-विहीन भूगर्भ-स्थित प्राणियों के अवशेष के संबंध में अनुसंधान होता है। तृतीय प्रयोगशाला में विभिन्न औद्योगिक पदार्थों, धात्विक खनिजों, जल के नमूनों आदि के सम्बन्ध में जाँच की जाती है।

खान-सम्बन्धी शिक्षा—सन् १९२६ ई० में धनबाद में 'इण्डियन स्कूल ऑफ माइन्स ऐण्ड अप्लायड जियोलॉजी' नामक संस्था स्थापित की गई, जहाँ खनिज अभियंत्रण एवं प्रायोगिक भूगर्भ-शास्त्र का प्राविधिक उच्च प्रशिक्षण दिया जाता है। उपर्युक्त विषयों के अतिरिक्त यहाँ विद्युत् और मेकैनिकल इंजीनियरिंग, रसायन-शास्त्र, फ़्यूएल टेक्नोलॉजी, धातु-विज्ञान, भौतिक शास्त्र, गणित, धातु परखने की विद्या, विदेशी भाषाएँ आदि की शिक्षा दी जाती है। नये कार्यक्रम में यहाँ धातु-विज्ञान, फ़्यूएल-टेक्नोलॉजी, रिफ़्रैक्टरीज और सेरामिक्स जैसे विषयों पर अधिक जोर दिया जाता है। इस विद्यालय में खान तथा प्रायोगिक भूगर्भ-शास्त्र की शिक्षा के लिए 'नेशनल स्कूल ऑफ माइन्स' नामक एक संस्थान की स्थापना की गई है। हिन्दू-विश्वविद्यालय, वाराणसी के 'कॉलेज ऑफ् माइनिंग ऐण्ड मेटालर्जी, में भी खान-सम्बन्धी शिक्षा दी जाती है।

विभिन्न खनिज पदार्थ

कोयला—सब प्रकार के उद्योग-धंधों के लिए कोयला परम आवश्यक वस्तु है। संसार में कोयले के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। भारत में कोयला गोंडवाना और टरशियरी इन दो क्षेत्रों में पाया जाता है। गोंडवाना-क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रदेश और आन्ध्र में फैला हुआ है। टरशियरी क्षेत्र आसाम, कश्मीर, मद्रास, कच्छ और राजस्थान में है। गोंडवाना-क्षेत्र से ९८ प्रतिशत कोयला और टरशियरी-क्षेत्र से २ प्रतिशित कोयला निकलता है। इस समय कोयले का उत्पादन प्रतिवर्ष लगभग साढ़े ३ करोड़ टन है। इसमें ५५ प्रतिशत बिहार से, २८ प्रतिशत बंगाल से, ६ प्रतिशत मध्यप्रदेश से, ५ प्रतिशत उड़ीसा से, ४ प्रतिशत आन्ध्र से और २ प्रतिशत गोंडवाना-क्षेत्र से कोयला निकलता है। बिहार में, मुख्यतः झरिया और बंगाल में, मुख्यतः रानीगंज में कोयले की खानें हैं। झरिया की खानों से सबसे अच्छा कोयला निकलता है। हैदराबाद में, कोयला की खान हैदराबाद से १४६ मील दूर सिंगरेनी नामक स्थान में है। सिक्कम की रंजित तराई में कोयले की नई खान का पता चला है। हाल में सिंगरौली, रामगढ़ और रानीगंज में कोयले की नई परतों का पता चला है। कोयले की खपत मुख्यतः भारत में ही होती है। कोयले की खानें ८५० हैं, यहाँ ढाई लाख आदमी काम में लगे हुए हैं। इनमें से २० खानें राजकीय क्षेत्र में और ८३० निजी क्षेत्र में हैं।

सन् १९४९ ई० में बिहार में झरिया के पास डिगवाडीह नामक स्थान में एक ईंधन-अनुसंधान-संस्थान (फ़्यूएल रिसर्च इंस्टिट्यूट) की स्थापना की गई है, जिसका काम कोयला-सम्बन्धी अनुसंधान तथा सर्वेक्षण करना है। इसके अतिरिक्त भारत-सरकार की ओर से कोयला-नियंत्रक (कलकत्ता), कोयला-मंडल (कलकत्ता), राष्ट्रीय कोयला-विकास-निगम लि० (राँची), नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन लि०, कोल-कौंसिल ऑफ इण्डिया आदि संस्थान इस क्षेत्र में कार्य करते हैं। भारत-सरकार के भूगर्भ-विभाग ने दो हजार फुट नीचे तक ११७ अरब टन कोयला होने का अनुमान किया है। मद्रास के वृद्धाचलम् और कुडालोर नामक स्थान में कोयले की खानें मिली हैं, जहाँ शीघ्र ही काम चालू होगा।

मैंगनीज—उपयोगिता में कोयला के बाद मैंगनीज का ही स्थान है। इसका सबसे अधिक काम इस्पात बनाने में होता है। बैटरी बनाने में तथा रासायनिक उद्योग-धन्धों में भी इसका उपयोग किया जाता है। रूस के बाद यह भारत में ही सबसे अधिक पाया जाता है। यहाँ कुल १८ करोड़ टन मैंगनीज के संचय का अनुमान लगाया गया है। मध्यप्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार

उड़ीसा, मध्यभारत और मद्रास में भी यह पाया जाता है। ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और संयुक्तराज्य अमेरिका यहाँ के मैंगनीज के ग्राहक हैं।

सोना—खनिज पदार्थों में तीसरा स्थान सोने का है। भारत का ६५ प्रतिशत सोना मैसूर के कोलार नामक स्थान से निकलता है। हैदराबाद के हुती, मैसूर के धारवार, मद्रास के अनन्तपुर आदि स्थानों में भी स्वल्प परिमाण में सोना मिलता है। सिंहभूमि और उड़ीसा की कुछ नदियों की बालू में भी सोना पाया जाता है। रूस को छोड़कर संसार का २ प्रतिशत सोना भारत में मिलता है। कोलार में ३७० लाख टन और हुती में ५ लाख टन सोना-मिश्रित धातु के संचय का अनुमान है। 'कोलार गोल्ड माइन्स एक्वीजिशन ऐक्ट, १९५६' के पास होने के बाद सभी सोने की खानों पर सरकार का अधिकार हो गया है। आंध्रप्रदेश के रामगिरि नामक स्थान में भी सोना पाये जाने का अनुमान है, जहाँ इस सम्बन्ध में अनुसंधान-कार्य जारी है।

अबरख—संसार का तीन-चौथाई अबरख भारत में पाया जाता है। इसके तीन प्रमुख क्षेत्र हैं—बिहार (१,५०० वर्गमील), राजस्थान (१,२०० वर्गमील) और आन्ध्र (६०० वर्गमील)। बिहार में यह मुख्यतः हजारीबाग और गया जिले में मिलता है। भारत का लगभग ८० प्रतिशत अबरख यहीं से निकाला जाता है। ट्रावणकोर, मैसूर और उड़ीसा में भी इसके पाये जाने का अनुमान किया जा रहा है। इसका अधिक उपयोग बिजली आदि के सामान बनाने में होता है। खराब अबरख कागज, पेंट, रबर आदि बनाने में लगाया जाता है। लगभग २ करोड़ १७ लाख रुपये का ११,२५० टन अबरख भारत से बाहर भेजा जाता है।

पेट्रोलियम—संसार का सिर्फ १·१ भाग पेट्रोलियम भारत में पाया जाता है। यह आसाम के डिगबोई नामक स्थान में मिलता है। आसाम के नाहरकटिया और मोरन नामक स्थानों में इसकी खान का पता चला है, जहाँ १०,००० फुट की गहराई से तेल निकाला जा रहा है। पंजाब के ज्वालामुखी नामक स्थान तथा उसके आसपास के क्षेत्र, राजस्थान, गंगा की तराई, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, गुजरात के काम्बे और कच्छ, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल-प्रदेश, अंडमन निकोबार द्वीप-समूह, बिहार के चंपारन एवं मद्रास, आन्ध्र और केरल के कई स्थानों में मिट्टी-तेल प्राप्त करने के लिए खोज की जा रही है। भारत-सरकार ने तेल-क्षेत्रों की खोज, प्राप्ति और शोध के लिए 'तेल तथा प्राकृतिक गैस-आयोग' का गठन किया है। बम्बई के निकट ट्राम्बे में दो तथा विशाखापत्तनम् में एक तेल शोध-कारखाने स्थापित किये गये हैं। भारत-सरकार की ओर से नूनमाटी, गोहाटी तथा बरौनी में भी तेलशोध-कारखाने खुल रहे हैं। नूनमाटी-तेल-शोध-कारखाने का कार्य शुरू हो चुका है।

लोहा—अनुमान है कि भारत में लोहे का भाण्डार करीब २१ अरब टन का है, जो संसार के कुल भाण्डार की एक चौथाई है। सबसे अच्छे लोहे की सबसे बड़ी खान यहीं है। लोहे की चालू खानें बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल-प्रदेश और मैसूर-राज्य में हैं। मध्यप्रदेश में बहुत थोड़ा लोहा मिलता है। सबसे अधिक और सबसे अच्छा लोहा बिहार के सिंहभूमि जिले में तथा उड़ीसा में ही पाया जाता है। जमशेदपुर के पास नोआमुंडी की खान एशिया की सबसे बड़ी खान है, जो टाटा आयरन ऐण्ड स्टील कम्पनी लि० के अधिकार में है। अनुमान है कि भारत में सभी प्रकार के लोहे का कुल ज्ञात भाण्डार लगभग ७१० करोड़ का है।

नमक—भारत का दो-तिहाई नमक गुजरात, महाराष्ट्र और मद्रास के समुद्र-तट पर समुद्र-जल से बनता है। उड़ीसा-तट पर तथा कच्छ की खाड़ी में खरगोडा नामक स्थान में भी नमक बनाया जाता है। देश के भीतरी भाग के अन्दर राजस्थान की साम्भर झील से तथा उसके आसपास नमक तैयार होता है। भारत के अन्दर हिमाचल-प्रदेश के मंडी नामक स्थान से १ लाख मन सेंधानमक प्रतिवर्ष प्राप्त होता है। नमक की खपत का अनुमान प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति १२ पौंड है। सन् १९५४ ई० में केन्द्रीय नमक-अनुसंधान-संस्थान की स्थापना की गई। आशा है, कुछ दिनों में भारत संसार का एक प्रमुख नमक-उत्पादक देश बन जायगा।

अल्युमिनियम—इसकी खान अभी कुछ ही वर्षों से चालू हुई है। यह केरल, बिहार और मध्यप्रदेश में पाया जाता है। कलकत्ता के पास बेलूर की रॉलिंग मिल अल्युमिनियम की चीजें तैयार करती है। आसनसोल में 'अल्युमिनियम कारपोरेशन ऑफ इण्डिया' ने अपना काम शुरू किया है। बिहार के मुरी नामक स्थान में भी इसका कारखाना खुल गया है।

इलमेनाइट—इलमेनाइट के लिए भारत संसार में अग्रगण्य हो गया है। यह सबसे बढ़कर उजला पदार्थ है। उजले रंग के बनाने में यह लेड का स्थान लेगा। यह भारत के दक्षिण भाग में कुमारी अन्तरीप तथा केरल के पास समुद्र-तट की बालू में पाया जाता है। भारत में इसका भाण्डार करीब ३,५०० लाख टन होने का अनुमान है।

मोनेजाइट और जिरकोन—ये दोनों खनिज केरल और मद्रास में कुमारी अन्तरीप की सामुद्रिक बालू से निकाले जाते हैं। संसार का ८८ प्रतिशत मोनेजाइट भारत देता है। केरल के अलवाए नामक स्थान में मोनेजाइट का कारखाना खोला गया है।

क्रोमाइट—यह मुख्यतः बिहार, उड़ीसा और मैसूर में पाया जाता है। भारत के कुल क्रोमाइन का ६५ प्रतिशत मैसूर में पाया जाता है। इसके बाद बिहार के सिंहभूमि का स्थान है। अनुमान है कि भारत में इसका कुल भाण्डार ४८ लाख टन है।

मैगनेसाइट—यह मद्रास के सलेम जिले में तथा मैसूर, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर तथा बिहार में पाया जाता है। इसका उपयोग सीमेंट, काँच, कागज, रबड़, हवाई जहाज आदि तैयार करने में होता है।

बॉक्साइट—यह भारत में मुख्यतः बिहार, जम्मू, मध्यप्रदेश, मद्रास और महाराष्ट्र में पाया जाता है, जहाँ इसका कुल भाण्डार २५,०० लाख टन होने का अनुमान है। उच्च कोटि के बॉक्साइट का भाण्डार ७२८ लाख टन है। यह पेट्रोलियम साफ करने और फिटकिरी एवं अल्युमिनियम बनाने के काम में आता है।

सीमेण्ट बनाने के खनिज—सीमेण्ट बनाने का सामान यहाँ बहुत पाया जाता है। सीमेण्ट तैयार करने के मुख्य स्थान पोरबन्दर (गुजरात), कटनी तथा जबलपुर (मध्यप्रदेश), जपला और डालमियानगर (बिहार), लाखेरी (राजस्थान)और गुण्टूर (मद्रास) हैं।

कैनाइट—भारत में मुख्यतः यह बिहार के अन्दर सिंहभूमि जिले के सरायकेला और खरसावाँ में पाया जाता है।

ताँबा—भारत में यह मुख्यतः दो प्रमुख क्षेत्रों में पाया जाता है—बिहार के सिंहभूमि जिले में तथा राजस्थान के खेतड़ी और दारिबो-क्षेत्र में। खेतड़ी-क्षेत्र में हाल ही ३·५६ करोड़ टन ताँबे की धातु के भाण्डार का पता चला है। अनुमान है कि वहाँ ६·८ करोड़ टन ताँबे की धातु का भाण्डार हो। सिंहभूमि के रोम-सिद्धेश्वर-क्षेत्र में २·०७ करोड़ टन ताँबे के भाण्डार का अनुमान लगाया गया है। यहाँ के ताँबे की कच्ची धातु से लगभग १ प्रतिशत शुद्ध ताँबा प्राप्त होता है। 'सिंहभूमि इण्डियन कॉपर-कारपोरेशन' इस दिशा में काम कर रहा है।

चूना का पत्थर—यह बिहार के रोहतासगढ़ और मध्यप्रदेश के कटनी, रीवाँ और महियार नामक स्थान में तथा राजस्थान के बूंदी, जोधपुर और सिरोही में पाया जाता है। यह चूना और सीमेण्ट बनाने के काम में आता है।

जिप्सम—भारत के कुल भाण्डार का ६२ प्रतिशत जिप्सम राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर आदि स्थानों में पाया जाता है। यह गुजरात के काठियावाड़, मद्रास, पंजाब और उत्तरप्रदेश में भी मिलता है। इसका भाण्डार जम्मू और कश्मीर में भी है। भारत में इसका कुल भाण्डार करीब ६८ करोड़ टन है। इसका उपयोग सीमेण्ट, प्लास्टिक-पेंट आदि बनाने में किया जाता है।

स्टीटाइट—इसे सोप-स्टोन और पॉट-स्टोन भी कहते हैं। चूर्ण के रूप में इसे 'फ्रेंश चॉक' कहा जाता है। यह जयपुर, गुंटूर, जबलपुर, मैसूर और बिहार में मिलता है।

कीमती पत्थर—हीरा की खान मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में है। नील मणि कश्मीर के ऊँचे पहाड़ पर और लाल मणि राजस्थान के अजमेर जिले के किसुनगढ़ और बरवार में तथा जयपुर जिले में पाया जाता है।

टिन, लेड और जिंक—ये धातुएँ भारत में बहुत ही कम पाई जाती हैं। टिन बिहार की अबरख-खान के पास कभी-कभी मिलता है। लेड-जिंक केवल राजस्थान के उदयपुर जिले की जवार खान में पाया जाता है। इस खान के केन्द्रीय क्षेत्र मोचिया-मांगड़ा पहाड़ी में ८० लाख से १ करोड़ टन तक इसका भाण्डार होने का अनुमान है।

साइक्लोटोन बेरिज—यह खनिज पदार्थ अणु-बम तैयार करने और एक्स-रे के औजार बनाने के काम में आता है। यह संसार में एक हजार से दो हजार टन तक प्रति वर्ष निकलता है। भारत-सरकार के भूगर्भ-विभाग ने अभी हाल में ही राजस्थान के अजमेर जिले में ५० से १०० टन तक इसके भाण्डार के मिल सकने का पता लगा है।

अन्य खनिज पदार्थ—अन्य खनिज पदार्थ और उनके मिलने के स्थान इस प्रकार हैं—**फूलर मिट्टी**—मध्यप्रदेश, पंजाब और राजस्थान। **बैरिटस**—मद्रास और राजस्थान। **गेरू**—मध्यप्रदेश, मद्रास, उड़ीसा और राजस्थान। **ग्रैफाइट**—मैसूर, मध्यप्रदेश और मद्रास। **टंगसटेन**—राजस्थान का जोधपुर जिला। **ऐसबेस्टस**—उड़ीसा, मैसूर और राजस्थान। **फेलसपार**—मैसूर और **गेरनेटसैंड**—मद्रास। **बेण्टोनाइट**—राजस्थान का जोधपुर जिला। **अपेटाइट**—बिहार और मद्रास। **टैंटेलाइट**—मुंगेर (बिहार)।

★

उद्योग

सन् १९५८ ई० की भारतीय विनिर्माण-गणना के अनुसार इस देश में ८,०५२ ऐसे पंजीकृत कारखाने थे, जिनमें कम-से-कम २० व्यक्ति काम करते थे तथा बिजली प्रयुक्त होती थी। इस गणना में जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, त्रिपुरा और अन्दमान तथा निकोबार द्वीप-समूह को सम्मिलित नहीं किया गया था। इन पंजीकृत कारखानों में से ६,६१७ कारखानों में कुल १,२१५ करोड़ रुपये की पूँजी लगी थी। इन कारखानों में काम करनेवाले व्यक्तियों की संख्या १८,२०,५३९ थी, जिनमें १५,९९,६०१ श्रमिक थे। इन विनिर्माण-उद्योगों में कुल १,७१७ करोड़ रु० के मूल्य की वस्तु तैयार हुई। वेतन तथा मजदूरी के रूप में कारखाना-कर्मचारियों को २९३'१ करोड़ रु० दिये गये।

सन् १९६२ ई० के अन्त में यहाँ कुल २५,२५४ लिमिटेड कम्पनियाँ थीं और इनमें १९६७.७ करोड़ रुपये की पूँजी लगी हुई थी। इन कम्पनियों में ६,०१३ सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियाँ थीं, *जिनमें ९७९ करोड़ रुपये की पूँजी लगी हुई थी। बाकी सभी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियाँ थीं।*

सन् १९५६ और १९६० ई० के बीच के पाँच वर्षों में औद्योगिक उत्पादन में ६० प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी अवधि में इन कम्पनियों के लाभ ५८.३ प्रतिशत बढ़े।

औद्योगिक नीति

स्वतन्त्र भारत की औद्योगिक नीति सन् १९४८ ई० में घोषित की गई थी। इसमें एक मिली-जुली अर्थ-व्यवस्था का उद्देश्य रखा गया था। भारत में समाजवादी ढंग के समाज की रचना करने की नीति स्वीकृत होने पर ३० अप्रैल, १९५६ ई०, को एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। जिसके अनुसार सरकारी क्षेत्र का विस्तार कर दिया गया और उसमें आधारभूत तथा सामरिक महत्त्व के उद्योगों तथा लोकोपयोगी सेवाओं को भी सम्मिलित कर लिया गया। नये औद्योगिक प्रस्ताव में उद्योगों का वर्गीकरण दो अनुसूचियों में किया गया था। इस सम्बन्ध में सरकारी दायित्व का भी स्पष्टीकरण कर दिया गया था। अनुसूची 'क' के उद्योगों पर सरकार का पूरा नियन्त्रण रखा गया है तथा अनुसूची 'ख' में सम्मिलित उद्योगों का स्वामित्व सरकार क्रमशः ग्रहण कर लेगी।

उद्योगों का नियमन

सन् १९४८ ई० में घोषित प्रथम औद्योगिक नीति के अनुसार संविधान में संशोधन करके 'उद्योग (विकास तथा नियमन)-अधिनियम, १९५१, लागू हुआ। इस अधिनियम के अनुसार सभी वर्तमान तथा नये औद्योगिक प्रतिष्ठानों के विस्तार के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक कर दिया गया, और सरकार को किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान की जाँच-पड़ताल करने तथा आवश्यक निर्देश देने का अधिकार दे दिया गया। सरकार को यह अधिकार भी प्राप्त हुआ कि यदि किसी उद्योग में कुव्यवस्था जारी रहे, तो वह उसका प्रबन्ध अथवा नियन्त्रण अपने हाथ में ले ले। उद्योगों के विकास तथा नियमन-सम्बन्धी मामलों पर सरकार को परामर्श देने के लिए एक केन्द्रीय सलाहकार-परिषद् और भिन्न-भिन्न उद्योगों के लिए अलग-अलग विकास-परिषदें कायम की गईं।

उपर्युक्त अधिकारों के द्वारा सरकार का उद्देश्य देश के संसाधनों का समुचित उपयोग, बड़े तथा छोटे पैमाने के उद्योगों का सन्तुलित विकास एवं विभिन्न उद्योगों का प्रादेशिक रूप से विभाजन कराना है। अभी इस अधिनियम के अन्तर्गत १६२ उद्योग आते हैं। केन्द्रीय उद्योग-सलाहकार-परिषद् के अतिरिक्त, विभिन्न उद्योगों के लिए अलग-अलग विकास-परिषदें भी स्थापित की गई हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न उद्योगों का अध्ययन करने के उद्देश्य से समय-समय पर कुछ विशेष समितियों तथा मण्डलों (पैनल) की भी नियुक्ति हो रही है। सन् १९६३ ई० की अवधि में अधिनियम के अनुसार १,१५४ नये उद्योगों को लाइसेंस देने की स्वीकृति दी गई। छोटे-छोटे उद्योगों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती।

उत्पादकता

अक्टूबर-नवम्बर, १९५६ ई० में एक उत्पादकता-शिष्टमण्डल ने जापान की यात्रा की थी। इसकी सिफारिशों के अनुसार फरवरी, १९५८ ई० में एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में राष्ट्रीय उत्पादकता-परिषद् की स्थापना हुई। इस परिषद् में सरकार मालिकों, श्रमिकों आदि के प्रतिनिधि रहते हैं। देश में उत्पादन बढ़ाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना इस परिषद् की स्थापना का उद्देश्य है। इसके अधीन अबतक ४५ स्थानीय परिषदें और ६ प्रादेशिक निदेशालय स्थापित किये गये हैं। पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मई, १९६१ ई० में स्थापित एशिया उत्पादकता-परिषद् का भारत भी सदस्य है।

उद्योगों के लिए वित्त

जुलाई, १९४८ ई० में स्थापित औद्योगिक वित्त-निगम औद्योगिक संस्थानों को दीर्घकालीन ऋण तथा अग्रिम धन के रूप में वित्तीय सहायता देता है। सन् १९६० ई० में निगम को निजी प्रतिष्ठानों के शेयर खरीदने का भी अधिकार दिया गया। मार्च, १९६२ ई० में निगम को अन्तरराष्ट्रीय विकास-एजेंसी से २ करोड़ डालर का एक और ऋण प्राप्त हुआ, जिससे इसकी स्वीकृत उधार राशि ३ करोड़ डालर (१४.२८ करोड़ रुपये) की हो गई। सन् १९६२ ई० के अन्त तक निगम ने १३६. १३ करोड़ रु० के ऋणों की स्वीकृति दी, जिसमें ७४.५२ करोड़ रु० के ऋण बँट चुके हैं।

राज्य-वित्तनिगम मध्यम तथा छोटे पैमाने के उन उद्योगों को वित्तीय सहायता देते हैं, जो अखिलभारतीय निगम के क्षेत्र में नहीं आते। जून, १९६२ ई० के अन्त तक इन निगमों ने ऋण अथवा अग्रिम धन के रूप में लगभग ४६.४२ करोड़ रु० की स्वीकृति दी, जिसमें से ३७ करोड़ रुपये अदा किये जा चुके थे।

गैर-सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक कारखानों की सहायता के लिए जनवरी, १९५५ ई० में स्थापित भारतीय औद्योगिक ऋण तथा विनियोग-निगम ने सन् १९६२ ई० में २५ कम्पनियों को ८.४४ करोड़ रु० की वित्तीय सहायता देने की स्वीकृति दी और ४३ कम्पनियों को १८९.५ लाख डालर (९.०२ करोड़ रुपये) की विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में सहायता पहुँचाई।

जून, १९५८ ई० में उद्योग पुनर्वित्त-निगम-लिमिटेड की स्थापना की गई। इस निगम का उद्देश्य योजना में सम्मिलित उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए औद्योगिक कारखानों को बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों के आधार पर फिर से ऋण देने की सुविधाएँ देना है। ये सुविधाएँ

केवल उन्हीं औद्योगिक संस्थाओं को मिलेंगी, जिनकी पूँजी तथा सुरक्षित राशि २·५ करोड़ रु० से अधिक नहीं है। सन् १९६२ ई० के अन्त तक २७-१२ करोड़ रुपये की पुनर्वित्त-सहायता की स्वीकृति दी गई। इसमें से १४·६२ करोड़ रुपये बाँटे जा चुके थे।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास-निगम सूती वस्त्र तथा पटसन-उद्योगों के आधुनिकीकरण तथा पुनस्संस्थापन के लिए और मशीनी औजार-युनिटों के विकास के लिए सरकार की ओर से विशेष ऋण देने की भी व्यवस्था करता है। इस निगम की स्थापना सन् १९५४ ई० में हुई थी। अक्टूबर, १९६२ ई० के अन्त तक इस निगम ने पटसन और सूती वस्त्र-उद्योग के लिए २६·३८ करोड़ रु० के ऋणों की स्वीकृति दी। इसके अतिरिक्त, सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र की सहायता के लिए अनेक कार्य कर रही है। औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों से भी तकनीकी सहायता प्राप्त करने के प्रयास किये जाते हैं।

विदेशी पूँजी—पूँजीगत संसाधनों की कमी को पूरा करने के उद्देश्य में सरकार ने देश में किसी वस्तुविशेष की पर्याप्त उत्पादन-क्षमता के अभाववाले तथा विदेशी फर्मों से जानकारी की अपेक्षा रखनेवाले उद्योगों के लिए विदेशी सहायता माँगी है।

सन् १९६० ई० के अन्त में भारत में लगभग ६६०·५ करोड़ रु० की विदेशी पूँजी लगी हुई थी। सन् १९५६ ई० में यह राशि ६१०·५ करोड़ रुपये थी। सन् १९६० ई० में भारत की विदेशी देनदारियाँ सरकारी क्षेत्र में १,२०५ करोड़ रुपये की तथा बैंकिंग क्षेत्र में ७३ करोड़ रु० की थीं। सन् १९६० ई० में भारत की कुल विदेशी देनदारियाँ १,९६६ करोड़ रु० की थीं।

उद्योगों का विकास

प्रारम्भिक स्थिति—भारत में सुव्यवस्थित रूप से उद्योग का आरम्भ सन् १८५४ ई० में हुआ, जब प्रभावी भारतीय पूँजी से बम्बई में सूती कपड़ा मिल-उद्योग का वास्तविक आरम्भ हुआ। पटसन-उद्योग का जन्म अधिकांशतः विदेशी पूँजी से सन् १८५५ ई० में कलकत्ता के निकट हुआ। प्रथम महायुद्ध के पूर्व तक देश में इन्हीं दो बड़े उद्योगों तथा कोयला-उद्योग का विकास हुआ। प्रथम महायुद्ध के समय में औद्योगिक विकास को और गति मिली। सन् १९२२ ई० से चालू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने की नीति से भारतीय उद्योगों के विकास में काफी सहायता मिली। कई उद्योगों का विस्तार हुआ और अनेक उद्योगों—जैसे, इस्पात, चीनी, सीमेण्ट, इंजीनियरी, काँच, औद्योगिक रासायनिक पदार्थ, साबुन, वनस्पति इत्यादि का आरम्भ हुआ। लेकिन, उनका उत्पादन इतना कम था कि न्यूनतम आन्तरिक माँग भी पूरी नहीं हो पाती थी।

पहली और दूसरी योजना की अवधि में प्रगति—पहली और दूसरी योजना की अवधि (सन् १९५१-५२ से १९६०-६१ ई०) में उद्योग-धन्धों में काफी प्रगति हुई है। दूसरी योजना के पाँच वर्षों में हुई प्रगति विशेष उल्लेखनीय है। सरकारी क्षेत्र में १०-१० लाख टन की क्षमता-वाले ३ इस्पात-कारखाने स्थापित किये गये तथा प्राइवेट क्षेत्र के दो इस्पात-कारखानों की क्षमता बढ़ाकर क्रमशः २० लाख टन और १० लाख टन कर दी गई। बिजली के भारी सामान, भारी मशीनी औजारों, भारी मशीनें और इंजीनियरी का अन्य भारी सामान बनाने तथा सीमेण्ट और कागज के उत्पादन के लिए मशीनें बनाने का आरम्भ किया गया। रासायनिक उद्योगों में भी अच्छी प्रगति हुई। बुनियादी रासायनिक पदार्थों—यथा नाइट्रोजनपूरक उर्वरकों, कास्टिक सोडा, सोडा

ऐश तथा गन्धक का तेजाव के अलावा कई नये उत्पादनों—यथा यूरिया, अमोनियम फारफेट, पेनिसिलीन, अखबारी कागज, रंग-सामग्री आदि का भी निर्माण आरम्भ हुआ। अन्य अनेक उद्योगों—यथा साइकलों, सिलाई-मशीनों, टेलीफोन, बिजली के सामान, कपड़ा तथा चीनी की मशीनों—के उत्पादन में ठोस वृद्धि हुई। संगठित उत्पादन पिछले दस वर्षों में प्रायः दुगुना हो गया है। औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक सन् १९५०-५१ ई० के १०० से बढ़कर सन् १९६०-६१ ई० में १९४ हो गया। नई औद्योगिक बस्तियाँ बस गई हैं और देश के मुख्य नगरों के आसपास विभिन्न प्रकार के कारखाने स्थापित किये गये हैं।

किन्तु, हमारे सभी निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं हो सके हैं। इस्पात और उर्वरकों का उत्पादन निर्धारित लक्ष्यों से काफी कम रहा। भोपाल का बिजली का भारी सामान बनाने का कारखाना भी विदेशी मुद्रा आदि की कठिनाइयों के कारण निर्धारित लक्ष्यों से पिछड़ा हुआ है।

दूसरी योजना की अनेक परियोजनाओं पर वास्तविक लागत उनके लिए उपबन्धित राशि से बहुत अधिक रही। दूसरी योजना (सन् १९५६-६१ ई०) की अवधि में सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं पर कुल ७७० करोड़ रु० की पूँजी लगाई गई, जब कि मूल अनुमान ५६० करोड़ रुपये का था। निजी क्षेत्र में कुल ८५० करोड़ रु० की पूँजी लगाई गई, जब कि मूल अनुमान ६८५ करोड़ रु० का था। मूल अनुमानों से लगभग ३० प्रतिशत अधिक पूँजी लगाने के बावजूद दूसरी योजना के लिए निर्धारित मूल उत्पादन-लक्ष्य लगभग ८५ से ९० प्रतिशत ही प्राप्त किये जा सके।

तीसरी योजना के अन्तर्गत विकास-कार्यक्रम—तीसरी योजना में बुनियादी महत्त्ववाले उद्योगों और उत्पादक सामग्री-उद्योगों—विशेष रूप से मशीन-निर्माण कार्यक्रम—पर विशेष जोर दिया गया है। इनसे सम्बद्ध हुनर, तकनीकी जानकारी और इनके डिजाइन तैयार करने की क्षमता प्राप्त करने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे आनेवाले योजना-कालों में हमारी अर्थ-व्यवस्था आत्मनिर्भर और बाहरी सहायता से बहुत हद तक मुक्त हो जाय। इस सम्बन्ध में प्राथमिकता का क्रम इस प्रकार रखा गया है—

१. दूसरी योजना की उन परियोजनाओं को पूरा करना, जो अभी पूरी नहीं की जा सकी हैं, अथवा जो रोक दी गई थीं;

२. भारी इंजीनियरी तथा मशीन-निर्माण-उद्योगों में कास्टिंग और फोर्जिंग, मिश्रधातु और विशेष इस्पातों, लोहा और इस्पात की क्षमता का विस्तार करना तथा उर्वरकों और पेट्रोलियम की वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना;

३. मुख्य बुनियादी कच्चे सामान तथा उत्पादक सामग्री—यथा, अल्युमीनियम, खनिज तेलों, बुनियादी अकार्बनिक रसायनों आदि—का बढ़ाना;

४. अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित वस्तुओं—यथा ओषधियों, कागज, कपड़ा, चीनी, वनस्पति तेलों और मकान बनाने के समान के उद्योगों—का उत्पादन बढ़ाना।

तीसरी योजना के अन्तर्गत उद्योगों और खनिज पदार्थों पर कुल २-९९३ करोड़ रुपये खर्च करने की व्वस्था है। इसमें १,३३८ करोड़ रुपये की राशि विदेशी मुद्रा के रूप में अपेक्षित है।

इस राशि में से १,८०८ करोड़ रुपये सरकारी क्षेत्र में लगाये जायेंगे और १,१८५ करोड़ रुपये निजी क्षेत्र में। सरकारी क्षेत्र के १,८०८ करोड़ रुपये के पूँजी-विनियोग में बागबानी-उद्योगों को दी गई सहायता, हिन्दुस्तान शिपयार्ड को दिया गया निर्माण-अनुदान, राष्ट्रीय उत्पादकता-परिषद् और भारतीय मानक-संस्थान के कार्यक्रम तथा तौल और माप की मेट्रिक प्रणाली के विस्तार पर होनेवाला खर्च और राष्ट्रीय उद्योग विकास-निगम के माध्यम से निजी क्षेत्र को दी जानेवाली सहायता सम्मिलित नहीं है।

सब मिलाकर १,८८२ करोड़ रुपये की व्यवस्था अपेक्षित है, जब कि अभी कुल १,५२० करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा सकी है। अतः, सम्भव है कि इनका पूरा निष्पादन पाँच वर्षों से अधिक समय ले ले।

औद्योगिक उत्पादन

सन् १९६१ और १९६२ ई० के पहले नौ मास का वास्तविक औद्योगिक उत्पादन नीचे की तालिका में दिखाया गया है।

कुछ प्रमुख उद्योगों का उत्पादन

	इकाई	१९६१	१९६२ (प्रथम ९ मास में)
१. खनिज			
१. कोयला	लाख मीट्रिक टन	५६१	४४९
२. खनिज लोहा	लाख मीट्रिक टन	१२१	९७
२. धातु-उद्योग			
३. कच्चा लोहा	लाख मीट्रिक टन	४९६	४१३
४. तैयार इस्पात	लाख मीट्रिक टन	२८५	२६७
५. अल्युमीनियम	हजार मीट्रिक टन	१८.४	२२.३
६. ताँबा	हजार मीट्रिक टन	८.७	७.३
३. मेकैनिकल इंजीनियरी उद्योग			
७. इस्पात कास्टिंग	हजार मीट्रिक टन	३७.५	३२.२
८. मशीनी औजार (मूल्य)	लाख रुपये	७६१	७७१
९. बिजली आदि से चलनेवाले पम्प	(संख्या) हजार	१२४.८	९६.५
१०. मोटर-गाड़ियाँ	(संख्या) हजार	५४.३	४३.६
११. बाइसिकिल	(संख्या) हजार	१,०४७	८५०
१२. सिलाई-मशीनें	(संख्या) हजार	३१७	२९३
१३. मालगाड़ी के डिब्बे	(संख्या) हजार	११.१	१०.२
१४. मोटर-साइकिल	(संख्या) हजार	४.७	४.६
१५. स्कूटर आदि	(संख्या) हजार	१५.३	११.१

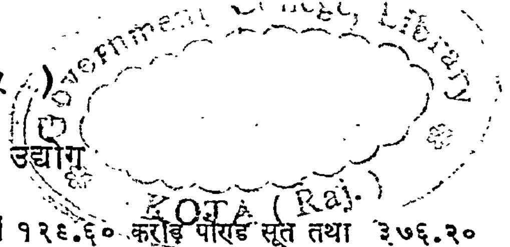
	इकाई	१९६१	१९६२ (प्रथम ९ मास में)
४. बिजली का इंजीनियरी सामान			
१६. बिजली ट्रांसफार्मर	हजार किलोवाट	१,७७५	१,७९५
१७. बिजली के मोटर	हजार अश्वशक्ति	८२४	७२६
१८. रेडियो सेट	(संख्या) हजार	३२६	२४८
१९. बिजली के बल्ब	(संख्या) लाख	४६९	४२३
२०. बिजली के पंखे	(संख्या) हजार	१,०७४	८६४
२१. केबुल और तारें			
(क) ताँबे की	हजार मीट्रिक टन	७.६	३.९
(ख) अल्युमीनियम की	हजार मीट्रिक टन	२२.४	१९.२
५. रसायन और सम्बद्ध उद्योग			
२२. अमोनियम सल्फेट	हजार मीट्रिक टन	३९५	३०४
२३. सुपरफास्फेट	हजार मीट्रिक टन	३७१	३०२
२४. गन्धक का तेजाब	हजार मीट्रिक टन	४१४	३३३
२५. कास्टिक सोडा	हजार मीट्रिक टन	१२०	९२
२६. सोडा ऐश	हजार मीट्रिक टन	१७७	१५९
२७. सीमेण्ट	लाख मीट्रिक टन	८२	६२
२८. रिफ्रैक्टरियाँ	हजार मीट्रिक टन	५९८	४७०
२९. कागज और गत्ता	हजार मीट्रिक टन	३६४	२८६
३०. रबर के टायर और ट्यूब	(संख्या) लाख	२७३	२०२
३१. जूते (रबर और चमड़े के)	(संख्या) लाख	५५७	४५४
३२. साबुन	हजार मीट्रिक टन	१४७	११३
३३. पेट्रोलियम-उत्पादन	लाख मीट्रिक टन	६१	४८
६. कपड़ा-उद्योग			
३४. सूती धागा	लाख किलोग्राम	८,६२०	६,४६०
३५. रेयन धागा	हजार मीट्रिक टन	४९.५	४४
३६. सूती कपड़ा	लाख मीटर		
(क) मिल में बना	लाख मीटर	४७,०१०	३४,५३०
(ख) अन्यत्र बना	लाख मीटर	२३,६९०	१८,४००
३७. पटसन	हजार मीट्रिक टन	९७०	८६१
३८. ऊनी कपड़े	लाख मीटर	१२२	१३५
७. खाद्य पदार्थ			
३९. चीनी	हजार मीट्रिक टन	३,०२९	—
४०. चाय	लाख किलोग्राम	३,४८०	२,४८०
४१. काफी	हजार मीट्रिक टन	६५.७	४३.६
४२. वनस्पति	हजार मीट्रिक टन	३३९	२७८
८. बिजली (जनरेट की गई)	लाख किलो घण्टे	१,९१,११०	१,५९,७५०

नीचे कुछ चुने हुए उद्योगों का सूचकांक दिया जाता है।

औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक

(आधार : १९५१ = १००)

	१९५२	१९५५	१९६०	१९६१
१. सामान्य सूचकांक	१०४	१२२	१७०	१८१
२. कोयला	१०६	१११	१५१	१६१
३. कच्चा लोहा और लोहा-युक्त धातु	१०२	१०४	२२६	२७०
४. तैयार इस्पात	१०२	११७	२०३	२६१
५. सीमेण्ट	१११	१४०	२४२	२५४
६. रसायन और रासायनिक उत्पादन	११८	१५६	२५७	२८३
७. रबर-उत्पादन	१०१	१४०	२३७	२४८
८. जनरेट की गई बिजली	१०५	१४५	२८१	३२६
९. सामान्य और बिजली-इंजीनियरी	९३	१८३	३५४	४१९
जिसमें से :				
मशीनरी, बिजली-मशीनों को छोड़कर	८४	१६४	५५०	६१७
१०. मोटर-गाड़ियाँ	९९	१०४	२३४	२४४
११. बाइसिकिल	१७२	४३०	९१९	९१७
१२. पटसन के वस्त्र	१०८	११९	१२७	११५
१३. सूती वस्त्र	१०२	११२	११५	११७
१४. चीनी	१३४	१४३	२२९	२५१
१५. वनस्पति	१११	१५१	१९३	१९४
१६. चाय	९९	१०६	२११	१२२
१७. कागज और गत्ता	१०४	१४०	१५८	२७२



कुछ प्रमुख उद्योग

सूती वस्त्र—सन् १६४७ ई० में भारत में १२६.६० करोड़ पौंड सूत तथा ३७६.२० करोड़ गज सूती कपड़ा तैयार हुआ था। तब से अबतक सूत तथा सूती कपड़े के उत्पादन में अच्छी प्रगति हुई है। सन् १६६२ ई० के आरम्भ में कपड़ा-मिलों की संख्या ४८० थी, जिनमें १८६.२६ करोड़ पौंड सूत तथा ४६८.८३ करोड़ गज कपड़ा बनाया गया। सन् १६६१ ई० के आरम्भ में कपड़ा-उद्योग में लगभग १२२ करोड़ रुपये की पूँजी लगी थी तथा इसमें ८. ६ लाख लोगों को काम मिला हुआ था।

पटसन—सन् १६५८ ई० में हुई भारतीय विनिर्माण-गणना के अनुसार भारत में पटसन की १०६ मिलें थीं, जिनमें अभी ६६ मिलों में (जिनसे विवरण प्राप्त हुए) कुल मिलाकर ७८.३३ करोड़ रु० की पूँजी हुई थी। इनमें २,५३,८६० व्यक्ति काम पर लगे हुए थे। सन् १६६२ ई० की जनवरी से सितम्बर तक ८.६० लाख टन पटसन की वस्तुओं का उत्पादन हुआ।

पटसन-उद्योग के आधुनिकीकरण के हेतु पटसन की मिलों को मशीनों का आयात करने के लिए उदारता से लाइसेंस दिये गये तथा देश में ही ऐसी मशीनों आदि का निर्माण आरम्भ किया गया। इसके लिए नवम्बर, १६६२ ई० तक राष्ट्रीय औद्योगिक विकास-निगम के द्वारा ७.१६ करोड़ रु० के ऋणों की स्वीकृति दी गई थी।

चीनी—सन् १६३१-३२ ई० में भारत में चीनी की कुल ३२ मिलें थी, जिनमें १.६ लाख टन चीनी बनाई गई थी। सन् १६६०-६१ ई० में १७५ मिलें हुई, जिनमें ३०.२६ लाख मीट्रिक टन चीनी तैयार की गई। सन् १६६१-६२ ई० में २७.१४ लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन हुआ। सन् १६६२ ई० में ३.७३ लाख मीट्रिक टन चीनी का निर्यात हुआ।

सीमेण्ट—भारत में पोर्टलैण्ड सीमेण्ट का उत्पादन सन् १६०४ ई० में मद्रास में आरंभ हुआ था। इस उद्योग का वास्तविक विकास सन् १६१२-१३ ई० में तीन कम्पनियों के निर्माण के साथ हुआ। इस समय देश में सीमेण्ट के ३४ कारखाने हैं तथा इस उद्योग की कुल स्थापित क्षमता ६४.७ लाख मीट्रिक टन है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में सीमेण्ट-उद्योग की प्रतिष्ठापित क्षमता १५२.४ लाख मीट्रिक टन हो जायगी तथा इसका उत्पादन १३२.१ लाख मीट्रिक टन हो जायगा।

कागज—भारत में मशीन से कागज बनाने का काम सन् १८७० ई० में कलकत्ता के निकटवाली मिल की स्थापना के साथ आरंभ हुआ। दूसरे महायुद्ध में कागज बनानेवाली मिलों की संख्या बढ़कर १५ हो गई तथा सन् १६४४ ई० के कुल उत्पादन १,०३,८८४ टन हुआ। सन् १६५० ई० से इस उद्योग में पर्याप्त प्रगति हुई है। सन् १६५० ई० में कुल १,०६ लाख टन कागज बना था, जबकि सन् १६६२ ई० में लगभग ३.८३ लाख मीट्रिक टन कागज तैयार हुआ।

यहाँ अखबारी कागज बनाने का पहला कारखाना सन् १६४७ ई० में नेपानगर (मध्यप्रदेश) में चालू हुआ। सन् १६४८ ई० में मध्यप्रदेश-सरकार ने इसे अपने नियन्त्रण में ले लिया।

सन् १६५८ ई० में इसके पुनर्गठन के बाद भारत-सरकार तथा मध्यप्रदेश-सरकार की इसमें क्रमशः २.२५ करोड़ रु० तथा १.७० करोड़ रु० की हिस्सा-पूँजी रही। इस कारखाने में कागज बनाने का काम जनवरी, १६५५ ई० में आरम्भ हुआ। इसकी कुल स्थापित क्षमता ३०,००० मीट्रिक टन है। सन् १६५५-५६ ई० में इस कारखाने में ३,४५५ टन कागज बना। यह परिमाण सन् १६६०-६१ ई० में २३, ३६८ मीट्रिक टन तथा सन् १६६१-६२ ई० में २५,२७६ मीट्रिक टन तक जा पहुँचा। तीसरी योजना में १,५०,००० टन अखबारी कागज के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

लोहा तथा इस्पात—भारत में लौह-उत्पादन का कार्य बहुत प्राचीन काल से होता रहा है। किन्तु, आधुनिक रीति से लोहा तथा इस्पात बनाने का पहला असफल प्रयास सन् १८३० ई० में दक्षिणी आरकाट में किया गया था। फिर, सन् १८७४ ई० में झरिया की कोयला-खानों के निकट 'बराकर आयरन वर्क्स' नाम से एक कारखाना स्थापित किया गया, जिसे सन् १८८६ ई० में 'बंगाल आयरन ऐण्ड स्टील कम्पनी' ने अपने अधिकार में ले लिया। सन् १६०० ई० में इस कारखाने में कुल उत्पादन ३५,००० टन हुआ। साकची (बिहार) में सन् १६०७ ई० में स्व० जमशेदजी ताता द्वारा स्थापित 'ताता आयरन ऐण्ड स्टील कम्पनी' ने सन् १६११ ई० में कच्चा लोहा तथा सन् १६१३ ई० में इस्पात का उत्पादन आरम्भ किया। इनके अतिरिक्त, सन् १६०८ ई० में आसनसोल (बंगाल) के निकट हीरापुर में 'इंडियन आयरन ऐण्ड स्टील कम्पनी' तथा सन् १६२३ ई० में भद्रावती में 'मैसूर स्टेट आयरन वर्क्स (अब 'मैसूर आयरन ऐण्ड स्टील वर्क्स') की स्थापना हुई। सन् १६३६ ई० तक इस्पात का वार्षिक उत्पादन लगभग ८ लाख टन तक जा पहुँचा। दूसरे महायुद्ध से इस उद्योग को और गति मिली। सन् १६६१ ई० तक इस्पात का उत्पादन बढ़कर २८.१० लाख टन हो गया। सन् १६६२ ई० में लगभग ३६.६० लाख टन तैयार इस्पात का उत्पादन हुआ।

सन् १६५८ ई० की भारतीय विनिर्माण-गणना के अनुसार, देश में लोहा तथा इस्पात के बड़े तथा छोटे १६७ कारखाने थे, जिनमें लगभग १३१ करोड़ रु० की स्थिर पूँजी तथा ५२ करोड़ रु० की चालू पूँजी लगी हुई थी। इन कारखानों में ६३-२८३ व्यक्ति काम करते थे।

दूसरी योजना की अवधि में तीन मौजूदा इस्पात-कारखानों—ताता, इण्डिया आयरन और मैसूर आयरन—की क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था। ताता आयरन ऐण्ड स्टील कम्पनी का तैयार इस्पात का उत्पादन बढ़ाकर १५ लाख टन, और इंडियन आयरन ऐण्ड स्टील कम्पनी का उत्पादन बढ़ाकर ८ लाख टन किया गया है। मैसूर आयरन का विस्तार सन् १६६३ ई० के अन्त तक पूरा किया जायगा।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र में दस-दस लाख टन सिल्लियों की उत्पादन-क्षमतावाले ३ इस्पात-कारखाने-राउरकेला (उड़ीसा), भिलाई (मध्यप्रदेश) तथा दुर्गापुर (पश्चिम-बंगाल) में स्थापित किये गये। इन तीनों इस्पात-कारखानों का प्रबन्ध सरकारी कम्पनी 'हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड' के अधीन है, जिसकी अधिकृत पूँजी ६०० करोड़ रुपये है। तीसरी योजना की अवधि में इन तीनों कारखानों की क्षमता लगभग दुगुनी करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त दुर्गापुर में मिश्रधातु और विशेष इस्पात-कारखाना भी खोला जायगा।

इंजीनियरी—सन् १९४७ ई० से इंजीनियरी-उद्योग का विकास करने के लिए सरकार विशेष प्रयास करती आ रही है। सन् १९६२-६३ ई० में भारी तथा हल्की औद्योगिक मशीनों और मशीनी औजारों के उत्पादन में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई। देश की औद्योगिक मशीनों की अधिकांश माँग की पूर्ति अब देश में ही बनी मशीनों से हो सकती है। इस समय देश में २०० करोड़ रु० के मूल्य की औद्योगिक मशीनें बनाई जाती हैं। इस्पात और अन्य कच्चे माल की आपूर्ति में वृद्धि होने से मशीन-निर्माण-उद्योग गति पकड़ रहा है।

नाहन-फाउण्ड्री की स्थापना सन् १८७२ ई० में एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा की गई थी। भारत-सरकार ने उसे सन् १९५२ ई० में भूतपूर्व सिरमौर-रियासत से अपने अधिकार में ले लिया। उसकी व्यवस्था एक सरकारी कम्पनी को सौंप दी गई है, जिसकी अधिकृत पूँजी १ करोड़ रु० है। फाउण्ड्री में मुख्यतः कृषि-औजार तैयार किये जाते हैं। सन् १९६१-६२ ई० में इस फाउण्ड्री में २,९३२ टन सामग्री का उत्पादन हुआ।

भारत में खराद-मशीनें सबसे पहले मई, १९५६ ई० में बंगलोर के निकट जलाहाली-स्थित मशीनी औजार-कारखाने में तैयार की गई। यह कारखाना अब 'हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड' के अधीन है। इसका दूसरा मशीनी औजार-निर्माण यूनिट मई, १९६१ ई० में पूरा हो गया। इन दोनों यूनिटों में अप्रैल-दिसम्बर, १९६२ ई० में १,१२० मशीनों का निर्माण हुआ, जिनका मूल्य ४ करोड़ रुपये था। एक दूसरा मशीनी औजार-कारखाना, जिसमें प्रतिवर्ष १,००० औजार तैयार किये जायेंगे, पंजाब में पिंजोर नामक स्थान पर बनाया जा रहा है। यह कारखाना सन् १९६३ ई० में पूरा हो गया। इस संस्था ने २·५ करोड़ रु० की लागत से एक घड़ी-कारखाना भी स्थापित किया है, जिसमें प्रतिवर्ष २,४०,००० घड़ियाँ बनाई जायेंगी। सन् १९६२ ई० के अप्रैल से दिसम्बर तक इस कारखाने में २४,५८६ घड़ियाँ तैयार हुईं और १७,९७२ घड़ियाँ बिक्री के लिए बाजार भेजी गईं।

सन् १९६२ ई० के जून में बँगलोर में मशीनी औजार-संस्थान की स्थापना हुई, जो डिजाइनिंग, प्रशिक्षण, मानकीकरण, प्रोटोटाइप-निर्माण, अनुसन्धान आदि का कार्य करेगा।

डाक तथा तार-विभाग की टेलीफोन-तारों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए रूपनारायणपुर (पश्चिम बंगाल) में स्थापित 'हिन्दुस्तान केबुल्स फैक्टरी' में सन् १९५४ ई० में उत्पादन आरम्भ किया गया। इस कारखाने में सन् १९६१-६२ ई० में लगभग १·६ करोड़ रुपये के मूल्य की १,१६७ मील लम्बी केबुल तारों और १४० मील लम्बी समाक्ष केबुल तारों का निर्माण हुआ। इस कारखाने में २,००० मील लम्बी केबुल तारें प्रतिवर्ष बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

कलकत्ता की 'नेशनल इन्स्ट्रूमेण्ट्स फैक्टरी' की स्थापना सन् १८३० ई० में हुई थी। सन् १९५७ ई० के जून में इस कारखाने को 'नेशनल इन्स्ट्रूमेण्ट्स लिमिटेड' नामक सरकारी कम्पनी में परिणत कर दिया गया। यहाँ अनेक प्रकार के वैज्ञानिक तथा सूक्ष्म पुरजे तैयार होते हैं। सन् १९६१-६२ ई० में इस कारखाने में ५५·५ लाख रु० के पुरजे बने। दुर्गापुर में ४ करोड़ रुपये

की लागत से ऐनक के काँच बनाने का एक कारखाना खोला जा रहा है। इसे भी 'नेशनल इन्स्ट्रूमेण्ट्स फैक्टरी' के अधीन रखा गया है।

चित्तरंजन-रेल-इंजन-कारखाने के विकास-कार्यक्रम में इस्पात का एक भारी ढलाई-कारखाना खोलने का कार्यक्रम भी है। इसके द्वारा भारतीय रेलों की तत्सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति देश में ही हो सकेगी। तदनुसार, ७,००० टन की उत्पादन-क्षमतावाला एक ढलाई का कारखाना स्थापित किया जा रहा है। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास-निगम के कार्यक्रम में भी ऐसे कारखाने खोलने के लिए १५ करोड़ रु० की व्यवस्था है।

अगस्त, १९५६ ई० में बिजली के भारी उपकरणों के निर्माण के लिए 'हेवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड' नामक एक सरकारी कम्पनी कायम की गई। इसका कारखाना भोपाल में खुल रहा है। इसपर सात-आठ वर्षों के प्रथम चरण में २१ करोड़ रु० व्यय होंगे तथा अन्ततः इसपर लगभग ४५·५ करोड़ रु० खर्च होने का अनुमान है। इस कारखाने के कुछ भागों में जुलाई, १९६० ई० से कार्य आरम्भ हो गया है। इसमें २५ करोड़ रुपये मूल्य की वस्तुओं के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

अक्टूबर, १९५४ ई०में स्थापित एक सरकारी कम्पनी 'राष्ट्रीय औद्योगिक विकास-निगम' भारी औद्योगिक मशीनों के निर्माण की व्यवस्था विशेष रूप से कर रही है। इसपर रूस की सहायता से कोटा और पालघाट में कायम किये जानेवाले सूक्ष्म पुरजों के कारखानों के विषय में आरम्भिक कारवाई करने का भार सौंपा गया है। बिहार में राँची के निकट हटिया में एक भारी मशीन-निर्माण-कारखाना तथा दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) में एक कोयला-खनन-मशीन-कारखाना तथा ऐनकों के काँच बनाने का कारखाना स्थापित करने में सहायता प्राप्त करने के लिए सन् १९५७ ई० में रूस-सरकार के साथ एक इकरारनामा किया गया। भारी मशीन-कारखाने के पास ही चेकोस्लोवाकिया की सहायता से ढलाई-कारखाना भी लगाया जायगा। इन परियोजनाओं के प्रशासन के लिए दिसम्बर, १९५८ ई० में एक 'हेवी इंजीनियरी-निगम' की स्थापना की गई। इसकी अधिकृत पूँजी ५० करोड़ रु० है। चेकोस्लोवाकिया सरकार के सहयोग से स्थापित किया जानेवाला १० हजार टन की क्षमता का भारी मशीनी औजार-निर्माण-कारखाना भी इस निगम के अधीन रहेगा।

रेल-इञ्जन तथा सवारी डिब्बे—रेल-इञ्जन के सम्बन्ध में स्वावलम्बी होने की दृष्टि से सरकार ने रेल-मन्त्रालय के अधीन चित्तरंजन (पश्चिम बङ्गाल) में रेल-इञ्जन बनाने का कारखाना स्थापित किया है। इस कारखाने में प्रतिवर्ष स्टैण्डर्ड किस्म के २०० से अधिक इञ्जनों के बराबर डब्ल्यू० जी० किस्म के इञ्जन तैयार किये जाते हैं। सन् १९६१-६२ ई०में इस कारखाने में १७१ डब्ल्यू० जी० इञ्जन तथा ५ डी० सी० बिजली से चलनेवाले इञ्जन तैयार हुए। अन्त में जाकर इस कारखाने में प्रतिवर्ष स्टैण्डर्ड किस्म के ३०० इञ्जन तैयार करने का लक्ष्य है। बिजली से चलनेवाले ६० से ७० रेल-इञ्जन प्रतिवर्ष तैयार करने की क्षमता का विकास किया जा रहा है। इसके अलावा सरकारी सहायता-प्राप्त 'टाटा इञ्जीनियरिंग ऐण्ड लोकोमोटिव वर्क्स' में

सन् १९६१-६२ ई० में मीटर लाइन के ७२ इञ्जन बने। बाष्प से चलनेवाले रेल-इञ्जनों के लिए भारत स्वावलम्बी बन गया है और अब वह इनका निर्यात भी कर सकेगा। माल-डिब्बों और सवारी डिब्बों की भी यही स्थिति है।

पेराम्बुर की सरकारी इंटेग्रल कोच फैक्टरी में उत्पादन-कार्य अक्टूबर, १९५५ ई० में आरम्भ किया गया। सन् १९६१-६२ ई० में ५९८ सवारी डिब्बे तैयार किये गये। इस कारखाने में सन् १९५९ ई० से दूसरी शिफ्ट शुरू की गई है। अब इसमें प्रतिवर्ष ६५० सवारी डिब्बे बन सकेंगे।

जहाज-निर्माण—मार्च, १९५२ ई० में सरकार ने 'सिन्धिया स्टीमशिप नेवीगेशन कम्पनी' से विशाखापट्टनम् का जहाज-निर्माण-कारखाना खरीदकर उसका प्रबन्ध-भार 'हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड' को सौंप दिया। अब इसकी कुल हिस्सा-पूँजी सरकार की है। यह कारखाना डीजल से चलनेवाले चार आधुनिक जहाज प्रतिवर्ष बना सकता है। इस कारखाने में बना पहला जहाज मार्च, १९४८ ई० में पानी में उतारा गया। इस कारखाने को चलाने का काम अब पूर्णतः भारतीयों के हाथ में है। अबतक इस कारखाने में विभिन्न प्रकार के लगभग १,९८,१९१ टन भार के ३ जहाज तैयार किये गये हैं। १२ जहाज इस समय तैयार हो रहे हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस कारखाने में ७५,००० से ९०,००० टन भार तक के जहाज तैयार करने का विचार था। एक दूसरा जहाज-निर्माण-कारखाना कोचीन में कायम करने का विचार है, जिसकी आरम्भिक निर्माण-क्षमता ६०,००० टन भार प्रतिवर्ष होगी और जो बाद में बढ़ाकर ८०,००० टन भार प्रतिवर्ष कर दी जायगी। तीसरी योजना में इसके लिए २० करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है।

हवाई जहाज—बँगलोर के 'हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट्स लिमिटेड' नामक कारखाने से सम्बद्ध विस्तृत विवरण 'प्रतिरक्षा' शीर्षक अध्याय में दिया गया है।

रासायनिक पदार्थ तथा ओषधियाँ—प्रथम महायुद्ध से भारतीय रसायन-उद्योग में बड़ी प्रगति आई। फिर भी, द्वितीय महायुद्ध आरम्भ होने तक रासायनिक पदार्थों के लिए भारत आयात पर ही निर्भर करता था। इस महायुद्ध ने इस उद्योग को और गति प्रदान की। स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद रसायन-उद्योग का बहुत विकास हुआ। इस सम्बन्ध में सरकारी क्षेत्र में सिन्दरी-कारखाने की स्थापना एक महत्त्वपूर्ण घटना थी। गैर-सरकारी क्षेत्र में सन् १९४६-५० ई० में देश में रसायन उद्योग की ६० कम्पनियाँ कायम हुईं। सन् १९६२ ई० में गन्धक का तेजाब, कास्टिक सोडा, सोडा ऐश और कैल्शियम कार्बाइड का उत्पादन बढ़ा और ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम सल्फाइट और सोडियम थियोसल्फाइट का उत्पादन घटा। कुछ रासायनिक पदार्थों का निर्माण भारत में पहली बार किया गया। प्लास्टिक की कच्ची सामग्री के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्तरराष्ट्रीय बाल-सङ्कटकोष तथा विश्व-स्वास्थ्य-संगठन की सहायता से भारत-सरकार ने दिल्ली में डी० डी० टी० बनाने का एक कारखाना खोला है, जिसकी अधिकृत पूँजी १ करोड़ रु० है। इस कारखाने का उत्पादन-कार्य अप्रैल, १९५५ ई० में आरम्भ हुआ

और सन् १९५८ ई० में इसकी उत्पादन-क्षमता दुगुनी हो गई। सन् १९६१-६२ ई० में इसमें १,५०३ टन का उत्पादन हुआ। केरल-राज्य के अलवाए नामक स्थान पर स्थापित दूसरे डी० डी० टी० कारखाने में भी जुलाई, १९५८ ई० से कार्य आरम्भ हो चुका है। इसकी पूँजीगत लागत ७६ लाख रुपया है। सन् १९६१-६२ ई० में इसमें १,२२४ टन का उत्पादन हुआ।

पूना के निकट पिम्परी नामक स्थान में भारत-सरकार ने एक पेनिसिलीन-कारखाना स्थापित किया है। इस कारखाने का उत्पादन-कार्य अगस्त, १९५५ ई० में आरम्भ हुआ। कारखाने की व्यवस्था 'हिन्दुस्तान ऐण्टीबायोटिक्स लिमिटेड' के हाथ में है। इसकी अधिकृत पूँजी ४ करोड़ रु० है। सन् १९६१-६२ ई० में ४'५५ करोड़ मेगायूनिट पेनिसिलीन का उत्पादन हुआ।

पिम्परी में ४०-४५ मेट्रिक टन की वार्षिक क्षमता का स्ट्रेप्टोमाइसीन-कारखाना चालू हो गया है। इसकी लागत पूँजी २.१५ करोड़ रुपया है। ६० लाख रुपये की अतिरिक्त लागत से इस संयंत्र की क्षमता ८०-९० मेट्रिक टन प्रतिवर्ष कर देने की एक योजना स्वीकृत की गई है, जो सन् १९६३ ई० में पूरी हुई।

प्रतिवर्ष टेट्रासाइक्लीन के १'५ मेट्रिक टन के उत्पादन के लिए एक मार्गदर्शक संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। अगस्त, १९६१ ई० में ऑक्सी-टेट्रासाइक्लीन का उत्पादन आरम्भ हो गया। क्लोर-टेट्रासाइक्लीन हाइड्रोक्लोराइड का भी उत्पादन आरम्भ किया गया है। प्रतिवर्ष ४८ मेट्रिक टन विटामिन 'सी' के उत्पादन के लिए एक संयंत्र स्थापित करने की योजना स्वीकार की गई है।

उर्वरक—२८ करोड़ रुपये की सरकारी पूँजी से स्थापित सिन्दरी-उर्वरक-कारखाने का उत्पादन-कार्य अक्टूबर, १९५१ ई० में आरम्भ हुआ। सन् १९६२ ई० के अप्रैल से दिसम्बर तक इस कारखाने में २,३८,४६८ मेट्रिक टन अमोनियम सल्फेट तैयार हुआ। कोयला-भट्ठी-संयंत्र से प्राप्त होनेवाली सम्पूर्ण १०० लाख घनफुट गैस का उपयोग करके उत्पादन में ६० प्रतिशत वृद्धि करने की योजना १५ करोड़ रुपये की लागत से पूरी कर ली गई है। अप्रैल से दिसम्बर, १९६२ ई० तक में इस कारखाने में १३,३६० मेट्रिक टन यूरिया तथा ४६,४८४ मेट्रिक टन डबल साल्ट तैयार हुआ।

३,८८,००० मेट्रिक टन नाइट्रो-लाइमस्टोन तथा १४-१५ टन भारी पानी के वार्षिक उत्पादन के लिए ३० करोड़ रु० की लागत से नांगल में एक कारखाना स्थापित किया जा रहा है। फ़रवरी, १९६१ ई० में इसके उर्वरक संयंत्र में काम आरम्भ हो गया तथा सन् १९६२ ई० के अप्रैल से दिसम्बर तक इसमें १,९९,१२७ मेट्रिक टन कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन हुआ। अगस्त, १९६२ ई० में भारी पानी तैयार करने का संयंत्र चालू हो गया। इसमें वर्ष के अन्त तक २,२५४ किलोग्राम भारी पानी का उत्पादन हुआ। इसके अलावा, नहरकटिया (आसाम), ट्राम्बे, नामरूप, नइवेली तथा राउरकेला में नये उर्वरक-उत्पादन-केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं।

जनवरी, १९६१ ई० में ७५ करोड़ रुपये की अधिकृत पूँजी से भारत उर्वरक-निगम की स्थापना की गई। इसका काम सरकारी क्षेत्र के उर्वरक-कारखानों का प्रवन्ध करना है। विशाखापट्टनम्, कोठागुडम् (आन्ध्रप्रदेश), हनुमानगढ़ (राजस्थान), टूटीकोरिन और एन्नौर (मद्रास) में भी उर्वरक-संयंत्र लगाने के लिए लाइसेंस दिये गये हैं।

तेल—देश के तेल-संसाधनों की स्थिति दूसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में सन्तोषजनक नहीं थी। देश को प्रतिवर्ष लगभग ७० लाख टन तेल की आवश्यकता होती थी, जिसमें ६६ लाख टन तेल वाहर से आता था। पहले भारत में तेल केवल डिगवोई (आसाम) के आसपास निकाला जाता था। अव तेल तथा प्राकृतिक गैस-आयोग के तत्त्वावधान में अनेक स्थानों पर तेल-क्षेत्रों की खोज की जा रही है। इसके फलस्वरूप गुजरात में खम्भात, अंकलेश्वर, ओलपद, आनन्द, कलोल और वेवत में; आसाम में रुद्रसागर और शिवसागर में; पंजाव में आदमपुर और जनौरी में; तथा उत्तरप्रदेश के उभ्फानी-क्षेत्र में तेल प्राप्त हुआ है। अंकलेश्वर के तेल-क्षेत्रों में अगस्त, १९६१ ई० में उत्पादन शुरू हो गया। तेल की खोज करने में विदेशी सहायता भी ली जाती है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में देश की पेट्रोल-सम्वन्धी सारी-की-सारी आवश्यकताएँ आयात करके पूरी की जाती थीं; क्योंकि डिगवोई-स्थित 'आसाम तेल-कम्पनी' के कारखानों का उत्पादन कुल आवश्यकता के लगभग ५ प्रतिशत के वरावर था। पहली योजना में पेट्रोल साफ करने के तीन कारखाने स्थापित करने की स्वीकृति दी गई। इनमें से दो ट्राम्वे में तथा तीसरा विशाखापट्टनम् में स्थापित किया गया। इन सव कारखानों में विधायित पेट्रोल की वार्षिक उत्पादन-क्षमता सन् १९५७ ई० के अन्त तक लगभग ४३ लाख टन थी। सन् १९५८ ई० में इनके उत्पादन की विधि में सुधार किया गया, ताकि मिट्टी के तेल और डीजल तेल-सम्वन्धी देश की जरूरतें पूरी की जा सकें। इन सव कारखानों का वर्त्तमान उत्पादन लगभग ७८.५ लाख टन है।

नूनमाटी (आसाम) तथा वरौनी (विहार) के तेल साफ करने के कारखानों से प्राप्त होनेवाले २७.५ लाख टन पेट्रोलियम-उत्पादनों के विपणन तथा वितरण के लिए जून, १९५९ ई० में १२ करोड़ रु० की अधिकृत पूँजी से 'इंडियन ऑयल कम्पनी लिमिटेड' नामक एक सरकारी कम्पनी स्थापित की गई। कम्पनी ने जुलाई, १९६० ई० में चार वर्ष की अवधि के लिए रुपयों की अदायगी के वदले पेट्रोलियम-उत्पादनों के आयात के लिए रूसी व्यापार-संगठन से एक समझौता किया है।

सन् १९५९ ई० की फरवरी में 'आयल इंडिया लिमिटेड' की स्थापना की गई, जिसमें भारत-सरकार और 'वर्मा ऑयल-कम्पनी' की वरावर-वरावर हिस्सा-पूँजी है। इस कम्पनी में अप्रैल, १९६२ ई० में कच्चे तेल का उत्पादन शुरू हो गया।

रूमानिया के सहयोग से गौहाटी के पास नूनमाटी में ७.५ लाख टन क्षमतावाले सरकारी क्षेत्र के तेल साफ करने के कारखाने (अधिकृत पूँजी ३० करोड़ रुपये) में जनवरी,

१९६२ ई० में उत्पादन शुरू हो गया और अब इसमें पूरी क्षमता के साथ काम हो रहा है। पर इस कारखाने की अधिकृत पूँजी ३० करोड़ रुपया है। बरौनी में तेल साफ करने का एक अन्य कारखाना रूस के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। इसमें प्रतिवर्ष २० लाख टन तेल साफ किया जायगा। इस कारखाने पर कुल ४१ करोड़ रुपये की लागत आयगी। इसका १० लाख टन क्षमता का पहला यूनिट अक्टूबर, १९६३ ई० में चालू हो गया है और उतनी ही क्षमता का दूसरा यूनिट सन् १९६४ ई० के शुरू में चालू हो गया होगा।

बड़ौदा (गुजरात) के पास कोयाली में रूस के सहयोग से २० लाख मेट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमतावाला एक तेल साफ करने का कारखाना स्थापित किया जा रहा है, जिसमें उस क्षेत्र में प्राप्त तेल साफ किया जायगा।

नूनमाटी, बरौनी और कोयाली की क्षमता सन् १९६५-६६ ई० में क्रमशः १२.५, ३० और ३० लाख मेट्रिक टन प्रतिवर्ष करने की दिशा में आरम्भिक कारवाई की जा रही है। अप्रैल, १९६३ ई० में भारत-सरकार और अमेरिका की फिलिप्स पेट्रोलियम-कम्पनी के बीच २५ लाख मेट्रिक टन प्रतिवर्ष की क्षमतावाला तेल साफ करने का कारखाना कोचीन-क्षेत्र में खोलने के लिए समझौता हुआ है।

कोयला तथा भूरा कोयला (लिग्नाइट)—भारत में खानों से कोयला निकालने का काम पहले-पहल सन् १८१४ ई० में रानीगंज (बंगाल) में आरम्भ हुआ। देश में रेलों के चालू होने से इस उद्योग में प्रगति आई। इसके लिए अनेक ज्वायंट स्टॉक-कम्पनियाँ स्थापित हुईं, जिनका स्वामित्व अधिकांशतः यूरोपियनों के अधीन था। सन् १८६८ ई० के बाद कोयले के उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई। उस वर्ष कुल ५ लाख टन कोयला निकाला गया। वह बढ़ते-बढ़ते सन् १९६० ई० में ६१५ लाख मेट्रिक टन तक पहुँच गया।

तीसरी योजना के अन्तर्गत सन् १९६५-६६ ई० के लिए ९७० लाख टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। अतिरिक्त उत्पादन में से १७० लाख टन निजी क्षेत्र का और २२० लाख टन सरकारी क्षेत्र का दायित्व रखा गया है।

भिलाई तथा राउरकेला इस्पात-कारखानों के लिए कोयले की व्यवस्था करने के उद्देश्य से नवम्बर, १९५८ ई० में लगभग २.४६ करोड़ रु० की लागत से एक कोयला-शोधन-कारखाना करगली में खोला गया था। यहाँ सन् १९६२ ई० में १०.६ लाख टन शोधित कोयले का उत्पादन हुआ था।

नइवेली की भूरा कोयला-परियोजना में प्रतिवर्ष ३५ लाख टन भूरा कोयला निकालने का लक्ष्य है।

अन्य खनिज पदार्थ—सन् १९६१ ई० में, खानों में लगभग ६,७१,००० व्यक्ति काम करते थे। खानों की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण क्षेत्र आन्ध्रप्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, मैसूर तथा राजस्थान में हैं। जिन खनिज पदार्थों की विस्तृत रूप से खुदाई की जाती है, उनमें कोयला (८५४ खानें), अभ्रक (७१८ खानें), खनिज मैंगनीज (५५१ खानें), खनिज लोहा (२८४

खानें), जिप्सम (३६ खानें) तथा चूने का पत्थर (१५५ खानें) उल्लेखनीय हैं। खनिज पदार्थों के उत्पादन में प्रतिवर्ष अच्छी वृद्धि होती रही है। सन् १६०१ ई० में कुल ६.७० करोड़ रु० के मूल्य के खनिज पदार्थ निकाले गये थे। सन् १६६१ ई० में आकर निकाले गये खनिज पदार्थों मूल्य लगभग १७६ करोड़ रुपये हो गया।

बागान-उद्योग

चाय—सन् १८३४ ई० से १८६५ ई० के बीच चाय की खेती सरकारी बागानों में ही होती थी। सन् १८६५ ई० से चाय-बागानों का प्रबन्ध मुख्यतः यूरोपीय व्यापारियों के हाथ में आ गया। पिछले कुछ वर्षों में अपने देश में चाय की खेती में बहुत प्रगति हुई है। सन् १६३५-३६ ई० में चाय का उत्पादन ३६·५० करोड़ पौंड हुआ था। सन् १६६२ ई० में यह उत्पादन बढ़कर ३४·३८ करोड़ किलोग्राम हो गया है।

काफी—काफी की योजनाबद्ध खेती सन् १८३० ई० में आरम्भ हुई तथा सन् १८६२ ई० में यह उद्योग अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया। तभी विनाशकारी कीड़ों और ब्राजील की काफी की होड़ के कारण देश में इसकी प्रगति रुक गई। उसके बाद पुनः अथक प्रयास किये गये और आज इस देश में काफी की अच्छी खेती होती है। सन् १६६२-६३ ई० में लगभग ५४,८०० मेट्रिक टन काफी का उत्पादन हुआ। नवम्बर, १६६२ ई० में हुए अन्तरराष्ट्रीय काफी-करार के अन्तर्गत भारत को २१,६०० मेट्रिक टन काफी के निर्यात का कोटा प्राप्त हुआ है।

रबर—रबर के बागान अपेक्षाकृत बहुत पीछे लगाये गये। अनुमानतः, सन् १६६२ ई० में लगभग ३·५२ लाख एकड़ भूमि में रबर के बागान थे। सन् १६६२ ई० के पहले ११ महीनों में २७·२६२ मेट्रिक टन रबर का उत्पादन हुआ। सन् १६६१ ई० में २३,५१५ मेट्रिक टन रबर का उत्पादन हुआ।

सामान्य—चाय, काफी तथा रबर के बागान देश की कृषि-भूमि के लगभग ०·४ प्रतिशत भाग में हैं और मुख्यतः उत्तर-पूर्व में तथा दक्षिण-पूर्वी समुद्र तट पर स्थित हैं। इनमें १२ लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है तथा इनके निर्यात से भारत को अच्छी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। एक अरब रुपये की विदेशी मुद्रा तो केवल चाय से ही प्राप्त होती है। आरम्भ में काफी तथा रबर का भी निर्यात किया जाता था, परन्तु इनकी खपत आजकल देश में ही हो जाती है।

अप्रैल, १६५४ ई० में एक जाँच-आयोग नियुक्त किया गया था, जिसका उद्देश्य चाय, काफी तथा रबर उद्योगों की विस्तृत जाँच-पड़ताल करना था, इसने सन् १६५६ ई० में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अनेक सिफारिशें कीं। तीसरी पंचवर्षीय योजना में बागान-उद्योग को उच्च प्राथमिकता दी गई है। चाय का उत्पादन ७,२५० लाख पौंड से बढ़ाकर ६,००० लाख पौंड, काफी का उत्पादन ४८००० टन से बढ़ाकर ८०,००० टन, और रबर का उत्पादन २६,४०० टन से बढ़ाकर ४४,००० टन किया जायगा। चाय का निर्यात ४,६५० लाख पौंड से बढ़ाकर

५,५०० पौंड किया जायगा तथा काफी का निर्यात अब से दुगुना कर दिया जायगा। सितम्बर, १९५८ ई० में चाय पर निर्यात-शुल्क घटाने तथा विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन-शुल्क की भिन्न-भिन्न दरें निश्चित करने का निश्चय हुआ। चाय-उद्योग की उन्नति के लिए चाय-बोर्ड भारत और विदेशों में अनेक योजनाओं पर अमल कर रहा है। काफी और रबर का उत्पादन बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

लघु उद्योग तथा कुटीर-उद्योग

देश में बड़े पैमाने के उद्योगों का विकास बहुत हुआ है, फिर भी भारत अभी मुख्य रूप से छोटे पैमाने के उद्योगों का ही देश है। देश के कुटीर-उद्योगों में लगभग २ करोड़ व्यक्ति काम करते हैं, जिनमें से लगभग ५० लाख व्यक्ति केवल हथकरघा-उद्योग में हैं।

छोटे पैमाने के उद्योगों का संगठन करने का दायित्व मुख्यतः राज्य-सरकारों पर है। राज्य-सरकारों को सहायता करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने ये संगठन स्थापित किये हैं—अखिलभारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग-आयोग; अखिलभारतीय हस्तशिल्प-बोर्ड; अखिलभारतीय हथकरघा-बोर्ड; नारियल-जटाबोर्ड तथा केन्द्रीय रेशम-बोर्ड।

सरकार तथा बैंक, दोनों ही छोटे उद्योगों को वित्तीय सहायता देते हैं। सन् १९६१-६२ ई० में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए राज्य-सरकारों को ५·२३ करोड़ रु० के ऋण तथा अनुदान देने की स्वीकृति दी गई थी। नवम्बर, १९६२ ई० के अन्त तक ६२ औद्योगिक बस्तियाँ बस चुकी थीं और १२१ बसाई जा रही थीं।

छोटे उद्योगों को तकनीकी सहायता देने का एक कार्यक्रम केन्द्रीय सरकार ने 'औद्योगिक विस्तार-सेवा' के नाम से आरम्भ किया है। छोटे पैमाने के उद्योगों के अन्तर्गत वे औद्योगिक कारखाने आते हैं, जिनकी पूँजी ५ लाख रुपये से अधिक नहीं है, उनमें काम करनेवालों की संख्या चाहे जितनी हो। अबतक १६ लघु उद्योग-सेवा-संस्थान तथा ५ शाखा-संस्थान खोले जा चुके हैं और ६१ औद्योगिक विस्तार-केन्द्र भी कार्य कर रहे हैं, जो विभिन्न व्यवसायों को तकनीकी सुविधाएँ प्रदान करते हैं। लघु उद्योगों को तकनीकी मामलों में सहायता देने के लिए विदेशों से भी विशेषज्ञ बुलाये ज ते हैं तथा भारतीय शिक्षार्थी विदेश भेजे जाते हैं।

फरवरी, १९५५ ई० में राष्ट्रीय लघु उद्योग-निगम की स्थापना की गई थी। सरकार के साथ सम्पर्क स्थापित करके यह निगम छोटे कारखानों को ठीके आदि दिलवाने का प्रबन्ध करता है। इस योजना के अन्तर्गत कुटीर-उद्योगों तथा छोटे पैमाने के उद्योगों को केन्द्रीय सरकार द्वारा लगभग ८ करोड़ रु० के ठीके दिलाये गये। जनवरी, १९५६ ई० से यह निगम इन छोटे कारखानों को ऋण भी दिलवा रहा है। निगम ने किस्तों पर मशीनरी देने की योजना भी आरम्भ की है, जिसके अन्तर्गत, १९६२-६३ ई० के पहले ८ मास में १९·६ करोड़ रुपये की मशीनें किस्तों पर दी गई। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा दिल्ली में चार सहायक निगम स्थापित किये गये हैं। केन्द्रीय सरकार निगम को अनुदान तथा ऋण देती है।

सन् १६५२ ई० में स्थापित अखिलभारतीय हस्तशिल्प-बोर्ड हस्तशिल्प (दस्तकारी) की वस्तुओं की बिक्री का समुचित प्रबन्ध कर रहा है। यह बोर्ड विभिन्न प्रकार के १६ केन्द्र चला रहा है तथा हस्तशिल्प और हथकरघा-निर्यात-निगम-प्रदर्शनियों आदि के द्वारा विदेशों में प्रचार कर रहा है। हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात में काफी वृद्धि हो रही है। पहली योजना की अवधि में औसत रूप से ७ करोड़ रुपये के माल का प्रतिवर्ष निर्यात किया जाता था। सन् १६६१-६२ ई० में ११·५ करोड़ रुपये के सामान का निर्यात हुआ और सन् १६६२-६३ ई० में १६ करोड़ रुपये की वस्तुओं के निर्यात का अनुमान है।

नारियल-जटा-उद्योग मुख्यतः एक कुटीर-उद्योग है। कुछ कारखानों में लकड़ी के करघे भी हैं, जिनपर हाथ से काम किया जाता है। अनुमान है कि १·४२ लाख मेट्रिक टन के नारियल-जटा की रस्सियों के वार्षिक उत्पादन में से लगभग ६० प्रतिशत का उत्पादन केवल केरल में ही होता है।

औसतन ५३,००० टन नारियल-जटा की रस्सियों तथा उनसे बनी १८,००० टन वस्तुओं का प्रतिवर्ष निर्यात किया जाता है। भारत में नारियल-जटा से बननेवाली वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने तथा उनको प्रोत्साहन देने का कार्य नारियल-जटा-बोर्ड को सौंपा गया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में नारियल-जटा-उद्योग के लिए ३.१३ करोड़ रु० का प्रबन्ध किया गया है। तीसरी योजना में इसकी बनी वस्तुओं की किस्म सुधारने तथा उनका निर्यात बढ़ाने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

देश के अन्दर सन् १६६१ ई० में १६·५ लाख किलोग्राम कच्चे रेशम का उत्पादन हुआ। इसमें से लगभग आधा उत्पादन मैसूर-राज्य में हुआ। आसाम, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल, मध्य-प्रदेश तथा बिहार में भी काफी मात्रा में रेशम बनता है। रेशम-उद्योग के विकास की व्यवस्था करने के लिए सन् १६४६ ई० में केन्द्रीय रेशम-बोर्ड की स्थापना की गई थी। पश्चिम बंगाल, मैसूर, आसाम और बिहार में चार प्रादेशिक अनुसन्धान-केन्द्र स्थापित किये गये हैं। ये प्रादेशिक केन्द्र तथा मैसूर का एक अखिलभारतीय रेशम-कीड़ापालन-प्रशिक्षण-संस्थान इस उद्योग के लिए लोगों को प्रशिक्षण भी देते हैं।

पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में केन्द्रीय सरकार ने ग्रामोद्योगों तथा लघु उद्योगों पर लगभग २१८ करोड़ रु० व्यय किये। तीसरी पंचवर्षीय योजना में इनके लिए २६४ करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है, जिसमें से ३८ करोड़ रु० हथकरघा-उद्योग पर, ६२·४ करोड़ रु० खादी-उद्योग तथा ग्रामोद्योग पर, ७ करोड़ रु० रेशम-उद्योग पर, ३·२ करोड़ रु० नारियल-जटा-उद्योग पर, ८·६ करोड़ रु० हस्तशिल्प पर, ८४·६ करोड़ रु० लघु उद्योगों पर तथा ३०·२ करोड़ रुपये औद्योगिक बस्तियों पर व्यय किये जायेंगे।

खादी-उद्योग—सहकारी समितियों, पंजीकृत संस्थानों, तथा राज्य-सरकारों द्वारा स्थापित स्थायी बोर्डों के माध्यम से अखिलभारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग-आयोग खादी-उद्योग को वित्तीय सहायता देता है। खादी के प्रचार-प्रसार के लिए खादी तथा उसके सिले-सिलाये कपड़ों

पर काफी छूट दी जाती है। सन् १६५२-५३ ई० में १'६४ करोड़ रु० की खादी बनी थी तथा १'६५ करोड़ रु० की बिक्री हुई थी। सन् १६५६-६० ई० में १४'१४ करोड़ रु० के मूल्य की खादी बनी तथा १०'६० करोड़ रु० की बिक्री हुई। सितम्बर, १६६१ ई० के अन्त तक २८६'८३ लाख वर्ग गज की खादी तैयार हुई थी। सन् १६६२ ई० के सितम्बर तक खादी की उत्पत्ति बढ़कर ३८६'१६ लाख वर्ग गज पहुँची। इससे १३,७३,००० लोगों को काम मिला।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में खादी का विकास खादी तथा ग्रामोद्योग-आयोग द्वारा नये सिरे से बनाये गये कार्यक्रमों के अनुसार किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के द्वारा चुने हुए सुसम्बद्ध क्षेत्रों या ग्राम-इकाइयों का औद्योगिक विकास करने का प्रयत्न किया जायगा। इस प्रकार की ३,००० ग्राम-इकाइयाँ संगठित करने का विचार है। प्रत्येक इकाई में ५,००० की जनसंख्यावाला एक ग्राम या ग्राम-समूह होगा। स्थानीय उपलब्ध सामग्री का अधिकाधिक उपयोग करने की योजानाएँ बनाई जायेंगी, जिससे यथासम्भव स्थानीय आत्मनिर्भरता प्राप्त हो सके। ये योजनाएँ पंजीकृत संस्थाओं, सेवा-सहकारों तथा ग्रामपंचायतों द्वारा कार्यान्वित की जायेंगी। वित्तीय और तकनीकी सहायता की व्यवस्था करने और प्रशिक्षण की सुविधाएँ जुटाने का उत्तरदायित्व आयोग पर है तथा कार्यक्रमों की तैयारी और उनके कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व राज्य-बोर्डों तथा स्थानीय निकायों पर। शहरी मण्डियों की मुहताजी से क्रमशः मुक्ति पाना, स्थानीय उपयोगिता की वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करना और सुधरी तकनीकों द्वारा उत्पादन और आय में वृद्धि करना इस योजना का उद्देश्य है। उम्मीद की जाती है कि तीसरी योजना के अन्त में लगभग ४०-५० प्रतिशत खादी-उत्पादन स्थानीय मण्डियों में बेचा जा सकेगा तथा इसकी कीमत १५-२० प्रतिशत कम की जा सकेगी।

अम्बर-चरखा—सन् १६५६ ई० में ४ तकुओंवाला एक उन्नत प्रकार के चरखे के निर्माण और वितरण, तथा उसके लिए प्रशिक्षकों, बढ़इयों आदि के प्रशिक्षण का कार्यक्रम बनाया गया। इसमें कुछ सुधार भी किये गये हैं, जिससे इसका उत्पादन पहले से ड्योढ़ा हो गया है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि रिपोर्ट में बताया गया है कि औद्योगिक मशीनों खेती की मशीनों और औजारों, बिजली के ट्रांसफार्मरों, मोटरों और कण्डक्टरों, ओषधियों, चीनी आदि उद्योगों में लक्ष्य के अनुसार उत्पादन होने की आशा है। परन्तु, मशीनी औजारों, अल्युनियम, कोयला और लोहा जैसे कुछ प्रमुख उद्योगों में लक्ष्य से कुछ कम उत्पादन होने की सम्भावना है। उर्वरकों और इस्पात के उत्पादन के लक्ष्य में पर्याप्त कमी होने की सम्भावना है।

★

वाणिज्य-व्यापार

वैदेशिक व्यापार

सन् १९६१-६२ ई० की अवधि में भारत ने लगभग १,७०२'०६ करोड़ रुपये का वैदेशिक व्यापार किया। इसमें आयात १,०४०'०७ करोड़ रुपये का तथा निर्यात ६६१'९९ करोड़ रुपये का था। सन् १९५०-५१ ई० से भारत के निर्यात तथा आयात-व्यापार और विदेशों के साथ हुए व्यापार का कुल मूल्य तथा व्यापार-सन्तुलन का विवरण निम्नाङ्कित सारणी में दिया जा रहा है—

विदेशों के साथ व्यापार

वर्ष	कुल आयात	कुल निर्यात	विदेशी व्यापार	व्यापार-सन्तुलन का कुल मूल्य (करोड़ रु० में)
१९५०-५१	६५०'४६	६००'६८	१,२५१'१४	—४९'७८
१९५५-५६	७७४'३६	६०८'८३	१,३८३'१९	—१६५'५३
१९६०-६१	१,१२२'४८	६४२'३२	१,७६४'८०	—४८०'१६
१९६१-६२	१,०४०'०७	६६१'९९	१,७०२'०६	—३७८'०८
१९६२-६३ (अप्रैल से नवम्बर)	६८३'४६	४५०'३६	१,१३३'८२	—२३३'१०

उपर्युक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि इन सब वर्षों में भारत का व्यापार-सन्तुलन लगातार प्रतिकूल रहा है। सन् १९६१-६२ ई० में प्रतिकूलता की प्रवृत्ति रुक जाने से अब निर्यात में क्रमशः वृद्धि होने लगी है।

चालू भुगतान-सन्तुलन

निम्नाङ्कित तालिका में चालू भुगतान-सन्तुलन की स्थिति दिखाई गई है—

	१९६०-६१	१९६१-६२		१९६२-६३
	कुल	कुल	अप्रैल-सितम्बर	अप्रैल-सितम्बर
१. आयात	११०२·३	९७८·०	४९२·०	५३४·३
निजी	६४४·१	६२०·७	३२८·७	३२०·०
सरकारी	४५८·२	३५७·३	१६३·३	२१४·३
२. निर्यात	६३०·५	६६७·५	३२०·३	३०८·७
३. व्यापार-सन्तुलन (२ – १)	—४७१·८	—३१०·५	—१७१·७	—२२५·६
४ सरकारी दान	४६·८	४४·४	१९·६	३३·७
५. अन्य अलक्षित मदें (शुद्ध)	३६·२	—१२·१	—६·६	—१·६
६. संतुलन (शुद्ध) ३ + ४ + ५	—३८९·२	—२७८·२	—१५८·७	—१९३·५
७. भूल-चूक	—१०·७	४·५	७·६	०·१
८. सरकारी ऋण (सकल)	२४५·२	२३७·६	११६·७	१६६·२
९. अन्य पूँजीगत लेन-देन (शुद्ध)	१०६·१	—२८·७	—३५·१	—३६·३
१०. अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोष से निकासी (शुद्ध)	—१०·७	५८·४	५८·४	११·९
११. सुरक्षित विदेशी विनिमय से निकासी	५९·३	६·३	११·१	५१·६
१२. संतुलन (घटा) (७ – ११)	३८९·२	२७८·२	१५८·७	१९३·५

आयात—अप्रैल-सितम्बर, १९६१-६२ ई० में ५३४·३ करोड़ रुपये का आयात हुआ, जिसमें सरकारी आयात ५१ करोड़ रुपये का था। निजी आयात में ८·७ करोड़ रुपये की कमी हुई।

निर्यात—सन् १९६१-६२ ई० में ६६७·५ करोड़ रुपये का निर्यात हुआ, जो सन् १९६०-६१ ई० के निर्यात से ३७ करोड़ रुपये अधिक था। यह वृद्धि सन् १९६२-६३ ई० में जारी नहीं रही। सन् १९६१-६२ ई० में हुई वृद्धि अप्रैल-सितम्बर, १९६२ ई० तक तो जारी रही, किन्तु बाद यह विशेषतः पटसन के सामान तथा चाय के निर्यात-मूल्यों में कमी आने के कारण प्रायः रुक गई।

अप्रैल-सितम्बर, १९६१ तथा १९६२ ई० में निर्यात की बड़ी-बड़ी वस्तुओं से होनेवाली परम्परागत आय में कोई परिवर्त्तन नहीं आया। चाय के निर्यात की मात्रा ८६० लाख किलोग्राम से बढ़कर ६५० लाख किलोग्राम हो गई। पटसन की बनी वस्तुओं के निर्यात में अप्रैल-सितम्बर, १९६१ ई० की तुलना में ४० लाख रुपये की कमी हुई। अप्रैल-सितम्बर, १९६२ ई० में सूती वस्त्र के निर्यात में २५० लाख मीटर की कमी आई। जिससे आय भी २.६ करोड़ रुपये कम हुई।

अप्रैल-सितम्बर, १९६२ ई० में चीनी, तम्बाकू, खली, वनस्पति तेल, खाल तथा चमड़ा, कच्चा लोहा आदि के निर्यात में वृद्धि हुई; जबकि काजू, मसालों, कहवा, कच्ची कपास, मैंगनीज, चमड़े की बनी वस्तुओं, लोहा तथा इस्पात आदि की वस्तुओं के निर्यात में कमी आई।

व्यापार-नीति

व्यापार-नीति के मुख्य उद्देश्य अन्तरदेशीय बाजारों में उचित मूल्य पर वस्तुओं के न्यायोचित वितरण की व्यवस्था करना, निर्यात में पर्याप्त वृद्धि लाना और आयात की गई वस्तुओं और कच्चे माल के स्थान पर देशी उत्पादन को प्रोत्साहन देना है।

आयात-नीति—सन् १९६२-६३ ई० के लिए घोषित आयात-नीति के तीन मुख्य उद्देश्य थे—औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना, विदेशी मुद्रा सुरक्षित रखना तथा निर्यात को प्रोत्साहन देना।

देशी उद्योगों की प्रगति को ध्यान में रखते हुए विख्यात आयातकर्त्ताओं के आयात-कोटा में कमी की गई और कुछ वस्तुओं के आयात-कोटा पर प्रतिबन्ध लगाया गया। परिवार-आयोजन-कार्यक्रम से सम्बद्ध गर्भ-निरोधक ओषधियों आदि के कोटा में वृद्धि की गई।

जून, १९६२ ई० में देश की पौण्ड-पावने की राशि में काफी कमी आने के कारण विख्यात आयातकर्त्ताओं को लाइसेंस देने में ५० प्रतिशत की कटौती की गई।

अप्रैल, १९६३ से मार्च, १९६४ ई० के लिए आयात-नीति की घोषणा कर दी गई है। नई नीति पिछली नीति से कुछ अधिक उदार है।

विदेशी विनिमय की स्थिति लगातार अच्छी न होने और संकटकाल के कारण विख्यात आयातकर्त्ताओं को विशेष महत्त्व की विशेष वस्तुओं के ही कोटा दिये गये।

गोआ, दमन तथा ड्यू के सम्बन्ध में प्रस्तुत आयात-नीति में विदेशी मुद्रा की सुलभता तथा शेष भारत से होनेवाली उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए उन्हीं वस्तुओं के आयात की व्यवस्था रखी गई, जिनका उपभोग इन प्रदेशों के निवासी करते हैं।

निर्यात-नीति—सामान्यतः निर्यात पर लगे नियन्त्रण को निरन्तर कम करने तथा देश की आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था के अनुरूप संगठित निर्यात को प्रोत्साहित करने की नीति सन् १९६२ ई० में जारी रही। 'निर्यात-नियन्त्रण-आदेश, १९५८' पर पुनर्विचार कर उसके स्थान पर १० अक्तूबर, १९६२ ई० से नया आदेश लागू किया गया। इसके फलस्वरूप कई वस्तुओं के निर्यात पर से नियन्त्रण उठा लिया गया।

निर्यात-वृद्धि—तीसरी योजना में प्रतिवर्ष औसतन ७४०-७६० करोड़ रुपये की वस्तुओं के निर्यात का लक्ष्य है। इसके लिए कई उपाय किये गये हैं। व्यापार तथा उद्योग की अनुकूलता के अनुसार निर्यात-प्रोत्साहन-सम्बन्धी नीतियों पर विचार करते रहने के लिए मई, १९६२ ई० में एक व्यापार-मण्डल की स्थापना की गई। मण्डल ने अपने कार्य के लिए कई उपसमितियाँ बनाई।

निर्यातकर्त्ताओं को ऋण की सुविधाएँ देने के लिए 'रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया-अधिनियम' तथा 'स्टेट बैंक आफ इण्डिया-अधिनियम' में संशोधन किये गये। निर्यात की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष प्रयास किये गये हैं।

पाँच करोड़ रुपये की अधिकृत पूँजी के साथ जुलाई, १९५७ ई० में बम्बई में स्थापित सरकारी निर्यात हानि-लाभ-बीमा-निगम उन सुविधाओं को देने की व्यवस्था करता है, जो सामान्यतः व्यापारिक बीमा-कम्पनियाँ नहीं देतीं। कलकत्ता-मद्रास में भी इसके कार्यालय हैं। सन् १९६२ ई० की जनवरी से सितम्बर तक इस निगम ने ८'२१ करोड़ रुपये के अधिकतम दायित्व के ३५५ बीमा-पत्र जारी किये।

प्रदर्शनी-निदेशालय भारतीय सामान के व्यावसायिक दृश्य-प्रचार की देखभाल करता है। सन् १९६२-६३ ई० में भारत ने कई अन्तरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों तथा मेलों में भाग लिया। सन् १९६३ ई० में मास्को में हुई भारतीय प्रदर्शनी काफी सफल रही। भारत ने सन् १९६४-६५ ई० में न्यूयार्क में होनेवाले विश्व-मेले में भाग लेने का भी निर्णय किया है।

व्यापार-करार

नई मण्डियों में और नई जिन्सों के व्यापार का विकास हुआ। निर्यात से होनेवाली आय में वृद्धि करके अदायगी के असन्तुलन को कम करने में व्यापार-करारों का महत्त्वपूर्ण योगदान जारी रहा। अनुवर्ती अवधि के लिए चार करार नवीकृत किये गये, छह वर्त्तमान करारों का विस्तार किया गया और आठ देशों के साथ नये करार हुए।

तटकर

सन् १९६२ ई० में तटकर-आयोग ने ७ तटकर-जाँच और ५ मूल्य-जाँच की। भारत-सरकार ने तटकर-जाँच-सम्बन्धी तटकर-आयोग की मुख्य सिफारिशों को पूर्णतः स्वीकार कर लिया। सन् १९६३ ई० में सन् १९३४ ई० के 'भारतीय तटकर-अधिनियम' में संशोधन कर उसे लागू किया गया।

व्यापार का रुख

ब्रिटेन और अमेरिका भारत के मुख्य ग्राहक बने रहे। सन् १९६१-६२ ई० में भारत के निर्यात-व्यापार में अमेरिका का भाग २४·४ प्रतिशत और ब्रिटेन का १७·७ प्रतिशत रहा। इसके बाद जापान (६·१ प्रतिशत) तथा रूस (५·६ प्रतिशत) का स्थान आता है।

जिन देशों को भारत निर्यात करता है, उनमें प्रमुख हैं : अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, आस्ट्रेलिया, रूस, श्रीलङ्का, पश्चिम जर्मनी, कनाडा, बर्मा, संयुक्त अरब-गणराज्य (मिस्र), फ्रांस, अर्जेण्टाइना, सूडान, सिंगापुर, नेदरलैंड, चेकोस्लोवाकिया, केनिया, इटली, नाइजीरिया, क्यूबा, न्यूजीलैण्ड, पाकिस्तान तथा इण्डोनेशिया।

भारत मुख्यतः इन देशों से आयात करता है : अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी, ईरान, जापान, इटली, फ्रांस, रूस, बेल्जियम, स्विट्जरलैण्ड, अस्ट्रेलिया, मलय-संघ, सऊदी अरब, कनाडा, चेकोस्लोवाकिया, पाकिस्तान, वर्मा, नेदरलैण्ड, सिंगापुर, स्वीडन, संयुक्त अरब-गणराज्य (मिस्र), केनिया, उत्तरी रोडेशिया और सूडान। आयात मुख्यतः अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी तथा जापान से होता रहा है।

निर्यात तथा आयात का विवरण नीचे की सारणी में दिया जा रहा है—

भारत का निर्यात तथा आयात-व्यापार

वर्ष	निर्यात	आयात (करोड़ रु० में)
१९६०-६१	६३२·४२	१,१२१·६२
१९६१-६२	६५६·८२	१,०३८·६२
अप्रैल-नवम्बर, १९६२	४४५·१२	६८२·५८

व्यापार का ढाँचा

निर्यात—भारत के निर्यात-व्यापार में विगत कुछ वर्षों में विस्तार तथा विविधता दृष्टिगोचर हुई। सन् १९६१-६२ ई० में भारत का सबसे अधिक निर्यात हुआ। उस वर्ष का निर्यात ६५७ करोड़ रुपये का था, जो १९६०-६१ के निर्यात की तुलना में २५ करोड़ रुपये अधिक रहा।

सन् १९६०-६१, १९६१-६२ ई० तथा अप्रैल-नवम्बर, १९६२ ई० में भारत ने जिन वस्तुओं का निर्यात किया, उनका विवरण आगे की तालिका में दिया जा रहा है—

निर्यात की गई वस्तुएँ

(करोड़ रु० में)

वस्तुएँ	१९६०-६१	१९६१-६२	अप्रैल-नवम्बर १९६२
चाय	१२३·५९	१२२·४०	८४·९७
सूती कपड़ा	५७·५४	४८·३९	२९·३६
अन्य वस्त्र (सूती कपड़ों को छोड़कर)	७९·७१	८८·३७	७१·०३
कपड़े की बनी चीजें (पहनने के कपड़ों तथा जूतों को छोड़कर)	६१·२३	६६·०२	४१·३०
कच्ची लौहारहित धातुएँ	१६·४९	१२·७५	६·१४
चमड़ा	२४·८५	१५·३३	१४·६५
कपास	८·६७	१४·३२	७·१७
ताजे फल तथा मेवे	२१·४९	२०·३६	१४·१५
कच्ची वनस्पतिजन्य सामग्री	१५·९५	१५·३९	९·१८
कच्चा ऊन	७·७२	९·२०	४·८८
चीनी	३·२८	१५·३४	१२·४५
खनिज लोहा आदि	१७·०३	१७·४५	१२·०९
कच्चा तम्बाकू	१४·६१	१४·०४	१३·६२
वनस्पति-तेल	८·५४	५·८३	६·८९
कच्चे खनिज पदार्थ (कोयला, पेट्रोल, खाद तथा बहुमूल्य रत्नों को छोड़कर)	१२·७१	११·९८	९·०१
सूत	११·२१	१३·९९	९·४१
सजावट तथा फर्श पर बिछाने का सामान	९·१९	८·४४	५·४३
लोहा तथा इस्पात	९·६८	९·५८	१·६५
काफी	७·२२	९·०१	५·७१
चमड़ा तथा खाल (कच्चा)	१०·०२	८·८३	६·५४
पेट्रोलियम-उत्पादन	४·०७	३·४९	२·८०
कोयला, कोक तथा कोयला-चूर की ईंटें	३·३३	२·४२	२·०३
कुल (अन्य वस्तुओं को मिलाकर)	६३२·४२	६५६·८२	४४५·१२

आयात—सन् १९६०-६१, १९६१-६२ ई० तथा अप्रैल-नवम्बर, १९६२ ई० में भारत ने जिन वस्तुओं का आयात किया, उनका विवरण आगे की तालिका में दिया जा रहा है—

आयात की गई वस्तुएँ

(करोड़ रु० में)

वस्तुएँ	१९६०-६१	१९६१-६२	अप्रैल-नवम्बर १९६२
मशीनें (बिजली की मशीनों को छोड़कर)	२०३·३७	२३१·६६	१६७·७१
लोहा और इस्पात	१२२·५४	१०१·६८	५२·७२
पेट्रोलियम-उत्पादन	५२·०७	५३·२८	३६·८२
परिवहन का सामान	७२·३६	५४·२१	३४·३८
बिजली की मशीनें तथा उपकरण	५७·२२	६३·०१	३६·७८
कपास	८१·७४	६२·६५	४२·४२
गेहूँ	१५३·२०	७७·५५	४५·३५
पेट्रोल (बिना साफ किया हुआ और आंशिक रूप में साफ किया हुआ)	१७·३६	४२·३६	१८·३०
रासायनिक मूल पदार्थ तथा उनके मिश्रण	३९·३४	३५·१२	२६·१८
धातु की बनी वस्तुएँ	२०·३७	१५·८४	११·७३
सूत	१४·३७	१३·२७	८·८६
युद्ध-उपकरण	२·५६	०.९१	०·२८
ताँबा	२१·९३	२३·२७	१५·४०
चावल	२२·४४	१५·०४	१६·६२
ओषधियाँ	१०·५०	११·१७	६·८१
ताजे फल तथा मेवे	१५·०७	१०·१५	६·००
कच्चा ऊन तथा बाल	१०·४१	१२·१९	७·८३
कागज तथा गत्ता	११·८३	१५·३४	७·३५
तेलहन, गरियाँ आदि	११·६३	९·४३	६·५५
कोलतार, रंग-सामग्री तथा नील	९·८५	११·२०	५ ९७
अल्युमीनियम	७·६९	७·९३	७·५१
दूध तथा क्रीम (डिब्बाबन्द)	४·९९	७·९५	६·०६
विभिन्न रसायन तथा उनके उत्पादन	९·२१	१२·११	७·२७
जस्ता	९·१९	७·३९	६·६९
कच्चा पटसन	७·६४	६·२७	२·०५
कच्चे खनिज पदार्थ (कोयला, पेट्रोल, खाद तथा बहुमूल्य रत्नों-पत्थरों को छोड़कर)	६·८२	७·८६	६·०४
वनस्पति-तेल	३·६६	५·२९	२·७७
कुल (अन्य वस्तुओं को मिलाकर)	१,१२१·६२	१,०३८·६२	६८२·५८

सन् १९६०-६१ तथा १९६१-६२ ई० में अधिक आयात होने का प्रमुख कारण था—योजनाओं में परिलक्षित कृषि और औद्योगिक विकास के लिए मशीनों तथा अन्य उपकरणों की आवश्यकता। इसके साथ-साथ कपास तथा पटसन के आयात में भी काफी कमी हुई, जिसका अर्थ हुआ हमारी आत्मनिर्भरता। सन् १९६१-६२ ई० में खाद्य वस्तुओं के आयात में भारी कमी देखी गई।

राज्य-व्यापार-निगम

मई, १९५६ ई० में पूर्णत: सरकार के नियन्त्रण में एक व्यापार-निगम स्थापित किया गया। इसकी अधिकृत पूँजी इस समय ५ करोड़ रु० है। निगम का प्रमुख कार्य भारत के विदेशी व्यापार में वृद्धि लाना है। अपने स्थापना-काल के बाद से ही यह निगम नियन्त्रित अर्थव्यवस्था-वाले देशों के साथ भारत के निर्यात-व्यापार का विस्तार करने को प्रयत्नशील है, जिससे भारत के पौंड-पावने पर प्रभाव डाले बिना इन देशों से इस्पात, सीमेण्ट, औद्योगिक उपकरण आदि प्राप्त किये जा सकें। यह निगम भारतीय व्यापार को बहुमुखी बनाने तथा भारत की परम्परागत तथा अपरम्परागत निर्यात-वस्तुओं के लिए नये बाजार ढूँढ़ने का यत्न कर रहा है। इसने भारत से निर्यात की जानेवाली वस्तुओं के बदले में आवश्यक पूँजीगत सामान तथा औद्योगिक कच्ची सामग्री मँगाने के सम्बन्ध ने कुछ देशों के साथ व्यवस्था की है। निगम ने कास्टिक सोडा, सोडा ऐश, पारा, अखबारी कागज, कपूर, रंग-सामग्री आदि के सामान-वितरण की भी व्यवस्था की है, ताकि इन वस्तुओं के मूल्य उचित स्तर तक कम किये जा सकें। आयात की मात्रा तथा समय इस प्रकार निश्चित किया गया है कि उपलब्धि में बार-बार बाधा न हो। जुलाई, १९५६ ई० में निगम को भारतीय उत्पादकों से सीमेण्ट प्राप्त करने, विदेशों से सीमेण्ट मँगाने तथा भारत के सभी प्रमुख रेल-केन्द्रों पर बराबर मूल्य पर उसके समवितरण का काम सौंपा गया था। देश में सीमेण्ट का उत्पादन बढ़ जाने के कारण सन् १९५८ ई० में निगम को भारत से सीमेण्ट का निर्यात करने का भी अधिकार दिया गया।

सन् १९६२ ई० की जनवरी से नवम्बर तक निगम ने ७१.२३ करोड़ रुपये के मूल्य की बिक्री की।

आन्तरिक व्यापार

देश के विस्तृत क्षेत्रफल, विभिन्न स्थानों की विभिन्न प्रकार की जलवायु तथा विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से यह स्वाभाविक ही है कि भारत का अन्तरदेशीय व्यापार इसके बाह्य व्यापार से कई गुना अधिक हो। राष्ट्रीय आयोजना-समिति की एक व्यापार-उपसमिति के अनुसार सन् १९४७ ई० में देश का आन्तरिक व्यापार ७० अरब रु० तथा बाह्य व्यापार ३·५ अरब रु० के मूल्य का था।

सन् १९६१-६२ ई० की अवधि में राज्यों तथा मुख्य बन्दरगाहों के बीच रेल तथा नदियों द्वारा २९·३२ करोड़ क्विंटल कोयला; ३९.८२ लाख क्विंटल कपास; २३·०४ लाख क्विंटल सूती वस्त्र; २११.९७ लाख क्विंटल चावल; २७४.३७ लाख क्विंटल गेहूँ; ४४.६४ लाख क्विंटल कच्चा पटसन; ४००.७५ लाख क्विंटल लोहे तथा इस्पात के सामान; ८२.८६ लाख क्विंटल तेलहन; १५१.०१ लाख क्विंटल नमक तथा ८६.६२ लाख क्विंटल चीनी (खाँडसारी को छोड़कर) का व्यापार हुआ।

तटीय व्यापार

भारतीय तटों को ग्यारह खण्डों में विभक्त किया गया है : (१) पश्चिम बंगाल; (२) उड़ीसा; (३) आन्ध्रप्रदेश; (४) मद्रास; (५) केरल; (६) मैसूर; (७) महाराष्ट्र; (८) गुजरात; (९) अन्दमान तथा निकोबार-द्वीपसमूह; (१०) लक्कदीव, मिनिकाय तथा अमीनदीवी-द्वीपसमूह और (११) पारिडचेरी। अप्रैल, १९६३ ई० से गोआ को एक अलग खण्ड बनाया गया है। एक ही खण्ड में विभिन्न बन्दरगाहों के बीच होनेवाला व्यापार 'आन्तरिक व्यापार' तथा दो भिन्न खण्डों के बीच होनेवाला व्यापार 'बाह्य व्यापार' कहलाता है।

सन् १९६१-६२ ई० में कुल तटीय व्यापार ५१७.२२ करोड़ रु० के मूल्य का हुआ। इसमें से २४७.१९ करोड़ रु० का आयात तथा २७०.०३ करोड़ रु० का निर्यात हुआ।

सन् १९५५-५६ से १९५९ ई० तक आयात निर्यात से अधिक रहा, किन्तु सन् १९६०-६१ ई० तथा सन् १९६१-६२ ई० में बिलकुल भिन्न प्रवृत्ति देखी गई।



परिवहन

रेलें

भारतीय रेल-व्यवस्था ५७,०८९ किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। विस्तार की दृष्टि से इसका संसार में दूसरा स्थान है और यह देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयीकृत प्रतिष्ठान है। अनुमान है कि सन् १९६१-६२ ई० में प्रतिदिन ४६ लाख से अधिक व्यक्तियों ने रेलों से यात्रा की तथा रेलों द्वारा प्रतिदिन ४.४० लाख टन से अधिक माल ढोया गया। सन् १९६१-६२ ई० के अन्त में रेलों में १,६९० करोड़ रुपये की चालू पूँजी लगी थी। उस वर्ष रेलों में ११,७६,२८८ व्यक्ति काम करते थे, जिन्हें वेतन तथा मजदूरी के रूप में २१४.५१ करोड़ रु० मिले।

यहाँ सर्वप्रथम रेल-लाइन १६ अप्रैल, १८५३ ई०, को चालू हुई थी। उस समय भारतीय रेलों की लम्बाई ३२ किलोमीटर थी। भारत-विभाजन के पश्चात् सन् १९४७-४८ ई० में इन रेलों की लम्बाई ५४,८१४ किलोमीटर थी तथा इनमें ७४१.२० करोड़ रुपये की पूँजी लगी थी। उस समय इनकी कुल आय १८३.६९ करोड़ रु० और शुद्ध आय १९.७५ करोड़ रु० थी। सन् १९६१-६२ ई० में इनसे ५०२.२९ करोड़ रु० की कुल आय और १०९.९३ करोड़ रुपये की शुद्ध आय हुई। सन् १९६१-६२ ई० में भारतीय रेलों से लगभग १,७१,२८,३९,००० व्यक्तियों ने यात्रा की तथा इनके द्वारा १६,१८,८६,००० टन माल ढोया गया, जिनसे क्रमशः १५१.८५ करोड़ रु० और ३००.८० करोड़ रु० की आय हुई।

रेल-क्षेत्र—अगस्त, १९४९ ई० के पहले भारत में ३७ रेल-क्षेत्र थे। अब इनका वर्गीकरण करके इन्हें निम्नलिखित ८ रेल-क्षेत्रों में बाँटा गया है : (१) दक्षिण-क्षेत्र (मुख्यालय : मद्रास); (२) मध्य क्षेत्र (मुख्यालय : बम्बई); (४) पश्चिम क्षेत्र (मुख्यालय : बम्बई); (४) उत्तर क्षेत्र (मुख्यालय : दिल्ली); (५) उत्तर-पूर्व क्षेत्र (मुख्यालय : गोरखपुर); (६) उत्तर-पूर्व सीमान्त क्षेत्र

(मुख्यालय : पाण्डु); (७) पूर्व क्षेत्र (मुख्यालय : कलकत्ता); तथा (८) दक्षिण-पूर्व क्षेत्र (मुख्यालय : कलकत्ता)।

प्राइवेट कम्पनियों के अधिकार की कुछ छोटी पटरी की रेल-लाइनों को पुनर्गठन-योजना में सम्मिलित नहीं किया गया।

रेल-वित्त—पहले रेल-वित्त भी सामान्य वित्त में ही सम्मिलित था, पर सन् १९२५ ई० में उसे सामान्य वित्त से अलग कर यह निर्णय किया गया कि रेलें सामान्य राजस्व में निर्धारित दर के अनुसार अंशदान करें।

योजनाओं के अन्तर्गत विकास

प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में रेलों के पुनस्संस्थापन तथा विस्तार पर ४२३·७३ करोड़ रु० व्यय किये गये।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में रेलों के लिए १,१२१·५० करोड़ रु० की व्यवस्था की गई थी। यह लक्ष्य रखा गया था कि यात्री-यातायात में १५ प्रतिशत की तथा माल-यातायात में १६·२० लाख टन की वृद्धि होगी; १,२०० मील लम्बी नई रेल-लाइनें बिछाई जायेंगी; १,३०० मील लम्बी रेल-लाइनें दुहरी कर दी जायेंगी तथा ८८० मील लम्बी रेल-लाइनों पर बिजली की गाड़ियाँ चलने की व्यवस्था की जायगी और रेल-इंजिनों, सवारी डिब्बों तथा माल-डिब्बों की संख्या बढ़कर क्रमशः १०,६००; २८,९०० तथा ३५.४१,००० हो जायगी।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में रेलों के विकास-कार्यक्रम पर १,४७० करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत (१) सन् १९६५ से १९६६ ई० की अवधि में २६·४० लाख टन माल ढोने; (२) यात्री-यातायात में १५ प्रतिशत की वृद्धि करने; (३) २,०९० रेल-इंजन, ८,६०८ सवारी डिब्बे तथा १,२७,४६४ माल-डिब्बे प्राप्त करने; (४) ३,९२८ किलोमीटर लम्बे मार्ग पर दुहरी पटरी बिछाने; (५) ८,००० किलोमीटर लम्बे मार्ग के नया करने; (६) २,४९८ किलोमीटर लम्बे मार्ग पर बिजली लगाने; (७) २,४०० किलोमीटर लम्बी नई लाइनें बिछाने; और (८) कर्मचारियों के लिए ५४,००० नये क्वार्टर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

नये निर्माण-कार्य—प्रथम योजना की अवधि में पहले उखाड़ी गई ४३० मील लम्बी लाइनें फिर से बिछाई गईं, ३८० मील लम्बी नई लाइनें बिछाई गईं तथा ४६ मील लम्बी छोटी लाइनों को मीटर लाइनों में बदला गया। प्रथम योजना की अवधि की समाप्ति के समय ४५४ मील लम्बी नई लाइनें बिछाई जा रही थीं, ५२ मील लम्बी लाइनें बड़ी लाइनों में बदली जा रही थीं तथा २,००० मील से अधिक नई लाइनों का सर्वेक्षण किया जा रहा था।

द्वितीय योजना की अवधि में ४०८ मील लम्बी नई बड़ी लाइनें और ३८२ मील लम्बी नई मीटर लाइनें बिछाई गईं तथा १,००६ मील लम्बी बड़ी लाइनें और २५१ मील लम्बी छोटी लाइनें बिछाई जा रही थीं। इनके अतिरिक्त, ६,२२३ मील लम्बी पटरी नवीकृत की गई तथा ७,१०२ मील लम्बे मार्ग पर पुराने स्लीपरों को बदला गया।

रेल-इंजन, डिब्बे आदि—प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में देश में ४६६ रेल-इंजन, ४,३५१ सवारी डिब्बे तथा ४१,१६२ माल-डिब्बे बने। द्वितीय योजनाकाल में २,१६२ रेल-इंजन, ७,५१५ सवारी-डिब्बे और ६७,६६४ माल-डिब्बे अतिरिक्त स्थान-पूर्त्ति में प्राप्त हुए। सन् १९६१-६२ ई० में ३३६ रेल-इंजन, १,६२८ नये सवारी डिब्बे और १६,०१२ नये माल-डिब्बे चालू किये गये।

वर्कशाप, प्लांट और मशीनरी—द्वितीय योजना की अवधि में बहुत-से इंजन-शेडों और गाड़ी तथा वैगन-वर्कशापों का विस्तार किया गया। सन् १९६३ ई० में चित्तरंजन रेल-इंजन कारखाने में एक इस्पात-ढलाईघर का काम आरम्भ हुआ, जिसकी वार्षिक ढलाई-क्षमता १०,००० टन है। चित्तरंजन कारखाने में बिजली के इंजन भी बनने लगे हैं। इस कारखाने ने मध्य रेलवे को अबतक ३,६०० अश्वशक्ति के १० बिजली के इंजन दिये हैं। पेराम्बूर के सवारी डिब्बे-कारखाने में इस समय प्रतिवर्ष ६५० डिब्बे बन रहे हैं।

बिजलीकरण—भारत में बिजली से चलनेवाली गाड़ियाँ सन् १९२५ ई० में शुरू की गई थीं। ये केवल कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में ही चलती हैं। सन् १९६२ ई० के ३१ मार्च को बिजली-कृत मार्ग की लम्बाई १,२८५·५५ किलोमीटर थी।

डीजल गाड़ियाँ—कुछ चुने हुए मार्गों पर डीजल गाड़ियाँ शुरू की गई हैं। ३१ मार्च, १९६२ ई०, को २२८ डीजल इंजन थे।

यात्रियों के लिए सुविधाएँ—इधर यात्रियों—विशेषकर तीसरे दरजे के यात्रियों को सुविधाएँ देने के लिए काफी सुधार-कार्य हुए हैं। उदाहरणस्वरूप, कुछ महत्त्वपूर्ण गाड़ियों में लम्बी यात्रा करनेवाले यात्रियों के लिए डिब्बे सुरक्षित करने की व्यवस्था की गई, कुछ नई गाड़ियाँ चलाई गईं तथा कुछ गाड़ियों का क्षेत्र-विस्तार किया गया। आठ सौ किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा करनेवाले यात्रियों के लिए बिना अतिरिक्त शुल्क लिये सोने की सुविधावाले ७५ डिब्बे लगाये गये, गाड़ियों में भोजन आदि की व्यवस्था में सुधार किया गया तथा पीने के पानी, पंखों, आदि की भी व्यवस्था की गई। कई नये प्रतीक्षालय, पुल तथा प्लेटफार्म भी बनाये गये।

कर्मचारी-कल्याण—प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में नये मकान बनाने तथा कर्मचारियों के हित के विभिन्न कार्यों पर प्रतिवर्ष औसतन लगभग ४ करोड़ रु० व्यय किये गये। द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में प्रतिवर्ष औसतन १० करोड़ रु० व्यय करने का लक्ष्य था।

प्रथम और द्वितीय योजना की अवधि में कर्मचारियों के लिए क्रमशः ४०,००० क्वार्टर और ५७,००० क्वार्टर बनवाये गये। तृतीय योजना में मरम्मत-कारखानों आदि से सम्बद्ध योजनाओं के अधीन बनाये जानेवाले क्वार्टरों के अतिरिक्त ५४,००० नये क्वार्टरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। सन् १९६१-६२ ई० में १३,००० से अधिक क्वार्टर बनवाये गये।

सन् १९६१-६२ ई० के अन्त में रेल-कर्मचारियों के लिए ७८ अस्पताल तथा ५१६ दवाखाने थे। क्षयरोग के रोगियों की चिकित्सा के लिए कुछ नये उपचारालय खोले गये। इसके अतिरिक्त, रोगी-शय्याओं की संख्या में वृद्धि की गई। रेल-कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। ३१ मार्च, १९६२ ई० को ७०१ विद्यालयों में ६०,५३६ विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे।

रेल-कर्मचारियों के वे बच्चे, जो अपने माता-पिता से दूर रहकर विद्याध्ययन करते हैं, उनकी सुविधा के लिए १२ सहायता-प्राप्त छात्रावास स्थापित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, दूरस्थ स्थानों पर नियुक्त रेल-कर्मचारियों के लिए भ्रमणशील पुस्तकालय भी खोले जा रहे हैं। ऐसा पुस्तकालय सर्वप्रथम उत्तर-पूर्व रेल-क्षेत्र में दिसम्बर, १९५८ ई० में आरम्भ किया गया।

सन् १९५७ ई० के दिसम्बर में यह निश्चय किया गया कि सभी रेल-कर्मचारियों को यह छूट दी जाय कि यदि वे चाहें, तो पेन्शन-योजना का लाभ उठा सकते हैं। फरवरी, १९५७ ई० में पदों के पुनर्वितरण की एक बड़ी योजना आरम्भ की गई, जिससे १, ७०,००० अराजपत्रित कर्मचारियों को लाभ पहुँचेगा। सरकार ने चतुर्थ वर्ग कर्मचारी-समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

संचालन-आँकड़े

यात्री-परिवहन तथा आय—सन् १९६१-६२ ई० में १,७१,२८,३८,७०० यात्रियों ने यात्रा की, जिनमें वातानुकूलित (एयरकण्डीशण्ड) डिब्बों में यात्रा करनेवाले यात्रियों की संख्या १, ५८,००० और पहले, दूसरे तथा तीसरे दरजे में यात्रा करनेवाले यात्रियों की संख्या क्रमशः ४१,४१,६००; १,१०,९३,६०० तथा १,६६,०४,४५,५०० थी। उस वर्ष यात्रियों के किराये से रेल को १,५१,८४,५०,००० रुपये की आय हुई।

माल-परिवहन तथा आय—सन् १९६१-६२ ई० में रेलों से १६,१८,६०,००० टन माल ढोया गया, जिससे, ३,००,७९,६७,००० रु० की आय हुई।

किराया तथा भाड़ा

सन् १९६२ ई० की पहली जनवरी से रेलों को सौंपे गये माल के बारे में सामान्य वाहक दायित्व सँभालने से रेलों की जिम्मेदारी के क्षेत्र में मूलभूत परिवर्त्तन हुआ है।

सभी रेलों ने यात्री-किराये के सन्दर्भ में १५ सितम्बर, १९५७ ई० से और माल-भाड़े के सन्दर्भ में १ अक्तूबर, १९५८ ई० से दशमलव सिक्के अपनाये। रेलों के व्यावसायिक विभागों द्वारा १ अप्रैल, १९६० ई० से माप-तौल की मेट्रिक प्रणाली अपनाई गई।

प्रशासन

रेलों का समस्त नियन्त्रण तथा प्रबन्ध रेलवे-प्रबन्ध-बोर्ड के अधीन है। रेलवे-बोर्ड की स्थापना सर्वप्रथम सन् १९०५ ई० में हुई थी। रेलवे-बोर्ड में इस समय एक अध्यक्ष (जो केन्द्रीय रेल-मन्त्रालय का पदेन महासचिव है), एक वित्तायुक्त तथा तीन सदस्य हैं, जो रेल-मन्त्रालय के सचिव-पद के होते हैं। रेलवे-बोर्ड के अतिरिक्त जनता तथा रेल-प्रशासन के बीच घनिष्ठ सम्पर्क बनाये रखने के उद्देश्य से विभिन्न समितियाँ भी वर्त्तमान हैं।

सड़कें

सन् १९४७ ई० में केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजपथों (सड़कों) के निर्माण तथा उनकी देखभाल का दायित्व ग्रहण किया। भारतीय संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजपथ केन्द्र के दायित्व में और राज्यीय राजपथ, जिलों तथा गाँवों की सड़कें राज्य-सरकारों के दायित्व में आती हैं।

राष्ट्रीय राजपथ—केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय सड़कों का दायित्व सँभालने के बाद से सड़कों में पर्याप्त सुधार हुआ है। अनुमान है कि १ अप्रैल, १६४७ ई० से ३१ मार्च, १६६१ ई० तक १,३८६ मील लम्बी सम्पर्क-मूलक सड़कों का निर्माण किया गया तथा ७३ बड़े पुल बनाये गये; ८,४०० मील लम्बी वर्त्तमान सड़कों का सुधार किया गया और २,३०० मील लम्बी सड़कें चौड़ी की गईं।

राष्ट्रीय राजपथों में निम्नांकित सड़कें सम्मिलित हैं: अमृतसर-कलकत्ता, आगरा-बम्बई, बम्बई-बँगलोर-मद्रास, मद्रास-कलकत्ता, कलकत्ता-नागपुर-बम्बई, वाराणसी-नागपुर-हैदराबाद, कुरनूल-बंगलोर-कन्याकुमारी अन्तरीप, दिल्ली-अहमदाबाद-बम्बई, अहमदाबाद-कारडला बन्दर (निर्माणाधीन) तथा अहमदाबाद-पोरबन्दर, अम्बाला-शिमला-तिब्बत-सीमा, दिल्ली-मुरादाबाद-लखनऊ, लखनऊ-मुजफ्फरपुर-बरौनी (एक शाखा नेपाल की सीमा तक), आसाम-प्रवेश सड़क और आसाम ट्रंक-सड़क (एक शाखा मणिपुर होते हुए वर्मा तक)।

अन्य सड़कें—उपर्युक्त सड़कों के अतिरिक्त, भारत-सरकार राज्यों की कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण सड़कों के विकास के लिए भी सहायता देती है। ऐसी सड़कों में आसाम की पासी-बदरपुर सड़क और केरल, महाराष्ट्र तथा मैसूर-राज्यों की पश्चिमी तटवाली सड़कें उल्लेखनीय हैं। अप्रैल, १६५६ से दिसम्बर, १६६१ ई० तक ४१५ मील लम्बी सड़कों का निर्माण अथवा सुधार किया गया।

अन्तरराज्यीय अथवा आर्थिक महत्त्व की कुछ चुनी हुई राज्यीय सड़कों के विकास के लिए मई, १६५४ ई० में स्वीकृत विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत द्वितीय योजनावधि में ६२५ मील लम्बी नई सड़कों का निर्माण किया गया तथा १,६७५ मील लम्बी वर्त्तमान सड़कों का सुधार किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में ५०० मील लम्बी नई सड़कों का निर्माण करने तथा १,००० मील लम्बी सड़कों का सुधार करने का लक्ष्य रखा गया है।

इसके अतिरिक्त, राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों के अन्तर्गत द्वितीय योजना की अवधि में २२,००० मील लम्बी पक्की सड़कें बनाई गईं। तृतीय योजना की अवधि में लगभग २५,००० मील लम्बी नई सड़कों का निर्माण होगा।

बीसवर्षीय योजना—सड़क-विकास के लिए एक नई दीर्घकालीन योजना पर विचार हो रहा है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक गाँव को सड़क द्वारा मिला दिया जायगा। यदि यह लक्ष्य पूरा हो गया, तो प्रत्येक १०० वर्गमील क्षेत्र में औसतन ५२ मील लम्बी सड़कें बन जायेंगी। इस समय इतने क्षेत्र में कुल ३१ मील लम्बी सड़कें हैं।

मोटर-गाड़ियाँ—३१ मार्च, १६४७ को भारत में कुल २,११,६४७ मोटर-गाड़ियाँ थीं। ३१ मार्च, १६६१ को मोटर-गाड़ियों की संख्या ६,७५,२२१ तक जा पहुँची। इनमें ६०,१२६ मोटर-साइकलें; ५,२६३ ऑटोरिक्शा; २,५६,६६४ प्राइवेट कारें; ३१,५३८ जीपें; ५७,०४६ सार्वजनिक गाड़ियाँ; २१,६७६ टैक्सियाँ; १,७१,०४५ भारवाहक (ट्रक आदि) तथा ३७,१६७ विविध प्रकार की गाड़ियाँ थीं। आशा है, मार्च, १६६६ ई० तक १० लाख मोटर-गाड़ियाँ चलने लगेंगी।

प्रशासन—राज्यों में यात्री-परिवहन का न्यूनाधिक राष्ट्रीयीकरण कर दिया गया है। कुछ राज्यों में अनुविहित निगम भी स्थापित किये गये हैं। द्वितीय योजना-काल में सरकारी क्षेत्र की

संस्थाएँ लगभग १८,००० मोटर-गाड़ियाँ चला रही थीं। माल-परिवहन अभी निजी क्षेत्र में ही है। परन्तु, आसाम और उत्तर बंगाल-क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं के परिवहन के लिए सरकारी तत्त्वावधान में एक सड़क-परिवहन संगठन की स्थापना की गई है।

अन्तरराज्यीय मार्गों पर सड़क-परिवहन के विकास, समन्वय तथा नियमन के लिए एक 'अन्तरराज्यीय परिवहन-आयोग' स्थापित किया गया है। साथ ही, विभिन्न प्रकार की परिवहन-सेवाओं और केन्द्रीय तथा राज्यीय परिवहन-नीतियों के बीच पूर्ण समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से भारत-सरकार ने परिवहन-विकास-परिषद्, सड़क तथा अन्तर्देशीय जल-परिवहन-सलाहकार समिति और केन्द्रीय परिवहन-समन्वय समिति स्थापित की है।

जल-परिवहन

यहाँ नौ-परिहन योग्य जल-मार्गों की लम्बाई लगभग ५,००० मील है। अधिक महत्त्वपूर्ण जल-मार्गों में गंगा तथा ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियाँ, गोदावरी तथा कृष्णा और उनकी नहरें, केरल के बाँध और नहरें, आन्ध्रप्रदेश और मद्रास की बकिंघम-नहर, पश्चिमी तट की नहरें तथा उड़ीसा की महानदी की नहरें उल्लेखनीय हैं।

ब्रह्मपुत्र, गंगा तथा उनकी सहायक नदियों में होनेवाले जल-परिवहन के विकास में समन्वय लाने की दृष्टि से केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारों के पारस्परिक सहयोग से सन् १९४२ ई० में गंगा-ब्रह्मपुत्र जल-परिवहन-बोर्ड स्थापित किया गया।

इस समय १,५५७ मील लम्बी नदियों में यन्त्रचालित छोटी नौकाएँ तथा ३,५८७ मील लम्बे नदी-मार्गों में बड़ी नौकाएँ चल सकती हैं। देश में अन्तर्देशीय जल-परिवहन के विकास के लिए तृतीय योजना में लगभग ६·६ करोड़ रु० लागत की केन्द्रीय योजनाएँ शामिल की गई हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना में राज्यों के खाते में भी इस मद में १·४८ करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है।

जहाजरानी

योजना-काल में प्रगति—दिसम्बर, १९६२ ई० के अन्त में १०·१४ लाख टन भार के जहाज थे। इनमें से ४·१२ लाख टन के जहाज तटीय व्यापार में लगे थे और ६·०२ टन के जहाज विदेशी व्यापार में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश में ९·५ लाख टन भार के जहाजों के निर्माण की व्यवस्था की गई थी।

नवम्बर, १९६१ ई० के अन्त में भारत में ९·०५ टन भार के १७५ जहाज थे। तृतीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य जहाजों की क्षमता में ५·५ लाख टन की वृद्धि करना है। इसमें से १·६ लाख टन की वृद्धि सन् १९६२ ई० के अन्त तक हो चुकी थी।

राष्ट्रीय जहाजरानी-बोर्ड—जहाजरानी के सम्बन्ध में नीतिविषयक बातों पर सरकार को परामर्श देने के लिए सन् १९६१ ई० में राष्ट्रीय जहाजरानी-बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है।

जहाजरानी-निगम—सन् १९६१ ई० के अक्टूबर में पूर्वी तथा पश्चिमी जहाजरानी-निगमों को मिलाकर भारत जहाजरानी-निगम की स्थापना की गई। निगम के पास दो लाख टन भार के विभिन्न प्रकार के २७ जहाज हैं।

हिन्दुस्तान जहाज-कारखाना—भारत-सरकार ने मार्च, १९५२ ई० में सिन्धिया-कम्पनी से विशाखापत्तनम् जहाज-कारखाना खरीदकर उसकी व्यवस्था का भार 'हिन्दुस्तान जहाज-कारखाना' को सौंप दिया। इसकी सारी हिस्सा-पूँजी सरकार के हाथ में है। इस कारखाने में बना प्रथम जहाज मार्च, १९४८ ई० में पानी में उतारा गया है। इस कारखाने में अब प्रतिवर्ष ४ जहाज बनाये जा सकते हैं। अबतक इस कारखाने ने ३३ समुद्री जहाज बनाये हैं। इस समय इस कारखाने में १२ जहाज बन रहे हैं।

दूसरा जहाज-कारखाना—कोचीन में दूसरा जहाज-कारखाना स्थापित किया जा रहा है, जिसमें प्रतिवर्ष ६०,००० टन भार के जहाज निर्मित होंगे। बाद, इसकी क्षमता बढ़ाकर ८०,००० टन भार कर दी जायगी।

प्रशिक्षण-संस्थान—जून, १९६२ ई० में समाप्त हुए वर्ष में प्रशिक्षण-जहाज डफरिन में ७९ शिक्षार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। सितम्बर, १९६२ ई० के अन्त तक ५,७२९ शिक्षार्थियों ने बम्बई के नाविक तथा इंजीनियरी कालेज में उपलब्ध प्रशिक्षण की सुविधाओं का लाभ उठाया। सन् १९६२ ई० में कलकत्ता के समुद्री इंजीनियरी-कॉलेज की आठवीं टुकड़ी के शिक्षार्थियों में से ५८ शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। नाविकों को प्रशिक्षण देनेवाले मेखला, भद्रा तथा नवलक्ष्मी नामक जहाजों पर दिसम्बर, १९६२ ई० के अन्त तक १४,५३६ शिक्षार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

बन्दरगाह

भारत के ६ प्रमुख बन्दरगाह हैं—कलकत्ता, काण्डला, कोचीन, बम्बई, मद्रास, तथा विशाखापत्तनम्। सन् १९६१-६२ ई० इन बन्दरगाहों पर ३३६ लाख टन माल लादा-उतारा गया, जबकि सन् १९६०-६१ ई० में ३३७ लाख टन माल लादा-उतारा गया था।

कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के बन्दरगाहों का प्रशासन बन्दरगाह-न्यास-बोर्डों के अधीन है तथा इनपर केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण है। काण्डला, कोचीन तथा विशाखापत्तनम् के बन्दरगाहों का प्रशासन केन्द्रीय सरकार के हाथ में है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में छह प्रमुख बन्दरगाहों के विकास के लिए ७५ करोड़ रु० की व्यवस्था रखी गई है।

छोटे बन्दरगाह—भारत के समुद्र-तट पर लगभग २२५ छोटे-छोटे बन्दरगाह हैं, जहाँ प्रतिवर्ष लगभग ६० लाख टन माल लादा-उतारा जाता है। इन बन्दरगाहों का प्रशासन-दायित्व राज्य-सरकारों पर है। प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत इन बन्दरगाहों का सुधार किया गया। तृतीय योजना-काल में छोटे बन्दरगाहों के विभिन्न सुधार-कार्यों के लिए १५.६६ करोड़ रु० व्यय किये जायेंगे।

राष्ट्रीय बन्दरगाह-बोर्ड—बन्दरगाहों, विशेषकर छोटे बन्दरगाहों, के विकास के सम्बन्ध में केन्द्र तथा राज्य-सरकारों को परामर्श देने के लिए सन् १९५० ई० में राष्ट्रीय बन्दरगाह-बोर्ड की स्थापना की गई, जिसमें भारत-सरकार, समुद्रतटीय राज्यों, मुख्य बन्दरगाहों के अधिकारियों और व्यापार, उद्योग तथा श्रमिकों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं।

असैनिक उड्डयन

सन् १९६२ ई० में भारतीय विमानों ने कुल मिलकर लगभग ५.४१ लाख किलोमीटर की उड़ान भरी और उनके द्वारा ११.८ लाख यात्री तथा लगभग ८२७.७ लाख किलोग्राम माल और डाक एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुँचाये गये।

विमान-निगम—इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के पास अभी १३ वाइकाउंट, ३ स्काइ-मास्टर, ७ फाक्कर फ्रेंडशिप तथा ४३ डकोटा विमान है। इसके विमान देश के मुख्य नगरों तथा पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल आदि पड़ोसी देशों के बीच उड़ान करते हैं।

सन् १९६१-६२ ई० में ८,८०,८८२ व्यक्तियों ने निगम के विमानों द्वारा यात्रा की और इन विमानों ने कुल ३,२८,२८,०३८ किलोमीटर की उड़ान की।

एयर-इण्डिया इण्टरनेशनल के ६ बोइंग ७०७ जेट विमान २१ देशों में पहुँचते हैं। सन् १९६१-६२ ई० में इसके विमानों से १,५६,५३५ व्यक्तियों ने यात्रा की तथा इसके विमानों ने १,४१,०५,००० किलोमीटर की उड़ान की।

उड्डयन-क्लब—भारत में १७ सहायता-प्राप्त उड्डयन-क्लब, ३ सरकारी ग्लाइडिंग केन्द्र तथा दो सरकारी सहायता-प्राप्त ग्लाइडिंग क्लब हैं। सन् १९६२ ई० में इन उड्डयन-क्लबों में २२७ विमान-चालकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

हवाई अड्डे—भारत-सरकार के असैनिक उड्डयन-विभाग के नियन्त्रण तथा संचालन में इन दिनों ८२ हवाई अड्डे हैं। इनमें से कलकत्ता (दमदम), दिल्ली (पालम) तथा बम्बई (सान्ताक्रुज) के हवाई अड्डे अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं।

बिहार के रक्सौल तथा जोगबनी नामक स्थानों में २ नये हवाई अड्डों का निर्माण-कार्य जारी है।

वायु-परिवहन-समझौते—अफगानिस्तान, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, इटली, इराक, चेकोस्लोवाकिया, जापान, थाइलैण्ड, नेदरलैण्ड, पाकिस्तान, फ्रांस, फिलीपाइन, ब्रिटेन, मिस्र, रूस, श्रीलंका, स्विट्जरलैण्ड तथा स्वीडन के साथ वायु-परिवहन-समझौते लागू हैं। ईरान, लेबनान तथा पश्चिम जर्मनी के साथ हुए ऐसे समझौतों की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है।

पर्यटन

प्रशासकीय ढाँचा—सन् १९४९ ई० में परिवहन-मन्त्रालय के अधीन एक पर्यटन-शाखा की स्थापना की गई थी। उसके बाद से अबतक कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, तथा मद्रास-जैसे प्रमुख नगरों में प्रादेशिक पर्यटन-कार्यालय और आगरा, औरंगाबाद, कोचीन, जयपुर, बैंगलोर, भोपाल तथा वाराणसी में पर्यटन-सूचना-कार्यालय खोले जा चुके हैं। कोलम्बो, टोरण्टो, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, न्यूयार्क, मेलबोर्न, सानफ्रांसिस्को तथा लन्दन में भी भारत-सरकार के पर्यटक-कार्यालय हैं।

परिवहन तथा संचार-मन्त्रालय में अलग से एक पर्यटन-विभाग स्थापित किया गया है। सरकार को पर्यटन-सम्बन्धी समस्याओं पर परामर्श देने के लिए एक पर्यटन-विकास-परिषद् है, जिसमें जनता, यात्रा-व्यवसाय और राज्य-सरकारों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं।

होटल—भारत में होटलों के वर्गीकरण तथा मानकीकरण के प्रश्न पर सरकार को परामर्श देने के लिए सन् १६५७ ई० में जो एक होटल-मानक तथा दर-निर्धारण-समिति बनाई गई थी। उसकी सिफारिशें कार्यान्वित की जा रही हैं। विदेशी पर्यटकों की सेवा करनेवाले होटलों के वर्गीकरण के लिए नियुक्त समिति की रिपोर्ट सन् १६६२ ई० में प्रकाशित हुई।

पर्यटन-सम्बन्धी नियमों में छूट—पर्यटन-व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के लिए पुलिस, पंजीयन, मुद्रा-विनिमय-नियन्त्रण और चुंगी आदि से सम्बद्ध नियम कुछ शिथिल कर दिये गये हैं और रेल भी रियायती दरों पर टिकट जारी करती है। विद्यार्थियों, यात्रियों तथा ग्रीष्मऋतु में पहाड़ी स्थानों को जानेवाले पर्यटकों को विशेष सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। इस समय देश में पर्यटकों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत ४१ यात्रा-संस्थाएँ हैं।

पर्यटन-सम्बन्धी जानकारी—पर्यटन-सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अँगरेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, इतालवी तथा भारतीय भाषाओं में गाइड पुस्तकें, पुस्तिकाएँ, फोटो-कार्ड आदि प्रकाशित किये जाते हैं। पर्यटकों को आकृष्ट करने के उद्देश्य से अँगरेजी में एक सचित्र मासिक पत्रिका भी प्रकाशित की जा रही है। विदेशों में प्रदर्शनार्थ पर्यटन-सम्बन्धी चलचित्र बनाये जाते हैं। जापान और स्याम से आनेवाले पर्यटकों के बीच वितरण के लिए जापानी और स्यामी भाषाओं में भी कुछ सामग्री प्रकाशित की गई है।

पर्यटकों की संख्या—भारत आनेवाले पर्यटकों की संख्या में दिनानुदिन वृद्धि हो रही है। सन् १६५१ ई० में जहाँ लगभग १६,८२६ पर्यटक भारत आये थे, वहाँ, सन् १६६२ ई० में लगभग १,३४,००० पर्यटक भारत आये।

विकास-योजनाएँ—केन्द्र तथा कुछ राज्य-सरकारों ने पर्यटन-व्यवसाय के विकास के लिए योजनाएँ बनाई हैं। इनके अन्तर्गत महत्त्वपूर्ण पर्यटन-केन्द्रों में अधिक-से-अधिक निवास-स्थानों, परिवहन तथा मनोरंजन की व्यवस्था की जायगी।

तीसरी योजना के अन्तर्गत पर्यटक-यातायात के विकास के लिए केन्द्र की ओर से ३ करोड़ ५० लाख रुपये और राज्य-सरकारों की ओर से ४ करोड़ ५० लाख रुपये व्यय किये जायेंगे।

संचार-साधन

डाक तथा तार-विभाग की प्रशासन-व्यवस्था १४ दिसम्बर, १६५६ ई०, को स्थापित डाक तथा तार बोर्ड के अधीन है।

सन् १६६२ ई० के ३१ मार्च को इस विभाग में ३,६५,६०६ कर्मचारी कार्य कर रहे थे। उस वर्ष इनपर पूँजीगत खर्च १५६.७५ करोड़ रु० हुआ। सन् १६६१ ई० के १ अप्रैल को इस विभाग के पास संगृहीत वचत के रूप में ३१.६५ करोड़ रु० थे।

डाक-व्यवस्था

सन् १६६१-६२ ई० में डाक तथा तार-विभाग द्वारा डाक की ४३१.२ करोड़ वस्तुएँ लाई-ले जाई गईं, जिनसे ४५.६२ करोड़ रु० की आय हुई।

सन् १६६२ ई० के ३१ मार्च को देश में कुल ८२,२२३ डाकघर थे, जिनमें ७,६२७ नगरों में तथा ७४,५६६ गाँवों में थे। उक्त अवधि तक नगरों में ४१,२५१ तथा गाँवों में १,३४,६६२ लेटर-बॉक्स थे।

१ अप्रैल, १९६२ ई० तथा ३१ अक्तूबर, १९६२ ई० के बीच १,६१० नये डाकघर खोले गये।

नगरों में भ्रमणशील डाकघर—कलकत्ता, दिल्ली, नागपुर, बम्बई तथा मद्रास में भ्रमणशील डाकघरों की व्यवस्था है। सामान्य डाकघरों के बन्द होने के बाद ये भ्रमणशील डाकघर निर्धारित समय पर नगर के विभिन्न स्थानों का चक्कर लगाते हैं। इन डाकघरों में मनीऑर्डर अथवा बचत-बैंक का काम नहीं होता।

हवाई डाक—कलकत्ता, दिल्ली, नागपुर, बम्बई तथा मद्रास-जैसे मुख्य नगरों में रात को हवाई जहाज से डाक लाने-ले जाने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त देश में सभी प्रकार के पत्र आदि तथा मनीऑर्डर सामान्यतः बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के हवाई जहाज द्वारा पहुँचाये जाते हैं।

विदेशों के साथ हवाई पार्सल-सेवा—भारत तथा विश्व के अधिकांश देशों के बीच हवाई डाक-सेवाओं की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त भारत और निम्नलिखित देशों के बीच सीधे हवाई जहाज द्वारा पार्सल ले जाने की व्यवस्था है—अर्जेण्टाइना गणराज्य, अदन, अफगानिस्तान, अमेरिका, आयरलैण्ड, आस्ट्रिया, अस्ट्रेलिया, इटली, इण्डोनीशिया, इथियोपिया, ईराक, उत्तरी बोर्नियो, उरुग्वे, क्यूबा, एल सल्वाडोर, कनाडा, कुवैत, कोलम्बिया, कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, ग्रेनेड, घाना, चिली, चीन लोक-गणराज्य, चेकोस्लोवाकिया, जंजीबार, जमैका, जर्मनी (लोकतान्त्रिक गणराज्य), जर्मनी, (संघीय गणराज्य), जापान, जिब्राल्टर, टारटोला, ट्रिनीडाड, टोबेगो, डेनमार्क, डोमिनिकी-गणराज्य, डोमिनिसी, तुर्की, दक्षिण-अफ्रिका-संघ, दक्षिण-पश्चिम अफ्रिका, न्यूजीलैण्ड, नाइजीरिया, नार्वे, निकारागुआ, नेदरलैण्ड, पनामा-गणराज्य, पाकिस्तान, पुर्तगाली पूर्व अफ्रीका, पेरु, पाराग्वए, पोलैण्ड, फ्रांस, फिनलैण्ड, फिजी, वर्मा, बरमूडा, बहामा, ब्राजील, बारबडेस, ब्रिटिश गायना, ब्रिटिश पूर्व अफ्रीका, ब्रिटिश होण्डुरास, ब्रिटेन, बेचुआनालैण्ड, बेल्जियम, बेहरीन, मलय, मॉरिशस, मिस्र, मेक्सिको, यूनान, युगोस्लाविया, रूस, रोडेशिया और न्यासालैण्ड, संघ, लेबनान, वेनेजुएला, श्रीलंका, स्याम, स्विट्जरलैण्ड, स्वीडन, सऊदी अरब, साइप्रस, सारावाक, सियरालियोन, सीरिया, सूडान, सूरीनाम, सेंट लूसिया, हाँगकाँग, हालैण्ड तथा हैती।

इसके अतिरिक्त भारत और निम्नलिखित देशों के बीच बीमा की हुई पार्सलें हवाई जहाज द्वारा लाने-ले जाने की व्यवस्था है—अदन, अमेरिका, आयरलैण्ड, आस्ट्रिया, आस्ट्रेलिया, कनाडा, कुवैत, घाना चेकोस्लोवाकिया, जंजीबार, जर्मनी (लोकतान्त्रिक गणराज्य), जर्मनी (संघीय गणराज्य), जापान, डेनमार्क, तुर्की, थाइलैण्ड, नेदरलैण्ड, पाकिस्तान, ईरान की खाड़ी, फ्रांस, बर्मा, ब्रिटिश पूर्व अफ्रीका, ब्रिटेन, बेल्जियम, मलय, मिस्र, यूनान, रूस, श्रीलंका, स्विट्जरलैण्ड, स्वीडन, और हाँगकाँग।

डाकघर-बचत-बैंक (पोस्टल सेविंग्स बैंक)—देश के अधिकांश डाकघरों में बचत धन जमा कराने की सुविधाएँ प्राप्त हैं। बचत-बैंक में एक व्यक्ति के खाते में अधिक-से-अधिक १५,००० रु० तथा संयुक्त खाते में ३०,००० रु० जमा कराये जा सकते हैं। व्यक्तिगत तथा संयुक्त खाते में जमा क्रमशः १०,००० रु० और २०,००० रु० तक की राशि पर प्रतिवर्ष ३ प्रतिशत तथा इससे आगे की राशि पर प्रतिवर्ष २½ प्रतिशत ब्याज मिलता है।

बचत-बैंक का काम करनेवाले सभी डाकघरों से सप्ताह में दो बार अधिक-से-अधिक १,००० रु० निकाला जा सकता है। सन् १९५८ ई० से चेक द्वारा रुपया जमा कराने अथवा

निकलवाने की प्रणाली भी चालू कर दी गई। १ अगस्त, १९६० ई० से बचत-बैंक के लिए नामांकन-प्रणाली लागू की गई। बचत-बैंक-लेखा-सेवा के कार्य-संचालन में गति लाने के लिए नई दिल्ली-मुख्यालय में 'टेलर-पद्धति' चालू की गई है। इसके अंतर्गत पासबुक के बिना भी पैसे जमा कराये जा सकते हैं तथा २५० रु० तक की राशि निकालनेवालों को अदायगी काउण्टर का क्लर्क स्वयं ही कर सकता है।

डाक-जीवन-बीमा—सन् १९६१-६२ ई० में डाक तथा तार-विभाग के असैनिक डाक-बीमा-विभाग से १.५१ करोड़ रु० के मूल्य की ७,६९९ पॉलिसियाँ जारी की गईं। इस अवधि में सैनिक डाक-बीमा-विभाग ने १७ लाख रु० के मूल्य की ३३८ पॉलिसियाँ जारी कीं। अबतक असैनिक डाक-बीमा-विभाग ३०.३२ करोड़ रु० के मूल्य की कुल १,४९,४४९ बीमा-पॉलिसियाँ तथा सैनिक डाक-बीमा-विभाग ५.०४ करोड़ रु० के मूल्य की कुल ९.३६३ बीमा-पॉलिसियाँ जारी कर चुका है।

सन् १९६१-६२ ई० में असैनिक डाक-बीमा-विभाग तथा सैनिक डाक-बीमा-विभाग को प्रीमियम से क्रमशः १,२७,९९,००० तथा २८,३२,०००, रु० की आय हुई और इन विभागों पर क्रमशः १२,७४,००० रु० तथा ४५,००० रु० व्यय किये गये।

तार-व्यवस्था

सन् १९६१-६२ ई० में देश में कुल ११,८९६ तारघर थे। इस वर्ष इन तारघरों के द्वारा ४.०३ करोड़ तार भेजे गये तथा इनको ८.२८ करोड़ रु० की आय हुई।

हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में तार-व्यवस्था—हिन्दी में तार भेजने की व्यवस्था पहले-पहल १ जून, १९४९ ई० को इन आठ स्थलों में की गई थी—आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, गया, जबलपुर, नागपुर, लखनऊ तथा वाराणसी। किन्तु, इस समय देश में हिन्दी में तार भेजने की व्यवस्था लगभग २,००० तारघरों में है। ९ स्थानों में हिन्दी की मोर्स-प्रणाली का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है तथा अबतक ४,००० व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। तार किसी भी भारतीय भाषा में देवनागरी-लिपि में भेजे जा सकते हैं।

हिन्दी-तारों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सन् १९५०-५१ ई० में जहाँ हिन्दी में कुल ५,७८४ तार भेजे गये थे, वहाँ सन् १९६१-६२ ई० में १,७६,७४७ तार भेजे गये।

टेलीफोन-व्यवस्था

सन् १९६१-६२ ई० में देश में ५,२१,००० टेलीफोन तथा ८,८०५ टेलीफोन-केन्द्र (एक्सचेंज) थे। इस वर्ष टेलीफोन से ३१.१ करोड़ रु० की आमदनी हुई। आलोच्य वर्ष में ३९३ लाख ट्रंक-कॉलें की गईं।

टेलीफोन-उद्योग—सन् १९६१-६२ ई० में बँगलोर के टेलीफोन-कारखाने में १,१६,७०१ टेलीफोनों, ८८,३१० स्वचालित एक्सचेंज-लाइनों आदि का निर्माण हुआ। इस कारखाने में 'प्रियदर्शिनी' नामक एक नया टेलीफोन-यन्त्र लगाया गया है, जो इस समय प्रयुक्त यन्त्र से बढ़िया काम देता है।

समुद्रपार संचार-व्यवस्था

भारत तथा विदेशों के बीच दूर-संचार-सम्बन्ध के संचालन तथा विकास का उत्तर दायित्व १ जनवरी, १६४७ ई० को राष्ट्रीयीकृत समुद्रपार संचार-सेवा पर है। गत ६ वर्षों में इस सेवा द्वारा २.७२ करोड़ तार, २,५८,२०० रेडियो-टेलीफोन-कॉल तथा ३,७४४ रेडियो-चित्र भेजे अथवा प्राप्त किये गये।

रेडियो-टेलीफोन-सेवा—भारत के सीधे रेडियो-टेलीफोन-सम्बन्ध इन देशों के साथ है—अदन, अफगानिस्तान, आस्ट्रेलिया, इटली, इण्डोनेशिया, इथियोपिया, इराक, चीन, जर्मनी (संघीय गणराज्य), जापान, पूर्व-अफ्रिका, पोलैण्ड, फ्रांस, बर्मा, ब्रिटेन, बेहरीन, मलय, मिस्र, वियतनाम (दक्षिण), सऊदी अरब, स्विट्जरलैण्ड, रूस तथा हाँगकाँग।

भारत तथा ७२ देशों के बीच अन्तरराष्ट्रीय प्रतिष्ठान के द्वारा रेडियो-टेलीफोन-सेवाएँ उपलब्ध हैं।

रेडियो-टेलीग्राफ-सेवा—भारत और निम्नलिखित देशों के बीच सीधी रेडियो-फोटो-टेलीग्राफ-सेवा चालू है—अफगानिस्तान, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, इटली, इण्डोनेशिया, इराक, ईरान, चीन, जर्मनी (संघीय गणराज्य), जापान, थाइलैण्ड, पोलैण्ड, फ्रांस, फिलीपीन, बर्मा, ब्रिटेन, मिस्र, युगोस्लाविया, रूमानिया, रूस, स्विट्जरलैण्ड, सिंगापुर, सैगोन और हनोई। संसार के अन्य देशों के साथ सीधी टेलीग्राफ-सेवा अन्तरराष्ट्रीय सेवा द्वारा प्राप्त होती है।

रेडियो-फोटो-सेवा—भारत और अमेरिका, इटली, चीन, जर्मनी (संघीय गणराज्य) जापान पोलैण्ड, फ्रांस, ब्रिटेन तथा रूस के बीच सीधी रेडियो-फोटो-सेवा की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त भारत से लन्दन की मार्फत अस्ट्रेलिया, कनाडा, घाना चेकोस्लोवाकिया, दक्षिण-अफ्रिका, नाइजीरिया, नार्वे, पुर्तगाल, फिनलैण्ड, बेल्जियम, मिस्र, यूनान, युगोस्लाविया, स्विट्जरलैण्ड, स्वीडन तथा सिंगापुर को भी फोटो भेजने की व्यवस्था है।

अन्तरराष्ट्रीय टेलेक्स सेवा—यह सेवा ग्राहकों को सीधे दूसरे देशों के ग्राहकों के पास टेलिप्रिण्टर मशीन पर टेलिग्राम लेने-देने की सुविधा प्रदान करती है। यह सेवा १६ जून, १६६० ई० को बम्बई, अहमदाबाद तथा ब्रिटेन के बीच आरम्भ की गई थी। अब निम्नलिखित ४१ देशों के साथ इसका विस्तार कर दिया गया है—अर्जेण्टाइना, अस्ट्रेलिया, अफ्रिका, बेल्जियम, बरमुडा, ब्राजिल, ब्रिटेन, बलगेरिया, कनाडा, चेकोस्लोवाकिया, डेनमार्क, फरोई द्वीप, फिनलैण्ड फ्रांस, जर्मनी (दोनों), घाना, ग्रीस, हाँगकाँग, हंगरी, आइसलैण्ड, आइरिश रिपब्लिक, इजराइल, इटली, जापान, केनिया, लक्जेम्बर्ग, मलाया, माल्टा, नेदरलैण्ड, नार्वे, पोलैण्ड, रूमानिया, सिंगापुर, स्पेन, सूडान, स्वीडन, स्विट्जरलैण्ड, संयुक्तराज्य अमेरिका, रूस और युगोस्लाविया। इस सेवा के अन्तर्गत एक स्थान का अभिदाता दूसरे स्थान के अभिदाता को टेलीप्रिंटर द्वारा सीधी तारें भेज सकता है।

अन्य सेवाएँ—समुद्र-पार संचार-सेवा भारत-सरकार की ओर से विदेश-स्थित भारतीय वाणिज्य-दूतावासों को तथा कुछ समाचार-एजेन्सियों की ओर से बाहर के विभिन्न क्षेत्रों को समाचार भेजती है।



आकाशवाणी

देश के प्रायः सभी प्रमुख भाषा-क्षेत्रों में इस समय कुल मिलाकर ३१ आकाशवाणी (रेडियो)-केन्द्र हैं। इनका वर्गीकरण निम्नलिखित ४ अंचलों में किया गया है—

उत्तर—दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, पटना, जालन्धर, जयपुर, शिमला, भोपाल, इन्दौर तथा राँची।

पश्चिम—बम्बई, नागपुर, अहमदाबाद, पूना तथा राजकोट।

दक्षिण—मद्रास, तिरुचिरापल्लि, विजयवाड़ा, त्रिवेन्द्रम्, कोजीकोड, हैदराबाद, बँगलोर तथा धारवाड़।

पूर्व—कलकत्ता, कटक, गौहाटी, कर्सियांग तथा कोहिमा।

इनके अतिरिक्त रेडियो-कश्मीर के भी दो केन्द्र जम्मू तथा श्रीनगर में हैं। गोआ-रेडियो पंजिम में है। ३१ जनवरी, १९६२ ई०, को देश में ७४ सम्प्रेषण-यन्त्र, ३६ स्टुडियो-केन्द्र तथा ३१ प्रापण (रिसीविंग) केन्द्र थे। सन् १९६१ ई० में प्रस्तुत विस्तार-योजना के अन्तर्गत ५८ नये सम्प्रेषण-यन्त्रों का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद भारत के कुल जनसंख्या के ७४ प्रतिशत लोग मध्यमतरंगीय कार्यक्रम सुन सकेंगे। अबतक ५ ट्रांसमीटर लगाये जा चुके हैं और ६ अन्य ट्रांसमीटर विविध भारती-कार्यक्रम प्रसारित करने लगे हैं। दो चलकेन्द्र भी शीघ्र ही अपना कार्यक्रम शुरू कर देंगे।

कार्यक्रम-रचना – आकाशवाणी के प्रायः आधे कार्यक्रम संगीत के लिए निर्धारित हैं। शेष कार्यक्रमों में वार्त्ताओं, रूपकों, नाटकों, वाद-विवाद आदि का समावेश है, जिनके अन्तर्गत अनेक विषय आ जाते हैं। प्रत्येक बुधवार को राष्ट्रीय वार्त्ता-कार्यक्रम प्रसारित होता है, जिसके अन्तर्गत सुप्रसिद्ध विद्वान् कला, विज्ञान तथा साहित्य-सम्बन्धी अपनी वार्त्ताएँ प्रसारित करते हैं। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से प्रसारित होता है। वृत्त-रूपक तथा रेडियो-रिपोर्टें भी प्रसारित की जाती हैं।

विविध भारती—अक्टूबर, १९६२ ई० में इस अखिलभारतीय कार्यक्रम ने अपने पाँचवें वर्ष में प्रवेश किया। यह कार्यक्रम शनिवार, रविवार और अन्य प्रमुख पर्वों के दिन ११ घण्टे से कुछ अधिक तथा सप्ताह के शेष दिन १० घण्टे प्रसारित किया जाता है। प्रत्येक शनिवार को रात के ९½ से ११ बजे तक राष्ट्रीय संगीत-कार्यक्रम के स्थान पर एक विशेष कार्यक्रम उन लोगों के लिए प्रसारित किया जाता है, जिनकी शास्त्रीय संगीत में रुचि नहीं है। नई मध्यमतरंगीय योजना पूरी हो जाने पर प्रायः संपूर्ण देश में मध्यमतरंग पर विविध भारती के कार्यक्रम सुने जा सकेंगे।

विशेष श्रोताओं के लिए कार्यक्रम—ग्रामीण भाइयों के कार्यक्रमों में ग्रामीण जीवन के सभी पहलुओं पर नाटक, वाद-विवाद, वार्त्ता, मौसम-समाचार आदि विभिन्न माध्यमों से प्रकाश डाला जाता है। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता-सम्बन्धी कार्यक्रम देश की सभी प्रमुख भाषाओं और लगभग १३३ बोलियों तथा आदिमजातीय भाषाओं में प्रसारित करने की व्यवस्था है। केन्द्रीय सरकार की एक योजना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में लगाने के लिए विभिन्न राज्य-सरकारों को लगभग ८०,००० सामुदायिक रेडियो-सेट दिये गये हैं।

१७ नवम्बर, १९५९ ई० से देश-भर में आकाशवाणी-किसान-मण्डलों का कार्यक्रम चालू है। इन मण्डलों द्वारा प्रसारकों तथा श्रोताओं के बीच सीधा सम्बन्ध स्थापित किया जाता है।

गाँवों में संगठित ये मण्डल साप्ताहिक कार्यक्रमों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करके आकाशवाणी-केन्द्र को अपने सुझाव देते हैं। सन् १९६२ ई० के अन्त तक देश के विभिन्न भागों में लगभग ४,००० किसान-मण्डलों की स्थापना हो चुकी थी।

इन दिनों सप्ताह में ६ दिन २३ केन्द्रों से विद्यालयों के लिए कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। विद्यालयों को रेडियो-स्टेशन के निकट सम्पर्क में लाने के लिए विद्यालय-श्रोता-क्लबों की स्थापना की जा रही है। इन कार्यक्रमों के लिए १८ हजार से अधिक विद्यालय पंजीकृत हो चुके हैं।

विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए प्रसारित होनेवाले कार्यक्रमों में पाठ्यक्रम-सम्बन्धी विषयों पर वार्त्ताएँ तथा वाद-विवाद सम्मिलित रहते हैं। प्रतिवर्ष हिन्दी, अँगरेजी तथा अन्य भाषाओं में सामूहिक वाद-विवाद तथा रेडियो-नाटकों की अन्तर्विश्वविद्यालय-प्रतियोगिताओं की व्यवस्था की जाती है।

आकाशवाणी के केन्द्रों से महिलाओं तथा बच्चों के लिए भी सप्ताह में दो या तीन दिन विशेष कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। महिलाओं के कार्यक्रम में गृह-प्रबन्ध, बच्चों की देखभाल, पोषण आदि के विषय में जानकारी की जाती है। बच्चों के कार्यक्रम में वार्त्ताएँ, कहानियाँ समूहगान, प्रश्नोत्तरी, नाटक आदि दिये जाते हैं। सन् १९६२ ई० के अन्त में १४०० महिला-श्रवण-क्लब थे।

अहमदाबाद, कलकत्ता, कोजीकोड, दिल्ली, नागपुर, बम्बई, बँगलोर, मद्रास, राँची, लखनऊ इलाहाबाद, हैदराबाद तिरुचि, लखनऊ तथा त्रिवेन्द्रम् से औद्योगिक, मजदूरों के लिए, कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। गौहाटी से आसाम के चायबागान-मजदूरों और उनके परिवारों के लिए भी कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। सशस्त्र सैनिकों के लिए गौहाटी, जम्मू, दिल्ली तथा श्रीनगर से कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं।

पंचवर्षीय योजना का प्रचार—इस कार्यक्रम के अन्तर्गत श्रोताओं को योजना के कार्य में सहयोग देने के लिए अपनी सहायता आप करने की प्रेरणा दी जाती है। 'योजना में सहयोग दीजिए' विषय पर लोकप्रिय धुनों में विशेष गीतों की रचना की जाती है तथा उन्हें ग्रामीण कार्यक्रमों में प्रसारित किया जाता है। इसमें योजना की विभिन्न परियोजनाओं से सम्बद्ध लघु वृत्तचित्रों का उपयोग होता है। सन् १९६२ ई० में योजना के विभिन्न पहलुओं से सम्बद्ध लगभग ५,३०० कार्यक्रम प्रसारित किये गये।

स्वरांकन-कार्यक्रम (ट्रांसक्रिप्शन सर्विस)—इस कार्यक्रम के अधीन प्रसिद्ध व्यक्तियों के भाषणों के रिकार्ड तैयार किये जाते हैं। इस विभाग के पास लोक-संगीत तथा सुप्रसिद्ध संगीतज्ञों के रिकार्डों का भी एक संग्रह है, जिसमें विभिन्न शैलियों तथा विभिन्न देशों के संगीत संगृहीत हैं। इस विभाग के अधीन एक केन्द्रीय टेप-बैंक भी कार्य कर रहा है।

परामर्श-समितियाँ—केन्द्रीय कार्यक्रम-परामर्श-समिति आकाशवाणी को अपने कार्यक्रम तैयार करने तथा उन्हें प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में परामर्श देती है। संगीत-नीति निर्धारित करने के लिए एक केन्द्रीय संगीत-परामर्श-मण्डल है। शिक्षा, उद्योग तथा ग्रामीण समस्याओं से सम्बद्ध कार्यक्रमों के लिए भी परामर्श-समितियाँ हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार से जनमत संग्रह करके उसके अनुरूप ही कार्यक्रमों की योजना बनाई जाती है।

कार्यक्रम-पत्रिकाएँ—आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों के कार्यक्रमों की सूचना श्रोताओं को देने के उद्देश्य से इन पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है: आकाशवाणी (अँगरेज़ी), सारंग

(हिन्दी); नभोवाणी (गुजराती), वाणी (तेलुगु), वानोली (तमिल), वेतार-जगत (बँगला), आवाज (उर्दू) तथा आकाशी (असमिया)। 'आकाशवाणी' साप्ताहिक तथा शेष पत्रिकाएँ पाक्षिक हैं।

आकाशवाणी की वाह्य सेवा के कार्यक्रम भी विदेश-स्थित श्रोताओं को निःशुल्क भेजने के लिए अरवी, अँगरेजी, इण्डोनेशियाई, चीनी, तिब्बती, पश्तो, फारसी तथा वर्मी भाषाओं में, पत्रिकाओं के रूप में, मासिक कार्यक्रम का प्रकाशन होता है।

समाचार-सेवाएँ—आकाशवाणी द्वारा प्रतिदिन अँगरेजी में छह वार तथा हिन्दी में में चार वार; असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजावी, मराठी और मलयालम में तीन-तीन वार; कश्मीरी और डोंगरी में दो-दो वार तथा गोरखाली में एक वार समाचार प्रसारित किये जाते हैं। सेनाओं के लिए भी हिन्दी तथा गोरखाली में प्रतिदिन एक-एक वार समाचार प्रसारित होते हैं। उर्दू, कश्मीरी तथा वँगला में प्रतिदिन समाचार-टिप्पणियाँ भी प्रसारित की जाती हैं।

प्रतिदिन १२० समाचार-बुलेटिन—देशी सेवा के ८५ तथा विदेशी सेवा के ३५—प्रसारित किये जाते हैं। इसके अलावा विभिन्न केन्द्रों से प्रादेशिक समाचार भी प्रसारित होते हैं। समाचार-दर्शन के कार्यक्रम प्रति-सप्ताह अँगरेजी में दो वार तथा हिन्दी में तीन वार प्रसारित किये जाते हैं। संसद् के अधिवेशनवाले दिनों में दैनिक कार्यवाही-सम्वन्धी 'संसद्-समीक्षा' का कार्यक्रम हिन्दी तथा अँगरेजी में प्रसारित किया जाता है। प्रत्येक रविवार को सामयिक घटनाओं पर एक साप्ताहिक वार्ता प्रसारित की जाती है।

विदेशों के लिए कार्यक्रम—अफ्रीका, अस्ट्रेलिया, एशिया, न्यूजीलैंड तथा यूरोप के भारतीय और विदेशी श्रोताओं के लिए रोज १७ भाषाओं में रात-दिन कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। विदेशों में भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के लिए हिन्दी, तमिल, गुजराती तथा कोंकणी में और अभारतीय श्रोताओं के लिए १३ भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित होते हैं।

रेडियो-सेटों का उत्पादन—सन् १९६१ ई० में देश में कुल ३,२९, ३४० रेडियो-सेट तैयार किये गये। सन् १९६२ ई० में जनवरी से अक्टूवर तक २ ७५,९६७ रेडियो-सेट तैयार किये गये। सन् १९६१ ई० के ३१ दिसम्वर को देश में २५,९८,६०८ व्यक्तियों के पास रेडियो-लाइसेन्स थे।

टेलिविजन—यूनेस्को-परियोजना के रूप में एक परीक्षणात्मक टेलिविजन का उद्घाटन १५ सितम्बर, १९५९ ई०, को नई दिल्ली में हुआ। इसका कार्य एक अप्रयोजना के रूप में चल रहा है। दिल्ली में २५ मील की परिधि में इसके कार्यक्रम को देखा जा सकता है। इसमें प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को एक घंटे का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है। दिल्ली में १८० टेलिविजन-क्लव हैं।

सन् १९६१ ई० में टेलिविजन-विभाग ने दो वड़ी परियोजनाएँ प्रारम्भ कीं—पहली यूनेस्को के सहयोग से तथा दूसरी फोर्ड-प्रतिष्ठान की सहायता से। यूनेस्को-परियोजना के अन्तर्गत समाजशिक्षा-कार्यक्रमों का एक क्रमवद्ध साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। अमेरिका

के फोर्ड-प्रतिष्ठान के सहयोग से प्रस्तुत परियोजना के अनुसार जुलाई, १६६१ ई० से दिल्ली के विद्यालयों के लिए नियमित टेलिविजन-कार्यक्रम आरम्भ कर दिया गया है। १६२ विद्यालयों में लगभग ३८८ टेलिविजन-सेट लगा दिये गये हैं। इसके द्वारा अनुमानतः ५० हजार विद्यार्थी विभिन्न भाषाओं की और १५ हजार विद्यार्थी विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करते हैं।

राष्ट्रीय संगठन-कार्यक्रम--मार्च, १६६१ ई० से आकाशवाणी के सभी केन्द्रों में राष्ट्रीय संगठन को प्रोत्साहन देनेवाले कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। सितम्बर, सन् १६६२ ई० तक ऐसे २६०६ कार्यक्रम प्रसारित हुए।

कार्यक्रमों का आदान-प्रदान--आकाशवाणी का अन्तर्देशीय कार्यक्रम-आदान-प्रदान-यूनिट विभिन्न केन्द्रों में सर्वोत्तम कार्यक्रमों के आदान-प्रदान का प्रबन्ध करता है। सन् १६६२ ई० में ६७२० कार्यक्रमों का आदान-प्रदान हुआ। एक दूसरा यूनिट विदेशों के साथ कार्यक्रमों का आदान-प्रदान करता है। यह यूनिट एक त्रैमासिक बुलेटिन भी प्रकाशित करता है।



आयोजना

भारत में आयोजना की आवश्यकता, स्वाधीनता-प्राप्ति, के बहुत पहले से ही अनुभव की जा रही थी। इस उद्देश्य से समय-समय पर अनेक समितियों का गठन किया गया था और युद्धोत्तर पुनर्निर्माण तथा विकास के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे। परन्तु, आयोजना-आयोग का गठन स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद, मार्च, १६५० ई० में हुआ और उससे एक योजना बनाने के लिए कहा गया। देश के जनमत के प्रकाश में तैयार की गई प्रथम पंचवर्षीय योजना दिसम्बर, १६५२ ई० में, संसद् में प्रस्तुत की गई।

उद्देश्य—आयोजना का मुख्य उद्देश्य है देश में विकास-कार्य आरम्भ करना, जिससे लोगों के रहन-सहन का स्तर ऊँचा उठ सके तथा उन्नत जीवन बिताने के लिए उन्हें नये अवसर प्रदान किये जा सकें। योजना का उद्देश्य संसाधनों के विकास के साथ-साथ मानवीय गुणों का भी विकास करना है, जिससे देश का सामाजिक ढाँचा यहाँ के लोगों की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं के अनुरूप बन सके।

प्रथम और द्वितीय योजनाओं में राष्ट्रीय आय तथा प्रति-व्यक्ति आय को दुगुना करना और उपभोग का स्तर ऊँचा करना ये दीर्घकालीन उद्देश्य निश्चित किये गये। सन् १६५१—६१ ई० की दशाब्दी में जनसंख्या में वृद्धि की तीव्र गति और इस तरह की अन्य प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पंचवर्षीय योजना में सन् १६७५-७६ ई० तक के लिए दीर्घकालीन उद्देश्य इस प्रकार रखे गये हैं— (१) राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर प्रतिवर्ष लगभग ६ प्रतिशत करना, जिससे राष्ट्रीय आय दुगुनी हो सके, अर्थात् सन् १६६०-६१ ई० की कीमतों के अनुसार, सन् १६६०-६१ ई० के १४,५०० करोड़ रुपये को बढ़ाकर सन् १६७५-७६ ई० में ३४,००० करोड़ रुपये करना। इसी प्रकार, प्रति-व्यक्ति

आय ६१ प्रतिशत बढ़ाना, अर्थात् सन् १९६०-६१ ई० के ३३० रु० को बढ़ाकर सन् १९७५-७६ ई० में ५३० रु० करना; (२) कृषि से भिन्न क्षेत्रों में ४.६ करोड़ से अधिक व्यक्तियों के लिए रोजगार जुटाना, जिससे कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या ७० प्रतिशत से घटकर ६० प्रतिशत रह जाय; और (३) संविधान में की गई व्यवस्था के अनुसार १४ वर्ष तक की अवस्था के सभी बच्चों को शिक्षा देना।

कुछ अन्य लक्ष्य इस प्रकार हैं—जनसंख्या में वृद्धि को एक निश्चित दर पर बनाये रखना, पूँजी लगाने की वर्तमान ११ प्रतिशत की दर बढ़ाकर तृतीय योजना के अन्त में १४-१५ प्रतिशत और पंचम योजना के अन्त में १९-२० प्रतिशत करना; बचत की ८.५ प्रतिशत की दर (१९६०-६१) को बढ़ाकर तृतीय योजना के अन्त में ११.५ प्रतिशत और पाँचवीं योजना के अन्त में १८-१९ प्रतिशत करना; तथा लगभग दस वर्ष की अवधि में अपनी अर्थ-व्यवस्था को विदेशी सहायता से मुक्त करके आत्मनिर्भर बनाना।

प्रथम एवं द्वितीय योजनाएँ

भविष्य में आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से प्रगति लाने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना (सन् १९५१-५२ से १९५५-५६ ई०) में कृषि, सिंचाई, बिजली और परिवहन पर अधिक जोर दिया गया। सामाजिक परिवर्त्तन तथा परम्परागत ढाँचे में सुधार की बुनियादी नीतियाँ भी इसी में अपनाई गईं, जिनका पूर्ण विकास द्वितीय योजना की अवधि में हुआ। द्वितीय योजना (सन् १९५६-५७ से १९६०-६१ ई०) में इन नीतियों को आगे बढ़ाकर राष्ट्र के सम्मुख समाजवादी ढंग के समाज का लक्ष्य रखने के साथ-साथ बुनियादी और बड़े उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। इसने देश के आर्थिक विकास में सरकारी क्षेत्र के प्रमुख कार्यभाग का भी निदेश किया।

प्रथम दोनों योजनाओं के अन्तर्गत १०,११० करोड़ रुपये का विनियोग हुआ, जिसमें ५,२१० करोड़ रुपये सरकारी क्षेत्र में लगे और ४,९०० करोड़ रुपये निजी क्षेत्र में। सरकारी क्षेत्र ने चालू योजनाओं पर भी १,३५० करोड़ रु० खर्च किये। फलतः, अर्थ-व्यवस्था में विनियोग का औसत वार्षिक स्तर दशाब्दी के आरम्भ के ५०० करोड़ रुपये से बढ़कर दशाब्दी के अन्त में १,६०० करोड़ रुपये हो गया।

प्रथम एवं द्वितीय योजनाओं में कृषि और सिंचाई के कार्यक्रमों पर सरकारी क्षेत्र की कुल व्यय-राशि का क्रमशः ३१ और २० प्रतिशत भाग नियोजित किया गया। उद्योगों और खनिज पदार्थों पर प्रथम योजना में कुल व्यय का ४ प्रतिशत भाग लगाया गया था, जो द्वितीय योजना में बढ़ाकर २० प्रतिशत कर दिया गया। इसी प्रकार, परिवहन और संचार-साधनों पर भी व्यय का प्रतिशत पहली योजना के मुकाबले दूसरी योजना में बढ़ा दिया गया।

प्रथम योजना के कुल १,९६० करोड़ रुपये के व्यय में से १,७७२ करोड़ रुपये (९० प्रतिशत) अन्दरूनी साधनों से जुटाये गये। द्वितीय योजना के भी कुल ४,६०० करोड़ रुपये के व्यय में से ३,५१० करोड़ रुपये (७६ प्रतिशत) अन्दरूनी साधनों से जुटाये गये। इसमें पी० एल०

४८०.में से रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक द्वारा सरकार को दिये गये ऋण की रकम शामिल है। बाकी धन विदेशी सहायता के रूप में प्राप्त हुआ। द्वितीय योजना-काल में कई नये प्रत्यक्ष तथा परोक्ष कर लगाये गये थे। इसके बावजूद योजना की पूर्ति लगभग ६४८ करोड़ रुपये का घाटे का बजट रखकर की गई। प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दस वर्षों (१६५१-६१) में लगभग ४२ प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रति-व्यक्ति आय में केवल १६ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

औद्योगिक प्रगति और राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दरें, वस्तुतः और अधिक होतीं, यदि कुछ अपरिहार्य कठिनाइयाँ सामने न आ जातीं। ये कठिनाइयाँ मुख्यतः निम्नलिखित थीं—(१) कृषिगत उत्पादन का विकास रुक-रुककर हुआ और जो विकास हुआ, वह भी औद्योगिक विकास और निर्यात-वृद्धि की दरें बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं था; (२) विदेशी मुद्रा-सम्बन्धी दिक्कतों के चलते कुछ बिजली-परियोजनाओं, नई रासायनिक खाद-परियोजनाओं तथा भारी रासायनिक परियोजनाओं का काम ठीक समय पर शुरू न हो सका; (३) निर्यात-कार्यक्रम को पंचवर्षीय योजनाओं का अभिन्न अंग नहीं समझे जाने के कारण इस दशाब्दी में भारत के निर्यात-व्यापार की प्रगति नहीं हो सकी; (४) प्रशासनिक कमजोरियों के चलते भी उद्योग तथा कृषि के क्षेत्र में कुछ परियोजनाओं के निर्माण और कार्यान्विति में अपरिहार्य रूप से विलम्ब हो गया।

तृतीय पंचवर्षीय योजना

उद्देश्य—तृतीय पंचवर्षीय योजना (सन् १६६०-६१ से १६६५-६६ ई०) के उद्देश्य इस प्रकार हैं—(१) राष्ट्रीय आय में प्रतिवर्ष ५ प्रतिशत से कुछ अधिक की वृद्धि करना तथा विनियोग (पूँजी लगाने) का ऐसा ढाँचा बनाये रखना, जिससे अनुवर्त्ती योजनाओं में वृद्धि की यह दर कायम रह सके; (२) अनाज में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा उद्योग और निर्यात की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए कृषि-पैदावार में वृद्धि करना; (३) बुनियादी उद्योगों का विस्तार करना तथा मशीनें बनाने की क्षमता को बढ़ाना; (४) देश के श्रम-साधनों का अधिकाधिक उपयोग करना और रोजगार के अवसरों को काफी अधिक बढ़ाना; और (५) उत्तरोत्तर समान अवसर जुटाना तथा आय और सम्पत्ति के वितरण में असमानता में कमी करना तथा आर्थिक शक्ति की समुचित बाँट करना।

इस तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में राष्ट्रीय आय में लगभग ३० प्रतिशत की वृद्धि का अनुदान है, जिससे वह सन् १६६०-६१ ई० के १४,५०० करोड़ रुपये से बढ़कर सन् १६६५-६६ ई० (सन् १६६०-६१ ई० की कीमतों के अनुसार) लगभग १६,००० करोड़ रुपये हो जायगी; प्रति-व्यक्ति आय में लगभग १७ प्रतिशत की वृद्धि हो सकेगी, जिससे वह सन् १६६०-६१ ई० के ३३० रु० से बढ़कर सन् १६६५-६६ ई० में ३८० रु० हो जायगी।

लक्ष्य—कुछ महत्त्वपूर्ण मदों के क्षेत्र में तृतीय योजना के उत्पादन और विकास के लक्ष्य अगली सारणी में दिये गये हैं। तुलना के लिए सन् १६५०-५१ ई० (प्रथम योजना का आरम्भ), सन् १६५५-५६ ई० (प्रथम योजना की समाप्ति) और सन् १६६०-६१ ई० (द्वितीय योजना की समाप्ति) के भी आँकड़े इसमें दिये गये हैं।

प्रथम एवं द्वितीय योजना की उपलब्धियाँ और तृतीय योजना के मुख्य लक्ष्य

मदें	उपलब्धियाँ			लक्ष्य	१९६०-६१ की तुलना में १९६५-६६ में प्रतिशत वृद्धि
	१९५०-५१	१९५५-५६	१९६०-६१	१९६५-६६	
कृषि-पैदावार का सूचकांक (१९४९-५० = १००)	९६	११७	१३५	१७६	३०
अनाज की पैदावार (लाख टन)	५२२*	६५८*	७९३	१,०००	२६
नाइट्रोजनपूरक उर्वरकों की खपत (हजार टन नाइट्रोजन)	५५	१०५	२३०	१,[illegible]	३३५
सिंचित क्षेत्र (लाख एकड़)	५१५	५६२	७००	९००	२९
सहकारी आन्दोलन, काश्तकारों को पेशगी (करोड़ रुपये)	२२.९	४९.६	२००	५३०	१६५
औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (१९५०-५१ = १००)	१००	१३९	१९४	३२९	७०
ढले हुए इस्पात का उत्पादन (लाख टन)	१४	१७	३५	९२	१६३
अल्युमीनियम का उत्पादन (हजार टन)	३.७	७.३	१८.५	८०	३३२
मशीनी औजारों का उत्पादन (दरजाबन्दी-युक्त) (करोड़ रुपयों में मूल्य)	०.३४	०.७८	५.५	३०	४४५
गन्धक का तेजाब (हजार टन)	९९	१६४	३६३	१,५००	३१३
पेट्रोलियम के उत्पादन (लाख टन)	—	३६	५७	९९	७०

* उत्पादन के अनुमान अंक-संकलन और अनुमान की विधियों में परिवर्त्तनों के अनुसार समायोजित हैं।

मदें	उपलब्धियाँ			लक्ष्य १९६५-६६	१९६०-६१ की तुलना में १९६५-६६ में प्रतिशत वृद्धि
	१९५०-५१	१९५५-५६	१९६०-६६		
कपड़ा :					
मिल में बना (लाख गज)	३७,२००	५१,०२०	५१,२७०	५८,०००	१३
खादी, हथकरघों तथा मशीनी करघों में बनी (लाख गज)	८ ९७०	१७,७३०	२३,४९०	३५,०००	४९
कुल (लाख गज)	४६,१७०	६८,७५०	७४,७६०	९३,०००	२४
खनिज पदार्थ :					
कच्चा लोहा (लाख टन)	३२	४३	१०७	३००	१८०
कोयला (लाख टन)	३२३	३८४	५४६	९७०	७६
निर्यात (करोड़ रुपये)	६२४	६०९	६४५	८५०	३२
बिजली :					
प्रतिष्ठापित क्षमता (लाख किलोवाट)	२३†	३४†	५७	१२७	१२३
रेलवे :					
ढोया गया माल (लाख टन)	९१५	१,१४०	१,५४०	२,४५०	५९
सड़कें :					
सड़कों पर चल रहे व्यापारिक यान (हजार)	११६	१६६	२१०	३६५	७४
समुद्री जहाज :					
टन भार (लाख जी० आर० टी०)	३.९	४.८	९	१०.९	२१
सामान्य शिक्षा :					
स्कूलों में विद्यार्थी (लाख)	२३५	३१३	४३५	६३९	४७
तकनीकी शिक्षा :					
इंजीनियरी और टेक्नोलॉजी—डिग्री-स्तर—प्रवेश-संख्या (हजार)	४.१	५.९	१३.९	१९.१	३७
स्वास्थ्य :					
अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या (हजार)	११३	१२५	१८६	२४०	२९
काम कर रहे डॉक्टर (हजार)	५६	६५	७०	८१	१६
उपभोग-स्तर :					
खुराक (प्रति-व्यक्ति प्रतिदिन कैलोरी-मात्रा)	१,८००	१,९५०	२,१००	२,३००	१०
कपड़ा (प्रति-व्यक्ति प्रतिवर्ष, गज-मात्रा)	९.२	१५.५	१५.५	१७.२	११

†ये अंक सन् १९५० और १९५५ ई० के कैलेण्डर-वर्ष से सम्बद्ध हैं।

योजना पर व्यय—तृतीय योजना के लिए रखे गये लक्ष्य पर सरकारी क्षेत्र में ८,०० करोड़ रुपये और निजी क्षेत्र में लगभग ४,१०० करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है। इसमें २०० करोड़ रुपये की वह राशि सम्मिलित नहीं है, जिसे सरकारी क्षेत्र से निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने का अनुमान है। सरकारी क्षेत्र में अभी ७,५०० करोड़ रुपये के वित्तीय साधन जुटाने का अनुमान लगाया गया है। नीचे की सारणी में मुख्य मदों पर वित्तीय व्यय का वितरण दिखलाया गया है। उन मदों पर द्वितीय योजना की अवधि में हुआ खर्च भी साथ में दिखाया गया है।

प्रमुख मदों पर सरकारी क्षेत्र में होनेवाले व्यय का वितरण

मदें	द्वितीय योजना		तृतीय योजना	
	कुल खर्च (करोड़ रु०)	प्रतिशत	खर्च की व्यवस्था (करोड़ रु०)	प्रतिशत
कृषि तथा सामुदायिक विकास	५३०	११	१,०६८	१४
बड़ी और मध्यम सिंचाई	४२०	९	६५०	९
बिजली	४४५	१०	१,०१२	१३
ग्राम तथा छोटे उद्योग	१७५	४	२६४	४
संगठित उद्योग और खनिज पदार्थ	९००	२०	१,५२०	२०
परिवहन तथा संचार-साधन	१,३००	२८	१,४८६	२०
समाज-सेवा तथा फुटकर	८३०	१८	१,३००	१७
इन्वेंटरी	—	—	२००	३
जोड़	४,६००	१००	७,४००	१००

सरकारी क्षेत्र में ७,५०० करोड़ रुपये के कुल व्यय में से ६,३०० करोड़ रुपये विनियोग के रूप में पूँजी-खाते में लगाये जायेंगे तथा १,२०० करोड़ रुपये ऊपरी खर्चों पर व्यय होंगे। तृतीय योजना-काल में निजी क्षेत्र द्वारा ४,१०० करोड़ की पूँजी लगाये जाने का अनुमान है। इस प्रकार दोनों क्षेत्रों में कुल १०,४०० करोड़ रुपये की पूँजी लगाई जायगी। सरकारी और निजी क्षेत्रों के पूँजी-विनियोग का प्रमुख मदों में वितरण अगले पृष्ठ की सारणी में दिखाया गया है।

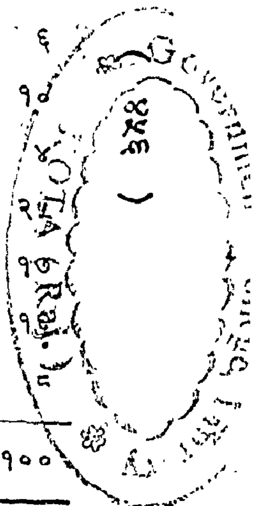
द्वितीय एवं तृतीय योजनाओं में पूंजी-विनियोग

(करोड़ रुपयों में)

मदें	द्वितीय योजना				तृतीय योजना			
	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल	प्रतिशत	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल	प्रतिशत
कृषि और सामुदायिक विकास	२१०	६२५	८३५	१२	६६०	८००	१,४६०	१४
बड़ी और मध्यम सिंचाई	४२०	*	४२०	६	६५०	*	६५०	६
बिजली	४४५	४०	४८५	७	१,०१२	५०	१,०६२	१०
ग्राम तथा छोटे उद्योग	९०	१७५	२६५	४	१५०	२७५	४२५	४
संगठित उद्योग और खनिज पदार्थ	८७०	६७५	१,५४५	२३	१,५२०	१,०५०	२,५७०	२५
परिवहन और संचार-साधन	१,२७५	१३५	१,४१०	२१	१,४८६	२५०	१,७३६	१७
समाज-सेवा तथा फुटकर	३४०	९५०	१,२९९	१९	६२२	१,०७५	१,६९७	१६
इन्वेण्टरी	—	५००	५००	८	२००	६००	८००	८
जोड़	३,६५०	३,१००†	६,७५०	१००	६,३००	४,१००†	१०,४००	१००

*कृषि और सामुदायिक विकास में सम्मिलित।

†सरकारी क्षेत्र से निजी क्षेत्र में हस्तांतरण को छोड़कर।



तृतीय योजना के प्रारम्भ में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या लगभग ९० लाख थी। इसके अतिरिक्त, १.५ से १.८ करोड़ व्यक्तियों को पूरा काम नहीं मिल सका। तृतीय योजना-काल में लगभग १.७ करोड़ नये व्यक्ति काम पाना चाहेंगे। योजना में केवल १.४ करोड़ व्यक्तियों के लिए रोजगार प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है, जिनमें लगभग ३५ लाख व्यक्ति कृषि-कार्यों में और लगभग १.०५ करोड़ व्यक्ति कृषि-भिन्न कार्यों में काम प्राप्त कर सकेंगे। तृतीय योजना की अवधि में पूरा काम न पा सकनेवाले व्यक्तियों की संख्या में भी कुछ कमी होने की सम्भावना है। इस प्रकार केवल नये आनेवाले व्यक्तियों के लिए काम जुटाने के क्रम में ३० लाख अन्य व्यक्तियों के लिए भी काम जुटाने की आवश्यकता है। तृतीय योजना में इसे एक आवश्यक उद्देश्य के रूप में लिया गया है तथा इस दिशा में आवश्यक प्रयत्न किये जा रहे हैं।

तृतीय योजना की प्रगति—सन् १९६१-६२ ई० में कृषि, ग्राम तथा लघु उद्योग और समाज-सेवा की मदों में कुछ कम व्यय हुआ। इसका मुख्य कारण योजनाएँ तैयार करने में विलम्ब और विकास की अन्य मदों में धन का लगाया जाना था। बिजली-सम्बन्धी कार्यक्रम में, व्यय में कमी बहुत-कुछ विदेशी मुद्रा के अभाव के कारण हुई, जिसके एक बड़े भाग की व्यवस्था की जा चुकी है। अधिकांश अन्य मदों में खर्च निश्चित परिमाण से अधिक हुआ। कुल मिलाकर, योजना में इस वर्ष, १,२००.७ करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था थी, जिसमें से १०६ करोड़ रुपये का उपयोग नहीं हुआ।

सन् १९६२-६३ ई० में, जैसी कि आशा थी, निश्चित राशि (१,४६६ करोड़ रुपये) से भी १५ करोड़ रुपये अधिक खर्च हुए। केन्द्रीय सरकार के खाते में कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता, परिवहन और संचार-साधन तथा समाज-सेवा की मदों में कुछ कम खर्च हुआ। राज्यों में लगभग सभी मदों में योजना में निश्चित परिमाण से अधिक ही खर्च किया गया।

सन् १९६२-६३ ई० में, योजना में पूँजी-विनियोग के लिए, चालू राजस्व से केन्द्रीय सरकार को उपलब्ध साधनों में ह्रास योजना-भिन्न व्यय के कारण हुआ। ये व्यय मुख्यतः प्रतिरक्षा, सीमावर्ती सड़कों और अल्पवेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन-मान में संशोधन से सम्बद्ध थे।

केन्द्र में अतिरिक्त कर लगाने का कार्य काफी हुआ है। अबतक उठाये गये कदमों में योजना-काल में कुल ८६० करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी का अनुमान है। सन् १९६३-६४ ई० के बजट में प्रतिरक्षा की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए अनेक नये कर लगाये गये हैं। सन् १९६२-६३ ई० में राज्यों ने ७३ करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर लगाने का लक्ष्य रखा था।

योजना के प्रथम दो वर्षों में ४० लाख अतिरिक्त लोगों के लिए काम की व्यवस्था हुई, जबकि इस अवधि में श्रमिकों की संख्या में ६१ लाख की वृद्धि हुई।

तृतीय योजना की व्यय-व्यवस्था और व्यय-सम्बन्धी प्रगति

(करोड़ रुपयों में)

मदें	तृतीय योजना की व्यय व्यवस्था १९६१-६६ केन्द्र और राज्य	१९६१-६२ वास्तविक			१९६२-६३ प्रत्याशित			१९६३-६४ बजट-अनुमान
		केन्द्र	राज्य	कुल	केन्द्र	राज्य	कुल	कुल केन्द्र और राज्य
कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता	१,०६८	१३.७	१३३.५	१४७.२	१९.९	१६७.६	१८७.५	२१६
सिंचाई और बिजली	१,६६२	८.५	२३०.१	२३८.६	१९.९	२९४.०	३१३.३	३५९
उद्योग और खनिज पदार्थ	१,७८४	२००.३	३०.९	२३१.२	३०२.०	४३.६	३४५.६	४१०
परिवहन और संचार-साधन	१,४८६	२३६.५	५३.१	२८९.६	३१२.०	५२.४	३६४.४	४००
समाज-सेवा	१,३००	७३.३	११७.९	१९१.२	८९.२	१५७.०	२४६.२	२६८
फुटकर	२००	४.१	९.६	१३.७	१२.०	११.४	२३.४	
कुल	७,५००	५३६.४	५७५.१	१,१११.५	७५४.४	७२६.०	१,४८०.४	१,६५३

भारत को अमेरिकी सहायता

सन् १९५१ ई० से अवतक भारत को दी गई अमेरिका की कुल सहायता-राशि ५ अरब २ करोड़ ३१ लाख डालर (२३९१·९ करोड़ रु०) हो गई है। इस राशि में लगभग २ अरब डालर की रकम भारत के औद्योगिक विकास के कार्यों में सहायता देने के निमित आयाल-माल का मूल्य चुकाने के लिए दी गई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना से अबतक बिजली के उत्पादन में जो वृद्धि हुई है, उसमें ५६ प्रतिशत उत्पादन अमेरिका द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप में पूँजी मुहैया करने के फलस्वरूप होगा।

शिक्षा के क्षेत्र में कृषि-विद्यालयों, राष्ट्रीय शिक्षा-संस्थान, कानपुर के भारतीय तकनीकी शिक्षा-संस्थान और बहूद्देश्यीय माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में सहायता लगाई गई है।

सरकारी कानून ४८०

पिछले वर्षों में भारत को दी गई सहायता में से लगभग २ अरब ९० करोड़ डालर चावल, गेहूँ, रुई और अमेरिका के अन्य कृषि-पदार्थों पर खर्च किये गये हैं। अमेरिका के सरकारी (कानून ४८०) के अधीन प्रदान की गई अमेरिकी कृषि-वस्तुएँ या तो पूरी तरह दान में दी गई हैं अथवा उनके मूल्य की अदायगी भारतीय मुद्रा में की जा सकेगी।

भारत-सरकार के साथ किये गये विभिन्न इकरारों के अधीन अमेरिका के कृषि और खाद्य-सामग्री-सम्बन्धी दायित्व इस समय १३ अरब ४२½ करोड़ रुपये के हैं। इसमें से ८० प्रतिशत से अधिक राशि सिंचाई के बाँधों, बिजली-योजनाओं, उद्योगों, शिक्षा एवं अनुसन्धान सम्बन्धी सुविधाओं के विस्तार, मलेरिया-उन्मूलन-कार्यक्रम और अन्य विकास-योजनाओं पर खर्च की जायगी।

तकनीकी सहायता के लिए अबतक १७०० अमेरिकी विशेषज्ञ भारत आ चुके हैं और ३००० से अधिक भारतीयों को उच्च प्रशिक्षण के लिए अमेरिका भिजवाया गया है।

अबतक भारत के गैर-सरकारी उद्योग-व्यवसायों को ३३·२ करोड़ रुपये के ऋण दिये जा चुके हैं।

भारत की तीन पंचवर्षीय योजनाओं में डालर और स्थानीय मुद्रा के रूप में जो अमेरिकी सहायता दी गई, वह इस प्रकार है—

पहली पंचवर्षीय योजना (अप्रैल, १९५१ से मार्च, १९५६ ई० तक) के लिए २४७ करोड़ रुपये; दूसरी पंचवर्षीय योजना (अप्रैल, १९५६ से मार्च, १९६१ ई० तक) के लिए ८८६ करोड़ रुपये और सन् १९६१ ई० से प्रारम्भ हुई तीसरी योजना के लिए सन् १९६३ ई० के अक्टूबर तक १२५८·९ करोड़ रुपये।

सहायता की तीन श्रेणियाँ

	करोड़ रु० में	कुल सहायता का प्रतिशत
अनुदान (अदा नहीं किया जायगा)	६४०·३	२६·८
ऋण (डालरों में भुगतान)	६४९·२	२७·२
ऋण (रुपयों में भुगतान)	१,१०२·३	४६·०
	२,३९१·९	१००·०

भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए विभिन्न देशों द्वारा आर्थिक सहायता

	१९६१-६२	१९६२-६३	१९६३-६४
		(अमेरिकी डालर में)	
अस्ट्रिया	—	५,०००,०००	७,०००,०००
बेल्जियम	—	१०,०००,०००	१०,०००,०००
कनाडा	२८,०००,०००	३३,०००,०००	३०,५००,०००
फ्रांस	१[illegible],०००,०००	४५,०००,०००	२०,०००,०००
जर्मनी	२९५,०००,०००	१३६,०००,०००	६६,५००,०००
इटली	—	५३,०००,०००	४५,०००,०००
जापान	५०,०००,०००	५५,०००,०००	६५,०००,०००
नेदरलैण्ड	—	११,०००,०००	११,०००,०००
इंगलैंड	१८२,०००,०००	८४,०००,०००	८४,०००,०००
अमेरिका	५४५,०००,०००	४३५,०००,०००	४३५,०००,०००
विश्व बैंक और अन्तर-राष्ट्रीय विकास-संस्था I. D. A.	२५०,०००,०००	२००,०००,०००	२४५,०००,०००
डालर	१,२९५,०००,०००	१,०७०,०००,०००	१,०५२,०००,०००



विभिन्न खेल-प्रतियोगिताएँ

ओलिम्पिक

ओलिम्पिक खेलों का इतिहास बहुत प्राचीन है, पर इसका वृत्तान्त ई० पूर्व ७०६ से ३९२ ई० तक ही मिलता है। प्राचीन काल में यूनान के 'ओलिम्पस' पर्वत की विशाल घाटी में खेल-महोत्सव मनाया जाता था, अतः यह 'ओलिम्पिक' नाम से प्रसिद्ध हुआ। यूनानी शब्द 'ओलिम्पियाड' का अर्थ चार व ं की अवधि होता है। यूनानी लोग प्राचीन काल में हर चार वर्ष पर यह पवित्र खेल-महोत्सव मनाते थे और यही परम्परा आजकल भी प्रचलित है।

ई० पू० १४६ तक ओलिम्पिक महोत्सव यूनान तक ही सीमित था। जब रोमनों ने यूनान पर कब्जा किया, तब वे भी इसमें भाग लेने लगे; पर वे खेल-सम्बन्धी आचार-संहिता का पालन नहीं करते थे, जिसकी शिकायतें यूनानी किया करते थे। गुस्से में आकर रोमनों ने क्रीडांगणों तथा प्रतियोगियों के निवासों को जला डाला और इस प्रकार ११० वर्षों से प्रचलित ओलिम्पक-महोत्सव का सिलसिला ३९३ ई० में टूट गया।

वर्त्तमान विश्व-खेल-प्रतियोगिता को पुनर्जीवित करने का श्रेय फ्रांस के रईस पियरे-द-कुबेर्टी को है। ४ वर्षों के अथक परिश्रम के बाद सन् १८९६ ई० में प्रथम बार अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित ओलिम्पिक खेलों का आरम्भ हुआ।

ओलिम्पिक खेल-महोत्सव में यूनान के ओलिम्पिया शहर का भी महत्त्व बना हुआ है। इस पवित्र स्थान से ही ओलिम्पिक ज्योति प्रज्वलित कर आधुनिक ओलिम्पिक प्रतियोगिता-स्थल पर लाई जाती है। प्रतियोगिता-महोत्सव संसार के किसी स्थल में क्यों न हो, ओलिम्पिक ज्योति की परिपाटी अटूट रूप से वर्त्तमान है। ओलिम्पिक ज्योति जल, थल और वायु मार्ग द्वारा बड़ी धूमधाम से प्रतियोगिता-स्थल पर लाई जाती है।

भारतीय राष्ट्रीय खेल-प्रतियोगिता के समय भी ज्योति जलाने की परिपाटी हो गई है। यहाँ ज्वालामुखी (पंजाब) में सूर्य-किरणों से ज्योति जलाई जाती है।

कालक्रमानुसार प्रचलित ओलिम्पिक खेल-महोत्सव के स्थानों की सूची इस प्रकार है—१८९६ एथेन्स (यूनान); १९०० पेरिस (फ्रांस); १९०४ सेंटलुई (अमेरिका); १९०८ लंदन (ब्रिटेन); १९१२ स्टॉकहोम (स्वीडन); १९१६ प्रथम महायुद्ध के कारण नहीं हुआ; १९२० एण्टवर्प (बेल्जियम); १९२४ पेरिस; १९२८ एमस्टरडम (हालैंड); १९३२ लॉस-ऐंजिलस (अमेरिका); १९३६ बर्लिन (जर्मनी); १९४० और १९४४ में द्वितीय महायुद्ध के कारण खेल स्थगित; १९४८ लंदन; १९५२ हेलसिंकी (फिनलैंड); १९५६ मेलबोर्न (अस्ट्रेलिया); १९६० रोम (इटली)।

सन् १९६० ई० के २५ अगस्त से ११ सितम्बर तक हुई १७वीं ओलिम्पिक-प्रतियोगिता में ८० देशों के खेलाड़ियों ने भाग लिया था। उक्त प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करनेवाले देशों की योग्यता-क्रम से सूची इस प्रकार है—

देश	पदक स्वर्ण	रजत	कांस्य	देश	पदक स्वर्ण	रजत	कांस्य
रूस	४३	२९	३१	नार्वे	१	०	०
अमेरिका	३४	२०	१६	स्विट्जरलैंड	०	२	३
इटली	१३	१०	१२	फ्रांस	०	२	३
जर्मनी	११	१९	११	बेल्जियम	०	१	२
अस्ट्रेलिया	८	८	६	ईरान	०	१	३
तुर्की	७	२	०	हालैंड	०	१	२
हंगरी	६	८	७	द० अफ्रिका	०	१	२
जापान	४	७	७	अर्जेण्टाइना	०	१	१
पोलैंड	३	६	११	संयुक्त अरब-संघ	०	१	१
चेकोस्लोवाकिया	३	२	३	कनाडा	०	१	०
रूमानिया	३	१	६	फारमोसा	०	१	०
ब्रिटेन	२	६	१२	घाना	०	१	०
डेनमार्क	२	३	१	भारत	०	१	०
न्यूजीलैंड	२	०	१	मोरक्को	०	१	०
बलगेरिया	१	३	३	पुर्त्तगाल	०	१	०
स्वीडेन	१	२	३	सिंगापुर	०	१	०
फिनलैंड	१	१	३	ब्राजिल	०	०	२
आस्ट्रिया	१	१	०	वेस्ट इण्डीज	०	०	१
युगोस्लाविया	१	१	०	इराक	०	०	१
पाकिस्तान	१	०	१	मेक्सिको	०	१	१
यूथोपिया	१	०	०	स्पेन	०	०	१
यूनान	१	०	०	वेनेजुएला	०	०	१

सन् १९६४ ई० का ओलिम्पिक-महोत्सव टोकियो में ९ अक्टूबर से १६ दिनों तक होगा।

एशियाई खेल

विश्व ओलिम्पिक खेल-समारोह की तरह सन् १९५१ ई० से चार-चार वर्षों पर एशियाई खेल-समारोह भी होने लगा है, जिसमें केवल एशियाई देश ही भाग लेते हैं। प्रथम समारोह नई दिल्ली-स्थित राष्ट्रीय क्रीडांगण में हुआ। दूसरा समारोह मनीला में १९५६ ई० में; तीसरा टोकियो में १९५८ ई० में तथा चौथा १९६२ ई० में जकार्ता में एशियाई खेल हुआ। पर, इण्डोनेशिया ने उसमें भाग लेने के लिए इजरायल और राष्ट्रवादी चीन को पारपत्र नहीं दिये, अतः अन्तरराष्ट्रीय खेलकूद-संघ ने उसे एशियाई खेलकूद का प्रमाण-पत्र देने से इनकार कर दिया तथा इण्डोनेशिया को अन्तरराष्ट्रीय खेलकूद में भाग लेने से तबतक वंचित कर दिया, जबतक वह क्षमा न माँग ले। अभी इण्डोनेशिया ने क्षमा नहीं मागी है, अतः उसका टोकियो-ओलिम्पिक में भाग लेना अनिश्चित है।

हॉकी में पाकिस्तान ने भारत को २-० से हराया।

भारत के निम्नलिखित खेलाड़ियों को जकार्ता में पदक मिले थे—

१६०० मीटर रिले—दलजीत सिंह, जगदीश सिंह, माखन सिंह, और मिसि मिलखा सिंह।

कुश्ती—(लाइट वेट) उदय चाँद; (वेल्टर वेट) एल० के० पाण्डेय; (मिडल वेट) सज्जन सिंह; (फ्लाइ वेट) मालवा १५०० मीटर (दौड़); मोहीन्दर सिंह (३ मि० ४८'६ से०) ४०० मीटर; मिलखा सिंह (४६'६ से०) डेकथलीन; गुरबचन सिंह (६७३५ अंक)।

फुटबॉल—भारत।

जकार्ता में पदक पानेवाले देशों का क्रम इस प्रकार है—

देश	स्वर्ण	रजत	कांस्य
जापान	७३	५६	२३
हिन्देशिया	११	१२	२७
भारत	११	१३	१०
पाकिस्तान	८	११	६
फिलिपाइन्स	७	७	२३
द० कोरिया	४	८	१०
मलाया	२	४	१०
थाईलैंड	२	५	४
बर्मा	२	१	५
सिंगापुर	१	०	४
लंका	०	२	३
हाँगकाँग	०	२	०
कम्बोडिया	०	०	१
द० वियतनाम	०	०	१
अफगानिस्तान	०	०	१
उत्तर बोर्नियो	०	०	०
सारवाक	०	०	०

विश्व-शतरंज-विजेता

आरम्भ १८५१ : १९३५-३७; डॉ० एमयूवे (हालैंड); १९३७--४६ ए० अलेखाइन (रूस); १९४६-४७ खेल नहीं हुआ; १९४८--५७ एम बोटविनिक (रूस); १९५७ वी० स्मिस्लोव (रूस); १९५७ एम० वोटविनिक (रूस); १९६० टाल (लटाविया); १९६१ वोटविनिक (रूस); १९६३ पेट्रोस्यन।

ओलिम्पिक फुटबॉल

१९०४ डेनमार्क; १९०८ और १९१२ ब्रिटेन; १९२० बेल्जियम; १९२४ और १९२८ उरुग्वे; १९३६ इटली; १९४८ स्वीडन; १९५२ हंगरी; १९५६ रूस; १९६० युगोस्लाविया।

विश्व फुटबॉल-प्रतियोगिता

विजय-प्रतीक जुलेस रिमेट कप; आरम्भ १९३०; प्रति चार वर्षों पर प्रतियोगिता; १९३० उरुग्वे; १९३४ और १९३८ इटली; १९५० उरुग्वे; १९५४ पश्चिमी जर्मनी; १९५८ ब्राजिल; १९६२ ब्राजिल ने चेकोस्लोवाकिया को ३-१ से हराया।

ओलिम्पिक हॉकी—१९०८ ब्रिटेन; १९२० ब्रिटेन; १९२८ से १९५६ तक हर बार भारत; १९६० पाकिस्तान; १९६४ प्राक् ओलिम्पिक हॉकी भारत।

लॉन टेनिस

डेविस कप--१९४६ से १९४९ अमेरिका; १९५० से १९५३ अस्ट्रेलिया; १९५४ अमेरिका; १९५५ से १९५७ अस्ट्रेलिया; १९५८ अमेरिका; १९५९, १९६० १९६१, १९६२ अस्ट्रेलिया; १९६१, १९६२ तथा १९६३ के पूर्वी क्षेत्र डेविस कप में भारत विजयी।

टॉमस कप (विश्व बैडमिंटन-प्रतियोगिता)

१९४९ मलाया; १९५२ मलाया; १९५५ मलाया; १९५८ इण्डोनेशिया; १९६१ इण्डोनेशिया।

स्वेथलिंग कप (विश्व टेबुल-टेनिस)—१९६३ चीन; (महिला) जापान।

विम्बलेडन-प्रतियोगिता

पुरुष एकल--१९५५ ट्रैवेएट (अमेरिका); १९५६ और १९५७ ल्युहीड (अस्ट्रेलिया); १९५८ एशलेकूपर (अस्ट्रेलिया); १९५९ आलमेडो (अमेरिका); १९६० नील फ्रेजर (अस्ट्रेलिया); १९६१ तथा १९६२ रॉड लैवर (अस्ट्रेलिया); १९६३ चार्ल्स चक मैकेकिनल (अमेरिका)।

महिला एकल--१९५३ से १९५८ अमेरिका; १९५९ और १९६० ब्राजिल; १९६१ एगेला मोर्टीमर (इंगलैंड); १९६२ श्रीमती करेन हैंजी सुसमैन (अमेरिका); १९६३ मार्गरेट स्मिथ (अस्ट्रेलिया)।

पुरुष-युगल—१९६३ रैफेल ओसुना और एण्टोनियो पैलाफॉक्स (मेक्सिको)।

महिला-युगल--१९६३ मैरियाब्यूनो (ब्राजिल) और डार्लेली हार्ड (अमेरिका)।

मिश्रित युगल—१९६३ कुमारी स्मिथ तथा केन फ्लेचर (अस्ट्रेलिया)।

राष्ट्रमंडल-खेलकूद

पर्थ (अस्ट्रेलिया) में २१ नवम्बर से १ दिसम्बर तक हुए राष्ट्रमंडल-खेलकूद-प्रतियोगिता में चीन के आक्रमण से उत्पन्न संकटकाल के कारण भारत ने भाग नहीं लिया तथा १६६६ की प्रतियोगिता कराने का निमंत्रण वापस ले लिया।

इसमें अस्ट्रेलिया को ३८, इंगलैंड को २६ तथा न्यूजीलैंड को १० स्वर्णपदक मिले।

कुछ उल्लेखनीय विश्व-अभिलेख

मोटर-कार की गति (मील प्रति घंटा) सन् १८६८ ई० में ३६·२४ मील—सी० लौवट; १६०४ में ६१.३७ मील—हेनरी फोर्ड; १६१० में १३१·७२४ मील—बी० ओल्डफील; १६१६ में १४६.८७५ मील—रॉल्फ डी० पालमा; १६३५ में ३०१·१३ मील—सर एम० कैम्पवेल; १६४७ में ३६४·१६७ मील—जॉन काब।

तने हुए रस्से पर चलने का रेकार्ड—सन् १६५५ ई० में विली पिस्चलर ११३ घंटे लगातार चलता रहा। तैराकी—१६६३ मिस्र, नेविल १८ मील ८ घंटे ४ मिनट १५ सेकेण्ड में तैर गया।

डुबकी लगाना—जैक ब्रावन, सन् १६४५ ई० में ५५० फुट नीचे गहराई [illegible] चला गया था।

ऊँचाई से पानी में कूदना—अलेक्स विकहम (सोलोमन द्वीप-समूह)—२०५ [illegible] फुट ६ इंच।

डुबकी लगाकर तैराकी—अमेरिका के फ्रेड बाल्डासारे ने ११ जुलाई, [illegible] १६६२ ई०, को १६ घण्टों में गोताखोर की पोशाक में इंगलिश चैनल को सर्वप्रथम पार किया।

पर्वतारोहण—सर एडमण्ड हिलेरी और शेरपा तेनसिंह नोरके—सन् १६५२ [illegible] ई० में एव[illegible]रेस्ट की चोटी (२६,०१८ फुट) पर चढ़े।

रेलवे-गति का विश्व-रेकार्ड—पेरिस-लीओन्स मार्ग, २४३ किलोमीटर (१५२ [illegible] मील) प्रति[illegible] घंटा।

मोटर-साइकिल—विलहेम दर्ज (जर्मनी), २१०·६४ मील प्रतिघंटा, १६५६।

डुबकी लगाना—जार्ज वुक्ले, ६०० फुट गोताखोर की पोशाक में, १६५६।

विश्व का सबसे तेज मोटरकार-चालक—जॉन काब (इंगलैंड), ३६४·१६६ मील प्रतिघण्टा, १६४७।

२४ घंटे लगातार मोटर-कार चलाने का रेकार्ड—आइस्टन (इंगलैंड) ३५७८·१ मील।

क्रिकेट

भारत में आई विदेशी क्रिकेट-टीमें

सन् १८८६-[illegible]० में ई० में सर्वप्रथम अँगरेजी टीम जी० एफ० बर्नन के नायकत्व में आई। १३ खेल, १० जीत, १ हार, २ बराबर।

सन् १८६३-६४ ई० में लार्ड हॉक के नायकत्व में अँगरेजी टीम आई। २३ खेल, १५ जीत, २ हार, ६ बराबर।

सन् १६०२-३ ई० में [illegible] ऑक्सफोर्ड-विश्वविद्यालय की टीम के० जे० के नायकत्व में आई। १६ खेल, १२ जीत, २ हार, ५ बराबर।

सन् १९२६-२७ ई० में एम० सी० सी० (इंगलैंड की राष्ट्रीय टीम मेरीलीबोन क्रिकेट क्लब) की अनौपचारिक टीम आर्थर गिलिगन के नायकत्व में आई। ३४ खेल, ११ जीत, २३ बराबर।

सन् १९३३-३४ ई० में एम० सी० सी० टीम डी० आर० जार्डाइन के नायकत्व में आई। ३४ खेल, १७ जीत १ हार, १६ बराबर; ३ टेस्ट खेल, २ जीत, १ बराबर।

सन् १९३७-३८ ई० में लार्ड टेनिसन के नायकत्व में टीम आई। २४ खेल, ८ जीत, ५ हार, ११ बराबर।

सन् १९३५-३६ ई० में जे० एस० राइडर के नायकत्व में अस्ट्रेलियन टीम अनौपचरिक रूप में आई। २३ खेल, ११ जीत, ३ हार, ९ बराबर।

सन् १९४५ ई० में ए० एल० हैसेट के नायकत्व में अस्ट्रेलिया की सैनिक एकादश-टीम आई। ९ खेल, १ जीत, २ हार, ६ बराबर।

सन् १९४८-४९ ई० में जॉन गोडार्ड के नायकत्व में वेस्ट इण्डीज की टीम आई। १६ खेल, ५ जीत, १ हार, ११ मरावर; ५ टेस्ट खेल, १ जीत, ० हार, ४ बराबर।

सन् १९४९-५० ई० में एल० लिविंगटन के नायकत्व में राष्ट्रमंडल-टीम आई। १७ खेल, ८ जीत, २ हार, ७ बराबर; अनौपचारिक ५ टेस्ट खेल, १ जीत, २ हार, २ बराबर।

सन् १९५०-५१ ई० में एल० ई० जी० एमेस के नायकत्व में राष्ट्रमंडल-टीम आई। २६ खेल, १४ जीत, १२ बराबर; ५ अनौपचारिक; ५ टेस्ट खेल, २ जीत, ३ बराबर।

सन् १९५१-५२ ई० में एन० डी० हार्वर्ड के नायकत्व में एम० सी० सी० टीम आई। १८ खेल, ७ जीत, १ हार, १७ बराबर; ५ टेस्ट खेल, १ जीत, १ हार, ३ बराबर।

सन् १९५२ ई० में पाकिस्तान की टीम ए० एन० करदार के नायकत्व में आई। ११ खेल, १ जीत, २ हार, ९ बराबर; ५ टेस्ट खेल, १ जीत, २ हार, २ बराबर।

सन् १९५३-५४ ई० में समुद्रपारीन रजत-जयन्ती क्रिकेट-खेलाड़ियों की टीम आई। २१ खेल, ३ जीत, ५ हार, १३ बराबर।

सन् १९५५-५६ ई० में न्यूजीलैंड की टीम आई। १० खेल, २ जीत, ३ हार, ५ बराबर; ५ टेस्ट खेल, ० जीत, २ हार, ३ बराबर।

सन् १९५६ ई० में अस्ट्रेलिया की टीम आई। ३ खेल, २ जीत, १ बराबर; ३ टेस्ट खेल, २ जीत, ० हार, १ बराबर।

सन् १९५७-५८ ई० में वेस्ट इण्डीज की टीम एफ० सी० एम० अलेक्जेण्डर के नायकत्व में आई। खेल १७; ९ जीत, ८ बराबर; ५ टेस्ट खेल, ३ जीत, २ बराबर।

सन् १९५९-६० ई में आर० वेनी के नायकत्व में अस्ट्रेलियन टीम आई। ७ खेल, २ जीत, १ हार, ४ बराबर; ५ टेस्ट खेल, २ जीत, १ हार, २ बराबर।

सन् १९६०-६१ ई० में फजल महमूद के नायकत्व में पाकिस्तान की टीम आई (भारतीय कप्तान नारी काण्ट्रैक्टर)। १४ खेल, ० जीत, ० हार, १४ बराबर; ५ टेस्ट खेल, ० जीत, ० हार, ५ बराबर।

सन् १९६१-६२ ई० में इंगलैंड की टीम आई। १५ खेल, ४ जीत, ९ बराबर; ५ टेस्ट खेल, ० जीत, २ हार, ३ बराबर।

भारतीय टीम विदेशों में

सन् १६११ ई० में पटियाला के महाराजा भूपेन्द्रसिंह के नायकत्व में उनकी टीम इंगलैंड गई। २३ खेल, ६ जीत, १५ हार, २ बराबर।

सन् १६३२ ई० में अ० भा० टीम कर्नल सी० के० नायडू के नायकत्व में इंगलैंड गई। ३१ खेल, १३ जीत, ६ हार, ६ बराबर; १ टेस्ट खेल, ० जीत, १ हार, ० बराबर।

सन् १६३६ ई० में विजयानगरम् के महाराजकुमार सर विजय के नायकत्व में अ० भा० टीम इंगलैंड गई। ३१ खेल, ५ जीत, १३ हार, १३ बराबर; ३ टेस्ट खेल, ० जीत, २ हार, १ बराबर।

सन् १६४५ ई० में वी० एम० मर्चेण्ट के नायकत्व में अ० भा० टीम लंका गई। ५ खेल २ जीत, ३ बराबर।

सन् १६४६ ई० में पटौदी के नवाब के नायकत्व में अ० भा० टीम इंगलैंड गई। ३३ खेल, १३ जीत, ४ हार, १६ बराबर; ३ टेस्ट खेल, ० जीत, १ हार, २ बराबर।

सन् १६४७-४८ ई० में लाला अमरनाथ के नायकत्व में अ० भा० टीम अस्ट्रेलिया गई। १६ खेल, ४ जीत, ७ हार, ८ बराबर; ५ टेस्ट खेल, ० जीत, ४ हार, १ बराबर।

सन् १६५२ ई० में वी० एस० हजारी के नायकत्व में अ० भा० टीम इंगलैंड गई। १५ खेल, ६ जीत, ५ हार, २४ बराबर; ४ टेस्ट खेल, ३ हार, १ बराबर।

सन् १६५३ ई० में वी० एस० हजारी के नायकत्व में अ० भा० टीम वेस्ट इण्डीज गई। ११ खेल, १ जीत, १ हार, ६ बराबर; ५ टेस्ट खेल, १ हार, ४ बराबर।

सन् १६५४-५५ ई० में वीनू मनकद के नायकत्व में भारतीय टीम पाकिस्तान गई। १४ खेल, ५ जीत, ६ बराबर; ५ टेस्ट खेल, सभी बराबर रहे।

सन् १६५६ ई० में डी० के० गायकवाड़ के नायकत्व में भारतीय टीम इंगलैंड गई। ३३ खेल, ६ जीत, १ हार, १६ बराबर; इनमें ५ टेस्ट थे, सभी में हार हो गई।

सन् १६६२ ई० में भारतीय टीम नारी काण्ट्रैक्टर के नायकत्व में वेस्ट इण्डीज गई। ५ टेस्ट हुए और पाँचों में भारत की हार हो गई।

टेस्ट खेलों में भारत के उल्लेखनीय अभिलेख (रेकर्ड)

अधिकतम रन, खेलाड़ी विशेषता—वीनू मनकद ने २३१ रन न्यूजीलैंड के साथ खेल (१६५५-५६) में मद्रास में बनाया था।

अधिकतम कुल रन एक पारी में—न्यूजीलैंड के साथ मद्रास टेस्ट में ५३७ (तीन विकेट पर) (१६५६); ५३६ रन (६ विकेट पर) पाकिस्तान के साथ मद्रास में (१६६१)।

हर पारी में शतक—अस्ट्रेलिया के साथ अडेलडेल में वी० एस० हजारी का ११६ और १४५ (१६४७-४८)।

पहले खेल में ही शतक—इंगलैंड के साथ बम्बई में लाला अमरनाथ का ११८ (१६३३-३४)।

पाकिस्तान के साथ कलकत्ता में डी० एच० शोधन का ११० (१६५२)। न्यूजीलैंड के साथ हैदराबाद में कृपालसिंह का १०० (अविजित)। इंगलैंड के साथ अब्बास अली बेग का १०५ रन (१६५६)।

भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट टेस्ट

	खेल	भारत की जीत	पाक की जीत	बराबर
१९५२-५३ (भारत में)	५	२	१	२
१९५४-५५ (पाकिस्तान में)	५	०	०	५
१९६०-६१ (भारत में)	५	०	०	५
कुल जोड़	—	—	—	—
	१५	२	१	१२

जोड़ी द्वारा प्राप्त अधिकतम रन एक विकेट में—मनकद और पंकज राय (प्रथम विकेट) की जोड़ी द्वारा न्यूजीलैंड के साथ मद्रास में ४१३ रन (१९५५-५६)।

अधिकतम विकेट तोड़नेवाले गेंदवाज—अस्ट्रेलिया के साथ सन् १९५९-६० ई० में कानपुर-टेस्ट में जसु पटेल ने प्रथम पारी के ९ तथा दूसरी पारी के ५ कुल १४ विकेट तोड़े और केवल ११४ रन बनने दिये। इंगलैंड के साथ सन् १९५२ ई० में मद्रास टेस्ट (पाँचवें टेस्ट) में वीनू मनकद ने प्रथम पारी में ८ तथा द्वितीय में ४ कुल १२ विकेट तोड़े। वेस्ट इण्डीज के साथ एस० पी० गुप्ते ने कानपुर में (१९५८) ९ विकेट तोड़े।

राष्ट्रीय क्रिकेट-प्रतियोगिता (रणजी-ट्रॉफी)

भारत के सुप्रसिद्ध क्रिकेट-खिलाड़ी और विश्व के प्रसिद्ध बल्लेबाज (बैट्समैन) नाभानगर के जाम साहेब स्व० रणजीत सिंह के स्मारक-स्वरूप सन् १९३४ ई० में महाराजा पटियाला ने एक स्वर्ण-कप प्रदान कर अन्तरप्रान्तीय क्रिकेट-प्रतियोगिता चलाई, जो रणजी-ट्रॉफी के नाम से प्रचलित है।

१९३४-३५	बम्बई	१९४३-४४	पश्चिम भारत	१९५२-५३	होल्कर
१९३५-३६	बम्बई	१९४४-४५	बम्बई	१९५३-५४	बम्बई
१९३६-३७	नाभानगर	१९४५-४६	होल्कर	१९५४-५५	मद्रास
१९३७-३८	हैदराबाद	१९४६-४७	बड़ौदा	१९५५-५६	बम्बई
१९३८-३९	बंगाल	१९४७-४८	होल्कर	१९५६-५७	बम्बई
१९३९-४०	महाराष्ट्र	१९४८-४९	बम्बई	१९५७-५८	बड़ौदा
१९४०-४१	महाराष्ट्र	१९४९-५०	बड़ौदा	१९५८-५९	बम्बई
१९४१-४२	बम्बई	१९५०-५१	होल्कर	१९५९-६०	बम्बई
१९४२-४३	बड़ौदा	१९५१-५२	बम्बई	१९६०-६१	बम्बई
				१९६१-६२	बम्बई की राजस्थान पर १ पारी २८७ रन से जीत

टेस्ट-खेलों में विश्व-अभिलेख

खिलाड़ी-विशेष का अधिकतम रन—सन् १९५८ ई० में वेस्ट इण्डीज के सोबर्स ने किंग्सटन में पाकिस्तान के साथ खेल में ३६५ रन (अविजित) बनाये।

सन् १९३८ ई० में अस्ट्रेलिया के साथ इंगलैण्ड के लेन हट्टन ने ओवल-क्रीडांगण में ३६४ रन बनाये; सन् १९३२-३३ ई० में वेस्ट इण्डीज के साथ खेल में इंगलैण्ड के डब्ल्यू० आर०

हैमॉरड ने आकलैंड में ३३६ रन (अविजित) बनाये; सन् १६३० ई० में अस्ट्रेलिया के डी० जी० ब्रैडमैन ने इंगलैंड के साथ खेल में लीड्स में ३३४ रन बनाये।

एक पारी में अधिकतम रन—सन् १६२६-३० ई० के वेस्ट इण्डीज के साथ खेल में इंगलैंड ने घोषित ७ विकेट पर ६०३ रन किंग्स्टन में बनाये।

एक पारी में न्यूनतम रन—आकलैंड में (१६५५) न्यूजीलैंड के इंगलैंड के साथ खेल में २६ रन।

एक खेल में न्यूनतम रन—सन् १६३१-३२ ई० में अस्ट्रेलिया के साथ मेलबोर्न ७ में दक्षिण अफ्रिका के ८१ रन (प्रथम पारी ३६ + दूसरी पारी ४५)।

लगातार पारियों में शतक—वेस्ट इण्डीज के ईवरटन वीक्स के सन् १६४७-४६ ई० में इंगलैंड के साथ खेल में १ शतक तथा भारत के साथ खेल में ४ शतक।

लगातार खेलों में शतक—इंगलैंड के साथ अस्ट्रेलिया के डी० जी० ब्रैडमैन द्वारा सन् १६३६-३८ ई० और सन् १६४६-४७ ई० में ८ शतक।

लगातार खेलों में द्विशतक—सन् १६१८-१६ ई० में अस्ट्रेलिया के साथ दूसरे और तीसरे टेस्टों में डब्ल्यू० आर० हैमॉरड (इंगलैंड) के २५१ तथा २०० रन तथा सन् १६३२-३३ ई० में वेस्ट इण्डीज के साथ खेल में उसी के पहले और दूसरे टेस्टों में २२७ और ३३६ (अविजित) रन; ब्रैडमैन (अस्ट्रेलिया) के सन् १६४४ ई० में इंगलैंड के साथ चौथे और पाँचवें टेस्टों में ३०४ और २४४ रन।

टेस्टों में अधिकतम शतक—ब्रैडमैन के २६ हैमॉरड के २२, सटक्लिफ के १६, हॉब्स के १५, हट्टन के १२, हेडले (वेस्ट इण्डीज) के १०, डी० कॉम्पटन के १०।

फुटबॉल-प्रतियोगिता

संतोष-ट्रॉफी—बंगाल के सुप्रसिद्ध भारतीय फुटबॉल-संघ आइ० एफ० ए० ने संतोष के स्वर्गीय राजा मन्मथराय चौधरी की स्मृति में यह प्रतियोगिता चलाई, जो राज्य-रेलवे तथा सैनिक-टीमों के बीच प्रतिवर्ष होती है। यह संतोष-ट्रॉफी के नाम से विख्यात है। १६४१ बंगाल; १६४२-४३ में खेल नहीं हुआ; १६४४ दिल्ली; १६४५ बंगाल, १६४६ मैसूर; १६४७ बंगाल; १६४६ से ५१ तक बंगाल; १६५२ मैसूर; १६५३ बंगाल; १६५४ बम्बई; १६५५ बंगाल; १६५६ और ५७ हैदराबाद; १६५८ और ५६ बंगाल; १६६०-६१ सेना; १६६१ रेलवे; १६६२ बंगाल ने मैसूर को हराया।

आइ० एफ० ए० शील्ड कलकत्ता—आरम्भ १८६३। १६५६ मोहन बागान; १६५७ मोहम्मडन स्पोर्टिङ्ग; १६५८ ईस्ट बंगाल; १६५६ अनिर्णीत; १६६० मोहन बागान; १६६१ मोहन बागान और ईस्ट बंगाल; १६६२ मोहन बागान; १६६३ बी० एन० रेलवे।

रोवर्स कप, बम्बई—आरम्भ १८६१। १६५५ मोहन बागान; १६५६ मोहम्मडन स्पोर्टिङ्ग; १६५७ हैदराबाद-पुलिस; १६५८ कैलटेक्स (बम्बई); १६५६ मोहम्मडन स्पोर्टिङ्ग; १६६० आन्ध्र-पुलिस; १६६१ ई० एम० ई० सेण्टर (सिकन्दराबाद); १६६२ ईस्ट बंगाल और हैदराबाद-पुलिस।

डुरण्ड-कप, दिल्ली—आरम्भ १८८८। १९५६ ईस्ट बंगाल; १९५७ हैदराबाद-पुलिस; १९५८ मद्रास रे० सें०; १९५९ मोहन बागान; १९६० मोहन बागान और ईस्ट बंगाल; १९६१ आन्ध्र-पुलिस; १९६२ में खेल नहीं हुआ।

दिल्ली क्लॉथ मिल-प्रतियोगिता—आरम्भ १९४९। १९५७ ईस्ट बंगाल; १९५८ मोहम्मडन स्पोर्टिङ्ग; १९५९ हैदराबाद-पुलिस; १९६० ईस्ट बंगाल; १९६१ मोहम्मडन स्पोर्टिङ्ग; १९६२ मद्रास रेजीमेंटल सेंटर; १९६३ ई० एम० ई० (सिकन्दराबाद)।

श्रीकृष्ण गोल्ड-कप, पटना—सन् १९५७ ई० में तत्कालीन विहार के मुख्य मन्त्री डॉ० श्रीकृष्ण सिंह के नाम पर संचालित। विजेता—१९५७ राजस्थान-क्लब, कलकत्ता; १९५८ मोहम्मडन स्पोर्टिङ्ग क्लब, कलकत्ता; १९५९ मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब, कलकत्ता; १९६० तथा १९६१ मद्रास रेजीमेंटल सेण्टर; १९६२ विहार रेजीमेंटल सेण्टर; १९६३ वर्नपुर-टीम।

अन्तरविश्वविद्यालय-प्रतियोगिता—आरम्भ १९५४। १९५५-५६ उस्मानिया; १९५७ कलकत्ता; १९५८ पंजाब; १९५९ उस्मानिया; १९६० और १९६१ कलकत्ता; १९६२ यादवपुर तथा मैसूर (संयुक्त रूप से); १९६३ कलकत्ता हराया, उस्मानिया।

कलकत्ता फुटबॉल-लीग—आरम्भ १८९८। १९५४—५६ मोहन बागान; १९५७ मोहम्मडन स्पोर्टिङ्ग; १९५८ पूर्व-रेलवे; १९५९-६० मोहन बगान; १९६१ ईस्ट बंगाल और मोहन बागान, १९६२ तथा १९६३ मोहन बागान; राष्ट्रीय फुटबॉल स्कूल राष्ट्रीय प्रतियोगिता—१९६३ वारानगर (प० बंगाल)।

राष्ट्रीय हॉकी-प्रतियोगिता—आरम्भ १९२८। विजय-प्रतीक रंगास्वामी-कप कहलाता है। १९५५ में मद्रास और सेना (संयुक्त रूप से विजयी); १९५६ सेना; १९५७—१९५९ रेलवे; १९६० सेना; १९६१ रेलवे; १९६२ पंजाब की भोपाल पर १-० से जीत।

बाइटन-कप-कलकत्ता—आरम्भ १८९५। १९५५ पश्चिम रेलवे (बम्बई) और उत्तरप्रदेश एकादश संयुक्त रूप में विजयी; १९५६ सेना; १९५७ ईस्ट बंगाल; १९५८ मोहन बागान; १९५९ सैन्य-इंजीनियर किर्की; १९६० मोहन बागान; १९६१ मध्य (सेण्ट्रल) रेलवे; १९६२ ईस्ट बंगाल; १९६३ सेण्ट्रल रेलवे ने ईस्ट बंगाल को हराया।

आगाखाँ-कप-बम्बई—आरम्भ १९३४। १९५५ पंजाब-पुलिस; १९५६ बम्बई-राज्य-पुलिस; १९५७ मद्रास इंजीनियर-दल (बँगलोर); १९५८ बर्माशेल; १९६० पंजाब-पुलिस; १९६१ भा० हॉकी-संघ अध्यक्ष एकादश; १९६१ मराठा पदाति-सेना।

महिला राष्ट्रीय हॉकी-प्रतियोगिता—आरम्भ १९३८। विजय-प्रतीक लेडी रतन ताता-कप के नाम से प्रसिद्ध है। १९३८ खड़गपुर; १९३९ कलकत्ता; १९४७—४९ बम्बई; १९५० मध्यप्रदेश; १९५१-५२, १९५३ बम्बई और बंगाल; १९५४-५५ मध्यप्रदेश; १९५७-५९ बम्बई; १९६०, १९६१, १९६२ तथा १९६३ मैसूर।

गोल्ड-कप हॉकी—१९५८ पंजाब-पुलिस; १९५९ पंजाब-पुलिस ने मध्य रेलवे को (३-२ हराया; १९६० लुसिटैनियन स्पोर्ट क्लब ने बर्मा शेल को (१—०) हराया; १९६१ मद्रास इंजीनियरिंग ग्रूप; १९६२ सेण्ट्रल रेलवे; १९६३ पंजाब-पुलिस।

अन्तर-विश्वविद्यालय हॉकी—१९५६-५७ मद्रास-विश्वविद्यालय; १९५७-५८ अलीगढ़-विश्वविद्यालय; १९५९-६० जबलपुर-विश्वविद्यालय; (महिला) पंजाब-विश्वविद्यालय ने पूना-विश्वविद्यालय को (२-०) हराया; पंजाब ने मद्रास को (२-०) हराया।

अन्तरराज्य हॉकी—१९५७ पश्चिम बंगाल ने महाराष्ट्र को (२–०) हराया; १९५८ महाराष्ट्र ने पश्चिम बंगाल को (२—१) हराया; १९५९ बंगाल (गोल औसत) से)।

राष्ट्रीय वॉलीबॉल-प्रतियोगिता

पुरुष—१९५५ पंजाब, १९५६ पंजाब; १९५७ सेना; १९५८ रेलवे; १९५९ सेना; १९६० रेलवे; १९६१ पंजाब; १९६२ पंजाब, हराया रेलवे।

महिला—१९५५ से १९६१ तक पंजाब; १९६२ मद्रास।

राष्ट्रीय कबड्डी

पुरुष—१९६२ तथा १९६३ रेलवे, हराया महाराष्ट्र। महिला—१९६२–१९६३ महाराष्ट्र, हराया विदर्भ।

अन्तर-विश्वविद्यालय—१९६२ पूना हराया बम्बई।

राष्ट्रीय लॉन टेनिस

१९६२ इमर्सन ने रामनाथन कृष्णन को हराया।

राष्ट्रीय शतरंज

१९६३ फारुख अली (महाराष्ट्र)

१९६२ के (सर्वोत्तम खिलाड़ी) अर्जुन पुरस्कार-विजेता

तिरलोक सिंह (दौड़-कूद); विलसन जॉन्स (बिलियर्ड); कुमारी मीनाशाह (बैडमिंटन); पद्म-बहादुर मल (मुक्केबाजी); तुलसीदास बलराम (फुटबॉल); नरेशकुमार (लॉनटेनिस); नृपति सिंह (वॉलीबॉल), लक्ष्मीकांत दास (भारोत्तोलन) और मालवा (कुश्ती)।

राष्ट्रीय बैडमिंटन, सर्वोच्च खिलाड़ी (१९६३)—सुरेश गोयल (उत्तरप्रदेश) हिंदकेसरी; (१९६३) —चाँदगी राम; राष्ट्रीय गोल्फ, सर्वोच्च खिलाड़ी—(१९६३) कप्तान पी० जी० सेठी।

राष्ट्रीय मार्ग तथा क्षेत्र-खेलकूद-प्रतियोगिता, १९६३

पुरुष

हैमर थ्रो—(१) निर्मल सिंह (पंजाब); (२) जे० क्लार्क (मद्रास); (३) अमरीक सिंह।

५००० मीटर—(१) नारायण सिंह राजस्थान); (२) रणजीत भाटिया (दिल्ली); (३) एस० गोविन्द राज (मद्रास); समय १४ मिनट ५०.८ सेकेण्ड।

ऊँची कूद—(१) सरनजीत सिंह (पंजाब); (२) अजित सिंह (राजस्थान); (३) एस० के० अलवा (मैसूर); अधिकतम ऊँचाई ६ फुट ४ इंच।

चक्का-फेंक—(१) डी० ईरानी (महाराष्ट्र); बी० ई० हेमैन (दिल्ली); (३) बलदेव सिंह (पंजाब); अधिकतम दूरी १५५ फुट ९ इंच।

हाफ-स्टेप कूद—(१) राजकुमार (दिल्ली); (२) एम० ए० कनिरअप्पा (मैसूर); (३) जगन्नाथ राव (मद्रास); अधिकतम दूरी ४८ फुट ९।।। इंच।

१०० मीटर—(१) के० एल० पावेज़ (मैसूर); (२) आर० तावड़े (महाराष्ट्र); (३) राजशेखरन् (मद्रास); न्यूनतम समय १०·८ सेकेण्ड ।

४०० मीटर—(१) जगदीश सिंह (पंजाब); (२) अजमेर सिंह (मध्यप्रदेश); (३) हरमिन्दर सिंह (पंजाब); न्यूनतम समय ४८·६ सेकेण्ड ।

१५०० मीटर—(१) रणजीत भाटिया (दिल्ली); (२) जरनैल सिंह (पंजाब); (३) हजारीराम (राजस्थान); न्यूनतम समय ३ मिनट ५३·६ सेकेण्ड ।

३००० मीटर स्टीपल—(१) चुन्नीलाल (पंजाब); (२) हरवंश सिंह (दिल्ली); (३) गुरदयाल सिंह (दिल्ली); न्यूनतम समय ६ मिनट २७·२ सेकेण्ड ।

लम्बी कूद—(१) गुरबचन सिंह (दिल्ली); (२) पी० बनर्जी (प० बंगाल); (३) बिरसा सिंह (उत्तरप्रदेश); अधिकतम दूरी २३ फुट ।

४०० मीटरिले—मद्रास (प्रथम); दिल्ली (द्वितीय); पश्चिम बंगाल (तृतीय); न्यूनतम समल ५१·१ सेकेण्ड ।

गोला-फेंक—(१) दिनसा ईरानी (महाराष्ट्र); (२) बी० ई० हेमैन (दिल्ली); (३) जोगीन्दर सिंह (पंजाब); अधिकतम दूरी ५२ फुट ३। इंच (नया राष्ट्रीय रेकार्ड) ।

११० मीटर बाधा—(१) गुरबचन सिंह (दिल्ली; (२) दयानंद (मद्रास); (३) एच० एस० पटेल (महाराष्ट्र); न्यूनतम समय १५.३ सेकेण्ड ।

महिलाएँ

लम्बी कूद—(१) डायना सिम (मैसूर); (२) के० एम० रोसम्मा (केरल); (३) इकबाल फिलरे; अधिकतम दूरी १६ फुट २॥ इंच ।

८०० मीटर दौड़—(१) पी० जोसेफ (केरल); (२) एम० हॉकिंस (प० बंगाल); (३) कमलेश दुग्गल (पंजाब); न्यूनतम समय २ मिनट ३·६ सेकेण्ड (नया रेकार्ड) ।

चक्का-फेंक—(१) कमलेश चटवा (मध्यप्रदेश); (२) तारामणि (राजस्थान); (३) एन० रिथसन (बंगाल); अधिकतम दूरी १०६ फुट २॥ इंच ।

१०० मीटर—(१) स्टेफी डी० सूजा; (महाराष्ट्र); (२) संदेश सोंधी (दिल्ली); एस० हॉकिंस (प० बंगाल); न्यूनतम समय पर १२·२ सेकेण्ड ।

४०० मीटरिले—(१) महाराष्ट्र; (२) दिल्ली; (३) प० बंगाल; न्यूनतम समय ५१.१ सेकेण्ड ।

लड़के

गोला-फेंक—(१) एस० एन० राय (उ० प्र०); (२) मोहीन्दर सिंह (पंजाब); (३) के० बी० टॉमस (केरल); अधिकतम दूरी ४७ फुट २। इंच ।

पोल वाल्ट—(१) सुनील घोष (प० बंगाल); (२) एम० गांगुली (प० बंगाल); (३) वाई० के० मिश्र (उ० प्र०); अधिकतम ऊँचाई ११ फुट ३१ इंच ।

१०० मीटर—(१) ई० ओवंचे (दिल्ली); (२) नोयल टिरकी (बिहार); (३) गंगा सिंह (उ० प्र०); न्यूनतम समय ११.६ सेकेण्ड ।

२०० मीटर—(१) ई० ओबंचे (दिल्ली); (२) नोयल टिरकी (बिहार); (३) पी० दुर्गा बहादुर (मैसूर); न्यूनतम समय २३.४ सेकेण्ड।

चक्का फेंक—(१) गुरदीप सिंह (राजस्थान); (२) एस० एन० राय (उ० प्र०); (३) कुलबीर सिंह (दिल्ली); अधिकतम दूरी १४३ फुट।

८०० मीटर—(१) मुनियेलप्पा (मैसूर); (२) अमरीक सिंह (पंजाब); (३) राजिन्दर सिंह (पंजाब); न्यूनतम समय २ मिनट १.७ सेकेण्ड (नया राष्ट्रीय रेकार्ड)।

११० मीटर बाधा—(१) एस० एस० कासिम (उ० प्र०); (२) एस० दस्तीदार (प० बंगाल); (३) रॉबिन्सन (राजस्थान); न्यूनतम समय १५.५ सेकेण्ड।

ऊँची कूद—(१) आर० के० सिंह (उ० प्र०); डब्लू० सिरिल (बिहार); (३) सुनील घोष (प० बंगाल); अधिकतम ऊँचाई ५ फुट ८ इंच।

लंबी कूद (लड़के)—(१) जोगीन्दर सिंह (उ० प्र०); (२) मोहीन्दर सिंह (पंजाब; (३) गंगा सिंह (उ० प्र०); अधिकतम दूरी २० फुट ७ इंच।

भाला-फेंक—(१) एस० गांगुली (प० बंगाल); (२) आर० सिंह (बिहार); (३) गुरदीप सिंह (पंजाब); अधिकतम दूरी १५७ फुट।

लड़कियाँ

भाला-फेंक—(१) शारदा यादव (राजस्थान); (२) एम० डी० कूटो (मध्यप्रदेश); (३) गुरप्रीत सिंह (पंजाब); अधिकतम दूरी १०४ फुट ½ इंच।

१०० मीटर—(१) शीला पाल (मैसूर); (२) जी० वेब फील्ड (दिल्ली); (३) चित्रा पालित (उ० प्र०) न्यूनतम समय १३.६ सेकेण्ड।

ऊँची कूद—(१) एम० डी० कूटो (मध्य प्रदेश); (२) जेनीफर वेब (मैसूर); (३) शिखा श्याम राय (उड़ीसा); अधिक ऊँचाई ४ फुट ७। इंच।

गोला-फेंक—(१) आर० मेहता (मैसूर); (२) एम० डी० कूटो (मध्यप्रदेश) (३) एम० बट्रा (उ० प्र०); अधिकतम दूरी २६ फुट ५।। इंच।

राष्ट्रीय कुश्ती-प्रतियोगिता १९६३

फ्लाइ वेट—शामलाल (पंजाब) हराया अहमद दीन (दिल्ली)।

बैंटम वेट—विशंभर दिल्ली) हराया नारायण घुमे (महाराष्ट्र)।

फेदर वेट—केशव पाटिल (महाराष्ट्र) हराया वसंत दुबल (महाराष्ट्र)।

लाइट वेट—ओमप्रकाश (दिल्ली) हराया श्रीरंग शिंदे (महाराष्ट्र)।

वेल्टर वेट—रामधन (दिल्ली) हराया महीपति चौहान (महाराष्ट्र)।

मिडल वेट—श्याम राय (महाराष्ट्र) हराया प्रेम सागर (दिल्ली)।

लाइट हेवी वेट—बसलिंगप्पा (महाराष्ट्र) हराया शंकर कर्वेकर (महाराष्ट्र)।

हेवी वेट—आनन्द जयदेव (मैसूर) हराया लाला पवार (महाराष्ट्र)।

हिंद केसरी—चाँदगी राम (दिल्ली) हराया लक्ष्मण कक्ती (मैसूर)।

★

वित्त

सार्वजनिक वित्त

संविधान के अन्तर्गत धन एकत्र करने तथा व्यय करने का अधिकार केन्द्र तथा राज्यों के बीच बाँट दिया गया है। केन्द्र तथा राज्यों के राजस्व के स्रोत भी प्रायः भिन्न हैं। इसलिए, देश में एक से अधिक बजट तथा एक से अधिक राजकोष (सरकारी खजाने) हैं।

संविधान में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि (१) बिना कानूनी अधिकार के कोई कर लगाया अथवा उगाहा नहीं जा सकता, (२) सरकारी निधियों में से व्यय केवल संविधान में उल्लिखित विधि के अनुसार ही किया जा सकता है, तथा (३) कार्यपालिकाएँ केवल संसद् द्वारा निर्धारित रीति के अनुसार ही सरकारी धन व्यय कर सकती हैं।

केन्द्रीय सरकार का समस्त राजस्व और व्यय दो अलग-अलग लेखों में दिखाया जाता है—(१) समेकित निधि, तथा (२) सरकारी लेखा। 'भारत की समेकित निधि' में केन्द्रीय सरकार का समस्त राजस्व, ऋण की राशि तथा ऋणों की अदायगी से प्राप्त राशि सम्मिलित है। इस निधि में से संसद् द्वारा पारित अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त अधिकार के बिना धन नहीं निकाला जा सकता। शेष सभी प्राप्तियाँ और व्यय—यथा, जमा-राशियाँ, सेवा-निधि, प्रेषित राशियाँ, आदि—सरकारी लेखे में डाले जाते हैं, जिसके लिए संसद् की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं है। आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जिनके सम्बन्ध में 'वार्षिक विनियोजन-अधिनियम' में कोई व्यवस्था नहीं होती, संविधान के अनुच्छेद २६७ (१) के अनुसार एक 'भारतीय आकस्मिक निधि' भी है।

संविधान के अधीन प्रत्येक राज्य के लिए भी एक-एक समेकित निधि तथा सरकारी लेखा बनाने की व्यवस्था है। इसी प्रकार, राज्यों में भी आकस्मिक निधियाँ हैं।

रेल-विभाग के अपने अलग कोष और लेखे हैं। उसका बजट भी पृथक् रूप से संसद् में प्रस्तुत किया जाता है। रेल-बजट के विनियोजन और व्यय पर भी संसद् तथा लेखा-परीक्षक का नियन्त्रण उसी रूप में रहता है, जिस रूप में अन्य विनियोजनों तथा व्यय पर।

राजस्व का वितरण—केन्द्रीय सरकार के राजस्व के मुख्य स्रोत ये हैं: सीमा-शुल्क, केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये गये उत्पादन-कर, निगम-कर तथा आय-कर (कृषि-आय पर लगाये जानेवाले करों को छोड़कर)। सम्पदा-शुल्क तथा व्यय-कर से प्राप्त होनेवाला राजस्व भी केन्द्र को प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त, रेल तथा डाक-तार-विभाग भी केन्द्र के सामान्य राजस्व में अंशदान करते हैं।

राज्यों के राजस्व के मुख्य स्रोत ये हैं: राज्य-सरकारों द्वारा लगाये गये कर तथा शुल्क; केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये गये करों का अंश तथा केन्द्र से प्राप्त होनेवाला अनुदान। राज्यों के कर-राजस्व का ८० प्रतिशत से कुछ अधिक भाग लगान, बिक्री-कर, राज्यीय उत्पादन-शुल्क, रजिस्ट्री तथा स्टाम्प-शुल्क और आयकर तथा केन्द्रीय उत्पादन-करों के अंश में प्राप्त होता है, जो राज्यों के

कुल राजस्व का आधे से अधिक भाग है। सम्पत्ति-कर, चुंगी तथा सीमाकर स्थानीय वित्त के मुख्य स्रोत हैं।

केन्द्र द्वारा राज्यों के संसाधनों का हस्तान्तरण—भारत में संघीय वित्त-प्रणाली की मुख्य बात केन्द्र द्वारा राज्यों को संसाधनों का हस्तान्तरण है। करों आदि में अपने हिस्से के अतिरिक्त राज्य-सरकारों को अनुदान तथा विकास-योजनाओं और पुनर्वास के लिए ऋण भी दिये जाते हैं। दूसरी योजना की अवधि में राज्यों को हस्तान्तरित किये गये संसाधन पहली योजना के मुकाबले दुगुने से भी अधिक थे।

तीसरा वित्त-आयोग—२ दिसम्बर, १९६० ई०, को तीसरा वित्त-आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग ने १४ दिसम्बर, १९६१ ई०, को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, जिसमें सम्पदा-शुल्क, रेलयात्री-भाड़े पर कर से सम्बद्ध अनुदान, आयकर, केन्द्रीय उत्पादन-करों, अतिरिक्त उत्पादन-करों तथा सहायता-अनुदान का राज्यों में वितरण करने के बारे में सिफारिशें की गई हैं।

वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट—प्रति वर्ष फरवरी के अन्त में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए केन्द्रीय सरकार के प्रत्याशित राजस्व तथा व्यय का विवरण संसद् में पेश किया जाता है, जिसे 'वार्षिक वित्तीय विवरण' अथवा 'बजट' कहते हैं। राजस्व तथा व्यय के अनुमानों के अतिरिक्त इस विवरण में (१) पिछले वर्ष की वित्तीय स्थिति की समीक्षा, तथा (२) पूँजीगत व्यय की व्यवस्था करने के प्रस्ताव भी रहते हैं।

बजट प्रस्तुत किये जाने के बाद संसद् के दोनों सदनों में उसपर सामान्य रूप से विचार विमर्श किया जाता है तथा प्रभारित व्यय से भिन्न व्यय के अनुमान लोकसभा में 'अनुदानों की माँगों' के रूप में रखे जाते हैं। सामान्यतः, प्रत्येक मंत्रालय के लिए अनुदानों की माँग अलग-अलग की जाती है। इस प्रकार, संसद् एक विनियोजन-अधिनियम पास करके प्रतिवर्ष समेकित निधि में से धन निकालने का अधिकार प्रदान करती है। बजट के कर-प्रस्ताव एक अन्य विधेयक में रखे जाते हैं, जिसे वर्ष के 'वित्त-अधिनियम' के रूप में पास किया जाता है। इसी प्रकार, राज्य-सरकारें भी अपने-अपने विधान-मण्डलों में, वित्तीय वर्ष आरम्भ होने के पूर्व, आय-व्यय के अनुमान प्रस्तुत करके उपर्युक्त संसदीय प्रणाली के अनुसार व्यय के लिए विधान-मण्डल की स्वीकृति प्राप्त करती हैं।

बजट-अनुमान १९६३-६४

२८ फरवरी, १९६३ ई० को, लोकसभा में प्रस्तुत सन् १९६३-६४ ई० के बजट-अनुमानों में १,८५२·४० करोड़ रु० का व्यय तथा १,५८५·७३ करोड़ रु० का राजस्व (वर्त्तमान करों के आधार पर) दिखाया गया है। सन् १९६२-६३ ई० के संशोधित अनुमानों के अनुसार व्यय तथा राजस्व क्रमशः १,५२२·३१ करोड़ रु० तथा १,५००·२५ करोड़ रु० रहे। इस प्रकार, सन् १९६३-६४ ई० के बजट में २६६·६७ करोड़ रु० का घाटा दिखाया गया है।

भारत-सरकार का राजस्व और व्यय (लाख रुपयों में)

राजस्व	१९६१-६२ लेखा	१९६२-६३ बजट	१९६२-६३ संशोधित	१९६३-६४ बजट
सीमा-शुल्क	२,१२,२५	२,०७,८२	२,३१,६५	२,२१,२० + ८,७३९*
केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क	४,८९,३१	५,२२,०२	५,५३,६९	५,८३,९६ + १,०६,६१†
निगम-कर	१,५६,४६	१,७८,४५	१,८७,५०	१,९६,०० + ३१,००*
आयकर	१,६५,२९	१,६३,३५	१,७२,५०	१,७९,०० + ३९,००*
सम्पदा-शुल्क	४,२१	४,००	४,००	४,००
सम्पत्ति-कर	८,२६	९,००	९,००	९,०० + ४०*
व्ययकर	८४	१०	२०	१०
दानकर	१,०१	८५	९५	९५
अन्य शीर्षक	१६,०२	१५,८३	१७,७५	१८,२७ + १,५०*
ऋण-व्यवस्था	१२,२२	१,६७,५१	१,७६,४९	२,१७,०५
प्रशासनिक सेवाएँ	८४	६,११	६,७५	६,७६
सामाजिक तथा विकासीय सेवाएँ	४६,५०	३५,२९	४३,३७	३१,६१
बहु-प्रयोजनी नदी-योजनाएँ, आदि	१	३६	३९	४५
सरकारी निर्माण-कार्य आदि	३,८६	४,०२	४,११	४,३८
परिवहन और संचार	२,५८	६,३०	६,६७	७,४६
मुद्रा और टकसाल	५४,४४	६९,५३	७०,५६	७३,६८
विविध	२४,९९	२४,५६	२५,६२	२४,९३
अंशदान और विविध समायोजन	२१,३१	२४,४१	२५,२०	२७,६६
असाधारण मदें	१३,९६	४०,००	६३,००	८१,००
घटाइए—राज्यों को देय आयकर का भाग	—६३,८५	—९४,७०	—९५,२७	—९७,९५

* १९६३ के बजट-प्रस्तावों का प्रभाव।

† राज्यों को देय केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (९·६० करोड़ रु०) छोड़कर।

राजस्व	१९६१-६१ लेखा	१९६२-६३ बजट	१९६२-६३ संशोधित	१९६३-६४ बजट
घटाइए—राज्यों को देय				
सम्पदा-शुल्क का भाग	—३,८८	—३,८८	—३,८८	—३,८८
जोड़—राजस्व	११,३६,७३	१३,८०,९३	१५,००,२५	१५,८५,७३ +२,६५,६०
राजस्व-लेखे में घाटा	—	७२	२२,०६	७७
व्यय				
करों और शुल्कों का संग्रह	२१,१६	२२,५८	२३,०७	२३,८३
ऋण-व्यवस्था	८२,८५	२,४७,६०	२,४६,०३	२,८०,२४
प्रशासनिक सेवाएँ	५९,१७	७०,३१	७६,३९	८८,२८
सामाजिक तथा विकासीय सेवाएँ	१,४९,८९	१,६३,२४	१,५७,२६	१,५५,४०
बहु-प्रयोजनी नदी-योजनाएँ आदि	१,१०	१,५७	७८	१,९६
सरकारी निर्माण-कार्य आदि	१९,२६	२१,८८	२३,७१	२०,९४
परिवहन और संचार	६,०४	८,७५	८,७५	९,७९
मुद्रा और टकसाल	११,६९	२०,२३	२२,९६	१७,२४
विविध	६८,७३	१,०९,४५	१,०८,४४	१,१०,९८
अंशदान और विविध समायोजन	२,७८,६६	३,३०,९७	३,३८,५०	३,४९,०४
असाधारण मदें	१३,७९	४१,४०	६४,६१	८६,१९
प्रतिरक्षा-सेवाएँ (शुद्ध)	२,८९,५४	३,४३,३७	४,५१,८१	७,०८,५१
कुल व्यय	१०,११,८८	१३,८१,६६	१५,२२,३१	१८,५२,४७
राजस्व-लेखे में बचत	१,२४,८५	—	—	—

भारत-सरकार का पूँजीगत बजट—सन् १९६३-६४ ई० में भारत-सरकार के पूँजीगत बजट में २,०८,६९७ लाख रुपये की वसूली तथा १,८२,०२५ लाख रुपये के वितरण का अनुमान है। सन् १९६२-६३ ई० के संशोधित अनुमानों के अनुसार १,५५,८९२ लाख रुपये की वसूली और १,५३,५६४ लाख रुपये के वितरण का अन्दाजा लगाया गया है।

केन्द्र और राज्यों की बजट-सम्बन्धी स्थिति—अगले पृष्ठ की सारणी में भारत-सरकार की सन् १९५०-५१, १९६१-६२ और १९६२-६३ ई० की बजट-सम्बन्धी स्थिति का विवरण दिया गया है।

भारत-सरकार की बजट-सम्बन्धी स्थिति

(करोड़ रु०)

	१९५०-५१ लेखा	१९६१-६२		१९६२-६३
		बजट	संशोधित	बजट
१. राजस्व-लेखा				
(क) राजस्व*	४०५·८६	६२०·३५	६७८·३३	१,२३६·११†
(ख) व्यय‡	३४६·६४	६२५·६२	६४४·३७	१,२३६·०९
(ग) बचत (+) या घाटा (−)	+५९·२२	−५·५७	+३३·९६	+०·०२
२. पूँजी-लेखा				
(क) आय§	१०४·४५	१,१५०·१२	१,१००·३५क	१,३१३·०२
(ख) व्यय	१८२·५६	१,२१३·९३	१,२५७·३०	१,४०२·७३
(ग) बचत (+) या घाटा (−)	−७८·१४	−६३·८१	−१५६·९५	−८९·८१
३. विविध (शुद्ध) ख	+१५·२६	−०·७८	+१·६६	+०·९५
४. कुल बचत (+) या घाटा (−)	−३·६६	−७०·१६	−१२१·३०	−८८·८४
निम्नलिखित द्वारा पूरा किया गया :				
(क) राजकोष हुण्डियाँ × वृद्धि (+) कमी (−)	−१६·१०	−६४·००	−१२६·००	−८९·००
(ख) नकद शेष वृद्धि (+) कम (−)	+१२·४४	−६·१६	+४·७०	+०·१६
(१) पूर्वशेष	१४९·५०	५०·५९	४५·२२	४९·९२
(२) इतिशेष	१६१·९४	४४·२३	४९·९२	५०·०८

टिप्पणी : सन् १९६२-६३ ई० के बजट-अनुमान वे हैं, जो लोकसभा में प्रस्तुत किये गये।

*उत्पादन-शुल्कों तथा अन्य करों में राज्यों का भाग छोड़कर।

†बजट-प्रस्तावों के प्रभाव-सहित।

‡उत्पादन-शुल्कों तथा अतिरिक्त उत्पादन-शुल्कों में राज्यों का भाग छोड़कर।

§राजकोष-हुण्डियों से होनेवाली आय के अतिरिक्त।

क. फरवरी, १९६२ ई० में निधिबद्ध ५० करोड़ रु० की राजकोष-हुण्डियों को छोड़कर।

ख. इंगलैण्ड तथा भारत के बीच नकदी का प्रेषण।

× अधिकांशतः रिजर्व बैंक को बेची गई।

सार्वजनिक ऋण

भारत-सरकार की ब्याजवाली देनदारियाँ, जो सन् १९६१-६२ ई० के अन्त में ६,७६४ करोड़ रुपये की थीं, बढ़कर सन् १९६२-६३ ई० के अन्त में ७,६६१ करोड़ रुपये की हो गईं और

अनुमान है कि सन् १९६३-६४ ई० के अन्त तक ये ६,०५६ करोड़ रुपये की हो जायेंगी। सन् १९६२-६३ ई० के अन्त में वाह्य देनदारियाँ १,३५८ करोड़ रुपये की थीं।

इन देनदारियों के मुकाबले में मार्च, १९६३ ई० के अन्त में भारत-सरकार की ब्याजदायी परिसम्पदाएँ ६,४९६ करोड़ रुपये की थीं, जो पिछले वर्ष की परिसम्पदाओं में ७९९ करोड़ रुपये अधिक थीं। सन् १९६३-६४ ई० में ब्याजदायी परिसम्पदाएँ बढ़कर ७,३८० करोड़ रु० की हो जाने की आशा है।

केन्द्रीय सरकार की देनदारियाँ तथा परिसम्पदाएँ

नीचे की सारणी में केन्द्रीय सरकार की ब्याजवाली देनदारियों तथा ब्याजदायी परिसम्पदाओं का विवरण दिया गया है।

(करोड़ रु०)

	१९३८-३९ (युद्धपूर्व वर्ष)	१९६२-६३ (संशोधित)	१९६३-६४ (बजट)
ब्याजवाली देनदारियाँ			
(भारत में)			
कुल सार्वजनिक ऋण	४८४·१७	४,२६६·०२	४,८३७·२५
कुल अनिधिवद्ध (अनफण्डेड) ऋण	२२५·१३	१,८८९·८९	२,१३६·६१
कुल जमा-राशियाँ	२७·३४	१७९·५३	२१२·२३
कुल देनदारियाँ (भारत में)	७३६·६४	६,३३२·४४	७,२८६·०९
(भारत से बाहर सरकारी ऋण)			
सार्वजनिक ऋण :			
रक्षा-बचतपत्र	—	०·०२	०·०४
अमेरिका से ऋण	—	५७१·८३	७२६·६६
अमेरकी निर्यात-आयात बैंक से ऋण	—	८६·९०	९५·४६
रूस से ऋण	—	१०४·९५	१६४·३०
इंगलैंड से ऋण	४४४·३२	१६८·५५	१९२·८९
कनाडा से ऋण	—	११·२२	८·८३
पश्चिम-जर्मनी से ऋण	—	१५५·३८	१४९·९४
जापान से ऋण	—	२४·२६	३३·०७
स्विट्जरलैंण्ड से ऋण	—	० ५०	४·५०
चेकोस्लोवाकिया से ऋण	—	०·५०	२·७०
युगोस्लाविया से ऋण	—	०·२५	३·२५
पोलैण्ड से ऋण	—	०·५३	२·१८
आस्ट्रिया से ऋण	—	—	१·००
कुवैत सरकार से ऋण	—	२८·९२	२५·७१
अन्तरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास-बैंक से ऋण	—	१८४·३१	१८८·७०
अन्तराष्ट्रीय विकास-सत्ता से ऋण	—	१५·२०	५०·२३

	१६३८-३६ (युद्धपूर्व वर्ष)	१६६२-६३ (संशोधित)	१६६३-६४ (बजट)
बैंक ऑफ इण्डिया, टोकियो, से ऋण	—	०·०६	०·०५
नये कर्जे	—	५·००	१२०·००
भारत से बाहर प्राप्त कुल ऋण	४४४·३२	१,३५८·३८	१,७६६·५४
कुल ब्याजवाली देनदारियाँ	१,१८०·६६	७,६६०·८२	६,०५५·६३
ब्याजदायी परिसम्पदाएँ			
कुल ब्याजदायी परिसम्पदाएँ	८६६·६५	६,४६५·६६	७,३८०·०७
राजकोष में नकदी और प्रतिभूतियाँ	३०·३०	१०१·६३	११५·६०
ब्याजवाली शेष देनदारियाँ जिनकी व्यवस्था उपर्युक्त परिसम्पदाओं में नहीं है	२५४·०१	१,०६२·६३	१,५५६·६६

भारत-सरकार की ऋण-स्थिति

नीचे की सारणी में भारत-सरकार तथा राज्य-सरकारों की ऋण-स्थिति का विवरण दिया गया है—

(करोड़ रुपये में)

मार्च के अन्त में	कुल ऋण	प्रतिशत वृद्धि (+) अथवा ह्रास (–)	विदेशी ऋण	
			कुल	उसमें से डालर ऋण
१६५१	२,७७३·६५	+ २·३	४६·८१	२४·६०
१६५६	३,०७०·२८	+ ७·८	१३८·८१	११७·५७
१६६२	५,८४७·७८	+ ६·७	१,११०·५५	६५०·६५

रेलवे-बजट (एक दृष्टि में)

१६ फरवरी, १९६३ ई०, को रेल-मंत्री सरदार स्वर्णसिंह ने लोकसभा में सन् १९६३-६४ ई० का रेलवे-बजट प्रस्तुत किया, जिसकी रूपरेखा नीचे की तालिका में दी गई है—

(करोड़ रु० में)

	वास्तविक १९६०-६२	बजट १९६२-६३	संशोधित अनुमान १९६२-६३	बजट अनुमान १९६३-६४
यातायात से कुल प्राप्ति	५००'५०	५४५'३६	५४६'६२	५९९'६९
संचालन-व्यय	३२५'५१	३५६'९४	३६३'२८	३७९'१८
शुद्ध-विविध व्यय (जिसमें राजस्व-खाते में दिखाये गये कार्यों का व्यय शामिल है)	१०'२४	१६'३५	१४'९१	१६'४०
मूल्य-ह्रास आरक्षित निधि के लिए विनिमय	६५'००	६७'००	६७'००	८०'००*
कुल जोड़	४००'७४	४४०'२९	४४५'१९	४७५'५८
शुद्ध रेलवे-राजस्व	९९'७५	१०५'०७	१०४'४३	१२४'११
सामान्य राजस्व को भुगतान				
(क) १९६१-६२ और १९६२-६३ के लिए लाभांश ४'२५ प्र० श० की दर से और १९६३-६४ के लिए ४'५० प्र० श० की दर से	६२'८५	६९'३५	६८'७३	८०'६१*
(ख) यात्री-भाड़े पर लगे कर के लिए भुगतान	१२'५०	१२'५०	१२'५०	१२'५०
शुद्ध बचत	२४'४०	२३'२२	२३'२०	३१'००

* इस राशि में मूल्य-ह्रास आरक्षित निधि के लिए दी जानेवाली १० रु० की अतिरिक्त रकम और सन् १९६३-६४ ई० के प्रस्तावों के अनुसार सामान्य राजस्व को दिये जानेवाले लाभांश की ४'०५ करोड़ रु० की अतिरिक्त रकम शामिल है।

विश्व के देशों के साथ भारत का सम्पर्क

भारत के संविधानानुसार यह आवश्यक है कि भारत-सरकार अन्तरराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने, विभिन्न राष्ट्रों के बीच न्यायोचित तथा सम्मान-पूर्ण सम्बन्ध कायम रखने तथा अन्तरराष्ट्रीय कानून एवं सन्धि-सम्बन्धी दायित्वों के प्रति आदर-भाव उत्पन्न करने का प्रयास करती रहे। इन निदेशक तत्त्वों के अनुसार स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद से भारत के वैदेशिक सम्बन्धों के विषय में इन बातों पर ध्यान रखा जाता है : (१) स्वतन्त्र विदेश-नीति अपनाये रखना और किसी भी गुट में सम्मिलित न होने का प्रयास करना, (२) पराधीन लोगों को स्वतन्त्र कराने के सिद्धान्त का समर्थन करना तथा जातिगत भेदभाव की नीति का विरोध करना और (३) किसी भी राष्ट्र का अन्य किसी भी राष्ट्र द्वारा शोषण न होने देने के साथ-साथ अन्तरराष्ट्रीय शान्ति तथा श्रीवृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए सभी शान्तिप्रिय राष्ट्रों तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ के साथ सहयोग करना।

संसार के विभिन्न देशों के साथ सन् १९६२ ई० में भारत का सम्बन्ध कैसा रहा, इसके विषय में केन्द्रीय सरकार की रिपोर्ट के अनुसार विवरण नीचे दिया जाता है।

भारत के पड़ोसी राष्ट्र

अफगानिस्तान—भारत ने अगस्त, १९६२ ई० में काबुल में हुए अफगान जशन (स्वाधीनता) समारोहों में भाग लिया। भारतीय प्रतिनिधियों में संगीतज्ञ, कलाकार तथा एक हॉकी खेलनेवाली टुकड़ी थी। अन्तरराष्ट्रीय व्यापार-मन्त्री श्रीमनुभाई शाह के नेतृत्व में एक भारतीय व्यापार-प्रतिनिधि-मण्डल 'भारत-अफगान-व्यापार-करार, १९६०' पर विचार करने के लिए काबुल गया।

बर्मा—बर्मा के साथ भारत के सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण बने रहे। बर्मा-सरकार ने विद्रोही नागाओं द्वारा पकड़े गये चार भारतीय सैनिकों को मुक्त कराने तथा उनको स्वदेश वापस लौटने में बहुमूल्य सहायता दी। जून, १९६२ ई० में भारतीय नौ-सेना के दो जलयान सद्भावना-यात्रा पर रंगून गये।

श्रीलंका—श्रीलंका के कर्मचारियों को भारत में प्राविधिक प्रशिक्षण-सम्बन्धी अधिकाधिक सुविधाएँ दी गईं। श्रीलंका की प्रधान मन्त्रिणी के निमन्त्रण पर भारत के प्रधान मन्त्री अक्टूबर, १९६२ ई० में श्रीलंका गये। श्रीलंका की प्रधान मन्त्रिणी ने ६ तटस्थ राष्ट्रों—इण्डोनेशिया, कम्बोडिया, घाना, बर्मा, श्रीलंका तथा संयुक्त अरब-गणराज्य—का एक सम्मेलन दिसम्बर, १९६२ ई० में कोलम्बो में इसलिए बुलाया कि चीन और भारत सीमा-विवाद पर शान्तिपूर्ण समझौता कर सकें। श्रीलंका की प्रधान मन्त्रिणी इस सम्बन्ध में पेकिंग गईं तथा नई दिल्ली भी आईं।

नेपाल—अप्रैल, १९६२ ई० में नेपाल-नरेश भारत आये। शिक्षा सम्बन्धी यात्रा पर नेपाली विद्यार्थियों तथा अध्यापकों का एक प्रतिनिधि-मण्डल भी भारत आया। भारतीय गणराज्य-दिवस, स्वाधीनता-दिवस तथा गांधी-जयन्ती के अवसर पर भारतीय कलाकार नेपाल गये। भारत में नेपाली विद्यार्थियों को प्राविधिक तथा शैक्षणिक संस्थानों में प्रशिक्षण तथा शिक्षा की सुविधाएँ सदा की भाँति इस वर्ष भी दी गईं। भारतीय पुरातत्त्ववेत्ताओं का एक मण्डल प्राचीन अवशेषों के शोधकार्य के सम्बन्ध में चार महीने तक लुम्बिनी-कपिलवस्तु-क्षेत्र में भ्रमण करता रहा।

पाकिस्तान—१ नवम्बर, १९६२ ई०, को सिन्ध नदी क्षेत्रविकास-निधि में जमा कराने के लिए, पाकिस्तान में नहरों के निर्माण-कार्य पर होनेवाले व्यय के सम्बन्ध में, भारत की ओर से दी जानेवाली तीसरी वार्षिक किस्त (६२,०६,००० पौण्ड) विश्व-बैंक को दी गई। अगस्त, १९६२ ई० में

पश्चिम बंगाल तथा पूर्व पाकिस्तान के मुख्य सचिवों का २५वाँ सम्मेलन ढाका में हुआ। इसके परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल और पूर्व पाकिस्तान की सीमा-रेखाएँ पुनः निर्धारित कर दी गईं। जुलाई, १९६२ ई० में लाहौर में हुए पंजाब तथा पश्चिम-पाकिस्तान के सीमा-अधिकारियों के एक सम्मेलन में पंजाब और पश्चिम पाकिस्तान की सीमा पर तस्करों तथा अन्य अपराधियों का पता लगाने के सम्बन्ध में कुछ निर्णय किये गये।

पाकिस्तान की ओर से बार-बार अनुरोध किये जाने पर अप्रैल, १९६२ ई० में कश्मीर के प्रश्न पर विचार करने के लिए सुरक्षा परिषद् की बैठक हुई। भारतीय प्रतिनिधि ने यह सिद्ध किया कि पाकिस्तान ने अभी तक न केवल आक्रमण की स्थिति को समाप्त करना अस्वीकार किया है, बल्कि उसने भारत पर नये आक्रमण भी किये हैं। उसने परिवर्त्तित स्थितियों पर प्रकाश डाला। भारतीय संघ की सीमा के कुछ भाग की सीमा-रेखा निर्धारित करने के सम्बन्ध में चीन तथा पाकिस्तान के बीच हुई समझौता-वार्त्ता पर भी प्रकाश डाला गया। सोवियत संघ के निषेधाधिकार से आयरलैण्ड द्वारा प्रस्तावित एक प्रस्ताव के रद्द कर दिये जाने पर २२ जून को सुरक्षा-परिषद् की बैठक स्थगित हो गई।

२९ नवम्बर, १९६२ ई० के भारत के प्रधान मन्त्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति के संयुक्त वक्तव्य में घोषित निर्णय के अनुसार क्रमशः श्रीस्वर्णसिंह तथा श्री जेड० ए० भुट्टो की अध्यक्षता में भारत तथा पाकिस्तान के प्रतिनिधि-मण्डलों की दिसम्बर, १९६२ ई० में रावलपिण्डी में बैठक हुई और उन्होंने कश्मीर-सहित भारत-पाकिस्तान की विभिन्न समस्याओं पर विचार-विनिमय किया। मई, १९६३ ई० तक ६ वार्त्ताएँ हुईं, किन्तु कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका।

दक्षिण-पूर्व एशिया

अस्ट्रेलिया—भारत पर हुए चीनी आक्रमण के सम्बन्ध में अस्ट्रेलिया की सरकार ने भारत के साथ पूर्ण सहानुभूति प्रकट की। कोलम्बो-योजना के आर्थिक विकास तथा प्राविधिक सहायता-कार्यक्रमों के अधीन अस्ट्रेलिया भारत को अनुदान देता आ रहा है।

कम्बोडिया—कम्बोडिया के राष्ट्राध्यक्ष श्रीनरोत्तम सिंहानूक जनवरी-फरवरी, १९६३ ई० में राजकीय यात्रा पर भारत आये। दिसम्बर १९६२—जनवरी, १९६३ ई० में एक कम्बोडियाई सद्भावना-मण्डल भी भारत आया।

लाओस—जुलाई, १९६२ ई० में जेनेवा में लाओस के सम्बन्ध में १४ राष्ट्रों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें लाओस की तटस्थता-सम्बन्धी एक घोषणा पर हस्ताक्षर किये गये और लाओस की प्रभुसत्ता, स्वतन्त्रता, तटस्थता तथा क्षेत्रीय अखण्डता को स्वीकार करने तथा उसका सम्मान करने का निश्चय किया गया। लाओस-सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रीय निरीक्षण तथा नियन्त्रण-आयोग का अध्यक्ष-पद भारत को प्राप्त है।

इण्डोनेशिया—भारतीय वायुसेना के अधिकारियों की एक टुकड़ी अगस्त, १९६२ ई० में एवरो ७४८ विमान लेकर इण्डोनेशिया गई और उसने कई प्रदर्शन-उड़ानें कीं। भारत ने अगस्त, १९६२ ई० में जकार्त्ता में हुए चौथे एशियाई खेलकूद-समारोह में भाग लिया।

मलय—मलय के प्रधान मन्त्री श्रीटंकू अब्दुल रहमान अक्टूबर, १९६२ ई० में भारत आये। उन्होंने चीनी आक्रमण की निन्दा की और खुले शब्दों में भारत के प्रति सहानुभूति प्रकट की तथा भारत के पक्ष का समर्थन किया। मलय में एक 'लोकतन्त्र-रक्षानिधि' की व्यवस्था की

गई है और भारत को अबतक इस निधि से १० लाख रुपये प्राप्त हो चुके हैं। भारतीय नौ-सेना के ३ जलयान जुलाई में पेनांग गये और अगस्त, १६६२ ई० में भारतीय वायुसेना के अधिकारियों की एक टुकड़ी एवरो-७४८ विमान लेकर मलय गई।

न्यूजीलैंड—न्यूजीलैंड की सरकार ने चीनी आक्रमण द्वारा उपस्थित संकट के प्रश्न पर भारत के साथ अपनी पूर्ण सहानुभूति प्रकट की। अक्टूबर, १६६२ ई० में एक भारतीय संगीत तथा नृत्य-मण्डली न्यूजीलैंड गई। कोलम्बो-योजना के अधीन न्यूजीलैंड भारत को पर्याप्त पूँजीगत सहायता दे रहा है।

सिंगापुर—भारतीय नौ-सेना के तीन जलयान जुलाई, १६५२ ई० में सिंगापुर गये। सिंगापुर के प्रधान मन्त्री अप्रैल तथा सितम्बर, १६६२ ई० में दो बार भारत आये।

फिलिपाइन—फिलिपाइन-सरकार ने चीनी आक्रमण के सम्बन्ध में भारत के साथ अपनी सहानुभूति प्रकट की है।

थाईलैंड—चीनी आक्रमण के प्रश्न पर थाई-सरकार ने भारत के साथ पूरी सहानुभूति प्रकट की है तथा भारत के पक्ष का समर्थन किया है। अप्रैल, १६६२ ई० में थाईलैंड के सर्वोच्च धर्माधिकारी भारत आये।

पूर्व एशिया

चीन—सन् १६६२ ई० में भारत के विरुद्ध चीन के अकारण आक्रमण के कारण भारत तथा चीन के सम्बन्ध तेजी से बिगड़ते गये। तत्सम्बन्धी विवरण अलग से परिशिष्ट में दिया गया है।

जापान—इस वर्ष जापान जानेवाले प्रतिष्ठित भारतीय यात्रियों में हैं—भारत के प्रधान न्यायाधीश श्री बी० पी० सिन्हा; वित्तमन्त्री श्रीमोरारजी आर० देसाई; सामुदायिक विकास तथा सहकारिता-मन्त्री श्री एस० के० डे; स्वास्थ्य-मन्त्री डॉ० सुशीला नय्यर; वैदेशिक विभाग की राज्यमन्त्रिणी श्रीमती लक्ष्मी एन० मेनन तथा राज्यसभा की उपाध्यक्षा श्रीमती वायलट अल्वा।

भारत तथा जापान के बीच होनेवाले व्यापार में वृद्धि पर विचार करने के लिए नवम्बर, १६६२ ई० में जापान के अन्तरराष्ट्रीय व्यापार तथा उद्योग-मन्त्री श्री एच० फुकुडा भारत आये। १७ नवम्बर, १६६२ ई०, को उन्होंने कलकत्ता में भारत-जापान प्रोटोटाइप शिक्षण-केन्द्र का भी उद्घाटन किया। कई औद्योगिक परियोजनाओं के लिए आवश्यक पूँजीगत सामान के आयात के लिए जापान अबतक भारत को १०२·३७ करोड़ रुपये का ऋण दे चुका है।

कोरियाई प्रजातान्त्रिक लोक-गणराज्य—मार्च, १६६२ ई० में कोरिया के प्रजातान्त्रिक लोक-गणराज्य तथा भारत के बीच वाणिज्यिक सम्बन्ध स्थापित हुए।

कोरियाई गणराज्य—भारत तथा कोरिया-गणराज्यों के बीच वाणिज्यिक सम्बन्ध स्थापित हुए। अगस्त, १६६२ ई० में कोरियाई आवास-निगम का एक प्रतिनिधि-मण्डल दिल्ली आया और उसने भारत की आवास-व्यवस्था का सामान्य अध्ययन किया। सितम्बर, १६६२ ई० में एक सद्भावना तथा सांस्कृतिक मण्डल भारत आया। भारत-सरकार की आयोजना तथा बजट-व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए नवम्बर, १६६२ ई० में कोरिया के मन्त्रिमण्डलीय आयोजन तथा नियन्त्रण-महानिदेशक भारत आये। भारत-प्रशान्त मछली-उद्योग-परिषद् के १०वें अधिवेशन में भाग लेने के लिए एक भारतीय मछली-उद्योग-विशेषज्ञ अक्टूबर, १६६२ ई० में दक्षिण कोरिया गया।

मंगोलियाई लोक-गणराज्य—पेकिंग-स्थित भारतीय दूतावास के कार्यकारी राजदूत श्री पी० के० बनर्जी मंगोलियाई लोक-गणराज्य के ४१वें वार्षिक समारोह में भाग लेने के लिए जुलाई, १९६२ ई० में मंगोलिया गये। लोकसभा के अध्यक्ष श्रीहुकम सिंह के नेतृत्व में एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधि-मण्डल सितम्बर-अक्टूबर, १९६२ ई० में मंगोलिया गया।

पश्चिम एशिया

संयुक्त अरब-गणराज्य ने चीन के साथ भारत के विवाद पर भारत के साथ सहानुभूति प्रकट की। इस विवाद के समाधान के लिए २६ अक्टूबर, १९६२ ई०, को राष्ट्रपति नासिर ने एक चारसूत्री प्रस्ताव रखा, जिसका भारत ने तो स्वागत किया, किन्तु चीन ने अस्वीकार कर दिया। संयुक्त अरब-गणराज्य के प्रधान मन्त्री श्रीअली साबरी भारत भी आये।

वैदेशिक मामलों के मन्त्रालय के तत्कालीन विशेष सचिव श्री वी० एफ० एच० बी० तय्यबजी पश्चिम एशिया की दूसरी यात्रा पर गये और १० मई, १९६२ से १ जून, १९६२ ई० तक उन्होंने तेहरान, बगदाद, यरुशलम, यमन, दमिश्क, निकोसिया तथा बेरूत की यात्रा की। उन्होंने प्रमुख तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों से समान समस्याओं पर विचार-विमर्श किया और बेरूत में ईरान, सीरिया, लेबनान, संयुक्त अरब-गणराज्य तथा सऊद अरब-स्थित भारतीय कूटनीतिक मण्डलों के अध्यक्षों के एक सम्मेलन की अध्यक्षता की, जिसमें इन देशों के साथ भारत के सम्बन्धों में वृद्धि करने के उपायों पर विचार किया गया। भारत की धर्मनिरपेक्ष नीति तथा कश्मीर-नीति का सविस्तर स्पष्टीकरण करने तथा इसके प्रति विदेशों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए वैदेशिक मामलों के उपमन्त्री श्रीदिनेश सिंह जुलाई, १९६२ ई० में बगदाद, बेरूत, काहिरा तथा दमिश्क गये।

सितम्बर, १९६२ ई०, में यमन में एक क्रान्ति हुई और इमाम के शासन के स्थान पर वहाँ एक गणराज्य की स्थापना हुई। भारत ने अक्टूबर, १९६२ ई० में यमन के नये अरब-गणराज्य को अपनी मान्यता दे दी।

अफ्रिका

सन् १९६२ ई० में वैदेशिक मामलों की राज्यमन्त्रिणी श्रीमती लक्ष्मी मेनन इथियोपिया, केनिया, तांगानिका तथा युगाण्डा गईं; कानून-मन्त्री श्री ए० के० सेन तथा वैदेशिक मामलों के मन्त्रालय के महासचिव श्री आर० के० नेहरू नवम्बर, १९६२ ई० में घाना गये और वैदेशिक मामलों के उपमन्त्री श्रीदिनेश सिंह ने अक्टूबर, १९६२ ई० में युगाण्डा के स्वाधीनता-समारोह में भारत की ओर से भाग लिया। सितम्बर, १९६२ ई० में प्रधान मन्त्री श्रीनेहरू नाइजीरिया गये। भारत तथा नाइजीरिया के प्रधान मन्त्रियों ने पारस्परिक हित के कई मामलों पर विचार-विनिमय किया और दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में वर्तमान सहयोग पर सन्तोष प्रकट किया।

भारत ने २ जुलाई, १९६२ ई०, को अल्जीरिया को मान्यता दी और राजदूतावास के स्तर पर उसके साथ कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित किये। सद्भावना के रूप में भारत-सरकार ने मोरक्को तथा ट्यूनीशिया से अपने घर वापस लौटनेवाले अल्जीरियाई शरणार्थियों के पुनर्वास तथा सहायता के लिए ६०,००० रुपये के मूल्य की ओषधियाँ तथा तम्बू आदि भेंट में दिये। सरकार ने अप्रैल, १९६२ ई० में तूफान-पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए ४,५०० रुपये के मूल्य की सामग्री मेडागास्कर भेजी। सरकार ने जंजीबार के बाढ़-पीड़ित व्यक्तियों के लिए भारतीय रेडक्रॉस-समिति के माध्यम से २,७०० रुपये के मूल्य के बहु-खाद्योज (मल्टी-विटामिन) तथा मैकपेरीन गोलियाँ भेजीं।

सितम्बर-अक्टूबर, १९६२ ई० में कैमरून के विदेश-उपमन्त्री के नेतृत्व में संघीय कैमरून-गणराज्य का एक सद्भावना-मण्डल भारत आया। भारत ने काँगो की समस्या के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रयासों का पूरा-पूरा समर्थन किया तथा उसे सक्रिय सहायता दी। कुल मिलाकर लगभग ६,००० भारतीय सैनिक तथा विमान काँगो में संयुक्त राष्ट्रसंघ की सेवा में लगे रहे। भारत काँगो-सम्बन्धी कार्यों पर होनेवाले व्यय के अपने भाग के रूप में भी संयुक्त राष्ट्र-संघ को योगदान देता रहा, जो ३० जून, १९६२ ई० तक १,२४,६५,५३० रुपये के लगभग हुआ।

यूरोप

सन् १९६२ ई० में यूरोप के देशों के साथ भारत के सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण बने रहे।

साइप्रस—अक्टूबर-नवम्बर, १९६२ ई० में साइप्रस के राष्ट्रपति आर्कबिशप मकारियोस राजकीय यात्रा पर भारत आये। अपनी यात्रा के अवसर पर राष्ट्रपति ने प्रधान मन्त्री के साथ वर्त्तमान अन्तरराष्ट्रीय स्थिति तथा पारस्परिक हित के प्रश्नों पर विचार-विनिमय किया। राष्ट्रपति ने चीनी आक्रमण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में भारत के साथ साइप्रस की सहानुभूति प्रकट की तथा भारत के पक्ष का समर्थन किया।

चेकोस्लोवाकिया—भारत के कानून-मन्त्री श्री ए० के० सेन सन् १९६२ ई० में चेकोस्लोवाकिया गये। चेक-सरकार ने चेकोस्लोवाकिया में स्नातकोत्तर अध्ययन तथा अनुसन्धान के लिए भारतीय विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ दीं। चेक-सरकार ने मशीनों तथा उपकरणों के आयात के लिए २३.१ करोड़ रुपये के ऋण भी भारत को दिये।

फ्रांस—लन्दन में राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मन्त्री-सम्मेलन की समाप्ति के पश्चात् प्रधान मंत्री श्रीनेहरू सितम्बर, १९६२ ई० में पेरिस गये और उन्होंने राष्ट्रपति दगाल तथा फ्रांसीसी प्रधान मन्त्री श्रीपाम्पीडू के साथ अन्तरराष्ट्रीय स्थिति तथा पारस्परिक हित के विषयों पर वार्त्तालाप किया।

दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में फ्रांसीसी सरकार ने २५० करोड़ फ्रांसीसी फ्रांक (लगभग २४'१ करोड़ रु०) के मूल्य की पूँजीगत सामग्री के आयात के लिए भारत को ऋण दिया। बाद में यह ऋण की राशि को बढ़ाकर ५०० करोड़ फ्रांक कर दिया गया। इसी प्रकार, १४.२६ करोड़ रुपये का ऋण तीसरी योजना की परियोजनाओं के लिए भी प्राप्त हुआ है। फ्रांस में भारतीय विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण की सुविधाओं तथा विशेषज्ञों की सेवाओं की भी व्यवस्था की गई है।

संघीय जर्मन गणराज्य—जर्मन-गणराज्य के राष्ट्रपति श्री एच० ल्यूबके अपने विदेश-मन्त्री के साथ नवम्बर-दिसम्बर, १९६२ ई० में भारत आये। श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित अक्टूबर-नवम्बर, १९६२ ई० में संघीय गणराज्य की यात्रा पर गईं। पश्चिम जर्मनी के खिलाड़ियों की एक टुकड़ी भी इस वर्ष भारत आई।

संघीय जर्मन-गणराज्य के साथ आर्थिक सहयोग का आरम्भ राउरकेला इस्पात-संयन्त्र के लिए ६६ करोड़ मार्क (७७.७६ करोड़ रुपये) के ऋण के लिए एक करार पर हस्ताक्षर करने के साथ फरवरी, १९५८ ई० में हुआ। तब से जर्मन-गणराज्य की ओर से ऋण, अनुदान तथा प्राविधिक सहायता अधिक-से-अधिक मात्रा में मिलती आ रही है। अबतक २८७.७६ करोड़ मार्क (३८२.५५ करोड़ रुपये) का कुल ऋण प्राप्त हो चुका है।

पोलैण्ड—जनवरी, १९६३ ई० में पोलैण्ड के विदेश-मन्त्री श्री ए० रापाकी भारत आये और उन्होंने भारत के प्रधान मन्त्री तथा उनके सहयोगियों के साथ वर्त्तमान अन्तरराष्ट्रीय स्थिति तथा

पारस्परिक हित के विषयों पर विचार-विनिमय किया। पोलैण्ड की लोक-गणराज्य-सरकार अब-तक भारत को २६.८ करोड़ रुपये के दो ऋण दे चुकी है।

रूमानिया—रूमानिया के राष्ट्रपति अपने प्रधान मन्त्री तथा विदेश-मन्त्री के साथ अक्टूबर, १६६२ ई० में राजकीय यात्रा पर भारत आये। १ जनवरी, १६६२ ई० को गौहाटी में उद्घाटित तेल-शोधनालय के निर्माण में रूमानिया की सरकार ने प्राविधिक तथा वित्तीय सहायता दी।

ब्रिटेन—भारत तथा ब्रिटेन के बीच आर्थिक, राजनीतिक तथा शिक्षा-सम्बन्धी क्षेत्रों में सदा की भाँति निकटतर सम्बन्ध बने रहे। प्रधान मन्त्री श्रीनेहरू ने सितम्बर, १६६२ ई० में लन्दन में हुए वार्षिक राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मन्त्री-सम्मेलन में भाग लिया। ब्रिटिश सरकार ने चीनी आक्रमण के अवसर पर भारत के साथ पूर्ण हार्दिक सहानुभूति प्रकट की तथा इसके पक्ष का समर्थन किया। इस आक्रमण का सामना करने के लिए ब्रिटेन से शस्त्र, उपकरण आदि भी प्राप्त हुए। चीनी आक्रमण के पश्चात् भारत आनेवाले प्रतिष्ठित ब्रिटिश यात्रियों में राष्ट्रमण्डलीय सम्बन्ध-मन्त्री श्रीडंकन सैंड्स थे।

ब्रिटिश-सरकार कोलम्बो-योजना के अधीन सन् १६५१ ई० में इसके आरम्भ होने के समय से अनुदान के रूप में बहुमूल्य सहायता देती आ रही है। इसके साथ-साथ पिछले ५ वर्षों में ब्रिटेन से द्विदेशीय करारों के अधीन दीर्घकालीन ऋण भी प्राप्त हुए हैं। अबतक १७.५५ करोड़ पौण्ड (२३४ करोड़ रुपये) के ऋण प्राप्त हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त दुर्गापुर इस्पात-संयन्त्र की अर्थ-व्यवस्था के लिए ग्रेटब्रिटेन के बैंकों के एक संघ ने १.१५ करोड़ पौंड (१५.३३ करोड़ रुपये) का ऋण दिया है।

सोवियत रूस—भारत-चीन विवाद के बावजूद सोवियत संघ के साथ भारत के सम्बन्ध सदा की भाँति मैत्रीपूर्ण बने रहे। जुलाई, १६६२ ई० में सोवियत-मन्त्रिपरिषद् के सर्वोच्च प्रथम उपाध्यक्ष श्रीअनस्तास मिकोयान भारत आये। सितम्बर-अक्टूबर, १६६२ ई० में एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमण्डल सोवियत रूस की यात्रा पर गया। ओडेसा में भारतीय वाणिज्य-दूतावास स्थापित हुआ और भारत ने इस वर्ष सोवियत रूस के साथ एक जहाजरानी-करार पर भी हस्ताक्षर किये।

सोवियत-संघ भारत की विकास-परियोजनाओं के लिए ऋणों तथा सीधे अनुदानों के रूप में पर्याप्त सहायता देता आ रहा है। अबतक सोवियत रूस की सरकार द्वारा स्वीकृत सहायता की कुल राशि ३८४.६६ करोड़ रुपये तक पहुँच चुकी है। इस सहायता का अधिकांश २॥ प्रतिशत वार्षिक व्याजवाले ऋण के रूप में है। १० लाख टन की क्षमतावाला भिलाई-स्थित इस्पात-संयन्त्र भारत-सोवियत रूस-सहयोग का एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण है।

युगोस्लाविया—दिसम्बर, १६६२ ई० में युगोस्लाविया के उपराष्ट्रपति श्रीएडवर्ड कार्डेल्ज अपने वित्तमन्त्री के साथ सद्भावना-यात्रा पर भारत आये। जनवरी, १६६० ई० में युगोस्लाविया की सरकार ने भारत द्वारा पूँजीगत सामग्री तथा उपकरण खरीदे जाने की सुगमता के लिए १६.०५ करोड़ रुपये का ऋण देना स्वीकार किया था। ३.८७ करोड़ रुपये की सामग्री के लिए ऑर्डर पहले ही दिया जा चुका है।

आस्ट्रिया, बेल्जियम, इटली, नेदरलैण्ड, नार्वे, स्विटजरलैण्ड आदि देश भी भारत को समय-समय आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता देते रहे हैं।

अमेरिका महाद्वीप

ब्राजिल—अगस्त, १९६२ ई० में सामुदायिक विकास-उपमन्त्री श्री बी० एस० मूर्ति के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल पेट्रोपॉलिस में हुए समाज-कार्य-सम्मेलन में भाग लेने गया। एक अन्य भारतीय संसदीय प्रतिनिधि-मण्डल ने अक्टूबर-नवम्बर, १९६२ ई० में ब्राजीलिया में हुए ५१वें अन्त:संसदीय सम्मेलन में भाग लिया।

कनाडा—कनाडा के राष्ट्रीय प्रतिरक्षा-कॉलेज के १७ अधिकारियों की एक टुकड़ी मई, १९६२ ई० में एक सप्ताह की यात्रा पर भारत आई। कनाडा में एक सैनिक अधिकारी ने वेलिंगटन-स्थित भारतीय प्रतिरक्षा सेवा कर्मचारी-कॉलेज में और एक भारतीय सैनिक अधिकारी ने किंगस्टन-स्थित कनाडा के सैन्य कर्मचारी-कॉलेज में अध्ययन किया। भारत ने मई, १९६२ ई० में कनाडा में हुए राष्ट्रमण्डलीय प्रतिरक्षा-विज्ञान-सम्मेलन तथा दूसरे राष्ट्रमण्डलीय अध्ययन-सम्मेलन में भाग लिया।

चीनी आक्रमण के अवसर पर भारत को पूर्ण हार्दिक सहयोग तथा समर्थन प्रदान करने के साथ-साथ कनाडा विभिन्न परियोजनाओं—मुख्यतः कुण्डा, मयूराक्षी तथा उम्त्रु बाँध-परियोजनाओं और ट्राम्बे-स्थित परमाणु-भट्ठी—के लिए पूँजी तथा प्राविधिक उपकरण भी देता आ रहा है।

मेक्सिको—अक्टूबर, १९६२ ई० में मेक्सिको के राष्ट्रपति श्रीएडोल्फो लोपेज माटेओस भारत आये। औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रतिनिधि-मण्डलों का पारस्परिक आदान-प्रदान स्वीकार किया गया। मेक्सिको का एक व्यापारिक प्रतिनिधि-मण्डल जनवरी, १९६३ ई० में भारत आया।

अमेरिका—भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश श्री बी० पी० सिन्हा मई, १९६२ ई० में अमेरिका गये। प्योर्टोरिको में हुए मध्यमस्तरीय मानवशक्ति-सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल के नेता सामुदायिक विकास तथा सहकारिकता-मन्त्री श्री एस० के० डे सम्मेलन के बाद अमेरिका गये। राज्यसभा की उपाध्यक्षा श्रीमती वायलट अल्वा तथा वैदेशिक मामलों की राज्यमन्त्रिणी श्रीमती लक्ष्मी मेनन भी जुलाई, १९६२ ई० में अमेरिका गईं।

चीनी आक्रमण का सामना करने के लिए अमेरिका ने भारत को अपना पूर्ण समर्थन तथा तुरन्त सैनिक सहायता प्रदान की। भारत की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने तथा वर्त्तमान सैनिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए नवम्बर, १९६२ ई० में अमेरिका के सुदूरपूर्व मामलों के सहमन्त्री श्रीऐवरेल हैरिमेन भारत आये। भारत आनेवाले अन्य यात्रियों में अमेरिकी संसद् (सीनेट) के बहुसंख्यक दल के नेता के नेतृत्व में ११ संसत्सदस्यों का एक दल, संसत्सदस्य श्रीमेन्सफील्ड, श्रीपाल नीत्शे, सहायक प्रतिरक्षा-मन्त्री तथा अमेरिकी सरकार के वाणिज्य-सचिव श्रीलूथर एच० हॉज्स प्रमुख हैं।

सन् १९५१ ई० के बाद से भारत अनुदानों, दीर्घकालीन ऋणों, अमेरिकी प्राविधिज्ञों की सेवाएँ तथा अमेरिकी संस्थाओं में भारतीय नागरिकों के लिए प्रशिक्षण की सुविधाएँ आदि के रूप में अमेरिका से काफी आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता प्राप्त कर चुका है। अमेरिकी सरकार ने रुपयों में भुगतान के आधार पर कृषिजन्य वस्तुएँ भी काफी मात्रा में भारत को दीं। ये रुपये भारत को पारस्परिक रूप से स्वीकृत विकास-परियोजनाओं के लिए ऋणों तथा अनुदानों के रूप में प्राप्त हुए। भारत को विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन अबतक ४,३४,९१,५०,००० डालर (२०,७०,६६,००,००० रुपये) के मूल्य की सहायता का आश्वासन प्राप्त हो चुका है। इसके

अतिरिक्त, भारत को सार्वजनिक कानून ४८० के अधीन १५,५०,१०,००० डालर के मूल्य की कृषिजन्य वस्तुओं के रूप में भी अमेरिकी सहायता प्राप्त हो चुकी है।

भारत को अमेरिका के फोर्ड-प्रतिष्ठान तथा रॉकफेलर-प्रतिष्ठानों से भी बहुमूल्य सहायता प्राप्त हुई, जो ३० सितम्बर, १९६२ ई० तक क्रमशः ५,०९,४६,९२६ डालर तथा १,४१,२६,६८३ डालर तक पहुँच गई है।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय संगठन

स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद से संयुक्त राष्ट्रसंघ और उसकी विशिष्ट संस्थाओं तथा अन्य अन्तरराष्ट्रीय संगठनों की काररवाइयों में भारत बराबर भाग लेता आ रहा है सन् १९६२ ई० में भारत ने इस क्षेत्र में जो भाग लिया, उसका संक्षिप्त विवरण आगे दिया जा रहा है।

राजनीतिक

सन् १९६२ ई० में संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभा के १७वें अधिवेशन में भाग लेनेवाले भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल के सदस्य इस प्रकार थे।

प्रतिनिधि—सर्वश्री वी० के० कृष्ण मेनन (अध्यक्ष), बी० एन० चक्रवर्ती, एन० सी० कासलीवाल, आर्थर एस० लाल, मुहम्मद अजीम हुसैन।

वैकल्पिक प्रतिनिधि—सर्वश्री गोविन्द सहाय, जे० जे० अंजारिया, जे० एन० खोसला।

संसदीय सलाहकार—सर्वश्री जे० सी० जमीर, जे० बी० एस० राव।

सलाहकार—सर्वश्री ए० बी० भडकामकर, नरेन्द्र सिंह, बी० ए० किदवई, रमेश भण्डारी, बी० सी० मिश्र, के० नटवरसिंह, जे० आर० हिरेमठ।

सलाहकार तथा महासचिव—श्री बी० एल० शर्मा।

उपनिवेशवाद—उपनिवेशवाद-उन्मूलन के प्रश्न पर महासभा द्वारा अपने पिछले अधिवेशन के अवसर पर गठित १७ सदस्यों की विशेष समिति के अध्यक्ष-पद पर भारत इस बार भी प्रतिष्ठित रहा। महासभा ने विशेष समिति के कार्य का समर्थन किया और इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर २४ कर दी। पुर्त्तगाल अन्य देशों के अभिमत तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रस्तावों की निरन्तर अवहेलना करता रहा। भारत ने इस आशय के प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें पुर्त्तगाल से उसके शासन के अधीन लोगों के स्वनिर्णय तथा स्वाधीनता के अधिकार को तुरन्त मान लेने का अनुरोध किया गया था।

निरस्त्रीकरण—भारत ने निरस्त्रीकरण-समिति के एक सदस्य के रूप में जेनेवा में पूर्ण निरस्त्रीकरण के सम्बन्ध में होनेवाली समझौता-वार्त्ताओं तथा विचार-विनिमय में सक्रिय रूप से भाग लिया। ७ अन्य तटस्थ सदस्यों के साथ भारत ने एक संयुक्त स्मरण-पत्र प्रस्तुत किया, जो परमाणविक परीक्षणों को बन्द करने के सम्बन्ध में करार किये जाने के लिए परमाणविक राष्ट्रों द्वारा समझौता-वार्त्ता चलाने के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। महासभा ने एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें अन्य ३६ देशों के साथ भारत द्वारा प्रस्तावित एक अन्य संयुक्त स्मरण-पत्र का समर्थन किया गया। स्मरण-पत्र में यह अनुरोध किया गया था कि परमाणविक अस्त्रों के सब प्रकार के परीक्षण तुरन्त बन्द कर दिये जायँ और किसी भी स्थिति में १ जनवरी, १९६३ ई० के बाद तो परीक्षण हों ही नहीं।

भारत ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर एक अन्य प्रस्ताव उपस्थित किया, जिसे महासभा ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। इस प्रस्ताव में जेनेवा-स्थित निरस्त्रीकरण-समिति को आदेश दिया गया कि वह सामान्य तथा पूर्ण निरस्त्रीकरण पर करार किये जाने के लिए अपने प्रयास जारी रखे।

सहकारिता-सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय वर्ष—महासभा ने सन् १९६५ ई० को अन्तरराष्ट्रीय सहकारिता-वर्ष के रूप में मानने-सम्बन्धी एक प्रस्ताव स्वीकार किया। सन् १९६५ ई० में संयुक्त राष्ट्रसंघ को स्थापित हुए पूरे २० वर्ष हो जायेंगे। यह सुझाव इसके पूर्व भारत के प्रधान मन्त्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिन्होंने महासभा को बताया था कि संयुक्त राष्ट्रसंघ को यह विचार प्रस्तुत करना चाहिए कि संसार का भविष्य सहकारिता पर आधृत है, मतभेद पर नहीं। १२ सदस्यों की एक प्रारम्भिक समिति से अनुरोध किया गया कि महासभा के अगले अधिवेशन में वह इस सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय संस्थाओं में नियुक्तियाँ तथा निर्वाचन—भारत के संसतसदस्य श्रीएन० सी० कासलीवाल महासभा के १७वें अधिवेशन की तीसरी समिति (सामाजिक, मानवीय तथा सांस्कृतिक) के अध्यक्ष निर्वाचित हुए।

संयुक्त राष्ट्रसंघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि श्री बी० एन० चक्रवर्त्ती संयुक्त राष्ट्रसंघीय अनुदान-समिति के सदस्य नियुक्त किये गये।

संयुक्त राज्य अमेरिका-स्थित भारतीय राजदूत श्री बी० के० नेहरू सन् १९६४ ई० के अन्त तक के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघीय विनियोग-समिति के सदस्य नियुक्त किये गये।

श्री आर० वेंकटरमण संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में अपने पद पर बने रहे।

श्रीइन्द्रजीत रिखी को सरकारी तौर पर संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव श्री ऊ थांत का सैनिक सलाहकार नियुक्त किया गया। श्री ई० जे० जे० डार्टनेल को रुआण्डा तथा बुरुण्डी नामक दो नये अफ्रीकी राज्यों में संयुक्त राष्ट्रसंघ की ओर से वरिष्ठ सैनिक-निरीक्षक नियुक्त किया गया। एक अन्य भारतीय कर्मचारी श्री बी० के० वर्मा के सहयोग से कर्नल डार्टनेल संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रस्तावों के अनुसार बेल्जियम की सेनाओं की वापसी का निरीक्षण करेंगे। भारत प्राविधिक अध्ययन-मण्डल का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ, जो अन्तरिक्ष में अन्तरराष्ट्रीय सहयोग के कार्यक्रमों की जाँच करेगा। शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए अन्तरराष्ट्रीय रॉकेट-व्यवस्था की स्थापना-सम्बन्धी अमेरिकी प्रस्ताव का अध्ययन करनेवाले मण्डल की अध्यक्षता श्री डब्ल्यू० ए० साराभाई करेंगे।

सन् १९६३ तथा सन् १९६४ ई० के लिए भारत शान्ति-निरीक्षण-आयोग का पुनः सदस्य नियुक्त किया गया। शान्ति-स्थापना के कार्यों की अर्थ-व्यवस्था के विशेष उपायों का अध्ययन करने के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा स्थापित २१ सदस्यों के कार्यकारी मण्डल का सदस्य नामजद किया गया।

श्री एम० ए० वेलोडी संयुक्त राष्ट्रसंघ के अवर सचिव के सहायक और राजनीति तथा सुरक्षा-परिषद्-सम्बन्धी मामलों के विभाग में निदेशक नियुक्त किये गये।

श्रीसुधीर सेन पश्चिम इरियन-स्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रशासक के सहायक नियुक्त किये गये।

अन्तरराष्ट्रीय विधि-आयोग—अप्रैल-जून, १९६२ ई० में जेनेवा में हुए आयोग के १४वें अधिवेशन में भारत का प्रतिनिधित्व श्रीराधाविनोद पाल ने किया, जो इसके अध्यक्ष निर्वाचित हुए।

आर्थिक तथा सामाजिक

सात वर्षों की अनुपस्थिति के बाद १ जनवरी, १६६२ ई०, को भारत पुनः संयुक्त राष्ट्रसंघ की आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् का सदस्य बना। अप्रैल, १६६२ ई० में, न्यूयार्क में परिषद् का ३३वाँ अधिवेशन हुआ, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्रसंघ-स्थित स्थायी भारतीय प्रतिनिधि ने किया। परिषद् का ३४वाँ अधिवेशन जुलाई, १६६२ ई० में हुआ। भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल ने वाद-विवाद में सक्रिय रूप से भाग लिया।

परिषद् के इन आयोगों में भारत को प्रतिनिधित्व प्राप्त है : मानव-अधिकार-आयोग, मादक औषधि-आयोग, सांख्यिकी आयोग तथा जनसंख्या-आयोग। भारत ने मार्च-अप्रैल, १६६२ ई० में न्यूयार्क में हुए मानव-अधिकार-आयोग के १८वें अधिवेशन में भाग लिया। श्री ई० एस० कृष्णमूर्त्ति ३ मार्च, १६६३ ई०, को पाँच वर्षों के लिए स्थायी केन्द्रीय अफीम-मण्डल के सदस्य पुनः निर्वाचित हुए। श्री ए० कृष्णस्वामी जनवरी, १६६३ ई० को संयुक्त राष्ट्रसंघ के भेदभाव-उन्मूलन तथा अल्पसंख्यक संरक्षण उप-आयोग के अध्यक्ष निर्वाचित हुए।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सम्मेलन—भारत के योजना-आयोग के सदस्य श्री एम० एस० ठाकुर ने फरवरी, १६६३ ई० में जेनेवा में अल्पविकसित क्षेत्रों के लाभ के लिए हुए संयुक्त राष्ट्रसंघीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सम्मेलन की अध्यक्षता की।

एशिया तथा सुदूरपूर्व-सम्बन्धी आर्थिक आयोग—इस आयोग की अन्तरदेशीय परिवहन तथा संचारसाधन-समिति का ११वाँ अधिवेशन दिसम्बर, १६६२ ई० में बैंकाक में हुआ, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व बैंकाक के भारतीय दूतावासस्थित इस आयोग के स्थायी भारतीय प्रतिनिधि ने किया। आवश्यक सेवाओं से सम्बद्ध एक संयुक्त राष्ट्रसंघीय गोष्ठी में, जिसका कार्य ८ दिनों तक चला, २२ देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस गोष्ठी का उद्घाटन भारत के के उपराष्ट्रपति ने सितम्बर, १६६२ ई० में नई दिल्ली में किया। इसी महीने भारत के निर्माण-कार्य, आवास तथा पुनर्निर्माण-मन्त्री ने आवास तथा निर्माण-सामग्री के सम्बन्ध में उपर्युक्त आयोग के ५ दिनों के अधिवेशन का उद्घाटन किया।

खाद्य तथा कृषि-संगठन—सन् १६६२-६३ ई० में इस संगठन द्वारा आयोजित सभी महत्त्वपूर्ण बैठकों तथा सम्मेलनों में भारत ने भाग लिया। भारत इस संगठन द्वारा प्रतिपादित भूख-मुक्ति-आन्दोलन में भाग लेता रहा। भारत अबतक कार्यक्रम के अधीन २७० टन चीनी ईरान को दे चुका है। भारत ने इस कार्यक्रम में ५ लाख डालर का योगदान करने का वचन भी दिया है।

अन्तरराष्ट्रीय श्रम-संगठन—भारत अबतक अन्तरराष्ट्रीय श्रम-संगठन के २७ अभिसमयों (कन्वेन्शन) की पुष्टि कर चुका है। प्रबन्ध-निकाय की ३ बैठकों और अन्तरराष्ट्रीय श्रम-सम्मेलन के जून, १६६२ ई० में हुए ४६वें अधिवेशन में भाग लेने के अतिरिक्त भारतीय प्रतिनिधि ने मई-जून, १६६२ ई० में रासायनिक-औद्योगिक समिति के छठे अधिवेशन में भी भाग लिया। भारत ने सन् १६६२ ई० में इस संगठन के प्राविधिक सहायता-सम्बन्धी विस्तृत कार्यक्रम के अधीन ३ विशेषज्ञों की सेवाएँ प्राप्त कीं। ७ प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा गया और १० विदेशी प्रशिक्षणार्थी भारत आये।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति-संगठन—अप्रैल, १६६२ ई० में टोकियो में इस संगठन द्वारा आयोजित एशियाई शिक्षामन्त्री-सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि-

मण्डल का नेतृत्व केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय के सचिव ने किया। भारत ने जुलाई, १९६२ ई० में हुए २५वें अन्तरराष्ट्रीय सार्वजनिक शिक्षा-सम्मेलन में तथा जुलाई-अगस्त, १९६२ ई० में लन्दन में आयोजित अन्तरराष्ट्रीय शिक्षा-सम्मेलन में भी भाग लिया। केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय के सलाहकार श्री ए० आर० देशपाण्डे जुलाई, १९६२ ई० में पेरिस में इस संगठन की साक्षरता-विशेषज्ञ-समिति के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। प्रधान मन्त्री श्रीनेहरू ने फ्रांस की अपनी राजकीय यात्रा के अवसर पर २१ सितम्बर, १९६२ ई० को पेरिस-स्थित इस संगठन के मुख्यालय का निरीक्षण किया। राजकुमारी अमृत कौर ने नवम्बर-दिसम्बर, १९६२ ई० में पेरिस में हुए इस संगठन के महासम्मेलन के १२वें अधिवेशन में भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल का नेतृत्व किया। भारत ने दक्षिण एशिया की पाठ्य-सामग्री को प्रोत्साहन देने-सम्बन्धी इस संगठन की क्षेत्रीय परियोजना तथा नूबिया (मिस्र) के ऐतिहासिक अवशेषों की रक्षा करने से सम्बद्ध अन्तरराष्ट्रीय आन्दोलन में भी भाग लिया। भारत-सरकार के निमन्त्रण पर इस संगठन के कार्यवाहक महानिदेशक सितम्बर, १९६२ ई० में राजकीय यात्रा पर भारत आये।

एशिया के शिक्षा-कर्मचारियों के लिए सर्वप्रथम पाठ्यक्रम का सितम्बर, १९६२ ई० में आयोजन किये जाने के बाद दूसरा प्रशिक्षण-कार्यक्रम २२ दिसम्बर, १९६२ ई० को आरम्भ हुआ। क्षेत्रीय सांस्कृतिक अध्ययन-शोध-परिषद् के नई दिल्ली-स्थित भारत अन्तरराष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना के साथ भारत में पूर्वी तथा पश्चिमी सांस्कृतिक मूल्यों के पारस्परिक प्रसार की बड़ी परियोजना को कार्यान्वित करने का कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण स्थिति में पहुँच गया। अप्रैल, १९६२ ई० में राष्ट्रीय स्तर पर विद्वानों की एक बैठक हुई। इसके पूर्व नवम्बर, १९६२ ई० में हुई विशेषज्ञों की अन्तरराष्ट्रीय बैठक से अन्तर-सांस्कृतिक अध्ययन तथा शोधकार्य के कार्यक्रम की नींव पड़ी। अमेरिकी तथा भारतीय जीवन के परम्परागत मूल्यों के अध्ययन के लिए जनवरी, १९६३ ई० में एक विचार-गोष्ठी का आयोजन किया गया।

इस संगठन ने सन् १९६३-६४ ई० में छात्रवृत्तियों, विशेषज्ञों की सेवाओं आदि के रूप में ३,८४,००० डालर की प्राविधिक सहायता देना भी स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त, जोधपुर-स्थित केन्द्रीय मरुभूमि शोध-संस्था तथा बम्बई-स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था के लिए सन् १९६३ तथा १९६४ ई० में भी १० लाख डालर की प्राविधिक सहायता देना तय हुआ है।

विश्व-स्वास्थ्य-संगठन—सन् १९६२ ई० में भारतीय प्रतिनिधि विश्व-स्वास्थ्य-संगठन की विशेषज्ञ-समितियों तथा परामर्शदाता-मण्डलों के सदस्य नियुक्त किये गये। इस संगठन ने अपनी अनेक नियमित प्राविधिक सहायता तथा मलेरिया-उन्मूलन-कार्यक्रम के अधीन ११,२७,८२४ डालर दिये। विभिन्न स्वास्थ्य-कार्यक्रमों से सम्बद्ध ३२ परियोजनाओं का कार्य चालू है। सन् १९६२ ई० में भारत-सरकार ने विश्व-स्वास्थ्य-संगठन को ९३,९३,१४३ रुपये दिये।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तरराष्ट्रीय बालसंकट-कोष—इस कोष के कार्यकारी मण्डल ने जून तथा दिसम्बर, १९६२ ई० में हुई अपनी बैठकों में भारत की विभिन्न परियोजनाओं के लिए ६७,९२,५०० डालर देना स्वीकार किया। दिसम्बर, १९६२ ई० तक इस कोष में भारत को ३,६०,२७,७५७ डालर की कुल सहायता प्राप्त हुई। इस कोष के स्थानीय कार्यालय के व्यय के लिए ५ लाख रुपये के अनुदान के अतिरिक्त सन् १९६२ ई० में भारत ने इस कोष को ३० लाख रुपये दिये।

तटकर तथा व्यापार-सम्बन्धी सामान्य करार—भारत ने अक्टूबर-नवम्बर, १६६२ ई० में हुए इस संस्था के २०वें अधिवेशन में भाग लिया। भारत ने इस संस्था के तत्त्वावधान में हुए सन् १६६०-६१ ई० के तटकर-सम्मेलन में अमेरिका, पूर्वी यूरोपीय साझामण्डी, नार्वे, स्वीडन तथा डेनमार्क के साथ हुए अपने तटकर-करारों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में कदम उठाये। यूरोप में भारत के आर्थिक मामले के महा-आयुक्त (कमिश्नर जनरल) श्री टी० स्वामीनाथन अप्रैल, १६६३ ई० संस्था के कार्यकारी सचिव के विशेष सलाहकार नियुक्त हुए।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्राविधिक सहायता-कार्यक्रम—दिसम्बर, १६६२ ई० तक इस कार्यक्रम के अधीन १,२६२ विशेषज्ञ भारत आये और १,२०३ भारतीय विद्यार्थियों को अध्ययनार्थ विदेशों में छात्रवृत्तियाँ आदि दी गईं। सन् १६६२ ई० में भारत ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय विस्तृत प्राविधिक सहायता-कार्यक्रम में ३६,०४,७६२ रुपये तथा विशेषज्ञों के जीवन-यापन-व्यय के लिए १०,००,००० रुपये दिये।

अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोष—भारत इस कोष का एक संस्थापक सदस्य है और इसमें इसका स्थान पाँचवाँ है। इस कोष की स्थापना के समय से ३१ दिसम्बर, १६६२ ई० तक भारत ने २७४ करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा खरीदी, जिसमें से १४३ करोड़ रुपये की राशि चुकता कर दी गई।

सितम्बर, १६६२ ई० में वाशिंगटन में हुई इसकी १७वीं वार्षिक बैठक में भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल का नेतृत्व केन्द्रीय वित्तमन्त्री ने किया। भारत-सरकार से परामर्श करने के लिए दिसम्बर, १६६२ ई० में इस कोष का एक प्रतिनिधि-मण्डल भारत आया।

अन्तरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास-बैंक—भारत इस बैंक का संस्थापक सदस्य है और इसकी पूँजी के ५वें बड़े भाग का भागीदार है। ३१ दिसम्बर, १६६२ ई० तक भारत को इस बैंक द्वारा ३८६ करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त हुआ। इस राशि में से २० करोड़ रुपये पहली योजना से पहले व्यय किये गये, १४ करोड़ रुपये पहली योजना में व्यय किये गये और २२३ करोड़ रुपये दूसरी योजना में व्यय किये गये। शेष १३२ करोड़ रुपये की राशि में से ६४ करोड़ रुपये ३१ दिसम्बर, १६६२ ई० तक व्यय किये जा चुके थे।

सितम्बर, १६६२ ई० से बैंक के संचालक-मण्डल (बोर्ड ऑफ गवर्नर्स) की वाशिंगटन में हुई १७वीं वार्षिक बैठक में भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल का नेतृत्व वित्तमन्त्री ने किया।

अन्तरराष्ट्रीय विकास-संस्था—यह संस्था अन्तरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास-बैंक से सम्बद्ध है। इससे भारत को १०१ करोड़ रुपये के ११ ऋण प्राप्त हुए हैं।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष निधि—सन् १६६२ ई० में भारत ने इस विशेष निधि में अपने अंशदान के रूप में २०,५५,००० डालर (६७,८५,७१४ रुपये) दिये। सन् १६६२ ई० में इस निधि द्वारा भारत को सामान खरीदने, विशेषज्ञों की सेवा प्राप्त करने आदि के लिए २७,२१,६०० डालर (१,२६,६०,००० रुपये) की सहायता प्राप्त हुई।

संयुक्त राष्ट्रसंघ की अन्य विशेष संस्थाएँ—संयुक्त राष्ट्रसंघ की अन्य विशेष संस्थाएँ, जिनसे भारत सक्रिय रूप से सम्बद्ध है, ये हैं: अन्तरराष्ट्रीय असैनिक उड्डयन-संगठन, अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार-साधन-संघ, विश्व-डाक-संघ, विश्व मौसम-विज्ञान संगठन तथा अन्तरराष्ट्रीय सामुद्रिक सलाहकार-संगठन। सितम्बर, १६६२ ई० में रोम में हुए अन्तरराष्ट्रीय असैनिक उड्डयन-संगठन के १४वें अधिवेशन में भारत इस संगठन की परिषद् का ३ वर्षों के लिए पुनः सदस्य निर्वाचित हुआ।

अन्य अन्तरराष्ट्रीय संगठन

राष्ट्रमण्डल—राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मन्त्रियों का ११वाँ सम्मेलन सितम्बर, १९६२ ई० में लन्दन में हुआ। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व भारत के प्रधान मन्त्री ने किया। भारत ने नवम्बर, १९६२ ई० में नाइजीरिया में हुए राष्ट्रमण्डलीय संसदीय सम्मेलन में भी भाग लिया।

कोलम्बो-योजना—कोलम्बो-योजना के आरम्भ से अवतक भारत ने विभिन्न देशों के २,२९६ व्यक्तियों को प्रशिक्षण की सुविधाएँ दीं। इनमें से २३३ व्यक्तियों को प्रशिक्षण की सुविधाएँ सन् १९६२-६३ ई० में दी गईं। सन् १९६२ ई० के अन्त तक भारत को २७१ विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएँ प्राप्त हुईं तथा कोलम्बो-योजना के देशों में २,९९० भारतीयों को प्रशिक्षण की सुविधाएँ प्राप्त हुईं।

कोलम्बो-योजना के आरम्भ होने के समय से अवतक भारत को अस्ट्रेलिया से १.२४ करोड़ पौंड (१३.२३ करोड़ रुपये), कनाडा से २७.५३ करोड़ डालर (१३१.११ करोड़ रुपये) तथा न्यूजीलैण्ड से २६ लाख पौंड (३.४ करोड़ रुपये) प्राप्त हुए। कोलम्बो-योजना की सलाहकार-समिति का १४वाँ अधिवेशन नवम्बर, १९६२ ई० में मेलबोर्न (अस्ट्रेलिया) में हुआ।



देश की संकटकालीन स्थिति

देश में संकटकालीन स्थिति किस प्रकार उत्पन्न हुई और उसकी प्रतिक्रिया विश्व के देशों पर कैसी रही तथा देश की प्रतिरक्षा को सुदृढ करने के लिए कौन-कौन-से उपाय किये गये, इसका विवरण सरकारी रिपोर्ट के आधार पर निम्नांकित उपशीर्षकों के अंतर्गत दिया जा रहा है :

चीन द्वारा आक्रमण—सन् १९६२ ई० में भारत-चीन-सीमाप्रश्न ने एक गम्भीर मोड़ लिया। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय क्षेत्र में, विशेषकर सीमा के मध्य और पश्चिमी भागों में, घुसपैठ की अपनी काररवाई के बाद चीनी सशस्त्र सेनाएँ ८ सितम्बर को मान्य सीमा को पार करके पूर्वी भाग के कामेंग सीमान्त-डिवीजन के चेदोंग-क्षेत्र में बढ़ आई। उसके बाद २० अक्टूबर, १९६२ ई० को चीन ने नेफा और लद्दाख क्षेत्रों में अचानक बिना किसी कारण के विश्वासघातपूर्ण बड़ा हमला कर दिया। यह साधारणतः घुस आने का काम नहीं, बल्कि एक पूरा हमला था। इस आकार-प्रकार का हमला काफी लम्बे समय की योजनाबन्दी के बाद ही किया जा सकता था।

चीनी सैनिक बहुत अधिक संख्या में थे और उनके पास गोला-बारूद भी बहुत अधिक था, जैसा कि हमलावर के पास शुरू-शुरू में हुआ करता है। भारतीय सैनिकों को, अनेक चौकियों में बँटे होने के कारण, इन बड़े और बार-बार किये गये हमलों के कारण पीछे हटना पड़ा। इसपर भी उन्होंने असाधारण बहादुरी और साहस का प्रदर्शन किया और चीनियों का बहुत अधिक जानी नुकसान किया। व्यक्तिगत साहस और बहादुरी के अनेक कारनामे भारतीय सशस्त्र सेना की सर्वोच्च परम्परा के अनुरूप थे और इन्हें लम्बे अरसे तक याद रखा जायगा।

२४ अक्तूबर, १९६२ ई० को, अर्थात् २० अक्तूबर के बड़े हमले के चार दिन बाद चीन-सरकार ने सुझाव रखा कि दोनों देश चीन द्वारा परिभाषित 'वास्तविक नियन्त्रण की रेखा' को मानना स्वीकार करें और अपने सैनिक उस रेखा से २० किलोमीटर पीछे हटा लें तथा लड़ाई से बाज आयें। ये शर्तें हथियार डालने की शर्तों के समान थीं, जिन्हें भारत ने स्वीकार नहीं किया।

इसपर चीन-सरकार ने पूर्वी और पश्चिमी, दोनों भागों में और बड़े हमले किये और काफी भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। २१ नवम्बर को उन्होंने एकपक्षीय युद्ध-विराम की घोषणा की, जिसका उद्देश्य हमले से प्राप्त किये गये इलाके को अपने कब्जे में बनाये रखना था। भारत ने युद्ध-विराम में दखल देने की कोई काररवाई नहीं की। चीनी सैनिक अनेक ऐसे क्षेत्रों से पीछे हट गये हैं, जो उन्होंने अपने कब्जे में ले लिये थे और भारतीय असैनिक प्रशासन ने उन इलाकों में काम शुरू कर दिया है।

अन्तरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया—विश्व के अनेक देशों की सरकारों को प्रधान मन्त्री द्वारा भेजे गये चीनी हमले से सम्बद्ध पत्र के उत्तर में ६० देशों से सहानुभूति और समर्थन के सन्देश प्राप्त हुए। मलय में 'प्रजातन्त्र बचाव-कोष' की स्थापना की गई है, ताकि भारत को हमले का मुकाबला करने में सहायता दी जा सके। विदेशों में रहनेवाले भारतीय मूल के लोगों और विदेशों की अनेक संस्थाओं और व्यक्तियों ने सामान तथा सन्देश भेजकर भारत के प्रति अपने सहयोग का विश्वास दिलाया।

कोलम्बो-सम्मेलन—दोनों देशों के साथ बातचीत शुरू करने तथा सीमा-विवाद-सम्बन्धी शान्तिपूर्ण समझौता कराने में सहायता देने के लिए बर्मा, कम्बोडिया, श्रीलंका, घाना, इण्डोनेशिया और संयुक्त अरब-गणराज्य, इन छह तटस्थ राष्ट्रों की एक बैठक कोलम्बो में १० से १२ दिसम्बर, (१९६२) तक हुई, जिसमें कुछ प्रस्ताव स्वीकार किये गये। भारत-सरकार को कोलम्बो सम्मेलन के ६ देशों से तीन देशों—श्रीलंका, घाना और संयुक्त अरब-गणराज्य—के प्रतिनिधियों ने उन प्रस्तावों की व्याख्या और स्पष्टीकरण पेश किया। इन प्रस्तावों और स्पष्टीकरणों पर संसद् ने विचार किया, जिसके बाद सरकार ने अपने सम्मान के अनुरूप शान्ति के हित में इन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया, परन्तु अभी तक चीन-सरकार ने इन प्रस्तावों को पूर्ण रूप से नहीं माना है।

रक्षा के उपाय

देश की सुरक्षा निरन्तर खतरे में पड़ जाने के कारण फौज को मजबूत करने और हथियार और साज-सामान से सम्बद्ध कमी को भीतरी उत्पादन बढ़ाकर तथा आयात करके और बाहरी देशों से विशेष सहायता प्राप्त करके पूरा करने का यत्न किया गया है।

उपयुक्त संख्या में भरती पूरी करने के लिए भरती-संगठन का विस्तार हुआ है। इण्डियन मिलिटरी-अकादेमी का भी विकास गया है। एमरजेन्सी कमीशन प्रदान किये जा रहे हैं और अफसरों की अपेक्षित संख्या पूरी करने के लिए अफसरों के विशेष सूची-कैडर में वृद्धि की गई है। स्थायी नियमित कमीशन संकट-काल की अवधि में स्थगित कर दिया गया है, सिवाय उन स्थितियों में, जहाँ उम्मीदवार नेशनल डिफेन्स-अकादेमी द्वारा चुने गये हों या आर्मी कैडट-कॉलेज, नौगाँव और नेशनल कैडट कोर से लिये गये हों। सरकार ने असैनिक कर्मचारियों को भी फौजी सेवा में आने की सुविधाएँ दी हैं। ट्रेनिंग-कार्यक्रम में संशोधन और सुधार किये गये हैं। ऐसा उत्तरी सीमा-सम्बन्धी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया है।

राष्ट्रीय रक्षा-परिषद्—६ नवम्बर, १९६२ ई०, को राष्ट्रीय रक्षा-परिषद् की स्थापना की गई। प्रधान मन्त्री इसके चेयरमैन हैं। परिषद् के कार्य इस प्रकार हैं—(१) स्थिति का अध्ययन करना और राष्ट्रीय रक्षा का प्रबन्ध करना तथा सरकार को रक्षा तथा अन्य सम्बद्ध

मामलों में परामर्श देना, (२) हमलावर से लड़ने की राष्ट्रीय इच्छाशक्ति का निर्माण करना तथा उसका मार्गदर्शन करने में सहायता करना और (३) केन्द्रीय नागरिक-समितियों को राष्ट्रीय रक्षा में लोगों के अंशदान के समुचित उपयोग के लिए आवश्यक उपाय सुझाना।

परिषद् ने एक फौजी मामलों की समिति कायम की है। इसके चेयरमैन प्रतिरक्षा-मन्त्री हैं। एक अन्य समिति भी बनाई गई है, जिसके चेयरमैन गृहमन्त्री हैं। पहली समिति रक्षा-व्यवस्था पर ध्यान देती है और दूसरी समिति सामान्यतः हमलावर के विरुद्ध राष्ट्रीय इच्छाशक्ति के निर्माण में सहायता देती है। अनेक राज्यों में भी रक्षा-परिषदें गठित की गई हैं।

विदेशों से सहायता—बड़े पैमाने पर लड़ाई शुरू हो जाने के तुरन्त बाद भारत-सरकार ने मित्रराष्ट्रों से इस अचानक हमले का मुकाबला करने के लिए सहायता भेजने की अपील की। इसकी प्रतिक्रिया उत्साहजनक रही। अनेक देशों ने शस्त्र और अन्य सामान भेजे। संयुक्तराज्य अमेरिका और ब्रिटेन ने विशेष रूप से भारतीय रक्षा-दस्तों के लिए शस्त्र और सामान बहुत जल्दी भिजवाये। एक भारतीय-अमेरिकी अनुपूरक समझौते पर १४ नवम्बर, १९६२ ई० को हस्ताक्षर किये गये, जिसके अधीन अमेरिका से भारत को रक्षा-सामान तथा शस्त्र मिलने की व्यवस्था है। भारत और ब्रिटेन के बीच २७ नवम्बर को इसी प्रयोजन के लिए एक लम्बी अवधि के समझौते पर हस्ताक्षर किये गये। अन्य देशों में, जिन्होंने शस्त्र, गोला-बारूद, हवाई जहाज, पुरजे, ऊनी कपड़े और कम्बल तथा अन्य ऐसे सामान भेजे, निम्नलिखित देश हैं—आस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, इटली, न्यूजीलैण्ड, रोडेशिया और पश्चिमी जर्मनी।

वैधानिक और अन्य उपाय

चीनी हमले से उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिए निम्नलिखित वैधानिक और अन्य उपाय किये गये हैं—

केन्द्रीय सरकार ने २५ अक्टूबर को 'विदेशी (चीनी मूल के लोगों पर पाबन्दी) आदेश १९६२' जारी किया, जिसमें यह व्यवस्था थी कि भारत में रहनेवाले चीनी मूल के लोग अपने शहर, कस्बे या गाँव को, जिसके वे निवासी हैं, छोड़कर नहीं जायेंगे और न विहित सत्ता से ही इजाजत लिये बिना अपने पंजीकृत पते से २४ घण्टे से अधिक अवधि तक अनुपस्थित रह सकेंगे।

संकटकाल की घोषणा—२६ अक्टूबर को राष्ट्रपति ने संकटकाल की घोषणा की और भारत-रक्षा-अध्यादेश लागू किया, जिसके द्वारा सरकार को इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए संकटकालीन शक्तियाँ दी गईं। भारत-रक्षा (संशोधन) अध्यादेश ३ नवम्बर को जारी किया गया, जिसके द्वारा सरकार को संकटकाल की अवधि में ऐसे लोगों के विरुद्ध कारवाई करने की शक्ति दी गई, जो राष्ट्रीय प्रयत्नों में बाधा उपस्थित करते हों। बाद, दोनों अध्यादेशों के स्थान पर 'भारत-रक्षा-अधिनियम, १९६२' जारी किया गया। सरकार ने इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित नियम जारी किये हैं—(१) भारत रक्षा-नियम, १९६२, (२) असैनिक रक्षा-सेवाएँ-नियम, १९६२, (३) भारत-रक्षा (अचल सम्पत्ति-प्राप्ति तथा जब्ती)-नियम, १९६२ और (४) भारत-रक्षा (राष्ट्रीय सेवा में तकनीकी लोगों की नियुक्ति)-नियम, १९६३।

संकटकाल की अवधि में केन्द्रीय सरकार राज्य-सरकारों को उन मामलों के बारे में भी निदेश दे सकती है, जो राज्य-सरकारों के क्षेत्राधिकार में हैं। संसद् राज्यों के क्षेत्राधिकार से

सम्बद्ध विषयों पर भी कानून बना सकती है। संसद् और राज्यीय विधान-मण्डल ऐसे कानून बना सकते हैं, जिनसे अनुच्छेद १६ के अधीन दिये गये मूल अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाये जा सकें। लेकिन, ऐसा तबतक नहीं किया जायगा, जब तक संकटकाल का मुकाबला करने के लिए यह अनिवार्य न समझा जाये। भारत-रक्षा-अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार ऐसे नियम बना सकती है, जो मूल अधिकारों से मेल न खाते हों तथा कुछ विषय कानूनी अदालतों के क्षेत्राधिकार से बाहर भी किये जा सकते हैं। इसके आगे, केन्द्रीय सरकार के विभाग और राज्य-सरकारें इस अधिनियम के अधीन नियम बना सकती हैं।

सरकार ने १३ नवम्बर को सिक्किम में भी संकटकालीन स्थिति की घोषणा कर दी।

विदेशों पर पाबन्दी—विदेशी (प्रतिबन्धित क्षेत्र) आदेश द्वारा, जो कि १४ जनवरी, १९६३ ई० को लागू हुआ, आसाम तथा पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश और पंजाब के कुछ जिलों में विदेशियों के दाखिल होने तथा रहने पर पाबन्दियाँ लगा दी गई हैं।

सरकार ने ३० अक्टूबर को एक आदेश जारी किया (२६ नवम्बर को इसके उपबन्धों को और कठोर करने के लिए इसमें संशोधन किया गया), जिसके द्वारा संकटकाल की अवधि में किसी ऐसे व्यक्ति के, जो विदेशी है या भारतीय मूल का नहीं है, इस अधिकार को कि वह संविधान के अनुच्छेद २१ और २२ को लागू करने के लिए अदालत में अपील कर सकता है, निलम्बित कर दिया गया। सरकार ने 'विदेशी कानून (प्रयोग और संशोधन) अध्यादेश, १९६२' के अधीन ये शक्तियाँ भी प्राप्त कर ली हैं कि वह ऐसे विदेशियों को गिरफ्तार कर सकेगी, रोक सकेगी, परिरुद्ध कर सकेगी और स्थानबद्ध कर सकेगी, जो भारत के विरुद्ध लड़ाई कर रहे देश या भारत पर हमला करनेवाले देश को सहायता दे रहे हों। चीनी मूल के सभी व्यक्तियों को, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं, जो भारतीय नागरिक बन गये थे, विदेशी मानकर उनके साथ विदेशियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। नवम्बर, १९६२ ई० के अन्त तक आसाम और पश्चिम-बंगाल के ५ उत्तरी जिलों में रहनेवाले २,००० चीनी मूल के लोगों को गिरफ्तार करके राजस्थान में देवली के स्थान पर सेण्ट्रल इण्टर्नमेण्ट कैम्प में स्थानबद्ध कर दिया गया है। देश के अन्य भागों में रहनेवाले चीनियों पर भी इस प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये गये हैं।

रिजर्व बैंक ने २ नवम्बर, १९६२ ई०, को बैंक ऑफ चाइना का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। इस बैंक की कलकत्ता और बम्बई-शाखाओं के व्यापार के परिसमापन की काररवाई चल रही है।

आर्थिक उपाय

आर्थिक मोर्चे पर पहला काम यह था कि आर्थिक ढाँचे के सामान्य रूप को बिगाड़े बिना रक्षा के लिए शीघ्रता से साधन जुटायें जायँ।

सन् १९६२-६३ ई० में ३७६ करोड़ रुपये के रक्षा-बजट में संकटकाल को ध्यान में रखते हुए ६५ करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट जोड़ा गया, परन्तु उस समय राजस्व बढ़ाने का कोई नया सुझाव नहीं रखा गया।

राष्ट्रीय रक्षाकोष—राष्ट्रीय रक्षाकोष २७ अक्टूबर को शुरू किया गया। इसकी व्यवस्था एक समिति कर रही है, जिसके चेयरमैन प्रधान मन्त्री हैं तथा कोषाध्यक्ष वित्तमन्त्री। इस कोष में स्वैच्छिक अंशदान के रूप में रक्षा-सम्बन्धी तैयारियों के लिए नकदी, सोना आदि लिये जाते हैं।

१८ मई, १९६३ ई० तक इस कोष के केन्द्रीय खाते में ५३·६८ करोड़ रुपये (जिसमें विदेशों से प्राप्त ७३ लाख रुपये भी सम्मिलित हैं) नकदी के रूप में और २१·३२ लाख ग्राम सोना तथा सोने के जेवर प्राप्त हो चुके थे।

स्वर्णबॉण्ड-योजना—विदेशी भुगतान की स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार ने देश में उपलब्ध सोना प्राप्त करने के लिए १२ नवम्बर, १९६२ ई०, को १५ वर्षीय स्वर्णबॉण्ड जारी किये, जो फरवरी, १९६३ ई० के अन्त तक बेचे जाते रहे। इसमें सोना, सोने के सिक्के और सोने के जेवर लिये गये, जिनका मूल्य अन्तरराष्ट्रीय मूल्य के अनुसार ·९९५ की शुद्धता के प्रत्येक १० ग्राम सोने का मूल्य ५३·५८ रुपये लगाया गया। इन बॉण्डों पर साढ़े छह प्रतिशत प्रतिवर्ष व्याज दिया जाता है। यह व्याज वर्ष में दो बार दिया जायगा। ये बॉण्ड सम्पदा और पूँजीगत करों से मुक्त हैं और ये १५ वर्ष बाद नकदी के रूप में वापस लौटाये जायेंगे। २० फरवरी, १९६३ ई० तक १३०·२५ लाख ग्राम सोना इन बॉण्डों में प्राप्त किया गया। १० नवम्बर को रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा कि वे सोने पर दी गई पेशगियाँ वापस ले लें, विशेष रूप से वे पेशगियाँ, जो उत्पादक प्रयत्नों में न लगाई जा रही हों। १४ नवम्बर से सोने में वादे के सौदे बन्द कर दिये गये, जिससे देश में चोरी से लाया गया सोना बेचना मुश्किल कर दिया गया। इससे अगले दिन सोने के कुछ अन्य सौदों पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया। चाँदी के वादे के सौदों पर भी पाबन्दी लगा दी गई।

सोना-नियन्त्रण-योजना—१० जनवरी, १९६३ ई० को 'भारत-रक्षा-नियम, १९६२' के अधीन एक योजना लागू की गई, जिसके अधीन सोने और सोने की वस्तुओं के लेन-देन पर नियन्त्रण रखा जा सके। यह योजना सोने की माँग कम करने, इसका मूल्य घटाने और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए देश में उसे चोरी से लाना बन्द करने के लिए लागू की गई है। उसी दिन एक स्वर्ण-बोर्ड की स्थापना की गई, जो सोना-नीति से सम्बद्ध मामलों पर भारत-सरकार को परामर्श देगा। इस नियन्त्रण-योजना के अधीन १४ कैरेट से अधिक शुद्धतावाले सोने के जेवर और अन्य वस्तुएँ बनाने पर पाबन्दी लगा दी गई है। स्वर्ण-बोर्ड से विशेष इजाजत लिये बिना जेवर को छोड़कर अन्य वस्तुएँ बनाने पर पाबन्दी लगा दी गई है। रिफाइनरियों और व्यापारियों द्वारा कुछ अन्य वस्तुएँ बनाने पर भी रोक लगा दी गई है। इन नियमों के अधीन रिफाइनरियों और व्यापारियों को अपने पास उपलब्ध सोने का विवरण देने तथा लाइसेंस लेने को कहा गया है। अन्य सब व्यक्तियों को एक निश्चित सीमा से अधिक, जेवरों से भिन्न सोने का विवरण देने को कहा गया है। जेवरों से भिन्न सोने के व्यापार पर भी पाबन्दियाँ लगा दी गई हैं। इस नियन्त्रण-योजना को लागू करने के लिए केन्द्रीय उत्पादन-कर-विभाग को अधिकार दे दिये गये हैं।

नई सोना-नीति का उद्देश्य केवल यही नहीं है कि सोने की माँग कम की जाय तथा चोरी-छिपे सोना लाने को कम किया जाय, बल्कि इससे देश के सामाजिक और आर्थिक इतिहास में भी एक नया मोड़ आयेगा। इससे यह भी पता चलता है कि देश की भुगतान-समस्या को कितनी गम्भीरता से लिया जा रहा है।

रक्षा-बॉण्ड और सर्टिफिकेट—नवम्बर, १९६२ ई० में सरकार ने साढ़े चार प्रतिशत राष्ट्रीय रक्षा-बॉण्ड, १९७२ (६ मई, १९६३ ई० तक बिक्री के लिए), जो कि १० नवम्बर,

१६७२ ई०, को वापस लौटाये जायेंगे तथा जिनका ब्याज अर्द्धवार्षिक रूप में दिया जायगा, जारी किये। खास बचत-सर्टिफिकेट (जिनपर ४ प्रतिशत ब्याज है) के स्थान पर १० वर्षीय साढ़े चार प्रतिशत रक्षा-जमा-सर्टिफिकेट जारी किये गये हैं। १२ वर्षीय रक्षा-सर्टिफिकेट भी जारी किये गये हैं, जिनपर ७५ प्रतिशत अधिक राशि मिलेगी और जो १२ वर्षीय राष्ट्रीय योजना-बचत-सर्टिफिकेटों के स्थान पर जारी किये गये हैं। विदेशों में रहनेवाले भारतीयों और अभारतीयों को भारत के रक्षार्थ पूँजी लगाने के योग्य बनाने के लिए १० वर्षीय रक्षा-सर्टिफिकेट, जिनपर ६० प्रतिशत अधिक राशि दी जायेगी, वाशिंगटन में भारतीय दूतावास और लन्दन में भारतीय हाई कमीशन में २० दिसम्बर, १६६२ ई० से बिक्री के लिए रखे गये हैं। यह व्यवस्था हाँगकाँग, कनाडा और अन्य देशों में भी शुरू करने का फैसला किया गया है।

रक्षा और विकास

आनेवाले वर्षों में रक्षा-उपायों के लिए अधिक साधनों की आवश्यकता है। अतः, १६६३-६४ ई० के योजना-व्यय में योजना-सम्बन्धी कार्यक्रमों को प्राथमिकता देने के सम्बन्ध में पुनः विचार करने की आवश्यकता पड़ी। इससे हाथ में लिये गये काम को शीघ्रता से पूरा करने और रक्षा की जरूरतों से प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध कामों को जल्दी शुरू करने का कार्य गतिपूर्वक हो सकेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रक्षा-उपाय और विकास-कार्य मूलतः एक दूसरे से सम्बद्ध हैं, राष्ट्रीय विकास-परिषद् ने फैसला किया कि अन्दरूनी साधनों को कितने बड़े पैमाने पर और किस ढंग से काम में लाया जाय कि उससे हम रक्षा और विकास के प्रयत्नों को अपने उपलब्ध भौतिक साधनों के अनुरूप अधिकतम पूरा कर सकें। उपर्युक्त उद्देश्य को पूरा करने के हमारे निश्चय को सन् १६६३-६४ ई० के बजट में दिखाया गया है, जिसमें इन साधनों को जुटाने के लिए असाधारण व्यवस्था की गई है।

अनेक क्षेत्रों में—विशेष रूप से उद्योग, खनिज, यातायात और बिजली के क्षेत्र में—योजना की गतिविधियों को तेज किया गया और उन्हें बढ़ाया गया। इसी तरह, इस स्थिति का मुकाबला करने और आगे की हालत के लिए तैयार रहने के लिए अनेक कदम उठाये गये। महत्त्वपूर्ण उपायों में ये मुख्य हैं :

इस्पात-उद्योग का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है—विशेष रूप से इस्पात की उन किस्मों का, जिनकी रक्षा के लिए आवश्यकता है। इसी तरह, मशीनी औजारों का उत्पादन भी बढ़ाया गया है तथा इंजीनियरी और अन्य उद्योगों से उनकी धारिता के अनुरूप पूरा काम लेने का यत्न किया जा रहा है। बड़े उद्योगों के लिए कच्चा माल और खनिज साधनों को बढ़ाने के लिए भी भरपूर प्रयत्न किये गये हैं।

रेलवे ने अपने कार्य में बहुत अधिक सुधार किया है। नवम्बर और दिसम्बर, १६६२ ई० में रेल-परिवहन, १६६१ ई० के उन्हीं महीनों की अपेक्षा १५ और १३ प्रतिशत अधिक रहा। रेलवे-वर्कशॉपों में वैगनों के उत्पादन में वृद्धि की गई। अनेक सड़कों में सुधार किये गये। सीमान्त इलाकों की सड़कों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उत्तर और उत्तर-पूर्वी सीमान्त की मौजूदा सड़कों का सुधार किया जा रहा है और नई सड़कें बनाई जा रही हैं, ताकि इन इलाकों में आसानी से पहुँचा जा सके।

बिजली-योजनाओं की पूर्ति, जहाँ सम्भव हुआ, समय से पूर्व की जा रही है और संकट-कालीन आरक्षण के तौर पर जेनरेटिंग सेटों का एक समुच्चय तैयार किया जा रहा है।

कृषि को सफल बनाना हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय महत्त्व का कार्य है। योजना-आयोग ने राज्य-सरकारों को विकास की दर बढ़ाने और त्रुटियाँ दूर करने को कहा है।

ग्राम-स्वयंसेवक-दल—सामुदायिक विकास-संगठन के अधीन ग्राम-स्वयंसेवक-दल-योजना समूचे राष्ट्र में शुरू की गई, ताकि प्रत्येक ग्राम में ग्राम-उत्पादन-योजनाओं द्वारा कृषि-उत्पादन में वृद्धि करने की कोशिश की जा सके। इस योजना के अधीन एक रक्षाश्रम-बैंक स्थापित करने की व्यवस्था है, जिसमें मास में कम-से-कम एक दिन का श्रमदान करने की व्यवस्था की गई है, या फिर उसके बदले में प्रत्येक शारीरिक रूप से योग्य वयस्क व्यक्ति आर्थिक अंशदान देगा। इस बैंक के साधन उत्पादन-कार्यक्रमों को पूरा करने और लाभदायक सामुदायिक सम्पदा बनाने के काम में लाये जायेंगे। उत्पादन के अलावा इस योजना में जन शिक्षा और ग्रामरक्षा के कार्य भी सम्मिलित हैं।

तकनीकी कर्मचारी और प्रशिक्षण—तकनीकी कर्मचारियों—इंजीनियर, निरीक्षक कर्मचारी, विभिन्न प्रकार के शिल्पी, डाक्टर और अन्य विशेषज्ञों—के लिए तीसरी योजना के लक्ष्यों में बढ़ी हुई माँग को ध्यान में रखते हुए संशोधन किये गये हैं और रक्षा-सेवाएँ तथा सामान्य आर्थिक विकास के लिए श्रम-साधनों का एक साझा कार्यक्रम बनाया गया है। इस सम्बन्ध में अनेक सुविधाएँ दी जा रही हैं, ताकि अधिक-से-अधिक लोग रक्षा-कार्य में लगाये जा सकें।

इसी प्रकार, वैज्ञानिक अनुसन्धान और तकनीकी शिक्षा-कार्यक्रम की गति तेज कर दी गई है। वैज्ञानिकों के समुच्चय में ३०० के बजाय ५०० व्यक्ति रखे गये हैं। राष्ट्रीय प्रयोग-शालाओं में उपलब्ध सुविधाएँ अब रक्षा की जरूरतों के काम लगाई जा रही हैं। सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी लोगों में नैतिक बल और अखण्डता की भावना रखने के उद्देश्य से प्रयुक्त की जा रही हैं।

संकटकालीन जोखिम बीमा—यह विश्वास दिलाने के लिए कि औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों में रुकावट न पड़ जाये, सरकार ने व्यापार और उद्योग को आश्वासन दिया कि यदि उन्हें दुश्मन के हमले के कारण नुकसान उठाना पड़े, तो उसकी क्षतिपूर्ति की जायगी। इस उद्देश्य के लिए संसद् ने दिसम्बर, १९६२ ई० में दो अधिनियम पास किये—एक संकटकालीन जोखिम (कारखाने) बीमा-अधिनियम और दूसरा, संकटकालीन जोखिम (माल) बीमा-अधिनियम। इन अधिनियमों के अधीन अनिवार्य बीमा की व्यवस्था है।

औद्योगिक सन्धि-प्रस्ताव—३ नवम्बर, १९६२ ई०, को मालिकों और मजदूरों के संगठनोंकी एक संयुक्त बैठक में एक औद्योगिक सन्धि-प्रस्ताव पेश किया गया। लगातार प्रयत्नों और औद्योगिक शान्ति के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने का संकल्प किया गया, ताकि माल के उत्पादन और उसकी आपूर्ति में कोई बाधा और शिथिलता न आये तथा मालिक और मजदूर अपने पर स्वेच्छा से नियन्त्रण रखें और अधिक-से-अधिक बलिदान करने की भावना का आदर करें, ताकि देश की रक्षा के हित को नुकसान न पहुँचे। यह निश्चय किया गया कि झगड़े आपस में बातचीत द्वारा या स्वैच्छिक पंचायत द्वारा निबटाये जायेंगे। अन्य उपायों में कीमतें स्थिर रखना, बचत में वृद्धि करना और राष्ट्रीय रक्षाकोष में स्वैच्छिक अंशदान देना सम्मिलित हैं।

औद्योगिक सन्धि-प्रस्ताव के फलस्वरूप अब बहुत कम मानव-दिनों की हानि होने लगी है। अनेक ऐसे उदाहरण हैं कि मजदूरों ने अपनी छुट्टी के दिन फालतू समय में काम किया है, परन्तु फालतू वेतन नहीं लिया। मजदूरों ने राष्ट्रीय रक्षाकोष में भी दिल खोलकर अंशदान किया।

लोगों का योगदान—औद्योगिक श्रमिकों की यह शानदार प्रतिक्रिया इस हमले का मुकाबला करने के लिए भारत के लोगों के सामान्य संकल्प के अनुरूप थी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी-सहित सभी राजनीतिक पार्टियों तथा सभी लोगों ने अपनी संकुचित मान्यताओं को त्याग दिया, अपने आपसी राजनीतिक, प्रादेशिक और अन्य मतभेद दबा दिये और विदेशी खतरे का मुकाबला करने के लिए एक होकर खड़े हो गये। सामान्य पुरुषों और स्त्रियों तथा अमीर लोगों ने उदारतापूर्वक सहायता की। हमले ने हममें इतनी अधिक राष्ट्रीय एकता ला दी कि राष्ट्रीय एकता तथा साम्प्रदायिकता-सम्बन्धी समिति ने बहुत सन्तोष के साथ कहा : "चीनी हमले ने यह प्रमाणित कर दिया है कि हम एक हैं। आइए, हम कोशिश करें कि एकराष्ट्र बने रहें और समुदायों तथा जातियों के अप्रचलित दावों को भूल जायँ। इसी भावना और निश्चय के कारण समिति ने अपना विचार-विमर्श स्थगित कर दिया है।" देश के सभी भागों में लोगों के निश्चय को रचनात्मक प्रयत्नों का रूप देने के लिए नागरिक समितियाँ बनाई गई हैं। जवानों को मोर्चे पर शाबाशी पहुँचाने के लिए तथा उनके परिवारों को सहायता देने के लिए अनेक स्वैच्छिक समितियों का संगठन किया गया है। अनेक औद्योगिक तथा व्यापारिक संस्थाओं ने उत्पादन बढ़ाने और कीमतें स्थिर रखने का संकल्प किया है।

संकट-काल की अपेक्षा के अनुरूप सरकार के अनेक सूचना-इकाइयों ने अपने कार्यक्रमों को नया रूप दिया, जिससे वे अधिकृत जानकारी जुटा सकें, चीनी प्रचार और अफवाहों का निराकरण कर सकें, लोगों का नैतिक बल बनाये रखें और राष्ट्रीय एकता, भावात्मक एकता तथा देशभक्ति को बढ़ावा दें। चीनी हमले का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा अपनाये गये प्रयत्नों का भारतीय पत्र-पत्रिकाओं ने खुले दिल से स्वागत किया।

सरकार ने विशेष सैनिक रक्षा-उपाय भी किये, विशेषकर सीमान्त राज्यों और क्षेत्रों में। 'व्यक्तिगत क्षति (संकटकालीन उपलब्ध)-अधिनियम, १९६२' पास किया गया, जिसके अधीन संकटकाल की अवधि में कुछ प्रकार की व्यक्तिगत क्षतियों के सिलसिले में कुछ सहायता दिये जाने की व्यवस्था है।

भारत-चीन-सम्बन्धों की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ
(जनवरी, १९६२ से अप्रैल, १९६३ ई० तक)

जनवरी १९६२

८ चीन ने पाकिस्तान के कब्जे के अधीन कश्मीर के गिलगिट-क्षेत्र के लगभग ४ हजार वर्गमील इलाके पर दावा प्रस्तुत किया।

फरवरी

२२ भारत-सरकार ने चीन-सरकार के पास लद्दाख में आगे बढ़कर गश्त लगाने के विरुद्ध विरोधपत्र भेजा।

अप्रैल

१५ भारत ने लद्दाख में सुमदो से ६ मील पश्चिम में फौजी चौकी स्थापित करने के विरुद्ध चीन-सरकार को विरोधपत्र भेजा।

१८ भारत ने पूर्वी भाग में रोई ग्राम में बलपूर्वक चीनी-प्रवेश के विरुद्ध विरोधपत्र भेजा।

३० चीन ने घोषणा की कि उसके सैनिक कराकोरम दर्रे से कोंगका दर्रे तक गश्त लगायेंगे। उसने भारत से यह भी कहा कि वह वहाँ से अपनी दो चौकियाँ (जो पूर्णतः भारतीय क्षेत्र में हैं) हटा ले, नहीं तो चीन समूचे सीमान्त पर गश्त शुरू कर देगा।

मई

३ चीन और पाकिस्तान ने कराकोरम के पश्चिम में पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से अधिकृत कश्मीरी क्षेत्र में भारत-चीन-सीमा के निर्धारण के बारे में बातचीत शुरू करना स्वीकार किया।

१० भारत ने चीन को बताया कि कश्मीर के किसी भी भाग के बारे में चीन-पाकिस्तान समझौता पूर्णतः अवैध है और उसका कोई कानूनी महत्त्व नहीं है।

१३ चीन ने तिब्बत के साथ पड़ोसी देशों के व्यापार पर नये प्रतिबन्धों की घोषणा की। भारतीय रुपये पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया।

१४ भारत ने चीन को लद्दाख के चिपचैप-क्षेत्र से चीनी सैनिकों की गश्त के विरुद्ध विरोधपत्र भेजा और यह सुझाव फिर से रखा कि दोनों पक्ष पश्चिमी भाग में अपनी सेनाएँ पीछे हटा लें। भारत ने इस बात का भी संकेत किया कि शान्ति के हित में वह चीनी असैनिक यातायात के लिए अक्षयचिन सड़क का प्रयोग करने की इजाजत दे देगा।

२१ भारत ने स्पांगर के निकट नई चीनी चौकियाँ स्थापित करने के विरुद्ध विरोधपत्र भेजा।

२३ प्रजा-समाजवादी पार्टी की ओर से प्रस्तुत यह माँग कि चीन से राजनयिक सम्बन्ध तोड़ लिये जायँ, लोकसभा ने रद्द कर दी।

२६ कलिम्पोंग में चीनी व्यापार-एजेंसी बन्द कर दी गई।

जून

२ १९५४ का भारत-चीन समझौता, जिसका चीन ने हर तरह से उल्लंघन किया, समाप्त हो गया।

२८ भारत ने चिपचैप नदी के निकट चीन द्वारा अवैध रूप से स्थापित चौकी से दक्षिण-पूर्व की ओर ६ मील की दूरी पर स्थापित नई चौकी के विरुद्ध विरोधपत्र भेजा।

जुलाई

१० भारत ने गलवान नदी पर भारतीय चौकी को घेर लेने के विरुद्ध विरोधपत्र भेजा।

१२ भारत ने चिपचैप, चांग चेन्मो और पैंगोंग प्रदेशों में नई चीनी चौकियाँ स्थापित करने के विरुद्ध विरोधपत्र भेजा।

१४ गलवान घाटी में भारतीय चौकी को घेरे में लेनेवाले चीनी सैनिकों के पीछे हटाये जाने की घोषणा की गई।

२१ चीनियों ने लद्दाख में भारतीय सीमा-रक्षकों पर गोली चलाई।

अगस्त

१४ लोकसभा ने सरकार की चीन-सम्बन्धी नीति का अनुमोदन किया।

सितम्बर

८ चीन ने पूर्वी भाग में भारतीय क्षेत्र में बलपूर्वक घुसना शुरू किया।

१३ मैकमहोन रेखा के दक्षिण में चीनी फौजों के एक दल की उपस्थिति की सूचना प्राप्त हुई।

२० चीन ने नेफा में ढोला के निकट गोली चलाई।

२८ ढोला चौकी के निकट भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गोली का जवाब गोली से दिया गया।

अक्टूबर

१२ नेफा-मोर्चे पर भारी लड़ाई की सूचना मिली।

२० चीन ने नेफा और लद्दाख में बहुत बड़ा हमला शुरू कर दिया।

२४ चीन-सरकार ने प्रस्ताव रखा कि दोनों देश वास्तविक नियन्त्रण की रेखा (चीन की परिभाषा के अनुसार) से २० किलोमीटर पीछे हट जायँ।

२५ नेफा में तवांग पर चीनियों का कब्जा हो गया।

२६ राष्ट्रपति ने देश में संकटकाल की घोषणा की।

— भारत-रक्षा अध्यादेश जारी किया गया।

३१ भारत-रक्षा-अध्यादेश के सभी उपबन्ध लागू कर दिये गये।

— रक्षा और अन्य बॉण्ड जारी करने की घोषणा की गई।

— राष्ट्रपति द्वारा विदेशी कानून (प्रयोग और संशोधन, अध्यादेश, १९६२, जारी किया गया।

नवम्बर

१ भारतीय सैनिक डटे रहे और जंग-क्षेत्र में इक्के-दुक्के हमले करते रहे।

— भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय परिषद् ने चीनी आक्रमण की निन्दा की और भारत-सरकार की नीतियों का अनुमोदन किया।

— जनसंघ की कार्यकारी समिति ने माँग प्रस्तुत की कि चीन के साथ राजनयिक सम्बन्ध तोड़ लिये जायँ।

३ केन्द्रीय वित्तमन्त्री ने स्वर्ण-बॉण्ड-योजना की घोषणा की।

— अमेरिकी शस्त्रों की पहली किस्त भारत पहुँची।

४ भारतीय और चीनी दस्तों में वालोंग के नजदीक लड़ाई शुरू हुई।

— अखिलभारतीय हिन्दू-महासभा की कार्यकारी समिति ने सरकार को चीनियों को खदेड़ने में अपने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिलाया।

— प्रजा-समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया कि चीन के साथ ८ सितम्बर, १९६२ ई० के पूर्व चीनी दस्तों द्वारा अधिकृत स्थितियों पर लौट जाने के आधार पर बातचीत की जाय।

५ लद्दाख में दौलतबेग-ओल्दी की चौकी चीन के कब्जे में चली गई।

६ राष्ट्रीय रक्षा-परिषद् की स्थापना की गई।

— स्वतन्त्र पार्टी के संसदीय बोर्ड ने कहा कि चीन के आक्रमण का मामला संयुक्त राष्ट्र-संघ में पेश किया जाय।

८ राष्ट्रपति डॉ० राधाकृष्णन् ने नेफा के अगले क्षेत्रों का दौरा किया।

१० वालोंग के निकट एक भारतीय गश्ती टुकड़ी और चीनी सैनिकों के बीच गोली चलने की सूचना मिली।

१२ गोरखा-रायफल्स के मेजर धनसिंह थापा और सिख रेजीमेण्ट के सूबेदार जोगिन्दर सिंह को परमवीर-चक्र प्रदान किये गये।

१३ सिक्किम में संकटकालीन स्थिति की घोषणा की गई।

१४ लोकसभा में भारतीय जनता के इस दृढ़ संकल्प की घोषणा की गई कि चीनी हमलावरों को भारतीय भूमि से खदेड़ दिया जायगा।

— भारतीय दस्तों ने वालोंग के नजदीक चीनियों द्वारा अधिकृत एक चौकी पर हमला किया।

१६ अखिलभारतीय पंचायत-परिषद् ने ग्राम-पंचायतों से कहा कि वे प्रत्येक ग्राम में ग्रामरक्षा के लिए स्वयंसेवक-दल संगठित करें।

१७ जंग-क्षेत्र में भारतीय अग्र-स्थितियों पर चीनी हमले बेकार कर दिये गये।

— १४ नवम्बर को भारत और संयुक्तराज्य अमेरिका के बीच भारत को अमेरिकी शस्त्र देने के समझौते का मसविदा प्रकाशित कर दिया गया।

१८ भारत में विभिन्न मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधियों ने चीनी हमले के विरुद्ध पूरा सहयोग देने की प्रतिज्ञा की।

१९ नेफा में वालोंग के अतिरिक्त सेला रिज के चीनी कब्जे में जाने की घोषणा की गई।

२० लोकसभा ने रक्षा के लिए ६५ करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट मंजूर कर दिया।

— प्रधान मन्त्री ने लोकसभा में बताया कि चीनी फौजें बोमदिला से कुछ आगे बढ़ आई हैं।

— सेना में एमरजेन्सी कमीशन जारी करने की घोषणा की गई।

२१ प्रधान मन्त्री ने लोकसभा को बताया कि ८ सितम्बर, १९६२ ई० से पहले की स्थिति पुनः कायम की जाय, तभी चीन के साथ बातचीत शुरू की जा सकेगी।

— चीन ने घोषणा की कि उनकी फौजें समूचे भारत-चीन-सीमान्त पर मध्य रात्रि से युद्ध-विराम कर देंगी।

२२ भारतीय रक्षा-सम्बन्धी आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिए अमेरिकी और ब्रिटिश मिशन नई दिल्ली पहुँचे।

२३ चीन को जानेवाले और वहाँ से आनेवाले सभी डाक-पत्रों पर सेंसर लगा दिया गया।

२४ भारत-सरकार ने युद्ध-विराम-सम्बन्धी नवीनतम चीनी वक्तव्य के बारे में स्पष्टीकरण माँगा।

२५ राष्ट्रीय रक्षा-परिषद् की नई दिल्ली में बैठक शुरू हुई।

२७ भारत और ब्रिटेन के बीच पत्रों का आदान-प्रदान हुआ, जिनके अधीन भारत को और फौजी सामान देने की व्यवस्था की गई।

— कम्युनिस्ट पार्टी की पश्चिम बंगाल-राज्य-परिषद् ने कहा कि चीन पिछले सभी वादों को तोड़ने और उसके नवीनतम हमले को ध्यान में रखते हुए युद्ध-विराम-सम्बन्धी प्रस्तावों के बारे में भारत को पूर्णतः सचेत रहना चाहिए।

दिसम्बर

२ भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन पर आरोप लगाया कि उसने भारत पर बड़े पैमाने पर हमला किया है।

६ भारत ने ल्हासा और शंघाई में अपने वाणिज्यिक कार्यालय बन्द करने का फैसला किया।

७ प्रधान मन्त्री ने लोकसभा को बताया कि युद्ध-विराम के बाद चीनी गोलियों से २ भारतीय सैनिक मारे गये और ४ जख्मी हुए।

८ प्रधान मन्त्री ने राज्यसभा को बताया कि चीन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी फौजें पूर्वी भाग में जलविभाजक से पीछे हटा लेगा, लेकिन वह ढोला और लौंगजू की असैनिक चौकियाँ कायम रखना चाहता है।

९ चीन ने बम्बई और कलकत्ता में अपने वाणिज्यिक कार्यालय बन्द करने का फैसला किया।

१० कोलम्बो में भारत-चीन-विवाद पर विचार करने के लिए ६ तटस्थ राष्ट्रों का सम्मेलन शुरू हुआ।

— लोकसभा ने भारत-चीन-विवाद-सम्बन्धी सरकार की नीति का जोरदार समर्थन किया।

१६ नेफा-प्रशासन के कर्मचारियों का पहला दल बोमदिला वापस पहुँचा।

१७ ६ राष्ट्रों के कोलम्बो-सम्मेलन के विशेष दूत ने कोलम्बो-सम्मेलन के प्रस्ताव प्रधान मन्त्री को पेश किये।

२१ प्रधान मन्त्री ने बताया कि रूस को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं कि भारत अमेरिका और ब्रिटेन फौजी और दूसरी सहायता प्राप्त करे।

जनवरी १९६३

१ सरकारी अनुमानों के अनुसार चीनी हमले के सिलसिले में २२४ भारतीय सैनिक मारे गये और ४६८ घायल हुए।

— नेपाल, सिक्किम, भूटान और नेफा-सीमान्त पर चीनी फौजों के बहुत बड़ी संख्या में मौजूद होने की सूचना मिली।

२ श्रीचाऊ एन-लाई द्वारा पाकिस्तान के विदेश-मन्त्री को भेजे गये नववर्ष के सन्देश से यह बात प्रकट हुई कि चीन पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में अधिकृत क्षेत्र पर उसकी प्रभुसत्ता मानता है।

३ एक अगली भारतीय असैनिक पार्टी जंग पहुँची।

४ चीन ने सिंकियांग और तिब्बत के ऊपर भारतीय फौजी हवाई जहाजों द्वारा क्षेत्र-उल्लंघन का आरोप लगाया।

६ भारतीय कम्युनिस्ट नेता श्रीडांगे ने कहा कि रूस, ब्रिटेन और इटली की कम्युनिस्ट पार्टियाँ भारत की ८ सितम्बर, १९६२ ई० की रेखा को ठीक मानती हैं ।

७ श्रीचाऊ तथा श्रीमती भण्डारनायक द्वारा पेकिंग से जारी संयुक्त विज्ञप्ति में कहा गया कि चीन ने कोलम्बो-प्रस्तावों पर सहमतिपूर्ण प्रतिक्रिया प्रकट की है, परन्तु उसमें चीन की वास्तविक प्रतिक्रिया को प्रकट नहीं किया गया ।

८ स्वर्ण-नियन्त्रण-नियमों की घोषणा की गई । चाँदी में वादे के सौदे बन्द कर दिये गये ।

१० सरकारी वक्ता ने बताया कि चीन ने युद्ध-विराम के पहले ११ दिनों में नेफा में ३४ बार अपने एकपक्षीय युद्ध-विराम का उल्लंघन किया ।

— श्रीलंका की प्रधान मन्त्रिणी कोलम्बो-प्रस्तावों की व्याख्या करने के लिए नई दिल्ली पहुँचीं ।

१३ कोलम्बो-प्रस्तावों के बारे में हुई कान्फ्रेंस के अन्त में नई दिल्ली में एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें वार्त्ता का निचोड़ पेश किया गया । भारत का फैसला तबतक के लिए उठा रखा गया, जबतक संसद् इन प्रस्तावों पर विचार न कर ले । सरकारी वक्ता ने बताया कि प्रस्तावों में इस सिद्धान्त को माना गया है कि नवीनतम चीनी हमले से प्राप्त क्षेत्र को बातचीत शुरू करने से पहले खाली कर दिया जाय ।

— चीन के राष्ट्रीय प्रतिरक्षा-मन्त्रालय ने घोषणा की कि चीनी सैनिक १४ और १५ जनवरी को 'समूचे भारत-चीन-सीमान्त पर' पूर्वी भाग में '७ नवम्बर, १९५९ ई० की वास्तविक नियन्त्रण की रेखा' तक उत्तर की ओर पीछे हट जायेंगे तथा पश्चिमी भाग में '७ नवम्बर, १९५९ ई० की वास्तविक नियन्त्रण की रेखा' से २० किलोमीटर पीछे हट जायेंगे, सिवाय उन ७० चौकियों के, जहाँ असैनिक चौकियाँ कायम रखी जायेंगी ।

१४ कोलम्बो-प्रस्तावों के सिद्धान्त भारत द्वारा स्वीकार कर लिये गये ।

— यह घोषणा की गई कि श्रीलंका के फेलिक्स भण्डारनायक ने ११ जनवरी को श्रीनेहरू को बताया कि चीन ने कोलम्बो-प्रस्ताव रद्द कर दिये हैं ।

— सूचना मिली कि चीन पूर्वी लद्दाख में अपनी चौकियाँ मजबूत कर रहा है ।

१५ घाना के न्याय-मन्त्री नई दिल्ली से पेकिंग के लिए रवाना हुए । वे वहाँ श्री चाऊ एन-लाई से कोलम्बो-प्रस्तावों के बारे में चीन के नकारात्मक उत्तर पर पुनः विचार करने की सम्भावना पर बातचीत करेंगे ।

१८ श्रीनेहरू ने कहा कि चीनियों के पीछे हटने या युद्ध-विराम या कोलम्बो-प्रस्तावों से 'स्थिति में बहुत अधिक अन्तर नहीं आया है ।'

२० नवचीन न्यूज-एजेन्सी ने सूचना दी कि चीन ने वालोंग-क्षेत्र में अपनी फौजें ७ नवम्बर, १९५९ ई० की वास्तविक नियन्त्रण-रेखा के उत्तर तक पीछे हटा ली हैं ।

२१ श्रीलंका, संयुक्त अरब-गणराज्य और घाना द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण-सहित कोलम्बो-प्रस्ताव संसद् में पेश किये गये।

— प्रतिरक्षा-मन्त्री ने लोकसभा को बताया कि चीन ने २० अक्तूबर, १९६२ ई० के बाद भारतीय क्षेत्र में ३ बार आकाश-मार्ग का उल्लंघन किया।

२३ श्रीनेहरू ने लोकसभा में घोषणा की कि चीन ने कोलम्बो-प्रस्ताव और उनके स्पष्टीकरण पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किये हैं।

— कम्युनिस्टों को छोड़कर सभी विरोधी पार्टियों ने लोकसभा में कोलम्बो-प्रस्ताव रद्द करने को कहा।

२५ लोकसभा ने कोलम्बो-प्रस्तावों के बारे में सरकार की नीति का अनुमोदन किया।

२८ सिक्किम ने तिब्बत के साथ अपनी सीमा बन्द कर दी।

२९ सरकारी वक्ता ने बताया कि सोवियत रूस सिद्धान्त-रूप से भारत के रक्षा-उत्पादन में सहायता करने को सहमत हो गया है।

३० संयुक्तराज्य अमेरिका और राष्ट्रमण्डल का साझा हवाई-मिशन नई दिल्ली पहुँचा।

फरवरी

६ चीन ने स्पांगुर झील-क्षेत्र में भारतीय दस्तों द्वारा तथाकथित बार-बार बलपूर्वक प्रवेश के विरुद्ध विरोध प्रकट किया।

१२ भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय परिषद् ने चीन पर आरोप लगाया कि उसने भारत पर हमला करके मार्क्सवाद-लेनिनवाद का उल्लंघन किया है।

१८ रक्षा-उत्पादन-कार्यक्रम का पुनर्गठन करने के लिए एक उच्चस्तरीय कैबिनेट-समिति स्थापित की गई।

१९ प्रधान मन्त्री ने घोषणा की कि सशस्त्र सैनिक फिलहाल चीन द्वारा खाली किये गये इलाके में दाखिल नहीं होंगे।

२४ पाकिस्तान के विदेश-मन्त्री ने कहा कि चीन-पाकिस्तान-समझौता तबतक अस्थायी माना जायगा, जबतक कश्मीर का मामला तय नहीं हो जाता।

२८ सन् १९६३-६४ ई० के बजट में रक्षा के लिए ८६७ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया।

मार्च

२ पेकिंग में चीन-पाकिस्तान समझौते पर हस्ताक्षर किये गये।

— भारत ने चीन-पाकिस्तान-समझौते के विरुद्ध चीन को विरोधपत्र भेजा।

— चीन ने भारत को सूचित किया कि समूचे भारत-चीन-सीमान्त पर उसके एकपक्षीय पीछे हटने का काम पूरा हो गया है।

१४ चीनी उप-प्रधानमन्त्री श्रीचेन यी ने कहा कि कोलम्बो-प्रस्तावों में विरोधमूलक बातें हैं, जो युक्तिपूर्ण नहीं हैं।

१६ १५ मार्च, १९६३ ई० के भारतीय पत्र में लद्दाख में स्पांगुर झील-क्षेत्र में भारतीयों के प्रवेश-विषयक चीनी आरोप का भण्डाफोड़ किया गया।

अप्रैल

६ एक भारतीय नौसैनिक जहाज ने किसी विदेशी पनडुब्बी के 'ध्वानिक' (सोनिक) की सूचना दी, जो भारतीय समुद्र में पाया गया और चीनी माना जाता है।

१५ भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रस्ताव में इस सारे विवाद का आरोप चीन पर लगाया गया।

१८ राष्ट्रपति डॉ० राधाकृष्णन् ने लद्दाख और नेफा के बहादुरों को बहादुरी के तमगे प्रदान किये।

२२ श्रीनेहरू ने कहा कि यदि हमला हुआ, तो भारत सिक्किम और भूटान की रक्षा करेगा।



भारत के विभिन्न राज्य

आन्ध्रप्रदेश

क्षेत्र-विस्तार—१,०६,२८६ वर्गमील; जनसंख्या—३,५६,८३,४४७; शिक्षितों की संख्या—२०·८ प्रतिशत; जनसंख्या का घनत्व—३३६ प्रति वर्गमील; राजधानी—हैदराबाद; भाषा—अँगरेजी; प्रधान भाषा—तेलुगु; विश्वविद्यालय—उस्मानिया, आन्ध्र तथा वेंकटेश्वर; जिले—श्रीकाकुलम्, खम्माम, विशाखापत्तनम्, पूर्व गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर, नेल्लोर, चित्तूर, कुड्डापाह, अनंतपुर, कुर्नूल, हैदराबाद, महबूबनगर, आदिलाबाद, निजामाबाद, मेडक, करीमनगर, वारंगल तथा नलगोण्डा।

इस राज्य का निर्माण सन् १९४८ ई० में हैदराबाद-रियासत के भारत में मिलाये जाने के पश्चात् किया गया। इसके उत्तर में महाराष्ट्र, दक्षिण में मद्रास और बंगाल की खाड़ी, पूरब में मध्यप्रदेश और उड़ीसा तथा पश्चिम में मैसूर-राज्य हैं।

कृषि—यहाँ के ८२ प्रतिशत व्यक्ति खेती पर निर्भर करते हैं। यहाँ के १९ प्रतिशत भाग में जंगल हैं। पूर्वी घाटी के जंगल में मूल्यवान् लकड़ियाँ मिलती हैं। श्रीकाकुलम्, विशाखापत्तनम्, गोदावरी तथा कुर्नूल जिलों में घने जंगल हैं। गोदावरी, कृष्णा तथा पेनार और इनकी सहायक नदियों से यहाँ सिंचाई होती है। यहाँ की उपज में धान, गेहूँ, दलहन, तेलहन, मूँगफली आदि प्रमुख हैं। यहाँ अभी नागार्जुन-सागर-योजना के द्वारा, जिसमें लगभग १२५ करोड़ रुपये लगेंगे, एक वृहत् बाँध बनाने का काम चल रहा है। इसके तैयार होने पर इससे लगभग ३२ लाख एकड़ भूमि सींची जा सकेगी।

खनिज तथा उद्योग-धन्धे—यहाँ कोयला, लोहा, अबरख आदि अधिक परिमाण में मिलते हैं। कोयला के सम्पूर्ण भारतीय उत्पादन का ४ प्रतिशत भाग यहाँ उपलब्ध होता है। बेरियम-सल्फेट के सम्पूर्ण भारतीय उत्पादन का ९५ प्रतिशत अंश आन्ध्र में मिलता है। अबरख-उत्पादन में बिहार के बाद आन्ध्र का ही स्थान है। तम्बाकू, ऊख, आलू, कपास, जूट आदि की उपज यहाँ अधिक मात्रा में होती है। कोठागोदाम तथा तेन्दूर कोयला के भाण्डार हैं। रॉयल-सीमा तथा तेलंगाना खनिज-सम्पत्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ सोना तथा हीरे भी मिलते हैं।

तम्बाकू-उत्पादन में आन्ध्र भारत में सबसे आगे है। यहाँ कागज की दो मिलें हैं। इनमें पहली रिरूर पेपर-मिल निजी तथा दूसरी आन्ध्र पेपर-मिल राजकीय मिल है। यहाँ चीनी की दस मिलें हैं। भारत में केवल विशाखापत्तनम् में ही जहाज का निर्माण होता है। 'कॅल्टेक्स ऑयल रिफाइनरी' नाम का एक कारखाना भी विशाखापत्तनम् में ही स्थापित हुआ है। सिरपुर से ग्रेरीसिल्क लिमिटेड द्वारा प्रतिदिन ५०,००० गज कृत्रिम रेशम का उत्पादन होता है। 'अविल्यन मेटल वर्क्स' नाम का एक कारखाना रेलवे डब्बों का निर्माण करता है। यहाँ सीमेण्ट-उत्पादन के दो कारखानें हैं— १. आन्ध्र सीमेण्ट-फैक्टरी तथा २. कृष्ण सीमेण्ट-फैक्टरी। चेकोस्लोवाकिया—सरकार की सहायता से यहाँ भारी विद्युत्-संयंत्र स्थापित किया गया है। केन्द्रीय सरकार ने यहाँ 'सेन्थेटिक ड्रग' का एक बृहत् कारखाना खोला है।

बन्दरगाह—यहाँ के बन्दरगाहों में मुख्य हैं—विशाखापत्तनम् तथा कलिंगपत्तनम्। इनके अतिरिक्त और भी छोटे-छोटे बन्दरगाह हैं; जैसे काकीनाद, मसूलीपत्तनम्, भीमुनीपत्तनम्, बादरेवू, नर्सपुर तथा कन्दलेरू।

प्रशासन—यहाँ के राज्यपाल एस० एम० श्रीनागेश; मुख्य न्यायाधीश पी० चन्द्र रेड्डी और मन्त्रिमण्डल के सदस्य एन० संजीव रेड्डी (मुख्य मन्त्री), एन० रामचन्द्र रेड्डी, के० ब्रह्मानन्द रेड्डी, एम० चेन्न रेड्डी, पी० वी० जी० राजू, ए० सी० सुब्बरेड्डी, मीर अहमद अली खाँ, वाई शिवराम प्रसाद और एम० एन० लक्ष्मी नरसय्य हैं।

आसाम

क्षेत्र-विस्तार—७८,५२६ वर्गमील; **जनसंख्या**—१,१८,४०,१३०; **शिक्षितों की संख्या**—२५.८ प्रतिशत; **जनसंख्या का घनत्व**—२५२ प्रति वर्गमील; **राजधानी**—शिलाँग; **प्रधान भाषाएँ**—असमिया और बँगला; **विश्वविद्यालय**—गौहाटी; **जिले** (कोष्ठ में मुख्यालय-सहित)—ग्वालपारा (धुबरी), कामरूप (गौहाटी), दारंग (तेजपुर), नौगाँव, शिवसागर (जोरहाट), लखीमपुर (डिब्रूगढ़), कचार (सिलचर), गारो हिल्स (तुरा), युनाइटेड खासी और जयन्तिया हिल्स (शिलाँग), युनाइटेड मिकिर और नॉर्थ कचार हिल्स (डीफू) और मिजो (ऐजल)।

आसाम-राज्य ब्रह्मपुत्र की घाटी, सुरमा की घाटी तथा इन घाटियों को उत्तर-पूर्व और दक्षिण की ओर से घेरकर अलग करनेवाले पहाड़ी स्थल से बना है। यह भारत की उत्तर-पूर्वी सीमा पर स्थित है। इसके उत्तर में भूटान और तिब्बत तथा पूर्व में बर्मा हैं। गारो, युनाइटेड खासी-जयन्तिया, मिकिर, उत्तर कचार, लुशाई (मिजो) तथा नागा-पहाड़ियों से यह प्रान्त परिवेष्ठित है। २६ जनवरी, १९५० ई०, को २५ खासी पहाड़ी आसाम में मिला दिये गये और उनका जिला रूप से नामकरण हुआ है—खासी-जयन्तिया हिल्स, जिसका क्षेत्रफल ६,०२७ वर्गमील है। भारत के अन्य प्रान्तों की अपेक्षा आसाम में जन-जाति के लोग अधिक हैं। यहाँ उनकी संख्या ३४ प्रतिशत है। नॉर्थ-ईस्ट फ्रॉण्टियर (NEFA) आसाम-प्रान्त का सामरिक सीमा-क्षेत्र है, जिसका प्रशासन भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि-रूप में आसाम-सरकार की ओर से आसाम का राज्यपाल ही करता है।

खेती—इस प्रदेश का आर्थिक आधार कृषि है तथा यहाँ के ७२ प्रतिशत व्यक्ति इसी पर अवलम्बित हैं। भारतवर्ष में सबसे अधिक वर्षा इसी प्रान्त में होती है। यहाँ खेती के लिए सिंचाई की समस्या नहीं है। यहाँ प्रतिवर्ष ५० इंच से २५८ इंच तक औसत वर्षा होती है।

खासी पहाड़ी के चेरापुंजी नामक स्थान में तो लगभग ५७० इंच तक वर्षा होती है। इतनी वर्षा संसार में और कहीं नहीं होती। यहाँ की मुख्य उपज धान, चाय, जूट, सरसों, ऊख, कपास, आलू, मकई, तम्बाकू आदि हैं। सिलहट, चेरापुंजी, छतक आदि स्थानों में नारंगी की खेती होती है।

खनिज पदार्थ एवं उद्योग-धन्धे—यहाँ के खनिज पदार्थ कोयला, चूना-पत्थर और पेट्रोल हैं। डिगबोई और नाहरकटिया में मिट्टी-तेल निकालने का काम हो रहा है। नूनमाटी में सरकारी खर्च से तेल साफ करने का कारखाना खोला गया है। गारो पहाड़ी में कोयला अधिक मिलता है। चूना-पत्थर खासी और जयन्तिया की पहाड़ियों में पाया जाता है। पेट्रोल लखीमपुर और कचार में निकाला जाता है, किन्तु इसकी सफाई केवल लखीमपुर में होती है। डिगबोई में किरासन तेल की खान है।

ब्रह्मपुत्र की घाटी में अरण्डी और मूँगा नाम के रेशमी कपड़े तैयार किये जाते हैं। हाथ-करघे पर कपड़े बुनने का कार्य यहाँ का सबसे प्रमुख कुटीर-उद्योग है। अन्य कुटीर-उद्योगों में हाथी-दाँत, बाँस, बेंत, मधुमक्खी-पालन आदि उद्योग आते हैं। सुरमा घाटी में व्यावसायिक दृष्टि से कपड़े तैयार होते हैं। चाय का उत्पादन यहाँ का मुख्य उद्योग-धन्धा है। सिलहट में एक पारकर सीमेण्ट-फैक्टरी नाम का कारखाना है। धुबरी में दियासलाई का कारखाना है। इनके अतिरिक्त यहाँ चूने के कारखाने, नाव बनाने के कारबार, शोला हैट बनाने का व्यवसाय, लोहारी का काम, शंख की चूड़ियाँ बनाने का काम, चावल और तेल की मिलें, लकड़ी के कारखाने आदि कई तरह के उद्योग-धन्धे हैं। कनाडा की आर्थिक सहायता से यहाँ कोलम्बो-योजना के अन्तर्गत सन् १९५७ ई० से उम्त्रु जल-विद्युत्-परियोजना चालू की गई है।

भाषा—असमिया और बँगला के अतिरिक्त यहाँ बोली जानेवाली अन्य भाषाएँ हैं—हिन्दी, उड़िया, मुण्डारी, नेपाली तथा तिब्बत-बर्मी।

उत्तर-पूर्व सीमान्त एजेंसी (NEFA)

इसका क्षेत्र-विस्तार ३२,९६९ वर्गमील और जनसंख्या ६ लाख है। इसका मुख्यालय शिलौंग में है।

यह एजेंसी भारत के उत्तर-पूर्व कोने में तथा बर्मा, चीन, तिब्बत और भूटान की सीमाओं पर स्थित है। इस क्षेत्र के प्रशासन का कार्य राष्ट्रपति के एजेण्ट के रूप में आसाम का राज्यपाल करता है। राज्यपाल की सहायता के लिए शिलौंग में एक परामर्शदाता रहता है। इस क्षेत्र में पाँच प्रशासनिक डिवीजन हैं—१. कामेन सीमान्त-डिवीजन, २. सुबानसिरी सीमान्त-डिवीजन, ३. सियांग सीमान्त-डिवीजन, ४. लोहित सीमान्त-डिवीजन तथा ५. तिरप सीमान्त-डिवीजन। इनमें से प्रत्येक का प्रधान एक राजनीतिक अधिकारी होता है।

यहाँ के निवासी जन-जाति के हैं, जिनका मूल है—भारत-मंगोलियन। यहाँ के निवासियों के प्रधानतः दो वर्ग हैं—१. तिब्बत-मंगोलियन तथा २. ताई-चीनी। यहाँ की जन-जातियों में विशेषतः तिब्बत-बर्मी वर्ग की भाषाएँ बोली जाती हैं। यहाँ की प्रधान जन-जातियाँ हैं—मोनपा, तैगिन, गैलौंग, उपतनी, मोंबा, पलिगो, रेमो, बोकार, बोरी तथा मिशमी।

नागा पहाड़िया-त्वेनसांग (नागालैंड)

१ दिसम्बर, १९६३ ई० को नागालैंड भारत का सोलहवाँ राज्य बन गया। इसका विस्तृत विवरण 'नागाभूमि' शीर्षक के अन्तर्गत दिया गया है।

प्रशासन—आसाम के राज्यपाल विष्णु सहाय; मुख्य न्यायाधीश गोपालजी मेहरोत्रा और मंत्रिमण्डल के सदस्य विमलाप्रसाद चालिहा (मुख्य मंत्री), रूपनाथ ब्रह्म, फखरुद्दीन अली अहमद, कामाख्याप्रसाद त्रिपाठी, मोइनुल हक चौधरी, महेन्द्रनाथ हजारिका, सिद्धिनाथ शर्मा, देवकान्त बरुआ, वैद्यनाथ मुखर्जी और छत्रसिंह तेरोन हैं।

उड़ीसा

क्षेत्र-विस्तार—६०,१६४ वर्गमील; जनसंख्या—१,७५,४८,८४६; शिक्षितों की संख्या—२१.५ प्रतिशत; जनसंख्या का घनत्व—२९२ प्रति वर्गमील; राजधानी—भुवनेश्वर; भाषा—उड़िया; विश्वविद्यालय—उत्कल; जिले—बालासोर, बोलांगीर, कटक, धेनकानल, गंजाम, कालाहण्डी, क्योंझर, कोरापट्ट, मयूरभंज, फूलबनी, पुरी, संबलपुर तथा सुन्दरगढ़।

उड़ीसा के दक्षिण-पश्चिम में आन्ध्रप्रदेश, पूरब में बंगाल की खाड़ी, उत्तर-पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा उत्तर-पश्चिम में बिहार हैं। यहाँ की नदियों में महानदी ब्राह्मणी तथा वैतरणी हैं, जो उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पश्चिम की ओर बहती हैं।

उड़ीसा दो प्राकृतिक भागों में बँटा हुआ है—एक तो उत्तर का पहाड़ी और जंगली भाग तथा दूसरा, दक्षिण का समतल मैदान। यह प्रदेश राजनीतिक रूप से छिन्न-भिन्न था। २ अप्रैल, १९३६ ई०, को बिहार-उड़ीसा प्रान्त से उड़ीसा कमिश्नरी के पाँच जिले—कटक, पुरी, बालासोर, अंगुल और संबलपुर; मध्यप्रान्त से रायपुर जिले की खरियार-जमीन्दारी और मद्रास के गंजाम जिले का अधिकांश तथा विजगापट्टम् के एजेंसी-भाग को मिलाकर उड़ीसा-प्रान्त का निर्माण किया गया। उड़ीसा-प्रान्त के अन्दर २४ रियासतें थीं, जिनका शासन पूरब की अन्य रियासतों के साथ-साथ ईस्टर्न स्टेट्स एजेंसी द्वारा होता था। सन् १९४७ ई० में देश के स्वतन्त्र होने पर मयूरभंज को छोड़ शेष सभी रियासतें १ जनवरी, १९४८ ई०, को उड़ीसा-प्रान्त में मिल गईं। मयूरभंज भी १ जनवरी, १९४९ ई० को उड़ीसा में मिल गया।

उड़ीसा का प्राचीन नाम 'उत्कल' है, जिसका उल्लेख महाभारत में भी पाया जाता है। ऐतिहासिक काल में इसे 'कलिंग' भी कहते थे। १२वीं शताब्दी में कलिंग-राज्य का विस्तार उत्तर में गंगा से दक्षिण में गोदावरी तक था। यहाँ पुरी में जगन्नाथजी का मन्दिर, कोणार्क का सूर्य-मन्दिर, भुवनेश्वर का शिव-मन्दिर तथा कटक में महानदी और कठजोरी के पत्थर के बाँध प्राचीन जगत् में ही नहीं, अब भी अभियन्त्रण तथा वास्तुकला के सर्वश्रेष्ठ नमूनों में गिने जाते हैं।

कृषि एवं सिंचाई—उड़ीसा के समुद्रतटवर्ती प्रदेश का अधिकांश महानदी, ब्राह्मणी तथा वैतरणी नदियों के सम्मिलित डेल्टा से बना है। इन नदियों से नहरें भी निकाली गई हैं, जिनमें केन्द्रपाड़ा, तालदोंका और मचंगा प्रसिद्ध हैं। बाढ़-नियन्त्रण के लिए मचकुण्ड तथा हीराकुड-बाँध बनाये गये हैं। 'अधिक अन्न उपजाओ'-योजना के अनुसार सिंचाई के कुछ दूसरे छोटे-छोटे प्रबन्ध भी किये जा रहे हैं। प्रान्तवासियों की मुख्य जीविका खेती है। सैकड़े करीब ८० व्यक्ति धान की खेती पर निर्भर हैं। गौण रूप में जूट, ऊख और दलहन की खेती भी होती है। समुद्र के किनारे नारियल की अच्छी पैदावार होती है।

उद्योग एवं खनिज—सैकड़े दस से भी कम व्यक्ति उद्योग-धन्धों में लगे हुए हैं। ये उद्योग-धन्धे भी अधिकतर घरेलू हैं; पर अब बड़े उद्योगों की ओर भी लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ है। राउरकेला में लोहे का बड़ा कारखाना खोला गया है। रायगढ़ और जोड़ा में लौह-मैंगनीज-संयंत्र हैं। चौंदुआर और कपिलास में कपड़े की मिलें और बरहमपुर में वनस्पति-घी का कारखाना खोला गया है। प्रान्त में कागज बनाने के कारखाने ब्रजराजनगर (ओरियण्ट पेपर-मिल्स) और चौंदुआर (टीटागढ़ पेपर-मिल्स) में हैं। १२ मार्च, १९६० ई०, को कटक में टीटागढ़ पेपर-मिल्स ने ३ करोड़ की लागत से एक कागज का कारखाना खोला है। बहुत-से नये-नये चीनी, सीमेंट, लोहे आदि के कारखाने खोले जा रहे हैं। मयूरभंज में लोहे की खान है। महानदी की घाटी, सम्बलपुर और तालचर में कोयले की छोटी-छोटी खानें हैं। इन खानों में मैंगनीज, चूना का पत्थर और मिट्टी मिलती है।

प्रशासन—यहाँ के राज्यपाल अयोध्यानाथ खोसला; मुख्य न्यायाधीश आर० एल० नरसिंहम् और मन्त्रिमण्डल के सदस्य वीरेन्द्र मित्र (मुख्य मन्त्री), नीलमणि राउत राय, सदाशिव त्रिपाठी, हरिहर सिंह मरदराज, पी० वी० जगन्नाथ राव, सत्यप्रिय महन्ती, वृन्दावन नायक, टी० संगन्न और चीनी वनमाली बाबू।

उत्तरप्रदेश

क्षेत्र-विस्तार—१,१३,६५४ वर्गमील; जनसंख्या—७,३७,४६,४०१; शिक्षितों की संख्या—१७·५ प्रतिशत; जनसंख्या का घनत्व—६५० प्रति वर्गमील; राजधानी—लखनऊ; भाषा—हिन्दी; विश्वविद्यालय—लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, अलीगढ़, गोरखपुर, रुड़की, कुरुक्षेत्र, वाराणसी हिन्दू-विश्वविद्यालय, वाराणसी संस्कृत-विश्वविद्यालय; कमिश्नरियाँ—मेरठ, आगरा, रोहिलखण्ड, इलाहाबाद, झाँसी, वाराणसी, गोरखपुर, कुमायूँ, लखनऊ तथा फैजाबाद; जिले—आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, अलमोड़ा, आजमगढ़, चामोली, बहराइच, बलिया, बाँदा, बाराबंकी, बरैली, बस्ती, बिजनौर, बदायूँ, बुलन्दशहर, देहरादून, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गढ़वाल, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हम्मीरपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, झाँसी, कानपुर, खेरी, लखनऊ, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नैनीताल, पीलीभीत, पिथौरागढ़, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहाँपुर, सीतापुर, सुलतानपुर, टेहरी-गढ़वाल, उन्नाव, उत्तर काशी तथा वाराणसी।

ब्रिटिश शासन के आरम्भ में यह प्रान्त उत्तर-पश्चिमी प्रान्त कहलाता था। सन् १८७७ ई० में आगरा और अवध नामक दो प्रान्तों को मिलाकर इसकी रचना की गई थी। सन् १९०२ ई० में इसका नाम अवध और आगरा का संयुक्तप्रान्त पड़ा, पर सन् १९३७ ई० के १ अप्रैल से यह केवल संयुक्तप्रान्त कहलाने लगा। सन् १९५० ई० की जनवरी से इसका नाम फिर बदलकर 'उत्तरप्रदेश' कर दिया गया है।

यह प्रदेश चार मुख्य प्राकृतिक भागों में विभक्त किया जा सकता है—१. हिमालय का भाग, २. हिमालय की तराई का भाग, ३. गंगा की समतल भूमि तथा ४. दक्षिण का कुछ पहाड़ी भाग। यह प्रदेश उत्तर भारत के मध्य भाग में स्थित है। इसके उत्तर में तिब्बत और उत्तर-पूरब में नेपाल-राज्य हैं। पूरब में बिहार, पश्चिम में हिमाचल-प्रदेश, पंजाब और राजस्थान

तथा दक्षिण में विन्ध्य-प्रदेश हैं। इसके उत्तर के पहाड़ी भाग में मंगोल और दक्षिण के पहाड़ी भाग में द्रविड़-जाति के लोग रहते हैं।

खेती और सिंचाई—इस प्रान्त के ७० प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं और ८ प्रतिशत के लिए यह एक सहायक धन्धा है। प्रान्त का अधिकांश खूब उपजाऊ है। यहां के पहाड़ी भागों में ५०-७० इंच, वाराणसी और गोरखपुर-कमिश्नरियों ४० से ५० इंच तथा आगरा-कमिश्नरी में २५ से ३० इंच तक वर्षा होती है। रिहन्द की विद्युत्-योजना पूरी हो चुकी है, जिससे सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। सन् १९६२ ई० में सिंचाई की दो बृहत् परियोजनाएँ—गण्डाकण्ड और सरयू-नहर—प्रारंभ की गई। उसी वर्ष ओबरा और रिहन्द में एक लाख किलोवाट के जल-विद्युत्-केन्द्र खोले गये।

खनिज और उद्योग—इस प्रान्त में खानें प्रायः नहीं हैं। थोड़ा कच्चा लोहा और ताँबा हिमालय के पहाड़ी भागों में पाया जाता है। कोयले की एक छोटी खान मिर्जापुर जिले के संघरौली तहसील (सबडिवीजन) में रावी-रियासत के पास है। चूने का पत्थर हिमालय पहाड़ के इलाके तथा इटावा और बाँदा जिलों में मिलता है। यहाँ निम्नलिखित सरकारी कारखाने चल रहे हैं—गवर्नमेंट सीमेण्ट फैक्टरी, चुर्क; गवर्नमेंट प्रिशिसन इन्स्ट्रूमेंट फैक्टरी। केन्द्रीय सरकार की परियोजनाएँ हैं—भारी विद्युत्-संयंत्र, रानीपुर (सहारनपुर), नेत्रजन-उर्वरक गोरखपुर, डीजेल लोकोमोटिव फैक्टरी, ऋषिकेश। निजी क्षेत्र में कपूर-कारखाना (बरेली), ओटोमोबाइल टायर फैक्टरी (इलाहाबाद) और न्यूजप्रिंट फैक्टरी (मुरादाबाद) हैं।

सूत और कपड़ा तैयार करने के काम प्रान्त के पश्चिमी भाग में अधिक होते हैं। लगभग ७२ हजार व्यक्ति कपड़े की मिलों में और ३ लाख व्यक्ति करघे के काम में लगे हुए हैं। रेशमी कपड़ा वाराणसी में, आजमगढ़ जिले के संदीला और मऊ नामक स्थानों में तथा पीलीभीत जिले के विलासपुर में बनता है। वाराणसी और लखनऊ में रेशमी कपड़ों पर जरी का काम भी होता है। मिर्जापुर जिले में पत्थर काटने का काम होता है।

सीसे की चीजें बनाने के कारखाने बहजोई, बलावली, ससनी, हाथरस, हरनगऊ, शिकोहाबाद, मखनपुर, नैनी, गाजियाबाद और वाराणसी में हैं। फिरोजाबाद काँच की चूड़ी बनाने के लिए भारत में प्रसिद्ध है। प्रान्त के अन्दर चूड़ी के कारखाने ८० तथा शीशा के अन्य कारखाने ४१ हैं। केवल शीशा के व्यवसाय में प्रान्त-भर में लगभग ६० हजार मजदूर काम करते हैं।

मुरादाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, फर्रुखाबाद, हाथरस, शामली (मुजफ्फरनगर) और बहराइच पीतल के बरतन के लिए प्रसिद्ध हैं। फर्रुखाबाद, पिलखावा (मेरठ) और मथुरा में छींट की छपाई होती है। आगरा में दरी, मारबल और उजले पत्थर की चीजें तैयार होती हैं। कुरजा में चीनी मिट्टी के बरतन और चुनार तथा मेरठ में मिट्टी के पॉलिश किये हुए सुन्दर बरतन बनते हैं। मिर्जापुर, भदोही, मुजफ्फरनगर, नजीबाबाद आदि में कम्बल बनते हैं। कानपुर, आगरा, लखनऊ तथा मेरठ में चमड़े की चीजें, टंडा (फैजाबाद) में कृत्रिम रेशम, अलीगढ़ में ताले, कायमगंज और हाथरस में हथियार, अलमोड़ा में ताँबे के बरतन, आगरा, कानपुर, बरेली और खैराबाद (सीतापुर) में दरियाँ, मेरठ में कैंचियाँ तथा लखनऊ में हाथी-दाँत की चीजें बनती हैं। कानपुर, यहाँ का सबसे बड़ा औद्योगिक केन्द्र है। राज्य के अन्दर ७३ चीनी के कारखाने हैं। वनस्पति-घी कानपुर, बेगमाबाद और गाजियाबाद में तैयार होता है। इस राज्य में २ करोड़ मन तेलहन की उपज है।

यहाँ तेल की १४६ बड़ी मिलें और २५० छोटी मिलें हैं। इस राज्य में साबुन की २५ बड़ी फैक्टरियाँ और दर्जनों छोटी-छोटी फैक्टरियाँ हैं।

प्रशासन—यहाँ के राज्यपाल विश्वनाथ दास, मुख्य न्यायाधीश एम० सी० देसाई और मंत्रिमंडल के सदस्य सुचेता कृपलानी (मुख्य मंत्रिणी), बनारसीदास, दाउदयाल खन्ना, महावीर-प्रसाद श्रीवास्तव, डॉ० सीताराम, जगमोहन सिंह नेगी, राममूर्त्ति, कमलापति त्रिपाठी, चरण सिंह, चतुर्भुज शर्मा, जगनप्रसाद रावत, सैयद अली जहीर, हरगोविन्द सिंह, हुकम सिंह, गिरिधारी लाल और मुजफ्फर हुसैन।

केरल

क्षेत्र-विस्तार—१५,००२ वर्गमील; जनसंख्या—१,६९.०३,७१५; शिक्षितों की संख्या—४६'२ प्रतिशत; जनसंख्या का घनत्व—११२५ प्रति वर्गमील; राजधानी—त्रिवेन्द्रम्; भाषा—मलयालम; विश्वविद्यालय—केरल; जिले—अलेपी, कन्नानोर, एरनाकुलम्, कोट्टायम्, कोझीकोड, पालघाट, क्विलोन, त्रिचूर और त्रिवेन्द्रम्।

सन् १९४९ ई० की पहली जुलाई को दक्षिण की ट्रावणकोर और कोचीन-रियासतों ने मिलकर एक राज्यसंघ की स्थापना की। पश्चात् भारतीय प्रान्त-निर्माण-योजना के अनुसार इसका प्रान्तीकरण हुआ। भारत के दक्षिण-पश्चिम कोने में स्थित यह केरल-प्रान्त अन्य सभी प्रान्तों से विद्या और विकास की दृष्टि से बढ़ा-चढ़ा है। उत्तर में कासरगोड तथा दक्षिण में त्रिवेन्द्रम् तक लगभग ४०० मील के लम्बे क्षेत्र में यह प्रान्त विस्तृत है। इस प्रान्त के उत्तर-पूर्व में मैसूर, पूर्व और दक्षिण में मद्रास तथा पश्चिम में अरब समुद्र है।

कृषि—यहाँ की मुख्य उपज धान, सोयाबीन, चना, लाल मिर्च, अदरख, चाय, इलायची कहवा, ऊख आदि हैं। यहाँ नारियल, कटहल, आम आदि फल भी होते हैं। इस समय यहाँ सिंचाई की निम्नलिखित योजनाएँ चालू हैं, जिनसे लगभग २८१ लाख एकड़ भूमि में धान का अधिकाधिक उत्पादन होता है। कुछ मुख्य योजनाएँ इस प्रकार हैं—१. मलमपूजा-योजना, २. वालेयर जलाशय-योजना, ३. मंगलम् जलाशय-योजना, ४. पीची-योजना ५. चालकूडी-योजना, ६. वाजनी-योजना, ७. कुट्टानन्दन-योजना ८. नैय्यर-योजना, ९. पेरियर घाटी-योजना, १०. चीरकुर्जी-योजना तथा ११. मीनकर-योजना।

जंगल—वन-सम्पत्ति में केरल-प्रान्त बहुत धनी है। लगभग ३,७५२ वर्गमील में जंगल सुरक्षित है। इस जंगल में टीक, आबनूस आदि मूल्यवान् लकड़ियाँ मिलती हैं।

खनिज तथा उद्योग-धन्धे—खनिज सम्पत्ति में बिहार के बाद केरल का ही स्थान है। कुछ खनिज पदार्थ तो बिहार की अपेक्षा केरल में ही अधिक मात्रा में मिलते हैं। यहाँ पाये जानेवाले खनिज में अबरख, ग्रेफाइट, चूना-पत्थर, क्वार्ज, लिगनाइट आदि व्यावसायिक दृष्टि से विशेष महत्त्व रखते हैं। यहाँ सामुद्रिक बालू से इलामेनाइट, मोनाजाइट, रूटाइल, जिरोन, सिलिमेनाइट जैसी मूल्यवान् एवं सामरिक महत्त्व की धातुएँ मिलती हैं। यहाँ रसायन, चीनी सीमेण्ट, सीसा आदि के कारखाने हैं। तेल का उत्पादन, हाथ-करघे की बुनाई, हाथी-दाँत की चीजों पर खुदाई के काम, काष्ठ-वस्तु-निर्माण, मिट्टी के बरतन बनाना, चटाइयाँ बुनना आदि काम गृह-उद्योग के रूप में होते हैं। यहाँ सरकार के सात बड़े कारखाने हैं और ४० निजी कारखानों में उसकी हिस्सा-पूँजी है।

सन् १९५५ ई० में यहाँ कौंगरेस और प्रजा-समाजवादी दल की सरकार बनी थी, किन्तु सन् १९५७ ई० में यहाँ सर्वप्रथम कम्यूनिस्ट-सरकार कायम हुई। सन् १९५९ ई० के मध्य में कम्युनिस्ट-सरकार को भंगकर राष्ट्रपति ने यहाँ का शासन ३१ जुलाई, १९५९ ई०, को अपने हाथ में ले लिया। फरवरी, १९६० ई० में फिर सार्वजनिक चुनाव हुआ, जिसमें कौंगरेस, प्रजा-समाजवादी दल और मुस्लिम लीग ने एक संयुक्त मोर्चा बनाया। विधान-सभा में बहुमत प्राप्त करने के के कारण संयुक्त मोर्चावालों ने अपना मंत्रिमंडल कायम किया, किन्तु मुस्लिम लीगवाले इसमें सम्मिलित नहीं हुए।

प्रशासन—इस समय यहाँ के राज्यपाल वी० वी० गिरि; मुख्य न्यायाधीश एम० एम० मेनन और मंत्रिमंडल के सदस्य आर० शंकर (मुख्य मंत्री), पी० टी० चाको, के० ए० दामोदर मेनन, ई० पी० पाउ लोस, के० टी० अच्युतन्, पी० पी० उमेर कोया, एम० पी० गोविन्दन नायर और के० कुनहम्बु हैं।

गुजरात

क्षेत्र-विस्तार—७२,२४५ वर्गमील; जनसंख्या—२,०६,३३,३५०; जनसंख्या का घनत्व—२८६ प्रति वर्गमील; शिक्षितों की संख्या—३०·३ प्रतिशत; राजधानी—अहमदाबाद; राजकीय भाषा—गुजराती; विश्वविद्यालय—गुजरात, बड़ौदा, विश्वविद्यालय और सरदार वल्लभभाई विद्यापीठ; जिले—बनासकंठ, साबरकंठ, मेहसाना, अहमदाबाद, खेड़ा, पंचमहल, बड़ौदा, भड़ौंच, सूरत, डांग्स, कच्छ, जामनगर, राजकोट, सुरेन्द्रनगर, भावनगर, जूनागढ़ और अमरेली।

१ मई, १९६० ई०, को द्विभाषी बम्बई-राज्य दो राज्यों में बाँट दिया गया—गुजरात और महाराष्ट्र। नये गुजरात-राज्य में बड़ौदा, कच्छ और सौराष्ट्र भी, जहाँ की मातृभाषा गुजराती थी, सम्मिलित कर लिये गये हैं। इस राज्य में १७ जिले हैं। यह भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। इसके पश्चिम में अरब समुद्र, उत्तर-पूरब में राजस्थान, दक्षिण में महाराष्ट्र तथा दक्षिण-पूरब में मध्यप्रदेश हैं। भौगोलिक दृष्टि से इसे तीन प्राकृतिक क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है—१. कच्छ की खाड़ी और अरावली पहाड़ी से दमनगंगा तक फैली मुख्य भूमि, २. कच्छ और सौराष्ट्र के पहाड़ी क्षेत्र तथा ३. उत्तर-पूरबी पहाड़ी स्थल। गुजरात के तटीय क्षेत्र का अधिक भाग पहाड़ियों से घिरा है।

कृषि—यहाँ की मुख्य उपज कपास, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, दलहन और तम्बाकू है। यह प्रान्त अच्छी सिंचाई के लिए मशहूर है। इसके स्थलीय भाग का सिंचन, बनास, सरस्वती, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती-जैसी बड़ी तथा अन्य छोटी नदियों से होता है। यहाँ कुओं से अधिक सिंचाई होती है। सिंचाई की बड़ी योजनाएँ—माही, ककरापाड़ा, उकई, नर्मदा, शेत्रुंजी (पालिताना) और दन्तिवाड़ा (बनास)।

खनिज तथा उद्योग-धन्धे—खनिज पदार्थों में लोहा, सोना और मैंगनीज अधिक पाये जाते हैं। हाल ही में काम्बे और अंकलेश्वर में तेल का पता लगा है। सूती वस्त्रोद्योग की प्रधानता है। अहमदाबाद और उसके आसपास कपड़े की बहुत-सी मिलें हैं।

बन्दरगाह—इसका समुद्री किनारा ६०० मील है, जहाँ ५२ बन्दरगाह हैं। कण्डला, भावनगर, वेदी, नवलाखी, ओखा, पोरबन्दर, वरवल, मांद्री और भड़ौंच यहाँ के मुख्य बन्दरगाह हैं।

संस्कृति—यहाँ के नृत्य-गीत और नाटक अपने-आप में पूर्ण विकसित हैं। लोक-नृत्यों में गरबा, गरबी और रास प्रमुख हैं। गरबा तो इस प्रान्त के नृत्य का प्राण ही है। प्रमुख तीर्थों में द्वारका, अम्बाजी, सिद्धपुर, प्रभासपट्टन आदि प्रसिद्ध हैं।

प्रशासन—इस समय यहाँ के राज्यपाल मेंहदी नवाजजंग; मुख्य न्यायाधीश के० टी० देसाई और मंत्रिमण्डल के सदस्य बलवन्त राय मेहता (मुख्य मंत्री), हितेन्द्र कन्हैयालाल देसाई, (श्रीमती) इन्दुमती चिम्मनलाल, विजयकुमार, माधवलाल त्रिवेदी, उत्सवभाई शंकरलाल पारीख, मोहनलाल पोपटलाल व्यास और वाजूभाई शाह हैं।

जम्मू और कश्मीर

क्षेत्र-विस्तार—८६,०२३ वर्गमील; जनसंख्या—३५,६०,९७६ (विदेशी अधिकृत भागों को छोड़कर); जनसंख्या का घनत्व—४२ प्रति वर्गमील; राजधानी—श्रीनगर; प्रधान भाषाएँ—काश्मीरी, उर्दू तथा डोंगरी; विश्वविद्यालय—जम्मू और कश्मीर; जिले—अनन्तनाग, अस्तोर, गिलगिट लीज्ड एरिया; गिलगिट एजेंसी, बारामुल्ला, जम्मू, कठुआ, लद्दाख, मीरपुर, डोडा, पूंच-रजौरी, रियासी, श्रीनगर तथा उधमपुर।

यह प्रान्त भारत की उत्तर-पश्चिम सीमा पर है। भारत की सीमा पर रहने के कारण राजनीतिक दृष्टि से इसका महत्त्व बहुत अधिक है। इसके पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर-पश्चिम में रूसी तुर्किस्तान, उत्तर में अफगानिस्तान, रूस तथा चीन, उत्तर-पूर्व में तिब्बत तथा दक्षिण में पंजाब हैं। सम्पूर्ण प्रान्त पहाड़ियों से भरा है। भौगोलिक दृष्टि से इसका प्राकृतिक विभाजन तीन क्षेत्रों में किया जा सकता है—१. तिब्बती तथा अर्द्ध-तिब्बती क्षेत्र, जो उत्तर में है, २. लद्दाख तथा गिलगिट जिलों का क्षेत्र तथा ३. कश्मीर के मध्य भाग की कश्मीरी घाटी का शोभा-सम्पन्न क्षेत्र तथा जम्मू का क्षेत्र, जो दक्षिण में है। प्रान्त का उत्तरी भाग, जो पर्वतमय है, लगभग छह महीनों तक बर्फ से ढका रहता है, अतएव इस भाग में अन्न-का उत्पादन बहुत कम होता है। चनाव, झेलम तथा सिन्ध नदियों की घाटियाँ घने जंगलों से आवृत है।

यहाँ के निवासियों में मुसलमान ७५ प्रतिशत, हिन्दू २० प्रतिशत, सिक्ख १·६ प्रतिशत, बौद्ध १ प्रतिशत तथा अन्य ०·११ प्रतिशत हैं।

शिक्षा—भारत में केवल जम्मू और कश्मीर-राज्य ही ऐसा है, जहाँ प्राथमिक स्तर से विश्वविद्यालय-स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क दी जाती है। सरकारी विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय—कहीं भी शिक्षा-शुल्क नहीं लिया जाता है।

यहाँ कश्मीरी भाषा बोलनेवालों की संख्या १५ लाख से अधिक है और पंजाबी भाषा बोलनेवालों की संख्या दस लाख से अधिक। डोंगरी तथा वाल्टी भाषाओं के बोलनेवाले क्रमशः लगभग ३० हजार तथा १० हजार हैं। यहाँ के कार्यालय की भाषा उर्दू है।

कृषि—प्रान्त की प्रधान उपज धान, गेहूँ, मकई, जौ, सरसों, कपास, तम्बाकू आदि हैं। यहाँ खजूर, नासपाती, अनार आदि फल-मेवे अधिक परिमाण में होते हैं।

खनिज तथा उद्योग-धन्धे—यहाँ के खनिज पदार्थों में कोयला, ताँबा, बॉक्साइट, मैंगनीज, सीसा, असबेस्टस, मार्बल, स्लेट आदि हैं। ऊनी कपड़ा तैयार करने में यह प्रान्त सबसे आगे है। यहाँ की दरी, दुशाले आदि संसार में प्रसिद्ध हैं। यहाँ के रेशमी कपड़े भी प्रसिद्ध हैं।

प्रशासन—यहाँ के राज्यपाल युवराज करण सिंह; मुख्य न्यायाधीश जानकीनाथ वजीर और मन्त्रिमण्डल के सदस्य ख्वाजा शमसुद्दीन (मुख्य मंत्री), हरवंश सिंह आजाद दीनानाथ महाजन, अयूब खाँ पीर, गयासुद्दीन, कुशक बकुला और मनमोहन नाथ कौल।

पंजाब

क्षेत्र विस्तार—४७,१०८ वर्गमील; **जनसंख्या**—२,०३,०६,८१२; **जनसंख्या का घनत्व**—४३१ प्रति वर्गमील; **शिक्षितों की संख्या**—२३·७ प्रतिशत; **राजधानी**—चंडीगढ़; **प्रधान भाषाएँ**—पंजाबी और हिन्दी; **विश्वविद्यालय**—पंजाब; **जिले**—अम्बाला, अमृतसर, भटिण्डा, फिरोजपुर, गुरदासपुर, गुरगाँव, हिसार, होशियारपुर, जालन्धर, काँगड़ा, कपूरथला, कर्नाल, लाहौल और स्पिती, लुधियाना, महेन्द्रगढ़, पटियाला, रोहतक, संगरूर और शिमला।

पंजाब भारतीय संघ की उत्तर-पश्चिमी सीमा का प्रान्त है। यह सन् १९४७ ई० के मध्य में पंजाब के दो टुकड़े करने से बना है। सम्पूर्ण पंजाब में पाँच नदियाँ थीं, जिनके आधार पर इस प्रान्त का नामकरण हुआ। वर्त्तमान पंजाब-राज्य में सतलज और व्यास—ये दो नदियाँ रह गई हैं। प्रान्त के पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में कश्मीर, हिमाचल-प्रदेश का एक खण्ड तथा तिब्बत एवं पूर्व में राजस्थान, उत्तरप्रदेश और दिल्ली हैं।

इस प्रान्त के उत्तर-पूर्व में शिवालक और काँगड़ा घाटी के पहाड़ी स्थल हैं। जालन्धर-कमिश्नरी की भूमि उपजाऊ है। अम्बाला कमिश्नरी के कुछ भाग में, अर्थात् हरियाली में, वर्षा बहुत कम होती है और वह भाग बहुत सूखा रहता है।

भाषा—पंजाब की मुख्य भाषाएँ पंजाबी और हिन्दी हैं। पंजाबी जालन्धर-कमिश्नरी में और अम्बाला जिले के कुछ हिस्से में बोली जाती है। हिन्दी अम्बाला-कमिश्नरी की मुख्य भाषा है। इसके अलावा पूर्वी पहाड़ी भाषा गुरदासपुर, काँगड़ा और शिमला के पहाड़ी भागों में और राजस्थानी भाषा राजस्थान की सीमा पर हिसार जिले के पश्चिमी भाग में बोली जाती हैं। प्रान्त के विभिन्न जिलों के सरकारी कार्यालयों के काम हिन्दी तथा पंजाबी में से किसी एक क्षेत्र-प्रधान भाषा में होते हैं, जैसे गुरदासपुर, अमृतसर, भटिण्डा, जालन्धर, होशियारपुर, फिरोजपुर, लुधियाना, कपूरथला, अम्बाला (रुपर तथा चण्डीगढ़ ऐसेम्बली कंस्टिच्युएन्सी), पटियाला (कन्या-घाट तथा नलगढ़ तहसील छोड़कर), संगरूर (जिन्द तथा नरवाना तहसील छोड़कर) जिलों में पंजाबी भाषा तथा गुरुमुखी लिपि में काम होते हैं और काँगड़ा, शिमला, कर्नाल, रोहतक, गुरगाँव, हिसार, महेन्द्रगढ़, पटियाला (केवल कोण्डाघाट तथा नलगढ़ तहसील में), अम्बाला (रुपर तथा चण्डीगढ़ एसेम्बली कंस्टिच्युएन्सी छोड़कर) तथा संगरूर (केवल जिन्द तथा नरवाना तहसील में) जिलों में हिन्दी में काम होते हैं।

सिंचाई और कृषि—पंजाब की भूमि बड़ी उपजाऊ है। यहाँ नहरों द्वारा सिंचाई की व्यवस्था की गई है। मुख्य नहरों में भाखड़ा, माधोपुर-व्यास लिंक और सरहिन्द फीडर-परियोजना, पश्चिमी यमुना-नहर आदि मुख्य हैं। प्रान्त के ६६·५ प्रतिशत व्यक्ति खेती करते हैं।

यहाँ लगभग डेढ़ करोड़ एकड़ भूमि में खेती होती है। यहाँ की मुख्य उपज गेहूँ और चना है। इसके बाद क्रमशः बाजरा, मकई, जौ, चावल, ज्वार और तेलहन का स्थान है। कम मात्रा में ऊख और रूई की भी उपज होती है।

विद्युत्—राज्य में बिजली-उत्पादन की ये मुख्य परियोजनाएँ हैं : उल नदी जलविद्युत्-योजना, गंगवाल बिजली-घर, कोटला बिजली-घर और भाखड़ा-बाँध। इनके अतिरिक्त बहुत-सी छोटी-छोटी परियोजनाएँ भी हैं।

उद्योग-धन्धे—सम्पूर्ण प्रान्त में लगभग ४,००० से अधिक निबंधित फैक्टरियाँ हैं, जबकि प्रान्त-विभाजन के समय ६०० फैक्टरियाँ थीं। इन फैक्टरियों में आधे से अधिक अमृतसर, गुरदासपुर और फिरोजपुर में हैं। इनमें कपड़ा, गंजी, सीसा, कागज, रसायन आदि की फैक्टरियाँ मुख्य हैं। धारीवाल का ऊन का कारखाना भारत के दो सबसे बड़े कारखानों में एक है। भारत में जितना ऊनी कपड़ा बनता है, उसका चतुर्थांश यहीं तैयार होता है। गंजी, मोजा आदि तैयार करने में पंजाब भारत में सबसे आगे है। इसके अतिरिक्त जालंधर में खेल के सामान, लुधियाना और बाटला में इंजीनियरी के सामान, अमृतसर में कपड़े, सोनपत में साइकिल, अगाधरी में कागज, हिसार में सूत, वल्लभगढ़ (गुरगाँव) में रबर-टायर बनाने के कारखाने हैं। चंडीगढ़ में नये-नये कारखाने खुलते जा रहे हैं।

प्रशासन—यहाँ के राज्यपाल पट्टम ए० तानु पिल्लै, मुख्य न्यायाधीश डी० फालशा और मन्त्रिमण्डल के सदस्य सरदार प्रतापसिंह कैरों (मुख्य मन्त्री), मोहनलाल, सरदार गुरबन्त सिंह, गोपीचन्द भार्गव, सरदार दरबार सिंह, रामशरण चन्द मित्तल, रणबीर सिंह और सरदार अजमेर सिंह हैं।

पश्चिम बंगाल

क्षेत्र-विस्तार—३३,८२६ वर्गमील; जनसंख्या—३,४६,२६,२७६; शिक्षितों की संख्या—२६·१ प्रतिशत; जनसंख्या का घनत्व—१,०३१ प्रति वर्गमील; राजधानी—कलकत्ता; भाषा—बँगला; विश्वविद्यालय—कलकत्ता, विश्वभारती, यादवपुर, वर्दवान, रवीन्द्र भारती, कल्याणी और उत्तर बंगाल। जिले—बाँकुरा, वीरभूमि, वर्दवान, हुगली, हावड़ा, मिदनापुर, पुरुलिया, कलकत्ता, कूचविहार, दार्जिलिंग, पश्चिम दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया तथा चौबीस परगना।

प्रारम्भ में बंगाल-प्रान्त का क्षेत्रफल बहुत बड़ा था। समय समय पर इसमें बहुत उलट-फेर हुए। सन् १८७४ ई० में आसाम इससे अलग कर दिया गया। सन् १९०५ ई० में बंगाल के दो टुकड़े हुए, किन्तु सन् १९११ ई० में वे दोनों टुकड़े मिला दिये गये और बंगाल के प्रमुख शासक लेफ्टिनेण्ट गवर्नर की जगह गवर्नर बनाये गये। उसी वर्ष बिहार और उड़ीसा दोनों प्रान्त बंगाल से अलग किये गये। भारत-पाकिस्तान-बँटवारे के कारण सन १९४७ ई० में बंगाल के पुनः दो टुकड़े हो गये। प्रान्त का उत्तरी भाग—दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिला तथा कूचविहार प्रान्त के दक्षिणी भाग से अलग हो गया था और बीच में दिनाजपुर जिले का पाकिस्तानी भाग पड़ गया था। इन दोनों भागों को जोड़ने के लिए बिहार से पूर्णिया जिले के कुछ भाग पश्चिम बंगाल में मिलाये गये। साथ ही मानभूमि जिले का पूर्वी भाग भी बंगाल में मिला दिया गया है।

सम्पूर्ण प्रान्त में प्रधानतः बँगला भाषा बोली जाती है। मातृभाषा के रूप में लगभग ८४'६२ प्रतिशत तथा सह-भाषा के रूप में ३'४ प्रतिशत बँगला भाषा बोलते हैं।

सिंचाई और कृषि—यहाँ सिंचाई के लिए तीन बृहत् तथा दो मध्यम परियोजनाएँ हैं। बड़ी परियोजनाओं में मयूराक्षी जलसंग्रह-परियोजना, कंसवती-परियोजना तथा दामोदर घाटी-परियोजना और मध्यम परियोजनाओं में कारतीवा-तलमा सिंचाई-योजना और सहराजोर परियोजना हैं। इस प्रान्त की मुख्य उपज धान है। यहाँ जितनी उपजाऊ जमीन है, उसके लगभग ८८ प्रतिशत भाग में धान तथा ८ प्रतिशत भाग में जूट की खेती होती है। इन दोनों के बाद चाय का स्थान है, जिसकी खेती जलपाईगुड़ी तथा दार्जिलिंग जिलों में होती है। पश्चिम बंगाल की लगभग १,७०,२६४ एकड़ भूमि में चाय की खेती होती है। यहाँ की अन्य फसलें जौ, गेहूँ, दलहन, तेलहन, तम्बाकू, रुई और रेशम हैं। पश्चिम बंगाल के लगभग ५,२५६ वर्गमील में जंगल है। रानीगंज में कोयले की खानें हैं।

उद्योग-धन्धे—भारत के उद्योग-धन्धों में पश्चिम बंगाल का प्रमुख स्थान है। भारत के निबन्धित कारखानों का २३ प्रतिशत पश्चिम बंगाल में ही है। अभी यहाँ ६० जूट की मिलें हैं, जिनमें कुल ३,१०००० कर्मचारी काम कर रहे हैं। इस उद्योग में लगाया गया मूल धन लगभग ४८ करोड़ है। भारत के कुल कोयला-उत्पादन का चौथा हिस्सा यही राज्य देता है। कलकत्ता से लगभग १६ मील के अन्दर ३२ सूती कपड़े की मिलें हैं। यहाँ कागज बनाने के अनेक कारखाने हैं तथा अभियन्त्रण के काम भी होते हैं। उत्तरपारा का 'हिन्दुस्तान मोटर-कारखाना' बहुत प्रसिद्ध है। अल्युमिनियम का उत्पादन प्रमुख रूप में पश्चिम बंगाल में ही होता है। बेलूर और आसनसोल में इसके कारखानें हैं। इधर दुर्गापुर के कारखाने में लोहे का उत्पादन काफी मात्रा में होने लगा है। पुरुलिया के पश्चिम बंगाल में मिल जाने से लाख और तसर के उत्पादन का क्षेत्र भी इसे मिल गया है।

प्रशासन—यहाँ के राज्यपाल सुश्री पद्मजा नायडू, मुख्य न्यायाधीश एच्० के० बोस और मन्त्रिमण्डल के सदस्य प्रफुल्लचन्द्र सेन (मुख्य मन्त्री), खगेन्द्रनाथ दासगुप्ता, ईश्वरदास जालान, राय हरेन्द्रनाथ चौधरी, तरुणकान्ति घोष, कालीपद मुखर्जी, श्रीमती पूर्वी मुखोपाध्याय, श्यामदास भट्टाचार्य, जगन्नाथ कोले, जीवनरतन घर, शैल मुखर्जी, श्रीमती आभा माइती, एस० एम० फजलुर रहमान तथा विजयसिंह नाहर हैं।

विहार

इसका विस्तृत विवरण चतुर्थ भाग में पृथक् दिया गया है।

मद्रास

क्षेत्र-विस्तार—५०,३३१ वर्गमील; जनसंख्या—३,३६,८६,९५३; शिक्षितों की संख्या—३०'२ प्रतिशत; जनसंख्या का घनत्व—६७१ प्रति वर्गमील; राजधानी—मद्रास; भाषा—तमिल; विश्वविद्यालय—मद्रास तथा अन्नामलाई, जिले—कन्याकुमारी, कोयम्बटूर, मद्रास, मदुराई, नीलगिरि, चिंगलपट, नार्थ आर्काट, रामनाथपुरम्, सलेम, साउथ आर्काट, तंजोर, तिरुचिरापल्ली तथा तिरुनेलवेली।

सन् १९५६ ई० के राज्य-पुनर्संगठन के अनुसार संघटित मद्रास-प्रान्त के उत्तर में मैसूर तथा आन्ध्रप्रदेश, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पश्चिमी घाट है। भारतीय राज्य-संघ का यह सबसे दक्षिणी प्रान्त है।

सिंचाई—सिंचाई की मुख्य परियोजनाएँ ये हैं—लोअर भवानी, मेत्तूर, अनियार, अमरावती और साटमूर।

विद्युत्—विद्युत् के लिए यहाँ मुचकुंड, पायकारा, मेयोर, पापनाशम, मेट्टर और मद्रास की परियोजनाएँ हैं। सबसे बड़ी कुंडाह-परियोजना कोलम्बो-योजना के अन्तर्गत कनाडा की सहायता से आरम्भ की गई है। इसका मुख्य केन्द्र नीलगिरि पहाड़ी में है।

खेती और उद्योग-धन्धे—इस प्रान्त में ६८ प्रतिशत व्यक्तियों की जीविका खेती है। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का डेल्टा प्रान्त का सबसे अधिक उपजाऊ भाग है। यहाँ की बकिंघम-नहर प्रसिद्ध है। इस प्रान्त में १८,७७८ वर्गमील क्षेत्र का जंगल सरकार द्वारा सुरक्षित है। यहाँ की मुख्य उपज धान है। कपास और ऊख की खेती भी बड़े पैमाने पर होती है। कपास लगभग १६ लाख एकड़ भूमि में बोई जाती है।

उद्योग—दक्षिण भारत के युनाइटेड प्लैण्टर्स एसोसिएशन की ओर से कहवा, चाय, रबर आदि का उत्पादन होता है। सिद्ध चमड़ा और चीनी तैयार करने का काम इस प्रान्त का मुख्य व्यवसाय है। गृह-उद्योग के रूप में यहाँ दियासलाई बनाने के कई छोटे-छोटे कारखाने हैं। वनस्पति-घी, साबुन, सीमेण्ट आदि का उत्पादन अधिक परिमाण में होता है। गृह-उद्योगों में करघे द्वारा बुनाई, मिट्टी के बरतन बनाना, अल्युमिनियम के बरतन, दियासलाई, छाता तथा स्लेट बनाने के कार्य मुख्य हैं। यहाँ से विदेशों में चमड़े का निर्यात अधिक मात्रा में होता है। हाथी-दाँत की बहुमूल्य चीजें बनती हैं। मद्रास में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रारंभ की गई मुख्य परियोजनाएँ ये हैं—(१) हिन्दुस्तान टेलिप्रिण्टर्स लि० (गुण्डी के निकट), (२) उटकमंड का कच्ची फिल्म-उत्पादन-कारखाना, और (३) तिरुचिरापल्ली का हाइ प्रेशर बायलर प्लाण्ट।

खनिज पदार्थ—खनिज पदार्थों में सलेम में लोहा, मैगनेसाइट और बॉक्साइट विशाखापत्तनम् में मैंगनीज, त्रावणकोर में ग्रेफाइट और नेलौर जिले में अबरख पाये जाते हैं। यहाँ के अन्य खनिज पदार्थ जिपसम, चूने का पत्थर और चीनी मिट्टी हैं। उत्तर आरकोट में लिगनाइट पर्याप्त परिमाण में मिलता है। संस्कृति, भाषा, साहित्य, कला, गानविद्या आदि के क्षेत्र में यह प्रान्त अन्य भारतीय प्रान्तों की तुलना में अग्रणी है। कला की दृष्टि से गोपुरम्, महाबलीपुरम् तथा कांचीपुरम् महत्त्वपूर्ण स्थान हैं। रामेश्वरम् हिन्दुओं का प्रसिद्ध तीर्थस्थान है।

प्रशासन—यहाँ के राज्यपाल विष्णुराम मेधी, मुख्य न्यायाधीश एस० रामचन्द्र अय्यर और मन्त्रिमण्डल के सदस्य एम० भक्तवत्सलम् (मुख्य मन्त्री) आर० वेंकटरमण, पी० कक्कन, वी० रामैय्या, श्रीमती ज्योति वेंकटाचलम्, नलसेनापति सरकाराइ मानरेड्डियर, जी० बूवाराहन् और एस० एम० अब्दुल मजीद हैं।

मध्यप्रदेश

क्षेत्र-विस्तार—१,७१,२१७ वर्गमील; जनसंख्या—३,२३,७२,४०८; शिक्षितों की संख्या—१६·९ प्रतिशत; जनसंख्या का घनत्व—१८९ प्रति वर्गमील; राजधानी—भोपाल; भाषा—हिन्दी; विश्वविद्यालय—सागर, जबलपुर तथा विक्रम; कमिश्नरियाँ—बरार,

नागपुर, छत्तीसगढ़ तथा जबलपुर; जिले—बालाघाट, बस्तर, बेतूल, भिन्द, बिलासपुर, छत्तरपुर, छिन्दवाड़ा, दामोह, दतिया, देवास, धार, दुर्ग, ग्वालियर (गर्ड), गूना, होशंगाबाद, इन्दौर, जबलपुर, झबुआ, मण्डला, मन्दसोर, मोरेना, नरसिंहपुर, पूर्व निमार (खण्डवा), पश्चिम निमार, (खड्गगाँव), पन्ना, रायगढ़, रायपुर, राजसेन, राजगढ़, रतलाम, रीवाँ, सागर, सतना, सेहोर, सेउनी, शाहदोल, शाजापुर, शिवपुरी, सिद्धि, सरगुजा, टीकमगढ़, उज्जैन तथा विदिशा।

इस प्रान्त का नामकरण वस्तुतः भारत के मध्य में होने के कारण हुआ है। यह प्रान्त छह प्रान्तों से परिवेष्टित है; जैसे—उत्तरप्रदेश, विहार, उड़ीसा, आन्ध्र, बम्बई तथा राजस्थान। एक तरह से, इस प्रान्त को भारत का हृदय कहा जा सकता है। वर्त्तमान मध्यप्रदेश का निर्माण पुराने मध्यप्रदेश के साथ मध्यभारत, विन्ध्यप्रदेश और राजस्थान के कोटा जिले का भोपाल-सिरोंज सबडिवीजन को मिलाकर किया गया है।

क्षेत्र-विस्तार की दृष्टि से भारत के राज्यों में इसका प्रथम स्थान है। यह प्रान्त मोटे तौर पर तीन अधित्यकाओं में बाँटा जा सकता है, जिनके बीच में दो समतल मैदान हैं। उत्तर-पश्चिम की ओर विन्ध्य की अधित्यका है, जहाँ छोटे-छोटे जंगल हैं। यह अधित्यका दक्षिण की ओर ढालू होती हुई नर्मदा की घाटी में उतर गई है, जहाँ गेहूँ की खेती होती है। इसके बाद सतपुरा की ऊँची अधित्यका है, जहाँ जंगलों से भरी पहाड़ियाँ हैं। यह अधित्यका नीचे उतरकर नागपुर के समतल मैदान में पहुँचती है, जो इस प्रान्त का सबसे उपजाऊ भाग है और जहाँ की काली मिट्टी कपास की खेती के लिए देश-भर में विख्यात है। इस समतल भूमि का पूर्वी आधा भाग वैनगंगा की घाटी में पड़ता है, जहाँ मुख्यतया धान की खेती होती है।

भाषाएँ और बोलियाँ—यहाँ आर्यभाषा तथा अनार्य-भाषा—दोनों परिवार की भाषाएँ बोली जाती हैं। राज्य के उत्तर में तथा नर्मदा-घाटी में मुख्यतः आर्य निवास करते हैं एवं राज्य के दक्षिण और पूरब के भागों में आदिम जातियों की प्रधानता है। यहाँ के निवासियों में लगभग १४ प्रतिशत आदिवासी हैं, जो मुण्डा, वैगा, गोण्ड, मरिया, मण्डिया, भथरा, द्राविडियन आदि वर्गों में विभक्त हैं। यहाँ की प्रधान भाषा हिन्दी है, जो सम्पूर्ण राज्य में बोली जाती है। यहाँ की स्थानीय तथा क्षेत्रीय भाषाएँ हैं—मालवी (जो मालवा में बोली जाती है), बुन्देलखण्डी (जो नर्मदाघाटी में बोली जाती है), बघेलखण्डी (जो प्राचीन रेवा में बोली जाती है) तथा छत्तीसगढ़ी (जो छत्तीसगढ़ में बोली जाती है)।

कृषि—यहाँ के लगभग ५६ प्रतिशत भू-भाग में खेती होती है। राज्य के क्षेत्रफल का २६ प्रतिशत भाग जंगलों से भरा हुआ है। वन-सम्पत्ति में आसाम के बाद इसी प्रान्त का स्थान है। यहाँ की मुख्य उपज है—धान, ज्वार, गेहूँ, दलहन, तेलहन, ऊख, रूई आदि। इस राज्य में नारंगी की भी खेती होती है।

खनिज—मैंगनीज यहाँ का प्रमुख खनिज पदार्थ है, जो देश के अन्य सभी भागों से अधिक पाया जाता है। सरगुजा, रायगढ़, विलासपुर, छिन्दवाड़ा, सहडोल, सिद्धि, होशंगाबाद तथा बेतुल जिलों में कोयले की खानें हैं। दुर्ग, बस्तर, जबलपुर छत्तरपुर तथा होशंगाबाद जिलों में लोहे की खानें हैं। मध्यप्रदेश देश के कुल कच्चे लोहे की जरूरत का ६५ प्रतिशत पूरा करता है। सीमेण्ट की मिट्टी भी यहाँ प्रचुर मात्रा में मिलती है। भारत के कुल हीरे के उत्पादन का ६० प्रतिशत विन्ध्यप्रदेश की खानों से प्राप्त होता है। रूसी विशेषज्ञों के परामर्शानुसार पन्ना की ओर

हीरे की खानों की खुदाई शीघ्र ही होनेवाली है। यहाँ बॉक्साइट की भी खानें हैं। इनके अलावा अबरख, ग्रेफाइट, स्टीटाइट, ताँबा, चूना-पत्थर आदि खनिज भी पाये जाते हैं।

उद्योग-धन्धे—अखबारी कागज (न्यूजप्रिंट) के उत्पादन के लिए नेपा-मिल्स है, जो देश की कुल जरूरत की एक तिहाई पूरी करती है। बुरहानपुर, महेशपुर, उज्जैन, ग्वालियर, इन्दौर आदि में सूती कपड़े की मिलें हैं। कटनी के पास केमूर का सीमेण्ट का कारखाना भारत का सबसे बड़ा सीमेण्ट-कारखाना है। भिलाई में लोहे का एक बृहत् कारखाना खोला गया है। इनके अलावा ग्वालियर में दरियाँ, और मिट्टी के सुन्दर बरतन बनते हैं। मन्दसोर में कंबल तैयार होते हैं। बेलघाट और छिंदवाड़ा में पीतल के काम होते हैं।

प्रशासन—राज्यपाल एच० वी० पाटस्कर; मुख्य न्यायाधीश पी० वी० दीक्षित और मन्त्रिमण्डल के सदस्य द्वारकाप्रसाद मिश्र (मुख्य मन्त्री), शम्भुनाथ शुक्ल, शंकरदयाल शर्मा, मिश्रीलाल गंगवाल, गणेशराम अनेत, रानी पद्मावती, गोविन्दनारायण सिंह, गुलशेर अहमद, गौतम शर्मा, वेंकटेश विष्णु द्रविड, नरसिंहराव दीक्षित और नरेशचन्द्र सिंह हैं।

महाराष्ट्र

क्षेत्र-विस्तार—१,१८,७१७ वर्गमील; जनसंख्या—३,९५,५३,७१८; शिक्षितों की संख्या—२९·७ प्रतिशत; जनसंख्या का घनत्व—३३२ प्रति वर्गमील; राजधानी—बम्बई; राजकीय भाषा—मराठी; विश्वविद्यालय—बम्बई, पूना, एस० एन० डी० टी० महिला-विश्वविद्यालय, शिवाजी-विश्वविद्यालय, मराठवाडा-विश्वविद्यालय, और नागपुर-विश्वविद्यालय। जिले—बृहत्तर बम्बई, कोलाबा, रत्नगिरि, थाना, नासिक, पूना, अहमदनगर, कोल्हापुर, सतारा, शोलापुर, नागपुर, अकोला, अमरावती, भण्डारा, बुलदाना, चन्दा, वर्धा, योतमाल, औरंगाबाद भीर, उस्मानाबाद, परभानी, धुलिया, जलगाँव, ननदेद और सांगली।

१ अप्रैल, १९६० ई०, को बम्बई-राज्य के दो भागों में बँटने से इस राज्य का निर्माण हुआ। यह अरब समुद्र के किनारे पश्चिमी तट पर स्थित है। इसके उत्तर में मध्यप्रदेश उत्तर-पश्चिम में गुजरात, पश्चिम में अरब समुद्र, दक्षिण-पूरब में आन्ध्रप्रदेश तथा दक्षिण में मैसूर और गोआ है। किनारे पर १२०" से भी अधिक वर्षा होती है और कुछ स्थानों में २०" से भी कम।

ऐतिहासिक स्थान—महाराष्ट्र में बहुत-से सुन्दर दर्शनीय स्थल हैं। कुछ की अपनी ऐतिहासिक महत्ता है। कला और वास्तुकला की दृष्टि से पर्यटकों के लिए अजन्ता और एलोरा की विश्वप्रसिद्ध गुफाएँ तथा बम्बई से कुछ मील दूर टापू में स्थित एलिफेण्टा-गुफा दर्शनीय हैं। इसके अतिरिक्त मालाबार हिल, हैंगिंग गार्डेन, कमला नेहरू पार्क, मेरीन ड्राइव (बम्बई में), पूना का पार्वती-मन्दिर, सिंहगढ़ का किला (औरंगाबाद में), मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा निर्मित बीवी का मकबरा आदि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान हैं।

कृषि—तेलहन और कपास इस प्रान्त की मुख्य पैदावार हैं। कुछ जिलों में चीनाबादाम की खेती होती है। नागपुर, अमरावती और वर्धा में नारंगी बहुतायत से उपजाई जाती है।

खनिज और उद्योग-धन्धे—भण्डारा और नागपुर में मैंगनीज; योतमाल और चाँद में चूनापत्थर; नागपुर, चाँद और योतमाल में कोयला तथा रत्नगिरि में सीसा आदि पाये जाते हैं।

यहाँ सूती कपड़े की मिलें अधिक हैं। बहुत बड़े पैमाने पर चीनी तैयार करनेवाले प्रान्तों में यह भी एक है।

प्रशासन—राज्यपाल श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित; मुख्य न्यायाधीश एच० के० चैनानी; मंत्रिमण्डल के सदस्य—वी० पी० नायक (मुख्य मन्त्री), एस० एम० कन्नमवर, शान्तिलाल एच० शाह, वसन्त राव पी० नायक, डी० एस० देसाई, एस० के० वनखेडे, पी० के० सावंत, एस० बी० चह्वान, होमी जे० एच० तलेयारखान, डी० जेड० पलसपागर, जी० बी० खेडकर, एस० जी० बर्वे, एस० अब्दुल कादर, श्रीमती निर्मला राजे भोंसले, एम० डी० चौधरी, एम० जी० माने और के० एस० सोनवाने।

उपमन्त्री—जी० डी० पाटिल, एम० एन० कैलास, वाई० जे० मोहिते, एन० एम० सिडके, एम० ए० वैराले, आर० ए० पाटिल, एच० जी० वार्त्तक, बी० जे० खटाल, आर० जकारिया, डी० के० खानविलकर, एस० एल० कदम, एन० एस० पाटिल, एस० बी० पाटिल और के० पी० पाटिल।

मैसूर

क्षेत्र-विस्तार—७४,२४० वर्गमील; जनसंख्या—२,३५,८६,७७२; शिक्षितों की संख्या—२५·३ प्रतिशत; जनसंख्या का घनत्व—३१८ प्रतिमील; राजधानी—बँगलोर; भाषा—कन्नड, विश्वविद्यालय—मैसूर तथा कर्नाटक (धारवार), जिले—बँगलोर, बेलगाँव, बेलारी, बिदर, बीजापुर, चिकमागलुर, चित्तलदुर्ग, कुर्ग, धारवार, गुलबर्गा, हासन, उत्तर कनारा, कोलार, मण्ड्या, मैसूर, रायचूर, सिमोगा, दक्षिण कनारा तथा तुमकुर।

प्राचीन भारतीय साहित्य में मैसूर का उल्लेख कर्नाटक नाम से हुआ है। इसके उत्तर और उत्तर-पश्चिम भाग में बम्बई प्रान्त, पूरब में आंध्रप्रदेश, दक्षिण-पूरब में मद्रास, दक्षिण-पश्चिम में केरल तथा पश्चिम में समुद्र हैं।

कुर्ग अभी मैसूर का एक जिला बन गया है। इसका विस्तार १५८७ वर्गमील है। यहाँ का प्राकृतिक सौन्दर्य दर्शनीय है। यहाँ के लगभग ५१७ वर्गमील में सर्वदा हरा रहनेवाला जंगल है। यहाँ के घने जंगल में बाघ, हाथी, हरिण आदि जन्तु रहते हैं। मैसूर का पूर्वी क्षेत्र बहुत उपजाऊ है। पहाड़ी ढाल पर कहवा, इलायची, गोलमिर्च, नारंगी आदि अधिक मात्रा में उपजाये जाते हैं। भारत के कुल कहवा का तृतीयांश कुर्ग में ही होता है।

कृषि और उद्योग-धन्धे—यहाँ की मुख्य उपज चावल, ऊख, कहवा, नारियल, कपास, सुपारी और शहतूत है। यहाँ लोहा, इस्पात, सीमेण्ट, कागज, चीनी, सूती-रेशमी कपड़े, साबुन, रसायन, चन्दन के तेल आदि के कारखाने हैं। यहाँ का चन्दन के तेल का कारखाना संसार का सबसे बड़ा कारखाना है। बँगलोर में हवाई जहाज बनते हैं। चन्दन की लकड़ी का महत्त्वपूर्ण उत्पादन मैसूर में ही होता है। भारत के अन्दर सोना मिलने का भी मुख्य स्थान मैसूर ही है।

सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण कारखानों में हिन्दुस्तान एयर क्रैफ्ट, हिन्दुस्तान मशीन-टूल्स, भारत एलेक्ट्रोनिक्स, इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्री, लैम्प वर्क्स, प्रोसिलेन फैक्टरी, मैसूर इम्प्लिमेण्ट्स फैक्टरी आदि मुख्य हैं।

मैसूर की ६०,६१,६५३ एकड़ भूमि में जंगल है। यहाँ बाँस का उत्पादन बहुत होता है। उत्तर कनारा जिला वन-सम्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। बँगलोर में चार महत्त्वपूर्ण औद्योगिक संस्थाएँ हैं, जिनका संचालन केन्द्रीय सरकार द्वारा होता है; जैसे—१. लाल बाग, २. इण्डियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइन्स, ३. रमण रिसर्च-इंस्टिट्यूट तथा ४. मेण्टल हॉस्पिटल। यहाँ का श्रीरंगपत्तनम् का रंगनाथस्वामी का मन्दिर, चमुन्दी पहाड़ियाँ तथा वृंदावन-बगीचा बहुत प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त यहाँ की दर्शनीय वस्तुएँ हैं—वेलूर का चेन्नकेशव, हालेविद हयसलेश्वर, नन्दी पहाड़ियाँ, एशिया-भर की सबसे बड़ी जैनाचार्य गोम्मटेश्वर की मूर्ति, प्राचीन भारतीय आदिलशाही राजाओं की राजधानी बीजापुर के ऐतिहासिक भवन, जैसे- मुहम्मद आदिलशाह का गोल गुम्बज मकबरा आदि।

सिंचाई तथा विद्युत्-योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाएँ कार्यान्वित हो रही हैं—भद्रा-जलसंरक्षण-योजना, भद्रा-जलविद्युत्-योजना, तुंगभद्रा-जलविद्युत्-योजना, नूगू-जल-संरक्षण-योजना, अम्बिगोला-जलसंरक्षण-योजना तथा सारावती घाटी जलविद्युत्-योजना, घाटप्रभा-योजना आदि।

प्रशासन—यहाँ के राज्यपाल जय चामराज वाडियर; मुख्य न्यायाधीश एन० श्रीनिवास राव और मन्त्रिमण्डल के सदस्य एस० निर्जलिंगप्पा (मुख्य मन्त्री), एस० आर० कांठी, एम० वी० कृष्णप्प, एम० वी० रामाराव, आर० एम० पाटिल, श्रीमती यशोधर्मा दासप्प, के० मल्लप्प, के० नागप्प अल्वा, रामकृष्ण हेगडे, डी० देवराज उर्स, के० पुत्तस्वामी, जी० नारायण गौड, वीरेन्द्र पाटिल और वी० रचय्या हैं।

राजस्थान

क्षेत्र-विस्तार—१,३२,१५२ वर्गमील; जनसंख्या—२,०१,५५,६०२; शिक्षितों की संख्या - १४·७ प्रतिशत; जनसंख्या का घनत्व—१५२ प्रति वर्गमील; भाषाएँ—हिन्दी तथा राजस्थानी; राजधानी—जयपुर; विश्वविद्यालय—राजस्थान (जयपुर), जोधपुर और राजस्थान कृषि-विश्वविद्यालय; जिले—अजमेर, अलवर, बाँसवाड़ा, बरमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बुन्दी, चित्तौरगढ़, चूरू, डूंगरपुर, गंगानगर, जयपुर जैसलमेर, जेसोर झालावाड़, झुनझुनू, जोधपुर, कोटा, नगौर, पाली, सवाई-माधोपुर, सिकर, सिरोही, टोंक तथा उदयपुर।

राजस्थान पहले राज्यसंघ के रूप में था, जिसकी स्थापना १८ अप्रैल, १९४८ ई०, को हुई थी। उस समय इसमें केवल बाँसवाड़ा, बुन्दी, डूंगरपुर, झालावाड़, किसनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़ शाहपुरा, टोंक और उदयपुर सम्मिलित थे। ३० मार्च, १९४८ ई०, को बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर भी इसमें शामिल हुए। १५ मार्च, १९४८ ई०, को अलवर, करौली, धौलपुर और भरतपुर ने मिलकर मत्स्य-राज्यसंघ की स्थापना की थी। १५ मई, १९४९ ई० को यह संघ भी राजस्थान-संघ में मिल गया। इस तरह १९ प्राचीन रियासतों का समुदाय सन् १९५६ ई० में द्वितीय श्रेणी के राज्य के रूप में परिणत हुआ। इस प्रान्त के पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर-पूर्व तथा पूर्व में पंजाब, उत्तरप्रदेश तथा मध्यप्रदेश एवं दक्षिण-पश्चिम में बम्बई हैं।

कृषि एवं उद्योग-धन्धे—यहाँ की मुख्य उपज बाजरा, ज्वार, गेहूँ, मकई, जौ, चना आदि हैं। कुछ क्षेत्रों में धान का भी उत्पादन होता है। खनिज पदार्थों में चूना-पत्थर

जिप्सम तथा बैरिशोरियम सल्फेट अत्यधिक परिमाण में मिलते हैं। सोडियम सल्फेट और लवण का भी उत्पादन होता है। दो नये बड़े उद्योगों में उदयपुर की सूती मिल और कोटा की नैलोन फैक्टरी हैं। किशनगढ़, भीलवाड़ा और भवानीमण्डी में कपड़े की मिलें बन रही हैं।

अन्य प्रान्तों की तुलना में यहाँ सिंचाई का विशेष प्रबन्ध है। राजस्थान के तलवाड़ा नामक स्थान में ३० मार्च, १९५८ ई०, को एक बड़ी नहर बनाने का काम आरम्भ हुआ है। ४२६ मीलों में यह नहर बनाने की योजना है। निर्माण-कार्य सम्पन्न होने पर यह संसार की सबसे बड़ी नहर होगी १. गंगा-नहर—यह नहर फिरोजपुर के पास सतलज नदी के बायें तट से निकली है तथा पंजाब में ७४ मील तक बहती हुई बीकानेर में प्रवेश करती है। २. भरतपुर-योजना द्वारा आगरा नहर से एक दूसरी नहर निकाली जा रही है, जिससे भरतपुर में कम-से-कम १८ हजार एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। ३. भाखड़ा-नंगल योजना का विस्तार-क्षेत्र राजस्थान तक है। ४. चम्बल-योजना द्वारा मध्यप्रदेश और राजस्थान की सरकार एक बहूद्देश्यीय योजना कार्यान्वित करनेवाली है। इसके अनुसार जल-संचय के लिए तीन बाँध तथा एक बराज का निर्माण होगा।

प्रशासन—यहाँ के राज्यपाल डॉ० सम्पूर्णानन्द, मुख्य न्यायाधीश जे० एस० राणावत और मन्त्रिमण्डल के सदस्य मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री), हरिभाऊ उपाध्याय नाथूराम मिर्धा, हरिश्चन्द्र, मथुरादास माथुर, बी० के० कौल, भीख भाई और बरकतुल्ला खाँ हैं।

नागाभूमि (नागालैंड)

क्षेत्र-विस्तार—६,३६६ वर्गमील; जनसंख्या—३,६६,२००; जनसंख्या का घनत्व—५८ प्रति वर्गमील; राजधानी—कोहिमा; जिले—कोहिमा, मौकोक्चुंग और त्वेनसांग।

१ दिसम्बर, १९६३ ई०, को उत्तर-पूर्व सीमान्त के नागा पहाड़ी जिला और त्वेनसांग-क्षेत्र को मिलाकर नागाभूमि नामक एक नये राज्य का निर्माण किया गया है। यह भारत का सोलहवाँ राज्य है। यहाँ के निवासी १४ प्रमुख जन-जातियों में बँटे हैं। इनमें तीन प्रधान हैं—अंगामी (जनसंख्या लगभग ३० हजार), सेमा (जनसंख्या ४९ हजार) और आस (जनसंख्या ५० हजार)। यहाँ के लगभग आधे निवासी ईसाई हैं।

सन् १८७० ई० के अधिनियम के अनुसार नागा-क्षेत्रों को 'अप्रशासित' समझा जाता था; किन्तु यह आसाम-प्रान्त का एक भाग था। सन् १९१८ ई० के मॉण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड शासन-सुधार में इन क्षेत्रों को 'पिछड़े हुए भूभाग' कहा गया था। सन् १९३५ ई० के भारत-शासन-अधिनियम ने इन 'पिछड़े हुए भू-भागों' को 'प्रशासित' एवं 'अप्रशासित'—इन दो क्षेत्रों में विभक्त कर दिया था। कानून की दृष्टि में ये क्षेत्र आसाम-प्रदेश के भाग बने रहे।

सन् १९४७ ई० में देश के स्वाधीन होने पर नागा-पहाड़ियों से संलग्न अप्रशासित क्षेत्र उत्तर-पूर्व सीमान्त-एजेन्सी में मिला दिये गये और उनका नाम हुआ—'नागा जनजाति-क्षेत्र'। बाद में यह नाम बदलकर 'तुएनसांग सीमान्त-डिवीजन' हो गया। सन् १९५७ ई० के दिसम्बर में नागा पहाड़ी जिला और तुएनसांग-सीमान्त-डिवीजन—दोनों मिलाकर नागा-क्षेत्र के रूप में गठित हुआ। भारत के राष्ट्रपति के अभिकर्त्ता (एजेण्ट) के रूप में आसाम के राज्यपाल द्वारा इस क्षेत्र का प्रशासन होने लगा।

यह स्मरणीय है कि फीजो के नेतृत्व में कुछ नागाओं की इच्छा अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की थी; किन्तु जब उन्होंने देखा कि यह संभव नहीं है, तब सन् १६५२ ई० से ही उन्होंने अपनी हिंसात्मक काररवाइयाँ प्रारम्भ कर दीं। सन् १६५४ ई० में इनका प्रचण्ड रूप सामने आया। सन् १६५७ ई० के अगस्त में एक सर्वजनजाति नागा-सम्मेलन हुआ, जिसमें आपस की बातचीत द्वारा नागा-राजनीतिक समस्या हल करने का निश्चय किया गया और नागाओं की एक प्रशासकीय इकाई गठित करने पर जोर दिया गया।

उपर्युक्त निर्णयानुसार १८ फरवरी, १६६१ ई०, को कोहिमा में स्वतंत्र नागा-राज्य की स्थापना हुई। इसके प्रशासन के लिए एक अंतःकालीन परिषद् कायम की गई, जिसके ४२ सदस्य हुए। पाँच सदस्यों की एक शासन-समिति भी गठित हुई। सन् १६६२ ई० में पृथक् नागाभूमि के निर्माण के लिए संविधान में संशोधन लाया गया। अन्त में जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, १ दिसम्बर, १६६३ ई०, को नागाभूमि नामक राज्य का उद्घाटन सम्पन्न हुआ। जनवरी १६६४ ई० में यहाँ की विधान-सभा का निर्वाचन हुआ।

यहाँ के राज्यपाल आसाम के ही राज्यपाल हैं और यहाँ वर्त्तमान मुख्य मंत्री शिलु आव हैं।



केन्द्र-प्रशासित क्षेत्र

अन्दमन तथा निकोबार-द्वीपसमूह

क्षेत्र-विस्तार—३,२१५ वर्गमील, जनसंख्या—६३,५४८, शिक्षितों की संख्या—३३.६ प्रतिशत, जनसंख्या का घनत्व—२० प्रति वर्गमील, राजधानी—पोर्ट-ब्लेयर।

यह द्वीपसमूह बंगाल की खाड़ी में पड़ता है तथा बर्मा के केप-नेगराइस से १२० मील, कलकत्ता से ७८० मील तथा मद्रास से ७४० मील की दूरी पर स्थित है। बड़े-बड़े पाँच द्वीप परस्पर मिलकर 'ग्रेट अन्दमन' नाम से पुकारे जाते हैं। इसके दक्षिण में 'लिट्ल अन्दमन' है। यहाँ के सभी छोटे-छोटे द्वीपों की संख्या २०४ है। ये दो समूहों में बँटे हैं—१. रीची-द्वीपसमूह तथा २. लेबिरिन्थ-द्वीपसमूह। ग्रेट अन्दमन-द्वीपसमूह की लम्बाई २१६ मील तथा चौड़ाई ३२ मील है। यह जंगलमय है, जहाँ कड़ी तथा मुलायम दोनों तरह की मूल्यवान् लकड़ियाँ मिलती हैं। कड़ी लकड़ियों में प्रसिद्ध हैं पदौक अथवा अन्दमन लाल लकड़ी, गुरजान आदि। मुलायम लकड़ियाँ अधिक मात्रा में मिलती हैं, जिनका उपयोग दियासलाई बनाने में अधिक होता है।

अन्दमन तथा निकोबार-द्वीपसमूह में अनेक बन्दरगाह हैं, जिनमें चार अधिक प्रसिद्ध हैं—१. पोर्ट-ब्लेयर, २. एलफिन्स्टन, ३. बोनिंग्टनन तथा ४. पोर्ट-कॉर्नवालिस। अन्दमन के निवासी अन्दमनी, औंग, जरावा और सेंटिनेली जाति के हैं। निकोबार-द्वीप समूह के मूल निवासी निकोबरी और शॉम्पेन हैं। अन्दमन-द्वीपसमूह के आदिवासी अपेक्षाकृत सबसे लम्बे होते हैं। नेग्रिटो जाति के लोग आकार में कुछ छोटे होते हैं। इनकी संस्कृति तथा मलाया के सामन और फिलीपाइन के वेट जातीय लोगों की संस्कृति में बहुत समानता है। वहाँ के आदिवासियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है—१. अन्दमानी, जो मध्य अन्दमन तथा उत्तर अन्दमन के तटों पर बसे हुए हैं; २. औंगे, जो छोटे अन्दमन में निवास करते हैं; ३. जरावा, जो दक्षिण

अन्दमन तथा मध्य अन्दमन में रहते हैं और सेंटिनेली, जो सेंटिनेली-द्वीपसमूह में हैं। निकोबार के निवासियों के दो वर्ग हैं—निकोबारी तथा शॉम्पेन। नृतत्त्व-शास्त्र के अनुसार निकोबारी तथा हिन्द-चीनी जाति के लोगों में बहुत समानता है। अन्दमनी तथा हिन्द-चीनी जाति के लोगों में बहुत विषमता है। सभ्यता, संस्कृति, व्यवसाय, विचार आदि में निकोबारी जाति अन्दमनी जाति से बहुत बढ़ी-चढ़ी है।

नारियल, कहवा तथा रबर यहाँ की प्रधान उपज है। यहाँ धान की पर्याप्त उपज नहीं होती। इधर धान की पैदावार को बढ़ाने के प्रयत्न हो रहे हैं।

अन्दमन तथा निकोबार-द्वीपसमूह १ नवम्बर, १९५६ ई० से भारत-सरकार का केन्द्र-प्रशासित क्षेत्र बन गया है। यहाँ राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य आयुक्त प्रशासन करते हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत पाँच सदस्यों की एक परामर्शदात्री परिषद् है, जो मुख्य आयुक्त को परामर्श देती है। इस द्वीपसमूह से एक सदस्य का मनोनयन लोकसभा के लिए भी होता है।

यहाँ के मुख्य आयुक्त बी० एन० माहेश्वरी हैं।

त्रिपुरा

क्षेत्र-विस्तार—४,०३६ वर्गमील; **जनसंख्या**—११,४२,००५; **शिक्षितों की संख्या**—२२·२ प्रतिशत; **जनसंख्या का घनत्व**—२८३ प्रति वर्गमील; **राजधानी**—अगरतला; **प्रधान भाषा**—बँगला; **डिविजन**—अगरतला, अमरपुर, बेलोनिया, धर्मनगर, कैलासहर, कमलपुर, खोवाई, सबरूम, सोनमूरा तथा उदयपुर।

त्रिपुरा, आसाम-राज्य के दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। सन् १९५१ ई० की जनगणना के अनुसार इसका क्षेत्रफल ४,०२२ वर्गमील तथा जनसंख्या ६,३९,०२९ है। यह वन तथा खनिज सम्पत्ति से परिपूर्ण है।

यहाँ की प्रमुख उपज धान, जूट, चाय, ऊख, कपास, तेलहन आदि हैं। नाना प्रकार के हाथ से बुने सूती कपड़ों के अतिरिक्त अन्य उद्योग-धन्धों का यहाँ अभाव है। परिवहन का एकमात्र साधन आकाश-मार्ग है। हाल में एक लम्बी सड़क बनी है, जो आसाम होकर गई है। उत्तर-पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण तथा दक्षिण-पश्चिम में लगभग ७२० मीलों तक इस प्रदेश की सीमा पाकिस्तान की सीमा से संयुक्त है, जिससे पाकिस्तान द्वारा यहाँ अधिक उपद्रव होते रहते हैं। यहाँ आदिवासियों की संख्या अधिक है। चकमा, रियाँग, तिपरा, कुकी, मग प्रभृति आदिवासी यहाँ रहते हैं।

१ जुलाई, १९६३ ई० से यहाँ की क्षेत्रीय समिति विधान-सभा में परिणत कर दी गई, जिसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दायी होते हैं। यहाँ के मुख्य मन्त्री श्रीशचीन्द्रलाल सिंह और मंत्री सुखमय सेनगुप्त हैं। इनके अतिरिक्त तीन उपमंत्री भी हैं।

दिल्ली

क्षेत्र-विस्तार—५७३ वर्गमील; **जनसंख्या**—२६,५८,६१२; **शिक्षितों की संख्या**—३२·२४ प्रतिशत; **जनसंख्या का घनत्व**—३०,४४ प्रति वर्गमील; **राजधानी**—दिल्ली; **प्रधान भाषाएँ**—हिन्दी, उर्दू और पंजाबी; **विश्वविद्यालय**—दिल्ली।

अत्यन्त प्राचीन काल से दिल्ली अनेक राजवंशों की राजधानी रहती आई है। अब भी यह भारत की राजधानी है। दिल्ली तथा उसके समीपस्थ चारों तरफ के जिलों के प्रशासन का

काम केन्द्रीय सरकार ने सन् १९१२ ई० में अपने हाथों में लिया। नई दिल्ली राजकीय पीठ के रूप में बसाई गई है। दिल्ली एक शहर, एक जिला तथा एक केन्द्र-शासित राज्य भी है। भारतीय राज्यों में दिल्ली सबसे छोटा राज्य है। इसका प्रशासन केन्द्रीय सरकार की ओर से नियुक्त एक मुख्य आयुक्त द्वारा होता है। राज्य-पुनस्संगठन-आयोग की सिफारिशों के अनुसार राष्ट्रपति ने दिल्ली के लिए एक परामर्शदात्री परिषद् बनाई है, जिसमें गृहमंत्री भी सम्मिलित रहते हैं। इस परिषद् में दिल्ली का प्रतिनिधित्व करनेवाले सभी एम० पी०, दिल्ली के मुख्य आयुक्त, दिल्ली-विश्वविद्यालय के उपकुलपति, दिल्ली की म्युनिसिपल कमिटी के अध्यक्ष तथा नई दिल्ली म्युनिसिपल कमिटी के प्रमुख उपाध्यक्ष सम्मिलित रहते हैं। दो और परार्शदात्री समितियाँ हैं, जो जन-सम्पर्क तथा औद्योगिक कार्यों के सम्बन्ध में मुख्य आयुक्त को परामर्श देती हैं।

समुद्र की सतह से दिल्ली ७०० फुट की ऊँचाई पर स्थित है। यहाँ लगभग २६ इंच औसतन वर्षा होती है। यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है तथा चना, गेहूँ, बाजरा, जौ आदि की उपज होती है। ऊख, तम्बाकू, सरसों आदि की भी थोड़ी-बहुत उपज हो जाती है। सोना, चाँदी, ताँबा आदि की वस्तुएँ, हाथी-दाँत के सामान, मिट्टी के बरतन आदि यहाँ बनते हैं। हाल में यहाँ रासायनिक पदार्थ भी तैयार होने लगे हैं। जलवायु मनोरम और स्वास्थ्यकर है।

यहाँ के मुख्य आयुक्त धर्मवीर हैं।

पाण्डिचेरी

क्षेत्र-विस्तार—१८५ वर्गमील; जनसंख्या—३,६९,०७९; राजधानी—पांडिचेरी; प्रधान भाषाएँ—फ्रेंच तथा तमिल; क्षेत्र-विभाजन—१. कारोमंडल-तट पर (क) पांडिचेरी तथा उससे सम्बद्ध प्रदेश, जो आठ प्रखण्डों में विभक्त है। (ख) कारीकुलम तथा अधीनस्थ जिले, जो छह प्रखण्डों में विभक्त हैं। २. आंध्रतट पर यनम तथा उसके आश्रित गाँव। ३. केरल-तट पर माही तथा उससे संयुक्त क्षेत्र।

फ्रांस की सरकार के साथ हुए एक करार के अनुसार १ नवम्बर, १९५४ ई० को भारत-सरकार ने भारत-स्थित भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियों का प्रशासन अपने अधिकार में ले लिया। इन बस्तियों में कारोमण्डल-तट पर स्थित कारीकुलम तथा पाण्डिचेरी; आन्ध्रतट पर स्थित यनम और केरल-तट पर स्थित माही आते हैं। इन क्षेत्रों के भारत में मिला दिये जाने के सम्बन्ध में भारत तथा फ्रांस की सरकारों के प्रतिनिधियों ने २८ मई, १९५६ ई०, को नई दिल्ली में एक संधि-पत्र पर हस्ताक्षर किये। १ जुलाई, १९६३ ई० को यहाँ की क्षेत्रीय समिति विधान-सभा में परिणत हो गई। यहाँ के मुख्य मन्त्री इडुआर्ड गोबर्ट और लेफ्टिनेण्ट गवर्नर एस० एल० सिलम हैं।

पांडिचेरी में १९२६ ई० से योगी अरविन्द का स्थापित अरविन्दाश्रम है, जहाँ इस समय १३०० व्यक्ति हैं और विविध उद्योगधंधे, प्रेस एवं पत्रपत्रिकाएँ चलायी जाती हैं।

मणिपुर

क्षेत्र-विस्तार—८,६२८ वर्गमील; जनसंख्या—७,८०,०३७; शिक्षितों की संख्या—११'४१ प्रतिशत; जनसंख्या का घनत्व—६७ प्रति वर्गमील; राजधानी—इम्फाल; प्रधान भाषा—मणिपुरी; सब-डिवीजन—१. पहाड़ी जिला, जिसमें चूड़चन्द्रपुर, माओ, उकरुल, तपेनलोंग तथा तेंगनौपाल के क्षेत्र सम्मिलित हैं और २. मणिपुर का समतल जिला, जिसमें, जिरिबम, सदर तथा थॉनबल सम्मिलित हैं।

मणिपुर भारत के पूर्वी भाग में भारत-वर्मा की सीमा पर स्थित है। इस राज्य में दो क्षेत्र हैं—१. मध्य की घाटी, जिसका क्षेत्र-विस्तार ७०० वर्गमील है तथा २. चारों ओर के पहाड़ी क्षेत्र, जिसमें राज्य का शेष क्षेत्रफल सम्मिलित है।

मणिपुर के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। गृह-उद्योगों में भी उनकी अधिक रुचि है। मणिपुर का हाथकरघा-उद्योग अधिक उन्नत है। प्रायः सभी वर्ग की स्त्रियाँ हाथों की बुनाई का काम करती हैं। यहाँ के लगभग तीन लाख व्यक्ति, अर्थात् सम्पूर्ण जनसंख्या के ५० प्रतिशत व्यक्ति इस उद्योग में लगे हुए हैं। रेशम के कीड़े पालना यहाँ का प्राचीन उद्योग है। इसके अलावा बढ़ईगिरि, लोहारी, ईंट बनाने का काम, चमड़ा, बाँस, बेंत आदि के काम कुटीर-उद्योग के रूप में प्रचलित हैं।

मणिपुर की मध्यवर्ती घाटी में मित्ती, मणिपुरी, मुसलमान, लोइस तथा अन्य छोटी-छोटी जातियाँ निवास करती हैं। हाल में यहाँ अन्य क्षेत्रों से आकर कुछ जन-जातियाँ बस गई हैं। पहाड़ी क्षेत्र के लगभग ७,६०० वर्गमील में नागा, कुकी आदि जातियाँ रहती हैं, जो आकृति में मंगोल-जाति से मिलती-जुलती हैं। मित्ती जाति के लोग, नृत्य तथा संगीत को जीवन का अभिन्न अंग मानते हैं। उनका मणिपुरी-नृत्य भारत-विख्यात है। १ जुलाई, १९६३ ई० से यहाँ की क्षेत्रीय परिषद् विधान-सभा में परिणत कर दी गई है। यहाँ के मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री-सहित तीन मंत्री होते हैं। वर्त्तमान मंत्री कोइरेन सिंह हैं।

लक्कादीव, मिनीकॉय तथा अमीनदीवी-द्वीपसमूह

क्षेत्र-विस्तार—११ वर्गमील; जनसंख्या—२४,१०८; शिक्षितों की संख्या—१५.२३ प्रतिशत; जनसंख्या का घनत्व—१६१२ प्रति वर्गमील; राजधानी—कोझीकोड।

अरब समुद्र-स्थित इस द्वीपसमूह का शासन भारत-सरकार ने अपने हाथों में लिया तथा इसका अस्थायी मुख्यालय कोझीकोड को बनाया। यहाँ १९ द्वीप हैं, जिनमें केवल १० द्वीपों में ही लोग निवास करते हैं। वे द्वीप हैं—१. मिनिकॉय, २. कलपेनी, ३. कवरथी, ४. अगथी तथा ५. एण्डोर्थ, जो लक्कादीव-वर्ग में पड़ते हैं, ६. अमीनी, ७. कदमथ, ८. किल्हन, ९. चेटलेथ तथा १०. वित्र, जो अमीनीदीवी वर्ग में पड़ते हैं। १ नवम्बर, १९५६ ई० के पूर्व यह द्वीपसमूह मद्रास प्रान्त के अन्तर्गत था। लक्कादीव मिनिकॉय-वर्ग मालाबार जिला के अन्तर्गत तथा अमीनदीवी-द्वीपसमूह साउथ कनाडा जिला के अन्तर्गत थे।

इसका प्रशासन-कार्य भारत-सरकार की ओर से एक प्रशासक करता है, जो कोझीकोड में ही रहता है।

यहाँ प्रधान रूप से केवल नारियल का ही उत्पादन होता है। नारियल के छिलके की वस्तुओं का निर्माण यहाँ का प्रधान उद्योग-धन्धा है।

इस द्वीपसमूह के निवासी मुसलमान जाति के हैं। यहाँ के प्रशासक एम० रामुन्नी हैं।

हिमाचल-प्रदेश

क्षेत्र-विस्तार—१०,८८५ वर्गमील; जनसंख्या—१३,५१,१४४; शिक्षितों की संख्या—१४·६ प्रतिशत; जनसंख्या का घनत्व—१२४ प्रति वर्गमील; राजधानी—शिमला; प्रधान भाषाएँ—हिन्दी तथा पहाड़ी; जिले—चम्बा, मण्डी, सिरमुर, महसू तथा विलासपुर।

पूर्वी पंजाब की २१ रियासतों ने मिलकर १५ अप्रैल, १९४८ ई०, को हिमाचल-प्रदेश का निर्माण किया। इनके नाम हैं—बाघल, बघात, बलसन, बाशहर, भाजी, बीजा, दरकोटी, धामी, जुब्बल, क्योंथल, कुमारसैन, कुनिहर, कुथार, महलोग, संगरी, मंगल, सिरमुर, थरोच, चम्बा, मण्डी और सुकेत। इस प्रान्त के पश्चिम में कश्मीर तथा पूर्व में उत्तरप्रदेश हैं। सम्मिलित रियासतों में मण्डी सबसे बड़ी रियासत है। सन १९५३ ई० के हिमाचल-प्रदेश तथा बिलासपुर-अधिनियम के अन्तर्गत जुलाई, १९५४ ई० में बिलासपुर भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया। बिलासपुर का क्षेत्रफल ४५० वर्गमील तथा जनसंख्या १,२६,०९९ है।

यहाँ के निवासियों का प्रधान व्यवसाय कृषि है। यहाँ के लगभग ९० प्रतिशत लोग कृषि पर अवलम्बित हैं। प्रायः पाँच सदस्यवाले परिवार को तीन एकड़ से अधिक जमीन नहीं है।

यहाँ की मुख्य उपज है—गेहूँ, मकई, जौ, धान, बूँट, ऊख, आलू आदि। कम परिमाण में चाय का भी उत्पादन होता है। सम्पूर्ण क्षेत्र का लगभग ३५ प्रतिशत भाग जंगलमय है। इस जंगल से आर्थिक आय बहुत है। लगभग ५ लाख आदमी परम्परागत जंगली उद्योग में लगे हुए हैं। आलू का उत्पादन यहाँ अत्यधिक मात्रा में होता है। वहाँ समशीतोष्ण पहाड़ी क्षेत्रों में सतालू, बेर, अनार आदि फल होते हैं। यहाँ के सुस्वादु तथा पौष्टिक सेब भारत-भर में प्रसिद्ध हैं। तिब्बती सीमा के चीनी क्षेत्रों में खजूर, अंगूर आदि सूखे फल भी अधिक मात्रा में होते हैं। यहाँ शुद्ध ऊन के वस्त्र बनते हैं। ऊन-उत्पादन-सामग्री के काम क्रमशः बढ़ाये जा रहे हैं।

१ जुलाई, १९६३ ई० से यहाँ की क्षेत्रीय परिषद् विधान-सभा में परिणत कर दी गई। यहाँ के मंत्रिमंडल में मुख्य मंत्री-सहित तीन मंत्री होते हैं। यहाँ के लेफ्टिनेण्ट गवर्नर भगवान सहाय तथा मुख्य मंत्री यशवन्त सिंह परमार हैं। दो अन्य मंत्री हैं—करम सिंह और हरिदास।

गोआ, डामन और ड्यू

स्थिति—भारत के पश्चिम समुद्र-तट पर; क्षेत्र-विस्तार—१,४२६ वर्गमील, जनसंख्या—(१९५१) ६,२६,९७८; राजधानी—पंजिम; भाषा—मराठी, कोंकणी और गुजराती।

गोआ, डामन और ड्यू पहले भारत-स्थित पुर्त्तगाली उपनिवेश थे। गोआ बम्बई से २०० मील दक्षिण, डामन बम्बई से लगभग ११० मील उत्तर काम्बे की खाड़ी के द्वार पर तथा ड्यू सौराष्ट्र प्रायद्वीप में बम्बई से लगभग २७५ मील दूर समुद्र में स्थित हैं। ड्यू एक छोटा-सा द्वीप है, जो मुख्य भू-भाग से समुद्र द्वारा पृथक् होता है। दादर और नागर-हवेली नामक पुर्त्तगाली बस्तियाँ, जो डामन का भाग थीं, दमन के सवा चार मास पूर्व ही भारतीय प्रशासन के अन्तर्गत आ गईं।

भारत के साथ पुर्त्तगाल का सम्पर्क सन् १४९८ ई० में स्थापित हुआ, जब पुर्त्तगाली जहाजी वास्कोडिगामा सामुद्रिक मार्ग की खोज में कालीकट पहुँचा था। कालक्रम से पुर्त्तगाली व्यापारियों ने कई स्थानों में अपनी कोठियाँ बनाई और वे यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रयत्न करने लगे। उनके इस प्रयत्न में यूरोप की दो अन्य जातियाँ—अँगरेज तथा डच—बाधक

बन गईं, जिसके फलस्वरूप वे विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने में विफल रहे। पुर्त्तगालियों ने सन् १५०६ ई० में बीजापुर के सुलतान से गोआ छीन लिया था। सन् १५१० ई० में सुलतान ने उन्हें वहाँ से मार भगाया, किन्तु उसी वर्ष के नवम्बर में उन्होंने पुनः उसपर अधिकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने सन् १५४५ ई० में ड्यू पर तथा १५५६ ई० में डामन पर अपना अधिकार जमाया। उन दिनों पुर्त्तगाल-अधिकृत क्षेत्र का विस्तार आज के क्षेत्र के ⅙ में ही था। बाकी ⅚ भाग उन्होंने १८वीं शताब्दी में मराठा-शासकों से प्राप्त किया।

गोआ में मराठी तथा कोंकणी भाषाएँ बोली जाती हैं। डमन और ड्यू की भाषा गुजराती है। कृषि यहाँ का मुख्य पेशा है। यहाँ की मुख्य उपज में चावल, नारियल, काजू, सुपारी और फल हैं। मरमूगाओ यहाँ का मुख्य बन्दरगाह है।

स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद भारत-सरकार पुर्त्तगाल-अधिकृत क्षेत्र का विलयन भारत में कर देने के सम्बन्ध में पुर्त्तगाल-सरकार से वर्षों अनुरोध करती रही।

सन् १९५४ ई० की जुलाई में पुर्त्तगाली क्षेत्र के निवासियों ने आन्दोलन प्रारम्भ किया और दादर तथा नागर-हवेली बस्तियों पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार, भारत के अधिकार में १८८ वर्गमील का क्षेत्र आ गया। अगस्त, १९५५ ई० में निरस्त्र भारतीयों ने गोआ की सीमा पर अपने अहिंसात्मक अभियान का प्रदर्शन किया, जिसका दमन पुर्त्तगाल सैनिकों ने गोलियाँ चलाकर किया। अन्त में आकर भारतीय सेना की टुकड़ियों ने १७ दिसम्बर, १९६१ ई०, को डामन में तथा १८ दिसम्बर, १९६१ ई० को गोआ में प्रवेश किया। १९ दिसम्बर, १९६० ई०, को पुर्त्तगाली क्षेत्र की राजधानी पंजिम पर भारत का अधिकार हो गया। मेजर जेनरल के० पी० कैण्डेथ यहाँ के सैनिक प्रशासक बना दिये गये। गोआ, डामन और ड्यू के प्रशासन के लिए ५ मार्च, १९६२ ई०, को राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया, जिसके अनुसार उक्त क्षेत्र संघीय क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया गया। तत्पश्चात् भारतीय संविधान के १२वें संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के अध्यादेश के अन्तर्गत की गई व्यवस्था को पुष्ट किया गया।

९ दिसम्बर को यहाँ की विधान-सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ तथा २० दिसम्बर को मंत्रिमंडल ने शपथ-ग्रहण किया। यहाँ की विधान-सभा के ३० सदस्य हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री दयानन्द मन्दोदकर और लेफ्टिनेण्ट गवर्नर एम० आर० सचदेव हैं। मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों में टोनी फर्नेण्डेज और बिट्ठल सुब्रायाकर माली हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री महाराष्ट्रवादी गोमन्तक विधायक दल के नेता हैं।

दादर और नागर-हवेली

स्थिति—भारत का पश्चिमी समुद्र तट (काम्बे की खाड़ी के पास), **क्षेत्रफल**—१८९ वर्गमील।

यह भू-भाग ११ अगस्त, १९६१ ई०, को भारत का केन्द्र-प्रशासित सातवाँ संघीय क्षेत्र बना। ये दोनों बस्तियाँ पहले भारत में पुर्त्तगाली-अधिकृत क्षेत्र डामन के अंतर्गत थीं। इसका प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक प्रशासक द्वारा होता है, जिसको परामर्श देने के लिए एक वरिष्ठ परिषद् है। न्याय के मामले में यह बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है। इसका एक प्रतिनिधि लोकसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाता है।

यहाँ के प्रशासक के० जी० बदलानी हैं।

भारत के संरक्षित राज्य

सिक्किम

स्थिति—हिमालय के दक्षिण-पूर्वी ढाल पर भूटान, पश्चिम बंगाल, नेपाल तथा तिब्बत से घिरा; क्षेत्रफल—२,७४४ वर्गमील; जनसंख्या—१,६२,१८६; राजधानी—गंगटोक; भाषा—सिक्किमी और गोरखाली; धर्म—बौद्ध और हिन्दू; सिक्का—भारतीय रुपया; शासक—महाराज पालदेन थौन्दुप नामग्याल (५ दिसम्बर, १९६३ ई० से)।

सिक्किम पहाड़ों और जंगलों से भरा एक छोटा-सा राज्य है। यहाँ के जंगलों से साल, सेमल, तूनी, बाँस आदि लकड़ियाँ मिलती हैं। चावल, महुआ, आलू, नारंगी, सेव और इलायची यहाँ की मुख्य उपज है। यह इलायची के निर्यात में विश्व में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। यहाँ के ६५% निवासी नेपाली और ३४% निवासी भुटिया और लेप्चा हैं। शेष १% में अन्य जातियाँ हैं, जिनमें भारतीय व्यापारी प्रमुख हैं। भौगोलिक स्थिति के अनुसार यह राज्य बहुत दिनों से एक भारतीय राज्य समझा जाता रहा है। आधुनिक काल में भारत के साथ इसका सम्बन्ध सन् १८१७ ई० से ही प्रारम्भ होता है। सन् १८६१ ई० में भारत के साथ इसकी एक संधि हुई थी, जिसके अनुसार भारत के स्वाधीन होने तक कार्य होता रहा। ५ दिसम्बर, १९५० ई०, को दूसरी सन्धि हुई, जिसके अनुसार यह भारत का संरक्षित राज्य बना रहा। इसके वित्त, परराष्ट्र-नीति और संचार-साधन का दायित्व भारत-सरकार पर है। इसकी क्षेत्रीय अखंडता और प्रतिरक्षा का भार भी भारत पर ही है। भारत-सरकार सिक्किम में कहीं भी अपनी सेना भेज सकती है। भारत-सरकार की पूर्व अनुमति के विना सिक्किम-सरकार शस्त्रास्त्र तथा युद्ध-सामग्री नहीं मँगा सकती है। यह विदेशों के साथ किसी प्रकार का संबंध भी नहीं रख सकता। सिक्किम में रेल, तार, डाक, टेलिफोन, बेतार-के तार तथा हवाई अड्डे की व्यवस्था का भार भारत-सरकार पर है। भारत-सरकार इसे साहाय्य के रूप में प्रतिवर्ष १ लाख रुपये देती है।

नई व्यवस्था के अंतर्गत सिक्किम के महाराज वहाँ के सर्वोच्च शासक हैं। उनके शासन-कार्य में सन् १९४९ ई० से भारत-सरकार द्वारा नियुक्त दीवान हाथ बँटाता है। यहाँ एक कार्य-कारिणी परिषद् और एक राज्य-परिषद् है। राज्य-परिषद् के २० सदस्य होते हैं, जिनमें से १२ चार निर्वाचन-क्षेत्रों से जातीय आधार पर चुने जाते हैं—६ नेपाली और ६ लेप्चा-भुटिया। एक सदस्य मतदाताओं द्वारा चुना जाता है तथा एक लामाओं का प्रतिनिधि होता है। शेष ६ सदस्य महाराज द्वारा मनोनीत होते हैं। कार्यकारिणी परिषद् के सदस्य राज्य-परिषद् के लिए निर्वाचित सदस्यों में से महाराज द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। यहाँ भारत-सरकार का एक प्रतिनिधि गंगटोक में स्थायी रूप से रहता है, जो भूटान तथा सिक्किम में भारत का प्रतिनिधित्व करता है।

भूटान

स्थिति—हिमालय के दक्षिण-पूर्वी ढाल पर आसाम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और तिब्बत से घिरा; क्षेत्रफल—१९,३०५ वर्गमील; जनसंख्या—७,२३,०००; राजधानी—पुनखा (शीतकालीन) और ताशी-चो-जोंग (ग्रीष्मकालीन); भाषा—भूटानी; धर्म—बौद्ध; सिक्का—भारतीय रुपया; शासक—महाराजा जिग्मे डोरजी वाँगचुक; प्रधान मन्त्री—जिग्मे डोरजी; शासन-स्वरूप—राजतंत्र।

भूटान जंगलों और पहाड़ों से भरा एक छोटा-सा राज्य है। यहाँ की कृषि-योग्य भूमि में चावल, मड़ुआ आदि की उपज होती है। जंगल से कीमती लकड़ियाँ, लाह, मोम, कस्तूरी आदि प्राप्त होते हैं। यहाँ के पशुओं में हाथी, खच्चर और याक प्रमुख हैं।

ईसा की नवीं शताब्दी में तिब्बती सैनिकों ने भूटान पर आक्रमण कर दिया और वे यहाँ बस गये। सन् १७७४ ई० में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने यहाँ के शासक के साथ संधि की। सन् १८६५ ई० की संधि के अनुसार इसे भारत से प्रतिवर्ष ५० हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलने लगी। पीछे सन् १९१० ई० से इसकी परराष्ट्र-नीति भारत के हाथ में रही और इसकी आर्थिक सहायता की राशि १ लाख रुपये कर दी गई। सन् १९४२ ई० में यह राशि बढ़ाकर २ लाख की गई। भारत के स्वतंत्र होने पर सन् १९४९ ई० में हुई संधि के अनुसार इसे आर्थिक साहाय्य के रूप में ५ लाख रुपये दिया जाने लगा।

सन् १९०७ ई० तक यहाँ का शासन पुराने तिब्बती ढंग का द्वैध शासन रहा, जिसमें दो प्रधान होते थे—देवराज और धर्मराज। देवराज राजनीतिक शासक थे तथा धर्मराज धार्मिक। धर्मराज को बुद्ध का अवतार माना जाता था। किन्तु, सन् १९०७ ई० में यहाँ सर्वप्रथम वंश-परम्परागत महाराजा का निर्वाचन हुआ। इस व्यवस्था को ब्रिटिश सरकार ने तथा बाद में भारत-सरकार ने भी मान्यता प्रदान की। वर्त्तमान महाराजा यहाँ के वंश-परम्परागत महाराजाओं में तीसरे हैं। ये एक प्रधान मंत्री की सहायता तथा पदाधिकारियों और जनता के प्रतिनिधियों की एक कौंसिल की राय से शासन करते हैं।

भूटान भारत का एक संरक्षित राज्य है। इसकी स्थिति भारत के अन्य राज्यों से भिन्न है। यह केवल वैदेशिक सम्बन्ध के मामले में भारत-सरकार के अधीन है। सन् १९४९ ई० की संधि के अनुसार भारत-सरकार इसके आन्तरिक प्रशासन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती। उक्त संधि में यह भी व्यवस्था रखी गई है कि भारत-सरकार की सहायता और स्वीकृति से भूटान अपनी आवश्यकता के अनुसार शस्त्रास्त्रों एवं युद्ध-सामग्री का आयात करने को स्वतंत्र है। यह व्यवस्था तभी तक लागू रहेगी, जबतक भारत-सरकार को ऐसे आयातों से किसी प्रकार का खतरा नहीं रहेगा तथा भूटान भारत का मित्र बना रहेगा। भूटान-सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है कि भूटान की सीमा से बाहर उसके द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा शस्त्रास्त्रों का निर्यात नहीं होगा।

भारत के पूर्वोत्तर सीमान्त पर स्थित होने तथा तिब्बत पर साम्यवादी चीन का अधिकार हो जाने से सामरिक दृष्टि से भूटान का बहुत अधिक महत्त्व है। यहाँ के ८० प्रतिशत निवासी तिब्बती मूल के हैं। वे तिब्बती से ही मिलती-जुलती भाषा बोलते हैं तथा दलाई लामा को ही अपना आध्यात्मिक प्रधान समझते हैं। आकार-प्रकार एवं संस्कृति से वे मंगोलियन हैं और भारत की अपेक्षा तिब्बत की ओर उनका अधिक झुकाव है। इस झुकाव को दूर करने के लिए भारत-सरकार ने भूटान में कुछ विकास-योजनाएँ शुरू की हैं। भारत-सरकार ७ करोड़ रुपये के व्यय से तीन सड़कों का निर्माण करा रही है, जिससे भारत का भूटान से सीधा सम्पर्क स्थापित हो सके।

★

चतुर्थ भाग

बिहार

भूमि और इसके निवासी

बिहार इस समय भारत का एक बड़ा राज्य है। यह देश के पूर्वी भाग में २१°५८", २७°३१" उत्तरीय अक्षांश तथा ८३°२०" और ८८°३२" पूर्वीय देशान्तर के बीच स्थित है। इसकी राजधानी पटना गंगा नदी के तट पर २५°३७" उत्तरीय अक्षांश और ८५°१०" पूर्वीय देशान्तर पर बसा हुआ है।

बिहार-राज्य के उत्तर में एक स्वतंत्र देश नेपाल है। पहाड़ और नदियाँ इसे नेपाल से अलग करती हैं। जहाँ किसी तरह की प्राकृतिक सीमा नहीं है, वहाँ खाई और स्तम्भ सीमा का काम करते हैं। इसके पूरब की ओर पश्चिम बंगाल के पश्चिम दिनाजपुर, मालदह, मुर्शिदाबाद, बीरभूमि, वर्दवान, पुरुलिया और मेदिनीपुर जिले हैं। दक्षिण में उड़ीसा के मयूरभंज, क्योंझर और सुन्दरगढ़ जिले हैं। पश्चिम में मध्यप्रदेश के जसपुर और सुरगुजा एवं उत्तरप्रदेश के मिरजापुर, बनारस, गाजीपुर, बलिया और गोरखपुर जिले पड़ते हैं।

यह राज्य न्यूनाधिक समानान्तर चतुर्भुज के आकार का है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी अधिक-से-अधिक लम्बाई ३३२ मील और पूरब से पश्चिम तक इसकी अधिक-से-अधिक चौड़ाई २२८ मील है।

यह राज्य प्राकृतिक रूप से दो या तीन मुख्य भागों में बाँटा जा सकता है। गंगा नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती हुई इसे दो भागों में बाँटती है। उत्तरी भाग को उत्तर बिहार और दक्षिणी भाग को दक्षिण बिहार कहते हैं। दक्षिण बिहार में भी गंगातट का समतल मैदान और छोटानागपुर की अधित्यका—ये दो प्राकृतिक भाग हैं। फिर, दूसरी तरह से भी राज्य के दो प्राकृतिक भाग बताये जा सकते हैं—गंगातट के दोनों ओर का समतल मैदान और छोटानागपुर की अधित्यका। इस समतल मैदान में खेती खूब होती है। गंगा के उत्तर चम्पारन जिले के उत्तर-पश्चिम कोने पर कुछ पहाड़ और जंगल हैं, शेष सारा भाग समतल मैदान है। किन्तु, गंगा के दक्षिण के समतल मैदान में हर जिले में जहाँ-तहाँ छोटी-छोटी पहाड़ियाँ नजर आती हैं। गंगा के उत्तर गंगा, कमला, सरयू, मही, बूढ़ी गंडक, गंडक, बया, बागमती, तिलयुगा, कोशी और महानदी—ये मुख्य नदियाँ हैं। दक्षिण बिहार की नदियों में सोन पुनपुन, फल्गु, सकरी, कर्मनाशा, काओ, पंचाने, क्यूल, अजय, मणि, चानन, मोर, ब्राह्मणी, बंसलोई और गुमानी मुख्य हैं। इनमें केवल सोन और पुनपुन में छोटी-छोटी नावें चलती हैं, शेष नदियाँ गरमी में सूख जाया करती हैं।

छोटानागपुर की अधित्यका दक्षिण-भारत की अधित्यका का पूर्वी भाग है। यह भाग पहाड़ों और जंगलों से भरा है। यहा के पहाड़ों में बहुत-से सुन्दर झरने और जलप्रपात हैं। राँची

जिले का हुण्डू-जलप्रपात इस प्रदेश का सबसे बड़ा और सुन्दर जलप्रपात है। समुद्र-तल से इस अधित्यका की औसत ऊँचाई दो हजार फुट है। इस भाग में अधिक उपज नहीं होती और यहाँ की आबादी बहुत कम है; किन्तु इस भाग में बहुत तरह के खनिज पदार्थ तथा अन्य वन-सम्पत्ति पाई जाती हैं। यहाँ बहुत-सी छोटी-छोटी पहाड़ी नदियाँ हैं, जिनमें उत्तर कोयल, दक्षिण कोयल, सुवर्णरेखा, दामोदर, बराकर, शंख, वैतरणी, उत्तर कारो, दक्षिण कारो, रोरो, देव, कोइना, मयूराक्षी आदि मुख्य हैं।

बिहार की जलवायु शुष्क और स्वास्थ्यप्रद है। साधारणतः गरमी में यहाँ का तापमान १००° से १०५° तक रहता है, पर कभी-कभी ११०° से ११८° तक भी चला जाता है। जाड़े के दिनों में गंगा के मैदान की अपेक्षा छोटानागपुर की अधित्यका में जाड़ा अधिक पड़ता है, पर गरमी के दिनों में यहाँ गरमी कुछ कम पड़ती है। यहाँ साल में करीब ७०-७५ इंच औसतन वर्षा होती है। प्रान्त के अन्दर वर्षा सबसे अधिक पूर्णिया जिले में होती है। हिमालय के निकट होने के कारण चम्पारन जिले के उत्तरी भाग में भी वर्षा अधिक होती है। प्रान्त के मध्य भाग में ४०-५० इंच और छोटानागपुर की अधित्यका में ५०-५५ इंच तक औसत वर्षा होती है। यहाँ साधारणतः पूर्वी और पश्चिमी हवा बहती है। देवघर, राँची, राजगृह, कोइलवर (शाहाबाद), सिमुलतला (मुंगेर) यहाँ के स्वास्थ्यप्रद स्थान हैं।

गंगातट के मैदान के निवासी आर्यवंश के लोग हैं, जिनमें मुसलमान भी सम्मिलित हैं। यहाँ आदिवासी बहुत कम और यत्र-तत्र ही पाये जाते हैं; किन्तु छोटानागपुर की अधित्यका में आदिवासियों की संख्या बहुत है। ये लोग जंगलों और पहाड़ों में भी रहते हैं। यहाँ के आदिवासियों में संताली, मुण्डारी, हो, खरिया, कोरवा, कुरमाली, बिरहोर, बिरजिया आदि मुख्य हैं,

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

वर्त्तमान बिहार-राज्य अनेक प्राचीन जनपदों के सम्पूर्ण या न्यूनाधिक भागों के मिलने से बना है। ये जनपद हैं—मिथिला, वैशाली, अंग, पुंड्रवर्द्धन, पूर्वकोसल, मगध, मलद, करुष, भर्ग, कर्कखंड या झारखंड आदि। इनमें से अंग, मिथिला, वैशाली और मगध भारत के बहुत प्रसिद्ध राज्य रहे और समय-समय पर इनके बहुत ही विस्तृत साम्राज्य भी कायम हुए, जिनकी चर्चा अनेक वैदिक, पौराणिक और ऐतिहासिक ग्रन्थों में हुई। यहाँ के प्रमुख प्राचीन जनपदों की गरिमा का उल्लेख नीचे किया जा रहा है :

मिथिला—प्राचीन मिथिला या विदेह-जनपद का अधिकांश नेपाल की तराई में पड़ता है, जहाँ आज रौतहट, सरलाही, सप्तरी, मोहतरी और मोरंग जिले हैं। बिहार के दरभंगा जिले का अधिकांश एवं उसके आसपास के कुछ हिस्से इसके अन्तर्गत हैं। इस जनपद की राजधानी जनकपुर थी, जो वर्त्तमान बिहार की उत्तरी सीमा से लगभग ७-८ मील उत्तर है। यह राजधानी स्वभावतः इस जनपद के मध्य भाग में स्थित रही होगी।

पुराणों में लिखा है कि मनु के पौत्र और इक्ष्वाकु के पुत्र निमि ने, जो पीछे विदेह कहलाये, इस जनपद की स्थापना की थी। इन्हीं के नाम पर यहाँ के राजवंश का नाम 'विदेह'

पड़ा। इन्हीं के पुत्र मिथि थे, जो 'जनक' भी कहलाये। मिथि के नाम पर ही इस जनपद का नाम 'मिथिला' पड़ा। मिथि से सीरध्वज जनक तक इस वंश में २१ राजे हुए, जिनका उल्लेख वाल्मीकिरामायण में किया गया है। सुप्रसिद्ध जनकनन्दिनी सीता सीरध्वज जनक की ही पुत्री थीं। सीरध्वज जनक बड़े विद्वान्, तत्त्वदर्शी और आत्मज्ञानी थे। इनके दरबार में सारे भारत के ऋषि-महर्षि एवं विद्वान् आया-जाया करते थे। इनके दरबारी पंडितों में याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी गार्गी तथा मैत्रेयी थीं। याज्ञवल्क्य ने ही शुक्लयजुर्वेद, शतपथब्राह्मण, याज्ञवल्क्य-स्मृति और वाजसनेयिसंहिता की रचना की थी। कहा जाता है कि दसों उपनिषदों का प्रणयन राजर्षि जनक के ही राजत्व-काल में किया गया था। सीरध्वज जनक के बाद इस वंश के ३२ राजे हुए। कृति इस वंश का अन्तिम राजा हुआ। इसके बाद यह जनपद छिन्न-भिन्न हो गया।

मिथिला की शासन-सत्ता कभी बहुत प्रबल नहीं थी, किन्तु ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में इसकी प्रसिद्धि सदा देशव्यापी रही। भारतीय दर्शन के सांख्य, योग, मीमांसा, न्याय और वैशेषिक की जन्मभूमि होने का श्रेय इसी पावन भूमि को है। इन शास्त्रों के प्रणेता क्रमशः कपिल, जैमिनि, गौतम और कणाद मिथिला में ही उत्पन्न हुए थे। बाद के काल में भी यहाँ मण्डनमिश्र, भारती, वाचस्पतिमिश्र, गंगेश उपाध्याय, पक्षधरमिश्र, मैथिलकोकिल विद्यापति आदि विद्वान् एवं कवि हुए।

वैशाली—कहा जाता है कि मनु के पुत्र नाभानेदिष्ट ने गंगा के उत्तर और सदानीरा (गंडक) से पूरब एक राज्य की स्थापना की। इनकी कई पीढ़ियों बाद हुए राजा विशाल, जिनके नाम पर इस जनपद का नाम 'वैशाली' पड़ा। वाल्मीकिरामायण, वायुपुराण, विष्णुपुराण आदि ग्रन्थों में वैशाली-राजवंश का वर्णन आया है। इस वंश का दसवाँ राजा मरुत् परम प्रतापी राजा हुआ। कहते हैं, इसने एक चक्रवर्त्ती राज्य की स्थापना की थी। इसी पुरोहित संवर्त्त का भतीजा दीर्घतमा था, जो पीछे अंग में जा बसा। मरुत् के बाद चौदहवें राजा विशाल हुए, जिनकी चर्चा पहले की जा चुकी है। विशाल के बाद नवें राजा सुमति हुए, जो मिथिला के सीरध्वज जनक और अंग के राजा लोमपाद के समकालीन थे।

विदेह-जनपद के छिन्न-भिन्न हो जाने पर वैशाली में वज्जि-संघ कायम हुआ। इस संघ में कई छोटे-छोटे गणराज्य सम्मिलित थे, जिनमें विदेह और लिच्छवि प्रमुख थे। भगवान् बुद्ध के समय में वज्जियों का संघ-शासन अत्यन्त शक्तिशाली था। मगध-सम्राट् अजातशत्रु अनेक छल-छन्द से वज्जि-संघ को अपने साम्राज्य में मिलाने में समर्थ हुआ। वैशाली और विदेह का सम्मिलित भू-भाग ही पाँचवीं सदी में 'तीरभुक्ति' या 'तिरहुत' कहलाया।

जैनधर्म के प्रवर्त्तक भगवान् महावीर को जन्म देने का श्रेय वैशाली को ही प्राप्त है।

अंग-जनपद—इस जनपद के अंतर्गत आज का न्यूनाधिक भागलपुर-कमिश्नरी का भाग था। गंगा के उत्तर के भाग को 'अंगोत्तगप' कहते थे। चम्पा या वर्त्तमान चम्पानगर (भागलपुर) अंग की राजधानी था। आगे चलकर अंग एक शक्तिशाली राज्य हुआ। इस प्राचीन जनपद की चर्चा अथर्ववेद, अथर्ववेद-परिशिष्ट, ऐतरेय ब्राह्मण, गोपथब्राह्मण, ऐतरेय आरण्यक आदि वैदिक ग्रंथों, अनेक पौराणिक एवं स्मृति-ग्रंथों, रामायण, महाभारत आदि प्राचीन महाकाव्यों तथा बौद्ध एवं जैनसाहित्य में की गई है।

कहते हैं, उत्तर-पश्चिम भारत के मानव-वंशी महामना के पुत्र तितिक्षु ने इस जनपद की स्थापना की थी। तितिक्षु-वंशोत्पन्न उषद्रथ अयोध्या के राजा हरिश्चन्द्र के और बलि कोसल-

नरेश सगर के समकालीन थे। वलि की पत्नी सुदेष्णा से महर्षि दीर्घतमा के अंग, वंग, कलिंग, सुह्म और पुण्ड्र—ये पाँच पुत्र उत्पन्न हुए, जिन्होंने अपने-अपने नाम पर अलग-अलग राज्य कायम किये। ऋग्वेद में दीर्घतमा और उनकी शूद्रा स्त्री कक्षीवती के पुत्र कक्षीवन्तों के बहुत-से सूक्त हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि दीर्घतमा ने शकुन्तला और दुष्यन्त के पुत्र भरत का राज्याभिषेक कराया था। ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है कि राजा अंग ने समस्त पृथ्वी को जीतकर अश्वमेध-यज्ञ किया था। अंग के वंशधर राजा लोमपाद अयोध्या-नरेश दशरथ के परम मित्र थे। राजा दशरथ अपनी रानियों एवं मंत्रियों के साथ स्वयं यहाँ आकर ऋष्यशृंग को अपना पुत्रेष्टि-यज्ञ कराने के लिए ले गये। लोमपाद के वंश में ही राजा चम्प हुए, जिनके नाम पर इस जनपद की राजधानी का नाम 'चम्पानगर' पड़ा। महाभारत के सुप्रसिद्ध वीर कर्ण को यहीं के राजा अधिरथ ने गंगा की जलधारा से शैशवावस्था में निकालकर अपना पोष्यपुत्र बनाया था। प्राचीन काल में अंग ने अपना उपनिवेश भी बसाया था। वायुपुराण आदि में अंगद्वीप का उल्लेख आया है। संभव है, यह अंगद्वीप हिन्दचीन-स्थित 'चम्पा' ही हो। ऐतिहासिक युग में मगध-सम्राट् बिम्बिसार ने इस राज्य को जीतकर अपने अधीन कर लिया था। बुद्ध के समय में अंग भारत के १६ जनपदों में एक था तथा चम्पा एक वैभवशाली नगरी थी, जिसकी गणना तत्कालीन छह महानगरों में की जाती थी। जैनों के बारहवें तीर्थङ्कर वासुपूज्य यहीं हुए थे। बौद्धकाल में यहाँ का विक्रमशिला-विश्वविद्यालय विश्वविख्यात था।

मगध—अति प्राचीन काल से जान पड़ता है कि मगध अनार्यों की भूमि था। इसी कारण प्राचीन आर्य-ग्रन्थों में मगध की निन्दा की गई है। फिर भी, रामायण-काल के बहुत पूर्व ही आर्य लोग यहाँ आ बसे थे। समय-समय पर मगध में प्रमुख राजनीतिक केन्द्र रहे हैं; जैसे—गया, गिरिव्रज या राजगृह और पाटलिपुत्र। गया का राजा गय पौराणिक युग का चक्रवर्त्ती सम्राट् था। रामायण-काल में गिरिव्रज के राजा वसु तथा महाभारत-काल में राजगृह के राजा जरासंध परम प्रतापी थे। अपने जामाता कंस के मारे जाने पर जरासंध ने यदुवंशी श्रीकृष्ण पर बार-बार आक्रमण कर उन्हें द्वारका जाने को विवश कर दिया। ऐतिहासिक युग में बिम्बिसार और अजातशत्रु ने मगध-साम्राज्य को बढ़ाने का कार्यारंभ किया। इनकी राजधानी राजगृह में थी। बौद्ध और जैनधर्म के प्रवर्त्तक भगवान् बुद्ध तथा महावीर अजातशत्रु के समकालीन थे। अजातशत्रु का पुत्र उदयन अपनी राजधानी राजगृह से हटाकर पाटलिपुत्र ले आया। इसके बाद यहाँ नन्द और मौर्यवंश के साम्राज्य कायम हुए। मौर्यवंश के राजाओं में चन्द्रगुप्त मौर्य तथा अशोक महाप्रतापी निकले। इनका साम्राज्य कायम हुए। मौर्यवंश के राजाओं में चन्द्रगुप्त मौर्य तथा अशोक महाप्रतापी निकले। इनका साम्राज्य प्रायः सम्पूर्ण भारत में विस्तृत था। अशोक ने बौद्धधर्म को राजधर्म के रूप में स्वीकार कर उसका प्रचार एशिया के सभी प्रमुख देशों तथा द्वीप-द्वीपान्तरों तक किया। मौर्यवंश के पतन के बाद यहाँ शुंगवंश, कण्ववंश, आंध्रवंश तथा कुशान-वंश के राजाओं ने राज्य किया। इन राजवंशों के बाद मगध का शासन-सूत्र गुप्तवंश के हाथों में रहा। चन्द्रगुप्त, समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के समय मगध का उत्कर्ष अपनी चरम सीमा पर था। इस काल में हिन्दू-धर्म का पुनरुत्थान हुआ तथा यहाँ शिक्षा, साहित्य एवं कला की भी उन्नति हुई। इसके बाद पालवंश के समय में बौद्धधर्म का पुनः उत्कर्ष हुआ। इस समय यहाँ के नालंदा तथा विक्रमशिला-विश्वविद्यालय अपने चरम उत्कर्ष पर थे।

साहित्य एवं संस्कृति के क्षेत्र में मगध की देन अपूर्व रही है। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में बड़े-बड़े विद्वान् परीक्षा देकर अपने को धन्य मानते थे। यहाँ समय-समय पर वर्ष, उपवर्ष, पिंगल, पाणिनि, पतञ्जलि, कात्यायन, चाणक्य, आर्यभट्ट, बाणभट्ट, वात्स्यायन आदि अपने-अपने विषय के मूर्धन्य विद्वान् हुए।

मुस्लिम एवं ब्रिटिश शासन-काल

इस प्रदेश का वर्त्तमान 'विहार' नाम मुसलमानों के आगमन के बाद पड़ा, जबकि आक्रमणकारियों ने पालवंशियों की मुख्य नगरी उदन्तपुरी विहार (वर्त्तमान विहारशरीफ) को उजाड़कर वहाँ शासन करना आरम्भ किया और उस स्थान का नाम ही वहाँ के असंख्य विहारों के कारण 'बिहार' रखा। 'विहार' कहने से सर्वप्रथम पटना जिले के आस-पास का ही बोध होता था, फिर धीरे-धीरे इसका क्षेत्र बढ़ता गया। सर्वप्रथम प्रान्त के रूप में बिहार का नाम 'तवाकत-ए-नासिरी' नामक पुस्तक में मिलता है, जो सन् १२६३ ई० के लगभग लिखी गई थी। उसके सौ-सवा सौ वर्ष बाद अवहट्ट भाषा में लिखित विद्यापति की कीर्त्तिलता में बिहार का उल्लेख हुआ। मुसलमानी शासन-काल में कभी यह एक स्वतंत्र प्रदेश रहता था, तो कभी बंगाल के साथ और कभी जौनपुर के साथ मिला दिया जाता था। दिल्ली का सम्राट् शेरशाह बिहार का ही एक छोटा जागीरदार था, जो क्रम-क्रम से उन्नति करता हुआ मुगल-सम्राट हुमायूँ को परास्त कर दिल्ली के राज्य-सिंहासन पर बैठा। सहसराम (शाहाबाद) में इसका मकबरा अब भी वर्त्तमान है।

भारत में अँगरेजों के शासन प्रारम्भ करने पर जब यहाँ के लोगों ने प्रथम स्वाधीनता-संग्राम छेड़ा तब उसके नेताओं में शाहाबाद के बाबू कुँवरसिंह अग्रगण्य रहे। अँगरेजी शासन-काल में बिहार बंगाल के साथ था, किन्तु सन् १९१२ ई० में 'बिहार-उड़ीसा' एक अलग प्रान्त बनाया गया। सन् १९३६ ई० में बिहार बिलकुल एक अलग प्रान्त बना दिया गया।



क्षेत्रफल और जन-संख्या

सन् १९६१ ई० की पहली मार्च को जो जन-गणना हुई थी, उसके आँकड़े यहाँ दिये जा रहे हैं। ये आँकड़े अस्थायी' (प्रोविजनल) माने जाते हैं, कारण विभिन्न स्तरों पर जो क्षेत्र-कार्य हुए थे, उन्हीं के आधार पर प्रस्तुत सारांशों से ये लिए गये हैं। अन्तिम आँकड़े जनगणना प्रतिवेदन में पुर्जियों की छँटाई और गिनती के बाद प्रकाशित होंगे, किन्तु विगत जन-गणना के अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अस्थायी एवं अन्तिम आँकड़ों में विशेष भेद होने की संभावना नहीं है। अस्थायी आँकड़ों के अनुसार बिहार की जन-संख्या ४,६४,५७,०४२ बतायी गयी थी। अन्तिम रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक जनसंख्या ४,६४,५५,६१० है। सन् १९५१ ई० में यह संख्या ३,७७,८३,७७८ थी। गत दशाब्द (सन् १९५१-६१ ई०) में जन-संख्या में १९.७८ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे पहले के तीन दशकों में जन-संख्या में

क्रमशः १०.२७ (सन् १९४१-५१ ई०), १२.२० (सन् १९३१-४१ ई०) और ११.४५ (सन् १९२१-३१ ई०) की वृद्धि हुई थी।

सन् १९५१ ई० के आँकड़ों के अनुसार समस्त भारत की जन-संख्या का १०.७४ प्रतिशत बिहार में है। जन-संख्या की दृष्टि से यह भारत का द्वितीय और क्षेत्रफल की दृष्टि से नवाँ राज्य है। विश्व के देशों में केवल १० देश ऐसे हैं, जिनकी जन-संख्या बिहार से अधिक है।

जन-संख्या की सघनता (अर्थात् प्रति वर्गमील पीछे मनुष्यों का वास) इस समय प्रति वर्गमील ६९१ है। सन् १९५१ ई० में यह संख्या ५८० थी। भारत के राज्यों में केवल केरल, पश्चिम बंगाल और मद्रास की जन-संख्या की सघनता सन् १९५१ ई० में बिहार से अधिक थी। सारे भारत में सन् १९५१ ई० में जन-संख्या की सघनता २८७ थी। सन् १९६१ ई० की जन-गणना के अनुसार आबादी की सघनता केरल और पश्चिम बंगाल में बिहार से अधिक है। जम्मू और कश्मीर को छोड़कर समस्त भारत की आबादी की सघनता ३८४ प्रति वर्गमील है। बिहार की जन-संख्या की सघनता इंगलैण्ड, जर्मनी या इटली से अधिक और फ्रांस की लगभग तिगुनी है।

सघनता के आँकड़ों का हिसाब कुल जमीन के क्षेत्रफल पर लगाया गया है। किन्तु, इससे अधिक ठीक-ठीक हिसाब प्रति व्यक्ति पीछे कितनी जमीन पड़ती है, उसके अनुसार लगाया जा सकता है। सन् १९५९-६० ई० के कृषि-वर्ष में बिहार में औसत वास्तविक जोती-बोई जानेवाली जमीन का क्षेत्रफल १९.७१ लाख एकड़ था। यह क्षेत्रफल कुल भूमि का प्रतिशत ४६ भाग पड़ता है। बिहार में जोती-बोई जानेवाली जमीन का प्रतिशत भाग भारत के अन्य किसी भी राज्य से बढ़कर है। अखिल भारतीय औसत केवल प्रतिशत ३३ है। बिहार में प्रति व्यक्ति पीछे भूमि की प्राप्यता ०.७३ एकड़ (सन् १९२१ ई०) से घटकर ०.४३ एकड़ (सन् १९५९ ई०) हो गई है।

बिहार के जिलों में दरभंगा की जन-संख्या सबसे अधिक और धनबाद की सबसे कम है। ८ जिलों की जन-संख्या प्रति जिला ३० लाख से अधिक और ५ जिलों की प्रति जिला २० लाख से ३० लाख तक और केवल ४ जिलों की जन-संख्या प्रति जिला २० लाख से कम है। ४ जिलों की जन-संख्या की सघनता प्रति वर्गमील १,३०० से अधिक है। ये जिले हैं—मुजफ्फरपुर (१,३६४), पटना (१,३६०), सारन (१,३४३) और दरभंगा (१,३२२)। सन् १९५१ ई० में यह क्रम इस प्रकार था—सारन (१,१८२), पटना (१,१६८), मुजफ्फरपुर (१,१६७) और दरभंगा (१,१२२)।

अस्थायी आँकड़ों के अनुसार बिहार में समस्त गृह-परिवारों की संख्या ७७,०४,३६६ है। एक कुटुम्ब में रहकर जो लोग एक सामान्य भोजनशाला से भोजन करते हैं, उन्हें ही यहाँ परिवार माना गया है। एक-एक परिवार के सदस्यों की संख्या औसतन ६.०३ होती है। कम-से-कम लोगों का परिवार सिंहभूम जिले में (४.७७) और अधिक-से-अधिक लोगों का शाहाबाद (६.४४) में दर्ज किया गया है।

जन-संख्या में सबसे अधिक अनुपात में पूर्णिया जिले में वृद्धि (३७·०६) हुई है। इसके बाद दूसरा स्थान सहरसा (३१·६७) का है। धनबाद जिले से प्रतिशत २७·६· की वृद्धि हुई है। हजारीबाग जिले की जन-संख्या में भी अन्य राज्यों की तुलना में औसतन अधिक वृद्धि हुई है।

गया, शाहाबाद, चम्पारन, मुँगेर, भागलपुर और पलामू जिलों की जन-संख्या में जो वृद्धि हुई है, वह समस्त बिहार-राज्य की जन-संख्या-वृद्धि के हिसाब से बहुत कुछ मिलती-जुलती है।

जिन जिलों की जन-संख्या में वृद्धि अपेक्षाकृत कम अनुपात में हुई है, वे हैं—दरभंगा (१७·३२), मुजफ्फरपुर (१६·६२), पटना (१६·३६), राँची (१५·५७), संतालपरगना (१५·१७) और सारन (१३·६४)। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मुजफ्फरपुर, सारन और दरभंगा जिलों की जन-संख्या की सघनता उच्चतम है और इन्हीं तीन जिलों से खेतिहर मजदूर अन्य जिलों में और बिहार से बाहर भी प्रति वर्ष जीविका की खोज में जाया करते हैं।

समस्त राज्य में प्रति १ हजार पुरुषों में स्त्रियों की संख्या ६६१ है। सन् १६५१ ई० में यह संख्या ६६० थी। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या १,६६,३१४ अधिक है। सारन, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिलों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक है। सन् १६५१ ई० में भी यही बात थी। इन तीन जिलों से बहुत-से पुरुष खेतिहर-मजदूरों का जीविकार्जन के लिए बाहर जाना ही इसका प्रधान कारण हो सकता है।

धनबाद जिले में प्रति १ हजार पुरुषों में केवल ७८६ स्त्रियाँ हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि बहुसंख्यक मजदूर, जो कोयले की खानों और दूसरे उद्योगों में काम करते हैं, अपने परिवार साथ नहीं रखते। खानों के अन्दर स्त्रियों के काम करने की मनाही है। पूर्णिया और सहरसा जिलों में और इसके बाद भागलपुर तथा सिंहभूम जिलों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की कम संख्या अधिक स्पष्ट है। गत जन-गणना में भी इसी प्रकार की न्यूनताएँ देखी गई थीं।

जन-गणना में शहर या नगर का अर्थ ऐसे स्थान से है, जहाँ नगरपालिका, अधिसूचित क्षेत्रफल-कमिटी या छावनी हो या जिस जगह को शहर घोषित किया गया हो। नगर माने जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पूर्त्ति आवश्यक है—

(क) ५ हजार से अधिक की आबादी;

(ख) प्रति वर्गमील १ हजार से अधिक मनुष्यों की सघनता;

(ग) वहाँ की जन-संख्या के वयस्क पुरुषों में कम-से-कम ७५ प्रतिशत गैर-किसानी कामों में लगे हुए हों।

बिहार में गाँवों की संख्या ६७,६७० और नगरों की संख्या १०८ है। बिहार की कुल जन-संख्या ४,६४,५५,६१० में केवल ३६ लाख, अर्थात् कुल जन-संख्या का प्रतिशत ८·४ मनुष्य नगरों में रहते हैं। सारे भारत में नगर-निवासियों की जन-संख्या सन् १६५१ ई० में प्रतिशत

१७.३ थी। इधर कुछ वर्षों में भारत के कुछ प्रमुख राज्यों एवं विश्व के कुछ प्रमुख देशों में नगरवासियों की संख्या प्रतिशत नीचे लिखे अनुसार थी—

	वर्ष	प्रतिशत		वर्ष	प्रतिशत
बम्बई	१९५१	३१·१	आसाम	१९५१	४.६
पश्चिम-बंगाल	,,	२४·८	उड़ीसा	,,	४.१
मद्रास	,,	२४·४	अमेरिका	१९४०	५६·५
पंजाब	,,	१८·७	कनाडा	१९४१	५४·३
उत्तरप्रदेश	,,	१३·६	फ्रांस	१९४६	५३·२
मध्यप्रदेश	,,	१२·०	जापान	११४८	४६·१

जिस नगर की आबादी १ लाख से अधिक है, उसे 'सिटी' कहा जाता है। सन् १९५१ ई० में बिहार में पटना, जमशेदपुर, गया, भागलपुर और राँची—ये पाँच सिटी, अर्थात् बड़े शहर थे। इनके साथ और दो बड़े शहर मुजफ्फरपुर और दरभंगा भी गिने जायेंगे। इसके बाद दूसरी श्रेणी में वे शहर आते हैं, जिनकी जन-संख्या ५० हजार और १ लाख के बीच में है। ऐसे शहर ८ हैं। ये हैं—मुँगेर, बिहारशरीफ, आरा, छपरा, दानापुर, कटिहार, धनबाद और जमालपुर।

पटना शहर में गत दशाब्द के बीच जन-संख्या में २७·९९ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे पहले के दशाब्द की तुलना में यह वृद्धि बहुत कम है। गत ४० वर्षों में पटना की जन-संख्या तिगुनी हो गई है।

गत दशाब्द में सर्वाधिक वृद्धि जमशेदपुर की जन-संख्या में हुई है। इसी अवधि में गया में १२·८५ प्रतिशत और राँची में ३०·५० प्रतिशत के हिसाब से वृद्धि हुई है। दूसरी श्रेणी, ५० हजार और १लाख के बीच की जन-संख्या के ८ शहरों में सबसे अधिक धनबाद में प्रतिशत ६८·६६, फिर कटिहार में ४०·२५ और जमालपुर में २८·५९ की वृद्धि हुई है। ये सब उद्योग एवं वाणिज्य के केन्द्र हैं। अन्य नगरों की जन-संख्या में औसतन प्रतिशत १७ से २२ के बीच वृद्धि हुई है।

साक्षरता

जनगणना में साक्षरता का अर्थ होता है—किसी भी भाषा में साधारण अक्षर पढ़ने और लिखने की योग्यता। इस दृष्टि से बिहार में सन् १९५१ ई० में जहाँ साक्षरों की संख्या प्रतिशत १२.१७ थी, वहाँ सन् १९६१ ई० में यह संख्या बढ़कर १८·२३ हो गई है। सन् १९५१ ई० में पुरुषों में साक्षरों की संख्या प्रतिशत २०·४८ थी। सन् १९६१ ई० में यह संख्या, २९·६० है। साक्षर स्त्रियों की संख्या इस समय भी बहुत कम है, प्रतिशत ६·७७; यद्यपि गत दशाब्द में प्रतिशत ८० की वृद्धि हुई है। बिहार की अपेक्षा भारत के कई राज्यों में साक्षरता अधिक है। केरल में प्रतिशत साक्षरों की संख्या ४६·२; गुजरात में ३०·३; मद्रास में ३०·२०; महाराष्ट्र में २९·७०; पश्चिम बंगाल में २९·१०; आसाम में २५·८; मैसूर में २५·३; और पूर्व पंजाब में २३·७ है। अखिल भारतीय औसत २३·७ है।

बिहार में तीन सर्वाधिक साक्षर जिले हैं—पटना (२८·३७), धनबाद (२५·४७) और सिंहभूम (२२·३४)। सन् १९५१ ई० में यह क्रम इस प्रकार था—पटना (२२·०९), सिंहभूम (१८·६७) और धनबाद (१६·०७)। सभी जिलों में साक्षरता में वृद्धि हुई है। फिर भी, बिहार में तीन सर्वाधिक निरक्षर जिले हैं—चंपारन (१२·९९), पलामू (१३·२८) और सहरसा (१३·७५)। सन् १९५१ ई० में यह क्रम इस प्रकार था—चम्पारन (६·४८), पलामू (६·५८) और पूर्णिया (७·११)।

और सब जिलों में जहाँ सभी क्षेत्रों में साक्षरता में वृद्धि हुई है, वहाँ एकमात्र सहरसा ही ऐसा जिला है, जहाँ स्त्रियों की साक्षरता में ह्रास हुआ है। सन् १९५१ ई० में साक्षर स्त्रियों की संख्या प्रतिशत ४·४७ थी, वह सन् १९६१ ई० में घटकर ३·८९ हो गई है। संतालपरगना में स्त्रियों की साक्षरता की संख्या प्रायः ज्यों-की-त्यो रही है।

बिहार के सात बड़े शहरों में प्रतिशत साक्षरता

शहर	व्यक्ति		पुरुष		स्त्री
पटना	५०·४४	...	६२·१०	...	३५·३२
जमशेदपुर	५२·१२	....	६१·७३	...	२६·७६
गया	४४·९६	...	५८·४४	...	२८·८५
भागलपुर	४३·४०	....	५४·७२	...	२९·५५
राँची	५७·२४	...	६६·८५	...	४४·९६
मुजफ्फरपुर	५१:९८	...	६१·६४	...	३८·१३
दरभंगा	३९·६२	...	५४·३१	...	२२·७०

बिहार में सर्वाधिक साक्षर शहर राँची है। इसके बाद जमशेदपुर और मुजफ्फरपुर का स्थान है।

शहरों की जन-संख्या

सन् १९६१ ई० की जन-गणना में बिहार के कुल शहरों की जन-संख्या ३९,०९,३३७ थी; अर्थात्, बिहार की जन संख्या ४,६४,५५,६१० का प्रतिशत ८·४। सन् १९६१ ई० की जन-गणना में शहरों की सूची में ४७ नये स्थान आये हैं और पाँच पहले के शहर सूची से हटा दिये गये हैं।

सारे भारत में शहरों की आबादी की प्रतिशतता सन् १९६१ ई० के जनगणनानुसार १७·८४ है। कुछ राज्यों के तुलनामूलक आँकड़े इस प्रकार हैं—महाराष्ट्र २७·१२; मद्रास २६·७२; गुजरात २५·६१; मैसूर २२·०३; पंजाब २०·१०; केरल ५·०३; मध्यप्रदेश १४·२९ और उत्तरप्रदेश १२·८५। इंगलैंड में सन् १९५१ ई० में शहरों की आबादी की प्रतिशतता ८०·८० और संयुक्तराज्य अमेरिका में सन् १९५० ई० में ६४·०१ थी।

अस्थायी आंकड़ों के अनुसार साक्षरता

जिला	सन् १९६१ ई०			साक्षर व्यक्ति प्रतिशत		प्रतिशत साक्षरता			
						पुरुष		स्त्री	
	साक्षर व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	१९६१	१९५१	१९६१	१९५१	१९६१	१९५१
पटना	८,३४,७९६	६,५४,२६२	१,८०,५२४	२८·३७	२२·०९	४३·०४	३५·७४	१२·६९	७·६०
गया	७,०३,२१९	५,७५,८६६	१,२७,३५३	१९·२८	१४·२४	३१·६५	२४·६०	६·९७	३·७६
शाहाबाद	६,९३,४८०	५,७८,०७१	१,१५,४०९	२१·५२	१५·९१	३५·६४	२७·९१	७·२१	३·४९
सारन	६,५३,८८६	५,४५,९४१	१,०७,९४५	१८·२४	९·४४	३२·४६	१७·१८	५·६७	२·४०
चम्पारन	३,९०,९०८	३,२४,६९०	६६,२१८	१२·९९	६·४८	२१·३६	११·०९	४·४५	१·८२
मुजफ्फरपुर	७,०३,९७०	५,६७,८५०	१,३६,१२०	१७·१०	९·७६	२८·१९	१५·८३	६·४८	३·८६
दरभंगा	७,४३,५६३	६,१२,१६३	१,३१,३८०	१६·८१	९·२०	५८·४७	१३·१७	५·७८	२·५३
मुंगेर	६,३३,९३०	५,११,६९७	१,२२,२३३	१८·७३	१२·१२	३०·०२	१९·७३	७·२७	४·६६
भागलपुर	३,४१,६७८	२,७०,३५२	७१,३२६	१९·९२	११·३६	३०·७९	१८·१९	८·५२	४·२३
सहरसा	२,३६,७९०	२,०४,२१५	३२,५७५	१३·७५	८·८६	२३·०५	१२·७३	३·८९	४·२७
पूर्णिया	४,८८,२४७	४,०६,४३३	८१,८१४	१५·८१	७.११	२५·३१	११·५९	५·५२	२·२६
संतालपरगना	३,८६,३१३	३,२२,३९०	६३,९२३	१४·४५	८·२६	२३'८५	११·६८	४·८३	४·७६
पलामू	१,५९,११३	१,३५,५८४	२३,२२९	१३·३९	६·५८	२२·६१	१०·४०	४·००	२·७०
हजारीबाग	३,४६,१४५	२,९३,०७८	२३,०६२	१४·४६	१०·१३	२४·३६	१५·७१	४·४६	३·३२
रांची	४,००,९५२	३,०७,१६९	९३,७८३	१८·८२	९·८२	२८·५६	१४·६४	८·८७	४·५२
धनबाद	२,९४,८६९	२,४०,७००	५४,१६९	२५·४६	१६·००	३७·१८	२५·९५	१०·६०	४·९८
सिंहभूम	४,५८,५६७	३,५५,१५८	१,०३,४०९	२२·३४	१८·६७	३३·९०	२६·१७	१०·२९	११·२७
समस्त बिहार-राज्य	८४,७०,४२६	६९,०५,६४९	१५,६४,७७७	१८·२३	१२·१७	२९·६०	२०·४८	६·७७	३·७८

विहार एवं उसके विभिन्न जिलों के क्षेत्रफल, सघनता, परिवारों की संख्या, कुल जन-संख्या और पुरुषों तथा स्त्रियों की संख्या, १९६१ ई०

जिला	क्षेत्रफल (वर्गमील में)	सघनता	परिवारों की संख्या	कुल जन-संख्या	पुरुष	स्त्री
पटना	२,१६४	१,३६०	४,७०,६२०	२९,४२,६१४	१५,२०,०१७	१४,२२,५९७
गया	४,७६६	७६५	६,०५,७५४	३६,४७,२६८	१८,१९,५६१	१८,२७,७०७
शाहाबाद	४,४०४	७३२	५,००,१२५	३२,२२,४७९	१६,२१,८३०	१६,००,६४६
सारन	२,६६९	१,३४३	५,६७,५६०	३५,८५,५३१	१६,८३,०९८	१९,०२,४३३
चम्पारन	३,५५३	८४७	५,४६,०५३	३०,०९,८४१	१५,२०,१५४	१४,८९,६८७
मुजफ्फरपुर	३,०१८	१,३६४	७,४०,०४४	४१,१६,३२०	२०,१४,७१०	२१,०१,६१०
दरभंगा	३,३४५	१,३२२	८,४३,४३८	४४,२२,३६३	२१,५०,०८१	२२,७२,२८२
मुंगेर	३,९७५	८५२	६,१७,५१४	३३,८४,८९७	१७,०४,५२०	८६१६,३७७
भागलपुर	२,१७९	७८७	३,११,५२८	१७,१५,१२८	८,७८,१६६	८,३६,९६२
सहरसा	२,०८८	८२५	३,१०,५१७	१७,२२,५४९	८,८६,०१५	८,३६,०४३
पूर्णिया	४,२५७	७२५	५,७६,७१९	३०,८७,४२८	१६,०५,८५६	१४,८१,५७२
संतालपरगना	५,४७१	४८९	५,१३,४७६	२६,७४,३५४	१३,५१,५९८	१३,२२,७५६
पलामू	४,९३०	२४१	२,३१,९२१	११,८७,९१४	५,९९,७६४	५,८८,१५०
हजारीबाग	७,०१०	२४२	४,३८,५२२	२३,९४,३१७	११,०३,३१७	११,९१,०००
राँची	७,०५२	३०२	४,०२,८४६	२१,३३,१८०	१०,७५,४७६	१०,५७,७०४
धनबाद	१,११४	१,०४०	२,३३,६६२	११,५८,३६३	६,४७,३३५	५,११,०२८
सिंहभूम	५,२०४	३९४	४,३०,०८७	२०,५२,४९९	१०,४७,६८०	१०,०४,८१९
बिहार-राज्य	६७,१९८	६९१	७७,०४,३९६	४,६४,५७,०४२	२,३२,२८,१७८	२,३१,२८,८६४

शिक्षा की प्रगति

बिहार-प्रान्त में सन् १६०० ई० में ५ कॉलेज थे—पटना-कॉलेज, पटना का बी० एन० (बिहार नेशनल) कॉलेज, भागलपुर का तेजनारायण जुबली कॉलेज (अब तेजनारायण-बनैली कॉलेज), मुजफ्फरपुर का ग्रियर भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज (अब लंगट सिंह कॉलेज) और हजारीबाग का सेराट कोलम्बा कॉलेज। ये सभी डिग्री कॉलेज थे। सन् १६१० ई० में आकर कॉलेजों की संख्या ८ हुई। इस बीच मुँगेर में एक इराटरमिडिएट तथा पटना में एक लॉ और एक ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना हुई थी। उन दिनों कॉलेजों में बहुत थोड़े लड़के होते थे। सन् १६११-१२ ई० में बिहार-उड़ीसा के अन्दर आर्टस् और साइन्स में युनिवर्सिटी की डिग्री लेनेवालों की संख्या केवल ८६ थी। उन दिनों इस प्रान्त के सभी स्कूल-कॉलेज कलकत्ता-विश्वविद्यालय से सम्बद्ध थे।

सन् १६१२ ई० में बिहार-उड़ीसा प्रान्त बंगाल से अलग किया गया और नवम्बर, सन् १६१७ ई० में पटना-विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तबसे यहाँ की शिक्षा में कुछ अधिक प्रगति हुई। सन् १६२० ई० में एक और इराटरमिडिएट कॉलेज खुलने से प्रान्त के कॉलेजों की संख्या ६ हुई। सन् १६३० ई० में कुल १३ कॉलेज हुए। इनमें ८ आर्टस् और साइन्स के कॉलेज तथा ५ टेक्निकल कॉलेज थे। टेक्निकल कॉलेजों में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज तथा साइन्स कॉलेज नये खुले थे। सन् १६४० ई० तक कॉलेजों की संख्या १६ हुई; क्योंकि इस बीच आर्टस और साइन्स के ३ और कॉलेज खुले थे। इसके बाद के दस वर्षों में कॉलेजों की संख्या पर्याप्त रूप से बढ़ी, इससे सन् १६५० ई० में स्वीकृत कॉलेजों की संख्या ४० हुई। इनमें ३४ डिग्री कॉलेज और ६ इराटरमीडिएट कॉलेज थे। डिग्री कॉलेजों में २४ आर्टस् और साइन्स के तथा १० टेक्निकल कॉलेज थे।

सन् १६१२ ई० में बिहार और उड़ीसा के अन्दर कॉलेजों के छात्रों की संख्या केवल १,४३० थी। पटना युनिवर्सिटी के खुलने पर सन् १६१७ ई० में यह संख्या २,५७५ तक पहुँची। सन् १६५१-५२ में केवल बिहार के कॉलेजों के छात्र-छात्राओं की संख्या २८,८०६ थी।

प्रारम्भ में कॉलेजों के अन्दर प्रायः छात्राएँ नहीं रहती थीं। सन् १६२२ ई० में बिहार और उड़ीसा के अन्दर कॉलेज की छात्राएँ केवल १२ थीं; पर सन् १६३१-३२ ई० में १४; सन् १६३४-३५ ई० में ३२; सन् १६३६-४० ई० में १२७ और सन् १६४०-४१ ई० में १६२ हुईं। सन् १६४२-४३ ई० में आकर कॉलेज की छात्राओं की संख्या २३५ हो गई। सन् १६५१-५२ ई० में केवल बिहार के कॉलेजों में ही छात्राओं की संख्या लगभग एक हजार तक पहुँची।

सन् १६५२ ई० में बिहार में दो विश्वविद्यालय हो गये—पटना विश्वविद्यालय और बिहार-विश्वविद्यालय। इनका सम्बन्ध केवल कॉलेजों से रहा, हाई स्कूलों से नहीं। पटना-विश्वविद्यालय में केवल पटना-कारपोरेशन-क्षेत्र के कॉलेज रह गये। इस विश्वविद्यालय के काम शिक्षण और परीक्षण दोनों थे। बिहार के शेष कॉलेज बिहार-विश्वविद्यालय के अन्दर रखे गये। बिहार-विश्वविद्यालय का कार्यालय भी पटना में ही रहा। सन् १६६० ई० में एक नया अधिनियम पारित करके पटना तथा बिहार-विश्वविद्यालयों के स्थान पर चार क्षेत्रीय विश्वविद्यालय पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और राँची में आयोजित किये गये। सन् १६६१ ई० में एक दूसरा विश्वविद्यालय-अधिनियम पारित हुआ, जिसके अनुसार पटना-विश्वविद्यालय को पुनः आवासीय

विश्वविद्यालय में परिवर्त्तित कर दिया गया और बिहार, भागलपुर और राँची—इन तीन क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त एक और क्षेत्रीय विश्वविद्यालय मगध-विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित हुआ। पटना-निगम-क्षेत्र के कॉलेजों को छोड़कर पटना-प्रमंडल के शेष सभी कॉलेज मगध-विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं। पटना-विश्वविद्यालय तथा चारों क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों के सभी महाविद्यालयों में तीन वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया है, जिसके लिए विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग द्वारा अनुमोदित खर्च के राज्य-सरकार के हिस्से का ५० प्रतिशत अनावर्त्तक अनुदान भी स्वीकृत कर दिया गया है। द्वितीय योजना-काल में सामान्य शिक्षा के महाविद्यालयों की संख्या ५५ से बढ़कर १२४ हो गई। इनके अतिरिक्त १८ व्यावसायिक तथा प्रौद्योगिक महाविद्यालय एवं ६ शोध-संस्थान चल रहे हैं। इन सब महाविद्यालयों में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य के विद्यार्थियों की संख्या गत पाँच वर्षों में ४४ हजार से बढ़कर ६० हजार के लगभग हो गई है। इस अवधि में केवल विज्ञान के विद्यार्थियों की संख्या ६ हजार से बढ़कर २१ हजार के लगभग हुई है। तृतीय योजना के अन्त तक सभी साइन्स कॉलेजों में डिग्री-कोर्स में प्रतिवर्ष ५ हजार छात्रों को भर्ती किया जायगा। दरभंगा में एक संस्कृत विश्व-विद्यालय की स्थापना की गई है।

विश्वविद्यालयी शिक्षा के स्तर को ऊँचा करने के लिए विश्वविद्यालय-विभागों और महाविद्यालयों में प्रयोगशालाओं तथा पुस्तकालयों का विस्तार, छात्रों के लिए छात्रावास तथा शिक्षकों के लिए आवास-गृह-निर्माण की व्यवस्था, गरीब तथा मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्तियाँ तथा वृत्तिकाएँ इत्यादि योजनाएँ, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में चालू की गईं, विस्तृत रूप में तृतीय योजना में चालू रखी जायेंगी। तृतीय योजना में विज्ञान की पढ़ाई पर विशेष रूप से ध्यान दिया जायगा। अभी विज्ञान पढ़नेवाले छात्रों की संख्या समस्त छात्रों की संख्या का २३·६ प्रतिशत है। तृतीय योजना-काल में इसे बढ़ाकर कम-से-कम ३० प्रतिशत कर देने का विचार है। इन विश्वविद्यालयों में विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर शिक्षा की व्यवस्था की जायगी।

बिहार के विश्वविद्यालय में सामान्य शिक्षा प्राप्त करनेवाले छात्रों की संख्या

	१९५०-५१ वास्तविक	१९५५-५६ वास्तविक	१९६०-६१ प्राक्कलित
(क) इंटरमीडिएट			
बालकों की संख्या	१४,५०५	२६,८०२	६०,०००
बालिकाओं की संख्या	५४१	१,५०४	३,५००
विज्ञान के छात्रों की संख्या	२,८२५	७,२६०	१६,०००
(ख) स्नातक-वर्ग			
बालक	५,७४३	१०,१०४	२०,०००
बालिकाएँ	२२१	५६४	१,५००
विज्ञान के छात्र	३६२	१,३६३	२,८००
(ग) स्नातकोत्तर			
छात्र	५५६	२,०६२	३,६५०
छात्राएँ	६८	१५२	३५०
विज्ञान के छात्र	१२४	४२०	६२०

प्रौद्योगिक शिक्षा की प्रगति

	प्राक्-योजना	प्रथम योजना	द्वितीय योजना	तृतीय योजना (लक्ष्य)
(क) डिग्री कॉलेजों की संख्या....	१	३	४	५
(ख) डिग्री कॉलेजों में छात्रों के लिए स्थान ...	७२	१६२	१,०४८	१,३६२
(ग) स्कूल और डिप्लोमा प्रदान करनेवाले संस्थान	२	५	१२	२५
(घ) उक्त स्कूलों और संस्थानों में छात्रों के स्थानों की संख्या	१००	३६०	१,५६५	२,६७५

माध्यमिक (सेकेण्डरी) शिक्षा की प्रगति

	प्राक्-योजना	प्रथम योजना	द्वितीय योजना	तृतीय योजना (लक्ष्य)
(१) स्कूलों की संख्या ...	६४३	६६३	१,५१५	१,८५०
(२) छात्रों की संख्या	१·०५ लाख	१·४७ लाख	३·१ लाख	५·० लाख
(३) मैट्रिकुलेट				
(क) बालक	१३,६६३	३१,२२६	५०,०००	७५,००
(ख) बालिकाएँ	७४२	१,६४३	५,०००	१०,०००
	१४,४०५	३३,१७२	५५,०००	८५,००००
(४) शिक्षकों की संख्या....	८,१०८	१०,६६४	१३,५००	१८,०००
(५) प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या ...	१,२४४	४,२५५	७,०००	१२,०००
(६) ट्रेनिंग कॉलेजों की संख्या ...	१	५	५	७
(७) ट्रेनिंग कॉलेजों से नियमित रूप में निकलनेवाले प्रशिक्षणार्थी	६३	४६४	६००	१,१५०

प्राइमरी और मिडूल शिक्षा की प्रगति

	प्राक्-योजना	प्रथम योजना	द्वितीय योजना	तृतीय योजना (लक्ष्य)
(१) विद्यालयों की संख्या	२३,६६६	२६,५४६	३८,०००	४५,०००
(२) छात्रों की संख्या	१·६८ लाख	२१·५ लाख	३७·५ लाख	४८ लाख
(३) शिक्षकों की संख्या	५८,११६	६८,०४०	८७,३००	१,३५,३००
(४) प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या ...	२६,०५४	३६,६६१	६०,०००	१,००,३५०
(५) ट्रेनिंग स्कूलों की संख्या	६६	६४	१०१	१०१
(६) ट्रेनिंग स्कूल से निकलनेवाले प्रशिक्षणार्थी	२,०४५	५,१८६	६,०००	८,५००

समाज और युवा-कल्याण

बिहार में सामाजिक या वयस्क-शिक्षा का कार्य मार्च, १९३८ ई० से आरम्भ हुआ था, जबकि साक्षरता के प्रचार के लिए एक योजना बनाई गई थी। सन् १९५० ई० और सन् १९६२ ई० में इस योजना पर पुनः विचार किया गया और इसके लिए नवीन कार्यक्रम तैयार किये गये। इस कार्यक्रम के सात मुख्य अंग इस प्रकार हुए--(१) वयस्कों तथा स्कूल न जा सकनेवाले बच्चों की शिक्षा; (२) वैयक्तिक और सामाजिक स्वच्छता; (३) स्वास्थ्य, सफाई और चिकित्सा; (४) मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्य; (५) सामाजिक बुराइयों का निराकरण; (६) आर्थिक विकास तथा (७) प्रकाशन और प्रचार।

बिहार के १७ जिलों में सामाजिक शिक्षा के छोटे-छोटे कुल १,०८० केन्द्र हैं। इनमें अधिकांश राष्ट्रीय प्रसार-सेवा-प्रखण्ड (N. E. S. Block) में हैं। ये ब्लॉक स्वतन्त्र रूप से भी कुछ केन्द्र चलाते हैं। कुछ केन्द्रों से सम्बद्ध १३३ भ्रमणशील पुस्तकालय हैं।

समाज-शिक्षा के लिए इन दिनों तीन जनता कॉलेज चलाये जा रहे हैं--(१) तुर्की (मुजफ्फरपुर), (२) रामबाग (बिहटा, पटना) और (३) नगरपारा (भागलपुर)। इनके अतिरिक्त दो सामाजिक कार्यकर्त्ता-प्रशिक्षण-संस्थान हैं, जिनमें एक देवघर में (केवल महिलाओं के लिए) है। कुछ प्रमुख उच्च विद्यालयों एवं सुसंगठित पुस्तकालयों से सम्बद्ध ३३७ समाज-शिक्षा-प्रशिक्षक हैं। प्रत्येक राष्ट्रीय प्रसार-सेवा-प्रखंड में दो समाज-शिक्षा-संगठनकर्त्ता हैं। जनता के मनोरंजन एवं समाज-शिक्षण के लिए संपूर्ण राज्य में चार मोद-मंडलियाँ, एक प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण-दल तथा पाँच यात्रा-पार्टियाँ हैं, जिनमें ६० कलाकार काम करते हैं।

सामाज-शिक्षा के लिए १ फिल्म-लाइब्रेरी है, जिसमें २११ फिल्में संग्रहीत हैं। समाज-शिक्षा के कार्य में लगी हुई संस्थाओं को ३५६ रेडियो-सेट और १०७ मैजिक-लैंटर्न दिये गये हैं। समाज-शिक्षा-परिषद् की ओर से एक ध्वनि-फिल्म और ८ न्यूज-रील तैयार किये गये हैं। परिषद् के अधीन श्रव्य-दृश्य शिक्षा-परिषद् (ऑडियो-विजुअल एडुकेशन-बोर्ड) कायम है। इस योजना के अनुसार विभिन्न स्थानों में घूम-घूमकर गोष्ठियाँ की जाती हैं।

इस समय समाज-शिक्षा के लिए प्रति सप्ताह 'जन-जीवन' नाम की पत्रिका निकल रही है। यहाँ से विभिन्न विषयों पर छोटी-छोटी सवा सौ पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं।

१५ अगस्त, १९६२ से शिक्षा विभाग के अन्तर्गत समाज और युवा-कल्याण नामक एक नये विभाग का संगठन हुआ है। इसके लिए स्थायी रूप से एक पृथक् निदेशक की नियुक्ति की गई है। इस विभाग के अंतर्गत समाज-शिक्षा, सार्वजनिक पुस्तकालय-सेवा, सांस्कृतिक कार्य, युवा-कल्याण, खेल-कूद (स्कूल-कॉलेजों के खेलों को छोड़कर), वेश्यावृत्ति से उबारी गई स्त्रियों, अनाथ बच्चों, विधवाओं की सुरक्षा और देखभाल तथा इसी प्रकार के अन्य विषय रखे गये हैं। श्रीनवलकिशोर गौड़ इसके वर्त्तमान निदेशक हैं।

आयुर्वेदिक और तिब्बी शिक्षा

पहले आयुर्वेदिक शिक्षा संस्कृत-एसोसिएशन की कुछ पाठशालाओं में और तिब्बी या हकीमी तालीम मदरसों में दी जाती थी। सन् १९२६ ई० से इनके लिए अलग-अलग स्कूल खोले गये। दोनों स्वदेशी औषधि-विभाग की देखभाल के लिए सुपरिण्टेण्डेण्ट और डिप्टी-सुपरिण्टेण्डेण्ट रहते हैं। इस समय सुपरिण्टेण्डेण्ट श्रीबिक्कू सिंह और डिप्टी-सुपरिण्टेण्डेण्ट

श्री ए० अहमद हैं। दोनों प्रकार की परीक्षाओं के लिए अलग-अलग परीक्षा-समितियाँ हैं। इस समय बिहार में निम्नलिखित पाँच आयुर्वेदिक कॉलेज और एक तिब्बी कॉलेज हैं—

१. आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना;
२. यतीन्द्रनारायण अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज, भागलपुर;
३. अयोध्या-शिवकुमारी आयुर्वेदिक कॉलेज, बेगूसराय (मुंगेर);
४. आयुर्वेदिक कॉलेज, मधुबनी;
५. आयुर्वेदिक कॉलेज, मोतिहारी;
६. तिब्बी कॉलेज, पटना।

संस्कृत-शिक्षा

बिहार-उड़ीसा में संस्कृत-शिक्षा का प्रचार और प्रसार एवं उसकी परीक्षा आदि की व्यवस्था के लिए सन् १९१५ ई० में सरकार के प्रबन्ध में बिहारोत्कल संस्कृत-समिति की स्थापना की गई थी। उस समय इसका कार्यालय मुजफ्फरपुर में रखा गया था; पर सन् १९२० ई० में यह पटना लाया गया। उड़ीसा की अपनी संस्कृत-समिति अलग बन जाने पर इस समिति का कार्य-क्षेत्र बिहार तक ही सीमित रहा और इसका नाम बिहार-संस्कृत-समिति या बिहार संस्कृत-एसोसिएशन पड़ा। बिहारोत्कल संस्कृत-समिति पहले बंगाल की भाँति अन्तिम परीक्षा पर 'तीर्थ' की उपाधि देती थी, पर सन् १९२० ई० से 'उपाध्याय' की उपाधि और सन् १९२५ ई० से 'आचार्य' की उपाधि देने लगी। सन् १९३३ ई० से आचार्य के नीचे शास्त्री की उपाधि देना भी आरम्भ किया गया।

इन दिनों संस्कृत की चार परीक्षाएँ होती हैं—प्रथमा, मध्यमा, शास्त्री और आचार्य। सन् १९५४ ई० से प्रत्येक परीक्षा प्राचीन एवं नवीन—इन दो पद्धतियों से होने लगी है। नवीन पद्धति में अनेक आधुनिक विषय भी हैं। प्रथमा परीक्षा के पूर्व प्रवेशिका परीक्षा का प्रबन्ध विद्यालय करता है। प्रतिवर्ष हजारों परीक्षार्थी इन परीक्षाओं में बैठते हैं।

बिहार में संस्कृत के १५ महाविद्यालय, लगभग चार सौ विद्यालय और सात-आठ सौ पाठशालाएँ हैं। राज्य के प्रत्येक जिले में एक-एक राजकीय संस्कृत विद्यालय है, जहाँ नवीन पद्धति से पढ़ाई होती है।

जहाँ केवल प्रथमा तक की पढ़ाई होती है, उसे पाठशाला; जहाँ उससे ऊपर की शिक्षा दी जाती है, उसे विद्यालय और जहाँ कम-से-कम पाँच विषयों में शास्त्री और आचार्य की पढ़ाई होती है, उसे महाविद्यालय कहते हैं।

बिहार के नीचे लिखे १५ महाविद्यालयों में प्रथम चार राजकीय महाविद्यालय और शेष ११ राजकीय सहायता-प्राप्त महाविद्यालय हैं—(१) धर्म-समाज संस्कृत-कॉलेज, मुजफ्फरपुर; (२) पटना राजकीय संस्कृत-महाविद्यालय; (३) भागलपुर राजकीय संस्कृत महाविद्यालय; (४) गणपति राजकीय संस्कृत-महाविद्यालय, राँची; (५) महारानी रमेश्वरलता विद्यालय, दरभंगा; (६) महारानी महेश्वरलता विद्यापीठ, लहना रोड (दरभंगा); (७) हरिहर संस्कृत-कॉलेज, बकुलहर-मठ (चम्पारन); (८) सोमेश्वरनाथ संस्कृत-महाविद्यालय, अरेराज (चम्पारन); (९) रामनिरंजन दास मुरारका संस्कृत महाविद्यालय; चौक, पटना सिटी; (१०) संस्कृत कॉलेज, धनामठ, राजीपुर (पटना);

(११) राजेन्द्र संस्कृत-महाविद्यालय, तरेतपाली (पटना); (१२) व्रजभूषण संस्कृत-कॉलेज, गया; (१३) अवधविहारी संस्कृत-कॉलेज, रहीमपुर (मुंगेर); (१४) बालानन्द संस्कृत-कॉलेज, करनीबाद, देवघर और (१५) प्रतापनारायण संस्कृत कॉलेज, लक्ष्मीपुर (भागलपुर)।

सन् १९६० ई० में दरभंगा में कामेश्वर सिंह संस्कृत-विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। दरभंगा के स्व० महाराजाधिराज डा० कामेश्वर सिंह ने इस विश्वविद्यालय के लिए बहुत बड़ी भूमि, कई भवन और पुस्तकालय का दान दिया था। इसके उप-कुलपति श्री श्रीधर वासुदेव सोहनी हैं।

सन् १९६० ई० से बिहार-संस्कृत-समिति का नाम बदलकर बिहार-संस्कृत-शिक्षा-परिषद् रखा गया है। अब संस्कृत की विभिन्न परीक्षाएँ लेने का काम संस्कृत-विश्वविद्यालय को सौंप दिया गया है। बिहार-संस्कृत-शिक्षा-परिषद् का काम अब संस्कृत-विद्यालयों एवं महाविद्यालयों का निरीक्षण करना, अध्यापकों की नियुक्ति करना तथा सब प्रकार की प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवस्था करना रह गया है।

इस्लामी शिक्षा

बिहार में इस्लामी शिक्षा के लिए तीन तरह की संस्थाएँ हैं—मदरसा, मकतब और उर्दू प्राइमरी स्कूल। मदरसों और मकतबों को सरकार से या जिला-बोर्डों या म्युनिसिपैलिटियों से सहायता मिलती रही है।

सरकार द्वारा संगठित मदरसा-परीक्षा-बोर्ड द्वारा उस्तानिया, फौकानिया, मौलवी-आलिम और फाजिल नामक परीक्षाएँ ली जाती हैं। उस्तानिया सबसे छोटी परीक्षा है और फाजिल सबसे बड़ी। अन्तिम चार परीक्षाओं की पढ़ाई दो-दो वर्षों की है।

बिहार में स्वीकृत मदरसों की संख्या मार्च, १९५४ तक ५८ थी। इनमें तीन मदरसों में फाजिल, ७ में आलिम, ७ में मौलवी, १० में फौकानिया और ३० में उस्तानिया तक की पढ़ाई है। तीन फाजिल मदरसे हैं—मदरसा इस्लामिक शमशुल हुदा, पटना; मदरसा सुलेमानी, पटना सिटी और मदरसा अजीजिया, बिहारशरीफ। इनमें पहला मदरसा, इस्लामिक शमशुल हुदा सरकारी मदरसा है। प्रान्त में कई स्वतन्त्र मदरसे भी हैं।

अन्य प्रमुख शिक्षा-संस्थाएँ

चित्र और मूर्त्तिकला-विद्यालय, पटना—सन् १९३९ ई० में चित्रकला की शिक्षा देने के लिए पटना स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की गई थी। १६ नवम्बर, १९४८ को यह सरकारी प्रबन्ध में आ गया और इसका नाम गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स ऐण्ड क्रैफ्ट्स रखा गया। इस समय इस विद्यालय में पाँच मुख्य विभाग हैं—ललित चित्रकला, व्यावसायिक चित्रकला, मूर्त्ति-निर्माण, शिल्प और प्रमाणपत्र-पाठ्यक्रम। सन् १९५९ ई० से यहाँ फोटोग्राफी-विभाग भी खुला है। यहाँ का पाठ्य-क्रम ६ वर्षों का है। अक्टूबर, १९५७ ई० से विद्यालय अपने नये भवन में आ गया है। यहाँ छात्रावास का भी प्रबन्ध है। यहाँ मई मास में छात्रों की वार्षिक परीक्षा होती है। इस समय यहाँ की चित्रशाला में साढ़े तीन सौ से अधिक चित्र हैं। इसके

पुस्तकालय में डेढ़ हजार से अधिक पुस्तकें हैं, जिनमें बहुत-सी अप्राप्य पुस्तकें भी हैं। यहाँ प्रतिवर्ष अखिलभारतीय कला-प्रदर्शनी होती है। यहाँ के प्राचार्य श्रीराधामोहन हैं। यह विद्यालय भारत के पाँच प्रमुख चित्रकला-विद्यालयों में एक है। चार विद्यालय क्रमशः कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और लखनऊ में हैं।

भारतीय नृत्यकला-मन्दिर, पटना—बालिकाओं को संगीत और नृत्य की शिक्षा देने के लिए पटना में सन् १९४९ ई० में भारतीय नृत्यकला-मन्दिर की स्थापना हुई थी। अब इसका एक अपना भवन भी बन गया है। नृत्य में यहाँ मणिपुरी, कथाकली और भरतनाट्यम् की शिक्षा दी जाती है। इसके अतिरिक्त लोकनृत्य भी यहाँ सिखाया जाता है। संगीत में प्राचीन संगीत, रवीन्द्र-संगीत, भजन और गीत तथा वाद्य में मृदंग और वायलिन की शिक्षा दी जाती है। यहाँ की शिक्षा चार वर्षों की है। इस संस्था के निदेशक श्रीहरि उप्पल हैं। करीब चार वर्षों से इस संस्था द्वारा बिहार के लोकनृत्य पर सर्वेक्षण एवं अनुसंधान-कार्य चल रहा है। यहाँ के छात्र-छात्राओं द्वारा विभिन्न अवसरों पर नृत्य-संगीत-कला का प्रदर्शन होता रहता है।

हिन्दी-विद्यापीठ, वैद्यनाथ-देवघर—हिन्दी-विद्यापीठ का संगठन सन् १९२७ ई० में किया गया और इसकी ओर से स्वतन्त्र परीक्षाएँ चलाई गईं। ये परीक्षाएँ हैं—प्रवेशिका, साहित्य-भूषण और साहित्यालंकार। अब अहिन्दी-भाषा-भाषियों को हिन्दी की साधारण जानकारी की परीक्षा लेकर 'हिन्दी-विद्' का प्रमाण-पत्र भी दिया जाने लगा है। सन् १९४० ई० में बिहार-सरकार ने पूर्वोक्त तीनों परीक्षाओं को सरकारी विद्यालयों की क्रमशः मैट्रिक, आई० ए० और बी० ए० परीक्षाओं के समकक्ष घोषित किया। इस समय भारत में इसके करीब छह सौ केन्द्र हैं, जिनमें लगभग डेढ़ सौ केन्द्र बिहार में हैं। संप्रति विद्यापीठ से भारत की १७ विभिन्न संस्थाएँ सम्बद्ध हैं। इसके वर्त्तमान उपकुलपति श्री मनोरंजनप्रसाद सिंह हैं।

हिन्दी-विद्यापीठ के अन्तर्गत गोवर्द्धन-साहित्य-महाविद्यालय-विभाग, ग्राम-सेवाश्रम-विभाग तथा उद्योग-विभाग भी हैं। ग्राम-सेवाश्रम-विभाग के अधीन ५० केन्द्र हैं। इन केन्द्रों में प्राथमिक शिक्षा का प्रबन्ध है तथा कुछ अन्य रचनात्मक कार्य भी होते हैं। विद्यापीठ के अपना प्रेस और प्रकाशन भी हैं।

गुरुकुल-महाविद्यालय, वैद्यनाथधाम—इसकी स्थापना पं० रामचन्द्र द्विवेदी द्वारा सन् १९२४ ई० में हुई थी। इसका उद्देश्य वैदिक धर्म और भारतीय संस्कृति के आधार पर बालकों को शिक्षा देकर उनका शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नयन करना है। यह एक स्वतन्त्र राष्ट्रीय शिक्षण-संस्था है। गुरुकुल की ओर से छात्रों को 'विद्यारत्न' की उपाधि दी जाती है। यहाँ के छात्र शास्त्री, मैट्रिक और विशारद की परीक्षा में भी बैठते हैं। इसके अन्तर्गत कृषि-विभाग, उद्योग-शाला, गोशाला, औषधालय तथा पुस्तकालय और वाचनालय हैं। गुरुकुल के अधिकार में ९९ एकड़ भूमि है, जिसमें इसके विभिन्न भागों के भवन बने हुए हैं। इसके मुख्याधिष्ठाता श्रीमहादेवशरण हैं।

नेत्रहीन-विद्यालय—बिहार में तीन नेत्रहीन-विद्यालय हैं—पटना नेत्रहीन-विद्यालय, कदमकुआँ, पटना; एस० पी० जी० ब्लाइण्ड स्कूल, राँची और नेत्रहीन छात्र-विद्यालय, मुन्दीचक, भागलपुर।

मूक-बधिर-विद्यालय—विहार में गूँगों और बहरों के लिए दो विद्यालय हैं—गूँगा स्कूल, पटना और क्षितीश बहरा-गूँगा-स्कूल, निवारणपुर, पो० हिनू, राँची।

उपर्युक्त शिक्षा-संस्थाओं के अतिरिक्त राँची में एक विकास-विद्यालय है, जो आवासीय विद्यालय है तथा अजमेर के सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एडुकेशन से सम्बद्ध है। नेतरहाट (पलामू) में बिहार-सरकार के शिक्षा-विभाग द्वारा संचालित नेतरहाट पब्लिक स्कूल नामक एक आवासीय विद्यालय है, जहाँ चुने-चुनाये छात्रों को उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा दी जाती है। भागलपुर जिले में मन्दार पर्वत के निकट मन्दार विद्यापीठ नामक एक विद्यालय है, जहाँ भारतीय संस्कृति के अनुरूप शिक्षा का विशेष प्रबन्ध है। लक्खीसराय (मुँगेर) में बालिका विद्यापीठ नामक एक स्वतंत्र विद्यालय है, जहाँ भारतीय पद्धति से छात्राओं को माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा दी जाती है।

द्वितीय एवं तृतीय योजनाओं में शिक्षा की प्रगति

सन् १९६१-६२ ई० में 'शिक्षा' शीर्षक के अन्तर्गत विभिन्न विषयों पर १५,८४,९४,०००) रु० खर्च करने का प्रस्ताव था, जिसमें ३,४६,५७,५००) रु० तृतीय योजनाओं के अन्तर्गत रखे गये थे। इसके पूर्व के वित्तीय वर्ष में शिक्षा के अन्तर्गत १३,१०,४९,०००) रु० का उपबन्ध था। इस तरह सन् १९६१-६२ ई० में पिछले वर्ष से २,६४,४५,०००) रु० अधिक खर्च की व्यवस्था थी। सन् १९६१-६२ ई० में ८,४९,००,०००) रु० प्राथमिक शिक्षा के लिए; २,१६,३८,०००) रु० माध्यमिक शिक्षा के लिए; १,९२,९८,०००) रु० विश्वविद्यालयी शिक्षा के लिए और ३,२६, ५८,०००) रु० अन्य प्रकार के शिक्षा-विषयों के लिए रखे गये थे।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सामान्य शिक्षा के विकास के लिए २० करोड़ ५० लाख ४० हजार रुपये की सीमा इस राज्य के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन इस मद में केवल १७ करोड़ रुपये ही शिक्षा-विकास-कार्यों के लिए प्राप्त हो सके। इनके अतिरिक्त करीब १ करोड़ रुपये केन्द्र-संचालित योजनाओं पर खर्च हुए हैं।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर कुल २४ करोड़ ३ लाख रुपये के व्यय का लक्ष्य रखा गया है, जिसका ब्योरा इस प्रकार है—

		करोड़ रुपयों में
(क)	प्राथमिक शिक्षा ...	९.४४
(ख)	माध्यमिक शिक्षा ...	७.१४
(ग)	विश्वविद्यालय एवं अनुसन्धान ...	५.३७
(घ)	सामाजिक एवं श्रव्य-दृश्य शिक्षा....	०.४७
(च)	शारीरिक शिक्षा	०.९४
(छ)	विविध	०.२४
(ज)	वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक शिक्षा....	०.४३
	कुल—	२४.०३

प्राथमिक, मिड्ल तथा बुनियादी शिक्षा

द्वितीय योजना के प्रारम्भ में प्राथमिक कक्षाओं में करीब १८ लाख ६० हजार छात्र-छात्राएँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। सन् १९६०-६१ ई० के वित्तीय वर्ष के आरम्भ में उनकी संख्या बढ़कर करीब २६ लाख ३७ हजार हो गई थी, जो १९६१-६२ के अन्त तक करीब ३२ लाख हो गई। आज बिहार-राज्य में ६ से ११ वर्ष तक के बच्चों की अनुमानित संख्या ५७ लाख ६० हजार है, जिसमें ५५.३ प्रतिशत बच्चे स्कूलों में भरती हैं। तृतीय योजना में ६ से ११ वर्ष के बच्चों के लिए अपेक्षित सभी स्कूलों की स्थापना कर देना और उनमें से कम-से-कम ७५ प्रतिशत को स्कूलों में भरती करना है। बिहार-राज्य में ४५ हजार प्राथमिक स्कूलों की आवश्यकता है, जिनमें ३८ हजार से अधिक स्कूल अबतक खोले जा चुके हैं। शेष लगभग ७ हजार स्कूलों में अधिकांश शीघ्र ही स्थापित हो जायेंगे। तृतीय योजना के अन्त तक इस राज्य में ६ से ११ वर्ष के बच्चों की संख्या करीब ६४ लाख हो जाने की आशा है। इस अवधि के अन्त तक करीब ४८ लाख बच्चे स्कूलों में शिक्षा पाने लगेंगे, जिनमें ३० लाख लड़के और १८ लाख लड़कियाँ होंगी। तृतीय योजना के अन्त तक इस उम्र के करीब ६३.५ प्रतिशत लड़के और ५६.४ प्रतिशत लड़कियाँ स्कूलों में पढ़ती रहेंगी। सन् १९६१-६२ ई० में साढ़े तीन लाख अतिरिक्त बच्चों को भरती करने का लक्ष्य रखा गया था। सन् १९६५-६६ ई० तक शिक्षा-क्षेत्र में १६.३ प्रतिशत की वृद्धि होगी। तृतीय योजना के अंत तक १.३५ लाख शिक्षक तैयार होंगे, जिनमें १ लाख शिक्षक ११२ प्रशिक्षण-विद्यालयों में प्रशिक्षित होंगे।

द्वितीय योजना-काल में स्कूलों में ११ से १४ वर्ष के बच्चों की संख्या २ लाख ६१ हजार से बढ़कर साढ़े पाँच लाख तक पहुँच जाने की आशा की गई थी। तृतीय योजना-काल में इसे बढ़ाकर करीब ६ लाख २५ हजार करने का लक्ष्य है। इस तरह तृतीय योजना के अन्त में इस उम्र के करीब २७.६ प्रतिशत बच्चे स्कूलों में शिक्षा पाने लगेंगे, जबकि अभी केवल २० प्रतिशत ही बच्चे शिक्षा पा रहे हैं। इस अवधि में मिड्ल स्कूलों की संख्या ३,८०० से बढ़कर ५,४०० हो जायगी। सन् १९६१-६२ ई० के वित्तीय वर्ष में ३०० नये मिड्ल स्कूल खोलने का प्रस्ताव था। उपर्युक्त लक्ष्याङ्कों की पूर्ति के लिए प्राथमिक स्कूलों में करीब ४० हजार और मिड्ल स्कूलों में ८ हजार अतिरिक्त शिक्षक नियुक्त किये जायेंगे। सन् १९६१-६२ ई० में प्राथमिक स्कूलों में ८ हजार तथा मिड्ल स्कूलों में १,६०० नये शिक्षकों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई थी। इन शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सन् १९५९-६० ई० में २१ तथा १९६०-६१ ई० में १७ नये प्रशिक्षण-विद्यालय खोले गये। इस तरह अवर-स्नातक (अण्डर-ग्रेजुएट) शिक्षकों के लिए कुल १०१ प्रशिक्षण-विद्यालय हो गये हैं। तृतीय योजना-काल में करीब ४० हजार शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। ये सभी प्रशिक्षण-विद्यालय बुनियादी शिक्षा की पद्धति पर संयोजित किये जा रहे हैं।

राज्य-सरकार ने प्राथमिक तथा मिड्ल स्तर पर बुनियादी शिक्षा की पद्धति अपनाने का फैसला किया है। तृतीय योजना-काल के अन्त तक सभी प्राथमिक एवं मिड्ल स्कूलों को इस योजना के दायरे में लाया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त करीब ३ हजार मिड्ल स्कूल धीरे-धीरे बुनियादी पद्धति में बदल दिये जायेंगे।

उच्च माध्यमिक विद्यालय

माध्यमिक शिक्षा-आयोग की बहुत-सी सिफारिशों को राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लागू कर दिया गया है। अभी तक लगभग १,५०० स्वीकृति-प्राप्त उच्च विद्यालयों में से, १८० विद्यालयों को बहुद्देशीय या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में उत्क्रमित कर दिया गया है। तृतीय योजना-काल में करीब ६०० अतिरिक्त स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में उत्क्रमित करने का प्रस्ताव है। सन् १९६१-६२ ई० में उत्क्रमित होनेवाले स्कूलों की संख्या करीब ७० थी। वर्त्तमान ६५ राज्य-साहाय्य-प्राप्त हाइ स्कूलों के विकास के अलावा संतालपरगना और छोटानागपुर के पिछड़े हुए इलाकों में ७५ नये उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्थापित किये जायेंगे—५० बालकों के लिए और २५ बालिकाओं के लिए। अब जितने नये स्कूल खुलेंगे, सब उच्चतर माध्यमिक ही होंगे। यह अनुमान किया जाता है कि सरकार तथा जनता के सहयोग से तृतीय योजना के अन्त तक उच्च माध्यमिक स्कूलों की संख्या इस राज्य में करीब १,८५० हो जायगी, जिनमें करीब ६०० उच्चतर माध्यमिक या बहुद्देशीय विद्यालय होंगे।

इन विद्यालयों में १४ से १७ वर्ष की आयु के ५ लाख बच्चे शिक्षा प्राप्त करेंगे। सन् १९६५-६६ ई० तक मैट्रिक पास लड़कों की संख्या ५५ हजार से बढ़कर ८५ हजार हो जायगी। तृतीय योजना के अन्त तक इन माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या १८ हजार हो जायगी, जिनमें से १० हजार शिक्षक ६ प्रशिक्षण-महाविद्यालयों में प्रशिक्षित होंगे।

द्वितीय योजना-काल में स्कूलों में शिक्षा पानेवाले १४ से १७ वर्ष के बच्चों की संख्या एक लाख ४७ हजार से बढ़कर तीन लाख १० हजार हो गई। तृतीय योजना-काल में एक लाख ९० हजार अतिरिक्त बच्चों को स्कूलों में भरती करने का लक्ष्य है। इस तरह सन् १९६५-६६ ई० तक इस उम्र के करीब १८ प्रतिशत बच्चे स्कूलों में शिक्षा पाने लगेंगे, जिनमें ३१·४ प्रतिशत लड़के और ४·३ प्रतिशत लड़कियाँ होंगी। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अखिलभारतीय प्रतिशतता तृतीय योजना-काल के अंत में क्रमशः ७८·८ प्रतिशत, २८·४ प्रतिशत और १५·१ प्रतिशत तक पहुँच जाने की आशा की जाती है। उपर्युक्त अवधि में बिहार में यह संख्या क्रमशः ६७·२ प्रतिशत, २६ प्रतिशत और १७·१ प्रतिशत होगी। द्वितीय योजना-काल में करीब १५० माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त करने के लिए वित्तीय सहायता दी गई है। तृतीय योजना-काल में २५० और विद्यालयों को इस मद में सहायता देने का प्रस्ताव है। माध्यमिक विद्यालयों की सामान्य स्थिति में सुधार लाने के अलावा पुस्तकालयों तथा प्रयोगशालाओं के विस्तार, साधारण स्नातक शिक्षकों की योग्यता बढ़ाने की सुविधाएँ तथा गरीब और मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता देने की भी व्यवस्था है।

स्त्री-शिक्षा

इस समय स्कूलों में ११ वर्ष के बच्चों में से तीन-चौथाई लड़के और एक-चौथाई लड़कियाँ हैं। ११ से १४ वर्ष के बच्चों में जहाँ आठ लड़के पढ़ते हैं, वहाँ एक लड़की तथा १४ से १७ वर्ष की उम्र में जहाँ १४ लड़के पढ़ते हैं, वहाँ एक लड़की पढ़ती है। तृतीय योजना-काल में

लक्ष्य के अनुसार १६ लाख अतिरिक्त बच्चों में से १० लाख केवल लड़कियों को ही स्कूलों में लाना है। इस योजना के अन्त में लड़कों और लड़कियों का अनुपात ५ और ३ का कर देने का प्रस्ताव है। इस तरह, ११ से १४ और १४ से १७ वर्ष की लड़कियों के क्रमशः ११·४ प्रतिशत तथा ४·३ प्रतिशत लड़कियाँ स्कूलों में पढ़ने लगेंगी। द्वितीय योजना-काल में ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में काम करनेवाली शिक्षिकाओं के लिए करीब १००० आवास-गृह निर्मित करने का लक्ष्य था। तृतीय योजना-काल में इस तरह के और दो हजार आवास-गृह बनेंगे। लड़कियों को ७ वें वर्ग तक मुफ्त शिक्षा दी जायगी।

शारीरिक शिक्षा

शारीरिक उन्नति एवं स्वास्थ्य-शिक्षा के लिए सरकार ने पटना में एक स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा-बोर्ड की स्थापना सन् १९५३ ई० में की थी। इस बोर्ड के १४ सदस्य हैं। यह बोर्ड अखाड़ा, व्यायाम-शाला तथा शारीरिक सुधार के लिए काम करनेवाली अन्य संस्थाओं को अपने कोष से आर्थिक सहायता प्रदान करता है। बिहार में दो शारीरिक शिक्षण-विद्यालय हैं— एक मुजफ्फरपुर में और दूसरा धनबाद में, जो बोर्ड से सम्बद्ध हैं। सन् १९५७ ई० के अगस्त महीने से स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का एक महाविद्यालय स्थायी रूप में कार्य कर रहा है। इस महाविद्यालय के लिए राजेन्द्रनगर, पटना में भवन बना है।

सन् १९६०-६१ ई० तक राज्य के ५७ महाविद्यालयों और १८४ स्कूलों में एन०सी०सी० इन्फैण्टरी की २१३ युनिटें कायम हो चुकी हैं। इनके अलावा ३५ लड़कियों की टुकड़ियाँ, ६ टेक्निकल, १४ हवाई तथा १२ नौसेना की शाखाएँ भी इन महाविद्यालयों और स्कूलों में खोली जा चुकी हैं। करीब ८५० स्कूलों में २,३१० ए० सी० सी० की युनिटें कायम की गई हैं। एन० सी० सी० राइफल्स की २१ कम्पनियाँ कायम की गईं, जिनमें करीब १८ हजार छात्र प्रशिक्षण पा रहे हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना में कॉलेज के लड़कों के लिए एन० सी० सी० राइफल्स की १२० कम्पनियाँ, लड़कियों के लिए ५ सब-ट्रूप्स, स्कूली लड़कों के लिए ए०सी०सी० के १०० ट्रूप्स और लड़कियों के लिए ३० ट्रूप्स तथा नौसेना और हवाई प्रशिक्षण के प्रत्येक के १५ ट्रूप्स, टेक्निकल के १० ट्रूप्स एवं एन० सी० सी० की ५०० युनिटें कायम की जायेंगी।

ग्रामीण उच्चतर शिक्षण-प्रतिष्ठान

भारत-सरकार द्वारा स्थापित 'नेशनल कौन्सिल फॉर रूरल हायर एजुकेशन' नामक संस्था के अधीन सारे देश में १० प्रतिष्ठान प्रयोग के रूप में चलाये जा रहे हैं। इनमें एक बिहार-राज्य के बिरौली (जिला दरभंगा) ग्राम में संचालित हो रहा है। यहाँ शिक्षक तथा छात्र एक साथ रहकर सामुदायिक जीवन व्यतीत करते हैं। अभी इस प्रतिष्ठान में त्रिवर्षीय ग्राम्य सेवा का डिप्लोमा-पाठ्यक्रम चालू है। प्रत्येक छात्र के लिए उद्योग के काम, खेती तथा समाज-सेवा अनिवार्य है। प्रतिवर्ष ५० छात्र भरती किये जाते हैं। भरती होने की न्यूनतम योग्यता हायर सेकेण्डरी या पोस्ट-बेसिक परीक्षोत्तीर्ण होना है। ४० प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है।

प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा

विभिन्न स्तरों पर प्राविधिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए बिहार-राज्य में तीन भिन्न प्रकार के पाठ्य-क्रम प्रचलित हैं—स्नातकोत्तर पाठ्य-क्रम, स्नातक पाठ्य-क्रम और उपाधि-पत्र (डिप्लोमा)-पाठ्य-क्रम।

बिहार इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सिन्दरी में स्नातक-पाठ्यक्रम के अतिरिक्त वैद्युतिक एवं प्राविधिक इंजीनियरिंग के कतिपय विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्य-क्रम की शिक्षा दी जाती है।

स्नातक-पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण निम्नलिखित शिक्षण-संस्थाओं में प्रदान किया जाता है—

(१) बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, पटना;

(२) मुजफ्फरपुर इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुजफ्फरपुर;

(३) बिड़ला-इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा, राँची;

(४) जमशेदपुर इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जमशेदपुर;

(५) भागलपुर इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भागलपुर।

८ इंजीनियरिंग विद्यालयों में डिप्लोमा-पाठ्यक्रम की शिक्षा सिविल, मेकैनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दी जाती है। तीन माइनिंग विद्यालयों में माइनिंग की (खान-सम्बन्धी) शिक्षा दी जाती है। ये सब डिप्लोमा-शिक्षण-संस्थाएँ स्टेट-बोर्ड ऑफ टेक्निकल एडुकेशन से सम्बद्ध हैं। बोर्ड द्वारा ही इनकी परीक्षाओं का परिचालन होता है और वही उपाधि-पत्र प्रदान करता है। पाठ्य-क्रम तीन वर्षों का है।

बिहार-राज्य के अन्तर्गत पटना, दरभंगा और राँची में एक-एक मेडिकल कॉलेज हैं। कृषि की उच्च शिक्षा के लिए सबौर (भागलपुर), काँके (राँची) तथा ढोली (मुजफ्फरपुर) के कृषि-महाविद्यालय हैं। पशु-चिकित्सा की शिक्षा के लिए पटना वेटेरिनरी कॉलेज चल रहा है। दूसरा कॉलेज राँची में खोलने की व्यवस्था की गई है। अभी राँची वेटेरिनरी कॉलेज के कुछ छात्र पटना वेटेरिनरी कॉलेज में ही शिक्षा पाते हैं।

कारीगरी विद्या-प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम—सन् १९६० ई० में बिहार में कुल १७ औद्योगिक प्रशिक्षण-संस्थान थे। बाद में दो और संस्थान—एक डालटनगंज और दूसरा लोहरदगा (राँची) में स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था। इन संस्थानों में प्रशिक्षण की अवधि डेढ़ वर्ष की है। इसके बाद छात्रों को किसी उद्योग में ६ महीने की शिशिक्षुता (अपरेंटिसगिरी) का प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ता है। ये सब संस्थान नेशनल कौन्सिल फॉर ट्रेनिंग इन वोकेशनल ट्रेड्स (National Council for Training in Vocational Trades) के साथ सम्बद्ध हैं। नेशनल कौन्सिल ही परीक्षाओं का परिचालन करती है और उपाधि-पत्र प्रदान करती है।

ऊपर जिन प्राविधिक संस्थानों का उल्लेख किया गया है, उनके अलावा बिहार में भारत-सरकार द्वारा परिचालित प्रशिक्षण-संस्थान 'इण्डियन स्कूल ऑफ माइन्स ऐण्ड जियोलॉजी' (धनबाद) तथा रेल-विभाग और नेशनल कोल डेवलपमेन्ट के प्रशिक्षण-अधिष्ठान भी हैं। निजी उद्योगों में भी प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

डिप्लोमा के स्तर पर प्राविधिक शिक्षा प्रदान करनेवाली संस्थाएँ—(१) तिरहुत स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, मुजफ्फरपुर; (२) राँची स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, राँची; (३) भागलपुर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, भागलपुर; (४) पटना स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, पटना; (५) धनबाद पोलिटेक्निक, धनबाद; (६) पूर्णिया स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, पूर्णिया; (७) स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग दरभंगा; (८) स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, गया; (९) पटना पोलिटेक्निक, गुलजारबाग, पटना; (१०) भागा माइनिंग स्कूल, भागा; (११) माइनिंग इन्स्टिट्यूट, कोडरमा; (१२) माइनिंग इन्स्टिट्यूट, धनबाद।

कारीगरी विद्या की शिक्षा प्रदान करनेवाली संस्थाएँ (पाठ्यक्रम १६ महीना)—(१) इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, दीघा (पटना); (२) इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, राँची; (३) इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्कूल, कोडरमा; (४) इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, दरभंगा; (५) इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग-इन्स्टिट्यूट, भागलपुर; (६) इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, डेहरी; (७) इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, चाईबासा; (८) इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, कटिहार; (९) इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्कूल मुजफ्फरपुर; (१०) इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, धनबाद; (११) इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, गया; (१२) वेलफेयर टेक्निकल स्कूल, दुमका; (१३) वेलफेयर टेक्निकल स्कूल, राँची; (१४) मढ़ौरा टेक्निकल स्कूल, मढ़ौरा (छपरा); (१५) इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, सुपौल; (१६) इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, मोतिहारी; (१७) इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, हजारीबाग; (१८) इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट (वेलफेयर), डालटनगंज; (१९) इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट (वेलफेयर), लोहरदगा, राँची।

१९६३-६४ ई० का शिक्षा-बजट

		(रुपये)
(क)	विश्वविद्यालयी शिक्षा	१,९१,४५,९००
(ख)	माध्यमिक शिक्षा	१,८६,३३,४००
(ग)	प्राथमिक शिक्षा	८,८४,७३,०००
(घ)	विशेष योजनाएँ	८१,९६,४००
(ङ)	विविध	२,२४,८१,८००
(च)	विदेशी विनिमय	४,३००
(छ)	अन्य राज्यों से सम्बन्धित व्यय-राशि	५,२००
	अनुमानित व्यय	कुल १५,६९,४०,०००



भाषाएँ और बोलियाँ

भारतीय आर्यभाषा हिन्दी के अन्तर्गत बिहार में मैथिली, अंगिका, वज्जिका, भोजपुरी, मगही और नागपुरिया उपभाषाएँ या बोलियाँ हैं। बहुत-से लोग इन उपभाषाओं और बोलियों को स्वतन्त्र भाषाएँ ही मानते हैं। ये भाषाएँ क्रमशः प्राचीन जनपद मिथिला, अंग, वैशाली, भोजपुर, मगध और नागपुर या झारखण्ड की भाषाएँ या बोलियाँ हैं।

बिहार में बँगला और उड़िया-भाषाभाषी भी कई लाख की संख्या में हैं। पंजाबी, मारवाड़ी, नेपाली, गुजराती और मराठी भाषाओं में प्रत्येक के बोलनेवाले कई हजार व्यक्ति हैं। सिंधी और असमिया-भाषाभाषियों की संख्या भी हजार या हजार से ऊपर है। इनके अतिरिक्त मुंडा और द्रविड़ भाषा-श्रेणियों की कितनी ही भाषाएँ दक्षिण-बिहार में और विशेषकर छोटानागपुर कमिश्नरी में बोली जाती हैं। इन सबका संक्षिप्त विवरण आगे दिया जाता है—

मैथिली

बिहार की उपर्युक्त उपभाषाओं या भाषाओं में साहित्यिक दृष्टि से मैथिली का स्थान सबसे ऊँचा है। कहते हैं कि मैथिली का रूप दसवीं शताब्दी के आरम्भ में ही स्थिर हो चुका था। इसकी पहली बड़ी रचना ज्योतिरीश्वर ठाकुर का 'वर्णरत्नाकर' है, जो तेरहवीं सदी के लगभग लिखा गया था। चौदहवीं सदी में इसके सर्वश्रेष्ठ कवि विद्यापति हुए, जो सूर, तुलसी, मीराँ और कबीर के भी पूर्ववर्ती बताये जाते हैं। विद्यापति के पदों का प्रचार समस्त पूर्वी भारत में हुआ। अब तो समस्त हिन्दी-क्षेत्र में इनका प्रचार है और विद्यापति हिन्दी के श्रेष्ठतम कवियों में एक माने जाते हैं। विद्यापति के बाद भी गोविन्ददास, रामदास, लोचन, उमापति उपाध्याय, रमापति, लालकवि, नन्दीपति, कर्ण जयानन्द, भानुनाथ झा, बोधनारायण, महीपति, चतुर्भुज, सरसराम, जयदेव, केशव, भंजन, चक्रपाणि, मानबोध, हर्षनाथ झा, चन्दा झा, रघुनन्दन दास, लालदास आदि डेढ़ सौ से भी अधिक कवि और नाटककार हुए। ये सब प्रायः दरभंगा जिला और उसके आसपास के ही रहनेवाले थे। इस बीसवीं सदी में भी मैथिली के अनेक लेखक और कवि वर्त्तमान हैं। इन दिनों 'मिथिला-मिहिर' (पटना), 'मिथिला-दर्शन' (कलकत्ता), 'मैथिल-बन्धु' (अजमेर), 'वटुक' (इलाहाबाद), 'पल्लव' (नेहरा, दरभंगा), 'वैदेही' (दरभंगा) आदि पत्र-पत्रिकाएँ भारत के विभिन्न स्थानों से प्रकाशित हो रही हैं। भारत के अनेक विश्वविद्यालयों ने मैथिली को एम्० ए० तक की परीक्षा में स्थान दिया है। मैथिली भाषा नेपाल के भी एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है।

मैथिली की अपनी एक पुरानी लिपि है, जिसका व्यवहार मिथिला में अब भी हो रहा है। मैथिली-लिपि में अनेक प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ हैं। इस लिपि में कुछ नई पुस्तकें भी मुद्रित हुई हैं।

अंगिका

अंगिका, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, अंग-जनपद की भाषा है। न्यूनाधिक भागलपुर कमिश्नरी को ही लोग अंग-जनपद मानते हैं। अतः, अंगिका का दूसरा नाम भागलपुरी

भी है। इस भाषा का मूल रूप हम विक्रमशिला के ८वीं से ११वीं सदी तक के सिद्धों की अपभ्रंश-रचनाओं में पाते हैं। १४वीं सदी के कवि विद्यापति के पदों में भी अंगिका-भाषा का प्रभाव देखा जाता है। अंगिका की अनेक संज्ञाओं, सर्वनामों और क्रियाओं का प्रयोग उनके पदों में हुआ है। १८वीं सदी के अन्त में फादर एण्टोनियो ने 'गोस्पेल ऐण्ड ऐक्टस' का अंगिका-भाषा में अनुवाद किया था। कहा जाता है कि उत्तर-भारत की भाषाओं में सर्वप्रथम इसी भाषा में इस पुस्तक का अनुवाद हुआ। जॉन क्रिश्चियन ने इस भाषा में बाइबिल के कुछ अंश का अनुवाद कर मुँगेर में लीथो से प्रकाशित किया था। सम्भवतः १८वीं या १९वीं सदी में रचित बिहुला-गीतिकाव्य का अंगिका-क्षेत्र में बहुत प्रचार है। कलकत्ता, बनारस आदि कई स्थानों में यह पुस्तक अबतक लाखों की संख्या में छपी है। २०वीं सदी में भी इस भाषा में गद्य और पद्य की पुस्तकें तथा स्फुट रचनाएँ प्रकाशित हुई हैं। इस भाषा और इसके साहित्य पर शोध-कार्य हो रहे हैं।

अंगिका की अपनी एक खास लिपि थी, जिसका उल्लेख छठी सदी के बहुत पूर्व लिखित 'ललितविस्तर' नामक संस्कृत बौद्ध-ग्रन्थ में मिलता है। उसमें बिहार की दूसरी लिपियों, जैसे पूर्वविदेह-लिपि और मागधी-लिपि का भी उल्लेख है।

वज्जिका

वज्जिका या वृज्जिका, वृज्जि या वैशाली जनपद की बोली है। स्थूलतः मुजफ्फरपुर जिला तथा उसके आसपास की भूमि वैशाली जनपद समझी जाती है। सन् १९४१ ई० में 'विशाल भारत' में लिखते हुए महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने बिहार की जनपदीय भाषाओं में अंगिका, वज्जिका आदि की चर्चा की है। इसके प्राचीन साहित्य पर शोध-कार्य नहीं हुआ है, इससे लोगों को इसके विषय में विशेष पता नहीं है। वज्जिका में कुछ पुराने कवियों की छिट-फुट कविताएँ मिली हैं। प्रसिद्ध कवि मँगनीराम की रचनाएँ बज्जिका-प्रभावित बताई जाती हैं। आज के कुछ व्यक्ति भी इस भाषा में गद्य-पद्य की रचनाएँ करने लगे हैं। इधर कुछ लोगों ने इस विषय पर अनुसंधान-कार्य करना आरम्भ कर दिया है। पटना के 'उत्तर-विहार' और 'स्वतंत्रता' नामक पत्रों में वज्जिका के लेख और कविताएँ प्रकाशित होती रही हैं।

मगही

मगही मागधी-अपभ्रंश से निकली है। साधारणतया पटना और गया जिले का क्षेत्र 'मगध' या 'मगह' कहलाता है। 'मगही' यहाँ की भाषा या बोली है। मगही में भी प्राचीन साहित्य प्राप्य नहीं है। सातवीं सदी के सुप्रसिद्ध भाषाकवि ईशान को लोग मगही का आदि-कवि समझते हैं। कई सिद्धों की रचनाओं में भी 'मगही' का प्रारम्भिक रूप देखने को मिलता है। अनुसंधान करने पर बहुत सम्भव है कि कुछ प्राचीन साहित्य मिले। सन् १८२६ ई० में ईसाइयों ने 'न्यू टेस्टामेंट' का और सन् १८९० ई० में सेंट मार्क ने 'रिवाइज्ड वर्सन ऑफ गोस्पेल' का मगही में अनुवाद किया था। इधर कुछ लोगों ने इस भाषा पर शोध-कार्य करना आरम्भ किया है। अबतक इस भाषा में कुछ पुस्तकें और दो-एक पत्र-पत्रिकाएँ भी निकली हैं। कुछ

लोगों का कहना है कि छोटानागपुर कमिश्नरी के विभिन्न जिलों में आदिम भाषाओं से भिन्न जो भाषाएँ बोली जाती हैं, वे मगही के ही भिन्न-भिन्न रूप हैं। साधारणतया इसे पूर्वी मगही भी कहते हैं।

नागपुरिया

छोटानागपुर-कमिश्नरी में आदिम जातियों की बोलियों से भिन्न जो बोली है, उसे कुछ लोग 'नागपुरिया' कहते हैं। कुछ लोगों ने इसका ही पूर्वी मगही नाम दिया है। इस बोली के भी कई भेद-विभेद बताये जाते हैं। राँची जिले के सिल्ली, बरंडा, रेह, बुन्दु और तमार — इन पाँच परगनों की बोली को 'पंचपरगनिया' कहते हैं। तमार में खास तौर से बोली जानेवाली बोली तमारिया कहलाती है। कुरमी लोगों की बोली को कुरमाली, कुरमालीथार, कोरथा, खत्ता या खताही भी कहते हैं। नागपुरिया वास्तव में मगही, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, बँगला और आदिम जातियों की भाषाओं की मिश्रित भाषा है। इ० एच० हिटली ने 'नोटस ऑफ नागपुरिया हिन्दी' नामक पुस्तक लिखी थी। पी० इडनोज ने नागपुरिया में गोस्पेल का अनुवाद किया था। अब भी कुछ लोग इन बोलियों पर अनुसंधान-कार्य कर रहे हैं।

भोजपुरी

भोजपुरी भोजपुर-क्षेत्र की भाषा या बोली है। पूर्वी विहार एवं पश्चिमी उत्तर-प्रदेश की लगभग ५० हजार वर्गमील भूमि 'भोजपुर' कहलाती है। साधारणतः, विहार में शाहाबाद और सारन तथा पलामू और चम्पारन जिलों के अधिकांश भाग में भोजपुरी बोली जाती हैं। उत्तर-प्रदेश में यह बलिया, गाजीपुर (पूर्वी अवध), गोरखपुर (सरयू और गंडक के बीच), फैजाबाद, आजमगढ़, जौनपुर, बनारस, गाजीपुर (पश्चिमी भाग) और मिर्जापुर (दक्षिणी भाग) जिलों में बोली जाती है। स्थान-भेद से इस बोली के भी विभिन्न भेद बताये जाते हैं। साधारणतः, शाहाबाद, सारन और बलिया जिलों में तथा पलामू, चम्पारन, गाजीपुर और गोरखपुर जिलों के कुछ भागों में विशुद्ध भोजपुरी बोली जाती है।

कबीर, रविदास, दरियादास, धरनीदास आदि संत-कवियों की रचनाओं पर भोजपुरी का बहुत प्रभाव दीखता है। इनके बाद के कवियों में ठाकुर विश्रामसिंह, बाबा रामेश्वर दास, बाबा शिवनारायण, रघुवीर नारायण, रामकृष्ण वर्मा 'बलवीर', महादेव, तेगअली आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इधर पन्द्रह-बीस वर्षों से लोग भोजपुरी की उन्नति के लिए अग्रसर हैं और इस भाषा में अच्छे-अच्छे विद्वान् गद्य-पद्य की पुस्तकें लिखने लगे हैं। समय-समय पर इस भाषा में दो-एक पत्रिकाएँ भी निकलती रही हैं, जिनमें 'भोजपुरी', 'अँजोर' तथा 'गाँव-घर' के नाम प्रमुख हैं। इधर दो-तीन वर्षों से भोजपुरी की बहुत-सी फिल्में तैयार हो रही हैं।

मुण्डा-भाषा-श्रेणी

मुण्डा भाषा-श्रेणी के अंतर्गत संताली, मुण्डारी, हो, खरिया, कोरवा, माहिली, भूमिज, बिरजिया, असुरी, तूरी, कुरमाली, कोरा, बिरहोर और अगरिया हैं। इन भाषाओं में संताली,

मुराडारी और हो प्रमुख हैं और इनमें से प्रत्येक के बोलनेवाले कई लाख की संख्या में हैं। इन भाषाओं में १९वीं शताब्दी के मध्य से ही अनुसंधान-सम्बन्धी कार्य हुए हैं।

संताली—इसके बोलनेवालों की संख्या लगभग २० लाख है। रोमन और देवनागरी-लिपि में संताली-भाषा की दर्जनों पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। समय-समय पर इस भाषा में रोमन-लिपि में 'धरबक', 'हड़-रड़-बैसी', 'मलक', 'मारशल', 'पेड़ाहड़' और 'सागेन-सकाम' नामक पत्रिकाएँ विभिन्न स्थानों से निकलती रही हैं। सन् १९४७ ई० से देवनागरी-लिपि में 'होड़-सोम्बाद' नामक साप्ताहिक पत्रिका देवघर से प्रकाशित हो रही है। बिहार में माध्यमिक परीक्षा तक संताली को मान्यता प्राप्त है। इस भाषा की अपनी एक लिपि भी निकाली गई है।

मुराडारी—मुराडा-भाषाओं में संताली के बाद मुराडारी का ही स्थान है। इसे मुराडा-जाति के लोग बोलते हैं, जिनकी संख्या लगभग ६ लाख है। १९वीं सदी के अंत में ईसाइयों ने इस भाषा में कई व्याकरण और प्राइमर की रचना की थी। अँगरेजी में 'इनसाइक्लोपीडिया मुराडारिका' दस जिल्दों में छपा हुआ है। इस भाषा में 'जगर सड़ा' नामक एक मासिक पत्र निकलता है। इस भाषा के माध्यम से मिडल तक की पढ़ाई की व्यवस्था है।

हो—इसे हो-जाति के लोग बोलते हैं। इसके बोलनेवाले लगभग ५ लाख हैं। यह मुराडारी से बहुत मिलती-जुलती है, किन्तु व्याकरण और शब्दावली में अन्तर है। सन् १८८६ ई० में इस भाषा का एक व्याकरण भी काशी से प्रकाशित हुआ था। इसके बाद एक ईसाई पादरी ने एक बड़े व्याकरण की रचना की। इस भाषा को मिडल तक की शिक्षा के लिए मान्यता प्राप्त है।

द्रविड़ भाषा-श्रेणी

द्रविड़ भाषा-श्रेणी के अंतर्गत उराँव, माल्टो, तेलुगु, तमिल, गोंड़ी, मलयाला, कनारी आदि भाषाएँ हैं। इनमें उराँव या कुड़ुँख बिहार में प्रमुख रूप से बोली जाती है।

उराँव—इसे उराँव-जाति के लोग बोलते हैं, जिनकी संख्या ५ लाख से अधिक है। इस बोली पर पहली पुस्तक सन् १८७४ ई० में प्रकाशित हुई थी। बाद को इसके व्याकरण और कोष भी बने। इस भाषा में देवनागरी-लिपि में बाइबिल का अनुवाद भी हुआ है। इस भाषा की एक पृथक् वर्णमाला और लिपि तैयार की गई है। सन् १९५२ ई० में राँची से इस भाषा में 'धुमकुरिया' नामक एक मासिक पत्र प्रकाशित हुआ था। इस भाषा के माध्यम से मिडल तक के स्कूल खोले जा सकते हैं।

★

कृषि

बिहार मुख्यतया कृषि-प्रधान राज्य है। यहाँ की करीब ८६ प्रतिशत जन-संख्या कृषि पर निर्भर करती है, जबकि अखिलभारतीय औसत ६९·८४ प्रतिशत है। बिहार-राज्य के उत्तरी भाग में और गंगा की तराई में कृषि-योग्य भूमि अधिक है। यह भू-भाग खेती के लिए विशेष उपयोगी है और यहाँ पैदावार भी अधिक होती है। छोटानागपुर-भाग जंगलों और पहाड़ों से

भरा होने के कारण कृषि के लिए उतना उपयुक्त नहीं है। यह भाग खनिज-सम्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। बिहार भारत के अति समृद्ध एवं उर्वर भू-खण्डों में एक है तथा यहाँ प्रायः सभी फसलें उपजाई जाती हैं। यहाँ की मुख्य फसलें हैं—धान, ईख, मकई, गेहूँ, जौ, अरहर, जूट, तम्बाकू, मिर्च, आलू, सरसों, मटर, खेसारी आदि। दक्षिण-बिहार की भूमि उत्तर-बिहार की भूमि की तुलना में कम उपजाऊ है, फिर भी यहाँ धान, मकई, ज्वार, अरहर, ईख, तम्बाकू, गेहूँ, मिर्च, जौ, मटर, सरसों, आलू आदि फसलें होती हैं। बिहार में फसलों के कटने के प्रमुख समय तीन हैं—बरसात, जाड़ा और वसन्त। बरसात में भदई फसल, जाड़ा में अगहनी फसल और वसन्त में रब्बी फसल होती है।

भदई की फसलें मई और जून में बोई जाती तथा अगस्त और सितम्बर में काटी जाती हैं। इस कोटि की फसलों में साठी चावल, मकई, ज्वार और जूट की फसलें प्रमुख हैं। मड़ुआ भी भदई की फसल के अन्दर आता है, जो निम्नकोटि की जमीन में होता है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सहरसा जिलों में इसकी उपज होती है। गंगा के उत्तर का मैदान दक्षिण के मैदानों की अपेक्षा भदई की फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। दियारा की भूमि में मकई की फसल का प्रचुर उत्पादन होता है। छोटानागपुर के क्षेत्र में साठी, ज्वार, उरद, मूँग आदि फसलें भदई में आती हैं।

अगहनी फसलें जून के मध्य में बोई जाती हैं। जुलाई और अगस्त में धान के पौधों को एक खेत से उखाड़कर दूसरे खेत में रोपा जाता है। अगहन-पूस (नवम्बर-दिसम्बर) तक मुख्य अगहनी फसलें कट जाती हैं। इसी समय धान के अतिरिक्त दूसरी फसलें—जैसे ईख, तिल, ज्वार, कुल्थी आदि—भी कट जाती हैं। ईख फरवरी में बोई जाती है तथा नवम्बर से अप्रैल तक काटी जाती है।

बिहार में उपज की दृष्टि से चावल सबसे अधिक भू-भाग में उपजाया जाता है। गेहूँ, जौ, खेसारी, चना, मटर, तीसी, अरहर, राई, सरसों आदि रब्बी की फसलें हैं, जो आश्विन-कार्त्तिक में बोई जाती हैं तथा फाल्गुन-चैत्र महीने में काटी जाती हैं।

राज्य की कुल कृषि-योग्य भूमि के ५२ प्रतिशत भाग में धान की खेती होती है। धान के अतिरिक्त गेहूँ, मकई, चना, जौ और ज्वार भी उपजाये जाते हैं। यहाँ के ८·६ प्रतिशत क्षेत्र में मकई की फसल होती है। दलहनों में खेसारी सबसे बड़े भू-भाग में पैदा की जाती है।

तेलहन के उत्पादन में भी बिहार का महत्त्वपूर्ण स्थान है। खासकर, तीसी, सरसों, राई और रेंड़ी की यहाँ अच्छी उपज होती है। तीसी और तीसी के तेल के निर्यात में इस राज्य को प्रमुखता प्राप्त है। राज्य की अर्थ-व्यवस्था में तेलहन का स्थान महत्त्वपूर्ण है।

ईख, जूट, तम्बाकू, मिर्च और आलू बिहार की मुख्य फसलें हैं, जिनसे नकद रुपये की प्राप्ति होती है। ईख-उत्पादन में उत्तर-प्रदेश के बाद बिहार का ही स्थान है। ईख की खेती में करीब ४ लाख व्यक्ति लगे हैं। ईख की उपज मुख्यतया चम्पारन, सारन, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिलों में होती है। दक्षिण-बिहार के भी कुछ हिस्सों में यह उपजाई जाती है।

ईख की उपज बढ़ाने तथा इसकी खेती को उन्नत करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। ईख की अच्छी उपज तथा क़िस्म के लिए पूसा में एक केन्द्रीय ईख-अनुसन्धानशाला तथा पटना में एक उप-अनुसन्धानशाला सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। मुजफ्फरपुर के पास मुसहरी नामक स्थान में ईख-सम्बन्धी अनुसन्धान के लिए एक अनुसन्धान-शाला सन् १९३२ ई० में खोली गई थी। तम्बाकू और मिर्च की खेती मुख्यतः मुजफ्फरपुर, मुँगेर, पूर्णिया, दरभंगा और पटना जिलों में होती है। पूर्णिया और सहरसा जिलों में पाट की खेती की जाती है।

कृषि की उन्नति के लिए सरकार का एक अलग विभाग है। इस विभाग के सबसे बड़े अधिकारी निदेशक और उनके अधीन एक संयुक्त निर्देशक तथा उपनिदेशक होते हैं। बिहार-राज्य के अन्दर पटना, पूसा, सबौर तथा काँके में कृषि-सम्बन्धी अनुसन्धान-शालाएँ हैं। अनुसन्धान-कार्य के संचालन एवं निर्देशन के लिए मुख्यालय में एक कृषि-अनुसन्धान-संचालक की नियुक्ति की गई है। पूसा की अनुसन्धान-शाला सन् १९०४ ई० में कायम हुई थी। सन् १९३४ ई० के भूकम्प के बाद इसका अधिकतर महत्त्वपूर्ण भाग उठकर दिल्ली चला गया। फिर भी, इन दिनों यहाँ कई महत्त्वपूर्ण अनुसन्धान-कार्य हो रहे हैं। धान और फलों के सम्बन्ध में अनुसन्धान के लिए सन् १९३२-३३ ई० में सबौर में अनुसन्धान-शालाएँ कायम की गईं।

मानभूम जिले के सिन्दरी नामक स्थान में कृत्रिम खाद के उत्पादन के लिए भारत-सरकार द्वारा जो कारखाना चलाया जा रहा है, वह अपने ढंग का एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है। इस कारखाने में उत्पादित बिजली से अन्य औद्योगिक कार्य भी होंगे।

कृषि-सम्बन्धी सरकारी कार्य के लिए सम्पूर्ण बिहार-राज्य चार भागों में बाँट दिया गया है। प्रत्येक भाग में एक मुख्य केन्द्र, एक बड़ा फार्म और कुछ छोटे फार्म हैं। कुछ फार्मों में पशुओं के नस्ल-सुधार के भी कार्य किये जा रहे हैं। इन फार्मों में उन्नत बीजों, अच्छे ढंग के औजारों, सिंचाई की व्यवस्था और उपयोगी खादों के व्यवहार द्वारा खेती की जाती है तथा उपज बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है। कृषि-सम्बन्धी ये भाग, उनके केन्द्र एवं बड़े तथा छोटे फार्म निम्नाङ्कित हैं—

	भाग	केन्द्र	बड़े फार्म	छोटे फार्म
१.	तिरहुत	मुजफ्फरपुर	सेपाया (सारन)	मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सिवान, पूर्णिया और बिरौह (चम्पारन)।
२.	पटना	पटना	पटना	विक्रम (शाहाबाद), गया, नवादा और सिरीस (गया)।
३.	भागलपुर	सबौर	सबौर	जमुई, मुँगेर, बाँका।
४.	छोटानागपुर	काँके	काँके	पुरुलिया, चाईबासा, नेतरहाट और चियाँकी (पलामू)।

प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में खेतों की उपज की पूरी जानकारी एवं किसानों को कृषि-सम्बन्धी सहायता प्रदान करने के लिए ग्रामीण कार्यकर्त्ता तथा तहसीलदार नियुक्त किये गये हैं। समय-

समय पर वे कृषि-विनाशी कीटों एवं विभिन्न प्रकार के रोगों से फसलों की रक्षा करने के भी काय करते हैं। प्रत्येक थाने में एक कृषि-निरीक्षक तथा सबडिवीजनों एवं जिलों में कृषि-पदाधिकारी कृषि-सुधार एवं कृषि-विकास के लिए सरकार की ओर से नियुक्त हैं। ये लोग अपने क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रसार-सेवा-प्रखण्ड की सहायता से कृषि के अतिरिक्त, दूसरे प्रकार के साहाय्य-कार्य भी करते हैं। ग्रामपञ्चायतों की स्थापना के बाद पञ्चायत का मुखिया तथा ग्राम-सेवक इस कार्य में सरकारी कर्मचारियों एवं प्रभारियों की यथोचित सहायता करते हैं।

बिहार-राज्य की जन-संख्या ४ करोड़ ६५ लाख के लगभग है। सन् १९६६ ई० तक यह संख्या बढ़कर ५ करोड़ से अधिक हो जायगी। यदि प्रति व्यक्ति १७.५ औंस खाद्यान्न की खपत रखी जाय तो राज्य में लगभग ७८.४२ लाख टन खाद्यान्न की जरूरत होगी। तृतीय योजना में २६.२७ लाख टन अतिरिक्त अन्न की उपज की संभावना है। इसमें २०.२७ लाख टन खाद्यान्न होंगे। इस प्रकार तृतीय योजना की समाप्ति पर राज्य में खाद्यान्न की उपज लगभग ८२.७६ लाख टन हो जायगी।

खाद्यान्नों के अतिरिक्त ऊख, तेलहन, फल, सब्जियाँ, पटसन आदि अन्य कृषि-उत्पादनों की वृद्धि का भी लक्ष्य रखा गया है। कृषि की परियोजनाओं पर राज्य में कुल १७ करोड़ ४७ लाख ६१ हजार का अनुमित व्यय रखा गया है।

पंचवर्षीय योजना शुरू होने के पहले बिहार में एक कृषि-कॉलेज सबौर में था। प्रथम योजना-काल में राँची में भी एक कृषि-कॉलेज स्थापित हुआ। द्वितीय योजना-काल में ढोली (मुजफ्फरपुर) में एक और कॉलेज चालू कर दिया गया है। तीनों महाविद्यालयों में २०० विद्यार्थियों के लिए स्थान हैं। राज्य में बुनियादी कृषि-विद्यालयों में पाठ्य-क्रम बढ़ाकर दो साल का कर दिया गया है। ग्राम-सेविकाओं के प्रशिक्षण के लिए चार केन्द्र खोले गये हैं। तृतीय योजना-काल में कृषिक शिक्षा का और भी विस्तार होगा।

राज्य में ४ सामुदायिक विकास-प्रखण्डों में—एकंगरसराय (पटना), सकरा (मुजफ्फरपुर), सबौर (भागलपुर) और तोपचाँची (राँची) में चकबन्दी का काम शुरू हो गया है। अभी तक ३० गाँवों में यह योजना कार्यान्वित की गई है। दूसरी योजना के अन्त तक ५० हजार एकड़ भूमि की चकबन्दी हुई है। तृतीय योजना-काल में और ५ लाख एकड़ भूमि में चकबंदी की जानेवाली है। प्रथम योजना-काल में लघु सिंचाई-योजनाओं से ७.७५ लाख एकड़ भूमि में खेती हुई। सन् १९६०-६१ ई० में इसका क्षेत्रफल बढ़कर १७.७५ लाख एकड़ हुआ। आशा है कि तृतीय योजना की समाप्ति पर यह क्षेत्रफल बढ़कर २२.७२ लाख एकड़ तक पहुँच जायगा।

छोटानागपुर-प्रमण्डल की उपत्यका, संतालपरगना जिला तथा भागलपुर, मुँगेर, गया और शाहाबाद जिलों के कुछ हिस्सों में भू-क्षरण की समस्या बहुत दिनों से चली आ रही है। द्वितीय योजना-काल में इस समस्या की ओर ध्यान दिया गया और ६७,००० एकड़ ऐसी भूमि का संरक्षण-कार्य पूरा हो चुका है। इस मद में लगभग १६१.५६ लाख रुपया खर्च हुआ। तृतीय योजना-काल में भू-संरक्षण की मद में २५० लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बिहार की जनसंख्या ५ करोड़ १२ लाख हो जाने की सम्भावना है, इस आधार पर प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन १७ औंस भोजन देने पर तृतीय योजना-काल में ८०·६६ लाख टन अन्न की आवश्यकता होगी। पशुधन के लिए भी अगर १८ प्रतिशत अन्न निकाल दें, तो सन् १९६६ ई० तक कुल ८६·७२ लाख टन खाद्यान्न की आवश्यकता होगी।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में बिहार के अन्नोत्पादन में ७·२ लाख टन की वृद्धि हुई। दूसरी योजना में भी करीब ११ लाख टन अधिक अन्न उपजाया गया। तीसरी योजना में २०·२७ लाख टन अतिरिक्त अन्न-उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

इस योजना के प्रथम तीन वर्षों में ७·६५ लाख टन अतिरिक्त अन्न का उत्पादन हुआ। इस प्रकार लक्ष्य का ३८ प्रतिशत पूरा किया जा चुका है।

राज्य की २५५·६३ लाख एकड़ भूमि में से २०·६६ लाख एकड़ भूमि में सुनिश्चित सिंचाई की व्यवस्था की जा चुकी है। तीसरी योजना के लिए २७·८२ लाख एकड़ का लक्ष्य निर्धारित है।

गहन कृषि-योजना—*तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला-स्तर पर गहन कृषि-*योजना चलाने का प्रोग्राम है। अभी इसे शाहाबाद जिले के नहरी क्षेत्र में १·५२ करोड़ रुपये की लागत पर शुरू किया गया है। इसके अन्तर्गत सोन-नहर-क्षेत्र के २० सामुदायिक विकास प्रखण्ड लिये गये हैं। इस क्षेत्र में गहन कृषि के लिए तकनीकी सहायता दी जायगी। खाद और बीज देने के लिए सहकारी समितियों की स्थापना की गई है। ये समितियाँ १८ लाख रुपये की लागत पर गाँवों में १८० गोदामों का निर्माण करेंगी, जहाँ अनाज और खाद वगैरह रखे जायेंगे।

बीज-फार्म—किसानों को उन्नत बीज देने के लिए ४४१ बीज-फार्म खोल दिये गये हैं। आशा है, तीसरी योजना के अन्त तक ऐसे कुल ५७५ फार्म खुल जायेंगे।

भूमि-उद्धार—बिहार में ३२ लाख एकड़ कृषि-योग्य भूमि परती पड़ी है। इसमें ८ लाख एकड़ में तो अच्छा चरागाह है और ६ लाख एकड़ में जंगली झाड़-झंखाड़ हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में ट्रैक्टर और श्रमिकों द्वारा २ लाख ६० हजार एकड़ बंजर भूमि को कृषि-योग्य बनाया गया। तीसरी योजना में ४५ हजार एकड़ भूमि ट्रैक्टर से और ३० हजार एकड़ भूमि शारीरिक श्रम से कृषि-योग्य बनाई जायगी।

★

सिंचाई और बिजली

सिंचाई

विहार में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करती है। किन्तु, मौनसून की अनिश्चितता एवं वर्षा के न्यूनाधिक्य से यहाँ अच्छी उपज नहीं हो पाती। सर्वत्र समान रूप से वर्षा न होने से किसी भाग में सूखा रहता है, तो कहीं बाढ़ आती है। अतः, कृषि की अच्छी उपज के लिए सिंचाई की उपयुक्त व्यवस्था अनिवार्य है। सिंचाई के प्रमुख साधन हैं—नहर, आहर, बाँध, नाला, कूप, नल-कूप, पंपिंग-सेट, बिजली आदि।

नहर

सोन-नहर—वृहत् सिंचाई-योजना के अन्तर्गत यह नहर सबसे बड़ी और पुरानी है। यह सन् १८७५ ई० में पूर्णतया तैयार हो गई थी। इसकी लम्बाई १,५८७ मील है, जिसमें ३६२ मील में मुख्य नहर एवं १,२२५ मील में शाखा-नहरें हैं। इसका ८५ प्रतिशत व्यवहार खरीफ की फसलों की सिंचाई के लिए होता है तथा १५ प्रतिशत रब्बी की फसलों की सिंचाई के लिए। सोन-नहर की वर्त्तमान सिंचन-प्रणाली से इस समय ८५८ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। इसके अतिरिक्त बहे हुए जल से करीब ५ लाख एकड़ भूमि सींची जाती है। सोन-नहर-प्रणाली के नवीकरण एवं विस्तार से करीब ५ लाख एकड़ भूमि तथा नहर की सतह ऊँची कर देने से करीब २ लाख एकड़ भूमि सिंचित होगी। सोन-नहर-बराज से विभिन्न उद्योगों के लिए करीब ७,००० किलोवाट बिजली ७ महीनों के लिए तथा १४,००० किलोवाट बिजली ५ महीनों के लिए निकालने की भी योजना है।

त्रिवेणी-नहर—उत्तर-विहार में केवल यही एक बड़ी नहर-प्रणाली है। इस नहर की खुदाई का काम सन् १९१४ ई० में पूरा हो गया था। यह नहर २४½ मील लम्बी है। इस नहर में ६१½ मील मुख्य तथा १८५½ मील की वितरक शाखाएँ हैं। इससे चम्पारन की करीब १,१६,००० एकड़ भूमि सींची जाती है। त्रिवेणी-नहर-विस्तार के लिए कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं।

तेउर-नहर—इस नहर की मुख्य शाखा अपनी १६ वितरक शाखाओं के साथ ६ मील लम्बी है। इससे चम्पारन जिले की करीब, ४,००० एकड़ भूमि में सिंचाई होती है।

सोन और चम्पारन की नहरों से कुल १,०४३ लाख एकड़ भू-क्षेत्र में सिंचाई होती है।

सारन की नहरें—नील के पौधों की सिंचाई के लिए सन् १८७६ ई० में नील-उत्पादकों के साथ हुए समझौते के अनुसार ८ लाख रुपये की लागत से यह नहर खुदवाई गई थी। अनेक कारणों से सन् १८६८ ई० में इस नहर का काम बन्द कर दिया गया। अभी हाल में ४७४ लाख रुपये के व्यय से १०,६०० एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए यह पुनः खोदी गई है।

सकरी-नहर—यह नहर सन् १९५० ई० में खोदी गई। ३४ मील लम्बी वितरक शाखाओं के साथ इसकी लम्बाई १२ मील है। इस नहर द्वारा मुंगेर, गया और पटना की करीब ५० हजार एकड़ भूमि की सिंचाई होती है।

कमला-नहर—२२'५७ लाख रुपये की लागत से यह नहर कमला नदी से निकाली गई है, जिससे करीब ३८,००० एकड़ भूमि सिंचित हो सकती है।

नल-कूप (ट्यूब-वेल)

कूपों द्वारा सिंचाई की व्यवस्था बहुत पहले से होती आई है। किन्तु, नल-कूपों से सिंचाई का काम प्रयोगात्मक रूप में सन् १९३८-३९ ई० में आरम्भ किया गया।

सिंचाई की नई उत्कृष्ट योजना

बिहार की कृषि-योग्य भूमि की सिंचाई के लिए एक उत्कृष्ट योजना तैयार की गई है। बिहार की कुल २५५'६० लाख एकड़ खेती-लायक जमीन में १०४ लाख एकड़ की निश्चित रूप में सिंचाई हो सकेगी।

दक्षिण-बिहार के मैदानों में सम्पूर्ण जल-स्रोत १०२'८ लाख एकड़-फुट है, जिसमें ६५ लाख एकड़-फुट का उपयोग कुल खेती लायक जमीन, ७०'८६ लाख एकड़ में से २६ लाख एकड़ भूमि के पटाने में इस समय किया जा सकता है। छोटानागपुर और संतालपरगना के उपत्यका-क्षेत्र में सम्पूर्ण जल-स्रोत १६७ लाख एकड़-फुट है, जिसमें ३०'७ लाख एकड़-फुट का उपयोग कुल खेती लायक जमीन, ८१'४४ लाख एकड़, में से १०'६० लाख एकड़ के पटाने में किया जा सकता है।

उत्तर-बिहार में नदियों की प्रचुरता है और विशाल जल-स्रोत हैं। वहाँ मुख्यतः बाढ़-नियंत्रण की समस्या है। सिंचाई की योजनाएँ परिकल्पित की गई हैं, जिनसे कुल १०३'४ लाख खेती-लायक जमीन में से ६४ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई के लिए १३२'४ लाख एकड़-फुट जल का उपयोग किया जा सकता है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना का आरम्भ होने के पूर्व बिहार में कुल १०'३७ लाख एकड़ जमीन को निश्चित रूप से सिंचाई की सुविधाएँ प्राप्त थीं। प्रथम योजना-काल के अन्त में ३'१६ लाख एकड़ की सिंचाई का प्रबन्ध किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ६'७ लाख एकड़ भूमि की अतिरिक्त सिंचाई की गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना में २७ लाख ७८ हजार एकड़ भूमि की सिंचाई होने का लक्ष्य है।

कोशी-परियोजना

पिछले १५० वर्षों में कोशी नदी क्रमशः दाईं ओर खिसकती हुई करीब ७० मील पश्चिम हटी है। इससे बिहार और नेपाल की करीब ८ हजार वर्गमील जमीन बंजर हो गई है। पहाड़ी क्षेत्रों से होती हुई यह नदी चतरा (नेपाल) के पास समतल भूमि में प्रवेश करती है। कोशी के प्रकोप से राष्ट्र को हर वर्ष १० करोड़ रुपये की क्षति उठानी पड़ी है। कोशी पर काबू पाने के लिए १४ जनवरी, १९५५ को ४४ करोड़ ७६ लाख रुपये की एक परियोजना चालू की गई। इसकी बहती धाराओं के दोनों ओर करीब ७५-७५ मील के दो तटबन्धों ने कोशी के दायरे को ३ से १० मील के अन्तर्गत सीमित कर दिया है। इन दोनों तटबन्धों में पूर्वी तटबन्ध को १६ मील तथा पश्चिमी तटबन्ध को ४ मील आगे बढ़ाया जायगा। बराज के जलाशय से नहरों के लिए पानी मिलने लगेगा, जिससे करीब २५ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। मुख्य पूर्वी नहर

पर एक विद्युत्-उत्पादन-गृह बनाया जायगा, जिसकी अधिष्ठापित धारिता (इन्सटॉल्ड कैपेसिटी) २०,००० किलोवाट होगी। जितनी बिजली पैदा की जायगी, उसका आधा हिस्सा नेपाल को मिलेगा। बिहार और नेपाल की ८ हजार वर्गमील भूमि को कोशी की उच्छृङ्खलता से राहत मिली है। साथ ही, बिहार और नेपाल की करीब ६ लाख एकड़ खेती लायक जमीन का बचाव प्रत्यक्ष रूप से हुआ है। परियोजना के अनुमोदित कार्यक्रम में पूर्वी कोशी-नहर-प्रणाली बनाने की बात थी, जिसमें एक नहर, चार शाखा-नहरें और प्रशाखा-नहरें शामिल हैं। इन नहरों से पूर्णिया और सहरसा जिलों में १४ लाख एकड़ जमीन की फसलों की सिंचाई होगी।

नहरों की खुदाई २ अप्रैल, १९५७ ई० से शुरू की गई। इन नहरों से नहरी इलाकों में निश्चित सिंचाई के अलावा पूर्णिया तथा सहरसा जिले की करीब तीन लाख ५० हजार एकड़ बंजर भूमि को आबाद करने में सहायता मिलेगी।

बराज के जलाशय से दो और सिंचाई-योजनाओं को कोशी-परियोजना के विस्तार के रूप में तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है—(१) पश्चिमी कोशी-नहर-प्रणाली तथा (२) राजपुर नहर-प्रणाली। पश्चिमी नहर-प्रणाली से दरभंगा जिले की ७ लाख २० हजार एकड़ जमीन की तथा राजपुर नहर-प्रणाली से सहरसा जिले की ४ लाख ३० हजार एकड़ अतिरिक्त भूमि की फसलों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी।

गण्डक-योजना

गंडक नदी नेपाल की पहाड़ियों तथा वन-प्रान्तर से होती हुई, भारत-नेपाल-सीमा के पास चम्पारन जिले के त्रिवेणी नामक स्थान में समतल में प्रकट होती है। त्रिवेणी से पटना के सामने तक, जहाँ यह नदी गंगा में गिरती है, इसकी धारा १७३ मील लम्बी है, जिसमें से बायें तट का ११½ मील नेपाल को छूता है।

गंडक-घाटी, जिसमें प्रति वर्गमील १,०२० व्यक्ति निवास करते हैं, इस देश की सर्वाधिक घनी आबादीवाले क्षेत्रों में से है। साथ ही, यह उत्तर-बिहार और नेपाल के सर्वाधिक उर्वर तथा समृद्ध कृषि-क्षेत्रों में से है। इस सम्बन्ध का प्रथम सुसम्बद्ध योजना-प्रतिवेदन सन् १९५१ ई० में तैयार किया गया। सन् १९५९ ई० के ४ दिसम्बर को बराज-निर्माण के स्थान-सम्बन्धी नेपाल से समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। गंडक-परियोजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यों का संपादन मुख्य रूप से उल्लेखनीय है—

(१) वर्त्तमान त्रिवेणी-नहर के हेड रेगुलेटर के लगभग २,५०० फुट नीचे भैंसालोटन नदी के पार बराज का निर्माण।

(२) मुख्य पश्चिमी नहर का निर्माण, जिससे सारन जिले की ११·८२ लाख एकड़ भूमि तथा उत्तर-प्रदेश की ८·०३ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई हो सके। पश्चिमी नहर से एक अलग नहर निकाली जायगी, जिससे पश्चिमी नेपाल के भैरवा जिले में ४०,५०० एकड़ भूमि पर सिंचाई हो सकेगी। मुख्य नहर की लम्बाई १२० मील होगी, जिसमें से ११½ मील नेपाल में, ६८ मील उत्तर-प्रदेश के गोरखपुर तथा देवरिया में और शेष बिहार के सारन जिले में रहेगी।

(३) मुख्य पूर्वी नहर से बिहार के चंपारन, मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा जिलों में

१४'७० लाख एकड़ भूमि पर और नेपाल की १'०३ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई होगी। इस नहर की कुल लम्बाई १५५ मील होगी और यह चम्पारन, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिलों से होकर जायगी। इस योजना से बिहार में प्रति वर्ष २६'५२ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी।

(४) नेपाल में मुख्य पश्चिमी नहर पर १५,००० किलोवाट की क्षमता का बिजली-घर बनाया जायगा।

इस परियोजना पर कुल ५२.०३ करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है। इस राशि में उत्तर-प्रदेश का भी हिस्सा है। योजना-आयोग की स्वीकृति के अनुसार ३६'५६ करोड़ रुपये की राशि बिहार को व्यय करनी पड़ेगी।

बिहार की जितनी भूमि पर सिंचाई होगी, उसका जिलावार ब्योरा निम्नांकित है :

सारन	११'८२	लाख एकड़ में
चंपारन	६'००	,,
मुजफ्फरपुर	६'४०	,,
दरभंगा	२'३०	,,
कुल योग	२६'५२	लाख एकड़

सन् १६५१ ई० के पूर्व बिहार में सरकारी नहरों द्वारा १० लाख ३७ हजार एकड़ भूमि की सिंचाई होती थी। प्रथम योजना में ६ लाख ६३ हजार एकड़ भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था हुई। द्वितीय योजना में पुनः ६ लाख ७ हजार भूमि की सिंचाई का साधन तैयार किया गया। सिंचाई की समस्या को पूर्णतः हल कर लेने के लिए १८४ करोड़ रुपये लागत की एक वृहत् योजना बनाई गई है, जिससे १०४ लाख एकड़ भूमि के पटवन का प्रबंध होगा।

	प्रथम योजना के पूर्व	प्रथम योजना में	दूसरी योजना में	तीसरी योजना में	कुल
(क) सिंचाई का प्रबन्ध	१० लाख ३७ हजार एकड़	४ लाख ६३ हजार एकड़	६ लाख ७ हजार एकड़	२७ लाख ८८ हजार एकड़	४८ लाख ४८ हजार एकड़
(ख) सिंचाई के साधनों का वास्तविक उपयोग	१० लाख ३७ हजार एकड़	२ लाख ६५ हजार एकड़	६ लाख ७ हजार एकड़	१६ लाख ६७ हजार एकड़	३८ लाख ५६ हजार एकड़

तीसरी योजना की स्कीमों में से ६ स्कीमें दूसरी योजना से अधूरी हैं, जिन्हें पूरा करना है। इसके अलावा १६ नई स्कीमें हैं। अधूरी स्कीमों में हैं—कोशी, गंडक तथा सोन-बराज के काम। कोशी की नहरों से १० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। गंडक-योजना से बिहार में ३१ लाख ६२ हजार एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। यह परियोजना तीसरी योजना की अवधि में पूरी नहीं होगी।

बिजली

बिजली के विकास में करीब ८० करोड़ रुपयों की योजना है, जिसमें से ७० करोड़ ६२ लाख राज्य की ओर से और बाकी ६ करोड़, ३२ लाख केन्द्रीय सरकार की ओर से व्यय

होंगे। बरौनी में १५ मेगावाट और पतरातू में ५० मेगावाट के दो बिजली-घर बन रहे हैं। इन बिजली-घरों की शक्ति आगे चलकर बढ़ाई भी जा सकती है—बरौनी में ७५ मेगावाट तक और पतरातू में २५० मेगावाट तक। कोशी-विद्युत्-योजना से २० मेगावाट और गंडक-योजना से १५ मेगावाट बिजली तैयार होगी।

प्रथम और द्वितीय योजना-काल में २ हजार गाँवों में बिजली लगाई गई। तृतीय योजना-काल में करीब १,००० हजार गाँवों में बिजली पहुँचाने का लक्ष्य है।

☆

जंगल

बिहार में जंगल का कुल क्षेत्रफल ७० हजार वर्गमील है, जिसमें सीमांकित जंगल-क्षेत्र १३,३१४ वर्गमील है। जंगली क्षेत्र प्रधानतः छोटानागपुर-प्रमण्डल में हैं। भागलपुर-प्रमण्डल के भागलपुर, मुँगेर तथा संतालपरगना और पटना-प्रमण्डल के पटना, गया और शाहाबाद जिलों में कुछ जंगली क्षेत्र हैं। उत्तर-बिहार में पूर्णिया और चम्पारन जिलों के कुछ हिस्सों में जंगल हैं, जिनका क्षेत्रफल ३६० वर्गमील है। शाल के उपवन के लिए भी ये स्थान बहुत उपयुक्त हैं।

जंगल से बिहार-सरकार को प्रतिवर्ष १६५·७५ लाख रुपये राजस्व के रूप में प्राप्त होते हैं। जंगलों से लोग बिना मूल्य जो लकड़ी और जलावन ले जाते हैं, उनका मूल्य ६६·८५ लाख और पशुओं को मुफ्त चराने का मूल्य ४० लाख रुपया कूता गया है।

१० वर्ष पूर्व सरकार ने जंगलों की व्यवस्था अपने हाथ में ली थी। वन-विभाग के मुख्य पदाधिकारी वन-परिरक्षक कहे जाते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना-काल में जंगलों की व्यवस्था एवं उन्नति की विभिन्न मदों में १ करोड़ ३५ लाख रुपये का खर्च रखा गया था। द्वितीय योजना-काल में १ करोड़ ७६ लाख रुपये से अधिक खर्च हुआ। नये जंगल लगाने के लिए २·०८ लाख एकड़ भूमि का सर्वेक्षण हुआ है। उत्तर और दक्षिण-बिहार की बंजर भूमि में जंगल लगाने के लिए २५ हजार एकड़ भूमि का सर्वेक्षण किया गया। २ हजार एकड़ भूमि में सलाई की लकड़ी के तथा १ हजार एकड़ भूमि में सागवान की लकड़ी के जंगल लगाये गये हैं। १,२६५ मील लम्बी सड़कें बनी हैं तथा आवास-गृहों एवं विश्राम गृहों का निर्माण हुआ है।

इस बात की कोशिश की जा रही है कि तीसरी योजना के अन्त तक १० हजार एकड़ भूमि में सागवान के, १५ हजार एकड़ भूमि में बाँस के और १ हजार एकड़ भूमि में सलाई की लकड़ी के जंगल लगाये जायेंगे। तीसरी योजना की अवधि में राज्य-भर में ४१ हजार एकड़ भूमि में नये जंगल लगाये जायेंगे। उत्तर-बिहार में भी २,५०० वर्गमील भूमि में वन लगाने का विचार है। दामोदर-अञ्चल के बाहर ५६,८०० एकड़ भूमि में एवं अन्य सिंचाई-योजनाओं के अञ्चलों की ६,६०० एकड़ भूमि में जंगल लगाये जायेंगे। सूखी लकड़ी की बिक्री के लिए दक्षिण-बिहार में १७ और उत्तर-बिहार में ३ डिपो खोले जानेवाले हैं।

वन-विभाग से सम्बद्ध कई उद्योग भी हैं। रामगढ़ में लकड़ी चीरने का एक कारखाना खुल रहा है, जिसमें पैकिंग-बक्स तैयार होंगे। इन बक्सों की कारखानों में बड़ी माँग है। आदिवासी लड़कों को बढ़ईगिरी का प्रशिक्षण देने की भी एक योजना है। मधु, सेमल की रूई,

आँवला और पशुओं के चारे की घास के उपयोग पर भी जोर दिया जाने लगा है। गत वर्ष लगभग २० हजार पाउण्ड मधु तैयार करके बिक्री के लिए भेजे जाने की बात थी। घास-संग्रह के लिए कई केन्द्र खोले गये हैं। इस प्रकार ५० से ६० लाख मन तक घास प्रतिवर्ष बाजार में भेजी जाती सकती है और इससे वन-विभाग को लगभग १० लाख रुपये की अतिरिक्त आय हो सकती है। उत्तर-बिहार के वनरोपण-विभाग का प्रधान कार्यालय पूर्णिया से बेतिया आ गया है।

वन्य पशु—बिहार के जंगलों में जो वन्य पशु पाये जाते हैं, उनमें सिंहभूमि के हाथी; पलामू के अरना भैंसा और कोडरमा के साँभर संसार-प्रसिद्ध हैं। बाघ और चीता सर्वत्र जंगलों में पाये जाते हैं। चम्पारन में गैंडे, पूर्णिया में जंगली भैंसे और शाहाबाद में काले मृग पाये जाते हैं। विभिन्न जातियों के तीतर पक्षी तथा अन्य पक्षी सिंहभूमि, मुँगेर, हजारीबाग, पलामू, गया, राँची और शाहाबाद में मिलते हैं।

शिकार-आश्रय-स्थल—बिहार में सर्वप्रथम सन् १६३२ ई० में सिंहभूमि जिले के कोलहन-वन-प्रमण्डल के बमिया-बुरू वन-प्रखण्ड में एक शिकार-आश्रय-स्थल की सृष्टि की गई थी। इसके बाद क्रमशः ५ और आश्रय-स्थल, कुल १७२ वर्गमील जंगली क्षेत्रों में, निर्मित हुए हैं। ये आश्रय-स्थल सिंहभूमि जिले के सरंडा, बमिया-बुरू और सीगरा नामक स्थानों में, पलामू जिले के बरेसंढ तथा हजारीबाग जिले के कोडरमा नामक स्थानों में हैं।

नेशनल पार्क—हजारीबाग जिले में एक नेशनल पार्क विकसित किया गया है। तिलैया और कोनार बाँध, बोकारो थर्मल-पावर-स्टेशन और पारसनाथ पहाड़ी के यह बहुत समीप है। नेशनल पार्क के अन्दर चुने हुए स्थलों पर ऊँची मीनारें बनी हुई हैं, जहाँ से जंगली जानवरों को उनके स्वाभाविक परिवेश में देखा जा सकता है और मनोहर दृश्य का आनन्द लिया जा सकता है। वैसा ही दूसरा नेशनल पार्क पलामू जिले में बन रहा है।



पशु-पालन

भारत-जैसे कृषि-प्रधान देश की अर्थ-व्यवस्था में पशु-पालन का विशेष स्थान है। सन् १६५५-५६ ई० की पशु-गणना के अनुसार भारत में २१ करोड़ ३० लाख मवेशी (गाय, बैल और भैंस), ४ करोड़ भेंड़, ५ करोड़ बकरियाँ तथा ७ करोड़ ३६ लाख कुक्कुटादि थे।

पशुओं की नस्ल के सुधार के लिए राज्य को निम्नाङ्कित चार प्रमुख पशु-प्रजनन-अंचलों में विभक्त किया गया है—

१. **बछौड़-अञ्चल**—यह उत्तर-बिहार में नेपाल की सीमा के समानान्तर फैला हुआ है। इस अञ्चल में चम्पारन जिला, मुजफ्फरपुर का सीतामढ़ी सब-डिवीजन, दरभंगा जिले के सदर और मधुबनी सब-डिवीजन, सहरसा जिला तथा कटिहार सब-डिवीजन को छोड़कर पूर्णिया जिले के अन्य सभी सब-डिवीजन पड़ते हैं। यहाँ की बछौड़-नस्ल के बैल खेती के लिए समस्त उत्तर-बिहार में उत्तम और प्रसिद्ध हैं।

२. **हरियाना-अञ्चल**—यह अञ्चल गंगा नदी के कछार से उसके दोनों तरफ फैला हुआ है। इस अञ्चल में पहाड़ी इलाके को छोड़कर शाहाबाद जिले का शेष भाग; पटना जिले का

बाढ़ सब-डिवीजन, दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र (जमुई सब-डिवीजन) को छोड़कर मुँगेर जिले के अन्य सभी सब-डिवीजन, दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्रों (बाँका सब-डिवीजन) को छोड़कर भागलपुर के अन्य सभी सब-डिवीजन, सारन जिला, मुजफ्फरपुर जिले के सदर और हाजीपुर सब-डिवीजन, दरभंगा जिले का समस्तीपुर सब-डिवीजन, पूर्णिया जिले का कटिहार सब-डिवीजन तथा संताल-परगना के दियारा-क्षेत्र पड़ते हैं। इस अंचल के पशुओं का पंजाब की प्रसिद्ध हरियाना-नस्ल के द्वारा विकास किया जा रहा है।

३. **थारपारकर-अञ्चल**—इस अञ्चल में बाढ़ सब-डिवीजन को छोड़कर पटना जिले के अन्य सभी सब-डिवीजन तथा ग्रैंड-ट्रंक रोड से उत्तर गया जिले के हिस्से पड़ते हैं। इन क्षेत्रों में थारपारकर-नस्ल के द्वारा स्थानीय गायों की नस्ल को उन्नत किया जा रहा है।

४. (क) **शाहाबादी-अञ्चल**—इस अञ्चल में पलामू जिला, हजारीबाग जिला, ग्रैंड-ट्रंक रोड से दक्षिण गया जिले का हिस्सा तथा नवादा सब-डिवीजन पड़ते हैं। यह अञ्चल शाहाबादी नाम की एक विशेष नस्ल के विस्तार के लिए उपयुक्त है, जो दुग्ध-उत्पादन और कृषि की दृष्टि से शाहाबाद और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में बहुत ही लोकप्रिय है।

(ख) **लालसिन्धी अञ्चल**—इस अञ्चल में राँची तथा सिंहभूमि जिले पड़ते हैं।

पशु-शालाएँ—उन्नत साँड़ों को पैदा करने के लिए उपर्युक्त अञ्चलों में निम्नांकित पशु-शालाएँ (कैटल-फार्म) खोली जा चुकी हैं—(१) बछौड़ कैटल-फार्म, पूसा (दरभंगा); (२) हरियाना कैटल-फार्म, डुमराँव (शाहाबाद); (३) राजकीय कैटल फार्म (थारपारकर), पटना; (४) राजकीय कैटल-फार्म (लालसिंधी), गौरियाकरमा; (५) रेड पूर्णिया कैटल-फार्म, पूर्णिया और (६) राजकीय कैटल-फार्म (शाहाबादी), सरायकेला।

पशु-चिकित्सालय—अबतक इस राज्य में ४६४ पशु-चिकित्सालय खोले गये हैं। इनके अतिरिक्त, १८ चल-चिकित्सालय भी हैं।

दुग्धशालाएँ—बरौनी में एक मक्खन-शाला का शिलान्यास ३० दिसम्बर, १६५६ को राष्ट्रपति द्वारा सम्पन्न हुआ। इस दुग्धशाला में दूध से बने पदार्थों का उत्पादन प्रारंभ हो गया है। पटना, मुजफ्फरपुर तथा भागलपुर में दूध की आपूर्ति के लिए सहयोग-समितियाँ काम कर रही हैं।

पशु-पक्षियों का विकास

कुक्कुटादि—कुक्कुटादि के विकास-सम्बन्धी कार्य को पूरा करने के लिए अबतक तीन कुक्कुट-शालाएँ, दस कुक्कुट-विकास-केन्द्र, इक्कीस कुक्कुटादि प्रसार-केन्द्र तथा बयालीस अण्ड-जनन एवं एक अभिपोष्य केन्द्र राज्य के विभिन्न स्थानों में खोले जा चुके हैं।

बकरे-बकरियाँ—सरकार की ओर से यमुनापारी बकरे, विकास-खण्ड के उन ग्रामों में, जहाँ बकरियों की संख्या ज्यादा है, ग्राम-पंचायत के मुखिया या किसी जिम्मेदार व्यक्ति के पास नस्ल-सुधार के लिए रखे जाते हैं। कृत्रिम प्रजनन-केन्द्रों में उन्नत बकरे कृत्रिम गर्भाधान के लिए रखे गये हैं। इन बकरों की सेवा निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है। आदिवासी-कल्याण-योजना के अन्तर्गत, आदिवासियों को उन्नत युमनापारी बकरे मुफ्त देने की व्यवस्था है।

भेड़—भेड़ प्रधानतः छोटानागपुर-कमिश्नरी तथा दक्षिण-बिहार में ऊन-उत्पादन के लिए पाले जाते हैं। सरकार की ओर से प्रतिवर्ष ५० बीकानेरी भेड़ गड़ेरियों के बीच मुफ्त

बाँटे जाते हैं। गया में ऊन-विश्लेषण-प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। राज्य के विभिन्न स्थानों में चार ऊन-कतरन तथा चार ऊन-विकास-केन्द्रों की स्थापना की गई है।

सूअर—देहाती सूअरों के नस्ल-सुधार के लिए यार्कशायरी नामक सूअर की नस्ल के सूअरों के प्रजनन की योजना डुमराँव, पूसा तथा गौरीकरमा की पशु-शालाओं में चालू है। इस योजना के अन्तर्गत, आदिवासी क्षेत्रों में २० सूअर तथा २० उन्नत सूअरियाँ प्रतिवर्ष नस्ल-सुधार के लिए मुफ्त बाँटी जाती हैं।

गोशालाओं का विकास

इस समय बिहार-राज्य में लगभग डेढ़ सौ गोशालाएँ हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य-सरकार ने गोशालाओं के विकास के लिए एक योजना तैयार की थी। इस योजना का उद्देश्य गोशालाओं के पास उपलब्ध साधनों, भू-सम्पत्ति, भवन आदि का अधिकतम उपयोग करते हुए गोशालाओं का विकास करना है, ताकि इन गोशालाओं से नागरिकों की दूध की आवश्यकता की पूर्त्ति होने के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों में पशु-सुधार-कार्य के लिए कुछ संख्या में उत्तम नस्ल के साँड़ तैयार किये जा सकें।

इस योजना के अन्तर्गत (१) उन्नत नस्ल की दस गायें तथा एक साँड़, विकास-कार्य के लिए चुनी गई प्रत्येक गोशाला को, दिये जाते हैं, बशर्ते कि उन्नत नस्ल की इतनी गायें और साँड़ गोशाला की ओर से भी दिये जायँ। (२) दुधारू गायों के पालन-पोषण पर बढ़ते हुए खर्च को पूरा करने के लिए दो हजार रुपये वार्षिक की आवर्त्तक सहायता दी जाती है। (३) उन्नत नस्ल के साँड़ द्वारा प्रजनित प्रत्येक बाछा को उचित रूप से पोसने के लिए दस रुपये मासिक सहायता दी जाती है। (४) औजारों आदि की खरीदगी तथा मौजूदा मकान की मरम्मत और सुधार के लिए पाँच हजार रुपये की अनावर्त्तक सहायता दी जाती है।

गोशाला-विकास-योजना के अन्तर्गत सन् १९५९-६० ई० तक ५६ गोशालाओं को विकास-कार्य के लिए हाथ में लिया गया। इन गोशालाओं को वैज्ञानिक ढंग की व्यवस्था, शुद्ध दुग्धोत्पादन, पालन-पोषण एवं अभिजनन के सम्बन्ध में सलाह देने के लिए राज्य-सरकार ने एक गोशाला-विकास-पदाधिकारी की नियुक्ति की है, जिसका कार्यालय पटना में है।

तृतीय योजना के अन्तर्गत पशुपालन और दुग्ध-विकास की स्कीमों का काम पूरा हो जाने पर औसतन प्रति आदमी प्रतिदिन ६ औंस दूध बिहार में मिलने लगेगा। ५० हजार से ऊपर की आबादीवाले हर शहर में सरकार की ओर से दूध की आपूर्त्ति करने की योजना है। बरौनी में मक्खन और पनीर के कारखाने का विस्तार किया जा रहा है तथा सात चुने स्थानों में भी दूध से तैयार होनेवाले सामान, जैसे पनीर, मक्खन, घी आदि तैयार करने की व्यवस्था हो रही है।

पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए २१९० उन्नत नस्ल के साँड़ तृतीय योजना-काल में वितरित किये जायेंगे। आशा है, योजना के अन्त तक ३ लाख ५० हजार उन्नत कोटि के साँड़ बिहार-राज्य में उपलब्ध होंगे। तृतीय योजना में गोशालाएँ बनाई जायँगी, रोगी पशुओं के लिए चिकित्सा का प्रबन्ध होगा और पशुधन के लिए चारे का प्रबन्ध भी किया जायगा। दूसरी योजना के अन्त में सरकारी मवेशी-अस्पतालों की कुल संख्या ४६० थी। राज्य में तीन पशुपालन-विद्यालय खोलने की भी योजना है।

खनिज पदार्थ

खनिज पदार्थ के मामले में बिहार भारत का सर्वाधिक सम्पन्न राज्य है। वर्त्तमान समय में बिहार भारत के कुल खनिज-उत्पादन के ४० प्रतिशत की पूर्त्ति करता है। यहाँ कई ऐसे खनिज पदार्थ पाये जाते हैं, जिनकी बिक्री द्वारा विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में इसका योगदान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। यहाँ की खनिज-समृद्धि को देखकर यह आशा की जाती है कि भविष्य में बिहार भारत का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बन सकेगा।

अबतक राज्य-सरकार के अधीन खान एवं खनिज-पदार्थ-सम्बन्धी कार्यों के लिए एक छोटा-सा खान-विभाग है, जिसके प्रमुख प्रधान खान-पदाधिकारी (चीफ माइनिंग ऑफिसर) होते हैं। सन् १६४६ ई० में भारत-सरकार द्वारा खनिज-सुविधा-नियम (मिनरल्स कन्सेशन रूल्स) बनाये गये, जिनका उद्देश्य राज्य-सरकारों द्वारा दी जानेवाली लीज एवं अनुज्ञा-पत्र का नियमन करना था। प्रधान खान-पदाधिकारी तथा आठ जिला-खान-पदाधिकारियों के प्रमुख कार्य स्वीकृति के प्रमाण-पत्र के लिए दिये गये आवेदन-पत्रों की जाँच-पड़ताल तथा उनका नवीकरण एवं अनुज्ञा-पत्र तथा लीज के आवेदन-पत्रों की जाँच-पड़ताल एवं नवीकरण हैं। राजस्व-संग्रह के अतिरिक्त प्रधान खान-पदाधिकारी तथा उनके अधीनस्थ कर्मचारियों का कार्य यह निरीक्षण करना है कि खानों की खुदाई एतत्सम्बन्धी कानूनों, नियमों एवं आदेशों के अनुसार की जा रही है, अथवा नहीं। साथ ही, यह विभाग उन खानों की व्यवस्था के लिए भी उत्तरदायी है, जिनकी खुदाई राज्य-सरकार द्वारा होती है। यह छोटे-मोटे खनिजों की खुदाई के लिए आदेशन-पत्र भी देता है।

केन्द्रीय सरकार के भूगर्भ-सर्वेक्षण-विभाग एवं भारतीय खान-विभाग द्वारा इस राज्य में भी खनिजों के सर्वेक्षण एवं अन्वेषण के कार्य किये जाते हैं, जैसे—शाहाबाद जिले के अमजोर नामक स्थान में पाइराइट की खान का पता लगाना, बिहार की कोयला-खानों का विस्तृत सर्वेक्षण आदि। सन् १६५६ ई० में राज्य-सरकार ने भूगर्भ-शास्त्र का पृथक् निदेशालय (डायरेक्टरेट) खोला है। इसका मुख्य उद्देश्य केन्द्रीय सरकार के भूगर्भ-शास्त्रीय सर्वेक्षण-विभाग को खनिजों की खोज एवं सर्वेक्षण में सहायता प्रदान करना है। इसके लिए एक निदेशक, एक उप-निदेशक तथा आठ भू-गर्भ-शास्त्रज्ञों के पद स्वीकृत किये गये। सितम्बर, १६५८ ई० में माइनिंग और जियोलॉजी नामक दो विभाग उक्त निदेशालय में मिला दिये गये।

बिहार के कुछ प्रमुख खनिज पदार्थ निम्नांकित हैं—

कोयला—यह भारत में सबसे अधिक परिमाण में पाया जानेवाला खनिज पदार्थ है। सम्पूर्ण देश के कुल कोयला-उत्पादन का लगभग ६६ प्रतिशत भाग बिहार ही देता है। इसके बाद क्रम से बंगाल और मध्यप्रदेश का स्थान है। बिहार में झरिया की खान से ही भारत को करीब ५० प्रतिशत कोयला प्राप्त होता है। यहाँ का कोयला सबसे अच्छी किस्म का है। यहाँ की खानों में ३२ अरब टन कोयला प्राप्त होने का अनुमान है। झरिया की खान के बाद बोकारो और करनपुरा कोयला-क्षेत्र का स्थान है। बोकारो का कोयला-क्षेत्र २२० वर्गमील में है। यहाँ १ अरब टन कोयला पाये जाने का अनुमान है।

उत्तरी और दक्षिणी करनपुरा के कोयला-क्षेत्र का क्षेत्रफल ६२० वर्गमील है। इसका कुछ भाग राँची जिला में और कुछ पलामू जिला में पड़ता है। यहाँ करीब ८ अरब टन कोयला होने का

अनुमान किया गया है। अन्य छोटे-छोटे कोयला-क्षेत्र ये हैं—पलामू जिले में (१) डालटेनगंज कोयला-क्षेत्र, (२) हुतार कोयला-क्षेत्र और (३) औरंगा कोयला-क्षेत्र; हजारीबाग जिले में (४) गिरिडीह कोयला-क्षेत्र और (५) चोप कोयला-क्षेत्र तथा संतालपरगना जिले में (६) जयन्ती कोयला-क्षेत्र, (७) साहोजोरी कोयला-क्षेत्र और (८) कुंडित-कुरिमयाह कोयला-क्षेत्र।

लोहा—इस कल-कारखाने के युग में लोहे का बहुत अधिक महत्त्व है। भारत के कुल लोहे का आधा से अधिक उत्पादन बिहार में ही होता है। यहाँ का लोहा बहुत अच्छी किस्म का है। सिंहभूमि जिले के दक्षिणी भाग में सबसे अधिक और सबसे अच्छा लोहा पाया जाता है। टाटा आयरन ऐण्ड स्टील कम्पनी, इंडियन आयरन ऐण्ड स्टील कम्पनी तथा चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के काम में लाये जानेवाले लोहे का अधिकांश भाग नोआमुंडी, गुआ और चीना नामक स्थानों से प्राप्त होता है। सिंहभूमि जिले के धरवार, सारन्द (कोलहान), बड़ाबुरु, नोट्टूबुरु, पनसिरा-बुरु आदि स्थानों में भी लोहा मिलता है। लोहे का यह क्षेत्र दक्षिण की ओर बढ़कर उड़ीसा के मयूरभंज, क्योंझर और बोनाय जिलों में चला गया है। बिहार में ६ अरब टन कच्चा लोहा पाये जाने का अनुमान है। राँची, पलामू, हजारीबाग, सन्तालपरगना तथा दक्षिणी भागलपुर में लोहे की छोटी-छोटी खानें हैं।

ताँबा—भारत के कुल उत्पादन का अधिकांश ताँबा (ताम्र, तामा) मुख्यतः बिहार में ही पाया जाता है। यहाँ पुराने जमाने में बहुतायत से ताँबा निकाला जाता था, जिसके चिह्न छोटानागपुर में जहाँ-तहाँ अब भी देखने में आते हैं। इस समय सबसे अधिक ताँबा सिंहभूमि जिले में पाया जाता है, जहाँ इसकी खान ८० मील तक फैली हुई है। राखा, मोसाबोनी, धोबानी और बदरिमा में ताँबा की खानें हैं। मोसाबोनी से ६ मील दूर घाटशिला के पास मौभंडार नामक स्थान में ताँबा गलाने और शुद्ध करने का कारखाना है। खान से ताँबा आकाशी रज्जु-मार्ग द्वारा कारखाने तक पहुँचाया जाता है। ताँबे में जस्ता मिलाकर पीतल बनाया जाता है। हजारीबाग जिले के बरमुण्डा और गुलगी नामक स्थानों में, संतालपरगने के बैरुकी और बौद्धबाँध में तथा पलामू जिले के कुछ भागों में भी ताँबे की खानें हैं।

अबरख—अबरख के लिए बिहार भारत में ही नहीं, सारे संसार में प्रसिद्ध है। संसार के कुल उत्पादन का ७० प्रतिशत अबरख भारत पैदा करता है, जिसके कुल उत्पादन का ७५ प्रतिशत भाग बिहार देता है। इस प्रकार संसार के कुल उत्पादन का ५२·५ प्रतिशत भाग अबरख बिहार उत्पन्न करता है। बिहार में अबरख की खानें ६० मील लम्बे और २० मील चौड़े भू-भाग में फैली हुई हैं। ये खानें गया जिले से हजारीबाग होती हुई मुंगेर और भागलपुर जिले तक चली गई हैं। हजारीबाग जिले का अबरख सबसे अच्छी किस्म का है। यहाँ का अधिकांश अबरख अमेरिका और इंगलैंड भेजा जाता है। अबरख की खानों से पिच-ब्लेंड नामक धातु निकाली जाती है, जिससे रेडियम तैयार किया जाता है। बिजली के यन्त्र, ग्रामोफोन के साउण्ड-बक्स, लालटेन के शीशे, आईने, एक प्रकार का चमकीला कागज आदि अबरख से तैयार होते हैं। झुमरी-तिलैया के पास 'माइका ऐण्ड माकेनाइट फैक्टरी' नामक एक कारखाना है, जहाँ प्रतिवर्ष तीन सौ टन अबरख के सामान तैयार होते हैं।

बॉक्साइट—यह राँची जिले के पकरीर और सेरेनडाग तथा पलामू जिले के नेतरहाट नामक स्थानों में पाया जाता है। इससे अल्युमिनियम नामक पदार्थ तैयार होता है। भारत में

उच्च कोटि के बॉक्साइट की खानों में ढाई करोड़ टन बॉक्साइट पाये जाने का अनुमान है, जिसमें ६० लाख टन बिहार में है। भारत में बॉक्साइट से अल्युमिनियम बनाने के कई कारखाने हैं। ये कारखाने प्रतिवर्ष ३-४ हजार टन अल्युमिनियम तैयार करते हैं। बिहार की खानों में प्रचुर मात्रा में बॉक्साइट पाये जाने के कारण इसके उद्योग-धंधे बढ़ने की काफी गुंजाइश है।

चूना-पत्थर—चूना-पत्थर शाहाबाद, पलामू, हजारीबाग, राँची और सिंहभूमि जिलों में पाया जाता है। सीमेंट बनाने में इसका उपयोग होता है। शाहाबाद जिले में रोहतास-अधित्यका की दक्षिणी ढाल पर करीब ४० मील की लम्बाई में इसकी खानें फैली हैं। बंजारी, रोहतास और बौलिया के पास चूना-पत्थर का काम होता है, जहाँ कल्याणपुर लाइम-सीमेंट-कम्पनी, सोन-वैली पोर्टलैंड सीमेंट-कम्पनी और डालमिया सीमेंट-कम्पनी पोर्टलैंड सीमेंट तैयार करती हैं। इन स्थानों से पश्चिम, अपेक्षाकृत चूना-पत्थर अधिक पाया जाता है, परन्तु यातायात की असुविधा के कारण उसके निकालने का काम नहीं हुआ है। सिंहभूमि की खान से उत्पादित चूना-पत्थर से झिकपानी की सीमेंट-फैक्टरी का काम चलता है। अन्य स्थानों की खानें अपेक्षाकृत छोटी हैं।

चीनी मिट्टी—चीनी मिट्टी मुख्यतः सिंहभूमि, भागलपुर और संतालपरगना जिलों में पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक चीनी मिट्टी बिहार ही पैदा करता है।

चीनी मिट्टी से तरह-तरह के बरतन बनाये जाते हैं। कागज और कपड़े की मिलों में भी इसका उपयोग होता है, पर कपड़े की मिलें अधिकतर विदेशों से चीनी मिट्टी मँगाती हैं; क्योंकि यहाँ की मिट्टी अच्छी किस्म की नहीं होती।

ईंट की मिट्टी—झरिया, डालटेनगंज, मुंगेर, संतालपरगना और सिंहभूमि जिलों में एक विशेष प्रकार की ईंट की मिट्टी पाई जाती है। इससे पहले दरजे की बहुत अच्छी ईंटें बनाई जाती हैं, जिनका उपयोग पुल वगैरह बनान के काम में होता है।

मैंगनीज—यह लोहे की जाति की एक धातु है, जिसका उपयोग बढ़िया इस्पात तथा रासायनिक पदार्थ तैयार करने में होता है। सिंहभूमि जिले में उत्तम कोटि के मैंगनीज की खानें हैं।

क्रोमाइट—लोहे के उद्योग में इसका उपयोग होता है। इसे लोहे में मिला देने से जंग नहीं लगता। रासायनिक पदार्थ बनाने के काम में भी इसका व्यवहार होता है। यह चाईबासा के कोलहान स्टेट के पोस्बुरु और किमसी नामक स्थानों में मिलता है। भारत के कुल क्रोमाइट का २४ प्रतिशत भाग बिहार से प्राप्त होता है।

ग्रेफाइट—इस धातु का उपयोग पेन्सिल का लेड और पेण्ट आदि तैयार करने में होता है। यह डालटेनगंज, मुंगेर जिले के बाघमारी तथा छोटानागपुर के अन्य कई स्थानों में पाया जाता है।

केनाइट—यह खनिज ताँबा की खानों से ही प्राप्त होता है। सिंहभूमि जिले के लप्साबुरु, घागडीह और कन्यालुक नामक स्थानों में विशेष रूप से मिलता है। लप्साबुरु की खान दुनिया की सबसे बड़ी खान है। बिहार में भारत के कुल उत्पादन का ७५ प्रतिशत केनाइट मिलता है। इसका अधिकांश भाग विदेशों को निर्यात होता है। इसका उपयोग धातु, सीसा, रसायन और विद्युत्-सम्बन्धी उद्योग-धन्धों में होता है।

स्टीटाइट या सोपस्टोन—यह छोटानागपुर के अनेक स्थानों में, विशेषकर सिंहभूमि जिले के बेले पहाड़ी, दीषा, भीतरदारी और तुरदा नामक स्थानों में अधिक मिलता है। इससे खल्ली बनाई जाती है। शीशा और चमड़े को चिकना करने के काम में इसका उपयोग होता है। पेण्ट, कागज, कपड़ा, बर्नर, स्टोव आदि के कारखानों में भी इसका व्यवहार किया जाता है।

एपेटाइट—यह मुख्यतः सिंहभूमि जिले के नन्दुप, पथरगारा, बदिया और सुनरगी नामक स्थानों में ताँबा की खानों के पास पाया जाता है। यह साधारणतः कृत्रिम खाद तथा लोहा तैयार करने के काम में व्यवहृत होता है।

पीराइट—गंधक तैयार करने के काम में इसका उपयोग होता है। शाहाबाद जिले में इसकी खानें हैं। अनुमान है कि इस जिले के अमजोर नामक स्थान में ७५ हजार टन पीराइट संचित है।

मैग्नेसाइट—इस धातु का उपयोग मैग्नेशिया नामक औषध तैयार करने में होता है। यह सिंहभूमि जिले के कोलहान स्टेट में पाया जाता है।

अण्टीमनी—यह सीसा के साथ हजारीबाग जिले के हिसातू नामक स्थान में मिलता है। इसकी कच्ची धातु से १२·२ प्रतिशत शुद्ध धातु तैयार होती है।

एस्बेस्टस—यह सिंहभूमि जिले के बरबाना और सरंगपोषी नामक स्थानों में तथा मुँगेर जिले में पाया जाता है। सरंगपोसी की एस्बेस्टस की खान सरकारी खान है।

यूरेनियम—यह एक ऐसी धातु है, जिसका उपयोग अणुशक्ति-उत्पादन में होता है। गया, मुँगेर, राँची और हजारीबाग में यह मिलता है।

टुंग्सटेन—यह सिंहभूमि जिले में जमशेदपुर के पास मिलता है। बिजली-लैंप, टेलिग्राफ, रेडियो के औजार, ग्रामोफोन की सूई आदि बनाने में इसका उपयोग होता है।

टीन—हजारीबाग जिले के सिपरीतारी, पिपिहिरा, डोमचाँच, चप्पाटाँड़ और तुरगो नामक स्थानों में इसकी खानें हैं। यह राँगे की जाति की एक धातु है। इसमें जंग नहीं लगता।

जस्ता—संतालपरगना और हजारीबाग जिले में इसकी खानें हैं। यह बरतन आदि बनाने के काम में आता है।

सोना—यह राँची और सिंहभूमि जिले में पाया जाता है। गरहा, शंख, दक्षिण कोयल, संजय, सोना और सुवर्णरेखा नदियों की बालू के कण से भी सोना निकाला जाता है, लेकिन दिन-भर के परिश्रम के अनुपात में इससे विशेष लाभ नहीं होता। सन् १९३५-३६ ई० में यहाँ कुल ३३ औंस सोना निकाला गया था।

स्लेट और अन्य पत्थर—मुँगेर जिले की खड्गपुर-पहाड़ी के मारुक, सुखाल, गढ़िया, टिकाई, अमरनी और सीताकोबर नामक स्थानों में छत और लिखने के स्लेट मिलते हैं। सिंहभूमि में भी स्लेट-पत्थर पाया जाता है। शाहाबाद, गया, मुँगेर और छोटानागपुर के पहाड़ों में चक्की तथा मकान बनाने के काम में आनेवाले पत्थर मिलते हैं। गया, धनबाद और सिंहभूमि जिलों के विभिन्न स्थानों में पत्थर की मूर्त्तियाँ, खिलौने और बरतन बनाने के उद्योग-धंधे चलते हैं।

शीशा या काँच की बालू—शीशा या काँच बनाने के लिए संतालपरगना के विभिन्न स्थानों में कई तरह की बालू मिलती है। काँच की कुछ अच्छी चीजें भी बनती हैं।

कसीस—कसीस शाहाबाद जिले में मिलता है।

गेरू—यह लाल और पीले रंग का एक तरह का पत्थर है, जो रंग एवं दवा के काम में आता है। यह शाहाबाद, मुंगेर और छोटानागपुर कमिश्नरी के जिलों में मिलता है।

गंधक—यह सिंहभूम जिले में पाई जाती है।

कीमती पत्थर—मुंगेर तथा छोटानागपुर के पहाड़ों में विभिन्न रंगों के कीमती पत्थर मिलते हैं, जिनमें बेरिल, गारनेट, काइनाइट, इगनस आदि मुख्य हैं।

लीथोग्राफ का पत्थर—शाहाबाद जिले के रोहतासगढ़ नामक स्थान में लीथोग्राफ के पत्थर मिलते हैं।

अन्य खनिज पदार्थ—उपर्युक्त खनिज पदार्थों के अतिरिक्त और भी अनेक प्रकार के खनिज यहाँ पाये जाते हैं, जिनका उपयोग दवा, रसायन आदि बनाने के भिन्न भिन्न कामों में होता है; जैसे—कोरंडम, मोलिबडेनम, आर्सेनिक (संखिया विष), विस्मथ, फास्फेट, सिलिका, वेराटोमाइट, कोलम्बाइट लेटराइट, लेपेराइट आदि।

खनिज-जल—झरनों से निकलनेवाले जल में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ मिले रहते हैं। अतः यह अनेक रोगों की दवा के रूप में काम में आता है। ऐसा खनिज-जल बिहार के अनेक स्थानों में मिलता है, पर इसका पूरा-पूरा उपयोग नहीं हो पाता। सिर्फ कुछ कुंडों से दो-एक कम्पनियाँ खारा और मीठा पानी तैयार करती हैं। ऐसे झरनों में मुख्य हैं—पटना जिले के राजगृह के झरने; मुंगेर जिले के सीता-कुंड, पंचभूर, शृंगरिख, ऋषिकुंड, रामेश्वरकुंड, भुरका, जन्मकुंड और भीम बाँध के झरने; हजारीबाग जिले के लुरगुथा, पिंडारकुंड, दोआरी, सूर्यकुंड, बेलकप्पी और केसोडी के झरने तथा संतालपरगना के भुमका, नुनबिल, सुसुमपानी, तापतपानी, ततलोई, झरियापानी, बरमसिया, लौलादह के झरने आदि।



उद्योग-धन्धे

बिहार एक कृषि-प्रधान राज्य है। यहाँ के ८६·४ प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। बाकी लोग कृषि-भिन्न उत्पादन-कार्यों में या अन्य कार्यों में लगे हैं। उद्योग-धन्धों के विकास के लिए जिन साधनों की आवश्यकता होती है, उनकी प्रचुरता रहने पर भी इस राज्य में उद्योग-धन्धों का उतना विकास नहीं हो सका, जितना होना चाहिए। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद से विभिन्न प्रकार के उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहित करने की दिशा में प्रयत्न होने लगे हैं। सन् १९३६ ई० में बिहार में जहाँ निबन्धित फैक्टरियों की संख्या ३२७ थी, वहाँ सन् १९५४ ई० में ४,१७७ हो गई। इस संख्या-वृद्धि का कारण बहुत बड़ी संख्या में कारखानों का बढ़ना तो था ही, साथ ही एक यह भी कारण हुआ कि नये फैक्टरी ऐक्ट के अनुसार बहुत-सी साधारण फैक्टरियों को भी अपने को निबन्धित कराना पड़ा।

इन दिनों वृहत् एवं मध्यम पैमाने के उद्योग-धन्धों के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण का काम चल रहा है। बिहार की औद्योगिक संभावनाओं के सम्बन्ध में प्राविधिक और आर्थिक सर्वेक्षण-कार्य भी हो रहा है।

छोटे पैमानेवाले तथा कुटीर-उद्योग

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में छोटे पैमानेवाले तथा कुटीर-उद्योगों के विकास पर अधिक जोर दिया गया था। उद्देश्य था—

१. कम पूँजी की लागत से नई नियुक्तियों द्वारा बेकारी को कम करने का प्रयास करना;

२. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों के कृषि से बचे हुए समय को उपयोग में लाना;

३. नष्ट होते शिल्पों और ग्रामीण उद्योग-धन्धों को जिलाना और उन्हें मजबूत करना;

४. उद्योगों-धन्धों का अधिकतर विकेन्द्रीकरण और ग्रामीकरण;

५. स्वतंत्र रूप से काम करनेवाले कारीगरों को उन्नति करने का अवसर प्रदान करना, और

६. तुलनात्मक दृष्टि से कम पूँजी की लागत से योजनान्तर्गत हुई आय के लिए आवश्यक अतिरिक्त उपभोक्ता-सामग्री का उत्पादन।

राज्य के उद्योगों में लगे १२ करोड़ २३ लाख रुपये में से ८ करोड़ ६१ लाख रुपये कुटीर एवं छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए दिये गये थे।

हाथ-करघा-उद्योग

बिहार में हाथ-करघा-उद्योग सबसे सुसंगठित उद्योग है। इसमें करीब दो लाख करघे हैं, जिनपर १० लाख व्यक्ति काम कर रहे हैं। १,०३१ बुनकर सहकारी समितियों का संगठन किया गया है। सन् १९६०-६१ ई० में इस उद्योग पर लगभग २८ लाख रुपये खर्च किये गये। इस उद्योग-धन्धे को पूँजी कपड़े की मिलों पर लगे अतिरिक्त कर से और रिजर्व बैंक से मिलती है। इस उद्योग के विकास के लिए सरकार द्वारा प्रतिवर्ष २५-३० लाख रुपये अनुदान-स्वरूप मिलते हैं। सूती कपड़े के हाथ-करघा-उद्योग के विकास के लिए १ करोड़ ४२ लाख तथा रेशमी एवं ऊनी कपड़े के करघों पर २० लाख रुपये लगाये गये हैं। आदिवासी बुनकरों को सरकार की ओर से विशेष सुविधाएँ दी गई हैं। सारे राज्य में इस समय इस उद्योग द्वारा उत्पादित माल की बिक्री के लिए १०० बिक्री-केन्द्र खोले गये हैं। बुनकर-सहयोग-समितियों को सूत देने के लिए चार प्रधान बिक्री-केन्द्र हैं। प्रान्त के बाहर एजेंटों एवं सहकारी दूकानों द्वारा हाथ-करघे के कपड़ों की बिक्री की व्यवस्था होती है। कलकत्ता और गौहाटी में इसके अपने इम्पोरियम हैं। गया, राँची, भागलपुर और सिवान (सारन) में छोटे-छोटे रँगाई-घर हैं। बिहारशरीफ और लहेरियासराय में मशीनों द्वारा रँगाई एवं सजावट के काम की व्यवस्था की गई है।

विद्युत्-चालित करघे

इधर हाथ-करघा-बुनकरों को प्रयोगात्मक रूप से व्यवहार करने के लिए विद्युत्-चालित-करघे दिये जा रहे हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ३,५०० विद्युत्-चालित करघे चालू करने का विचार था। इनमें से ३०० विद्युत्-चालित करघे बिहारशरीफ और मानपुर (गया) के बुनकरों को दिये जा चुके हैं। सन् १९५९-६० ई० के आर्थिक वर्ष में इरबा (राँची), चम्पानगर (भागलपुर), महाराजगंज (सारन), चकिया (मोतिहारी), तिलौथू (शाहाबाद), नागरी (राँची), पंडौल (दरभंगा) और लहेरियासराय में ६०० विद्युत्-करघे स्थापित करने का निश्चय किया गया। एक हाथ-करघे से जहाँ ७-८ गज कपड़े बुने जाते हैं, वहाँ विद्युत्-करघे से ३०-४० गज कपड़े बुने जायेंगे। इन विद्युत्-करघों के कामों में सहायता पहुँचाने के लिए प्रत्येक ३०० विद्युत्-करघों के समूह पर मशीन-युक्त एक विशेष संयंत्र रहेगा।

तसर-कीट-पालन-उद्योग

भारत के तसर-उद्योग में बिहार सबसे आगे है। इस उद्योग की विभिन्न शाखाओं में लगभग एक लाख व्यक्ति लगे हैं। छोटानागपुर और संतालपरगने के आदिवासी तसर के कीड़े पालते और उनके कोओं की बिक्री से अपनी जीविका चलाते हैं। इस उद्योग के विकास के लिए एक तो नीरोग अंडों को तैयार करना है और दूसरे, खरीद-बिक्री के बाजारों का निर्माण करना। पहले कार्य के लिए पहले से ३ केन्द्र और २ उपकेन्द्र चल रहे थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ३ नये केन्द्र और १५ उपकेन्द्र कायम किये गये। अबतक आदिवासी लोग अपने कोए बुनकरों के हाथ नहीं बेचकर बीच के खरीदारों के हाथ बेचा करते थे, जिससे उचित मूल्य पर कोओं की खरीद-बिक्री नहीं हो पाती थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन बीच के खरीद-बिक्री करनेवालों को हटाकर सरकार द्वारा सिंहभूमि एवं संतालपरगना जिलों में खरीद-बिक्री की व्यवस्था की गई।

अण्डी-कीट-पालन-उद्योग

बिहार में अण्डी, अर्थात् रेंड़ी की खेती बड़े पैमाने पर होती है। अण्डी नामक रेशम का सूत इसी के पौधों पर पाले गये रेशम के कीड़ों से तैयार होता है। इसलिए, अण्डी की खेती करनेवाले किसानों को अतिरिक्त काम देने के लिए यहाँ इस उद्योग का विकास किया जा रहा है। राँची और बेगूसराय में अण्डी-रेशम के कीड़े पालने के केन्द्र खोले गये हैं। लोगों को जगह-जगह जाकर इस सम्बन्ध में शिक्षा देने के लिए २० प्रशिक्षकों की नियुक्ति हुई है।

रेशम की बुनाई

भागलपुर रेशमी कपड़े की बुनाई का प्रधान केन्द्र है। संयुक्तराज्य अमेरिका के तसर के कपड़ों के आने से यहाँ के व्यवसाय को बहुत बड़ा धक्का लगा। इसीलिए सरकार ने विदेशी माल का आना बन्द कर दिया। उसके बाद से इस उद्योग में फिर जान आई है और केवल भागलपुर से ही प्रतिमास एक लाख रुपये से अधिक का माल बाहर भेजा जाने लगा है। भागलपुर में इसके लिए एक बड़ी मिल की स्थापना की गई है।

हस्तशिल्प के काम

विभिन्न दस्तकारियों के विकास के लिए १५ योजनाएँ लागू की गई हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं—खिलौना-विकास-केन्द्र, राँची; कैलिको छपाई-केन्द्र, पटना सिटी; शीशा-चूड़ी-केन्द्र मोतिहारी; सींक या सिक्की के सामान का केन्द्र, दरभंगा; वार्निश के सामान का केन्द्र, पटना; गुड़िया-केन्द्र, पटना और बाँस-केन्द्र, पटना। कागज की लुगदी की बनी चीजें, मिट्टी के चित्रित बरतन, लकड़ी की नक्काशी और पच्चीकारी आदि के भी केन्द्र खोले जा रहे हैं।

भारत में लाह की कुल पैदावार जितनी होती है, उसका प्रतिशत ३४ भाग बिहार में पैदा होता है। इस व्यवसाय में छोटानागपुर और खासकर पलामू जिले के बहुत-से लोग लगे हैं।

केन्द्रीय बहु-शिल्प-केन्द्र

पटना के कॉटेज इंडस्ट्रीज इंस्टीच्यूट का नाम अब बदलकर पटना पॉलिटेक्निक (पटना बहु-शिल्प-केन्द्र) कर दिया गया है। इसके पुनर्संगठन का काम सन् १९५६-५७ ई० से चालू है।

यह संस्था विभिन्न औद्योगिक विषयों पर छात्रों को प्रशिक्षण देकर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट देती है। कपड़े की बुनाई और धातु एवं मिट्टी के सामान बनाने के प्रशिक्षण पर डिप्लोमा दिया जाता है। बुनाई, रँगाई, छपाई, चमड़े का काम, दरी बनाने का काम, लकड़ी का काम, साबुन, बूट-पॉलिश, मोमबत्ती, खिलौना, गंजी, मोजा आदि बनाने के काम, बेंत और बाँस का काम, लोहारी का काम, लोहा-खराद का काम, जोड़ाई का काम, मिट्टी का काम आदि विषयों पर सर्टिफिकेट देने का प्रबन्ध है।

महिला औद्योगिक विद्यालय

राँची और मुंगेर के महिला औद्योगिक विद्यालय स्थायी बना दिये गये हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, डाल्टेनगंज और गया में चार और विद्यालय खोले जा चुके हैं। प्रत्येक विद्यालय में महिला-प्रशिक्षणार्थियों के लिए ६० स्थान रखे गये हैं। इन विद्यालयों में सिलाई, गंजी, मोजा आदि की बुनाई, कशीदा का काम, चमड़े का काम, बेंत और बाँस के काम आदि सिखाये जाते हैं।

खादी और ग्रामोद्योग

अगस्त, १९५६ में बिहार-सरकार ने बिहार खादी और ग्रामोद्योग-सम्बन्धी कानून बनाया और उसी मास में बिहार-राज्य खादी-बोर्ड की स्थापना हुई। दो-तीन मास बाद इसका काम चालू भी हो गया। अपनी स्थापना के प्रारम्भिक दो वर्षों में इसे सरकार से १,०७,०५,४४० रुपये अनुदान-स्वरूप प्राप्त हुए। अधिकांश रुपये सहकारी एवं पंजीबद्ध संस्थाओं को पहले से स्थापित उद्योग-धन्धों के विकास के लिए या नये उद्योग-धन्धे चलाने के लिए दिये गये हैं। यह बोर्ड अपनी ओर से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विक्रय-शाला, प्रशिक्षण-केन्द्र और संस्थान, आदर्श उत्पादन-केन्द्र तथा प्रदर्शन-केन्द्र चलाता है। बिहार में छह ऐसे केन्द्र हैं, जहाँ रूई का स्टॉक इसीलिए रखा जाता है कि पास के अम्बर-परीक्षणालय और खादी-केन्द्रों को कभी रूई का अभाव न होने पावे।

खादी और ग्रामोद्योग-संघ—अखिलभारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग-आयोग बिहार में (१) सीधे संघ द्वारा चलाये गये तिरिल (राँची), कौवाकोल (गया) और हंसा (दरभंगा) के घने विकास-क्षेत्र को आर्थिक सहायता पहुँचाता है तथा (२) पुराने ढंग की खादी और अम्बर-चर्खा के विकास के लिए खादी-ग्रामोद्योग-संघ को अतिरिक्त कार्यकारी पूँजी तथा अन्य प्रकार की सहायता (जैसे—छूट) देता है।

प्रशिक्षण-कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का उद्देश्य आदर्श कारखाने स्थापित करने और भ्रमणशील कारखाने खोलने के अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत-से प्रशिक्षण-सह-उत्पादन-केन्द्र कायम करना भी है। राज्य में इस समय २६ विभिन्न उद्योगों के ३५४ ऐसे केन्द्र कायम हो चुके हैं। इन उद्योग-धन्धों में लोहारी, बढ़ईगिरी, चर्म-शोधन, चमड़े की वस्तुओं का उत्पादन, साबुनसाजी, विसंक्रामक पदार्थ बनाना, मधुमक्खी-पालन, बेंत और बाँस के काम, कपड़े की छपाई, खिलौने बनाना, सींक या सिक्की की वस्तुएँ बनाने आदि के काम शामिल हैं। द्वितीय योजना में कारीगरों को प्रशिक्षण देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। महिलाओं को सीना-पिरोना, कशीदाकारी करना और

गंजी-मोजा बुनना सिखाने का कार्य बहुत लोकप्रिय हो रहा है। प्रशिक्षण का अधिकतर कार्य सहकारी समितियों और पंजीबद्ध संस्थाओं द्वारा होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त में हाथ-करघों तथा खादी और ग्रामीण उद्योग-धन्धों की समितियों के अतिरिक्त राज्य में ६७६ औद्योगिक सहकारी समितियाँ थीं। द्वितीय योजना-काल में और भी १५० कार्यशील सहयोग-समितियाँ स्थापित की गईं।

सहकारी चीनी-मिलें

पूर्णिया जिले के बनमनखी नामक स्थान में एक सहकारी चीनी की मिल स्थापित करने का निश्चय किया गया है। इसके लिए एक सहकारी समिति पंजीबद्ध हो चुकी है। समिति के एक उपनियम के अनुसार राज्य-सरकार द्वारा इसके संचालक-मण्डल का निर्माण भी किया जा चुका है। प्रस्तावित योजनानुसार समिति के सदस्यों को दस लाख रुपये की पूँजी खड़ी करनी थी, जिससे वे राज्य-सरकार से उतनी ही रकम ले सकें और केन्द्रीय सरकार से भी अन्य सुविधाएँ प्राप्त कर सकें।

औद्योगिक प्रगति

द्वितीय योजना-काल

बिहार की कुल जन-संख्या के केवल लगभग ४ प्रतिशत लोग खेती के सिवा दूसरे रोजगारों से जीविका-निर्वाह करते हैं। इसलिए द्वितीय योजना में विशेष रूप से उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया, जिससे अधिक-से-अधिक लोगों को खेती के अलावा दूसरे रोजगारों में काम मिल सके। प्रथम योजना में उद्योगों के लिए केवल १.३६ करोड़ का उपबन्ध किया गया था जबकि द्वितीय योजना में ११.६७ करोड़ का उपबन्ध किया गया। सन् १९५६ ई० में एक औद्योगिक विकास-परिषद् की स्थापना की गई। इस परिषद् की प्राविधिक समिति के अध्यक्ष श्री जे० जे० घांडी (ताता कम्पनी के) हैं, जो बृहत् उद्योगों के विकास से सम्बद्ध समस्याओं की जाँच-पड़ताल करते हैं।

अबरख-व्यवसाय के सम्बन्ध में सलाह लेने के लिए राज्य-सरकार ने सन् १९५८ ई० में अबरख-सलाहकार-समिति का पुनर्गठन किया था। राज्य के खनिज-साधनों के विकास के लिए सन् १९६० ई० में एक खनिज-सलाहकार-समिति का गठन किया गया। इसी प्रकार चीनी-व्यवसाय की उन्नति एवं विस्तार के सम्बन्ध में भी एक उच्चस्तरीय कमिटी गठित की गई। दूसरी योजना की अवधि में छोटे उद्योगों और हस्तशिल्पों के संगठन एवं विकास के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देने के लिए एक बोर्ड गठित किया गया था।

बृहत् उद्योग के क्षेत्र में भारत-सरकार की ओर से राँची के निकट हटिया में एक भारी यंत्र-निर्माण-संयंत्र (हेवी मेशीन बिल्डिंग प्लैण्ट) और एक भारी ढलाई भट्ठी-संयंत्र (हेवी फाउण्ड्री-फोर्ज प्लैण्ट) क्रमशः सोवियत रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित हो रहे हैं। ये दोनों संयंत्र एक सम्पूर्ण इकाई के रूप में काम करेंगे और प्रथम अवस्था में इनकी कुल उत्पादन-क्षमता ४५ हजार टन तैयार कल-पुरजों की, और द्वितीय अवस्था में ८० हजार टन कल-पुरजों की होगी। भारी मशीन-निर्माण-परियोजना का कुल लागत-खर्च ८५ करोड़ रुपये

और ढलाई-भट्ठी-संयंत्र का आनुमानिक व्यय १७६ करोड़ रुपये होगा। पिछला कारखाना तीन अवस्था-क्रमों में निर्मित होगा। ये संयंत्र मुख्य रूप से लोहा और इस्पात-उद्योगों के लिए कल-पुरजे और साज-सामान तैयार करेंगे। खनिज तेल-उद्योग, कोयला-खुदाई-उद्योग तथा इंजीनियरिंग-व्यवसाय से सम्बद्ध अन्यान्य यंत्रों के प्रयोजनों की पूर्ति भी इनके द्वारा होगी। भारी मशीन-निर्माण-संयंत्र में प्रतिवर्ष अनुमानतः १० करोड़ रुपये मूल्य का सन् १९६५-६६ ई० में और ४२ करोड़ रुपये के मूल्य का चतुर्थ योजना के अन्त में उत्पादन होगा। इन दो संयंत्रों के लिए जो सुनिपुण प्राविधिक कर्मकदल आवश्यक होंगे, उनके प्रशिक्षण के लिए भारत-सरकार दो प्राविधिक शिक्षण-संस्थाएँ राँची में खोलने का विचार कर रही है। हटिया की दोनों परियोजनाओं में प्रथम अवस्था में करीब १० हजार और द्वितीय अवस्था में करीब १५ हजार आदमी काम करेंगे।

भारत के चौथे इस्पात-संयंत्र के स्थान के लिए बोकारो को चुना गया है। इस कारखाने में १० लाख टन का उत्पादन होगा। तृतीय योजना में इसे समाविष्ट कर लिया गया है।

जमशेदपुर के आसपास भी कई नये-नये कारखाने खुलेंगे। टेलको द्वारा दो नये संयंत्र बैठाये जायेंगे—एक लुगदी और कागज तैयार करनेवाले यंत्र-समुच्चय के निर्माण के लिए और दूसरा, खानों में मिट्टी हटानेवाले उत्खनकों (खुदाई करनेवाली मशीन) के निर्माण के लिए। सन् १९६१ ई० से इन संयंत्रों का कार्य आरम्भ हो गया है। एक दूसरे टाटा-फर्म को एक नई झलाई मिल खड़ी करने के लिए लाइसेन्स दिया गया है। ब्रिटिश प्लेट कम्पनी को एक नई मिल खड़ी करके अपनी उत्पादन-क्षमता ७५ हजार टन से बढ़ाकर १,५०,००० टन तक ले जाने की अनुमति दी गई है।

इंडियन स्टील ऐण्ड वायर-प्रोडक्ट्स कम्पनी ने सन् १९६१ ई० में एक नई मिल खड़ी करके लोहे की छड़ें और डंडे उत्पादित करने की अपनी ६५ हजार टन की क्षमता को बढ़ाकर १,५०,००० टन कर दिया है।

इसके सिवा राज्य-सरकार की ओर से जमशेदपुर में और बहुत-से छोटे-छोटे उद्योग खुल रहे हैं, जो वहाँ के बड़े और मझोले उद्योगों के लिए अनुषंगी रूप में काम करेंगे। एक और क्षेत्र जो बड़ी तेजी से विकसित होता हुआ औद्योगिक क्षेत्र में परिणत होने जा रहा है, वह है बरौनी। वहाँ जो तेल-शोधनशाला स्थापित हो रही है, उसमें सन् १९६३ ई० के अन्त तक अपरिष्कृत तेल से विभिन्न प्रकार की २० लाख टन पेट्रोलियम से बनी वस्तुओं का उत्पादन होने का अनुमान था। शोधनशाला की गैस तथा अन्य उपजात वस्तुओं से उर्वरकों तथा दूसरे प्रकार के रासायनिक द्रव्यों का निर्माण किया जायगा।

मेसर्स हिन्द इंजीनियरिंग कम्पनी बरौनी के निकट लोहे की ढलाई का एक कारखाना स्थापित करने जा रही है। इसके साथ ही एक टिन का कारखाना भी उक्त कम्पनी द्वारा वहाँ खोला जा रहा है, जिससे तेल-शोधनशाला के प्रयोजनों की पूर्ति हो सके।

बिहार-सरकार के पशु-संवर्द्धन-विभाग द्वारा अमेरिका के प्राविधिक सहयोग से बरौनी में एक मक्खन बनाने का कारखाना खोला गया है, जिसमें प्रतिदिन ५०० मन दूध का मक्खन तैयार किया जाता है।

तेल-शोधनशाला तथा अन्य उद्योगों के विद्युत्-शक्ति सम्बन्धी प्रयोजनों की पूर्ति के लिए विहार-सरकार द्वारा बरौनी में एक थर्मल पावर-स्टेशन का अधिष्ठापन हो रहा है।

शाहाबाद जिले के अमजोर क्षेत्र की पहाड़ियों में पाइराइट नामक कच्ची धातु पाई जाती है। भारत-सरकार ने वहाँ एक कम्पनी खड़ी की है। यह कम्पनी नारवे की एक कम्पनी के साथ मिलकर भारत में सर्वप्रथम गन्धक तैयार करनेवाले संयंत्र संस्थापित करेगी। पाइराइट को पिघलाकर गन्धक तैयार की जायगी।

राज्य-सरकार की ओर से स्थापित सिन्दरी के सुपरफास्फेट कारखाने में प्रतिवर्ष १६ हजार टन सुपरफास्फेट तैयार होता है। इसकी उत्पादन-क्षमता को वार्षिक एक लाख टन तक बढ़ाने के लिए उपाय काम में लाये जा रहे हैं।

राज्य-सरकार द्वारा राँची में एक हाइटेन्सन इन्सुलेटर फैक्टरी की स्थापना की जा रही है। इसमें हर साल २४ हजार टन ऊँचे तनाव के इन्सुलेटर (विद्युत्-विसंवाहक) उत्पादित होंगे। चेकोस्लोवाकिया की एक कम्पनी के प्राविधिक सहयोग से इस फैक्टरी का निर्माण हो रहा है। मकान बनकर तैयार हो गया है तथा यंत्रों का संस्थापन आरम्भ हो चुका है।

सहकारी क्षेत्र में १२ हजार तकुओं की एक सूत कातने की मिल स्थापित हो रही है। इसकी अभिदत्त अंश-पूँजी २० लाख रु० की है, जिसमें १० लाख रुपये की अंश-पूँजी सरकार ने खरीद की है।

राष्ट्रीय कोयला-विकास-निगम (नेशनल कोल-डेवलॉपमेण्ट-कारपोरेशन) द्वारा कोयला साफ करने का एक कारखाना करगली में और मेसर्स हिन्दुस्तान स्टील लि० द्वारा इसी काम के लिए तीन कारखाने दुगदा, भोजूडीह और पाथरडीह में खुलने जा रहे हैं। राष्ट्रीय कोयला-विकास-निगम का प्रधान कार्यालय राँची में और हिन्दुस्तान स्टील लि० का कार्यालय राँची में अवस्थापित होगा।

अणु-शक्ति-आयोग (एटॉमिक एनर्जी कमीशन) सिंहभूमि जिले के घाटशिला के निकट एक यूरेनियम-प्रोसेसिंग-प्लैण्ट स्थापित करने जा रहा है।

द्वितीय योजना-काल में निजी क्षेत्र में भी उद्योगों में बहुत-कुछ धन का विनियोग हुआ है। टाटा कम्पनी का विस्तार किया गया है, जिससे उत्पादन-क्षमता प्रतिवर्ष २० लाख टन इस्पात की हो गई है। इसी प्रकार, टेलको की उत्पादन-क्षमता में भी वृद्धि हुई है और यह कम्पनी बड़ी तादाद में डिजिल ट्रक और रेल-इंजन तैयार कर रही है।

हजारीबाग जिले के गोमिया की विस्फोटक द्रव्यों की फैक्टरी में उत्पादन आरम्भ हो गया है। चीनी, सीमेण्ट और रिफ्रैक्टरी कारखानों ने द्वितीय योजना-काल में अपनी उत्पादन-क्षमता विस्तृत की है।

डालमियानगर के कागज के कारखाने का विस्तार हुआ है। कागज की बड़ी मिलें खोलने के लिए भी लाइसेन्स जारी किये गये हैं। कागज की एक बड़ी मिल हायाघाट (दरभंगा) में स्थापित होगी और इसमें प्रतिदिन १०० टन कागज तैयार होगा। कागज की एक छोटी मिल समस्तीपुर में खुली है। इसमें हर साल ३,६०० टन कागज तैयार होगा। इसी तरह की एक मिल डुमराँव (शाहाबाद जिला) में खुलने जा रही है।

ब्रिटानिया इंजीनियरिंग वर्क्स ने मालगाड़ी का डिब्बा तैयार करने के लिए मोकामा में एक कारखाना खोला है। फुलवारीशरीफ की बाइसिकिल फैक्टरी का आधुनिकीकरण और विस्तार हुआ है। राज्य-वित्त-निगम द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त करके बिहारशरीफ और पटना-क्षेत्रों में बहुत-से कोल्ड स्टोरेज खुले हैं। इसी प्रकार धनबाद में खनन-कार्य-सम्बन्धी सामग्री के निर्माण के लिए एक कारखाना खोला गया है।

पटना, बिहारशरीफ, राँची और दरभंगा में ४ औद्योगिक प्रक्षेत्र (इंडस्ट्रियल स्टेट) प्रतिष्ठित किये गये हैं।

पटना औद्योगिक प्रक्षेत्र

पटना के औद्योगिक प्रक्षेत्र में एक कारखाना प्रतिष्ठित है, जिसमें औजार और रंग तैयार होते हैं। इसके सिवा एक कारखाना बाइसिकिल के विभिन्न कल-पुरजों को एकत्र करके बाइसिकिल तैयार करने का है। इस कारखाने में १५ से ३० हजार तक बाइसिकिल प्रतिवर्ष तैयार करने का कार्यक्रम है। अभी तक ३ हजार बाइसिकिल तैयार हो चुके हैं। प्रतिदिन ३० बाइसिकिल तैयार होते हैं। इस इलाके में कितनी ही निजी औद्योगिक इकाइयाँ भी हैं। सरकार द्वारा परिचालित लौह-भिन्न ढलाई का कारखाना रेडियो की संघटक इकाई, बिजली के उपसाधनों को निमित करने की इकाइयाँ, खेल-कूद के सामान, मोटर की बैटरी और कच्चे माल के डिपो इत्यादि इस इलाके में हैं।

राँची औद्योगिक प्रक्षेत्र

इस इलाके में राज्य द्वारा परिचालित छोटे-छोटे औजार और खेल-कूद के सामान के निर्माण के लिए चार इकाइयाँ (युनिट), एक खिलौना-विकास-केन्द्र, एक बिजली द्वारा गिलट करने और काली कलई करने का केन्द्र अवस्थापित हैं। सब इकाइयाँ काम कर रही हैं। कुछ निजी उद्योगों में भी उत्पादन हो रहा है।

दरभंगा औद्योगिक प्रक्षेत्र

इस प्रक्षेत्र में राज्य द्वारा परिचालित इकाइयों में एक मॉडल लोहारी-कारखाना, एक यंत्रकृत बढ़ईगिरी इकाई तथा चमड़े के सामान और खेल-कूद के सामान बनाने के लिए दो इकाइयाँ अवस्थित हैं। इन सब स्कीमों में उत्पादन हो रहा है। इनके अलावा ६ निजी इकाइयों को घर आवंटित किये गये हैं, जिनमें तीन ने उत्पादन करना शुरू कर दिया है।

बिहारशरीफ-औद्योगिक प्रक्षेत्र

इस क्षेत्र में राज्य द्वारा परिचालित इकाइयों में एक लकड़ी का कारखाना, एक यांत्रिक व्यापारों के प्रशिक्षण का केन्द्र, बाइसिकिल के कल-पुरजे और खेती के औजार निर्मित करने की एक एकाई अवस्थित हैं। ये सब स्कीमें चालू हैं। सिलाई-मशीन के हिस्से बनानेवाली एक निजी इकाई ने काम शुरू कर दिया है। दूसरी निजी इकाई द्वारा हाथ से कागज बनाने का काम शीघ्र ही शुरू होनेवाला है।

आदर्श कारखाने—आदर्श कारखाने खड़ा करने के लिए शहरों एवं उनके आस-पास के क्षेत्रों में विद्युत-संचालित यंत्रों को चलाने के लिए कारीगरों को प्रशिक्षण देना आवश्यक समझा गया है। इसके लिए १७ योजनाएँ प्रारम्भ की गई हैं, जिनमें लोहारी और बढ़ईगिरी की

शिक्षा देने के लिए छह भ्रमणशील प्रदर्शन-गाड़ियों की व्यवस्था भी सम्मिलित है। इसके अलावा आदिवासियों के लिए भी तीन योजनाएँ हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत आदर्श कारखानों के भवन-निर्माण का कार्य चल रहा है।

औद्योगिक समूह-योजनाएँ—इस सम्बन्ध में १६ योजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। इनके अन्दर मेहसी (चम्पारन) का बटन-उद्योग; बिहारशरीफ, पूसा, राँची और पटना-स्थित कच्चे माल की दूकान तथा मैथन का सेण्ट्रल फिनिशिङ्ग वर्कशॉप हैं, जिनके काम चालू हैं। सबसे बड़ी योजना पटना के साइकिल-कारखाने की योजना है। छोटे-छोटे इंजीनियरिंग के कारखानों की सहायता के लिए पटना में एक बड़ा कारखाना खोलना है। अन्य योजनाओं के अन्तर्गत बिजली के सामान, रेडियो के कल-पुरजे, खेल के सामान, मोटर की बैटरी आदि का बनाना है। इनके कार्य भी शीघ्र ही चालू हो रहे हैं।

वित्तीय सहायता—बिहार-राज्य वित्त-निगम भी मँझोले और लघु उद्योगों को लंबी मियाद पर रुपये उधार देता है। सन् १९६०-६१ ई० में लघु उद्योगों को लगभग ३० लाख रुपये ऋण दिये गये। सन् १९६१-६२ ई० में छोटी इकाइयों को ५० लाख रुपये तक ऋण के रूप में दिये जाने का लक्ष्य रखा गया था।

औद्योगिक रूपांकन-संस्थान

अप्रैल, १९५६ ई० में इस संस्थान की स्थापना राज्य-सरकार द्वारा पटना में हुई। इसके तीन अनुविभाग हैं : एक सूती कपड़े के लिए, दूसरा हस्तशिल्प के लिए और तीसरा लघु उद्योगों के लिए।

संस्थान के अनुविभाग ये हैं : (१) वयन (बुनाई), (२) रँगाई और छपाई, (३) साँचा-ढलाई, (४) बढ़ईगिरी, (५) मिट्टी का साँचा तैयार करना, (६) मिट्टी का बरतन, (७) वार्निश, (८) खिलौना, (९) काँसा, (१०) बाँस, (११) यांत्रिक, (१२) चमड़ा, (१३) बेल-बूटे का काम, (१४) मानचित्र-कर्म, (१५) परंपरागत रूपांकनों के आधार पर नये-नये रूपांकनों को उद्विकसित करना, जो कला-संस्थान का मुख्य कार्य है।

सन् १९५९ ई० के जनवरी महीने से छह महीनों तक चलनेवाले प्रशिक्षण का एक वृत्तिकाग्राही (स्टाइपेण्डरी) पाठ्यक्रम जारी किया गया है। इसके अनुसार विभिन्न शिल्पों में निम्नलिखित संख्या में प्रशिक्षणार्थी लिये जाते हैं—सूती कपड़ा १२; बाँस ६; खिलौना ४; मिट्टी का बरतन ४; चमड़ा ६।

वृत्तिकाग्राही पाठ्यक्रम के अतिरिक्त कुछ प्रशिक्षणार्थी बिना वृत्तिका के भी भरती किये जाते हैं। इस संस्थान के साथ एक लोक-कला-संग्रहशाला संलग्न है, जिसमें कारीगरों और परिदर्शकों के लिए शिल्प की वस्तुएँ रखी गई हैं।

अग्रगामी परियोजना—अग्रगामी इकाइयाँ स्थापित करने का उद्देश्य है छोटे पैमाने के उद्योगों, खासकर लघु निर्माणकारी उद्योगों की प्राविधिक एवं आर्थिक व्यवहार्यता को सार्वजनिक प्रदर्शन द्वारा प्रमाणित कर देना, जिससे उद्यमी व्यक्ति राज्य के अन्य भागों में इसी प्रकार के उद्योग शुरू कर सकें। इस प्रकार की १८ इकाइयों में ७ चालू हो गई हैं। बिहटा और सकरी की मॉडल चर्मशाला की योजनाएँ भी १९६१ ई० के फरवरी महीने में चालू की गईं।

द्वितीय योजना-काल में विहारशरीफ, पूसा और राँची में तीन अग्रगामी परियोजनाएँ (उद्योग) आरम्भ की जा चुकी हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है इस बात की परीक्षा करना कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कौन-कौन-से लघु उद्योगों और घरेलू उद्योग-धंधों का विकास हो सकता है। बिहारशरीफ की अग्रगामी परियोजना में १९५६ के जुलाई से और पूसा तथा राँची की परियोजनाओं में मार्च, १९५७ से काम चालू है। इन अग्रगामी परियोजनाओं में सन् १९६० ई० के मार्च तक ४३५ औद्योगिक सहकारी समितियों का संगठन हो चुका है। इनके कुल सदस्यों की संख्या १०,३३८ और प्रदत्त अंश-पूँजी की राशि २५४ लाख रुपया है। सन् १९६० ई० के मार्च तक कुल २४१ लाख रुपये के माल का उत्पादन हुआ और १६४ लाख रुपये के माल बाजार में भेजे गये।

तृतीय योजना-काल

तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बड़े पैमानेवाले उद्योगों में सिन्दरी के राज्य सुपरफास्फेट कारखाना और राँची के निकट हाइ टेंशन इंसुलेटर कारखाने का विस्तार करने का विचार है। तीसरी योजना की अवधि में सुपरफास्फेट और इंसुलेटर की उत्पादन-क्षमता क्रमशः ५० हजार टन और ४८०० टन हो जायगी। बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलॉपमेंट औथोरिटी मोकामा, बरौनी, रामगढ़, बड़काकाना, बोकारो आदि के औद्योगिक विकास की देख-रेख करेगी। राज्य-सरकार द्वारा स्थापित बड़े पैमानेवाले उद्योगों की देख-रेख बिहार राज्य औद्योगिक विकास-निगम द्वारा की जायगी। छोटे-पैमाने के उद्योगों के क्षेत्र में ५० हजार या इससे अधिक की आबादीवाले शहरों के लिए दो विशाल औद्योगिक बस्तियाँ, २० से ५० हजार की आबादीवाले नगरों के लिए दो छोटी औद्योगिक बस्तियाँ, ५ से २० हजार आबादी वाले नगरों के लिए १० लघुतर औद्योगिक बस्तियाँ और ५ हजार से कम की आबादीवाले ग्रामीण नगरों के लिए ५० वर्कशॉप-शेड बनाने की योजना है।

भारी मशीन निर्माण-संयंत्र—१५ नम्बर, १९६३ को प्रधान मंत्री श्री नेहरू ने राँची में भारी मशीन निर्माण-संयंत्र (हेवी मशीन बिल्डिंग प्लैण्ट) को उद्घाटित किया। प्रथम अवस्था में यह संयंत्र प्रतिवर्ष ४५,००० टन भारी यंत्र-सामग्री तैयार करेगा। दूसरी अवस्था में ८१,१०० टन प्रतिवर्ष। इस परियोजना का कुल अनुमानित उद्व्यय ४० करोड़ रुपया है, जिसमें शहर बसाने का खर्च शामिल नहीं है। ४० करोड़ की राशि में आधी राशि विदेशी विनिमय के रूप में है। इस कारखाने के उत्पादन का मूल्य प्रथमावस्था में प्रतिवर्ष लगभग २४ करोड़ और द्वितीयावस्था में प्रतिवर्ष ४२ करोड़ होने की आशा की जाती है। आगे चलकर जब कारखाने का विस्तार होगा तब इसका उत्पादन प्रतिवर्ष १,६५,००० टन तक यंत्र-सामग्री हो सकता है। यह संयंत्र मुख्यतः लोहा और इस्पात-उद्योग के लिए यंत्र-सामग्री और सज्जा उत्पादित करेगा, किन्तु इसके साथ ही खनिज तेल, कोयला-खनन, रासायनिक द्रव्य, उर्वरक, सीमेण्ट इत्यादि उद्योगों की जरूरतों को भी पूरा कर सकेगा। इसके अलावा सामान्य इंजीनियरिंग की मशीनों का भी निर्माण करेगा।

संयंत्र के साथ एक पूर्ण रूप से सज्जित रूपाङ्कन (डिजाइन)-कार्यालय की स्थापना की जायगी, जिसमें ६०० से अधिक इंजीनियर रहेंगे।



अनुसंधान-सम्बन्धी संस्थाएँ

नवनालन्दा-महाविहार, नालन्दा—सन् १९५१ ई० के २० नवम्बर को विहार-सरकार द्वारा नवनालन्दा-महाविहार की स्थापना की गई। प्राचीन विश्वविद्यालय नालन्दा-महाविहार के नाम से विख्यात था। उसके खोये हुए गौरव के पुनरुद्धार के लिए नवीन संस्था की स्थापना की गई। अतः स्वभावतः इसे नवनालन्दा-महाविहार की संज्ञा दी गई। पहले यह संस्थान राजगृह में था। इसका अपना भवन नालन्दा में बनकर तैयार हो जाने पर इसका सारा काम नालन्दा में ही होने लगा है।

नवनालन्दा-महाविहार में इस समय पढ़नेवाले छात्रों में, अधिकांश संसार के विभिन्न बौद्ध देशों से आये हैं। लंका, बर्मा, थाईदेश, कम्बोडिया, लाओस, वीतनाम, जापान, नेपाल तथा तिब्बत के विद्यार्थी यहाँ एक साथ रहकर अध्ययन करते हैं और अन्तरराष्ट्रीय सहयोग तथा भ्रातृ-भाव का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। कई विद्वानों ने अपने-अपने शोध-प्रबन्ध परीक्षणार्थ संबंधित विश्वविद्यालय को देकर उपाधियाँ प्राप्त की हैं। महाविहार में पालि की एम० ए० स्तर की पढ़ाई होती है। किन्तु मुख्य उद्देश्य बौद्धधर्म, दर्शन, साहित्य तथा संस्कृति के सम्बन्ध में शोध-कार्य करना है। पालि के अतिरिक्त अँगरेजी, हिन्दी, संस्कृत तथा चीनी-जापानी के अध्ययन-अध्यापन की भी व्यवस्था है। पुस्तकालय की सुन्दर व्यवस्था के लिए एक पुस्तकालयाध्यक्ष हैं। प्रशासनिक कार्य के लिए एक निबन्धक (रजिस्ट्रार) तथा एक निदेशक (डायरेक्टर) हैं। इस महाविहार की ओर से अबतक कई अनुसंधानात्मक ग्रन्थों का प्रकाशन हो चुका है।

प्राकृत जैनशास्त्र और अहिंसा-शोध-संस्थान—प्राकृत जैनशास्त्र और अहिंसा-शोध-संस्थान, वैशाली (मुजफ्फरपुर) की स्थापना राज्य-सरकार द्वारा २५ नवम्बर १९५५ ई० को हुई थी। इस संस्थान को स्थापित करने के निमित्त राज्य-सरकार को श्रीशान्तिप्रसाद जैन ने (क) आवर्त्तक व्यय की पूर्त्ति के लिए पाँच वर्ष की अवधि तक प्रति वर्ष २५ हजार रुपये तथा (ख) भूमि, भवन, पुस्तकालय और उपस्कर की मद में जो सम्पूर्ण अनावर्त्तक व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए पाँच लाख रुपये एक मुश्त दिये।

इस संस्थान की स्थापना का उद्देश्य है इसे एक ऐसे विद्यापीठ के रूप में विकसित करना, जहाँ प्राकृत भाषाएँ एवं साहित्य, जैनधर्म और उसकी समस्त शाखाएँ, जैन-दर्शन, इतिहास, साहित्य इत्यादि का सर्वाङ्गपूर्ण अध्ययन एवं शोध-कार्य हो सके; अहिंसा के सिद्धान्त एवं व्यक्ति और समाज द्वारा उसके आचरण का अध्ययन तथा विभिन्न काल में विभिन्न समाजों द्वारा अहिंसा की प्रविधि का जो प्रयोग किया गया है, उसका तुलना-मूलक अध्ययन। जिन छात्रों ने मान्य विश्वविद्यालयों की स्नातक (बी० ए०)-परीक्षा पास की है, उनको इस संस्थान में विद्यार्थी के रूप में प्रविष्ट किया जाता है और उन्हें बिहार-विश्वविद्यालय की प्राकृत एवं जैनधर्म-विषयक स्नातकोत्तर उपाधि-परीक्षा की शिक्षा दी जाती है। संस्थान के अन्तर्गत एक प्रकाशन-विभाग भी है। संस्थान के कार्य-संचालन के लिए—(१) अधिष्ठात्री परिषद् (२५ सदस्य), (२) मंत्रणा-मण्डल (१५ सदस्य), (३) प्रबन्ध-समिति (११ सदस्य), और (४) प्रकाशन-समिति (५ सदस्य) हैं। संस्थान का अवस्थान इस समय मुजफ्फरपुर में है। वैशाली में अपना भवन अबतक नहीं बन सका है।

मिथिला-संस्कृत-विद्यापीठ, दरभंगा—यह संस्था संस्कृत-भाषा एवं साहित्य की प्राचीन परम्परा को पुनरुज्जीवित करने के लिए सन् १९५१ ई० में स्थापित हुई थी। यहाँ प्राच्य विद्या-सम्बन्धी अनुसंधान-कार्य हो रहे हैं। यहाँ छात्र संस्कृत के विविध विषयों में एम० ए०, पी-एच० डी० और डी० लिट्० के लिए तैयार किये जा रहे हैं। यहाँ प्राचीन संस्कृत-ग्रन्थों का अन्वेषण और प्रकाशन हो रहा है। यह संस्था बिहार-विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है।

अरेबिक ऐण्ड पर्सियन इन्स्टिट्यूट (पटना)—अरबी और फारसी के स्नातकोत्तर अध्ययन और अनुसंधान के लिए सरकार द्वारा पटना में सन् १९५५-५६ ई० से यह संस्थान चलाया जा रहा है। इस इन्स्टिट्यूट में छात्रों को अरबी और फारसी की उच्च शिक्षा दी जाती है तथा शिक्षोपरान्त उन्हें 'फाज़िल' की उपाधियाँ प्रदान की जाती हैं। स्नातकोत्तर छात्रों के लिए अनुसंधान-कार्य की पर्याप्त सुविधा का प्रबन्ध है। अभी इन्स्टिट्यूट का कार्यालय एवं छात्रावास मदरसा इस्लामिया शमशुल हुदा के भवन में स्थित है। यहाँ से भी अरबी-फारसी साहित्य पर पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं।

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्, पटना—बिहार-सरकार ने राष्ट्रभाषा हिन्दी के विकास के लिए सन् १९५० ई० में बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् की स्थापना की थी। पहले इसका कार्यालय सम्मेलन-भवन, कदमकुआँ, पटना में था, किन्तु अप्रैल, १९६२ ई० से राजेन्द्रनगर-स्थित अपने भवन में आ गया है। शोध-कार्य और प्रकाशन के लिए परिषद् के ये विभाग हैं—प्रकाशन-विभाग, लोकभाषा-अनुसंधान-विभाग, प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ-शोध-विभाग, बिहार का साहित्यिक इतिहास-विभाग, विद्यापति-विभाग, अनुसंधान-पुस्तकालय और अब्दकोश-विभाग। प्रकाशन-विभाग अपने यहाँ के शोध-ग्रन्थों के अतिरिक्त बाहरी विद्वानों के भी विशिष्ट ग्रन्थों का प्रकाशन करता है। यहाँ प्रतिवर्ष पारितोषिक देकर विभिन्न विषयों पर विद्वानों के भाषण कराये जाते हैं। वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर भिन्न-भिन्न भाषाओं पर निबन्ध-पाठ होते हैं। विभिन्न विषयों के सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थों पर बिहार के तथा बिहार से बाहर के विद्वानों को सहस्र-सहस्र रुपये के पुरस्कार दिये जाते हैं। बिहार के एक वयोवृद्ध और एक उदीयमान साहित्यकार को क्रमशः डेढ़ हजार रुपये और पाँच सौ रुपये के पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है तथा विभिन्न विषयों पर लेख लिखाकर विद्यार्थियों को सौ-सौ रुपये के प्रतियोगिता-पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। देश की संकटकालीन स्थिति में पुरस्कारों का देना स्थगित कर दिया गया है। साहित्यिक संस्थाओं को सद्-ग्रन्थों के प्रकाशन के लिए अनुदान देने की व्यवस्था है। रुग्ण और संकटापन्न साहित्य-सेवियों को राजेन्द्र-निधि से आर्थिक सहायता दी जाती है। परिषद् के प्रकाशन-विभाग द्वारा सन् १९६३ ई० तक साहित्य एवं ज्ञान-विज्ञान के भिन्न-भिन्न विषयों पर ८४ उत्तमोत्तम ग्रन्थ प्रकाशित हो रहा हैं। सन् १९६० ई० से 'भारतीय अब्दकोश' नामक एक वार्षिक ग्रन्थ प्रकाशित होता है। अप्रैल, १९६१ ई० से 'परिषद्-पत्रिका' नामक एक साहित्य-संस्कृति-साधना-प्रधान त्रैमासिक का प्रकाशन हुआ है। परिषद् के प्रथम स्थायी संचालक आचार्य शिवपूजन सहाय हुए। वर्त्तमान निदेशक, सन्त-साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान् डॉ० भुवनेश्वरनाथ मिश्र 'माधव', एम० ए०, पी-एच० डी० हैं।

अनुग्रहनारायण सिंह-समाजाध्ययन-संस्थान, पटना,—बिहार-सरकार की ओर से स्वर्गीय डॉ० अनुग्रहनारायण सिंह के स्मारक-स्वरूप पटना में सामाजिक अध्ययन के लिए जनवरी, १९५८ ई० में इस संस्थान की स्थापना की गई। इस संस्थान के निम्नलिखित उद्देश्य हैं—(१)

—सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं अन्यान्य विषयों में अन्वेषण एवं शोध का काम करना। (२) संघ-सरकार, राज्य-सरकार एवं स्थानीय सरकार द्वारा दी गई किसी निश्चित समस्या पर अध्ययन प्रस्तुत करना; (३) भाषण, विचार-गोष्ठी एवं सम्मेलनों का समय-समय पर आयोजन करना; (४) पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएँ एवं समस्याओं से सम्बन्धित विषयों पर पर्चा प्रकाशित करवाना; (५) इनके अतिरिक्त इस संस्थान का उद्देश्य उन कार्यों को भी सम्पादित करना है, जिनसे इनके उद्देश्य की पूर्त्ति हो। इसके वर्त्तमान निदेशक श्रीगोरखनाथ सिंह जी हैं।

बिहार-रिसर्च-सोसाइटी, पटना—सुप्रसिद्ध इतिहासकार स्वर्गीय डॉ० काशीप्रसाद जायसवाल के प्रयत्न से इस शोध-संस्था की स्थापना जनवरी, १९१५ ई० में हुई। इतिहास, पुरातत्त्व, मुद्राशास्त्र, मानव-विज्ञान और दर्शन-शास्त्र के सम्बन्ध में अनुसंधान करना इसका उद्देश्य है। यहाँ से 'जर्नल ऑफ दी बिहार-रिसर्च-सोसाइटी' तथा 'इण्डियन न्युमिसमेटिक क्रॉनिकल्स' नामक दो त्रैमासिक पत्रिकाएँ भी निकलती हैं। सोसाइटी की ओर से बहुत वर्षों तक मिथिला के संस्कृत हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज होती रही है, जिनकी विषयानुक्रम सूची भी कई जिल्दों में प्रकाशित हुई है। सोसाइटी का कार्यालय और पुस्तकालय पटना-म्यूजियम के भवन में है। इसके पुस्तकालय में महापण्डित राहुल सांकृत्यायन की तिब्बत से लाई हुई बहुतसी हस्तलिखित दुर्लभ प्राचीन पुस्तकें संगृहीत हैं।

काशीप्रसाद जायसवाल इन्स्टिट्यूट, पटना—स्वर्गीय डॉ० काशीप्रसाद जायसवाल की स्मृति में बिहार-सरकार ने भारतीय इतिहास और संस्कृत-सम्बन्धी अनुसन्धान के लिए सन् १९५० ई० में इस संस्था की स्थापना की। तत्काल यहाँ तीन प्रकार के कार्य हो रहे हैं—महापण्डित राहुल सांकृत्यायन द्वारा तिब्बत से लाये गये संस्कृत ग्रन्थों का तिब्बती लिपि से नागरी-लिपि में रूपान्तरण, पुरातत्त्व-सम्बन्धी कार्य और भारतीय इतिहास पर शोध-कार्य। प्राचीन, मध्यकालीन एवं वर्त्तमान—इन तीन खण्डों में बिहार का इतिहास तैयार हो रहा है। संस्थान ने तिब्बती-संस्कृत पुस्तकालय के अन्तर्गत पाँच तथा ऐतिहासिक ग्रन्थमाला में तीन ग्रन्थ प्रकाशित किये हैं। कुछ ग्रन्थ मुद्रित हो रहे हैं।

नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी, जमशेदपुर—इसकी स्थापना सन् १९५० ई० के २६ नवम्बर को हुई। यह भारत-सरकार द्वारा स्थापित ११ राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में एक है। इसका कार्य भिन्न-भिन्न धातुओं तथा अन्य खनिज पदार्थों के सम्बन्ध में अनुसंधान करना है।

नेशनल फूएल-रिसर्च इन्स्टिट्यूट, दिघवाडीह, जमशेदपुर—इसकी स्थापना २३ अप्रैल, १९५० ई० को हुई थी। यह भी भारत-सरकार द्वारा स्थापित ११ राष्ट्रीय अनुसंधान-शालाओं में एक है। यह धनबाद से १० मील दक्षिण की ओर है। यह संस्था सब प्रकार के ईंधन (ठोस, तरल और गैस) की समस्याओं पर अनुसंधान-कार्य करती है।

इण्डियन लैक-रिसर्च इन्स्टिट्यूट, नामकुम (राँची)—लाह के गुण और उपयोगिता बढ़ाने, उसका उत्पादन-व्यय कम करने तथा शेलैक के उत्पादन में वृद्धि करने के सम्बन्ध में अनुसंधान करने के लिए नामकुम (राँची) में इस संस्थान की स्थापना की गई है।

कृषि-अनुसंधान-शालाएँ—बिहार में कृषि-सम्बन्धी अनुसन्धान-शालाएँ पटना, पूसा (दरभंगा), सबौर (भागलपुर) और काँके (राँची) में हैं। पूसा का ईख-अनुसन्धान-केन्द्र ईख-सम्बन्धी विभिन्न विषयों पर अनुसन्धान-कार्य करता है।

संगीत-नृत्य-नाट्य-संस्थान, बिहार, पटना—संगीत, नृत्य और नाट्य-संस्थान, बिहार (बिहार एकेडेमी ऑफ म्युजिक, डांस और ड्रामा) का उद्घाटन २७ जनवरी, १९५९ को हुआ था। इसका उद्देश्य एक सरकारी रंगमंच स्थापित करना तथा बिहार के विभिन्न स्थानों में स्थापित संगीत, नृत्य और नाट्य-संस्थाओं में समन्वय स्थापित करना है। अबतक बिहार के ५० से अधिक कला-केन्द्र इससे सम्बद्ध हो चुके हैं। यहाँ से 'बिहार थियेटर' नाम की एक त्रैमासिक पत्रिका निकलती है। स्वतन्त्रता-दिवस और गणतन्त्र-दिवस के अवसर पर दिल्ली और पटना में सरकार द्वारा आयोजित उत्सवों में इस संस्था के लोग संगीत, नृत्य और अभिनय का प्रदर्शन करते हैं।

पटना-म्यूजियम तथा बिहार के अन्य म्यूजियम

पटना-म्यूजियम सन् १९१७ ई० के अप्रैल में स्थापित किया गया था। उस समय उसकी संगृहीत वस्तुएँ हाईकोर्ट के एक हिस्से में थीं। सन् १९२८ ई० में म्यूजियम का वर्त्तमान भवन बनकर तैयार हुआ, जो मुगल-राजपूत-स्थापत्य-कला का एक सुन्दर नमूना है। भवन और संगृहीत वस्तुओं की दृष्टि से पटना-म्यूजियम भारत का एक श्रेष्ठ म्यूजियम माना जाता है। यहाँ मुख्यत: बिहार में मिली हुई प्राचीन वस्तुओं का संग्रह है।

बिहार के अन्य म्यूजियम या संग्रहालयों में पटना का कॉमर्शियल म्यूजियम, नालन्दा का म्यूजियम, वैशाली का म्यूजियम, दरभंगा का चन्द्रधारी-म्यूजियम और बोधगया-म्यूजियम हैं।



प्रमुख सार्वजनिक संस्थाएँ

साहित्यिक एवं शैक्षिक संस्थाएँ

बिहार-संस्कृत-संजीवन-समाज, पटना—यह एक पुरानी संस्था है, जिसकी स्थापना स्व० पं० अम्बिकादत्त व्यास ने की थी। इसका उद्देश्य संस्कृत-शिक्षा की उन्नति करना है। इसके पाँच प्रकार के सदस्य हैं—प्रमुख संरक्षक, संरक्षक, पदमूलक सदस्य, साधारण सदस्य, और आजीवन सदस्य। पटना-डिवीजन के इन्सपेक्टर, सुपरिण्टेण्डेण्ट संस्कृत स्टडीज, बिहार और पटना-कॉलेज के संस्कृत-विभाग के अध्यक्ष इसके पदमूलक सदस्य होते हैं। इसकी एक प्रबन्ध-कारिणी समिति है, जिसकी बैठक दो-दो महीने पर हुआ करती है। समाज का वार्षिक अधिवेशन जनवरी में होता है। इसके पास १२ हजार रुपये का स्थायी कोष है, जिसके ब्याज से इसका खर्च चलता है। इसके वर्तमान सभापति न्यायाधीश श्रीसतीशचन्द्र मिश्र और मंत्री डॉ० श्रीनागेन्द्रपति त्रिपाठी हैं। यहाँ से अब संस्कृत में एक मासिक पत्रिका निकलती है।

बिहार प्रान्तीय संस्कृत-साहित्य-सम्मेलन—इस सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन २३-२४ मई, १९४९ ई० को पटना सिटी में हुआ था। इसका उद्घाटन जगद्गुरु श्रीशंकर अभिनयतीर्थ श्रीसच्चिदानन्द महाराज द्वारा हुआ था। इसका कार्यालय संस्कृत-महाविद्यालय, पटना सिटी में है।

आरा-नागरी-प्रचारिणी सभा, आरा—इस सभा की स्थापना १२ अक्टूबर, १९०१ को हुई थी। इस सभा ने सबसे पहले सन् १९०१ ई० में अखिलभारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन स्थापित करने का उद्योग किया था। अभी देश में जहाँ-तहाँ इसकी बीस शाखा-सभाएँ चल रही हैं। प्रारम्भ में काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा की भाँति ही इसने कई उच्च कोटि के साहित्यिक ग्रन्थ

प्रकाशित किये। अब भी जब-तब इस संस्था द्वारा अच्छे ग्रंथ प्रकाशित होते हैं। दो बीघे जमीन में इसका विशाल, पर अधूरा भवन बना हुआ है। सभा के पुस्तकालय में अलभ्य प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों, मुद्रित पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं की संख्या लगभग १५ हजार है। समय-समय पर इसे विभिन्न प्रान्तीय सरकारों और रियासतों से सहायता मिलती रही है।

बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, पटना—बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्थापना सन् १९१९ ई० में हुई। इसके वार्षिक अधिवेशनों के द्वारा बिहार में हिन्दी का अच्छा प्रचार हुआ। प्रारम्भ में सन् १९३६ ई० तक इसका कार्यालय मुजफ्फरपुर में था, उसके बाद पटना आया। कदमकुआँ मुहल्ले में इसका विशाल भवन है, जिसमें इसके पुस्तकालय और वाचनालय हैं। इसका एक अनुशीलन-विभाग भी है। सम्मेलन के तत्त्वावधान में एक कला-केन्द्र भी चल रहा है, जहाँ बालिकाओं को संगीत, नृत्य आदि की शिक्षा दी जाती है। अभिनय-कला के उन्नयन के लिए एक नाट्य-परिषद् की भी स्थापना की गई है। इसके अध्यक्ष श्रीलक्ष्मीनारायण सुधांशु तथा प्रधानमन्त्री श्रीदिनेशप्रसाद सिंह हैं। यहाँ से 'साहित्य' नामक एक त्रैमासिक शोध-पत्रिका निकलती है।

सन् १९५४ ई० में यहाँ आचार्य शिवपूजन सहाय के दान से उनकी स्वर्गीया पत्नी के नाम पर बच्चनदेवी-साहित्य-गोष्ठी की स्थापना हुई, जिसमें भाषा और साहित्य के महत्त्वपूर्ण विषयों पर विद्वानों के विचार-विनिमय होते हैं।

विभिन्न देशी और विदेशी भाषाओं के अध्ययन और अध्यापन की समुचित व्यवस्था के लिए यहाँ मई, १९५६ ई० से बदरीनाथ सर्वभाषा-महाविद्यालय की स्थापना की गई है। इस महाविद्यालय में इस समय फ्रेंच, जर्मन, रूसी, तेलुगु तथा अहिन्दी-भाषा-भाषियों के लिए हिन्दी की पढ़ाई होती है।

बिहार राज्य-पुस्तकालय-संघ—इसकी स्थापना सन् १९३६ ई० में हुई थी। नये रूप में इसका व्यापक संगठन सन् १९५१ ई० में हुआ। इससे लगभग तीन हजार ग्रामीण पुस्तकालय संबद्ध हैं। प्रखण्ड-मण्डलों और अनुमण्डलों में इसकी शाखाएँ खुली हैं। संघ का मुखपत्र 'पुस्तकालय' मासिक रूप में १० वर्षों से प्रकाशित हो रहा है। इसे राज्य-सरकार से अनुदान प्राप्त होता है। इसके तत्त्वावधान में प्रत्येक जिला में पुस्तकाध्यक्ष-प्रशिक्षण-शिविर लगाया जाता है। संघ के सभापति प्रो० जगन्नाथ प्रसाद मिश्र और प्रधान मंत्री श्री नीतीश्वर प्रसाद सिंह, एम० एल० ए० हैं।

सुहृद्-संघ, मुजफ्फरपुर—इस साहित्यिक संस्था की स्थापना सन् १९३५ ई० में हुई थी। इसका वार्षिकोत्सव प्रतिवर्ष बड़े समारोह से मनाया जाता है। इसका अपना भवन और पुस्तकालय है। बिहार के अहिन्दीभाषा-भाषियों के बीच इसने हिन्दी-प्रचार का कार्य भी किया है। इसके संस्थापक और प्रधान मन्त्री श्रीनीतीश्वर प्रसाद सिंह हैं।

मैथिली-साहित्य-परिषद्—इस परिषद् की स्थापना सन् १९३९ ई० हुई थी। इसके सभापति डॉ० गंगानाथ झा, डॉ० उमेश मिश्र, श्रीमान् कुमार गंगानन्द सिंह और श्री जयानन्द कुमर आदि रह चुके हैं। प्रारम्भ में ९-१० वर्षों तक इसके प्रधान मन्त्री श्रीभोलालाल दास थे। परिषद् ने अनेक प्राचीन और नवीन मैथिली-ग्रन्थों का प्रकाशन किया है। इस उद्योग से मैथिली को विश्वविद्यालयों की उच्चतम कक्षा तक स्थान मिला है।

मगही-मंडल—मगही-भाषा और साहित्य की उन्नति के लिए कई वर्ष हुए, एक मगही-मंडल की स्थापना हुई थी। इसके प्रमुख पदाधिकारियों और कार्यकर्त्ताओं में डॉ० विन्देश्वरी प्रसाद, डॉ० शिवनन्दन प्रसाद, श्री श्रीकान्त शास्त्री, प्रो० रामनन्दन शर्मा, श्रीरामबालक सिंह आदि हैं। ये लोग पहले 'मगही' नामक मासिक पत्रिका निकालते थे, अब 'बिहान' नामक मासिक पत्रिका निकाल रहे हैं।

भोजपुरी-परिषद्—यह संस्था भी बहुत वर्षों से कायम है। समय-समय पर इसकी जिला-सभाएँ एवं समस्त क्षेत्रीय सभाएँ हुआ करती हैं। पहले श्रीमहेन्द्र शास्त्री ने 'भोजपुरी' नामक एक मासिक पत्रिका निकाली थी, पीछे श्रीरघुवंशनारायण सिंह बहुत दिनों तक इस नाम की मासिक पत्रिका निकालते रहे। इस समय पटना से 'अँजोर' नामक एक त्रैमासिक पत्रिका निकल रही है।

अंगभाषा परिषद्—प्राचीन अंग-जनपद, अर्थात् न्यूनाधिक वर्त्तमान भागलपुर-कमिश्नरी की भाषा अंगिका पर शोध-कार्य करने के लिए पटना में एक अंगभाषा-परिषद् की स्थापना हुई है, जिसके अध्यक्ष श्रीलक्ष्मीनारायण 'सुधांशु' और प्रधान मन्त्री श्रीगदाधर प्रसाद अम्बष्ठ हैं। इस भाषा में हाल में कई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। सन् १९६२ ई० के अक्टूबर में इसका एक वार्षिक अधिवेशन पटना में खूब धूमधाम से सम्पन्न हुआ।

ऐतिहासिक संस्थाएँ

वैशाली-संघ—वैशाली-संघ की स्थापना सन् १९४५ ई० में हुई थी। इसके मुख्य दो उद्देश्य हैं—एक तो वैशाली के ध्वंसावशेषों को प्रकाश में लाना और दूसरे वैशाली के निवासियों में एक नवीन सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना जाग्रत् करना। इसके लिए यहाँ खुदाई का काम, संग्रहालय स्थापित करने का काम, ऐतिहासिक अनुसन्धान का काम एवं ग्रामोत्थान के सब प्रकार के काम हो रहे हैं। संघ ने अबतक वैशाली के सम्बन्ध में सात पुस्तकें प्रकाशित की हैं।

वैशाली-संघ के प्रयत्न से जैनधर्म और प्राकृत-साहित्य के अनुसंधान के लिए यहाँ एक प्राकृत-शोध-संस्थान की स्थापना की गई, जिसका भवन बन रहा है। तत्काल इसका कार्यालय मुजफ्फरपुर में रखा गया है। भगवान् महावीर की जन्म-तिथि चैत्र सुदी त्रयोदशी को यहाँ प्रतिवर्ष महोत्सव मनाया जाता है। संघ के सभापति पं० विनोदानन्द झा, प्रधान मन्त्री श्रीजगदीशचन्द्र माथुर तथा मन्त्री श्रीजगन्नाथप्रसाद साहु, श्रीदिग्विजयनारायण सिंह और प्रो० योगेन्द्र मिश्र हैं।

सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाएँ

आदिमजाति-सेवामंडल—इसका प्रधान कार्यालय निवारण-आश्रम, पो० हिनू, जिला राँची है। इसके द्वारा ढाई सौ से अधिक स्कूल चलाये जा रहे हैं। यहाँ से 'ग्राम-निर्माण' नामक एक मासिक पत्रिका भी निकलती है।

इंडियन कौंसिल आफ् पब्लिक एफेयर्स—८ नवम्बर, १९५२ ई० को पटना में श्रीप्रफुल्लरंजन (पी० आर०) दास के सभापतित्व में इंडियन कौंसिल ऑफ् पब्लिक एफेयर्स, अर्थात् सार्वजनिक कार्य की भारतीय परिषद् नाम की एक संस्था कायम की गई। इस परिषद् का उद्देश्य दलगत राजनीति से सम्पर्क रखे बिना सार्वजनिक कार्यों का अध्ययन करना है।

ईसाई मिशनरियाँ—बिहार में अब भी कई विदेशी मिशनरियाँ काम कर रही हैं और ईसाइयों की संख्या बराबर बढ़ रही है। फलस्वरूप, बिहार में सौ में एक आदमी ईसाई हो गया है।

भारत-सेवाश्रम-संघ—बिहार में भारत-सेवाश्रम-संघ का आश्रम गया में है। इस आश्रम के संन्यासी हिन्दू-धर्म और संस्कृति का प्रचार तथा सामाजिक सेवा-कार्य करते हैं।

रामकृष्ण-मिशन—रामकृष्ण-मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानन्द ने सन् १८९७ ई० में की थी। इसका प्रधान कार्यालय कलकत्ता के पास बेलूर नामक स्थान में है। बिहार में ७७ स्थानों में मिशन के केन्द्र हैं। इन सभी केन्द्रों में धार्मिक शिक्षा का प्रबन्ध है तथा स्कूल, दातव्य औषधालय और पुस्तकालय चलाये जा रहे हैं। इसका जमशेदपुर का केन्द्र सन् १९१९ ई० में खुला था। इसके बाद सन् १९२१ ई० में जामताड़ा (संतालपरगना) में तथा सन् १९२२ ई० में पटना और देवघर में केन्द्र खोले गये। कटिहार में सन् १९२६ ई० में और राँची में सन् १८२७ ई० में आश्रम खुले। मिशन ने सन् १९५० ई० में राँची से ८ मील की दूरी पर डुँगरी नामक स्थान में यक्ष्मा के रोगियों के लिए चिकित्सालय खोला है।

बिहार-आर्य-प्रतिनिधि-सभा—स्वामी दयानन्द सरस्वती सन् १८७२ ई० के अन्त में चार-पाँच महीने तक बिहार का दौरा करते रहे। उन्होंने सर्वप्रथम आरा में एक हिन्दू-सुधार-सभा की स्थापना की। दानापुर में कुछ लोगों ने सन् १८८६ ई० में ही हिन्दू-सत्य-सभा की स्थापना की थी। सन् १८७८ ई० में वही सभा आर्य-समाज के रूप में परिणत कर दी गई।

बंगाल-बिहार आर्य-प्रतिनिधि-सभा की स्थापना सन् १९१०-११ ई० में हुई। उस समय उसका कार्यालय राँची में था। सन १९२६ ई० में बिहार-आर्यप्रतिनिधि-सभा अलग की गई और उसका कार्यालय दानापुर में रखा गया। सम्प्रति इसका कार्यालय इसके निजी भवन (श्रीमुनीश्वरानन्द-भवन, बारी-रोड, पटना) में है। इस समय प्रान्त के तीन सौ से अधिक स्थानों में आर्य-समाज के अपने भवन हैं। समाज की ओर से लड़के-लड़कियों के लिए लगभग दस हाइ स्कूल, १५ मिड्ल स्कूल, ५१ अपर प्राइमरी स्कूल, तीन गुरुकुल और एक डिग्री कॉलेज चलाये जा रहे हैं। इसके वर्त्तमान सभापति पद्मभूषण डॉ० दुखन राम, एम० एल० ए० और प्रधान मन्त्री श्रीवासुदेव शर्मा हैं। पटना नगर का प्रमुख, आर्य-समाज, बाँकीपुर अपने तत्त्वावधान में एक होमियोपैथिक दातव्य औषधालय चला रहा है। इस प्रकार पूरे राज्य में १० औषधालय चलाये जा रहे हैं।

बिहार-थियोसोफिकल फेडरेशन—थियोसोफिकल सोसाइटी की बिहार-शाखा की स्थापना, पटना में सन् १९०२ ई० में हुई। सारे बिहार में तीन दर्जन स्थानों में इसके केन्द्र हैं। इनमें ७ स्थानों में इसके अपने भवन हैं। बिहार में इसके सदस्यों की संख्या चार सौ से अधिक है। प्रान्त में इसके कई स्कूल हैं और पटना में एक बृहद् छात्रावास है।

बिहार-प्रान्तीय सेवा-समिति—यह बिहार की एक बहुत पुरानी संस्था है। बिहार के अनेक प्रमुख सार्वजनिक कार्यकर्त्ता और नेता इसके सदस्य और पदाधिकारी रह चुके हैं। सोनपुर में इसके कार्यालय के लिए अपना एक भवन है।

बिहार-महिला-परिषद्—यह अखिल भारतीय महिला-परिषद् की शाखा है। इसकी स्थापना सन् १९२८ ई० में हुई थी। इसकी अध्यक्षा श्रीमती कमलकामिनी देवी हैं, जिनके निवास-स्थान कदमकुआँ, पटना में इसका कार्यालय है।

बिहार-हरिजन-सेवक-संघ—हरिजन-सेवक-संघ की बिहार-शाखा सन् १९३२ ई० से काम करती आ रही है। इसका कार्यालय एनिबेसेण्ट रोड, पटना में है। यहाँ से 'अमृत' नामक

एक मासिक पत्रिका निकलती है। इसके सभापति आचार्य बदरीनाथ वर्मा और प्रधान मन्त्री श्रीनगेन्द्रनारायण सिंह हैं।

संताल-पहाड़िया-सेवा-मण्डल—सन् १९४४ ई० में इस सेवा-संस्था का पुनर्गठन वर्त्तमान रूप में हुआ। इसका उद्देश्य आदिम जातियों का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक विकास कर, उन्हें देश के अन्य नागरिकों के स्तर पर लाकर भारतीय राष्ट्र का प्रधान अंग बनाना है। मण्डल द्वारा संचालित आदिवासियों के शैक्षिक विकास-कार्यक्रम के अन्तर्गत ठक्कर बापा-योजना है। इस योजना के अन्तर्गत २ उच्च विद्यालय, ४ माध्यमिक विद्यालय, ८ छात्रावास, ६ पहाड़िया-सेवा-केन्द्र तथा २२ प्राथमिक पाठशालाएँ संचालित हो रही हैं।

पहाड़िया-कल्याण-योजना के अन्तर्गत ३० पहाड़िया-कल्याण-केन्द्र हैं। इन कल्याण-केन्द्रों में पहाड़ियों, संतालों तथा पिछड़ी जातियों के बालक-बालिकाओं को शिक्षा दी जाती है। प्रत्येक कल्याण-केन्द्र में कार्यकर्त्ता हैं, जो आसपास के ग्रामों में जाकर मुफ्त दवा वितरित करते हैं।

कुष्ठ-निवारण का कार्य योग्य डॉक्टरों तथा सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की सहायता से किया जाता है। फतेहपुर में कुष्ठरोगियों के लिए २० शय्यावाला एक अस्पताल है।

कला-भवन, पूर्णिया—११ जून, १९५५ को श्रीलक्ष्मीनारायण 'सुधांशु' के प्रयास से श्रीरघुवंशप्रसाद सिंह की दी हुई भूमि पर कला-भवन, पूर्णिया की स्थापना हुई। यह एक सांस्कृतिक संस्था है। इसके उद्देश्य हैं—(क) ललित तथा उपयोगी कलाओं का विकास, प्रचार तथा प्रसार करना; (ख) ललित तथा उपयोगी कलाओं की समुचित शिक्षा की व्यवस्था करना; (ग) कला के प्रति प्रदर्शन तथा अन्य साधनों द्वारा जनता में अभिरुचि उत्पन्न करने का प्रयास करना; (घ) कलाकारों को समय-समय पर सम्मानित और पुरस्कृत करना; (च) कलाकारों को उनकी साधना में सहायता पहुँचाना; (छ) कलापूर्ण तथा ऐतिहासिक महत्त्व की वस्तुओं का संग्रह करना।

कला-भवन का कार्यकर्त्ता-निवास, कार्यालय-भवन, गैलरी-सहित खुला रंगमंच और पुष्करणी तैयार हो चुके हैं। पुस्तकालय और वाचनालय खोले जा चुके हैं। संग्रहालय और संगीत-कला का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। यहाँ हिन्दी-विद्यापीठ, देवघर की परीक्षाओं का केन्द्र है।

कला-भवन की व्यवस्था के लिए ३१ सदस्यों की एक प्रबन्ध-समिति है। उद्देश्यों की पूर्त्ति के लिए एक विभागीय उप-समितियाँ हैं। सन् १९६१-६२ ई० में यहाँ संगीत की ५ और साहित्य की ८ गोष्ठियाँ हुईं। यहाँ वार्षिकोत्सव के अवसर पर निबन्ध और भाषण-प्रतियोगिता, संगीत-प्रतियोगिता, वाद्य-प्रतियोगिता, नृत्य-प्रतियोगिता, कुश्ती-दंगल, हाथी-दौड़, घुड़-दौड़ तथा विविध भाँति की खेल-कूद-प्रतियोगिताएँ होती हैं तथा पदक और पुरस्कार आदि दिये जाते हैं। कला-भवन के पास लगभग ५० हजार की सम्पत्ति है। इसके वर्त्तमान सभापति श्रीलक्ष्मीनारायण 'सुधांशु' तथा मंत्री श्रीरूपलाल मण्डल हैं।

भारत-जापान सांस्कृतिक संघ (कदमकुआँ, पटना—३)—इस संस्था की स्थापना १० नवम्बर, १९६२ ई० को हुई। संघ की प्रथम अध्यक्षा श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा रह चुकी हैं।

इस संघ का प्रमुख उद्देश्य है भारत और जापान के बीच, सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा सद्भावना की वृद्धि करना। राष्ट्रकवि श्रीरामधारी सिंह 'दिनकर' संघ के वर्त्तमान अध्यक्ष तथा श्रीअक्षयवटनाथ सिंह महामंत्री हैं।

विन्ध्य-कला-मन्दिर, पटना—इस संस्था की स्थापना सन् १९४८ ई० में हुई थी। यह छात्र-छात्राओं को संगीत, नृत्य, नाट्य एवं अन्य ललित कलाओं का प्रशिक्षण प्रदान

करती है। इसकी संस्थापिका श्रीमती विन्ध्यवासिनी देवी हैं। इस संस्था को भातखण्डे-विद्यापीठ, लखनऊ, संगीत-नाटक अकादमी, दिल्ली और बिहार-संगीत-नृत्य-नाट्य-कला-परिषद् से सम्बद्धता प्राप्त है।

रवीन्द्र-परिषद्, पटना—यह संस्था मुख्यतया रवीन्द्र-साहित्य संगीत-नृत्य-नाट्य एवं अन्य ललित कलाओं के उन्नयन के उद्देश्य से स्थापित की गई है। इसके द्वारा समय-समय पर साहित्यिक एवं सांस्कृतिक आयोजन हुआ करते हैं। इसका अपना एक विशाल भवन हाल ही निर्मित हुआ है।

संगीत-भारती महाविद्यापीठ, लहेरियासराय—यह एक संगीत-कला-सम्बन्धी संस्था है। इसकी स्थापना सन् १९४६ ई० में की गई। यहाँ इस समय संगीत की विभिन्न शाखाओं में १८० छात्र-छात्राएँ शिक्षा पा रहे हैं। इसके संस्थापक पं० जीवनाथ झा 'तानराज' हैं।

आर्थिक और व्यावसायिक संस्थाएँ

बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन—इस औद्योगिक संघ की स्थापना सन् १९४३ ई० में हुई थी। इसका कार्यालय मजहरुलहक पथ, पटना में है।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स—विभिन्न प्रकार के व्यवसायियों की यह संस्था सन् १९२६ ई० में स्थापित हुई थी। इसका अपना भवन और कार्यालय बाँकीपुर फौजदारी कचहरी के पास हैं। यहाँ से 'प्रोस्परिटी' नामक मासिक पत्र निकलता है। सरकार ने इस संस्था को मान्यता दी है और अनेक संस्थाओं से इसके प्रतिनिधि लिये जाते हैं।

बिहार सूगर मिल्स एसोसिएशन—इसे सन् १९५० ई० में बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन से अलग कर एक स्वतन्त्र संस्था बनाया गया। इसका कार्यालय मजहरुलहक पथ, पटना में है।

भारत स्काउट्स ऐण्ड गाइड्स—भारत में पहले दो बालचर-संस्थाएँ थीं—ब्वॉय स्काउट्स एसोसिएशन और हिन्दुस्तान स्काउट्स एसोसिएशन। सन् १९५० ई० में दोनों को मिलाकर भारत स्काउट्स ऐण्ड गाइड्स नामक एक संस्था बना दी गई है। इसे सरकार से सहायता मिलती है। इसकी बिहार-प्रान्तीय शाखा का अपना भवन बुद्धमार्ग, पटना में है।

कृषि और पशुपालन-सम्बन्धी संस्थाएँ

बिहार-उद्यान-समाज—बिहार में उद्यान-विज्ञान की उन्नति और प्रचार के लिए सन् १९४४ ई० में भागलपुर जिलान्तर्गत सबौर नामक स्थान में उक्त संस्था की स्थापना की गई। इसकी ओर से प्रतिवर्ष उद्यान-प्रदर्शनी और फल-प्रदर्शनी होती हैं। सन् १९४४ ई० से यहाँ से 'हार्टि-कल्चरिस्ट' नामक मासिक अँगरेजी पत्र निकलता था। वह सन् १९४९ ई० से हिन्दी में द्वैमासिक रूप में 'बागबान' नाम से निकलने लगा है।

बिहार-गोशाला-पिंजरापोल-संघ—इसकी स्थापना मार्च, सन् १९४६ ई० में हुई थी। इस संघ के साथ बिहार की करीब सवा सौ गोशालाऐँ सम्बद्ध हैं। यहाँ से पहले 'नन्दिनी' नामक एक मासिक पत्रिका प्रकाशित होती थी। स्थानीय नस्ल के गंगातीरी गो-वंश के सुधार के लिए 'श्रीराजेन्द्र गोकुल' नामक प्रयोगशाला स्थापित करने के निमित्त बिहार-सरकार ने इसे १०० एकड़ भूमि और पौने दो लाख रुपये दिये हैं। इसका कार्यालय सदाकत-आश्रम, पटना में है।

बिहार-जीव-जन्तु-क्लेश-निवारिणी समिति (एस० पी० सी० ए०)—यह संस्था सन् १६३६ ई० में स्थापित हुई थी। इसका उद्देश्य काम में लाये जानेवाले पशुओं के प्रति की जानेवाली निर्मम निर्दयता को दूर करना है। इसका कार्यालय सदाकत-आश्रम, पटना में है।

मजदूरों की संस्थाएँ

मजदूरों की भिन्न-भिन्न ट्रेड-यूनियनें भिन्न-भिन्न राजनीतिक दलों के प्रभाव में हैं, जिनका ब्योरा इस प्रकार है—

बिहार-ट्रेड-यूनियन काँगरेस—यह अग्रगामी दल के प्रभाव से संगठित मजदूर-सभा है। इसकी शाखाएँ जमशेदपुर, झरिया, कटिहार, खेलाड़ी (राँची), बक्सर, कोडरमा, गिरिडीह और बनजारी (शाहाबाद) में हैं।

बिहार नेशनल ट्रेड यूनियन काँगरेस—यह काँगरेस-दल द्वारा संगठित मजदूर-सभा है। इसकी शाखाएँ बिहार के विभिन्न औद्योगिक केन्द्रों में हैं।

बिहार-हिन्द-मजदूर-पंचायत—यह समाजवादी दल द्वारा संगठित मजदूर-सभा है। इसका प्रथम अधिवेशन सन् १६४६ ई० में हुआ था।

संयुक्त ट्रेड यूनियन काँगरेस—इसके सभापति समाजवादी क्रान्तिकारी दल के नेता श्रीयोगेन्द्र चौधरी और मुख्य मंत्री श्री टी० परमानन्द रहे हैं।

शिक्षकों की संस्थाएँ

बिहार में कॉलेज-शिक्षकों की संस्था बिहार कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन, और हाइ स्कूल-शिक्षकों की संस्था बिहार सेकेण्डरी स्कूल टीचर्स एसोसिएशन हैं। इसका 'ईस्टर्न एजुकेशनिस्ट' नामक षण्मासिक पत्र निकलता है। प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के शिक्षकों की संस्था बिहार-शिक्षक-सम्मेलन है।

पत्रकारों की संस्थाएँ

बिहार-पत्रकार-संघ—यह बिहार की सभी भाषाओं के पत्रकारों की संस्था है। इसके वर्त्तमान अध्यक्ष श्रीगोपालकृष्ण प्रसाद और प्रधान मंत्री श्रीहीराप्रसाद चतुर्वेदी हैं।

बिहार प्रेस एसोसिएशन—यह मुख्यतः प्रेस-रिपोर्टरों (संवाददाताओं) की संस्था है। इसके वर्त्तमान सभापति श्रीगोपालकृष्ण प्रसाद हैं।

बिहार-हिन्दी-पत्रकार-संघ—हिन्दी-पत्रकारों की यह संस्था सन् १६५० ई० से काम कर रही है।

कानूनी पेशेवालों की संस्थाएँ

बिहार मोख्तार-कान्फ्रेंस—यह मोख्तारों का सम्मेलन है, जिसका अधिवेशन समय-समय पर हुआ करता है।

बिहार लॉयर्स-कान्फ्रेंस—यह वकीलों और बैरिस्टरों का सम्मेलन है। इसके भी अधिवेशन जब-तब हुआ करते हैं।

चिकित्सकों की संस्थाएँ

बिहार मेडिकल एसोसिएशन—मेडिकल ग्रैजुएटों की यह संस्था भारतीय मेडिकल एसोसिएशन की शाखा है। सारे बिहार में इसकी लगभग ५० उप-शाखाएँ हैं। इसकी ओर से एक पत्रिका भी प्रकाशित होती है।

बिहार मेडिकल लाइसेन्सिएट एसोसिएशन—यह मेडिकल स्कूल से एल० एम० पी० का प्रमाण-पत्र-प्राप्त डॉक्टरों की संस्था भारत मेडिकल लाइसेन्सिएट एसोसिएशन की बिहार-शाखा है।

बिहार-वैद्य-सम्मेलन—वैद्यों के इस सम्मेलन का कार्यालय कदमकुआँ, पटना में है।

बिहार-होमियोपैथिक सम्मेलन—इस सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन सन् १६३१ ई० में गया में हुआ था। इसके उद्योग से सन् १६३२ ई० में अखिलभारतीय होमियोपैथिक सम्मेलन की स्थापना हुई। बिहार-सरकार ने इस चिकित्सा-पद्धति को मान्यता दी है।



तृतीय पंचवर्षीय योजना

बिहार-राज्य की तीसरी योजना के लिए कुल उद्व्यय ३३७'४ करोड़ रुपये रखा गया है, जिसमें केन्द्रीय सरकार का अंशदान २१८ करोड़ भी शामिल है। राज्य का ११६ करोड़ का जो हिस्सा है, उसमें ४१ करोड़ अतिरिक्त करारोपण द्वारा उगाहना था। किन्तु राज्य-सरकार अब-तक केवल लगभग १३ करोड़ उगाह सकी है।

तीसरी योजना के चौथे वर्ष के लिए केन्द्र से ४७'४० करोड़ रुपये मिलने की आशा की जाती है। चौथे वर्ष के लिए बिहार-सरकार ने ६६'६८ करोड़ रुपये का उद्व्यय निश्चित किया है। व्यय के प्रावस्थित कार्य-क्रम के अनुसार चालू वर्ष के लिए ७१'१४ करोड़ रुपया चाहिए और आगामी वर्ष के लिए ७०'६२ करोड़। किन्तु चालू वर्ष के योजना-व्यय में कठोर रूप से कटौती करके उसे ५० करोड़ कर दिया गया है; क्योंकि सरकार साधन-स्रोत जुटाने में अपने को असमर्थ पाती है। यद्यपि देखने में ऐसा लगता है कि आगामी वर्ष के व्यय का लक्ष्य चालू वर्ष के व्यय से १६'७८ करोड़ अधिक है, फिर भी यह आँकड़ा मूल लक्ष्य से कम है।

सन् १६६४-६५ ई० के लिए ७८ करोड़ रुपये की वार्षिक योजना को घटाकर ७४'५० करोड़ कर दिया गया है और इस बात की कोई सम्भावना नहीं है कि आरम्भ में जो उद्व्यय रखा गया था, वह पुरा हो सकेगा। केन्द्र ने ५२'४० करोड़ की सहायता देने का वचन दिया है।

तीसरी योजना की अवधि में राज्य को केन्द्र से कुल २१८ करोड़ की सहायता का वचन मिला था, जिसमें प्रथम तीन वर्षों में केवल १०५ करोड़ मिले हैं। बाकी ११३ करोड़ योजना के आगामी दो वर्षों में मिलेंगे। राज्य-सरकार ने केन्द्र से इस रकम में से सन् १६६४-६५ के लिए आधी अर्थात् ५६ करोड़ की माँग की है।

सामुदायिक विकास

तृतीय योजना में सन् १६६३ ई० तक २१६ प्रखण्ड खुल चुके हैं, जिनके अन्तर्गत २५,२५० गाँव हैं और जिनका कुल क्षेत्रफल २५,०२६ वर्गमील है और आबादी लगभग डेढ़ करोड़। बिहार को कुल ५७५ प्रखण्डों में बाँटा गया है। प्रथम सामुदायिक विकास-कार्यक्रम में सन् १६६२-६३ में कुल खर्च ५ करोड़ रुपया हुआ। सन् १६६३-६४ ई० में केवल ४ करोड़ रुपये के व्यय का उपबन्ध किया गया था। सन् १६६२ ई० के अक्टूबर के अन्त तक

कुल ५७१ प्रखण्ड काम करने लग गये थे। सत्ता के विकेन्द्रीकरण के लिए सत्ता को तीन केन्द्रों में बाँट दिया गया है—जिला-परिषद्, प्रखण्डों में पंचायत-समिति और ग्रामों में ग्राम-पंचायत।

सहकारिता

कृषकों को दीर्घकालीन बड़ी रकम कर्ज देने के लिए सरकार ने भूमि-बन्धक बैंक को १० लाख रुपये की सहायता दी है। तृतीय योजना में राज्य-भर में इसकी ३० नई शाखाएँ खुल जायेंगी। तीसरी योजना में कृषकों को कुल ३८·४ करोड़ रुपये कर्ज दिये जायेंगे। सात हजार छोटी बहुधन्धी सहकारी समितियाँ गठित की जायेंगी। सहकारी क्रय-विक्रय के क्षेत्र में राज्य-गोदाम-कारपोरेशन को २० लाख रुपयों की सरकारी सहायता प्राप्त होगी।

ग्राम-पंचायत

बिहार में १०,५२५ ग्राम-पंचायतें दूसरी योजना के अन्त तक कायम हो चुकी हैं। शेष २४६ पंचायतें तीसरी योजना की अवधि में बन जायेंगी। ७५० पंचायत-भवन भी बनेंगे।

बाढ़-नियंत्रण

प्रथम योजना में बाढ़-नियंत्रण पर ५ करोड़ ६१ लाख रुपये खर्च हुए और दूसरी योजना में कोशी की बाढ़-नियंत्रण-स्कीम को मिलाकर १७ करोड़ ५६ लाख रुपये व्यय हुए। दोनों योजनाओं में २० लाख ७५ हजार एकड़-भूमि को बाढ़ से बचाया गया। तीसरी योजना में ६ करोड़ रुपये की लागत पर बाकी समस्त बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र को बाढ़ से बचा लेना है। ६ करोड़ रुपयों में से ६ करोड़ कोशी-योजना में, १० लाख रुपये ६ चौर का जल निकालने में और २० लाख रुपये पुनर्वास में व्यय होंगे।

तृतीय योजना-काल में बरौनी तेल-शोधक कारखाना, हटिया (राँची) में भारी मशीन बनाने का कारखाना और बोकारो में इस्पात का कारखाना जैसी विशालकाय औद्योगिक योजनाएँ पूरी हो जायेंगी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में छोटे पैमाने के उद्योगों के सिर्फ चार औद्योगिक प्रक्षेत्र स्थापित हुए थे जबकि तीसरी योजना में ऐसे चौदह छोटे-बड़े प्रक्षेत्र बसाये जा रहे हैं।

अनुसूचित जातियों, जन-जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण

अनुसूचित जातियों के ७७,८५० छात्रों को, अनुसूचित जन-जातियों के १५ हजार छात्रों को और अन्य पिछड़ी जातियों के २० हजार छात्रों को छात्रवृत्तियाँ देने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त इन जातियों के २,८७५ छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्तियाँ दी जायेंगी। अनुसूचित जातियों के ५ हजार छात्रों को और अनुसूचित जन-जातियों के ४ हजार छात्रों को पुस्तकीय अनुदान देने का प्रस्ताव है।

रोजगार

राष्ट्रीय योजना में श्रमिकों की १ करोड़ ७० लाख संख्या में से १ करोड़ ४० लाख को ‸ देने का प्रबन्ध है; शेष २० लाख श्रमिकों को भी ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष परियोजनाएँ कर रोजगार दिया जायगा। अनुमान लगाया गया है कि इस राज्य में प्रथम योजना की

समाप्ति तक ५ लाख व्यक्तियों को कोई रोजगार नहीं था। सन् १९६१ ई० की जन-गणना के अनुसार द्वितीय योजना की अवधि में मजदूरों की संख्या में १३·८२ लाख की वृद्धि हुई। द्वितीय योजना में सिर्फ ८ लाख व्यक्तियों को रोजगार दिया गया। तीसरी योजना के शुरू में लगभग १०·८२ लाख व्यक्ति बेकार थे। तीसरी योजना में नये श्रमिकों की संख्या करीब १६·९ लाख होगी। इस प्रकार तीसरी योजना में लगभग २७ लाख ७२ हजार श्रमिकों को रोजगार देना होगा। अनुमान है कि तीसरी योजना की अवधि में ९ लाख ७२ हजार व्यक्तियों को योजना के कामों में रोजगार मिल जायगा।

सड़कें

सन् १९६१ ई० तक जिला-बोर्डों की पक्की सड़कों को मिलाकर बिहार में कुल ८,०६९ मील पक्की सड़कें थीं, जबकि नागपुर-योजना-लक्ष्य १०,२११ मील का था। सन् १९५८ ई० में हुए मुख्य अभियंता-सम्मेलन ने सड़क-विकास-योजना की सिफारिश की थी, जिसके अनुसार बिहार में १९६१ ई० तक २० हजार मील पक्की सड़कें, ३५ हजार मील जिला-बोर्ड और गाँवों की सड़कें बननी चाहिए थी। इस योजना पर कुल ३६६ करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान था। तृतीय योजना में इसमें सिर्फ १९ करोड़ रुपये खर्च करने का विचार है, जिससे १,२५० मील नई सड़कें बनेंगी। दूसरी योजना की शेष योजना पर, जिसे तीसरी योजना की अवधि में पूरा किया जायगा, ७·९४ करोड़ रुपये खर्च होंगे।

डाक-तार-सेवा

मार्च, १९५१ ई० में बिहार में २,८२४ डाकखाने थे जबकि दूसरी योजना के अन्त में ६,२९९ डाकखाने हुए। सन् १९५३ ई० में २ हजार या अधिक जन-संख्यावाले प्रत्येक गाँव में एक डाकखाना था। तीसरी योजना की अवधि में बिहार में प्रतिवर्ष २०० डाकखाने खोलने का प्रस्ताव है।

पहली योजना के अन्त तक प्रत्येक जिला के मुख्यालय में टेलीफोन-एक्सचेंज, १०७ तार-घर, ११९ सार्वजनिक टेलीफोन-घर और विभागीय तार-घर खोले गये। इसके अलावा ३,७९९ टेलीफोन-लाइनें लगाई गईं।

दूसरी योजना में २४ टेलीफोन-एक्सचेंज, १७३ सार्वजनिक टेलीफोन-घर और १८० तारघर खोले गये। इसके अलावा ६,४१३ टेलिफोन-लाइनें लगाई गईं। इस अवधि में पटना का स्वचालित टेलीफोन-एक्सचेंज का काम भी पूरा हुआ। तीसरी योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राजस्व-थाने और १० हजार से अधिक जनसंख्यावाली जगहों में तार की सुविधा देने का लक्ष्य है। तीसरी योजना के अन्त तक २१,३७० स्वचालित टेलीफोन-लाइनें लगाने, वर्त्तमान एक्सचेंजों में और १५,४०५ लाइनें जोड़ने तथा ४,०५० लाइनों में १०० नये एक्सचेंज खोलने का लक्ष्य है। सन् १९५१ ई० में बिहार में बचत-बैंक का काम करनेवाले सिर्फ ६३३ डाकखाने थे। अगस्त, १९६२ ई० में यह संख्या १,७२९ हो गई। तीसरी योजना में पंचायतों और विकास-प्रखण्डों के मुख्यालयों के डाकखानों को भी यह काम करने का अधिकार दिया जा रहा है। आशा है कि इससे तीसरी योजना की अवधि में ६० करोड़ रुपया जमा होगा।

स्वास्थ्य

प्रमण्डलीय मुख्यालय के अस्पतालों में से प्रत्येक में शय्याओं की संख्या ३०० और जिला-अस्पतालों में प्रत्येक में शय्याओं की संख्या १०० कर देने का प्रस्ताव है। जिला और अनुमण्डल के मुख्यालय-स्थित प्रत्येक अस्पताल में एक टी० बी० क्लिनिक खोला जायगा। शय्याओं की

संख्या सन् १९६६ ई० तक बढ़कर १३,०७१ तक पहुँच जायगी। सन् १९६१ ई० में यह संख्या १०,१६१ थी। तीसरी योजना के अन्त तक स्वास्थ्य-विभाग के अतिरिक्त कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार होगी—मेडिकल अफसर १३००, नर्स २००, लेडी हेल्थ-विजिटर २५०, धाय ७५० तथा दाई १५००।

बिहार की योजना, १९६४-६५

सन् १९६४-६५ ई० के लिए बिहार की वार्षिक योजना का कुल उद्व्यय ७४·५० करोड़ रुपया होगा। केन्द्रीय सरकार ने पहले ४७·४० करोड़ देने का वादा किया था। इस रकम के अतिरिक्त वह ५ करोड़ रुपये की सहायता और देगी। इस प्रकार केन्द्र से कुल ५२·४० करोड़ और राज्य का अंशदान २२·१० करोड़, कुल मिलाकर ७५·४० करोड़ रुपये का उद् व्यय १९६४-६५ में रखा गया है।

सन् १९६३ ई० के नवम्बर में योजना-आयोग के अनुमोदन के लिए १९६४-६५ की जो योजना उपस्थापित की गई थी, वह ७९ करोड़ रुपये की थी। राज्य की ३३७ करोड़ की जो तीसरी योजना है, उसमें ३१ मार्च १९६४ ई० तक बिहार १६१·५९ करोड़ रुपये तक खर्च कर डालेगा, ऐसी उम्मीद की जाती है।



शासन-प्रबन्ध

शासन का विकास—बिहार भारत का एक राज्य या प्रदेश है। अँगरेजी शासन-काल में, सन् १९१२ ई० में, बिहार-उड़ीसा बंगाल से अलग किया जाकर एक प्रान्त बनाया गया। पटना इसकी राजधानी हुआ। गर्मी के दिनों के लिए राजधानी रही राँची। उस समय यहाँ का शासन-भार एक लेफ्टिनेण्ट गवर्नर के ऊपर रखा गया। शासन-सम्बन्धी कार्यों में परामर्श देने के लिए एक विधान-सभा गठित हुई, जिसके ४५ सदस्य थे। सन् १९१९ ई० के सुधार के अनुसार यह गवर्नर का प्रान्त बना और विधान-सभा की सदस्य-संख्या ४५ से बढ़ाकर १०१ की गई। इसके अधिकांश सदस्य निर्वाचन द्वारा आने लगे। गवर्नर की सहायता के लिए एक एक्जिक्यूटिव कौंसिल कायम की गई, जिसके एक भारतीय और एक अँगरेज सदस्य होते थे। इसके अतिरिक्त विधान-सभा के निर्वाचित सदस्यों में से गवर्नर दो व्यक्तियों को मंत्री (मिनिस्टर) नियुक्त करते थे। शासन के विषय दो भागों में बाँट दिये गये। एक भाग में सुरक्षित विषय और दूसरे में हस्तान्तरित विषय रखे गये। गवर्नर संरक्षित विषयों का शासन एक्जिक्यूटिव के मेम्बरों की सहायता से और हस्तान्तरित विषयों का शासन मन्त्रियों की सहायता से करते थे। यह द्वैध शासन कहलाता था।

सन् १९३६ ई० के अप्रैल में उड़ीसा बिहार से अलग कर दिया गया और सन् १९३७ ई० से नया शासन-विधान लागू हुआ। इसके अनुसार यहाँ एक के बदले विधान-सम्बन्धी दो सदन कायम हुए। ऊपरी सदन विधान-परिषद् (लेजिस्लेटिव कौंसिल) और निचला सदन विधान-सभा (लेजिस्लेटिव एसेम्बली) कहलाये। विधान-सभा के १५२ सदस्य हुए, जिनमें सभी निर्वाचित थे। विधान-परिषद् के ३० सदस्य हुए, जिनमें २६ निर्वाचित और ४ मनोनीत थे। यहाँ का शासन पार्लमेंटरी ढंग से होने लगा। कानूनन गवर्नर को शासन में हस्तक्षेप करने का बहुत बड़ा अधिकार

होते हुए भी उन्होंने यह आश्वासन दिया कि वे विधान-सभा के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों के कार्यों में साधारणतया हस्तक्षेप नहीं करेंगे। गवर्नर विधान-सभा के बहुमत-दल के नेता को बुलाकर उससे मंत्रिमंडल बनाने लगे। नेता अपने दल की राय से आवश्यकतानुसार मंत्री चुनने लगे और स्वयं मुख्यमंत्री का काम करने लगे। बिहार में उस समय से अबतक विधान-मंडल में काँगरेस-दल का ही बहुमत होता रहा है। उसी समय से स्वर्गीय डॉ० श्रीकृष्ण सिंह राज्य के मुख्यमंत्री होते रहे और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या समय-समय पर बदलती रही। नवम्बर, १९३९ से सन् १९४५ ई० तक द्वितीय विश्व-महासमर-काल में काँगरेस-दल शासन-कार्य से अलग रहा और गवर्नर ही शासन चलाते रहे। सन् १९४६ ई० में फिर काँगरेस-मंत्रिमंडल बना। सन् १९४७ ई० के १५ अगस्त को भारत पूर्ण स्वतन्त्र घोषित किया गया और सन् १९५० ई० की २६ जनवरी को यह सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया तथा भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ का शासन-कार्य किया जाने लगा।

राज्यपाल—सन् १९२० ई० में बिहार के प्रथम गवर्नर लार्ड सत्येन्द्रप्रसन्न सिन्हा हुए। अँगरेजी शासन-काल में समस्त भारत के अन्दर यही एक भारतीय गवर्नर हुए, जो सिर्फ एक ही वर्ष तक कार्य कर स । इसके बाद सम्पूर्ण अँगरेजी राज्य-काल में अँगरेज ही गवर्नर होते रहे। स्वतन्त्र भारत में बिहार के गवर्नर या राज्यपाल क्रमशः श्रीजयरामदास दौलतराम, श्रीमाधव श्रीहरि अणे, श्रीरंगनाथ रामचन्द्र दिवाकर और डॉ० जाकिर हुसेन हुए। मई, १९६२ ई० से श्रीअनन्त-शयनम् आयंगर यहाँ के राज्यपाल का कार्य कर रहे हैं।

विधान-सभा और विधान-परिषद्—स्वतन्त्र भारत में भारतीय संविधान के अनुसार सामान्य निर्वाचन सन् १९५२, सन् १९५७ और सन् १९६२ ई० में सम्पन्न हुए। सन् १९५२ ई० में बिहार-विधान-सभा के ३३१ सदस्य थे। बिहार का कुछ अंश बंगाल में चले जाने के कारण सन् १९५७ ई० में यहाँ केवल ३१९ सदस्य रह गये। सभा के ३१९ सदस्यों में २४६ सदस्य साधारण निर्वाचन-क्षेत्र से, ४० अनुसूचित जातियों के निर्वाचन-क्षेत्र से, ३२ अनुसूचित जन-जातियों के निर्वाचन-क्षेत्र से तथा एक मनोनीत होकर आये। सन् १९६२ ई० में बिहार-विधान-सभा में ३१८ सदस्य रहे।

सन् १९५२ ई० में बिहार-विधान-परिषद् के ७२ सदस्य थे और सन् १९५७ ई० में ९६ सदस्य हुए। इन ९६ सदस्यों में विभिन्न कमिश्नरियों के स्नातक-निर्वाचन-क्षेत्र से ८, शिक्षक-निर्वाचन-क्षेत्र से ८, स्थानीय प्राधिकार-क्षेत्र से ३४, बिहार-विधान-सभा-क्षेत्र से ३४ और मनोनीत १२ सदस्य थे। सन् १९६२ ई० की स्थिति यही रही।

भारतीय संसद् में बिहार के सदस्य—इस समय भारतीय संसद् की राज्य-सभा एवं लोक-सभा में बिहार के क्रमशः ३३ और ५३ सदस्य हैं।

★

बिहार-सरकार

राज्यपाल

श्रीअनन्तशयनम् आयंगर

मन्त्रिगण

१. श्रीकृष्णवल्लभ सहाय, मुख्यमंत्री—राजनीति एवं नियुक्ति, उद्योग, वित्त, श्रम, योजना और वन।
२. श्रीसत्येन्द्र नारायण सिंह—शिक्षा, कृषि और स्वायत्त-शासन।
३. श्रीमहेशप्रसाद सिंह—नदीघाटी-योजना, सिंचाई और बिजली।
४. श्रीवीरचन्द पटेल—भू-राजस्व।
५. श्रीअब्दुल क़यूम अन्सारी—जन-स्वास्थ्य।
६. श्रीहरिनाथ मिश्र—सहकारिता।
७. श्रीरामलखनसिंह यादव—लोक-निर्माण और लोक-स्वास्थ्य-अभियन्त्रण।
८. श्रीजाफर इमाम—विधि और उत्पाद (आबकारी)।
९. श्रीमुंगेरी लाल—खाद्य-आपूर्ति, वाणिज्य और पशुपालन।
१०. श्रीसुशील कुमार बागे—सामुदायिक विकास और ग्राम-पंचायत।
११. श्रीमती सुमित्रा देवी—सूचना।

राज्य-मन्त्रिगण

१. श्रीअम्बिकाशरण सिंह—वित्त, कर, सांख्यिकी, ऑडिट एवं राष्ट्रीय बचत।
२. श्रीडूमरलाल बैठा—गृह-निर्माण, कल्याण (जन-जाति-रहित)।
३. श्रीगिरीश तिवारी—शिक्षा।
४. श्रीनवलकिशोर सिंह—सामान्य प्रशासन और कारा।
५. श्रीसहदेव महतो—नदीघाटी-योजना, सिंचाई, बिजली, विधि और उत्पाद (आबकारी)।
६. श्रीबरियार हेम्ब्रम—जन-जातियों का कल्याण।
७. श्रीराघवेन्द्र नारायण सिंह—परिवहन।
८. श्रीशिवशंकर सिंह—धार्मिक न्यास।
९. श्रीबालेश्वर राम—पर्यटन।

मुख्य सचिव

१. श्रीसुधेन्दु ज्योति मजुमदार।

पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

१. श्री बी० रामास्वामी, आई० सी० एस०, बार-ऐट-लॉ

इस समय बिहार में ४ प्रमण्डल, १७ मण्डल, ५८ अनुमण्डल और ४६७ थाने हैं। इनका प्रशासन क्रमशः प्रमंडलाधीश (कमिश्नर), मंडलाधीश (कलक्टर), अनुमंडलाधीश (सब-डिविजनल अफसर) और थानेदार द्वारा होता है। प्रशासन की सुविधाओं एवं विकास-कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिले कई अंचलों और प्रखण्डों (ब्लॉकों) में बाँटे गये हैं। प्रमण्डलों, मण्डलों और अनुमण्डलों के नाम 'क्षेत्रफल एवं जन-संख्या' शीर्षक अध्याय में दिये गये हैं।



बिहार-सरकार का आय-व्ययक

सन् १६६३-६४ ई०

सन् १६६३-६४ ई० के आय-व्ययक में समेकित निधि (कॉनसोलिडेटेड फंड) में कुल आय १६२ करोड़ ३३ लाख और कुल व्यय १६२ करोड़ २० लाख होने की आशा की गई। इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में सन् १६६३-६४ ई० में १३ लाख रुपये की बचत होगी।

आय-व्ययक

आय

राजस्व-आय, जिसमें केन्द्र का अनुदान भी सम्मिलित है—	८७,८५,००,००० रुपये
केन्द्र से प्राप्त आय, जिसमें ऋण का प्रत्यादान और रिजर्व बैंक से उपाय और साधन की अग्रिम राशि भी सम्मिलित है—	७४,४८ ००,००० रुपये
कुल योग	१६२,३३,००,००० रुपये

(व्यय)

योजना से बहिर्गत व्यय—	११२,३२,००,०००
योजना-व्यय—	४६,६८,००,०००
कुल	१६२,२०,००.००० रुपये
शुद्ध बचत—	१३,००,००० रुपये

व्यय के बृहत् शीर्षक :

१. सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूँजी-उद्व्यय ...	२१·२२ करोड़ रुपये
२. सिंचाई	२०·३२ ,,
३. शिक्षा	१५·६६ ,,
४. ऋण और अग्रिम (साथ व्यय के)	११·१४ ,,
५. सामुदायिक विकास	७·६३ ,,
६. पुलिस	६·३५ ,,
७. जन-स्वास्थ्य	५·१० ,,
८. चिकित्सा	४·६३ ,,
९. कृषि	५·३५ ,,
१०. सहकारिता	४·१२ ,,
११. सामान्य प्रशासन	३·२१ ,,
१२. उद्योग	१२·८६ ,,



परिशिष्ट—(क)

सन् १९६३ ई० की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

जनवरी

१—केन्द्रीय सरकार ने शिवपुर के बोटैनिकल गार्डेन (एशिया का सबसे बड़ा उद्भिद-उद्यान) का परिचालन-भार अपने हाथ में ले लिया।

—पंजाब के मंत्रिमंडल का नव गठन। ३१ के स्थान में ९ सदस्यों का मंत्रिमण्डल।

२—पेकिंग में चाऊ एन लाई के साथ श्रीमती भंडारनायक की दूसरी बैठक।

—चीनी सेना सेला (नेफा) छोड़कर चली गई।

३—मुंगेर जिला के उमेशनगर स्टेशन पर भयंकर रेल-दुर्घटना। ४२ आदमी मरे और एक सौ से अधिक घायल।

४—भारत-चीन-विवाद अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय में भेजने का भारत का चीन से आग्रह।

५—कराची में पाकिस्तान और चीन के बीच प्रथम वाणिज्य-इकरार हस्ताक्षरित।

६—पं० नेहरू द्वारा औपचारिक रूप में एशिया का सबसे बड़ा जलाशयवाला रिहंद-बाँध (उत्तर-प्रदेश) का उद्घाटन।

७—कोलंबो-प्रस्ताव के सम्बन्ध में चीनी प्रधान मंत्री चाऊ-एन-लाई और श्रीमती भंडारनायक की संयुक्त विज्ञप्ति।

८—कॉलेजों में जुलाई से अनिवार्य सैनिक-शिक्षा चालू की जाने की घोषणा।

९—भारत-सरकार द्वारा स्वर्ण-नियंत्रण-विधि लागू। स्वर्ण के आभूषणों के सिवा अन्य सब प्रकार के सोना का हिसाब दाखिल करने का निदेश।

१०—श्रीलंका की प्रधान मन्त्रिणी श्रीमती भंडारनायक भारत आईं।

११—राष्ट्रसंघ की सेनाओं ने कटंगा में दो-तरफा सैनिक कार्रवाई आरम्भ की।

१२—अरब-गण राज्य के प्रधान मन्त्री श्री अली साबरी भारत आये।

१३—पश्चिमी अफ्रिका के टोगो राष्ट्र के राष्ट्रपति सिलवेनस की एक सैनिक क्रान्ति में हत्या। मि० पाल मेटाची द्वारा शासन-सत्ता ग्रहण।

१४—कोलंबो प्रस्ताव के मूल सिद्धान्तों को भारत ने स्वीकार कर लेने का निश्चय किया।

—भारत और संयुक्त अरब-गणराज्य ने एक मसविदे पर हस्ताक्षर किये, जिसके अनुसार वर्त्तमान व्यापार-इकरारनामे की मियाद फरवरी, १९६६ ई० तक बढ़ा दी गई है।

१५—सोवियत प्रधान मंत्री खुश्चेव ने पूर्व जर्मन कम्युनिस्ट काँगरेस में कहा कि रूस ने १०० मेगाटन का बम तैयार किया है, जिसका व्यवहार सारे यूरोप के लिए विध्वंसकारी सिद्ध हो सकता है।

—कटंगा कांगो में विलीन।

१६—स्वामी विवेकानन्द के जन्मशती-उत्सव का देशव्यापी उद्घाटन।

१७—तृतीय योजना के सन् १९६३-६४ साल में १,६९४ करोड़ रुपया खर्च करने का उपबंध—केन्द्रीय मद में ९४४ करोड़ और राज्यों की मद में ७५० करोड़।

—ब्रिटिश मजदूर-दल के नेता मि० ह्यिउ गेटस्कल का देहान्त।

१८—चीन और नेपाल के बीच सीमान्त-समझौता सम्पन्न।

१६—चीन के साथ युद्ध में नेफा और लद्दाख के रण-क्षेत्रों में ३२२ भारतीय मारे गये, ६७६ घायल हुए और ५,४६० लापता। लोक-सभा में प्रतिरक्षा-मंत्री का वक्तव्य।

२०—भारत-सरकार द्वारा कोलंबो-प्रस्ताव नीतिगत रूप में ग्रहण करने का निश्चय।

—तवांग में पुनः भारतीय प्रशासन प्रतिष्ठित।

२१—'चीन कोलंबो-प्रस्ताव और उसकी व्याख्या को यदि सम्पूर्ण रूप में स्वीकार नहीं करेगा तो उसके साथ समझौते की बातचीत नहीं होगी'—लोकसभा में श्रीनेहरू की घोषणा।

२२—ट्युनीशिया में राष्ट्रपति हबीब बोरगुइबा की हत्या तथा वहाँ की सरकार को उलट देने का षड्यंत्र। १० आदमियों को प्राण-दण्ड।

२३—लोकसभा में व्याख्या-सहित कोलंबो-प्रस्ताव का अनुमोदन।

२४—प्रजातंत्र-दिवस के अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति डा० जाकिर हुसेन और संस्कृत के विशिष्ट विद्वान् डा० पी० वी० काणे 'भारत-रत्न' की उपाधि से सम्मानित।

— भूगर्भ में पारमाणविक परीक्षण बंद रखने के सम्बन्ध में राष्ट्रपति कनेडी का निदेश।

२५—यूरोपीय साझा-बाजार में ब्रिटेन को सम्मिलित करने की वार्त्ता।

२६—सिक्कम-तिब्बत-सीमांत में चीनी सेना का जमाव।

२७—केन्द्रीय सरकार द्वारा मयूर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में स्वीकृत किया गया।

फरवरी

१—६ फरवरी, १९६३ के बाद गिन्नी सोना के आभूषणों की बिक्री बंद; इसके बाद १४ कैरेट के स्वर्णाभूषण प्रस्तुत किये जायेंगे—स्वर्ण-बोर्ड के अध्यक्ष की घोषणा।

२—यूनान के बादशाह दिल्ली आये।

३—चीनी समस्त नेफा-क्षेत्र से हट गये।

४—जेनेवा में पिछड़े हुए देशों के विकास के लिए ८७ राष्ट्रों का सम्मेलन।

— टैंगनिका के मोसी शहर में तृतीय अफ्रिका-एशिया एकता-सम्मेलन आरम्भ।

५—कंबोडिया के राष्ट्र-नायक प्रिन्स नरोदम सिंहानुक का कलकत्ते में आगमन।

—कनाडा की पार्लियामेण्ट में अविश्वास का प्रस्ताव पास होने के कारण डिफेनबेकर-सरकार का पतन।

७—जुलाई, १९६३ से भारत के समस्त कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अनिवार्य सैनिक-शिक्षा की व्यवस्था का निर्णय।

—अफ्रिका-एशिया एकता-सम्मेलन (मोसी, टैंगनिका) की कार्य-सूची में चीन-भारत-सीमान्त-विवाद को स्थान नहीं देने के प्रतिवाद में भारत का सभा-त्याग।

—ओलम्पिक क्रीडा से अनिश्चित काल के लिए इंडोनेशिया को ससपेंड किया गया।

८—इराक में पुनः सैनिक क्रान्ति में वहाँ के प्रधान मन्त्री जेनरल कासिम की हत्या। कर्नल अब्दुल करीम मोस्तफा के नेतृत्व में नूतन क्रान्तिकारी परिषद् द्वारा शासन-सत्ता अधिकृत।

—कश्मीर-विवाद निपटाने के सम्बन्ध में कराची में भारत-पाकिस्तान-बैठक का तीसरा दौर शुरू।

९—शिलांग में गृह-मंत्री श्रीलालबहादुर शास्त्री की अध्यक्षता में पूर्वाञ्चलीय परिषद् की बैठक।

—पाक-स्नातक छात्रों को तीन वर्ष तक अनिवार्य एन० सी० सी० का प्रशिक्षण दिया जाय—अन्तर-विश्वविद्यालय-बोर्ड का बम्बई की बैठक में निर्णय।

—इराक के पदच्युत प्रधान मंत्री जे० अब्दुल करीम और उनके दो सहकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नई इराकी सरकार के प्रेसिडेंट कर्नल आरिफ।

१०—तीसरी बार की भारत-पाक-बैठक (कराची) में कोई निर्णय नहीं। कलकत्ते में चौथी बार बैठक करने का निश्चय।

११—सोवियत मिग लड़ाकू विमान की पहली किस्त १२ विमानों में ४ विमान बम्बई पहुँचे।

—कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के पद का श्रीनम्बुद्रीपाद ने परित्याग कर दिया।

१३—केन्द्रीय राज्य-मंत्री श्री बी० एन० दातार का दिल्ली में परलोक-वास।

—राकेट से महाशून्य में अमेरिका का 'स्थिर' उपग्रह उत्क्षिप्त। विश्वव्यापी सुलभ संवाद-आदान-प्रदान की नूतन संभावना।

१५—हेरल्ड विलसन ब्रिटेन की लेबर-पार्टी के नेता निर्वाचित।

—आणविक परीक्षण बंद करने के लिए जेनेवा में एक सौ से अधिक वैज्ञानिकों का आवेदन।

१६—केन्द्रीय मंत्री श्रीजगजीवन राम द्वारा डेहरी-ऑन-सोन पर एशिया के सबसे लम्बे (दो मील लम्बे) पुल का शिलान्यास।

१७—दक्षिण अफ्रिका की वर्ण-विद्वेष-नीति की भयावहता। भारतीयों के बहुत-से मुहल्ले 'एकमात्र श्वेताङ्गों के लिए' घोषित।

१८—संसद् का बजट-अधिवेशन आरम्भ।

१९—लोकसभा में रेल-बजट पेश।

२१—श्री सी० के० दफ्तरी भारत के एटर्नी जेनरल के पद पर नियुक्त।

—लीबिया के बर्स शहर में भीषण भूकम्प—पाँच सौ से अधिक स्त्री-पुरुष मरे। १२ हजार मनुष्य गृह-हीन।

२३—बर्मा में समस्त देशी और विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण।

२४—आठ भारतीय साहित्यिक-साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत।

२५—केरल में भारत का राकेट-स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव।

—महाशून्य में शान्तिपूर्ण व्यवहार-सम्बन्धी प्रस्ताव राष्ट्रसंघ की कमिटी द्वारा समर्थित।

—बर्मा में लकड़ी-व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण।

२७—निर्यात्-योग्य बहुत-से मालों के रेल-भाड़े में कमी की गई—प्रतिशत २५ से ५० तक।

२८—रात्रि में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद का पटना के सदाकत-आश्रम में निधन। सारा देश शोकाच्छन्न।

—लोकसभा में वित्तमंत्री द्वारा १९६३-६४ साल का बजट पेश।

मार्च

१—दिल्ली के राजघाट (गांधी-समाधि) से पेंकिंग के लिए पद-यात्रा आरम्भ—विभिन्न देशों के १८ शान्तिवादी पद-यात्रा में सम्मिलित।

—लाहौर-जेल में खान अब्दुल गफ्फार खाँ द्वारा अनशन।

—रूस के प्रधान मंत्री मि० ख्रुश्चेव के साथ भारतीय परराष्ट्र-मंत्रालय के महासचिव श्री आर० के० नेहरू का साक्षात्कार—डेढ़ घंटे तक मैत्रीपूर्ण वार्त्ता।

२—पाक-चीन सीमान्त इकरारनामे पर हस्ताक्षर। कम्युनिस्ट चीन को २,०५० वर्ग-मील भूमि उपहार-स्वरूप प्राप्त। इसमें भारत का भी कुछ अंश सम्मिलित।

—पाकिस्तान के साथ अवैध सीमान्त-इकरार के लिए भारत ने चीन के पास प्रतिवाद-पत्र भेजा।

—काठमांडू में नेपाल के राजा महेन्द्र के साथ भारत के गृहमंत्री की वर्त्ता।

३—दक्षिण-अमेरिका के पेरू नामक देश में जमीन के धँस जाने से दुर्घटना। चार सौ व्यक्ति मरे।

६—रूस के प्रधान मंत्री मि० निकेता ख्रुश्चेव सर्वोच्च सोवियत में पुनः निर्वाचित।

८—चीन द्वारा भारत को पुनः धमकी—एकतरफा प्रस्ताव स्वीकार करो, अन्यथा सामरिक काररवाई की जायगी।

—सीरिया में सैनिक-क्रान्ति। अरब गणराज्य के प्रेसिडेण्ट नसर के समर्थकों द्वारा शासन-सत्ता पर अधिकार।

१०—दलाई लामा द्वारा तिब्बत के नये संविधान की घोषणा।

१२—कलकत्ता के राजभवन में चौथी बार कश्मीर-सम्बन्धी वार्त्ता आरम्भ।

—मि० चाऊ-एन-लाई को प्रधान मंत्री नेहरू ने उनके ३ मार्च के पत्र के उत्तर में लिख भेजा कि कोलम्बो-प्रस्ताव सम्पूर्ण रूप से मान लेने पर ही सीमान्त-विवाद के सम्बन्ध में बातचीत हो सकती है। लोकसभा में चाऊ-नेहरू-पत्रावली उपस्थापित।

—दलाई लामा द्वारा तिब्बत का भावी संविधान घोषित होने से चीन में विरुद्ध प्रतिक्रिया। श्रीनेहरू के विरुद्ध विष-वमन।

१४—कश्मीर-प्रश्न के सम्बन्ध में कलकत्ते की भारत-पाक बैठक कार्यतः व्यर्थ। २१ अप्रैल को कराची में पाँचवीं बैठक करने का निश्चय।

—राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्रीजयनारायण व्यास का दिल्ली में शरीरान्त। अवस्था ६४ वर्ष।

१६—दिल्ली में भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री पतञ्जलि शास्त्री का ७४ वर्ष की अवस्था में शरीरान्त।

१७—"आसाम और त्रिपुरा में साढ़े तीन लाख पाकिस्तानियों की घुस-पैठ—पश्चिम बंगाल में लगभग ४६ हजार"—गृह-मंत्रालय का वार्षिक प्रतिवेदन।

—दक्षिण-अफ्रिका में वर्ण-भेद कानून लागू होने से प्रायः दस हजार प्रवासी भारतीय सन्तान आर्थिक दृष्टि से विपन्न।

१८—चीन-पाकिस्तान-सीमान्त-इकरार के विरुद्ध सुरक्षा-परिषद् में भारत का प्रतिवाद; क्योंकि हस्ताक्षरित इकरारनामा अन्तरराष्ट्रीय विधि के विरुद्ध।

—फ्रांस द्वारा सहारा में आणविक बम-विस्फारण।

१६—बाली-द्वीप में ज्वालामुखी पहाड़ के आग उगलने से १३० आदमी मरे।

२०—सिक्किम के महाराज कुमार का एक अमेरिकी युवती मिस होप कूक के साथ धूम-धाम से विवाह।

२१—रूस ने १३वाँ स्पुतनिक अन्तरिक्ष में भेजा।

२३—दामोदरघाटी में चन्द्रपुरा विद्युत्-संयंत्र के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ की अन्तरराष्ट्रीय विकास एजेन्सी (A I D) ने भारत को १ करोड़ ६० लाख डालर ऋण देने की घोषणा की।

२७—भारत और फ्रांस के बीच एक इकरारनामे पर हस्ताक्षर किये गये, जिसके अनुसार भारत में जो सब फ्रांसीसी अधिकृत प्रदेश बच गये हैं, उनके सम्बन्ध में दोनों देश आपस में मिलकर सारी बातें तय कर लेंगे।

—लाओस-नरेश सवांग वथाना भारत आये।

३१—ग्वाटेमाला के सैनिक-विद्रोह में वहाँ के राष्ट्रपति पदच्युत किये गये।

अप्रैल

२—राजा महेन्द्र द्वारा नेपाल की नूतन मंत्रिपरिषद् गठित—अध्यक्ष डा० तुलसी गिरि।

—चन्द्रलोक की दिशा में रूस का एक और राकेट (मनुष्य-विहीन) प्रेषित।

३—उच्चस्तरीय बैठक के लिए मास्को में माओ-त्से-तुंग आमंत्रित। ख्रुश्चेव पेकिंग जाने के लिए राजी नहीं।

४—मध्य लाओस में पुनः युद्धारम्भ। कम्युनिस्ट-पंथी पैथेट-लाओ सेना और तटस्थतावादी सैन्य-दल में संग्राम।

५—कैरो में राष्ट्रपति नसर के साथ भारत के उपराष्ट्रपति डा० जाकिर हुसेन की महत्त्वपूर्ण वार्त्ता।

६—सोवियत राकेट लुनिक-४ का चन्द्रमा के आकाश-पथ का अतिक्रमण।

६—नागा विद्रोही दल का पुन: उपद्रव—मरियानी-लामडिंग शाखा के रेल-मार्ग पर मुसाफिर-गाड़ी पर डिनामाइट और आधुनिक समरास्त्रों द्वारा आक्रमण। अन्धाधुन्ध गोली-वर्षा।

—कनाडा के निर्वाचन में मि० लेस्टर पियर्सन का उदार दल विजयी—प्रधान मंत्री मि० डिफेन बेकर का दल पराजित।

—चीन के विरुद्ध भारत को शक्तिशाली बनाने के प्रश्न को लेकर लंदन में आंग्ल-अमेरिकी बैठक।

१०—मिस्र, सीरिया और इराक का संघीय गणराज्य बनाने की घोषणा।

—चीनियों द्वारा १४४ भारतीय युद्धबन्दी मुक्त।

११—मरियानी-लामडिंग शाखा के रेल-मार्ग पर नागा विद्रोहियों द्वारा पुनः आक्रमण। चलती ट्रेन पर गोली-वर्षा।

—दिल्ली के संसद्-भवन के सामने एक हजार स्वर्णकारों का विक्षोभ-प्रदर्शन।

१२—चीन द्वारा छोड़े गये १४४ भारतीय बन्दी सैनिक स्वदेश लौटे।

१३—'सरकारी कामों में सन् १६६५ ई० के बाद भी अँगरेजी भाषा का व्यवहार चालू रहेगा'—लोकसभा में गृह-मंत्री द्वारा विवादास्पद विधेयक उपस्थापित।

—महाकाश में सोवियत-संघ का चौदहवाँ उपग्रह (कॉसमस-१४)-उत्क्षेपण।

—चीनी नागरिकों का पहला जत्था चीन रवाना।

१४—कांगो में पुनः अशान्ति। जादोत-मिल में दो प्रतिद्वन्द्वी अफ्रिकी दलों के बीच युद्ध।

—महापंडित राहुल सांकृत्यायन का निधन।

१६—मिस्र, सीरिया और इराक का संयुक्त राष्ट्र-गठित। कैरो में तीन राष्ट्र-प्रधानों के घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर।

१७—चीन यदि सिक्कम पर आक्रमण करेगा तो तृतीय विश्वयुद्ध का सूत्रपात होगा, दिल्ली में सिक्कम के महाराज कुमार की चेतावनी।

—चीनी पर सरकारी नियंत्रण लगा।

१८—हिन्दी-कवि श्रीगोपाल सिंह 'नेपाली' का निधन।

—मि० गलब्रेथ के स्थान पर मि० चेस्टर बाउल्स भारत में अमेरिकी राजदूत मनोनीत।

२१—नेपाल के नेता सुवर्ण शमशेर (भू० पू० सहकारी प्रधान मंत्री)-सहित १० व्यक्तियों को तोड़-फोड़ के कार्य-कलाप के अभियोग में आजीवन कारा-दण्ड।

२२—आसाम के प्रसिद्ध कवि रत्नकान्त बड़काकती का देहान्त।

—जोर्डन में संसद् भंग।

—कश्मीर-विवाद निबटाने के सम्बन्ध में कराची में भारत-पाकिस्तान के प्रतिनिधियों की पाँचवीं बैठक।

२५—कराची में पाँचवीं बार काश्मीर-समस्या के सम्बन्ध में पाक-भारत बैठक। कोई निर्णय नहीं। १५ मई को दिल्ली में पुनः बैठक करने की व्यवस्था।

२७—प्रबल उत्तेजना और वाद-विवाद के बाद लोकसभा में सरकारी भाषा-विधेयक बहुमत से पारित (१८८-१५)। सन् १६६५ ई० के बाद भी अनिर्दिष्ट काल तक अँगरेजी का व्यवहार होता रहेगा।

२६—प्रतिरक्षा-व्यवस्था के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने के लिए लार्ड माउण्टबेटन का दिल्ली में आगमन।

३०—अनिवार्य बचत-विधेयक लोक-सभा में पारित।

मई

१—डाक-दर में वृद्धि। पोस्टकार्ड का दाम ५ नये पैसे से ६ नये पैसे।

—पश्चिमी ईरियन की शासन-सत्ता हिन्देशिया को अर्पित।

२—देश का कोई अङ्ग भारत-संघ से पृथक् नहीं हो सकता। इस आशय का १६वाँ संविधान-संशोधन-विधेयक लोकसभा में सर्वसम्मति से पारित।

—दिल्ली में ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के सचिव मि० डंकन सैण्डीज और ब्रिटिश समर-नायक लार्ड माउण्टबैटन के साथ पं० नेहरू की वार्ता। भारत-प्रतिरक्षा-व्यवस्था और कश्मीर के सम्बन्ध में काफी देर तक बातचीत।

३—सामरिक सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में नई दिल्ली में नेहरू और अमेरिकी परराष्ट्र-मन्त्री डीन रस्क के बीच काफी समय तक बातचीत।

—प्रतिरक्षा-मंत्री के साथ भी वार्त्ता।

४—कोलंबो-प्रस्ताव मान लेना होगा, तभी समझौते की बातचीत की जा सकती है— मि० चाऊ-एन-लाई को श्रीनेहरू के २१ अप्रैल के पत्र का मूल वक्तव्य।

—अमेरिकी पर्वतारोही दल द्वारा हिमालय के एवरेस्ट शिखर पर आरोहण।

३—वर्ण-भेद के विरुद्ध अलबामा (अमेरिका) में निग्रो लोगों का व्यापक विक्षोभ। लगभग आठ सौ निग्रो गिरफ्तार।

—'भारत-चीन विरोध के मामले में संयुक्त राष्ट्रसंघ हस्तक्षेप नहीं करेगा'—महासचिव ऊ थान्त का मन्तव्य।

—केन्द्र-शासित क्षेत्रों में विधान-सभा और मंत्रिमण्डल-गठन के सम्बन्ध में विधेयक पारित।

६—बरौनी तेल-शोधक कारखाने की २१ दिन की हड़ताल समाप्त।

—चीनी आक्रमण की पृष्ठभूमि में पश्चिम-बंगाल और आसाम को लेकर नया इस्टर्न कमाण्ड गठित।

७—मेसर्स सिराजुद्दीन कंपनी के साथ केन्द्रीय खान और ईन्धन-मंत्री श्रीकेशवदेव मालवीय की आर्थिक लेनदेन के अभियोग के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश पर जाँच का भार दिया गया।

—सरकारी भाषा-विधेयक राज्य-सभा में पारित। प्रतिवाद में जनसंघ और समाजवादी दल के सदस्यों द्वारा सदन-त्याग।

८—पश्चिम बंगाल के सरकारी कामों में बँगला भाषा का व्यवहार औपचारिक रूप में आरम्भ।

—नेपाल की राजधानी काठमांडू में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खाँ का आगमन।

—'कश्मीर-उपत्यका का विभाजन अथवा उसपर दोनों राष्ट्रों का सम्मिलित नियंत्रण पाक-सरकार को मंजूर नहीं'—पाक-परराष्ट्र-मंत्री मि० भुट्टो का कथन।

१०—इंगलैण्ड के देशव्यापी नगरपालिका-निर्वाचन में श्रमिक-दल की भारी सफलता।

—इन्डोनेशिया में चीनियों के विरुद्ध प्रचण्ड विक्षोभ—लूटपाट, अग्निकाण्ड। सेना द्वारा शान्ति-स्थापना।

११—राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन की अफगानिस्तान की सद्भावना-यात्रा आरम्भ।

१२—सिलहट से अल्पसंख्यक जातियों को बलपूर्वक निकाला जा रहा है—पूर्व-पाकिस्तान-सरकार के निकट आसाम-सरकार का तीव्र प्रतिवाद।

१३—दण्डकारण्य-उन्नयन-व्यवस्था के अध्यक्ष और भूतपूर्व निर्वाचन-आयुक्त श्री सुकुमार सेन का ६५ वर्ष की अवस्था में परलोकवास।

१४—कानपुर के समीप मोटर-दुर्घटना में सुप्रसिद्ध भाषाशास्त्री और जनसंघ के सभापति डा० रघुवीर की ६१ वर्ष की अवस्था में मृत्यु।

१५—कश्मीर-समस्या के समाधान के उद्देश्य से नई दिल्ली में भारत-पाकिस्तान के बीच वार्त्ता का छठा दौर शुरू।

—अमेरिकी आकाशचारी गर्डन कूपर ने महाकाश की परिक्रमा आरम्भ की।

१६—कश्मीर के सम्बन्ध में दिल्ली में हुई भारत-पाकिस्तान की छठी वार्त्ता पाकिस्तान के असंगत दावे के कारण भंग।

—बंबई में २४० बेकार स्वर्णकारों द्वारा अनशन।

—इंडोनेशिया में पुनः चीन-विरोधी दंगा। चीनी दुकानों की लूटपाट, अग्निकाण्ड।

१७—भारत के उत्तर सीमान्त में पुनः चीनी सेना का समावेश।

—योजनानुसार २२ बार पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद अमेरिका का गर्डन कूपर सकुशल पृथ्वी पर लौट आया।

—वाशिंगटन में अमेरिकी परराष्ट्र-मंत्री डीन रस्क और भारत के केन्द्रीय मंत्री श्री टी० टी० कृष्णमाचारी के बीच देर तक वार्त्ता। वार्त्ता के बाद श्रीकृष्णमाचारी की घोषणा—अमेरिका भारत के प्रति बन्धुत्व-भावापन्न और भारत की प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्त्ति के लिए इच्छुक।

१८—बम्बई में स्वर्णकारों का सामूहिक अनशन। स्वर्ण-नियंत्रण-विधि का प्रतिवाद।

—सोवियत नोट के उत्तर में पश्चिमी राष्ट्रों का वक्तव्य: 'नाटो की पारमाणविक अस्त्र-सज्जा अक्षुण्ण रहेगी।'

—विश्व-प्रगति के पथ में चीन बाधक—वह केवल युद्ध चाहता है—युगोस्लाव राष्ट्रपति मार्शल टीटो की घोषणा।

१९—आणविक शक्ति के शान्तिपूर्ण व्यवहार के सम्बन्ध में भारत और डेनमार्क के बीच सहयोगिता-इकरारनामे पर हस्ताक्षर।

—डा० सुकर्ण इंडोनेशिया के आजीवन राष्ट्रपति मनोनीत।

—ब्रिटेन में पुनः आणविक अस्त्र-विरोधी विक्षोभ—७० से अधिक व्यक्ति गिरफ्तार।

२०—नदिया जिले की सीमा पर पाकिस्तानी और भारतीय पुलिस के बीच दोनों ओर से गोलियाँ चलीं।

—भारत की प्रतिरक्षा के सम्बन्ध में अमेरिकी राष्ट्रपति कनेडी और भारतीय मंत्री श्रीकृष्णमाचारी के बीच महत्त्वपूर्ण बातचीत। अमेरिकी प्रतिरक्षा-मंत्री के साथ भी गुप्त बैठक।

२१—उत्तर-प्रदेश के अमरोहा लोकसभा-निर्वाचन-क्षेत्र से उपनिर्वाचन में आचार्य कृपलानी (निर्दलीय) विजयी। काँगरेस-उम्मीदवार केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत्-मंत्री मि० हाफिज मुहम्मद इब्राहिम पराजित। फर्रुखाबाद-क्षेत्र (लोकसभा) के उपनिर्वाचन में डा० राममनोहर लोहिया निर्वाचित और काँगरेसी उम्मीदवार भूतपूर्व सूचना-मंत्री डा० बी० वी० केसकर पराजित।

— नई दिल्ली में प्रधान मंत्री की कोठी के सामने चार हजार स्वर्णकारों द्वारा विक्षोभ-प्रदर्शन। स्वर्ण-नियंत्रण-आदेश का प्रतिवाद।

२२—अदिसअबाबा में ऐतिहासिक अफ्रिकी शिखर-सम्मेलन आरम्भ। २५ करोड़ अफ्रिका-वासियों को ऐक्यबद्ध होने के लिए सम्राट् हेलसिलासी का आवेदन।

—अफ्रिकी परराष्ट्र-मंत्री-सम्मेलन में पुर्त्तगाल के साथ सम्बन्ध-विच्छेद का प्रस्ताव।

—एक ही दिन में दो मार्गों से दो अमेरिकी पर्वतारोही-दलों ने एवरेस्ट-शिखर पर आरोहण किया।

२३—तीसरी योजना की अवधि में जापान भारत को ७ करोड़ १४ लाख रुपया ऋण देगा—नई दिल्ली में भारत-जापान-इकरार हस्ताक्षरित।

—निर्दिष्ट समय के अंदर उपनिवेशवादी अफ्रिका छोड़कर चले जायँ, अन्यथा सैनिक बल-प्रयोग किया जायगा—अफ्रिका के शिखर-सम्मेलन में गीनी के राष्ट्रपति का प्रस्ताव।

२५—'भारत की आकाश-सीमा का उल्लंघन सहन नहीं किया जायगा'—उत्तर-प्रदेश में चीनी विमान के अनधिकृत प्रवेश के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार का प्रतिवाद और चेतावनी।

—अफ्रिकी शिखर-सम्मेलन में अफ्रिका का ऐक्य विधायक सनद स्वीकृत।

—अर्जेण्टिना में कम्युनिस्ट पार्टी गैरकानूनी घोषित।

२६—अत्याचारी पुर्त्तगाल और दक्षिण-अफ्रिका के विरुद्ध 'बहिष्कार'-आन्दोलन चलाने की योजना—स्वाधीन अफ्रिकी नेताओं का दृढ़ संकल्प।

—अनिवार्य बचत-योजना १ जुलाई से लागू किये जाने की घोषणा।

२७—राजकोट लोकसभा-क्षेत्र के उपनिर्वाचन में स्वतंत्र दल के उम्मीदवार श्री मीनू मसानी बहुमत से विजयी।

२८—प्रदत्त वचन के विरुद्ध लांग्जू (नेफा) में चीनी सैनिकों का आवागमन—चीन के पास भारत-सरकार का कड़ा नोट।

—केनिया के निर्वाचन में केनिया अफ्रिकन नेशनल यूनियन ('कानू')-दल को बहुमत प्राप्त। जोमो केन्याटा को सरकार-गठन करने के लिए आमंत्रित।

२९—सिक्किम-सीमान्त में बहुसंख्यक चीनी सेना के समावेश का समाचार।

—अस्त्र-सहायता प्राप्त करने की आशा में अमेरिका से भारतीय मंत्री श्रीकृष्णमाचारी लंदन आये और ब्रिटिश अधिकारियों से बातचीत शुरू की।

३०—लंदन में भारत के केन्द्रीय मंत्री श्रीकृष्णमाचारी की ब्रिटिश प्रधान मंत्री मि० मैकमिलन तथा अन्यान्य मंत्रियों के साथ कई बार वार्त्ता।

—अफ्रिकी स्वतन्त्र राष्ट्रों का सम्मेलन समाप्त।

३१—बिहार-काँगरेस-कार्य-समिति भंग कर दी गई। उसके स्थान पर ३४ सदस्यों को लेकर अस्थायी तदर्थ समिति गठित।

जून

१—राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन बम्बई से अमेरिका की यात्रा पर वायुयान द्वारा रवाना।

—केनिया के प्रथम प्रधान मंत्री के रूप में मि० जोमो केन्याटा का शपथ-ग्रहण।

—वर्ण-भेद-नीति के प्रतिवाद के सिलसिले में मिसिसिपी में पाँच सौ से अधिक निग्रो गिरफ्तार।

२—भारत के राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन न्यूयार्क पहुँचे।

३—पठानकोट के निकट आइ० ए० सी० का डकोटा विमान विध्वस्त। ४ चालकों के साथ २६ यात्री मरे।

—वाशिंगटन में डा० राधाकृष्णन का शानदार स्वागत।

—रोम के वैटिकन शहर में पोप जॉन का ८१ वर्ष की अवस्था में देहान्त।

४—नेपाल की ६ दिनों की यात्रा के सिलसिले में भारतीय सेना के अध्यक्ष जेनरल जे० एन० चौधरी काठमांडू पहुँचे।

—भारत के विकास और प्रतिरक्षा के लिए सक्रिय सहायता की प्रतिज्ञा—वाशिंगटन से कनेडी-राधाकृष्णन का संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित।

—पोप जॉन का निधन।

५—केन्द्रीय सरकार के आँकड़ों के अनुसार भारत में बेकारों की संख्या में प्रतिशत ३० की वृद्धि—पश्चिम बंगाल में बेकारों की संख्या-वृद्धि का औसत सबसे अधिक।

—तेहरान में फौजी कानून जारी—सरकार-विरोधी दंगा और विक्षोभ—बहुत-से लोग हताहत।

६—तीसरी योजना के तीसरे वर्ष में भारत के लिए ६१'५ करोड़ डालर की वैदेशिक सहायता देने का वचन—भारत-सहायता-कनसोर्टियम (संस्था) की घोषणा।

—'दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया की शान्ति का सबसे बड़ा शत्रु लाल चीन'—अंजस (अस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड और अमेरिका)-परिषद् की चेतावनी।

७—कमेंग डिवीजन (नेफा) के उत्तर-पूर्व अञ्चल में सशस्त्र दफला (उपजाति) का अचानक आक्रमण। नेफा-प्रशासनिक केन्द्र के कई सरकारी कर्मचारियों-सहित १२ आदमी मारे गये।

—इंडोनेशिया, मलाया, फिलीपाइन, सिंगापुर और ब्रिटिश बोर्नियो—इन पाँच देशों को लेकर मयला कनफेडरेशन गठित करने के सम्बन्ध में फिलीपाइन का प्रस्ताव।

८—दुर्गापुर में भारत के इस्पात-मंत्री श्री सी० सुब्रह्मण्यम् द्वारा इस्पात गलाने के कारखाने (एशिया का सबसे बड़ा) का शिलान्यास।

१०—राष्ट्रसंघ में डा० राधाकृष्णन ने भाषण किया।

११—रंग-भेद के विरुद्ध अलबामा-विश्वविद्यालय में निग्रो छात्रों का दाखिला।

१२—आसाम में पाकिस्तानी घुस-पैठ से गम्भीर समस्या—आसाम प्रदेश-कौंगरेस कमिटी द्वारा पं० नेहरू को स्मृति-पत्र।

—लंदन में भारत के राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन का राजदम्पति द्वारा अभिनन्दन।

१४—पंजाब-सरकार द्वारा सारे राज्य में आठवीं श्रेणी तक निःशुल्क शिक्षा प्रचलित करने का निश्चय।

—पंचम सोवियत महाकाशचारी की आकाश-यात्रा आरम्भ—अठासी मिनटों में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा—महाकाशचारी का नाम ले० कर्नल विकोवेस्की।

१५—कलकत्ते की सिराजुद्दीन कम्पनी के साथ अवैध लेन-देन के अभियोग के परिणाम-स्वरूप केन्द्रीय खान और ईन्धन-मंत्री श्रीकेशवदेव मालवीय ने पद-त्याग किया। उपनिर्वाचन में पराजित केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत्-मंत्री श्री हाफिज मोहम्मद का पदत्याग।

१६—बरौनी तेल-शोधनागार के इलाके में विक्षुब्ध उपद्रवी जनता पर पुलिस ने गोली चलाई। २ मरे और २ घायल हुए।

—महाकाश की परिक्रमा में विश्व की प्रथम रूसी नारी मिस वेलेण्टिना तेरेश्कोवा (२६) ने वोस्टक-६ महाकाश-यान के द्वारा विकोवेस्की के आस-पास पृथ्वी की प्रदक्षिणा आरम्भ की।

१७—लद्दाख के भारतीय इलाके में चीनी फौज की घुस-पैठ और नये आक्रमण की तैयारी—भारत-सरकार द्वारा प्रतिवाद।

—प्रफूमो-कीलर-काण्ड के सम्बन्ध में ब्रिटिश पार्लियामेण्ट में घोर वाद-विवाद।

—निर्दिष्ट स्थान और समय में दोनों सोवियत महाकाश-यानों का मिलन—पृथ्वी-प्रदक्षिणा के समय दोनों महाकाशचारियों में वार्त्तालाप।

१८—'पाकिस्तान के दावे के अनुसार कश्मीर का विभाजन अथवा अन्तरराष्ट्रीय नियंत्रण दोनों में से एक भी स्वीकार करने योग्य नहीं'—श्रीनगर में प्रधान मंत्री नेहरू का भाषण।

—ब्रिटिश पार्लियामेण्ट में प्रफूमो-काण्ड को लेकर सरकार के पक्ष-विपक्ष में मत-ग्रहण—पक्ष में ३२१। विपक्ष में २५२। बहुमत पक्ष में होने पर भी प्रधान मंत्री मैकमिलन का भविष्य अनिश्चित।

१९—आसाम और त्रिपुरा में भूकंप।

—दोनों सोवियत महाकाशचारी (कर्नल विकोवेस्की और मिस तेरेश्कोवा) सकुशल नियत समय और नियत स्थान पर भूमि पर उतरे।

२०—काँगरेस के साथ बिहार की झारखण्ड-पार्टी का विलयन—काँगरेस-सभापति श्री संजीवैया और झारखण्ड-दल के नेता श्रीजयपाल सिंह का संयुक्त वक्तव्य।

—वाशिंगटन और मास्को के बीच टेली-सम्पर्क-स्थापन की व्यवस्था। जेनेवा में दोनों राष्ट्रों के बीच प्रत्यक्ष सम्पर्क-व्यवस्था सम्बन्धी इकरार हस्ताक्षरित।

—मिस कीलर के साथ अवैध सम्पर्क के प्रश्न के सम्बन्ध में मिथ्या भाषण करने के अभियोग में भूतपूर्व ब्रिटिश युद्ध-मंत्री मि० प्रफूमो पार्लियामेण्ट में निन्दित।

२१—दस घंटे के अन्दर दिल्ली में तीन बार भूकंप। अन्तरराष्ट्रीय श्रमिक-सम्मेलन से वर्ण-विद्वेषी दक्षिण-अफ्रिका बहिष्कृत। भारत द्वारा समर्थन।

—मिलान के आर्चबिशप कार्डिनल बतिस्ता मन्तिनी नया पोप निर्वाचित।

२२—लद्दाख में चीन द्वारा नई चौकियाँ स्थापित। भारत द्वारा तीव्र प्रतिवाद।

२३—तिब्बत में बहुसंख्यक चीनी सेना का समावेश—सिक्किम के महाराज कुमार का कथन।

२४—केन्द्रीय संचार-मंत्री श्रीजगजीवन राम द्वारा राष्ट्रीय टेलेक्स सर्विस का उद्घाटन—कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई और मद्रास के बीच टेलीप्रिन्टर-एक्सचेंज पर संवाद-विनिमय-व्यवस्था।

—इंगलैण्ड और अमेरिका की राष्ट्रीय यात्रा के बाद राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन दिल्ली लौट आये।

—ब्रिटिश संरक्षणाधीन जंजीबार (पूर्व-अफ्रिका) को स्वायत शासन का अधिकार प्राप्त।

२५—अमेरिका की सिनेट में भारतीय लोकसभा के स्पीकर श्रीहुकुम सिंह के नेतृत्व में भारत के संसदीय प्रतिनिधि-दल का स्वागत।

२६—नाविक-हड़ताल के कारण बंबई के जहाजी बन्दर का कार-बार ठप।

२७—बंबई में नाविकों की हड़ताल समाप्त—केन्द्रीय जहाज-रानी-मंत्री श्रीराजबहादुर के हस्तक्षेप का सुफल।

—बगदाद-रेडियो की घोषणा—इराकी फौज और कुर्द विद्रोहियों में भीषण संग्राम।

२६—'युद्ध-विराम-सीमा-रेखा के आधार पर कश्मीर-समस्या के समाधान के लिए भारत इस समय भी तैयार'—प्रधान मंत्री नेहरू का कथन।

—गुजरात में तेल-शोधनागार स्थापित करने के सम्बन्ध में रूस-भारत-इकरार संपन्न।

—उपनिवेशवादी पुर्त्तगाल के साथ मिस्र का आर्थिक सम्बन्ध विच्छिन्न।

—अन्तरराष्ट्रीय श्रमिक-संस्था से दक्षिण-अफ्रिका (वर्ण-विद्वेषी) बहिष्कृत।

३०—नागाभूमि-सरकार द्वारा भागे हुए नागा विद्रोहियों के प्रति क्षमा की घोषणा—जुलाई-अगस्त (१९६३) दो महीनों के लिए आदेश लागू।

—मार्शल टीटो पुनः युगोस्लाविया के राष्ट्रपति निर्वाचित।

—वैटिकन शहर में समारोह के साथ नये पोप षष्ठ पॉल का अभिषेक संपन्न।

जुलाई

१—त्रिपुरा, मणिपुर, हिमाचल-प्रदेश और पांडिचेरी—इन चार संघीय क्षेत्रों में लोक-शासन प्रतिष्ठित।

—कलकत्ते के महाजाति-सदन में पं० नेहरू द्वारा सर्वभारतीय चिन्ताविद्-सम्मेलन का उद्घाटन।

—तारापुर (बम्बई) में एशिया का प्रथम आणविक विद्युत्-उत्पादन-केन्द्र स्थापित करने के उद्योग में अमेरिका द्वारा ४५ करोड़ २४ लाख ऋण-दान की घोषणा।

—'अनाक्रमण-इकरारनामा की शर्त्त के साथ आणविक परीक्षण बंद करने के सम्बन्ध में पश्चिमी राष्ट्रों का प्रस्ताव रूस मानने के लिए तैयार'—बर्लिन में मि० ख्रुश्चेव का भाषण।

३—अमन में भारत-जोर्डन वाणिज्य-इकरार संपन्न।

४—मास्को में रूस-चीन कम्युनिस्ट-सम्मेलन के आरम्भ में चीन के विरुद्ध रूस का तीव्र आक्रमण।

—अन्तरराष्ट्रीय शिक्षा-सम्मेलन (जेनेवा) से पुर्त्तगाल बहिष्कृत।

५—आदर्शगत विरोध-मीमांसा के लिए मास्को में चीन-सोवियत बैठक आरम्भ।

७—ब्रिटिश गायना में भारतीयों और निग्रो में दंगा—सेना द्वारा गोलियाँ चलाई गईं।

—आकस्मिक युद्ध बन्द करने के उद्देश्य से प्रस्तावानुसार क्रेमलिन (मास्को) और ह्वाइट हाउस (वाशिंगटन) के बीच प्रत्यक्ष संपर्क का कार्य आरम्भ।

—अमेरिकी सरकार द्वारा क्यूबा के साथ सब प्रकार की आर्थिक लेन-देन गैरकानूनी घोषित।

९—थाईलैण्ड के सीमांत में चीनी सेना का जमाव।

—लंदन में मलयेसिया फेडरेशन के इकरारनामे पर हस्ताक्षर। ३१ अगस्त को फेडरेशन-गठन की व्यवस्था का निर्णय। इकरार पर हस्ताक्षर करनेवाले राष्ट्र : ब्रिटेन, मलाया, सिंगापुर, सारावक और ब्रिटिश उत्तर-बोर्नियो।

१०—रूस-चीन मास्को-बैठक में आदर्शगत विरोध के सम्बन्ध में कोई मीमांसा नहीं।

१३—दक्षिण-अफ्रिका के जहाज और विमान का भारत में आगमन निषिद्ध—केन्द्रीय सरकार की घोषणा।

१६—आणविक अस्त्र-परीक्षण बंद करने के सम्बन्ध में मास्को में त्रिशक्ति (अमेरिका, ब्रिटेन और रूस)-सम्मेलन आरम्भ।

१७—अमेरिका के नये राजदूत चेस्टर बाउल्स का भारत-आगमन।

—मास्को में रूसी पदाधिकारियों के साथ श्रीभूतलिङ्गम-मिशन (भारत) की भारत की प्रतिरक्षा के लिए शस्त्रास्त्र प्राप्त करने के सम्बन्ध में बातचीत।

१८—केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में हेर-फेर—वाणिज्य एवं उद्योग-मंत्री श्री के० सी० रेड्डी का पदत्याग—डा० के० एल० राव नये सिंचाई और बिजली-विभाग के तथा श्री ओ० वी० अलगेसन खान और ईंधन-विभाग के राज्य-मंत्री नियुक्त।

१९—चीन रूस के वर्त्तमान नेतृत्व को हटाने के लिए सचेष्ट है—मि० ख्रुश्चेव का अभियोग।

—आदर्शगत विरोध के सम्बन्ध में मास्को में रूस-चीन बैठक समाप्त।

२२—कलकत्ते में कर एवं मूल्य-वृद्धि के प्रतिवाद में कानून-भंग-आन्दोलन आरम्भ। राजभवन के निकट ८८ सत्याग्रही गिरफ्तार।

—लंदन की अदालत में मिस कीलर-कलंक-काण्ड के मुख्य नायक डा० स्टीफेन वार्ड का मामला शुरू।

—मास्को में होनेवाली भारतीय प्रदर्शनी में प्रथम दिन ही ५० हजार व्यक्तियों का आगमन।

२३—कलकत्ते में कानून-भंग-आन्दोलन का दूसरा दिन। ७६ सत्याग्रही गिरफ्तार।

२४—कानून-भंग-आन्दोलन का प्रथम पर्व समाप्त। पश्चिम-बंगाल विधान-सभा-भवन के निकट ८३ आदमी गिरफ्तार, जिनमें १५ स्त्रियाँ।

—'भारत यदि पाकिस्तान पर आक्रमण करेगा तो चीन पाकिस्तान की सहायता करेगा'—पाक-परराष्ट्र-मंत्री मि० भुट्टो की उक्ति।

—मास्को में आणविक परीक्षण बंद करने के सम्बन्ध में त्रिशक्ति-सम्मेलन का अन्तिम अध्याय। इकरारनामे पर हस्ताक्षर की सफल व्यवस्था।

२५—अमेरिका, इंगलैण्ड और रूस में आंशिक आणविक परीक्षण बंद करने के सम्बन्ध में इकरारनामे पर मास्को में हस्ताक्षर। इसके फलस्वरूप वायुमण्डल, ऊर्ध्वाकाश और जल के नीचे आणविक अस्त्र-परीक्षण निषिद्ध किया गया। भूमि के अन्दर परीक्षण के लिए यह लागू नहीं।

२६—युगोस्लाविया के मैसिडोनिया प्रदेश की राजधानी स्कोपली में भीषण भूकंप, जिसमें हजारों व्यक्ति हताहत।

२७—सिंहल और लाल चीन के बीच एक सामुद्रिक वाणिज्य-इकरारनामा हस्ताक्षरित।

—मास्को में प्रधानमंत्री श्रीख्रुश्चेव के साथ श्रीमती इन्दिरा गांधी का साक्षात्कार।

२८—अरब एयर-लाइन का एक यात्रा-जेट-विमान ६३ आरोहियों के साथ बंबई से १० मील दूर मोध-द्वीप के समीप समुद्र में गिरकर नष्ट हो गया। सब यात्री मर गये।

—सीरिया के राष्ट्रपति लो-अतासी ने पदत्याग किया; सेना-विभाग के मेजर जेनरल हाफिज ने राष्ट्रपति का कार्य-भार ग्रहण किया।

३०—मलेयेसिया के सम्बन्ध में मनिला में शिखर-सम्मेलन आरम्भ।

३१—लंदन की अदालत में मिस कीलर-कलंक-कांड के नायक डा० स्टीफेन वार्ड दोषी सिद्ध।

अगस्त

१—मुख्य मंत्री श्री चन्द्रभानु गुप्त के साथ नीतिगत विरोध के कारण उत्तर-प्रदेश-मंत्रिमण्डल के छह मंत्रियों ने पद-त्याग किया।

—मलाया, फिलीपाइन और इंडोनेशिया को लेकर मफिलिण्डो कनफेडरेशन गठित करने का प्रस्ताव।

३—देश के सिनेमा-गृहों में प्रतिदिन खेल के अन्त में राष्ट्रीय गीत गाये जाने का भारत-सरकार का निर्णय।

—अमेरिकी राष्ट्रपति की चेतावनी—चीन यदि भारत पर पुनः आक्रमण करेगा तो चीन के साथ अमेरिका का प्रत्यक्ष युद्ध आरम्भ हो जायगा।

—लन्दन के अस्पताल में मिस कीलर-कलंक-कांड के मुख्य नायक डा० स्टीफेन वार्ड की मृत्यु। अदालत द्वारा दी गई सजा भोगने के पूर्व ही अधिक मात्रा में नींद लाने की दवा खा लेने के कारण प्राणान्त।

५—बेरुबारी हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में कलकत्ते में पूर्व-पाकिस्तान और पश्चिम-बंगाल के प्रतिनिधियों की बैठक।

—मास्को में महान् त्रिशक्तियों के परराष्ट्र-मंत्रियों द्वारा औपचारिक रूप में आंशिक आणविक अस्त्र-परीक्षण निषिद्ध करने सम्बन्धी इकरारनामे पर हस्ताक्षर।

६—मास्को में इंगलैण्ड, अमेरिका और रूस के परराष्ट्र-मंत्रियों की बैठक—पूर्व-पश्चिम के सम्बन्ध में उन्नति लाने के लिए मनिला की बैठक में 'मलयेसिया'-गठन के सम्बन्ध में इंडोनेशिया, मलाया और फिलीपाइन में मतैक्य।

—आणविक अस्त्र-परीक्षण-सम्बन्धी मास्को-इकरारनामे पर फ्रांस द्वारा हस्ताक्षर करने से असहमति।

—'एड इंडिया क्लब' द्वारा तीसरी योजना के लिए भारत को और भी १३ करोड़ लाख डालर देने का निश्चय।

८—मंत्रिपद छोड़कर नेतागण काँगरेस-संगठन के कार्य में लग जायँ'—मद्रास के मुख्य मंत्री श्री कामराज नादर का प्रस्ताव काँगरेस-कार्य-समिति द्वारा नीतिगत रूप में स्वीकृत।

—मास्को में आंशिक आणविक परीक्षण बन्द करने के इकरारनामे पर भारत द्वारा हस्ताक्षर।

९—अखिलभारतीय काँगरेस-कमिटी द्वारा कामराज-प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत।

—स्वर्णकारों के कानून-भंग-आन्दोलन (प्रथम पर्व) का अन्त। अन्तिम दिन ५२५ व्यक्ति गिरफ्तार।

११—बम्बई-नगर-निगम के श्रमिकों (लगभग ३० हजार) की हड़ताल।

१२—नेपाल में जमीन के धँस जाने से डेढ़ सौ से अधिक मनुष्यों की मृत्यु। तीन गाँवों का कोई नामोनिशान नहीं।

१३—विख्यात भौतिक विज्ञानी एवं राष्ट्रीय प्राध्यापक डा० शिशिरकुमार मित्र का ७३ वर्ष की उम्र में कलकत्ता में शरीरान्त।

—आसाम में पुलिस के बारूदखाने में भयानक धड़ाका—३२ व्यक्तियों की मृत्यु।

१४—मोहन-बागान-टीम ने एक वार फिर फुटबॉल-लीग-चैम्पियन (एकादश विजय) का गौरव प्राप्त किया।

—श्रीभूतलिङ्गम का मास्को-मिशन (भारत के लिए अस्त्र-संग्रह) सफल।

१५—संयुक्त विमान प्रतिरक्षा-शिक्षण के लिए भारत में अमेरिकी राडर और अन्य सामान की पहुँच।

१६—'सीमान्त की अवस्था और भी भयंकर—चीनी सीमान्त के बहुत निकट चले आये हैं'—लोकसभा में श्रीनेहरू का वक्तव्य।

—बम्बई-नगर-निगम के श्रमिकों की हड़ताल के समर्थन में परिवहन और बिजली के २० हजार श्रमिकों द्वारा हड़ताल।

१८—बम्बई की हड़ताल में वहाँ के सात हजार टैक्सी-चालकों द्वारा भी योगदान।

—दक्षिण-वीतनाम में वहाँ की सरकार के विरुद्ध बौद्धों का प्रबल विक्षोभ।

—रूस-चीन-सीमान्त में दोनों पक्ष की ओर से सैन्य-समावेश।

१९—लोकसभा में नेहरू-सरकार के विरुद्ध आचार्य कृपलानी द्वारा लाये गये सर्वप्रथम अविश्वास-प्रस्ताव पर वाद-विवाद आरम्भ।

२०—सारे बम्बई शहर में पूर्ण हड़ताल। सारा कार-बार ठप। मूल्य-वृद्धि एवं अनिवार्य बचत के विरुद्ध प्रतिवाद-ज्ञापन।

—युगोस्लाविया की यात्रा के सिलसिले में श्रीख्रुश्चेव का राजधानी बेलग्रेड में आगमन।

२१—बम्बई की हड़ताल दस दिनों के बाद समाप्त। दक्षिण वीतनाम में बौद्ध-आन्दोलन के दमन के लिए फौजी कानून जारी।

२२—लोक-सभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव अत्यधिक बहुमत (६१-३४६) से अस्वीकृत।

—दक्षिण वीतनाम में बौद्ध-उत्पीड़न जारी।

२४—केन्द्रीय मंत्री श्रीलालबहादुर शास्त्री, श्रीमोरारजी देसाई, श्रीजगजीवन राम, श्री एस० के० पाटिल, श्री बी० गोपाल रेड्डी, श्री के० एल० श्रीमाली तथा मुख्य मंत्री श्रीचन्द्रभानु गुप्त (उत्तर-प्रदेश), श्रीकामराज नादर (मद्रास), श्रीबख्शी गुलाम मुहम्मद (कश्मीर), श्रीविजयानन्द पटनायक (उड़ीसा), श्रीविनोदानन्द झा (बिहार) और श्रीभगवंतराव मंडलोई के पदत्याग-पत्रों को स्वीकृत करने की सिफारिश—पं० नेहरू द्वारा कॉंगरेस-कार्य-समिति की अनुमोदित घोषणा।

—दक्षिण-वीतनाम में अशान्ति—साइगॉन से पचास मील दक्षिण कैथोलिक (ईसाई) और बौद्ध सैन्य-दलों में प्रचण्ड संघर्ष—६० सैनिक मरे और सौ से अधिक घायल।

२७—नई दिल्ली में नेपाल राजदम्पति का स्वागत।

—खाकसार-नेता अल्लामा मशरीकी (७५) और पं० राधेश्याम कथावाचक का देहान्त।

२८—दिल्ली में नेपाल के राजा के साथ प्रधान मंत्री पं० नेहरू का सौहार्दपूर्ण वार्त्तालाप।

—श्रीमती उमा नेहरू (७६) का लखनऊ में देहान्त।

—अमेरिका में २ लाख हब्शियों का प्रदर्शन।

२९—तीन पुराने केन्द्रीय मंत्रियों के नये विभाग श्रीगुलजारी लाल नन्दा को गृह, श्री टी० टी० कृष्णमाचारी को वित्त तथा सरदार स्वर्ण सिंह को कृषि एवं खाद्य।

—कराची में पाकिस्तान और चीन के बीच विमान-इकरार हस्ताक्षरित।

३१—सिंगापुर को पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त। सारावक को भी स्वाधिकार की प्राप्ति।

—आकस्मिक युद्ध-निरोध-प्रस्ताव के अनुसार नया भारत-पाकिस्तान-इकरार हस्ताक्षरित।

सितम्बर

१—'कामराज-प्रस्ताव' के अनुसार पश्चिम बंगाल-मन्त्रिमण्डल के सदस्यों की संख्या में कमी—सात राज्य-मंत्री और ६ उपमन्त्री अपने पदों से हटाये गये। मन्त्रियों की संख्या पूर्ववत्।

—केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के कतिपय विभागों का अस्थायी रूप में पुनः आवंटन—विधि-मन्त्री श्रीअशोक कुमार सेन को विधि के अतिरिक्त डाक और तार-विभाग; वैज्ञानिक गवेषणा एवं सांस्कृतिक कार्य के मन्त्री श्रीहुमायूँ कबीर को अपने विभाग के अतिरिक्त शिक्षा-मन्त्रालय।

—कराची में नया भारत-पाक-वाणिज्य-इकरार हस्ताक्षरित।

—'भारत-रक्षा-कानून के अनुसार नजरबन्द कैदियों को अदालत में न्याय-विचार के लिए जाने का अधिकार नहीं'—सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय।

—भारत के विशिष्ट श्रमिक-संघ-नेता श्री एम० गुरुस्वामी (६० वर्ष) का देहान्त।

—सीरिया और इराक की प्रतिरक्षा-व्यवस्था के समन्वय का प्रस्ताव। दोनों राष्ट्रों का संयुक्त वक्तव्य।

३—भारत-प्रसिद्ध बैरिस्टर श्री पी० आर० दास का पटना में ८२ वर्ष की अवस्था में परलोक-वास।

—इण्डोनेशिया द्वारा मलयेशिया'-गठन के निश्चय का प्रतिवाद।

४—पाक-अमेरिकी सम्बन्ध के विषय में रावलपिंडी में पाक-परराष्ट्र-मन्त्री मि० भुट्टो और अमेरिकी मन्त्री मि० बोल की बैठक।

—जूरिख में भयंकर विमान-दुर्घटना। ८० आरोहियों की मृत्यु।

५—कम्युनिस्ट चीन ने सोवियत रूस के सीमान्त पर सिंकियांग-प्रदेश में प्रतिरक्षा के कार्य में ६ लाख छात्रों को भेजा—दक्षिण-चीन के 'मॉर्निंग-पोस्ट' का संवाद।

—चीन और पाकिस्तान के बीच सीमान्त-सम्बन्धी भूमि-सर्वेक्षण के शर्त्तनामे पर हस्ताक्षर।

७—पाकिस्तानी उच्चायोग के ३ कर्मचारी भारत से हटाये गये।

६—समाचारपत्र-नियंत्रण-कानून के विरुद्ध पाकिस्तान के सभी समाचार-पत्रों की हड़ताल।

—डा० राधाकुमुद मुखर्जी (८३) का कलकत्ता में देहान्त।

११—एक भारतीय विमान आगरा से ४० मील दूर पातिपुरा गाँव के निकट गिरकर विध्वस्त। सभी आरोही (१८) मारे गये।

—गुजरात के मुख्य मन्त्री डा० जीवराज मेहता का अपने मन्त्रिमण्डल के साथ पद-त्याग।

—सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच उठ खड़े होनेवाले विवाद को अनिवार्य रूप से पंचायत में भेजने का भारत-सरकार का निर्णय।

१२—प्रतिरक्षा-मन्त्री श्री चव्हाण ने राज्य-सभा में कहा कि भारतीय वायु-सेना को आदेश दे दिया गया है कि भारतीय आकाश-सीमा का लंघन करते हुए यदि किसी चीनी वायुयान को वह देखे तो उसपर गोली चला दे।

१३—नई दिल्ली में संसद्-भवन के सामने कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा संगठित साढ़े तीन मील लम्बा जलूस। करों में कमी करने तथा अनिवार्य बचत-योजना उठा लेने और बढ़ते हुए मूल्यों पर नियंत्रण करने की माँग।

—भारत ने नेपाल को दी जानेवाली आर्थिक सहायता में ३ करोड़ रुपये की वृद्धि की (कुल रकम ३३० करोड़)।

१५—मध्यरात्रि में मलाया के प्रधान मन्त्री टंकु अब्दुल रहमान द्वारा नवीन मलयेसियन फेडरेशन के गठन की घोषणा, जिसमें मलाया, सिंगापुर और सारावक (उत्तर-बोर्नियो) भी सम्मिलित।

—संयुक्त अरब-गणराज्य द्वारा पुर्त्तगाल से आर्थिक सम्बन्ध-विच्छेद कर लेने का निर्णय।

—आसाम-पूर्व पाकिस्तान-सीमान्त पर पाकिस्तानी फौज द्वारा भारतीय सीमान्त-स्थित चौकियों पर तीन स्थानों में गोलियाँ चलाने का समाचार।

१६—मलयेसिया-संघ का उदय।

—इण्डोनेशियावासी ५ हजार लोगों की उपद्रवी भीड़ द्वारा मलयेशिया-राज्य-संघ के गठन के प्रतिवाद में जकार्त्ता के मलाया और ब्रिटिश दूतावासों पर आक्रमण।

—श्री बेनबेला अलजीरिया के प्रथम राष्ट्रपति।

१७—कुआलालम्पुर के १,००० से अधिक मलयेशियनों ने इण्डोनेशिया-दूतावास में आग लगा दी। मलाया द्वारा इण्डोनेशिया के साथ कूटनीति-सम्बन्ध विच्छिन्न।

१८—श्रीबलवन्त राय मेहता गुजरात-कॉंगरेस-विधायक-दल के नेता निर्वाचित हुए।

—मलयेसिया-विरोधी उपद्रवियों ने जकार्त्ता-स्थित ब्रिटिश दूतावास को जला दिया।

१९—सरकारी तौर पर नई दिल्ली में श्री एच० सी० दासप्पा के रेल-मंत्री और श्रीबलिराम भगत के योजना-मन्त्री (राज्य-मन्त्री) नियुक्त किये जाने की घोषणा।

—गुजरात के १३ सदस्यीय नये मन्त्रिमण्डल द्वारा शपथ-ग्रहण।

२१—सोवियत रूस द्वारा चीन पर सन् १९६२ ई० में ५,००० बार चीन-सोवियत-सीमान्त का उल्लंघन करने का दोषारोपण।

—श्रीमती सुचेता कृपलानी उत्तरप्रदेश-कॉंगरेस-विधायक-दल की नेत्री निर्वाचित।

२३—श्रीवीरेन्द्र मिश्र उड़ीसा-कॉंगरेस-विधायक-दल के नेता निर्वाचित।

२४—श्रीकृष्णवल्लभ सहाय बिहार-कॉंगरेस-विधायक-दल के और डा० द्वारकाप्रसाद मिश्र मध्यप्रदेश कॉंगरेस-विधायक-दल के नेता निर्वाचित।

—श्री एम० भक्तवत्सलम् मद्रास-कॉंगरेस विधायक-दल के नेता निर्वाचित।

२५—चीन की सरकारी समाचार-संस्था के अनुसार दक्षिण चीन के कॉंगटुंग-प्रदेश में लगभग ८ हजार किसानों का कम्युनिस्ट-सरकार के विरुद्ध विद्रोह, जिसमें प्राय: ६१ किसानों की मृत्यु और ७०० किसान गिरफ्तार।

२६—लन्दन में घोषणा कि ६ जुलाई, १६६४ को न्यासालैण्ड (मध्य अफ्रिका में ब्रिटिश संरक्षित राज्य) एक स्वतन्त्र राष्ट्र हो जायगा।

२७—भारत और नेपाल के बीच काठमाण्डू में एक करार पर हस्ताक्षर, जिसके अनुसार भारत नेपाल को पोखरा-विद्युत्-योजना, १० सिंचाई-योजनाओं और ६ जल-आपूर्त्ति-योजनाओं के लिए कुल ४० लाख रुपये की सहायता देगा।

२८—कराची में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच एक करार पर हस्ताक्षर, जिसके अनुसार अमेरिका पाकिस्तान को अमेरिका से लोहा, इस्पात तथा अन्य सामान खरीदने के लिए ७०·४ लाख डालर का ऋण देगा।

—रूस और पोलैण्ड के साथ भी पाकिस्तान ने एक करार पर हस्ताक्षर किये, जिसके अनुसार ये दोनों देश पाकिस्तानी कच्चा पाट के बदले में पाकिस्तान को सिमेण्ट देंगे।

—संसद् के ५० गैर-कौंगरेसी सदस्यों ने एक पत्र लिखकर प्रधान मन्त्री से अनुरोध किया कि कश्मीर-षड्यन्त्र और हजरतबल-दंगा से सम्बन्धित मुकदमे उठा लिये जायँ।

—पश्चिम-बंगाल के चीन-पंथी कम्युनिस्टों ने अपना प्रभाव प्रदर्शित करने के लिए कलकत्ते में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला।

२६—चीन ने इण्डोनेशिया को मलयेसिया के विरोध में समर्थन करने का वचन दिया।

३०—मध्य-प्रदेश के नये मन्त्रिमण्डल (२० सदस्य) ने श्रीद्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में शपथ-ग्रहण किया। हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड, बंगलोर में १०० वाँ ऑरफियस जेट-इंजिन तैयार हुआ।

—कराची में पाकिस्तान ने चीन के साथ एक वाणिज्य-करार किया, जिसके अनुसार पाकिस्तानी कच्चा पाट के बदले चीन पाकिस्तान को कोयला देगा।

अक्टूबर

१—अलजीरिया के राष्ट्रपति मि० अहमद बेन बेला की घोषणा कि अलजीरिया में फ्रांसीसियों के स्वामित्व में जितनी जमीन है, सरकार ने अपने अधीन कर ली।

—नाइजीरिया के गवर्नर-जेनरल डा० नामदी अजिकिवे नाइजीरिया के प्रथम राष्ट्रपति हुए। ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के अन्तर्गत नाइजीरिया छठा प्रजातन्त्र राज्य हुआ।

—टैंगनिका और उगांडा का दक्षिण-अफ्रिका के साथ सब प्रकार का वाणिज्य-सम्बन्ध-विच्छेद।

२—मद्रास, उत्तर-प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में कामराज-योजना के अनुसार नवीन मन्त्रिमण्डलों का शपथ-ग्रहण।

३—रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के परराष्ट्र-मंत्रियों का निरस्त्रीकरण के सम्बन्ध में वार्त्तालाप समाप्त। बाह्य स्थान में आणविक अस्त्रों का प्रयोग बन्द करने की नीति पर मतैक्य की घोषणा।

—प्रसिद्ध सिक्ख-नेता बाबा खड्गसिंह (६०) का दिल्ली में देहान्त।

७—प्रधान मन्त्री नेहरू द्वारा भारतीय विज्ञान-कौंगरेस के पचासवें अधिवेशन का दिल्ली-विश्वविद्यालय में उद्घाटन।

—हरिकेन 'फ्लोरा' (समुद्री तूफान) से हैटी में चार हजार व्यक्तियों की मृत्यु।

—राष्ट्रपति कनेडी द्वारा आंशिक रूप में आणविक परीक्षण निषिद्ध करने के सम्बन्ध में की गई सन्धि की सम्पुष्टि।

—पाकिस्तान और रूस के बीच असामरिक वायुयान-मार्ग के सम्बन्ध में करार पर हस्ताक्षर, मास्को-कराची-मार्ग में दोनों राष्ट्रों को विमान के आवागमन का अधिकार प्राप्त।

८—लेनिन-शान्ति-पुरस्कार-विजेता तथा भारतीय स्वातन्त्र्य-संग्राम के एक प्रसिद्ध सेनानी डा० सैफुद्दीन किचलू का नई दिल्ली में शरीरान्त।

१०—इटली में बाँध टूटने से ३ हजार व्यक्तियों की मृत्यु।

१२—कश्मीर में नया मन्त्रिमण्डल बना।

१४—अलजीरिया-मोरक्को में सीमा-संघर्ष।

१८—लार्ड होम ब्रिटेन के नये प्रधान मन्त्री।

—श्री मैकमिलन का त्याग-पत्र।

—सोवियत-संघ ने अन्तरिक्ष-अध्ययन के लिए अपना बीसवाँ कौसमस-उपग्रह महाकाश में भेजा।

२०—सम्पूर्ण भारत में राष्ट्रीय समैक्य-दिवस मनाया गया। सार्वजनिक सभाओं में देश की स्वाधीनता एवं अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिज्ञाएँ की गईं।

२१—कांगो के राष्ट्रपति जोसेफ कासावूबू द्वारा देश के आन्तरिक उपद्रव को शांत करने के लिए छह महीने की संकटकालीन स्थिति की घोषणा।

२२—भाखड़ा-नांगल-बाँध श्रीनेहरू द्वारा चालू।

—बर्मा में सिगरेट-उद्योग का राष्ट्रीयकरण।

२३—नेपाली व्यापारियों को भारत होकर माल मँगाने के लिए अनिवार्यतः जो बॉण्ड लिखना पड़ता था, उसे १ दिसम्बर, १९६३ से उठा देने के सम्बन्ध में काठमाण्डू में दोनों देशों द्वारा एक राजीनामे पर हस्ताक्षर।

—भारत, बर्मा, ब्राजिल, इथोपिया, मेक्सिको, नाइजीरिया, स्वीडन और संयुक्त अरब-गणराज्य—इन आठ तटस्थ राष्ट्रों ने महान् त्रिशक्ति (अमेरिका, रूस और ब्रिटेन) से भूगर्भ में भी आणविक परीक्षण रोकने की अपील की।

—चंडीगढ़ से १२ मील दूर पिंजोर में पंडित नेहरू द्वारा हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (१० करोड़ रुपये की लागत) के तीसरे कारखाने का उद्घाटन।

२४—पाकिस्तान ने विध्वंसक कार्य करने का आरोप लगाकर ढाका और राजशाही के भारतीय पुस्तकालयों को बंद कर दिया।

—पाकिस्तान ने सन् १९४९ ई० की युद्ध-विराम-रेखा को अब आगे मान्यता न देकर कश्मीर में संकट की स्थिति उत्पन्न करने की चेष्टा की।

२५—पाकिस्तान द्वारा कश्मीर की युद्ध-विराम-रेखा की मान्यता समाप्त करने पर दिल्ली-स्थित पाकिस्तानी उच्चायुक्त को भारत-सरकार की एक लिखित चेतावनी।

२७—पश्चिम अफ्रिका-स्थित दहोमी के राष्ट्रपति ह्यूबर्ट मागा ने सार्वजनिक माँग पर अपनी सरकार को भंग कर एक अस्थायी सरकार कायम की, किन्तु बाद में सेना ने शासन-सत्ता अधिकृत कर उस सरकार एवं सन् १९६० ई० के संविधान को स्थगित कर दिया।

२६—मोरोक्को के शाह हसन और अल्जीरिया के राष्ट्रपति बेन बेला ने २ नवम्बर से सहारा-युद्ध-स्थगन के राजीनामे पर हस्ताक्षर किये।

३०—संयुक्तराज्य अमेरिका, सोवियत-संघ तथा १५ अन्य देशों ने संयुक्त राष्ट्रसंघ के मुख्यालय में एक संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित कर सभी प्रकार के आणविक परीक्षण, जिनमें भूगर्भ-स्थित परीक्षण भी सम्मिलित है, बंद करने की अपील की।

३१—मोरोक्को ने क्यूबा से अपने दौत्य-सम्बन्ध विच्छिन्न करने की घोषणा की।

—राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन द्वारा नई दिल्ली में राज्यपालों के वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन।

—भारतीय, ब्रिटिश तथा अमेरिकी वायु-सैनिकों के संयुक्त हवाई अभ्यास के क्रम में कलकत्ते के समीप राडार के प्रयोग का प्रथम सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया।

—संयुक्त राष्ट्रसंघ की आमसभा की राजनीतिक समिति ने सभी राष्ट्रों से आंशिक आणविक परीक्षण बन्द करने सम्बन्धी अपील करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया।

नवम्बर

१—नई दिल्ली में द्वि-दिवसीय राज्यपाल-सम्मेलन समाप्त।

२—प्रधान मंत्री श्रीजवाहरलाल नेहरू द्वारा जयपुर में अन्तरराष्ट्रीय सहकारिता-दिवस तथा अखिलभारतीय सहकारिता-सप्ताह का उद्घाटन।

४—राष्ट्रपति डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, ४ दिन की राजकीय यात्रा पर नेपाल के लिए प्रस्थान।

—लाओस के प्रधानमंत्री राजकुमार सुवन्ना फूमा का दो दिन की राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली में आगमन।

—अस्ट्रिया के विदेश-मंत्री डा० ब्रूनो क्रीस्की का ८ दिन की राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली में आगमन।

८—केन्द्रीय स्वास्थ्य-मंत्रिणी डा० सुशीला नय्यर द्वारा बम्बई में अन्तरराष्ट्रीय धनुष्टंकार (टीटानस)-सम्मेलन का उद्घाटन।

—अफ्रिका तथा पश्चिम-एशिया-स्थित भारतीय कूटनीतिक मण्डलों के अध्यक्षों का पञ्च-दिवसीय सम्मेलन नई दिल्ली में आरम्भ।

९—पूर्वी क्षेत्र में संयुक्त हवाई-अभ्यास-शिक्षा आरम्भ।

१०—भारत की १२ दिनों की यात्रा पर सोवियत अंतरिक्ष-यात्री वेलेन्तिना तेरेश्कोवा, मेजर निकोलाएव तथा लेफ्टिनेण्ट कर्नल विकोवेस्की का नई दिल्ली में आगमन।

१२—पश्चिमी क्षेत्र में संयुक्त हवाई प्रतिरक्षा-अभ्यास-शिक्षा आरम्भ।

१३-१४—पटना में पूर्व आञ्चलिक परिषद् की बैठक हुई। परिषद् का यह अष्टम अधिवेशन केन्द्रीय गृह-मंत्री श्रीगुलजारीलाल नन्दा के सभापतित्व में सम्पन्न हुआ। आसाम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मणिपुर, त्रिपुरा राज्य, नेफा तथा नागाभूमि को लेकर उक्त परिषद् गठित है।

१५—राँची के निकट हटिया में भारी मशीन के कारखाने का उद्घाटन प्रधान मंत्री श्रीनेहरू ने किया। यह भारत की वृहत्तम औद्योगिक संस्था हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के

उन चार कारखानों में से एक है, जो सोवियत रूस और चेकोस्लोवाकिया की सहायता से चलाये जा रहे हैं।

१६—पं० नेहरू चित्तरञ्जन पहुँचे और डा० विधानचन्द्र राय के नाम से प्रथम वैद्युतिक-ए-सी रेल-इंजिन (विद्युत्-इंजिन) को चालू किया।

—जेनरल ने-विन की क्रान्तिकारी सरकार ने वर्मा में सर्वत्र छापा मारकर व्यापक रूप में कम्युनिस्टों को गिरफ्तार किया।

१८—इराक के राष्ट्रपति फील्डमार्शल अब्दुल सलेम आरिफ द्वारा बाथ पार्टी-विरोधी एक रक्तपातहीन सैनिक-क्रान्ति की सहायता से शासन-सत्ता पर अधिकार।

१६—श्रीमुहम्मदअली करीमभाई छागला शिक्षा-मंत्री, श्री ए० एम० थॉमस खाद्य एवं कृषि-मंत्रालय के राज्य-मंत्री तथा संसद्-सदस्य श्रीभक्तदर्शन शिक्षा-मंत्रालय के उपमंत्री नियुक्त किये गये। वैज्ञानिक अनुसन्धान एवं सांस्कृतिक कार्य के वर्त्तमान मंत्री श्रीहुमायूँ कबीर पेट्रोल और रासायनिक मंत्रालय के मंत्री तथा श्री सुब्रह्मण्यम् इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग के मंत्री नियुक्त हुए।

२०—मद्रास के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री श्री के० कामराज नादर भारतीय राष्ट्रीय काँगरेस के सभापति निर्वाचित।

२१—केरल-राज्य के त्रिवेन्द्रम के निकटवर्ती थुम्बा राकेट-केन्द्र से अन्तरिक्ष का संवाद-संग्रह करने के लिए भारत का प्रथम अन्तरिक्ष-राकेट छोड़ा गया। आभ्यन्तरीण भार-सहित इसका वजन १६०० पाउण्ड था।

२२—राष्ट्रपति कनेडी की हत्या और उप-राष्ट्रपति मि० लिण्डन जॉनसन द्वारा अमेरिकी संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का पद-ग्रहण।

—कश्मीर में एक हेलिकॉप्टर टेलीफोन के तार में फँसकर विध्वस्त हुआ, जिसमें भारतीय वायु-सेना के पाँच विशिष्ट अफसर मारे गये।

—टेक्साज के डलास नगर में गोली मारकर अमेरिकी राष्ट्रपति कनेडी की हत्या।

—संयुक्त राष्ट्रसंघ ने सन् १९६५ ई० को विश्व-सहयोगिता-वर्ष के रूप में घोषित किया। भारत की ओर से यह प्रस्ताव लाया गया था।

२३—अँगरेजी के विश्वविख्यात लेखक एवं साहित्यकार अल्डोअस हक्सले की हालिउड (अमेरिका)-स्थित वास-भवन में कैन्सर रोग से मृत्यु।

२४—बंबई के एक अस्पताल में महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री श्री एम० एस० कन्नमवर (६३ वर्ष) की मृत्यु।

—संयुक्तराज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कनेडी की हत्या के अभियोग में ली हार्वे ओसवाल्ड रिवाल्वर की गोली से एक व्यक्ति द्वारा मार डाला गया।

२५—बनिहाल-गिरिपथ (सुरंग) के निकट पहाड़ के ऊपर भारतीय वायुयान डकोटा का पता चला। २२ नवम्बर से यह वायुयान लापता था।

—वाशिंगटन की आर्लिंगटन-कब्रगाह में राष्ट्रपति कनेडी का शव दफनाया गया।

२६—केन्द्रीय वित्त-मंत्री श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने आज लोकसभा में एक विधेयक उपस्थित किया, जिसके अनुसार एक निश्चित परिमाण से अतिरिक्त के स्वर्णभूषण रखनेवालों को बताना होगा कि उनके पास कितना स्वर्णालंकार है।

२७—अमेरिका के नये राष्ट्रपति लिण्डन जॉनसन द्वारा कौंगरेस के सम्मिलित अधिवेशन में घोषणा कि स्वर्गीय राष्ट्रपति कनेडी के आदर्श एवं नीति का अनुसरण और उसका सफल रूप में कार्यान्वियन किया जायगा।

—चटगाँव में कई हजार छात्रों द्वारा पाक-राष्ट्रपति अयूब खाँ के विरुद्ध विक्षोभ-प्रदर्शन।

२८—कराची से सरकारी तौर पर घोषणा कि पूर्व पाकिस्तान के राजशाही शहर में अवस्थित भारतीय उच्चायुक्त का कार्यालय १५ दिसम्बर से बन्द कर दिया जायगा।

३०—ट्रान्स-कनाडा-एयर-लाइन्स की ओर से घोषणा कि एक वायुयान, जिसपर १११ यात्री और ७ कर्मचारी थे, माण्ट्रियल के निकट नष्ट हो गया।

दिसम्बर

१—राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन द्वारा भारत-संघ के सोलहवें राज्य नागाभूमि का उद्घाटन।

—श्रीवसन्तराव नायक महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री नियुक्त।

—संयुक्त अरब-गणराज्य-सरकार द्वारा भारत-सरकार को सूचना कि उसने पाकिस्तान के राजदूत को तीव्र भारत-विरोधी प्रचार-कार्य बन्द करने का आदेश दिया है।

२—सिक्किम के महाराजा सर ताशी नामग्याल (७१ वर्ष) का कलकत्ते के एक नर्सिंग-होम में देहान्त।

३—जॉर्डन के शाह हुसेन दिल्ली आये।

४—प्रधान मंत्री श्रीनेहरू ने लोकसभा में कहा कि चीन के प्रधान मंत्री और सहकारी प्रधान मंत्री को भारत के आकाश-मार्ग से उड़कर जाने देने की याचना स्वीकार कर ली गई है।

५—श्री वी० पी० नायक के नेतृत्व में महाराष्ट्र की मन्त्रिपरिषद् द्वारा बम्बई में शपथ-ग्रहण।

—पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधान मंत्री हुसेन शहीद सुहरावर्दी (७२) की लेबनान में हृदय-रोग से मृत्यु।

—महाराज कुमार पालडेन थोण्डुप नामग्याल सिक्किम के महाराज घोषित।

६—क्रिस्टाइन कीलर को अपने कलंक-काण्ड के लिए नौ महीने का कारा-दण्ड।

८—थाईलैण्ड के प्रधान मंत्री फील्ड-मार्शल सारिसदी धनराजता (५५) की मृत्यु।

—पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खाँ विमान से कोलंबो पहुँचे। एक सप्ताह तक सिलोन का भ्रमण।

१०—ब्रिटिश ईस्ट अफ्रिका का जंजीबार देश स्वतन्त्र हुआ।

—सरदार के० एम० पन्निकर की मृत्यु।

१२—गोआ, डामन और डिउ (केन्द्र-प्रशासित) की नई विधान-सभा गठित करने के लिए ६ दिसम्बर को हुए प्रथम निर्वाचन के फल की घोषणा। कुल तीस स्थानों में १४

महाराष्ट्रवादी गोमंतक दल को, १२ युनाइटेड गोयन्स दल को, ३ निर्दलीय उम्मीदवारों को और १ कॉंगरेस को प्राप्त।

—केनिया (पूर्व-अफ्रिका का एक राज्य) को स्वाधीनता की प्राप्ति, और गत ६८ वर्षों के ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का अन्त।

—जापान के कियातो दोसिशा-विश्वविद्यालय के एक पर्वतारोही-दल द्वारा पश्चिम नेपाल के २३,०७६ फुट ऊँचे साइपेल-हिमल पर्वत-शिखर पर आरोहण।

१३—केन्द्रीय वित्त-मंत्री श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने घोषणा की कि केन्द्रीय सरकार की सेवा में कम-से-कम एक वर्ष तक लगे किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसकी स्त्री को आजीवन पेन्सन और यदि वह विधवा नाबालिग सन्तान छोड़कर मरेगी तो उसकी सन्तान को विशेष भत्ता मिलेगा। पेन्सन की राशि कम-से-कम २५) रु० तथा अधिक-से-अधिक १५०) रु० मासिक होगी। यह योजना १ जनवरी, १९६४ से लागू होगी।

१६—सोवियत रूस की सरकार द्वारा सामरिक व्यय में हुए ६० करोड़ रूबल (३९६ करोड़ रुपया) की कमी करने का निश्चय।

—चीनी आक्रमण का सामना करने के लिए भारत की प्रतिरक्षा-सामग्री की आवश्यकता की प्रत्यक्ष जानकारी हासिल करने के उद्देश्य से अमेरिकी सेनानी-मण्डल के अध्यक्ष जेनरल मैक्सवेल टेलर का नई दिल्ली में आगमन।

१८—संयुक्त राष्ट्रसंघ की आमसभा की यह सिफारिश कि सुरक्षा-परिषद् की सदस्य-संख्या ११ से बढ़ाकर १५ कर दी जाय।

१९—पश्चिम-बंगाल-विधान-सभा के विरोधी दल के नेता श्रीज्योति, जो नवम्बर, १९६२ से भारत-रक्षा-कानून के अन्तर्गत नजरबन्द थे, अपने ६ साथियों के साथ कारा-मुक्त कर दिये गये।

—लोकसभा में नजरबन्दी कानून की अवधि ३ साल और बढ़ी।

२०—गोआ में प्रथम मन्त्रिमंडल का गठन।

२३—नेपाल के प्रधान मंत्री डा० तुलसी गिरि का पद-त्याग।

२४—केन्द्रीय डाक और तार-मन्त्री श्रीसुकुमार सेन द्वारा गोपालपुर (पश्चिम बंगाल) में एक नये आकाशवाणी-केन्द्र का उद्घाटन।

२५—तिब्बत के शासक पंचेन लामा समस्त अधिकारों से वंचित कर दिये जाकर चीनी अधिकारियों द्वारा किसी अज्ञात स्थान में नजरबन्द।

२६—कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की बालशरीफ-दरगाह से पैगम्बर मुहम्मद साहब का बाल गायब।

२७—संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा-परिषद् में दक्षिण-अफ्रिका-सरकार की रंगभेद-मूलक नीति के विरुद्ध निन्दा का प्रस्ताव स्वीकृत।

२८—दिल्ली में मुख्य मन्त्रियों का सम्मेलन।

—राज्यों में भ्रष्टाचार-उन्मूलन के लिए निगरानी-आयोग बनाने का निश्चय।

—हजरत महम्मद साहब का पवित्र बाल गायब हो जाने के कारण एक उपद्रवी जन-समूह ने श्रीनगर में कई दुकानों, मोटर-गाड़ियों और दो सिनेमा-भवनों में आग लगा दी।

३०—ईरान की शाहजादी अशरफ़ पहलवी और श्रीकेन्याटा की पुत्री कुमारी मारगरेट केन्याटा दिल्ली पहुँचीं।

परिशिष्ट—(ख)

वर्ष की समीक्षा

अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में सन् १९६३ ई० की सबसे उल्लेख-योग्य घटना है—विश्व-राजनीति में अफ्रिका और एशिया के राष्ट्रों की अधिकार-प्रतिष्ठा। आज से कुछ ही वर्ष पहले जो सब देश साम्राज्यवाद के चंगुल में फँसे हुए थे, वे आज स्वतंत्र ही नहीं हैं, बल्कि राष्ट्र-समाज में संख्या की दृष्टि से उनका बहुमत है। संयुक्त राष्ट्रसंघ की कुल सदस्य-संख्या गत दिसम्बर माह तक ११३ थी, जिनमें अफ्रिका-एशिया के राष्ट्रों की संख्या ५८ हो गई है और इस संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि ही होती जायगी। पाश्चात्य जगत् का एकमात्र जर्मनी ही संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं है। इस समय भी एशिया और अफ्रिका के कुछ देश ऐसे हैं, जिन्होंने राष्ट्र-मर्यादा प्राप्त नहीं की है। ये सब देश जब संयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्तर्भुक्त हो जायेंगे, तब अफ्रिका-एशिया की सदस्य-संख्या और पश्चिमी देशों की सदस्य-संख्या में बहुत अन्तर हो जायगा।

अफ्रिका और एशिया के देशों के समान शोषित, अनुन्नत और दरिद्र मध्य एवं दक्षिण-अमेरिका के कुछ देश और हैं, जो लैटिन-अमेरिका के राष्ट्र-समूह के नाम से प्रसिद्ध हैं। अपने अधिकारों की प्रतिष्ठा के लिए ये सब देश जब अफ्रिका-एशिया के साथ मिलकर आन्दोलन करेंगे, तब संयुक्त राष्ट्रसंघ वस्तुतः इन्हीं सब राष्ट्रों की संस्था हो जायगा और अमेरिका, रूस, इंगलैण्ड, फ्रांस जैसे महान् राष्ट्रों के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ में ऐसा कोई काम करना संभव नहीं होगा, जिनका संयुक्त राष्ट्रसंघ के ये सब सदस्य-राष्ट्र समर्थन नहीं करेंगे।

इस प्रसंग में यह भी उल्लेखनीय है कि आठ वर्ष पूर्व बाण्डुंग-सम्मेलन में अफ्रिका और एशिया के देशों को संघबद्ध करने का जो प्रयास शुरू हुआ था, वह बहुत दूर तक अग्रसर नहीं हो सका है। इसका कारण है—इन सब देशों पर विश्व की बड़ी शक्तियों का प्रभाव। एशिया के अन्तर्गत चीन, उत्तर-कोरिया, उत्तर-वीतनाम और बाह्यमंगोलिया सम्पूर्ण रूप से कम्युनिस्ट-गुट के अन्तर्गत और तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, थाईलैण्ड और दक्षिण-वीतनाम पश्चिमी शक्ति-गुट के अन्तर्गत हैं। जापान और मलयेसिया-संघ के देश पश्चिमी गुट के अन्तर्भुक्त न होने पर ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, जो पश्चिमी शक्तियों के लिए अवांछित हो। ठीक इसी तरह कम्युनिस्ट चीन ने कंबोडिया और इंडोनेशिया को प्रभावित किया है। लाओस की अवस्था अभी भी जटिल बनी हुई है। बर्मा, भारत, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान आदि देश तटस्थ होने पर भी सब बातों में एकमत नहीं हैं।

अरब-समैक्य

पश्चिम-एशिया और उत्तर-अफ्रिका के देशों को एकता-बद्ध करने का जो प्रयास दीर्घ काल से चल रहा है, वह अभी तक सफल नहीं हुआ है। सन् १९६३ ई० की ८ फरवरी को इराक के अधिनायक जेनरल अब्दुल करीम कासिम की हत्या करके इराक के नसीर-पंथी अरबों और बाथ-सोशलिस्टों ने जब शासन-सत्ता पर अधिकार किया और इसके एक महीने बाद सीरिया में भी इसी सम्मिलित शक्ति का अभ्युत्थान हुआ तब यह आशा की गई थी कि सीरिया, इराक और मिस्र—ये तीनों मिलकर एक शक्तिशाली अरब-राष्ट्र का संगठन करेंगे। यमन ने

भी उस समय घोषणा की थी कि वह प्रस्तावित संयुक्त अरब-गणराज्य में सम्मिलत होगा। १७ अप्रैल को काहिरा में मिस्र, इराक और सीरिया के नेताओं ने तीनों राष्ट्रों के मिलन के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये। निश्चय हुआ कि काहिरा संयुक्त अरब-गणराज्य की राजधानी होगा, शासन-भार संयुक्त गणराज्यीय परिषद् के ऊपर होगा और तीनों देशों की एक ही संयुक्त सेना होगी। किन्तु इसके बाद ही इराक और सीरिया में नसीर-पंथियों के साथ सोशलिस्टों का विरोध और अधिकार की लड़ाई शुरू हुई। खून-खराबी के बाद दोनों देशों में नसीर-पंथियों की पराजय हुई। २३ जुलाई को मिस्र की सरकार ने घोषणा की कि इराक और सीरिया में जो लोग सत्तारूढ़ हुए हैं, वे जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं, इसलिए संयुक्त अरब-गणराज्य उनके साथ सम्पर्क नहीं रखेगा।

इधर इराक और सीरिया में भी मेल नहीं रह सका। २० नवम्बर को इराक के राष्ट्रपति कर्नल आरिफ ने बाथ-सोशलिस्टों को पदच्युत करके शासन-सत्ता पर सम्पूर्ण रूप से दखल जमा लिया। फलस्वरूप इराक-सीरिया-समैक्य की संभावना लुप्त हो गई और इराक-मिस्र-समैक्य की संभावना प्रबल हो उठी।

मोरोक्को-अलजीरिया-विरोध

अलजीरिया और मोरोक्को के बीच सशस्त्र संघर्ष शुरू हो जाने से अरब-समैक्य और भी विपन्न हो उठा। कोयला और लोहा की खानों से समृद्ध अंचलों के ऊपर स्वत्त्वाधिकार को लेकर यह संघर्ष आरम्भ हुआ। बाद में इथोपिया के सम्राट् हेलसिलासी तथा अफ्रिका के अन्यान्य राष्ट्र-नायकों के प्रयास से संघर्ष बहुत आगे नहीं बढ़ सका। दोनों पक्षों ने माली की राजधानी में एकत्र होकर समझौता किया, जिससे संघर्ष बंद हो गया। फिर भी, मोरक्को-अलजीरिया-सीमान्त पर पूर्ण शान्ति की स्थापना नहीं हो सकी।

अरब-इजराइल-विरोध

इजराइल-सरकार ने यह निश्चय किया कि सन् १९६४ ई० के वसन्त में जोर्डन नदी के जल से वह नेजेब मरुभूमि की सिंचाई करेगी। जोर्डन-सरकार ने इसका प्रतिवाद किया। राष्ट्रपति नसीर ने इस मामले में जोर्डन का समर्थन कर पूर्ण सहायता देने का वचन दिया। २३ दिसम्बर को राष्ट्रपति नसीर ने परिस्थिति पर विचार करने के लिए १३ अरब-राज्यों की एक बैठक बुलाई। उसमें सीरिया और इराक तथा अन्य अरब-देशों ने योगदान किया। जोर्डन का कहना है कि यदि इजराइल जोर्डन नदी का जल खींचकर ले जायगा तो जोर्डन मरुभूमि बन जायगा। इस प्रकार नाना स्वार्थ-संघातों को लेकर जो अरब-समैक्य लुप्तप्राय हो चला था, इजराइल के कार्य के प्रतिरोध के विषय में उसके सुदृढ़ होने की संभावना प्रबल हो उठी है।

अफ्रिका के ऐक्य का प्रयास

सन् १९६३ ई० की २२ मई को अबिसीनिया की राजधानी अदिसअबाबा में अफ्रिका के ३२ स्वाधीन देशों के राष्ट्र-प्रधानों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें निश्चय हुआ कि कई आञ्चलिक शक्ति-गुटों को तोड़कर समस्त अफ्रिका की एक संघबद्ध संस्था कायम की जाय। विभिन्न शक्ति-गुटों को भंग करके अफ्रिका के समस्त स्वाधीन देशों को एक संगठन के अंदर लाने का जो निश्चय किया गया है, उसे अफ्रिका के राष्ट्र-नायकगण बहुत बड़ी सफलता मानते हैं। अदिसअबाबा

सम्मेलन का दूसरा महत्त्वपूर्ण निश्चय है—पुर्त्तगाल और दक्षिण-अफ्रिका के श्वेताङ्ग शासकों के साथ सब प्रकार का सम्बन्ध-विच्छेद। इसके अनुसार अफ्रिका के प्रायः सब देशों ने पुर्त्तगाल और दक्षिण-अफ्रिका के साथ कूटनीतिक एवं वाणिज्यिक सम्पर्क विच्छिन्न कर लिया है।

अफ्रिका के कृष्णाङ्ग राष्ट्र परराष्ट्र-नीति के सम्बन्ध में प्रायः एकमत होने पर भी आन्तरिक नीति के सम्बन्ध में मनोमालिन्य का पोषण कर रहे हैं। अफ्रिका के राजनीति-विषयक नेतृत्व को लेकर घाना, नाइजीरिया और इथोपिया में प्रतिद्वन्द्विता है। पश्चिम अफ्रिका के फ्रेंच-भाषा-भाषी राज्यों में एक स्वतंत्र आत्मीयता का बोध है। मालागासी अफ्रिका महादेश का एक भाग होने पर भी अपने को अफ्रिका से पृथक् मानता है। केनिया के साथ सोमालिया का सीमान्त-विरोध बढ़ ही रहा है। उगांडा, केनिया और टैंगनिका ने १९६३ ई० के दिसम्बर में एक संयुक्त पूर्व-अफ्रिका राज्य गठित करने का प्रस्ताव किया था, किन्तु अभी तक वह संभव नहीं हो सका है।

अफ्रिका के अधिकांश देशों में गणतंत्र का भविष्य आशाजनक प्रतीत नहीं होता। वर्ष के आरम्भ में १३ जनवरी को टोगो के राष्ट्रपति सिलविनस ओलिम्पियो मारे गये और सामरिक नेताओं की सहायता से पॉल मितिची नये राष्ट्रपति हुए। अगस्त में कांगो के राष्ट्रपति पदच्युत हुए। सेनेगेल, चाड और आइवोरी-कोस्ट में सरकार-विरोधी षड्यंत्र हुए थे। अक्टूबर में दहोमी के राष्ट्रपति को सैनिक क्रान्ति के कारण पद-त्याग करना पड़ा। घाना के राष्ट्रपति नक्रूमा अपना पद बनाये रखने के लिए स्वेच्छाचार-नीति का अवलम्बन कर रहे हैं। गीनी के राष्ट्रपति भी इसी मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं।

साइप्रस में अशान्ति

गत दिसंबर में भूमध्य सागर के द्वीप-राष्ट्र साइप्रस में एकाएक ग्रीक तुर्की-विरोध प्रबल हो उठा। साइप्रस की राजधानी निकोशिया में तुर्कों ने आतंकवादी कार्य आरम्भ कर दिया। साइप्रस में तुर्कों की संख्या वहाँ की जन-संख्या का चतुर्थांश है।

तुर्की में राजनीतिक संकट

तुर्की में इस्मत इनोनू के संयुक्त मंत्रिमण्डल का पतन हो गया। वहाँ के सैनिक राष्ट्रपति गुरसेल ने मंत्रिमण्डल गठित करने के लिए जस्टिस पार्टी को आमंत्रित किया। जस्टिस पार्टी ने आम चुनाव कराने पर जोर दिया। फलतः इस्मत इनोनू नये मंत्रिमण्डल का गठन नहीं कर सके।

दक्षिण-पूर्व एशिया

मलाया, उत्तर-बोर्नियो के तीन उपनिवेश और सिंगापुर को लेकर मलयेसिया-गठन का ब्रिटिश प्रस्ताव किया गया, जिसका इण्डोनेशिया और फिलिपाइन्स ने विविध कारणों से विरोध किया। विरोध के बावजूद १५ सितम्बर को संयुक्त राष्ट्रसंघ के अनुमोदन से मलयेसिया गठित हुआ। इसके बाद इंडोनेशिया और फिलिपाइन्स के साथ मलयेसिया का सम्बन्ध-विच्छेद हो गया। जकार्त्ता और कुआलालम्पुर में परस्पर-विरोधी आन्दोलनों से अशान्ति देखी गई। मलयेसिया एक सुप्रतिष्ठित राज्य-संघ बन गया है।

इसी समय इंडोनेशिया के विभिन्न शहरों में स्थानीय प्रवासी चीनियों के विरुद्ध इंडोनेशिया के अधिवासियों का तीव्र विक्षोभ देखा गया। लूट-पाट और हत्याएँ हुईं।

दक्षिण-वीतनाम में राष्ट्रपति डीम और उनके पारिवारिक शासन के विरुद्ध वहाँ की जनता का प्रचण्ड विक्षोभ देखा गया। विक्षोभ का कारण था बौद्धधर्मावलंबियों के विरुद्ध अन्यायपूर्ण आचरण। पहली नवम्बर को जनता के समर्थन से सैनिक-क्रान्ति हुई, जिसके फलस्वरूप डीम के शासन का अन्त हुआ। राष्ट्रपति डीम और उनके भाई जनता द्वारा निहत हुए।

लैटिन अमेरिका

गत वर्ष मार्च में गुआटेमाला में; जुलाई में इक्वेडर में; सितम्बर में डोमिनिकन रिपब्लिक में और अक्टूबर में हंडूरास में सैनिक-शासन कायम हुए। कोलम्बिया, वेनेजुएला और ब्राजिल में भी बार-बार अशान्ति देखी गई।

ग्रेटब्रिटेन

ब्रिटेन की पार्लमेण्ट में कीलर नाम की एक कुमारी के साथ युद्ध-मंत्री के सम्बन्ध को लेकर बड़ा हो-हल्ला मचा और उन्हें पद-त्याग करना पड़ा। इस कलंकजनक काण्ड के कारण प्रधान मन्त्री मि० हेराल्ड मैकमिलन ने २० अक्टूबर को पद-त्याग किया और उसी दिन सर डगलस होम के नेतृत्व में नवीन मन्त्रिमण्डल गठित हुआ।

जर्मनी

दीर्घकालीन शासन के बाद पश्चिम-जर्मनी के चांसलर डा० अदेनार ने ११ अक्टूबर को अवकाश ग्रहण किया और उनके मंत्रिमण्डल के वित्त-मन्त्री लुडविग एरहर्ट चांसलर के पद पर नियुक्त हुए।

संयुक्तराज्य अमेरिका

२२ नवम्बर को संयुक्तराज्य अमेरिका के टेक्साज राज्य के डलास शहर में राष्ट्रपति कनेडी एक आततायी की गोली से निहत हुए। केवल अमेरिका में ही नहीं, सम्पूर्ण विश्व में अपने मधुर चरित्र, उदार-हृदयता एवं विश्व-शान्ति के समर्थक के रूप में उनकी ख्याति थी। आततायी ओसवाल्ड की भी एक व्यक्ति ने हत्या कर डाली। अमेरिका के उपराष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है। संसार के सब देशों ने राष्ट्रपति कनेडी की हत्या का समाचार गहरे दुःख के साथ सुना।

भारत

भारत के प्रथम राष्ट्रपति और सर्वजन-श्रद्धेय नेता डा० राजेन्द्र प्रसाद का २८ फरवरी, १९६३ को पटने में देहान्त हुआ।

४ जुलाई को केन्द्र-शासित संघीय क्षेत्र हिमाचल-प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और पांडिचेरी में प्रतिनिधि-मूलक शासन की स्थापना हुई।

पहली दिसम्बर को नागाभूमि ने भारत के सोलहवें राज्य की मर्यादा प्राप्त की।

९ दिसम्बर को गोआ, डामन, डिउ में आम चुनाव हुआ। विधान-सभा के ३० स्थानों में काँगरेस-दल ने केवल एक स्थान प्राप्त किया। १२ दिसम्बर को नये प्रतिनिधि-मूलक शासन का गठन हुआ।

लोकसभा के ६ उपनिर्वाचनों में काँगरेस ने ३ स्थानों में विजय प्राप्त की। अप्रैल-मई में ये निर्वाचन हुए थे। अमरोहा (उत्तर-प्रदेश) के उपनिर्वाचन में आचार्य कृपलानी ५० हजार अधिक वोट से जीते। उनके प्रतिद्वन्द्वी थे केन्द्रीय सरकार के सिंचाई-मन्त्री तथा राज्य-सभा के सदस्य हाफिज मोहम्मद इब्राहिम। फर्रुखाबाद के निर्वाचन में डा० राममनोहर लोहिया और राजकोट (गुजरात) से श्री एम० आर० मसानी विजयी हुए।

काँगरेस-दल और प्रशासन को उज्जीवित करने के लिए काँगरेस-समिति ने अगस्त की बैठक में कामराज-योजना स्वीकृत की। इसके अनुसार काँगरेस के सांगठनिक कार्य में सारा समय देने के लिए केन्द्रीय सरकार के ६ मन्त्रियों और ६ राज्यों के मुख्य मन्त्रियों ने पद-त्याग किये। मद्रास, उड़ीसा, बिहार, उत्तर-प्रदेश, मध्य-प्रदेश और कश्मीर में नये मुख्य मन्त्रियों के नेतृत्व में नूतन मन्त्रिमण्डल गठित हुए। अन्य कारणों से गुजरात और महाराष्ट्र में भी नूतन मन्त्रिमण्डल गठित हुए। ११ सितम्बर को दलगत कलह के कारण गुजरात के मुख्य मन्त्री डा० जीवराज मेहता और उनके मन्त्रिमण्डल ने पद-त्याग किया। श्रीबलवंतराव मेहता मुख्य मन्त्री हुए। २४ नवम्बर को महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री श्री एस० एम० कन्नमवर की मृत्यु हुई। श्री वी० पी० नायक ने उनका स्थान ग्रहण किया।

चीनी आक्रमण के बाद जो स्वर्ण-नियन्त्रण-कानून और अनिवार्य बचत कानून पास हुए थे, उनमें कुछ संशोधन हुए। आयकर-दाताओं को छोड़कर और सब लोग अनिवार्य बचत कानून से बरी कर दिये गये। स्वर्णकारों को १४ करेट से अधिक मान के स्वर्णभूषणों का पुनः निर्माण या उनकी मरम्मत करने की अनुमति दी गई।

भारत के प्रति पाकिस्तान का मनोभाव बराबर शत्रुतापूर्ण बना रहा। भारत पर चीन द्वारा किये गये आक्रमण को अपने लिए एक सुयोग समझकर वह भारत के विरुद्ध घृणा एवं द्वेष का जहर उगलता रहा। २ मार्च, १९६३ को चीन और पाकिस्तान के बीच सीमान्त को लेकर एक इकरार पेकिंग में हस्ताक्षरित हुआ। इस सम्बन्ध में ५ मार्च को लोकसभा में एक वक्तव्य देते हुए पं० नेहरू ने चीन-पाकिस्तान-सीमान्त-इकरार की निन्दा की और कहा कि पाकिस्तान ने १३ हजार वर्गमील भारतीय स्थल चीन को छोड़ दिया है। इस इकरार के विरुद्ध, भारत ने सुरक्षा-परिषद् में प्रतिवाद-पत्र दाखिल किया। पाकिस्तान के आक्रामक शत्रुतापूर्ण मनोभाव के बावजूद २७ जुलाई को पं० नेहरू ने पाकिस्तान के सामने यह प्रस्ताव रखा कि संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्वीकृति से दोनों राष्ट्र आपस में युद्ध नहीं करने के इकरार पर हस्ताक्षर करें, किन्तु पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। २४ अक्टूबर को पाकिस्तान-सरकार के आदेश से ढाका और राजशाही में भारतीय पुस्तकालय बन्द कर दिये गये। २१ नवम्बर को राजशाही से भारतीय हाई कमीशन का कार्यालय बन्द कर दिया गया। इसी दिन पाकिस्तानी समाचार-पत्रों ने यह समाचार छापा कि कश्मीर में सन् १९४९ ई० की युद्ध-विराम-रेखा को पाकिस्तान मान्यता नहीं देता। ४ दिसम्बर को पाक-अधिकृत कश्मीर के प्रेसिडेंट श्री के० एच० खुर्शीद ने कहा कि युद्ध-विराम-रेखा के समीप बसनेवाले नागरिकों के बीच दस हजार राइफलें बाँटी गई हैं तथा और भी बाँटी जायेंगी।

२८ दिसम्बर को श्रीनगर की हजरतबाल मस्जिद से पैगम्बर मुहम्मद साहब का पवित्र बाल चोरी गया। इस घटना को लेकर पाकिस्तानी नेताओं ने साम्प्रदायिक घृणा-विद्वेष फैलाया।

समाचार-पत्रों ने भारत के विरुद्ध जहर उगलना शुरू किया। परिणाम यह हुआ कि पूर्व-पाकिस्तान के खुलना और जैसोर में साम्प्रदायिक दंगे हुए। हजारों मरे और कई हजार शरणार्थी भागकर पश्चिम बंगाल चले आये। कलकत्ते में भी दंगे हुए और १५० आदमी मारे गये।

चीन और पाकिस्तान को छोड़ अन्य पड़ोसी और विदेशी राष्ट्रों के साथ भारत का सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण बना रहा। मार्च में स्वराष्ट्र-मंत्री श्रीलालबहादुर शास्त्री और नवम्बर में राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन नेपाल की राजधानी काठमांडू गये, जिसके फलस्वरूप दोनों देशों के बीच आपस की गलतफहमी बहुत-कुछ दूर हो गई और दोनों एक-दूसरे के सन्निकट आये। १३ सितम्बर को भारत ने नेपाल को और भी तीन करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी। इस प्रकार नेपाल को भारत द्वारा कुल ३३० करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता मिल चुकी है। ८ नवम्बर को राजा महेन्द्र और राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन ने एक संयुक्त विज्ञप्ति द्वारा घोषित किया कि दोनों देशों के कल्याण, स्वाधीनता एवं अखण्डता में ही उनके स्वार्थ निहित हैं।

सन् १९६३ ई० में भारत को पश्चिमी देशों और रूस से प्रचुर सामरिक एवं आर्थिक सहायता प्राप्त हुई। रूस ने भारत को मिग-वायुयान दिये और वह मिग-वायुयानों के निर्माण के लिए भारत में एक कारखाना स्थापित करने में सहयोग प्रदान कर रहा है। इसके लिए २५ करोड़ रुपये की पूँजी से एक कम्पनी कायम की गई। कारखाना-निर्माण के लिए उड़ीसा में एक स्थान चुना गया है। रूस ने अन्य प्रकार से सहायता देने का भी वचन दिया है। ४ नवम्बर को रूस और भारत के बीच एक इकरार पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए हैं, जिसके अनुसार भारत में तेल और गैस का पता लगाने तथा उन्हें विकसित करने के लिए रूस से प्रविधिज्ञ (टेकनीशियन) भेजे जायेंगे।

७ दिसम्बर को भारत और संयुक्तराज्य अमेरिका के बीच नई दिल्ली में एक इकरार पर हस्ताक्षर हुए, जिसके अनुसार अमेरिका भारत को ८ करोड़ डालर तारापुर में आणविक शक्ति का संयंत्र स्थापित करने के लिए देगा। २१ नवम्बर को थुम्बा स्टेशन से भारत का प्रथम राकेट उत्क्षिप्त किया गया। १८० किलोमीटर की ऊँचाई तक यह राकेट गया। उसके बाद २९ जनवरी, १९६४ तक पाँच राकेट उत्क्षिप्त किये जा चुके हैं।

पश्चिमी शक्तियों की सहायता से भारत ने अपनी वायु-सेना को भी शक्तिशाली बनाया। अक्टूबर-नवम्बर में भारत के विभिन्न भागों में भारत, ब्रिटेन, अमेरिका और अस्ट्रेलिया के वायु-सैनिकों ने सम्मिलित रूप में शैक्षणिक अभ्यास किये।



परिशिष्ट—(ग)

आगामी निर्वाचन में विधान-सभाओं तथा लोक-सभा की सदस्य-संख्या

परिसीमन-आयोग ने आगामी निर्वाचन के लिए राज्य की विधान-सभाओं की सदस्य-संख्या निम्नलिखित रूप में निर्धारित की है। इसके अनुसार १० राज्यों की सदस्य-संख्या में वृद्धि हुई है, २ राज्यों—बिहार और उड़ीसा—में संख्या पूर्ववत् रखी गई तथा दो राज्यों—उत्तर-प्रदेश और आंध्र-प्रदेश—में संख्या किंचित् कम कर दी गई है।

राज्य का नाम	कुल स्थान	अनुसूचित जातियाँ (संरक्षित स्थान)	अनुसूचित जन-जातियाँ (संरक्षित स्थान)
उत्तर-प्रदेश	४२५	८६	×
बिहार	३१८	४५	२६
महाराष्ट्र	२७०	१५	१६
आंध्र-प्रदेश	२८७	४०	११
पश्चिम-बंगाल	२८०	५६	१७
मद्रास	२३४	४२	२
मध्यप्रदेश	२९६	३९	६१
मैसूर	२१६	२६	२
गुजरात	१६८	११	२२
पंजाब	१६१	३३	×
राजस्थान	१८४	३१	२१
उड़ीसा	१४०	२२	३४
केरल	१३३	११	२
आसाम	१२६	८	१०

आयोग ने १४ राज्यों को लोक-सभा में जो स्थान आवंटित किये हैं, वे इस प्रकार हैं : उत्तर-प्रदेश—८५; बिहार—५३; महाराष्ट्र—४५; आंध्र-प्रदेश—४१; पश्चिम-बंगाल—४०; मद्रास—३९; मध्यप्रदेश—३७; मैसूर—२७; गुजरात—२४; पंजाब—२३; राजस्थान—२३; उड़ीसा—२०; केरल—१९; आसाम—१४।

लोक-सभा की सदस्य-संख्या ४८१ से बढ़ाकर ४९० कर दी गई है।

लोक-सभा के स्थानों का आवंटन

राज्य का नाम	कुल संख्या	अनुसूचित जातियाँ	अनुसूचित जन-जातियाँ
		(संरक्षित स्थान)	
१. आंध्र-प्रदेश	४१	६	२
२. आसाम	१४	१	२
३. बिहार	५३	७	५
४. गुजरात	२४	२	३
५. केरल	१६	२	×
६. मध्यप्रदेश	३७	५	८
७. महाराष्ट्र	४५	३	३
८. मद्रास	३६	७	×
९. मैसूर	२७	४	×
१०. उड़ीसा	२०	३	५
११. पंजाब	२३	५	×
१२. राजस्थान	२३	४	३
१३. उत्तर-प्रदेश	८५	१८	×
१४. पश्चिम-बंगाल	४०	८	२
कुल	४६०	७५	३३



परिशिष्ट—(च)

भारत-सरकार

कैबिनेट-मन्त्री — विभाग

१. जवाहरलाल नेहरू (प्रधान मन्त्री)—विदेशी मामले और परमाणु-शक्ति
२. लालबहादुर शास्त्री—निर्विभागीय
३. गुलजारीलाल नन्दा—स्वराष्ट्र, आयोजना
४. सरदार स्वर्ण सिंह—खाद्य और कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता
५. टी० टी० कृष्णमाचारी—वित्त
६. अशोक कुमार सेन—विधि, डाक और तार
७. हुमायूँ कबीर—पेट्रोलियम और रसायन
८. सत्यनारायण सिंह—संसदीय कार्य, सूचना और प्रसार
९. मुहम्मद अली करीमभाई छागला—शिक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान और संस्कृति
१०. राजबहादुर—परिवहन

११. जयसुखलाल हाथी—आपूर्ति और तकनीकी विकास
१२. यशवन्तराव बलवन्तराव चव्हाण—प्रतिरक्षा
१३. सी० सुब्रह्मण्यम्—इस्पात और भारी इंजीनियरी तथा खान
१४. के० सी० रेड्डी—वाणिज्य और उद्योग
१५. दामोदरम् संजीवैया—श्रम और रोजगार
१६. एस० सी० दासप्पा—रेलवे

राज्य-मन्त्री

१. मेहरचन्द खन्ना—निर्माण-कार्य, आवास और पुनर्वास
२. भक्तदर्शन—शिक्षा
३. एम० थॉमस—कृषि और खाद्य
४. बलिराम भगत—योजना, वित्त मन्त्रालय का समन्वय
५. मनुभाई शाह—अन्तरराष्ट्रीय व्यापार
६. नित्यानन्द कानूनगो—उद्योग
७. सुशील कुमार दे—सामुदायिक विकास और सहकारिता
८. श्रीमती सुशीला नायर—स्वास्थ्य
९. श्रीमती लक्ष्मी एन० मेनन—विदेशी मामले
१०. कोत्ता रघुरामय्या—प्रतिरक्षा-उत्पादन
११. ओ० वी० अलगेसन—खान और ईन्धन
१२. डा० रामसुभग सिंह—खाद्य और कृषि
१३. आर० एन० हाजरनवीस—स्वराष्ट्र
१४. डा० के० एल० राव—सिंचाई और बिजली

उपमन्त्री

१. मनमोहन दास—वैज्ञानिक अनुसन्धान और संस्कृति
२. शाहनवाज खाँ—रेलवे
२. सलेम वेंकट रामस्वामी—रेलवे
४. अहमद मोहिउद्दीन—परिवहन और संचार
५. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा—वित्त
६. पूर्णेन्दुशेखर नस्कर—निर्माण-कार्य, आवास और पुनर्वास
७. वैया सूर्यनारायण मूर्त्ति—सामुदायिक विकास और सहकारिता
८. श्रीमती सुन्दरम् रामचन्द्रन—शिक्षा
९. डी० आर० चव्हाण—प्रतिरक्षा
१०. सी० आर० पट्टाभिरमण—श्रम, रोजगार और आयोजना
११. श्रीमती एम० चन्द्रशेखर—स्वराष्ट्र
१२. जगन्नाथ राव—आर्थिक और प्रतिरक्षा-समन्वय
१३. श्यामनाथ—सूचना और प्रसारण

१४. डी० एस० राजू—स्वास्थ्य
१५. दिनेश सिंह—विदेशी मामले
१६. विबुधेन्द्र मिश्र—कानून
१७. वी० भगवती—परिवहन और संचार
१८. श्यामधर मिश्र—सामुदायिक विकास और सहकारिता
१९. प्रकाशचन्द्र सेठी—इस्पात तथा भारी उद्योग
२०. रतनलाल किशोरीलाल मालवीय—श्रम और रोजगार

संसदीय सचिव

१. अन्ना साहब शण्डे—खाद्य और कृषि
२. डी० एरिंग—विदेशी मामले
३. एस० सी० जमीर—विदेशी मामले
४. एस० अहमद मेहदी—सिंचाई और बिजली
५. डोड्डा तिमय्य—खान और ईन्धन
६. एम० एन० कृष्ण—शिक्षा

परिशिष्ट—(ङ)

विविध ज्ञातव्य बातें

कुछ देशों के नये राष्ट्रपति या प्रधान मन्त्री

देश	पद	नाम	काल
अर्जेण्टाइना	राष्ट्रपति	डा० आरटूरो इलिया	१ अगस्त, १९६३ से
अलजीरिया	राष्ट्रपति	अहमद बिन बेला (प्रधान मन्त्री होते हुए)	१६ सितम्बर, १९६३ से
इंगलैंड	प्रधान मन्त्री	लार्ड अलेक्जेण्डर फ्रेडरिक डगलस होम	१८ अक्टूबर, १९६३ से
कांगो (ब्राजाविल)	राष्ट्रपति का पदत्याग—सैनिक-शासन आरम्भ		१५ अगस्त, १९६३ से
ग्रीस	राजा	कान्सटेण्टाइन	६ मार्च, १९६४ से
थाईलैंड (स्याम)	प्रधान मन्त्री	जेनरल थानोम कत्तिकाचोर्न	२० दिसम्बर, १९६३ से
दक्षिण-कोरिया	प्रधान मन्त्री	चोईदूसुम	१३ दिसम्बर, १९६३ से
दक्षिण-वीतनाम	राष्ट्र के प्रधान	जेनरल डुओंग वान मिन्ह	
	प्रधान मन्त्री	गुएन खां	७ फरवरी, १९६४ से
पेरू	प्रधान मन्त्री	डा० फरनैण्डो शवाल्व	४ जनवरी, १९६४ से
संयुक्तराज्य अमेरिका	राष्ट्रपति	लिंडन बेन्स जॉन्सन	२३ नवम्बर, १९६३ से
सीरिया	राष्ट्रपति और प्रधान मन्त्री	अमीन अल हाफिज	१२ नवम्बर, १९६३ से

केनिया और जंजीबार की स्वतन्त्रता

अफ्रिका के ब्रिटिश-अधिकृत क्षेत्र केनिया १२ दिसम्बर, १६६३ को और जंजीबार १० दिसम्बर १६६३ को स्वतन्त्र हुए। केनिया के प्रधान मन्त्री जोमो केन्याटा हैं। यह अफ्रिका का ३४वाँ स्वतन्त्र देश हुआ। स्वतन्त्र होने के एक ही मास बाद १२ जनवरी, १६६४ को जंजीबार की सरकार बदल गई है।

रोडेशिया और न्यासालैंड-संघ भंग

३१ दिसम्बर, १६६३ को रोडेशिया और न्यासालैंड-संघ भंग होकर दोनों देश उत्तरी रोडेशिया और न्यासालैंड के नाम से अलग-अलग हो गये। अभी ये नाम-मात्र के लिए ब्रिटेन के अधीन हैं।

जुलाई, १६६४ में न्यासालैंड के स्वतंत्र हो जाने की आशा है और तब इसका नाम 'मालावी' होगा। यह समाजवादी राष्ट्र रहेगा। इसकी शासन-शक्ति केन्द्र में निहित रहेगी और इस पर अफ्रिकावासियों का नियन्त्रण रहेगा।

उत्तरी-रोडेशिया जनवरी, १६६४ से आन्तरिक रूप से स्वतंत्र हुआ। इसी वर्ष (आगे चलकर) इसके पूर्ण स्वतंत्र होने की सम्भावना है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

पी० बी० गजेन्द्रगदकर—१ फरवरी, १६६४ से

पंजाब और मैसूर के नये राज्यपाल

पंजाब—हाफिज मुहम्मद इब्राहिम
मैसूर—पट्टम तानु पिल्लै

जम्मू और कश्मीर का नया मन्त्रिमंडल

यहाँ ख्वाजा शमसुद्दीन का मन्त्रिमंडल भंग होने पर २६ फरवरी, १६६४ को नया मन्त्रिमंडल बना, जिसके सदस्य इस प्रकार हैं—गुलाम महम्मद सादिक (मुख्य मन्त्री), दुर्गाप्रसाद धर, सैयद मीर कासिम, त्रिलोचन दत्त।

नागाभूमि-मन्त्रिमंडल

नागाभूमि-मन्त्रिमंडल ने, जिसमें निम्नलिखित ८ सदस्य हैं, २५ जनवरी १६६४ को शपथ-ग्रहण किया।

मन्त्रिगण—पी० शीलू आव (मुख्य मन्त्री), होकिवेशी सेमा, आसोकी अंगमी, आर० सी० चितेन जमीर, अकुम इमलौंग, एन० खिथान, एम० लुथिप्रु। उपमन्त्री एम० एल० ओड्युओ।

आन्ध्र का नया मन्त्रिमंडल

आन्ध्र के मुख्य मन्त्री श्रीसंजीव रेड्डी के त्याग-पत्र देने पर वहाँ के वित्त-मन्त्री श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी २६ फरवरी, १६६४ को मुख्य मन्त्री बनाये गये। अन्य मन्त्री पूर्ववत् बने रहे।

प्रथम भारतीय राकेट

त्रिवेन्द्रम से १५ मील पर थुम्बा राकेट-केन्द्र से २१ नवम्बर, १६६३ को संध्या समय ६ बजकर २५ मिनट पर भारत ने अपना प्रथम ध्वनि-युक्त रोकेट छोड़ा। राकेट चमकीले रजत के रंग

का था। साढ़े तीन सेकेंड में राकेट का प्रथम स्टेज जल गया और दूसरा स्टेज वहीं से आरम्भ हो गया। द्वितीय स्टेज में राकेट १८० किलोमीटर की ऊँचाई तक पहुँचा और उसने सोडियम वाष्प छोड़ना आरम्भ कर दिया। राकेट के द्वितीय स्टेज के जलने में ६ मिनट लगे। सेलोड-सहित राकेट का पूरा वजन १६० पौंड था। राकेट अमेरिका के राष्ट्रीय एयरो-नॉटिक और अन्तरिक्ष-प्रशासन की ओर से दिया गया था। राकेट समुद्र के किनारे से छोड़ा गया और यह पश्चिम दिशा में लगभग २,४०० मील प्रति घंटे के हिसाब से आकाश में गया। इस प्रयोग का लक्ष्य था ऊपरी वायुमंडल में गति का अध्ययन। राकेट के सभी पुर्जों को भारतीयों ने कसा था और उन्होंने ही छोड़ा भी। तदुपरान्त इसी स्थान से क्रमशः ८, १२, २५, २८ और २६ जनवरी, १९६४ को भी राकेट छोड़े गये। आशा की जाती है कि १८ महीने के भीतर शत-प्रतिशत रूप में भारत द्वारा तैयार राकेट छोड़ा जायगा।



बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्
के
महत्त्वपूर्ण प्रकाशन

१. हिन्दी-साहित्य का आदिकाल—आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी। आदिकालीन हिन्दी-साहित्य का परिचय। पृष्ठ १३२। मूल्य—३'२५।

२. यूरोपीय दर्शन—महामहोपाध्याय पं० रामावतार शर्मा। आधुनिकतम पाश्चात्य दर्शन का वर्णन। पृष्ठ ११५। मूल्य—३'२५।

३. हर्षचरित : एक सांस्कृतिक अध्ययन—डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल। दो तिरंगे और १८८ इकरंगे ऐतिहासिक चित्र। पृष्ठ २७५। मूल्य—६'५०।

४. विश्वधर्म-दर्शन—श्रीसाँवलियाविहारीलाल वर्मा। विश्व के प्रमुख धर्मों का इतिहास और परिचय। पृष्ठ ५०३। मूल्य—१३'५०।

५. सार्थवाह—डॉ० मोतीचन्द्र। १०० ऐतिहासिक चित्र तथा दो दुरंगे मानचित्र। सर्वत्र प्रशंसित। पृष्ठ ३०२। मूल्य—११'००।

६. वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा—डॉ० सत्यप्रकाश (प्रयाग-विश्वविद्यालय)। गम्भीर गवेषणापूर्ण। पृष्ठ ५००। मूल्य—८.००।

७. सन्त-कवि दरिया : एक अनुशीलन—डॉ० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री। सात तिरंगे और बारह इकरंगे चित्र। पृष्ठ ५००। मूल्य—१४'००।

८. काव्य-मीमांसा (राजशेखर-कृत)—अनु० पं० केदारनाथ शर्मा सारस्वत। अपने विषय की अद्वितीय पुस्तक। पृष्ठ ४५०। मूल्य—६'५०।

९. श्रीरामावतार शर्मा-निबन्धावली—महामहोपाध्याय पं० रामावतार शर्मा। पाण्डित्यपूर्ण निबन्ध। पृष्ठ ३३६। मूल्य—८.७५।

१०. प्राङ्मौर्य बिहार—डॉ० देवसहाय त्रिवेद। प्राचीन बिहार के मानचित्र के साथ। ग्यारह इकरंगे ऐतिहासिक चित्र। पृष्ठ २३०। मूल्य—७.२५।

११. गुप्तकालीन मुद्राएँ—डॉ० अनन्त सदाशिव अलतेकर। प्राचीन मुद्राओं और लिपियों के सत्ताईस सविवरण फलक के साथ। पृष्ठ २५०। मूल्य—६'५०।

१२. भोजपुरी भाषा और साहित्य—डॉ० उदयनारायण तिवारी (प्रयाग-विश्वविद्यालय)। भाषाविज्ञान पर एक प्रामाणिक ग्रंथ। पृष्ठ ६२५। मूल्य—१२'५०।

१३. राजकीय व्यय-प्रबन्ध के सिद्धान्त—श्रीगोरखनाथ सिंह (भूतपूर्व शिक्षा-निदेशक, बिहार)। राष्ट्रीय अर्थशास्त्र। पृष्ठ ४२। मूल्य—१'५०।

१४. रबर—श्रीफूलदेवसहाय वर्मा, एम्० एस्-सी०। चित्र ६१। पृष्ठ २२६। मूल्य—७'५०।

१५. ग्रह-नक्षत्र—श्रीत्रिवेणीप्रसाद सिंह, आइ० सी० एस्०। खगोल-जगत् का अद्भुत दृश्य-दर्शक रोचक वर्णन। रेखाचित्र ५०। पृष्ठ ११८। मूल्य—४'२५।

१६. नीहारिकाएँ—डॉ० गोरखप्रसाद (प्रयाग-विश्वविद्यालय)। प्रस्तुत विषय का मनोहर साहित्यिक वर्णन। चित्र २१। पृष्ठ ७२। मूल्य—४'२५।

१७. **हिन्दू-धार्मिक कथाओं के भौतिक अर्थ**—श्रीत्रिवेणीप्रसाद सिंह, आइ० सी० एस्० । विद्वान् लेखक की मौलिक सूझ । पृष्ठ १३४ । मूल्य—२'०० ।

१८. **ईख और चीनी**—श्रीफूलदेवसहाय वर्मा, एम्० एस्-सी० । हिन्दी-अँगरेजी तथा अँगरेजी-हिन्दी वैज्ञानिक शब्दावली की अनुक्रमणिका के साथ । चित्र १०४ । मूल्य—१३'५० ।

१९. **शैवमत**—(लन्दन-विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत थीसिस का हिन्दी-अनुवाद) मूल लेखक और अनुवादक—डॉ० यदुवंशी । पृष्ठ ३५० । मूल्य—८'०० ।

२०. **मध्यदेश : ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सिंहावलोकन**—डॉ० धीरेन्द्र वर्मा (भू०पू० हिन्दी-विभागाध्यक्ष, प्रयाग-विश्वविद्यालय) । कई रंगीन मानचित्र, ऐतिहासिक महत्त्व के कलापूर्ण चित्र । पृष्ठ १६६ । मूल्य—७.०० ।

२१-२२. **प्राचीन हस्तलिखित पोथियों का विवरण**—(पहला और दूसरा खंड) । सम्पादक—डॉ० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री । प्रत्येक का मूल्य—२'५० ।

२३-२४-२५-२६. **शिवपूजन-रचनावली** (४ भागों में)—आचार्य शिवपूजन सहाय । पहला भाग, पृष्ठ ४२६ ; मूल्य—८.७५ । दूसरा भाग, पृष्ठ ४७२ ; मूल्य—६'०० । तीसरा भाग, पृष्ठ ५२० ; मूल्य—१०'०० ; चौथा भाग । पृ० ६६८ ; मूल्य—८'५० ।

२७. **राजनीति और दर्शन**—डॉ० विश्वनाथप्रसाद वर्मा । पृष्ठ ६०४ । मूल्य—१४'०० ।

२८. **बौद्धधर्म-दर्शन**—आचार्य नरेन्द्रदेव । पृष्ठ ८५० । मूल्य—१७'०० ।

२९-३०. **मध्यएशिया का इतिहास** (दो खंडों में)—महापंडित राहुल सांकृत्यायन । प्रथम खण्ड, पृष्ठ ५३३ ; चित्र ३५ ; मूल्य—१२'२५ । द्वितीय खण्ड, पृष्ठ ६७८ ; चित्र १६ ; मूल्य—८'५० ।

३१. **दोहाकोश**—मूल कवि : बौद्धसिद्ध सरहपाद । छायानुवादक—महापण्डित राहुल सांकृत्यायन । पृष्ठ ५५८ । मूल्य—१३'२५ ।

३२. **हिन्दी को मराठी संतों की देन**—डॉ० विनयमोहन शर्मा । पृष्ठ ५२० । मूल्य—११'२५ ।

३३. **रामभक्ति-साहित्य में मधुर उपासना**—डॉ० भुवनेश्वरनाथ मिश्र 'माधव' । चित्र १५ ; पृष्ठ ४७० । मूल्य—१०'२५ ।

३४. **अध्यात्मयोग और चित्तविकलन**—श्रीवेङ्कटेश्वर शर्मा (आन्ध्रराज्य-निवासी) । पृष्ठ २८२ । मूल्य—७'५० ।

३५. **प्राचीन भारत की सांग्रामिकता**—पण्डित रामदीन पाण्डेय, एम्० ए० । तिरंगे चित्र २७ ; पृष्ठ १६८ । मूल्य—६'५० ।

३६. **बाँसरी बज रही**—श्रीजगदीश त्रिगुणायत । पृष्ठ ४३० । मूल्य—८'०० ।

३७. **चतुर्दश भाषा-निबन्धावली**—भारतीय संविधान-स्वीकृत चौदह प्रमुख भाषाओं के अधिकारी विद्वानों द्वारा लिखित । पृष्ठ १८४ । मूल्य—४'२५ ।

३८. **भारतीय कला को बिहार की देन**—डॉ० विन्ध्येश्वरीप्रसाद सिंह । आर्ट-पेपर पर चित्र १५८ । पृष्ठ २१६ । मूल्य—७.५०

३९. **भोजपुरी के कवि और काव्य**—श्रीदुर्गाशंकरप्रसाद सिंह । संपादक—डॉ० विश्वनाथ प्रसाद । पृष्ठ ३९९ । मूल्य—५'७५ ।

४०. **पेट्रोलियम**—श्रीफूलदेवसहाय वर्मा । पृष्ठ ३०० ; चित्र ४० । मूल्य—५'५० ।

४१. नील पंछी—फ्रेंचभाषा के मूल-लेखक मॉरिस मेटरलिंक। अनुवादक—डॉ० कामिल बुल्के। पृष्ठ ८८। मूल्य—२·५०।

४२. लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ् मानभूम ऐण्ड सिंहभूम—डॉ० विश्वनाथ प्रसाद और डॉ० सुधाकर झा। पृष्ठ ४३३। मूल्य—४·५०।

४३. षड्दर्शन-रहस्य—पं० रंगनाथ पाठक। पृष्ठ ३६०। मूल्य—५·००।

४४. जातक-कालीन भारतीय संस्कृति—श्रीमोहनलाल महतो 'वियोगी'। पृष्ठ ४१८। मूल्य—६·५०।

४५. प्राकृत भाषाओं का व्याकरण—मूल-लेखक जर्मन विद्वान् रिचर्ड पिशल। अनु०—डॉ० हेमचन्द्र जोशी। पृष्ठ १००४। मूल्य—२०·००।

४६. दक्खिनी हिन्दी-काव्यधारा—म० म० पं० राहुल सांकृत्यायन। पृष्ठ ३७६। मूल्य—६·००।

४७. भारतीय प्रतीक-विद्या—डॉ० जनार्दन मिश्र। पृष्ठ ६१२। चित्र १६६। मूल्य—११.००।

४८. संतमत का सरभंग-सम्प्रदाय—डॉ० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री। पृष्ठ ३५४। मूल्य—५·५०।

४९. कृषिकोश (प्रथम खण्ड)—सं० डॉ० विश्वनाथ प्रसाद। पृष्ठ २००। मूल्य—३·००।

५०. मुद्रण-कला—पं० छविनाथ पाण्डेय। पृष्ठ ३५०। मूल्य—७·२५।

५१. लोक-साहित्य : आकर-साहित्य-सूची—श्रीनलिनविलोचन शर्मा। मूल्य—५० नये पैसे।

५२. लोककथा-कोश—श्रीनलिनविलोचन शर्मा। मूल्य—३२ नये पैसे।

५३. लोकगाथा-परिचय—श्रीनलिनविलोचन शर्मा। मूल्य—२५ नये पैसे।

५४. बौद्धधर्म और बिहार—पं० हवलदार त्रिपाठी 'सहृदय'। पृष्ठ ४१२। दो मानचित्र। ७७ दुर्लभ चित्र। मूल्य—८·००।

५५. साहित्य का इतिहास-दर्शन—श्रीनलिनविलोचन शर्मा। पृष्ठ ३१२। मूल्य—५·००।

५६. मुहावरा-मीमांसा—डॉ० ओमप्रकाश गुप्त। पृष्ठ ४५४। मूल्य—६·५०।

५७. वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति—(अपने विषय का अद्वितीय ग्रंथ)—महामहोपाध्याय पं० गिरिधरशर्मा चतुर्वेदी। पृष्ठ ३२६। मूल्य—५·००।

५८. पंचदश लोकभाषा-निबन्धावली—(१५ लोकभाषाओं पर लिखे निबन्धों का संग्रह)—पृष्ठ ३१२। मूल्य—४·५०।

५९. प्राचीन हस्तलिखित पोथियों का विवरण (तीसरा खण्ड)—संपादक : श्रीनलिन-विलोचन शर्मा। पृष्ठ १००। मूल्य—१·२५।

६०. प्राचीन हस्तलिखित पोथियों का विवरण (चौथा खण्ड)—सं० श्रीनलिन-विलोचन शर्मा। पृष्ठ ८२। मूल्य—१·००।

६१. हिन्दी-साहित्य और बिहार (पहला खंड)—(बिहार का साहित्यिक इतिहास, सातवीं शती से अठारहवीं शती तक)—सं० आचार्य शिवपूजन सहाय। पृष्ठ ३००। मूल्य—५·५०।

६२. कथासरित्सागर—मूल-लेखक महाकवि सोमदेवभट्ट। अनु०—पं० केदारनाथ शर्मा सारस्वत। (प्रथम खण्ड; षष्ठ लम्बक तक) पृष्ठ ८४६। मूल्य—१०·००।

६३. भारतीय अब्दकोश (शकाब्द १८८३)—सं० श्रीजगन्नाथप्रसाद मिश्र तथा श्रीगदाधरप्रसाद अम्बष्ठ। पृष्ठ ७५०। मूल्य—८'००।

६४. अयोध्याप्रसाद खत्री-स्मारक ग्रन्थ—सं० आचार्य शिवपूजन सहाय तथा श्रीनलिनविलोचन शर्मा। पृष्ठ ३२०। चित्र १५। मूल्य—५'००।

६५. सदलमिश्र-ग्रंथावली—सं० श्रीनलिनविलोचन शर्मा। पृष्ठ २०८। मूल्य—५'००।

६६. वेणु-शिल्प—शिल्पाचार्य श्रीउपेन्द्र महारथी। पृष्ठ २४८। आर्ट-पेपर पर चित्र-फलक २६। साधारण चित्र २१४। मूल्य—११'००।

६७. गोस्वामी तुलसीदास—(पुनर्मुद्रित) श्रीशिवनन्दन सहाय। पृष्ठ ३७०। मूल्य—५'५०।

६८. रंगनाथ-रामायण—(तेलुगु से अनूदित) अनु०—श्री ए० सी० कामाक्षि राव। पृष्ठ ५०२। मूल्य—६'५०।

६९. पुस्तकालय-विज्ञानकोश—श्रीप्रभुनारायण गौड़। मूल्य—४'५०।

७०. कथासरित्सागर (दूसरा खंड)—अनु० पंडित केदारनाथ शर्मा सारस्वत। मूल्य—१२'५०।

७१. विद्यापति-पदावली (पहला खंड)—(विभिन्न पाठभेदों तथा अर्थ के साथ)—परिषद् के विद्यापति-विभाग द्वारा प्रस्तुत। मूल्य—७'५०।

७२. दरिया-ग्रन्थावली (दूसरा खंड)—परिषद् के प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ-शोध-विभाग द्वारा प्रस्तुत। सं० डॉ० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री। मूल्य—५'००।

७३. मगही-संस्कार-गीत—(परिषद् के लोकभाषा-अनुसंधान-विभाग द्वारा प्रस्तुत)—सं० डॉ० विश्वनाथ प्रसाद। मूल्य—६'५०।

७४. हस्तलिखित पोथियों का विवरण (पाँचवाँ खंड)—परिषद् के हस्तलिखित ग्रंथ-शोध-विभाग द्वारा प्रस्तुत। मूल्य—१'००।

७५. काव्यालंकार (भामह-कृत)—श्रीदेवेन्द्रनाथ शर्मा। मूल्य—५'००।

७६. राष्ट्रभाषा हिन्दी : समस्याएँ और समाधान—मूल्य—१'५०।

७७. भारतीय अब्दकोश (१९६३ ई०)—सं० श्रीजगन्नाथप्रसाद मिश्र और श्रीगदाधरप्रसाद अम्बष्ठ। पृष्ठ ६३५। मूल्य—८'००।

हमारे नवीन प्रकाशन

७८. पतञ्जलिकालीन भारत—डॉ० प्रभुदयाल अग्निहोत्री। मूल्य—११'५०।

७९. कंब-रामायण (भाग १ : बालकाण्ड से किष्किन्धा काण्ड तक)—तमिल-भाषा से अनुवाद—अनु० श्री एन० वी० राजगोपालन। मूल्य—९'७५।

८०. भारतीय वाङ्मय में श्रीराधा—पं० बलदेव उपाध्याय। मूल्य १०'५०।

८१. भारतीय संस्कृति और साधना—महामहोपाध्याय डॉ० गोपीनाथ कविराज। मूल्य—११'५०।

८२. तांत्रिक वाङ्मय में शाक्त दृष्टि—म० म० डॉ० गोपीनाथ कविराज। मूल्य—७'५०।

८३. हिन्दी-साहित्य और बिहार (दूसरा खण्ड)—सं० आचार्य शिवपूजन सहाय। मूल्य—८'००।

८४. कृषि-विनाशी कीट और उनका दमन—श्रीशैलेन्द्रप्रसाद 'निर्मल', बी० एस-सी० (कृषि)। मूल्य—५.५० ।
८५. मात्रिक छन्दों का विकास—डॉ० शिवनन्दनप्रसाद, एम० ए०, डी० लिट्। मूल्य— ८.५० ।
८६. रहस्यवाद—आचार्य परशुराम चतुर्वेदी। मूल्य—५.०० ।
८७. साहित्य-सिद्धान्त—डॉ० रामअवध द्विवेदी। मूल्य—५.०० ।
८८. हरिचरित (प्रथम खण्ड)—(हस्तलिखित ग्रन्थ-शोध-विभाग द्वारा प्रस्तुत)। मूल्य—३.२५ ।
८९. हर्षचरित : एक सांस्कृतिक अध्ययन—(दूसरा संस्करण)। मूल्य—९.५० ।
९०. हस्तलिखित पोथियों का विवरण (छठा खण्ड)—मूल्य ३.०० ।
९१. भारतीय अब्दकोश (१९६४ ई०)—सं० श्रीजगन्नाथप्रसाद मिश्र और श्रीगदाधरप्रसाद अम्बष्ठ। पृष्ठ ६५० । मूल्य—८.०० ।

आगामी प्रकाशन

१. कृषिकोश (दूसरा खण्ड)—लोकभाषा-अनुसंधान-विभाग द्वारा प्रस्तुत ।
२. कहावत-कोश—(लोकभाषानुसन्धान-विभाग द्वारा प्रस्तुत) ।
३. कम्ब-रामायण (दूसरा खण्ड : सुन्दरकाण्ड और युद्धकाण्ड)—अनु० डॉ० एन्० वी० राजगोपालन ।
४. भारतीय संस्कृति और साधना (दूसरा खण्ड)—म० म० डॉ० गोपीनाथ कविराज ।
५. काव्य-मीमांसा (दूसरा संस्करण)—अनु० स्व० केदारनाथ शर्मा सारस्वत ।
६. रामजन्म—(हस्तलिखित ग्रन्थ-शोध-विभाग द्वारा प्रस्तुत) ।
७. भारतीय नीति का विकास—डॉ० राजबली पाण्डेय ।
८. सार्थवाह (दूसरा संस्करण)—डॉ० मोतीचन्द्र ।
९. विद्यापति-पदावली (दूसरा खंड)—विद्यापति-विभाग द्वारा प्रस्तुत ।
१०. काशी की सारस्वत साधना—म० म० डॉ० गोपीनाथ कविराज ।
११. यात्रा का आनन्द—आचार्य काका साहेब कालेलकर ।
१२. अंगिका-संस्कार-गीत—लोक-भाषानुसन्धान-विभाग द्वारा प्रस्तुत ।
१३. भारतीय अब्दकोश (१९६५ ई०) ।

पता

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्

पटना—४